



योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक
योजना
2002-03

वार्षिक योजना 2002-03



योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक योजना 2002-03

विषय

विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय - 1 : सिहायलोकन	1
अध्याय - 2 : वित्तीय संसाधन	54
अध्याय - 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय	96
3.1 : योजना कार्यान्वयन	96
3.2 : सरकारी क्षेत्र का परिव्यय	111
अध्याय - 4 : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	213
4.1 : ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और कार्यनीतियाँ	213
4.2 : बंजर और अनुत्पादक भूमि का विकास	236
4.3 : शहरी गरीबी उपशमन	243
4.4 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली	247
अध्याय - 5 : मानव तथा सामाजिक विकास	251
5.1 : खाद्य और पोषण सुरक्षा	251
5.2 : प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा	267
5.3 : माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा	272
5.4 : उच्चतर और तकनीकी शिक्षा	278
5.5 : युवा मामले और खेलकूद	287
5.6 : स्वास्थ्य	292
5.7 : परिवार कल्याण	344
5.8 : भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ और हीम्योपैथी	390
5.9 : आवास, जल आपूर्ति और नागरिक सुविधाएं	408
5.10 : महिलाओं की अधिकारिता और बाल विकास	428
5.11 : सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों का सशक्तिकरण	458
5.12 : जनजातीय विकास	478
5.13 : समाज कल्याण	496
5.14 : रोजगार, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा (कौशल विकास सहित)	516
अध्याय - 6 : क्षेत्रकीय विकास	549
6.1 : कृषि	545
6.2 : पशुपालन और डेयरी उद्योग	55

6.3 :	खनिज और औद्योगिक विकास	562
6.4 :	ग्रामीण और लघु उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	599
6.5 :	शहरी विकास	620
अध्याय - 7 :	आधारभूत विकास	629
7.1 :	ऊर्जा	629
	(i) विद्युत	629
	(ii) कोयला तथा लिग्नाइट	646
	(iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र	662
7.2 :	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं कमान क्षेत्र विकास	687
7.3 :	परिवहन	706
	7.3.1 रेलवे	706
	7.3.2 सड़कें	715
	7.3.3 पत्तन	727
	7.3.4 पोत परिवहन	732
	7.3.5 अंतर्देशीय जल परिवहन	734
	7.3.6 नागर विमानन	736
7.4 :	संचार और सूचना	749
	(i) डाक क्षेत्रक	749
	(ii) दूरसंचार	754
	(iii) सूचना और प्रसारण	761
7.5 :	सूचना प्रौद्योगिकी	776
अध्याय - 8 :	पर्यटन एवं विरासत	786
8.1 :	पर्यटन	786
8.2 :	कला एवं संस्कृति	795
अध्याय - 9 :	पर्यावरण एवं वन	800
अध्याय - 10 :	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	818
अध्याय - 11 :	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और पूर्वोत्तर भाग	840
	(i) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	840
	(ii) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	842
	(iii) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	844
	(iv) पूर्वोत्तर परिषद	847
	(v) "काबोको" जिलों के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	848

अध्याय - 1

सिंहावलोकन

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र, अगले दस वर्षों में देश में प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करने की प्रधानमंत्री की अवधारणा के संदर्भ में तैयार किया गया था। इसलिए योजना का उद्देश्य 2012 तक प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करने के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में पहले उपाय के रूप में 2002-2007 अवधि के लिए औसतन 8 प्रतिशत जी डी पी का आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्त करना है। दृष्टिकोण पत्र में इस बात को भी स्वीकारा गया कि केवल आर्थिक विकास ही राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता बल्कि मानव कल्याण की संवृद्धि की सामान्य दृष्टि से विकास लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। तदनुसार, इसके अंतर्गत दसवीं योजना के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गरीबी, रोजगार, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों से संबंधित कतिपय अतिरिक्त मात्रात्मक लक्ष्यों पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इस बात पर बल देना महत्वपूर्ण है कि ये मानवीय विकास सम्बद्ध लक्ष्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें भारतीय योजना में पहली बार शामिल किया जा रहा है, विकास उद्देश्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, क्योंकि किसी एक की प्राप्ति अन्य की प्राप्ति के बगैर संभव नहीं होगी।

2. वार्षिक योजना 2002-2003 का, जो नई सहस्राब्दि में तैयार की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना की पहली वार्षिक योजना है, विशेष महत्व है। यह योजना अनेक सकारात्मक घटनाओं की पृष्ठभूमि में तैयार की जा रही है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि की 2 प्रतिशत से कम कमी गरीबी के तहत जनसंख्या की प्रतिशतता में लगातार गिरावट, 1991 में 52 प्रतिशत की तुलना में 2001 में 65 प्रतिशत की बढ़ी हुई साक्षरता और नए शक्ति स्रोतों के रूप में साफ्टवेयर और आई टी समर्थित सेवाओं का उद्भव शामिल है।

3. योजना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि योजना प्रस्ताव तैयार करते समय, केन्द्र और राज्यों - दोनों स्तरों पर सरकारों के गिरते हुए सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रों, लिंग और जनसंख्या समूहों के बीच आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों में कमियों और असमानताओं जैसे सामूहिक चिंता के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप में ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दसवीं योजना अवधि में और उससे आगे अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि पूर्वानुमान प्राप्त करने की एक नवीन कार्यनीति पर सामूहिक रूप से अमल किया जाना चाहिए जिसके लिए न केवल निवेश दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता है बल्कि अपने संसाधनों को वांछित उपलब्धियों में बदलने की कार्यकुशलता में भी बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत है। दसवीं योजना एक ऐसी योजना होनी चाहिए जिसमें हमारी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में कार्यकुशलता और कारगरता के संबंध में नए लक्ष्य (बेंचमार्क) कायम किए जाएं। इस बात पर भी बल दिया गया कि न तो विकास लक्ष्य और न ही लोगों के कल्याण के वस्तुनिष्ठ संकेतक केवल संसाधनों की उन मात्राओं द्वारा प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें जुटाने में हम सफल हो पाएंगे। हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में हमारे निर्णयों और कार्यों में कार्यकुशलता और कारगरता प्रमुख होनी चाहिए।

4. 1990 के दशक में और विशेष रूप से नौवीं योजना में योजनागत कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए संसाधनों का आबंटन पर्याप्त से कम किया गया। वस्तुतः जीडीपी के प्रति सकल बजटीय सहायता का अनुपात और

जीडीपी के लिए सरकारी निवेश के अनुपात में भी इस अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से और आर्थिक नीति तथा विकास योजना के प्रति हमारे समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इन प्रवृत्तियों को उलटने के वास्ते आवश्यक उपाय करने होंगे। विगत अनुभव से पता चलता है कि यद्यपि पर्याप्त संसाधनों के बिना बहुत सी स्कीमें शुरू की गई हैं किन्तु बहुत कम स्कीमों को छोड़ा अथवा समाप्त किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अनेक स्कीमों में ऐसी हैं जिन्हें प्रशासित करना और बाद में मानीटर करना कठिन है। हमारा प्रयास ऐसी स्कीमों को प्रबंधकीय स्तर की संख्या तक कम करने का होना चाहिए।

5. योजना आयोग ऐसे उपाय करता रहा है जिनमें केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का अभिसरण/छटनी और हस्तांतरण शामिल है। सभी योजनागत स्कीमों को शून्य-आधारित बजट-पद्धति (जेडबीबी) के अंतर्गत लाने के संबंध में वित्त मंत्री के बजट 2001-2002 भाषण में भी एक नीतिगत घोषणा की गई थी जिससे निधि की आवश्यकताओं और योजनागत आबंटनों के बीच बेमेलता रोकने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि योजनागत खर्च वांछित वास्तविक उपलब्धियों के अनुरूप हों। इसके फलस्वरूप योजना के अंतर्गत बल निविष्टियों के बजाए परिणामों पर दिया जाएगा, अर्थात् वास्तविक लक्ष्यों पर न कि वित्तीय आबंटनों पर। इस प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति दर्ज की गई है तथा इसे शीघ्रता से पूरा करने की जरूरत है।

6. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सभी योजनागत कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का पर्याप्त रूप से प्राथमिकरण किया गया है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक विवेकपूर्ण और आर्थिक रूप से कुशल ढंग से उपयोग किया जा सके। विशेषतः, वर्ष 2002-2003 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव करते समय मंत्रालय/विभाग के लिए 'महत्वपूर्ण (कोर) योजना' निश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसमें संबंधित क्षेत्रक में सार्वजनिक कार्यवाई हेतु बुनियादी क्षेत्रकवार प्राथमिकताओं और न्यूनतम कार्यक्रम पर प्रकाश डाला जाए। इसमें यह विचार अंतर्निहित है कि प्रत्येक क्षेत्रक में महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना अवधि के दौरान आबंटन के अभाव में बाधित न हों और योजना के अनुसार पूरे किए जाएं ताकि उनके कार्यान्वयन से पूर्वानुमानित लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त किए जा सकें।

7. इस बात पर बल देने की जरूरत नहीं है कि हमें प्राथमिकतापूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रक परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए पर्याप्त संसाधन खोजने होंगे। किंतु यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित उद्यमशीलता ऊर्जाओं को मुक्त करते हुए और सार्वजनिक प्रयासों को पूरक बनाने तथा धीरे-धीरे समर्थन प्रदान करने के वास्ते निजी पहलों को प्रोत्साहित करके सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रकों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के वास्ते संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाया जाए। योजना खर्च का मानीटरन सुधारने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है जिससे कि योजनागत कार्यक्रमों/स्कीमों के उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त करने में सरकारी खर्च की कारगरता में सुधार लाया जा सके। योजना आयोग को समय-समय पर योजनागत स्कीमों की तिमाही निष्पादन समीक्षा करने और संयुक्त रूप से मानीटरन प्रोत्साहित करने के कार्य में भी शामिल किया जाएगा। इससे उपयोगी पृष्ठ सामग्री (फीडबैक) तथा विभिन्न विभागों की चिंताओं की बेहतर समझ-बूझ प्राप्त होगी।

8. योजना प्रक्रिया को, प्रतियोगी क्षेत्रकों और इलाकों के बीच मात्र बजटीय आबंटनों के कार्य से और आगे ले जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत, देश की विकास प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में निजी प्रयासों को प्रेरित करने और ऐसा परिवेश सृजित करने की और तेजी से जरूरत है जिससे कि सभी के लिए अपनी क्षमताओं को अलग-अलग और सामूहिक रूप से भी पूरे राष्ट्र के संबंध में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें।

हाल ही की आर्थिक घटनाएं और वर्ष 2002-2003 के लिए संभावनाएं

9. भारतीय अर्थव्यवस्था ने, विश्व के अनेक भागों में आर्थिक गतिविधि में धीमेपन की बिगड़ती हुई स्थिति में अनिश्चित वैश्विक परिवेश में लचीलापन दिखाया है। कृषि उत्पादन में आए असामान्य उछाल का लाभ उठाते हुए भारत के जीडीपी में वर्ष 2001-2002 के दौरान वृद्धि बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई जबकि 1999-2000 में इस आशय की 6.1 प्रतिशत दर 2000-2001 में घटकर 4.0 प्रतिशत रह गई थी। कृषि में यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्यान्नों, तिलहनों और कपास के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई। दूसरी ओर, औद्योगिक उत्पादन में सुस्पष्ट और पर्याप्त रूप से कमी आई जिसमें विनिर्माण क्षेत्रक में प्रमुख रूप से कमी आई। पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से कमी दर्ज की गई। इस क्षेत्रक के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 2000-2001 के 6.7 प्रतिशत की तुलना में 2001-2002 के दौरान 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अर्थव्यवस्था में दुर्बल निवेश मांग को परिलक्षित करती है। सेवा क्षेत्रक का अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान बना हुआ है जिसने 2001-2002 में वास्तविक जीडीपी में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि 2000-2001 में यह 5.3 प्रतिशत थी जो वित्तीय सेवाओं के सुधरे निष्पादन को परिलक्षित करती है जैसाकि संलग्नक 1.1 में दर्शाया गया है।

10. वर्ष 2002-2003 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के संबंध में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में इसकी प्राप्ति दर 3.5 प्रतिशत थी जैसाकि संलग्नक 1.1 में दर्शाया गया है। अप्रैल-अगस्त, 2002 के दौरान थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर मुद्रास्फीति दर 2.5 प्रतिशत थी जबकि विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान यह 5.4 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों के संबंध में मुद्रास्फीति दर अप्रैल-अगस्त, 2002 के दौरान मात्र 1.4 प्रतिशत थी जबकि 2001 की तदनुसूची अवधि में यह 3.4 प्रतिशत थी। कुछ प्रेक्षकों के विचार में प्रतियोगिता में वृद्धि अनेक उपभोक्ता की कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदार थी। पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया और अप्रैल-जुलाई, 2002 के दौरान 5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की जबकि 2001-2002 के दौरान 3.9 प्रतिशत की कमी आई थी। बुनियादी वस्तुओं (5.8 प्रतिशत) और उपभोक्ता वस्तुओं (7.3 प्रतिशत) ने भी सुधार दर्शाया और इसे औद्योगिक क्षेत्रक में सुधार का संकेत कहा जा सकता है।

11. अर्थव्यवस्था में निवेश मांग के पुनरुत्थान के समर्थन में मौद्रिक नीति अवस्थिति के फलस्वरूप 2001-2002 के अधिकांश भाग में मौद्रिक स्थितियां सुगम बनी रही। वर्ष 2001-2002 के दौरान सुरक्षित (रिजर्व) मुद्रा में तेजी से वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक की निवल विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) में भारी वृद्धि होना था (2000-2001 में 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 2001-2002 में 40.0 प्रतिशत हो गई)। तदनुसार, पूरे वर्ष के दौरान नगदी स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक बनी रही। 2001-2002 में ब्राड मनी (एम 3) में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2000-2001 के दौरान 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मौद्रिक विस्तार, वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक और क्रेडिट नीति वक्तव्य में निर्धारित पूर्वानुमानों के अनुरूप था। घटकों में जनता के पास धन और सावधि जमाओं ने 2001-2002 के दौरान मौद्रिक विस्तार में योग दिया। जनता के पास धन में 2001-2002 में 15.2 प्रतिशत की अधिक वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 10.8 प्रतिशत थी जैसाकि संलग्नक 1.2 में दर्शाया गया है।

12. तथाकथित 'मंदी सत्र' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2002-2003 के पूर्वार्द्ध के लिए अप्रैल, 2002 में घोषित मौद्रिक और क्रेडिट नीति, पहले से चल रहे औद्योगिक पुनरुत्थान को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से

तैयार की गई थी। प्रमुख बातों में, उदार ब्याज दर व्यवस्था को जारी रखना और मध्यावधि में ब्याज दर पद्धति को और अधिक शिथिल बनाना शामिल है। यद्यपि बैंक दर अपरिवर्तित रही है, तथापि नकदी आरक्षण अनुपात (सीआरआर) को 15 जून, 2002 से 50 आधार पाइंट घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। किन्तु बचत खातों पर ब्याज दर अपरिवर्तित छोड़ दी गई। विदेशी मुद्रा में निर्यात क्रेडिट पर ब्याज दर भी घटा दी गई। अप्रैल-जुलाई, 2002 अवधि के दौरान प्राप्तियों में (कर और कर भिन्न राजस्व) में बजट अनुमानों की तुलना में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह प्रतिशत 13.9 थी। जुलाई, 2002 के अंत में सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से 43.9 प्रतिशत कम था जबकि विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि में घाटा 50.4 प्रतिशत था।

13. तथापि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, वर्ष 2002, 1987 से लगातार 14 अच्छे मानसूनों के बाद पहला अखिल भारत सूखा वर्ष है। राजस्थान में गंभीर सूखा पड़ा जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में साधारण सूखे की स्थिति रही। इन सूखा स्थितियों के कारण पूरे देश में कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय प्रभावित हुई किन्तु सु-सिंचित राज्यों में कुछ कम सीमा तक। खाद्यान्नों का कुल भंडार (चावल और गेहूँ) 1 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार, 630 लाख टन था, जो सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा रखे जाने के लिए संस्तुत अधिकतम बफर स्टॉक सीमा से ढाई गुना है। उपलब्ध खाद्यान्नों के भारी भंडार के बावजूद भूख से मरने वालों के छिटपुट मामलों की रिपोर्ट मिल रही है। इसलिए खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार किए जाने और उसे और अधिक कारगर बनाने की जरूरत है। वर्तमान पद्धति को खाद्य स्टाम्पों और अंततः एक खाद्य क्रेडिट कार्ड पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान सार्वजनिक वितरण पद्धति (पीडीएस) के अंतर्गत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में देश के चुने हुए जिलों में एक स्मार्ट कार्ड स्कीम लागू करने का प्रस्ताव है। अलग-थलग क्षेत्रों में, जहां सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू नहीं है तथा उन क्षेत्रों में जहां अपर्याप्त रोजगार सृजन की समस्या है, जैसे कि जनजातीय इलाकों और वनों के क्षेत्रों में, यह अनुभव किया गया है कि अन्न बैंक स्कीम जैसी एक स्कीम लागू की जा सकती है और इसे किसी महिला की अध्यक्षता वाले स्वयंसेवी समूहों के पर्यवेक्षण के तहत चलाया जा सकता है। सरकार खाद्यान्नों की प्रारंभिक आपूर्ति कर सकती है और भंडारण क्षमता का निर्माण काम के लिए अनाज कार्यक्रम के तहत किया जा सकता है।

14. जीडीपी विकास की ऊंची दर के लिए आवश्यक है कि आयात की वृद्धि दर भी अधिक होगी। ऊर्जा के आयात पर निर्भरता की सीमा और घरेलू ऊर्जा स्रोतों के पर्याप्त तेजी से बढ़ने की सीमित संभावना को देखते हुए यह विशेष रूप से सच है। आयातों के हाल ही के उदारीकरण का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चालू खाते के घाटे को प्रबंधकीय सीमाओं के अंदर रखने के लिए निर्यात की लगातार ऊंची दरें बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मांग कारणों की वजह से भी तीव्र निर्यात वृद्धि जरूरी होगी क्योंकि घरेलू बचतों की दर में लगातार वृद्धि का अर्थ है कि घरेलू खपत वृद्धि दर उत्पादन की वृद्धि दर की तुलना में कम होगी। इसलिए क्षमता उपयोग के उच्च स्तर बनाए रखने के वास्ते विदेशी बाजारों की खोज करनी होगी। विश्व बाजार की चुनौतियों का सामना करने के वास्ते निर्यातों से उत्पाद और प्रसंस्करण नूतनता को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्याप्त बड़ी अर्थव्यवस्था वाले उद्योगों में निर्यात से स्थूल क्षमताओं का और अधिक कुशल ढंग से उपयोग करके आपूर्ति की औसत लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी।

15. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात और आयात नीति अप्रैल, 2002 में प्रतिपादित की गई थी जिससे कि विश्व वस्तु व्यापार का कम से कम एक प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने; उत्पादन बढ़ाने और सेवाएं प्रदान करने

के लिए अपेक्षित अनिवार्य कच्ची सामग्री, मध्यवर्तियों, कल-पुर्जों, उपभोग्य वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं की सुलभता और सेवाएं प्रदान करके संचारणीय आर्थिक विकास प्रेरित करने; भारतीय कृषि, उद्योग और सेवाओं की प्रौद्योगिकीय शक्ति और कार्यकुशलता बढ़ाकर, जिससे नए रोजगार अवसर सृजित करने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत गुणवत्ता स्तरों की प्राप्ति प्रोत्साहित करने के लिए; और उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर अच्छी कोटि की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के वास्ते और साथ ही देशज उत्पादकों के लिए उत्पादन के अवसर पैदा करने के लिए निर्यातों में संचारणीय विकास सुकर हो सके। एक भागीदारीपूर्ण दृष्टि और प्रतिबद्धता तथा सर्वोत्तम सुविधा के साथ, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार प्रोत्साहन के हित में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिए इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। संबंधित राज्यों से निर्यातों को प्रोत्साहित करने में पूरी तरह से भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके वास्ते वार्षिक योजनाओं में उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा। क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्रक, कुटीर तथा हस्तशिल्प क्षेत्रक के साथ-साथ, जो अधिकांश शिल्पकारों और ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करता है, देश के कुल निर्यात में आधे से भी अधिक का योगदान करता है इसलिए इस क्षेत्रक पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने की परिकल्पना है।

16. यद्यपि देश के निर्यात में 2000-2001 में 19.6 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि 1999-2000 में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, किन्तु 2001-2002 के दौरान डालर की दृष्टि से केवल 0.05 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (रुपए की दृष्टि से 4.4 प्रतिशत)। विश्व भर में मंदी की प्रवृत्ति से हमारे निर्यातों की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ऐसी मंदी और विश्व व्यापार के संकुचन के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रकों में तकनीकी मानकों, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के रूप में संरक्षणवादी नीतियों का भी उद्भव हुआ जिससे बाजार सुलभता प्रभावित हुई और हमारे निर्यात को बाधा पहुंची। इसके अलावा, ढांचागत बाधाएं, ऊंची लेन-देन लागत, लघु उद्योगों में आरक्षण, श्रमिक कठोरता, निर्यात क्षेत्रक में एफडीआई आकर्षित करने में कठिनाइयां और उत्पाद कोटि समस्याएं प्रमुख सफ्लाई बाधाएं रही हैं जो हमारे निर्यातों में लगातार बाधक बनी हुई हैं। पूर्वानुमान है कि दसवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान निर्यात में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा वर्ष 2002-2003 के लिए 12 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के निर्यात प्रोत्साहन के सतत प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्यनीति और नीतियां तैयार की गई थी और निर्यातों की प्रगति का सतत मानीटरन किया गया। निर्यात वृद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें विकेन्द्रीकरण, क्रियाविधियों के सरलीकरण आदि के जरिए, जैसा कि निर्यात-आयात नीति (2002-2007) में उल्लिखित है, लेन-देन लागतों में कटौती करना शामिल है।

17. वर्ष 2001-2002 के दौरान डालर की दृष्टि से आयातों में 2.8 प्रतिशत की कमी आई है। रुपए की दृष्टि से वृद्धि केवल 1.5 प्रतिशत रही है। पीओएल आयात में 10.5 प्रतिशत की और इसी प्रकार उनके हिस्से में भी कमी आई जो 26.4 प्रतिशत से घटकर 24.3 प्रतिशत रह गया जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं। यद्यपि, पीओएल भिन्न आयातों में केवल मामूली सी वृद्धि हुई किन्तु उनका हिस्सा कम होकर 75.7 प्रतिशत से 73.6 प्रतिशत रह गया। पीओएल-भिन्न की धीमी आयात वृद्धि देशज औद्योगिक गतिविधियों में धीमेपन का संकेत है जैसाकि वर्ष 2001-2002 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर से पता चलता है जबकि 2000-2001 में यह प्रतिशत 5 थी। अप्रैल, 2001 से प्रभावी आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) उठा लेने के पश्चात, 300 मर्दों की आयात प्रवृत्ति का निकटतः मानीटरन करने के वास्ते, जिन्हें संब्रेदनशील वर्गीकृत किया गया था, एक 'युद्ध कक्ष' (वार रूम) स्थापित किया गया था। वर्ष 2001-2002 के दौरान इन मर्दों के कुल आयात में रुपए की दृष्टि से 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वृद्धि

भी प्रायः पूर्णतः कपास के आयात में वृद्धि के कारण थी। सीमा शुल्क (कुल) को, जो वर्ष 2001-2002 में औसतन 37.1 प्रतिशत था, 2002-2003 में घटाकर 33.7 प्रतिशत कर दिया गया। पूर्वानुमान है कि 2002-2003 में आयातों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

18. निर्यातों में मामूली वृद्धि और आयातों में 2.8 प्रतिशत की कमी के कारण, व्यापार संतुलन कम होकर 2001-2002 में (-) 12703 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि 2000-2001 के दौरान यह (-) 14370 मिलियन अमरीकी डालर था। चालू खाता शेष सुधर कर जीडीपी का 0.3 प्रतिशत हो गया जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह जीडीपी का (-) 0.5 प्रतिशत था। वर्ष 2002-2003 के दौरान उम्मीद है कि जीडीपी की तुलना में चालू खाता शेष, औद्योगिक गतिविधि में सुधार होने से आयात में वृद्धि होने के फलस्वरूप ऋणात्मक 0.2 हो सकता है। पिछले वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई और वर्ष 2001-2002 में ये 54106 मिलियन अमरीकी डालर थे, जो अक्टूबर, 2002 के मध्य तक और बढ़ कर 63932 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए।

19. विदेशी ऋण स्टाक में मामूली सी वृद्धि के बावजूद, हाल ही के वर्षों में देश की विदेशी ऋण स्थिति में सुधार हुआ है। ऋण- जीडीपी अनुपात घटकर मार्च, 2001 तक 22.3 प्रतिशत हो गया तथा मार्च, 2002 तक और घटकर 20.8 प्रतिशत हो गया। अल्पावधि ऋण मार्च, 1991 के अंत में 10.2 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2002 के अंत में 2.8 प्रतिशत हो गया। 1991-92 के बाद से भारत की विदेशी ऋण स्थिति में सुधार एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति के कारण है जिसके अंतर्गत परिपक्वता संरचना और साथ ही वाणिज्यिक ऋण की कुल राशि को प्रबंधकीय सीमाओं के अंतर्गत रखते हुए, निर्यात की ऊंची वृद्धि दर, सीमित अल्पावधि ऋण और ऋण-भिन्न वित्तीय प्रवाहों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है।

20. 1990-91 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति का उद्देश्य विदेशी निवेश को, विशेष रूप से महत्वपूर्ण (कोर) और आधारभूत क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। एक उदार एफडीआई नीति सुनिश्चित करने के वास्ते अनेक उपाय किए गए हैं जिनके कारण एफडीआई, जो 2000-01 में 2339 मिलियन अमरीकी डालर था, 2001-2002 में बढ़कर 3904 मिलियन अमरीकी डालर हो गया और कुल विदेशी निवेश प्रवाह बढ़कर 2001-2002 में 5925 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

21. भारत, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का एक संस्थापक सदस्य है। विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में निरंतर चर्चाओं से उत्पन्न, व्यापार के साथ-साथ विकासात्मक मुद्दों पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न डब्ल्यूटीओ करारों के संबंध में चर्चाओं में भारत भाग लेता रहा है ताकि विकसित देशों द्वारा उनके दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके और साथ ही विकासशील देशों के लिए यथासंभव अधिकतम लाभ प्राप्त किए जा सकें।

सरकारी क्षेत्रक योजना

22. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1996-97 कीमतों पर 859200 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित परिष्यय में से सरकारी क्षेत्र ने केवल 81 प्रतिशत का उपयोग किया जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

23. प्रत्येक वार्षिक योजना के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों दोनों के लिए अलग-अलग कुल व्यय भी आनुपातिक रूप से कम था जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1

नीवी योजना (1997-2002) के दौरान सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्यय और व्यय
(1996-97 कीमतों पर)

(रुपए करोड़)

मद	परिव्यय	व्यय	नीवी योजना परिव्यय का प्रतिशत
1	2	3	4
1 केन्द्रीय क्षेत्र			
1.1 परिव्यय	489361	399253	82
1.2 बजटीय समर्थन	203982	178114	87
1.3 आई.ई.बी.आर.	285379	221139	77
2. संघ राज्य क्षेत्र			
2.1 परिव्यय	19701	14623	74
2.2 बजटीय समर्थन	5580	4517	81
2.3 स्वयं के स्रोत	14121	10107	72
3. राज्य			
3.1 परिव्यय	350138	282655*	81
3.2 केन्द्रीय सहायता	164437	136261*	83
3.3 स्वयं के स्रोत	185701	146394	79
कुल - सरकारी क्षेत्र	859200	696531	81

* छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए 2001-2002 (सं.अ.); उत्तरांचल के लिए 2000-2001 (वास्तविक) और 2001-2002 (सं.अ.) शामिल हैं।

तालिका 1.2

नीवी योजना और वार्षिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र योजना व्यय
(1996-97 कीमतों पर)

वर्ष	कुल नीवी योजना प्रावधान का प्रतिशत	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र
1997-98 (वास्तविक)	14.2	13.6	15.1
1998-99 (वास्तविक)	15.1	14.9	15.4
1999-2000 (वास्तविक)	16.4	16.3	16.6
2000-01 (वास्तविक)	16.7	17.2	16.0
2001-02 (संशोधित अनुमान)	18.5	19.4	17.2
कुल नीवी योजना	80.9	81.4	80.3

24. सरकारी क्षेत्र योजना के उपयोग में कमी मुख्य रूप से केन्द्रीय विभागों और राज्यों द्वारा आंतरिक संसाधनों का अपर्याप्त सृजन है।

25. दसवीं योजना (2002-07) में राष्ट्रीय स्तर पर 2001-2002 कीमतों पर 40,82,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है जो नौवीं योजना (1997-2002) के कुल निवेश से 62 प्रतिशत अधिक है। 12,12,803 करोड़ रुपए के सरकारी क्षेत्र निवेश का पूर्वानुमान है जो 2001-2002 कीमतों पर नौवीं योजना निवेश के 64 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। 2001-2002 कीमतों पर दसवीं योजना के लिए सरकारी क्षेत्र के संसाधनों की पूर्वानुमानित आवश्यकता 15,92,300 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र का हिस्सा 9,21,291 करोड़ रुपए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 6,71,009 करोड़ रुपए है। किंतु इसके विपरीत सरकारी आबंटन कुल 15,25,639 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए संसाधन आबंटन की राशि 8,93,183 करोड़ रुपए है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 6,32,456 करोड़ रुपए है जैसाकि तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

दसवीं योजना (2002-2007) के लिए सरकारी क्षेत्र संसाधन और आबंटन (2000-2001 कीमतों पर)

(रुपए करोड़)

वित्त पोषण के स्रोत	अपेक्षित	आबंटित
केन्द्र		
1. बजटीय समर्थन	4,05,735	4,05,735
2. आई.बी.ई.आर.	5,15,556	4,87,448
3. कुल - केन्द्र (1+2)	9,21,291	8,93,183
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र		
4. कोर योजना	5,90,948	5,90,948
5. शेष (5.1+5.2)	80,061	41,508
5.1 स्वयं के स्रोत	38,553	-
5.2 केन्द्रीय सहायता	41,508	41,508
6. कुल-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (4+5)	6,71,009	6,32,456
कुल सरकारी क्षेत्र		
7. कुल जोड़ (3+6)	15,92,300	15,25,639

केन्द्रीय क्षेत्र योजना

26. नौवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र के लिए, 1996-97 कीमतों पर 489361 करोड़ रुपए का आबंटन परिकल्पित है किन्तु वास्तविक दृष्टि से केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग केवल 82 प्रतिशत का उपयोग कर सके, जो काफी कम है जैसाकि संलग्नक 1.3 में दर्शाया गया है। दसवीं योजना के लिए 2001-2002 कीमतों पर केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 8,93,183 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। (तालिका 1.3)

27. राजकोषीय घाटे के लक्ष्य स्तर के अनुरूप केन्द्रीय योजना के निमित्त नौवीं योजना (1997-2002) के लिए 203982 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की परिकल्पना की गई है जिसके विपरीत योजना के दौरान वास्तविक दृष्टि से केवल 87 प्रतिशत की व्यवस्था की गई। सामाजिक सेवाएं जैसे क्षेत्रकों के लिए 38 प्रतिशत की व्यवस्था की गई, उसके बाद परिवहन (17 प्रतिशत), ग्राम विकास (12 प्रतिशत) और ऊर्जा (10 प्रतिशत) का हिस्सा था जैसाकि संलग्नक 1.4 में दर्शाया गया है।

28. चूंकि मानव विकास और निर्धनों को सहायता के लिए सरकारी क्षेत्र कार्यक्रम सरकार द्वारा ही प्रदान कार्यान्वित किए जाते हैं इसलिए योजना के लिए बजटीय संसाधनों के आबंटन की पद्धति ऐसे कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना द्वारा दी गई सहायता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। शिक्षा; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण; समाज कल्याण और पोषाहार; श्रम; ग्राम विकास; महिला और बाल विकास जैसे मानव विकास तथा पेयजल, सफाई और आवास की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने; शहरी विकास और विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय विभागों को दी जाने वाली बजटीय सहायता के घटक में आठवीं योजना के बाद से तेजी से वृद्धि हुई है जैसाकि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4

सामाजिक सेवाओं के लिए बजटीय सहायता

अवधि	प्रतिशत
आठवीं योजना (1992-97)	29.6
1997-98	35.7
1998-99	38.5
1999-2000	38.5
2000-01	39.4
2001-02	38.0

राज्य क्षेत्र योजना

29. यद्यपि आयोजना के विगत पांच दशकों के दौरान राज्यों में आर्थिक विकास में प्रगति हुई है, तथापि विकास में असंतुलन अब भी बने हुए हैं। इन असंतुलनों को विकास की गति, विकास की पद्धति, योजनागत परिव्यय और विकास परिणाम तथा भावी विकास का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों के राजकोषीय सामर्थ्य में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। इनमें राज्यों की प्रारंभिक आधारभूत परिसंपत्तियों में अंतर, कार्यान्वित की जा रही नीतियों और अधिशासन के मानकों में भेद वित्तीय प्रबंधन और कार्यन्वयन की कार्यकुशलता की दृढ़ता में असमानताओं विकास कार्यक्रमों और लोगों की भागीदारी के स्तरों तथा में सहभागिता में भिन्नता शामिल है।

30. योजनाओं में पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने पर बल दिया जाता रहा है किन्तु हाल ही के अनुभव से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों के कार्य-निष्पादन में काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिए, यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर तेजी से सुधार हुआ है तथापि विभिन्न राज्यों की विकास दरों में भिन्नताएं हैं और कुछेक निर्धनतम राज्यों में वस्तुतः विकास में कमी आई है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि दसवीं योजना के लिए विकास दर में जिस तेजी की कल्पना की जा रही है वह केवल तभी संभव है यदि धीमी प्रगति करने वाले राज्यों की विकास दरों में महत्वपूर्ण ढंग से सुधार हो। बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानताएं और वंचना तथा गरीबी की विद्यमानता चिंता का एक मुख्य कारण है और दसवीं योजना के दौरान इस चुनौती के संदर्भ में देश का एक प्रमुख कार्य इन असमानताओं को कम करना और क्षेत्रीय संतुलन कायम करने का प्रयास करना है। जैसाकि देखा गया है, कुछ सीमा तक, बेहतर ढांचागत सुविधाओं वाले

राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में निजी निवेश आकर्षित करते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में कम विकसित राज्यों के विकास में तेजी लाने के लिए एक बहुमुखी कार्यनीति अपनाने की जरूरत है। उच्च मात्रा में पूंजीगत निवेश इस कार्यनीति का अनिवार्य तत्व होगा। मूल विकास लक्ष्यों की पूर्ति करने और कम विकसित राज्यों में अनिवार्य आधारभूत कमियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सहायता के महत्वपूर्ण अनुपात और राज्यों के स्वयं के स्रोतों का विकास करना होगा।

31. एकसमान और संतुलित विकास प्राप्त करने के वास्ते उन क्षेत्रों की विकास समस्याओं का समाधान करना अनिवार्य है जहां मौजूदा प्रयासों के बावजूद अधिक गरीबी, कम विकास और असंतोषजनक अधिशासन की स्थिति बनी हुई है। इस समस्या का समाधान करने के वास्ते, दसवीं योजना के दौरान 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' (आरएसवीआई) के रूप में एक नई पहल शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कमियों को दूर करने के वास्ते संकेन्द्रित विकास कार्यक्रमों पर बल देना है जिनसे असंतुलनों को कम करने, विकास को तेज करने और पिछड़े क्षेत्रों को गरीबी पर काबू पाने में मदद मिलेगी तथा राज्य को सुधारों की दिशा में प्रगति करने में भी मदद मिलेगी। अध्ययनों से पता चला है कि न केवल राज्यों के बीच बल्कि राज्यों के अंदर और जिलों के बीच में भी बहुत भिन्नताएं हैं। तदनुसार, आरएसवीआई के अंतर्गत विशेष ध्यानार्थ एक सौ सर्वाधिक पिछड़े जिलों को छांटा गया है। प्रथम वर्ष, अर्थात् 2002-2003 में प्रायोगिक आधार पर 25 जिलों में, दूसरे वर्ष में 35 में और शेष 40 जिलों में दसवीं योजना के तीसरे वर्ष में योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों को ऐसी स्कीमें सम्मिलित करने के वास्ते, विनिर्धारित जिलों के लिए योजनाएं तैयार करनी होंगी जिसने महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने में मदद मिलेगी अथवा ऐसी योजनाएं जो जिलों के भावी विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी। जिला प्राधिकारियों से उम्मीद की जाएगी कि वे विद्यमान संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और नवीन प्रदाय पद्धतियों का उपयोग करें जिससे कि इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई अतिरिक्त सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस कार्यनीति का उद्देश्य अतिरिक्त अनुदानों के माध्यम से विकास प्रक्रिया में सभी राज्यों की मदद करना है जो इस शर्त पर होगी कि वे परस्पर रूप से तय सुधारों के एक सैट पर एक सहमति ज्ञापन (एमओए) पर सहमत हों। प्रत्येक सुधार के संबंध में उद्देश्यपरक सत्यापनयोग्य संकेतक/आधारस्तंभ और एक सुनिश्चित समयावधि होनी चाहिए। निधियां निष्पादन के आधार पर जारी की जाएंगी।

32. बिहार के संबंध में एक विशेष योजना तैयार करने का प्रस्ताव है जो अभी तक एक सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है तथा निधियां, विद्युत, सिंचाई, वाटर शेड विकास, संयोजकता आदि जैसे विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाएंगी जिससे कि राज्य के विभाजन के कारण उत्पन्न कुछ समस्याएं कम हो सकें। उड़ीसा के कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों के लिए भी एक विशेष योजना तैयार की जाएगी जो चिरकालिक गरीबी और वंचना का एक और पॉकेट है जिससे कि विनिर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस कारवाई की जा सके जिससे सूखे से बचाव सुनिश्चित हो सके, आजीविका सहायता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकें और साथ ही असुविधाप्राप्त वर्गों को विशिष्ट सहायता प्रदान की जा सके।

33. योजना आयोग की 'परियोजना निर्माण सुविधा' की स्थापना उन कम विकसित राज्यों की समस्याओं के संदर्भ में की गई थी जो संस्थागत और विदेशी निधियां आकर्षित करने के लिए अपेक्षित स्तर की परियोजना तैयार करने में असमर्थ हैं तथा व्यावसायिक परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना आयोग, राज्यों द्वारा विकास की कारगरता का मूल्यांकन करने के लिए मानीटरन-योग्य संकेतक भी तय करेगा।

34. कुछ इलाकों की विशिष्ट भू-भौतिक संरचना और सहवर्ती समाजार्थिक विकास से उत्पन्न विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही चल रहा है और इसे निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकृत विकास हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकीय संधारणीय समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इस समय एचएडीपी के अंतर्गत शामिल निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों में सम्मिलित हैं : (क) असम के दो पहाड़ी जिले- उत्तरी कछाड़ और कर्बी अंगलॉंग; (ख) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का बड़ा भाग; और (ग) तमिलनाडु का नीलगिरी जिला। वर्ष 2001-02 के दौरान, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कारगरता का एक तुलनात्मक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। वर्ष 2002-2003 के बाद से, राज्य सरकारों को एचएडीपी के अंतर्गत उन्हें आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता के अधिकतम 15 प्रतिशत का उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विगत में सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए करने की छूट दे दी गई है जो अब तक पारि-परिरक्षण तथा पारि-पुनरुद्धार हेतु पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) के अंतर्गत अनुमत्त थी। इन पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के आवास-स्थल की असंतोषजनक स्थिति के अनुरूप उनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए जो मात्र वाटरशेड विकास से अधिक हो और इसलिए संधारणीय आर्थिक कार्यकलापों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिससे आर्थिक और पारिवारिक-दोनों ही स्थितियों में लोगों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी तथा पारिस्थिति की को कम से कम प्रभावित करके वहां के निवासियों के लिए आजिविका के साधन सुनिश्चित हो सकेंगे।

35. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) पाकिस्तान के सीमावर्ती जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों के संतुलित विकास हेतु वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था। आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा वाले राज्यों को भी शामिल किया गया। नौवीं योजना में कार्यक्रम का विस्तार सभी भू-सीमाओं तक कर दिया गया है। बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। केन्द्रीय स्तर पर एक अधिकारप्राप्त समिति, राज्यों में क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण, कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों और संबंधित राज्यों को निधियों के आबंटन की देखभाल करती है।

36. उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) प्रमुख रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवस्थापना के विकास पर, विशेष रूप से अंतर-राज्यीय प्रभाव वाली परियोजनाओं पर बल देती है। इस क्षेत्र में पनविद्युत के विकास हेतु विशाल क्षमता को ध्यान में रखते हुए परिषद पनविद्युत और गैस-आधारित विद्युत का दोहन करने तथा परिवहन और संचार अवस्थापना का विस्तार करने और क्षेत्र में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। परिषद ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डों के सुधार/स्तरोन्नयन और सड़कों के निर्माण में अच्छा कार्य किया है।

37. जहां तक राज्य क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का संबंध है, राज्यों के लिए परिव्यय का हिस्सा, नौवीं योजना के लिए अनुमोदित सरकारी क्षेत्र परिव्यय में 41 प्रतिशत था। योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान हिस्सा, योजना के लिए परिकल्पित से भी ज्यादा था तथा शेष दो वर्षों (2000-2002) के दौरान हिस्से में कमी आई जैसाकि, तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5

नौवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र योजना परिव्यय में राज्यों का हिस्सा

	प्रतिशत
नौवीं योजना (अनुमानित)	41
1997-98 (वास्तविक)	43
1998-99 (वास्तविक)	42
1999-2000 (वास्तविक)	41
2000-01 (वास्तविक)	39
2001-02 (सं.अ.)	38

38. नौवीं योजना के दौरान केवल दो राज्यों ने वास्तविक दृष्टि से (1996-97 कीमतों पर) अनुमोदित परिव्यय की तुलना में खर्च के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन किया है जैसाकि संलग्नक 1.5 में दर्शाया गया है। ये राज्य हैं कर्नाटक (123 प्रतिशत) और उसके बाद हिमाचल प्रदेश (111 प्रतिशत) का स्थान है। सभी अन्य राज्यों ने (-2) प्रतिशत से (-36) प्रतिशत के बीच निष्पादन दर्शाया है। यह एक चिंता की बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह मानते हुए कि 2001-2002 के संशोधित अनुमान पूरे हो जाएंगे, फिर भी राज्यों ने नौवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के केवल 84 प्रतिशत का उपयोग किया है जैसाकि संलग्नक 1.6 में दर्शाया गया है। दसवीं योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2001-2002 कीमतों पर 6,32,456 करोड़ रुपए के संसाधन आबंटित किए गए हैं।

कृषि और सिंचाई

39. चूंकि ग्रामीण गरीबी को दूर करने में कृषि की एक प्रमुख भूमिका है इसके विकास में गिरावट ने ग्रामीण जनता की आय में सृजन को प्रभावित किया है। यह, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या और सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्यान्न के बढ़ते भंडारों के विरोधाभास से स्पष्ट है। ग्रामीण निर्धनों को खाद्यान्नों की सुलभता और हकदारी केवल कृषि विकास को तेज करने से आश्वस्त हो सकती है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां रोजगार पैदा करने की क्षमता है।

40. सिंचाई में कम सरकारी निवेश तथा पहले से सृजित परिसंपत्तियों का अपर्याप्त अनुरक्षण; ग्रामीण अवस्थापना, का विशेष रूप से नहरों और सड़कों का असंतोषजनक अनुरक्षण; और ग्राम विद्युतीकरण में निवेशों में कमी कुछेक क्षेत्र-विशिष्ट कारण हैं जिनकी वजह से 1990 के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में कम विकास हुआ। बिजली, पानी, उर्वरकों और खाद्य के लिए सब्सिडी का बढ़ता स्तर कृषि में सरकारी क्षेत्र निवेशों को निकाल रहा है और इससे पानी जैसे दुर्लभ संसाधनों के अकुशल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे पर्यावरणीय समस्याओं में भी वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप मृदा उर्वरता में गिरावट आती है और भू-जल में कमी आती है जिससे पूंजी पर प्रतिफल घटता है।

41. जीडीपी में कृषि का हिस्सा 1950-51 में 61 प्रतिशत से घटकर 2001-2002 को समाप्त होने वाले त्रयवर्ष तक 24.2 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि पर जनता की निर्भरता इस अवधि के दौरान 77 प्रतिशत से मामूली सी

घटकर 69 प्रतिशत हुई है। सभी विकसित देशों में जनता द्वारा एक व्यावसाय के रूप में कृषि की जगह अन्य क्षेत्र अपनाए जाने को लेकर स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। तथापि, भारत में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरे, जोत-क्षेत्र का औसत आकार 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर से कम होकर 1990-91 में 1.57 हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार प्रति यूनिट भूमि पर दबाव में लगभग 2.25 गुणा की वृद्धि हुई है। सरकारी निवेश में गिरावट ने भी कृषि में निवेश में गिरावट में योग दिया है जो 1993-94 में 1.6 प्रतिशत से कम होकर 1998-99 में 1.3 प्रतिशत हो गया। सभिसिडियों के बेहतर लक्ष्यकरण, सिंचाई, विद्युत, क्रेडिट जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ाकर और ग्रामीण अवस्थापना विकसित करके सरकारी क्षेत्रक निवेश में गिरती प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है।

42. जीडीपी में 24.2 प्रतिशत योगदान के साथ कृषि अभी भी देश की लगभग दो-तिहाई जनता को आजीविका प्रदान करती है। यह क्षेत्रक देश के 56.7 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है और अकेला सबसे बड़ा निजी क्षेत्रक व्यवसाय है। कुल निर्यात आय में कृषि का हिस्सा लगभग 14.7 प्रतिशत है तथा बड़ी संख्या में उद्योगों को (वस्त्र, रेशम, चीनी, चावल, आटा मिलों, दुग्ध उत्पादों) कच्ची सामग्री प्रदान करता है। दसवीं योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि कृषि विकास देश के आर्थिक विकास के लिए केन्द्र बिन्दु है और कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति (एनएपी) 2000 में की इस आशय की परिकल्पना की इस क्षेत्रक में विकास, प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से संघारणीय है, संसाधनों के कुशलतापूर्ण उपयोग पर आधारित है और हमारी मृदा, जल तथा जैव-विविधता को संरक्षित करता है; अर्थात् मांग प्रेरित है और देशज बाजारों की आपूर्ति करता है तथा साथ ही आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर कृषि उत्पादों के निर्यात से अधिकाधिक लाभ प्राप्त होते हैं तथा जो क्षेत्रों के बीच फैला हुआ है और सभी किसान इसके अंतर्गत आते हैं।

43. विद्यमान कृषि भूमि की फसल गहनता बढ़ाने के वास्ते, वर्षा-जल का दोहन करने और वैज्ञानिक ढंग से वाटरशेड विकास के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत है। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को प्रायः भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी मार्गनिर्देशों के साथ कार्यान्वित किया जाता है। दृष्टिकोण अथवा मार्गनिर्देश एकसमान होने पर भी निधियां भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा मंजूर की जाती हैं और प्रत्येक विभाग अलग-अलग मानीटरिंग करता है। कुछ समय से 'एकल राष्ट्रीय पहल' की जरूरत महसूस की गई है। मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चला है कि वाटरशेड परियोजनाएं उनके लाभार्थियों की पूर्ण भागीदारी के बिना और सामाजिक संगठनों के मुद्दों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिए बिना सफल नहीं हो सकती।

44. देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने के लिए, नौवीं योजना के लिए परिकल्पित कृषि-जलवायु स्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित क्षेत्रीय विभेदपूर्ण कार्यनीति को दसवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। सभी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन आयामीय नीति को जारी रखा जाएगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाकर व अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास करके समग्र रूप से आय और रोजगार में वृद्धि करना; गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से लाभप्रद पूरक रोजगार प्रदान करना शामिल है। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी (एनआरएसए) ने मार्च, 2000 में अनुमान लगाया था कि देश में लगभग 64 मिलियन हेक्टेयर परतीभूमि है। सरकार, देश में अवनत और परती भूमि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है क्योंकि गरीबी के भार का कृषि कार्यकलापों के लिए वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों और सूखा प्रधान व मरुस्थल बहुल क्षेत्रों के साथ गहरा संबंध है।

45. नौवीं योजना में कृषि में 3.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर की परिकल्पना की गई थी किन्तु केवल 2.11 प्रतिशत की दर प्राप्त हुई। वर्ष 2001-2002 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 211.32 मिलियन टन तक हुआ जबकि लक्ष्य 218 मिलियन टन था। दालों का उत्पादन 13.52 मिलियन टन हुआ जबकि लक्ष्य 15 मिलियन टन था। तिलहनों के मामले में उत्पादन कहीं अधिक कम अर्थात् 21.06 मिलियन टन हुआ जबकि लक्ष्य 27 मिलियन टन था। ईख, कपास और जूट तथा मेस्ता का उत्पादन 295 मिलियन टन, 11.96 मिलियन गांठें और 10.7 मिलियन गांठें हुआ जबकि लक्ष्य क्रमशः 320 मिलियन टन, 15 मिलियन गांठ और 10 मिलियन गांठ का था। वर्ष 2002-2003 के लिए खाद्यान्नों, तिलहनों और ईख का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 220;27 और 320 मिलियन टन तथा कपास और जूट तथा मेस्ता के संबंध में क्रमशः 15 और 12 मिलियन गांठ रखा गया है।

46. कृषि के लिए सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख निविष्टि है, बड़ी और मझौली परियोजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता 58.46 मि. हैक्टेयर है तथा नौवीं योजना के अंत तक प्राप्त क्षमता 34.99 मि. हैक्टेयर थी। दसवीं योजना के दौरान कृषि में अनुमानित विकास दर प्राप्त करने के लिए सिंचाई में भी तदनुसारी गति से वृद्धि करनी होगी। सिंचाई के संबंध में दसवीं योजना कार्यनीति में चालू परियोजनाओं को पूरा करने, जल उपयोग कार्य-कुशलता में वृद्धि, पद्धति पुनरुद्धार और कृषक भागीदारी लागू करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) का पुनर्गठन, पानी की दरों में वृद्धि करना और ओ एंड एम घटक में प्रशासनिक लागतों के लिए उपयुक्त मानदंड तय करना, सतही तथा भू-जल प्रदूषण को कम से कम करना और सुचारु बाढ़ प्रबंधन पर बल दिया गया है।

47. उत्तरोत्तर योजना अवधियों के दौरान सिंचाई में सरकारी निवेश में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण केन्द्र और राज्यों की सरकारों को पेश आ रही संसाधन तंगी है। किंतु, संसाधन ही एकमात्र समस्या नहीं है। सक्षम सिंचाई परियोजनाएं उन क्षेत्रों में स्थित हैं जो या तो अधिक कठिन हैं अथवा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं, जिनकी वजह से इनका कार्यान्वयन कठिन हो जाता है। दसवीं योजना का उद्देश्य सिंचाई क्षमता और जल प्रबंधन में प्रमुख पुनरुद्धार का होना चाहिए। चालू सिंचाई स्कीमों के समर्थन में राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराने तथा शीघ्र पूरा होने वाली स्कीमों को जल्द पूरा करने के लिए भी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) एक सक्षम महत्वपूर्ण साधन है। इस कार्यक्रम के तहत आबंटन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने की जरूरत है। वर्षा जल के दोहन तथा वैज्ञानिक ढंग से वाटरशेड विकास के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने पर भी अधिक ध्यान देना होगा। बेहतर और अधिक भागीदारीपूर्ण प्रबंध पद्धतियों के माध्यम से विद्यमान सिंचाई अवस्थापना की कार्यकुशलता में सुधार करने की भी काफी गुंजाइश है।

48. सभी भू-जल और सतही जल स्कीमों को जिनका खेतीयोग्य कमान क्षेत्र अलग-अलग 2000 हैक्टेयर है, लघु सिंचाई स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लघु सतही प्रवाह सिंचाई परियोजनाओं का, जिनमें भंडारण टैंक, विचलन और सर्फिस लिफ्ट शामिल हैं, सिंचित कृषि में, विशेष रूप में देश के प्रायद्वीपीय भाग और पहाड़ी क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण स्थान है। लघु सिंचाई स्कीमों की पक्वनावधि बहुत कम होती है, ये श्रम गहन होती हैं और गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। लघु सिंचाई परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 81.43 मि. हैक्टेयर अनुमानित है जिसमें से 17.38 मि. हैक्टेयर सतही जल से और 64.05 मि. हैक्टेयर भू-जल से है।

49. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई थी ताकि सृजित क्षमता और उपयोग के बीच अंतर को कम किया जा सके और चुनिंदा बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सेवित कमान क्षेत्रों में जल उपयोग और बेहतर भू-प्रबंधन के जरिए कृषि उत्पादन को इष्टतम

बनाया जा सके। अब कार्यक्रम के अंतर्गत 236 परियोजनाएं शामिल हैं जिसके अधीन 22.72 मि. हेक्टेयर का खेतीयोग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) शामिल है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का दसवीं योजना में पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि इसके अंतर्गत पद्धति पुनरुद्धार, भागीदारीपूर्ण प्रबंधन और लागत मानदंडों में संशोधन किया जा सके। किन्तु वर्ष 2002-2003 में कार्यक्रम मौजूदा रूप में ही जारी रहेगा।

50. विगत पांच दशकों के दौरान सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में देश में पर्याप्त रूप से उपलब्धियां हुई हैं किन्तु बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका नई सहस्राब्दि में सामना करना होगा। ये हैं - बढ़ती हुई आबादी के पोषण की चुनौती; गरीबी और कुपोषण की चुनौती और एक संघारणीय ढंग से आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने की चुनौती जिससे कि विकास प्रक्रिया से पर्यावरण को कोई हानि न हो।

51. अप्रैल, 2002 में अपनाई गई संशोधित राष्ट्रीय जल नीति में उन क्षेत्रों पर बल दिया गया है जिन पर जल क्षेत्रक में ध्यान देने की जरूरत है और इस क्षेत्रक को सक्षम तथा स्व-संघारणीय बनाने के वास्ते इसके और विकास की रूपरेखा दी गई है। राज्य सरकारों को एक समयबद्ध तरीके से राज्य जल नीतियां तैयार करनी चाहिए और नीति को कार्यान्वित करने के लिए भी उपाय करने चाहिए।

52. पानी की दुर्लभता के महत्व को परिलक्षित करने के लिए जल संबंधी कीमत निर्धारण पद्धति की गंभीर रूप से समीक्षा करने की जरूरत है। जल प्रभारों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व में सिंचाई और जल आपूर्ति पद्धतियों की प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागते कवर हो जाएं। बदले हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, जहां संचार, परिवहन और विद्युत क्षेत्रकों में निजी क्षेत्र प्रवेश कर रहा है, अब समय है कि निजी निवेश आकर्षित करने के वास्ते जल क्षेत्रक में भी उपयुक्त कदम उठाए जाएं क्योंकि राज्य सरकारों के लिए संभव नहीं होगा कि वे सभी जल संसाधन विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण कर सकें।

53. बागवानी क्षेत्रक, सिंचित क्षेत्र के केवल लगभग 8 प्रतिशत भाग से कृषि जीडीपी में लगभग 24.5 प्रतिशत का योगदान करता है। यह क्षेत्रक कृषि उद्योगों के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करता है और इसलिए जनसमूह की पोषाहार स्थिति सुधारने के अलावा, इसका ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार अवसर बढ़ाने में अत्यंत महत्व है। भारत के विशाल क्षेत्रों में समृद्ध जैव-विविधता के साथ विविधतापूर्ण कृषि-जलवायु स्थितियां हैं। ये अनेक किस्म की बागवानी फसलों, यथा नारियल, कोको, काजू, औषधीय तथा सुगंधित पौधों, मसालों और बागान फसलों के लिए उपयुक्त है। देश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्रक के महत्व को देखते हुए, दसवीं योजना में इसके समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:- उत्पादों और उत्पादकता में सुधार करना, सुधरी कृषि पद्धतियों और किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, अच्छी कोटि, रोग मुक्त, उच्च पैदावार वाले बीजों और बागान सामग्री की आपूर्ति करके उत्पादन की लागत कम करना, नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सुधरी कृषि पद्धतियों का प्रयोग करके मूल्य अभिवृद्धि और कोटि सुधार और विपणन तथा निर्यात को प्रोत्साहन। क्योंकि बागवानी क्षेत्रक में औषधीय व सुगंधित पौधे फूलकृषि और मशरूम आदि उभरते क्षेत्र हैं इसलिए नौवीं योजना के कार्यक्रमों को जारी रखकर इन सभी उप-क्षेत्रों को और अधिक प्राथमिकता प्रदान करने तथा संघारणीय विकास हेतु प्रौद्योगिकीय उपायों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी व सही ढंग से कृषि की स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है।

54. चाय, काफी और रबड़ जैसी परंपरागत बागान फसलें अधिकांशतः देश के दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में उगाई जाती हैं। देशज खपत मांग को पूरा करने के अलावा ये वस्तु-समूह देश के निर्यात हिस्से में भी महत्वपूर्ण

योग देते हैं। ये फसले श्रम गहन भी हैं और जन समूह के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी एक अच्छा स्रोत है। संबंधित क्षेत्रों की जैव-स्थिति और पारिस्थितिकी का परिरक्षण इन वस्तु-समूहों से सुनिश्चित होता है। बागान फसलों के चहुंमुखी विकास में कुछेक बाधाओं को जैसे कि सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, उच्च भूमि-श्रम अनुपात, प्रौद्योगिकियों और अवस्थापना की अपर्याप्तता तथा जल-क्षेत्रों का छोटा और सीमांतिक आकार, दसवीं योजना के दौरान दूर करने का प्रस्ताव है।

55. वर्ष 2000-2001 के दौरान समग्र जीडीपी में पशुपालन और डेयरी उद्योग का योगदान चालू कीमतों पर 5.9 प्रतिशत था। अनुमान है कि पशुपालन क्षेत्रक में लगभग 18 मिलियन लोग (1993-94) कार्यरत हैं तथा पशुपालन में कुल श्रमिक बल में महिलाओं का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है। इस तथ्य के बावजूद कि इस क्षेत्रक में निवेश पर्याप्त नहीं था, पशुपालन क्षेत्रक में समग्र वृद्धि दर लगभग 4.5 प्रतिशत पर स्थिर है। भारत में दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है जो 2001-2002 में (प्रत्याशित) 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। दसवीं योजना में 108.4 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 6.0 वार्षिक विकास दर की परिकल्पना की गई है। अप्रैल, 1996 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद डेयरी विकास के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं- (i) नान- आपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) और (ii) सहकारिताओं के लिए सहायता। आईडीडीपी स्कीम से मार्च, 2001 तक लगभग 6600 (अंतिम) ग्राम स्तर डेयरी सहकारी सोसायटियों में सम्मिलित लगभग 5 लाख कृषक परिवारों को लाभ पहुंचा है। नुकसान उठाने वाले जिला दुग्ध सहकारी यूनियनों के पुनरुद्धार के लिए अनुदानों के रूप में सहायता प्रदान करने के वास्ते सहकारिताओं को सहायता की स्कीम जनवरी, 2000 में अनुमोदित की गई थी। भारतीय कुक्कुट पालन उद्योग ने, जो एक पिछड़ा हुआ कार्यकलाप था, एक संगठित वैज्ञानिक और त्वरित उद्योग के रूप में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कुक्कुट विकास में महत्वपूर्ण प्रगति, निजी क्षेत्रक द्वारा देश में वाणिज्यिक प्यूस-लाइन ब्रीडिंग हेतु किए गए उपायों के फलस्वरूप हुई है। अनुमान है कि देश में अंडों का उत्पादन लगभग 33.6 बिलियन है (2001-2002) जबकि नौवीं योजना का लक्ष्य 35 बिलियन था। दसवीं योजना में अंडों और ऊन उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 43.4 बिलियन और 63.7 मिलियन कि.ग्राम रखा गया है।

सामाजिक अवस्थापना

56. योजना प्रक्रिया के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 1993-94 में 37.27 प्रतिशत से कमी आकर 1999-2000 में 27.09 प्रतिशत हो गई है तथापि, निरपेक्ष संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सफाई आदि जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था पर बल देने के साथ-साथ गरीबी कम करने की नीति का एक प्रमुख घटक रोजगार सृजक क्षेत्रों पर बल देते हुए आर्थिक विकास करना है। इस कार्यनीति में, गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को सीधे ही लक्ष्य बनाने का एक तीसरा घटक शामिल किया गया है।

57. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की शुरुआत गरीबी रेखा से ऊपर के सहायित गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को सामाजिक प्रोत्साहन की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयंसेवी समूहों में गठित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित और क्षमता निर्माण और बैंक क्रेडिट तथा सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय सृजक परिसंपत्तियों के प्रावधान की प्रक्रिया के जरिए अप्रैल, 1999 में की गई थी। एसजीएसवाई का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 लागत आधार पर किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में स्कीम का पूर्ण वित्तपोषण केन्द्र द्वारा किया जाता है। एसजीएसवाई का कार्यान्वयन जिला ग्राम विकास एजेंसियों

(डीआरडीए) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) बैंकों, संबंधित विभागों और एनजीओ की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का 15 प्रतिशत विशेष परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग रखा जाता है। प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे के एक विनिर्दिष्ट संख्या में परिवारों को स्व:रोजगार के जरिए गरीबी रेखा से ऊपर लाने के वास्ते एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करना है। परियोजना में या तो ग्रामीण निर्धनों के आयोजन, समर्थन अवस्थापना प्रौद्योगिकी, विपणन, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था अथवा इन सभी को मिलाकर, दीर्घावधिक संधारणीय स्व:रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भिन्न-भिन्न कार्यनीतियां शामिल हो सकती हैं।

58. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) सितम्बर, 2001 में शुरू की गई थी। संधारणीय रोजगार के लिए अवसरों में वृद्धि करने के वास्ते ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाने के वास्ते मांग-प्रेरित सामुदायिक ग्राम अवस्थापना सृजित करने के प्रमुख उद्देश्य से शुरू की गई जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए शारीरिक काम के जरिए अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अवसर सृजित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ शुरू की गई रोजगार आश्वासन स्कीम को अप्रैल, 2002 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'मिला दिया' गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और पोषणिक स्तरों में सुधार करना था। एसजीआरवाई कार्यक्रम को एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है जिसकी लागत कार्यक्रम के नकद घटक के 75 : 25 अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्र स्कीम के लिए संपूर्ण (100 प्रतिशत) निधियों की व्यवस्था करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों को खाद्यान्नों का वितरण या तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए अथवा ग्राम पंचायत द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम प्रकृति से स्व-लक्षी है। मजदूरी रोजगार प्रदान करते समय, कृषि मजदूरी करने वाले श्रमिकों, कृषि भिन्न अकुशल श्रमिकों, सीमांतिक किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, खतरनाक व्यवसायों से हटाए गए बाल श्रमिकों के माता-पिता, विकलांग बच्चों के माता-पिता अथवा विकलांग माता-पिता वाले वयस्कों को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

59. शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) अगस्त, 1995 में वृद्धावस्था, प्रमुख आजीविका अर्जक की मृत्यु हो जाने मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना कल्याण के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को समर्थन प्रदान करती है तथा यह केन्द्रीय सहायता, राज्यों को उस लाभ के अतिरिक्त है जो वे सामाजिक संरक्षण स्कीमों के तहत पहले से प्रदान कर रहे हैं अथवा भविष्य में प्रदान करेंगे। केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को सामाजिक संरक्षण एकसमान रूप से उपलब्ध हो।

60. पोषण तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर संयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएसएपी के अन्य दो घटकों, (i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एनओएपीएस) जिसके अंतर्गत 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है जो इस दृष्टि से निराश्रित हैं कि उनकी अपने आय के स्रोतों से अथवा परिवार सदस्यों व अन्य स्रोतों से सहायता के जरिए कोई नियमित आय नहीं है, और (ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एनएफबीएस) जिस मामले में प्राकृतिक अथवा दुर्घटना कारणवश गरीबी रेखा से नीचे

रहने वाले परिवार के प्रमुख आजीविका अर्जक की मृत्यु हो जाने पर धन प्रदान किया जाता है और अन्नपूर्णा स्कीम जो 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में अप्रैल, 2000 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य उन निराश्रित बरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता की पूर्ति करना है जो यद्यपि पात्र हैं किन्तु राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एनओएपीएस) के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए हैं, को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है जिससे कि स्कीमों के चयन और कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित नम्यता प्राप्त हो सकेगी।

61. इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को मैदानी इलाकों में 20,000/- रुपए यूनिट लागत पर और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में 22,000/- रुपए प्रति यूनिट लागत पर रिहायशी यूनिट उपलब्ध कराने की केन्द्र प्रायोजित आवास स्कीम सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्कीम बनी हुई है। इसका वित्तपोषण केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 75 : 25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी के रूप में किया जाता है। वर्ष 1995-96 से आईएवाई लाभों का विस्तार करके इसे विधवाओं या लड़ाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए भी लागू कर दिया गया है। योजना के लाभ भूतपूर्व सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए भी लागू कर दिए गए हैं यदि वे आईएवाई की सामान्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। तीन प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे विकलांगों के लाभार्थ आरक्षित हैं। वर्ष 1999-2000 से आईएवाई के अंतर्गत आबंटित कुल निधियों में से 20 प्रतिशत का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों के टूटे-फूटे कच्चे मकानों को पक्के/आधे-पक्के मकानों में बदलने के लिए किया जा रहा है। उन्नयन घटक के तहत 10,000/- रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है। आईएवाई मकानों के लिए बीमा कवरेज के वास्ते वित्त मंत्री द्वारा 2002-2003 के अपने बजट भाषण में आईएवाई के अंतर्गत ग्रामीण मकानों के लिए बीमा संरक्षण की एक नई स्कीम की घोषणा की गई थी। स्कीम का उद्देश्य, भूकम्प, चक्रवात और बाढ़ जैसे बहु-जोखिम प्रधान क्षेत्रों में निर्मित आईएवाई मकानों को बीमा संरक्षण प्रदान करना है ताकि लाभार्थी को आश्रयहीन होने से बचाया जा सके।

62. अप्रैल, 1999 में शुरू की गई ग्रामीण आवास से संबंधित कुछेक अन्य स्कीमों हैं -

(i) 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को सब्सिडी और ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट सह सब्सिडी स्कीम, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भवन/आवास क्षेत्रक में सस्ते और पर्यावरणीय अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आवास और रिहायश विकास हेतु नूतन स्कीम; और (iii) ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर सुधारने के वास्ते समग्र आवास योजना (एसएवाई)। स्कीम के अंतर्गत आवास, सफाई और पेयजल स्कीमों का अभिसरण और उनको प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके "चारदीवार और एक छत" की सीमित आश्रय चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह स्कीम, 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों के एक-एक ब्लॉक में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिन्हें लोगों के 10 प्रतिशत योगदान के साथ समग्र रिहायश विकास और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की संघारणीय शुरुआत के वास्ते प्रत्येक ब्लॉक हेतु 25 लाख रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत एक भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु विनिर्धारित किया गया है। वर्ष 2002-2003 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी विद्यमान आवास स्कीमों को (समग्र आवास योजना को छोड़कर), केन्द्रीय ग्रामीण आवास योजना/एकीकृत ग्राम आवास स्कीम नामक एक स्कीम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। स्कीम के मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

63. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की स्कीम: ग्रामीण आवास (पीएमजीवाई: जीए) वर्ष 2000-2001 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में, कार्यक्रम के ग्रामीण आवास घटक के कार्यान्वयन और मानीटरन के लिए जिम्मेदार जिसे इंदिरा आवास योजना की पद्धति पर कार्यान्वित किया जाता है, ग्राम विकास मंत्रालय (एमओआरडी) नोडल मंत्रालय था। पीएमजीवाई: जीए के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने परियोजना प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने होते थे। किन्तु समीक्षा करने के बाद योजना आयोग ने 2002-2003 से कार्यक्रम को सीधे ही प्रशासित/प्रबंधित करने का निर्णय लिया है जैसा कि पिछले बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता था।

64. भू-सुधारों को भूमिहीनों को भूमि सुलभ कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और आय के उच्च स्तर प्राप्त करने के एक साधन के रूप में समझा जाता है। इसलिए, कृषि और भू-सुधारों का मुद्दा राष्ट्रीय कार्यसूची का मुद्दा बना हुआ है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा 'वास्तविक कार्रकारों' और साथ ही भूमिहीन ग्रामीण निर्धनों के लिए भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

65. दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश में प्रत्येक बस्ती के लिए संधारणीय आधार पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने और स्थानीय भागीदारी से शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं के तीव्र विस्तार और सुधार करने के लिए सभी संभव उपाय करने की परिकल्पना की गई है। यद्यपि सुरक्षित पेयजल और सफाई की व्यवस्था करने का काम एक राज्य विषय है और प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों और विशिष्ट रूप से स्थानीय निकायों की है तथापि केन्द्रीय सरकार बड़े पैमाने पर ग्रामीण जल आपूर्ति की केन्द्र प्रायोजित स्कीम नामतः 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' (एआरडब्ल्यूएसपी), जिसे 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' के नाम से भी जाना जाता है कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान 43771 गांवों/बस्तियों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं प्रदान की गई है। केन्द्र प्रायोजित 'त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम' (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत 2001-2002 तक 829.34 करोड़ रुपए की लागत वाली 660 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

66. अनेक राज्यों में ग्रामीण सफाई कार्यक्रम अब गति पकड़ रहा है। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की किस्म के बारे में, ग्राम पंचायतों, लोगों विशेष रूप से महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की पूर्ण भागीदारी और सहभागिता की जरूरत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देश में एक थोड़ी सी समयावधि के दौरान मैला हाथ से ढोने की सर्वाधिक असम्मानजनक प्रथा को समाप्त करने के लिए झाड़ूकशों की मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को दसवीं योजना के दौरान सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। वार्षिक योजना 2002-2003 में केन्द्रीय योजना के तहत इस स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 'दि एम्प्लायमेंट आफ मैनुअल स्केवेन्जर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स आफ ड्राईलेटरीन्स (प्रोहीबिशन) एक्ट, 1993' नामक केन्द्रीय विधान संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सरकारों से केन्द्रीय विधान अपनाने अथवा केन्द्रीय विधान के अनुरूप राज्य विधान अधिनियमित करने का अनुरोध किया गया है। 'लो कोस्ट सेनीटेशन फार लिब्रेशन आफ स्केवेन्जर्स' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, हुडको ने विभिन्न राज्यों में अलग-अलग शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने और नए अलग-अलग स्वच्छ शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने के वास्ते 1476 कस्बों को कवर करते हुए कुल 858 स्कीमें मंजूर की हैं। अभी तक, मार्च, 2002 तक 14.58 लाख पारिवारिक स्वच्छ शौचालय और 2982 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 1.06 लाख शौचालयों को बदलने और 2.13 लाख नए पारिवारिक शौचालयों और 185

सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर 37430 झाड़ूकशों को मुक्त किया गया है और 387 कस्बों को सफाई-मुक्त घोषित किया गया है।

67. इस समय ग्राम जल आपूर्ति का कार्यचालन और अनुरक्षण संतोषजनक नहीं है और इसलिए यह एक चिंता का विषय है तथा समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी से इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान सभी ग्रामीण बस्तियों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी कि शेष 'कवर न हुई' बस्तियों के लिए संधारणीय और निर्धारित पेयजल की आपूर्ति की जाए और यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 10 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (1 पीसीडी) से कम आपूर्ति स्तर वाली सभी अंशतः कवर हुई बस्तियों तथा साथ ही जल की गुणवत्ता समस्या से गंभीरतापूर्वक प्रभावित बस्तियों को भी संधारणीय आधार पर सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के अंतर्गत पूर्णतः कवर किया जाए। वार्षिक योजना 2002-2003 में 8417 'कवर न हुई' और 60957 'अंशतः कवर हुई' बस्तियों/गांवों को कवर करने की व्यवस्था की गई है।

68. दसवीं योजना में यथा उल्लिखित अर्थव्यवस्था और श्रम बहुल क्षेत्रों के प्रोत्साहन के फलस्वरूप आठ प्रतिशत की वृद्धि संबंधी बृहत आर्थिक नीतियों से श्रमिक बल में वृद्धि की बजाए और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप दसवीं योजना के अंत तक गरीबी और बेरोजगारी के भार में पर्याप्त कमी आएगी। श्रम नीति का आर्थिक नीति के साथ घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए जिसका संबंध श्रम बहुल क्षेत्रों के विकास से है जिनमें अन्यों के अलावा शामिल हैं - कृषि फसल उत्पादन, भंडारण, विपणन, कृषि वानिकी, औषधीय पौधे, बांस विकास, पशुपालन, पशुधन, बागवानी, मत्स्य पालन, ग्रामीण कृषि भिन्न कार्यकलाप, निर्माण, सड़क परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सेवाएं। इन्हें समर्थन प्रदान करने के वास्ते आर्थिक ढांचे को मजबूत करना होगा।

69. श्रम की उत्पादकता सुधारने और श्रम के कल्याण के समर्थन हेतु वर्तमान अवस्थापना, नियुक्त श्रमिक बल के एक बहुत थोड़े को कवर करने में सफल हुई है। दसवीं योजना का उद्देश्य श्रम बाजार संस्थानों के माध्यम से अधिकांश श्रमिक बल को कवर करना है। इसके लिए अनिवार्य शर्त संपूर्ण श्रमिक बल के लिए लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना है। श्रमनीति और कार्यक्रम तथा सामान्य रूप से आर्थिक नीति से रोजगार के नए अवसर खोलना सुविधाजनक हो सकेगा। क्योंकि बेरोजगारी का मिला-जुला माप दसवीं योजना के अंत तक औसतन 11 प्रतिशत और युवाओं के संबंध में बढ़कर 15 से 16 प्रतिशत तक होने की संभावना है इसलिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की जरूरत है। किन्तु श्रमिक बल में अधिकांश वृद्धि को अर्थव्यवस्था के कृषि भिन्न क्षेत्रों में खपाना होगा। छोटे-छोटे संस्थापन बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं किन्तु प्रशिक्षण संबंधी नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती। दसवीं योजना में प्रशिक्षण नीति निर्माण में स्थानीय लघु नियोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रमिक बल में नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्रक में रोजगार खोजने के लिए दक्षता निर्माण हेतु भी नीति की जरूरत है।

70. दसवीं योजना के दौरान एक जिला स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति विकसित की जाएगी जिसके लिए एक विशेष दल गठित किया जाएगा जो एक जिला आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति डिजाइन और कार्यान्वित करने संबंधी प्रक्रियाएं सुझाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को दक्षताएं प्रदान करने के लिए खादी तथा

ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा लोक कार्रवाई और ग्राम प्रौद्योगिकी परिषद (कपार्ट) द्वारा संचालित कार्यक्रम को दसवीं योजना में और सुदृढ़ बनाया जाएगा ।

71. लघु उद्योग (एसएसआई), देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और औद्योगिक उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में महत्वपूर्ण योग देता है । दसवीं योजना के दौरान विभिन्न कठोर श्रम कानूनों से बचाने और इसे और अधिक क्रियाशील व कुशल बनाने पर बल दिया जाएगा । इस संबंध में, श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों के लिए समुचित अनुस्थापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और इस क्षेत्रक में विकास हेतु अनुकूल वातावरण पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे ।

72. नए आर्थिक परिदृश्य में, श्रम कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत पर बल दिया गया है । इसलिए दसवीं योजना में श्रम कानूनों की संरचना पर नए सिरे से गौर करने का प्रस्ताव है । संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित विद्यमान कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के वास्ते एक छत्र कानून सुझाने के निमित्त वर्ष 1999 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया गया था । आयोग ने उभरते आर्थिक परिवेश पर भी विचार किया है जिसमें तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, व्यापार और उद्योग का उदासीकरण, श्रम संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी संस्थागत रूपरेखा और कल्याण उपाय, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित उपायों की कारगरता सुधारना आदि शामिल है । आयोग ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट जुलाई 2002 में प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है ।

73. नौवीं योजना में शिक्षा को मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश समझा गया । देश, सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करने, निरक्षरता के उन्मूलन, व्यावसायीकरण, स्त्री शिक्षा पर सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए कटिबद्ध है ।

74. प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नौवीं योजना के अंत में, अर्थात् वर्ष 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) प्रारंभ किया गया था । यूईई का यह पहला कार्यक्रम है जिसके तहत पूरा देश कवर किया गया है और इसका उद्देश्य एक समयबद्ध एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसे राज्यों की भागीदारी से मिशन पद्धति में कार्यान्वित किया जाना है । दृष्टिकोण सामुदायिक स्वामित्व वाला है तथा पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार की जाने वाली ग्राम शिक्षा योजनाएं जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार होगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच निम्न महिला साक्षरता व कठिन परिस्थितिग्रस्त अन्य बच्चों वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में विदेशी-सहायित परियोजनाएं, नामतः शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और जनशाला, यद्यपि इन्हें अलग-अलग पहचान बनाए रखने की अनुमति दे दी गई है, किन्तु इन्हें एसएसए के छत्र के अधीन लाया जाएगा । इस प्रकार, उम्मीद की जाती है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन के जिला यूनिट के रूप में अपनी समग्र संरचना के अंदर एसएसए अधिकांश विद्यमान कार्यक्रमों को समाविष्ट कर लेगा । दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से वृहत रूप देने और अभिसरण हेतु, सभी अन्य विभागों के साथ जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसे श्रमिकों की व्यावसायिक दक्षता और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है तथा एसएसए-दोनों पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए साथ-साथ चलेंगे और वर्ष 2002-2003 के दौरान सामुदायिक विकास और अधिकारिता की विस्तृत प्रक्रिया को सुकर बनाएंगे ।

75. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का बुनियादी उद्देश्य देश में प्रत्येक के लिए विशेष, रूप से महिलाओं के लिए साक्षरता को मूलभूत बनाना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2005 तक 75 प्रतिशत का लक्ष्य स्तर बनाए रखना है। मिशन का उद्देश्य शेष रहती निरक्षरता के संबंध में ध्यान देना और प्रौढ़ों को आजीवन अध्ययन के सार्थक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत इसके कार्यक्रमों और स्कीमों को आगे बढ़ाने में एनजीओ की क्षमता को स्वीकारा गया है। एनजीओ के लिए परिकल्पित प्रमुख भूमिका को देखते हुए उन्हें अब जिला साक्षरता समितियों से निधियां प्राप्त करने और साक्षरता अभियान में एनजीओ की भागीदारी बढ़ाने के लिए सतत शिक्षा केन्द्र चलाने की अनुमति दे दी गई है।

76. माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करती हैं और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच युवाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वुलभीकरण हेतु किए गए हाल ही के उपायों के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु मांग में वृद्धि हुई है। यद्यपि, स्थापित किए गए स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु माध्यमिक स्कूलों का विस्तार एकसमान नहीं हुआ है। शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम भी भली-भांति नहीं चली है और इसके लिए पाठ्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने तथा दृढ़ औद्योगिक संस्थान संयोजन कायम करने की जरूरत है। हाल ही के वर्षों में उच्च शिक्षा पद्धति में अपार विस्तार हुआ है। तथापि, छात्रों के दाखिले को वर्तमान के छः प्रतिशत से बढ़ाकर दसवीं योजना के अंत तक दस प्रतिशत करना होगा। इसके अतिरिक्त, सुविधाहीन वर्गों के दाखिले पर भी ध्यान देना होगा और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की जरूरत है। नौवीं योजना में उच्च शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए उपाय करने पर बल दिया गया और उच्च शिक्षा पद्धति वाले संस्थानों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता सुधारने के लिए कार्यनीतियां अपनाई गईं। आठवीं कक्षा पास करने वाले छात्रों पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है जिनकी संख्या में यूईई और एसएसए उपायों की सफलता के साथ-साथ वृद्धि होगी। इसके अलावा, दक्षता प्रशिक्षण सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए स्कूलों, पालिटेक्निकों और सामुदायिक कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और एसएसए जैसी स्कीमों के अभिसरण तथा नौकरियों के लिए तैनाती पर और अधिक लक्ष्यबद्ध दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दसवीं योजना के दौरान मुख्य मुद्दे होंगे - सुलभता में सुधार करने पर अधिक बल; एकसमान स्कूल पद्धति पर बल देते हुए असमानताएं कम करना; व्यावसायीकरण और रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रमों पर बल के साथ पाठ्यचर्या का नवीकरण; मुक्त अध्ययन पद्धति का विस्तार और वैविध्यकरण; शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्गठन और नई सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों का अधिक उपयोग।

77. देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति ने राष्ट्र के आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी शिक्षा और समुचित प्रौद्योगिकियों में तकनीकी-आर्थिक प्रगतियों को ग्रामीण जनसमूह को हस्तांतरित करके सामुदायिक पालिटेक्निकों की पद्धति पर्याप्त रूप से अपना योगदान जारी रखे हुए है। विश्व बैंक सहायित तृतीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना का कार्यान्वयन, उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों में पालिटेक्निकों से पास करने वाले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जारी रहा। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए "तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)" नामक एक नया कार्यक्रम, विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2002-2003 में प्रारंभ किया गया है।

78. लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्रों में से एक रहा है। इसे जनसंख्या के असेवित और कम सुविधा प्राप्त घटकों पर विशेष बल देते हुए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषाहार सेवाओं की उपयोगिता और सुलभता में सुधार करके प्राप्त किया जाना था। प्रौद्योगिकीय सुधारों और स्वास्थ्य देखरेख की अधिक सुलभता के परिणामस्वरूप मृत्युदर में तेजी से गिरावट आई है। इस तथ्य

के बावजूद कि अवस्थापना के सृजन और जनशक्ति के संबंध में मानदंड पूरे देश में एकसमान हैं, फिर भी राज्यों और राज्य के अंदर जिलों के बीच स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग तथा आबादी के स्वास्थ्य सूचकों में पर्याप्त भिन्नताएं बनी हुई हैं। इसके अलावा, संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों का भार, पर्यावरणीय प्रदूषण और पोषण संबंधी समस्याएं काफी अधिक बनी हुई हैं।

79. उर्वरता, मृत्युदर और जनसंख्या वृद्धि में कटौती करना दसवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य बने हुए हैं। इन्हें महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सभी अनुभव की गई जरूरतों को पूरा करके प्राप्त किया जाएगा। दसवीं योजना में मानव विकास के कुछेक प्रमुख संकेतकों के संबंध में मानीटरनयोग्य लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें बाल मृत्यु दर को घटाकर (आईएमआर) वर्ष 2007 तक प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के पीछे 45 तक और 2012 तक 28 तक लाना, मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को 2007 तक प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के पीछे 2 तक और 2012 तक एक तक लाना और 2001 तथा 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर को 16.2 प्रतिशत तक लाना शामिल है। परिकल्पित मृत्यु दर और उर्वरता में तेज कटौती करना विद्यमान संरचना और जनशक्ति के अंदर तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है जैसाकि अनेक राज्यों ने प्रदर्शित किया है। अनिवार्य आपूर्तियों की व्यवस्था करने, कार्यकुशलता सुधारने और जवाबदेही सुनिश्चित करने, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां निष्पादन इस समय इष्टतम से कम है, के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निष्पादन में वृद्धिकारी सुधार हो सके। यह अनिवार्य है कि निर्धारित लक्ष्य एक समय-सीमा के अंदर प्राप्त हो जाएं क्योंकि जीवन स्तर में सुधार करने और मानव विकास के लिए ये एक अनिवार्य पूर्वपेक्षाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग तथा जनता के स्वास्थ्य सूचकों में विशाल अंतरों को देखते हुए, एक विभेदपूर्ण कार्यनीति की परिकल्पना की गई है जिससे कि सभी जिलों में वृद्धिकारी सुधार सुनिश्चित हो सकें; इसके परिणामस्वरूप उम्मीद है कि राज्य और राष्ट्रीय सूचकों में पर्याप्त सुधार होगा और देश दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होगा।

80. राजकीय, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में विगत पांच दशकों में एक विशाल स्वास्थ्य देख-रेख अवस्थापना कायम की गई है। दसवीं योजना के दौरान विद्यमान स्वास्थ्य देखरेख पद्धति की कार्यकुशलता सुधारने, देखरेख की गुणवत्ता, औषधियों की आपूर्ति के संभारतंत्र, निदानों और स्वास्थ्य देख-रेख वित्तपोषण की पद्धतियों पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा ताकि अनुभव की गई जरूरतों पर आधारित अनिवार्य स्वास्थ्य देखरेख वहनीय लागत पर उपलब्ध हो सके। अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख, आपातकालीन जीवनदायी सेवाएं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवाएं लोगों को उनकी जरूरतों के आधार पर, और न कि अदा करने की उनकी क्षमता के आधार पर, निःशुल्क उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। तथापि, निर्धनता रेखा से ऊपर के लोगों पर उपभोक्ता प्रभार आरोपित करने और उन्हें वसूलने के लिए और इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की गुणवत्त सुधारने के लिए करने के वास्ते उपयुक्त नीतियां तैयार करनी होंगी और उनका परीक्षण व कार्यान्वयन करना होगा।

81. विगत 50 वर्षों के दौरान, देश ने अकाल का लगभग उन्मूलन कर दिया और बच्चों में साधारण और गंभीर कुपोषण में पर्याप्त रूप से कमी प्राप्त की है और गंभीर विटामिन-ए की अल्पता के कारण क्वाशिओरकर, सूखारोग (मारस्मस), चर्मग्राह (पोलग्रा), कलायखंड (लाथिरिडम), बेरीबेरी और अंधापन जैसे रोग दुर्लभ हो गए हैं। किन्तु यद्यपि, मृत्युदर में 50 प्रतिशत तक और उर्वरता में 40 प्रतिशत तक की कमी आई है। अल्पपोषण में केवल 20 प्रतिशत की कमी आई है। गर्भवती महिलाओं में अल्प-पोषण और जन्म के समय न्यून शिशु भार दर में कोई कमी नहीं आई है और जीवन शैलियों और भोजन ग्रहण में बड़ा बदलाव आया है और परिणामस्वरूप मोटापे तथा गैर-

संचारी रोगों की विद्यमानता में वृद्धि हुई है। दसवीं योजना के दौरान लोगों की पोषणात्मक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से बल दिया जाएगा और व्यापक उपाय किए जाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, खाद्य उत्पादन बढ़ाने, प्रभावी प्रसंस्करण और वितरण, क्रयशक्ति में सुधार, पोषण शिक्षा के जरिए जागरूकता पैदा करने, मेक्रो तथा माइक्रो-पोषण कमियों के निवारण, पता लगाने और प्रबंधन हेतु सु-लक्षित उपाय करने के लिए समन्वित बहु-क्षेत्रीय उपाय करने की जरूरत है।

82. महिलाओं और बच्चों की संख्या कुल मिलाकर 673.80 मिलियन (2001 के लिए यथा- पूर्वानुमानित) है और यह देश की कुल आबादी का 65.6 प्रतिशत है। इसलिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में उनके कल्याण और अधिकारिता को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जो इन समूहों के लिए संवैधानिक सुरक्षोपायों और प्रतिबद्धता के महत्त्वपूर्ण हैं। महिलाओं की अधिकारिता के संबंध में दसवीं योजना का दृष्टिकोण पिछली योजनाओं की तुलना में इस दृष्टि से भिन्न होगा कि राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति (2001) निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों और समय-सीमा के साथ कार्रवाई के एक दृढ़ मंच के साथ आधार बनेगी। दसवीं योजना में प्रमुख कार्यनीतियों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक अधिकारिता और स्त्री-पुरुष न्याय पर विशेष बल देना सम्मिलित है। उपयुक्त आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य के साथ हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति को कार्यरूप देने के साथ-साथ, नौवीं योजना के दौरान किए गए विभिन्न उपायों को दसवीं योजना में भी जारी रखा जाएगा जिससे कि महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकें और उन्हें सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर सभी मानव और मूलभूत अधिकार सही प्रकार सुलभ हो सकें, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में हों। इन अधिकारिता संबंधी कार्यनीतियों में स्वास्थ्य देखरेख, पोषाहार, अच्छी कोटि की शिक्षा, रोजगार और आय सृजन, माइक्रोक्रेडिट की सहज सुलभता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कल्याण और सहायता सेवाएं, जागरूकता सृजन और लिंग संवेदनशीलता जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के सामान्य विकास कार्यक्रमों को पूरक और संपोषक बनाने के लिए महिला और बाल विकास के नोडल विभाग द्वारा नवीन कार्यक्रम शुरू करना शामिल होगा। इस संदर्भ में, स्वयंसिद्ध/स्वशक्ति, 'प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन' (स्टेप), महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा।

83. कार्यरत महिलाओं के लिए समर्थन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शिशुगृह (क्रेच)/दिवा देखभाल केन्द्रों और कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टलों के कार्यक्रमों को वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान समुचित प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सक्षम मंच की व्यवस्था करने के लिए महिलाओं को स्वयं सेवी समूहों में गठित करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाएगा। महिला घटक योजना (डब्ल्यूसीपी) की कार्यनीति के कार्यान्वयन को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम 30 प्रतिशत निधियां/लाभ महिला सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए निर्धारित हों और यह भी सुनिश्चित हो कि ये लक्षित समूहों तक पहुंचें। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा और सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके वार्षिक योजना 2002-2003 में लिंग न्याय पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे सांविधिक निकायों और अनेक महिला विशिष्ट तथा महिला सम्बद्ध विधान महिलाओं के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

84. राष्ट्रीय नीति और बाल चार्टर (2002) द्वारा यथाप्रस्तावित बच्चों के लिए दसवीं योजना के 'अधिकार आधारित' दृष्टिकोण और बच्चों और बालिका कार्रवाई की दो विद्यमान राष्ट्रीय योजनाओं (1992) को वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ताकि विशेष रूप से बालिकाओं की

आजीविका, संरक्षण और विकास सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ में, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में बच्चों के वृहत विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) जिन्हें नौवीं योजना में सर्वव्यापी बनाया जाना था, 0-6 वर्ष आयु वर्ग के युवा बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं और नर्सिंग तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम बना रहेगा। देखभाल करने वालों, यथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपायों के साथ आईसीडीएस के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा तथा महिलाओं और बच्चों के बीच अल्पपोषण की समस्याओं और कुपोषण की जरूरतों का भी समाधान किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उद्यमी दक्षताएं प्रदान करके किशोर शक्ति योजना के विशेष कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों, विशेष रूप से किशोरों के विकास के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसी प्रकार, बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में रहने वाली युवा लड़कियों को उनकी शैक्षिक सहायता तथा पाठ्यक्रम, वर्दी आदि पूरक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी। वस्तुतः बच्चों, विशेष रूप से किशोर/बालिकाओं की बेहतरी के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के वृहत अभिसरण के साथ जीवन चक्र वार्षिक योजना 2002-2003 का मुख्य विषय होगा।

85. सामाजिक कल्याण समूहों में, विकलांग व्यक्ति, सामाजिक रूप से वंचित (जैसे कि शराब और नशाखोरी के आदी, किशोर अपराधी) व अन्य सुविधाहीन व्यक्ति (वृद्ध, बच्चे और पीड़ित सड़क पर रहने वाले बच्चे आदि) शामिल हैं। दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-2003 में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने; सामाजिक रूप से वंचितों को सुधारने; और अन्य सुविधाहीनों की देखभाल के विशेष तथा विशिष्ट समूह विशेष दृष्टिकोण को, इन समूहों के लिए अधिनियमित सर्वाधिक प्रगतिशील विधान और नीतियों द्वारा शक्ति और समर्थन के साथ जारी रखा जाएगा। वार्षिक योजना 2002-2003 में यथासंभव अधिकाधिक विकलांग व्यक्तियों को सक्रिय, आत्म-निर्भर और एक ऐसे समर्थनकारी वातावरण के सृजन के माध्यम से, सोसायटी के उत्पादक सदस्य बनाने की पूर्ववर्ती प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है, जिसमें वे अधिकारों के पूर्ण संरक्षण, समान अवसरों तथा देश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में पूरी भागीदारी का लाभ उठा सकें जैसाकि उन्हें व्यापक विधान द्वारा गारंटी प्राप्त है, यथा व्यक्ति विकलांगता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995। इस संदर्भ में विकलांगताओं का शीघ्र पता लगाने और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास आदि की सुविधाओं का विस्तार करने और इन सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में, जिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को और अधिक बल तथा शक्ति प्रदान करने के लिए इसे संशोधित किया जा रहा है ताकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारियों के सीमांकन के माध्यम से बहु-सहयोगात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया जा सके तथा सकारात्मक कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा और बाधा-मुक्त वातावरण जैसी विशेषताएं प्रारंभ की जा सकें। इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का नोडल मंत्रालय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थागत तथा गैर-संस्थागत तंत्रों, विशेष रूप से विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, मिश्रित क्षेत्रीय केन्द्र और स्वैच्छिक संगठनों के एक नेटवर्क के जरिए विकलांगों के लिए कल्याण, विकासात्मक तथा पुनर्वास सेवाओं के संबंध में अपने नूतन कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के सामान्य विकास कार्यक्रमों को पूरक बनाएगा और उनका संपोषण करेगा। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान भागीदार मंत्रालयों/विभागों के बजटों में विकलांगों के लिए एक घटक योजना प्रारंभ करने के लिए विशेष पहल की जाएगी ताकि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आदेशित अपेक्षित निधियां/लाभ विकलांगों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सके।

86. वार्षिक योजना 2002-2003 में अपराधियों को सुधारने और उनका पुनर्वास करने और उन्हें कानून पालक नागरिक बनाने की बहु-आयामीय कार्यनीति के माध्यम से सामाजिक वंचितों की समस्या का समाधान करने के दसवीं योजना दृष्टिकोण को कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, अधिनियम के तहत सभी अनिवार्य संस्थानों में न्यूनतम स्तरों को सुनिश्चित करने के अलावा बाल अनुकूल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जागरूकता सृजन, निवारक शिक्षा परामर्श, उपचार, नशाखोरी की लत छुड़ाने और उनका पुनर्वास करने के वृहत पैकेज के माध्यम से देश में शराब और नशीली दवाओं के प्रयोग की बढ़ती समस्याओं का समाधान करना जारी रहेगा। इस प्रयोजनार्थ "शराबखोरी और नशीली दवा प्रयोग निवारण" के समुदाय आधारित कार्यक्रम को सेवा प्रदाताओं के और अधिक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से उपयुक्त रूप से सुदृढ़ और उसका विस्तार किया जाएगा जिससे कि यह उत्तर पूर्व जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों और देह व्यापार में प्रवृत्त जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंच सके। औषधि प्रेरित एचआईवी/एड्स इंजेक्टिंग की समस्या और सुई आदान-प्रदान कार्यक्रम व अन्य हानि कटीती उपायों के माध्यम से इसक बढ़ते भार को रोकने के लिए किए गए उपायों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

87. वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति की नीतिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान, वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, समाजार्थिक पुनर्वास, स्वास्थ्य, आश्रय और सामाजिक सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुतः जरूरतमंदों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थागत ढांचे के साथ-साथ नीति के प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू और कार्यान्वित करने के वास्ते, विशेष उपाय किए जाएंगे। इस संदर्भ में, वृद्ध व्यक्तियों को अपनी समस्याओं और मांगों को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करने के वास्ते स्वयंसेवी समूह गठित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही वृद्ध व्यक्तियों की मदद करने के वास्ते गठित जिला आधारों की सेवाओं का, उनकी अपनी समस्याओं का समाधान करने हेतु, देश के सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा। वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों और चल चिकित्सीय देखभाल यूनिटों की चालू स्कीमों को, जिन्हें वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती है, सुदृढ़ किया जाएगा और संस्थागत-भिन्न सेवाओं के साथ-साथ इनका विस्तार किया जाएगा। इन सभी में, ये सेवाएं इस लक्ष्य समूह तक पहुंचाने में स्वैच्छिक क्षेत्रक एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

88. वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे निवारक उपायों पर विशेष ध्यान देकर आवारा बच्चों की बढ़ती समस्या का समाधान किया जाएगा। निराश्रित अनाथ और परियुक्त बच्चों के लिए पोषक देखभाल, प्रायोजन और गोद लेने जैसी गैर-संस्थागत सेवाएं प्रोत्साहित की जाएंगी जिससे कि उनका पारिवारिक परिवेश में पूरी तरह से पुनर्वास किया जा सके।

89. अनुसूचित जातियों (एससी) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) व अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अल्पसंख्यकों जैसे सामाजिक रूप से सुविधाहीन समूहों को सशक्त बनाने के कार्य को जिसे नौवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था, वर्ष 2002-2003 के दौरान और अधिक शक्ति तथा उत्साह के साथ उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। कारगर उपाय करने में (i) सामाजिक अधिकारिता; (ii) आर्थिक अधिकारिता; और (iii) सामाजिक न्याय की त्रि-आयामीय नीति, एक मार्गदर्शी उपाय बनी रहेगी। इस संबंध में, ऐसे कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को, जिनका उद्देश्य शैक्षिक विकास, रोजगार और आय सृजन के जरिए गरीबी उन्मूलन करना है तथा ऐसी प्रथाओं का विधायी उपायों, यथा सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत नागरिक अधिकारों के संरक्षण को

प्रभावी रूप से लागू करके जिनसे सामाजिक भेदभाव पैदा होता है, अत्याचारों से संरक्षण पर प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया जाएगा ।

90. अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक अधिकारिता पैदा करने में शिक्षा एक कारगर साधन है इसलिए व्यावहारिक व उपयुक्त उपायों के साथ नामांकन अनुपात में सुधार करके और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या पर विशेष रूप से नियंत्रण करके सामान्य जनता और अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता अंतर को कम से कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे । हाथ से सफाई करने (सिर पर मैला ढोने) की घृणित प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से, झाड़ूकशों को सफाई की पारंपरिक अमानवीय प्रथा के शिकंजे से मुक्त करने के लिए और उनका मिशन मोड़ दृष्टिकोण के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से संधारणीय तरीके से पुनर्वास करने हेतु तीव्र गति से प्रयास किए जाएंगे । मात्राकरण/विनिर्धारण और निधियों तथा लाभों का उपयोग सुनिश्चित करते हुए एससीपी कार्यनीतियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) के निर्माण और कार्यान्वयन को कठोरता से लागू करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ।

91. अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित समुदायों की क्षमता और शक्ति को समझते हुए, इन समूहों के बीच, महिलाओं और बालिकाओं पर विशेष बल के साथ, शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों और समर्थन सुविधाओं का विस्तार करके, उनके समाजार्थिक विकास की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे । क्योंकि बड़ी संख्या में अन्य पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक अब भी परंपरागत व्यवसायों और दस्ताकरी पर निर्भर हैं और विभिन्न प्रकार के समाजार्थिक पिछड़पेन से पीड़ित हैं इसलिए उद्यमशीलता प्रोत्साहित करने और तकनीकी सहायता यथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन, क्रेडिट तथा बाजार कड़ियां व उनकी उत्पादक क्षमताओं को इष्टतम बनाने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

92. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी क्योंकि वे न केवल दुर्बल, गरीब और संपत्तिहीन हैं बल्कि अन्य कमजोर वर्गों के विपरीत, उनमें सोसायटी की मुख्यधारा के साथ और उसमें हो रही घटनाओं के साथ एकीकरण की प्रक्रिया के परिणामों के साथ निपटने/सौदेबाजी करने की क्षमता का भी अभाव होता है । इसलिए, जनजातीय भूमि हस्तांतरण; ऋणग्रस्तता, विस्थापित जनजातियों, वन ग्रामों की अवहेलना, बदल-बदलकर खेती करने आदि से संबंधित पहले से ही विनिर्धारित 'असमाधित मुद्दों' और 'सतत समस्याओं' का समाधान करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे । इसके साथ-साथ दूरवर्ती तथा दुर्गम जनजातीय बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, आश्रय, सफाई, सुरक्षित पेयजल और ग्रामीण सड़कें जैसी बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करके अनुसूचित जनजातियों का चहुंमुखी समाजार्थिक विकास करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ।

93. क्योंकि अत्यंत गरीबी और अनिश्चित निर्वहन अर्थव्यवस्था के शिकंजे से जनजातियों को मुक्त करने की तत्काल आवश्यकता है इसलिए रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से नवगठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राज्य स्तरीय जनजातीय विकास निगमों और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) का प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करके, उनका तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे । क्योंकि आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) अभी भी विपरीत और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे हैं इसलिए उनकी उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर कार्रवाई की एक सुनिश्चित योजना के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए भी

प्रयास किए जाएंगे कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1996 का विस्तार) के अनुसार पंचायत राज संस्थाएं और ग्राम सभाएं अपनी-अपनी भूमिका निभाएं और इस प्रकार ग्रासरूट संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी के जरिए स्थानीय जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। स्वैच्छिक संगठनों को भी जनजातीय आबादी के बीच, विशेष रूप से दूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में रहने वालों के बीच समाजार्थिक विकास प्रोत्साहित करने में उनकी पूरक भूमिका तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। टीएसपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की विशेष कार्यनीतियों को प्रभावी और सार्थक निर्माण तथा कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिससे कि जनजातियों का चहुंमुखी विकास प्रोत्साहित करने में सभी विकासात्मक क्षेत्रों का समुचित योगदान सुनिश्चित हो सके।

आधारभूत ढांचा और उद्योग

94. दसवीं योजना अवधि के दौरान परिकल्पित औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक ढांचा निर्मित करने की जरूरत होगी ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतें पूरी हो सकें। प्रत्येक विकासशील देश के आर्थिक विकास में विकास तथा आधारभूत ढांचा पर्यायवाची हैं। अच्छा ढांचा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादन लागत में कमी आती है। व्यापार, परिवारों व अन्य उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए आधारभूत सेवाएं प्रदान करना आज के आर्थिक विकास की एक प्रमुख चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यहां तक कि परंपरागत वस्तुओं के क्षेत्र में भी प्रतियोगिता करने के देशों के सामर्थ्य में अवस्थापना की पर्याप्तमात्रा, उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण कारक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण है कि विकास निर्धनता कटौती के अनुरूप हो। विद्युत, पेट्रोलियम उत्पादों, सड़कों, बंदरगाहों, परिवहन और संचार सेवाओं की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है और इसी प्रकार इन सुविधाओं के निर्माण के लिए निवेश आवश्यकताओं में भी वृद्धि होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एक कुशल, प्रभावी, उपभोक्ता-अनुकूल तथा पर्यावरण-अनुकूल ढांचे का निर्माण हो।

95. आधारभूत ढांचा आर्थिक विकास का आधारस्तंभ है इसलिए आधारिक क्षेत्रों का निष्पादन आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और भारतीय निर्यात की भावी सफलता आधारिक क्षेत्रों के कुशल निष्पादन पर निर्भर है। नौवीं योजना के दौरान (1997-2002), कोयले को छोड़कर, सभी आधारिक उद्योगों में निष्पादन लक्ष्य से कम रहा है जैसाकि संलग्नक 1.7 में दर्शाया गया है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि अपर्याप्त निवेश, कुल मांग में शिथिलता, विश्व व्यापार में कुल मिलाकर मंदी के कारण घटती हुई निर्यात वृद्धि, पूर्व एशियाई मुद्राओं के तीव्र मूल्यह्रास के कारण भारतीय निर्यातों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में कमी, निम्न कृषि उत्पादन के कारण ग्रामीण मांग में कमी, कतिपय प्रमुख उद्योगों में आयातों से कीमत प्रतिस्पर्द्धा, पूंजी बाजारों (प्राथमिक और द्वितीयक) में लगातार मंदी के कारण निधियों की अपर्याप्तता व अन्य आधारिक बाधाओं ने न्यून विकास में पर्याप्त रूप से योग दिया। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना की नीतियों और आकांक्षाओं के अनुरूप आधारिक उद्योगों के निष्पादन में बदलाव आया है जैसाकि वर्ष 2002-2003 के पहले छः महीनों में (अप्रैल-सितम्बर) देखा गया है। सभी छः आधारिक उद्योगों ने 6 प्रतिशत की विकास दर के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है जबकि 2001-2002 की तदनुसूची अवधि के दौरान 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जैसाकि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6

आधारभूत उद्योगों का निष्पादन विकास दर (प्रतिशत)

क्षेत्रक	2001-02 (अप्रैल-सितम्बर)	2002-03 (अप्रैल-सितम्बर)
कच्चा पेट्रोलियम	-2.9	5.2
पेट्रोलियम संदर्भित उत्पाद	4.2	5.5
कोयला	2.1	5.9
बिजली	3.2	3.4
सीमेंट	3.4	9.8
विनिर्मित इस्पात	-0.9	9.3
कुल	1.5	6.0

96. ग्रामीण कृषि से और अधिक औद्योगिकृत सोसायटी तक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में, जीडीपी में उद्योग का अंशदान राष्ट्र की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं की खपत को रहन-सहन के स्तर का एक सर्वाधिक स्वीकृत माप माना जाता है और विनिर्माण उद्योग की कोटि तीव्र आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करने का एक प्रेरक बल प्रदान करता है। इसी तथ्य की स्वीकृति में दसवीं योजना कार्यनीति का उद्देश्य है: जीडीपी में उद्योग के हिस्से को बढ़ाना, विनिर्मित उत्पादों के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाना, औद्योगिक विकास के माध्यम से दक्षता प्राप्त श्रमिकों के लिए रोजगारों का निर्माण और देश में एक संतुलित औद्योगिक विकास पैदा करना। दसवीं योजना में ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और सामंजस्यपूर्ण कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। आधुनिकतम आधारिक ढांचा स्थापित करने सहित प्रभावी निजी क्षेत्रक भूमिका के लिए प्रेरक एक सकारात्मक निवेश वातावरण का निर्माण करने के लिए आर्थिक सुधारों को गहन और व्यापक बनाना; उद्योग में क्षमता निर्माण, जिससे कि यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बन सकें; वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना और कार्यकुशलता वृद्धिकारी नीतिगत उपाय लागू करना ऐसी किसी कार्यनीति के महत्वपूर्ण अंग हैं। दसवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के संबंध में 8 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रक को 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करनी होगी। यह इसके विगत निष्पादन की तुलना में एक प्रमुख तेजी को प्रदर्शित करता है। आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान कुल मिलाकर इस क्षेत्रक में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए दसवीं योजना में एक ऐसे औद्योगिक नीति परिवेश के सृजन पर बल दिया जाना चाहिए, जिसमें निजी क्षेत्रक कंपनियां, पूर्व सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनियों सहित, कार्यकुशल और प्रतियोगी बन सकें।

97. नौवीं योजना के दौरान खनन, विनिर्माण और विद्युत निर्माण सहित औद्योगिक क्षेत्रक की वार्षिक औसत वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत थी जो योजना के लिए लक्षित 8.2 प्रतिशत से कहीं कम है जैसाकि संलग्नक 1.8 में दर्शाया गया है। औद्योगिक विकास में धीमेपन के लिए जिम्मेदार कारकों में मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए घरेलू मांग का अभाव, पूंजीगत वस्तुओं के लिए निम्न माल-सूची, मांग, ऊंची तेल कीमतें कुछेक क्षेत्रकों में अत्यधिक क्षमता की विद्यमानता, औद्योगिक पुनर्गठन में अंतर्निहित समायोजन कमियां और आधारभूत बाधाएं, विशेष रूप से विद्युत, सड़कों और परिवहन से संबंधित बाधाएं और निरंतर उच्च राजकोषीय घाटे के कारण ऊंचा ब्याज दर

परिवेश शामिल है। वर्ष 2002-2003 के दौरान अर्थ-व्यवस्था ने गति पकड़नी शुरू की है। औद्योगिक क्षेत्रक में भी तेजी से विकास शुरू हो गया है। अप्रैल-अगस्त, 2002 अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2001-2002 के पूरे वर्ष के दौरान 2.7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई थी। नौवीं योजना के दौरान 2.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में अप्रैल-जुलाई, 2002 की अवधि के दौरान, कपड़ा उद्योग ने 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, उसके बाद बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योगों ने 1.9 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की व जूट तथा अन्य वनस्पति रेशे वस्त्रों ने 0.6 प्रतिशत औसत की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। खाद्य उत्पादों ने भी 3.3 प्रतिशत की औसत की तुलना में 6.2 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की जैसाकि संलग्नक 1.8 में दर्शाया गया है।

98. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में उपयोग की सुविधा की दृष्टि से बिजली सर्वाधिक बहुमुखी ऊर्जा स्रोत है। देश के आर्थिक विकास की मात्रा के निर्धारण में बिजली की खपत का स्तर एक प्रमुख संकेतक है। नौवीं योजना में योजना अवधि के दौरान 40,245 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि में प्रमुख कमी निजी क्षेत्र में रही जहां केवल 5061 मे.वा. की अभिवृद्धि हुई जबकि परिकल्पना 17588 मे.वा. की थी। क्षमता अभिवृद्धि और परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति जिन मुख्य कारणों से विपरीत रूप से प्रभावित हुई उनमें निलम्बलेख कवर की अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र परियोजना के देशी से वित्तीय सौदे, सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए निधियों की कमी और कानून तथा व्यवस्था समस्याएं शामिल हैं। नौवीं योजना के अंत (2001-2002) तक देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 104917 मे.वा. (अनंतिम) थी जिसमें 26261 मे.वा. पन विद्युत, 74429 मे.वा. ताप विद्युत, 2720 मे.वा. नाभिकीय विद्युत और 1507 मे.वा. वन विद्युत शामिल है। कुल क्षमता केन्द्रीय क्षेत्रक में 31605.5 मे.वा. (30.1 प्रतिशत), राज्य क्षेत्र में 62245.5 मे.वा. (59.3 प्रतिशत) और शेष 11066 मे.वा. (10.6 प्रतिशत) निजी क्षेत्र में थी। नौवीं योजना के दौरान सकल विद्युत उत्पादन मते 5.41 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। 1996-97 में 64.9 प्रतिशत की तुलना में 2001-2002 में 69.9 प्रतिशत स्तर के पीएलएफ में सुधार की वजह से कुछ सीमा तक देश में शीर्ष जरूरतों और ऊर्जा कमियों का प्रबंधन करने में सुविधा हुई।

99. दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्रक के सभी तीन घटकों, अर्थात् उत्पादन, पारेषण और वितरण में या तो ऊर्ध्वाधर एकीकृत संरचना में पूर्ण जवाबदेही के साथ पृथक लाभ केन्द्र स्थापित करके अथवा रा.वि. बोर्डों को उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों में अनावरित करके अथवा राज्य सरकारों के चयन पर निर्भर रहते हुए सुधार के किन्हीं अन्य उपायों के माध्यम से; कैप्टिव उत्पादन (विशेष रूप से सह-उत्पादन) को विद्युत पद्धति के साथ एकीकृत करके; विद्युत मूल्य कड़ी के प्रत्येक घटक में प्रतिस्पर्द्धा और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके; सेवाओं की लागत को परिलक्षित करने के वास्ते टैरिफ युक्तिकरण और सभी सब्सिडियों को प्रत्यक्ष रूप से राज्य बजटों में स्थानांतरित करके; कतिपय प्राचलों और बैंचमार्कों की उपलब्धि के साथ निधियों के विमोचन को संयोजित करने के लिए प्रावधान के साथ एपीडीपी को एपीडीआरपी (त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम) नामित करके; हानियां कम करने के लिए पारेषण तथा वितरण पद्धति को सुदृढ़ करके; सभी 11केवी उपकेन्द्रों में तत्काल मीटरों की व्यवस्था करके धीरे-धीरे सभी उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत मीटरों की व्यवस्था करके तथा उपयुक्त एमआईएस पद्धति लागू करके, कार्यकुशलता में सुधार करने पर बल दिया गया है। दसवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के लिए लक्षित विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना अवधि के दौरान 41110 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है।

100. वर्ष 2001-2002 के दौरान यूटिलिटियों से विद्युत उत्पादन 515.27 बि.कि.वा. (बीकेडब्ल्यूएच) था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.15 प्रतिशत सुधार को दर्शाता है तथा 2002-2003 के दौरान इसके 545.55

बीकेडब्ल्यूएच का पूर्वानुमान है। वर्ष 2002-2003 के लिए 4109 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2002-2003 के पहले छः महीने के दौरान (अप्रैल-सितम्बर) विद्युत उत्पादन में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

101. विद्यमान उत्पादन क्षमता से विद्युत उत्पादन को अधिकतम बनाने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण को सर्वाधिक किफायती विकल्प समझा गया है। आर एंड एम कार्यक्रम के द्वितीय चरण को 1990-91 के दौरान शुरू किया गया था और निधियों की तंगी तथा स्कीमों के निर्माण और उन्हें अंतिम रूप देने में प्रक्रियात्मक देरियों के कारण आठवीं योजना के अंत तक केवल लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो सका। नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई स्कीमों में से 50 प्रतिशत शेष रहती स्कीमों पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर हैं और दसवीं योजना के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

102. नौवीं योजना के दौरान, यह अनुभव किया गया कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम अधिनियमित करना और इस अधिनियम के तहत एक शीर्ष निकाय भी स्थापित करना आवश्यक है जिससे कि ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। ऊर्जा कार्यकुशलता कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु, शीर्ष निकाय के लिए सिफारिश किए गए कार्य निम्नलिखित हैं:

- औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक समूहों के मुख्य उप-क्षेत्रों का सरकारी और निजी क्षेत्रों में अर्हताप्राप्त तथा अनुमोदित ऊर्जा आडिटर्स की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऊर्जा ऑडिट आयोजित करना;
- प्रत्येक उप-क्षेत्रक औद्योगिक समूह में ऊर्जा खपत के मानदंड तय करना और यदि आवश्यक हो तो इन मानदंडों को अलग-अलग प्रमुख यूनिटों के संबंध में तय करना;
- समय-सीमा की व्यवस्था करना जिसके अंदर ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो;
- निर्धारित मानदंडों से अधिक ऊर्जा खपत के लिए अधिक प्रभार निर्धारित करने के अलावा उपयुक्त आर्थिक दंड आरोपित करना;
- उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त उपस्करों और यंत्रों की ऊर्जा कार्यकुशलता के संबंध में मानक निर्धारित करना;
- विभिन्न उपभोक्ता समूहों के साथ परामर्श करके ऊर्जा संरक्षण उपस्करों और यंत्रों में निवेश के लिए रियायती वित्त की सिफारिश करना;
- ऊर्जा किफायती आटोमेटिव इंजिनों और विद्युत तथा डीजल पंपसेटों के लिए मानदंड निर्धारित करना; और
- उपरोक्त सभी प्रयोजनों के लिए नियम और विनियम बनाना जिन्हें कानून का समर्थन होगा तथा शीर्ष निकाय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले आर्थिक दंडों के अलावा कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रावधान होगा।

103. ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 को अगस्त, 2001 में संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह संरक्षण अधिनियम, 2001 बन गया है। स्थापित किया गया ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो कठोर ऊर्जा संरक्षण मानदंड लागू करेगा जिससे कि बाजार से घटिया उपकरण समाप्त हो सकें। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम तत्काल से लागू हो गया है, सिवाय इसके दंड भाग के जिसे पांच वर्षों के लिए स्थगित रखा गया है जिसके दौरान लोग ऊर्जा संरक्षण के अर्थशास्त्र और व्यावहारिकता को समझ लेंगे।

104. पुराने ईंधन संसाधनों जैसे कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर अत्यधिक निर्भरता के साथ मानवों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभी तक पालन किया गया माडल न केवल दीर्घावधि में असंधारणीय है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर खतरनाक परिणामों के साथ इनका पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुराने ईंधन संसाधन सीमित, अ-नवीकरणीय हैं, और इसलिए इनका बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। विद्युत की उत्पादन, पारेषण और वितरण की विद्यमान प्रौद्योगिकियां और साथ ही अन्त्य उपयोग में अक्षमताएं अंतर्निहित हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि देश की ऊर्जा आपूर्ति को विविधीकृत बनाया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा को एक कारगर विकल्प के रूप में देखा जाए।

105. ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर-परंपरागत स्रोतों के माध्यम से किफायती कुशल ढंग से शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी ऊर्जा आवश्यकताओं (यथा खाना पकाने और रोशनी करने) को पूरा करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहां बड़ी ग्रामीण आबादी है, समाजोन्मुखी कार्यक्रमों को ग्रामीण समुदायों की बड़ी भागीदारी के जरिए सुदृढ़ करके न्यूनतम ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, विकेंद्रीकृत ऊर्जा स्रोतों, ग्रिड-कोटि विद्युत उत्पादन के जरिए दूरवर्ती ग्रामों का विद्युतीकरण और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जरूरी हैं। इसलिए न्यूनतम ग्राम ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने और गांवों में बुनियादी न्यूनतम सेवा के रूप में बिजली की व्यवस्था करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर गांवों अथवा उपभोक्ताओं के समूहों को कवर करते हुए उत्तरोत्तर विद्युतीकरण के लिए और इस प्रयोजनार्थ जहां कहीं व्यवहार्य हो गांवों में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा और उनका प्रबंध करने के लिए सामुदायिक पद्धतियां स्थापित करने के लिए योजना आयोग एक समयबद्ध योजना की जरूरत पर बल देता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने विभिन्न उपयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। पंचायतों, स्थानीय निकायों, सहकारिताओं और एनजीओ के माध्यम से कार्यक्रम में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी और सहभागिता ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन में सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए राज्य सरकारों और राज्य नोडल एजेंसियों का सहयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दृष्टिकोण, विकेंद्रीकृत और निजी तथा सरकारी निवेश के विवेकपूर्ण मिश्रण पर आधारित होना चाहिए।

106. इस समय, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर, पवन, बायोगैस, लघु पन (25 मे.वा. क्षमता तक) आदि से योगदान देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादक क्षमता का लगभग 3 प्रतिशत है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों अथवा सह-उत्पादन से विद्युत की ग्रिड सप्लाई का उद्देश्य पारेषण और लागत प्रतिस्पर्द्धा सुधारना होना चाहिए। लाभप्रद प्रतिफल की व्यवस्था करने तथा निजी निवेशों को प्रोत्साहित करने के वास्ते एक उपयुक्त नीतिगत पद्धति प्रारंभ करने की जरूरत होगी। इस क्षेत्रक का विकास और प्रोत्साहन, जो पर्यावरणीय अनुकूल है, अवांछित विनियम द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। चूंकि ग्रिड से अलग, दूरवर्ती तथा सुदूर इलाकों में जहां पारंपरिक ग्रिड का विस्तार काफी खर्चीला है। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण पर्याप्त रूप से व्यवहार्य है, इसलिए ग्रामीण उद्योगों के विकास में एक विकेंद्रीकृत पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

107. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, ग्राम विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। मार्च, 2002 के अंत तक, 5.09 लाख गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा देश में कुल 130.84 लाख पंपसेटों को विद्युतचालित बना दिया गया है जबकि कुल अनुमानित क्षमता 195.94 लाख है। विद्युतीकरण किए जाने वाले शेष 80,000 गांवों में यह अनुमान लगाया गया है कि 62,000 गांवों को पारंपरिक ग्रिड का विस्तार करके विद्युतीकृत किया जा सकता है जबकि शेष लगभग 18,000 गांवों को, जो दूरवर्ती और कठिन क्षेत्रों में स्थित हैं, सौर, लघु पन तथा बायोमास जैसे विकेन्द्रीकृत गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युतीकरण करना होगा। शेष सभी व्यवहार्य गांवों को, जिन्हें दसवीं योजना के अंत तक परंपरागत ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाना है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शेष रह गए दूरवर्ती गांवों को, जिन्हें ग्रिड के साथ जोड़ना व्यवहार्य नहीं है, ग्यारहवीं योजना के अंत तक विकेन्द्रीकृत ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युतीकृत किया जाएगा।

108. दसवीं योजना के दौरान, ऊर्जा कार्यक्रमों में, पवन, सौर, बायोमास और अपशिष्ट के माध्यम से 3075 मे.वा. की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है। वर्ष 2002-2003 के दौरान, 1.30 लाख परिवार आकार बायोगैस संयंत्र, एक लाख सौर लालटेन, 50,000 गृह प्रकाश पद्धतियां, 1000 सौर जेनेरेटर, सौर विद्युत संयंत्र, जो 0.5 मे.वा. के समकक्ष होंगे, 1200 एसपीवी पम्प, 300 मे.वा. पवन विद्युत, 150 मे.वा. बायोमास विद्युत, 16 मे.वा. समकक्ष बायोमास गैसीफायर पद्धतियां, 80 मे.वा. लघु पन विद्युत और शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से 20 मे.वा. समकक्ष ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है।

109. नौवीं योजना में विद्युत क्षेत्रक के लिए तेजी से बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, एक दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य के साथ, सुधरी उत्पादकता, क्षमता उपयोग, प्रौद्योगिकी अनुकूलन और सरलीकृत परियोजना स्वीकृति प्रक्रियाओं आदि के जरिए, कोयला उत्पादन को बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। योजना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, कोयला क्षेत्रक के पुनर्गठन और आवश्यक विधायी संशोधनों द्वारा वाणिज्यिक-कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने से संबंधित है। योजना में, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों (सीसीटी) कोयला उद्योग में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कोल बैड मीथेन संसाधनों के विकास, सुधरी कोयला दुलाई के लिए पत्तन और रेल अवसंरचना सुविधाओं में सुधार और लिग्नाइट संसाधनों का विकास करने पर बल दिया गया। कुछेक नए कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के मूर्तरूप न लेने और निम्न आर्थिक विकास के कारण, कोयले का उत्पादन और उठान नौवीं योजना में परिकल्पित से काफी कम था। कोयला उठान में मंदी के परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन और इसके क्षमता निर्माण में बाधा पहुंची। खानमुख भंडार में ढेर लगने से बचने के लिए कोयला कंपनियों ने उठान के अनुपात में उत्पादन का मार्ग अपनाया। वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्रक भागीदारी, विनियामक प्राधिकरण की स्थापना, और कोल इंडिया लि0 (सीआईएल) का पुनर्गठन, जिसकी परिकल्पना की गई थी, भी पूरा नहीं हो सका। कोयले और बिजली की बिक्री की विशाल बकाया देयताओं के कारण भी कोयला कंपनियों की वित्तीय स्थिति विपरीत रूप से प्रभावित हुई है क्योंकि सा.क्षे.उ. से कोयले की बिक्री के कारण देयताओं के एक समय के निपटान के तहत देयताओं का परिकल्पित प्रतिभूतिकरण भी नहीं हो पाया है। आयातित कोयले की तुलना में विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में देशज कोयले की कीमत ऊंचे रेल भाड़े के कारण, अधिक बैठ रही है।

110. तरल हाइड्रोकार्बनों के सीमित संसाधन के कारण और वाणिज्यिक ऊर्जा की नाभिकीय तथा पनविद्युत क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने में लगने वाली आवश्यक समयावधि के कारण कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। इसलिए कोयला संसाधनों के तीव्र विकास के लिए सभी प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। दसवीं योजना अवधि के लिए, यदि अर्थव्यवस्था के लक्षित 8 प्रतिशत विकास में मदद देने के

लिए विद्युत क्षेत्रक का विस्तार किया जाना है तो देशज कोयला उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना महत्वपूर्ण है। संसद द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 विधेयक के अनुमोदन से कोयला क्षेत्रक में सुधार प्रक्रिया तेज होगी जिससे कि निजी निवेश आकर्षित होगा। अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में निजी खनन के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने के लिए अन्य सांविधियों के विधायी पहलुओं में संशोधन करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की जरूरत है जिससे कि सक्षम निजी निवेशक शीघ्र स्वीकृति हेतु एक पद्धति प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार, मुक्त बिक्री की अनुमति देने के उद्देश्य से अनिवार्य वस्तुओं की सूची से कोयले को हटाना और राज्य सरकारों के कोयला नियंत्रण आदेशों के साथ-साथ कोलियरी कंट्रोल आर्डर 2000 को वापस लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दसवीं योजना में कोयला क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं: सुधार प्रक्रिया को जारी रखना, कैप्टिव-भिन्न खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए लंबित कोयला विधेयक को शीघ्र स्वीकृत करना, विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना, कोयला क्षेत्रक का पुनर्गठन, कोयला दुलाई के लिए रेल तथा पत्तन अवसंरचना का विकास, कोयला और लिग्नाइट की खोज को तेज करना, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का विकास, उत्पादकता और क्षमता उपयोग में सुधार तथा लिग्नाइट संसाधनों का विकास। घटते कोकिंग कोयला उत्पादन की स्थिति सुधारने और वाशरियों का आधुनिकीकरण करके और उन्हें इस्पात क्षेत्रक के विनिर्देशों के उपयुक्त बहु-उत्पाद वाशरियों में बदलकर देशज स्रोतों से उत्पादन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

111. दसवीं योजना के दौरान कोयले की मांग में 5.74 प्रतिशत की और कोयले के उत्पादन में 3.32 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में 405 मिलियन टन कच्चे कोयले की देशज उपलब्धता और पूर्वानुमानित मांग के बीच 55.50 मिलियन टन का अंतर परिकल्पित है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 363.30 मिलियन टन कोयले की मांग का अनुमान लगाया गया है (वाशरी मिडलिंग्स के 4.93 मिलियन टन को छोड़कर)। 2002-2003 के दौरान कोयले के उत्पादन में उत्साहजनक प्रवृत्ति देखी गई है और वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान इसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में यह 2.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2001-2002 के दौरान लिग्नाइट का प्रत्याशित उत्पादन 17.50 मिलियन टन था और वर्ष 2002-2003 के लिए 19.95 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2006-2007 में देश में लिग्नाइट की पूर्वानुमानित मांग 57.79 मिलियन टन है जिसमें से विद्युत उत्पादन के लिए मांग 49.34 मिलियन टन होगी।

112. कच्चे तेल का स्थिर देशज उत्पादन, निम्न भंडार अभिवृद्धि, बढ़ता कच्चा तेल आयात, प्रस्तावित एलएनजी आयात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत अस्थिरता और युद्ध के कारण आपूर्तियों में बाधा आदि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में चिंता के क्षेत्र हैं। इसलिए, तेल सुरक्षा, अवसंरचना विकास कार्यकुशलता सुधार, पर्यावरण और कोटि सुधार और पुनर्गठन/विनिवेश को दसवीं योजना के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के रूप में विनिर्धारित किया गया है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का स्ट्रेटेजिक भंडारण, तेल आयातों का विविधीकरण और विदेश में इक्विटी तेल निवेश करके तेल सुरक्षा का प्रस्ताव है। नई खोज लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत बोली लगाने के तीसरे चक्र की घोषणा की जा चुकी है।

113. उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, जिससे यह एक विश्व शक्ति बन सके, तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता कायम करना, जिससे कि उपभोक्ता हित सुरक्षित रहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के संदर्भ में पेट्रोलियम क्षेत्र/कंपनियों की बैचमार्किंग, उत्पादन-भिन्न और सीमावर्ती इलाकों में, गहन समुद्रीय क्षेत्र सहित,

व्यापक रूप से खोज करना, विदेशी खोज एकरेज और पता लगे तेल/गैस क्षेत्रों में इक्विटी प्राप्त करना और एक स्वतंत्र विनियामक संरचना कायम करना दसवीं योजना के कुछेक प्रमुख उद्देश्य हैं ।

114. नौवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि लक्ष्य के मुकाबले कम थी जिसका मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में मंदी, सड़कों का सुधार (पुलों और उप-मार्गों के निर्माण सहित) ईंधन-बचत वाहनों की शुरुआत और अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा ई-कॉमर्स में सेवा क्षेत्रक का बढ़ता हिस्सा था । वर्ष 2001-2002 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 98.57 मिलियन टन थी । 2002-2003 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 101.70 मिलियन टन होने का अनुमान है जो लगभग 3.2 प्रतिशत वृद्धि का संकेतक है । 2002-2003 के पहले छः महीने के दौरान (अप्रैल-सितम्बर) पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन में सकारात्मक वृद्धि हुई है जो 5.5 प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि 2001-2002 में तदनुसूची अवधि में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । वर्ष 2001-2002 के लिए अन्वेषणात्मक तथा विकास ड्रिलिंग में उपलब्धि क्रमशः 451.95 हजार मीटर और 384.97 हजार मीटर प्रत्याशित है । वर्ष 2002-2003 के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का लक्ष्य 476.81 हजार मीटर और विकास ड्रिलिंग के लिए 466.46 हजार मीटर रखा गया है ।

115. वर्ष 2001-2002 में कच्चे तेल का उत्पादन, संयुक्त उद्यमों/निजी क्षेत्रक कंपनियों से उत्पादन को मिलाकर, 32.03 मि.मी.टन था जबकि लक्ष्य 32.50 मि.मी.टन था। वर्ष 2002-2003 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 33.08 मि.मी.टन है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है । 2002-2003 के पहले छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान तेल उत्पादन ने 5.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 2.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी । 2001-2002 के संबंध में प्राकृतिक गैस उत्पादन 26.69 बीसीएम था जबकि लक्ष्य 29.76 बीसीएम था । 2002-2003 के लिए 31.37 बीसीएम का लक्ष्य रखा गया है जो 2001-2002 की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि को परिलक्षित करता है ।

116. चूंकि रिफाइनरी क्षेत्रक को लाइसेंस से हटा दिया गया है इसलिए देश में रिफाइनरी क्षमता अभिवृद्धि की भावी योजनाओं का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है । दसवीं योजना के दौरान कुल शोधन क्षमता कितना रूप लेगी यह अनेक कारणों पर निर्भर करेगा जिनमें देशज मांग, कर संरचना, जो निर्यात और आयात संभावनाओं को प्रभावित करेगी और शोधन मार्जिन शामिल हैं । 1 मार्च, 2002 के अंत तक शोधन क्षमता 114.67 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) थी और 2002-2003 के अंत तक इसके 117.87 एमएमटीपीए तक बढ़ जाने की संभावना है, अर्थात् हल्दिया और बरौनी रिफाइनरियों में शोधन क्षमता के विस्तार के कारण 3.13 मिलियन टन की वृद्धि । अनुप्रवाही पेट्रोलियम क्षेत्रक के लिए एक स्वतंत्र सांविधिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की उम्मीद है जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित हो सके । अप्रैल, 2005 से सात बड़े नगरों में यूरो-III समकक्ष उत्सर्जन मानदंड अपनाने में समर्थ बनने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता में और सुधार करना होगा, जिसके लिए एक समयबद्ध तरीके से सल्फर कंटेंट में और कटौती करने जैसे उपाय करने होंगे । तीन परियोजनाओं से दो महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश में - सकारात्मक फीडबैक के आधार पर वर्ष, 2002 के अंत तक कुछ राज्यों में इथानोल मिश्रित पेट्रोल (5 प्रतिशत गैसोहाल) का उपयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त, डीजल के साथ इथानोल मिश्रण अपनाने के लिए और पेट्रोल के साथ 10 प्रतिशत इथानोल के मिश्रण की भी एक योजना तैयार करने के वास्ते एक अंतर- मंत्रालयीय कार्यदल गठित किया गया है ।

117. वर्ष 2001-2002 के दौरान 100 मिलियन टन के प्रत्याशित उत्पादन के संदर्भ में लौह अयस्क का उत्पादन 83.47 मिलियन टन (अंतिम) हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.35 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 48.85 मिलियन टन देशज खपत के लिए और 31.45 मिलियन टन निर्यात के लिए था। 1998-99 में बड़ी गिरावट के बाद उत्पादन में लगातार किन्तु निम्न वृद्धि हुई जिसकी वजह इस्पात उद्योग में मंदी की स्थितियां हो सकती हैं जो लौह अयस्क का एक प्रमुख उपभोक्ता है। नौवीं योजना के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में भी लगभग 30 से 32 मिलियन टन के बीच उतास-चढ़ाव होता रहा। लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) की बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना को अगस्त 1999 तक पूरा करने के लिए अगस्त, 1995 में मंजूरी दी गई। तथापि, तकनीकी कारणवश परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी और अब वर्ष 2002 में पूरी होने की संभावना है। इसके अलावा, बेलाडिला डिपोजिट्स 14/11 सी पर तृतीयक क्राशिंग प्लांट भी पूरा होने वाला है। अनुमान है कि दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में लौह अयस्क का उत्पादन 110 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच जाएगा और लगभग 40 मिलियन टन का दसवीं योजना अवधि के दौरान निर्यात किए जाने की संभावना है।

118. आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण है और देश में आधारिक विकास के लिए इसे रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के स्तर को समाजार्थिक विकास तथा देश के लोगों के रहन-सहन स्तरों का एक महत्वपूर्ण संकेतक समझा जाता है। वर्ष 1999 में लगभग 25.3 कि.ग्राम के विनिर्मित इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के साथ में भारत का स्थान निम्नतम एक है और इसलिए इस्पात क्षेत्रक के विकास के लिए इसमें अपार क्षमता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान विनिर्मित इस्पात का उत्पादन लगभग 30.61 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.6 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 2002-2003 के पहले छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान इस्पात के उत्पादन ने 9.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाई है जबकि विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि में इसका उत्पादन (-)0.9 प्रतिशत था। गौण उत्पादकों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और इस समय यह कुल उत्पादन का लगभग 57 प्रतिशत है। वर्ष 2002-2003 के लिए सभी स्रोतों से विनिर्मित कार्बन इस्पात की कुल देशज उपलब्धता अनुमानतः 29.42 मिलियन टन है। वर्ष 2002-2003 के लिए विनिर्मित इस्पात का 2.80 मिलियन टन का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। तथापि, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक विशेष कोटि के इस्पात का आयात भी किया जा रहा है। 2001-2002 के दौरान विनिर्मित इस्पात की प्रत्यक्ष खपत 27.21 मिलियन टन थी जिसने विगत वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह उल्लेखनीय है कि विनिर्मित इस्पात की प्रत्यक्ष खपत ने बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित की है क्योंकि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू की गई थी किन्तु यह नौवीं योजना के अंत तक परिकल्पित स्तर प्राप्त नहीं कर सकी। इस्पात क्षेत्रक में कम वृद्धि का कारण अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से उद्योग में सामान्य मंदी विशेष रूप से इस्पात खपत वाले क्षेत्रकों में सामान्य मंदी, प्रमुख इस्पात बाजारों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में गिरावट; नए इस्पात बाजार विकसित करने में असमर्थता; प्रमुख आधाभूत परियोजनाओं में निवेश का अभाव; और आयात-निर्यात नीति के उदारीकरण के कारण लोहे और इस्पात पर आयात शुल्क में लगातार कटौती, कहा जा सकता है।

119. सीमेंट के एक बुनियादी निर्माण सामग्री होने की वजह से देश के आर्थिक विकास हेतु सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक अवस्थापना की वृद्धि और विकास के वास्ते एक स्वस्थ और क्रियाशील सीमेंट उद्योग अनिवार्य है। उद्योग में लगभग 1.35 लाख लोगों को सीधे ही रोजगार प्राप्त है, तथा मशीनरी निर्माण, सामग्री और सेवाओं के माध्यम से यह काफी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर रहा है। सीमेंट उद्योग ने, उत्पाद शुल्क (केन्द्र के उत्पाद शुल्क राजस्व का 5 प्रतिशत तक) और बिक्री कर के जरिए राजस्व के रूप में बड़ा योगदान

किया। भारत, विश्व में, चीन के बाद, दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। किन्तु, भारत में इसकी प्रति व्यक्ति खपत केवल लगभग 99 किलोग्राम है जबकि विश्व औसत 263 कि.ग्रा. है। (सर्वाधिक कोरिया के मामले में 1015 कि.ग्राम, उसके बाद ताईवान में 890 कि.ग्राम, जापान में 570 कि.ग्राम, मलेशिया में 506 कि.ग्राम और चीन में 450 कि.ग्राम)। सीमेंट उद्योग विगत दो दशकों के दौरान 8.4 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि कर रहा है और 148 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता के साथ यह उद्योग आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उद्योग ने 2001-2002 में 9.4 प्रतिशत की प्रशंसनीय वृद्धि दर्ज की जबकि पिछले वर्ष 1.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी किन्तु अर्थव्यवस्था के विकास में धीमेपन और निर्माण कार्यकलाप में सुस्ती के कारण सीमेंट की मांग में कमी आई है। सीमेंट उद्योग ने प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है और 2002-2003 के पहले छः महीने (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 3.4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई थी। सीमेंट उद्योग के सुधरे निष्पादन का कारण आवासन कार्यकलापों में निरंतर वृद्धि, सड़क निर्माण और सेतु निर्माण कार्यकलापों में बढ़ी मात्रा में कंक्रीट का उपयोग, कहा जा सकता है। चूंकि दसवीं योजना राष्ट्र के आधारभूत ढांचे को विशेष रूप से आवासन और ग्राम सड़क परियोजनाओं में, सुधारने पर काफी बल दिया गया है इसलिए न केवल सीमेंट उद्योग की वृद्धि और विकास की बल्कि आने वाले वर्षों में रोजगार अवसरों के सृजन में भी काफी गुंजाइश है।

परिवहन क्षेत्रक

120. सतत आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम परिवहन पद्धति एक पूर्वापेक्षा है। यह विकास प्रक्रिया के लिए न केवल एक प्रमुख अवसररचनात्मक निविष्टि है बल्कि यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उदार पद्धति के अंतर्गत, एक सक्षम परिवहन नेटवर्क, उत्पादकता बढ़ाने और विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। परिवहन पद्धति पिछड़े इलाकों के विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें व्यापार तथा निवेश अवसर प्रदान करके अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की परिवहन पद्धति में, अनेक विशिष्ट विधियां और सेवाएं सम्मिलित हैं। इनमें, रेलवे, सड़कें, सड़क परिवहन, बंदरगाह, अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय नौवहन, हवाई अड्डे और एयरलाइनें शामिल हैं। नियोजित विकास के प्रथम पचास वर्षों के दौरान इस क्षेत्रक ने विस्तार और क्षमता दोनों ही दृष्टियों से कई गुना वृद्धि की है।

121. किसी उभरती अर्थव्यवस्था के समाजार्थिक विकास के लिए बुनियादी आधारभूत निविष्टि एक अच्छा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में और व्यापार तथा निवेश के लिए पिछड़े तथा दूरवर्ती इलाकों को खोलने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा, सड़कों की हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों जैसे स्थलों तक संयोजन प्रदान करने के लिए अंतर माडल परिवहन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और ये दरवाजे से दरवाजे तक संयोजकता कायम करके पृष्ठप्रदेश के साथ इन केन्द्रों को जोड़ती भी हैं। सफर करने की गुणवत्ता और विद्यमानता सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता सुधारना, सड़क अनुसंधान के पुनर्गठन पर बल देना, चयनित उच्च घनत्व वाले गलियारों के लिए एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण और स्वर्ण घतर्भुज व उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों को मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को पूरा करना, दसवीं योजना के मुख्य ध्यातव्य क्षेत्र हैं।

122. 58,000 कि.मी. से अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के मुख्य परिवहन नेटवर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। वार्षिक योजना 2002-2003 में, कमियों को दूर करने; यथा गुम कड़ियों के निर्माण, निम्न

स्तरीय खंडों के सुधार, कमजोर पुलों के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण, उपमार्गों के निर्माण और एकल लेन को दो लेन और 4 लेन वाले बनाने पर बल दिया जाता रहेगा। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पिछड़े और दूरवर्ती इलाकों पर वर्ष के दौरान अधिक ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2002-2003 के दौरान, ग्रामीण संयोजकता और स्वर्ण चतुर्भुजीय कार्य को शीघ्र पूरा करने पर (2003 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है) बल देकर सड़क पद्धति को सुदृढ़ और उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, असंतोषजनक सफर जैसी कमियों को दूर करके राष्ट्रीय राजमार्ग को सुदृढ़ करने और राज्य राजमार्ग नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सड़क नेटवर्क के अनुरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि विद्यमान सड़क परिसंपत्तियों का समय के दौरान ह्रास न हो।

123. ग्राम संयोजकता, भारत में ग्राम विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्राम संयोजकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (पीएमजीएसवाई) नामक एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में न जुड़ी हुई बस्तियों तक, पूरे मौसम की सड़कों द्वारा संयोजकता कायम की जा सके, जैसे कि 1000 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को 2003 तक और 500 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को दसवीं योजना के अंत तक (2007) कवर किया जा सके। किंतु पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल) तथा मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में उद्देश्य 250 व्यक्ति और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ना है।

124. देश में सामान और यात्री ट्रैफिक की दुलाई के लिए सड़क परिवहन एक प्रमुख यातायात का साधन है। पिछले पचास वर्षों के दौरान इस क्षेत्रक ने पर्याप्त रूप से वृद्धि की है और इस अवधि के दौरान वाहनों की संख्या ने 12.61 प्रतिशत की मिश्रित वृद्धि दर दर्ज की है। बेड़ा उपयोग, वाहन उत्पादकता, स्टाफ उत्पादकता, ईंधन बचत आदि में काफी सुधार हुआ है। दसवीं योजना के दौरान, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहित करने तथा विनियंत्रण व प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को समाप्त करके निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के वास्ते और सड़कों पर दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने तथा उच्च क्षमता व बेहतर प्रौद्योगिकी के वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे ताकि सड़क परिवहन में परिवर्तन सड़क क्षेत्र में क्रांति के साथ-साथ चल सकें।

125. बंदरगाह क्षेत्रक में, देश के तट के साथ-साथ बारह बड़े बंदरगाह पत्तन ट्रैफिक के लगभग 75 प्रतिशत की हैंडलिंग करते हैं और शेष 25 प्रतिशत की हैंडलिंग छोटे/राज्य बंदरगाहों द्वारा की जाती है। नौवीं योजना के अंत में बड़े बंदरगाहों की क्षमता 343.95 मिलियन टन थी जो योजना अवधि के दौरान 124.85 मिलियन टन की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। बड़े बंदरगाहों में क्षमता वहन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, 2002-2003 के दौरान 18.60 मिलियन टन की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त होने की उम्मीद है। बड़े और छोटे बंदरगाहों द्वारा हैंडल किया जाने वाला ट्रैफिक मार्च 2002 के अंत में क्रमशः 291.10 मिलियन टन और 71.10 मिलियन टन था। बड़े और छोटे बंदरगाहों पर ट्रैफिक वृद्धि क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत थी। बंदरगाहों पर उत्पादकता, प्रति पोत बर्थ दिन औसत उत्पादन, औसत बर्थ-पूर्व प्रतीक्षा समय और औसत टर्न-राउंड समय में नौवीं योजना के दौरान सुधार दर्ज किया गया। औसत बर्थ-पूर्व प्रतीक्षा समय 1996-97 में 1.7 दिनों से घटकर 2000-2001 में 0.50 दिन रह गया। औसत टर्न एराउंड समय 1996-97 में 7.5 दिन से सुधरकर 2000-2001 में 4.7 दिन हो गया। प्रति पोत बर्थ दिन उत्पादन 1996-97 में 4497 टन से बढ़कर 2000-2001 में 6469 टन हो गया। श्रम उत्पादकता प्रति गैंग शिफ्ट उत्पादन की दृष्टि से 1997-98 में 307 टन से बढ़कर 2000-2001 में 413 टन हो गई।

126. वार्षिक योजना 2002-2003, दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना; संगठनात्मक परिवर्तनों पर अमल करना - प्रबंध कार्यकुशलता हेतु निगमीकरण, संस्थागत वित्तपोषण तथा निजी निवेश को आकर्षित करना; बड़े गेटवे पत्तन स्थापित करना और सक्षम रेल और सड़क सेवाओं के माध्यम से अंतर माडल संयोजन की व्यवस्था करना; प्रबंधन पैमाने को युक्तिसंगत बनाना; और बड़े पत्तनों के टैरिफ प्राधिकरण को एक अपीलीय निकाय बनाना और इसके क्षेत्राधिकार के तहत सभी पत्तनों को लाकर इसका विस्तार करना शामिल है। दसवीं योजना में 415 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक का लक्ष्य है तथा बड़े पत्तनों पर 2002-2003 तक 296.35 मिलियन टन ट्रैफिक का अनुमान है। नौवीं योजना में 76 मिलियन टन तक की क्षमता अभिवृद्धि के साथ 8,000 करोड़ रुपए के निजी क्षेत्र/कैप्टिव उपभोक्ता निवेश की परिकल्पना की गई थी। 3480.20 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 60.05 मिलियन टन क्षमता की सत्रह निजी क्षेत्र/कैप्टिव पत्तन परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा ये निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। 3608.20 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नौ और निजी क्षेत्र/कैप्टिव उपभोक्ता पत्तन परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

127. 12 बड़े और 184 लघु/मध्यवर्ती पत्तनों से भरपूर देश की 5560 कि.मी. तटरेखा के साथ नौवहन क्षेत्रक का विशेष महत्व है। मात्रा की दृष्टि से भारत का 90 प्रतिशत समुद्रपार व्यापार और मूल्य की दृष्टि से 68 प्रतिशत व्यापार समुद्र से होता है। भारत के समुद्रपार व्यापार में भारतीय फ्लैग का हिस्सा विगत कुछ वर्षों के दौरान लगभग 30 प्रतिशत के ईर्द-गिर्द चल रहा है। नौवीं योजना के लिए 9 मिलियन सकल टनेज (जीटी) के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि केवल 6.91 मिलियन की रही। टनेज अधिप्राप्ति में धीमी प्रगति का मुख्य कारण है: अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों का अभाव; विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने में कठिनाइयां; विद्यमान मंद बाजार स्थितियां और निम्न चार्टर/मात्रा दरें, विशेष रूप से शुष्क-थोक और लाइन (सैक्टर में); और व्यापार पद्धति में काफी परिवर्तन जिनकी वजह से भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) को अपनी बहुत परियोजनाएं छोड़ देने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारतीय नौवहन के लिए अपनी भूमिका अदा करने को निश्चित करने के वास्ते टनेज कर व्यवस्था अपनाना; कार्गो समर्थन के लिए वर्तमान नीति को जारी रखना और एलएनजी तक इसका विस्तार करना; तटीय पोतों के लिए कम कठोर निर्माण, सर्वेक्षण लोडलाइन और सुरक्षा आवश्यकताएं निर्धारित करना; और तटीय पोतों के लिए प्रबंध पैमाने को संशोधित करना इस क्षेत्रक में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र होंगे। दसवीं योजना में 7.71 एमटी बेड़ा अधिप्राप्त करने का लक्ष्य परिकल्पित है तथा भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) का प्रस्ताव 2002-2003 में 2 कैपसाइज बल्क कैरियर; 1 अफ्रामेक्स टैंकर; 2 वीएलसीसी; 2 अफ्रामेक्स टैंकर (पुराने); और 2 एलआर-1 उत्पाद कैरियर प्राप्त करने का है।

128. एक ऊर्जा बचत, पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ और यातायात का एक किफायती तरीका होने की वजह से अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) की यात्री और सामान ढुलाई, अंतर माडल संयोजकता कायम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के जलमार्गों की एक समृद्ध देन है जिसमें नदियां और नहर शामिल हैं। अनुमान है कि जलमार्गों के कुल 14,544 कि.मी. का उपयोग यात्री और माल ढुलाई के लिए किया जा सकता है। किन्तु इस क्षेत्रक की क्षमता का बहुत अल्प उपयोग हो रहा है क्योंकि अधिकांश पोतयोग्य जलमार्ग उथले जल और शुष्क मौसम के दौरान मार्गों की कम चौड़ाई, नदी तल में गाद तथा किनारों के कटाव लोडिंग और बर्थिंग के लिए टर्मिनलों और सतही सड़क संयोजनों जैसे संकटों से ग्रस्त हैं। 2002-2003 के दौरान आईडब्ल्यूटी द्वारा ट्रैफिक ढुलाई के लिए 2,03,100 टन का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। अंतर्देशीय जल परिवहन नीति में, दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-2003 में, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रोत्साहनों की

व्यवस्था की गई है। संयुक्त उद्यमों और बीओटी परियोजनाओं के माध्यम से अंतर्देशीय जल गतिविधियों के पूरे कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

129. भारतीय रेलवे, लगभग 63,000 मार्ग कि.मी. के नेटवर्क के साथ विश्व में एक सबसे बड़ी रेल पद्धति की व्यवस्था करती है तथा यह लम्बे परिवहन वाले भारी माल दुलाई, लम्बी दूरी के यात्री ट्रैफिक और उप-नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तीव्र आवागमन (मास रेपिड ट्रांजिट) के लिए यातायात का प्रमुख साधन है। भारतीय रेलवे ने, राष्ट्रीय एकता और व्यापार तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने राष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन और खपत केन्द्रों के बीच एक अनिवार्य कड़ी कायम की है। यद्यपि रेलवे ने नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान यात्री ट्रैफिक के लिए लक्ष्य को पार कर लिया किन्तु जहां तक माल दुलाई का संबंध है, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में 36 मिलियन टन तक की कमी रही। माल दुलाई में गिरावट का कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्तियों का होना है। दसवीं योजना के कुछेक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं - टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना; ट्रेकों में सुधार करने, सिग्नलिंग और संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन; रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र निवेश आकर्षित करने के लिए उपाय करना; रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना और रेलवे सुरक्षा पर बल देना। वर्ष 2002-2003 के लिए 510 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल दुलाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान परिकल्पित कुछेक महत्वपूर्ण रेलवे कार्यक्रम हैं - 542 कि.मी. गेज परिवर्तन, 4000 कि.मी. ट्रेक नवीकरण, 374 कि.मी. विद्युतीकरण और 214 कि.मी. नई लाइनों का निर्माण। वर्ष 2002-2003 के दौरान 17,000 वैगन (4 पहिए वाले), 90 डीजल इंजन, 69 विद्युत इंजन और 1450 यात्री कोच प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है।

130. यात्री और कार्गो ट्रैफिक की दुलाई के लिए नागरिक विमानन एक सबसे तेज यातायात का साधन है तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकास/परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने काफी हद तक एयरलाइनों के वाणिज्यिक कार्यकलापों से अपने आपको अलग रखा; नागरिक विमानन क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भूमिका में वृद्धि को प्रोत्साहित किया ताकि संसाधन अंतर को पाटा जा सके और प्रबंधन में और अधिक कार्यकुशलता लाई जा सके और दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकता स्थित विद्यमान हवाई अड्डों का पुनर्गठन किया जा सके। दसवीं योजना में नागरिक विमानन क्षेत्रक के विकास का मुख्य उद्देश्य विश्व श्रेणी की आधारभूत सुविधाएं तथा देशज, विदेशी व्यापार और पर्यटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम, सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई सेवाएं प्रदान करना है। नई प्रौद्योगिकी और प्रबंध विशेषज्ञता आकर्षित करने के उद्देश्य से देशज और अंतर्राष्ट्रीय कैरियरों में विदेशी इक्विटी का हिस्सा बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी से मेट्रो हवाई अड्डों का पुनर्गठन करना दसवीं योजना के कुछेक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

131. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक एक प्रमुख समर्थन सेवा दूरसंचार है। हाल ही के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के अपार विकास और शेष अर्थव्यवस्था पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव का कारण यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, दसवीं योजना नीतियों और कार्यक्रमों में उचित दरों पर विश्व स्तरीय दूरसंचार अवस्थापना का बुनियादी लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करना, त्वरित आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने का एक अन्य प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र होगा। वर्ष 2002-2003 के अंत तक अधिकांशतः मांग पर

टेलीफोन उपलब्ध कराने और इसे बाद में भी बनाए रखने का प्रयास करना; देश के सभी गांवों को दिसम्बर, 2002 तक दूरसंचार कवरेज प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संप्रेषण माध्यम प्रदान करना और प्रति 100 आबादी के पीछे 4.4 टेलीफोन के वर्तमान स्तर की बजाए समग्र रूप से 9.91 दूरघनत्व प्राप्त करना दसवीं योजना के लिए परिकल्पित कुछेक प्रमुख लक्ष्य हैं। 1999 में घोषित नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) में, विश्व में इस क्षेत्रक में हो रहे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय विकासों और भारत को एक विश्व सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने के सरकार के संकल्प को ध्यान में रखा गया है।

132. आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) स्पेक्ट्रम पर अत्यधिक निर्भर है, 'दूरसंचार क्षेत्रक सुधार तकनीकी सहायता परियोजना' नामक एक परियोजना शुरू की गई है जिसके 2004 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए परिकल्पित प्रमुख भौतिक लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं - 69.83 लाख नए कनेक्शनों की व्यवस्था करना; लोकल लूप लाइनों में 13.43 लाख सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 5.34 लाख और 31.37 लाख जिओ-सिंक्रोनस मोबाइल (जीएसएम) लाइनें; 11.47 लाख ट्रंक आटो एक्सचेंज (टीएएक्स) लाइनें और 2.18 लाख ग्राम पब्लिक टेलीफोन की व्यवस्था करना। दूरसंचार क्षेत्रक को अगले लगभग एक दशक के लिए आधारभूत क्षेत्रक के रूप में समझा जाना चाहिए जिससे कि नई दूरसंचार नीति 1999 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप दूरघनत्व के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) के माध्यम से सृजित यूनिवर्सल सर्विस आब्सीगेशन (यूएएल) के अंतर्गत एक नई यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पालिसी (यूएसएसपी) 2002-2003 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य निवल उच्च लागत ग्रामीण दूरवर्ती क्षेत्रों में पब्लिक एक्सेस अथवा सामुदायिक और अलग-अलग दोनों प्रकार के परिवार टेलीफोनों के लिए सहायता प्रदान करना है।

133. संचार पद्धति के विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक कुशल डाक पद्धति महत्वपूर्ण है और यह आधुनिक संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में तेजी से उभर रही है। भारतीय डाक पद्धति लगभग 1.55 लाख डाकघरों के साथ विश्व में सबसे बड़ी पद्धति है। कुल डाकघरों में से 83 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने के कारण डाक पद्धति संसाधन जुटाने में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंप्यूटरीकरण और संयोजकता को दसवीं योजना के लिए एक प्रमुख कार्यकलाप विनिर्धारित किया गया है। वहनीय कीमतों पर डाक सेवाएं प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के समान सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना दसवीं योजना के लिए डाक क्षेत्रक के संबंध में परिकल्पित अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। दसवीं योजना अंत तक डाक सेवाओं को स्ववित्तपोषी बनाने की परिकल्पना की गई है। वार्षिक योजना 2001-2002 में, ई-पोस्टस और ई-बिल पोस्टस की नई सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत करना - किए गए दो अन्य उपाय थे। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान, नेटवर्किंग और कंप्यूटरीकरण सहित डाक कामकाज को आधुनिक बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दसवीं योजना के लिए परिकल्पित सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विभिन्न निविष्टियों की व्यवस्था करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की योजना है।

134. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक के लिए अधिकाधिक रूप से एक प्रमुख प्रौद्योगिकीय ढांचा बनती जा रही है। साफ्टवेयर उद्योग विगत 5 वर्षों में (नौवीं योजना अवधि) 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि और 10.25 बिलियन अमरीकी डालर के कारोबार (48134 करोड़ रुपए) और 2001-2002 के दौरान 7.8 बिलियन अमरीकी डालर (36500 करोड़ रुपए) के निर्यात के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि करने वाला एक क्षेत्रक बन गया है। नौवीं योजना अवधि के दौरान साफ्टवेयर निर्यात ने लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि

दर्ज की। वर्ष 2001-2002 के दौरान साफ्टवेयर उद्योग में 28 प्रतिशत की और हार्डवेयर उद्योग में सात प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह वास्तव में सराहनीय है कि आई टी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग ने लगभग 28 प्रतिशत की अपनी शानदार वृद्धि को उचित रूप से बनाए रखा जबकि हार्डवेयर उद्योग 2001-2002 के दौरान मांग के अनुसार गति बनाने में समर्थ नहीं रहा। उद्योग ने, विश्व को उच्च कोटि के समाधान प्रदान करने में अपनी गुणवत्ता कायम की है। आईटी समर्थित सेवाएं, भारतीय आईटी उद्योग के लिए विकास के एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभरी हैं। भारत को एक आई टी महाशक्ति बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार विकास में तेजी लाने के वास्ते एक सुविधा प्रदानकर्ता तथा उत्प्रेरक की अपनी भूमिका निभानी जारी रखेगी।

135. प्रमुख उद्देश्य तथा वे प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र जहां दसवीं योजना में आईटी क्षेत्र में कदम उठाने का प्रस्ताव है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं - एक विस्तृत राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति का निर्माण; साफ्टवेयर निर्यात के लिए तेज विपणन, नए उभरते बाजारों पर बल का विस्तार सहित, जिससे कि ब्रांड इक्विटी के विकास के माध्यम से दीर्घावधिक सतत विकास सुनिश्चित हो सके; व्यापक ढंग से ई-अधिशासन का कार्यान्वयन, आईटी को दैनिक जीवन में वहनीय, स्वीकार्य और उपयोगी बनाकर इसका उपयोग प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उत्पाद गुणवत्ता सुधारने, उत्पादों और सेवाओं की लागत कम करने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन तथा "मीडिया लैब एशिया कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जरूरतों के वास्ते आईटी का प्रयोग। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) इस क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को सुविधाजनक और समन्वित कर रहा है। क्षेत्रों के समाजार्थिक विकास के लिए सात उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में 487 ब्लाकों में सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सीआईसी) की स्थापना (यह परियोजना अगस्त, 2002 में शुरू की गई थी); एक व्यापक राष्ट्रीय हार्डवेयर उत्पादन विकास नीति का निर्माण और देश में ई-अधिशासन को कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक स्कीम कुछेक प्रमुख उपाय हैं जिन्हें वर्ष 2002-2003 के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

136. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को देश में आर्थिक और सामाजिक विकास प्रोत्साहित और उसे सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। पिछले वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है और देश अब वि. तथा प्रौ. संस्थानों का एक सुदृढ़ नेटवर्क, प्रशिक्षित जनशक्ति और नवीन ज्ञान आधार का गर्व महसूस कर सकता है। तीव्र वैश्वीकरण, तेजी से गिरते भौतिक संसाधनों, राष्ट्रों के बीच बढ़ती आर्थिक प्रतियोगिता और बौद्धिक संपदा को प्रक्षेपित करने की बढ़ती जरूरत का देखते हुए, एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर दसवीं योजना के दौरान ध्यान दिए जाने की जरूरत है वह है प्रौद्योगिकी सृजन हेतु अनुप्रयोगोन्मुखी अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करना; मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहित करना; पूर्वानुमानों के लिए वि. और प्रौ. का अनुसंधान और प्रयोग प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक संकटों का निवारण और उन्हें न्यून करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाले विकासों को राष्ट्रीय कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में एकीकृत करना और आजीविका, रोजगार सृजन में सुधार करने के लिए उसका उपयोग; पर्यावरणीय संरक्षण और परिस्थिति की सुरक्षा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां की हैं जिनमें अप्रैल, 2001 में जिओ-सिक्रोनस सेटलाइट लांच वेहिकल (जीएसएलवी) का सफल प्रथम परीक्षण उड़ान, जिसने उपग्रहों को जिओ-सिक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट में स्थापित करने की भारत की क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया; अक्टूबर, 2001 में पीएसएलवी- सी3

का प्रक्षेपण, जिसके द्वारा तीन उपग्रहों यथा इंडियाज टेक्नोलॉजी एक्सपेरीमेंट सेटेलाइट (टीईएस), बेल्जियम 'प्रोबा' और जर्मन 'बर्ड' को उनके संभावित पोलर सन-सिंक्रोनस आर्बिट में स्थापित किया गया; और जनवरी, 2002 में इनसेट-3 सी का प्रक्षेपण, जिसमें 33 ट्रांसपोंडर 'सी' में, विस्तारित सी और 'एस' बैंड में ले जाए गए। नई रिएक्टर पद्धतियों के विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है जिनमें थोरियम के विशाल भंडारों के प्रजनन (ब्रीडिंग) और दोहन की क्षमता है। जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान के फलस्वरूप एचआईवी, हैपेटाइटिस सी, डेंगू, जापानी एनसेफालिटिस, अल्फाफेटो-प्रोटीन, हैपेटाइटिस-ए, पुनरुत्पादक हार्मोनों के लिए नैदानिक किटों हेतु प्रौद्योगिकी उद्योगों में हस्तांतरित करने में सफलता मिली और बनाना बंची टोप वायरस को मानवों में उपयोग हेतु रीकोम्बिनेंट केन्डीडेट एंथ्रेक्स वैक्सीन को एक उद्योग द्वारा उन्नत बनाया जा रहा है। इसके अलावा, जैव-उर्वरकों, प्लांट शिशु कल्चर प्रोटोकॉलों और बायो-रेमेडियन प्रौद्योगिकियों के लिए अनेक पैकेज उद्योगों को वाणिज्यिकरण के लिए भी दिए गए हैं। बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं जिनमें पपाया में नर विशिष्ट भिन्नताएं पता लगाने के लिए डीएनए मार्करों का विकास; संश्लेषण की विद्यमान पद्धतियों के अनुरूप एक बहुमुखी यूनिवर्सल पालीमर सपोर्ट का विकास; एक नई पौधा आधारित मलेरिया-रोधी औषधि "ई-माल" जिसमें तीव्र और थोड़े समय में ज्वर दूर करने की क्षमता है, और इसके साथ ही एक नई औषधि बार-बार होने वाले मलेरिया के उपचार के लिए "बुलाक्युइन" जिसका कोई कुप्रभाव नहीं है जैसाकि प्राइमाक्यूइन के साथ देखा गया था; अस्थमा के उपचार के लिए एक नई जड़ी-बूटी औषधि "अस्मोन" जिसे व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली है; एक जड़ी-बूटी हेपाटो-प्रोटेक्टिव सूत्र जिसमें 18 जड़ियां शामिल हैं और जो वाणिज्यिकरण के लिए तैयार है तथा तीन हर्बल क्रीम जो फटी एडियों, घट्टा एकजीमा के उपचार और प्रसाधन उपयोगों के लिए लाभदायक है। वास्तविक समय घड़ी को स्वतः ही ठीक करने के वास्ते नेशनल फिजिकल लेबोरटरी आटोमेटिक क्लॉक के साथ पी.सी. को टेली-कनेक्ट करने के लिए एक साफ्टवेयर का विकास किया गया है।

137. दसवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च टेक उत्पादों के निर्यात और प्रौद्योगिकियों के निर्यात तथा मानव कल्याण उन्मुखी प्रौद्योगिकियों पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों तथा ऊर्जा, परिवहन, संचार और आवासन जैसे आधारभूत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रमुख विनिर्धारित मिशन मोड कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पद्धति (एनएनआरएमएस) को कार्यरूप देना भावी पीढ़ी के प्रेक्षण यानों के लिए प्रौद्योगिकी विकास, सभी मौसमी दूरवर्ती संवेदी प्रौद्योगिकी का विकास और शिक्षा व स्वास्थ्य आदि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग शामिल है। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों की योजनाओं और कार्यक्रमों का दसवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण और नीति के साथ पुनर्गठन किया गया है जिसमें बुनियादी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और प्रसार, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उनके सृजन सहित, दक्ष और प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास और अंतरिक्ष, नाभिकीय तथा समुद्रीय विज्ञानों और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सामाजिक लाभ हेतु प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करना शामिल है।

वन और पर्यावरण

138. पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक विकास और संधारणीयता में वन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, और जीवन समर्थन पद्धतियों का अनुसंधान करते हैं जो संसार में जीने के लिए जरूरी हैं। वे ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लगभग 40 प्रतिशत की और देश की चारे की जरूरतों के 30 प्रतिशत की पूर्ति करते हैं। किन्तु गहन रूप से बदलती हुई खेती, लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, चारे व अन्य वन उत्पादों के लिए

मनमाने ढंग से व अत्यधिक दोहन, वन अग्नियों और अनधिकृत कब्जों के कारण देश के वन संसाधनों पर अत्यंत दबाव पड़ रहा है जिनकी वजह से वनों का कटाव और अवनयन हुआ है ।

139. वन विकास में मुख्य चिंताओं और बाधाओं में, वनों की बहुमुखी भूमिका और लाभों के बारे में चेतनता का अभाव, विशेष रूप से सूखे से बचाव और मृदा व पानी के बहाव को रोकने में उनकी भूमिका के बारे में, लोगों की आजीविका सुरक्षा और प्रबंधन के बीच किसी प्रकार का तालमेल न होना, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, अपर्याप्त अनुसंधान और विस्तार, दोहन और संसाधन में बरबादी, बाजार विकृतियां, सरकार की भागीदारी और एनजीओ सहभागिता, निजी क्षेत्र भागीदारी का अभाव, लोगों द्वारा उगाए गए वन उत्पाद का परियहन और विपणन तथा वन प्रशासन की विरोधाभासी भूमिकाएं शामिल हैं । अनेक वन उत्पादों और सेवाओं के संबंध में विवादास्पद मांगों के कारण वन और जैव-विविधता संरक्षण का समाधान जटिल है ।

140. जन भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर वानिकी के विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए विद्यमान नीति, नियमों और विनियमों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है । स्त्रियां, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की स्त्रियां अपनी उत्तरजीविता जरूरतों को पूरा करने और साथ ही आय सृजन के लिए वनों पर निर्भर हैं । महिलाओं के पारंपरिक भोगाधिकारों को संरक्षित रखने तथा महिलाओं के समूहों को लकड़ी से इतर वन उत्पादों (एनटीएफपी) को एकत्रित करने और बेचने में समर्थ बनाना न केवल महिलाओं की अधिकारिता की दृष्टि से बल्कि वनों के नवीकरण के लिए भी एक व्यवहार्य और किफायती नीति सिद्ध हुई है । महिलाओं को प्रबंधकों, खाद्य एकत्रकर्ताओं, मजदूरी अर्जकों और उत्पादकों के रूप में स्वीकार करना और मान्यता देना महत्वपूर्ण है । इसी समझ के आधार पर विकास नीतियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

141. राष्ट्रीय वन नीति में यह विनिर्धारित किया गया है कि देश का एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र वन/वृक्ष कवर के अंतर्गत लाया जाना चाहिए । इस अनिवार्यता को दसवीं पंचवर्षीय योजना में उभारा गया है और वानिकी क्षेत्रक के भावी विकास के लिए योजना में; वन और वृक्ष कवर को 2007 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाना, 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना शामिल है; आजीविका सुरक्षा और रोजगार सृजन की व्यवस्था करने के लिए वनों को सीमाओं पर या उनके अंदर स्थित सभी 1.70 लाख गांवों को कवर करने के लिए संयुक्त वानिकी प्रबंधन (जेएफएम) विकास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आश्रय पेटी बागान को प्रोत्साहन देना शामिल है ।

142. बढ़ती आबादी, बड़ी मात्रा में मशीनीकरण और ऊर्जा उपयोग में पर्याप्त वृद्धि के कारण ऐसे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की संधारणीयता को प्रभावित करते हैं । वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों में तेजी से वृद्धि, भू अवनयन, अधिकाधिक बाढ़ और सूखे, कमजोर पारि-पद्धतियों की बिगड़ती हुई स्थितियां, वनों की कटाई, जैव-विविधता की हानि और पर्यावरणीय प्रदूषण गंभीर वैश्विक चिंता के विषय बन गए हैं । इन लक्षणों का कुल मिलाकर प्रभाव के फलस्वरूप ओजोन परत में गिरावट आने, जलवायु बदलने, समुद्रीय स्तर के ऊंचा उठने और प्राकृतिक संसाधनों की हानि होने और अंततः पारिस्थितिकीय संकट पैदा होने की संभावना है जिससे विकास हेतु आजीविका विकल्प प्रभावित होंगे और जीवन की कोटि में कुल मिलाकर हास आएगा ।

143. यद्यपि दसवीं योजना, में चालू स्कीमों को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा जैसे कि निवारक नीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन; खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग और प्रबंधन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए

खतरनाक पदार्थ प्रबंधन; राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसके अंतर्गत प्रमुख नदियों के प्रदूषित खंड सफाई और उपचार के लिए विनिर्धारित किए गए हैं; गाद और प्रदूषण के उच्च स्तरों वाली महत्वपूर्ण शहरी झीलों की सफाई के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और लघु उद्योग इकाइयों के समूह के लिए सामान्य निस्सारी उपचार संयंत्रों की स्थापना, किन्तु कुछ नए कार्यक्रम/स्कीम प्रारंभ करना भी जरूरी समझा गया है। योजना में मानीटरनयोग्य लक्ष्यों - 2007 तक प्रमुख प्रदूषित नदियों की सफाई व 2012 तक अन्य अधिसूचित खंडों की सफाई पर भी प्रकाश डाला गया है।

144. यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आनुभाविक साक्ष्य है कि पर्यावरणीय संरक्षण का कार्य आर्थिक विकास के साथ-साथ चलना चाहिए क्योंकि किसी भी आर्थिक विकास से, जिससे पर्यावरण का विनाश होता है, अधिक गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियां पैदा होंगी और इस प्रकार इसे एकसमान आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। पर्यावरणीय विनाशकारी आर्थिक विकास से गरीब और अधिक गरीब हो जाएंगे और उनकी आजीविका संसाधन आधार समाप्त हो जाएगा। इसलिए विकासशील विश्व में पर्यावरणीय चिंता "सुंदर वृक्षों और चीतों" से आगे जानी चाहिए और इसे लोगों के जीवन व कल्याण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। भारत के सम्मुख पर्यावरणीय समस्याएं समृद्ध देशों से भिन्न हैं और प्रकृति से ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि वे लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए भयावह हैं। वायु का प्रदूषण, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, नम भूमियों का संकुचन, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, बढ़ती जल दुर्लभता, गिरता हुआ भू-जल स्तर, नदियों में न्यूनतम प्रवाह का अभाव और सिंचाई के प्रयोजनों हेतु भू-जल की अधिक निकासी कुछेक पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनका किसी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के सफल होने से पहले, प्रथमतः निदान किया जाना चाहिए। अंतिम विश्लेषण के तौर पर पर्यावरणीय प्रबंधन और आर्थिक विकास एक ही कार्यसूची के परस्पर समर्थनकारी पहलू होने चाहिए। असंतोषजनक पर्यावरण व विकास की अवेहलना होती है जबकि अपर्याप्त विकास से पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संसाधनों का अभाव पैदा होता है।

अनुबंध 1.1

कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की क्षेत्रवार संवृद्धि
(1993-94 कीमतों पर)

(प्रतिशत)

	क्षेत्रक	1997-98	1998-99	1999-00 (पी)	2000-01 (आर.ई)	2001-02 (क्यू.ई)	2002-03 (अप्रैल-जून)
1	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	-1.9	7.2	1.3	-0.2	5.7	4.4
2	खनन और उत्खनन	9.0	-0.5	2.0	3.3	1.8	5.3
3	विनिर्माण	4.0	3.6	4.2	6.7	2.8	3.8
4	बिजली, गैर और जल आपूर्ति	7.2	7.9	6.1	6.2	4.6	5.3
5	निर्माण	10.3	5.7	8.1	6.8	3.6	6.3
6	व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार	5.8	8.1	7.7	5.3	6.2	7.4
7	वित्तीय सेवाएं	11.8	6.1	10.6	2.9	7.8	9.7
8	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	12.2	10.9	11.6	6.0	5.9	5.6
	कुल जी.डी.पी.	4.8	6.6	6.1	4.0	5.4	6.0

पी = अंतिम क्यू.ई. = तुरंत अनुमान आर.ई. = संशोधित अनुमान
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

मौद्रिक समुच्चयों में भिन्नताएं

(प्रतिशत)

	मद	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03 (अप्रैल-जून)
I	नैरो मनी (एम 1)	11.3	15.4	10.6	11.0	11.4	4.0
II	ब्राड मनी (एम 3)	18.0	19.4	14.6	16.8	14.2	7.7
III	एम 3 के घटक						
(क)	जनता के पास करेंसी	10.2	16.4	11.9	10.8	15.2	5.9
(ख)	मांग जमा	12.7	13.8	9.7	11.7	8.9	1.2
(ग)	मियादी जमा	21.5	19.9	16.4	16.4	17.4	5.1
IV	एम 3 के स्रोत						
(क)	सरकारी क्षेत्र को निवल बैंक क्रेडिट	14.5	17.1	14.1	16.1	15.0	7.7
(ख)	वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक क्रेडिट	15.1	13.2	18.3	15.4	11.8	7.5
(ग)	बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	30.9	28.0	15.6	13.2	40.0	9.7

स्रोत: भा.रि.बैंक वार्षिक रिपोर्ट

नौवीं योजना (1997-2002) और दसवीं योजना हेतु
केन्द्रीय क्षेत्रक योजना परिव्यय तथा व्यय

(रुपए करोड़)

	विकास शीर्ष	नौवीं योजना (1997-2002) (1996-97 कीमतों पर)		नौवीं योजना का प्रतिशत	दसवीं योजना आबंटन (2002-07) (2001-02 कीमतों पर)
		परिव्यय	व्यय *		
	1	2	3	4	5
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	14876	12693	85	21068
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2291	1454	63	3600
3	ग्राम विकास	42278	21634	51	79724
4	ऊर्जा	153807	101587	66	318183
5	उद्योग और खनिज	51664	29349	57	40372
6	परिवहन	81791	74907	92	147448
7	संचार	47249	61600	130	98956
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	15449	11200	72	27570
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6279	4250	68	11087
10	सामाजिक सेवाएं	72284	79465	110	139002
11	सामान्य सेवाएं	1393	1111	80	6173
	जोड़	489361	399253	82	893183

*1997-2001 (वास्तविक) और 2001-02 (सं.अ.) सम्मिलित है ।

अनुबंध 1.4

नीवीं और दसवीं योजना के दौरान विकास शीर्षों के अनुसार बजटीय समर्थन

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	नीवीं योजना व्यय 1997-2002	प्रतिशत आबंटन	दसवीं योजना आबंटन (2001-02 कीमतों पर)	2002-03 ब.अ. (चालू कीमतों पर)
	1	2	3	4	5
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	11382	6	21068	3633
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1457	1	3600	443
3	ग्राम विकास	21698	12	79724	6421
4	ऊर्जा	17620	10	51600	5178
5	उद्योग और खनिज	11038	6	11786	3196
6	परिवहन	30684	17	65350	14212
7	संचार	1264	1	7944	335
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	10065	6	27570	4414
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3751	2	10587	1783
10	सामाजिक सेवाएं	67862	38	120333	26823
11	सामान्य सेवाएं	1292	1	6173	434
	कुल	178113	100	405735	66872

राज्य योजना व्यय - नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान अनुमोदित व्यय से भिन्नता

(रुपए करोड़)

	राज्य	नौवीं योजना (1996-97 कीमतों पर)		प्रतिशत भिन्नता
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक [⊗] व्यय	
	1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	24187	23008	-5
2	अरुणाचल प्रदेश	2645	2137	-19
3	असम	6749	5943	-12
4	बिहार	12693	9159	-28
5	छत्तीसगढ़*	973	973	0
6	गोआ	1302	1198	-8
7	गुजरात	25704	21155	-18
8	हरियाणा	8433	6616	-22
9	हिमाचल प्रदेश	5872	6530	11
10	जम्मू व कश्मीर	7436	6464	-13
11	झारखंड*	1669	1669	0
12	कर्नाटक	20667	25474	23
13	केरल	12877	11655	-9
14	मध्य प्रदेश	16176	14434	-11
15	महाराष्ट्र	45003	38690	-14
16	मणिपुर	1884	1491	-21
17	मेघालय	1826	1489	-18
18	मिजोरम	1476	1444	-2
19	नागालैंड	1349	1237	-8
20	उड़ीसा	12088	9909	-18
21	पंजाब	10484	8779	-16
22	राजस्थान	17022	16430	-8
23	सिक्किम	1036	925	-11
24	तमिलनाडु	20935	20527	-2
25	त्रिपुरा	1981	1888	-5
26	उत्तर प्रदेश	38396	24518	-36
27	उत्तरांचल**	1376	1376	0
28	पश्चिम बंगाल	22188	17537	-21
	कुल	325327	282655	-13

* केवल 2001-02 (सं.अ.) शामिल हैं।

** केवल 2000-01 (वास्तविक) और 2001-02 (सं.अ.) शामिल है।

⊗ 1997-2001 (वास्तविक) और 2001-02 (सं.अ.) शामिल है।

नीदी और दसवीं योजनाओं के दौरान राज्य योजना परिव्यय/व्यय

(रुपए करोड़)

	राज्य	नीदी योजना (1997-2002)		नीदी योजना का प्रतिशत	दसवीं योजना परिव्यय
		परिव्यय	व्यय		
		(1996-97 कीमतों पर)		(2001-02 कीमतों पर)	
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	25150	23008	91	46614
2	अरुणाचल प्रदेश	3570	2137	60	3888
3	असम	8984	5943	66	8315
4	बिहार	16680	9159	55	21000
5	छत्तीसगढ़	-	973@	लागू नहीं	11000
6	गोआ	1500	1198	80	3200
7	गुजरात	28000	21155	76	40007
8	हरियाणा	9310	6616	71	10285
9	हिमाचल प्रदेश	5700	6530	115	10300
10	जम्मू व कश्मीर	लागू नहीं	6464	लागू नहीं	14500
11	झारखंड	-	1669 @	लागू नहीं	14633
12	कर्नाटक	23400	25474	109	43558
13	केरल	16100	11655	72	24000
14	मध्य प्रदेश	20075	14434	72	26190
15	महाराष्ट्र	36700	38690	105	66632
16	मणिपुर	2427	1491	61	2804
17	मेघालय	2501	1489	60	3009
18	मिजोरम	1619	1444	89	2300
19	नागालैंड	2006	1237	62	2228
20	उड़ीसा	15000	9909	66	19000
21	पंजाब	11500	8779	76	18657
22	राजस्थान	22526	16430	73	27318
23	सिक्किम	1600	925	58	1656
24	तमिलनाडु	25000	20527	82	40000
25	त्रिपुरा	2577	1888	73	4500
26	उत्तर प्रदेश	46340	24518	53	59708
27	उत्तरांचल	-	1376#	लागू नहीं	7630
28	पश्चिम बंगाल	16900	17537	104	28641
	कुल	345164*	282655	82	561573

@ केवल 2001-02 (सं.अ.) शामिल है।

केवल 2000-01 (वास्तविक) और 2001-02 (ब.अ.) शामिल है।

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर

नीची योजना और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान आधारभूत उद्योगों की उपलब्धि

	उद्योग का नाम	लक्ष्य की औसत प्रतिशतता	2002-03 अप्रैल-अगस्त
	1	2	3
1	कोयला	100.1	102.5
2	विद्युत उत्पादन	99.0	98.1
	2.1 पन बिजली	96.0	86.9
	2.2 ताप (नाभिकीय सहित)	99.6	112.3
3	कच्चा पेट्रोलियम	97.4	100.8
4	रिफाइनरी श्रुपुट	95.2	96.1
5	बिक्री योग्य इस्पात (एकीकृत संयंत्र)	92.0	97.6
6	सीमेंट	98.6	105.9

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नीवी योजना (2 अंकीय स्तर) और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान
औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि

(आधार वर्ष 1993-94)

उद्योग	विवरण	भार	वार्षिक वृद्धि नीवी योजना के दौरान	2002-03 अप्रैल-जून
1	2	3	4	5
20-21	खाद्य उत्पादन	90.83	3.3	6.2
22	पेय पदार्थ तम्बाकू और संबद्ध उत्पाद	23.82	10.9	15.5
23	सूती कपड़ा	55.18	0.7	-3.3
24	ऊन, रेशम और मानव निर्मित रेशे (सूती वस्त्र को छोड़कर)	22.58	7.8	-3.8
25	जूट व अन्य वनस्पति रेशे वस्त्र	5.9	0.6	4.1
26	कपड़ा उत्पाद (पोशाक सहित)	25.37	2.5	18.8
27	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और सज्जा	27.01	-6.8	-14.5
28	कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण, प्रकाशन व संबद्ध उद्योग	26.52	5.1	3.2
29	चर्म और चर्म तथा फर उत्पाद	11.39	8.0	-2.4
30	बुनियादी रसायन और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर)	140.02	10.8	7.9
31	रबड़ प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	57.28	7.2	0.3
32	अ-धातु खनिज उत्पाद	43.97	10.5	2.8
33	बुनियादी धातु और अलौह उद्योग	74.53	1.9	6.4
34	धातु उत्पाद और कल-पुर्जे, मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर	28.1	5.3	0.9
35-36	मशीनरी और उपस्कर, परिवहन उपस्कर को छोड़कर	95.65	4.5	3.0
37	परिवहन उपस्कर और कल पुर्जे	39.84	4.1	9.5
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	25.59	1.3	-5.7
	खनन और उत्खनन	104.73	2.0	8.4
	विनिर्माण	793.58	5.5	4.3
	बिजली	101.69	5.4	4.3
	समान्य सूचक	1000	5.2	4.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

अध्याय 2

वित्तीय संसाधन

वार्षिक योजना 2001-2002 की वित्तीय समीक्षा और वार्षिक योजना 2002-2003 के वित्त पोषण की प्रस्तावित स्कीमें

केन्द्र की वार्षिक योजनाओं का वित्त पोषण

केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति वर्ष 2001-2002 के दौरान भी गंभीर दबाव में रही। सभी प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्तियां संशोधित अनुमानों से काफी कम रही। कुल मिलाकर, निवल कर राजस्व में संशोधित अनुमानों की तुलना में 6.4 प्रतिशत की कमी आई। कर-भिन्न राजस्व भी संशोधित अनुमानों से लगभग एक प्रतिशत कम रहा। विनिवेशों से प्राप्तियां कम रहीं। वसूल हुई कुल राजस्व प्राप्तियां और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां, संशोधित अनुमानों की तुलना में 4.5 प्रतिशत तक कम रहीं। संशोधित अनुमान भी बजट अनुमानों से कम थे। इसलिए, वित्त वर्ष 2001-2002 के अंत में कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियों में बजट अनुमानों की तुलना में 14 प्रतिशत की कमी रही। निरपेक्ष दृष्टि से यह राशि 36667 करोड़ रुपए बैठती है। 2001-2002 में प्राप्तियों में आई गिरावट एक चिंता की बात है कि क्योंकि यह वर्ष 2000-2001 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच 9 प्रतिशत की कमी (20417 करोड़ रुपए) के क्रम में है। तालिका 2.1 और 2.2 में वर्ष 2000-01 और 2001-02 में राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का विवरण दिया गया है। बजट अनुमानों की तुलना में कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियों में पर्याप्त कमियों को देखते हुए, राजकोषीय घाटे को सीमा के अंदर रखने की सरकार की चिंता, कुल व्यय में कटौती से परिलक्षित होती है जो निम्न योजना-भिन्न व्यय के जरिए की गई थी। सरकारी खर्च में ऐसी कटौती का एक संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

तालिका 2.1

2000-01 में राजस्व प्राप्तियां तथा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

(रुपए करोड़/प्रतिशत)

क्र. सं.	विवरण	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक	
					संशोधित की प्रतिशतता	बजट का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियां	203673	206166	192624	93.4	94.6
2	ऋणों की वसूली	13539	14885	12046	80.9	89.0
3	विनिवेश और विविध प्राप्तियां	10000	2500	2125	85.0	21.3
4	कुल	227212	223551	206795	92.5	91.0

तालिका 2.2

2001-2002 के दौरान राजस्व प्राप्तियां तथा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

(रुपए करोड़/प्रतिशत)

क्र. सं.	विवरण	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनुमानित वास्तविक	अनंतिम	
					संशोधित की प्रतिशतता	बजट का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियां	231745	212572	202881	95.4	87.5
2	ऋणों की यूसूली	15164	15143	16333	107.9	107.7
3	विनिवेश और विविध प्राप्तियां	12000	5000	3646	72.9	30.4
4	कुल	258909	232715	222859	95.8	86.1

2. वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में कुल 375223 करोड़ रुपए के सरकारी व्यय की परिकल्पना की गई थी जिसमें 275123 करोड़ रुपए योजना-भिन्न व्यय और 100100 करोड़ रुपए का योजना व्यय सम्मिलित है। योजनागत और योजना-भिन्न व्यय दोनों के संबंध में संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 946 करोड़ रुपए और 9840 करोड़ रुपए कम थे। संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों के बीच तुलना इस समझ पर आधारित है कि संशोधित अनुमान वास्तविक के लगभग बराबर हैं। तथापि, जब प्राप्तियां अथवा व्यय के संबंध में वास्तविक उनके संशोधित अनुमानों से पर्याप्त रूप से भिन्न हों तो वर्ष के संबंध में वास्तविक व्यय के लगभग के रूप में महत्व समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बजट/वार्षिक योजना अनुमानों और वास्तविक अथवा अंतिम अनुमानों के बीच तुलना करना विश्लेषण और मूल्यांकन प्रयोजनार्थ प्रासंगिक है। इसलिए निम्नलिखित विश्लेषण में बजट अनुमानों और अनंतिम लेखों के बीच तुलना की गई है। बजट अनुमानों और अनंतिम लेखों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का व्यय तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

3. उपरोक्त तालिका के विवरण से पता चलता है कि योजना भिन्न व्यय, बजट अनुमान की तुलना में 5.9 प्रतिशत कम था। निरपेक्ष दृष्टि से यह कमी 16298 करोड़ रुपए थी। योजना व्यय (वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता) बजट अनुमानों की तुलना में 145 करोड़ रुपए मामूली सा अधिक था। इस प्रकार कुल व्यय में 4.3 प्रतिशत की कटौती योजना-भिन्न व्यय में कटौती की वजह से प्राप्त हुई थी। योजना व्यय में सीमांतिक वृद्धि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना के लिए अधिक बजटीय समर्थन में परिलक्षित थी जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता कुल मिलाकर बजट अनुमानों में लक्षित स्तर पर ही बनाए रखी गई थी।

समीक्षा - वार्षिक योजना 2001-2002 (केन्द्र)

4. केन्द्र की वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए 130181 करोड़ रुपए का परिष्यय अनुमोदित किया गया था। जिसमें 59456 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन और 70725 करोड़ रुपए के

तालिका 2.3

केन्द्रीय सरकार के व्यय का सारांश (2001-2002)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	अंतर (सं.अ.-ब.अ.)	अंतर अनंतिम	अंतर (अनंतिम-ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल व्यय	375223	364436	359070	-10786	-5366	-16153
2	योजनागत व्यय	275123	265282	258825	-9840	-6457	-16298
	⊙	73.3	72.8	72.1			
3	योजना व्यय/ संसाधन-जिसमें से -	100100	99154	100245	-946	1091	145
	⊙	26.7	27.2	27.9			
3.1	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	40644	38878	40640	-1766	1762	-4
	#	40.6	39.2	40.5			
3.2	बजट समर्थन - केन्द्रीय योजना	59456	60276	59604	820	-672	148
	#	59.4	60.8	59.5			

टिप्पणी:- ⊙ कुल व्यय का प्रतिशत

कुल योजना व्यय का प्रतिशत

आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आईबीआर) सम्मिलित हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जुटाया जाना था। कुल बजटीय समर्थन में से 10411 करोड़ रुपए की राशि सीपीएसई के योजना निवेशों के वित्तपोषण के लिए आवंटित की गई थी, जबकि मात्र विभागीय योजना स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजटीय समर्थन की राशि 49045 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार, सकल बजटीय समर्थन में सीपीएसई और विभागीय स्कीमों का हिस्सा क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 82.5 प्रतिशत था। 70725 करोड़ रुपए के आईबीआर और 10411 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के साथ सीपीएसई द्वारा कुल योजना निवेश 81137 करोड़ रुपए किए जाने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, वार्षिक योजना परिव्यय का 38 प्रतिशत मात्र रूप से विभागीय स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए था और योजना परिव्यय का 62 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा वहन किया जाना था। तालिका 2.4 में वर्ष 2001-2002 के संबंध में अनुमानित व्यय और केन्द्र के वार्षिक योजना परिव्यय का सारांश दिया गया है।

5. जैसाकि पैराग्राफ 4 में बताया गया है, वर्ष 2001-2002 के दौरान विभागीय स्कीमों और सीपीएसई के संबंध में बजटीय समर्थन का वास्तविक उपयोग 59604 करोड़ रुपए था जबकि बजट अनुमान 59456 करोड़ रुपए था। सीपीएसई द्वारा अपने योजना निवेश के लिए आईबीआर की दृष्टि से जुटाए गए संसाधनों की राशि 67580 करोड़ रुपए (सं.अ.) थी, जो 76725 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 3146 करोड़ रुपए कम है।

तालिका 2.4

केन्द्र के योजना परिव्यय का सारांश, 2001-2002

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	मद	2001-02 बजट अनुमान*	2001-02 संशोधित अनुमान	अंतर (ब.अ.-सं.अ.)
1	2	3	4	5
1	बजट समर्थन - जिसमें से कुल	59456	60276	820
1क	सीपीएसई के लिए बजटीय समर्थन	10411	13488	3077
2	सीपीएसई के आईईबीआर	70725	67580	-3146
3	सीपीएसई का योजना परिव्यय/निवेश (1क+2)	81137	81068	-69
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+2)	130181	127856	-2326

टिप्पणी:- अनुमोदित योजना परिव्यय ।

वार्षिक योजना 2001-2002 के वित्त पोषण की स्कीम पर चर्चा में, जैसाकि बजट और वित्तपोषण की वास्तविक स्कीम में परिकल्पित था, अनंतिम लेखों में अप्रत्यक्ष रूप से उन क्षेत्रों की उल्लेख किया गया जहां योजना-भिन्न और योजना व्यय के वित्तपोषण में संसाधनों में कमी आई । विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है ।

तालिका 2.5

केन्द्र की वार्षिक योजना 2001-2002 के वित्त पोषण की स्कीम के संशोधित और बजट अनुमानों की तुलना में अनंतिम अनुमान

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	संसाधन	ब.अ.	सं.अ.	अनंतिम	अंतर (अनंतिम-सं.अ.)	अंतर (अनंतिम-ब.अ.)	अंतर (सं.अ.-ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	-38810	-47064	-50183	-8254	-3119	-11373
2	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष	22596	14497	14218	-8099	-279	-8378
3	राजकोषीय घाटा	116314	131721	136211	15407	4490	19897
4	योजना के लिए सकल बजटीय सहायता हेतु संसाधन	100100	99154	100246	-946	1092	146
5	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता	40644	38878	40640	-1766	1762	-4
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय समर्थन	59456	60276	59806	820	-670150	
7	सीपीएसई के आईईबीआर	70725	67580	67580*	-3145	0	-3145
8	केन्द्रीय योजना परिव्यय	13081	127856	127186	-2325	-670	-2995

* संशोधित अनुमान

सिद्धांततः राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों को मिलाकर सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियां योजना-भिन्न राजस्व व्यय और योजना-भिन्न पूंजी व्यय के विरुद्ध संतुलित हैं। इस प्रकार, चालू राजस्व से शेष में और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष में अधिशेष या कमी, जिसे योजना के वित्तपोषण की स्कीम में दर्शाया गया है, सरकार की राजकोषीय दृढ़ता को प्रदर्शित करती है।

चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)

7. चालू राजस्व से शेष (बीसीआर), योजना-भिन्न राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी सहित) की दृष्टि से सरकार की राजस्व प्राप्तियों में अधिशेष अथवा कमी की मात्रा को परिलक्षित करता है। ऋणत्मक बीसीआर का अर्थ है कि सरकार को अपने उपभोग व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए उधार ली गई पूंजी का सहारा लेना पड़ता है, जिसका अर्थ ऋणात्मक बचत है। एक दशक से भी अधिक समय से केन्द्रीय सरकार का बीसीआर ऋणात्मक रहा है और स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ऋणात्मक बीसीआर में, जिसका वर्ष 2001-2002 के लिए 38810 करोड़ रुपए होने का पूर्वानुमान लगाया गया था, 11373 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह (-) 50183 करोड़ रुपए (अंतिम व्यय के अनुसार) के स्तर का हो गया। कर और कर-भिन्न राजस्व तथा योजना-भिन्न राजस्व व्यय, जिन्हें मिलाकर बीसीआर बनता है, का संगत विवरण तालिका 2.6 में प्रस्तुत है। अतिरिक्त विवरण संलग्नक 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.6

2001-2002 के दौरान केन्द्रीय सरकार की राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय
(रुपए करोड़)

क्र. सं.	संसाधन	ब.अ.	सं.अ.	अंतिम	अंतर (सं.अ.-ब.अ.)	अंतर (अंतिम-सं.अ.)	अंतर (अंतिम-ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	राजस्व प्राप्तियां						
(क)	कर राजस्व (निवल)	163031	142348	133285	-20683	-9063	-29746
(ख)	कर-भिन्न राजस्व	68714	70224	69596	1510	-628	882
	जोड़ - I (राजस्व प्राप्तियां)	231745	212572	202881	-19173	-9691	-28864
II.	योजना-भिन्न राजस्व व्यय						
(क)	व्याज	112300	107257	104894	-5043	-2363	-7406
(ख)	रक्षा	62000	57000	54112	-5000	-2888	-7888
(ग)	सम्पिडियां	29801	30523	30094	722	-429	293
(घ)	अन्य	68454	64856	63964	-1598	-892	-2490
	कुल II- राजस्व व्यय-योजना भिन्न	270555	259636	253064	-10919	-6572	-17491
III	बीसीआर (I-II)	-38810	-47064	-50183	-8254	-3119	-11373

विवरण से पता चलता है कि 2001-2002 के दौरान बीसीआर की (ऋणात्मक)बिगड़ती स्थिति, राजस्व प्राप्तियों में गिरावट के फलस्वरूप है, जो योजना-भिन्न राजस्व व्यय में कमी के प्रतिसंतुलन से भी कहीं अधिक है। यस्तुतः राजस्व प्राप्तियां, अनंतिम अनुमानों के अनुसार, बजट अनुमानों से भी कम है। बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में कमी 28864 करोड़ रुपए की थी। कर राजस्व में 29746 करोड़ रुपए की कमी से, कर-भिन्न राजस्व (बजट अनुमानों की तुलना में) में 882 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि से कहीं अधिक प्रतिसंतुलित हो गई।

कर राजस्व

8. वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्र के कर राजस्व में एक क्षुब्धकारी प्रवृत्ति केन्द्र के सकल कर राजस्व में निरपेक्ष गिरावट है। राजस्व के सभी प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत वास्तविक वसूली बजटीय अनुमानों से कम थी। इसके अलावा, हाल ही में विगत में देखी गई कर राजस्व प्राप्तियों में अस्थिर प्रवृत्ति अभी भी जारी है जैसाकि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है। वर्ष 2001-2002 के लिए सकल कर राजस्व के बजट अनुमानों में वर्ष 2000-2001 के संबंध में संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 14.3 प्रतिशत की वृद्धि अंतर्निहित थी। 2000-2001 के लिए सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमान भी उस वर्ष के लिए बजट अनुमानों से कम थे। इस प्रकार वर्ष 2001-2002 के संबंध में बजट अनुमान, जीडीपी के विकास में दृढ़ सुधार पर प्रत्याशित थे।

तालिका 2.7

केन्द्र का सकल कर राजस्व - विकास/अनुपात

(प्रतिशत शेषर)

वर्ष	जीडीपी विकास दर साधारण	कर - जीडीपी अनुपात %	सकल कर राजस्व विकास
1	2	3	4
1996-97	15.2	9.41	15.8
1997-98	11.3	9.14	8.1
1998-99	15.5	8.18	3.3
1999-2000	9.7	8.90	19.4
2000-01	8.2	9.03	9.8
2001-02	10.7	8.09	-0.9
2002-03	10.7	9.22	26.1

9. किन्तु अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित वृद्धि फलीभूत नहीं हुई। यह मंदापन औद्योगिक क्षेत्र के मामले में विशेष रूप से देखा गया जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि औद्योगिक उत्पादन के सूचक में 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 के दौरान 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्रक की धीमी वृद्धि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्पाद शुल्क में बजट अनुमानों की तुलना में 9201 करोड़ रुपए की कमी आई । अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव विदेशी मोर्चे पर भी पड़ा जबकि कुल आयातों में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पीओएल के उत्पादों के आयात में निरपेक्ष गिरावट आई । इस प्रकार प्राप्ति और सीमा शुल्क में बजट अनुमानों की तुलना में 14421 करोड़ रुपए की कमी आई । औद्योगिक क्षेत्रक में मंदी के फलस्वरूप निगम कर प्राप्तियों में 7701 करोड़ रुपए की कमी आई । अंततः वैयक्तिक आय कर वसूली बजट अनुमानों से 8506 करोड़ रुपए कम हुई । कुल मिलाकर सकल कर संग्रह में एक प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि (अर्थात् (-) 39649 करोड़ रुपए तक सकल कर राजस्व में कमी) के फलस्वरूप कर-जीडीपी अनुपात में 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 के दौरान लगभग एक प्रतिशत की कमी आई ।

कर - भिन्न राजस्व

10. 2001-2002 के दौरान कुल मिलाकर कर भिन्न राजस्व 69595 करोड़ रुपए था जो 68714 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 881 करोड़ रुपए (1.3 प्रतिशत) अधिक है । सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, राज्यों, राज्य क्षेत्रों की सरकारों,, रेलवे, दूरसंचार, केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों, सांविधिक निकायों, सहकारिताओं और सरकारी कर्मचारियों से ब्याज प्राप्तियां, कर-भिन्न प्राप्तियों की एक प्रमुख मद है । मात्रा की दृष्टि से अगली मद, भा.रि.बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों यथा एलआईसी, जीआईसी, आईडीबीआई इत्यादि और सरकारी उद्यमों से लाभांश प्राप्तियां हैं । वर्ष 2001-2002 में इन दोनों स्रोतों का हिस्सा 69596 करोड़ रुपए के कुल कर-भिन्न राजस्व में 78 प्रतिशत बैठता है । इस वर्ष सरकारी विभागों और संगठनों से सेवा प्रभारों के रूप में 14800 करोड़ रुपए की प्राप्तियां, कर-भिन्न राजस्व का लगभग 21 प्रतिशत थी ।

योजना-भिन्न राजस्व व्यय

11. अनंतिम अनुमानों के अनुसार योजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) (रक्षा पूंजी को मिलाकर) 253064 करोड़ रुपए है । 270555 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में एनपीआरई 17491 करोड़ रुपए तक कम था । मात्र रक्षा व्यय की राशि 7888 करोड़ रुपए तक कम थी जिसमें से 3786 करोड़ रुपए की कमी पूंजीगत मदों पर परिव्ययों के संबंध में थी । ब्याज अदायगी की राशि 7406 करोड़ रुपए तक व अन्य योजना-भिन्न व्यय 2490 करोड़ रुपए तक कम था । इसका मुख्य कारण राज्यों और विदेशी सरकारों को कम अनुदान और निम्न पेंशन अदायगियां थी । दूसरी ओर सब्सिडी में 293 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।

12. घालू राजस्व से ऋणात्मक शेष, जो 2000-2001 में केन्द्र की सकल कर राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था, 2001-2002 में बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया । समग्र राजस्व घाटा, जो 2000-2001 में 85234 करोड़ रुपए था, जीडीपी का 4.1 प्रतिशत था । यह बढ़कर 2001-02 में 95595 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात् अनुमानित जीडीपी का 4.2 प्रतिशत । राजस्व घाटे में बढ़ती प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से यह संकेत देती है कि योजना-भिन्न राजस्व अंतर को पाटने और साथ ही योजना निवेश का आशातीत स्तर प्राप्त करने के लिए विशाल संसाधन जुटाव प्रयास करने होंगे ।

वर्ष 2001-2002 के दौरान ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष

13. योजना के लिए सकल बजटीय समर्थन में सम्मिलित है: (क) चालू प्राप्तियों से शेष, (ख) ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष, और (ग) सकल राजकोषीय घाटा। चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) से योजना-भिन्न राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अधिशेष अथवा कमी का पता चलता है, तथापि ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष द्वारा योजना-भिन्न पूंजी व्यय और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा प्राप्त होता है। बजट/वार्षिक योजना अनुमान और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के अनंतिम लेखे और योजना-भिन्न व्यय तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8

2001-2002 के दौरान ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम
1	2	3	4	5
1	ऋणों की वसूली	15164	15143	16333
2	विनिवेश	12000	5000	3646*
3	जोड़ - ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	27164	20143	19979
4	योजना - भिन्न पूंजी व्यय - जिसमें से	4568	5646	5761
	(क) ऋण और अग्रिम	2533	3182	4076
	(ख) योजना-भिन्न पूंजी परिव्यय	2035	2464	1685
5	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष (4-5)	22596	14497	14218

* बोनस शेयरों का निर्गम सम्मिलित है।

14. ऋणों की वसूली बजट अनुमानों की तुलना में 1169 करोड़ रुपए अधिक थी। विनिवेशों के माध्यम से वसूली केवल 3028 करोड़ रुपए थी। बोनस शेयरों के निर्गम से 618 करोड़ रुपए का योगदान मिला। इस प्रकार संवितरण राशि बजट अनुमानों की केवल 25 प्रतिशत है जिसके फलस्वरूप ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 7185 करोड़ रुपए की कुल कमी आई। दूसरी ओर, योजना-भिन्न पूंजी व्यय में 1193 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्रक उद्यमों/संगठनों और व्यक्तियों को ऋणों और अग्रिमों में 1543 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई किन्तु योजना-भिन्न पूंजी परिव्यय में 390 करोड़ रुपए की कमी आई। इस प्रकार, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष, बजट अनुमानों की तुलना में 8375 करोड़ रुपए कम है।

15. (-) 50183 करोड़ रुपए पर चालू राजस्व से शेष और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के 14218 करोड़ रुपए के शेष की दृष्टि से बजटीय संसाधनों की राशि, अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 35965 करोड़ रुपए पर ऋणात्मक शेष रही है। इसलिए 136211 करोड़ रुपए के राजकोषीय

घाटे की सरकार को, केन्द्र के वार्षिक योजना व्यय (59804 करोड़ रुपए) और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (40640 करोड़ रुपए) के लिए 100245 करोड़ रुपए के सकल बजटीय समर्थन की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पर नीचे चर्चा की गई है।

राजकोषीय घाटा

16. बाजार उधारों व अन्य ऋण सृजक पूंजी प्राप्तियों का विवरण, जो राजकोषीय घाटे के भाग हैं, जैसाकि बजट अनुमानों में परिकल्पित है तथा वास्तविक (अंतिम लेखे) का तदनुसूची ब्यौरा तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9

राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण: 2001-2002

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	राजकोषीय घाटे के स्रोत	ब.अ. 2001-02	सं.अ. 2001-02	अंतिम वास्तविक
1	2	3	4	5
1	बाजार उधार (मझौले, दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण)	77353	91480	87828
2	विदेशी ऋण	1865	2054	5999
3	छोटी बचतें और सार्वजनिक भविष्य निधि	9000	8640	8755
4	राज्य भविष्य निधि	9500	9000	5172
5	विशेष जमा	10252	10831	8381
6	अन्य (अन्य नकद शेष आदि)	8344	9716	20078
7	कुल	116314	131721	136211

तालिका 2.9 से पता चलता है कि बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष के अंत में राजकोषीय घाटा 19897 करोड़ रुपए अधिक था (17% की वृद्धि)। यद्यपि, लघु बचतों, सार्वजनिक भविष्य निधि, राज्य भविष्य निधि और विशेष जमाओं से निकासी 6444 करोड़ रुपए तक कम रही, तथापि बाजार उधारों व अन्य जमाओं आदि के माध्यम से वसूली बजट अनुमानों की तुलना में 10475 करोड़ रुपए अधिक थी। अधिक उधारों में विदेशी ऋणों ने 4134 करोड़ रुपए का योग दिया।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

17. जैसाकि ऊपर पैराग्राफ 16 में बताया गया है, वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सरकार के सकल बजटीय संसाधनों का आवंटन केन्द्र की वार्षिक योजना और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु किया जाता है। बजट अनुमानों,

संशोधित अनुमानों के संबंध में इस बारे में ब्यौर तथा 2001-2002 के लिए अनंतिम लेखे तालिका 2.10 में दिए गए हैं। अनंतिम लेखों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा वार्षिक योजना/बजट अनुमानों के अनुसार है।

तालिका 2.10

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 2001-2002

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	बजटीय समर्थन	ब.अ. 2001-02	सं.अ. 2001-02	वास्तविक 2001-02
1	2	3	4	5
1	सकल बजटीय समर्थन	100100	99154	100245
2	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय समर्थन	59456	60276	59604
		(59.4%)	(60.8%)	(59.5%)
3	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	40644	38878	40640
		(40.6%)	(39.2%)	(40.5%)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

के.स.क्षे. उद्यमों की वार्षिक योजना 2001-2002

18. 182 केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों, विभागीय उद्यमों व अन्य स्वायत्त निकायों के लिए योजना परिव्यय को वार्षिक योजना 2001-2002 (सं.अ.) में सम्मिलित किया गया था। इनमें से 103 उद्यमों के योजना परिव्यय की वित्तपोषण पद्धति में आंतरिक तथा बजट-बाह्य संसाधन सम्मिलित थे जबकि 79 उद्यम व अन्य निकाय एकमात्र रूप से बजटीय समर्थन पर निर्भर थे।

19. 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों की योजनाओं के वित्तपोषण की पद्धति का सारांश तालिका 2.11 में दिया गया है। प्रत्येक सीपीएसई द्वारा योजना निवेश के वित्त पोषण का विवरण संलग्नक 2.3 'क' और 2.3 'ख' में दिया गया है।

20. उपरोक्त तालिका से पता चलेगा कि वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) का कुल योजना निवेश बजट अनुमानों में 81137 करोड़ रुपए निर्धारित था; जिसका वित्तपोषण 10411 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता, 41427 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधनों और 29298 करोड़ रुपए के देशज और विदेशी उधारों से किया जाना था। संशोधित अनुमानों के अनुसार सीपीएसई का योजना परिव्यय 81068 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमानों की तुलना में 69 करोड़ रुपए कम है। इस प्रकार योजना व्यय का कुल मिलाकर पैमाना (आईईबीआर के संशोधित अनुमानों के अनुसार), बजट अनुमानों के अनुरूप रहा है। संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि: (क) बजट अनुमानों की तुलना में बजटीय सहायता 3077 करोड़ रुपए अधिक होगी; (ख) उम्मीद है कि आंतरिक संसाधन 4197 करोड़ रुपए कम रहेंगे; (ग) बांडों

तालिका 2.11

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों की वार्षिक योजना 2001-2002 का वित्तपोषण

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	वित्तपोषण के स्रोत	ब.अ. 2001-02	सं.अ. 2001-02	अंतर (सं.अ.-ब.अ.)
1	2	3	4	5
I.	बजटीय समर्थन (I+II)	10411	13488	3077
i.	इक्विटी	8953	11500	2547
ii.	ऋण	1459	1988	530
II.	आंतरिक संसाधन	41427	37230	-4197
III.	उधार (I+II+III)	29298	30350	1051
i.	बांड/ऋण पत्र	15357	14606	-751
ii.	ईसीबी/सप्लायर्स क्रेडिट	5137	4753	-384
iii.	अन्य	8805	10991	2186
IV.	कुल योजना परिव्यय (I+II+III)	81137	81068	-69

और ऋण पत्रों के माध्यम से उधार कम रहने की उम्मीद है; और (घ) विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में कमी रहेगी। किन्तु जमाओं और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उधार 2186 करोड़ रुपए अधिक रहे हैं।

21. पिछले वर्षों की तरह ही, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों को बांडों और ऋण-पत्रों के संबंध में 15357 करोड़ रुपए (ब.अ.) की लक्षित राशि के अंदर "कर-मुक्त बांडों" के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई थी। परमाणु ऊर्जा और गैर-परंपरागत ऊर्जा सहित विद्युत क्षेत्रक, सड़क परिवहन, रेलवे, शहरी विकास क्षेत्रकों में सीपीएसई को 500 करोड़ रुपए तक के कर-मुक्त बांडों के जरिए संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई थी। बताया गया है कि 380 करोड़ रुपए तक के आवंटन का लाभ उठाया गया है। ब्यौरा संलग्नक 2.4 में दिया गया है।

22. संक्षेप में, सीपीएसई का योजना व्यय बजट अनुमानों में परिकल्पित स्तर के आस-पास ही रहने की संभावना है। आंतरिक संसाधनों में कमी की अधिक उधारों और बजटीय सहायता द्वारा क्षतिपूर्ति हो गई है। आंतरिक संसाधनों में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए कुछ क्षेत्रकों के अंतर्गत आने वाले उद्यमों के निष्पादन पर गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कुछ मंत्रालयों के अधीन सीपीएसई का सीपीएसई के समग्र योजना निवेश में एक बड़ा हिस्सा है जैसाकि तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12
सीपीएसई की वार्षिक योजना 2001-2002 (सं.अ.) में आईईबीआर

(प्रतिशत हिस्सा)

क्र. सं.	सीपीएसई	आईआर	बांड/ऋणपत्र	ईसीबी	अन्य	कुल आईईबीआर
1	2	3	4	5	6	7
1	संचार	28.2	21.3	-	48.3	28.0
2	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	28.4	9.0	11.5	14.1	20.7
3	रेलवे	8.4	-	-	-	4.6
4	विद्युत	1.6	20.2	62.4	7.1	10.8
5	शहरी मामले और शहरी रोजगार	1.2	20.8	-	1.7	5.4
6	कोयला	1.5	-	16.5	12.0	3.9
7	इस्पात	0.9	0.9	-	3.9	1.3
8	खान	1.4	-	-	6.3	1.8
9	नौवहन	19.3	-	6.5	3.4	11.6
	जोड़	90.9	72.2	96.9	96.8	88.2

वर्ष 2002-2003 के लिए वार्षिक योजना

23. वर्ष 2002-2003 का केन्द्रीय सरकार का बजट, 11 सितम्बर, 2001 और उसके बाद 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हमले की घटनाओं की कठिन अंतर्राष्ट्रीय और देशज स्थिति की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक मोर्चे पर भी, आर्थिक विकास की गति धीमी हुई है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति की असंतोषजनक हालत चिंता का एक विषय बनी हुई है। इसलिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना बजट प्रस्तावों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। यद्यपि, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बजटीय सहायता में समुचित वृद्धि बनाए रखने की जरूरत है, तथापि, राजकोषीय सुधार करने के प्रयासों को भी जारी रखने की जरूरत है।

सरकारी व्यय का सारांश - 2002-03

24. वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 410309 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो 2001-2002 के संशोधित अनुमानों की तुलना में साधारण तौर पर 12.6% अधिक है। मुख्यतः ब्याज अदायगियों और राज्य सरकारों को अनुदानों में वृद्धि को पूरा करने के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्र के योजना-भिन्न व्यय के लिए प्रावधान में 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वार्षिक योजना के

लिए 113500 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता, वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 14.5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। इसमें, केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए 10.9 प्रतिशत की वृद्धि और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना/बजट अनुमानों की तुलना में, वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए कुल सकल बजटीय सहायता में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता (2001-2002 के तदनुसूची बजट अनुमानों की तुलना में) में वृद्धि क्रमशः 14.7 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत होगी। केन्द्रीय सरकार के व्यय का सारांश तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13

केन्द्रीय सरकार के व्यय का सारांश - 2001-2002 (सं.अ.) और 2002-2003 (ब.अ.)

(रुपए करोड़)

क्र.सं.	व्यय	2001-02 सं.अ.	2002-03 ब.अ.
1	2	3	4
1	कुल व्यय	364436	410309
2	योजना-भिन्न व्यय	265282	296809
	@	72.8	72.3
3	योजना-व्यय/जिसमें से संसाधन-	99154	113500
	@	27.2	27.7
3.1	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	38878	46629
	#	39.2	41.1
3.2	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	60276	66871
	#	60.8	58.9

टिप्पणी: @ कुल व्यय का प्रतिशत # कुल योजना व्यय का प्रतिशत

25. वर्ष 2002-2003 के लिए कुल सरकारी व्यय में योजना व्यय के हिस्से में 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 0.5% की मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि, योजना व्यय के अंदर, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 2 प्रतिशत अधिक होगी जबकि केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता का हिस्सा वार्षिक योजना 2002-2003 में 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में उसी सीमा तक कम होगा।

केन्द्र की वार्षिक योजना 2002-2003

26. वर्ष 2002-2003 के लिए 144038 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें 66871 करोड़ रुपए की सकल बजट सहायता और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक

उद्यमों के 77167 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आईईबीआर) सम्मिलित थे। मात्र सीपीएसई के लिए 13389 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का आवंटन किया गया और सकल बजटीय सहायता का 53482 करोड़ रुपए का शेष केन्द्रीय मंत्रालयों की विभागीय स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए रह गया। इस प्रकार, सीपीएसई के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान 2002-2003 में सकल बजटीय सहायता का 20 प्रतिशत है जबकि 2001-2002 में सं.अ. में यह 22 प्रतिशत और ब.अ. में 17.5 प्रतिशत था।

तालिका 2.14

केन्द्र की वार्षिक योजना 2002-2003

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	मद	2001-02 सं.अ.	2002-03 ब.अ.	अंतर
1	2	3	4	5
1	बजटीय सहायता - कुल जिसमें से-	60276	66871	6595
(क)	सीपीएसई के लिए बजटीय सहायता	13488	13389	100
2	सीपीएसई के आईईबीआर	67580	77167	9587
3	सीपीएसई का योजना परिव्यय/निवेश (1क+2)	81068	90556	9488
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+2)	127856	144038	16182

टिप्पणी: *अनुमोदित योजना परिव्यय

केन्द्र की वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए सकल बजट समर्थन

27. वर्ष 2002-2003 के बजट में 244246 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां (निवल) और 29680 करोड़ रुपए की ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। योजना-भिन्न राजस्व व्यय और योजना-भिन्न पूंजी व्यय क्रमशः 291818 करोड़ रुपए और 4992 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार, चालू राजस्व से शेष (-)46713 करोड़ रुपए अनुमानित है तथ ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष 24688 करोड़ रुपए अनुमानित है। 135525 करोड़ रुपए के अनुमानित राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए सकल बजटीय सहायता 113500 करोड़ रुपए रखी गई है। सकल बजटीय सहायता और केन्द्र की वार्षिक योजना के वित्त पोषण की स्कीम संलग्नक 2.1 में दी गई है। चालू राजस्व से शेष, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष और राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के ब्यौरे पर आगे चर्चा की गई है।

चालू राजस्व से शेष

28. उम्मीद है कि वर्ष 2002-2003 के दौरान सकल कर राजस्व में संशोधित अनुमानों (2001-2002) की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कर-भिन्न राजस्व में वर्ष 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। निरपेक्ष दृष्टि से, वर्ष

2002-2003 के लिए बजट के अनुसार समग्र राजस्व प्राप्तियां 244246 करोड़ रुपए होंगी। चूंकि योजना-भिन्न राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी सहित) 291818 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है इसलिए घालू राजस्व से शेष (-)46713 करोड़ रुपए अनुमानित है (859 करोड़ रुपये की बाह्यी अनुदानों की प्राप्तियों का समभोजन करने के बाद)।

राजस्व प्राप्तियां-कर और कर-भिन्न

29. वर्ष 2002-2003 के लिए बजट प्रस्तावों का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में वर्ष 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 32500 करोड़ रुपए की वृद्धि करना है। निरपेक्ष दृष्टि से वर्ष 2002-2003 के लिए 244246 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां, वर्ष 2001-2002 के संबंध में संशोधित अनुमानों की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि और अनंतिम लेखों की तुलना में 21.4 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है (किन्तु 2001-2002 बजट अनुमानों की तुलना में केवल 5.7%)।

कर राजस्व

30. 235800 करोड़ रुपए की सकल कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.15 में दर्शाया गया है। प्रमुख करों, अर्थात् निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क और संघीय उत्पाद शुल्क से वसूली की दृष्टि से, वसूली में अनुमानित वृद्धि 2001-2002 के लिए अनंतिम लेखों की तुलना में क्रमशः लगभग 33 प्रतिशत, 32 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है। 2002-2003 के दौरान राजस्व वसूली के बजट अनुमान प्राप्त करना इस तथ्य को देखते हुए कठिन होगा कि इन प्रमुख करों से प्राप्तियों के अनंतिम अनुमान 2001-2002 के लिए बजट अनुमानों से कम हैं। इसलिए, कर राजस्व के बजट अनुमान प्राप्त करना वस्तुतः एक बड़ा प्रयास होगा।

कर-भिन्न राजस्व

31. 72140 करोड़ रुपए की कर-भिन्न प्राप्तियों का अर्थ, जिसमें 859 करोड़ रुपए का विदेशी अनुदान शामिल है, 2001-2002 के संबंध में अनंतिम लेखों की तुलना में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि और संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

योजना-भिन्न राजस्व व्यय

32. वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में योजना-भिन्न राजस्व व्यय के संबंध में 2001-2002 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की गई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा पूंजी और सीमावर्ती सड़कों पर परिव्यय सम्मिलित है। निरपेक्ष दृष्टि से यह वृद्धि 32182 करोड़ रुपए है। मात्र ब्याज अदायगी देनदारी 10133 करोड़ रुपए अधिक होगी। रक्षा परिव्यय में 8000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है तथा राज्यों का अनुदान व अन्य योजना-भिन्न व्यय में क्रमशः 2196 करोड़ रुपए और 2512 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद

तालिका 2.15

2001-2002 के दौरान कर राजस्व और ब.अ. 2002-2003

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	कर उपाय	ब.अ. 2001-02	सं.अ. 2001-02	अनंतिम 2001-02	सं.अ.-ब.अ. 2001-02	अनंतिम-सं.अ. 2001-02	अनंतिम-ब.अ. 2001-02	ब.अ. 2002-03	अनुमानित वृद्धि (सं.अ. 2001-02 पर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निगम कर	44200	39059	36499	-5141	-2560	-7701	48616	9557
2	वैयक्तिक आयकर	40600	34438	31995	-6162	-2443	-8605	42524	8086
4	सीमा-शुल्क	54822	43170	40401	-11652	-2769	-14421	45193	2023
5	संघ उत्पाद शुल्क	81720	74520	72519	-7200	-2001	-9201	91433	16913
6	अन्य	5307	5506	5586	199	80	279	8034	2528
7	सकल कर राजस्व*	226649	196693	187000	-29956	-9693	-39649	235800	39107
8	राज्यों का हिस्सा	61618	52845	52842	-8773	-3	-8776	61235	8390
9	नियत कर राजस्व (7-8-सीसीएफ)	163031	142248	133285	-20783	-8963	-29746	172965	30717

* 2000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए की आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण सहित ।

है । सब्सिडियों का स्तर, 30523 करोड़ रुपए की तुलना में, 39801 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित है जो 9278 करोड़ रुपए की वृद्धि परिलक्षित करता है ।

33. योजना-भिन्न राजस्व व्यय के मामले में 1995-96 से 1999-2000 तक कुल मिलाकर वार्षिक वृद्धि 14-20 प्रतिशत थी । यह बढ़ोत्तरी कम होकर 2000-2001 के दौरान 11 प्रतिशत और 2001-2002 में 5.6 प्रतिशत तक कम हो गई । इसलिए 2002-2003 के दौरान प्रत्याशित 12.3 प्रतिशत के योजना-भिन्न राजस्व व्यय में वृद्धि इसकी वृद्धि दर में हाल ही में आई कमी का उल्टाव प्रतीत होता है । योजना-भिन्न व्यय के संबंध में पूर्वानुमानों को देखते हुए, 2002-03 के लिए चालू राजस्व से शेष, जिसका 2001-2002 के लिए सं.अ. में (-) 47064 करोड़ रुपए और 2001-2002 के लिए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार (-) 50183 करोड़ रुपए की तुलना में (-) 46713 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, अनिवार्य रूप से राजस्व प्राप्तियों की पूर्ण वसूली पर निर्भर करेगा, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है । विवरण संलग्नक 2.2 में दिया गया है ।

वर्ष 2002-2003 के दौरान ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष

34. वर्ष 2002-2003 के बजट/वार्षिक योजना अनुमान और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा योजना-भिन्न पूंजी व्यय के संबंध में वर्ष 2001-2002 के लिए तदनुसूची अंतिम लेखे तालिका 2.16 में दिए गए हैं।

तालिका 2.16

2001-2002 की तुलना में 2002-2003 के दौरान ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	विवरण	अंतिम 2001-02	बजट अनुमान 2002-03
1	2	3	4
1	ऋणों की वसूली	16333	17680
2	विनिवेश	3640	12000
3	अन्य पूंजी प्राप्तियां		
4	कुल- ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	19979	29680
5	योजना-भिन्न पूंजी व्यय: जिसमें से	5714	4992
	ऋण और अग्रिम	4076	2790
	ख) योजना-भिन्न पूंजी परिव्यय	1638	2202
6	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष (4-5)	14218	24688

2002-2003 के दौरान ऋणों की वसूली के बजट अनुमानों का अर्थ निरपेक्ष रूप से 1347 करोड़ रुपए की वृद्धि और 2001-2002 के लिए वास्तविकों की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2002-2003 के दौरान विनिवेशों से पूर्वानुमानित प्रोद्भवन, वर्ष 2001-2002 में 3028 करोड़ रुपए की तुलना में, 12000 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि विनिवेश प्रक्रिया में और गति आएगी।

35. जहां तक योजना-भिन्न पूंजी व्यय का संबंध है, ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान, 2001-2002 के लिए अंतिम वास्तविक से 1286 करोड़ रुपए कम है। चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना-भिन्न पूंजी परिव्यय में वृद्धि 564 करोड़ रुपए है। संक्षेप में, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां मुख्यतः विनिवेश से प्राप्तियों के स्तर पर निर्भर करेंगी, जो बदले में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का निर्धारण करेगा।

राजकोषीय घाटा

वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्तावित घाटा 2001-2002 के संबंध में अंतिम लेखों से केवल 687 करोड़ रुपए कम है। 2002-2003 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा अनुमानित जीडीपी का 5.3 प्रतिशत है जबकि 2001-2002 के लिए यह 5.7 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा, 2002-2003 के लिए कुल केन्द्रीय सरकार के व्यय का 33 प्रतिशत बैठता है जबकि 2001-2002 के लिए तदनुसूची अनुमान 37 प्रतिशत था। तथापि, राजकोषीय घाटे को इस सीमा के अंदर

तालिका 2.17

राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण: 2002-2003

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	राजकोषीय घाटे का स्रोत	अनंतिम वास्तविक 2001-02	ब.अ. 2002-03
1	2	3	4
1	बाजार उधार (मझौले, दीर्घावधिक और अल्पावधि ऋण)	87828	95859
2	विदेशी ऋण	5999	770
3	लघु बचत और सार्वजनिक भविष्य निधि	8755	8000
4	राज्य भविष्य निधि	5172	10000
5	विशेष जमा	8381	9898
6	अन्य (अन्य जमा, उद्यन्त और प्रेषण, अर्थोपाय अग्रिम, नकदी शेष की निकासी आदि)	20078	10997
	कुल	136211	135524

नियंत्रित रखना, बजट अनुमानों में शामिल ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों की वसूली पर निर्भर करता है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

36. चालू राजस्व से शेष, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष और राजकोषीय घाटे की मात्रा की राशि, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है, के फलस्वरूप, वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए सकल बजटीय सहायता हेतु कुल 113500 करोड़ रुपए के संसाधन उपलब्ध होंगे। इसमें से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 46629 करोड़ रुपए होगी तथा केन्द्र की योजना के लिए बजटीय सहायता हेतु 66871 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

37. वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए सकल बजटीय सहायता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा अनंतिम लेखों की तुलना में 0.6 प्रतिशत मामूली तौर पर अधिक होगा जबकि केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता का हिस्सा उसी सीमा तक कम होगा, अर्थात् हिस्सा लगभग उसी स्तर पर है जैसाकि अनंतिम लेखों में था।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा योजना निवेश के लिए संसाधन-वार्षिक योजना/बजट अनुमान - 2002-2003

38. वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्र की वार्षिक योजना में सीपीएसई द्वारा 90555 करोड़ रुपए के योजना निवेश की परिकल्पना की गई है। यह 2002-2003 के लिए केन्द्र की वार्षिक योजना का 63 प्रतिशत है। उद्यमों द्वारा 81068 करोड़ रुपए का योजना निवेश भी 2001-2002 के

तालिका 2.18

वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता
2001-2002 (अनंतिम) और 2002-2003 (ब.अ.)

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	बजटीय सहायता	अनंतिम लेखे 2001-02	ब.अ. 2002-03
1	2	3	4
1	सकल बजटीय सहायता	100245	113500
2	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय समर्थन	59604	66871
		59.5	58.9
3	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	40640	46629
		40.5	41.1

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय योजना का 63 प्रतिशत था । सामान्य रूप से सीपीएसई के योजना निवेश का हिस्सा केन्द्र की वार्षिक योजना में कम होता जा रहा है । तथापि, यह अब भी कुल वार्षिक योजना परिव्यय का 60 प्रतिशत से अधिक है । इसलिए, सीपीएसई द्वारा योजना निवेश में कमी का केन्द्र के योजना व्यय पर पर्याप्त प्रभाव है । चूंकि चालू वर्ष के दौरान सीपीएसई का योजना निवेश 2001-2002 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में मौद्रिक रूप से 12 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है, इसलिए सीपीएसई के कामकाज का बारीकी से मानीटरन करना और अनुमानित योजना निवेश प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करने की जरूरत है । वर्ष 2002-2003 के लिए सीपीएसई हेतु 13389 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता उद्यमों द्वारा योजना निवेश का 14.8 प्रतिशत बैठती है । यह भी, वार्षिक योजना 2001-2002 में 16.6 प्रतिशत के तदनुसूची हिस्से की तुलना में मामूली तौर पर कम है । पूर्वानुमानित बजट सहायता सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है । 2002-03 के दौरान सीपीएसई द्वारा प्रस्तावित योजना निवेश का ब्यौरा तालिका 2.19 में दर्शाया गया है ।

39. सीपीएसई के योजना निवेश में मात्र आंतरिक संसाधनों का हिस्सा 44 प्रतिशत है जबकि उधारों का हिस्सा योजना परिव्यय में 42 प्रतिशत होगा । आंतरिक संसाधन जुटाने के सीपीएसई के सामर्थ्य का बजट-बाह्य संसाधन जुटाने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है । अंततः आंतरिक संसाधन ही काफी सीमा तक योजना निवेश की समग्र उपलब्धि का निर्धारण करेंगे । इसलिए, जैसाकि वार्षिक योजना 2001-2002 से संबंधित चर्चा में बताया गया है, बड़ी मात्रा में आईईबीआर का योगदान करने वाले कुछेक सीपीएसई की योजना निवेश की प्राप्ति पर प्रमुख रूप से ध्यान देने की जरूरत है । कुछेक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में सीपीएसई द्वारा योजना निवेश के संकेंद्रण के संबंध में ब्यौरा तालिका 2.20 में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.19

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों द्वारा योजना निवेश का वित्तपोषण- वार्षिक योजना 2002-2003
(रुपए करोड़)

क्र. सं.	वित्त के स्रोत	सं.अ. 2001-02	प्रतिशत हिस्सा	ब.अ. 2002-03	प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6
I.	बजटीय सहायता (i+ii)	13488	18.6	13389	14.8
i.	इक्यिटी	11500	14.2	12195	13.5
ii.	ऋण	1988	2.5	1194	1.3
II.	आंतरिक संसाधन	37230	45.9	39527	43.6
III.	उधार (i+ii+iii)	30350	37.4	37640	41.6
i.	बांड/ऋण-पत्र	14606	18.0	21778	24.0
ii.	ईसीबी/स्पलायर्स क्रेडिट	4753	5.9	5050	5.6
iii.	अन्य	10991	13.6	10812	11.9
IV.	कुल योजना परिव्यय (I+II+III)	81068	100.0	90555	100.0

तालिका 2.20

वार्षिक योजना 2002-2003 सीपीएसई के ब.अ. आईईबीआर/प्रतिशत हिस्सा
(रुपए करोड़)

क्र. सं.	सीपीएसई	आई आर	बांड/ऋण-पत्र	ईसीबी	अन्य	कुल आईईबीआर
1	2	3	4	5	6	7
1	संचार	29.2	22.5	-	27.5	25.1
2	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	34.9	2.4	19.8	24.9	23.3
3	रेलवे	10.0	13.8	-	-	9.0
4	विद्युत	4.5	18.5	55.1	14.6	13.2
5	शहरी मामले और शहरी रोजगार	1.0	14.0	-	1.7	4.7
6	कोयला	4.1	-	0.3	14.3	4.1
7	हस्तात	2.0	-	-	5.5	1.8
8	खान	0.8	-	-	6.6	1.3
9	नीवहन	2.9	-	20.3	1.1	3.0
	कुल	89.4	71.1	95.5	96.2	85.6

वार्षिक योजना: राज्य

वार्षिक योजना 2001-2002: समीक्षा

40. नौवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष होने के नाते वर्ष 2001-2002 के संबंध में वार्षिक योजना नौवीं योजना पूर्वानुमानों की दृष्टि से पांचों वार्षिक योजनाओं का अंतिम परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण है। नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा संसाधनों का जुटाव अनुमानतः पूर्वानुमानों का 61 प्रतिशत है (देखें अध्याय-2, वार्षिक योजना प्रलेख 2001-2002)। इसलिए, वार्षिक योजना 2001-02 के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों का निष्पादन उस सीमा का निर्धारण करेगा जिस सीमा तक राज्य नौवीं योजना के लक्ष्य और परिणाम के बीच अंतर को कम करने में समर्थ होंगे।

41. वर्ष 2001-2002 के लिए कुल मिलाकर सभी राज्यों का वार्षिक योजना परिव्यय 93,834 करोड़ रुपए¹ अनुमोदित किया गया था (संलग्नक 2.6)। 93,414 करोड़ रुपए के कुल संसाधनों में 44,508 करोड़ रुपए राज्यों के अपने संसाधनों (एसओआर) से और 48,906 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। इसके विपरीत, वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए संसाधनों का अनुमान 74,126 करोड़ रुपए है, जो अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में 21 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है। राज्यों के स्वयं के संसाधन अनुमोदित वार्षिक योजना के 30 प्रतिशत से अधिक कम रहे जबकि नवीनतम अनुमानों में केन्द्रीय सहायता लगभग 12 प्रतिशत कम थी। नवीनतम अनुमानों में राज्यों की न्यून संसाधन स्थिति मुख्यतः चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) और राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों (एसएलपीई) के योगदान में कमी और राज्य भविष्य निधियों से भी कम प्रोद्भवनों के कारण थी।

42. तालिका 2.21 में दो प्रमुख स्रोतों, नामतः राज्यों के स्वयं के संसाधन (एसओआर) और केन्द्रीय सहायता (सीए) की दृष्टि से, विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों (एनएससीएस) के संबंध में वार्षिक योजना 2001-2002 के वित्तपोषण की पद्धति सारांश में दर्शाई गई है।

तालिका 2.21

वार्षिक योजना 2001-2002 का वित्तपोषण

(रुपए करोड़)

राज्य	एसओआर		केन्द्रीय सहायता		कुल	
	वा.यो.	न.अनु.	वा.यो.	न.अनु.	वा.यो.	न.अनु.
1 एससीएस	-536.62	-1261.74	9990.08	9847.00	9453.46	8585.26
2. एनएससीएस	45044.97	32175.11	38915.58	33365.78	83960.55	65540.89
3. कुल	44508.35	30913.37	48905.66	43212.78	93414.01	74126.15

¹ 93414.01 करोड़ रुपए के कुल संसाधनों से अधिक, जम्मू व कश्मीर राज्य के संबंध में 419.54 करोड़ रुपए के संसाधन अंतर के कारण।

घालू राजस्व से शेष (बीसीआर)

43. वार्षिक योजना 2001-2002 के वित्त पोषण की अनुमोदित योजना में (-) 30804 करोड़ रुपए का बीसीआर, विशेष श्रेणी राज्यों के लिए (-) 5310 करोड़ रुपए और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए (-) 25494 करोड़ रुपए शामिल हैं (संलग्नक 2.7)। कुल मिलाकर सभी राज्यों के अनुमोदित बीसीआर में 2745 करोड़ रुपए के बजटीय एआरएम की व्यवस्था की गई थी जिसमें उपाध्यक्ष स्तर की बैठकों में राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा वचनबद्ध 564 करोड़ रुपए के एआरएम शामिल नहीं है (संलग्नक 2.6 और 2.9)। 1998-99 से राज्यों के बीसीआर में तेजी से गिरती हुई प्रवृत्ति को उलटने के प्रयास सफल नहीं रहे हैं जैसाकि 2001-2002 के संबंध में नवीनतम अनुमानों से स्पष्ट है जो (-) 44,629 करोड़ रुपए है।

44. संलग्नक 2.7 में दिए गए विस्तृत बीसीआर से पता चलता है कि नवीनतम अनुमान में कमी एकमात्र रूप से पूर्वानुमानित राजस्व प्राप्तियों की उपलब्धि में असफलता के कारण थी। राज्यों के अपने कर, कर-भिन्न से राजस्व वसूली और केन्द्रीय करों का हिस्सा अनुमोदित योजना में पूर्वानुमानों से कम रहा। योजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) विकास खर्च पर प्रतिबंध के जरिए अनुमोदित पूर्वानुमानों के अंदर नियंत्रित रखा गया, यद्यपि विकास-भिन्न व्यय पूर्वानुमान से अधिक रहा।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एआरएम)

45. सभी राज्यों के कुल एआरएम, जिनका उल्लेख वित्त पोषण की स्कीम तथा बीसीआर में किया गया है तथा वार्षिक योजना 2001-2002 के संबंध में 6925 करोड़ रुपए थी, जिसमें से गैर-विशेष श्रेणी राज्यों और विशेष श्रेणी राज्यों के एआरएम क्रमशः 6758 करोड़ रुपए और 167 करोड़ रुपए थे (संलग्नक 2.9)। कुल एआरएम में, 2745 करोड़ रुपए के बजटीय एआरएम, मुख्य मंत्रियों द्वारा वचनबद्ध 564 करोड़ रुपए के एआरएम, जो नवीनतम अनुमान में बीसीआर और एसएलपीई के जैसे संबंधित शीर्षों में एकीकृत हैं और एसएलपीई द्वारा 3616 करोड़ रुपए के एआरएम शामिल हैं। संसाधनों के नवीनतम अनुमान के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा जुटाया गया एमआरएम 506 करोड़ रुपए था, जबकि विशेष श्रेणी राज्य कोई एआरएम जुटाने में असफल रहे। संलग्नक 2.9 में दी गई एआरएम तालिका से पता चलता है कि राज्यों ने वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए संसाधनों के नवीनतम अनुमान में बजटीय एआरएम का 13 प्रतिशत, आरटीसी द्वारा एआरएम का 3 प्रतिशत जुटाया।

46. राज्यों द्वारा वचनबद्ध एआरएम जुटाने में राज्यों की असमर्थता उनके अपने संसाधनों में गिरावट का मुख्य कारण है। अनुमोदित योजना में एसईबी के लिए प्रस्तावित एआरएम की असंतोषजनक वसूली राज्यों द्वारा टैरिफ संशोधन और विद्युत क्षेत्रक सुधार में पेश आने वाली कठिनाई को परिलक्षित करती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चूंकि बताएं गए एआरएम उपाय केवल नए एआरएम हैं इसलिए वर्षों के दौरान वास्तविक संसाधन जुटाव एआरएम उपायों के संचयी प्रभाव के कारण कहीं अधिक होगा। यह भी देखा गया है कि कुछ राज्यों ने अपने एआरएम ब्यौरों का वित्त पोषण की स्कीम और बीसीआर में उल्लेख नहीं किया है।

राज्य स्तरीय सरकारी उद्यम (एसएलपीई)

47. वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए संसाधनों में राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों (एसएलपीई) का योगदान (-) 5101 करोड़ रुपए अनुमानित था, जिसमें (-)5536 करोड़ रुपए राज्य विद्युत बोर्डों से, 71 करोड़ रुपए राज्य सड़क परिवहन निगमों से (एसआरटीसी) व 364 करोड़ रुपए अन्य उद्यमों से सम्मिलित थे (संलग्नक 2.6, 2.10, 2.11)। इस पूर्वानुमानित योगदान में, इन उद्यमों के संबंध में अनुमोदित योजना में वचनबद्ध 3,316 करोड़ रुपए के मिले-जुले एआरएम शामिल थे। नवीनतम अनुमानों में वार्षिक योजना के वित्त पोषण में एसएलपीई का मिला-जुला योगदान और कम होकर (-)9147 करोड़ रुपए हो गया (संलग्नक 2.6), जो अनुमोदित अनुमान की तुलना में 79 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। राज्य विद्युत बोर्डों के योगदान में 54 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई (संलग्नक 2.10) तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों के योगदान में भी नवीनतम अनुमान में 9.7 गुणा से अधिक की गिरावट आई। एसएलपीई का घटता योगदान उद्यमों के बढ़ते प्रचालन घाटे को प्रदर्शित करता है जिसे क्षमता अभिवृद्धि हेतु पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारों के अलावा, अपने चालू खर्चों को पूरा करने के वास्ते उधारों के माध्यम से पाटना होगा, जो स्पष्टतः एक असंधारणीय स्थिति है।

48. हाल ही में, केन्द्र के सक्रिय समर्थन के साथ, राज्य सरकारों ने भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके विद्युत क्षेत्रक सुधार प्रारंभ किए हैं, जिनके अनुसार राज्यों को सुधारों से जुड़ी निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य विद्युत सुधार उपायों में, राज्य विद्युत विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना, खरीदी गई ऊर्जा की प्रति इकाई लागत और सप्लाई की लागत के बीच अंतर को कम करना, टीएंडडी हानियों को कम करना, राज्य विद्युत बोर्डों को सृजन, पारेषण और वितरण कंपनियों में बदलना तथा निजीकरण करना शामिल है।

राज्य भविष्य निधियां

49. राज्य सरकार कर्मचारी भविष्य निधियां, वार्षिक योजना के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई हैं, विशेष रूप से वेतनमानों के संशोधन और बकायों को रोक लेने के साथ 1998-99 से। अनुमोदित वार्षिक योजना 2001-2002 में राज्य भविष्य निधियों से प्रोद्भवनों के रूप में 13,994 करोड़ रुपए की राशि पूर्वानुमानित थी जो कुल संसाधनों का लगभग 15 प्रतिशत है। संसाधनों के नवीनतम अनुमान में राज्य भविष्य निधियों की राशि 11,781 करोड़ रुपए है। इस शीर्ष और लघु बचतों के अंतर्गत उधार, जो परियोजना से जुड़े नहीं होते, राज्यों द्वारा योजनाओं के वित्तपोषण का सबसे अधिक लोकप्रिय स्रोत बन गया है। इसके साथ ही भविष्य निधियों और लघु बचतों से बड़े पैमाने पर उधारों से राज्यों की कुल देयताएं असंधारणीय स्तर तक बढ़ जाने का खतरा है।

लघु बचत

50. लघु बचतों से नियत के विरुद्ध ऋण, योजना वित्तपोषण हेतु संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस शीर्ष के अंतर्गत वार्षिक योजना हेतु पूर्वानुमान 31980 करोड़ रुपए था (संलग्नक

2.6), जो राज्यों के स्वयं के संसाधनों का 72 प्रतिशत और योजना के लिए कुल संसाधनों का 34 प्रतिशत बैठता है। इस पूर्वानुमान के विपरीत, राज्यों द्वारा संसाधनों के नवीनतम अनुमान में, निवल लघु बचत संग्रहों के विरुद्ध ऋण के रूप में 33,952 करोड़ रुपए की राशि इंगित है, जो राज्यों के स्वयं के संसाधनों का 110 प्रतिशत और कुल संसाधनों का 46 प्रतिशत है।

एसएलआर-आधारित मुक्त-बाजार उधार और परक्रामित ऋण

51. वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए वित्तपोषण की पद्धति में निवल मुक्त-बाजार उधारों (एसएलआर आधारित) से 11,557 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित थी (संलग्नक 2.6)। संसाधनों के नवीनतम अनुमान से बाजार उधार के अंतर्गत 13959 करोड़ रुपए की वृद्धि का पता चला। परक्रामित ऋणों व अन्य वित्त में, एलआईसी, जीआईसी, नाबार्ड, आरईसी, आईडीबीआई, हुडको व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सम्मिलित है। वार्षिक योजना 2001-2002 में इस शीर्ष के तहत 16157 करोड़ रुपए का पूर्वानुमान था जबकि नवीनतम अनुमान के अनुसार वसूल हुई राशि 17,755 करोड़ रुपए है। इस शीर्ष के अंतर्गत अधिकांश ऋण, आवासन, ग्रामीण सड़कें, सफाई, पेयजल आपूर्ति आदि जैसी विनिर्दिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए होते हैं। यह राज्यों के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध निधियों को परिलक्षित करते हैं। तथापि, हाल ही में कुछ राज्यों ने उनके द्वारा स्थापित विकास निगमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उधारों का मार्ग अपनाया है जिनका उपयोग अपनी वित्तीय स्थिति से निपटने तथा अपनी अर्थोपाय स्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे संसाधन परक्रामित ऋणों का भाग होते हैं किन्तु इनका उपयोग विकास कार्यों के लिए नहीं किया जाता।

राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों (एसएलपीई) द्वारा जारी बांड/ऋण-पत्र

52. राज्यों की वार्षिक योजना 2001-2002 की वित्त पोषण पद्धति में बांडों और ऋण-पत्रों के शीर्षों के अंतर्गत 12487 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिन्हें उनके अपने-अपने निगमों द्वारा जुटाया जाना था (संलग्नक 2.6)। नवीनतम अनुमान के अनुसार वसूल हुई राशि 12261 करोड़ रुपए थी। चूंकि राज्य सरकारें इन साधनों के लिए गारंटी प्रदान करती हैं इसलिए राज्यों की आकस्मिकता देनदारी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि ये निगम प्रायः ब्याज और किस्तों की अदायगी करने के लिए लाभ कमाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए उनकी ऋण परिशोधन देनदारी अंततः राज्यों पर आ सकती है। इससे राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर दबाव में और वृद्धि हो सकती है।

केन्द्रीय सहायता

53. वार्षिक योजना 2001-2002 के वित्त पोषण की अनुमोदित स्कीम में राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 48906 करोड़ रुपए सम्मिलित है, जिसमें 17453 करोड़ रुपए की सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए), ईएपी के लिए एसीए के 18719 करोड़ रुपए और विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रमों तथा विशेष योजना सहायता के अंतर्गत 12733 करोड़ रुपए शामिल हैं (संलग्नक 2.6)। संसाधनों के नवीनतम अनुमान में 43213 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उल्लेख है,

जिसमें एनसीए के लिए 17456 करोड़ रुपए, ईएपी के लिए एसीए के 13760 करोड़ रुपए व अन्य केन्द्रीय सहायता के 11997 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

विदेशी सहायित परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

54. राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण की अनुमोदित स्कीम में विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 18719 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है । दूसरी ओर, 2001-2002 के संघीय बजट में, विदेशी सहायता के लघु-परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जिनकी बात पक्की हो चुकी है तथा जो पाइपलाइन में हैं, इस प्रयोजनार्थ 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई । केन्द्र द्वारा ईएपी के संबंध में संशोधित अनुमान बजट प्रावधान को बढ़ाकर 8500 करोड़ रुपए तक करने का उल्लेख है (संलग्नक 2.5), जबकि राज्यों द्वारा संसाधनों के नवीनतम अनुमान घटकर 13760 करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं (संलग्नक 2.6) । यद्यपि, राज्यों के लिए ईएपी के अंतर्गत निधियों के बेहतर उपयोग को तेज करने की जरूरत है, जिससे कि इस शीर्ष के अंतर्गत और अधिक निधियां आकर्षित की जा सकें, तथापि, परियोजनाओं की स्थानीय लागत पूरी करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करना भी आवश्यक है ।

संघ राज्य क्षेत्रों का योजना वित्तपोषण

55. विद्यानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाएं पूर्ण रूप में केन्द्रीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित होती हैं । विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् दिल्ली और पांडिचेरी) का योजना परिव्यय वर्ष 2001-2002 के लिए 4155 करोड़ रुपए तय किया गया था, जिसमें 3800 करोड़ रुपए रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली के लिए तथा 355 करोड़ रुपए पांडिचेरी के लिए थे । नवीनतम अनुमान के अनुसार, कुल योजना संसाधनों की राशि 4555 करोड़ रुपए है । बीसीआर, एमआरएम और लघु बचतों के विरुद्ध ऋण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी के स्वयं के संसाधनों का एक प्रमुख भाग है ।

विशेष श्रेणी राज्य (एसीसीएस)

56. सभी विशेष श्रेणी राज्यों (सात उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तरांचल) की वित्त पोषित पद्धति उसी पद्धति के अनुसार तय की गई थी जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए है । (यथा राज्यों के स्वयं के ऋणात्मक संसाधनों को मिलाकर) वर्ष 2001-2002 के लिए इन राज्यों का वार्षिक योजना परिव्यय 9873 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया था, जबकि कुल संसाधनों की राशि 9453 करोड़ रुपए थी (तालिका 2.21 पृष्ठ 1 पर पादटिप्पणी के साथ पढ़ी जाए) । ये राज्य अपनी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हैं । वर्ष 2001-2002 की अनुमोदित वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता कुल संसाधनों का लगभग 106 प्रतिशत बैठती है । संसाधनों के नवीनतम अनुमान एसओआर में और अधिक गिरावट को प्रदर्शित करते हैं । परिणामस्वरूप, नवीनतम अनुमानों में केन्द्रीय सहायता का हिस्सा वार्षिक योजना के लिए कुल संसाधनों का लगभग 115 प्रतिशत बैठता है ।

वार्षिक योजना 2002-2003

57. वर्ष 2002-2003, दसवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। अधिकांश राज्यों को गंभीर वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से अनेक ने राजकोषीय सुधारों के लिए केन्द्र के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन राज्यों ने राजकोषीय सुधारों के लिए सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए उनकी बाध्यकर वचनबद्धताओं और वित्तीय दबावों का राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों पर प्रभाव पड़ा।

58. 27 राज्यों के लिए 96531 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना 2002-2003 परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जो पिछले वर्ष के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत मामूली वृद्धि को दर्शाता है। योजना के लिए 94780 करोड़ रुपए के कुल संसाधनों में 42060 करोड़ रुपए के राज्यों के स्वयं के संसाधन (एसओआर) और 52720 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता शामिल है (संलग्नक 2.6)। विशेष श्रेणी राज्यों और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की वार्षिक योजना 2002-2003 के वित्त पोषण के लिए संसाधन राज्यों के स्वयं के संसाधनों और केन्द्रीय सहायता की दृष्टि से तालिका 2.22 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.22

वार्षिक योजना 2002-2003 का वित्तपोषण

(रुपए करोड़)

राज्य	एसओआर	केन्द्रीय सहायता	कुल
विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)	-662.54	9740.10	9077.56
गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)	42722.92	42979.92	85702.84
जोड़	42060.38	52720.02	94780.40

टिप्पणी: वार्षिक योजना 2002-03 (ए.पी.) के आंकड़ों में मणिपुर शामिल नहीं है।

चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)

59. वार्षिक योजना 2002-03 की अनुमोदित वित्त पोषण पद्धति में (-) 36403 करोड़ रुपए का बीसीआर सम्मिलित है। संलग्नक 2.8 में दिए गए राज्यवार बीसीआर से पता चलता है कि केवल चार राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोआ ने वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए सकारात्मक बीसीआर प्रक्षेपित किया था। आंध्र प्रदेश राज्य ने केवल एसईबी के लिए बजटीय सहायता को योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत बुक करके सकारात्मक बीसीआर प्रबंधित किया था। बड़ा ऋणात्मक बीसीआर एक चिंता का विषय है। जब तक आने वाले वर्षों में 2002-2003 के दौरान बीसीआर में कोई आमूल सुधार न किया जाएगा तब तक राज्यों को दसवीं योजना अवधि के दौरान या तो अधिक उधारों का सहारा लेना पड़ेगा अथवा अपने योजना परिव्ययों को संकुचित करना होगा।

2. मणिपुर की वार्षिक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह कुल संसाधनों से 1750.24 करोड़ रुपए अधिक है जिसका कारण जम्मू व कश्मीर के संबंध में 1295.57 करोड़ रुपए का संसाधन अंतर है और वित्त पोषण की योजना में केरल राज्य के संबंध में विद्युत क्षेत्र के परिव्यय रुपये 454.77 करोड़ का शामिल नहीं किया जाना है।

राज्य स्तरीय सरकारी उद्यम (एसएलपीई)

60. योजना के लिए एसएलपीई का योगदान (-) 2864 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा (-)3082 करोड़ रुपए, राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा 35 करोड़ रुपए तथा अन्य उद्यमों द्वारा 183 करोड़ रुपए शामिल हैं (संलग्नक 2.6, 2.10 और 2.11)। राज्य विद्युत बोर्डों की बिगड़ती हुई स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटीयों के प्रति रा.वि. बोर्डों की विशाल बकाया देयों का निपटान करना और रा.वि. बोर्डों की वित्तीय व्यवहार्यता बहाल करना विद्युत क्षेत्रक सुधार के संबंध में प्रमुख मुद्दे हैं।

61. रा.वि. बोर्डों के बकायों का निपटारा करने संबंधी विशेषज्ञ दल ने ब्याज और अधिभार देयों पर 50 प्रतिशत की माफी देने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बांडों के निर्गम द्वारा शेष बकायों के प्रतिभूतिकरण की सिफारीश की थी। विद्युत सुधार के संबंध में राज्यों ने भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन करने और अपने-अपने रा.वि.बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। बदले में भारत सरकार ने एपीडीआरपी और पीएफसी के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है। राज्यों को विद्युत क्षेत्रक सुधार कार्यक्रमों को सुकर बनाने के लिए चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में एपीडीआरपी के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राज्य भविष्य निधियां

62. राज्यों की अनुमोदित वार्षिक योजना 2002-2003 में योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध निवल भविष्य निधियों के रूप में 11438 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1998-99 के वेतन संशोधन के बाद भविष्य निधियों में हुई वृद्धि के अवरुद्ध बकायों की परिबद्ध (लॉक-इन) अवधि इस वर्ष के अंत में पूरी हो गई। कुछ राज्यों ने वर्तमान वर्ष में भविष्य निधियों के ऋणात्मक निवल प्रोद्भवन का अनुमान लगाया।

लघु बचतों के विरुद्ध ऋण

63. लघु बचत संग्रहों के विरुद्ध 39574 करोड़ रुपए के ऋण अनुमानित हैं जो एसओआर का लगभग 94 प्रतिशत और कुल संसाधनों का लगभग 42 प्रतिशत हैं। केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, 2002 में लघु बचतों पर ब्याज दरों में 9.5% से कटौती करके उन्हें 9% कर दिया और लघु बचतों के निवल संग्रह का शत-प्रतिशत राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया। जमाओं पर ब्याज की दर में कटौती के साथ-साथ कम दरों के लाभ को भी राज्यों को हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया गया है। इसके फलस्वरूप राज्यों के लिए लघु बचत की उधार लागतें कम होंगी, जो राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख घटक बन गई हैं।

एसएलआर-आधारित मुक्त बाजार उधार और परक्रामित ऋण

64. वार्षिक योजना 2002-2003 में 13,571 करोड़ रुपए के निवल बाजार उधारों का अनुमान लगाया गया था। 14545 करोड़ रुपए पर अनुमानित परक्रामित ऋण व अन्य वित्त, पूर्ववर्ती वर्ष के 16157 करोड़ रुपए के अनुमोदित स्तर से कम हैं। वर्तमान वर्ष के अनुमानित परक्रामित ऋण इसलिए कम हैं क्योंकि राज्यों द्वारा मध्यावधि राजकोषीय सुधारों के लिए केन्द्र के साथ सहमति ज्ञापनों में अपने राजकोषीय घाटों के स्तर के बारे में प्रतिबद्धताएं की गई हैं जिनसे वित्तीय संस्थानों से उधार प्रतिबंधित हो गए हैं।

राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों (एसएलपीई) द्वारा जारी बांड/ऋण-पत्र

65. राज्य सरकारी उद्यमों द्वारा वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए जारी किए जाने वाले ऋण-पत्रों/बांडों की राशि 12097 करोड़ रुपए निश्चित की गई है। यद्यपि निगमों द्वारा इस ढंग से जुटाए जाने वाले संसाधन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, तथापि राज्य सरकारों के लिए जरूरी हैं कि आकस्मिक देयताओं का सुरक्षित स्तर बनाया रखा जाए और उद्यमों के कामकाज में सुधार किया जाए। इस दिशा में एक उपाय के रूप में कुछ राज्यों ने अपनी आकस्मिकता देनदारियों के स्तर पर प्रतिबंध लगाकर कानून अधिनियमित किए हैं।

केन्द्रीय सहायता

66. राज्यों के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 की अनुमोदित वित्तीय पद्धति में 52720 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुमानित थी (संलग्नक 2.6)। राज्यों की योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता में 18616 करोड़ रुपए की सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए), विदेशी सहायित परियोजनाओं (ईएपी) के लिए 18647 करोड़ रुपए की एसीए और 15457 करोड़ रुपए की अन्य केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है।

67. अन्य केन्द्रीय सहायता में सम्मिलित हैं : क्षेत्र कार्यक्रम, विशेष केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता व अन्य। चालू वर्ष के केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय सहायता में नई अभिवृद्धियां की गई हैं जैसेकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए पहल (आईएसयूआई) और विकास तथा सुधार सुविधा (डीआरएफ)। त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उच्च परिव्ययों के साथ-साथ नई अभिवृद्धियों से राज्य योजनाओं के लिए अन्य केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि हो गई है।

68. वर्ष 2002-2003 के केन्द्रीय बजट में विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ईएपीके लिए एसीए) के रूप में 6500 करोड़ रुपए विनिर्धारित किए गए हैं (संलग्नक 2.5)। इसके विपरीत, ईएपी के लिए एसीए की राशि 27 राज्यों के संबंध में वार्षिक योजना 2002-2003 हेतु उनकी अनुमोदित वित्तपोषण पद्धति में 18647 करोड़ रुपए अनुमानित है (संलग्नक 2.6)। इससे पता चलता है कि या तो राज्य विदेशी सहायता को खपाने के लिए

अपनी क्षमता को अधिक आंक रहे हैं अथवा केन्द्रीय बजट में बजटीय प्रावधान का अपेक्षित स्तर कम आंका गया है ।

संघ राज्य क्षेत्रों का योजना वित्तपोषण

69. विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल वार्षिक योजना 2002-2003 हेतु 5100 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली के लिए 4700 करोड़ रुपए और पांडिचेरी के लिए 400 करोड़ रुपए शामिल हैं । रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली के लिए अन्य प्रमुख योजना स्रोत हैं; बीसीआर, सरकारी उद्यमों के संसाधन, लघु बचतों के विरुद्ध ऋण तथा केन्द्रीय सहायता, जबकि पांडिचेरी की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के अन्य साधन हैं: लघु बचत, एआरएम और केन्द्रीय सहायता ।

चिंता के क्षेत्र

70. योजना के वित्त पोषण में चिंता के मुख्य क्षेत्र हैं: (क) योजना के वित्त पोषण के लिए वचनबद्ध संसाधन पूर्वानुमानों और वास्तविक जुटाव के बीच बड़े अंतर की सतत विद्यमानता; (ख) राज्यों के बीसीआर में बढ़ती गिरावट जिसकी वजह से उधारों पर निर्भरता की अधिक जरूरत; (ग) राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के कामकाज में गिरावट; और (घ) विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं (ईएपी) का धीमा कार्यान्वयन जिसके कारण कम खपत तथा और अधिक विदेशी सहायता आकर्षित करने में असमर्थता रहती है । बजटीय उपायों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाव (एआरएम) अधिकांशतः वा.यो. स्तर प्रतिबद्धता से कम रहा जिसकी वजह से बीसीआर में न.अ. स्तर पर गिरावट आई । अधिकांश राज्य अपनी योजना का वित्त पोषण उधारों के माध्यम से कर रहे हैं जिसकी वजह से ऋण परिशोधन का भार चिंताजनक स्तरों तक बढ़ गया है । नवीन कर और कर-भिन्न उपायों के जरिए राज्यों को अपने संसाधन बढ़ाना आवश्यक है । राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे कर सुधार उपायों, विद्युत टैरिफ, परिवहन भाड़ों, जल दरों में युक्तिकरण के जरिए अपने संसाधन जुटाएंगे, एसएलपीई के कामकाज में सुधार करेंगे और अनावश्यक सरकारी खर्च को विशेष रूप से योजना-भिन्न विकास-भिन्न खर्च में कटौती करेंगे। यद्यपि यह आवश्यक है कि पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु उधार का सहारा लेना पड़ता है तथापि, राज्य सरकारों को विवेकपूर्ण निवेश निर्णय लेने में अत्याधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस प्रकार सृजित पूंजी से ऋण के परिशोधन हेतु पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो सके । अंतिम किन्तु सर्वथा अंतिम बात यह है कि राज्यों को ईएपी का कार्यान्वयन शीघ्र सुनिश्चित करना चाहिए और आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के फलस्वरूप आने वाली और अधिक विदेशी निधि को आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए ।

संलग्नक 2.1

केन्द्र की वार्षिक योजना 2001-02 के वित्तपोषण की स्कीम के बजट अनुमान बनाम
संशोधित और अनंतिम अनुमान

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	स्रोत	2001-02 ब.अ.	2001-02 सं.अ.	2001-02 अनंतिम	2002-03 ब.अ.
1	2	3	4	5	6
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)*	-38810	-47064	-50183	-46713
2	ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से शेष	22596	14497	14218	24688
3	राजकोषीय घाटा	116314	131721	136211	135524
4	योजना के लिए सकल बजटीय सहायता के लिए संसाधन	100100	99154	100246	113499
5	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता	40644	38878	40640	46629
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	59456	60276	59606	66870
7	के.स.क्षे.उ. के आई.ई.बी.आर.	70725	67580	67580	77167
8	केन्द्र की योजना का परिव्यय	130181	127856	127186	144037

* बाहरी अनुदान शामिल हैं।

केन्द्र का चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) (संघ राज्य क्षेत्रों सहित)

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	मद	2001-02 ब.अ.	2001-02 सं.अ.	2001-02 अनंतिम-लेखे	2002-03 ब.अ.
1	2	3	4	5	6
I	राजस्व प्राप्तियां				
1	कर राजस्व (सकल)*	226649	196693	187000	235800
2	घटा: केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	61618	52845	52842	61235
	घटा: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के लिए अंतरण	2000	1500	873	1600
3	कर राजस्व (निवल) (1-2)	163031	142348	133285	172965
	कर-भिन्न राजस्व	68714	70224	69596	72140
	घटा: विदेशी अनुदान	698	826	1741	859
4	कर भिन्न राजस्व **	68016	69398	67855	71281
	योग I- राजस्व प्राप्तियां (3+4)	231047	211746	201140	244246
II.	योजना-भिन्न राजस्व व्यय				
1	ब्याज अदायगियां	112300	107257	104894	117390
2	रक्षा	62000	57000	54112	65000
	रक्षा (पूँजीगत)	19959	16957	16153	21411
	रक्षा (राजस्व)	42041	40043	37959	43589
3	सब्सिडी	29801	30523	30094	39801
4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	18538	16994	15231	19190
5	विदेशी सरकारों को अनुदान	474	527	523	561
6	सीमावर्ती सड़कें	255	208	208	237
7	अन्य योजना - भिन्न राजस्व व्यय	47187	47127	48002	49639
	योग II- योजना-भिन्न राजस्व व्यय	270555	259636	253064	291818
II	बीसीआर (I-II)	-39508	-47890	-51924	-47572

*एआरएम तथा स्थानीय निकायों के लिए संघ राज्य क्षेत्र करों के समनुदेशन को घटाने सहित ।

** विभागीय याणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय पक्ष में घटाया गया है।

संलग्नक 2.3 क

योजना निवेश के लिए सीपीएसई के संसाधन
बजट अनुमान 2001-02

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	बाह्य बजट संसाधन			जोड़ ईबी आर (7 से 9)	जोड़ आईईबी आर (8+10)	कुल योजना परिधय (5+11)
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ ऋण पत्र	ईसीबी/ स्पला-यर्स क्रेडिट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोल इंडिया लि.	0	46	46	1212			1052	1052	2264	2310
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	283	283	225	100	181	200	481	706	989
3	सिंगेनी कोलरीज कं.लि.	0	0	0	265			90	90	355	355
4	एम टी एन एल	0	0	0	1600				0	1600	1600
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	1815				0	1815	1815
6	दूर संचार (बी.एस.एन.एल)	0	0	0	11341	5233			5233	16574	16574
7	एयर इंडिया	0	0	0	435		10		10	445	445
8	इंडियन एयरलाइंस	0	0	0	460				0	460	460
9	इफको	0	0	0	162			50	50	212	212
10	कृमको	0	0	0	77			323	323	400	400
11	नेशनल फटिलाइजर्स लि.	0	0	0	30			130	130	160	160
12	आई पी सी एल	0	0	0	86	64			64	150	150
13	गैल	0	0	0	842		58	250	308	1150	1150
14	ओ एन जी सी	0	0	0	6077				0	6077	6077
15	भारतीय तेल निगम	0	0	0	2579		940	2481	3421	6000	6000
16	एन टी पी सी	0	0	0	933	1450	623		2073	3006	3006
17	नाभिकीय विद्युत निगम	782	242	1024	80	69			69	149	1173
18	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	196	1300	1373		2673	2869	2869
19	सेल	0	0	0				500	500	500	500
20	भारतीय रेल	3540	0	3540	6500				0	6500	10040
21	भारतीय नौवहन निगम	5	5	10	243		593		593	636	646
	उप जोड़ (1 से 21)	4327	576	4903	35158	8216	3778	5076	17070	52228	57131
22	अन्य उद्यम	4626	883	5508	6269	7141	1359	3729	12229	18498	24006
	योग	8953	1459	10411	41427	15357	5137	8805	29298	70725	81137

टिप्पणी: आंतरिक संसाधनों में 'आगे लाए गए अधिशेष' सम्मिलित नहीं है और योजना परिधय के वित्तपोषण के लिए लगाए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

योजना निवेश के लिए सीपीएसई के संसाधन
संशोधित अनुमान 2001-02

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	बाह्य बजट संसाधन			जोड़ ईबी आर (7 से 9)	जोड़ आईईबी आर (6+10)	कुल योजना परिध्यय (5+11)
		इविडिटी	ग्रण	जोड़ (3+4)		बांड/ग्रण पत्र	ईसीबी/स्पला-यर्स क्रेडिट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोल इंडिया लि.	0	67	67	155	0	0	1318	1318	1473	1540
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	0	0	713	0	183	0	183	896	896
3	सिंगेनी कोलरीज कं.लि.	0	0	0	-310	0	600	0	600	290	290
4	एम टी एन एल	0	0	0	1150	0	0	0	0	1150	1150
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	946	0	0	0	0	946	946
6	दूर संचार #			0	8283	3083	0	5207	8290	16573	16573
7	एयर इंडिया	0	0	0	444	0	0	0	0	444	444
8	इंडियन एयरलाइंस	0	0	0	432	0	0	0	0	432	432
9	इफको	0	0	0	41	0	0	171	171	212	212
10	कृमको	0	0	0	183	0	0	0	0	183	183
11	नेशनल फटिलाइजर्स लि.	0	0	0	48	0	0	0	0	48	48
12	आई पी सी एल	0	0	0	0	116	0	0	116	116	116
13	गैल	0	0	0	697	0	57	0	57	755	755
14	ओ एन जी सी	0	0	0	8159	0	0	0	0	8159	8159
15	भारतीय तेल निगम	0	0	0	932	668	480	521	1869	2801	2801
16	एन टी पी सी	0	0	0	261	1575	1044	0	2619	2880	2880
17	नाभिकीय विद्युत निगम	853	30	883	412	70	0	0	70	482	1365
18	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	247	1064	1041	0	2105	2352	2352
19	सेल	0	0	0	0	133	0	317	450	450	450
20	भारतीय रेल	5438	0	5438	3140	0	0	0	0	3140	8578
21	भारतीय नौवहन निगम	0	0	0	533	0	300	0	300	833	833
	उप जोड़ (1 से 21)	6291	97	6388	26466	6909	3705	7534	18149	51003	57390
22	अन्य उद्यम	5209	1892	7101	10763	7697	1048	3456	12201	30065	37166
	कुल	11900	1988	13888	37236	14806	4753	10991	30350	67580	81068

टिप्पणी: आंतरिक संसाधनों में 'आगे लाए गए अधिशेष' सम्मिलित नहीं है और योजना परिध्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित है।

नवसृजित बीएसएनएल सम्मिलित है।

योजना निवेश के लिए सीपीएसई के संसाधन
बजट अनुमान 2001-02

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	बाह्य बजट संसाधन			जोड़ ईबी आर (7 से 9)	जोड़ आईईबी आर (8+10)	कुल संसाधन (5+11)
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ ऋण (पत्र)	ईसीबी/ एपय-वर्स क्रेडिट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोल इंडिया लि.	0	15	15	633	0	0	1542	1542	2175	2190
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	0	0	567	0	18	0	18	585	585
3	सिंगेनी कोलरीज कं.लि.	0	0	0	405	0	0	0	0	405	405
4	एम टी एन एल	0	0	0	2744	1250	0	0	1250	3994	3994
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	1136	0	0	0	0	1136	1136
6	दूर संचार #	0	1	1	7692	3502	0	2881	6383	14075	14076
7	एयर इंडिया	0	1	1	858	0	0	0	0	858	859
8	इंडियन एयरलाइंस	0	1	1	509	0	0	0	0	509	510
9	इफको	0	0	0	75	0	0	201	201	276	276
10	कृभको	0	0	0	180	0	0	0	0	180	180
11	नेशनल फटिलाइजर्स लि.	0	0	0	35	0	0	0	0	35	35
12	आई पी सी एल	0	0	0	90	25	0	0	25	115	115
13	गैल	0	0	0	1206	100	0	250	350	1556	1556
14	ओ एन जी सी	0	0	0	8973	0	0	0	0	8973	8973
15	भारतीय तेल निगम	0	0	0	1607	415	1000	700	2115	3722	3722
16	एन टी पी सी	168	0	168	913	1630	795	0	2425	3338	3506
17	नाभिकीय विद्युत निगम	1342	187	1529	121	0	0	0	0	121	1650
18	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	745	1388	1179	0	2567	3312	3312
19	सेल	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
20	भारतीय रेल	5390	0	5390	3940	3000	0	0	3000	6940	12330
21	भारतीय नौवहन निगम	0	0	0	367	0	965	0	965	1332	1332
	उप जोड़ (1 से 21)	6899	205	7105	32796	11310	3957	6074	21341	54137	61242
22	अन्य उद्यम	5295	989	6284	6731	10467	1094	4736	16299	23030	29314
	योग	12195	1194	13389	39527	21778	5050	10812	37649	77167	90665

टिप्पणी: 'आंतरिक संसाधनों में 'आगे लाए गए अधिशेष' सम्मिलित नहीं है योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए उद्योगों में लाए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित है।

नवसृजित बीएसएनएल सम्मिलित है।

संलग्नक 2.4

केन्द्रीय मंत्रालयों/सीपीएसई/वित्तीय संस्थानों को कर-मुक्त बांडों का आबंटन

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मूल मंत्रालय/संगठन	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/उद्यम	2001-02 ब.अ.	2001-02 वास्तविक	2002-03 ब.अ.
1	2	3	4	5	6
1	परमाणु ऊर्जा	एनपीसी	70	70	शून्य
2	डीएनईएस	आईआरईडीए	50	50	50
3	विद्युत	नीपको	75	30	95
4	रेलवे	आईआरएफसी	75	75	100
5	रेलवे	केआरसी	75	शून्य	शून्य
6	शहरी विकास	हुडको	80	80	80
7	भा. रि. बैंक	एनएचबी	75	75	75
	योग		500	380	400

संलग्नक 2.5

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 2001-02 और 2002-03

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मद	2001-02		2002-03
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5
क.	राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता (1 से 21)	39,482.00	37,593.38	45,361.08
1	सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए)	18,434.00	17,119.85	20,172.00
2	मलिन (स्लम) बस्ती विकास @	386.00	341.11	365.00
3	विशेष योजना सहायता	700.00	1,000.00	700.00
4	विशेष केन्द्रीय सहायता	1,350.00	1,350.98	1,670.00
	i) पहाड़ी क्षेत्र	160.00	160.00	160.00
	ii) जन-जातिय उप योजना	500.00	500.98	500.00
	iii) अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	\$	\$	300.00
	vi) सीमावर्ती सड़कें	240.00	240.00	260.00
	v) उत्तर-पूर्वी परिषद	450.00	450.00	450.00
5	विशेष केन्द्रीय सहायता	-	125.00	-
6	परिवर्तनशील खेती पर नियंत्रण	15.00	15.00	20.00
7	सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)	1,580.00	1,730.00	1,580.00
8	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	-	1,511.37	-
9	ईएपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	6,500.00	8,500.00	6,500.00
10	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता @	120.00	-	-
11	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	460.00	50.00	-
12	उत्तर-पूर्व तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से सहायता	-	500.00	-
13	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	2,000.00	2,000.00	2,800.00
14	सड़कें और पुल	962.00	367.07	974.08
15	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवा) @	5,300.00	2,533.00	2,800.00
	(क) ग्रामीण सड़कें	2,500.00	-	-
	(ख) ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	2,800.00	2,533.00	2,800.00
16	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी)	1,500.00	450.00	3,500.00
17	ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्यों को ऋण	175.00	-	-
18	ग्रामीण विद्युतीकरण	-	-	600.00
19	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एमएसएपी)	-	-	680.00
20	अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु पहल	-	-	500.00
21	विकास तथा सुधार नीति (डीआरएफ)	-	-	2,500.00
ख.	संघीय क्षेत्र योजना के लिए केन्द्रीय सहायता (1+2)	1,162.00	1,284.76	1,268.00
1	विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	498.00	562.00	538.00
2	विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	664.00	722.76	730.00
ग.	कुल जोड़ (क+ख)	40,644.00	38,878.14	46,629.08

@ प्रावधान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दोनों के लिए है।

\$ सामान्य केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत शामिल।

संलग्नक 2.6

राज्यों के योजना परिव्यय की वित्तपोषण पद्धति 2001-02 और 2002-03

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	संसाधन	2001-02		2002-03
		वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान	वार्षिक योजना
1	2	3	4	5
क.	राज्यों के स्वयं के संसाधन (1 से 11)	44,508.35	30,913.37	42,060.38
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	-30,803.95	-44,629.40	-36,403.06
2	राज्य सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान (एसएलपीईएस)	-5,100.69	-9,146.98	-2,863.57
3	राज्य भविष्य निधियां	13,993.69	11,781.17	11,438.46
4	विविध पूंजी प्राप्तियां (नेट) (एमसीआर)	-10,399.19	-7,420.87	-16,225.23
5	वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	3,410.91	3,321.68	3,257.28
6	लघु बचतों के विरुद्ध ऋण	31,959.59	33,952.44	39,573.55
7	बाजार उधार (नेट) (एसएलआर आधारित)	11,556.82	13,958.79	13,570.52
8	पराक्रामित ऋण व अन्य वित्त	16,157.31	17,755.04	14,544.58
9	राज्य स्तर सरकारी उद्यमों द्वारा बांड/ऋण-पत्र	12,487.00	12,261.34	12,096.71
10	अध्यक्ष- मुख्य मंत्रियों के स्तर पर बैठकों में सहमत एआरएम	563.89	125.00	1,459.35
11	प्रारंभिक शेष व अन्य संसाधन	682.96	-1,044.85	1,611.79
ख.	केन्द्रीय सहायता (12 से 14)	48,905.66	43,212.78	52,720.02
12	सामान्य (फार्मूला आधारित) केन्द्रीय सहायता (एनसीए)	17,452.93	17,456.10	18,616.32
13	ईएपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	18,719.43	13,760.14	18,646.90
14	अन्य	12,733.30	11,996.54	15,456.80
ग.	कुल योजना संसाधन (क+ख)	93,414.01	74,126.15	94,780.40
घ.	अनुमोदित/पूर्वानुमानित योजना परिव्यय	93,833.55		96,530.74

टिप्पणी:

1. 2001-02 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय संसाधनों की तुलना में अधिक है क्योंकि जम्मू व कश्मीर राज्य के संबंध में 419.54 करोड़ रुपए का संसाधन अंतर है ।
2. वार्षिक योजना 2002-03, 27 राज्यों से संबंधित है क्योंकि मणिपुर राज्य की वार्षिक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । अनुमोदित योजना परिव्यय कुल संसाधनों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि जम्मू व कश्मीर के संबंध में 1295.57 करोड़ रुपए का संसाधन अंतर है और केरल के संबंध में 454.77 करोड़ रुपए का विद्युत क्षेत्रक परिव्यय वित्तपोषण की स्कीम में सम्मिलित नहीं है ।

वर्ष 2001-02 के संबंध में चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)

(करोड़ रुपये)

मद	विशेष श्रेणी राज्य		गैर-विशेष श्रेणी राज्य		सभी राज्य	
	2001-02		2001-02		2001-02	
	वार्षिक योजना	नवीनम अनुमान	वार्षिक योजना	नवीनम अनुमान	वार्षिक योजना	नवीनम अनुमान
1	2	3	4	5	6	7
I. योजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (1 से 4)	17,275.25	16,995.68	208,085.63	194,018.71	225,360.88	211,014.39
1 केन्द्रीय करों का हिस्सा	4,717.97	4,431.14	58,075.94	54,227.52	62,793.91	58,658.66
2 राज्यों के स्वयं का कर राजस्व	4,531.39	4,582.34	128,617.10	121,399.97	133,148.49	125,982.31
3 राज्यों का कर-भिन्न राजस्व	1,110.35	1,034.40	16,475.45	13,515.81	17,585.80	14,550.21
4 केन्द्र से अनुदान (योजना-भिन्न)	6,915.54	6,947.80	4,917.14	4,875.41	11,832.68	11,823.21
II. योजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) (1 से 3)	22,605.43	22,646.55	236,211.84	233,350.14	258,817.27	255,903.69
1 विकास-भिन्न व्यय -जिसमें	11,701.60	12,219.01	121,880.81	123,971.00	133,582.41	136,190.01
ब्याज अदायगी	4,919.17	5,025.49	57,669.59	58,319.49	62,588.76	63,344.98
2 विकास व्यय	10,715.07	10,427.54	111,274.29	110,835.14	121,989.36	121,262.68
3 अन्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय	188.76	0.00	3,056.74	-1,456.00	3,245.50	-1,456.00
III. चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) (I - II)	-5,330.18	-5,650.87	-28,126.21	-39,331.43	-33,456.39	-44,982.30
IV. बजटीय एआरएम, जो ऊपर राजस्व प्राप्ति मदों में शामिल नहीं है।	20.00	0.00	2,632.44	352.90	2,652.44	352.90
V. एआरएम के साथ बीसीआर						
(III + IV)	-5,310.18	-5,650.87	-25,493.77	-38,978.53	-30,803.95	-44,629.40

राज्यवार चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) 2001-02 और 2002-03

(करोड़ रुपए)

	राज्य	2001-02 वार्षिक योजना	2001-02 नवीनतम अनुमान	2002-03 वार्षिक योजना
	1	2	3	4
क.	विशेष श्रेणी	-5,310.18	-5,650.87	-5,632.82
1	अरुणाचल प्रदेश	-86.30	-62.77	-100.52
2	असम	-1,081.46	-1,335.38	-1,115.82
3	हिमाचल प्रदेश	-1,123.63	-935.00	-1,150.71
4	जम्मू व कश्मीर	-578.67	-586.71	-704.08
5	मणिपुर	-206.60	-260.97	
6	मेघालय	-157.62	-143.93	-156.57
7	मिजोरम	-188.74	-192.29	-225.61
8	नागालैंड	-317.75	-204.69	-303.46
9	सिक्किम	-21.63	-19.87	-9.17
10	त्रिपुरा	-501.99	-611.59	-519.42
11	उत्तरांचल	-1,045.79	-1,297.67	-1,347.46
ख.	गैर-विशेष श्रेणी	-25,493.77	-38,978.53	-30,770.24
1	आंध्र प्रदेश	-573.79	-927.74	331.32
2	बिहार	-1,130.28	-1,205.11	-824.93
3	छत्तीसगढ़	33.46	85.96	119.72
4	गोवा	-22.77	19.22	72.08
5	गुजरात	-7,250.52	-7,154.01	-4,405.74
6	हरियाणा	-244.32	-363.72	-260.53
7	झारखंड	966.86	953.37	412.00
8	कर्नाटक	-270.11	-935.92	-883.79
9	केरल	-243.93	-1,015.46	-689.98
10	मध्य प्रदेश	-611.09	-2,277.40	-306.15
11	महाराष्ट्र	1,343.43	-3,994.89	-1,749.17
12	उड़ीसा	-1,533.73	-1,969.83	-2,116.90
13	पंजाब	-2,246.37	-3,142.33	-2,681.53
14	राजस्थान	-2,157.60	-2,906.64	-3,246.00
15	तमिलनाडु	-1,840.24	-2,278.53	-2,526.47
16	उत्तर प्रदेश	-4,938.68	-6,206.54	-6,208.66
17	पश्चिम बंगाल	-4,774.09	-5,658.96	-5,805.51
ग.	कुल योग (क+ख)	-30,803.95	-44,629.40	-36,403.06

टिप्पणी : वार्षिक योजना 2002-03 (ए.पी.) के आंकड़ों में मणिपुर शामिल नहीं है।

2001-02 और 2002-03 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाव (एआरएम)

(करोड़ रुपए)

	राज्य	2001-02								2002-03			
		बजटीय *		एसईबी		आरटीसी		कुल		बजटीय*	एसईबी	आरटीसी	कुल
		ए.पी.	एल.ई	ए.पी.	एल.ई	ए.पी.	एल.ई	ए.पी.	एल.ई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	गैर-विशेष श्रेणी	3,142.44	477.90	2,619.43	0.00	996.43	28.29	6,758.30	506.19	2,843.16	681.75	0.00	3,524.91
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	1,416.72	0.00	885.60	0.00	2,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
3	छत्तीसगढ़	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
6	हरियाणा	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
7	झारखंड	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	352.90	352.90	371.52	0.00	0.00	371.52
8	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	केरल	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	मध्य प्रदेश	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	महाराष्ट्र	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
12	उड़ीसा	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पंजाब	0.00	0.00	325.00	0.00	35.83	28.29	360.83	28.29	821.64	681.75	0.00	1,503.39
14	राजस्थान	272.00	0.00	677.71	0.00	0.00	0.00	949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	तमिलनाडु	200.00	0.00	200.00	0.00	75.00	0.00	475.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
16	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	विशेष श्रेणी												
	राज्य	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.87	0.00	149.48	0.00	0.00	149.48
III	कुल (I+II)	3,309.31	477.90	2,619.43	0.00	996.43	28.29	6,925.17	506.19	2,992.64	681.75	0.00	3,674.39

* टिप्पणी: उपाध्यक्ष - मुख्य मंत्रियों के स्तर पर चर्चा के दौरान सहमत एआरएम बजटीय एआरएम सम्मिलित हैं।
वार्षिक योजना 2002-03 (ए.पी.) के आंकड़ों में मणिपुर शामिल नहीं है।

2001-02 और 2002-03 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों का योगदान

(करोड़ रुपए)

	राज्य	2001-02						2002-03		
		वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान			वार्षिक योजना		
		2000-01 दरों पर	एआर एम	चालू दरों पर जोड़	2000-01 दरों पर	एआर एम	चालू दरों पर जोड़	2001-02 दरों पर	एआर एम	चालू दरों पर जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	आंध्र प्रदेश	-2,499.45	1,416.72	-1,082.73	-867.59	0.00	-867.59	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश *									
3.	असम	-350.66	0.00	-350.66	-19.24	0.00	-19.24	-60.00	0.00	-60.00
4.	बिहार	-519.00	0.00	-519.00	-444.59	0.00	-444.59	-514.60	0.00	-514.60
5.	छत्तीसगढ़	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	20.00	0.00	20.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	-51.60	0.00	-51.60	-61.92	0.00	-61.92	-74.30	0.00	-74.30
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	-680.80	0.00	-680.80	-680.80	0.00	-680.80	-442.42	0.00	-442.42
11.	झारखंड	-180.33	0.00	-180.33	-180.33	0.00	-180.33	-151.97	0.00	-151.97
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	8.00	0.00	8.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	-1,389.15	0.00	-1,389.15	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर *									
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम *									
19.	नागालैंड *									
20.	उड़ीसा	73.49	0.00	73.49	-1.52	0.00	-1.52	58.00	0.00	58.00
21.	पंजाब	-325.00	325.00	0.00	-7 37.65	0.00	-737.65	-931.75	681.75	-250.00
22.	राजस्थान	-1,757.57	677.71	-1,079.86	-1,356.84	0.00	-1,356.84	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम *									
24.	तमिलनाडु	-1,540.00	200.00	-1,340.00	-957.00	0.00	-957.00	-687.50	0.00	-687.50
25.	त्रिपुरा *									
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	-329.78	0.00	-329.78	-2,069.52	0.00	-2,069.52	-987.56	0.00	-987.56
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	-8,155.70	2,619.43	-5,536.27	-8,526.15	0.00	-8,526.15	-3,764.10	681.75	-3,082.35

* विभागीय उपक्रम

2001-02 और 2002-03 के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगमों का योगदान

(करोड़ रुपए)

	राज्य	2001-02						2002-03		
		वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान			वार्षिक योजना		
		2000-01 दरों पर	एआर एम	घातू दरों पर जोड़	2000-01 दरों पर	एआर एम	घातू दरों पर जोड़	2001-02 दरों पर	एआर एम	घातू दरों पर जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	आंध्र प्रदेश	-835.16	885.60	50.44	-326.34	0.00	-326.34	104.04	0.00	104.04
2.	अरुणाचल प्रदेश *									
3.	असम	-22.55	0.00	-22.55	-14.43	0.00	-14.43	-18.54	0.00	-18.54
4.	बिहार	-4.26	0.00	-4.26	-4.26	0.00	-4.26	-3.09	0.00	-3.09
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	-4.00	0.00	-4.00	-4.00	0.00	-4.00	-4.00	0.00	-4.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	-31.87	0.00	-31.87	-31.87	0.00	-31.87	-28.68	0.00	-28.68
11.	झारखंड	-3.33	0.00	-3.33	-3.33	0.00	-3.33	-3.73	0.00	-3.73
12.	कर्नाटक	55.00	0.00	55.00	67.32	0.00	67.32	73.39	0.00	73.39
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	248.56	0.00	248.56	-56.54	0.00	-56.54	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	-2.87	0.00	-2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम *									
19.	नागालैंड *									
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	1.48
21.	पंजाब	-35.83	35.83	0.00	-28.29	28.29	0.00	-25.79	0.00	-25.79
22.	राजस्थान	-64.70	0.00	-64.70	-56.40	0.00	-56.40	-72.10	0.00	-72.10
23.	सिक्किम *									
24.	तमिलनाडु	-325.34	75.00	-250.34	-58.53	0.00	-58.53	134.28	0.00	134.28
25.	त्रिपुरा	-8.13	0.00	-8.13	-11.30	0.00	-11.30	-8.50	0.00	-8.50
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	129.12	0.00	129.12	-9.43	0.00	-9.43	104.27	0.00	104.27
28.	पश्चिम बंगाल	-20.27	0.00	-20.27	-182.86	0.00	-182.86	-218.12	0.00	-218.12
	कुल	-925.63	996.43	70.80	-720.26	28.29	-691.97	34.91	0.00	34.91

* विभागीय उपक्रम

टिप्पणी: वार्षिक योजना 2002-03 (ए.पी.) के आंकड़ों में मणिपुर शामिल नहीं है।

अध्याय 3

योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय

3.1 योजना कार्यान्वयन

योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) केन्द्रीय तथा केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के भौतिक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन/प्रदाय तंत्रों की प्रभावोत्पादकता और लाभानुभोगियों पर उनके प्रभाव को आंकने के लिए उन स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष डिजाइन और कार्यान्वयन में मध्यावधि संशोधनों के लिए कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों और योजना आयोग के संबंधित विषय-प्रभागों को, शोधकर्ताओं को और जनसाधारण को भी, सार्वजनिक व्यय के स्वरूप तथा कार्यकुशलता पर प्रबुद्ध विचार-विमर्श अभिप्रेरित करने के लिए, प्रकाशनों, संगोष्ठियों तथा प्रिन्ट मीडिया, यानी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र ने मूल्यांकन-अध्ययनों के परिणामों का प्रयोग किया और कार्यक्रम बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए, जिनमें अन्य बातों के साथ योजना-स्कीमों का अभिसरण और छंटाई, राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं का विस्तृत अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) और प्रभाव संबंधी अध्ययन, अत्याधिक स्कीमों और मॉनीटर करने संबंधी क्षमता के बीच असंगति को दूर किया जाना और केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) के अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग), मध्यावधि मूल्यांकन तथा विस्तृत प्रभाव संबंधी अध्ययनों के समयबद्ध लक्ष्यों वाला परियोजना दृष्टिकोण शामिल हैं।

3. ऊपर प्रस्तावित रणनीति निश्चित रूप से संसाधनों के प्रयोग में कार्यकुशलता में योगदान और योजना कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करेगी। मूल्यांकन करने हेतु, इसके एक प्रभावी साधन, मूल्यांकन संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाया जाना होगा। तथापि, इसके लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय स्तर पर गठित मूल्यांकन संगठनों को और अधिक भौतिक और वित्तीय संसाधन दिए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग ने इस संबंध में कदम उठाना आरम्भ कर दिया है।

4. तदनुसार, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आधारभूत ढांचे में सुधार करने और गैर-सरकारी संगठनों/शोध संस्थानों को सम्बद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वह मूल्यांकन की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें और अन्य संबंधित दायित्वों का भी पालन कर सकें। हाल में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने, मूल्यांकन अध्ययन करने के अलावा, अन्य कार्यकलाप भी हाथ में लिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ये कार्य शामिल हैं : अपने स्टाफ के सदस्यों के लिए विख्यात संस्थाओं (जैसे आई.आई.पी.ए., एन.आई.आर.डी.) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य स्तरीय मूल्यांकन संगठनों के साथ अधिकाधिक सम्पर्क करने और डाटा के त्वरित प्रेषण

तथा प्रसंस्करण के लिए पी.ई.ओ. की क्षेत्रगत इकाइयों को इंटरनेट से योगने की सुविधाएं प्रदान करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल

5. योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21.8.2000 को हुई आन्तरिक बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्र की विकास स्कीमों के लिए मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2000 को एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। इस कार्यकारी दल ने दिनांक 29.11.2001 को अपनी रिपोर्ट योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं :

- (i) नई नीतियों तथा कार्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन सम्पन्न की गई स्कीमों और चल रही स्कीमों के मूल्यांकन के परिणामों पर आधारित होना चाहिए ताकि पहले की गई गलतियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और विकास के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- (ii) मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के संकेतक अत्यंत ही कार्यक्रम/परियोजना डिजाइन के अभिन्न अंग हों।
- (i) एक ऐसा मूल्यांकन डाटा बैंक बनाने की आवश्यकता है जिसमें केन्द्र और राज्यों के मूल्यांकन संगठनों द्वारा और विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त सब का संकलन उपलब्ध हो। योजना-निर्माताओं तथा नीति-निर्धारकों और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा साहित्य सर्वेक्षण के लिए भी इस डाटा बैंक का उपयोग किया जा सकता है।
- (iv) मूल्यांकन संगठनों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के बीच बेहतर समन्वय रखे जाने की आवश्यकता है, जिससे कि काम के दोहराव से बचा जा सके और संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। यदि प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्य के विषयों को, प्रत्येक वार्षिक योजना प्रारम्भ किए जाने से पहले, मूल्यांकन संगठनों की एक बैठक में मोटे तौर पर निर्धारित कर लिया जाए, तो यह उपयोगी होगा।
- (v) मूल्यांकन के लिए धनराशि की व्यवस्था, योजना निधियों में से की जानी चाहिए, ताकि आवश्यक अवसंरचना तथा मानव संसाधनों का विकास हो और मूल्यांकन परिणामों का एकत्रीकरण एवं संप्रेषण किया जा सके।
- (vi) दसवीं योजना के लिए एक मूल्यांकन योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। इस योजना में पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में एक बार और फिर चौथे वर्ष में एक बार प्रमुख कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था शामिल होगी।
- (vii) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के पास ऐसे मॉनीटरिंग एकक होने चाहिए जो सामाजिक क्षेत्र में चल रही विकास स्कीमों के कार्य-निष्पादन के संबंध में तैयार की गई मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन संबंधी रिपोर्टों का विश्लेषण कर

सकें और यदि ऐसे एकक अस्तित्व में न हों, तो सरकार से बाहर कार्यरत अनुसन्धान संस्थाओं की सेवाएं इस प्रयोजन के लिए उन्हें पारिश्रमिक देकर प्राप्त की जानी चाहिए।

- (viii) सामाजिक क्षेत्र में चल रही प्रत्येक स्कीम की प्रभावकारी मॉनीटरिंग और लेखा परीक्षा के लिए कंप्यूटरीकृत मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.) तत्काल चालू किए जाने की आवश्यकता है।
- (ix) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मॉनीटरिंग एकाकों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक (मौजूदा या नई) संस्था को मॉनीटरों के मॉनीटर के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (x) प्रशिक्षण को मॉनीटरिंग और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पहलू बनाया जाना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के मूल्यांकन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्व बैंक/यू.एन.डी.पी. के माध्यम से विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क किया जा सकता है और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तकनीकों के विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा सकता है।
- (xi) योजना आयोग के सदस्य (मूल्यांकन) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति/दल का गठन किया जा सकता है जो प्रक्रियाओं, नियमों, परिपाटियों और कानूनों में किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों का पता लगाए जो मूल्यांकन के गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने, संसाधन आबंटन के साथ मूल्यांकन को योग्य और मूल्यांकन का प्रशासन के सशक्त साधन के रूप में उपयोग करने के लिए अपेक्षित हों।
- (xii) योजना आयोग एक ऐसे राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता संगठन (एसोसिएशन) की स्थापना के लिए अग्रणी भूमिका अदा करे जिसके सदस्य केन्द्र तथा राज्यों के मूल्यांकन संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और मूल्यांकन तथा मूल्य निरूपण के कार्य में संलग्न अनुसन्धान संस्थाओं और लेखा परीक्षा अभिकरणों से लिए जाएं। यह संगठन वार्षिक सम्मेलन आयोजित करे और मूल्यांकन से संबंधित साहित्य/समाचार आदि प्रकाशित करे और विचार-विनिमय को प्रोत्साहन तथा देश में किए गए मूल्यांकन कार्यों के विषय में व्यापक जानकारी का प्रचार-प्रसार करे। इसके अलावा, वह तत्सदृश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के साथ संबंध योगे।

अद्यतन मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष

6. पिछले कुछ वर्षों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं: रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्यकरण (एस.पी.सी.बी.), खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम (के.वी.आई.सी.), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (नेट) कार्यक्रम (एस.एस.एन.पी.), संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) और बायो-गैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.बी.डी.)। इन सभी मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.)

7. रोजगार आश्वासन स्कीम को 2 अक्टूबर, 1993 को 1778 ऐसे चुने हुए पिछड़े प्रखंडों (ब्लाकों) में प्रारम्भ किया गया जो सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे और जहां नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचलन में थी। बाद में इस स्कीम का व्याप्ति क्षेत्र बढ़ा दिया गया और अप्रैल, 1997 तक सभी खंडों में यह स्कीम लागू कर दी गई। रोजगार आश्वासन योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेती के कम काम के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक दृष्टि से सक्षम उन सभी वयस्कों को मेहनत-मजदूरी में लाभपूर्ण रोजगार दिलाना है, जिन्हें काम की जरूरत है पर जिन्हें काम नहीं मिलता। इसका दूसरा उद्देश्य सतत रोजगार और विकास के लिए आर्थिक आधारभूत ढांचे और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

8. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने रोजगार आश्वासन स्कीम के कार्य-निष्पादन, राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए तरीकों की उपयुक्तता, लक्षित समूह को इस स्कीम के अंतर्गत लाने की सीमा और ई.ए.एस. के लाभानुभोगियों पर इसके प्रभाव का जायज़ा लेने के लिए इस स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अपने हाथ में लिया। इसकी रिपोर्ट अप्रैल, 2000 में जारी कर दी गई।

9. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ये हैं :

- अधिकांश मामलों में, परियोजनाओं का शैल्फ तैयार करने, मजदूरी-रोजगार चाहने वाले लोगों की पहचानें/पंजीकरण करने, परिवार कार्ड जारी करने और विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियां गठित करने के संबंध में मार्गदर्शी-सिद्धान्तों में दिए गए उपबंधों का पालन नहीं किया गया।
- रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों का उपयोग बहुत की कम हुआ है। आयोजन का अभाव, केन्द्र से डी.आर.डी.ए. को और डी.आर.डी.ए. से प्रखंडों को धनराशि का ठीक समय पर जारी न किया जाना और कुछ अन्य कारण, जैसे राज्यों द्वारा समतुल्य संसाधन न जुटा पाना आदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके कारण रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों का उपयोग कम हुआ है।
- बहुत कम गांवों और लक्षित समूहों को स्कीम के अंतर्गत लाया जा सका है। अनुमान है कि वार्षिक रूप से अधिक से अधिक 32 प्रतिशत गांवों और एक प्रखंड में 5 प्रतिशत लक्षित समूह ही स्कीम में शामिल किए गए हैं।
- ई.ए.एस. का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यकलापों में इस्तेमाल किया गया है जिनके लिए मजदूरों की कम आवश्यकता होती है जबकि पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है। मानकीय-पूंजी-श्रम अनुपात का सामान्यतः ध्यान नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप, रोजगार उत्पन्न करने की लागत कुछ राज्यों में असामान्य रूप से ऊंची हो गई है।
- ई.ए.एस. से लाभान्वित होने वालों में से अधिकांश लोगों को साल भर में 30 से भी कम दिनों की मजदूरी मिली। यह भी पाया गया कि अनिर्धन परिवार भी इस स्कीम से

लाभान्वित होते रहे। ई.ए.एस. से हाने वाली आय गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ई.ए.एस. के अधिकांश लाभानुभोगियों को इसके लागू होने के चार वर्षों में से एक वर्ष रोजगार मिला।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.)

10. राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया है और उन्हें पर्यावरणिक प्रदूषण के परीक्षण और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परवर्ती अधिनियमों तथा नियमों में इन बोर्डों के हस्तक्षेप के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी शक्तियाँ तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है। इनका प्रशासनिक ढांचा दो स्तरीय है जिनमें बोर्ड के सदस्य तथा नियमित प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है। प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जैसे राज्य सरकार को प्रदूषण संबंधी मामलों में सलाह देना, प्रदूषण को रोकने के लिए तरीके, मानक तथा प्रौद्योगिकी विकसित करना, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रशासन करना और जन-साधारण में प्रदूषण के कुप्रभावों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।

11. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने देश में स्थित सभी 25 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की समीक्षा की जिसका उद्देश्य उनकी संरचना, संगठनात्मक ढांचे, स्टाफ की व्यवस्था, वित्त तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निर्धारित उनके कार्यों के संदर्भ में उनके कार्यकरण की जांच करना और कार्यकरण में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उनके लिए सुधारात्मक उपायों के संबंध में सुझाव देना था।

12. इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :-

- ऐसा देखने में आया है कि इन राज्य बोर्डों में अधिकतर गैर-तकनीकी सदस्यों का वर्चस्व है; कतिपय प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों के परीक्षण के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता एक समान नहीं है, अलग-अलग है; रिक्त पदों की स्थिति सुखद नहीं है; ठेके के कर्मचारियों और नैमित्तिक/अनियत कर्मचारियों का बोलबाला है और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ के बीच का अनुपात अलग-अलग है। उपर्युक्त स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन बोर्डों के कर्मचारी अभिविन्यास का निर्धारण करने के लिए किसी निश्चित प्रतिमान का अभाव है। कुछ राज्य बोर्डों की क्षेत्रगत रचनाएं उन्हें सौंपे गए कार्य के अनुरूप नहीं हैं।
- भिन्न-भिन्न राज्य बोर्डों की वित्तीय स्थिति में भी बहुत अधिक अंतर है। कुछ बोर्ड तो सरकारी अनुदानों पर अत्याधिक निर्भर हैं जबकि कुछ अन्य बोर्डों को अपने अपर्याप्त संसाधनों से ही किसी तरह काम चलाना पड़ता है। कुछ बोर्डों का दावा है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं। सभी राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की संख्या में बहुत अधिक अंतर है और उनसे लिए जाने वाले शुल्कों की किस्में और दरें भी अलग-अलग हैं, इसलिए सभी बोर्डों में अपने-अपने संसाधन-उत्पन्न करने की क्षमता भी अलग-अलग है।

- अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्याप्त मात्रा में राजस्व की बचत करते हैं, हालांकि वे अपनी पूंजी व्यय संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते। इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य सरकारों ने उनके खर्चों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा रखे हैं।
- राज्य बोर्डों द्वारा सम्पन्न किया गया, प्रदूषक औद्योगिक कार्यकलापों की सूची बनाने का काम भी आमतौर पर संतोषजनक नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाली छोटी इकाइयों के बारे में यह सूची बनाने का काम अभी शुरू ही नहीं किया गया है।
- कुछ राज्यों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुबद्ध प्रदूषक मानकों का अनुपालन घटिया स्तर का होता है। यहां कोई प्रभावकारी दण्डात्मक तंत्र न होने से मानकों के पालन न किए जाने को बढ़ावा मिलता है।
- अधिकांश राज्य बोर्ड वायु और जल की गुणवत्ता के बारे में अपनी प्रेक्षण-टिप्पणियां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास अपेक्षित संख्या में नहीं भेजते। कुछ मंजूरशुदा मॉनीटरिंग स्टेशन फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। यह सब नमूने के मुताबिक वित्तीय प्रतिमान पर्याप्त न होने के कारण और मॉनीटरिंग के लिए ठेके के कर्मचारियों पर अधिक निर्भर रहने की वजह से है।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रदूषण के भिन्न-भिन्न पहलुओं के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना और अनुसंधान तथा विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यकलापों को, अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बजटों में व्यय के निम्न-प्राथमिकता वाले मदों की श्रेणी में रखा जाता है।

खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम

13. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, खादी और ग्रामोद्योगों का विकास एक साथ दो उद्देश्यों को पूरा करने का साधन माना जाता था। पहला उद्देश्य था स्थानीय उत्पादन के जरिये आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और दूसरा था भूख और बेरोजगारी को दूर करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में गरीब लोगों को भागीदार बनाना। गरीबी दूर करने के साधन के रूप में उनकी क्षमता को हमारे आरंभिक योजनाकारों ने भी स्वीकार किया था। तदनुसार, इन उद्योगों के सुव्यवस्थित विकास और विस्तार के लिए योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और संगठित करने के उद्देश्य से, संसद के एक अधिनियम द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की स्थापना की गई थी।

14. जबकि पिछले साढ़े चार दशकों में खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन और रोजगार में कई गुना वृद्धि हुई है, विकास के एक नए आयाम के संदर्भ में उनकी भूमिका के बारे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। खासतौर पर, रोजगार पैदा करने की उसकी क्षमता, संसाधन-उपयोग दक्षता और संधारणीयता की दृष्टि से, इस कार्यक्रम की प्रभावकारिता के बारे में कई ओर से उंगली उठाई गई है। योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के निष्पादन, उसकी पर्याप्तता और उसके कार्यान्वयन तंत्र की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है।

15. इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- उत्पादन और बिक्री की रणनीतियों के बीच अपर्याप्त संबंधों के फलस्वरूप स्टाक इकट्ठा हो गया है, निवेश पर प्रतिफल कम मिला है, अनिष्पादक परिसम्पत्तियां निर्मित हो गई हैं, उत्पादन कम हुआ है और रोजगार के अवसर सिकुड़ गए हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी है। उत्पादन, रोजगार, बिक्री, आमदनी, स्टाक और संगत प्राचलों के विषय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध डाटा बेस अपर्याप्त और अयथार्थ है। इस डाटा बेस की सहायता से कार्यक्रम के वैज्ञानिक आयोजन तथा कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार नहीं की जा सकती।
- वर्ष 1994-95 तक, के.वी.आई.सी. को संसाधनों के 80 प्रतिशत से भी अधिक बजटीय सहायता मिलती थी। मार्जिन मनी स्कीम (एम.एम.एस.) प्रारंभ किए जाने से अब बजटीय सहायता 35 प्रतिशत हो गई है। आठवीं योजना के दौरान, के.वी.आई.सी. के बजटीय संसाधनों का लगभग 67 प्रतिशत भाग खादी क्षेत्र को और एक तिहाई भाग ग्रामोद्योग क्षेत्र को दिया जाता था।
- के.वी.आई.सी. के अपने आंकड़ों के अनुसार, आठवीं योजना के दौरान, केवल 8 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया गया जबकि (1994-97 के लिए) एच.पी.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य 20 लाख लोगों के लिए था। आठवीं योजना के दौरान उत्पन्न किए गए अतिरिक्त रोजगार का लगभग 95 प्रतिशत भाग ग्रामोद्योग क्षेत्र में था, जबकि इस क्षेत्र ने बजटीय संसाधनों के लगभग एक-तिहाई भाग का ही उपयोग किया था।
- रोजगार के अवसरों का एक बड़ा भाग अंशकालिक रोजगार के रूप में होता है और खादी क्षेत्र में प्रति कार्मिक वार्षिक आमदनी अनेक कामगारों के मामले में 50 रुपए से भी कम पाई गई और प्रति अंशकालिक कामगार की औसत आमदनी 433 रुपए प्रतिवर्ष थी।
- द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1996-97 के दौरान औसत पूर्ण-कालिक कामगार ने खादी क्षेत्र में लगभग 4835 रुपए तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में 4323 रुपए प्रतिवर्ष कमाए।
- संपूर्ण अंशकालिक रोजगार को पूर्णकालिक समकक्ष रोजगार (एफ.टी.ई.) में बदलने पर, यह पाया गया कि के.वी.आई. कार्यक्रम के चालू रोजगार का स्तर 1996-97 में 34.81 लाख था, यानी द्वितीयक आंकड़ों में जो सूचित किया गया है, उसका 59 प्रतिशत।
- खादी क्षेत्र में रोजगार निर्माण के लिए औसत निवेश 27,259 रुपए प्रति पूर्णकालिक रोजगार (जॉब) है। एक निर्मित रोजगार के रखरखाव की वार्षिक सार्वजनिक लागत 4979 रुपए प्रति पूर्णकालिक रोजगार है।
- ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार निर्माण के लिए निवेश 43,366 रुपए प्रति पूर्णकालिक रोजगार है और वार्षिक रखरखाव की लागत 2158 रुपए है।

- सार्वजनिक (प्रदाय) लागत खादी क्षेत्र में मजदूरी भुगतान का 182 प्रतिशत और ग्रामोद्योग क्षेत्र में मजदूरी भुगतान का 50 प्रतिशत बैठती है।
- वर्ष 1997-98 के दौरान, औसत के हिसाब से, एक नमूने की खादी इकाई के पास 4,96,305 रुपए के मूल्य की मशीनरी तथा उपस्कर पाया गया था, कार्यकारी पूंजी के रूप में उसमें 61,39,744 रुपए लगे हुए थे और उसने पूर्णकालिक आधार पर 246 लोगों को काम पर लगा रखा था। वर्तमान वित्तपोषण की पद्धति के अंतर्गत, एक औसत खादी इकाई पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्रति कामगार 5987 रुपए की अधिशेष राशि कमाती है। किन्तु यह अधिशेष राशि लाभ में परिवर्तित नहीं की जाती है क्योंकि इकाई का समस्त उत्पादन वर्ष के दौरान नहीं बेचा जाता। औसत स्टॉक जो अनचाहे इकट्ठा हो जाता है, वार्षिक उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत होता है और छोटी इकाइयों के लिए यह 80 प्रतिशत तक ऊंचा होता है। खादी उत्पादन का अर्थशास्त्र बहुत भिन्न निकलेगा यदि तैयार माल की सूची (इनवेंटरी) वार्षिक उत्पादन के 5 प्रतिशत तक घटाई जा सके। ऐसे परिदृश्य में, एक खादी इकाई प्रति पूर्णकालिक कामगार 5131 रुपए का अर्थात् संपूर्ण इकाई के लिए कुल 12.6 लाख रुपए का लाभ पैदा करेगी।
- चिन्ता का एक अन्य विषय यह है कि उत्पादन के प्रति कच्चे माल का अनुपात ऊंचा है। कुछ इकाइयों के लिए, यह अनुपात तीन-चौथाई तक ऊंचा है। 25 प्रतिशत से अधिक का अनुपात न तो न्यायोचित है और न ही संघारणीय।
- सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जिस तीसरे विषय का पता चला वह है : कामगारों की मजदूरी का कम होना। यह कमाई द्वितीयक आंकड़ों में सूचित कमाई से तो बहुत कम है ही, साथ ही यह एक पूर्णकालिक कामगार द्वारा योजित मूल्य का अपेक्षाकृत छोटा अनुपात बनती है। सरकार खादी इकाई पर जितना खर्चा करती है उसका केवल 58 प्रतिशत भाग ही खादी कामगारों तक पहुंचता है।
- एक ग्रामोद्योग ने औसतन 6,97,940 रुपए की पूंजी लगा रखी थी और 16.2 पूर्णकालिक कामगार काम पर लगा रखे थे। ग्रामोद्योग इकाइयां वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम हैं और सरकार से आर्थिक सहायता बिना भी अपने आप को चालू रख सकती हैं।
- लाभानुभोगी परिवारों (कामगारों) की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 5655 रुपए है और उसमें के.वी.आई.सी. कार्यक्रम से होने वाली आमदनी 52.71 प्रतिशत है। एक औसत ग्रामोद्योग कामगार के परिवार की आय खादी कामगार के परिवार की आय से 70 प्रतिशत अधिक होती है। खादी कामगारों के परिवार अपनी वार्षिक आमदनी का 46 प्रतिशत के.वी.आई.सी. से प्राप्त करते हैं, जबकि ग्रामोद्योग कामगारों के परिवार लगभग 58 प्रतिशत कमाते हैं। खादी कामगारों के परिवारों की अपेक्षाकृत कम आय होने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंशकालिक रोजगार का प्रभुत्व है।
- नमूने के परिवारों (मजदूरों) में से दो-तिहाई से अधिक परिवार, मूल रूप से, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के थे। इन गरीब परिवारों में से, लगभग 71

प्रतिशत परिवारों के.वी.आई.सी. कार्यक्रम से होने वाली अतिरिक्त आय की सहायता से, वास्तव में गरीबी की रेखा को पार कर लिया है। इस मामले में भी, ग्रामोद्योग क्षेत्र का निष्पादन (80.5 प्रतिशत) खादी क्षेत्र (62.3 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।

- कुछ मुख्य व्यक्ति (अध्यक्ष/सचिव) भी के.वी.आई.सी. कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभानुभोगी हैं। सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुख्य व्यक्तियों की पारिवारिक आय का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग के.वी.आई.सी. कार्यक्रम से प्राप्त होता है।
- इकाइयों/संस्थाओं के शासी निकायों के गैर-कार्यकारी सदस्य भी इस कार्यक्रम से वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं। उनके परिवार की वार्षिक आय का औसतन, 15 प्रतिशत भाग के.वी.आई.सी. कार्यक्रम से प्राप्त होता है।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम (एस.एस.एन.पी.)

16. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम परिवार कल्याण के लिए विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1992-93 में पांच वर्ष के लिए ऐसे 90 जिलों में प्रारंभ किया गया था जहां माताओं की मृत्यु-दर ऊंची थी और संस्थानगत प्रसूतियों का स्तर नीचा था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करके माताओं की मृत्यु-दर को कम करना है। इन सुविधाओं में कुछ निर्धारित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) में महिला डॉक्टर की नियुक्ति करना शामिल है, ताकि गर्भवती माताओं की संस्थानगत प्रसूतियां सुकर बनाई जा सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 10.00 लाख रुपए प्रति केन्द्र के हिसाब से मंजूर किए गए थे।

17. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम (एस.एस.एन.पी.) के अंतर्गत सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) के कार्यकरण और संस्थानगत प्रसूतियों को सुकर बनाने में उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन-अध्ययन किया। इस हेतु तीन राज्यों में स्थित छः नमूना जिलों में फैले हुए 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 167 मरीज नमूने के तौर पर चुने गए और उनका अध्ययन किया गया।

18. इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- वर्ष 1995-96 के दौरान नमूने के 12 सहायताप्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक में भी ये आठ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं : सुव्यवस्थित शल्यक्रिया कक्ष, प्रसूति कक्ष, प्रेक्षण यार्ड, दो क्वार्टर, जेनरेटर, पेय-जल, रोगी वाहन और महिला डॉक्टर। महिला डॉक्टर के पद सहित इन आठ आवश्यक पूरक सुविधाओं में से अधिकतम छः सुविधाएं तीन केन्द्रों में, पांच सुविधाएं 4 केन्द्रों में, चार सुविधाएं 1 केन्द्र में और दो सुविधाएं 4 केन्द्रों में उपलब्ध थीं। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि आवश्यक सुविधाओं के निर्माण में नमूने के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

इतना अंतर क्यों है जबकि इन सभी केन्द्रों को समान रूप से 10 लाख रुपए प्रति केन्द्र के हिसाब से धनराशि आवंटित की गई है।

- अपेक्षित सुविधाओं में से प्रसूति के मामलों को देखने के लिए महिला डॉक्टर का पद सबसे अधिक आवश्यक माना गया है, लेकिन नमूने के केन्द्रों में से एक में भी महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई थी। यद्यपि, प्रसूति कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष और प्रेक्षण वार्ड जैसी कुछ सुविधाएं अनेक नमूना केन्द्रों में उपलब्ध थी, लेकिन प्रसूति के मामलों में महिला डॉक्टर की उपलब्धता के अभाव में इन सुविधाओं का भी उपयोग नहीं किया जा सका। जन-शक्ति तथा आवश्यक सुविधाओं के बीच यह जो बेमेल मौजूद है वह गंभीर धिंता का विषय है। मजेदार बात तो यह है कि इन अपर्याप्त/कम सुविधाओं के बीच, 12 नमूना केन्द्रों में से सात में रोगी-वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- यह एक उत्साहजनक तथ्य है कि डॉक्टरों के स्वीकृत पदों पर पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नियुक्त हैं। सहायताप्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 75 प्रतिशत डॉक्टरों और गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों में 96 प्रतिशत डॉक्टरों के पद भरे हुए थे। किन्तु इस संदर्भ में, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की विचार-टिप्पणियों से पता चलता है कि व्यवहार में, डॉक्टरों की अपने कार्य-स्थलों से अनुपस्थिति बहुत अधिक पाई गई है और यह नमूना केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है।
- एस.एस.एन.पी. के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का औसत उपयोग प्रतिदिन 30 रोगी प्रति डॉक्टर होता है जबकि गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों में यह 25 रोगी है। तथापि, उपयोग-दर की अन्तर-केन्द्रीय तुलना करने से पता चलता है कि नमूने के राज्यों में उपयोग के आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं।
- जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के उपयोग की दर को इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन तथा कार्यकरण का सच्चा प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में, पी.ई.ओ. के क्षेत्र-दलों द्वारा, अपनी गंभीर जांच-पड़ताल तथा चर्चाओं के माध्यम से, एकत्र की गई गुणवत्तात्मक जानकारी से यह पता चलता है कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों की देखभाल पैरा-चिकित्सा कर्मचारियों और सहायक पैरा-चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा की जाती है। क्षेत्र-दलों द्वारा यह भी देखा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मरीजों ने अपने रोग के इलाज के लिए तृतीयक/जिला अस्पतालों में जाना अधिक पसंद किया।
- लाभानुभोगियों के चिकित्सा विवरणों से पता चलता है कि अधिक से अधिक 32.93 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने जुकाम, खासी, बुखार जैसी छोटी बीमारियों का इलाज कराया था। इसके बाद क्रमशः अशुद्ध जल से फैलने वाली बीमारियों (14.63 प्रतिशत), टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों (8.54 प्रतिशत), श्वासतंत्र की बीमारियों (8.53 प्रतिशत) और स्त्री-रोगों (4.88 प्रतिशत) का स्थान आता है।
- कार्यक्रम सहायताप्राप्त केन्द्रों के 51.22 प्रतिशत लाभानुभोगी इन केन्द्रों के कार्य से असंतुष्ट पाए गए। आगे, इन असंतुष्ट लाभानुभोगियों में से भी अधिकांश लोगों ने

इन केन्द्रों के चिकित्सा कर्मचारियों तथा पैरा-चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में शिकायतें की। उनके असंतोष के कुछ मुख्य कारण थे : चिकित्सा कर्मचारियों तथा पैरा-चिकित्सा कर्मचारियों का उपलब्ध न होना (42.85 प्रतिशत) डॉक्टरों द्वारा जांच न किया जाना (52.38 प्रतिशत) और उचित ध्यान न दिया जाना (37.71 प्रतिशत)। लाभानुभोगियों के असंतोष का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि इन केन्द्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। लगभग 66.67 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने यह बात कही।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्रदान न किए जाने के बावजूद इस कार्यक्रम से सहायताप्राप्त केन्द्रों के लगभग 89 प्रतिशत लाभानुभोगियों का मत यही था कि उपचार के अन्य वैकल्पिक साधनों की बजाय वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ही स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के लिए, अधिक पसंद करते हैं।
- सहायताप्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 73.33 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने और, गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों के 52.50 प्रतिशत रोगियों ने प्रत्येक बीमारी की घटना के लिए 100 रुपए से कम निजी व्यय किया है। इसके अलावा, सभी श्रेणियों के नमूने के लाभानुभोगियों द्वारा अधिकांश व्यय दवाइयों की खरीद पर किया गया है। कार्यक्रम सहायताप्राप्त केन्द्रों के लाभानुभोगियों का आय संबंधी विवरण देखने से पता चलता है कि जिन लाभानुभोगियों की औसत मासिक आय 500 रुपए से कम थी उनका प्रतिशत बहुत कम यानी 3.66 था, जबकि अधिकांश लाभानुभोगी (63.41 प्रतिशत) 1000 रुपए से अधिक की मासिक आय वाले थे। गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों के बारे में भी ऐसे ही परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- निम्न-आय-वर्ग वाले परिवार-जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली से, प्रमुख रूप से, इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वहां दवाइयां नहीं मिलती, परिवहन पर अप्रत्यक्ष रूप से लागत आती है और आमदनी (जैसे, मजदूरी) से हाथ धोने के कारण यह सेवा महंगी पड़ती है। इसलिए वे सस्ते विकल्पों, जैसे परंपरागत देशी दवाइयों पर या अयोग्य डॉक्टरों पर निर्भर रहते हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली के अधिकांश लाभानुभोगी इन सेवाओं के लिए पैसा देने को तैयार हैं, यदि सेवा का स्तर सुधर जाए। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के नमूना सर्वेक्षण में, लाभानुभोगियों से यह पूछा गया था कि यदि सेवा-स्तर में सुधार हो जाए तो क्या वे उपचार की बाजार लागत का 25 प्रतिशत भाग अदा करने को तैयार होंगे। लगभग 62 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने इस प्रश्न का उत्तर "हां" में दिया था।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)

19. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) दिसम्बर, 1993 में आरम्भ की गई थी ताकि संसद सदस्य (एम.पी.एस.) स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं पर आधारित पूंजीगत प्रकार के छोटे विकास कार्यों को पहचान कर कार्यान्वित

करवा सकें जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियां उत्पन्न की जा सकें। आरम्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय (अब इसका नाम ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय हो गया है) इस योजना की देखरेख करता था। अक्टूबर, 1994 से इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह मंत्रालय उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बनाता है जिनका पालन किया जाना होता है और उनमें समय-समय पर संशोधन भी करता है।

20. यह योजना पिछले 7 वर्षों से चालू है। वित्त संबंधी स्थायी समिति (1998-99) के अतिरिक्त दो स्थानिक अध्ययनों और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की दो रिपोर्टों (1993-97, 1997-2000) ने योजना को प्रभावी ढंग से प्रशासित और मॉनीटर किए जाने में मंत्रालय की प्रचालन संबंधी चूकों और असफलता को बताया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के निर्देश पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने इस योजना के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु इसके डिजाइन, क्रियान्वयन तथा प्रभाव के मूल्यांकन और इसके दुर्बलता और शक्ति वाले क्षेत्रों का पता लगाने हेतु अध्ययन किया।

21. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ये हैं :

- 1993-99 के दौरान 57 नमूना निर्वाचन क्षेत्रों में 25702 कार्यों में से सड़कों तथा पुलों और सामुदायिक कार्यों के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्य अधिक हैं और वे लगभग, क्रमशः 29 और 24 प्रतिशत हैं। कुल कार्यों में से लगभग 68 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए, 14 प्रतिशत पर काम चल रहा है और 9 प्रतिशत अभी शुरू किए जाने हैं और बाकी कार्यों (9 प्रतिशत) की स्थिति के बारे में पता नहीं चल सका।
- इस तथ्य के बावजूद भी कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना राशि का बहुत बड़ा भाग (46 प्रतिशत) बिना खर्च किए हुए शेष बचा है, चुने हुए जिलों में अधिकतर कार्यों के लिए निधियों का आबंटन कम हुआ है। कुल मिलाकर, लगभग 46.4 प्रतिशत कार्यों को 50,000 रुपए से कम का आबंटन किया गया, जबकि 5 लाख रुपए या उससे अधिक के आबंटन वाले कार्यों का प्रतिशत केवल 3.6 है।
- मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण उक्त योजना का सबसे कमजोर भाग है, जो कि मुख्यतः इस उत्तरदायित्व वाले कलक्टर को उपलब्ध कराए गए अपर्याप्त आधारभूत ढाँचे के कारण है। उत्पन्न परिसम्पत्तियों का रख-रखाव इस योजना का एक अन्य कमजोर क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण विशेष रूप से इसके लिए आबंटित संसाधनों की कमी है।
- जानकार और स्थानीय लोगों द्वारा यथा महसूस योजना के प्रभाव से यह पता चलता है कि उत्पन्न परिसम्पत्तियों का लगभग 65 प्रतिशत अच्छी बताई गई है और उनमें से अधिकतर लोगों की राय है कि उत्पन्न परिसम्पत्तियां महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार हैं तथा उनसे उनके जीवन स्वरूप में सुधार आया है। तथापि, परिसम्पत्तियों के कार्यान्वयन और रख-रखाव के बारे में उनकी राय अपर्याप्त व्यवस्था

तथा योजना को सुदृढ़ बनाते हेतु बहुत बड़े पैमाने पर पी.आर.आई.जी. की अन्तर्ग्रस्तता की आवश्यकता की ओर इशारा करती है।

- अध्ययन के निष्कर्ष यह सुझाते हैं कि योजना को वित्तीय प्रबन्ध, कार्यान्वयन हेतु अन्तर-विभागीय समन्वय और उचित कार्यों की पहचान, मॉनीटरिंग और उत्पन्न परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए पी.आर.आई.जी. की अन्तर्ग्रस्तता हेतु पुनः सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। यह आशा की जाती है कि अध्ययन के निष्कर्ष योजना में सुधार हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में आयोजन/कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए उपयोगी होंगे।

बायो-गैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन

22. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) की बायो-गैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना ग्रामीण लोगों को स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन तथा खेती के लिए संवर्धित जैव खाद उपलब्ध कराने हेतु परिवार किस्म के बायो-गैस संयंत्रों, जिनकी वर्तमान क्षमता अनुमानतः 12 मिलियन है, को बढ़ावा देने हेतु 1981-82 में आरम्भ की गई थी। कार्यक्रम का अन्तर्निहित उद्देश्य अक्षूर्य ईंधनों और लकड़ी-ईंधन (फ्यूअल वुड) का उपयोग कम करना है। यह 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निर्धन और असुविधा प्राप्त लोगों, जो परिवार किस्म के बायो-गैस संयंत्रों के स्वामी नहीं बन सकते और उनका प्रचालन नहीं कर सकते, की सहायता करने हेतु समुदाय स्तर पर बड़े बायो-गैस संयंत्रों को बढ़ावा देने हेतु यह कार्यक्रम 1982-83 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एन.पी.बी.डी. को अपनाने वाले लोगों, उसका कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों और टर्नकी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहनों के पैकेज की व्यवस्था है।

23. एन.पी.बी.डी. को इसके ऊर्जा के सस्ते और नवीकरणीय स्रोत के वैकल्पिक स्रोत की सम्भाव्यता के कारण और इसके घटिया कार्य-निष्पादन, संयंत्रों के बन्द हो जाने की ऊँची दर (हाई मार्टेलिटी रेट) तथा उनको अत्यधिक केन्द्रीय सहायता के कारण भी जनता का ध्यान और संवीक्षण प्राप्त होता रहा है। एम.एन.ई.एस. अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों और उनके अपने ही मॉनीटरिंग तंत्रों से प्राप्त पुनर्निवेशन (फीड बैक) से सीखे गए सबकों के आधार पर समय-समय पर एन.पी.बी.डी. के लिए कार्यान्वयन रणनीति को संशोधित करती रही है। तथापि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एन.पी.बी.डी. के कार्य-निष्पादन में वस्तुतः सुधार हुआ है।

24. एम.एन.ई.एस. के निर्देश पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने मुख्यतः इस बात की जांच करने के लिए एन.पी.बी.डी. का मूल्यांकन किया कि क्या वर्तमान में अपनाए जा रहे क्रियान्वयन के तरीकों से परिवार-किस्म के बायो-गैस संयंत्रों के अपनाए जाने में वृद्धि और संयंत्रों के बन्द हो जाने और कार्य न करने की दर में कमी आई है। अध्ययन का उद्देश्य नैदानिक विश्लेषण से कार्यक्रम की सफलता और असफलता के कारण पता लगाना है। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन का उद्देश्य देश में बायो-गैस की शक्यता को प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक रणनीतियों की व्यवहार्यता पर विचार करना भी है।

25. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ये हैं :

(क) परिवार (फैमिली टाइप) किस्म के बायोगैस संयंत्र

- बायोगैस का प्रयोग करने वाले अधिकतर परिवार धनी किसान हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, जबकि उनमें से लगभग 5 प्रतिशत के पास कृषि भूमि नहीं है।
- लगभग 75 प्रतिशत कार्यात्मक एफ.टी.बी.पी.जे. के मालिकों ने खाना बनाने के ईंधन की लागत में काफी बचत बताई है। उनमें से 90 प्रतिशत ने यह बताया है कि संवर्धित स्लैरी के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों की लागत में कमी आई है।
- स्वास्थ्य संबंधी (सैनिटरी लिंकड) बायोगैस संयंत्र कम स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि इन संयंत्रों के नैतिक प्रचालन के संबंध में सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं।
- केवल 45 प्रतिशत संयंत्र ही पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, 10 प्रतिशत संयंत्र आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं, 3.6 प्रतिशत अंधूरे हैं, 5.9 प्रतिशत चालू नहीं किए गए हैं, 26.2 प्रतिशत अपरिचालनीय और 9 प्रतिशत विखण्डित कर दिए गए हैं।
- विभिन्न संरचनात्मक समस्याओं के कारण 60 प्रतिशत से अधिक संयंत्र अकार्यात्मक हो गए। इनमें से अधिकतर उड़ीसा के (43 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (46 प्रतिशत) के हैं।
- थोड़े से परिवारों (3.4 प्रतिशत), अधिकतर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के पास अपने संयंत्रों के प्रचालन के लिए गोबर नहीं है।
- राज्य स्तर के अधिकतर बायोगैस सेलों में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है जबकि सभी राज्यों के जिलों में कर्मचारियों की कमी-महसूस की गई जिससे निर्माण के दौरान तथा विभिन्न स्तरों पर संयंत्रों के भौतिक सत्यापन में अन्याप्त पर्यवेक्षण होता है।
- बहुत से परिवारों, लगभग 90 प्रतिशत को खराब संयंत्रों की मरम्मत की सरकारी योजना की जानकारी नहीं होती।
- बायोगैस संयंत्रों के निर्माण की वित्त व्यवस्था संस्थागत स्रोतों से किया जाना व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं समझा जाता। नमूना परिवारों के केवल 11 प्रतिशत ने ही इस सुविधा का लाभ उठाया।
- कार्यात्मक बायोगैस संयंत्रों के मालिकों की पशु-सम्पत्ति (कैटल होल्डिंग) का औसत परिमाण 5.23 पाया गया है, जबकि अकार्यात्मक संयंत्रों के मालिकों की पशु-सम्पत्ति का औसत परिमाण 3.19 है।
- परिवार किस्म (फैमिली टाइप) के बायोगैस संयंत्रों की पारिवारिक मांग, वैकल्पिक सुविधाजनक ईंधनों (एल.पी.जी.) की उपलब्धता, किसी गांव की सबसे पास के कच्चे से दूरी और बायोगैस संयंत्रों के प्रबंध तथा रखरखाव में असुविधा जैसे कारणों से प्रभावित होती है।

(ख) सामुदायिक बायोगैस संयंत्र

- एम.एन.ई.एस. ने पिछले पांच वर्षों में सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देना लगभग बंद कर दिया है। इस अवधि के दौरान, ऐसे केवल 9 ही संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 8 मध्य प्रदेश में हैं।
- जिन सी.बी.सी.जी. का सर्वेक्षण किया गया है, उनका केवल 7 प्रतिशत ही कार्यात्मक है। विगत में कृषि वित्त निगम, मुम्बई द्वारा सी.बी.पी.जी. के संबंध में किए गए ऐसे ही अध्ययन ने इनकी कार्यात्मक दर 12 प्रतिशत बताई है।
- सी.बी.पी.जी.की सफलता के मुख्य कारण भाग लेने वाले सदस्यों की छोटी संख्या (लगभग 15), कृषि और पशु-पालन की व्यावसायिक श्रेणी से ज्यादा सदस्य (77 प्रतिशत) और सदस्यों की उच्च मासिक पारिवारिक आय है।
- इसकी असफलता के मुख्य कारण ये हैं : सदस्यों की अधिक संख्या, मासिक रखरखाव प्रभारों और गोबर में अंशदान न किया जाना, संयंत्र के प्रचाल के लिए श्रम की अनुपलब्धता और गैस की अनुपलब्धता के बारे में शिकायतें, प्रचालन का अनुपयुक्त समय, मरम्मत/रखरखाव के लिए सदस्यों का असहयोग, आदि।

वार्षिक योजना 2002-03

26. निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन/कार्यकलाप सम्पन्न किए गए प्रगति पर हैं :

- (i) बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना और चूल्हों संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन -- मई, 2002 में पूरा हुआ।
- (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए गोदामों के निर्माण और वाहनों/ट्रकों की खरीद के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (iv) महाराष्ट्र में सांविधिक विकास बोर्डों के कार्यकरण का मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (v) गुजरात, नागालैंड और उड़ीसा में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना का प्रभाव अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (vi) विकास केन्द्र योजना संबंधी मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (vii) परियोजना पैकेज स्कीम और विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (viii) मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।

- (ix) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य बल प्रबन्धन विकल्प और आधारभूत ढांचा व्यक्ति-युक्तकरण संबंधी मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।
- (x) जम्मू और कश्मीर में अनन्तनाग, कुपवाड़ा, राजौरी और डोडा जिलों में सी.एस. स्कीमों का प्रभाव सम्बन्धी मूल्यांकन अध्ययन -- प्रगति पर है।

3.2 सरकारी क्षेत्र का परिव्यय

1. वर्ष 2002-03 का वार्षिक योजना परिव्यय, 1,44,037.77 करोड़ रुपए का है, जिसमें 66,870.92 करोड़ रुपए की राशि सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) की और 77,166.85 करोड़ रुपए की राशि आन्तरिक तथा बजट-बाह्य संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 46,629.08 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता केन्द्रीय सहायता के रूप में आबंटित किए गए हैं केन्द्रीय क्षेत्र की योजना और राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के बीच सकल बजटीय सहायता, इन दोनों के बीच योजना संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए, आबंटित की जाती है।

वार्षिक योजना 2002-03 की पृष्ठभूमि

2. योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान केन्द्रीय योजना परिव्यय और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात तथा सार्वजनिक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार गिरावट को रोकने की आवश्यकता पर पुनः प्रकाश डाला गया। यदि अर्थव्यवस्था की विकास दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने, जैसा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विचार किया गया है, के लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त किया जाना है, तो इस दिशा में प्रयास और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं।

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना में, वार्षिक योजनाओं में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के हिस्से का औसत 43 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, यह वार्षिक योजना 2001-02 के संशोधित अनुमानों (आर.ई.) में, केन्द्रीय क्षेत्र को बजट के बाद आबंटित अतिरिक्त राशियों तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) का एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राज्य क्षेत्र आबंटनों से ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिए जाने के कारण, घटकर 39.3 प्रतिशत रह गया। वार्षिक योजना 2002-03 के बजट अनुमान (बी.ई.) में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के हिस्से को बढ़ाकर 41.08 प्रतिशत कर दिया गया है, जो वार्षिक योजना 2001-02 के बजट अनुमान से 14.73 प्रतिशत अधिक और संशोधित अनुमान से 19.94 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि इस हिस्से को बढ़ाकर नौवीं योजना के 43 प्रतिशत से अधिक के औसत तक कर दिया जाना वांछनीय होता, तथापि केन्द्रीय क्षेत्र में योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में अतिरिक्त संसाधन वचनबद्धताओं और नीति संबंधी घोषणाओं के कारण, ऐसा करना संभव नहीं हुआ। 2002-03 में केन्द्रीय क्षेत्र का आबंटन में वार्षिक योजना 2001-02 के बजट अनुमान से 13.4 प्रतिशत बढ़ा और संशोधित अनुमान से 1 प्रतिशत घटा।

4. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना प्रस्ताव तैयार करते समय केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने सभी कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं में गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कहा गया, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक विवेकपूर्ण और आर्थिक रूप से कुशल तरीके से प्रयोग किया जा सके। तदनुसार, 2002-03 के वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार करने समय, मंत्रालयों/विभागों को रूकोड़ योजना- (कोर प्लान) तैयार करने के लिए कहा गया जिसमें आधारीक क्षेत्रीय प्राथमिकताओं तथा संबंधित क्षेत्र के लिए न्यूनतम कार्यक्रम पर विशेष प्रकाश डाला जाए। इसके पीछे यह विचार है कि प्रत्येक क्षेत्र में नाजुक (क्रिटिकल) कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां सुनिश्चित की जा सकें और उनके क्रियान्वयन से बताए गए लाभ पूर्णतया प्राप्त किये जा सकें।

5. संसाधनों के वास्तविक मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि दसवीं योजना के संदर्भ में वार्षिक योजना 2002-03 के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव विश्वसनीय हों और यह कार्य स्वयं अर्धपूर्ण हो। आन्तरिक संसाधन और बिजली बोर्डों, परिवहन निगमों तथा सिंचाई विभागों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों का कार्यकरण धिता का विषय रहे हैं और उन पर आयोग में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उपक्रमों के आन्तरिक प्रोद्भवनों (अक्रूअल्स) को बढ़ाने हेतु संगठित प्रयासों की भी आवश्यकता है, ताकि वे उपक्रम सरकार के बजटीय संसाधनों को न पी जाएं। इसके विपरीत, उनको, योजना के लिए संसाधन जुटाने में सरकार के प्रयासों में सकारात्मक योगदान करने की स्थिति में होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में स्वीकृत योजना परिव्यय और संशोधित/वास्तविक परिव्यय के बीच अन्तर मुख्यतः योजना के लिए सम्मत आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधन जुटने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.ज.) की असफलता के कारण है। उन मंत्रालयों/विभागों, जिनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, को कहा गया है कि वे इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें ताकि उक्त अन्तर को समाप्त किया जा सके।

6. सरकारी कार्यक्रमों की कार्यकुशलता और प्रभाव में सुधार करते हेतु, केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अभिसरण, छंटाई और हस्तांतरण के लिए वर्ष के दौरान एक विस्तृत कार्य आरम्भ किया गया। केन्द्रीय बजट 2001-02 में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, सभी चालू योजनाओं को योजना में शून्य-आधारित बजट बनाने का विषय बनाया गया। इन अभ्यासों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई है। उक्त परिणाम, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं को किए जा रहे आबंटनों में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं।

7. अतिरिक्त संसाधनों के लिए वचनबद्धताओं और नीति संबंधी घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, उन क्षेत्रों/मंत्रालयों को पर्याप्त संसाधन जुटाने का निर्णय लिया गया जिनकी दसवीं योजना के लिए विशेष जोर दिए जाने क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है और जिनको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यथा स्वीकृत किया गया है।

8. विशेष जोर दिए जाने वालों के लिए पहचाने गए क्षेत्रों/मंत्रालयों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि, विद्युत और ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और विज्ञान और

प्रौद्योगिकी शामिल हैं। केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में इन क्षेत्रों को कुल मिलाकर 44,898 करोड़ से अधिक रुपए आबंटित किए गए हैं, जो कि योजना की कुल बजटीय सहायता का लगभग 67 प्रतिशत है।

9. क्षेत्रीय आबंटनों में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पैकेज भी शामिल है ताकि वहां विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके और सामाजिक-आर्थिक अन्तर को कम किया जा सके। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों (विशेष रूप से छूट प्राप्त से भिन्न) के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बजटीय परिष्वय का कम से कम 10 प्रतिशत, सिविकम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए चिह्नित करे। 2002-03 के वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटनों को चिह्नित करने हेतु छूट प्राप्त मंत्रालय/विभाग यह है : व्यय-राजस्व, योजना, सागर विकास, अन्तरिक्ष, आपूर्ति (सप्लाई), परमाणु ऊर्जा, आर्थिक कार्य, विदेश, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इस्पात, विधि कार्य, कार्मिक और प्रशिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

योजना आबंटनों की विशेषताएं

10. यद्यपि कृषि एक राज्य विषय है, तथापि केन्द्रीय क्षेत्र योजना में इस क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता में पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 9.7 की वृद्धि की गई है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा यह वृद्धि थोड़ा अधिक 13.4 प्रतिशत से अधिक है। ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत, कृषि के लिए आबंटन में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

11. प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए आबंटनों में, 2001-2002 के बजटीय अनुमान से 22.5 प्रतिशत की वृद्धि और संशोधित अनुमान से 30.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ताकि सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सरकार की वचनबद्धता को पूरा किया जा सके। इस बात पर विचार करते हुए कि आगामी वर्ष इस कार्यक्रम का पहला वर्ष है, भविष्य में आबंटन में आनुक्रमिक वृद्धि करनी पड़ सकती है।

12. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में आधारिक स्तर (ग्रास रूट लेवल) पर सबसे अधिक दृश्यमान सरकारी कार्यकर्ता अर्थात् आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि किए जाने और प्रजनक तथा शिशु-स्वास्थ्य देखरेख के लिए उन्नत परिवार कल्याण सेवा के कारण अतिरिक्त आबंटन किए गए। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी को मजबूती प्रदान करने हेतु भी आबंटनों में वृद्धि की गई है ताकि इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर पूरक तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित किया जा सके।

13. विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र के मामले में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए बड़े हुए आबंटनों का निदेश देते समय योजना का केन्द्र (फोकस) राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र के सुधारों को गति प्रदान करना रहा है। तदनुसार, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के लिए आबंटन में 133 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

14. ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के आबंटन में 2001-02 के बजट अनुमान से 40 प्रतिशत अधिक की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग की चालू राष्ट्रीय

सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना को राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के अंश के रूप में 680 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस कार्यक्रम को अब ग्रामीण विकास विभाग के पर्यवेक्षण में, ए.पी.डी.आर.पी. और ए.आई.बी.पी. की तरह चलाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के संबंध में नकदी और खाद्यान्न घटक सहित 3,996 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष रूप से खाद्यान्न के उठाव (ऑफ टेक) पर निर्भर रहते हुए, वर्ष के दौरान अन्य मंत्रालयों की बचतों से और अधिक निधियां मुहैया की जा सकती हैं।

15. जैवप्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, अन्तरिक्ष और महासागर विकास सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आबंटनों में 2001-02 के बजट अनुमानों से 22.6 प्रतिशत की और संशोधित अनुमान से लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि की गई, ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस क्षेत्र के अन्दर विशेष जोर (फोकस) वाले क्षेत्रों की देखभाल हो सके, जिससे उक्त क्षेत्र में देश के सामरिक महत्व के हितों को पूरा किया जा सके।

16. सड़क और राजमार्ग, नौपरिवहन और रेलवे सहित परिवहन क्षेत्र के आबंटन में 2001-02 के बजट अनुमान से 29.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अधिकतर वृद्धि सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, जिसमें वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का दूसरा चरण आरम्भ किया जाना है, के आबंटन में और रेल मंत्रालय के आबंटन में की गई है। रेल सुरक्षा निधि के लिए व्यवस्था सहित, रेलवे की बजटीय सहायता को 52.3 प्रतिशत बढ़ाकर 3540 करोड़ रुपए से 4840 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

17. शहरी विकास क्षेत्र में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.) के लिए 256.85 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों की साझीदारी से छोटे शहरों और कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु नई पहल के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन को राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के अंश के रूप में दिया गया है। अधिकतर मामलों में, बढ़ती हुई जनसंख्या की आधारभूत ढांचे संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऐसे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अपर्याप्त है। अतः नया कार्यक्रम, मझौले और बड़े कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में स्थानीय निकायों के प्रयासों का पूरक है।

18. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में आगामी वर्ष में 2500 करोड़ रुपए के आबंटन सहित एक विकास एवं सुधार सुविधा आरम्भ की गई है। इस सुविधा का उद्देश्य एक मध्यम अवधि के समय ढांचे में समयबद्ध तरीके से सम्मत नीति तथा प्रक्रियात्मक सुधारों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना है। बिहार और उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए प्रस्तावित विशेष पैकेजों को इस सुविधा के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

19. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का केन्द्रीय सहायता में, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियां, तीन विन्डोज अर्थात् प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को ऋण, के माध्यम से भेजी जाती थीं। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए

संसाधनों के दिए जाने और उपयोग में फोकस और कार्यकुशलता में सुधार करने की दृष्टि से इनका एक में विलयन कर आगामी वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

20. केन्द्र के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण विकास शीर्षों के अनुसार, तालिका 3.2.1 में दिया गया है।

तालिका 3.2.1

केन्द्र के लिए 2002-03 की वार्षिक योजना के बजट अनुमान

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट अनुमान	आई.ई.बी.आर.	परिव्यय
1	कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	3633.13	100	3733.13
2	ग्रामीण विकास	6420.72	0	6420.72
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	442.98	0	442.98
5	ऊर्जा	5178.11	31128.21	36306.32
6	उद्योग और खनिज	3195.75	4797.26	7993.01
7	परिवहन	14211.82	17829.55	32041.37
8	संचार	335	19204.79	19539.79
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4413.8	0	4413.80
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1783.14	2	1785.14
11	सामाजिक सेवाएं	26822.93	4105.04	30927.97
12	सामान्य सेवाएं	433.54	0	433.54
	योग	66870.92	77166.85	144037.77

टिप्पणी: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा

21. संशोधित अनुमानों (आर.ई.) में, वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय को संशोधित कर 1,27,855.57 कर दिया गया है, जो 1,30,181.34 करोड़ रुपए के बजट अनुमान (बी.ई.) से 1.8 प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यूज.) के आई.ई.बी.आर. में 4.5 प्रतिशत की कमी है। वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के बजट अनुमान के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय के लगभग 54.32 प्रतिशत की निधि व्यवस्था सी.पी.एस.यूज. द्वारा आई.ई.बी.आर. के माध्यम से की जानी थी और बाकी 59,456 करोड़ रुपए की राशि जी.बी.एस. से पूरी की जानी थी। केन्द्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त ब्योरा शीर्षों के अनुसार, तालिका 3.2.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	केन्द्र			राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	योग
		बजट सहायता	आई.ई. बी.आर.	परिव्यय		
1	कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	3389.69	161.06	3550.75	4989.97	8540.72
2	ग्रामीण विकास	5719.95	0.00	5719.95	8147.07	13867.02
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	809.89	809.89
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	428.31	0.00	428.31	14160.92	14589.23
5	ऊर्जा	5214.27	24572.72	29786.99	13535.52	43322.51
6	उद्योग और खनिज	3121.96	4202.39	7324.35	2247.93	9572.28
7	परिवहन	14204.39	15872.59	30076.98	11618.94	41695.92
8	संचार	237.48	18668.97	18906.45	9.60	18916.05
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3505.54	0.00	3505.54	401.97	3907.51
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1194.03	3.00	1197.03	2123.90	3320.93
11	सामाजिक सेवाएं	22925.98	4098.84	27024.82	27778.22	54803.04
12	सामान्य सेवाएं	334.40	0.00	334.40	2669.58	3003.98
	योग	60276.00	67579.57	127855.57	88493.51	216349.08

22. केन्द्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2000-01 का वास्तविक व्यय, विकास शीर्षों के अनुसार, संलग्नक 3.2.1 में दिया गया है। केन्द्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2001-02 के बजट अनुमान, विकास शीर्षों के अनुसार, संलग्नक 3.2.2 में दिए गए हैं। संलग्नक 3.2.3 में केन्द्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2001-02 के संशोधित अनुमान, विकास शीर्षों के अनुसार, दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना 2001-02 के लिए संशोधित योजना परिव्यय, विकास शीर्षों के अनुसार, संलग्नक 3.2.4 में दिए गए हैं। केन्द्र के लिए वार्षिक योजना 2002-03 का बजट अनुमान मंत्रालय/विभाग-वार संलग्नक 3.2.5 में दिया गया है। केन्द्र के लिए वार्षिक योजना 2002-03 का बजट अनुमान, विकास शीर्ष अनुसार, संलग्नक 3.2.6 में दिया गया है।

केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वार्षिक योजना 2000-01 के लिए वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष	कोड	केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल योजना व्यय
(I)	कृषि और संबद्ध कार्यक्रम		2993.79	4487.79	95.29	7576.87
1.	फसल कृषि	12401	1356.03	1132.34	14.42	2502.79
2.	मृदा और जल संरक्षण	12402	74.21	807.37	3.09	884.67
3.	पशु पालन	12403	85.10	321.65	18.07	424.82
4.	डेयरी विकास	12404	39.59	41.19	3.75	84.53
5.	मछली पालन	12405	106.28	204.15	8.63	319.06
6.	वानिकी और वन्य जीवन (पशु कल्याण)	12406	424.89	1286.31	28.68	1739.88
7.	बागान #	12407	169.35	5.71	0.00	175.06
8.	खाद्य, भंडारण और भंडारगृह	12408	19.99	5.96	0.00	25.95
9.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	549.00	297.22	5.19	851.41
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	26.88	81.23	0.00	108.11
11.	सहकारिता	12425	137.03	232.06	12.15	381.24
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	5.44	72.60	1.31	79.35
(II)	ग्रामीण विकास		4381.85	5383.86	86.68	9852.39
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1273.19	651.94	5.46	1930.59
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	2804.39	2118.59	0.00	4922.98
3.	भूमि-सुधार	12506	73.00	237.89	1.34	312.23
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	231.27	2375.44	79.89	2686.60
(III)	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00	1045.47	0.00	1045.47
1	पर्वतीय क्षेत्र	12551	-	-	-	-
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	-	-	-	-
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	-	-	-	-

संलग्नक 3.2.1

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कोड	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल योजना व्यय
	(क) पिछड़े क्षेत्र		-	-	-	-
	(ख) जनजातीय उप-योजना		-	-	-	-
	(ग) सीमावर्ती क्षेत्र		-	-	-	-
	(घ) अन्य		-	-	-	-
(IV)	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		259.83	13232.70	36.56	13529.09
1.	बड़ी और मझौली सिंचाई	12701	14.84	10417.79	0.64	10433.27
2.	लघु सिंचाई	12702	4.91	1864.84	10.37	1880.12
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	144.95	339.14	0.05	484.14
4.	बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास	12711	95.13	610.93	25.49	731.55
(V)	ऊर्जा		21199.09	14466.32	947.83	36613.24
1.	विद्युत	12801	8401.00	14392.18	942.08	23735.26
2.	पेट्रोलियम	12802	9867.21	-	-	9867.21
3.	कोयला और लिग्नाइट	12803	2093.48	-	-	2093.48
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	12810	837.40	74.14	5.76	917.30
(VI)	उद्योग और खनिज		4715.85	2065.84	84.35	6866.04
1.	ग्राम और लघु उद्योग	12851	32.01	816.53	60.95	909.49
2.	लौह और इस्पात #	12852	1137.72	-	-	1737.72
3.	अलौह खनन तथा धातु विज्ञान उद्योग	12853	1463.22	-	-	1463.22
4.	सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग #	12854	16.04	-	-	16.04
5.	उर्वरक उद्योग #	12855	807.67	-	-	807.67
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	247.00	-	-	247.00
7.	रसायन और औषधि उद्योग #	12857	29.94	-	-	29.94
8.	इंजीनियरी उद्योग	12858	21.57	-	-	21.57

संलग्नक 3.2.1

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कोड	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल योजना व्यय
9.	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	305.35	-	-	305.35
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	0.02	-	-	16.98
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग #	12861	206.71	-	-	206.71
12.	अन्य उद्योग #	12875	286.04	1109.03	23.40	1418.47
13.	उद्योग और खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	162.56	140.28	0.00	302.84
(VII)	परिवहन		16494.59	8329.91	909.27	25733.77
1.	रेलवे	13002	9395.00			9395.00
2.	पत्तन और प्रकाशस्तंभ	13051	1159.32	13.74	15.19	1188.25
3.	जहाजरानी	13052	358.50	1.00	168.80	528.30
4.	नागर विमानन	13053	1444.01	20.68	30.00	1494.69
5.	सड़क और पुल	13054	4074.63	6964.81	274.39	11313.83
6.	सड़क परिवहन	13055	-	834.50	420.37	1254.87
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	44.59	38.70	0.29	83.58
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	18.54	456.48	0.24	475.26
(VIII)	संचार *		14181.54	0.36	1.03	14182.93
1.	डाक सेवाएं	13201	75.62	-	-	75.62
2.	दूरसंचार सेवाएं	13225	13638.62	-	-	18155.00
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	467.30	-	-	467.30
(IX)	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		3382.82	168.68	5.86	3557.61
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	503.51	-	-	503.51
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1593.98	-	-	1593.98
3.	समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान	13403	79.89	-	-	79.89
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	764.49	66.23	1.71	832.43
5.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	440.95	102.45	4.15	547.55

संलग्नक 3.2.1

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कोड	केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल योजना व्यय
(X)	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1127.43	1375.87	34.31	2537.61
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	123.23	519.45	3.01	645.69
2.	पर्यटन	13452	124.48	197.51	15.38	337.37
3.	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन #	13453	227.90			227.90
4.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	21.15	22.73	2.59	46.47
5.	मौसम विज्ञान #	13455	30.29			30.29
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	9.19	65.52	10.07	84.78
7.	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाएं	#13465	4.29			4.29
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	550.00			550.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं #	13475	36.90	570.66	3.27	610.83
(XI)	सामाजिक सेवाएं		19061.18	20401.85	1872.82	41335.85
1.	सामान्य शिक्षा	22202	4947.22	4956.08	260.93	10164.23
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	500.00	272.78	53.73	826.51
3.	खेल-कूद और युवा सेवाएं	22204	177.56	207.96	13.19	398.71
4.	कला और संस्कृति	22205	163.04	128.73	9.28	301.05
5.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	22210	1199.90	2429.10	349.36	3978.36
6.	परिवार कल्याण	22211	3090.11			3090.11
7.	जल आपूर्ति एवं सफाई #	22215	2071.03	4814.61	496.45	7382.09
8.	आवास	22216	1664.17	1867.32	56.91	3588.40
9.	शहरी विकास	22217	457.48	2135.11	526.46	3119.05
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	47.55	48.10	3.82	99.47
11.	प्रसारण	22221	538.86			538.86
12.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	908.78	1845.76	17.05	2771.59

संलग्नक 3.2.1

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कोड	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल योजना व्यय
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	111.99	232.80	8.31	353.10
14.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	2426.23	779.58	45.08	3250.89
15.	पोषण	22236	2.87	650.81	32.15	685.83
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	1.82			1.82
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं #	22250	1.20	33.11	0.10	34.41
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	751.37			751.37
(XII)	सामान्य सेवाएं		63.87	1469.95	114.85	1648.67
1.	न्याय-प्रशासन	32014	0.50			0.50
2.	मुद्रा-सिक्का-ढलाई और टकसाल	32046	5.44			5.44
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00			0.00
4.	सचिवालय सामान्य सेवाएं #	32052	3.20			3.20
5.	पुलिस	32055	6.50			6.50
6.	जेल #	32056	7.00	11.28	17.40	35.68
7.	आपूर्ति एवं निपटान #	32057	0.20			0.20
8.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	32058	0.00	12.29	1.90	14.19
9.	लोक निर्माण	32059	21.01	402.14	61.21	484.36
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	20.02	1044.24	34.34	1098.60
	सकल योग		87861.84	72428.60\$	4188.85	164479.29

* विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

- इसमें कोई आबंटन नहीं।

केन्द्र के लिए संशोधित अनुमान ; क्योंकि वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

\$ राज्य व्यय कालम में झारखंड का व्यय शामिल नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने वास्तविक व्यय संबंधी आंकड़ों की सूचना नहीं दी है।

संलग्नक 3.2.2

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्य और संघ
राज्य क्षेत्र का विकास शीर्षवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
I.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप		3380.25	5608.53	108.10	9096.88
1.	फसल कृषि	12401	1617.55	1768.25	15.82	3401.62
2.	मृदा	12402	15.00	767.09	4.71	786.80
3.	पशु-पालन	12403	138.99	342.20	18.96	500.15
4.	डेयरी विकास	12404	32.95	62.67	5.35	100.97
5.	मत्स्य पालन	12405	119.86	215.83	10.56	346.25
6.	यानिकी और वन्य जीवन	12406	335.46	1556.66	27.74	1919.86
7.	वृक्षारोपण	12407	136.50	7.20	3.45	147.15
8.	खाद्य भण्डारण तथा गोदाम	12408	128.19	16.54	0.00	144.73
9.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	684.00	310.59	5.13	999.72
10.	कृषि-वित्तीय संस्थान	12416	29.00	73.97	0.00	102.97
11.	सहयोग	12425	132.75	344.2	14.85	491.80
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	10.00	143.33	1.54	154.87
II.	ग्रामीण विकास		4449.45	8870.49	124.55	13444.49
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1194.75	1680.10	3.56	2878.41
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	2925.00	2510.44	0.00	5435.44
3.	भूमि सुधार	12506	66.00	232.74	1.71	300.45
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	263.70	4447.21	119.28	4830.19
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम *		0.00	1146.28	0.00	1146.28
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	-	-	-	0.00
2.	पूर्वांतर क्षेत्र	12552	-	-	-	0.00
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	-	-	-	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		-	-	-	0.00

संलग्नक 3.2.2

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
	(ख) जनजातीय उप-योजना		-	-	-	0.00
	(ग) सीमावर्ती क्षेत्र		-	-	-	0.00
	(घ) अन्य		-	-	-	0.00
IV.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		476.76	16001.52	50.20	16528.48
1.	बड़ी और मझौली सिंचाई	12701	56.14	12821.78	0.60	12878.52
2.	लघु सिंचाई	12702	84.58	2168.24	14.32	2267.14
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	187.19	244.98	0.18	432.35
4.	बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास	12711	148.85	766.52	35.10	950.47
V.	ऊर्जा		33787.63	14510.94	804.63	49103.20
1.	विद्युत	12801	12374.67	14349.97	796.33	27520.97
2.	पेट्रोलियम	12802	16935.69	-	0.00	16935.69
3.	कोयला और लिग्नाइट	12803	3438.31	-	0.00	3438.31
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	12810	1038.96	160.97	8.30	1208.23
VI.	उद्योग और खनिज		7954.38	2436.62	95.61	10486.61
1.	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1213.97	1035.55	66.32	2315.84
2.	लोह और इस्पात उद्योग	12852	1315.75	-	-	1315.75
3.	अलौह खनन तथा धातु विज्ञान उद्योग	12853	1442.22	-	-	1442.22
4.	सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग	12854	21.94	-	-	21.94
5.	उर्वरक उद्योग	12855	1149.03	-	-	1149.03
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	334.50	-	-	334.50
7.	रसायन और औषधि उद्योग	12857	48.95	-	-	48.95
8.	इंजीनियरी उद्योग	12858	615.88	-	-	615.88
9.	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	539.73	-	-	539.73
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	448.62	-	-	448.62
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	366.48	-	-	366.48

संलग्नक 3.2.2

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
12.	अन्य उद्योग	12875	47.96	1275.12	29.29	1352.37
13.	उद्योगों और खनिजों के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	409.35	125.95	-	535.30
VII.	परिवहन		22569.99	12099.19	1165.14	35834.32
1.	रेलवे	13002	10040.00		0.00	10040.00
2.	बंदरगाह और प्रकाशस्तंभ	13051	1092.75	23.83	13.75	1130.33
3.	नौवहन	13052	976.86	0.00	102.38	1079.24
4.	नागर विमानन	13053	1641.31	35.40	19.00	1695.71
5.	सड़क और पुल	13054	8745.34	10014.85	431.34	19191.53
6.	सड़क परिवहन	13055	0	1784.91	597.84	2382.75
7.	अंतरदेशीय जल परिवहन	13056	52.23	24.28	0.61	77.12
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	21.50	215.92	0.23	237.65
VIII.	संचार *		20288.66	10.16	0.99	20299.81
1.	डाक सेवाएं	13201	135.00	-	-	135.00
2.	दूरसंचार सेवाएं	13225	18174.00	-	-	18174.00
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	1979.66	-	-	1979.66
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		3599.85	429.12	13.44	4042.41
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	459.00	-	0.00	459.00
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1710.00	-	0.00	1710.00
3.	समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान	13403	142.00	-	0.00	142.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	888.75	218.07	5.25	1112.07
5.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	400.10	211.05	8.19	619.34
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		6404.85	2475.58	49.03	8929.46
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	215.84	932.48	4.29	1152.61
2.	पर्यटन	13452	179.50	364.97	21.56	566.03
3.	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	312.11	-	0.00	312.11

संलग्नक 3.2.2

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
4.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	154.00	32.03	4.53	190.56
5.	मौसम विज्ञान	13455	55.00	-	0.00	55.00
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	22.66	68.00	11.67	102.33
7.	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाएं	13465	0	-	0.00	0.00
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	420.00	-	0.00	420.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	5045.74	1078.10	6.98	6130.82
XI.	सामाजिक सेवाएं		26893.32	27156.26	2323.40	56372.98
1.	सामान्य शिक्षा	22202	5343.18	6040.31	415.79	11799.28
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	565.00	394.17	72.39	1031.56
3.	खेल-कूद और युवा सेवाएं	22204	231.55	239.12	14.98	485.65
4.	कला और संस्कृति	22205	199.85	160.18	19.91	379.94
5.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	22210	1411.00	3743.20	437.40	5591.60
6.	परिवार कल्याण	22211	3860.10	-	0.00	3860.10
7.	जल आपूर्ति एवं सफाई	22215	2167.00	5555.40	581.88	8304.28
8.	आवास	22216	3810.60	2412.53	68.53	6291.66
9.	शहरी विकास	22217	1257.97	3932.59	557.84	5748.40
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	56.34	141.85	4.43	202.62
11.	प्रसारण	22221	699.37	-	0.00	699.37
12.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1242.26	2020.17	35.65	3298.08
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	130.80	281.10	13.42	425.32
14.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	2966.97	1242.25	55.22	4264.44
15.	पोषण	22236	4.00	895.48	45.86	945.34
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	7.92	-	0.00	7.92

संलग्नक 3.2.2

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.60	97.91	0.11	99.62
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2937.81	-	-	2937.81
XII.	सामान्य सेवाएं		376.20	3089.06	142.65	3607.91
1.	न्याय-प्रशासन	32014	87.40		0.00	87.40
2.	मुद्रा-सिक्का-ढलाई और टकसाल	32046	8.95		0.00	8.95
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00		0.00	0.00
4.	सचिवालय सामान्य सेवाएं	32052	4.50		0.00	4.50
5.	पुलिस	32055	178.50		0.00	178.50
6.	जेल	32056	7.00	49.04	26.10	82.14
7.	आपूर्ति एवं निपटान	32057	0.00		0.00	0.00
8.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	32058	0.00	64.91	1.76	66.67
9.	लोक निर्माण-कार्य	32059	37.35	620.87	56.97	715.19
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	48.70	2354.24	57.82	2460.76
11.	विविध सामान्य सेवाएं	32075	3.80	-	-	3.80
	सकल योग		130181.34	93833.75	4877.76	228892.85

* विवरण उपलब्ध नहीं है।
- उसमें कोई आबंटन नहीं है।

संलग्नक 3.2.3

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का
विकास शीर्षवार संशोधित बजट अनुमान

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
I.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप		3550.75	4882.37	107.60	8540.72
1.	फसल कृषि	12401	1630.90	1468.58	16.34	3115.82
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	15.00	671.11	4.71	690.82
3.	पशु-पालन	12403	103.85	321.07	19.01	443.93
4.	डेयरी विकास	12404	26.95	47.11	5.64	79.70
5.	मछली पालन	12405	101.41	169.86	9.96	281.23
6.	वानिकी और वन्य जीवन	12406	341.79	1379.61	27.74	1749.14
7.	बागान	12407	181.42	6.54	3.45	191.41
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	208.65	10.79	0.00	219.44
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	684.00	300.67	5.13	989.80
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	46.00	55.13	0.00	101.13
11.	सहकारिता	12425	180.81	329.67	14.09	524.57
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	29.97	122.23	1.54	153.74
II.	ग्रामीण विकास		5719.95	8020.76	126.31	13867.02
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1180.75	1571.12	3.36	2755.23
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	4225.00	2450.12	0.00	6675.12
3.	भूमि सुधार	12506	60.00	212.78	1.65	274.43
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	254.20	3786.74	121.31	4162.25
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम *		0.00	809.89	0.00	809.89
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	-	-	-	-
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	-	-	-	-
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	-	-	-	-
	(क) पिछड़े क्षेत्र		-	-	-	-

संलग्नक 3.2.3

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
	(ख) जनजातीय उप-योजना		-	-	-	-
	(ग) सीमा क्षेत्र		-	-	-	-
	(घ) अन्य		-	-	-	-
IV.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		428.31	14113.68	47.24	14589.23
1.	बड़ी और मझौली सिंचाई	12701	49.65	11274.27	0.60	11324.52
2.	लघु सिंचाई	12702	122.18	1946.72	13.16	2082.06
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	115.53	232.21	0.18	347.92
4.	बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास	12711	140.95	660.48	33.29	834.72
V.	ऊर्जा		29786.99	12726.17	809.35	43322.51
1.	विद्युत	12801	12540.65	12630.46	801.16	25972.27
2.	पेट्रोलियम	12802	13757.83	-	-	13757.83
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	2632.73	-	-	2632.73
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	855.78	95.71	8.20	959.69
VI.	उद्योग व खनिज		7342.35	2147.36	100.57	9572.28
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	1136.26	933.72	67.37	2137.35
2.	लोह व इस्पात उद्योग	12852	932.76	-	-	932.76
3.	अलौह खनन तथा धातुविज्ञान उद्योग	12853	1446.37	-	-	1446.37
4.	सीमेंट व गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	13.38	-	-	13.38
5.	उर्वरक उद्योग	12855	731.66	-	-	731.66
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	349.74	-	-	349.74
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	79.75	-	-	79.75
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	1062.47	-	-	1062.47
9.	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	12859	502.41	-	-	502.41
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	407.90	-	-	407.90
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	264.82	-	-	264.82
12.	अन्य उद्योग	12875	47.58	1104.33	33.20	1185.11

संलग्नक 3.2.3

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
13.	उद्योगों व खनिजों के सबध मे अन्य परिव्यय	12885	349 25	109 31	-	458 56
VII.	परिवहन		30076.98	10454.92	1164.02	41695.92
1.	रेलवे	13002	8578 00	-	-	8578 00
2.	बंदरगाह व प्रकाशस्तभ	13051	6975.53	19 21	14.25	7008 99
3.	जहाजरानी	13052	904 21	0.00	102.38	1006 59
4.	नागर विमानन	13053	1485.69	42 61	19 00	1547 30
5.	सड़के व पुल	13054	12040.27	8632.97	429.79	21103 03
6.	सड़क परिवहन	13055	0.00	1561 99	597 77	2159 76
7.	अतर्देशीय जल परिवहन	13056	73 28	16.82	0 61	90 71
8.	अन्य परिवहन सेवाए	13075	20 00	181 32	0.23	201 55
VIII.	संचार *		18906.45	8.61	0.99	18916.05
1	डाक सेवाए	13201	99.05	-	-	99 05
2.	दूर संचार सेवाए	13225	17723.00	-	-	17723 00
3	अन्य संचार सेवाए	13275	1084 40	-	-	1084 40
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		3505.54	388.60	13.37	3907.51
1.	प्रमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	417 86	-	-	417 86
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1600.00	-	-	1600 00
3	समुद्र विज्ञान अनुसंधान	13403	120 00	-	-	120 00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	871.86	195 04	5 24	1072 14
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	495 82	193 56	8 14	697 52
X.	सामान्य आर्थिक सेवाए		1197.03	2079.97	43.93	3320.93
1.	सचिवालयी आर्थिक सेवाए	13451	214 86	922 03	4 29	1141 18
2.	पर्यटन	13452	151 00	324 41	21 80	497 21
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	283 59	-	-	283 59
4	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	45 04	26 74	4 53	76 31

संलग्नक 3.2.3

क्र.सं.	विकास स्तरीय		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
5.	मौसम विज्ञान	13455	56.99			56.99
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	18.08	65.20	11.21	94.49
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	0.00	-	-	0.00
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	400.00	-	-	400.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	27.47	741.59	2.10	771.16
XI.	सामाजिक सेवाएं		27024.82	25461.64	2316.58	54803.04
1.	सामान्य शिक्षा	22202	5022.56	5937.02	410.94	11370.52
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	531.77	349.89	72.45	954.11
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	244.38	210.83	14.89	470.10
4.	कला एवं संस्कृति	22205	185.37	142.69	19.75	347.81
5.	शिक्षित्वा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1296.17	3197.41	435.39	4928.97
6.	परिवार कल्याण	22211	3446.24	-	-	3446.24
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2097.00	5198.90	583.04	7878.94
8.	आवास	22216	5091.00	2365.15	65.76	7521.91
9.	शहरी विकास	22217	2015.15	3630.42	560.07	6205.64
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	41.84	135.31	4.43	181.58
11.	प्रसारण	22221	637.90	-	-	637.90
12.	अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1119.44	1921.44	33.68	3074.56
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	118.87	252.40	13.03	384.30
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2614.54	1157.70	57.19	3829.43
15.	पोषाहार	22236	3.95	850.75	45.86	900.56
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	1.50	-	-	1.50
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	6.82	111.73	0.11	118.66
18.	पूर्वांतर क्षेत्र	22552	2550.32	-	-	2550.32

संलग्नक 3.2.3

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
XII.	सामान्य सेवाएं		334.40	2521.79	147.79	3003.98
1.	न्याय प्रशासन	32014	90.40	-	-	90.40
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	8.95	-	-	8.95
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00	-	-	0.00
4.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	4.50	-	-	4.50
5.	पुलिस	32055	153.50	-	-	153.50
6.	जेल	32056	7.00	46.81	26.10	79.91
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.35	-	-	0.35
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.00	66.13	1.55	67.68
9.	लोक निर्माण	32059	37.35	513.04	61.70	612.09
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	30.47	1895.81	58.44	1984.72
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	1.88	-	-	1.88
	सकल योग		127855.57	83615.76	4877.76	216349.09

* अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

- उसमें कोई आबंटन नहीं है।

वार्षिक योजना 2001-02 संशोधित परिव्यय - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम
1.	2.	3.	4.	5.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	2879	1667	5817
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	105	612	350
2403 00	पशु-पालन	581	617	2139
2404 00	डेयरी विकास	0	11	300
2405 00	मछली पालन	214	244	1465
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	9211	1580	3589
2407 00	बागान	0	0	12
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0	0	10
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	300	50	2020
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	915	0	0
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	238	116
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	59	302	869
1 01 0000 00	योग - (I)	14264	5321	16687
		(1.82)	(8.05)	(9.76)
	II. ग्रामीण विकास			
02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	21038	55	2890
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	32	0	0
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	83	1
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	9591	271	110
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	380	1042

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम
1.	2.	3.	4.	5.
1 02 2506 00	भूमि सुधार	417	178	364
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	15220	2011	11753
102 0000 00	योग - II	46298	2978	16160
		(5.92)	(4.51)	(9.45)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	1300	1272
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी ओर मझौली सिंचाई	100488	36	5583
2702 00	लघु सिंचाई	21503	4679	8344
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	1424	195	241
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	4383	368	1896
1 04 0000 00	योग - IV	127798	5278	16064
		(16.35)	(7.99)	(9.39)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	232149	8996	12663
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	48	150	19
1 05 0000 00	योग - V	232197	9146	12682
		(29.71)	(13.84)	(7.42)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	5528	525	3626
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	10645	12	1400
2853 02	खनन	160	55	177
1 06 0000 00	योग - VI	16333	592	5203
		(2.09)	(0.90)	(3.04)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	71	0	0

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम
1.	2.	3.	4.	5.
3052 00	जहाजरानी/नीवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	307	0
3054 00	सड़क व पुल	122853	13068	15296
3055 00	सड़क परिवहन	16243	429	3000
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	45	0	345
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	1202	38	78
1 07 0000 00	योग - VII	140414	13842	18719
		(17.96)	(20.94)	(10.95)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	97	124	163
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	45	9	10
	योग - IX	142	133	173
		(0.02)	(0.20)	(0.10)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	31552	172	707
3452 00	पर्यटन	2689	223	967
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	137	105	295
3456 00	नागरिक आपूर्ति	3030	87	80
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिवर्द्ध	0	1574	2760
	ii) तोल और माप	0	32	70
	iii) अन्य	26	1223	168
1 10 0000 00	योग - X	37434	3416	5047
		(4.79)	(5.17)	(2.95)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम
1.	2.	3.	4.	5.
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	24100	10057	46587
2203 00	तकनीकी शिक्षा	773	0	1095
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	5430	215	267
2205 00	कला और संस्कृति	1041	352	746
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	31344	10624	48695
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	33223	2466	12580
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	18264	3005	6754
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	13751	1916	336
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	17701	2083	1119
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	1586	129	276
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	29152	0	2529
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	888	42	869
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	94	2000
2 27 2235 00	समाज कल्याण	4227	183	310
2 27 2236 00	पोषाहार	7560	1146	3017
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	61	0
2 00 0000 00	योग - XI	157696	21769	78487
		(20.17)	(32.94)	(45.90)
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	0	0	110
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	0	83	40
2059 00	लोक निर्माण	305	1698	266

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम
1.	2.	3.	4.	5.
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	23	0
	ii) अन्य	8767	512	90
3 00 0000 00	योग - XII	9072	2316	506
		(1.16)	(3.50)	(0.30)
9 99 9999 99	सकल योग	781648	66091	171000
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा
1.	2.	6.	7.	8.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	2050	3445	375
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	30	216	94
2403 00	पशु-पालन	403	1083	325
2404 00	डेयरी विकास	77	0	60
2405 00	मछली पालन	240	243	170
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	235	3794	443
2407 00	बागान	0	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0	0	4
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	615	2685	19
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	238	0	0
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	0	4
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	1640	1070	352
1 01 0000 00	योग - (I)	5528	12536	1846
		(2.09)	(9.55)	(4.01)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	3957	757	30
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	115	370	0
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	0	18
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	7650	1400	49

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा
1.	2.	6.	7.	8.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	14700	1101	50
1 02 2506 00	भूमि सुधार	1712	258	63
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	62738	18617	339
102 0000 00	योग - II	90872	22503	549
		(34.37)	(17.15)	(1.19)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	321
				(0.70)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	47300	24097	8262
2702 00	लघु सिंचाई	13964	269	1073
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	2100	102	305
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	6348	17	165
1 04 0000 00	योग - IV	69712	24485	9805
	र्ज	(26.37)	(18.66)	(21.32)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	6058	857	3300
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	321	50	22
1 05 0000 00	योग - V	6379	907	3322
		(2.41)	(0.69)	(7.22)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	1074	97	1077
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	722	1774	1001

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा
1.	2.	6.	7.	8.
2853 02	खनन	43	490	29
1 06 0000 00	योग - VI	1839	2361	2107
		(0.70)	(1.80)	(4.58)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	5
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	263	8	0
3054 00	सड़क व पुल	31599	4535	3728
3055 00	सड़क परिवहन	349	0	247
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	219
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0	0	100
1 07 0000 00	योग - VII	32211	4543	4299
		(12.18)	(3.46)	(9.35)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	30	47	25
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	0	57	20
	योग - IX	30	104	45
		(0.01)	(0.08)	(0.10)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	123	0	76
3452 00	पर्यटन	200	57	959
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	156	11	38
3456 00	नागरिक आपूर्ति	280	0	0

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा
1.	2.	6.	7.	8.
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	200	1800	0
	ii) तोल और माप	0	0	23
	iii) अन्य	0	0	0
1 10 0000 00	योग - X	959	1868	1096
		(0.36)	(1.42)	(2.38)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	19330	23567	2242
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1308	648	896
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	251	107	636
2205 00	कला और संस्कृति	459	201	595
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	21348	24523	4369
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	10078	6025	1649
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	6185	13504	8648
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3055	1205	786
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	4857	5717	1358
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	266	19	50
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	1577	3226	63
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	248	43	469
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	1002	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	133	500	461
2 27 2236 00	पोषाहार	3687	2823	80

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा
1.	2.	6.	7.	8.
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	111	0
2 00 0000 00	योग - XI	51434	59298	17933
		(19.45)	(45.20)	(38.98)
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	646	42	55
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	0	51	25
2059 00	लोक निर्माण	1200	2439	1910
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	0	0
	ii) अन्य	2993	63	2687
3 00 0000 00	योग - XII	5436	2595	4677
		(2.06)	(1.98)	(10.17)
9 99 9999 99	सकल योग	264400	131200	46000
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1.	2.	9.	10.	11.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	35026	722	4394
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	3130	3042	2107
2403 00	पशु-पालन	1739	1604	2273
2404 00	डेयरी विकास	91	70	316
2405 00	मछली पालन	1073	394	213
2406 00	दानिकी और वन्य जीवन	15025	3180	7250
2407 00	बागान	0	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	74	35	0
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1699	919	3129
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	447	0	0
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	0	768
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	1610	1100	308
1 01 0000 00	योग - (I)	59914	11066	20758
		(9.22)	(6.10)	(11.90)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	925	525	526
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	1503	194	0
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	120	0
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	1334	2593	1218

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1.	2.	9.	10.	11.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	11597	0	0
1 02 2506 00	भूमि सुधार	715	115	2054
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	10645	10482	3216
102 0000 90	योग - II	26719	14029	7014
		(4.11)	(7.73)	(4.02)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	2750	1931
		-	(1.52)	(1.11)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	114325	21151	1180
2702 00	लघु सिंचाई	16934	7400	5003
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	537	1000	135
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	268	2000	660
1 04 0000 00	योग - IV	132064	31551	6978
	र्ज	(20.32)	(17.39)	(4.00)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	70242	3585	19832
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	983	100	266
1 05 0000 00	योग - V	71225	3685	20098
		(10.96)	(2.03)	(11.52)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	6484	9030	1185
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	26338	1140	216
2853 02	खनन	715	10	78
1 06 0000 00	योग - VI	33537	10180	1479
		(5.16)	(5.61)	(0.85)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1.	2.	9.	10.	11.
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	0
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	537	10	109
3054 00	सड़क व पुल	36024	19000	24250
3055 00	सड़क परिवहन	1789	5000	1580
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	1
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0	0	0
1 07 0000 00	योग - VII	38350	24010	25940
		(5.90)	(13.23)	(14.87)
1 08 0000 00	VIII. संचार	845	0	12
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	5814	116	0
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	447	50	111
	योग - IX	6261	166	111
		(0.96)	(0.09)	(0.06)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	39	27	995
3452 00	पर्यटन	1520	370	450
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	107	94	60
3456 00	नागरिक आपूर्ति	268	0	160
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	13362	1000	18
	ii) तोल और माप	89	25	1580
	iii) अन्य	140	00	301

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1.	2.	9.	10.	11.
1 10 0000 00	योग - X	15385	1516	3374
		(2.37)	(0.84)	(1.93)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	41346	15900	45400
2203 00	तकनीकी शिक्षा	3390	2300	712
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	288	1141	370
2205 00	कला और संस्कृति	1273	650	339
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	46297	19991	46821
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	18781	5845	12050
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	62594	10017	13027
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	42609	3000	5883
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	44512	2652	2980
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	894	200	498
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	27098	1400	335
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	4919	2092	154
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	4785	32027	2316
2 27 2236 00	पोषाहार	11850	450	980
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	10	0
2 00 0000 00	योग - XI	264339	77684	85044
		(40.67)	(42.82)	(48.75)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1.	2.	9.	10.	11.
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	0	0	0
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	0	250	169
2059 00	लोक निर्माण	0	4000	421
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	335	0	0
	ii) अन्य	1026	530	1122
3 00 0000 00	योग - XII	1361	4780	1712
		(0.21)	(2.63)	(0.98)
9 99 9999 99	सकल योग	650000	181417	174451
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	जम्मू और कश्मीर*	झारखंड*	कर्नाटक
1.	2.	12.	13.	14.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 240100	फसल कृषि	5973	4105	4576
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	6827	0	3756
2403 00	पशु-पालन	2319	397	3013
2404 00	डेयरी विकास	80	205	178
2405 00	मछली पालन	475	375	996
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	5381	8200	11712
2407 00	बागान	0		33
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	66	0	240
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2793	0	3500
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0	0	261
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	1532	0	1083
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	823	1080	698
1 01 0000 00	योग - (I)	26269	14362	30046
		(12.81)	(5.42)	(3.80)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	353	63931	2315
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	234		966
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	72		372

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	जम्मू और कश्मीर*	झारखंड*	कर्नाटक
1.	2.	12.	13.	14.
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	1988	0	2197
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	0	1532
1 02 2506 00	भूमि सुधार	1250	0	396
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	2218	0	23725
102 0000 00	योग -	6115	63931	31503
		(2.98)	(24.12)	(3.99)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9842	0	3450
		(4.80)		(0.44)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	7164	28860	229621
2702 00	लघु सिंचाई	4841	6114	8305
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	559	0	1380
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	2855	0	599
1 04 0000 00	योग - IV	15419	34974	239905
		(7.52)	(13.20)	(30.35)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	34042	15000	76805
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	84	0	910
1 05 0000 00	योग - V	34126	15000	77715
		(16.65)	(5.66)	(9.83)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	जम्मू और कश्मीर*	झारखंड*	कर्नाटक
1.	2.	12.	13.	14.
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	4339	11014	16761
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	1740	0	2704
2853 02	खनन	351	475	353
1 06 0000 00	योग - VI	6430	11489	19818
		(3.14)	(4.34)	(2.51)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	800
3052 00	जहाजरानी/नौयहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	500	0
3054 00	सड़क व पुल	26342	19000	51107
3055 00	सड़क परिवहन	403	0	19513
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	192	0	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	1085	100	22
1 07 0000 00	योग - VII	28022	19600	71442
		(13.67)	(7.40)	(9.04)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	614	6000	150
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	0	0	251
	योग - IX	614	6000	150
		(0.30)	(2.26)	(0.05)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	4276	3883	3841

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	जम्मू और कश्मीर*	झारखंड*	कर्नाटक
1.	2.	12.	13.	14.
3452 00	पर्यटन	3560	1576	840
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	121	0	116
3456 00	नागरिक आपूर्ति	0	860	0
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	7565	0	0
	ii) तोल और माप	43	0	30
	iii) अन्य	0	0	21994
1 10 0000 00	योग - X	15565	6319	26821
		(7.59)	(2.38)	(3.39)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	19164	12903	46716
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1857		1247
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	825	675	708
2205 00	कला और संस्कृति	200		952
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	22046	13578	49623
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	11628	11250	25638
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	13125	9000	75741
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	270	0	59308
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	5340	21510	29719
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	98	100	514
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	525	0	32005
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	1045	341	1815

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	जन्मू और करमीर*	आरखंड*	कर्नाटक
1.	2.	12.	13.	14.
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	1698	22473	5127
2 27 2236 00	पोषाहार	1000	0	5181
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	872
2 00 0000 00	योग - XI	56775	78252	285543
		(27.70)	(29.53)	(36.13)
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	0	1000	33
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	69	0	203
2059 00	लोक निर्माण	1336	4231	2786
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	0	17
	ii) अन्य	4418	9842	696
3 00 0000 00	योग - XII	5823	15073	3735
		(2.84)	(5.96)	(0.47)
9 99 9999 99	सकल योग	205000	265000	790379
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र *
1.	2.	15.	16.	17.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	3600	12871	6836
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	300	921	6902
2403 00	पशु-पालन	2000	2730	1604
2404 00	डेयरी विकास	250	0	445
2405 00	मछली पालन	1500	486	827
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	4200	7401	4128
2407 00	बागान	0	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	25	92	0
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1800	1316	968
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	500	0	1
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	500	0	0
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	850	5333	10740
1 01 0000 00	योग - (I)	15525	31150	32451
		(6.87)	(7.91)	(3.00)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	625	6413	3288
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	3000
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	0	75

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र *
1.	2.	15.	16.	17.
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	1325	13344	20717
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी			
	स्कीम आदि)	0	0	57410
1 02 2506 00	भूमि सुधार	90	635	208
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	4750	26849	27850
102 0000 00	योग - II	6790	47241	112548
		(3.00)	(12.00)	(10.39)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1313	0	4093
		(0.58)		(0.38)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	9500	55139	233521
2702 00	लघु सिंचाई	2500	18755	26205
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	1000	704	2291
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	1250	230	73
1 04 0000 00	योग - IV	14250	74828	262090
		(6.31)	(19.00)	(24.19)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	41000	32691	147883
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	1000	418	253
1 05 0000 00	योग - V	42000	33109	148136
		(18.58)	(8.41)	(13.67)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र *
1.	2.	15.	16.	17.
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	4000	2620	6930
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	9225	2045	2203
2853 02	खनन	75	313	0
1 06 0000 00	योग - VI	13300	4978	9133
		(5.88)	(1.28)	(0.84)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	300	0	548
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	820	0
3054 00	सड़क व पुल	11500	25898	153092
3055 00	सड़क परिवहन	750	0	72003
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	500	0	212
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	750	0	362
1 07 0000 00	योग - VII	13800	26718	226217
		(6.11)	(6.79)	(20.88)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	1500	170	145
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	0	9458	54
	योग - IX	1500	9628	199
		(0.66)	(2.45)	(0.02)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	4000	9784	26474

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र *
1.	2.	15.	16.	17.
3452 00	पर्यटन	3000	1521	6238
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	400	26	0
3456 00	नागरिक आपूर्ति	50	0	0
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	0	0	0
	ii) तोल और माप	25	7	0
	iii) अन्य	0	0	0
1 10 0000 00	योग - X	7475	11338	32712
		(3.31)	(2.88)	(3.02)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	7877	52608	26308
2203 00	तकनीकी शिक्षा	3250	2534	3503
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	600	335	1670
2205 00	कला और संस्कृति	650	695	618
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	12377	56172	32099
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	4200	14185	39129
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	10000	18590	73455
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3000	11384	21628
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	2000	9843	27253
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	250	154	19
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	12000	6884	21065

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र *
1.	2.	15.	16.	17.
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	500	872	3924
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	2	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	350	1409	1459
2 27 2236 00	पोषाहार	35	5945	4933
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	3435	579
2 00 0000 00	योग - XI	44712	128875	225543
		(19.78)	(32.73)	(20.82)
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	0	323	522
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	85	100	0
2059 00	लोक निर्माण	1500	488	2998
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	0	0
	ii) अन्य	63750	25000	26758
3 00 0000 00	योग - XII	65335	25911	30278
		(28.91)	(6.58)	(2.79)
9 99 9999 99	सकल योग	226000	393776	1083400
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	मणिपुर	मेघालय	मिज़ोरम
1.	2.	18.	19.	20.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	781	1173	1346
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	370	850	346
2403 00	पशु-पालन	170	612	490
2404 00	डेयरी विकास	10	110	40
2405 00	मछली पालन	200	110	126
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	317	925	601
2407 00	बागान	170	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	3	3	0
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	10	30	10
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	6	5	0
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	2	75	151
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	154	280	249
1 01 0000 00	योग - (I)	2193	4173	3359
		(6.22)	(8.83)	(7.61)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	200	280	266
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	104	75	11
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	265	303	100

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	मणिपुर	मेघालय	मिज़ोरम
1.	2.	18.	19.	20.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	430	612	226
1 02 2506 00	भूमि सुधार	63	156	251
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	3448	2220	3248
102 0000 00	योग - II	4510	3646	4102
		(12.79)	(7.71)	(9.29)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	416	812	1392
		(1.18)	(1.72)	(3.15)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	4695	200	1
2702 00	लघु सिंचाई	530	900	614
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	298	10	30
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	270	200	0
1 04 0000 00	योग - IV	5793	1310	645
		(16.43)	(2.77)	(1.46)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	1811	6576	4143
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	30	50	44
1 05 0000 00	योग - V	1841	6626	4187
		(5.22)	(14.01)	(9.48)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	969	400	1136
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	331	2200	84
2853 02	खनन	1004	152	80

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	मणिपुर	मेघालय	मिज़ोरम
1.	2.	18.	19.	20.
1 06 0000 00	योग - VI	2304	2752	1300
		(6.53)	(5.82)	(2.94)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	0
3052 00	जहाजरानी/नीवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	0	0
3054 00	सड़क व पुल	1051	9580	3567
3055 00	सड़क परिवहन	200	225	374
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	10
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	27	35	66
1 07 0000 00	योग - VII	1278	9840	4017
		(3.62)	(20.81)	(9.10)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	118	93	110
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	90	50	4
	योग - IX	208	143	114
		(0.59)	(0.30)	(0.26)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	118	158	1395
3452 00	पर्यटन	158	300	271
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	90	85	81
3456 00	नागरिक आपूर्ति	67	30	177
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	545	562	1829

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	मणिपुर	मेघालय	मिज़ोरम
1.	2.	18.	19.	20.
	ii) तोल और माप	33	27	50
	iii) अन्य	0	35	151
1 10 0000 00	योग - X	1011	1197	3954
		(2.87)	(2.53)	(8.96)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	3510	4670	4448
2203 00	तकनीकी शिक्षा	323	180	662
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	264	1090	167
2205 00	कला और संस्कृति	377	478	291
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	4474	6418	5568
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1416	3600	2813
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	4930	2917	3151
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	704	1055	4182
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	1288	892	2942
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	47	131	141
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	421	10	0
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	91	20	74
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	68	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	295	236	340
2 27 2236 00	पोषाहार	816	682	627
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0
2 00 0000 00	योग - XI	14482	16029	19838
		(41.06)	(33.90)	(44.93)

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	मणिपुर	मेघालय	मिज़ोरम
1.	2.	18.	19.	20.
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	29	66	196
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	51	95	100
2059 00	लोक निर्माण	664	340	903
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	5	0
	ii) अन्य	488	248	45
3 00 0000 00	योग - XII	1232	754	1244
		(3.49)	(1.59)	(2.82)
9 99 9999 99	सकल योग	35268	47282	44152
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	21.	22.	23.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	1841	3431	3426
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	450	451	192
2403 00	पशु-पालन	571	143	932
2404 00	डेयरी विकास	29	100	83
2405 00	मछली पालन	117	380	183
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	503	2559	11506
2407 00	बागान	0	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0	100	0
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0	180	1022
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0	1	950
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	30	0
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	290	780	32
1 01 0000 00	योग - (I)	3801	8155	18326
		(9.24)	(3.55)	(6.07)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	55	900	399
2501 02	(ख) सूखा प्रयण क्षेत्र कार्यक्रम	0	543	0
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	40	2	30
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	80	2500	1519

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	नागार्लैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	21.	22.	23.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	170	2400	
1 02 2506 00	भूमि सुधार	196	910	0
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	2606	7403	10382
102 0000 00	योग - II	3147	14658	12330
		(7.65)	(6.37)	(4.08)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	872	0	5989
		(2.12)		(1.98)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	0	47384	32313
2702 00	लघु सिंचाई	840	2410	4226
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	5	650	1407
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	10	60	9536
1 04 0000 00	योग - IV	855	56504	47482
		(2.08)	(24.57)	(15.72)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	4400	44880	69900
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	10	4	706
1 05 0000 00	योग - V	4410	44884	70606
		(10.72)	(19.51)	(23.37)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	1531	744	67
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	871	68	300
2853 02	खनन	269	200	0

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	21.	22.	23.
1 06 0000 00	योग - VI	2671	1012	367
		(6.49)	(0.44)	(0.12)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	197	0
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	50	112
3054 00	सड़क व पुल	5675	24522	22776
3055 00	सड़क परिवहन	649	100	700
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	39	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	437	0	0
1 07 0000 00	योग - VII	6761	24908	23588
		(16.43)	(10.83)	(7.81)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	32	167	56
3435 00	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	5	989	20
	योग - IX	37	1156	76
		(0.09)	(0.50)	(0.03)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	244	65	380
3452 00	पर्यटन	253	120	75
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	117	41	80
3456 00	नागरिक आपूर्ति	120	100	6
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	3000	3140	1000

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	21.	22.	23.
	ii) तोल और माप	36	1	0
	iii) अन्य	150	3363	1008
1 10 0000 00	योग - X	3920	6830	2549
		(9.53)	(2.97)	(0.84)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	2120	30479	25648
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1041	354	2039
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	210	108	900
2205 00	कला और संस्कृति	260	396	468
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	3631	31337	29055
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1181	10103	17466
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	3866	9051	9580
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	2766	5946	2218
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	1106	3062	8749
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	90	200	109
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	0	2861	4670
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	128	240	573
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	59	812	15360
2 27 2236 00	पोषाहार	679	3115	779
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	117
2 00 0000 00	योग - XI	13506	66727	88676
		(32.82)	(29.01)	(29.35)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	21.	22.	23.
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2058 00	जेल	0	176	282
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	60	0	34
2059 00	लोक निर्माण	200	1635	1341
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	90	0	0
	ii) अन्य	817	3355	30454
3 00 0000 00	योग - XII	1167	5166	32111
		(2.84)	(2.25)	(10.63)
9 99 9999 99	सकल योग	41147	230000	302100
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु
1.	2.	24.	25.	26.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	2311	641	9040
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	490	127	4700
2403 00	पशु-पालन	1366	435	925
2404 00	डेयरी विकास	483	45	300
2405 00	मछली पालन	57	40	1670
2406 00	यानिकी और वन्य जीवन	4713	625	10150
2407 00	बागान	0	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0	7	275
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1030	25	3350
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	931	0	10
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	40	0
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	900	551	240
1 01 0000 00	योग - (I)	12281	2536	30660
		(2.65)	(8.45)	(5.90)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	838	140	1813
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	440	0	27560
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	22	25	0
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	1896	76	4024

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु
1.	2.	24.	25.	26.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	3256	254	34103
1 02 2506 00	भूमि सुधार	161	80	0
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	43422	495	7858
102 0000 00	योग - II	50035	1070	75358
		(10.78)	(3.56)	(14.49)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3232	572	0
		(0.70)	(1.91)	0
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	27581	0	38810
2702 00	लघु सिंचाई	8301	390	3293
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	3515	350	1340
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	478	5	0
1 04 0000 00	योग - IV	39875	745	43443
		(8.59)	(2.48)	(8.35)
1 05 2801 00	V. ऊर्जा विद्युत	120650	3626	94837
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	2180	34	300
1 05 0000 00	योग - V	122830	3660	95137
		(26.46)	(12.19)	(18.30)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	1299	331	3060
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	3720	450	7901
2853 02	खनन	5314	100	45

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु
1.	2.	24.	25.	26.
1 06 0000 00	योग - VI	10333	881	11006
		(2.23)	(2.95)	(2 12)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	0
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	0	0
3054 00	सड़क व पुल	29510	4608	53304
3055 00	सड़क परिवहन	5440	245	210
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	12000	0	0
1 07 0000 00	योग - VII	46950	4853	53514
		(10.11)	(16.16)	(10.29)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	59	70	290
343500	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	12	26	45
	योग - IX	71	96	335
		(0.02)	(0.32)	(0.06)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2172	100	816
3452 00	पर्यटन	976	510	500
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	120	101	76
3456 00	नागरिक आपूर्ति	23	49	235
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	0	0	0

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु
1.	2.	24.	25.	26.
	ii) तोल और माप	20	5	0
	iii) अन्य	2098	0	0
1 10 0000 00	योग - X	5409	765	1627
		(1.17)	(2.55)	(0.31)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	47969	4510	19262
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1604	142	465
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	161	155	874
2205 00	कला और संस्कृति	647	400	676
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	50381	5207	21277
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	13167	1374	9857
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	26323	1818	58550
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	10380	2403	21727
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	51178	550	55720
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	6166	240	45
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	172	445	18644
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	886	24	270
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	1973	272	4440
2 27 2238 00	पोषाहार	7230	570	9020
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	3432
2 00 0000 00	योग - XI	167856	12903	202982
		(36.16)	(42.98)	(39.04)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु
1.	2.	24.	25.	26.
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	315	30	0
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	5010	50	44
2059 00	लोक निर्माण	0	534	5894
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	7	0
	ii) अन्य	38	1320	0
3 00 0000 00	योग - XII	5363	1941	5938
		(1.16)	(6.47)	(1.14)
9 99 9999 99	सकल योग	464235	30022	520000
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	त्रिपुरा *	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल *
1.	2.	27.	28.	29.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप			
1 01 24 0100	फसल कृषि	1756	20458	2295
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	43	24747	5750
2403 00	पशु-पालन	291	500	355
2404 00	डेयरी विकास	6	100	650
2405 00	मछली पालन	264	500	74
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	1171	5000	10573
2407 00	बागान	160	0	0
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	52	0	56
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	5	1708	56
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0	392	200
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	1013	6000	0
	(ख) अन्य	0	0	0
2425 00	सहकारिता	220	131	220
1 01 0000 00	योग - (I)	4981	59536	20229
		(8.89)	(12.22)	(19.27)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	166	3635	1332
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0	912	334
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	43	117	50
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	479	27429	1170

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	त्रिपुरा *	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल
1.	2.	27.	28.	29.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	806	500	
1 02 2506 00	भूमि सुधार	159	9978	0
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	2203	33538	7426
102 0000 00	योग - II	3856	76109	10312
		(6.89)	(15.62)	(9.82)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3146	17461	0
		(5.62)	(3.58)	0
1 04 0000 00	रूज. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	609	73000	2800
2702 00	लघु सिंचाई	4500	4500	1504
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	2	2848	12
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	1017	2347	1505
1 04 0000 00	योग - IV	6128	82695	4466
		(10.94)	(16.97)	(4.25)
V. ऊर्जा				
1 05 2801 00	विद्युत	2154	72883	8860
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	23	603	700
1 05 0000 00	योग - V	2177	73486	9560
		(3.89)	(15.08)	(9.10)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	597	2259	948
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	1210	1553	400
2853 02	खनन	7	0	6

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	त्रिपुरा *	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल *
1.	2.	27.	28.	29.
1 06 0000 00	योग - VI	1814	3812	1354
		(3.24)	(0.78)	(1.29)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	0
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	397	1100
3054 00	सड़क व पुल	5246	55205	15971
3055 00	सड़क परिवहन	85	3262	0
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	1399	0	431
1 07 0000 00	योग - VII	6730	58864	17502
		(12.02)	(12.08)	(16.67)
1 08 0000 00	VIII. संचार	4	0	0
		(0.01)		
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	42	364	60
343500	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	0	5627	48
	योग - IX	42	5991	108
		(0.08)	(1.23)	(0.10)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	314	356	62
3452 00	पर्यटन	98	1757	2402
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	9	146	30
3456 00	नागरिक आपूर्ति	23	0	0
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	त्रिपुरा *	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल *
1.	2.	27.	28.	29.
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	1	0	0
	ii) तोल और माप	5	0	0
	iii) अन्य	2	0	530
1 10 0000 00	योग - X	452	2259	3024
		(0.81)	(0.46)	(2.88)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	4136	28230	8359
2203 00	तकनीकी शिक्षा	360	1472	700
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	279	438	381
2205 00	कला और संस्कृति	37	718	138
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	4812	30858	9578
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1879	8814	5972
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	2797	23153	13425
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	11453	479	1361
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	549	9878	2859
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	507	67	40
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	1767	18180	987
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	40	331	299
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	386	7013	1270
2 27 2236 00	पोषाहार	1168	5000	0
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	त्रिपुरा *	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल *
1.	2.	27.	28.	29.
2 00 0000 00	योग - XI	25358	103773	35791
		(45.28)	(21.30)	(34.09)
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	37	0	95
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	17	49	0
2059 00	लोक निर्माण	712	3242	505
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	0	0
	ii) अन्य	539	0	2054
3 00 0000 00	योग - XII	1312	3291	2654
		(2.34)	(0.68)	(2.53)
9 99 9999 99	सकल योग	56000	487277	105000
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)	अंदाजित और निकोबार द्वीप समूह
1.	2.	30.	31.	32.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	4023	14658	175.00
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	203	67111	181.00
2403 00	पशु-पालन	2490	32107	335.00
2404 00	डेयरी विकास	672	4711	0.00
2405 00	मछली पालन	4350	16986	360.00
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	3989	137961	1190.00
2407 00	बागान	279	654	0.00
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	37	1079	0.00
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	828	30067	0.00
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	656	5513	0.00
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	671	12223	0.00
	(ख) अन्य	0	0	0.00
2425 00	सहकारिता	2086	32967	190.00
1 01 0000 00	योग - (I)	20284	488237	2431.00
		(3.56)		(6.57)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	1886	119538	0.00
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	111	36314	0.00
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	1260	50.00
02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)	अंशमान और नियन्त्रित द्वीप समूह
1.	2.	30.	31.	32.
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	10815	114443	0.00
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	130569	0.00
1 02 2506 00	भूमि सुधार	869	21278	100.00
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	34012	378674	2550.00
102 0000 00	योग - II	47693	80276	2700.00
		(8.38)		(7.30)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	20825	80989	0.00
		(3.66)		
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	13807	1127427	0.00
2702 00	लघु सिंचाई	10775	194672.00	280.00
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	781	23221.00	0.00
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	30863	66048.00	0.00
1 04 0000 00	योग - IV	56226	1411368	280.00
		(9.88)		(0.76)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	123223	1263046	3050.00
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	263	9571	217.00
1 05 0000 00	योग - V	123486	1272617	3267.00
		(21.69)		(8.83)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	5741	93372	800.00

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)	अंशमान और निकोबार द्वीप समूह
1.	2.	30.	31.	32.
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	30180	110433	0.00
2853 02	खनन	430	10931	0.00
1 06 0000 00	योग - VI	36351	214736	800.00
		(6.38)		(2.16)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	1921	900.00
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	4800.00
3053 00	नागर विमानन	48	4261	1900.00
3054 00	सड़क व पुल	74990	863297	5675.00
3055 00	सड़क परिवहन	23403	156199	292.00
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	119	1682	0.00
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0	18132	0.00
1 07 0000 00	योग - VII	98560	1045492	13567.00
		(17.31)		(36.67)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	861	85.00
			(0.23)	
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	3048	19504	20.00
343500	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1928	19356	0.00
	योग - IX	4976	38860	20.00
		(0.87)		(0.05)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	74	92203	150.00
3452 00	पर्यटन	851	32441	641.00
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	32	2674	30.00
3456 00	नागरिक आपूर्ति	875	6520	220.00
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)	अंदाजित और नियंत्रित द्वीप समूह
1.	2.	30.	31.	32.
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	2817	41173	0.00
	ii) तोल और माप	26	2127	0.00
	iii) अन्य	0	30859	0.00
1 10 0000 00	योग - X	4675	207997	1041.00
		(0.82)		(2.81)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	16256	593702	3790.00
2203 00	तकनीकी शिक्षा	2134	34989	0.00
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	2538	21083	0.00
2205 00	कला और संस्कृति	612	14269	0.00
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	21540	664043	3790.00
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	33352	319741	1900.00
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	18420	519890	2675.00
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3110	236515	1600.00
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	45625	363042	1127.00
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	693	13531	75.00
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	6128	192144	70.00
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	877	22074	67.00
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	3166	0.00
2 27 2235 00	समाज कल्याण	5856	115770	125.00
2 27 2236 00	पोषाहार	6702	85075	220.00
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	2556	11173	0.00
2 00 0000 00	योग - XI	144859	2546164	11649.00
		(25.44)		(31.48)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह *
1.	2.	30.	31.	32.
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	727	4681	110.00
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	28	6613	0.00
2059 00	लोक निर्माण	9149	51304	650.00
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0	477	0.00
	ii) अन्य	1492	189104	400.00
3 00 0000 00	योग - XII	11396	252179	1160.00
		(2.00)		(3.14)
9 99 9999 99	सकल योग	569331	8361576	37000.00
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	घंटीगढ़	दादरा और नागर हवेली	दमन और दीप
1.	2.	33.	34.	35.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	3.00	131.55	37.00
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	3.00	140.05	1.00
2403 00	पशु-पालन	16.00	26.00	13.00
2404 00	डेयरी विकास	0.00	2.00	2.00
2405 00	मछली पालन	23.00	0.45	57.00
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	688.00	255.60	41.00
2407 00	बागान	0.00	0.00	0.00
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0.00	0.00	0.00
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.00	0.00	0.00
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0.00	5513	0.00
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00
2425 00	सहकारिता	6.00	22.15	12.00
1 01 0000 00	योग - (I)	739.00	577.80	163.00
		(4.80)	(11.22)	(3.86)
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
2501 02	(ख) सूखा प्रयण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	5.00	4.05	0.00
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	घंटीगढ़	दादरा और नागर हवेली	दमन और दीप
1.	2.	33.	34.	35.
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	0.00	0.00	0.00
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0.00	0.00	0.00
1 02 2506 00	भूमि सुधार	0.00	5.88	18.00
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	172.00	79.02	13.00
102 0000 00	योग - II	177.00	88.95	31.00
		(1.15)	(1.73)	(0.73)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
		(3.66)		
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	0.00	50.00	10.00
2702 00	लघु सिंचाई	20.00	57.00	5.00
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	0.00	18.00	0.00
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	0.00	0.00	22.00
1 04 0000 00	योग - IV	20.00	125.00	37.00
		(0.13)	(2.43)	(0.88)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	1255.00	1493.80	1425.00
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	15.00	3.95	3.00
1 05 0000 00	योग - V	1270.00	1497.75	1428.00
		(8.24)	(29.09)	(33.85)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	41.00	37.00	9.00

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	घंड़ीगढ़	दादरा और नागर हवेली*	दमन और द्वीप
1.	2.	33.	34.	35.
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	0.00	0.00	18.00
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00
1 06 0000 00	योग - VI	41.00	37.00	27.00
		(0.27)	(0.72)	(0.64)
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0.00	0.00	30.00
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0.00	0.00	0.00
3053 00	नागर विमानन	0.00	0.00	0.00
3054 00	सड़क व पुल	50.00	902.00	1298.00
3055 00	सड़क परिवहन	400.00	1.00	0.00
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	0.00	0.00
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	21.00	0.00	2.00
1 07 0000 00	योग - VII	471.00	903.00	1330.00
		(3.06)	(17.54)	(31.52)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0.00	0.00	0.00
			(0.23)	
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	32.00	6.00	10.00
343500	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	122.00	0.00	0.00
	योग - IX	154.00	6.00	10.00
		(1.00)	(0.12)	(0.24)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1.00	1.00	0.00
3452 00	पर्यटन	120.00	108.00	65.00

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	चंडीगढ़	दादरा और नागर हवेली	दमन और दीप
1.	2.	33.	34.	35.
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1.00	3.00	17.00
3456 00	नागरिक आपूर्ति	100.00	2.00	5.00
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	0.00	0.00	0.00
	ii) तोल और माप	0.00	1.00	2.00
	iii) अन्य	0.00	20.00	0.00
1 10 0000 00	योग - X	222.00	135.00	89.00
		(1.44)	(2.62)	(2.11)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	712.00	563.80	267.00
2203 00	तकनीकी शिक्षा	245.00	87.00	103.00
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	298.00	10.00	10.00
2205 00	कला और संस्कृति	304.00	10.00	14.00
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	1559.00	670.80	394.00
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	3947.25	234.80	165.00
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	810.00	301.60	175.00
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	706.10	114.10	60.00
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	4854.00	107.00	108.00
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	7.00	8.00	10.00
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	76.00	0.00	18.00
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	32.00	26.00	27.00

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	घंटीगढ़	दादरा और नागर हवेली	दमन और दीप
1.	2.	33.	34.	35.
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
2 27 2235 00	समाज कल्याण	73.00	9.00	7.00
2 27 2236 00	पोषाहार	94.65	62.20	46.00
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	11.00	0.00	0.00
2 00 0000 00	योग - XI	12170.00	1533.50	1010.00
		(78.97)	(29.79)	(23.94)
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	0.00	0.00	0.00
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	0.00	11.00	36.00
2059 00	लोक निर्माण	0.00	194.00	55.00
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य	147.00	39.00	3.00
3 00 0000 00	योग - XII	147.00	244.00	94.00
		(0.95)	(4.74)	(2.23)
9 99 9999 99	सकल योग	15411.00	5148.00	4219.00
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी
1.	2.	36.	37.	38.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	226.00	167.28	894.00
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	75.00	25.00	46.00
2403 00	पशु-पालन	434.00	258.93	818.00
2404 00	डेयरी विकास	500.00	0.00	59.72
2405 00	मछली पालन	22.00	122.39	410.81
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	460.00	21.20	118.00
2407 00	बागान	345.00	0.00	0.00
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0.00	0.00	0.00
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.00	0.00	513.00
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	6.00	0.00	148.00
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00
2425 00	सहकारिता	60.00	287.83	831.21
1 01 0000 00	योग - (I)			
		2128.00	882.63	3838.74
	II. ग्रामीण विकास	(0.56)	(8.41)	(10.81)
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	250.00	27.00	0.02
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	0.00	0.00	0.00

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी
1.	2.	36.	37.	38.
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0.00	0.00	0.00
1 02 2506 00	भूमि सुधार	15.00	0.00	25.65
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	8000.00	169.55	1147.30
102 0000 00	योग - II	8265.00	196.55	1172.97
		(2.18)	(1.87)	(3.30)
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	0.00	0.00	
2702 00	लघु सिंचाई	68.00	0.00	0.00
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	0.00
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	2400.00	500.00	407.47
1 04 0000 00	योग - IV	2468.00	500.00	1293.80
		(0.65)	(4.76)	(3.64)
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	69850.00	272.76	2769.01
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	150.00	418.80	12.15
1 05 0000 00	योग - V	70000.00	691.56	2781.16
		(18.42)	(6.59)	(7.83)
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	4300.00	167.38	1382.48
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	0.00	0.00	3302.00
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00
1 06 0000 00	योग - VI	4300.00	167.38	4684.48
		(1.13)	(1.59)	(13.20)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी
1.	2.	36.	37.	38.
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0.00	70.00	425.00
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0.00	5437.77	0.00
3053 00	नागर विमानन	0.00	0.00	0.00
3054 00	सड़क व पुल	32100.00	500.00	2453.51
3055 00	सड़क परिवहन	59040.00	0.91	43.20
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	60.73	0.00
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	0.00	0.00
1 07 0000 00	योग - VII	91140.00	6069.41	2921.71
		(23.98)	(57.81)	(8.23)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0.00	13.68	0.00
		(0.13)		
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	385.00	37.24	33.60
343500	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	620.00	37.17	34.40
	योग - IX	1005.00	74.41	68.00
		(0.26)	(0.71)	(0.19)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	230.00	17.19	30.00
3452 00	पर्यटन	545.00	58.75	642.50
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	385.00	7.01	10.00
3456 00	नागरिक आपूर्ति	475.00	0.00	319.00
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	0.00	0.00	0.00
	ii) तोल और माप	40.00	0.00	5.00

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी
1.	2.	36.	37.	38.
	iii) अन्य	0.00	5.09	136.55
1 10 0000 00	योग - X	1675.00	88.04	1143.05
		(0.44)	(0.84)	(3.22)
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	32330.00	345.75	3085.26
2203 00	तकनीकी शिक्षा	5367.00	0.00	1442.98
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	810.00	128.75	231.78
2205 00	कला और संस्कृति	1281.00	53.50	312.60
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	39788.00	528.00	5072.62
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	34121.00	211.46	2959.69
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	52415.00	238.40	1689.00
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3032.00	299.85	763.85
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	47890.00	240.00	1681.00
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	260.00	16.15	67.00
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	2400.00	0.00	803.71
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	821.00	29.16	301.00
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
2 27 2235 00	समाज कल्याण	3850.00	23.82	1630.79
2 27 2236 00	पोषाहार	3430.00	58.70	674.69
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
2 00 0000 00	योग - XI	188007.00	1645.54	15643.35
		(49.48)	(15.67)	(44.07)

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी
1.	2.	36.	37.	38.
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	2500.00	0.00	0.00
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	0.00	28.85	79.00
2059 00	लोक निर्माण	3925.00	0.00	1345.75
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	40.00	0.00	0.00
	ii) अन्य	4547.00	139.95	527.99
3 00 0000 00	योग - XII	11012.00	168.80	1952.74
		(2.90)	(1.61)	(5.50)
9 99 9999 99	सकल योग	380000.00	10498.00	35500.00
		(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.4
(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	39.	40.	41.
	I. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम			
1 01 24 0100	फसल कृषि	1633.83	148491.83	1.68
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	471.05	67582.05	0.76
2403 00	पशु-पालन	1900.93	34007.93	0.38
2404 00	डेयरी विकास	563.72	5274.72	0.06
2405 00	मछली पालन	995.65	17981.65	0.20
2406 00	वानिकी और वन्य जीवन	2773.80	140734.80	1.59
2407 00	बागान	345.00	999.00	0.01
2408 00	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	0.00	1079.00	0.01
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	513.00	30580.00	0.35
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0.00	5513.00	0.06
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम:			
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	154.00	12377.00	0.14
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00
2425 00	सहकारिता	1409.19	34376.19	0.39
1 01 0000 00	योग - (I)	10760.17	498997.17	5.64
		(2.21)	(5.64)	
	II. ग्रामीण विकास			
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और संबद्ध कार्यक्रम	0.00	119538.00	1.35
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	36314.00	0.41
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	336.07	1596.07	0.02

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	39.	40.	41.
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार			
2505 01	(क) एन.आर.ई.पी./जवाहर रोजगार योजना	0.00	114443.00	1.29
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0.00	130569.00	1.48
1 02 2506 00	भूमि सुधार	164.53	21442.53	0.24
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	12130.87	390804.87	4.42
102 0000 00	योग - II	12631.47	814707.47	9.21
		(2.59)	(9.21)	
1 03 0000 00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	80989.00	0.92
		(0.92)		
1 04 0000 00	IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण			
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	60.00	1127487.00	12.74
2702 00	लघु सिंचाई	1316.33	195988.33	2.21
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	18.00	23239.00	0.26
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध आदि सहित)	3329.47	69377.47	0.78
1 04 0000 00	योग - IV	4723.80	1416091.80	16.00
		(0.97)	(16.00)	
	V. ऊर्जा			
1 05 2801 00	विद्युत	80115.57	1343161.57	15.18
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	819.90	10390.90	0.12
1 05 0000 00	योग - V	80935.47	1353552.47	15.30
		(16.59)	(15.30)	

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	39.	40.	41.
	VI. उद्योग और खनिज			
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	6736.86	100108.86	1.13
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	3320.00	113753.00	1.29
2853 02	खनन	0.00	10931.00	0.12
1 06 0000 00	योग - VI	10056.86	224792.86	2.54
		(2.06)	(2.54)	
	VII. परिवहन			
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	1425.00	3346.00	0.04
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	10237.77	10237.77	0.12
3053 00	नागर विमानन	1900.00	6161.00	0.07
3054 00	सड़क व पुल	42978.51	906275.51	10.24
3055 00	सड़क परिवहन	59777.11	215976.11	2.44
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	60.73	1742.73	0.02
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	23.00	18155.00	0.21
1 07 0000 00	योग - VII	116402.12	1161894.12	13.13
		(23.86)	(13.13)	
1 08 0000 00	VIII. संचार	98.68	959.68	0.01
		(0.01)		
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	523.84	20027.84	0.23
343500	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	813.57	20169.57	0.23
	योग - IX	1337.41	40197.41	0.45
		(0.27)	(0.45)	

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	39.	40.	41.
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं			
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	429.19	92632.19	1.05
3452 00	पर्यटन	2180.25	34621.25	0.39
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	453.01	3127.01	0.04
3456 00	नागरिक आपूर्ति	1121.00	7641.00	0.09
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	i) जिला आयोजन/जिला परिषदें	0.00	41173.00	0.47
	ii) तोल और माप	48.00	2175.00	0.02
	iii) अन्य	161.64	31020.64	0.35
		4393.09	212390.09	2.40
1 10 0000 00	योग - X	(0.90)	(2.40)	
		48.00	2175.00	0.02
	XI. सामाजिक सेवाएं			
	शिक्षा			
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	41093.81	634795.81	7.17
2203 00	तकनीकी शिक्षा	7244.98	42233.98	0.48
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	1488.53	22571.53	0.26
2205 00	कला और संस्कृति	1975.10	16244.10	0.18
2 21 0000 00	उप-योग (शिक्षा)	51802.42	715845.42	8.09
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	43539.20	363280.20	4.11
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	58304.00	578194.00	6.53
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	6575.90	243090.90	2.75
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	56007.00	419049.00	4.74

संलग्नक 3.2.4

(लाख रुपए)

क्र.सं.	विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिध्यय का प्रतिशत
1.	2.	39.	40.	41.
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	443.15	13974.15	0.16
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	3367.71	195511.71	2.21
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार			
	i) श्रम और श्रम कल्याण	1303.16	23377.16	0.26
	ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	3166.00	0.04
2 27 2235 00	समाज कल्याण	5718.61	121488.61	1.37
2 27 2236 00	पोषाहार	4586.24	89661.24	1.01
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	11.00	11184.00	0.13
2 00 0000 00	योग - XI	231658.39	2777822.39	31.39
		(47.49)	(31.39)	
	XII. सामान्य सेवाएं			
3 42 2056 00	जेल	2610.00	7291.00	0.08
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	154.85	6767.85	0.08
2059 00	लोक निर्माण	6169.75	57473.75	0.65
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	i) प्रशिक्षण	40.00	517.00	0.01
	ii) अन्य	5803.94	194907.94	2.20
3 00 0000 00	योग - XII	14778.54	266957.54	3.02
		(3.03)	(3.02)	
9 99 9999 99	सकल योग	487776.00	8849352.00	100.00
		(100)	(100)	

पाद टिप्पणियां :

* राज्य सरकार द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई। अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

आन्ध्र प्रदेश

1. इसमें सी.डी. और पंचायत के लिए 15 लाख रुपए तथा स्थानीय निकायों के सहायतार्थ 15205 लाख रुपए शामिल हैं।
2. यातायात नियंत्रण के लिए
3. विधिक माप विद्या के लिए।
4. न्यायालय भवन के लिए 781 लाख रुपए; आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी परिसर के लिए 35 लाख रुपए; मंडल भवनों के लिए 756 लाख रुपए; प्रशासन संस्थान के लिए 633 लाख रुपए; अग्निशमन सेवा निदे. के लिए 402 लाख रुपए; पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 5780 लाख रुपए तथा स्नालसरु के लिए 379 लाख रुपए शामिल हैं।

अरुणाचल प्रदेश

1. परिवहन निदेशालय के लिए 30 लाख रुपए तथा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 8 लाख रुपए शामिल हैं।
2. एम.एल.ए.एल.ए.डी. के लिए 1211 लाख रुपए तथा लघु बचतों के लिए 12 लाख रुपए शामिल हैं।
3. आई.आई.टी. के लिए 72 लाख रुपए तथा रोजगार कार्यालय के लिए 22 लाख रुपए शामिल हैं।
4. एन.आर.वाई./णस.जे.एस.आर.वाई. के लिए
5. न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा हेतु 54 लाख रुपए; पुलिस प्रशासन के लिए 141 रुपए; अग्निशमन सेवा के लिए 100 लाख रुपए; जेल प्रशासन के लिए 201 लाख रुपए तथा राजकोषीय प्रशासन के लिए 15 लाख रुपए शामिल हैं।

असम

1. प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत आश्रम तथा ग्रामीण सड़कों के लिए 9511 लाख रुपए तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 2242 रुपए शामिल हैं।
2. लोक उद्यम के लिए 18 लाख रुपए तथा न्याय प्रशासन के लिए 150 लाख रुपए शामिल हैं।
3. विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए 200 लाख रुपए शामिल हैं।

बिहार

1. कर्मचारी आश्वासन योजना के लिए 4100 लाख रुपए तथा इन्दिरा आवास योजना के लिए भी 10600 लाख रुपए शामिल हैं।
2. सामुदायिक विकास के लिए 3308 लाख रुपए; पंचायतों के लिए 28177 लाख रुपए; अन्य-प्रधानमंत्री आवास योजना - इंदिरा आवास योजना के लिए 8603 लाख रुपए तथा एम.एल.डी. योजनाओं के लिए 22650 लाख रुपए शामिल हैं।
3. बीस सूत्री कार्यक्रम की निगरानी के लिए 28 लाख रुपए; जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए 100 लाख रुपए; जिला पुनर्गठन के लिए 500 लाख रुपए; अल्प संख्यक वित्तपोषण के लिए 200 लाख रुपए; राजकोषों के कंप्यूटरीकरण के लिए 203 रुपए तथा वाणिज्यिक करों के कंप्यूटरीकरण के लिए 200 लाख रुपए शामिल हैं।

छत्तीसगढ़

1. ग्रामीण सड़कों के लिए भी 11,000 लाख रुपए शामिल हैं।

गोवा

1. डी.आर.डी.ए. प्रशासन के लिए भी 25 लाख रुपए शामिल हैं।
2. सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 500 लाख रुपए शामिल हैं।
3. रेल के लिए।
4. न्यायिक प्रशासन के लिए 70 लाख रुपए; लेखाओं के लिए 17 लाख रुपए तथा वित्त के लिए 2000 लाख रुपए शामिल हैं।

गुजरात

1. विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 491 लाख रुपए; इन्दिरा आवास योजना के लिए 5902 लाख रुपए; रोजगार आश्वासन योजना के लिए 1204 लाख रुपए तथा सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना के लिए 4000 लाख रुपए शामिल हैं।
2. सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए 3130 लाख रुपए; ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 27 लाख रुपए; डी.आर.डी.ए. प्रशासन के लिए 358 लाख रुपए; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 18 लाख रुपए; टी.ए.एस.पी. हेतु अलग से रखने के लिए 219 लाख रुपए; मांग पर राज्य स्वाटरशेड- कार्यक्रम के लिए 4 लाख रुपए; स्वाटरशेड- परियोजना (नाबार्ड) के लिए 457 लाख रुपए; गोकुल ग्राम योजना के लिए 5284 लाख रुपए तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 1108 लाख रुपए शामिल हैं।
3. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 7378 लाख रुपए शामिल हैं।
4. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए।

हरियाणा

1. बागवानी के लिए भी 317 लाख रुपए शामिल हैं।
2. ग्रामीण सड़कों के लिए 5252 लाख रुपए तथा सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए 3160 लाख रुपए शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश

1. उपभोक्ता आयोग के लिए।

झारखंड

1. वानिकी और वन्य जीव के अंतर्गत शामिल।
2. आई.आर.डी.पी. तथा संबद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल।
3. सामान्य शिक्षा के अंतर्गत शामिल।
4. खेल और युवा सेवाओं के अंतर्गत शामिल।

कर्नाटक

1. डी.आर.डी.ए. प्रशासन के लिए 426 लाख रुपए शामिल हैं।
2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 304 लाख रुपए शामिल हैं।
3. परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए भी 10 लाख रुपए शामिल हैं।
4. प्रदूषण नियंत्रण के लिए।
5. प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 86 लाख रुपए; अवसंरचना पहल निधि में उपकर के अंतरण के लिए 19600 लाख रुपए तथा बी.ए.टी. (डब्ल्यू.बी.ए.) को तकनीकी सहायता देने के लिए 2308 लाख रुपए शामिल हैं।
6. साड़ी-धोती योजना के लिए 642 लाख रुपए तथा उपभोक्ता कल्याण के लिए 230 लाख रुपए शामिल हैं।
7. अग्नि सुरक्षा के लिए 121 लाख रुपए; न्यायिक प्रशासन के लिए 39 लाख रुपए; प्रशासनिक सुधारों के संचालन के लिए 41 लाख रुपए तथा मानव संसाधन विकास के लिए 495 लाख रुपए शामिल हैं।

केरल

1. स्थानीय निकायों को योजना सहायता के लिए।

महाराष्ट्र

1. पंचायती राज के लिए 26194 लाख रुपए; ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के लिए 1462 लाख रुपए; शवदाह और दफनाने के कार्यकलापों के लिए 45 लाख रुपए; रूयशदा- को सहायतानुदान के लिए 36 लाख रुपए; कृषि हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि के लिए 109 लाख रुपए तथा ग्रामीण ग्रुप जीवन बीमा के लिए 4 लाख रुपए शामिल हैं।
2. कोंकण रेल परियोजना में राज्यों के योगदान के लिए।
3. रोजगार तथा स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए।
4. महाराष्ट्र भूकंप और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 307 लाख रुपए; एस.डी.बी. हेतु अनाबंटित अतिरिक्त परिव्यय के लिए 10,000 लाख रुपए; विदर्भ विकास कार्यक्रम के लिए 3382 लाख रुपए; महाराष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए 2243 लाख रुपए; कोंकण विकास कार्यक्रम के लिए 1954 लाख रुपए; अतिरिक्त एस.सी.पी./टी.एस.पी. के लिए 3671 लाख रुपए तथा सिंहस्थ कुंभरनेला के लिए 5200 लाख रुपए शामिल हैं।

मध्य प्रदेश

1. ग्रामीण सड़कों के लिए 1607 लाख रुपए तथा ग्रामीण आवास के लिए भी 2497 लाख रुपए शामिल हैं।
2. महिला और बाल कल्याण के लिए 1098 लाख रुपए शामिल हैं।

मणिपुर

1. बागवानी के लिए 236 लाख रुपए शामिल हैं।
2. इन्दिरा आवास योजना के लिए 221 लाख रुपए तथा रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 209 लाख रुपए शामिल हैं।
3. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 550 लाख रुपए; ग्रामीण सड़कों के लिए 2000 लाख रुपए; एम.एल.ए. स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 600 लाख रुपए तथा सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए 298 लाख रुपए शामिल हैं।
4. रेशम-कीट पालन के लिए भी 220 लाख रुपए शामिल हैं।
5. विशेष विकास निधि के लिए भी 1000 लाख रुपए शामिल हैं।
6. मोटर वाहन के लिए 12 लाख रुपए शामिल हैं।
7. पुलिस प्रोन्नयन के लिए 151 लाख रुपए; एस.ए.टी. के लिए 38 लाख रुपए; कानूनी सहायता व सलाह के लिए 9 लाख रुपए; राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना के लिए 100 लाख रुपए; जिला प्रशासन के लिए 50 लाख रुपए; न्यायिक प्रशासन के लिए 25 लाख रुपए; राजकोषीय प्रशासन के लिए 25 लाख रुपए; जी.ए.डी. के लिए 50 लाख रुपए तथा अग्निशमन सेवा के लिए 40 लाख रुपए शामिल हैं।

मेघालय

1. इन्दिरा आवास योजना के लिए 293 लाख रुपए तथा रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 319 लाख रुपए शामिल हैं।
2. ग्रामीण विकास में अनुसंधान एवं विकास के लिए 52 लाख रुपए; विशेष निधि निर्माण कार्यक्रम के लिए 1708 लाख रुपए तथा सामुदायिक विकास और प्रचायतों के लिए 460 लाख रुपए शामिल हैं।
3. मोटर वाहनों के लिए।
4. स्वैच्छिक कार्य निधि हेतु।
5. अग्नि सुरक्षा के लिए 96 लाख रुपए; पुलिस आवास के लिए 142 लाख रुपए तथा न्यायपालिका के लिए 10 लाख रुपए शामिल हैं।

मिजोरम

1. बागवानी के लिए 610 लाख रुपए शामिल हैं।
2. इन्दिरा आवास योजना के लिए 110 लाख रुपए तथा रोजगार आश्वासन योजना नई भूमि उपयोग नीति (एन.एल.यू.पी.) के लिए 116 लाख रुपए शामिल हैं।
3. नागर विमानन के लिए भी प्रावधान शामिल है।
4. एम.वी. विंग के लिए।
5. विधि और न्यायपालिका के लिए।

नागालैंड

1. बागवानी के लिए 160 लाख रुपए शामिल हैं।
2. इन्दिरा आवास योजना के लिए 80 लाख रुपए तथा रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 90 लाख रुपए शामिल हैं।
3. ग्रामीण आवास के लिए 453 लाख रुपए; ग्रामीण जुड़ाव के लिए 400 लाख रुपए; एस.आई.आर.डी. के लिए 45 लाख रुपए तथा सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए 1708 लाख रुपए शामिल हैं।
4. रेशम-कीट पालन के लिए 127 लाख रुपए शामिल हैं।
5. यांत्रिक इंजीनियरी के लिए 392 लाख रुपए तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रक के लिए 45 लाख रुपए शामिल हैं।
6. मूल्यांकन के लिए के लिए 55 लाख रुपए तथा न्यायपालिका के लिए 95 लाख रुपए शामिल हैं।

7. असंयली परिसर के लिए 350 लाख रुपए; राजकोषीय प्रशासन के लिए 50 लाख रुपए; पुलिस प्रशासन के लिए 200 लाख रुपए; विद्यालय जाने वाले बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए 172 लाख रुपए तथा अग्निशमन सेवाओं के लिए 45 लाख रुपए शामिल हैं।

उड़ीसा

- 1 आर.आर.बी. को शेयर पूंजी के लिए 55 लाख रुपए; एल.टी.ए.पी. तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 203 लाख रुपए; डब्ल्यू.ओ.डी.सी. को अनुदान के लिए 3000 लाख रुपए; रोजकोषीय प्रशासन के लिए 80 लाख रुपए तथा मानव विकास रिपोर्ट के लिए 25 लाख रुपए शामिल हैं।
2. पुलिस कल्याण एवं भवनों के लिए 355 लाख रुपए तथा पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 3000 लाख रुपए शामिल हैं।

पंजाब

1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए।

राजस्थान

1. इन्दिरा आवास योजना के लिए 998 लाख रुपए तथा रोजगार आश्वासन कार्यक्रम के लिए 2258 लाख रुपए शामिल हैं।
2. महिला विकास के लिए 171 लाख रुपए; डी.आर.डी.ए. प्रशासन के लिए 501 लाख रुपए; मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 2029 लाख रुपए; ग्रामीण विकास एवं पंचायतों के लिए 27596 लाख रुपए तथा एम.एल.ए. स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए 13125 लाख रुपए शामिल हैं।
3. राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड हेतु।
4. राजस्थान फाउंडेशन निधि की स्थापना के लिए 225 लाख रुपए तथा संसाधन विकास निधि के लिए 1873 लाख रुपए शामिल हैं।

सिक्किम

1. महिला और बाल कल्याण के लिए भी 162 लाख रुपए शामिल हैं।
2. राजकोषीय सुधार के लिए 20 लाख रुपए; पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 167 लाख रुपए; अग्निशमन सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए तथा न्यायिक प्रशासन के लिए 20 लाख रुपए शामिल हैं।

त्रिपुरा

1. इन्दिरा आवास योजना के लिए 428 लाख रुपए; रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 377 लाख रुपए तथा रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 1 लाख रुपए शामिल हैं।

2. योजना और विकास प्रकोष्ठ के लिए 35 लाख रुपए तथा ग्राम संचार के लिए 1364 लाख रुपए शामिल हैं।
3. न्यायिक प्रशासन के लिए 53 लाख रुपए; विधिक सहायता और सलाह के लिए 8 लाख रुपए तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 477 लाख रुपए शामिल हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

§ सामान्य शिक्षा के अंतर्गत प्रावधान शामिल हैं।

1. स्थानिक लेखा-परीक्षा निधि के लिए 50 लाख रुपए; पहचान-पत्र जारी करने के लिए 25 लाख रुपए; न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए 125 लाख रुपए; सरकारी मुद्रणालय के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रुपए तथा पुलिस विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए 150 लाख रुपए शामिल हैं।

चंडीगढ़

1. ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 57 लाख रुपए; ग्रामीण मल निकासी के लिए 50 लाख रुपए तथा सामुदायिक विकास के लिए 65 लाख रुपए शामिल हैं।
2. सड़क सुरक्षा के लिए 8 लाख रुपए तथा एम.वी. अधिनियम को लागू करने के लिए 13 लाख रुपए शामिल हैं।
3. अग्नि सुरक्षा के लिए 105 लाख रुपए शामिल हैं।

दादरा और नागर हवेली

1. पी.ए.ओ. कार्यालय की स्थापना के लिए।
2. अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण के लिए।

दमन और दीव

1. लेखा सेवा के लिए।

लक्षद्वीप

1. अग्नि सेवाओं के लिए 42 लाख रुपए; सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए 96.60 लाख रुपए तथा पुलिस के लिए 0.50 लाख रुपए शामिल हैं।

पांडिचेरी

1. कंप्यूटरीकरण हेतु।

संलग्नक 3.2.5

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान (2002-03)
आंतरिक और बजटतर संसाधन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई.सी.बी./आपूर्ति-कर्ता ऋण	अन्य	योग ई.बी. आर.	कुल आई.ई. बी.आर	कुल योजना परिव्यय
I	कृषि मंत्रालय	3317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3317.00
क	कृषि और सहकारिता विभाग	2167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2167.00
ख	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
ग	पशु पालन और डेयरी विभाग	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
घ	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
II	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	335.00	482.89	35.55	0.00	258.06	293.61	776.50	1111.50
क	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	55.00	97.45	35.55	0.00	24.50	60.05	157.50	212.50
ख	उर्वरक विभाग	280.00	385.44	0.00	0.00	233.56	233.56	619.00	899.00
III	नागर विमानन मंत्रालय	69.00	2415.56	0.00	0.00	36.63	36.63	2452.19	2521.19
IV	कोयला और खान मंत्रालय	561.50	1907.14	0.00	17.66	2258.17	2275.83	4182.97	4744.47
क	कोयला विभाग	327.00	1605.14		17.66	1541.67			
ख	खान विभाग	234.50	302.00			716.50			
V	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1055.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1057.00
क	वाणिज्यिक विभाग	775.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	777.00
ख	ओ. विकास और ओ. नीति व प्रोन्नयन विभाग	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
VI	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	805.00	11524.02	4902.00	0.00	2975.35	7877.35	19401.37	20206.37

संलग्नक 3.2.5

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बाह्य	ई.सी.बी./ आपूर्ति-कर्ता ऋण	अन्य	योग ई.बी. आर.	कुल आई.ई. बी.आर	कुल योजना परिधाय
क	डाक विभाग	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
ख	दूर संचार विभाग	185.00	11494.79	4902.00	0.00	2881.00	7783.00	19277.79	19462.79
ग	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	470.00	29.23			94.35			
VII	पूर्वांतर क्षेत्र विकास विभाग	19.90	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	20.72
VIII	पर्यावरण और वन मंत्रालय	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
IX	विदेश मंत्रालय	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
X	वित्त मंत्रालय	524.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	524.91
क	आर्थिक कार्य विभाग	454.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.65
ख	मुद्रा, सिक्के और स्टॉप	14.00							
ग	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	54.95							
घ	व्यय विभाग	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
ङ	राजस्व विभाग	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
XI	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	54.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	154.48
क	सार्वजनिक वितरण विभाग	44.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	144.23
ख	उपभोक्ता मामले विभाग	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
XII	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6630.00
क	स्वास्थ्य विभाग	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00
ख	आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
ग	परिवार कल्याण विभाग	4930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4930.00
XIII	गृह मंत्रालय	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
XIV	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	9225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9225.00
क	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00

संलग्नक 3.2.5

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बाइस	ई.सी.बी./ आपूर्ति- कर्ता ऋण	अन्य	योग ई.बी. आर.	कुल आई.ई. बी.आर	कुल योजना परिव्यय
ख	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	2125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.00
ग	महिला और बाल विकास विभाग	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
XV	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	110.00	299.03	0.00	0.00	20.00	20.00	319.03	429.03
क	भारी उद्योग विभाग	100.00	299.03	0.00	0.00		26.11	325.14	425.14
ख	सार्वजनिक उद्यम विभाग	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
XVI	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	415.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	878.00
XVII	भ्रम मंत्रालय	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
XVIII	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
XIX	गैर परम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	625.00	151.48	50.00	225.00	50.00	325.00	476.48	1101.48
XX	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
XXI	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	0.00	13789.48	515.00	1000.00	2684.01	4199.01	17988.49	17988.49
XXII	शेजना मंत्रालय	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
XXIII	विद्युत मंत्रालय	3300.00	1797.17	4025.55	2781.90	1578.38	8385.83	10183.00	13483.00
XXIV	ग्रामीण विकास मंत्रालय	13670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13670.00
क	ग्रामीण विकास विभाग	10270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10270.00
ख	भूमि संसाधन विभाग	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
ग	पेय जल आपूर्ति विभाग	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
XXV	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.00
क	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
ख	वैज्ञानिक और औद्योगिक/ अनुसंधान विभाग	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

संलग्नक 3.2.5

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बाह्य	ई.सी.बी./आपूर्ति-कर्ता ऋण	अन्य	योग ई.बी. आर.	कुल आई.ई. बी.आर	कुल योजना परियोजना
ग	जैव-प्रौद्योगिकी	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
XXVI	लघु और कृषि तथा ग्राम उद्योग मंत्रालय	350.00	28.00	0.00	0.00	57.00	57.00	85.00	435.00
XXVII	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
XXVIII	इस्पात मंत्रालय	12.00	802.00	0.00	0.00	595.00	595.00	1397.00	1409.00
XXIX	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5905.92	0.00	6200.00	0.00	0.00	6200.00	6200.00	12105.92
XXX	जहाजरानी मंत्रालय	425.00	1153.61	0.00	1025.75	116.00	1141.75	2295.36	2720.36
XXXI	वस्त्र मंत्रालय	715.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	736.00
XXXII	पर्यटन मंत्रालय	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
क	पर्यटन विभाग	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
ख	संस्कृति विभाग	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
XXXIII	जनजातीय मामलों संबंधी मंत्रालय	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
XXXIV	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1525.00	409.74	3049.40	0.00	182.90	3232.30	3642.04	5167.04
XXXV	जल संसाधन मंत्रालय	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
XXXVI	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.00
XXXVII	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
XXXVIII	परमाणु ऊर्जा विभाग	2500.00	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	240.60	2740.60
XXXIX	महासागर विकास विभाग	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
XXXX	अंतरिक्ष विभाग	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.00
XXXXI	रेल मंत्रालय	5390.00	3940.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	6940.00	12330.00
	सकल योग	66870.92	39526.72	21777.50	5050.31	10812.32	37640.13	77166.85	144037.77

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्र के विकास शीर्ष के अनुसार बजट अनुमान

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
I.	कृषि व संबद्ध गतिविधियां		3733.13
1.	फसल कृषि	12401	1664.45
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	11.55
3.	पशुपालन	12403	139.98
4.	डेयरी विकास	12404	31.52
5.	मछली पालन	12405	123.00
6.	यानिकी व वन्य जीवन	12406	384.00
7.	बागान	12407	167.00
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	168.33
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	775.00
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	0.00
11.	सहकारिता	12425	188.33
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	79.97
II.	ग्रामीण विकास		6420.71
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1476.22
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	4596.00
3.	भूमि सुधार	12506	80.00
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	268.50
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना		0.00
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00

संलग्नक 3.2.6

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
	(घ) अन्य		0.00
IV	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		442.98
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	60.80
2.	लघु सिंचाई	12702	109.16
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	202.00
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	71.02
V.	ऊर्जा		36306.32
1.	विद्युत	12801	14823.05
2.	पेट्रोलियम	12802	17183.26
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	3198.75
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	1101.26
VI.	उद्योग व खनिज		7993.01
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	1212.77
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852	1417.50
3.	अलौह खनन तथा धातुविज्ञानी उद्योग	12853	1243.01
4.	सीमेंट व गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	31.75
5.	उर्वरक उद्योग	12855	899.00
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	936.74
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	67.96
8.	इंजीनियरी उद्योग	12858	416.86
9.	दूर-संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	521.88
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	489.20
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	481.09
12.	अन्य उद्योग	12875	194.90
13.	उद्योगों व खनिजों के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	80.35
VII.	परिवहन		32041.37
1.	रेलवे	13002	12330.00

संलग्नक 3.2.6

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
2.	पत्तन व लाइटहाउस	13051	1005.00
3.	जहाजसानी	13052	1562.26
4.	नागर विमानन	13053	2521.19
5.	सड़कें व पुल	13054	14542.92
6.	सड़क परिवहन	13055	0.00
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	55.00
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	25.00
VIII.	संचार		19539.79
1.	डाक सेवाएं	13201	150.00
2.	दूरसंचार सेवाएं	13225	18069.06
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	1320.73
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		4413.80
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	535.00
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1950.00
3.	समुद्र विज्ञान अनुसंधान	13403	175.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1228.80
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	525.00
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1785.14
1.	सचिवसलय आर्थिक सेवाएं	13451	193.61
2.	पर्यटन	13452	225.00
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	530.00
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	114.20
5.	मौसम विज्ञान	13455	60.00
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	14.55
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	0.00
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	600.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	47.78

संलग्नक 3.2.6

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
XI.	सामाजिक सेवाएं		30927.97
1.	सामान्य शिक्षा	22202	5838.91
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	582.30
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	255.82
4.	कला एवं संस्कृति	22205	227.10
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1527.00
6.	परिवार कल्याण	22211	4521.00
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2359.30
8.	आवास	22216	4698.47
9.	शहरी विकास	22217	1635.27
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	52.70
11.	प्रसारण	22221	745.50
12.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1369.83
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	151.77
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2269.10
15.	पोषाहार	22236	2.80
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	7.75
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	4.00
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	4679.35
XII.	सामान्य सेवाएं		433.54
1.	न्याय प्रशासन	32014	109.00
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	14.00
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00
4.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	32052	9.30
5.	पुलिस	32055	228.20
6.	जेलें	32056	0.00

संलग्नक 3.2.6

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
7.	आपूर्ति एवं निपटान	32057	2.00
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.00
9.	लोक निर्माण	32059	35.00
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	31.39
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	4.65
	सकल योग		144037.77

टिप्पणी- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय- 4

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4.1 ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और कार्यनीतियाँ

योजना बनाने की प्रक्रिया में गरीबी उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 1993-94 में 37.27 प्रतिशत से कम होकर 1999-2000 में 27.09 प्रतिशत रह गई है, परन्तु 1999-2000 में ग्रामीण गरीबों की 193.24 मिलियन संख्या घिटा का विषय बनी हुई है। आर्थिक विकास में रोजगार सृजक क्षेत्रों पर आर्थिक ध्यान केंद्रित करना गरीबी दूर करने के लिए कार्यनीति का एक मुख्य तत्व है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सफाई जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। एक तीसरा तत्व इस कार्यनीति में गरीबी रोधी कार्यक्रमों के जरिए गरीबों पर सीधा ध्यान देना है। इस अध्याय में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रोधी कार्यक्रमों और उनको क्रियान्वित करने के उपायों पर विचार किया गया है।

स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)

2. स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में आरम्भ की गई थी और ऐसा पहले की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम, ग्रामीण शिल्पकारों को टूलकिट्स की सप्लाई कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कूप स्कीम का पुनर्गठन करने के बाद किया गया। स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारी) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है जो सामाजिक गतिविधियों में उनके भाग लेने, उनको प्रशिक्षण देने और उनकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया द्वारा तथा बैंक से ऋण और सरकारी सब्सिडी के द्वारा आय सृजन स्रोत की व्यवस्था करके उनका स्व-सहायता समूह बनाकर किया जा सकता है।

3. स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने को केन्द्र बिन्दु बनाकर और स्वसहायता समूह बनाकर किया जाता है। जबकि स्वसहायता समूह में आमतौर पर 10-20 व्यक्ति होते हैं, रेगिस्तानी पहाड़ी जैसे कठिन क्षेत्रों में और दूर-दूर तक छितरी हुई आबादी वाले क्षेत्रों में और छोटी सिंचाई वाले क्षेत्रों तथा अपंग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 हो सकती है। समूह के सदस्य आम तौर से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के होते हैं परन्तु एक समूह में अधिकतम 20 प्रतिशत सदस्य (विशेष मामलों में 30 प्रतिशत तक) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के नजदीक रहने वाले गरीबी की रेखा से कुछ ऊपर रहने वाले परिवारों के हो सकते हैं बशर्तकि ऐसा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सदस्यों को स्वीकार्य हो। परन्तु समूह में गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले सदस्य योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी के पात्र नहीं बन सकेंगे और समूह के पदाधिकारी भी नहीं बन

सकेंगे। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को योजना के प्रबंधन और निर्णय लेने के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची की पहचान ऐसे परिवारों की जनगणना के द्वारा होकर ग्राम सभा द्वारा यथोचित अनुमोदित होगी और ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार के अंतर्गत परिवारों को मिलने वाली सहायता के पात्र होंगे। निर्धारित समूह में ही कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए 50 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 40 महिलाओं के लिए हैं और 3 प्रतिशत अपंग व्यक्तियों के लिए हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक ब्लाक में 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के लिए होने चाहिए।

4. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यक्रम गरीबों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है। यह सर्वविदित है कि स्व-सहायता समूह को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है - सामाजिक गतिविधियाँ और समूहों की रचना (पहला चरण-समूह संरचना), बचत को प्रोत्साहन और समूह के सदस्यों में स्वयं आपस में ऋण देना और समूह निकाय की संरचना (दूसरा चरण-समूह स्थायीकरण), बैंकों द्वारा नकदी ऋण अवधि के रूप में स्वीकृत आवर्ती निधि के माध्यम से समूह निकाय को सहायता देना (तीसरा चरण-लघु ऋण) और समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियाँ आरम्भ करना (चौथा चरण-लघु उपक्रम)। यह एक लम्बी प्रक्रिया है और यह सर्वविदित है कि सभी समूह, विशेषकर जिनमें ऐसे सदस्य हैं जिनमें कौशल और गुणों की कमी है तथा जिनके सदस्य साधनहीन हैं/जो घोर गरीबी में रह रहे हैं, एक निर्धारित समय सीमा में अन्तिम चरण तक नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक चरण के अंत में श्रेणी निर्धारण का कार्य किया जाए जिनमें स्वतंत्र एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि स्व-सहायता समूह के विकास के कार्य के लिए डी.आर.डी.ए को समूह विकास प्रक्रिया को आरम्भ करने तथा उसे बनाए रखने के लिए गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों आदि जैसे सहायकों का समर्थन लेना होता है। इस कार्यक्रम में उन उपयुक्त संगठनों/सोसाइटियों/व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सकता है जिनका स्व-सहायता समूह के निर्माण, सामुदायिक संगठन जिसके कार्य में सबको भाग लेना होता है, सम्प्रेषण कौशल, ग्रामीण क्षेत्रों आदि में जनता के साथ रहने का सामर्थ्य होने आदि के मामलों में विगत का अनुभव है। उन्हें स्व-सहायता समूहों के निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि के लिए 10,000 रुपये तक दिये जा सकते हैं। अन्य सहायक कारकों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता वृद्धि के लिए ऐसे संगठनों/सोसाइटियों/व्यक्तियों से सहायता ली जा सकती है।

5. इसके अतिरिक्त समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए तीसरे चरण में बैंकों से 25,000 रुपये की आवर्ती निधि प्रदान की जाती है जिसमें से डी.आर.डी.ए 10,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर बैंक को देता है। स्व-सहायता समूह जब यह दिखा देता है कि उसने तीसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो वह आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण और सब्सिडी के रूप में सहायता प्राप्त कर सकता है ऋण और सब्सिडी या तो समूह में आय सृजन गतिविधि आरम्भ करने वाले व्यक्तियों को दी जाती है अथवा समूह को दी जाती है जहाँ सभी/कुछ सदस्य एक समूह गतिविधि आरम्भ करते हैं। स्कीम के अंतर्गत उत्तरोत्तर अधिकांश निधि स्व-सहायता समूह के लिए होगी क्योंकि समूह की गतिविधियाँ सफल हों सकती हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार के अंतर्गत सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत पर समान होती है जो अधिकतम 7500 रुपये तक दी

जा सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अपंग व्यक्तियों के मामले में सब्सिडी परियोजना लागत के 50 प्रतिशत होगी जो अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकती है। स्वरोजगारियों के समूहों के लिए सब्सिडी स्कीम के लागत के 50 प्रतिशत होगी जो प्रति व्यक्ति सब्सिडी 10,000 रुपये अथवा 1.25 लाख रुपये जो भी कम होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी आरम्भ से अंत तक रहती है।

6. चूंकि यह स्कीम स्वरूप में प्रक्रिया प्रधान है इसलिए यह माना जाता है कि स्कीम के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहभागी होंगे। इसलिए स्कीमों में लचीलापन रखा गया है ताकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संरचना आवर्ती निधि जैसे विभिन्न घटकों पर होने वाले व्यय और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी और समूह निर्माण के विभिन्न चरणों के मामलों में प्राथमिकताएं तय कर सकें। तथापि, संरचना पर व्यय सीमा कुल आबंटन की 20 प्रतिशत रहेगी (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 25 प्रतिशत)। मेलों, प्रदर्शनियों के आयोजन और इनमें स्वरोजगारियों के भाग लेने पर और परियोजनाओं के लिए अध्ययन आरम्भ करने पर होने वाला व्यय संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमान्य है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की राशि विपणन अनुसंधान, मूल्य वर्द्धन अथवा उत्पाद विविधकरण अथवा उत्पाद के विपणन सुगमीकरण पर खर्च की जा सकती है। कार्यक्रम में स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाता है और इसके लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां आधारभूत पुनश्चर्या और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों से सहायता मांग सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए कुल व्यय की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी रखी गई है।

7. लघु उपक्रमों की स्थापना के लिए किसी ब्लाक में प्रमुख उपक्रमों की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि संसाधनों, लोगों के व्यवसायिक कौशल और बाजार की उपलब्धता के आधार पर चिन्हित 4-5 प्रमुख गतिविधियों पर जोर दिया जाता है ताकि लाभग्राहियों को भरण-पोषण आय मिल सके। प्रमुख उपक्रमों के बारे में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है ताकि ऋणों को मंजूरी देने में विलम्ब न हो और पर्याप्त तथा समय पर ऋण मिलना सुनिश्चित हो सके। ब्लाक स्तर पर पंचायत समितियों का और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों का अनुमोदन लेना जरूरी है। यह निर्धारित किया गया है कि प्रमुख उपक्रम विशेषकर संकुल आबादी वाले क्षेत्रों में आरम्भ किए जाएं ताकि पिछड़े और अग्रगामी लोगों का संपर्क प्रभावी रूप से बन सके।

8. स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 लागत बंटवारे के आधार पर धन मिलता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इसे केंद्र से पूरा धन मिलता है। स्वर्णजंयती ग्राम स्व-रोजगार योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, समान विभागों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता है।

9. स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत धन विशेष परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग से रखा जाता है। प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य स्व-रोजगार के

जरिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की एक विशेष संख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करना है, परियोजना के अंतर्गत दीर्घकालीन भरण पोषण योग्य स्व-रोजगार के अवसर देने के लिए या तो ग्रामीण निर्धनों का संगठन बनाकर, समर्थन संरचना, प्रौद्योगिकी, विपणन, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके अथवा इन सबके संयोजन के द्वारा विभिन्न कार्यनीतियां बनाई जाती हैं।

10. जैसाकि प्रत्याशित था, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के दौरान इसकी समग्र प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है क्योंकि यह स्कीम स्वरूप में प्रक्रिया प्रधान है। व्यक्ति-प्रधान सहायता का केंद्र बिन्दु उससे हटाकर समूह आधार सहायता पर कर देने के बावजूद कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायता पर जोर दिया जाता रहा। निधियों के उपयोग का स्तर, ऋण वितरण, प्रति परिवार निवेश और ऋण सन्निधि का अनुपात भी बहुत कम था। 1999-2000 के दौरान कार्यक्रम विलम्ब से आरम्भ हुआ और प्रारंभिक कार्य जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से पूर्व विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों और बैंकों को जागरूक करना, स्व-सहायता समूहों का निर्माण, उनका प्रशिक्षण और सामर्थ्य का निर्माण, समूहों का श्रेणीकरण, बहुत समय लेने वाली गतिविधियां हैं। इसलिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां अपने स्तर पर निधियां को न पड़े रहने देने और स्कीम को चलाये रखने के लिए स्व-सहायता समूहों से अधिक अलग-अलग स्वरोजगारियों को सहायता देती रही।

11. इसी प्रकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 और 2000-01 के दौरान विशेषकर समूह की गतिविधियों के लिए ऋण की अदायगी आसान नहीं रही। समूह दृष्टिकोण पर जोर देने के कारण समूह ऋण/निवेश की मांग बढ़ी है। तथापि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य और क्षेत्रीय स्तर के बैंकों द्वारा समूह को धन देने के लाभों को भली-भांति नहीं समझा गया तथा पूरा ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंक की शाखाओं को पूरे अधिकार नहीं दिए गए। कुछ बैंकों ने भी 50,000 रुपये से अधिक ऋण के लिए प्रतिभूति पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त कम ऋण, वितरण के अन्य कारण, ऋण की स्वीकृति और वितरण में विलंब, कम धन देना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ करने के बाद बैंक की शाखाओं में स्टाफ की कमी आदि हैं। अपर्याप्त ऋण मिलने के कारण कार्यक्रम आरम्भ करने के पहले दो वर्षों से औसतन प्रति परिवार निवेश और ऋण सन्निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

12. कार्यक्रम के अंतर्गत 2001-02 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल आबंटन (केंद्र+राज्य) 774.50 करोड़ रुपये था। कुल उपलब्ध धन जिसमें आय शेष, प्रकीर्ण प्राप्ति, केंद्रीय और राज्य द्वारा धन दिया जाना शामिल हैं, 1298.75 करोड़ रुपये था जिसमें से 967.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया जो उपलब्ध निधि का 74.46 प्रतिशत था। इस वर्ष 1331.77 करोड़ रुपयों का ऋण वितरित किया गया जबकि लक्ष्य 3195.03 करोड़ रुपये था। उपलब्धि लक्ष्य की 41.68 प्रतिशत रही। औसतन प्रति परिवार निवेश 21,082 रुपये का रहा और सन्निधि ऋण अनुपात 1: 2.01 था। इस वर्ष जिन कुल स्वरोजगारियों को सहायता दी गई उसमें से 3.70 लाख स्व-सहायता समूह के सदस्य थे और 5.77 लाख व्यक्तिगत स्वरोजगारी थे जो कुल 9.47 लाख बनते हैं। 2002-03 के बजट में स्कीम के लिए 710 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय दिया गया है। इसका व्यौरा अनुबंध 4.1.1 में दिया गया है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई)

13. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने 15.8.2001 को की थी, सितंबर 2001 में आरम्भ हुई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई), रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस) को इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.4.2002 से मिला दिया गया। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार देना है जिससे भोजन की सुरक्षा मिल सके और पोषाहार के स्तर में सुधार आए। इसका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में वे सभी ग्रामीण निर्धन भाग ले सकते हैं जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और जो गांव/निवास स्थान में या इसके आस-पास हाथ का तथा अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम में स्वयं आना पड़ता है। मजदूरी रोजगार देते समय खेती/मजदूरी उपाजक, सीमान्त किसान, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, खतरनाक व्यवसायों से हटाए गए बाल श्रमिकों के मां-बाप, विकलांग बच्चों के मां-बाप अथवा विकलांग मां-बाप वाले वयस्कों को वरीयता दी जाती है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

14. यह कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच लागत बंटवारे के आधार पर चलाया जाता है जिसमें कार्यक्रम के नकदी घटक का अनुपात 75 : 25 होता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र योजना के लिए समूची राशि (100 प्रतिशत) देता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न निःशुल्क मिलता है।

15. ग्रामीण विकास मंत्रालय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत धन और खाद्यान्न का 5 प्रतिशत भाग अपने पास रखता है जोकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न गंभीर संकट वाले क्षेत्रों में उपयोग होता है अथवा हमेशा सूखाग्रस्त रहने वाले अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न का कुछ प्रतिशत किसी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अपरिहार्य स्थितियों से निबटने के लिए मजदूरी रोजगार संभावना वाले केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी स्कीम में उपयोग हेतु विशेष घटक के लिए आरक्षित रहता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत शोष राशि और खाद्यान्न को दो भागों में बराबर बांट दिया जाता है। पहले भाग की राशि और खाद्यान्न 40:60 के अनुपात में जिला परिषद और मध्यवर्ती पंचायतों के बीच वितरित कर दिया जाता है। दूसरे भाग की राशि और खाद्यान्न को ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित कर दिया जाता है। इस भाग का संपूर्ण संसाधन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषदों द्वारा ग्राम पंचायतों को वितरित कर दिया जाता है।

16. पहले भाग के अंतर्गत वार्षिक आबंटन (खाद्यान्न सहित) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक लाभार्थी के लिए निर्धारित किया जाता है। दूसरे भाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत का न्यूनतम 50 प्रतिशत आबंटन (खाद्यान्न सहित) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास स्थानों/वार्ड में आवश्यकता आधारित ग्राम संरचना का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जाता है। 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।

17. कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी अंशतः खाद्यान्न के रूप में और अंशतः नकद में दी जाती है। राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी के भाग के रूप में ग्रामीण निर्धनों को खाद्यान्न 5 किलो प्रति श्रम दिवस की दर से दिया जाता है। राज्य सरकारें वर्तमान राज्य आबंटन के अंदर 5 किलो खाद्यान्न प्रति श्रम दिवस से अधिक दे सकती हैं (जो नकद में दी जा रही मजदूरी का न्यूनतम 25 प्रतिशत तक हो सकता है)। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मजदूरी के रूप में दिए गए खाद्यान्न की लागत की गणना समान दर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे वाली दर हो सकती है या गरीबी की रेखा से ऊपर वाली दर हो सकती है या दोनों दरों के बीच कुछ भी हो सकती है। कर्मकारों को शेष मजदूरी नकद दी जाती है ताकि उन्हें अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी मिल सके। कार्यक्रम के अंतर्गत किसी कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदारों/मध्यस्थों अथवा अन्य मध्यवर्ती एजेंसी को काम पर रखने की अनुमति नहीं है।

18. कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मकारों को खाद्यान्न का वितरण या तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा ग्राम पंचायत द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी से किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ/जिला परिषदें संबंधित एजेंसियों में खाद्यान्न का वितरण करने के लिए आवश्यक इंतजाम करती हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से दुलाई की लागत, स्थानीय करों को वहन करती है और कार्यक्रम के अंतर्गत नकदी घटक का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं होता है।

19. प्रत्येक जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ, मध्यवर्ती स्तर और ग्राम पंचायत स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी को शामिल करने के लिए वार्षिक कार्यावाही योजना तैयार करते हैं। अधूरे कार्य को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है और श्रम प्रधान कार्यों पर जोर दिया जाता है। पहले भाग के अंतर्गत मिट्टी और नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेय जल संसाधनों का पुनरूद्धार, भू-जल में वृद्धि, पारंपरिक जल संरक्षण संरचना, गांव के टैंकों/तालाबों आदि से गाद निकालना आदि और वाटर शेड विकास हेतु ऐसी अन्य स्कीमों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य प्राथमिकता वाले कार्य हैं- ग्रामीण संपर्क सड़कों, खेतों को जोड़ने वाली फार्म सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, वनारोपण और ऐसे कार्य करना जिनसे स्थायी सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है जैसे स्कूल, स्कूलों के लिए किचन शेड्स, औषधालय, सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर, हाटों(मार्केट्स) का विकास, आदि। निर्माण कार्यों का स्वरूप ऐसा होता है कि उन्हें एक या दो वर्षों में पूरा किया जा सके। जिला परिषदें/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/मध्यवर्ती पंचायतें/ग्राम पंचायतें कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर अधिकतम 15 प्रतिशत धन व्यय कर सकती हैं।

20. ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र/लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दूसरे भाग के अंतर्गत ऐसे सभी कार्य आरम्भ किए जा सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप स्थायी लाभकारी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इसमें (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आधारीक संरचना समर्थन, (ख) ग्राम पंचायत में कृषि गतिविधियों को समर्थन देने के लिए अपेक्षित आधारीक संरचना, (ग) शिक्षा (किचन शेड्स सहित), स्वास्थ्य तथा संपर्क सड़कों (गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कें, चाहे यह पंचायत क्षेत्र से बाहर पड़ती हैं फिर भी इनका

निर्माण करने दिया जाएगा) के लिए सामुदायिक आधारिक संरचना (घ) अन्य सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियां, और (ङ) गाद हटाना, पारंपरिक टैंकों/तालाबों का पुनरुद्धार शामिल हैं।

21. 2002-03 के बजट में स्कीम के लिए (काम के बदले अनाज कार्यक्रम सहित) 5040 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय रखा गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का व्यौरा आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई)

22. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च 2002 तक चली। इस कार्यक्रम को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्थायी परिसंपत्तियों सहित मांग पोषित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना का निर्माण करना था जिससे ग्रामीण निर्धन निश्चित रोजगार के अवसर बढ़ाने में समर्थ हो सकें। इसका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार निर्धनों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना था। कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए गए थे। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच 75: 25 के लागत बंटवारा अनुपात में किया गया।

23. जबकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत संसाधनों का कोई क्षेत्रक निर्धारण नहीं किया गया था, यह प्रस्ताव किया गया था कि वार्षिक आबंटन की 22.5 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग लाभग्राही स्कीमों पर अनिवार्यतः खर्च की जानी चाहिए और 3 प्रतिशत राशि विकलांग या अशक्त लोगों के लिए बाधा-रहित आधारिक संरचना का निर्माण करने के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। ऐसे सभी कार्य, जिनसे स्थायी लाभप्रद सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता हो या ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र/लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किए गए थे, इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवासों के लिए आधारिक संरचना, स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए आधारिक संरचना, गांव में कृषि कार्यों को समर्थन देने के लिए आधारिक संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें और अन्य सामाजिक, कार्यों के लिए आधारिक संरचना और आर्थिक और भौतिक आधारिक संरचना का निर्माण शामिल था।

24. कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों को वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और उसको कार्यान्वित करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त था जिसे ग्राम सभा को स्वीकार करना होता था। ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण और निगरानी से संबंधित सभी कार्य देखना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी थी। ग्राम पंचायतों के पास ग्राम सभा के अनुमोदन से 50,000 रुपये तक का निर्माण कार्य/स्कीमों पूरा कराने का अधिकार था। इसेक अतिरिक्त ग्राम सभा ने सामाजिक लेखा परीक्षा का भी कार्य किया। आरंभ किए गए निर्माण कार्य/स्कीमों पर निगरानी रखने और पर्यवेक्षण करने के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी और सतर्कता समितियां भी बनाई गई थीं। जिला स्तर पर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों की और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन, समन्वय, पर्यवेक्षण, आवधिक सूचनाएं देने और निगरानी करने की समग्र जिम्मेदारी थी।

रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस)

25. रोजगार आश्वासन योजना (2 अक्टूबर, 1993 से 31 मार्च, 2002) आरंभ में सूखा प्रवृत्त क्षेत्र, रेगिस्तान, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जहां नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही थी, 257 जिलों के 1772 अभिज्ञात पिछड़े ब्लॉकों में शुरू की गई थी। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार और दूसरे ब्लॉकों में कर दिया गया और तत्पश्चात इसे सार्वजनिक बना दिया गया। 1999-2000 से रोजगार आश्वासन योजना को एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का नया रूप दिया गया और यह स्कीम मांग आधारित होन की बजाय आबंटन योग्य स्कीम बन गई और राज्यों को एक नियत वार्षिक परिव्यय करना होता था। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत बांटने के आधार पर केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया गया।

26. रोजगार आश्वासन योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरी वाले रोजगार की भारी कमी वाली अवधि में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण निर्धनों के लिए शारीरिक काम के जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना था। दूसरा उद्देश्य स्थायी सामुदायिक निरंतर रोजगार वाली और विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। रोजगार आश्वासन योजना ऐसी सभी जरूरतमंद ग्रामीण निर्धनों के लिए खुली थी जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे। प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो वयस्कों को मजदूरी रोजगार दिए जाते थे। रोजगार देते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और खतरनाक व्यवसायों से निकाले गए बच्चों के ऐसे मां-बाप को वरीयता दी गई थी जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे। यह कार्यक्रम जिला परिषदों द्वारा (उन राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा जहाँ जिला परिषदें नहीं थी) क्रियान्वित किया गया था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी) और अन्नपूर्णा

27. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, 15 अगस्त 1995 से आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य बुढ़ापे में, रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तथा प्रसूति के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करना था। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूरक है और इसका उद्देश्य भलाई के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर को सुनिश्चित करना है और यह केंद्रीय सहायता उन लाभों के अतिरिक्त है जो राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए पहले से दिए जा रहे हैं या भविष्य में दिए जा सकते हैं। केंद्रीय सहायता की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लाभग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा समान रूप से उपलब्ध हो।

28. पोषण और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मातृत्व लाभ घटक को 2001-02 से परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को दे दिया गया है और 2002-03 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दो घटक यथा राष्ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पारिवारिक सुविधा स्कीम अन्नपूर्णा के साथ राज्यों को दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन स्कीम (एन.ओ.ए.पी.एस)

29. वयोवृद्ध पेंशन 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को दी जाती है जो इस अर्थ से निराश्रय हों कि उनके अपने आय के स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से गुजारे का बहुत कम अथवा कोई नियमित साधन न हों।

राष्ट्रीय पारिवारिक सुविधा स्कीम (एन.एफ.बी.एस)

30. यदि प्राकृतिक अथवा दुर्घटना संबंधी कारणों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एकमुश्त/समूह राशि प्रदान की जाती है। यह पारिवारिक लाभ दिवंगत व्यक्ति के परिवार के उस उत्तरजीवी सदस्य को दिया जाता है जिसे स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया निर्धारित किया जाए।

31. अन्नपूर्णा स्कीम 1 अप्रैल 2000 से आरंभ की गई थी जो 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। इसका उद्देश्य उन निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्हें भोजन सुरक्षा प्रदान करना है जो राष्ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन स्कीम के अंतर्गत इसके पात्र होते हुए भी नहीं आ सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है।

32. इन स्कीमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसलिए अंतरित किया गया जिससे इन स्कीमों के चयन और क्रियान्वयन में उन्हें अपेक्षित लचीलापन मिल सके। इन स्कीमों को चलाने के लिए निधि की व्यवस्था राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी करके की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का उपयोग वयोवृद्ध पेंशन, परिवार लाभ अथवा वृद्धों को निःशुल्क खाद्यान्न देकर कर सकते हैं। ऐसा वे अपनी प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार एक अथवा दो अथवा सारे तीनों को लेकर अथवा किसी अन्य ढंग से कर सकते हैं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन स्कीमों के लिए अपने ही बजट के अंतर्गत अनिवार्य न्यूनतम निधि की व्यवस्था करनी होती है। वर्ष 2000-01 के दौरान इन स्कीमों के लिए अनिवार्य न्यूनतम निधि की गणना राज्य की बजट राशि अथवा वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, और संबंधित वर्ष के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के समतुल्य के रूप में की जाएगी।

33. 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्नपूर्णा के लिए राज्यों को 680.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी गई।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए) प्रशासन

34. गरीबी रोधी प्रयासों का समन्वय करने के लिए जिला स्तर पर प्रभावी एजेंसी बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 1999 से डी.आर.डी.ए प्रशासन के सुदृढीकरण के लिए एक नया सी.एस.एस. 1 अप्रैल 1999 से आरंभ किया गया जिससे केंद्र और राज्यों के बीच धन की व्यवस्था 75:25 के आधार पर होती थी। जबकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 1980 में अपनी स्थापना के समय से विभिन्न गरीबी रोधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के

लिए जिला स्तर पर एक मुख्य संस्था रही है, उनके लिए धन की व्यवस्था प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन में से एक हिस्सा अलग रखकर किया जाता था। इसके कारण प्रशासनिक लागतों के संदर्भ में कार्यक्रमों में कोई एकरूपता नहीं थी और इसलिए एक अलग स्कीम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

35. कार्यक्रम में यह अभिज्ञात है कि विभिन्न राज्यों में वेतन संरचना भिन्न-भिन्न है और इसलिए राज्य अपनी-अपनी वेतन संरचना अपना सकते हैं, किन्तु 1999-2000 से लागू प्रति, जिला प्रशासनिक लागत की अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार नियत कर दी गई है। परन्तु मुद्रास्फीति आदि के कारण लागत वृद्धियों को पूरा करने के लिए यह अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

श्रेणी क जिला (6 से कम ब्लाक)	46.00 लाख रुपये
श्रेणी ख जिला (6 से 10 ब्लाक)	57.00 लाख रुपये
श्रेणी ग जिला (11 से 15 ब्लाक)	65.00 लाख रुपये
श्रेणी घ जिला (15 से अधिक ब्लाक)	67.00 लाख रुपये

36. डी.आर.डी.ए. को एक ऐसी विशेषज्ञता प्राप्त और व्यावसायिक एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी रोधी कार्यक्रम को प्रबंधित करने और इन्हें जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे समग्र प्रयास से कारगर ढंग से जोड़ने में सक्षम है। यद्यपि डी.आर.डी.ए. कार्यान्वयन एजेंसियां नहीं है, किन्तु वे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखकर और यह सुनिश्चित करके कि उनके साथ संपर्क बना रहे, कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में कारगर हो सकती हैं। इस सीमा तक डी.आर.डी.ए. एक सहायक तथा सुसाधक संस्था है और विकास प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक के रूप में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

37. डी.आर.डी.ए. की भूमिका गरीबी रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना बनाने, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, तकनीकी और वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने, निर्णयकारी प्रक्रिया में समुदाय तथा ग्रामीण निर्धनों को भाग लेने में समर्थ बनाने, दिशा-निर्देशों, गुणवत्ता, न्याय तथा कुशलता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन पर नजर रखने, कार्यान्वयन के बारे में निर्धारित प्राधिकारियों को सूचना देने, और निर्णय करने तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के रूप में हैं। डी.आर.डी.ए. एजेंसियां गरीबी कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच दृष्टिकोण में एकरूपता लाने की दृष्टि से अनुरूप, विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थाओं एवं तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय करती हैं।

38. डी.आर.डी.ए. अपनी अलग पहचान बनाए रख कर जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। वे जिला परिषद की सुसाधक तथा सहायक संस्थाएं होती हैं और गरीबी कम करने के प्रयासों में आवश्यक कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। जहां कहीं जिला परिषदें न हों या वे कार्य न कर रही हों, वहां डी.आर.डी.ए. एजेंसियां यथास्थिति कलेक्टर/जिला न्यायाधीश/उप आयुक्त के अधीन कार्य करती हैं।

39. 2001-02 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय भाग के रूप में 198.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। 2002-03 के लिए स्कीम हेतु बजट प्राक्कलन 220.00 करोड़ रुपये है।

ग्रामीण आवास - इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई)

40. आवास एक ऐसा घटक है जिसे मनुष्य के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए यह सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण निर्धनों की आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार 1985 से इन्दिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। इससे पहले यह जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना थी परन्तु अप्रैल 1996 से इन्दिरा आवास योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

41. नौवीं पंच वर्षीय योजना में सरकार ने आवास को “सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए विशेष कार्य योजना” प्राथमिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मकान उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्य के लिए ग्रामीण आवास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत एक संमिश्र बहुमुखी आवास कार्यनीति बनाई गई जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई)

42. इन्दिरा आवास योजना गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण निर्धनों को निःशुल्क आवास इकाइया उपलब्ध करने के लिए अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र द्वारा प्रायोजित आवास स्कीम है। ये आवास इकाइयां मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रु0 प्रति आवास इकाई तथा पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में 22,000 रु0 प्रति आवास इकाई लागत से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए निधियां केंद्र सरकार तथा राज्यों से 75:25 लागत बंटवारा अनुपात से आती हैं।

43. इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहे हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों तथा गैर-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों को निःशुल्क आवास इकाइयां उपलब्ध कराना है। 1995-96 से इन्दिरा आवास योजना के लाभ का विस्तार युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं अथवा उनके निकट के संबंधियों तक कर दिया गया है। ये लाभ भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को भी मिलने लगे हैं बशर्ते कि वे इन्दिरा आवास योजना की सामान्य शर्त को पूरा करते हों। 3 प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अशक्त लोगों के लिए रखी जाती हैं। परन्तु गैर-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले लाभ इन्दिरा आवास योजना के आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

44. वर्ष 1999-2000 से इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित कुल निधि की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के न रहने योग्य कच्चे

मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए किया जायेगा। मकान में सुधार करने के घटक के अंतर्गत प्रति आवास इकाई के लिए 10,000 रुपये की अधिकतम सहायता दी जा रही है। स्वच्छ शौचालय और धुआरहित चूल्हे की व्यवस्था अनिवार्य है।

45. 1999-2000 से इन्दिरा आवास योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आबंटन संबंधी मानदण्ड में परिवर्तन कर दिया गया है। इसे बदल कर राज्य में 50 प्रतिशत गरीबी अनुपात और 50 प्रतिशत आवास की कमी कर दिया गया है। इसी प्रकार, किसी राज्य में किसी जिले को निधियों के आबंटन का मानदण्ड भी बदल कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और आवास की कमी कर दिया गया है जिससे प्रत्येक को बराबरी का महत्त्व दिया जाएगा।

ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम

46. ग्रामीण आवास के लिए ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। इस स्कीम का लक्ष्य ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपये तक हो, परन्तु इसमें वरीयता गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के ग्रामीण परिवारों को दी जानी चाहिए। जबकि आर्थिक सहायता की सीमा 10,000 रुपये तक है किन्तु इसके अंतर्गत 40,000 रुपये का अधिकतम ऋण लिया जा सकता है। आर्थिक सहायता की राशि केंद्र तथा राज्य में 75:25 के अनुपात में बांटी जाती है। ऋण का अंश वाणिज्यिक बैंको, आवास वित्त संस्थाओं आदि द्वारा संवितरित किया जाएगा। यह स्कीम राज्य आवास बोर्ड, आवास वित्त संस्थान अथवा जिला ग्रामीण एजेंसियों/जिला परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

ग्रामीण आवास और बस्ती विकास के लिए अभिनव धारा

47. यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण और आवास सेक्टरों में अभिनव, किफायती लागत और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 1999 से परियोजना आधारित मांग प्रधान स्कीम के रूप में आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अभिनव आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों तथा सामग्रियों को प्रोत्साहित /प्रस्तावित करना है। सभी मान्यताप्राप्त सरकारी संगठन/संस्थान और किफायती लागत तथा पर्यावरण अनुकूल आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्री में अच्छा अनुभव रखने वाली विख्यात गैर सरकारी संस्थाएं निधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में आवेदन कर सकती हैं। गैर सरकारी संस्थाओं/स्वायत्तशासी सोसाइटी के मामले में अधिकतम अनुमत सहायता की राशि 20 लाख रुपये है और सरकारी एजेंसियों के लिए 50 लाख रुपये है।

ग्रामीण भवन केंद्र (आर.बी.सी)

48. इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य (क) प्रौद्योगिकी अंतरण तथा सूचना वितरण (ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन और (ग) किफायती लागत वाली तथा पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों/संघटकों का निर्माण करना है। प्रत्येक भवन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ही बार 15 लाख रुपये का

अनुदान उपलब्ध किया जाता है। यह एक परियोजना आधारित मांग प्रधान स्कीम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हुडको की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है और उस पर निगरानी रखी जा रही है।

आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को ईक्विटी सहायता

49. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की बाहरी पहुंच बढ़ाने के लिए हुडको को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली ईक्विटी सहायता आठवीं योजनावधि में 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर नौवीं योजनावधि में 350 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे हुडको को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बाजार से ईक्विटी के रूप में दी गई राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने में सुविधा हो जाती है।

ग्रामीण आवास और प्राकृतिक आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन

50. इस सेक्टर में निरंतर आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विनिष्ठियों को लाने को सुविधाजनक बनाने हेतु और एक निश्चित समय अवधि में और सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्र में सभी को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक आवास और ऊर्जा संबंधी विषयों को एक साथ उपलब्ध करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास और प्राकृतिक आवास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद, सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति और एक कार्यकारी ग्रुप की स्थापना की गई है जो मिशन के ध्येय और उद्देश्यों को निर्दिष्ट करेगा, इन ध्येय और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित समय अवधि तय करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विकास में गैर सरकारी पूंजी के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय बताएगा, ऐसी एजेंसियों की सूची बनाएगा जो ग्रामीण योजना के लिए प्रौद्योगिकी-कानूनी पद्धति तैयार करने का काम कर सके।

समग्र आवास योजना (एस.ए.वाई)

51. यह एक परियोजना आधारित स्कीम है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और समग्र आवास में सुधार करना है। इस स्कीम में आवास, सफाई और पेय जल स्कीमों को एक स्थान पर लाकर और प्रौद्योगिकी, सूचना, शिक्षा और संचार और अभिनव विचारों का उपयुक्त और निरंतर उपयोग करके उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके "चार दीवारें और छत" की आवास संबंधी सीमित चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह स्कीम 24 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में, जिन्हें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागी दृष्टिकोण क्रियान्वित करने के लिए चुना गया है, प्रायोगिक आधार पर 1999-2000 में आरंभ की गई थी। समग्र आवास विकास और आई.ई.सी. कार्य शुरू करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपये की विशेष सहायता प्रदान की जा रही है और इसमें 10 प्रतिशत अंशदान लोगों का होगा।

सभी भूम्यांकन प्रतिवेदन यह बताते हैं कि इन्दिरा आवास योजना, जिसके अंतर्गत लोगों को निःशुल्क मकान दिए जाते हैं, क्रियान्वित किए जा रहे सफल कार्यक्रमों में से एक है। परन्तु इसमें कुछ कमियाँ हैं। निःशुल्क मकान देने का यह अर्थ है कि अन्य ऋण आधारित स्कीमों में सफल नहीं हो सकी है। यह बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि यह प्रक्रिया अपने में बंटवारा करने वाली स्वरूप की है क्योंकि सभी निर्धन लोगों को एक समय में मकान नहीं मिलता है जिसके कारण प्रभाव और भ्रष्ट उपायों का प्रयोग होता है। इसलिए दसवीं योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क मकान अधिकतम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए जाएंगे। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य परिवारों के लिए ऋण आधारित आवास कार्यक्रम क्रमिक रूप से लिया जाता रहेगा।

52. यह निर्णय किया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी वर्तमान ग्रामीण आवास योजनाओं, (समग्र आवास योजनाओं को छोड़ कर) वर्ष 2002-03 से केंद्रीय ग्रामीण आवास योजना/एकीकृत ग्रामीण आवास स्कीम में मिला दिया जाएगा। स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण आवास स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 2002-03 के दौरान 1725 करोड़ रु० का आबंटन उपलब्ध किया गया है।

भूमि सुधार

53. भूमि सुधारों को, भूमिहीनों को भूमि तक पहुँच प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा आय के उच्चतर स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए एक साधन के रूप में देखा गया है। इसलिए कृषि और भूमि सुधार का विषय राष्ट्रीय एजेंडों में बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभी भी रोजगार और आय का एक मुख्य साधन है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कृषि सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, 'वास्तविक किसानों और भूमिहीन निर्धनों' को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था।

54. भूमि सुधार के लिए तीन मुख्य कार्यक्रम/स्कीमों यथा, 'राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भू-अभिलेखों को अद्यतन करना', 'भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण' और भूमि जोतों की चकबंदी-ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। 2001-02 में किए गए शून्य आधारित बजट प्रयास के दौरान यह निर्णय किया गया था कि "भूमि जोतों की चकबंदी" की योजना समाप्त की जाए और अन्य दो स्कीमों यथा भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और 'राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भू-अभिलेखों को अद्यतन करना' को मिला कर एक कर दिया जाए और उसे नया नाम 'राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण' दिया जाए जिसमें दो विषय भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भू-अभिलेखों को अद्यतन करना शामिल हो। स्कीम के दो विषयों का विवेचन निम्न पैराग्राफों में किया गया है।

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर)

55. यह 'राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण' के दो विषयों में से एक विषय है। पहले यह भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण की एक स्वतंत्र स्कीम थी जो 1988-89 में राज्य

सरकारों द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान सहायता योजना के रूप में आरंभ की गई थी। भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण उप योजना के मुख्य उद्देश्य हैं- (एक) उचित मूल्य पर भू-स्वामियों को अधिकारों के रिकॉर्ड की समय पर और सही प्रति जारी करने के लिए स्वामित्व ब्यारे का कम्प्यूटरीकरण (दो) दीर्घकालीन, कम लागत पर, आसानी से पुनरुत्पादनीय संग्रह हासिल करना (तीन) आलेखीय और पाठविषयक सूचना की द्रुत और कुशल पुनः प्राप्ति प्रदान करना और (चार) भू-आसूचना पद्धति और डाटा बेस का सृजन स्कीम का मुख्य लक्ष्य देश में भूमि अभिलेखों का 'आन लाइन मैनेजमेंट' करना है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 582 जिलों को लाया गया है। कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों ने स्कीम के अंतर्गत अच्छा काम किया है। असम, बिहार, पंजाब, झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसका कारण जिला और तहसील स्तर पर आधारित संरचना सुविधाओं की कमी है, राज्य प्रशासन से प्रेरणा और स्पष्ट निदेश का न होना है, राज्य सरकारों द्वारा जिला प्राधिकारियों को धन का अंतरण करने में विलंब है और डाटा एंट्री का काम करने के लिए डाटा एंट्री एजेंसियों का न मिलना है।

56. 1998-99 के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटक 'डिजिटलाईजेशन आफ कैंडेस्ट्रल मैप' स्कीम में शामिल किया गया। कैंडेस्ट्रल सर्वेक्षण मानचित्र का उद्देश्य गांव और खेत की हदों का निर्धारण करना, गांव का मानचित्र तैयार करना जिसमें ऐसी हदों और क्षेत्र की सूचियों को दिखाया गया हो और फील्ड रजिस्टर तैयार करना है। यह कार्य प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में लिया गया है। अब तक भारत सरकार ने 22 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 33 मार्गदर्शी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

57. सी.एल.आर स्कीम के शुरु होने से 31-3-2002 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 233 57 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई है परन्तु (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 148 42 करोड़ रुपयों का निधि उपयोग दिखाया है जो प्रदत्त कुल निधियों का 62 प्रतिशत है।

राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एस.आर.ए. और यू.एल.आर.)

58. यह 'राजस्व और भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण- स्कीम का दूसरा विषय है। आरंभ में यह एक स्वतंत्र स्कीम थी जिसे केंद्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के बंटवारे के आधार पर 1987-88 के दौरान आरंभ किया गया था। उप स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं (क) उन क्षेत्रों में भू-अभिलेखों को तैयार करने और उन्हें शीघ्र पूरा करने हेतु, जहां यह कार्य अभी पूरा किया जाना है, सर्वेक्षण और निपटान संगठनों का सुदृढीकरण, (ख) विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां कोई भू-अभिलेख नहीं हैं सर्वेक्षण और निपटान संगठनों की स्थापना करना, (ग) राजस्व सर्वेक्षण और निपटान स्टाफ को सेवा पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देना और इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण, (घ) सर्वेक्षण और निपटान कार्यों का, सर्वेक्षण मानचित्रों का, प्रतिवेदनों/ दस्तावेजों के मुद्रण का और अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विनियमितियों का उपयोग करके भू और फसल संबंधी प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि तैयार करने और उसे अद्यतन बनाने के कार्य का आधुनिकीकरण करने हेतु सुविधाएं देना, (ङ) चयन के आधार पर ग्राम और सीधे पर्यवेक्षण

स्तर पर राजस्व तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि इन पदाधिकारियों के काम का भार प्रबंधकीय हो सके।

59. इसके आरंभ के समय से ही भारत सरकार ने राजस्व प्रशासन और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के कार्य को सुदृढ़ करने हेतु राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को 31.3.2002 तक 221.04 करोड़ रुपये दिए हैं।

60. भूमि की जानकारी न देने का एक मुख्य कारण, जिसकी वजह से भू-सुधार कार्यक्रम में रुकावट आई है, व्यापक भूमि अधिकार डाटाबेस का उपलब्ध न होना है। दसवीं योजना में सी.एल.आर., एस.आर.ए. और यू.एल.आर. स्कीमों को, जिनमें कैंडेस्ट्रल सर्वेक्षण और निपटान स्टाफ का आधुनिकीकरण करने और कम्प्यूटर तथा आधारिक संरचनाएं प्रदान करने के कार्य पर जोर दिया गया है, और अधिक कड़ाई से क्रियान्वित किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल जानकारी न दी गई जमीन का पता लग सके अपितु मुकदमेबाजी की संभावना भी कम हो सके।

61. ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए भूमि का पता लगाने के कार्य का दस्तावेज तैयार किया गया है। अतएव राज्यों को न बताई गई जमीन का पता लगाने और इन मामलों का त्वरित निपटान करने की दिशा में अधिक ध्यान देना होगा ताकि भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि निर्धन व्यक्तियों में वितरित करने के लिए उपलब्ध हो सके।

62. इसके अतिरिक्त काश्तकारी सुधार, भू-स्वामी और काश्तकारों के अधिकारों का अभिलेख तैयार करने, अन्य लोगों द्वारा जनजातीय किसानों की जमीन पर कब्जा किए जाने के प्रयास को रोका जाना और उन्हें जमीन वापस दिलाना और कृषि भूमि पर महिलाओं को उत्तराधिकार अधिकार दिलाना दसवीं योजना में भूमि सुधार कार्यसूची के मुख्य सिद्धांत होंगे।

पंचायती राज

63. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई) देश में शासन के तीसरे सोपान के रूप में उभरे हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सांविधिक दर्जा देकर न केवल लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना था अपितु यह भी परिकल्पना की गई थी कि ये स्थानीय संस्थाएं गांवों में आमूल परिवर्तन लाने के लिए लोगों की सहज योग्यताओं का उपयोग इस प्रकार करेंगी जिससे उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनका अधिकारपूर्ण स्थान मिल सके। इस अधिनियम के बन जाने के पश्चात जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर लगभग सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सशक्त, सक्षम और उत्तरदायी पंचायतें स्थापित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप उपयुक्त विधान अधिनियमित कर लिए हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायत के

चुनाव कराए हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायत चुनावों का दूसरा दौर भी पूरा हो चुका है।

64. अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की परिकल्पना ऐसे साधन के रूप में की गई है जो निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया की स्थापना में, लोगों के रहन-सहन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं के कार्यान्वयन और उनके वितरण में सहायक हो सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 243 (जी) के अधीन राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपनी होंगी ताकि वे स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थान के रूप में कार्य कर सकें। यह उन पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी डालता है। इसके अनुसरण में, राज्य को 29 विषयों के संबंध में भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां और कार्यकर्ता भी सौंपने पड़ते हैं। इस दिशा में मिली-जुली प्रगति हुई है। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनिंदा मदों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कार्यकर्ता तथा निधियों का अंतरण करने के साथ सौंपे जाने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरी की जा चुकी है। तथापि जो राज्य पंचायतों को कार्य और निधियां सौंपे जाने के मामले में पीछे रह गए हैं उन्हें पंचायतों को अधिकार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

65. संविधान के अनुच्छेद 243(I) में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य सरकारों और पंचायतों के बीच निवल करों का वितरण अधिशासित करने के सिद्धांतों के बारे में, पंचायतों को कर तथा सहायता अनुदान देने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य वित्त आयोगों की स्थापना कर ली है और बिहार को छोड़कर राज्य वित्त आयोगों ने अपनी-अपनी राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। कुछ राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है जबकि अन्य राज्यों ने इन्हें आंशिक रूप से स्वीकार किया है अथवा इनकी जांच की जा रही है। केरल, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दूसरे राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है।

66. पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधन सौंपे जाने का भार राज्य सरकारों पर है। यद्यपि राज्यों ने इन संस्थाओं को धीमी गति से कार्य और वित्तीय संसाधन सौंपे हैं परन्तु प्रशासनिक समर्थन न मिलने से इन संस्थाओं के कार्य में रुकावट आई है। पंचायती राज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में स्टाफ होने चाहिए और कार्यकर्ताओं को आयोजना, बजट बनाने और लेखा कार्यों में अवश्य प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पंचायतों की निधियों की लेखा परीक्षा करने की व्यापक पद्धति होनी चाहिए। इस समय निर्वाचित कार्यकर्ताओं द्वारा संसाधनों के दुरुप्रयोग को रोकने के लिए अनेक राज्यों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है। दसवीं योजना में इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए।

67. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243 (जेड.डी) विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को सहज बनाता है। इसमें प्रस्ताव है कि जिले में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की

गई योजनाओं को समेकित करने और प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जाएगी। इसलिए राज्य सरकारों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लेते हुए सम्मिश्र योजनाएं तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला योजना समितियां गठित करनी हैं। इन समितियों के गठन को अनिवार्यतः सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर ही योजना वास्तव में आधारिक स्तर से शुरु की जा सकेगी। जिला योजना समितियों के कार्यकर्ताओं को योजना के आधारभूत तत्वों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई ग्राम विकास योजनाओं को पंचायत समिति और जिला स्तर योजनाओं के साथ मिला दिया जाना चाहिए जिससे आधारिक स्तर की योजना प्रक्रिया दसवीं योजना में एक वास्तविकता बन सके।

68. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंध 24 दिसंबर, 1996 से लागू हो गए हैं। इस अधिनियम में पंचायतों का विस्तार 9 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में किया गया है जिनके नाम हैं- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें जनजातीय समाज को प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकार पूर्ववत् और सुरक्षित रखने के मामले में अपने पर नियंत्रण रखने में समर्थ बनाने का प्रयास किया गया है।

69. ग्राम सभा को अब सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण की प्रणाली में एक अत्याधिक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इस विचार को 1999-2000 का वर्ष "ग्राम सभा वर्ष" घोषित किए जाने के साथ अभिव्यक्ति मिली। इस दिशा में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली के जरिए विकास कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं के महत्व की ओर आकर्षित किया गया है। अनेक राज्यों ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी समय पर बैठकें सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। अनुसूचित पांच क्षेत्र में ग्राम सभा को प्रदत्त शक्तियों का विस्तार, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

70. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भी जिला परिषदों के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने के लिए नया रूप दिया जा रहा है।

71. सरकार यह मानती है कि विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए स्थानीय स्तरों पर क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर नये प्रवेशकर्ताओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं और सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समयबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकियों की तथा अन्य अपेक्षित जानाकारी दी जा सके। ऐसा पंचायत राज संस्थाओं की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक समझा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित सहायता प्रदान करता है, कार्य अनुसंधान करने तथा राज्यों के

पंचायती राज प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय अनुसंधान संगठनों तथा संस्थाओं को भी निधियां प्रदान करता है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई)

72. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई) ग्राम स्तर पर निरंतर मानव विकास के स्तर को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक योजना 2000-2001 में आरंभ की गई थी। इसको आरंभ करने के बाद से पिछले बी.एम.एस. कार्यक्रम के स्थान पर पी.एम.जी.वाई को लाया गया।

73. पी.एम.जी.वाई में सरकार के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए) देने का प्रस्ताव किया गया है। पी.एम.जी.वाई कार्यक्रम बी.एम.एस. कार्यक्रम के आधार पर बना है और इसका उद्देश्य केवल चुनिंदा बुनियादी सेवाओं के लिए प्रयास करना और संसाधन जुटाना है। पी.एम.जी.वाई में आरंभ में पांच घटक थे यथा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण पेय जल और पोषाहार वार्षिक योजना 2001-02 से ग्रामीण विद्युतीकरण का अतिरिक्त घटक (छठा) के रूप में शामिल किया गया।

74. पी.एम.जी.वाई के लिए आबंटन वार्षिक योजना 2000-01 में 2500 करोड़ रु था। इसे बढ़ा कर 2001-02 के लिए 2800 करोड़ रु कर दिया गया। 2002-03 के लिए पी एम जी वाई के लिए आबंटन उसी स्तर पर यथा 2800 करोड़ रु था। पी एम जी वाई के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का राज्यवार आबंटन अनुबंध 4.1.2 में दिखाया गया है।

75. पिछली दो वार्षिक योजनाओं के दौरान पी एम जी वाई के छः क्षेत्रक कार्यक्रमों का प्रबंध प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, परिवार कल्याण, पेय जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और विद्युत के संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक विभागों द्वारा देखा जाता था जिसने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीमें क्रियान्वित किए जाने के लिए दिशा-निर्देश बनाए। स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर निगरानी भी प्रशासनिक विभाग रखते थे। संबंधित केंद्रीय मंत्रालय अतिरिक्त केंद्रीय निधियों की किस्त अनुमोदित करके इसे वित्त मंत्रालय को देने के लिए सिफारिश करते थे। परन्तु केंद्रीय मंत्रालयों को लेकर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का कार्य बोझिल हो गया और इसमें विलम्ब होने लगा। राज्यों से मिली जानकारी को देखते हुए योजना आयोग ने इस कार्यक्रम का प्रबंध सीधे करने का निर्णय लिया। योजना आयोग ने पी एम जी वाई को क्रियान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान नए दिशा-निर्देश जारी किए।

76. योजना आयोग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद पी एम जी वाई का कार्य काफी सीमा तक स्कीम के क्रियान्वयन के बी एम एस के नमूने पर फिर से होने लगा। पी एम जी वाई के विभिन्न घटकों के लिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटन निर्धारित करने का कार्य बंद कर दिया गया। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को पी एम

पी वार्ड के छः घटकों में से किसी को कर सकते हैं और उन्हें कम से कम 15 प्रतिशत आबंटन पोषाहार मद में करना होगा। आबंटन का एक न्यूनतम स्तर जिसे न्यूनतम अनिवार्य प्रावधान कहा जाता है, वार्षिक योजना में पी एम जी वार्ड के लिए सुनिश्चित होगा और निर्धारित होगा। न्यूनतम अनिवार्य प्रावधान की गणना 2000-01 में पी एम जी वार्ड के लिए आबंटन में और अतिरिक्त राशि के रूप में की जाएगी और 2002-03 में कार्यक्रम के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता आबंटित की जाएगी। योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2002-03 से पी एम जी वार्ड के लिए एक अर्ध-वार्षिक निगरानी पद्धति बनाई है। अब से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दो बराबर किस्तों में जारी की जाएगी। दूसरी किस्त का दिया जाना शर्त है जो तब दी जाएगी जब यह सुनिश्चित हो जाए कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध धन में से कम से कम 60 प्रतिशत व्यय हो गया है। पी एम जी वार्ड के लिए भौतिक और वित्तीय निगरानी रखने का प्रस्ताव है।

अनुबंध 4.1.1

ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग के लिए 2000-01 के लिए स्कीमवार वास्तविक व्यय, 2001-02 के लिए बजट प्रावकलन और पुनरीक्षित प्रावकलन और 2002-03 के लिए बजट प्रावकलन

क्र. सं.	योजना का नाम	2000-01 वास्तविक	2001-02 ब.प्रा.	2001-02 पु.प्रा.	2002-03 ब.प्रा.
1	2	3	4	5	6
	(क) ग्रामीण विकास विभाग				
1.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई) *	2804.39	3250.00	3750.00	4440.00
2.	काम के लिए अनाज कार्यक्रम	-	0.00	800.00	600.00
3.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)	544.94	500.00	550.00	710.00
4.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	165.97	220.00	200.00	220.00
5.	ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना)	1664.17	1527.00	1991.00	1725.00
6.	प्रशिक्षण				
क.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	5.00	5.00	5.00	5.00
ख.	राज्य प्रशिक्षण केंद्र का सुदृढीकरण	10.39	8.75	8.75	8.75
ग.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियों का प्रायोजन	1.41	1.25	1.25	1.25
घ.	विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढीकरण	3.00	3.00	3.00	3.00
ङ.	पंचायत विकास और प्रशिक्षण	3.00	5.00	10.50	5.00
च.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	-	0.00	1.00	1.00
7.	संचार प्रकोष्ठ	10.00	10.00	10.00	10.00
8.	'कपार्ट- को सहायता	28.00	30.00	30.00	30.00
9.	मानीटरिंग व्यवस्था	4.50	10.00	10.00	10.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी	-	0.00	1.00	1.00
11.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	700.55	835.00	635.00	0.00
12.	अन्नपूर्णा	99.80	300.00	100.00	0.00
	उप जोड़ (क)	6045.12	6705.00	8106.50	7770.00
	(ख) भू-संसाधन विभाग				
1.	एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम	387.00	430.00	405.00	450.00
2.	सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	190.00	210.00	210.00	250.00
3.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	135.00	160.00	150.00	185.00
4.	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	-	45.00	45.00	55.00
5.	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतन	73.00	30.00	25.00	35.00
6.	प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रशिक्षण	15.00	15.00	12.00	17.00
7.	अन्य	-	10.00	3.00	8.00
	उप जोड़ (ख)	800.00	900.00	850.00	1000.00

* जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को 2002-03 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध 4.1.2

प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आवंटन-2002-03

लाख रु० में

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्य	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 2002-03
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15644.00
2.	बिहार	24173.00
3.	छत्तीसगढ़	3435.00
4.	गोवा	72.00
5.	गुजरात	7122.00
6.	हरियाणा	1834.00
7.	झारखण्ड	7446.00
8.	कर्नाटक	8273.00
9.	केरल	7608.00
10.	मध्य प्रदेश	8500.00
11.	महाराष्ट्र	10917.00
12.	उड़ीसा	10863.00
13.	पंजाब	4442.00
14.	राजस्थान	10611.00
15.	तमिलनाडु	11547.00
16.	उत्तर प्रदेश	37087.00
17.	पश्चिम बंगाल	18490.00
	उप जोड़	188064.00
	विशेष श्रेणी वाले राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6500.00
2.	असम	19000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7000.00
4.	जम्मू-कश्मीर	18000.00
5.	मनीपुर	4800.00
6.	मेघालय	4112.00
7.	मिजोरम	4300.00
8.	नागालैंड	4528.00

अनुबंध 4.1.2

लाख रु० में

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्य	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 2002-03
1	2	3
9.	सिक्किम	3000.00
10.	त्रिपुरा	5000.00
11.	उत्तरांचल	7000.00
	उप जोड़	83238.00
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1078.00
2.	पांडिचेरी	465.00
3.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1002.00
4.	चंडीगढ़	442.00
5.	दादर और नागर हवेली	128.00
6.	लक्षद्वीप	172.00
7.	दमन और दीव	111.00
	उप जोड़	3398.00

4.2 बंजर और अनुत्पादक भूमि का विकास

1. भूमि जो एक गैर-नवीकरण संसाधन है, का जैव और गैर-जैव दबाव के कारण क्षय होता रहता है। जनसंख्या की वृद्धि भूमि संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव डालती है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में भारत का भाग 2.4 प्रतिशत है परन्तु यह विश्व की 16 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी करती है। इसका विश्व के चरागाह क्षेत्र में केवल 0.5 प्रतिशत भाग है परन्तु यह विश्व के 18 प्रतिशत पशुओं को चारा देती है। मानव और पशुओं की बढ़ती संख्या के दबाव के अतिरिक्त गहन कृषि गतिविधियों, शहरीकरण और औद्योगिकी विकास के कारण भूमि का क्षय हुआ है। भूमि का क्षय होने से मिट्टी की उत्पादकता, वर्षा के अधिक और कम होने, पानी, ईंधन और घारे की उपलब्धता पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिसका ग्रामीण जनता की आजीविका पर सीधा असर दिखाई देता है।

2. देश में अभी यह सही अनुमान लगाया जाना है कि भूमि का क्षय कितना हुआ है। राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदनशील एजेंसी (एन.आर.एस.ए) ने मार्च 2000 में यह अनुमान लगाया था कि देश में 63.85 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जल विभाजन विकास, वर्षा पोषित कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यकारी ग्रुप का यह विचार था कि 88.5 मिलियन हेक्टेयर अनुत्पादक भूमि दसवीं और उसके बाद की योजनाओं में पन विभाजक कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्पादक बनाई जाएगी।

3. सरकार देश में अनुत्पादक और बंजर भूमि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि निर्धनता का सूखा प्रवृत्त, रेगिस्तान प्रवृत्त क्षेत्रों और कृषि कार्यों के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों से बहुत निकट का संबंध है। इसके अतिरिक्त समाज का सबसे अधिक कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जनजाति के लोग इनमें से ऐसे कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए भूमि के क्षय को रोकने और इसमें रह रहे लोगों की भोजन, ईंधन और चारा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की भूमि की क्षमता में वृद्धि करना सरकार की चिंता का मुख्य विषय है।

4. राज्यों ने बेहतर भू-प्रबंधन, जल संरक्षण और जल विभाजन आधार पर संरक्षण प्रक्रिया अपनाकर लोगों के कठिन जीवन यापन स्थितियों में सुधार लाने के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को धन दिया है। भूमि संसाधन विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग और पर्यावरण तथा वानिकी मंत्रालय ने जल विभाजन आधार पर अनुत्पादक जमीन, बंजर जमीन और वन भूमि के नियंत्रण और विकास हेतु कार्यक्रम/स्कीमें आरंभ की हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है।

भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर) के क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1994 में डा10 सी. एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति की स्थापना की थी जिसने क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पन विभाजन आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

(आई.डब्ल्यू.डी.पी) के क्रियान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, उद्देश्य, कार्यनीतियां और व्यय संबंधी मानदण्ड के लिए एक सामान्य सेट बनाने की सिफारिश की थी। अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए जल ग्रहण क्षेत्र का विकास और बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए समान दिशा-निर्देश भी अपना लिए गए हैं।

6. जल विभाजन विकास के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समान कार्यनीति बनाने का उल्लेख है। इस कार्यनीति की मुख्य बातें निम्न हैं : -

- क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्णतया जल विभाजन आधार पर क्रियान्वित किए जाएंगे।
- कार्यक्रमों के क्रियाकलापों को लगभग 500 हेक्टेयर के अभिज्ञात जल विभाजन तक सीमित रखा जाएगा और उन्हें चार से पांच वर्ष तक चलने वाली अवधि में परियोजना आधार पर पूरा किया जाएगा।
- जल विभाजन परियोजना यथा संभव एक गांव को लाभान्वित करेगी।
- विभिन्न स्तरों पर विस्तृत संस्थागत तंत्र में परियोजना प्रबंधन के सभी चरणों में स्थानीय लोगों और पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी को स्पष्ट परिभाषित किया गया है।
- जल विभाजन परियोजनाओं को निष्पादित कर रही जन संस्थाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने और सुसाध्यकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद नोडल सरकारी एजेंसी होगी।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी)

7. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों और पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल और जन संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के विपरीत प्रभावों को कम से कम करना है जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रभावित क्षेत्र सूखा-मुक्त हो जाएंगे। इसका उद्देश्य समग्र विकास करना और कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले अल्प संसाधन प्राप्त तथा असुविधाग्रस्त वर्गों की सामाजिक आर्थिक हालत में सुधार करना भी है। इस समय 16 राज्यों में यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के 183 जिलों के 972 ब्लॉकों को कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। 1995-96 से 31.10.2002 तक सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 81.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 16,268 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 3386 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं जिसके अंतर्गत 16.93 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र आया है और अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

8. नौवीं योजना अवधि में 44.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है जिसके लिए राज्य को केंद्र द्वारा 657.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान 2478 परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसमें सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 12.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी)

9. मरुस्थल विकास कार्यक्रम भूमि, जल, पशु, तथा मानव संसाधनों के परिरक्षण, विकास और उपयोग द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय माना गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- (एक) सूखे और मरुस्थलीकरण का सामना करना, (दो) पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली को बढ़ावा देना, (तीन) फसलों तथा पशुधन और भूमि, जल और जन साधनों की उत्पादिता पर सूखे तथा मृदा-जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों के विपरीत प्रभावों को समाप्त करना, (चार) ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और (पांच) ग्राम समुदाय के अल्प संसाधन-प्राप्त और असुविधाग्रस्त वर्गों, जैसाकि कि परिसम्पत्तिविहीन तथा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

10. इस समय सात राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8314 परियोजनाओं (राजस्थान के लिए 1171 विशेष परियोजनाओं सहित) को मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है जिसके अंतर्गत 1.4.1995 से अक्टूबर 2002 के अंत तक 41.57 लाख हेक्टेयर को लाया गया है। इनमें से 1634 परियोजनाएं जिनमें 8.17 लाख हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र आता है, पूरी हो गई हैं और शेष परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। नौवीं योजना में 24.77 लाख हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत लाया गया और इसके लिए केंद्र ने 519.82 करोड़ रुपये दिए।

11. 2002-03 के दौरान 185.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसके लिए 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लिया जाएगा और चालू परियोजनाओं की निधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

12. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां सीधे दी जाती हैं। 1999-2000 से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1.4.1999 के बाद मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए निधीयन पैटर्न बदल कर केंद्र तथा राज्यों के बीच 75:25 लागत विभाजन आधार पर कर दिया गया है। परियोजना लागत 30 लाख रुपये प्रति परियोजना है जिसमें 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 500 हेक्टेयर भूमि आएगी।

एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी)

13. एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1988-89 में ग्राम/अति लघु जल विभाजन योजनाओं पर बंजर भूमि के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परन्तु 1992-93 के दौरान यह स्कीम बंजर भूमि विकास विभाग (जो अब भू-संसाधन विभाग कहलाता है) को हस्तान्तरित कर दी गई। अप्रैल 1995 से यह स्कीम जल विभाजन विकास के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार जल विभाजन आधार पर क्रियान्वित की जा रही है।

14. एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है और प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये के लागत मानदण्ड को पुनरीक्षित करके 1.4.2000 से 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। 2000 रुपये की इस वृद्धि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात से बंटवारा होना है। इस प्रकार स्कीम का निधीयन पैटर्न पुनरीक्षित करके 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 11:1 के अनुपात से हिस्सेदारी कर दी गई है। आई.डब्ल्यू.डी.पी के अंतर्गत परियोजनाएं आम तौर पर उन क्षेत्रों में मंजूर की गई हैं जो डी.डी.पी और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत नहीं आते थे। यह कार्यक्रम देश के 297 जिलों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

15. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव/लघु जल विभाजन योजनाओं पर आधारित एकीकृत बंजर भूमि विकास का कार्य करना है। मध्यस्थ भूमि क्षमता, स्थल स्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद इन योजनाओं को तैयार करते हैं। इस स्कीम से सभी चरणों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों में अधिक संख्या में लोगों के भाग लेने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे लाभों का तर्कसंगत बंटवारा होता है और निरंतर विकास में मदद मिलती है।

16. इस स्कीम के तहत किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:- (एक) मुंडेर बांधना, बंध लगाना, खाई खोदना, बनस्पतिक रोध आदि जैसे मृदा और आर्द्रता संरक्षण उपाय, (दो) बहु उद्देश्यीय पेड़, झाड़ियां, फास लगाने और बोना, फलीदार और चरागाह भूमि विकास, (तीन) प्राकृतिक पुनरोत्पादन को बढ़ावा देना, (चार) कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना, (पांच) काष्ठ प्रतिस्थापन और ईंधन काष्ठ संरक्षण उपाय, (छः) प्रौद्योगिकी वितरण के लिए उपाय, भागीदारियों का प्रशिक्षण तथा उन तक विस्तार और उनमें अधिक जागरूकता पैदा करना, (सात) लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

17. 1.4.1995 से अक्टूबर 2002 तक 436 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत 38.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आएंगे। इनमें से 1.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वाली 21 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और अन्य क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। नौवीं योजनावधि के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत 35.65 लाख हेक्टेयर भूमि को लाया गया है और इसके लिए केंद्र ने 448.47 करोड़ रुपये दिए हैं।

18. 2002-03 की वार्षिक योजना में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 450.00 करोड़ रुपये का परिव्यय दिया गया है जिसमें से रोजगार आश्वासन योजना के तहत जल विभाजन घटक के कारण पिछली देनदारी को पूरा करने हेतु 150.00 करोड़ रुपये और बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 63.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार 2002-03 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए और चालू परियोजनाओं की निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 237.00 करोड़ रुपये उपलब्ध किए जाएंगे।

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी) और निवेश बढ़ावा स्कीम (आई.पी.एस) सहित अन्य कार्यक्रम

19. खाद्य, ईंधन लकड़ी, चारा आदि का निरंतर उत्पादन करने के लिए बंजर भूमि का सुधार करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने हेतु 1993-94 में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी) स्कीम आरंभ की गई थी। सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि के स्वामित्व वाली बंजर भूमि के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान अनुमान्य है। निवेश बढ़ावा स्कीम 1994-95 में केंद्रीय क्षेत्रक के रूप में आरंभ की गई थी जिससे गैर यानिकी बंजर भूमि के विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए निगम क्षेत्र/वित्तीय संस्थाओं आदि को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित किया जा सके। परन्तु नौवीं योजनावधि में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण और निवेश बढ़ावा स्कीम का कार्य असंतोषजनक रहा है क्योंकि नौवीं योजनावधि के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत एक छोटे से क्षेत्र का कार्य पूरा किया जा सका है।

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)

20. उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त डी.एफ.आई.डी द्वारा वित्तपोषित दो बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिसके लिए डी.ओ.एल.आर के माध्यम से निधियां दी जाती हैं और डी.ओ.एल.आर द्वारा जारी जल विभाजन विकास दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (ए.पी.आर.एल.पी) का उद्देश्य राज्य के पांच जिलों यथा अनन्तपुर, वुन्नूल, महबूब नगर, नालगोंडा और प्रकाशम में गरीबों के लिए जल विभाजन आधारित वहनीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम क्रियान्वित करना है। चार जिलों यथा बोलनगीर, नूपाड़ा, कालाहांडी और बारगढ़ में विकास के लिए पश्चिम उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी) क्रियान्वित की जा रही है। डी.एफ.आई.डी परियोजनाओं के तीन घटक हैं यथा आजीविका सुधारों को बढ़ावा देना, प्राथमिक और गौण मध्यस्थों के लिए क्षमता निर्माण और समर्थनकारी वातावरण को बढ़ावा देना।

कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी)

वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी. आर.ए)

21. यह कार्यक्रम सातवीं योजना (1985-86) में आरंभ किया गया था। वर्षा पोषित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दो उद्देश्यों को लेकर और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के लिए यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. को इस बीच नया रूप दिया गया है और पन विभाजन विकास एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के लिए नई परिचालन दिशा-निर्देश को नवम्बर 2000 से आगे के लिए चालू किया गया है। नए रूप में एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए में प्रौद्योगिकी चुनाव, प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण करने, निरंतरता बनाए

रखने की व्यवस्था करने के मामले में काफी सीमा तक लचीलापन रखा गया है और जल विभाजन समुदाय को अपनी जल विभाजन विकास परियोजनाओं की आयोजना करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय सहभागिता पर पुनः जोर दिया गया है।

कृषि क्षेत्र को बदलना

22. कृषि क्षेत्र को बदलने संबंधी जल विभाजन विकास परियोजना सबसे पहले पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान एक प्रायोगिक योजना के रूप में केंद्रीय सरकार से प्राप्त 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र आता था और बाद में इसे राज्य योजना क्षेत्रक को हस्तान्तरित कर दिया गया। परन्तु विभिन्न कारणों से राज्य सरकारों ने इस योजना को 1991-92 से बंद कर दिया था। तथापि यह स्कीम सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पुनः 1994-95 में आरंभ की गई है।

नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवृत्त नदियों (आर.वी.पी और एफ.पी.आर) के जल ग्रहण क्षेत्रों में अवकृष्ट भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

23. नौवीं योजना में नदी घाटी परियोजनाओं (आर.वी.पी) के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की तत्कालीन दो केंद्र प्रायोजित स्कीमों और बाढ़ प्रवृत्त नदियों (एफ.पी.आर) के जल ग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजन प्रबंध, जिनका उद्देश्य अवकृष्ट भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, जलाशयों में गाद को न्यूनतम करना और बाढ़ प्रवृत्त नदियों में बाढ़ संकट को नियंत्रित करना था, को एक नई स्कीम यथा "नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवृत्त नदियों (आर.वी.पी.और एफ.पी.आर) के जलग्रहण क्षेत्रों में अवकृष्ट भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण" में मिला दिया गया। यह स्कीम 20 राज्यों यथा असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 45 जल ग्रहण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। आर.वी.पी और एफ.पी.आर स्कीम के अंतर्गत लागू हुए 45 जलग्रहण क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 96.1 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 25.62 मिलीयन हेक्टेयर को शोधित किया जाना है।

क्षारीय मृदा का सुधार करना

24. यह स्कीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में 1974-75 में आरंभ की गई थी। वर्तमान में इस स्कीम का विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया है जहां की मिट्टी क्षारीय है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्षारीयता से प्रभावित भूमि का सुधार करना है और बागवानी, ईंधन लकड़ी और चारा किस्मों के विकास के साथ भूमि और फसल उत्पादकता में वृद्धि करना है। स्कीम में क्षारीय मृदा सुधार प्रौद्योगिकी में विस्तार कार्मिकों और किसानों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

जल विभाजन विकास निधि

25. जल विभाजन विकास निधि 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य 100 प्राथमिकता वाले जिलों में सहभागिता आधार पर एकीकृत जल विभाजन विकास करना था। निधि की कुल राशि 200 करोड़ रुपये है जिसमें नाबार्ड के 100 करोड़ रुपये और उतना ही योगदान कृषि और सहकारिता विभाग का 100 करोड़ रुपये है। निधि का उपयोग ऐसे ढांचे के निर्माण में करना है जिससे सरकारी, अर्धसरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के क्षेत्रों में विभिन्न जल विभाजन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अलग-थलग पड़ी सफल पहलों को दोहराया जा सके और उसे स्थायी बनाया जा सके। चरण एक में 6 राज्य यथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश लिए जाएंगे और दूसरे चरण में 8 राज्य बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा लिए जाएंगे।

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी)

26. उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त 15 प्रमुख राज्यों में जल विभाजन और भूमि सुधार एवं विकास के लिए 17 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत 1.50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में इसकी अनुमानित लागत 2021.00 करोड़ रुपये है।

27. कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी) ने एक नई स्कीम 'बृहत प्रबंधन दृष्टिकोण' बनाई है जिसमें उपरोक्त जल विभाजन विकास स्कीमों को शामिल करके 27 चुनी हुई केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को मिलाया गया है। बृहत प्रबंधन के अंतर्गत अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत दी गई निधि को एक स्थान पर लाया गया है और राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे राज्य योजना स्कीम के भाग के रूप में प्रदत्त निधि और चुने हुए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में अपनाए गए बृहत प्रबंधन दृष्टिकोण से आबंटन के रूप में प्रदत्त की जा रही केंद्रीय सहायता दोनों का उपयोग करके कृषि विकास दर बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। बृहत प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को एकीकृत करने से उत्पादकता समर्थित कार्यक्रमों में वृद्धि होगी और राज्य सरकार को क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियां आरंभ करने और उन्हें जारी रखने के लिए अधिक लचीलापन मिल सकेगा। इसलिए यह कृषि विकास आयोजन में राज्यों का महत्व बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ)

28. पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित स्कीमों की देश में वर्षा पोषित /अवकृष्ट क्षेत्रों में वहनीय पर्यावरण विकास में प्रासंगिकता है। जल विभाजन आधार पर क्रियान्वित की गई स्कीम 1989-90 के समय से जारी 'एकीकृत वनारोपण और पर्यावरण विकास परियोजना स्कीम' है जिसका उद्देश्य लघु आयोजना प्रक्रिया द्वारा एकीकृत जल विभाजन दृष्टिकोण अपनाकर

वनारोपण और अवकृष्ट वनों का विकास करना है। स्कीम के लिए नवी योजना का पुनरीक्षित आबंटन 273.87 करोड़ रुपये है (प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य 1.88 लाख हेक्टेयर है)।

29. पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय ने चल रही स्कीमों यथा एकीकृत वनारोपण और पर्यावरण विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्र अभिमुख ईंधन काष्ठ और चाश परियोजना स्कीम, गैर इमारती वन उत्पाद, औषधीय पौध स्कीम और अवकृष्ट वनों के पुनरुत्पादन में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण निर्धनों की एसोसिएशन को मिलाकर एक एकल स्कीम राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम बना दिया। यह कार्यक्रम बन विकास एजेंसियों द्वारा चलाया जाएगा। यह नई स्कीम वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए कुछ राज्यों में पहले चरण में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की गई थी। अनुभव और परियोजनाओं की व्यापक प्रशांसा के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त चार स्कीमों सहित नई स्कीम को दसवीं योजना में सार्वजनिक बनाया जाए। वार्षिक योजना 2002-03 में स्कीम के लिए 175.25 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है।

30. भूमि संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रम विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में छितरे हुए हैं। देश में भूमि संसाधनों का प्रबंध करने हेतु एक प्रभावी प्रशासनिक तंत्र लाने के लिए समस्त भूमि कार्यक्रमों/स्कीमों को एक समन्वय एजेंसी की छतरी तले लाया जाएगा।

31. सामाजिक-आर्थिक मांग को पूरा करने के लिए भूमि का अधिकतम प्रबंध-देखने, प्रभावी योजना बनाने हेतु भूमि डाटा बेस बनाने और भूमि अवकृष्ट के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए भूमि संसाधन प्रबंध पर राष्ट्रीय नीति बनाने की ओर प्राथमिकता आधार पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्व-सहायता समूहों को अभियान चलाने में शामिल करके गांव के वर्तमान तालाबों, टैंकों और अन्य जल संरक्षण ढांचे को बहाल किया जाएगा। सरकार और प्रयोक्ता समुदायों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों से बंजर भूमि पुनरुत्थान के लिए क्षमता का निर्माण करने की जरूरत है।

4.3 शहरी गरीबी उपशमन

1. शहरी गरीबी के आकड़ों में कुछ सुधार होने के बावजूद शहरी गरीब को अभी भी जमीनी स्तर पर बहुत पुराने समय से चली आ रही समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त शहरी गरीबी की सीमा और प्रकृति के संबंध में विभिन्न आकार-श्रेणी के शहरों में व्यापक क्षेत्रीय विभिन्नता और अन्तर है।

2. एन.एस.एस.ओ. के 55वें दौर के अनुसार जिसमें 30 दिन का रिकॉल पीरियड का प्रयोग किया गया है, भारत की शहरी जनसंख्या का 67.1 मिलियन अथवा 23.62 प्रतिशत भाग 1993-94 में 32.4 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में निर्धनता की रेखा से नीचे था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या, जो बढ़कर 1993-94 में 76.3 मिलियन हो गई थी, में भी कमी आई है जो अब 67.1 मिलियन हो गई है।

3. यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, केवल कुछ ही बड़े राज्यों में ऐसा पैटर्न है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ने शहरी गरीबी का स्तर बताया है जो ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता की तुलना में अधिक है। जहां तक कि आधारभूत पोषाहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को जैसे, मकान, नागरिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं आदि को भी पर्याप्त ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है। इस तरह शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी की तुलना में अधिक जटिल स्थिति के रूप में उभरी है।

4. शहरी गरीबों के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। अपर्याप्त निधि की समस्या केंद्रीय निधि का कम उपयोग करने, विशेष कार्यक्रमों के लिए दिए गए धन का उपयोग अन्य जगहों पर करने और व्यर्थ का व्यय करने के कारण बढ़ गई है। निर्धनता के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य पहलुओं को पर्याप्त रूप से समझे बिना कार्यक्रमों को बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लाभग्राहियों से परामर्श नहीं किया गया और न ही उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है।

गंदी बस्तियां

5. 2001 की जनगणना के अनुसार 607 कस्बों/नगरों में 40.6 मिलियन लोग रह रहे हैं और इन नगरों की जनसंख्या में उनकी संख्या 22.8 प्रतिशत है। गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार और उनका उन्नयन करने के लिए अनेक दशक कार्यक्रमों को चलाने के बावजूद गंदी बस्तियों के बुनियादी स्तर अथवा लक्षणों में सुधार के मामले में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। विश्वसनीय आधारीक सर्वेक्षण आँकड़ों का न होना, सेवाओं के दर्जे के बारे में सूचना का अभाव, अपर्याप्त मानक सेवा उद्देश्य, मास्टर प्लान और एन.एस.डी.पी जैसी स्कीमों में उन्नयन के निश्चित उद्देश्यों का न होना, बिना समन्वय के कार्य कर रही एजेंसियों का बहुत अधिक संख्या में होना, शहरी निर्धनों की आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए जमीन पर्याप्त उपलब्ध न होना, सड़कों के दुकानदारों और हॉकरों आदि को सुविधाएं देने में असफलता आदि ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से शहरी निर्धनता के लक्षण बने हुए हैं।

6. "यथावत उन्नयन" नाम से गंदी बस्तियों के सुधार के इस तरीके का एक बड़े पैमाने पर कार्य होना चाहिए। 'वाम्बे' परियोजना में यथावत उन्नयन की अनुमति है और यह जरूरी है कि उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि के बारे में, जिन पर गंदी बस्तियां बसी हुई हैं, शीघ्र निर्णय लिया जाए।

7. केंद्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों- राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई), वाम्बे, रैन बसेरे, 2 मिलियन आवास योजना, द्रुत शहरी जल सप्लाई कार्यक्रम (ए.यी.डब्ल्यू.एस.पी), कम लागत पर सफाई - -गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित शहरी निर्धनों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। उनमें शामिल हैं- शहरी निर्धनों की पहचान, सामुदायिक समूह बनाना, गैर सरकारी संगठनों को शामिल

करना, स्वयं सहायता/बचत और ऋण गतिविधियाँ, आजीविका के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक गतिविधियाँ, आवास और सफाई, पर्यावरणीय सुधार, सामुदायिक परिसंपत्तियाँ, मजदूरी रोजगार, सेवाओं को एक स्थान पर लाने आदि के लिए ऋण और सब्सिडी देना। आवश्यकतया इस बात की है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जाए, उन्हें प्रभावी ढंग से प्रशासित किया जाए और राज्य तथा केंद्रीय स्तरों पर यथोचित रूप से निगरानी रखी जाए।

दसवीं योजना में शहरी गरीबी उपशमन पर दृष्टिकोण

(क) 74वें संशोधन का उद्देश्य प्रशासन में लोगों की भागीदारी और उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। राज्य सरकारों को नगरपालिका की विधियों में अपेक्षित संशोधन लाना चाहिए जिससे शहरी गरीबी उपशमन और गंदी बस्ती सुधार का काम यू.एल.बी को स्पष्ट तौर पर सौंपा जा सके।

(ख) एक बहु उद्देश्यीय कार्यनीति बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें शहरी निर्धनों का सबलीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एस.जे.एस.आर.वाई के अंतर्गत सामुदायिक ढांचे को शहरी निर्धन और गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए सभी कार्यक्रमों हेतु एक सामान्य पैटर्न और आधार बनाया जाना चाहिए। यह निर्धन व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रभावी तरीका होगा। निर्धनों का सबलीकरण करने से वे संगठित होकर यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनकी मांग पूरी की जाए।

(ग) शहरी निर्धनों के लिए अपेक्षित अधिकांश सेवाओं को भौतिक आधारिक संरचना और मानव विकास सेवाएं - हर हाल में अपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया गया है। दसवीं योजना के दौरान इन सेवाओं के उन्नयन की ओर और तालमेल के लिए उन्हें एक स्थान पर लाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जल आपूर्ति, जल निकासी, मल-मूत्र प्रबंध, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण, शिक्षा, आंगनवाड़ी और क्रेच जैसी सेवाओं को एक स्थान पर केंद्रित करना शहरी निर्धनता उपशमन का मुख्य आधार होना चाहिए। जल आपूर्ति और सफाई के लिए परिव्यय में विशेषकर शहरी निर्धनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। उन क्षेत्रों में, जहां शहरी निर्धन रहते हैं, क्रेच, आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों जैसे आधारभूत स्वास्थ्य और शिक्षा इकाइयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित करना भी उतना महत्वपूर्ण है।

(घ) शहरी आधारिक संरचना के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम जैसे आई.डी.एस.एम.टी. और मेगा सिटी योजना में शहरी निर्धनों की बस्तियों में आधारिक संरचनाओं में कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए।

(ङ) एस.जे.एस.आर.वाई में निर्धनता उपशमन के किसी कार्यक्रम में दो मूल शर्तें होती हैं यथा समुदाय की भागीदारी तथा सबलीकरण और रोजगार सृजन मजदूरी रोजगार घटक का उपयोग शहरी निर्धनों से संबंधित केवल परिसंपत्तियों और आधारिक संरचनाओं के निर्माण में किया जाना चाहिए न कि नगरपालिका के आम कार्यों में किया जाना चाहिए। आवश्यकताओं का घयन

लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए और उसका क्रियान्वयन कार्यो वही ऐसी सुधियों से होना चाहिए जिसकी पहचान लाभार्थी स्वयं करे।

- दिशा-निर्देशों को सरल बनाए जाने और उन्हें अधिक संक्षिप्त बनाए जाने की आवश्यकता है। उनमें सभी संदेह और परस्पर विरोध को हटा दिया जाए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण को नया रूप दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जाना चाहिए।
- जहां कहीं भी सामुदायिक आयोजक और परियोजना सन्वयकार न हो वहां इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए और इन लोगों को सामाजिक कार्य में अहंता प्राप्त होनी चाहिए। निर्धनता उपशमन परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(घ) ऐसा विचार है कि बैंकों की लाभप्रवृत्ता और अलाभकारी परिसंपत्तियों को कम करने पर जोर देने के कारण शहर स्व रोजगारियों को ऋण की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया है। शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक विशेषकर स्वरोजगारी शहरी निर्धनों को ऋण समर्थन देने में बैंकिंग क्षेत्रक की भूमिका बहाल किए जाने की आवश्यकता है।

(छ) केरल में कुदुम्बश्री कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित रोजगार के नए क्षेत्रों का अनुसरण अन्य राज्यों में भी करना चाहिए।

8. एस.जे.एस.आर.वाई का परिय्यय वर्ष 2001-02 में 168 करोड़ रुपये था। 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)

10. वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) की स्कीम 2001-02 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए कार्यक्रमों में लम्बे समय से चले आ रहे अतरालों को दूर करना है यथा शहरी गंदी बस्तियों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान उपलब्ध करना अथवा उनके वर्तमान मकानों का उन्नयन करना। वाम्बे के अंतर्गत कुल आबंटन का 20 प्रतिशत सफाई के लिए दिया जाएगा और शहरी निर्धनों और गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए सामुदायिक शौच घर बनाए जाएंगे। गंदी बस्तियों में रहने वालों का एक ग्रुप प्रत्येक शौचघर ब्लॉक की देखभाल करेगा जिसके लिए वे प्रति परिवार 20 रुपये का मासिक अंशदान करेंगे। स्कीम में पानी की भी उपलब्धता शामिल है।

11. केंद्रीय सब्सिडी की उपरी सीमा दिल्ली और पांच बड़े नगरों में प्रति इकाई 30,000 रुपये होगी और 1 मिलियन से अधिक वाले अन्य नगरों के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये होगी और 20,000 रुपये सभी अन्य नगरों और कस्बों के लिए होगी। वर्तमान इकाई के लिए उन्नयन की उपरी सीमा एक नए मकान के निर्माण के लिए निर्धारित लागत की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत होगी। स्कीम के अंतर्गत निधियों के लिए राज्य अपने यहां गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या के अनुपात में पात्र होंगे। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के लिए अनंतिम

व्यय 69 करोड़ रुपये रखा गया है। घालू वर्ष (2002-03) के लिए 256.85 करोड़ रुपये का परिव्यय दिया गया है।

12. वार्षिक योजना 2001-02 में एन.एस.डी.पी के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 385 करोड़ रुपये रखी गई थी, वर्ष 2002-03 के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है। निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दसवीं योजना के दौरान, चुर्नीदा स्लम आवासों के स्लम रूपों को दूर करने हेतु उनका उन्नयन करने के लिए बनाई गई विशेष परियोजनाओं को एन.एस.डी.पी निधियां दी जानी चाहिए।

4.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. खाद्यान्न गरीबों द्वारा उपभोग किए जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण मद है, यद्यपि भारत के लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले इस मद का सापेक्ष महत्व कम हो रहा है। जबकि एक ओर देश में पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन करने की आवश्यकता है जिसमें जरूरत पड़ने पर आयात द्वारा वृद्धि की जा सकती है, खाद्यान्न के वितरण नेटवर्क पर एक नजर डालने की भी आवश्यकता है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्पादित खाद्यान्न को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और निर्धनों और जरूरतमंदों को पहुंचाने में मदद करती है।

2. आज देश में एक विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है। जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम खाद्यान्न से भरे हुए हैं, देश में ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखा और बाढ़ से प्रभावित हैं और वहां अधिक मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाये जाने की आवश्यकता है। यह अब स्वीकार किया गया है कि खाद्यान्न की उपलब्धता निर्धनों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की पर्याप्त शर्त नहीं है। खाद्यान्न की उपलब्धता के अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि निर्धन व्यक्तियों के पास खाद्यान्न खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हों। निर्धनों की खाद्यान्न खरीदने की क्षमता दो तरीकों से सुनिश्चित की जा सकती है। आप या तो निर्धनों की आय का स्तर बढ़ाएं अथवा आप आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्यों पर निर्धनों को खाद्यान्न की आपूर्ति करें। निर्धनों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्धन व्यक्तियों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धनों को आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने का प्रयास किया गया है।

3. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व में अपने किस्म का संभवतः सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है क्योंकि यह 16 करोड़ परिवारों को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का खाद्यान्न प्रतिवर्ष वितरित कर रही है। यह विशाल नेटवर्क और अधिक सार्थक भूमिका निभा सकता है बशर्ते इस प्रणाली से देश में खाद्यान्न के मामले में बड़े पैमाने पर प्राप्त आत्मनिर्भरता का उपयोग निम्न स्तर पर यथा यह सुनिश्चित करने में हो सके कि खाद्यान्न निर्धन परिवारों को उपलब्ध हो।

4. एक ऐसे प्रभावी तंत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्धनों के परिवारों तक किफायती मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो। तथापि सार्वजनिक वितरण-प्रणाली, जैसाकि पहले इसका नाम था, की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आवश्यकता

पूरी करने में असफलता, शहरी झुकाव होने, सबसे अधिक संख्या में ग्रामीण निर्धनों के जमाय वाले राज्य में कम पहुंच होने और डिलीवरी की पारदर्शी और उत्तरदायी व्यवस्था न होने के कारण सब जगह आलोचना हुई है। इस बात को महसूस करते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप दिया। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विशेष कार्ड दिए गए और जून, 1997 से विशेषकर आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्यों पर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न बेचा जाने लगा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5. जून 1997 में आरंभ की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्धन परिवार विशेषकर आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न दिए जाने का पात्र था। यह आशा की गई थी कि इससे 8 करोड़ निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचेगा। स्वर्गीय प्रोफेसर लकड़ावाला की अध्यक्षता में निर्धनों का अनुपात और संख्या के अनुमान पर बने विशेषज्ञ ग्रुप की कार्यविधि के आधार पर योजना आयोग ने जो राज्यवार निर्धनता का अनुमान लगाया उसमें प्रत्येक राज्य में निर्धनों की संख्या को परिभाषित किया गया है। निर्धनों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है। समिति ने पहचान संबंधी दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। इसमें अधिक ध्यान केवल वास्तविक निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों की ओर दिया गया है जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त किसान, ग्रामीण शिल्पकार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार, टप चलाने वाला, जुलाहा, लुहार, बढ़ई आदि और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग और अनौपचारिक क्षेत्रों में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले लोग और शहरी क्षेत्रों में हाथ से छकड़ा खींचने वाले लोग, फुटपाथों पर फूल बेचने वाले लोग।

6. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की श्रेणी को खाद्यान्न का आबंटन बढ़ाने और खाद्य सस्तिडी को बेहतर बनाने में आय को देखते हुए भारत सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की खाद्यान्न का आबंटन 1 अप्रैल 2000 से 50 प्रतिशत आर्थिक लागत पर प्रति महीने प्रति परिवार 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम कर दिया। गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए उसी स्तर को रहने दिया गया जो टी.पी.डी.एस आरंभ करते समय था परन्तु ए.पी.एल के लिए निर्गम मूल्य उस तारीख से 100 प्रतिशत आर्थिक लागत पर निर्धारित किया गया ताकि संपूर्ण उपभोक्ता सस्तिडी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए काम आ सके।

7. महा पंजीयक के जनसंख्या अनुमान का आधार 1995 के पिछली जनसंख्या अनुमान के बदले 1.3.2000 करने से 1.12.2000 से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 652.03 लाख हो गई है जबकि जून 1997 में जब टी.पी.डी.एस. आरंभ किया गया था उस समय शुरु में 596.23 लाख परिवारों का अनुमान लगाया था। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की श्रेणी के लिए खाद्यान्न के आबंटन का बढ़ा हुआ स्तर 147 लाख टन प्रति वर्ष था।

8. भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ा हुआ अत्याधिक स्टॉक कम करने के लिए सरकार ने 12.7.2001 से टी.पी.डी.एस के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न का आबंटन जुलाई, 2001 से प्रति परिवार प्रति महीने 20 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दिया गया। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ के लिए और 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के लिए सी.आई.पी आर्थिक लागत का 48 प्रतिशत है।

सरकार ने गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए आर्थिक लागत के 70 प्रतिशत छूट की दर पर खाद्यान्न आबंटित करने का निर्णय किया है। गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को मिलने वाले गेहूँ की सी.आई.पी जोकि 830 रुपये प्रति क्विंटल थी, कम करके 610 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई और गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को मिलने वाले चावल की सी.आई.पी जो 1130 रु0 प्रति क्विंटल थी कम करके 830 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई।

9. इसके अतिरिक्त अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों में निर्धनतम परिवारों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न सबसे ऊंची आर्थिक सहायता प्राप्त दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल पर करना था। यहां यह भी उल्लेख किए जाने की जरूरत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 जारी किया गया है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियों को दूर करना है और इसे अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है।

10. हाल ही में 23.3.2002 को लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार ने गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए चावल और गेहूँ के लिए निर्गम मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल कम कर दिया। इसके अतिरिक्त गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए चावल और गेहूँ जारी करने की मात्रा 35 किलोग्राम प्रति महीने बढ़ा दी गई।

फूड क्रेडिट कार्ड

11. फूड क्रेडिट कार्ड प्रणाली विशेषीकृत उचित दर की दुकानों और संभवतः फूड स्टैंप प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था का बेहतर विकल्प है। फूड क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग ग्राहक बाजार से आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर खाद्यान्न खरीदने में कर सकते हैं और खुदरा व्यापारी सरकारी से सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। यद्यपि फूड क्रेडिट कार्ड जारी करने में आने वाली लागत वर्तमान राशन कार्ड से अधिक हो सकती है, उसको चलाने की लागत विशेषीकृत उचित दर की दुकानों से कम हो सकती है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी भी वर्तमान खुदरा दुकानों में किया जा सकता है जो ऐसे कार्डों को स्वीकार करते हैं। इससे विशेष उचित दर की दुकान प्रणाली की आवश्यकता नहीं रहेगी और परिणामतः समूचे ऊपरी खर्च भी नहीं रहेंगे। इससे स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लीकेज प्रूफ, क्रेडिट कार्ड सिस्टम को स्थापित करने की

प्रारंभिक लागत को अंशतः पूरा किया जाएगा। शेष को वर्तमान खाद्य, क्रय, भंडारण और वितरण प्रणाली के सभी चरणों में (एफ,सी.,आई सहित) लीकेज को समाप्त करके पूरा किया जाएगा।

12. कुछ विद्वानों में यह भय है कि फूड स्टाम्प की अनौपचारिक बाजार में खरीद फरोख्त की जाएगी और सफलता से फूड सब्सिडी को आय सबसिडी में बदला जा सकेगा। फूड क्रेडिट कार्ड इस समस्या को हल कर सकता है क्योंकि इसकी खरीद फरोख्त करना कठिन है। अतिरिक्त सुरक्षा बातों को, जैसे कार्डधारी की विशेषताओं की पहचान करना और आवधिक पुष्टिकरण (और पुनः शुल्क लगाना) इस प्रणाली में शामिल किए जा सकते हैं जिससे यह वस्तुतः गैर खरीद फरोख्त वाला हो जाएगा। फूड क्रेडिट कार्ड में बाद में नीति में परिवर्तन होने की स्थिति में फूड सबसिडी से आय अंतरण प्रणाली में बदले जाने वाला अंतर्निहित लचीलापन लाया जा सकता है। फूड क्रेडिट कार्ड मोटे अनाजों सहित सभी खाद्यान्नों में लागू किया जा सकता है। यदि मांग हुई तो विभिन्न खाद्यान्नों के लिए विभिन्न सब्सिडी दर निर्दिष्ट की जा सकती है। चूंकि मोटे अनाज का उपयोग मुख्यतः निर्धन करते हैं, स्मार्ट कार्ड से इस प्रणाली में स्वयं चयन/स्वयं लक्ष्य निर्धारण करने जैसी बातें शामिल की जा सकती हैं।

13. फूड क्रेडिट कार्ड को काम के लिए अनाज कार्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है और इसके लिए अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय और अनाज को प्रत्येक क्षेत्र में, जहां कार्य कराने की आवश्यकता है, वहन करने का लोजिस्टिक खर्चा भी नहीं आएगा। काम के लिए भुगतान, कामगार के फूड क्रेडिट में वृद्धि करके किया जा सकता है। एक बार स्थापित करने के बाद इस क्रेडिट कार्ड प्रणाली का उपयोग वृद्ध, अशक्त और विकलांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए किया जा सकता है। ऐसा उदाहरण के लिए ऐसे समूहों के लिए उच्चतर सब्सिडी अनुपात का प्रोग्राम बनाकर किया जा सकता है। देश के चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड को आरंभ करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

अध्याय - 5

मानव तथा सामाजिक विकास

5.1 खाद्य और पोषण सुरक्षा



पिछले पांच दशकों के दौरान जनता की पोषणिक स्थिति में सुधार के लिए की गई पहलों में ये शामिल हैं:-

- खाद्य उत्पादन में वृद्धि हैं-बफर स्टॉक का निर्माण करना
- खाद्य वितरण में सुधार लाना - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का निर्माण करना
- निम्न माध्यमों से पारिवारिक खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना:-
 - क्रय शक्ति में सुधार लाना
 - काम के बदले अनाज कार्यक्रम
 - प्रत्यक्ष या परोक्ष खाद्य सब्सिडी
- दुर्बल वर्गों की विशेष आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिए खाद्यान्न पूर्ति-समेकित बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन
- विशेष रूप से खाद्यान्न और पोषण बोर्ड (एफएनबी) तथा आईसीडीएस के माध्यम से पोषण शिक्षा
- निम्न से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रयास -
 - अल्पपोषण से प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव
 - पोषणिक स्तर पर संक्रमण और अवांछित उर्वरता के प्रतिकूल प्रभाव
 - सूक्ष्म पोषणिक कमियाँ और उनके स्वास्थ्य परिणाम

स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए इष्टतम पोषण का महत्व स्वीकार करते हुए भारत ने चिरकालिक ऊर्जा कमी (सीईडी), आयोडीन की कमी के कारण होने वाली विकृतियों, विटामिन "ए" की कमी तथा लौह और फोलेट की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता जैसी प्रमुख लोक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए तथा जनता के पोषणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बहु-क्षेत्रीय, बहुमुखी कार्यनीति अपनाई है। भारत के संविधान (अनुच्छेद 47) में यह कहा गया है कि "राज्य अपने लोगों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार लाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने को अपना प्राथमिक कर्तव्य समझेगा"।

तालिका 5.1.1 पोषणिक कमी के संकेतों की व्याप्ति (%): स्कूल-पूर्व बच्चे

पोषणिक कमी के संकेत	1975-79	2000-01
सोफ (ओडेमा)	0.4	0.0
सूखा रोग	1.3	0.2
सूक्कपाक	5.7	1.4



क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्यनीतियां निर्धारित की गईं। इन हस्तक्षेपणीय उपायों के फलस्वरूप बच्चों के बीच अल्पपोषण के गंभीर मामलों में कमी आई है और जनता के सभी वर्गों के पौषणिक स्तर में किंचित सुधार हुआ है। विटामिन-ए की कमी के कारण होने वाली क्वासियोरकोर, सूखा रोग, पेलाग्रा, लेथीरस रुग्णता, बेरी-बेरी और अंधता जैसे रोग विरल हो गए हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान स्कूल-पूर्व बच्चों में पौषणिक कमी के संकेतों और गंभीर सीईडी में लगातार गिरावट आई है (तालिका 5.1.1, चित्र 5.1.1 तथा 5.1.2)। तथापि, मामूली और मंद अल्पपोषण और रक्ताल्पता में कोई गिरावट नहीं आई है। बदलती हुई जीवनशैलियों और आहार आदतों के कारण, विशेष रूप से जनता के धनी वर्गों के बीच मोटापे और तत्संबंधी गैर-संचारी रोगों की व्याप्ति में बढ़ोतरी हुई है। नई शताब्दी में देश को अपने आप को अल्प और अति पोषण की दोहरी समस्याओं के निवारण और उनकी रोकथाम के लिए तैयार करना होगा। क्योंकि देश अल्प और अति पोषण के दोहरे भार तथा उनके प्रतिकूल प्रभावों के युग में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि निम्न से प्रतिमान बदलाव लाया जाए:

- पारिवारिक खाद्य सुरक्षा और भूख से मुक्ति की बजाए परिवार और व्यक्ति की पौषणिक सुरक्षा;
- कमजोर वर्गों में अलक्षित पूर्ति से हटकर उनके सभी व्यक्तियों की जांच, अल्पपोषण की विभिन्न मात्राओं वाले लोगों की पहचान और उपयुक्त प्रबंध;
- अति-पोषण के निवारण के लिए केन्द्रित हस्तक्षेपणीय उपायों की कमी से हटकर अति-पोषण और मोटापे की रोकथाम तथा प्रबंध के लिए उपयुक्त जीवन शैलियों और आहार अंतर्ग्रहण को बढ़ावा।

निम्न आशय की सुलक्षित, बहु-क्षेत्रीय और व्यापक हस्तक्षेपणीय उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य, जनसंख्या और पोषण नीतियों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव हो सकेगा:

- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, प्रभावी प्रसंस्करण और वितरण
- क्रय शक्ति में सुधार लाना
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा सृजन करने वाली जागरूकता
- बृहद और सूक्ष्म पोषण कमियों के निवारण, अभिज्ञान और प्रबंध के लिए सुलक्षित हस्तक्षेपणीय उपायों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना

तालिका 5.1.2 प्रति व्यक्ति दैनिक औसत आहार अंतर्ग्रहण						
	कैलोरी (कि.ग्रा.)		प्रोटीन (ग्रा.)		वसा (ग्रा.)	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1972-73	2266	2107	62	56	24	36
1983	2221	2089	62	57	27	37
1993-94	2153	2071	60.2	57.2	31.4	42
1999-2000	2149	2156	59.1	58.5	36.1	49.6
स्रोत: एनएसएसओ						

आहार अंतर्ग्रहण

2. जनता के पौषणिक स्तर के निर्धारण के लिए आहारणीय अंतर्ग्रहण एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में न्यून आहार अंतर्ग्रहण के लिए निर्धनता और क्रय शक्ति की कमी को दो प्रमुख जिम्मेदार तत्वों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। जिन आर्थिक तत्वों के

फलस्वरूप धिरकालिक अल्प पोषण की स्थिति पैदा हुई है, उनके प्रति धिंता का परिणाम यह हुआ है कि निर्धनता के आकलन के लिए कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएसओ) उपभोग व्यय के एक भाग के रूप में, खाद्यान्नों पर व्यय

तालिका 5.1.3 व्यय श्रेणियों के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी अंतर्ग्रहण

व्यय श्रेणियां	ग्रामीण			शहरी		
	1972-73	1997-78	1993-94	1972-73	1997-78	1993-94
निम्न 30%	1504	1630	1678	1579	1701	1682
मध्य 40%	2170	2296	2119	2154	2438	2111
उच्च 30%	3161	3190	2672	2572	2979	2405

का मानीटरन करता है इन सर्वेक्षण के आंकड़ों (तालिका 5.1.2) से यह पता चलता है कि पिछले तीन दशकों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र कैलोरी और प्रोटीन अंतर्ग्रहण में किंचित गिरावट आई है, शहरी क्षेत्रों में आहारिय अंतर्ग्रहण अपरिवर्तित रहा है। तथापि, जब आंकड़ों का विश्लेषण आय (तालिका 5.1.3) के अनुसार किया जाता है तो शहरी बदलाव और उसके परिणामस्वरूप ऊर्जा व्यय में कमी है। पिछले तीन दशकों में ग्रामीण और शहरी - दोनों क्षेत्रों में वसा के अंतर्ग्रहण में काफी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से धनी वर्ग में वसा अंतर्ग्रहण में वृद्धि के प्रतिकूल पोषण (मोटापा) तथा स्वास्थ्य (गैर-संचारी रोग) प्रभावों के कारण इसमें उपयुक्त पोषण शिक्षा के माध्यम से कमी लाई जानी है। आहारिय अंतर्ग्रहण और पौषणिक स्तर को लेकर राज्यों के बीच ज्ञात विशाल भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि अंतर्ग्रहण और पौषणिक स्तर से संबंधित राज्यवार आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए और समस्याओं से निपटने के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय कार्यक्रमों को संशोधित किया जाए।

तालिका 5.1.4 1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
अनाज	900.86	908.87	907.48	966.27	855.43	898.00	894.34
दालें	134.61	139.94	122.59	138.34	124.59	136.85	116.95
शर्करा तथा गुड़	226.29	211.57	215.95	254.57	228.81	251.62	268.79
तेल और तिलहन	260.43	239.79	252.08	288.20	211.65	337.09	268.20
फल तथा सब्जियां	702.24	743.25	742.94	729.53	783.95	837.35	861.69
आलू तथा अन्य कंद	69.69	67.47	70.40	83.67	66.56	78.46	75.97
दूध तथा दुग्ध उत्पाद	522.94	537.33	587.82	621.78	651.48	668.94	752.62
माँस, अंडा तथा मछली	243.96	257.14	263.46	275.57	273.45	285.82	291.91



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ से संगणित

3. सीएसओ के आंकड़ों (तालिका 5.1.4) से यह पता चलता है कि 1990 के दशक में अनाज पर औसत प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय कम-अधिक स्थिर रहा है, लेकिन दालों पर खर्च 1999-2000 में घटा है। तथापि, सब्जियों और फलों तथा दूध और दुग्ध उत्पादों के उपभोग में भारी वृद्धि हुई है। यह एक उत्साहपूर्ण प्रवृत्ति है जिससे यह पता चलता है कि लोग पौषणिक मांगों (बृहद, सूक्ष्म तथा फाइटो-पोषक) की पूर्ति के लिए आहारिय वैविध्य की आवश्यकता को समझ गए हैं और अपने आहारणीय अंतर्ग्रहण में वैविध्य लाने की दिशा में प्रयासशील हैं। यह आवश्यक है कि सभी राज्यों कम है। इस तथ्य के बावजूद कि कैलोरी अंतर्ग्रहण में वृद्धि नहीं हुई है, मोटापे में वृद्धि


हुई है जिसका मुख्य कारण जीवन शैली में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे वर्षभर सब्जियों, फलों और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता को वहनीय लागत पर बढ़ाकर इस प्रवृत्ति में तेजी लाई जाए क्योंकि बृहद और सूक्ष्म पोषण कमियों के निवारण के लिए संघारणीय खाद्य-आधारित हस्तक्षेपणीय उपाय की दिशा में आहारणीय वैधियकरण के प्रति यह प्रवृत्ति प्रथम उपाय के रूप में है।

4 राष्ट्रीय पोषण अनुश्रवण ब्यूरो (एनएनएमबी) एकमात्र ऐसी एजेसी है जोकि उन्हीं परिवारों से एक ही समय आहारीय अंतर्ग्रहण और पौषणिक स्तर से संबंधित जानकारी इकट्ठा करती हैं। एनएनएमबी के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पिछले तीन दशकों के दौरान आहारीय अंतर्ग्रहण में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। प्रोटीन-ऊर्जा उपयुक्तता स्तर के अनुसार परिवारों के वितरण से संबंधित एनएनएमबी के आंकड़ों का विश्लेषण चित्र 5.13 में प्रस्तुत किया गया है। लगभग 48 प्रतिशत परिवारों ने प्रोटीन और कैलोरी - दोनों का उपयुक्त से अधिक मात्रा में उपभोग किया जबकि 20 प्रतिशत परिवारों ने दोनों पोषणों का अपर्याप्त उपभोग किया। रसोई गैस, नलके के पानी की आपूर्ति, श्रम बचाने वाले गैजेटों और परिवहन की सुलभता बढ़ जाने से विशेष रूप से मध्यम और उच्च आय वर्गों के बीच शारीरिक क्रिया पद्धति और ऊर्जा व्यय में भारी गिरावट आई है। एनएनएमबी पुनर्सर्वेक्षणों के डाटा से पता चलता है कि विगत दो दशकों में अल्पपोषण में कुछ कमी और मोटापे में कुछ वृद्धि हुई है (चित्र 5.14)। एनएफएचएस के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रजनन आयु की महिलाओं के बीच 35.8 प्रतिशत अल्प-पोषित हैं और 10.6 प्रतिशत का भार अधिक है। यह स्पष्ट है कि संप्रति, भारत के समकक्ष अल्प-पोषण और अति-पोषण तथा उससे जुड़े हुए जोखिमों की समस्या प्रस्तुत है।

चित्र 5.13 1996-97 के अनुसार प्रोटीन और कैलोरी की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता



चित्र 5.15 स्कूल-पूर्व बच्चों और प्रौढ़ों के ऊर्जा पर्याप्तता स्तर की तुलना



आहार अंतर्ग्रहण	प्रौढ़ पुरुष	प्रौढ़ महिला	स्कूल-पूर्व बच्चे
+++	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
++-	पर्याप्त	पर्याप्त	अपर्याप्त
---	अपर्याप्त	अपर्याप्त	अपर्याप्त

खाद्य के अंतरा-पारिवारिक वितरण

5. परिवार में व्यक्तियों के आहारिय अंतर्ग्रहण से संबंधित जानकारी का एकमात्र स्रोत एनएनएमबी है। विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार विभिन्न खाद्य सामग्री और पोषणों के अंतर्ग्रहण संबंधी आंकड़े संलग्नक 5.1.1 में दिए गए हैं। खाद्य के अंतरा-पारिवारिक वितरण के समय प्रवृत्तियां (चित्र 5.1.5) यह दर्शाती हैं कि जहां ऐसे परिवारों का अनुपात, जिमें प्रौढ़ों और स्कूल-पूर्व बच्चों-दोनों को पर्याप्त खाद्य सामग्री प्राप्त हुई है, पिछले 20 वर्षों के दौरान लगभग 30 प्रतिशत रहा है। ऐसे परिवारों के अनुपात में, जिनका अंतर्ग्रहण अपर्याप्त रहा है, भारी गिरावट आई है।


6. तथापि, ऐसे परिवारों का अनुपात, जिनमें स्कूल-पूर्व बच्चों को अपर्याप्त अंतर्ग्रहण और प्रौढ़ों को पर्याप्त अंतर्ग्रहण सुलभ होता है, लगभग दुगना हो गया है। एनएनएमबी सर्वेक्षण 2000-2001 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अंतरा-पारिवारिक प्रोटीन-कैलोरी उपयुक्तता तालिका 5.1.5 में दर्शाई गई है। 1-3 वर्ष आयु वर्ग के केवल एक-तिहाई बच्चों को कैलोरी और प्रोटीन दोनों की उपयुक्त मात्रा मिल पाती है। परिवार के भंडार में से उपयुक्त प्रोटीन कैलोरी अंतर्ग्रहण

करने वालों के अनुपात में आयु वृद्धि के साथ-साथ बढ़ोतरी होती है। एनएनएमबी से ऊर्जा उपयुक्तता स्तर विषयक आंकड़े भी इसी तरह की तस्वीर (चित्र 5.1.6) दर्शाते हैं। 42.9 प्रतिशत परिवारों में स्कूल-पूर्व बच्चों का ऊर्जा अंतर्ग्रहण अपर्याप्त था, जबकि प्रौढ़ों, पुरुषों और महिलाओं - दोनों का ऊर्जा अंतर्ग्रहण उपयुक्त था। यह अनुपात आयु में वृद्धि के साथ-साथ घटकर 13.2 प्रतिशत रह जाता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि छोटे बच्चों में अल्प-पोषण की इन दरों का एक प्रमुख कारण संभवतः यह है कि ये बच्चे गरीबी के कारण नहीं बल्कि अन्यथा परिवार के भोजन में से

तालिका 5.1.5 प्रोटीन-कैलोरी पर्याप्तता के अनुसार वितरण %

	प्री.+क.+	प्री.+क.-	प्री.-क.-	प्री.-क.+
1-3 वर्ष	31.5	46.9	21.6	
4-6 वर्ष	28.6	62.5	8.9	
7-9 वर्ष	31	62	7	
10-12 वर्ष लड़के	31.9	59.3	8.9	
10-12 वर्ष लड़कियां	36.8	53.4	9.8	
13-15 वर्ष लड़क	43.9	46	10.1	
13-15 वर्ष लड़कियां	47.8	47	5.2	
16-17 वर्ष लड़के	56.8	12.2	25.7	5.3
16-17 वर्ष लड़कियां	71.6	5.7	16.4	6.3
प्रौढ़ पुरुष गृहबद्ध	79.7	12.8	6.9	0.6
एनपीएनएल गृहबद्ध	87.8	5.8	5.1	1.3
पीडब्ल्यू गृहबद्ध	69.7	9	15.4	5.9
दूध पिलाने वाली गृहबद्ध	67.2	6	16.5	10.3

चित्र 5.1.6 प्रौढ़ों की तुलना में ऊर्जा पर्याप्त के अनुसार बच्चों का विभाजन



पर्याप्त भोजन का उपभोग नहीं कर पाते। परिवारों को इस आशय की पोषण शिक्षा दिए जाने से कि छोटे बच्चों के पेट की क्षमता बहुत कम होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन का उपभोग करें, यह आवश्यक है कि उन्हें चार घंटे में एक बार अथवा इससे भी अधिक बार खाना खिलाया जाए, तो ऐसे छोटे बच्चों में अल्प-पोषण की मात्रा की व्याप्ति घटाने में काफी सहायता मिल सकती है। इसके साथ-साथ गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के आहारिय अंतर्ग्रहण में सुधार लाने का प्रयास भी किए जाने चाहिए जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

7. आरडीआई के संदर्भ में औसत ऊर्जा उपभोग तालिका 5.1.6 में दर्शाया गया है। ऊर्जा की औसत खपत महिलाओं में न्यून है; तथापि उनके लघु स्तर के कारण गृहबद्ध और जो महिलाएं गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली नहीं हैं, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत के आरडीआई की पूर्ति की जाती है; फिर भी क्योंकि गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं का आहारिय अंतर्ग्रहण अधिक नहीं है, इसलिए 70 प्रतिशत से कम गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं अपनी दैनिक आहारिय आवश्यकता की पूर्ति कर लेती हैं। आरडीआई के प्रतिशत के रूप में औसत ऊर्जा उपभोग स्कूल-पूर्व बच्चों के मामले में न्यूनतम है और यह इस तथ्य के बावजूद है कि स्कूल पूर्व बच्चों के आरडीआई का अनुपात परिवार के लगभग 11000 के कैलोरी/प्रति दिन (यह मानते हुए कि परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है) समग्र अंतर्ग्रहण का सर्वाधिक न्यून अनुपात (औसतन 1300 के कैलोरी/प्रति दिन) होता है।


अतः, यह स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चों में पर्याप्त आहारिय अंतर्ग्रहण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण आर्थिक वंचना अथवा गरीबी नहीं बल्कि बच्चे को खाना खिलाने उसके पालन-पोषण और उसकी देखभाल की पद्धतियों से संबंधित ज्ञान की कमी है। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में सुधार की तात्कालिक आवश्यकता है ताकि स्कूल-पूर्व बच्चों के अंतर्ग्रहण की इन प्रतिकूल प्रवृत्तियों को पलटा जा सके।



समेकित बाल विकास योजना

8. आईसीडीएस के पोषण घटक, जोकि संभवतः, विश्व के सभी खाद्यान्न पूर्ति कार्यक्रमों में विशालतम है, स्कूल-पूर्व बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के पोषणिक स्तर में सुधार लाने के लिए 1975 में शुरू किया गया था। प्रारंभिक भौगोलिक बल सूखा प्रभावित क्षेत्रों और उन ब्लाकों

तालिका 5.1.6 औसत ऊर्जा उपभोग - बच्चे/किशोर और प्रौढ़



आयु समूह	पुरुष			महिलाएं		
	के कैलोरी	आरडी आई	आरडी आई %	के कैलोरी	आरडी आई	आरडी आई %
स्कूल-पूर्व	889	1357	65.5	897	1351	66.4
स्कूल आयु	1464	1929	75.9	1409	1876	75.1
किशोर	2065	2441	84.8	1670	1823	91.6
प्रौढ़	2226	2425	91.8	1923	1874	102.6





पर दिया गया था, जहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात विशाल है। 1975 में आईसीडीएस के अधीन 33 ब्लॉक शामिल किए गए थे। विगत दो दशकों के दौरान आईसीडीएस कवरेज में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, आईसीडीएस के अधीन 5652 ब्लॉक शामिल किए गए हैं और देश में पांच लाख से अधिक आंगनवाड़ियां काम कर रही हैं। आईसीडीएस के अधीन शामिल लाभग्राहियों की संख्या जिसमें 1985 में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 5.7 मिलियन और माताओं की संख्या 1.2 मिलियन थी, वह मार्च, 2002 में बढ़कर क्रमशः 31.5 मिलियन और 6.0 मिलियन हो गई।

9. आईसीडीएस कार्यक्रम के आधारिक तंत्र और मानव शक्ति की लागत केन्द्र सरकार वहन करती है। राज्य सरकारें पोषण घटक के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा, सीएआरई, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा अन्य एजेंसियां कुछ राज्यों के कतिपय चुनिंदा ब्लॉकों में खाद्य पूरक सामग्री उपलब्ध कराती हैं। यद्यपि पिछले तीन दशकों के दौरान आईसीडीएस ब्लाको की संख्या में (चित्र 5.1.7) और केन्द्रीय निधियों के प्रवाह में (चित्र 5.1.8) काफी वृद्धि हुई है, फिर भी राज्यों के अपने योगदान में कोई वृद्धि देखने में नहीं आई है (चित्र 5.1.9) और अधिक संख्या में व्यक्तियों को शामिल करने के प्रयास के रूप में असम जैसे कुछेक राज्यों ने आईसीडीएस के अधीन पके पकाए या खाने के लिए तैयार भोजन की जगह खाद्यान्न प्रदान करना शुरू कर दिया है। नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरक पोषण के लिए उपलब्ध निधियों में वृद्धि करने के एक प्रयास के रूप में पोषण को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के अधीन वित्तपोषण के एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। यह अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान और पीएमजीवाई के अधीन अंतिम दो वर्षों के दौरान बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) के अधीन प्रदान की गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 6 से 36 महीने के आयु वर्ग के बच्चों में इस कारण कि उन्हें परिवार के भंडार (चित्र 5.1.10) से समुचित मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं होता है, अल्प-पोषण दर में अतिशय वृद्धि हुई है। 6 से 36 महीने के बीच के आयु वर्ग के बच्चों के जो परिवार निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताते हैं, उन सभी को पीएमजीवाई के अधीन घर ले जा सकने वाले खाद्य पूरक (अनाजों, दालों और तिलहनों का सेका हुआ तथा पिसा हुआ मिश्रण) प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि बच्चों को एक दिन में तीन-चार बार यह मिश्रण खिलाया जा सके और इस प्रकार अल्प-पोषण में पर्याप्त रूप से कमी लाई जा सके। महिला और बाल कल्याण



विभाग पहले दो वर्षों, अर्थात् 2000-2001 और 2001-2002 में पीएमजीवाई के अधीन पोषण घटक के लिए निधियां प्रदान करते थे। वह काम योजना अयोग ने 1 अप्रैल, 2002 से अपने हाथ में ले लिया है। महिला और बाल विकास विभाग से उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि पीएमजीवाई के पोषण घटक के अधीन घर ले जा सकने वाले खाद्यान्न पूरक शुरू किए जाने के बाद खाद्य पूरक प्राप्त करने वाले 6-36 महीने के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में अतिशय वृद्धि नहीं हुई है (चित्र 5.1.11)।


10. कतिपय उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि कई राज्यों में :-

- स्थानीय रूप से उपलब्ध घर ले जा सकने वाले खाद्य पूरक प्राप्त करने में कठिनाई थी;
- अनाज-दाल-तिलहन मिश्रण नहीं बल्कि अपेक्षतया अधिक खर्चीला खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराया गया;
- पीएमजीवाई के पोषण घटक के अधीन उपलब्ध निधियों को अतिरिक्त रूप में नहीं माना गया बल्कि उन्हें पोषण के लिए राज्य की अपनी योजनागत निधियों के लिए प्रतिस्थापित किया गया (संलग्नक 5.1.2)।

भोजना परिव्ययों के विस्तृत विश्लेषण से यह पता चला कि

- केवल दो राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 में पोषण के लिए अपेक्षतया अधिक परिव्यय का प्रावधान किया है।
- केरल, जम्मू तथा कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा में प्रदान किया गया परिव्यय पीएमजीवाई के अधीन पोषण के लिए आवंटित निधियों की तुलना में कम है।
- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम जैसे अनेक राज्यों ने पोषण के लिए अपना राज्य योजनागत परिव्यय उसी स्तर पर रखा है जो कि पीएमजीवाई के अधीन उपलब्ध है।

11. पीएमजीवाई के पोषण घटक के अधीन निधि आवंटन से जुड़ी हुई एक अन्य समस्या है। पीएमजीवाई के अधीन निधियों के आवंटन के लिए प्रयुक्त फार्मूले के अधीन विशेष श्रेणी के



राज्यों को, जिनमें देश की केवल 6 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, पीएमजीवाई के अधीन निधियों का 30 प्रतिशत अंश प्राप्त होता है। उच्च निर्धनता, अल्प-पोषण तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को पीएमजीवाई के पोषण घटक के अधीन अपेक्षित कम निधियां मिलती हैं और वे अल्प-पोषण में कमी लाने (चित्र 5.1.12) की समस्या की ओर ध्यान देने में असमर्थ


हैं। विशेष श्रेणी वाले राज्यों को 30 प्रतिशत आवंटन प्राप्त होता है और बीपीएल परिवारों में 6-36 महीने के आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए जितनी निधियों की आवश्यकता है, उसकी तुलना में उन्हें पीएमजीवाई के अधीन कहीं अधिक निधियां प्राप्त होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईसीडीएस कार्यक्रम के अधीन पोषण पूरक उपलब्ध कराने में व्यापक अंतर मौजूद हैं और अल्प-पोषण व्यापक रूप से फैला हुआ है, यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्यों के पास पीएमजीवाई के अधीन अधिशेष निधियां हैं, उन्हें इन निधियों का प्रयोग गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं का बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने और इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमति दी जाए कि ग्रेड III और IV कुपोषण के शिकार बच्चों को आईसीडीएस के अधीन यथानिर्धारित पूरकों का दुगुना राशन प्राप्त हो सके। इस योजना को संवर्धित आवंटन (2800 करोड़ रुपये) सहित चालू वित्तीय वर्ष में जारी रखा जा रहा है तथा 15 प्रतिशत राशि पोषण के लिए आवंटित है। पीएमजीवाई के अधीन निधियों के उपयोग में हुई प्रगति और 6-36 महीने के आयु-वर्ग के बच्चों में अल्प-पोषण की रोकथाम के लिए घर ले जा सकने वाले खाद्य पूरक प्रदान करने की कार्यनीति की उपयोगिता की समीक्षा की जाएगी।

12. पीएमजीवाई के पोषण घटक के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी शिशुओं और बच्चों का तीन महीने में एक बार यह पता लगाने के लिए वजन किया जाना चाहिए कि उनमें से अल्प-पोषित की पहचान की जा सके और उनके संबंध में केंद्रित स्वास्थ्य और पोषण विषयक हस्तक्षेपणीय उपाय किए जा सकें। हालांकि प्रगति का अनुश्रवण आईसीडीएस का एक अनिवार्य घटक है, फिर भी इसे कार्यरूप नहीं दिया गया है। अतः विशेष श्रेणी वाले राज्य, बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं में अल्प पोषण के गंभीर मामलों में त्वरित रूप से कमी लाने के लक्ष्य की पूर्ति करने के निमित्त पीएमजीवाई के अधीन निधियों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

पोषण स्तर में अंतर-राज्य भिन्नताएं

13. एनएफएचएस द्वारा महिलाओं में अल्प-पोषण से संबंधित जो राज्य-वार अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें पोषणिक स्तर में राज्यों के बीच व्यापक भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। सीडीडी सहित महिलाओं का अनुपात (बीएमआई 18.5 किलोग्राम/एम-2 से कम) में भिन्नताएं हैं और जहां अरुणाचल प्रदेश में वह 10.7 प्रतिशत है, वहां उड़ीसा में 48 प्रतिशत है तथा इसी प्रकार, जिन बच्चों का भार गंभीर रूप से कम है (-3 एसडी) उनके अनुपात में भी भिन्नताएं हैं और जहां वह

सिक्किम में 4.2 प्रतिशत है, वहां बिहार में 25.5 प्रतिशत है (चित्र 5.1.13)। पंजाब में महिलाओं के अल्प-पोषण के स्तर न्यूनतम हैं, जबकि बच्चों में अल्प-पोषण के स्तर केरल में न्यूनतम हैं। प्रौढ़ महिलाओं के अल्प-पोषण की व्याप्ति उड़ीसा में सर्वाधिक है, जबकि बच्चों में अल्प-पोषण के स्तर बिहार में सर्वाधिक हैं। महिलाओं में अल्प-पोषण अपेक्षतया उच्चतर स्तर पर होने के



बावजूद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बच्चों में अल्प-पोषण की दरें न्यून हैं। आईसीडीएस के माध्यम से अपेक्षतया सुनियोजित खाद्य आपूर्ति तमिलनाडु और गुजरात में महिलाओं में अल्प पोषण की उच्च दरों के बावजूद बच्चों में अल्पपोषण की अपेक्षतया न्यून अनुपात का एक कारण हो सकता है। केरल में इस तथ्य के बावजूद कि आईसीडीएस खाद्य आपूर्ति में अत्यंत न्यून निवेश किया गया है, बच्चों में अल्प-पोषण की दरें बहुत न्यून हैं जिसका कारण संभवतः शिशुओं और बच्चों को खाना खिलाने की उपयुक्त आदतें और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुलभता है। यह जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में पोषणिक स्तर में देखी गई इस भिन्नता के लिए जिम्मेदार अनुकूल और प्रतिकूल तत्वों का विश्लेषण किया जाए और उपयुक्त राज्य विशिष्ट हस्तक्षेपणीय कार्यक्रम तैयार तथा कार्यान्वित किए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो सभी चालू वित्तीय दबावों के बावजूद पोषणिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाया जाना संभव हो सकता है। जनसंख्या के जनांकिकीय और स्वास्थ्य सूचकों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि इन सूचकों को लेकर जिलों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं। ऐसी संभावना है कि पोषणिक स्तर के संबंध में भी इसी प्रकार की स्थिति हो। अभिसरण की दिशा में पहले से चले आ रहे प्रयासों के एक अंग के रूप में महिला और बाल कल्याण विभाग ने त्वरित पारिवारिक सर्वेक्षण आयोजित करने में परिवार कल्याण विभाग के साथ सहयोग किया है जिससे कि बच्चों में बृहद और सूक्ष्म पोषक पोषणिक स्तर के बारे में जिले-वार सूचना अगले वर्ष तक उपलब्ध हो सके।

14. एनएफएचएस के आंकड़ों से यह भी पता चला कि राज्य के भीतर विभिन्न आय वर्गों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं (चित्र 5.1.14)। सभी राज्यों में अल्प-पोषित बच्चों के अनुपात में आय में वृद्धि के साथ कमी आई है। तथापि, केरल और तमिलनाडु में न्यून प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद भी, इन राज्यों में गंभीर रूप से अल्प-पोषित बच्चों का अनुपात न्यून है; पंजाब जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय उच्चतर होने के बावजूद बच्चों में अल्प-पोषण की दरें उच्चतर बनी हुई हैं। उड़ीसा (9.9 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (9.7 प्रतिशत) में उच्चतम आय वर्ग में गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का अनुपात केरल (11.8 प्रतिशत) में न्यूनतम आयु वर्ग के बच्चों के साथ तुलनीय है। शायद इसका कारण राज्य और परिवार के भीतर खाद्य का अधिक समान रूप से वितरण और साथ ही, स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुलभता है। गुजरात योजना के अधीन पोषण के लिए अधिकतम निधियां प्रदान करता है, किन्तु वहां न्यूनतम आय वर्ग में- 3 एसडी से कम


भारत वाले बच्चों का प्रतिशत उच्च बना हुआ है। उड़ीसा में भी, विशेष रूप से केबीके जिलों में पोषण के लिए निधियों का प्रवाह काफी ऊंचा है, लेकिन इसके फलस्वरूप बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार नहीं हुआ है। इन आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि मात्र आर्थिक स्थिति अथवा खाद्य पूरक कार्यक्रमों के लिए निधियों के आवंटन में सुधार के फलस्वरूप पोषणिक स्तर में सुधार नहीं होता। अल्प-पोषण की उच्च व्याप्ति के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाना और उनमें सुधार लाना महत्वपूर्ण है।

इसके साथ-साथ यह आवश्यक है कि वजन करके अल्प-पोषित बच्चों की पहचान की जाए, उन्हें खाद्य पूरक प्रदान करने के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग किया जाए, उन्हें अपेक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाए।

किशोरों के पोषणिक स्तर में सुधार लाना

15. जनसंख्या अनुमानों संबंधी तकनीकी समूह द्वारा प्रस्तुत अनुमान यह दर्शाते हैं कि किशोरों (10-19 आयु वर्ग) की संख्या, जो 1996 में 200 मिलियन थी, 2016 में बढ़कर 215.3 मिलियन हो जाएगी। किशोर, जो त्वरित उन्नति और विकास के दौर से गुजर रहे हैं, पोषणिक दृष्टि से एक ऐसा दुर्बल समूह, जिनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। एनएफएचएस-II के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में लड़कियों की विवाह की औसत आयु 16 वर्ष है और कुल लड़कियों में से 61 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाहित हो जाती हैं। पहले जन्म के समय औसत आयु 19.2 है। अल्प-पोषण, रक्ताल्पता और असंतोषपूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल के फलस्वरूप केवल यही नहीं कि मातृ रुग्णता में वृद्धि होती है बल्कि जन्म के समय न्यून भार और प्रसवकालीन मृत्यु के मामलों की संख्या भी उच्चतर हो जाती है। इन लड़कियों की शिशुओं के पालन-पोषण की असंतोषपूर्ण परिपाटियों से शिशु रुग्णता और अल्प-पोषण बढ़ जाता है और इस प्रकार अल्प-पोषण का पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा चक्र जारी रहता है। इस दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए कुछेक अंतःक्षेत्रीय पहलें इस प्रकार हैं - उपयुक्त शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य हस्तक्षेपणीय उपाय, विवाह की आयु में वृद्धि, गर्भावस्था के दौरान इष्टतम स्वास्थ्य और पोषण हस्तक्षेपणीय उपाय। महिला और बाल विकास विभाग ने किशोरी शक्ति योजना (2002) शुरू की है लेकिन इस योजना के अधीन अत्यंत न्यून (प्रति ब्लाक केवल दो किशोरियां) व्याप्ति है।

16. किशोरों के पोषणिक स्तर में सुधार लाने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री ने 2001 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में यह कहा था कि किशोर लड़कियों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं में अल्प-पोषण से मुकाबला करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।



प्रधानमंत्री की घोषणा को कार्यरूप देने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की जा रही है। यह परियोजना, जो कि शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिए है, प्रमुख राज्यों के दो पिछड़े जिलों में और शेष/संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों (राजधानी जिले को छोड़कर) में शुरू की जा रही है। राज्यों को 2002-2003 के लिए निधियां विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जा रही हैं जिससे कि वे अभिज्ञात अल्प-पोषित व्यक्तियों के परिवारों को टीपीडीएस के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

17. इस प्रकार, जहां पहले आंगनवाड़ी में पका-बकाया खाना उपलब्ध कराया जाता था, वहां अब कुछ योजनाओं में घर ले जाए सकने वाले खाद्य पूरक प्रदान किए जाते हैं। निश्चय ही, घर ले जाए जा सकने वाले खाद्य पूरक परिवार में बंट जाएंगे, लेकिन उससे परिवार की खाद्य सुरक्षा में बेहतरी होगी; समुदाय और परिवार को इस आशय की पोषण शिक्षा से कि आवश्यकता के आधार पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और अल्प-पोषित व्यक्तियों का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाए, यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी कि व्यक्ति को प्रदान किए गए खाद्य पूरकों में से समुचित हिस्सा प्राप्त होता है। इस बदलाव से आंगनवाड़ी कार्मिक और सहायिका को खाना बनाने, खिलाने और सफाई करने के नेमी समय कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये अल्प-पोषण/पोषण शिक्षा के खपत वाले लिए बच्चों/महिलाओं की जांच करने और आईसीडीएस स्कीम के अधीन यथापरिकल्पित 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों की स्कूल पूर्ण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दे सकेंगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

18. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2001 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में निम्न घोषणा की थी:

- ☛ राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना।
- ☛ निर्धनता की रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की किशोर लड़कियों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करना;

राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

- ☛ अल्प-पोषण में कमी लाना
- ☛ सूक्ष्म पोषण कमियां - लोहा, आयोडीन तथा विटामिन-ए में कमी/उन्मूलन
- ☛ धिरकालिक ऊर्जा कमी में कटीती करना

इसके अलावा, मिशन निम्न का समन्वय और अनुश्रवण करेगा:-

- ☛ राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन;

- ☛ नाजूदा कार्यक्रमों - आईसीडीएस तथा मध्याह्न भोजन का सुदृढीकरण;
- ☛ पोषण शिक्षा तथा आईईसी;
- ☛ अनुसंधान तथा विकास;
- ☛ प्राकृतिक आपदाओं में राहत ।

19. राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण नीति में यथापरिकल्पित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय पोषण परिषद की देखरेख में काम करेगा ।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

20. आईसीएमआर द्वारा स्थापित एनएनएमबी केवल यही नहीं कि यह व्यक्तियों के आहारिय अंतर्ग्रहण और पोषणिक स्तर की सामयिक प्रवृत्तियों पर आंकड़ों का एकमात्र स्रोत है बल्कि यह केवल दस राज्यों को कवर करता है । महिला और बाल विकास विभाग के खाद्य और पोषण बोर्ड ने 1993-94 में 187 जिलों में एक पोषण सर्वेक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट 1998 में प्रकाशित हुई थी । यह एकबारगी प्रयास था और जिस नमूने को शामिल किया गया था, वह जिले के प्रतिनिधिक नमूने से प्राप्त नहीं किया गया था । एनएफएस के तहत बच्चों और महिलाओं के एक प्रतिनिधिक नमूने की ऊंचाई और भार को मापा गया और वह इन समूहों के पोषणिक स्तर की बाबत राज्य स्तर पर दो समय बिंदुओं, अर्थात् 1992-93 और 1998-99 से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) हर पांच साल में सारे देश में प्रतिनिधिक प्रतिदर्शी जनसंख्या में परिवार स्तर पर भोजन पर व्यय संबंधी जानकारी इकट्ठी करता है और रिपोर्ट करता है। एनएसएसओ परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर आहारिय उपभोग की जानकारी प्रदान नहीं करता और वह पोषणिक स्तर का जायजा नहीं लेता ।

21. आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्मिक - दोनों पोषण स्तर के संबंध में नियमित रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । तथापि, आंकड़ों के संग्रह, रिपोर्ट, मिलान और विश्लेषण में कमी और देरी हो जाती है । मासिक प्रगति रिपोर्टों का प्रयोग जिला स्तरीय अनुश्रवण और पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों के मध्यावधिक संशोधन के लिए नहीं किया जाता । पीएमजीवाई पहल के पोषणिक घटक का अनुश्रवण करने के प्रयासों के एक अंग के रूप में योजना आयोग ने महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषणिक स्तर के मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया है जिसे मासिक आईसीडीएस रिपोर्ट प्रस्तुति फोरमेट के एक अंग के रूप में शामिल कर लिया गया है । राज्य/केन्द्रीय महिला और बाल विकास विभागों को निम्न की दृष्टि से सुधार का अनुश्रवण करना है:

- ☛ 6-36 महीने के आयु वर्ग के बच्चों का दाखिला;
- ☛ ऐसे बच्चों का प्रतिशत जिन्हें छः महीने तक पूरक भोजन प्राप्त हुआ;
- ☛ 6-36 महीने के आयु वर्ग के बच्चों का पोषणिक स्तर;
- ☛ पोषण के लिए निधि आवंटन और उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग ।

22. आज की स्थिति में, अल्प-पोषण की व्याप्ति को लेकर जिला स्तर पर कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन त्वरित पारिवारिक सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में परिवार कल्याण और महिला विकास विभाग, विश्व बैंक तथा यूनिसेफ की सहायता से आजकल एक पारिवारिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो कि बच्चों के पोषणिक स्तर के संबंध में जिला-वार सूचना उपलब्ध कराएगा और जिसका प्रयोग विकेन्द्रीकृत जिला-आधारित पोषण हस्तक्षेपणीय उपाय करने के लिए किया जा सकेगा।

अंतः क्षेत्रीय समन्वय

23. महिला और बाल विकास विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग दो ऐसे बड़े विभाग हैं जिनके पास महिलाओं और बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार लाने के प्रति लक्षित कार्यक्रम मौजूद हैं। इन दो विभागों के बीच सेवाओं के अभिसरण में सुधार की दिशा में प्रयास पहले से चले आ रहे हैं। इस प्रयास के एक अंग के रूप में यह सोचा गया है कि आंगनवाड़ी कार्मिक निम्न कार्य करेंगी:

- जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करने और गर्भवती महिलाओं की पहचान करने में सहायता;
- घर में हुए प्रसवों में प्रसव के बाद यथासंभव शीघ्र नवजात शिशुओं का वजन करेंगी और जिन नवजात शिशुओं का वजन 2.2 किलोग्राम से कम है, उन्हें ऐसे केन्द्रों में भेजेगी जहां बाल रोग चिकित्सक उपलब्ध हैं;
- 18-36 महीनों के आयु वर्ग के बच्चों को एएनएम की देखरेख में अप्रैल में (गर्मी से पूर्व) तथा अक्टूबर में (सर्दी से पूर्व) विटामिन-ए की व्यापक खुराक (18 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने) देंगी;
- गर्भवती महिलाओं में आयरन फोलेट की टिकिया के सतत ग्रहण का अनुश्रवण करेंगी और उसमें सुधार लाएंगी;
- अल्प-पोषित गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों की पहचान करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें आईसीडीएस तथा उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल के अधीन खाद्य पूरक कार्यक्रमों में प्राथमिकता प्रदान की जाए;
- पीआरआई तथा कृषिक विस्तार कार्यक्रमों के तालमेल से उपयुक्त मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ी-बूटियां और मसाले की खेती को बढ़ावा देंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि खाद्य पूरकों के सूक्ष्म पोषण तत्व में सुधार के लिए आंगनवाड़ियों को उनकी नियमित आधार पर पूर्ति की जाए;
- आंगनवाड़ी में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और प्रतिरक्षण के आयोजन में एएनएम की सहायता करेंगी;
- लोहा और फोलिक एसिट टिकिया, ओआरएस, कंडोम तथा उपभोज्य प्रसूति किट के डिपुधारक के रूप में काम करेंगी;
- आपात रेफरल के आयोजन में सहायता करेंगी; उसे एक ऐसी सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें ऐसी निकटतम स्थिति दर्शाई गई हो जहां महिलाओं और बच्चों को भेजा जा सकता है।

आहारिय अंतरग्रहण											
	खाद्य सामग्री का अंतरग्रहण (ग्राम प्रतिदिन)						पोषण अंतरग्रहण प्रतिदिन				
	अनाज	गालों	पत्तेदार सब्जियां	दुग्ध उत्पाद	बसा तथा तेल	शर्करा तथा गुरु	प्रोटीन (ग्राम)	वसा (ग्राम)	ऊर्जा (के.कैलोरी)	लोहा (मि.ग्रा.)	विटामिन-ए (मि.ग्रा.)
1-3 वर्ष	116	12	6	72	5	11	19.5	12.1	729	5.3	106
4-6 वर्ष	180	18	9	51	7	12	28.2	15	1066	8.1	127
7-9 वर्ष	225	19	12	48	8	13	34	16.9	1294	10.3	148
10-12 वर्ष											
लड़के	267	21	15	48	9	14	40.4	19.9	1524	12.2	168
लड़कियां	258	23	14	47	8	14	39.4	18.9	1500	12.1	174
13-15 वर्ष											
लड़के	319	25	15	58	11	16	48.8	24.7	1856	15.4	196
लड़कियां	302	24	16	50	10	14	43.7	21	1689	12.9	180
16-17 वर्ष											
लड़के	379	29	16	51	11	15	54.7	25.6	2114	16.7	183
लड़कियां	332	25	17	53	10	15	49.1	24.2	1856	15.3	213
>= 18 वर्ष पुरुष											
गृहबद्ध	186	34	46	97	12	15	58.7	34.4	2225	17.5	242
सामान्य	433	30	19	54	12	15	61	27.3	2371	18.7	234
>= 18 वर्ष महिलाएं											
गृहबद्ध एनपीएनएल	346	26	18	67	12	16	48.2	27.6	1878	14.1	219.8
गर्भवती	353	28	15	77	12	17	49.7	25.9	1933	14	227
दूध पिलाने वाली	392	28	18	65	13	13	50.3	25.9	2028	14.6	212
सामान्य एनपीएनएल	347	28	16	51	11	15	52	22.4	2020	16.2	189

संलग्नक 5.1.2

पूरक योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा वर्ष-वार आवंटन

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2000-01		2001-02	
		राज्य योजना	पीएमजीवाई	राज्य योजना	पीएमजीवाई
1	आंध्र प्रदेश	52.81	21.31	95.60	28.41 *
2	अरुणाचल प्रदेश	19.51	10.23	11.46	11.46
3	असम	56.94	26.94	30.17	30.17
4	बिहार	76.01	43.09	36.87	36.87
5	छत्तीसगढ़			28.23	7.29
6	गोआ	0.62	0.12	0.80	0.13
7	गुजरात	139.22	9.72	132.50	10.88 *
8	हरियाणा	6.02	2.52	4.50	2.82
9	हिमाचल प्रदेश	19.99	10.59	9.80	9.80
10	जम्मू व कश्मीर	33.99	25.74	10.00	13.50
11	झारखंड			प्राप्त नहीं	11.39
12	कर्नाटक	58.61	11.27	48.26	21.47
13	केरल	10.66	10.36	0.35	11.61
14	मध्य प्रदेश	68.32	17.07	42.00	19.22
15	महाराष्ट्र	72.34	14.87	49.33	19.79
16	मणिपुर	15.57	7.28	8.16	8.16
17	मेघालय	12.24	6.09	6.82	6.82
18	मिजोरम	10.21	6.06	6.27	6.27
19	नागालैंड	12.34	6.17	6.67	6.79
20	उड़ीसा	69.57	14.78	28.96	16.56
21	पंजाब	15.06	6.06	7.79	6.79
22	राजस्थान	40.15	14.46	30.00	35.59
23	सिक्किम	8.43	4.22	5.70	5.70
24	तमिलनाडु	109.59	15.72	128.02	17.60 *
25	त्रिपुरा	16.34	7.62	11.66	13.61
26	उत्तर प्रदेश	116.11	52.34	81.54	56.51
27	उत्तरांचल				2.11
28	पश्चिम बंगाल	122.64	25.17	76.00	26.20
29	अ. व नि. द्वीपसमूह	3.08	1.54	2.20	1.73
30	चंडीगढ़	1.41	0.68	0.95	0.77
31	दादरा व नगर हवेली	0.87	0.20	0.62	0.22
32	दमन व दीव	0.44	0.16	0.46	0.18
33	दिल्ली	26.83	1.66	34.30	1.86 *
34	लक्षद्वीप	0.55	0.27	0.59	0.30 *
35	पांडिचेरी	7.16	0.72	6.74	1.92
	अखिल भारत	1203.66	375.03	941.34	452.49

* ऐसे राज्य जिन्होंने 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 में अधिक परिव्ययन का प्रावधान किया है।

5.2 प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता और प्रौढ शिक्षा

भारत के संविधान में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। योजना के प्रारंभिक वर्षों में ऐसा सोचा गया था कि सार्वजनिक बुनियादी शिक्षा सहित आर्थिक और सामाजिक कल्याण की उपलब्धि के लिए आर्थिक उन्नति की प्राप्ति एक प्रमुख साधन होगा। तथापि, इस कार्यनीति के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले। इसके अलावा, विभिन्न देशों के पिछले कुछ वर्षों के विकास अनुभव के फलस्वरूप यह विश्वास बना है कि मानव विकास में साक्षरता और शिक्षा की एक प्रत्यक्ष भूमिका होती है और वे आर्थिक खुशहाली सहित अन्य उपलब्धियों को सुकर बनाने का माध्यम होते हैं। नवीं योजना में मानव विकास में शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश माना गया। राष्ट्र सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वथा प्रतिबद्ध है और उसकी प्राथमिकता है: निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना, निरक्षरता का उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष बल।

प्रारंभिक शिक्षा

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), जिसकी घोषणा 1986 में और समीक्षा 1992 में की गई थी, ने एक ठोस कार्य योजना सहित सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया। उसके बाद से सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले दशक (1991-2001) में साक्षरता दर में 1951 के बाद 13.15 प्रतिशत का सर्वाधिक उछाल आया है और यह 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 65.37 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, महिला साक्षरता, जोकि 1951 में 39.29 प्रतिशत थी, उसमें 14.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 2001 में 54.16 प्रतिशत तक पहुंच गई। एकजुट प्रयासों के फलस्वरूप संस्थानों, अध्यापकों और छात्रों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। 1950-51 से लेकर 1999-2000 तक की अवधि के दौरान प्राथमिक स्कूलों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है और जहां 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2.10 लाख थी, 1999-2000 में यह बढ़कर 6.42 लाख हो गई जबकि उच्चतर प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 15 गुणा वृद्धि हुई और जहां 1950-51 में ऐसे स्कूलों की संख्या 13600, यह 1999-2000 में बढ़कर 1.28 लाख हो गई। प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में 1950-51 से 1999-2000 के बीच 5.91 गुणा वृद्धि हुई जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 113 गुणा से अधिक वृद्धि हुई थी। अध्यापकों की कुल संख्या, जो 1950-51 में 6.24 लाख थी, वह 1999-2000 में बढ़कर 32.17 लाख हो गई, अर्थात् उसमें पांच गुणा से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1993 से प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिसके पीछे आपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, गैर-औपचारिक शिक्षा, शिक्षा आश्वासन स्कीम जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के हस्तक्षेपणीय प्रयास और राज्य सरकार के प्रयासों का योगदान है। तथापि, अभी भी हम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य से काफी दूरी पर हैं। इसके लिए मध्य अवधि की विस्तृत ग्रासरूट आयोजना की आवश्यकता है।

3. सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए नौवीं योजना के अंत में, अर्थात् वर्ष 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शुरू किया गया। सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के निमित्त यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समूचे देश को शामिल किया गया है और जिसका उद्देश्य यह है कि इस लक्ष्य को राज्यों की सहभागिता से मिशन पद्धति से कार्यान्वित किए जाने वाले एक समयबद्ध एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से पूरा किया जाए। यह दृष्टिकोण समुदाय के स्वामित्व का है और ग्राम शिक्षा योजनाएं पंचायती राज संस्थानों के सहयोग से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार होंगी। ऐसे जिलों पर बल दिया जाएगा जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और दुष्कर स्थितियों में रह रहे बच्चों के बीच महिला साक्षरता दर न्यून है।

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

4. वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा स्कीमों के लिए 3800 करोड़ रुपए अनुमोदित परिव्यय में से वास्तविक व्यय 3569.16 करोड़ रुपए था, जोकि अनुमोदित परिव्यय का 93.92 प्रतिशत बैठता है। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए स्कीम-वार आवंटन और वर्ष 2001-2002 के लिए वास्तविक खर्च संलग्नक-1 में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान दो प्रमुख योजनाओं, अर्थात् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) तथा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का वित्तीय निष्पादन काफी ठीक रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 1100 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में से 1199.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी प्रकार, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषणिक सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में 1030.27 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि इस संबंध में 930 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में अधिक थे। तथापि, जहां हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य मध्याह्न भोजन योजना के अधीन क्रमशः 95.7 प्रतिशत, 92.9 प्रतिशत, 87.8 प्रतिशत तथा 86.6 प्रतिशत अनाज का उठान कर सके थे, वहां अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और दिल्ली जैसे कुछेक राज्यों ने क्रमशः केवल 12.78 प्रतिशत, 30.33 प्रतिशत और 33.98 प्रतिशत खाद्यान्न का उठान किया।

5. तथापि, गैर-औपचारिक शिक्षा योजना के अधीन खर्च में इन अर्थों में भारी गिरावट आई कि 400 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में से केवल 83.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए क्योंकि योजना अभी भी निर्माणाधीन थी। अब इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ मिला दिया गया है। राजस्थान में शिक्षा कर्मी योजना पर खर्च केवल 10.00 करोड़ रुपए हुआ जबकि इस आशय के लिए योजनागत प्रावधान 30.00 करोड़ रुपए का था। विलचस्पी की कमी और राज्य के समक्ष प्रस्तुत आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं के चलते राज्य इस स्कीम के अधीन अपने हिस्से का योगदान नहीं कर सका। डीएफआईडी से 50 प्रतिशत वित्तपोषण के बावजूद राजस्थान सरकार शिक्षा कर्मी के अधीन अपने शेष हिस्से का योगदान नहीं कर सकी। 'महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक स्कीम का नाम अब प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम रख दिया गया है और इसे अब एसएसए का एक घटक बना दिया गया है।

वार्षिक योजना 2002-2003

6. प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 के निमित्त 4667.00 करोड़ रुपए का परिष्यय मंजूर किया गया है जिसमें बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1550.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के परामर्श से योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित शून्य आधारित बजट निर्माण की प्रक्रिया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि घरेलू बजटीय सहायता द्वारा वित्त पोषित स्कीमों में अध्यापक शिक्षा, मध्याह्न भोजन और कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय नामक स्कीमों का अस्तित्व बना रहेगा जबकि पहले से चली आ रही अन्य सभी स्कीमों में सर्व शिक्षा अभियान का अंग बना दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, जैसेकि शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, डीपीईपी तथा जनशाला को यद्यपि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी, फिर भी उन्हें एसएसए की छत्र योजना के अधीन दिखाया जाएगा। अतः, ऐसी आशा है कि एसएसए अपने समग्र कार्य तंत्र के भीतर अधिकांश मौजूदा कार्यक्रमों को खपा लेगा जबकि जिला, कार्यक्रम कार्यान्वयन की इकाई रहेगा। दृष्टिकोण को पूर्णतः समग्र बनाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन को अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में अभिसारी बनाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, एसएसए समुदाय के व्यवस्थित अभिप्रेरण और विकेन्द्रीकरण निर्णय लेने की एक प्रभावी प्रणाली के निर्माण का लक्ष्य लेकर चलता है।

प्रौढ़ शिक्षा

7. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का बुनियादी लक्ष्य यह है कि देश में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए साक्षरता को मूल तत्व बनाना जाए। इसका लक्ष्य यह है कि 2005 तक 75 प्रतिशत का प्रारंभिक स्तर बनाए रखा जाए। मिशन का प्रयास यह है कि प्रौढ़ों के लिए जीवनपर्यंत सीखने का सार्थक अवसर प्रदान किया जाए और अवशिष्ट निरक्षरता पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। साक्षरता कार्यक्रमों के अधीन देश के कुल 598 जिलों में से 574 जिले शामिल किए गए हैं। अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम 120 जिलों में शुरू किया गया है; साक्षरतोत्तर कार्यक्रम 294 जिलों में पहले से चला आ रहा है जबकि समग्र साक्षरता अभियान 160 जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के बीच साक्षरता के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है। जनशिक्षा संस्थानों ने आबादी में अपना विस्तार किया है और वे लगभग 250 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करके ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा आजकल जिन कार्यक्रमों को कार्यरूप दिया जा रहा है, उनके स्कूल परिप्रेक्ष्य में प्रौढ़ साक्षरता के लिए दो प्रमुख कार्यनीतियां हैं, जिनमें पहले चरण का संबंध बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के साथ है जबकि दूसरा चरण समेकन, उपचार और कौशलों के उन्नयन के साथ है।

8. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को आगे बढ़ाने में गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता को मान्यता प्रदान की है। गैर-सरकारी संगठनों के लिए जो प्रमुख भूमिका अभिकल्पित है, उसे दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अब जिला साक्षरता समितियों से निधियां प्राप्त करने

और अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्रों को यस्तुतः संचालित करने की अनुमति दे दी गई है जिससे कि साक्षरता अभियान में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाई जा सके ।

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

9. वर्ष 2001-2002 के लिए प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में 200 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में से वास्तविक व्यय 174 करोड़ रुपए हुआ, जोकि कुल परिव्यय का 87 प्रतिशत बैठता है । अकेली अविच्छिन्न शिक्षा की योजना के लिए 108.50 करोड़ रुपए, अर्थात् कुल अनुमोदित परिव्यय का 54.25 प्रतिशत आवंटित किया गया, जबकि वास्तविक खर्च 95.64 करोड़ रुपए हुआ । श्रमिक विद्यापीठ योजना के लिए 25.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में से शत-प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया गया है । यह स्कीम गैर-औपचारिक, प्रौढ़ और अविच्छिन्न शिक्षा का एक ऐसा अपरंपरागत कार्यक्रम है जो कि मुख्यतः शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है । इस स्कीम का मूल उद्देश्य कामगारों के व्यवसायिक कौशलों और तकनीकी ज्ञान में सुधार लाना है जिससे कि उनकी प्रभाविता का संवर्धन किया जा सके और उनकी उत्पादनशीलता योग्यता बढ़ाई जा सके । प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 2 : 1 है, किन्तु आदिवासी उपयोजना के अधीन जिले इस दृष्टि से अपवाद हैं जहां इस आशय का अनुपात 4 : 1 है । अब कार्यान्वयन एजेंसियों को साक्षरतोत्तर चरण के दौरान बुनियादी साक्षरता क्रियाकलापों पर खर्च करने की अनुमति होती है ।

वार्षिक योजना 2002-2003

10. वर्ष 2002-2003 के लिए प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 233 करोड़ रुपए है । अकेले नव-साक्षरों के लिए अविच्छिन्न शिक्षा की योजना का हिस्सा 145 करोड़ रुपए है, जोकि कुल अनुमोदित परिव्यय का 62.23 प्रतिशत बैठता है। जन शिक्षा संस्थान और साक्षरता अभियान तथा आपरेशन रेस्टोरेशन नामक योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है । पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और एसएसए साथ-साथ चलेंगे और सामुदायिक विकास और अधिकारिता की व्यापक प्रक्रिया को सुकर बनाएंगे ।

प्रारंभिक शिक्षा

स्कीमवार योजना परिय्यय (2001-2002, 2002-2003) तथा व्यय (2001-2002)

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	योजना का नाम	2001-02 अनुमोदित परिय्यय	2001-02 वास्तविक व्यय	2002-03 अनुमोदित परिय्यय
1	आपरेशन ब्लैकबोर्ड	520.00	497.97	65.00
2	अध्यापक शिक्षा	220.00	172.82	207.00
3	गैर-औपचारिक शिक्षा	400.00	83.23	2.00
4	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	6.00	4.50	5.00
5	बाल भवन सोसायटी	4.00	3.50	4.50
6	प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम	930.00	1030.27	1175.00
7	सर्व शिक्षा अभियान	500.00	499.77	1650.00
8	राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम	10.00	0.00	
9	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय			8.50
क.	उप-योग (ईएपी के अतिरिक्त)	2590.00	2292.06	3117.00
	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1	शिक्षा कर्मी	30.00	10.00	40.00
2	लोक जुम्बिश	59.00	50.00	60.00
3	महिला समाख्या	11.00	7.75	20.00
4	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1100.00	1199.35	1380.00
5	प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कार्यक्रम	10.00	10.00	20.00
6.	सर्व शिक्षा अभियान - बाह्य सहायता प्राप्त संघटक			30.00
ख.	उप-योग (ईएपी)	1210.00	1277.10	1550.00
	योग प्रारंभिक शिक्षा	3800.00	3569.16	4667.00

5.3 माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करती है और 14-18 आयु वर्ग के युवाओं को उच्चता शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करती हैं ।

2. माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर (आयु वर्ग 14-18) पर एनएसएसओ द्वारा 1996-97 में यथापरिलक्षित बच्चों की संख्या अनुमानतः 9.66 करोड़ रुपए है । तथापि, नामांकन आंकड़ों से यह पता चलता है कि केवल 2.70 करोड़ बच्चे माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि दो-तिहाई पात्र बच्चे माध्यमिक स्कूल प्रणाली से बाहर बने हुए हैं । भारत में माध्यमिक स्कूलों की संख्या, जोकि 1950-51 में 7.4 हजार थी, बढ़कर 1999-2000 में 116.8 हजार हो गई । तथापि, यह संख्या स्कूल न जा सकने वाले बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूल से पास होने वाले बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को दाखिल करने के लिए काफी नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त हाल की पहलकदमियों का प्रभाव यह हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए संवर्धित मांग पैदा हुई है ।

3. हालांकि स्थापित किए गए स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी माध्यमिक स्कूलों का विस्तार विषमतापूर्ण रहा है । भौगोलिक कारणों से, ग्रामीण-शहरी विभाजन तथा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विभेदपूर्ण सामाजिक-आर्थिक स्तर के कारण विषमता रही है ।

4. माध्यमिक स्तर पर नामांकन, जोकि 1950-51 में 1.5 मिलियन था, वह बढ़कर 28 मिलियन (1999) हो गया है । इसमें से 62.2 प्रतिशत लड़के और 37.8 प्रतिशत लड़कियां हैं । माध्यमिक शिक्षा में लड़के-लड़कियों के बीच व्यापक अंतर है; सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा पर अधिक दबाव दिए जाने से इस लैंगिक अंतर में कमी आने की संभावना है ।

5. माध्यमिक अध्यापकों की संख्या, जोकि 1950-51 में 1.27 लाख थी, वह बढ़कर 1999-2000 में 17.2 लाख तक पहुंच गई है । इसी प्रकार, अध्यापक-छात्र अनुपात जो कि 1950-51 में 1 : 21 था, वह बढ़कर 1999-2000 में 1 : 33 हो गया है । उसी वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों को छोड़कर, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में अधिकांश अध्यापक (90 प्रतिशत अथवा इससे अधिक) प्रशिक्षण प्राप्त थे ।

6. नौवीं योजना में इन बातों पर बल रहा है: विषमताओं को कम करना, व्यासायीकरण और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर बल देते हुए पाठ्यचर्या का नवीकरण, मुक्त अधिगम पद्धति का विस्तार और वैविध्यकरण, अध्यापक प्रशिक्षण का पुनर्गठन तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अपेक्षताया अधिक प्रयोग । छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं, विकलांगों के लिए समाकलित शिक्षा, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि जैसे कुछेक माध्यमिक शिक्षा के ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया गया।

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

7. उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और साथ ही संस्थानगत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया। वार्षिक योजना 2001-2002 में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 643.70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जबकि इस संबंध में 615.39 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है।

8. आलोच्य वर्ष के दौरान प्राथमिक शिक्षा के अधीन विभिन्न स्कीमें और संस्थानगत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया। संप्रति, माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय हस्तक्षेप दो स्तरों पर है। एक तो शीर्षस्थ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का निर्माण और स्थापना और दूसरा केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से। वर्ष 2001-2002 में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक के लिए 643.70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।

9. आलोच्य वर्ष के दौरान छात्रावास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों, विकलांगों की एकीकृत/समावेशी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके शिक्षा में लड़कियों की सहभागिता को बढ़ाने पर बल देते हुए सुलभता और समानता से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान देने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया है।

10. 2001-2002 में माध्यमिक शिक्षा में निम्न प्रमुख केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा था:-

- (क) लड़कियों के बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं के सुदृढीकरण की स्कीमों का उद्देश्य स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि लाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन छात्रावासों को चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता (2001-2002 में) संशोधित की।
- (ख) पर्यावरणात्मक दिशा-अनुकूल स्कीम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को पर्यावरणात्मक शिक्षा पर ऐसी पाठ्य-पुस्तकें और नवाचारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें पाठ्यचर्या का अंग बनाया जा सकता है।
- (ग) नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन से स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) योजना का संशोधन किया। अब प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र स्कूलों में आईटी शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा योजना कार्यक्रम तैयार करेगा।
- (घ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जो कि उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग के अधीन श्रव्य/दृश्य माध्यम का प्रयोग करती है, गुणवत्तात्मक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूलों को रेडिया और रंगीन टीवी प्रदान करती है।
- (ङ) स्कूलों में योग शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों को अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा आधारिक जानकारी के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- (घ) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चल रही है, जिसके अधीन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विज्ञान किट प्रदान करने, विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने और विज्ञान के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, इस स्कीम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड में स्कूल स्तर पर भारतीय छात्रों की सहभागिता का वित्तपोषण भी किया जाता है।
- (छ) स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा के संस्थायन के उद्देश्य से जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि (यूएनएफपीए) की सहायता से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना चलाई जा रही है।
- (ज) स्कूलों में संस्कृति और मूल्यों के सुदृढीकरण के लिए इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को कला और संस्कृति के प्रसार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- (झ) आलोच्य वर्ष के दौरान 'विकलांग बच्चों के लिए समाकलित शिक्षा' नामक केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक सहायक सामग्री और उपकरण जैसे घटकों के लिए तथा विशेष अध्यापकों के वेतन के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

11. आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय संस्थानों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- स्कूलों शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को दृष्टिगत रखते हुए एनसीईआरटी ने विभिन्न स्कूली विषयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने का काम जारी रखा।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के शैक्षणिक क्रियाकलापों की मात्रा और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन क्रियाकलापों का बल इन बातों पर रहा है; पाठ्यचर्या विकास, शिक्षा शास्त्रीय सहयोग, अध्यापक अधिकारिता, पूरक पाठ्यपुस्तकीय सामग्री की प्रगति तथा विकास। सीबीएसई ने गणित में प्रतिभा और उत्कृष्टता की खोज करने के लिए सामूहिक गणित ओलम्पियाड परीक्षा का आयोजन किया।
- दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जिसका वार्षिक नामांकन लगभग 2 लाख है और जो कि विशालतम मुक्त स्कूली प्रणाली है, ने अपने 10 क्षेत्रीय केन्द्रों और 1700 प्रत्यायित संस्थानों के माध्यम से काम करना जारी रखा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने नव-साक्षरों और शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए एक वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम (आबीई) शुरू करने की पहल की है। ओबीई कार्यक्रम के अधीन कक्षा-VIII स्तर के लिए पिछले वर्ष 5 केन्द्रों में इच्छानुसार परीक्षा प्रणाली को कार्यरूप दिया गया।
- केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, देश में तिब्बती बच्चों के लिए 70 स्कूल चला रहा है और ये स्कूल विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों के साथ सम्बद्ध हैं।
- केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय - दोनों ने क्रमशः 76 और 100 नए स्कूल खोलने और मौजूदा स्कूलों को अपेक्षित आधारिक तंत्र, भवन, प्रयोगशालाएं आदि प्रदान करके सुदृढ बनाने का निर्णय लिया है।

वार्षिक योजना 2002-2003

12. चालू वित्तीय योजना दसवीं योजना का पहला वर्ष है। वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए 719 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान है। दसवीं योजना के दौरान मुख्य मुद्दे इस प्रकार होंगे - शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता में सुधार लाने पर अधिक बल, सामान्य स्कूल प्रणाली पर बल देते हुए विषमताओं में कमी लाना, व्यावसायीकरण और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर बल देते हुए पाठ्यचर्या का नवीकरण, मुक्त अधिगम पद्धति का विस्तार और वैविध्यकरण; अध्यापक प्रशिक्षण का पुनर्गठन और नई सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कंप्यूटर का अपेक्षतया अधिक प्रयोग।

13. योजना आयोग द्वारा कार्यान्वयन में अधिक प्रभाविता लाने तथा अधिक बल दिए जाने के निमित्त वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ शून्य-आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया के एक अंग के रूप में केन्द्रीय-प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों को विस्तृत शीर्षों के अधीन समूहबद्ध कर दिया गया है।

सुलभता और समानता

14. प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त हाल में की गई पहलों के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए मांग में वृद्धि हुई है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने दसवीं योजना के लिए सुलभता और समानता नामक एक नई स्कीम का प्रस्ताव किया है और इस स्कीम के अधीन वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस नई केन्द्रीय-प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अधीन अभिकल्पित क्रियाकलाप इस प्रकार हैं - नए स्कूल खोलना, दो पारियों सहित मौजूदा स्कूलों की क्षमता का विस्तार करना, पिछड़े, असेवित तथा अल्प-सेवित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता स्कूलों का स्तरोन्नयन और साथ ही मुक्त स्कूली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार तथा वैविध्यकरण। दसवीं योजना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता बढ़ाने के लिए जिन अनेक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें इसके छत्र के अधीन स्वैच्छिक एजेंसियों की सहभागिता से स्कूलों की स्थापना करना शामिल है। देश में 854 केन्द्रीय विद्यालयों की मौजूदा संख्या में 150 केन्द्रीय विद्यालय (सरकार द्वारा पूर्ण वित्तपोषित) जोड़ने का प्रस्ताव है। दसवीं योजना में देश के बाकी जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने का विचार है। संप्रति, 462 जिलों में उतने ही स्कूल खुले हुए हैं। छठी से 12वीं कक्षाओं तक शिक्षा प्रदान करने वाले ये गति निर्धारक आवासीय स्कूल एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 85 करोड़ रुपए के और नवोदय विद्यालयों के लिए 360 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। एक दूसरा रास्ता यह है कि आर.के. मिशन, दि जेसूट्स, डीएवी तथा अन्य विख्यात सोसायटियों, न्यासों के लिए एकबारगी अनुदान/प्रारंभिक निधि उपलब्ध कराई जाए। इन दोनों विकल्पों के योग के फलस्वरूप पिछड़े, असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों में और अधिक संख्या में माध्यमिक स्कूल खुल सकेंगे।

15. लड़कियों के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढीकरण की मौजूदा स्कीम, जिसके अधीन वर्ष 2001-2002 में सहायता की राशि बढ़ा दी गई है, उसे अब उपर्युक्त 'सुलभता और समानता' नामक नई सीएसएस का अंग बना दिया जाएगा। लड़कियों के छात्रावास के सुदृढीकरण से नामांकन में वृद्धि करने और इस प्रकार लैंगिक अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी।

स्कूलों में गुणवत्तात्मक सुधार

16. स्कूलों में गुणवत्तात्मक सुधार नामक एक नई स्कीम में ये केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीमों में शामिल होंगी; अर्थात् विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रोत्साहन, स्कूली शिक्षा का पर्यावरणात्मक दिशा-अनुकूलन, योग को प्रोत्साहन और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों, जनसंख्या शिक्षा परियोजना; अंतर्राष्ट्रीय गणित/विज्ञान ओलम्पियाड। वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यों को स्कूलों के लिए विज्ञान किट और विज्ञान पुस्तकें खरीदने तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरान्वयन और विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की गई थी। माध्यमिक स्कूल के छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड में भाग लिया। पर्यावरणात्मक दिशा-अनुकूलन के लिए राज्य सरकारों और स्वयंसेवी एजेंसियों को स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों के स्थानीय पर्यावरणात्मक स्थितियों के साथ समाकलन को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित प्रायोगिक और नवाचारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को योग अध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी खर्च के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यूएनएफपीए की सहायता से स्कूलों में एक जनसंख्या शिक्षा परियोजना आयोजित की जाती है, जिसे एनसीईआरटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करेगी और 'स्कूलों में गुणवत्तात्मक सुधार' के लिए आधारिक तंत्र और अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराएंगी। 'स्कूलों में गुणवत्तात्मक सुधार' नामक समाविष्ट स्कीम के लिए वार्षिक योजना के अधीन 26 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आईसीटी)

17. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) में पुनर्गठित केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ईटी) शामिल होगी। आईटी और कंप्यूटरीकरण की मौजूदा मांग को देखते हुए दसवीं योजना में इस स्कीम पर प्रमुख बल दिया जाएगा, जोकि छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी से परिचित कराती है। राज्य सरकारों कंप्यूटर शिक्षा योजनाएं (सीईपी) तैयार करेगी। 'स्कूलों में आईसीटी' नामक समाविष्ट स्कीम के घटकों में ये शामिल होंगी - (क) सीईपी के लिए वित्तपोषणीय सहायता (ख) एसआईईटी के स्टाफ का सुदृढीकरण और पुनः दिशा-अनुकूलन (ग) आवश्यकता निर्धारण और गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से एसआईईटी के वीडियो और आडियो कैसेटों का डिजिटलीकरण (घ) एसआईईटी द्वारा प्रबंधित वेब/इंटरनेट-आधारित शिक्षा तथा (ङ) आवश्यकता के निर्धारण के बाद दृश्य और श्रव्य कैसेटों का उत्पादन। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान आईसीटी स्कीम के लिए 111 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है।

विकलांग बच्चों के लिए समाकलित शिक्षा (आईईडीसी)

18. विकलांग बच्चों के लिए समाकलित शिक्षा (आईईडीसी) 25 राज्यों ओर 4 संघ शासित क्षेत्रों में 41,600 से अधिक स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही है और इससे 1,33,000 से अधिक विकलांग बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को विकलांग बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, परिवहन भत्ता, मार्गरक्षण भत्ता आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग बच्चों की समस्याओं के प्रति और अधिक संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए स्कीम को एक स्वतंत्र स्कीम के रूप में बनाए रखा जाएगा। वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन उपर्युक्त स्कीम के लिए 35 करोड़ रुपए का परिष्यय आवंटित किया गया है।

19. माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अलावा, एनसीईआरटी तथा एनओएस मुख्य शीर्षस्थ स्तर के संस्थान हैं। एनसीईआरटी ने चालू वर्ष 2002-2003 में सातवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू किया है। चालू वर्ष के दौरान जू, ऊ और ऊर्धी कक्षाओं के लिए सभी विषय क्षेत्रों में संशोधित पाठ्यक्रमों पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है।

माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा

20. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण 1988 से कार्यान्वित की जा रही एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसे औपचारिक क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा और अनौपचारिक क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य वैयक्तिक नियोज्यता को बढ़ाना, कुशल जन शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल की स्थिति को कम करना और बिना रुचि अथवा प्रयोजन के उच्चतर शिक्षा के लिए जाने वालों के निमित्त एक विकल्प प्रस्तुत करना है। यह स्कीम 10+2 स्कीम में +2 स्तर पर सारे देश में फैले हुए लगभग 6728 स्कूलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। छः प्रमुख विषय क्षेत्रों में 150 से अधिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। छः प्रमुख विषय क्षेत्र हैं - कृषि, कारोबार और वाणिज्य, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अर्द्ध-चिकित्सीय, गृह विज्ञान और मानविकी।

21. संशोधित शिक्षा नीति में 25 प्रतिशत उच्च माध्यमिक छात्रों को वर्ष 2000 तक व्यावसायिक धारा का अंग बनाने के लक्ष्य के संदर्भ में संप्रति, केवल 10 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक धारा के लिए विकल्प चुनते रहे हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम का संभारतंत्रीय और शैक्षणिक बाधाओं के कारण पणधारियों में अधिक प्रचलन नहीं हुआ है और इसके समाधान के लिए इन पाठ्यक्रमों का युक्तियुक्त बनाया जाना तथा उद्योग-संस्थान के बीच सशक्त तालमेल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

22. इस स्कीम का कई बार मूल्यांकन किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न को शामिल करके स्कीम का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है- स्कूलों में क्षमता- आधारित नमनशील और माऊलर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल करके; बहु-बिंदु प्रवेश/पाठ्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय के

पाठ्यक्रमों के बीच तालमेल; समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षरों के माध्यम से उद्योगों के बीच तालमेल; पाठ्यक्रमों को तैयार करना/सतत रूप से अद्यतन बनाना, पाठ्यचर्या का विकास, संकाय/ छात्रों का प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रमों का प्रमाणन; अनिवार्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण सुविधा; व्यावसायिक शिक्षा पास करने वालों का प्रशिक्षुता के लिए स्थानन; स्कूलों में कोई भी नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले मांग विश्लेषण और जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए स्थानीय कारोबार और उद्योग का निकट सहयोग; केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय स्कूलों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनिवार्य सुविधाएं। दसवीं योजना में स्कीम का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है जिससे कि विकलांग व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार किया जाए और उनकी आवश्यकताओं की तरफ उपयुक्त ध्यान दिया जाए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार और शुरू करते समय उनका समाकलन किया जाए; प्रयोक्ता निकायों और व्यावसायिक संघों के सहयोग से परीक्षण और प्रमाणन प्रणालियां निर्मित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता; तथा स्कूली प्रणाली को तकनीकी सहयोग प्रदान करने और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए एआईसीटीई के व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड को पुनः सक्रिय बनाना।

23. कक्षा VIII पास करने वालों की ओर, जिनकी संख्या यूईई ओर एसएसए पहलों की सफलता के साथ अत्यधिक बढ़ जाने की संभावना है, तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एसएसए, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा स्कीमों जैसे स्कीमों के अभिसरण पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं के इष्टतम प्रयोग के लिए पालिटेक्निक और सामुदायिक कॉलेज तथा नौकरियों में स्थानन के लिए और अधिक लक्षित दृष्टिकोण होना चाहिए।

24. माध्यम स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन 50 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है।

5.4 उच्चतर और तकनीकी शिक्षा

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों के अलावा 193 विश्वविद्यालय, 47 सम विश्वविद्यालय और 1500 महिला कॉलेजों सहित लगभग 12,342 कॉलेज हैं।

2. विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुलभता और समानता के मुद्दे केन्द्रीय महत्व के हैं। विश्वविद्यालय प्रणाली 18-24 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में से केवल 5.75 प्रतिशत लोगों को शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता प्रदान करती है। (वर्ष 1990-2000 के बारे में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 18-24 आयु वर्ग की कुल 1345 लाख अनुमानित जनसंख्या में से 77.33 लाख कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिल थे)। हमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली में छात्रों के दाखिले में वृद्धि लानी है। साथ ही, सुविधावंचित वर्गों के दाखिले और क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी लानी है। अनुमानों के अनुसार कुल 11594 कालेजों में से मात्र 4683 ग्रामीण कालेज हैं।

3. नीची योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 की इसकी कार्य योजना में दिए गए लक्ष्यों/नीतिगत निर्देशों पर बल दिया गया। मोटे तौर पर नीची योजना में उच्चतर शिक्षा की सुलभता में सुधार लाने की दिशा में प्रयासों पर बल दिया गया और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा उच्च शिक्षा प्रणाली के संस्थानों की प्रभाविता में सुधार लाने के लिए कार्यनीतियां अपनाई गईं।

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

4. वर्ष 2001-2002 में विश्वविद्यालय तथा उच्चतर क्षेत्र के लिए 575.00 करोड़ रुपए के परिचय की व्यवस्था की गई, जिसमें से 544.33 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

5. केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक समन्वयकारी निकाय की भूमिका निभाता रहा। संप्रति, 17 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 116 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें यूजीसी द्वारा विकास और अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होते हैं।

6. आलोच्य वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 51 शैक्षणिक स्टाफ कॉलेजों (एएससी) ने दिशा-अनुकूलन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन करके अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के संवर्धन की दिशा में प्रयास किए। एएससी, विश्वविद्यालयों और संस्थानों को 216 दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम और 793 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आवंटित किए गए।

7. उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5 विश्वविद्यालयों को अभिज्ञात किया है और उन्हें पिछले वर्ष उत्कृष्ट क्षमताओं वाले विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया है। ये विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं: मद्रास विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय तथा जाधवपुर विश्वविद्यालय।

उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करते हुए यूजीसी ने स्वायत्त कालेजों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की। आलोच्य वर्ष के दौरान आठ संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया।

8. सीओएसआईपी तथा सीओएचएसएसआईपी के विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के अधीन यूजीसी ने ऐसे चुनिंदा विश्वविद्यालयों के, जिनमें उन्नत शैक्षणिक कार्य क्षमताएं विद्यमान हैं, मानविकी, बुनियादी विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के विभागों का सुदृढीकरण किया। अनुसंधान को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के रूप में यूजीसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय विशिष्ट विषय क्षेत्रों में व्यापक और गहन अध्ययन करने के निमित्त विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करते रहे हैं।

दूरस्थ शिक्षा और इग्नू

9. संप्रति, 9 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू को छोड़कर) तथा परंपरागत विश्वविद्यालयों में 64 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान हैं, जो कि दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते हैं। तथापि, विश्वविद्यालयों

और कॉलेजों में दाखिल कुल 77.33 लाख छात्रों में से केवल लगभग 10.09 लाख छात्र दूरस्थ विश्वविद्यालयों और कालेजों में दाखिल हैं। इग्नू ने धीरे-धीरे अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है। इग्नू ने जनवरी, 2000 में, ज्ञान दर्शन नामक एक 24-घंटे चलने वाले शैक्षिक टीवी चैनल के पारिष्कार की शुरुआत की। साथ ही, इग्नू ने पड़ोसी खाड़ी देशों में और उनके अलावा, मालदीव, मारीशस, सेशेल्स, नेपाल श्रीलंका और वियतनाम में भी अपने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

10. वर्ष 2001 में सरकार ने विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थानों के प्रचालनों को नियमित करने तथा व्यापक राष्ट्रीय हितों और भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए विदेशों में भारतीय शिक्षा की प्रोन्नति संबंधी समिति (सीओपीआईईई) की स्थापना की।

11. विश्वविद्यालय प्रणाली से इतर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जैसे कि आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर आदि ने सम-सामयिक, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान कार्य जारी रखा।

वार्षिक योजना 2002-2003

12. वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन, जो कि दसवीं योजना का पहला वर्ष है, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए 615 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। दसवीं योजना का प्रमुख मुद्दा यह है कि उच्चतर शिक्षा में (18-23) के आयु वर्ग की जनसंख्या के दाखिले का स्तर, जो कि संप्रति 6 प्रतिशत है, उसे बढ़ाकर दसवीं योजना अवधि के अंत तक 10 प्रतिशत कर दिया जाए। इस संबंध में जिन बातों पर बल दिया जाएगा और जो कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी, वे इस प्रकार हैं- सुविधाओं; गुणवत्ता में सुधार लाना; राज्य विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाना; उच्चतर शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण; पाठ्यचर्या, व्यावसायिकरण, नेटवर्क निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रासंगिकता; दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर-औपचारिक, दूरस्थ तथा आईटी शिक्षा संस्थानों का अभिसरण; कालेज स्थापित करने और चलाने आदि में निजी क्षेत्र की संवर्धित सहभागिता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

13. ऊपर उल्लिखित 615.00 करोड़ रुपए के समग्र आवंटन में से वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 516.75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। उच्चतर शिक्षा सुलभता बढ़ाने की दिशा में यूजीसी अपने पहले से चले आ रहे प्रयासों को जारी रखेगा और महिलाओं के दाखिले को बढ़ावा देगा। इस संबंध में महिलाओं के अध्ययन के लिए अध्ययन केन्द्रों/सेलों की स्थापना तथा विश्वविद्यालय और कालेज कार्मिकों के बच्चों के लिए दिया देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था करने पर बल दिया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग विश्वविद्यालयों में स्थापित एससी/एसटी सेलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। संप्रति,

107 सैल काम कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान लैन/वीन/इनफ्लिबनेट के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कालेजों तथा परिसरों के भीतर नेटवर्क निर्माण की दिशा में पहले से चल रहे प्रयासों का सुदृढीकरण किया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों में कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने के निमित्त कंप्यूटर विभागों को दी जा रही सहायता में वृद्धि की जाएगी तथा अधिकाधिक कालेजों को इस तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। उत्कृष्टता की खोज में जिन चुनिन्दा विश्वविद्यालयों के भीतर क्षमता विद्यमान है, उनके विज्ञान और मानविकी विभागों का अनुदानों के जरिए सुदृढीकरण किया जाएगा। चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावों की यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाती है और उन्हें अनुमोदन के लिए एआईसीटीई को भेजा जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

14. 46 क्षेत्रीय केन्द्रों और 691 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से इग्नू दूरस्थ शिक्षा के अपने प्रयासों का विस्तार जारी रखेगा ताकि उच्चतर शिक्षा सुलभता बढ़ाई जा सके। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर इग्नू कार्यक्रम की प्रस्तुति बढ़ाकर 24 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है। इग्नू पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां वह अध्यापक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अपने प्रयासों को जारी रखेगा। अपनी मल्टी-मीडिया कार्यनीति के माध्यम से, जिसे देशभर में मौजूद इसके अध्ययन केन्द्रों में परामर्शी सत्रों की सहायता प्राप्त है और टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकाधिक छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। 2001 के अंत में, इग्नू में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 3,04,681 थी। चालू वर्ष के दौरान इग्नू के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा जिससे कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में और अधिक नमनशीलता लाई जा सके। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान इग्नू के लिए 67 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

15. भारत में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, वास्तु शास्त्र, नगर आयोजना और फार्मसी में पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का संचालन करती है। इस क्षेत्र ने देश की आर्थिक और प्रौद्योगिकीय उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में जिसने तकनीकी प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन किया था, अनेक पहले की गई हैं। नौवीं योजना में चार ध्यातव्य क्षेत्रों पर बल दिया गया था, जो इस प्रकार थे:- (क) आधुनिक सुविधाओं को बनाए रखना और उनका समेकन करना तथा इस तरह के आधुनिक तंत्र के कार्यक्षेत्र का और अधिक विस्तार करना (ख) सभी स्तरों पर प्रबंध और शासन की प्रणालियों का सुदृढीकरण करना, संस्थानों के बीच नेटवर्क निर्माण और प्रभावी तालमेल विकसित करना (ग) ऐसी नई और नवधारी स्कीमें शुरू करना जो कि प्रणाली की प्रभाविता का संवर्धन करेंगी और नई प्रौद्योगिकी के अर्थ में औद्योगिक उन्नति की उभरती मांगों के अनुरूप बनाने में इसकी सहायता करेंगी तथा (घ) तकनीकी संस्थानों के बीच अनुसंधान के आधार का विस्तार करेंगी।

2001-2002 की समीक्षा

17. वर्ष 2001-2002 में तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए 575.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया था, जिसमें से 552.08 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई ।

18. आलोच्य वर्ष के दौरान मुख्यतः निजी पहलें जुटाकर और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुमोदन से देश में बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालेज तथा अन्य तकनीकी संस्थान खोले गए हैं । पहले की तरह, राष्ट्रीय महत्व/उत्कृष्टता के संस्थानों ने, जैसे कि आईआईएम, आईआईएससी, बंगलौर तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों ने, जैसे कि आईएसएम, एसपीए, एनआईएफएफटी, एनटीटीआईई, आईआईआईटीएम, टीटीटीआई, एनईआरआईएसटी, एसएलआईईटी आदि ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए अनुदेशात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया । रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी, रुड़की के रूप में घोषित किया गया है । कुछ आरईसी को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है।

19. सामुदायिक पालिटेक्निकों की स्कीम ने तकनीकी शिक्षा और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में तकनीकी-आर्थिक उन्नतियों को ग्रामीण जनता में अन्तर्गत करके महत्वपूर्ण योग देना जारी रखा । पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू तथा कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पालिटेक्निक पास करने वाले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त तीसरी तकनीशियन शिक्षा परियोजना जारी रखी गई ।

20. केन्द्रीय तकनीकी संस्थान बहुत बड़ी संख्या में अपनी आधारिक सुविधाओं (प्रयोगशालाओं सहित) का स्तरोन्नयन करके और एआईसीटीई की एमओडीआरओबी स्कीम के अधीन अपने अनुसंधान तथा विकास आधार का विकास करके लाभान्वित हुए ।

वार्षिक योजना 2002-2003

21. वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए 650 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है । इस परिव्यय में से अधिकांश राशि अर्थात् 140 करोड़ रुपए आईआईटी के लिए आवंटित किए गए हैं । जहां तक आईआईएम का संबंध है, वे वर्ष 2002-2003 में 25 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित मुख्यतः स्वयत्तपोषी संस्थान बन गए हैं ।

- 100 करोड़ रुपए के आवंटन सहित एआईसीटीई देश में तकनीकी शिक्षा के स्तरोन्नयन और विनियमन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी । राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (एनटीएमआईएस) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए फार्मसी, खानपान प्रौद्योगिकी आदि जैसे नए क्षेत्रों को इसका अंग बनाया जाएगा ।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट जनशक्ति की उभरती मांग को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपए का परिव्यय

आवंटित किया गया। स्नातकोत्तर शिक्षा की समूची प्रणाली का कार्याकल्प करने के लिए मंत्रालय ने रामाराव समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन्हें शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- नए और उभर रहे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपए का परियोजना आवंटित किया गया है। इसमें भूकंप इंजीनियरी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल है।
- आईआईटी, आरईसी, अन्य इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों में उपकरण उपलब्ध कराकर, सूचना और अध्यापन-अधिगम सामग्री के आन-लाइन आदान-प्रदान के लिए नए पाठ्यक्रमों और नेटवर्क निर्माण के निमित्त निधियों के बल पर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के स्तरोन्नयन के लिए इस वर्ष विश्व बैंक सहायता से तकनीकी शिक्षा गुणवत्तात्मक सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। वार्षिक योजना 2002-2003 में इस कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए का परियोजना आवंटित किया गया है।

भाषाओं की उन्नति

22. नौवीं योजना अवधि के दौरान संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं को अनेक केन्द्रीय पहलों के माध्यम से प्रोन्नत और विकसित किया गया।

2001-2002 की समीक्षा

23. भाषाओं की स्कीमों के लिए 2001-2002 में 104.30 करोड़ रुपए का परियोजना आवंटित किया गया।

24. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा के अध्यापन और हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण की अद्यतन प्रविधियां विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे। आलोच्य वर्ष के दौरान गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्कीम का कार्यान्वयन जारी रहा। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने द्विभाषी, त्रिभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोश निर्मित करने का अपना कार्य जारी रखा। उपर्युक्त के अलावा, हिन्दी-फारसी, हिन्दी इंडोनेशियाई, हिन्दी-सिंहली शब्दकोशों का प्रकाशन किया जा रहा है। निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए 335 लाख से अधिक व्यक्तियों का नामांकन किया गया है।

25. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, भाषा शिक्षाशास्त्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करके आधुनिक भारतीय भाषाओं में अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता रहा है। अंग्रेजी के अध्यापन और अधिगम के स्तरों में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों तथा अंग्रेजी भाषा अध्यापन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

26. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने देश में 8 विद्यापीठों और 21 महाविद्यालयों में विभिन्न स्तर के 13 पाठ्यक्रम आयोजित किए। अप्रैल, 2001 में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत के विद्वानों को आमंत्रित किया गया।

वार्षिक योजना 2002-2003

27. भाषाओं की स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन 114 करोड़ रुपए का परियोजना आवंटित किया गया है। शून्य आधारित बजट निर्माण संबंधी कोर समिति की सिफारिश के अनुसरण में भाषा संस्थानों से संबंधित कई स्कीमों में एक साथ मिला दी गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन 31.50 करोड़ रुपए के परियोजना सहित निम्न कार्यक्रमों, अर्थात् (क) उर्दू अध्यापकों की भर्ती (ख) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण तथा (ग) शैक्षिक अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम को 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अभियान' नामक एक कार्यक्रम में मिला दिया है।

पुस्तक प्रोन्नति और कापीराइट

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

28. जनसाधारण में, विशेष रूप से बच्चों और युवकों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001-2002 को पुस्तक वर्ष के रूप में घोषित किया। पुस्तक वर्ष की शुरुआत 23 अप्रैल, 2001 से हुई और उसका समापन 23 अप्रैल, 2002 को हुआ, जिसे विश्व पुस्तक और कापीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पुस्तक वर्ष संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) एक नोडल एजेंसी है। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों, संसद सदस्यों और शैक्षिक संस्थानों आदि को पुस्तक वर्ष का संदेश प्रसारित करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम/क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सम्बोधित किया गया। पुस्तक वर्ष के संबंध में डाक विभाग ने एक विशेष डाक टिकट निकाला।

29. विभाग के पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलाप अधिकांशतः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) द्वारा क्रियान्वित किए गए। न्यास ने लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने और उत्पन्न करने के लिए अनेक पुस्तक मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन किया। एनबीटी ने जनवरी, 2001-फरवरी, 2002 के माह के दौरान नई दिल्ली में 15वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया।

30. वर्ष के दौरान, सरकार ने देश में कापीराइट कानून के प्रवर्तन का सुदृढीकरण करने के लिए सक्रिय उपाय किए। कापीराइट कार्यालय ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1475 कृतियों का पंजीकरण किया। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विभिन्न संगोष्ठियों और विचार गोष्ठियों की मेजबानी करके बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) में भाग लिया।

वार्षिक योजना 2002-2003

31. पुस्तक प्रोन्नयन और कापीराइट क्रियाकलापों के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन 12 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए 6.70 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। एनबीटी के माध्यम से विभाग पुस्तक प्रोन्नयक क्रियाकलापों के लिए अनेक स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करेगा। आलोच्य वर्ष के दौरान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग (आईएसबीएन) प्रणाली के लिए राष्ट्रीय एजेंसी भारतीय प्रकाशकों को आईएसबीएन का आवंटन करना जारी रखेगी। आईएसबीएन एक 10 अंकों की संख्या है जो कि दीर्घ ग्रंथसूची विवरणात्मक रिकार्डों का स्थान लेगी। आज के पुस्तक व्यापार में यह एक अनिवार्य साधन है।

छात्रवृत्तियां

32. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, क्रमशः 5 करोड़ रुपए तथा 3 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित वर्ष 2002-2003 में जारी रखी जाएंगी। छात्रवृत्तियों की संख्या और दरों में उच्चतर वृद्धि की गई है। ये स्कीमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

आयोजना और प्रशासन

33. वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन 7 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। इस क्षेत्र में मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं जिनके अधीन यूनेस्को, नीपा तथा आरोविल्ले प्रबंध को अनुदान दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर सांख्यिकीय तंत्र के सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान एक करोड़ रुपए के परिव्यय सहित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

34. माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (केन्द्रीय क्षेत्रक) की स्कीमों के संबंध में वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के परिव्यय/व्यय संलग्नक 5.4.1 में दिए गए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कीमों का परिव्यय/व्यय - केन्द्रीय क्षेत्रक

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	नीवी योजना (1997-2002) अनुमोदित परिव्यय	2000-2001 वास्तविक व्यय	2001-2002		2002-03 अनुमोदित परिव्यय
				अनुमोदित परिव्यय	31-3-2002 को यथा प्रमाणित निधियां*	
1	2	3	4	5	6	7
क1	प्रारंभिक शिक्षा	16369.59	3117.39	3800.00	3569.16	4667.00
2	प्रौढ़ शिक्षा	630.39	108.16	200.00	174.00	233.00
	जोड़ (क) - प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	16999.98	322.55	4000.00	3743.16	4900.00
ख1	माध्यमिक शिक्षा	2603.49	554.08	643.70	615.39	719.00
2	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	2500.00	497.55	575.00	544.73	615.00
3	भाषा विकास	324.45	73.00	104.30	86.75	114.00
4	छात्रवृत्तियां	25.32	0.65	3.00	0.05	8.00
5	पुस्तक प्रोन्नयन	16.25	3.51	12.00	13.74	12.00
6	आयोजना तथा प्रशासन	65.38	6.44	7.00	4.18	7.00
7	तकनीकी शिक्षा	2373.51	494.00	575.00	552.08	650.00
	जोड़ (ख) - माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग	7908.40	1629.23	1920.00	1816.92	2125.00
	कुल जोड़ (क+ख)	24908.38	4854.78	5920.00	5560.08	7025.00

5.5 युवा मामले और खेलकूद

युवा मामले

भारत की जनसंख्या में युवकों का अनुपात एक-तिहाई बैठता है, जो कि एक महत्वपूर्ण और क्रियाशील मानवीय संसाधन है। योजना आयोग ने युवकों की ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में प्रवृत्त करने और उनके भीतर एक महान और राष्ट्रीय मूल्य जागृत करने के उद्देश्य से युवा मामले और खेलकूद विभाग में अनेक कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों में युवकों को राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों में सहयोजित करने के अलावा उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से चुनावों में अपेक्षित आवश्यक जीवन कौशलों की प्रोन्नति और स्तरोन्नयन पर बल दिया गया है।

नौवीं योजना (1997-2002) तथा वार्षिक योजना (2001-2002) की समीक्षा

2. नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा 826.08 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जिसमें से योजना अवधि के दौरान 679.02 करोड़ रुपए (प्रत्याशित) खर्च किए गए। वर्ष 2001-2002 के लिए 225 करोड़ रुपए के आवंटन में से विभाग ने 171.81 करोड़ रुपए की राशि खर्च की।

3. वर्ष 2001-2002 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने, जिसके सारे देश में 500 नेहरू युवा केन्द्र काम कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों का आयोजन किया: ग्रामीण युवकों के व्यावसायिक कौशल को अद्यतन बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए 2632 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जिससे कि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें, स्थानीय और सामाजिक महत्व की तात्कालिक समस्याओं और मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए पांच-पांच दिन के 837 जागरूकता सृजन कार्यक्रम, परियोजना की योजना बनाने और प्रबंध में अनुभव उपलब्ध कराने तथा युवा क्लब सदस्यों के संगठनात्मक कौशलों में सुधार लाने के लिए 471 कार्य शिविर। पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और मार्गदर्शन के लिए एनवाईकेएस में प्रत्येक 10-15 नेहरू युवा केन्द्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें लगभग 5000 प्रशिक्षित एनएसवी का नेटवर्क मौजूद है। इसमें 200,000 ग्राम स्तरीय युवा क्लबों के माध्यम से 6.4 मिलियन ग्रामीण युवा स्वयंसेवक भी शामिल हैं। अपने नियमित कार्यक्रमों के अलावा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन इन बातों के साथ भी सम्बद्ध रहा: राष्ट्रीय युवा यात्राएं, मेगा कार्य शिविर, "आपात प्रबंध में युवकों की भूमिका" विषय पर कार्यशाला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तम्बाकू छोड़ना क्रियाकलाप, ग्राम वार्ता, एड्स, सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम आदि। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनवाईकेएस ने युवा 2020 पर परिकल्पना कथन पर दीनदयाल उपाध्याय परिसर, भोपाल में एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह था कि 2020 तक के लिए भारत में युवाओं और युवतियों हेतु एक परिकल्पना पर चर्चा की जाए और सन् 2020 तक जिन प्रमुख लक्ष्यों की पूर्ति की जानी है, उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाए।

4. एनवाईकेएस एक मार्गदर्शी परियोजना, अर्थात् राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर को (एनआरसी) भी कार्यान्वित कर रहा है। एनआरसी का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि युवकों को समुदाय के लिए और उसके साथ मिलकर काम करने, यथार्थ जीवन की समस्या को समझने तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने कौशलों और ज्ञान का प्रयोग करने का एक अवसर प्रदान किया जाए। एनआरसी स्कीम देश के 120 चुनिन्दा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। संबंधित जिले के युवा समन्वयकर्ताओं की सहायता के लिए एक परियोजना अधिकारी और 100 स्वयंसेवक होते हैं। ये स्वयंसेवक ग्रासरूट स्तर पर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों में प्रवृत्त होते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, गैर-परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वन, मानव संसाधन विकास, शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन, जनजातीय मामले मंत्रालय, जिनमें स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जैसी विभिन्न एजेंसियों की स्कीमों में स्वयंसेवकों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं।

दसवीं योजना का ध्यातव्य क्षेत्र और लक्ष्य

5. 10 से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के किशोर युवकों की संख्या 230 मिलियन है, जो कि कुल जनसंख्या का 22.8 प्रतिशत बैठते हैं। जनसंख्या के इस युवा घटक को विशिष्ट हस्तक्षेपनीय कार्यनीतियों के माध्यम से लक्षित करने का विचार है, जोकि युवा वर्ग और शक्ति, लैंगिक न्याय, युवा स्वास्थ्य और उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीने पर केंद्रित होंगी। मुख्य बल राष्ट्रीय आयोजना और विकास की प्रक्रिया में युवकों को शामिल करने तथा उन्हें उपयुक्त शैक्षिक और प्रशिक्षण अवसर प्रदान करके, उद्यमकर्ता मार्गदर्शन और वित्तीय ऋण सहित उनके भीतर नेतृत्व, सहनशीलता और खुला दिमाग तथा राष्ट्रीयता आदि जैसे गुण विकसित करने के लिए उपयुक्त मंच तथा रोजगार अवसरों के संबंध में सूचना सुलभ कराकर उन्हें विकासात्मक कार्यनीति का मुख्य बिंदु बनाने पर रहेगा। युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और विभागों के तालमेल से युवकों के लिए रोजगार के अवसर खोजने और अभिज्ञात करने में एक सक्रिय प्रेरक भूमिका निभाएगा जिससे कि विभिन्न युवा संबंधी स्कीमों में निवेशों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। सरकार और गैर-सरकारी संगठन क्षेत्रों के बीच नेटवर्क निर्माण के लिए प्रयास किए जाएंगे।

कार्य योजना 2002-2003

6. व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रोन्नयन पर बल देते हुए एनवाईके और एनएसएस का व्यापक विस्तार दसवीं योजना में युवा कार्यक्रम की धुरी रहेगा। सभी जिलों को शामिल करने और युवा क्लब अभियान का इस प्रकार सुदृढीकरण करके कि छः लाख गांवों में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों को कवर कर लिया जाए, युवकों के अभिप्रेरण और उन्हें सामर्थ्यवान बनाकर एनवाईकेएस के विस्तार का काम हाथ में लिया जाएगा। देश के 5,000 ब्लॉकों में से प्रत्येक ब्लॉक में एक युवा विकास केन्द्र के अंतिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए युवा विकास केन्द्रों (वाईडीसी) का विस्तार किया जाएगा। इन वाईडीसी को युवकों के लिए सूचना केन्द्रों और अंततः सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केन्द्र बनाया जाना है। और अधिक संख्या में युवा क्लब, जो कि युवा

कार्यकलापों का प्रमुख केन्द्र रहे हैं, स्थापित किए जाएंगे जिससे कि युवकों को उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके ।

7. ग्रामीण युवकों सहित युवकों की सभी श्रेणियों को राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एनसीसी) को, एनएसएस, स्काउट तथा गाइड और (एनआरसी) जैसी विभिन्न योजना स्कीमों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा । राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को जनशक्ति और सामग्री तथा भौतिक उपकरण के अर्थों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उसे सूचना, प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में बदला जा सके ।

8. किशोरों की अत्यंत विशेष और अलग तरह की जरूरतें होती हैं । उनमें निवेश करना अनिवार्य है क्योंकि वे देश का भविष्य हैं । किशोरों से संबंधित सबसे प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं :- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा (औपचारिक तथा गैर-औपचारिक - दोनों प्रकार की शिक्षा), व्यवसाय, मनोरंजन और खेलकूद, बालश्रम, दुष्कर स्थितियों में पड़े बच्चे, अल्कोहल तथा नशीली दवाओं का प्रयोग । सभी बच्चों को इन बातों के संबंध में शिक्षित किया जाना आवश्यक है । सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, यौन संबंध और यौन दायित्व, विवाह और प्रथम गर्भधारण की आयु, परिवार का आकार, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, प्रतिरक्षण, एचआईवी/एड्स निवारण, बच्चों की, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा का महत्व, नशीली दवाओं और अल्कोहल का प्रयोग । उन्हें किंचित कानूनी ज्ञान भी प्रदान किया जाना चाहिए और व्यावसायिक अवसरों और कैरियर आयोजना की जानकारी दी जानी चाहिए । किशोरों के लिए एक विशेष स्कीम दसवीं योजना में शुरू की जाएगी ।

खेलकूद

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

9. 'खेलकूद' मानवीय व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास का एक अविभाज्य अंग है । खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धि हमारे राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाती है । खेलकूद प्रोन्नयन मुख्यतः विभिन्न राष्ट्रीय खेलकूद संघों की जिम्मेदारी है; ये संघ स्वायत्त होते हैं । सरकार की भूमिका आधारीक तंत्र स्थापित करने और खेलकूद को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्षमता निमाण को प्रोत्साहित करने की है । खेलकूद में उत्कृष्टता प्राप्त करने के देश के प्रयासों में मूलभूत बदलाव लाने के लिए सरकार ने आलोच्य अवधि के दौरान एक नई राष्ट्रीय खेलकूद नीति तैयार की है । भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछले कुछ समय में खेलकूद को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है । राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेजों जैसे शीर्षस्थ शैक्षणिक संस्थानों के विलय से एसएआई को एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करने का अवसर मिला । एसएआई के कुल कार्यबल में 3800 लोग शामिल हैं, जिनमें से 1600 कोच हैं । नीची योजना के दौरान 472.61 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया, जिसमें से 558.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई । खेलकूद के

संबंध में दसवीं योजना में 932.36 करोड़ रुपए की राशि और वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए 177.67 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है ।

दसवीं योजना के ध्यातव्य क्षेत्र और लक्ष्य

10. सारे देश के भीतर बुनियादी खेलकूद आधारित तंत्र का एक नेटवर्क निर्मित किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इन सुविधाओं की सुलभता मुहैया कराना है। खिलाड़ियों को विकसित देशों में उपलब्ध कोटि के आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने योग्य बनाया जा सके । प्रशिक्षण कौशलों में सुधार लाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे । खेलकूद संबंधी क्षेत्रों में बुनियादी और साथ ही अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर बल दिया जाएगा । नशीली दवाओं के प्रयोग के उन्मूलन के निमित्त प्रभावी रोक तैयार करके नशीली दवाओं से मुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा । कुछेक लोकप्रिय खेलों को छोड़कर, जिनके लिए निजी प्रायोजक आकर्षित होते हैं, अधिकांश खेलकूद क्रियाकलापों में खिलाड़ियों के लिए कैरियर के कोई अवसर उपलब्ध नहीं होते । अतः खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण और पुरस्कारों के रूप में सुनिश्चित प्रोत्साहनों की आवश्यकता है ।

11. निगमित गृहों को विशिष्ट विषय क्षेत्रों और साथ ही खिलाड़ियों को दीर्घकालीन विकास के लिए अपनाने को कहा जाएगा । एक राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्थापित की गई है जिसमें दाताओं के लिए आयकर में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान है ।

12. स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । देश में खेलकूद की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों और युवा तथा खेलकूद क्लबों को अभिप्रेरित किया जाएगा । प्रमाणित क्षमता, लोकप्रियता और निष्पादन के आधार पर खेलकूद क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और कनिष्ठ तथा उप-कनिष्ठ स्तरों पर और अधिक बल दिया जाएगा । देश में खेलकूद संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जन संचार मीडिया को अभिप्रेरित किया जाएगा। खेलकूद राज्य अकादमी की स्थापना, मनोरंजनात्मक खेलों और जोखिमपूर्ण खेलों को बढ़ावा देने जैसे नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

13. स्कूलों और कालेजों में उपयुक्त खेलकूद आधारिक तंत्र निर्मित किए जाएंगे । जब कभी नई बस्तियां विकसित की जाएं, तब सभी शहरी निकायों को खेल मैदानों के लिए खुले स्थान निर्धारित करने चाहिए । खेल के मैदान को आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों में बदलने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए ।

14. नगरपालिकाओं और नगर निगमों को भी खेलकूद क्रियाकलापों में बहुत बड़ी संख्या में युवकों को सहयोजित करके खेल के मैदानों/स्टेडियम/तथा तरणतालों का अनुरक्षण सुनिश्चित करके खेलकूद विकास में योगदान देना चाहिए और उसके साथ-साथ, अपेक्षित स्तर के खेलकूद

उपकरणों की आपूर्ति भी करनी चाहिए। उन्हें सभी एशियाई खेलों, विशेष रूप से ऐसे खेलों, जोकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हैं, के लिए प्रतियोगिताएं भी अवश्य आयोजित करनी चाहिए।

15. उत्तम स्तर के उपकरणों सहित प्रतिभावान खिलाड़ी उपलब्ध कराने के लिए स्वदेशी खेलकूद उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरणों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने तक उत्तम स्तर के उपकरणों का आयात किए जाने की आवश्यकता होगी। योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में खेल संघों, राज्य सरकारों और साथ ही निजी तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों को पूर्णतः सहयोजित करना होगा। तथापि, यह आवश्यक है कि इस प्रकार की अल्पकालीन योजना में खेलकूद को व्यापक आधार प्रदान करने का एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य शामिल हो जिससे कि सभी के लिए शारीरिक योग्यता प्राप्त हो सके, इसके और प्रतिभा के अभिज्ञान और पहचान तथा उसे पल्लवित करके उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाए।

नई पहलें

किशोर

16. 10 से 19 वर्ष के आयु-वर्ग के किशोर युवकों की संख्या 230 मिलियन है, जो कि जनसंख्या का 22.8 प्रतिशत हिस्सा बैठती है। विशिष्ट हस्तक्षेपणीय कार्यनीतियों के माध्यम से, जोकि युवा और शक्ति, लैंगिक न्याय, युवा स्वास्थ्य और उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन पर बल देंगी, युवा जनसंख्या के इस घटक को लक्षित करने का प्रस्ताव है।

17. मुख्य बल राष्ट्रीय आयोजना और विकास की प्रक्रिया में युवकों को शामिल करने तथा उन्हें उपयुक्त शैक्षिक और प्रशिक्षण अवसर प्रदान करके, उद्यमकर्ता मार्गदर्शन और वित्तीय ऋण सहित रोजगार अवसरों से संबंधित सूचना, नेतृत्व सहनशीलता और खुले दिमाग, देशभक्ति आदि जैसे गुणों के विकास के लिए उपयुक्त मंच सुलभ कराकर उन्हें कार्यनीति का प्रमुख बिंदु बनाने पर रहेगा। मंत्रालय भी युवकों को भारतीय संदर्भ में उनकी महत्ता से अवगत कराकर लैंगिक न्याय को प्रोत्साहित करने में एक सक्रिय पक्षपोषण भूमिका निभाएगा। सरकारी और गैर-सरकारी संगठन क्षेत्रों के बीच नेटवर्क निर्माण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

राज्य खेलकूद अकादमी

18. नई स्कीम का उद्देश्य यह है कि खेलकूद में 10-13 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन किया जाए और उन्हें कुछ समय तक प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। प्रत्येक राज्य में एक राज्य खेलकूद अकादमी स्थापित करने का विचार है।

डोप परीक्षण योजना

19. इस स्कीम का उद्देश्य डोप परीक्षण के निमित्त उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करके, एथलीटों, माता-पिता, प्रशिक्षकों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों तथा खेलकूद शासी निकायों के बीच जागरूकता पैदा करके खेलकूद में नशीली दवाओं के प्रयोग की रोकथाम करना है। इसके अधीन शैक्षिक कार्यक्रमों, प्रत्यायित डोप नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करना और नशीली दवाओं का प्रयोग करने वाले अपराधियों से निबटने का प्रावधान शामिल होगा।

वार्षिक योजना 2002-2003

20. युवा मामले मंत्रालय द्वारा खेलकूद के संबंध में दसवीं योजना के लिए 1825 करोड़ रुपए का परिचय्य और वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए 285.00 करोड़ रुपए के परिचय्य का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए दसवीं योजना में 690.64 करोड़ रुपए का तथा वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए 106.98 करोड़ रुपए का तथा खेल क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना हेतु 1132.36 करोड़ रुपए का और वार्षिक योजना के लिए 177.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, दसवीं योजना के दौरान कार्यालय के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए 2.00 करोड़ रुपए और वार्षिक योजना के लिए 0.35 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

5.6 स्वास्थ्य

लोगों की स्वास्थ्य-स्थिति में सुधार करना देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इस उद्देश्य को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण सेवाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में सुधार करके प्राप्त किया जाना है जिसमें जनसंख्या के अल्पसेवित और अल्प सुविधाप्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले पांच दशकों में, भारत ने सरकारी, स्वैच्छिक तथा निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक देखभाल में व्यापक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और मानव-शक्ति का निर्माण किया है। लोग, रोगों की रोकथाम, शीघ्र निदान और प्रभावी उपचार तथा अनेक प्रकार के रोगों के लिए पुनर्वास और उपलब्ध सेवाओं तक पहुंच के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रौद्योगिकियों के लाभों के प्रति जागरूक हो गए हैं। उन्नति और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में सुधारों, जो अपेक्षाकृत महंगे नहीं हैं और जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है, के परिणामस्वरूप 1950 और 1990 के बीच मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच की सीमा और उपयोग में राज्यों, जिलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी अंतर है। यही तथ्य काफी हद तक विभिन्न राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य लक्षणों में भारी अंतर के लिए उत्तरदायी है।

2. नब्बे के दशक के दौरान मृत्यु दरों में स्थिरता आई, देश दोहरे रोग बोझ के युग में प्रवेश कर गया। एक ओर संक्रामक रोग थे, जिनसे वेक्टरों में कीटनाशकों के प्रतिरोध, कई प्रकार के बैक्टेरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोध और उपचारहीन एचआईवी जैसी नई बीमारियां उभरने के

कारण सामना करना अधिक कठिन हो गया, दूसरी ओर बढ़ती हुई दीर्घ आयु और जीवन शैली में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप असंक्रामक रोगों की व्याप्ति में वृद्धि हुई है। अल्पपोषण तथा सूक्ष्म पोषक कमियाँ और इनसे संबंधित स्वास्थ्य समस्याएँ साथ-साथ चल रही हैं जिनमें मोटापे तथा जीवन शैली से संबंधित असंक्रामक रोगों की व्याप्ति में वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप, पहले युग के विपरीत, निदान और उपचार की प्रौद्योगिकियाँ उतरोत्तर अधिक जटिल होती जा रही हैं और महंगी भी हैं जो किसी व्यक्ति, संस्थान या देश द्वारा प्रायः वहन नहीं की जा सकती। नई स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों की क्षमता और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के संबंध में अधिकाधिक जागरूकता से जो कुछ संभव है और जो कुछ कोई व्यक्ति, संस्थान अथवा देश वहन कर सकता है, उसके बीच का अंतर बढ़ गया है। जैसे-जैसे देश जनसांख्यिकीय और महामारी संक्रमण काल से गुजरता है तो इस बात की संभावना रहती है कि वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को बनाए रखने के लिए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक निवेश करना पड़ेगा। प्रतिरोधक संक्रमणों और असंक्रामक रोगों का समाधान करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी खर्चीली होने के परिणामस्वरूप सुरक्षा लागतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के सामने प्रस्तुत वर्तमान समस्याओं में शामिल हैं :

- सरकारी क्षेत्रक में मानवशक्ति और आधारिक संरचना में लगातार अंतर, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्तर, दूरस्थ ग्रामीण, जनजातीय और शहरी गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की सबसे अधिक जरूरत है।
- आधारिक संरचना का उप-अनुकूलतम स्तर पर कार्य करना; रोगियों के बेहतर उपचार के लिए आगे भेजने की घटिया सेवाएँ।
- सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्र में ऐसे अस्पतालों की भरमार जिनके पास उचित मानवशक्ति, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाएँ तथा औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं।
- कार्यनिष्पादन में भारी अंतरराज्य/अंतरजिला/शहरी-ग्रामीण अंतर जैसाकि स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी सूचक निर्धारित करते हैं; सेवाओं की उपलब्धता तथा उपयोग सबसे अधिक जरूरतमंद राज्यों/जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे घटिया हैं।
- इष्टतम से न्यून अंतरक्षेत्रक समन्वय।
- चल रहे जनसांख्यिकीय, जीवनशैली और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का बढ़ता हुआ दोहरा रोग बोझ।
- प्रौद्योगिकी उन्नतियाँ जो संभावित हस्तक्षेपों के क्षेत्रक को व्यापक बनाती हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और आकांक्षाएँ।
- स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के बारे में लोगों की बढ़ती हुई लागतें, क्या संभव है और कोई व्यक्ति या देश क्या वहन कर सकता है इनके बीच लगातार बढ़ते हुए अंतर।

स्वास्थ्य प्रणाली सुधार

3. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के उप-इष्टतम कार्यकरण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए समुचित निवेश उपलब्ध कराने की समस्याओं के चलते नीची योजना ने निम्न की आवश्यकता पर बल दिया:

- बदलते हुए स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा करना तथा बदलती हुई स्थिति के प्रति सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों और साथ ही इसमें लोगों की प्रतिक्रिया का जायजा लेना;
- स्वास्थ्य प्रणालियों का पुनर्गठन करना जिससे कि वे अधिक प्रभावी और कारगर बन सकें; तथा
- ऐसे स्वास्थ्य प्रणाली सुधार लागू करना जो कि सभी के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्मिकों की निशुल्क सुलभता सुनिश्चित कर सकें और जनता को वहनीय खर्च पर अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के योग्य बना सकें ।

4. प्रस्तावित स्वास्थ्य प्रणाली सुधार स्थूलतः तीन श्रेणियों में रखे जा सकते हैं : यथा प्रभाविता में सुधार के प्रति लक्षित संरचनात्मक और कार्यात्मक सुधार, उपलब्ध संसाधनों में सुधार के प्रति लक्षित वित्तीय सुधार तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के प्रति लक्षित संचालन संबंधी सुधार । ऐसा सोचा गया कि स्वास्थ्य प्रणाली सुधारों में सरकारी क्षेत्र प्रमुख भूमिका का निर्वाह करेगा । नवीं योजना में सुझाए गए प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

प्रभाविता में सुधार लाने के प्रति लक्षित संरचनात्मक और कार्यात्मक सुधार

- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों में आईएसएम तथा एच सेवाओं की आपूर्ति के निमित्त आधारिक तंत्र सहित मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र का पुनर्गठन और पुनर्रचना जिससे कि एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेवा करने और एक-दूसरे के साथ उपयुक्त रेफरल तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो ।
- स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए मानव संसाधन विकास- उपयुक्त कौशलों और अभिवृत्तियों से युक्त उपयुक्त संख्या में ।
- सीएमई के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों का कौशलोन्नयन और मौजूदा स्वास्थ्य जनशक्ति की पुनर्तनाती जिससे कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर मौजूदा और उभरती स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल हो सके ।
- आपूर्तियों, अनुश्रवण, आईईसी, प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं सहित मौजूदा ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों का सम-स्तरीय एकीकरण; राज्य और जिला स्तरों पर एक एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी की स्थापना ।
- पूर्णतः क्रियाशील विशुद्ध रिपोर्ट देने वाली प्रणाली, जो कि जन्म, मृत्यु, रोगों से संबंधित आंकड़े और मौजूदा आधारिक जानकारी के भीतर सेवा चैनलों के माध्यम से पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़े, रिपोर्टों का अनुश्रवण और मूल्यांकन तथा जिला स्तर पर किए जाने वाले उपयुक्त मध्यावधिक सुधारों का संकेत दें ।
- मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के भीतर और उनके एक अंग के रूप में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोग चौकसी और प्रतिक्रिया की एक कारगर प्रणाली का निर्माण करना ।
- मांग और प्रयोग पर आधारित औषधि, टीकों और उपभोज्य सामग्री की आपूर्ति के लिए एक प्रभावी और कारगर संभारतंत्रीय प्रणाली निर्मित करना ।

वित्तीय सुधार

- लोगों के भुगतान करने के सामर्थ्य पर नहीं अपितु उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें बिल्कुल मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन जीवनरक्षक सेवाएं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रक कार्यक्रमों के तहत सेवाएं तथा राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता ।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार वसूलने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करना, उन्हें आजमाना तथा कार्यान्वित करना; सुरक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थानीय स्तर से संग्रहित निधियों का उपयोग ।
- घालू सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम और विशेष रूप से भारी विदेशी सहायता वाले घालू कार्यक्रमों की पोषणीयता सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति तैयार और कार्यान्वित करना ।
- सुरक्षा के विभिन्न स्तरों में बड़ी और छोटी बीमारी के लिए निदान और उपचार क्रियाविधियों की लागत परिकल्पित करना और देखभाल मानदंडों की लागत तय करना ।

अधिशासन सम्बद्ध

- अर्हताप्राप्त कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताएं, विशेष हस्तक्षेपी कार्रवाई करने के लिए शर्तें निर्धारित करने और गुणवत्ता आश्वासन के लिए स्थापित कार्यविधियां करने के लिए व्यापक विनियमों की एक श्रृंखला शुरू करना ।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर विभिन्न रोगों के लिए मानक प्रोटोकॉल तैयार करना, सार्वजनिक क्षेत्रक अस्पताल, चिकित्सा, कालेज और व्यावसायिक संस्थाएं इस काम में प्रमुख भूमिका निभाएंगी ।
- गुणवत्ता आश्वासन और सुधार व्यवस्था जैसाकि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम और अस्पतालों के लिए नागरिक चार्टर स्थापित किए जाएंगे ।
- पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अनुपस्थिति और घटिया कार्य-निष्पादन की समस्याओं का स्थानीय तौर पर समाधान किया जा सके और प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी एक प्रभावी टीम के रूप में कार्य कर सकें ।
- पंचायती राज संस्थानों को योजना बनाने और घालू कार्यक्रमों की मानीटरिंग में शामिल करना और सेवाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिए समय पर सुधार करना ।

5. पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार -दोनों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । कुल मिलाकर, कार्यान्वयन की अन्तर्वस्तु और गति इष्टतम से न्यून रही है । प्राप्त की गई शिक्षाएं, अभी तक की गई उन्नति और मौजूदा स्थिति संक्षेप में आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत की गई है ।

संरचनात्मक तथा कार्यात्मक सुधार


6. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं :

- प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सुरक्षा संस्थान जिनमें चिकित्सीय तथा अर्ध-चिकित्सीय कार्मिक कार्य करते हों ।
- आवश्यक मानवशक्ति और अपेक्षित शैक्षणिक निवेश प्रदान करने वाले चिकित्सा महाविद्यालय और अर्धव्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ।
- केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों को प्रबंधित करने वाले कार्यक्रम प्रबंधक; और
- आंकड़ों के संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और इनके प्रति प्रतिक्रिया की दोतरफा प्रणाली को लेकर निर्मित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली ।

अभी तक प्रणाली के इन घटकों के बीच अन्योन्यक्रिया वांछित स्तर की नहीं रही है । बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों और चिकित्सा अस्पतालों के बहुत बड़ी संख्या में बने रहने के बावजूद एक ही बस्ती में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों के बीच सुगठित रेफरल तालमेल नहीं है । कार्यक्रम प्रबंधक और चिकित्सा कालेजों के अध्यापक किसी भी स्तर पर संस्थानों के साथ कोई संबंध नहीं रखते; तंत्र और कार्यों के बीच अनिवार्य तालमेल मौजूद नहीं है (संलग्नक - 5.6.1) । अधिकांश राज्यों में आपूर्ति और एचएमआईएस का संभारतंत्र क्रियाशील नहीं है । स्वास्थ्य प्रणाली का पुनर्गठन करने, प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच अनिवार्य तालमेल स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि कार्यात्मक स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा (संलग्नक - 5.6.2) ।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

7. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र जनसंख्या और स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों के बीच संपर्क का पहला स्तर प्रदान करता है । स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में इस स्तर की महत्ता स्वीकार करते हुए केन्द्र, राज्यों और अनेक सरकार से सम्बद्ध एजेंसियों ने एक साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र और जनशक्ति का निर्माण करना शुरू कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ है कि आधारिक तंत्र और जनशक्ति में काफी मात्रा में दोहराव आ गया है । सरकार द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में निम्न शामिल होते हैं :



राज्य द्वारा निर्मित ग्रामीण, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र (चित्र 5.6.1), जिसमें निम्न शामिल हैं :

- उप-केन्द्र	138044	(4579 की जनसंख्या पर 1)
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22928	(27364 की जनसंख्या पर 1)
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3077	(214000 की जनसंख्या पर 1)

- उप-मंडलीय/तालुक अस्पताल/विशेषज्ञता अस्पताल (जिनकी संख्या अनुमानतः लगभग 2000 है)
- परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 871 शहरी स्वास्थ्य चौकियां, 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 550 जिला प्रसवोत्तर केन्द्र तथा 1012 उप-जिला प्रसवोत्तर केन्द्र ।
- आईएसएम तथा एच विभाग के अधीन 22,104 औषधालय, 2862 अस्पताल ।
- नगरपालिकाओं द्वारा प्रदत्त शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ।
- केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल ।
- रेलवे, रक्षा और इस प्रकार के बड़े विभाग जोकि अपने स्टाफ को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, उनके अस्पताल और औषधालय ।
- पीएसयू और विशाल उद्योगों का चिकित्सीय आधारिक तंत्र ।
- उद्योगों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अस्पताल और औषधालय ।
- सभी अस्पताल - यहां तक कि द्वितीयक और तृतीयक देखभाल प्रदान करने वाले अस्पताल ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं ।

तालिका 5.6.1 स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र			
	अपेक्षित	मौजूद	अंतर
उप-केन्द्र	134108	138044	8181*
पीएचसी	22349	22928	1714*
सीएचसी	5587	3077	2562
आधुनिक चिकित्सा	आईएसएम तथा एच		
अस्पताल	औषधालय	अस्पताल	औषधालय
15188	25911	2991	23028
*: कुछ राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या अपेक्षित से कम और कुछ में ज्यादा है ।			


तीन-चौथाई से अधिक चिकित्सीय व्यावसायिक निजी क्षेत्र में काम करते हैं और उनमें से अधिकांश लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मांगों की पूर्ति करते हैं ।

8. सातर्था योजना के अंत तक अधिकांश राज्यों ने 1991 की जनसंख्या के लिए मापदंडों की पूर्ति की दृष्टि से आवश्यक संख्या में उपकेन्द्रों और

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर ली थी। (तालिका 5.6.1) । इनमें से अधिकांश स्वयं अपने भवनों में स्थित हैं और उन्हें यहां से हटाया नहीं जा सकता (चित्र 5.6.2) । कुछ राज्यों में पीएचसी और उप-केन्द्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक है जबकि कुछ में कम है । अधिशेष


सुविधाओं की अनदेखा करते हुए जिन राज्यों में एससी, पीएचसी और सीएचसी अपेक्षित संख्या में नहीं थे, उनमें मौजूदा कमी की पूर्ति की नौवीं योजना के लक्ष्यों के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इन लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है और इस कारण दसवीं योजना के लक्ष्य इन्हीं कमियों की पूर्ति के रूप में बने हुए हैं (संलग्नक 5.6.3)। प्रायः सभी कमियां मौजूदा आधारीक तंत्र के उपयुक्त पुनर्गठन द्वारा भरी जा सकती हैं।

चित्र : 5.6.2 भवनों का निर्माण



स्रोत आरएचएस बुलेटिन, जून 2000

चित्र 5.6.3 नाजुक इनपुट वाले पीएचसीज का वितरण प्रतिशतता



स्रोत सुविधा सर्वेक्षण - 1999 परिवार कल्याण विभाग

अनेक मौजूदा उप-केन्द्रों, पीएचसी तथा सीएचसी में अनिवार्य भौतिक आधारीक सुविधाओं, जनशक्ति और उपभोज्य सामग्री की कमी है। (चित्र 5.6.3)। आने वाले वर्षों में उपलब्ध संसाधनों के बल पर इस कमी को पूरा करना एक प्राथमिकता होगी।

इन संस्थानों में पदासीन जनशक्ति से संबंधित स्थिति तालिका 5.6.2 तथा संलग्नक 5.6.4 में दर्शाई गई है। यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण पदों पर जनशक्ति की कमी को उपयुक्त दिशा-अनुकूलन और कौशलोन्नयन के बाद मौजूदा जनशक्ति की पुनः तैनाती करके पूरी तरह से दूर किया जा सकता है।

तालिका 5.6.2 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में स्वास्थ्य जनशक्ति

	अपेक्षित (आर)	संस्वीकृत (एस)	पदासीन (पी)	अंतर	
				आर-पी	ए-पा
पीएचसी में डाक्टर	22349	29702	22506	157#	7196
सीएचसी में विशेषज्ञ	22348	6579	3741	18607	2838
एससी में एमएमपीडब्ल्यू	134108	87504	73327	60781	14177
पीएचसी में प्रयोगशाला	27936	15865	12709	15227	3156
तकनीशियन पीपीसी में विशेषज्ञ	3100				
मलेरिया		कुष्ठरोग			
पुरुष स्वास्थ्य कार्मिक	संस्वीकृत	पदासीन	नियमित	संविदागत	
	39720	34580	17072	2632	
प्रयोगशाला तकनीशियन	7103	6026	1079	76	
				# : अतिरिक्त	

9. प्रत्येक स्तर पर पहले से चली आ रही और प्रस्तावित पुनर्रचना और पुनर्तैनाती नीचे दर्शाई गई है ।

उप-केन्द्र स्तर पर:

- परिवार कल्याण विभाग ने 1991 की आवश्यकता के अनुसार उप-केन्द्रों में सभी 1.34 लाख एएनएम के वित्तपोषण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है ।
- पुरुष बहु-प्रयोजन कार्मिकों (एमएमपीडब्ल्यू) के पदों की रिक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एकल प्रयोजन वाले पुरुष कार्मिकों को, जिनके पास कार्यभार कम है और जोकि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (टी.बी., मलेरिया, कुष्ठरोग, आरसीएच) में नियुक्त हैं, प्रशिक्षण प्रदान करके तथा उनकी पुनः तैनाती करके भरने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

पीएचसी स्तर पर

- प्रत्येक पीएचसी में डाक्टरों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि जहां उनकी तैनाती की जाए, वहां वे उपलब्ध रहें । किसी भी राज्य में अतिरिक्त भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- विशेषज्ञविहीन औषधालयों और ब्लॉक स्तरीय पीएचसी का विलय कर दिया जाना चाहिए अथवा उन्हें पीएचसी के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए । आरएफडब्ल्यूसी में नियुक्त डाक्टरों को पीएचसी में संस्वीकृत पदों की रिक्तियों को भरने के लिए पुनः तैनात कर दिया जाएगा । पश्चिम बंगाल ने यह निर्णय लिया है कि जिन पीएचसी में कोई अंतरंग रोगी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, उनमें नियुक्त डाक्टरों को ब्लॉक

स्तरीय पीएचसी में तैनात कर दिया जाएगा। ब्लाक स्तरीय क्रियाशील पीएचसी का स्टाफ बाह्य सुविधाओं से युक्त पीएचसी का दौरा करेगा और बारी-बारी से अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा।

- मध्य प्रदेश में, जहां कहीं और जब कभी जनशक्ति में कमियां होती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रदत्त स्टाफ सहित अंशकालिक अथवा संविदागत स्टाफ की सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसेकि उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली की मलिन बस्तियां, महाराष्ट्र (जनजातीय क्षेत्र) तक पहुंचने के लिए संचल क्लीनिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है; संचल क्लीनिक चलाने और बनाए रखने में खर्चीले होते हैं।
- आईएसएम तथा एच डाक्टरों को अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दूरस्थ पीएचसी में तैनात किया जा रहा है, जैसाकि गुजरात, केरल और तमिलनाडु, जो देखभाल की पूरक प्रणाली मुहैया कराने के निमित्त आईएसएम तथा एच डाक्टरों को पीएचसी में तैनात कर रहे हैं।
- कुछ राज्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नियुक्त एकल प्रयोजन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली में बहु-प्रयोजन कार्मिकों के रूप में पुनः तैनात किया जा रहा है।
- विभेदपूर्ण अर्हताओं से युक्त मौजूदा स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनका प्रयोग कमियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है; उदाहरण के लिए उड़ीसा फार्मसिस्टों को प्रयोगशाला तकनीशियनों के रूप में पुनः तैनात करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है; ऐसा संभव है कि उनमें उपयुक्त कौशल न हों और इस तरह की पुनर्तैनाती के प्रभाव का जायजा लिया जाना होगा।
- विशेषज्ञता और आधारिक तंत्र/उपकरणों, जैसेकि प्रयोगशाला तकनीशियनों/माइक्रोस्कोप के बीच बेमेल की स्थिति को सुधारने के लिए स्टाफ की पुनर्तैनाती।

सीएचसी/एफआरयू स्तर पर:

- विशेषज्ञों से युक्त सभी उप-जिला संस्थानों को त्रि-स्तरीय ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अधीन सीएचसी/एफआरयू के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा रहा है; ऐसा करने से सीएचसी/एफआरयू की संख्या में प्रकट कमियों को दूर किया जा सकेगा।
- प्रसवोत्तर केन्द्रों के स्टाफ को एफआरयू/सीएचसी में शामिल किया जा रहा है और इस प्रकार विशेष रूप से प्रसूति विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों की विशेषज्ञ जनशक्ति प्रदान की जा रही है ताकि एफआरयू को क्रियाशील बनाया जा सके।
- एकदम प्राथमिक देखभाल से लेकर तृतीय देखभाल स्तर तक संचार, परामर्श और रेफरल में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साधनों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त दो-तरफा रेफरल प्रणालियों का विकास।
- सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के जीआईएस मानचित्रण का प्रयास किया जा रहा है और आधारिक तंत्र के पुनर्गठन तथा पुनर्रचना के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा।

शहरी स्वास्थ्य देखभाल

10. भारत की लगभग 30 प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रों में रहती है और इसमें से 27 प्रतिशत जनसंख्या शहरी मलिन बस्तियों में रहती है। योजना आयोग के हाल के अनुमानों से ऐसा पता चलता है कि कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है। विशेष रूप से शहरी निर्धनों से संबंधित स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एक संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति और वित्तपोषी प्रणाली तैयार की जानी आवश्यक है। दिल्ली और चेन्नई ने मौजूदा स्वास्थ्य आधारिक तंत्र और जनशक्ति के मानचित्रण और उन्हें प्रभावी रूप से जोड़ने की एक प्रणाली तैयार की है। दिल्ली में क्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए एक जीआईएस प्रणाली तैयार की गई है।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल

11. जिला अस्पतालों और शहरी अस्पतालों में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र संप्रति, जिस शहरी/कस्बे में ऐसा अस्पताल मौजूद है, उनकी जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मांगों की पूर्ति भी कर रहे हैं। स्वभावतः, इसके फलस्वरूप अत्यधिक भीड़ और विशेषज्ञतापूर्ण सेवाओं का न्यून उपयोग किया जाता है। द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का सुदृढीकरण नौवीं योजना में एक अभिज्ञात प्राथमिकता थी। सात राज्यों ने राज्य योजना से प्राप्त होने वाली निधियों के अलावा, एफआरयू/जिला अस्पतालों के निर्माण की परियोजना शुरू करने के लिए विश्व बैंक ऋण प्राप्त किए हैं। इन परियोजनाओं के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- ❖ पीएचसी/सीएचसी द्वारा भेजे गए रोगियों की देखभाल करने के लिए एफआरयू का सुदृढीकरण;
- ❖ जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण जिससे कि वे भेजे गए रोगियों की प्रभावी देखभाल कर सकें;
- ❖ रेफरल प्रणाली का सुदृढीकरण करना और प्रत्येक स्तर पर देखभाल को युक्तिसंगत बनाना जिससे कि,
 - ❖ रोगियों को उनके अपने निवास स्थान के निकट देखभाल प्रदान की जाए;
 - ❖ पीएचसी/सीएचसी में सुविधाओं का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित किया जाए; तथा
 - ❖ जिला और तृतीयक देखभाल स्तर पर भीड़भाड़ कम की जाए।

12. राज्यों ने निर्माण कार्य और उपकरणों की अधिप्राप्ति शुरू कर दी है। उन्होंने एम्बुलेंसों और औषधियों की बेहतर उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों को प्रशिक्षण देने के बाद सेवाओं के स्तर में सुधार, रोगियों और स्वास्थ्य कार्मिकों/आधारिक तंत्र में बेमेल स्थितियों में कमी तथा अस्पताल अपशिष्ट प्रबंध, रोग चौकसी तथा प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार की सूचना दी है। इन सभी राज्यों ने निर्धनता की रेखा से ऊपर के लोगों से निदानात्मक और उपचारात्मक प्रयोक्ता प्रभार लगाने का प्रयास किया है। कुछ राज्य यह सुनिश्चित नहीं कर सके हैं कि इस तरह संचित किए गए प्रभार को उसी संस्थान में प्रयोग के लिए रखा जा सके और इस समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल

13. पिछले दो दशकों में सरकारी क्षेत्र के अधिकांश तृतीयक देखभाल संस्थान संसाधनों की कमी झेल रहे हैं और वे उपकरणों के अनुरक्षण, पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन, उपभोज्य सामग्री की आपूर्ति तथा अधिकाधिक जटिल निदानात्मक और उपचारात्मक प्रविधियों के लिए तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आधारिक तंत्र के स्तरोन्नयन के निमित्त निधियां प्राप्त नहीं कर सकें हैं। तृतीयक देखभाल संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं को इष्टतम बनाए जाने, सेवाओं के स्तर में सुधार लाए जाने तथा द्वितीयक देखभाल संस्थानों के साथ तालमेल मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। तृतीयक अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ और प्राथमिक तथा द्वितीयक देखभाल स्तरों पर दो-तरफा रेफरल प्रणाली की कमी के कारण विशेषज्ञ देखभाल के न्यून प्रयोग की स्थिति सुधारे जाने की आवश्यकता है। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में कुछेक लागतों की पूर्ति करने और सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए नौवीं योजना में प्रयोक्ता प्रभार लगाने तथा भुगतान क्लीनिक/भुगतान केबिन स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।

14. कुछ राज्यों ने तृतीयक देखभाल/अति विशेषज्ञतापूर्ण संस्थान स्थापित करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को भूमि, पानी और बिजली इस शर्त पर न्यून लागत पर प्रदान की है कि वे निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वालों को निःशुल्क बहिरंग और अंतरंग देखभाल प्रदान करेंगे। तृतीयक देखभाल की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास के रूप में अनेक राज्य (जैसेकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) सरकारें संस्थानों को संसाधन अर्जित करने और उनका स्थानीय रूप से प्रयोग करने की अनुमति देकर उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करने तथा नवाचारी स्कीमों का प्रयोग कर रही हैं। अधिकांश राज्यों ने इस दिशा में किए गए अपने प्रयासों की सीमा और प्रभाव को पूरी तरह प्रलेखबद्ध नहीं किया है। उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि केरल, पंजाब और हरियाणा के मामले में लागत वसूली अनुपात लगभग 10 प्रतिशत है और सरकारी सुविधा देखभाल के लिए 80 प्रतिशत से अधिक फीस शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के सबसे धनी 40 प्रतिशत लोगों द्वारा दी गई थी। इसका कारण यह हो सकता है कि यह वर्ग सेवाओं का अधिक इस्तेमाल करता है अथवा इस वर्ग को प्रदान की जाने वाली देखभाल का स्तर उन लोगों को दी जाने वाली सेवाओं की तुलना में बेहतर है, जिन्हें कुछ भी अदा नहीं करना पड़ता। राज्यों में मौजूदा लागत वसूली प्रणाली की समीक्षा यह दर्शाती है कि:

- प्रयोक्ता प्रभार की समीक्षा करने के लिए एक उपयुक्त संस्थानात्मक ढांचा अभी तक स्थापित नहीं किया गया है,
- फीस की न्यून संरचना और संग्रह के अपर्याप्त तंत्रों के कारण लागत वसूली का स्तर न्यून है;
- निर्धनो को अभिज्ञात करने और उन्हें प्रयोक्ता प्रभारों से छूट देने के तंत्र सुपरिभाषित नहीं हैं; तथा
- अनेक राज्यों में संग्रह की गई निधियां संग्रह स्थल पर नहीं रखी जाती।

15. नौवीं योजना की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के सुदृढीकरण और स्तरोन्नयन के निमित्त अनिवार्य अपेक्षाओं का जायजा लेने और उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए सभी बड़े सरकारी संस्थानों में एक तकनीकी

मूल्यांकन समिति गठित की जानी चाहिए । इस सिफारिश को किसी भी राज्य में पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है हालांकि कुछ राज्यों ने इन संस्थानों की स्वायत्तता में सुधार लाने की दिशा में उपाय किए हैं । इस सिफारिश को कार्यान्वित करना, स्वायत्तता में सुधार लाना तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है ।

स्वास्थ्य के लिए संसाधन विकास

- प्रवेश मानकों में एकरूपता में सुधार लाने, चिकित्सा, दंतिय, फार्मसी तथा नर्सिंग कालेजों और अर्द्ध-व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या और परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज आफ हेल्थ साइंसेज (यूएचएस) स्थापित करना । अभी तक आंध्र प्रदेश (एपी), तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र ने यूनिवर्सिटीज आफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना की है और कई अन्य राज्य इस दिशा में प्रयासशील हैं ।
- सीएमई तथा पुनः दिशा-अनुकूलन के माध्यम से सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों का स्तरोन्नयन और यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा स्वास्थ्य जनशक्ति की पुनर्तैनाती ताकि वे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर मौजूदा और उभरती स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल कर सकें ।
- सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सभी चिकित्सीय और अर्द्ध-चिकित्सीय कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना । केरल केवल सेवाकालीन कार्मिकों को ही नहीं बल्कि व्यावसायिकों को सतत चिकित्सा शिक्षा संभवतः स्व-वित्तपोषी आधार पर प्रदान करने के बारे में सोच रहा है ।
- आईएसएम तथा एच कार्मिकों को मुख्यधारा में शामिल करना जिससे कि अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन कवरेज में सुधार लाने (हिमाचल); देखभाल की पूरक प्रणाली मुहैया कराने, जैसेकि केरल, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा, में उन्हें भागीदार बनाया जा सके ।
- सीएचसी स्तर पर एक विशेषज्ञ संवर्ग का निर्माण; उन्हें उनकी अपनी विशेषज्ञता के अलावा सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है । जब कभी चिकित्सा अधिकारियों का विभिन्न पदों पर चयन होता है, तब उन्हें उपयुक्त सेवाकालीन दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । उदाहरण के लिए जब क्लिनिकशियन, कार्यक्रम प्रबंधक बन जाते हैं, तो उन्हें कार्यक्रम प्रबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा; कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में तैनात किए जाने वाले पीएसएम विशेषज्ञ को कार्यक्रम से संबंधित निदानात्मक समस्याओं से अवगत कराया जाएगा ।
- अधिकांश राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी स्थापित कर ली है । कुछ (उड़ीसा) राज्यों में एक ऐसी स्वास्थ्य कार्यनीति शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप बल, परियोजना वित्तपोषण की बजाए क्षेत्र वित्तपोषण को दिया जाने लगा है ।
- गुजरात, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उपकरणों के रख-रखाव की ओर ध्यान देने के लिए जैव-चिकित्सक इंजीनियरों के एक संवर्ग का निर्माण करने पर विचार कर रहा है ।
- आंध्र प्रदेश ने एचआईवी/एड्स के मामले अभिज्ञात करने और उन्हें आगे भेजने के लिए सभी चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ।

रेफरल और संचार तालमेल में सुधार लाना

- संप्रति, उपलब्ध आईटी साधनों का प्रयोग करते हुए एक पूर्णतः क्रियाशील विशुद्ध स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) का निर्माण करना; यह वास्तविक संचार संबंध मौजूदा आधारिक तंत्र और जनशक्ति तथा वित्तपोषण के भीतर सेवा चैनलों के माध्यम से जन्मों, मृत्यु, रोगों, औषधियों, निदान तथा उपकरण संबंधी अनुरोधों तथा पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में आंकड़े भेजेगा; साथ ही यह विकेंद्रीकृत जिला-आधारित आयोजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण को सुकर बनाएगा;
- परिवार फोल्डर, बाल स्वास्थ्य कार्ड और एएनसी कार्ड आदि शुरू करके उपयुक्त दो-तरफा रेफरल प्रणालियों का विकास, जिससे कि विशुद्ध अभिलेख, रेफरल और रिपोर्टिंग सुकर बनाई जा सके। उदाहरण के लिए पांडिचेरी ने परिवार फोल्डर और तमिलनाडु ने महिला धारित एएनसी कार्ड शुरू कर दिए हैं।
- केरल और उड़ीसा ने रोग चौकसी प्रणाली स्थापित की है जिसके माध्यम से सरकारी और निजी व्यावसायिकों से नियमित (साप्ताहिक/मासिक) आधार पर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है; आंकड़ों का जिला स्तर पर विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही शुरू की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग

16. प्राथमिक देखभाल से लेकर तृतीयक देखभाल स्तर तक संचार, परामर्श और रेफरल में सुधार लाने के लिए आईटी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है; संप्रति, निम्न प्रयोजनों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं:

- पीएचसी और एफआरयू के बीच दूर-संबंध;
- एफआरयू जिला अस्पतालों तथा तृतीयक देखभाल संस्थानों के बीच दूर-संबंध; तथा
- विभिन्न क्षेत्रों में तृतीयक/अति-विशेषज्ञतापूर्ण देखभाल संस्थानों के बीच दूर-चिकित्सा परामर्श।

17. पहले से चली आ रही कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

पश्चिम बंगाल - हबरा अस्पताल और स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन के बीच दूर-चिकित्सा संबंध, बांकुरा मेडिकल कालेज, नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज तथा एसएसकेएम अस्पताल को जोड़ने वाली एक मार्गदर्शी परियोजना; भारत सरकार ने हृदय देखभाल के लिए दूर-चिकित्सा स्थापित करने के निमित्त एक प्रमुख एनजीओ के साथ भागीदारी स्थापित की है।

महाराष्ट्र - टाटा काउंसिल फार कम्युनिटी इनीशिएटिव्स के सहयोग से वाघोली, पाड और चाकन में स्थित तीन पीएचसी के बीच (डाक्टर एनीवेयर.कम) द्वारा प्रदत्त दूर-चिकित्सा संबंध विषयक मार्गदर्शी परियोजना। इन पीएचसी को चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ जोड़ने के लिए यह सेवा इंटरनेट-आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है।

उड़ीसा - प्रत्येक गांव को टेलीफोन-संबंध प्रदान किया जा रहा है और उसे ब्लॉकों के साथ जोड़ा जा रहा है, जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। ब्लॉक स्तर के पीएचसी के नेट पर इस आशय की

सूचना उपलब्ध है कि किसी आपातक देखभाल के लिए कोई विशिष्ट विशेषज्ञ कहाँ उपलब्ध होगा।

एनईसी - दूरियों, मैदानी क्षेत्र की कठिनाइयों और सभी प्रकार के आघातक तंत्र की कमी के कारण इस क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर संयोज्यता की आवश्यकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी डिवीजन, एनईसी ने पूर्वोत्तर में तथा राज्य से बाहर चुनिदा संस्थानों के साथ स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग तालमेल का प्रस्ताव है। यह सुझाया गया है कि इस प्रस्ताव के तीन घटक होने चाहिए:

- तृतीयक संस्थानों के साथ उच्च स्तरीय तकनीकी महंगी वीडियो कांफ्रेंसिंग और दूर-संबंध;
- जिला अस्पतालों और तृतीयक देखभाल केन्द्रों के बीच इंटरनेट-आधारित संचार;
- गांव, उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सीएचसी तथा जिला अस्पतालों के बीच टेलीफोनिक संचार संबंध।

उत्तरांचल - राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में दूर-संबंध स्थापित कर रहा है; 10 प्रतिशत गांव पहले ही एसआईपी परियोजना के अधीन संबद्ध किए जा चुके हैं।

आंध्र प्रदेश - दूर-परामर्श, एक अन्योन्यक्रियापूर्ण ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली जिसके साथ एचआईवी/एड्स के रोगियों को परामर्श देने के लिए सारे राज्य में एक सामान्य निःशुल्क टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा दिया गया है।

सरकारी-निजी क्षेत्र सहयोग:

18. पहले से चली आ रही कुछेक पहलों में ये शामिल हैं;

- पीएचसी में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों की संविदागत नियुक्तियां और निजी व्यावसायिकों की सेवाएं प्राप्त करना, जैसाकि मध्य प्रदेश में किया गया है;
- अल्प-सेवित क्षेत्रों में पीएचसी/सीएचसी का दौरा करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सामान्य व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालिक आधार पर प्राप्त करना; जैसाकि मध्य प्रदेश में किया गया है;
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पीएचसी अपना कर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, जैसाकि कर्नाटक में किया गया है;
- मान्यताप्राप्त निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों/संस्थानों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सीय देखभाल के खर्च की राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों, पीएसयू द्वारा प्रतिपूर्ति;
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनो/निजी क्षेत्र व्यावसायिकों को शामिल करना, जैसाकि कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम में एनजीओ तथा अलाभकारी संस्थानों की सेवाओं का प्रयोग करना, अंधता नियंत्रण कार्यक्रम तथा एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में निजी व्यावसायिकों/संस्थानों का सहयोजन, जैसाकि दिल्ली में किया गया है;

- निजी क्षेत्रक व्यक्तियों/संस्थानों/उद्योग जैसा कि टाटा स्टील कंपनी किसी निर्धारित क्षेत्र में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करती है;
- निजी उच्च-विशेषज्ञता, तृतीयक/द्वितीयक देखभाल अस्पतालों को भूमि, पानी और बिजली आदि रियायती दरों पर दी जाती है और उपकरणों को निःशुल्क रूप से आयात करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वे निर्धन रोगियों को अंतरंग/बहिरंग सेवाएं निःशुल्क रूप से प्रदान करेंगे। यह अनुभव अनेक समस्याओं से घिरा रहा है, जैसाकि केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में;
- केरल में कुछ जिलों में निजी चिकित्सक रोग चौकसी संबंधी सूचना प्रदान करते हैं;
- रसोई, धुलाई घर, सफाई और सुरक्षा जैसी सहयोगी सेवाओं के लिए निजी एजेंसियों को रखा गया है, जैसाकि पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, गुजरात किया गया है; तथा
- चिकित्सीय कालेज स्थापित करने के लिए राज्य, निजी क्षेत्र को आमंत्रित कर रहे हैं, जैसाकि पश्चिम बंगाल में किया गया है।

सामुदायिक सहभागिता

19. कई राज्यों द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में समुदाय की अपेक्षतया अधिक सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुछेक प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

पश्चिम बंगाल - एसआईपी के अधीन एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की जा चुकी है, जिसका वित्तपोषण ईसी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के अधीन स्वयंसेवी समूहों की महिलाओं को परिवार कल्याण और राष्ट्रीय रोग नियंत्रक कार्यक्रमों के अधीन सेवाएं सुलभ कराने में समुदाय की सहायता करने के लिए अवैतनिक स्वास्थ्य कार्मिकों (एचएचडब्ल्यू) के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक एचएचडब्ल्यू 200 परिवारों की देखभाल करेगा और प्रायोजक संगठन को क्रमबद्ध आधार पर निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है।

नागालैंड - ग्रासरूट (एससी) स्तर पर सभी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में जन सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य संस्थानों के "सामुदायीकरण" का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से सरकारी और साथ ही निजी चिकित्सकों को शामिल करके स्वास्थ्य क्षेत्र का वित्तपोषण किया जा रहा है। उप-केन्द्र के कार्यकरण सहित गांव की समग्र स्वास्थ्य मांगों का ध्यान रखने के लिए एक ग्राम स्वास्थ्य समिति और एक सामान्य स्वास्थ्य उप-केन्द्र समिति स्थापित की गई है।

राज्य ने निम्न प्रयोजन से नागरिकों का एक अधिकार पत्र (चार्टर) भी प्रकाशित किया है:

- समुदाय को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढीकरण,
- अनिवार्य औषधियों और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना;
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर बल देना; तथा
- प्रभावी सेवाएं मुहैया कराने में सेवा प्रदायकों की जवाबदेही बढ़ाना।

आंध्र प्रदेश - ने समाज में एड्स/एसटीडी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से सभी स्वयंसेवी समूहों को शामिल करते हुए "अभिसरण समुदाय कार्रवाई" (सीसीए) की शुरुआत की है।

संचालन से संबंधित सुधार

20. स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में गुणवत्ता आश्वासन और जवाबदेही लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता तथा मूल्यांकन को अक्सर एक मूल्य निर्णय समझा जाता है, लेकिन गुणवत्ता के ऐसे निर्धारक और घटक होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है, जिनमें ये शामिल हैं: आधारीक तंत्र और जनशक्ति का निर्धारण, निदान तथा उपचार अथवा परिणाम जैसी प्रक्रियाएं, जैसेकि मृत्यु हो जाना, विकलांगता और रोगी संतुष्टि। स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता मूल्यांकन में हस्तक्षेपणीय उपायों की सुरक्षा, प्रभाविता और सामयिकता शामिल है। साथ ही, इसमें इन अर्थों में प्रणाली के निष्पादन का मूल्यांकन भी शामिल होना चाहिए कि क्या वह प्रणाली जनसंख्या की स्वस्थ रहने और रोग तथा विकलांगता सहित जिंदगी जीना सीखने से संबंधित बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही है। हाल के वर्षों में लोगों की बढ़ती हुई जागरूकता और विशेष रूप से निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या - दोनों कारणों से स्वास्थ्य देखभाल के स्तर को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं।

भारत में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू करने के ये परिणाम होंगे:-

- ➔ सुविधाओं के अधिक प्रयोग, न्यून प्रयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग का निवारण;
- ➔ प्रभाविता और कारगरता में सुधार;
- ➔ सकारात्मक परिणामों की संभावनाएं बढ़ाने में सहायता;
- ➔ संसाधनों के प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग में सहायता;
- ➔ देखभाल के स्तरों को आवश्यकता के स्तर के साथ सुमेलित करके विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त देखभाल के मार्ग की बाधाओं को न्यून करना,
- ➔ स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही लागू करना, तथा
- ➔ यह सुनिश्चित करना कि निवेश किए गए प्रत्येक रुपए का इष्टतम प्रयोग हो सके।

21. 1990 के दशक के दौरान देखभाल की गुणवत्ता से संबंधित कतिपय मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए कुछ पहलें की गई थीं, जैसेकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का समावेश। कुछ राज्यों ने बाम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 की तर्ज पर निजी स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यकरण के लिए एक कानूनी रूपरेखा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इन विधायी उपायों को अभी तक प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया, जिसका आंशिक कारण तो यह है कि "देखभाल की गुणवत्ता" को परिभाषित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड उपलब्ध नहीं है और दूसरे, इस आशय का डर कि इस तरह के धिनियम लागू करने से देखभाल की लागत में वृद्धि हो जाएगी। कई राज्य, स्वास्थ्य देखभाल में कुछ गुणवत्ता नियंत्रण अवधारणाएं और साधन लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि निम्न बातें सुनिश्चित हो सकें :

- जनसंख्या और प्रणाली एक परिभाषित तथा संस्थापित मानदंडों और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी से लाभान्वित हों;
- दसवीं योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके और जनसंख्या के स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हो; तथा
- स्वास्थ्य देखभाल लोगों के लिए और पूरे देश के लिए वहनीय बनाई जा सके ।

22. कई राज्य चिकित्सीय कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करने के लिए मानदंड निर्धारित कर रहे हैं और इनमें पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों की उपस्थिति और निष्पादन में जवाबदेही लाई जा सके ।

पश्चिम बंगाल - ने राज्य को तीन क्षेत्रों में बांट दिया है और इन क्षेत्रों में एक नियत अवधि के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती का प्रावधान किया है । राज्य में 'जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति' मौजूद है ताकि विभिन्न समितियां और सोसायटियां परस्पर व्यापी प्रयोजनों के लिए काम न करें । सभी लोक स्वास्थ्य कार्यों पर सीएमओएच का नियंत्रण रहता है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के निष्पादन का पता लगाने के लिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंड में क्रम निर्धारण के आधार पर एक प्रणाली निष्पादन मूल्यांकन विकसित किया गया है और निष्पादन के आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत अथवा दंडित किया जाता है । राज्य स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान करने वाले सभी वित्तीय भागीदारों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थापित दाता भागीदार समन्वय समिति के अधीन लाया जाता है जिससे कि समन्वय में सुधार लाया जा सके ।

केरल - मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की एक संवर्ग प्रणाली का निर्माण करने का प्रस्ताव कर रहा है ।

उत्तरांचल - दुष्कर मैदानी क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। एएनएम के दौरा कार्यक्रम पहले से तय कर दिए जाते हैं और एमसीएच क्लीनिक नियत दिनों पर आयोजित किए जाते हैं और प्रतिरक्षण दिवस भी तय किए जाते हैं । प्रतिमाह क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं । उप-सीएमओ, जब कभी संभव होता है, बिना पूर्व सूचना दिए इन बैठकों में भाग लेते हैं ।

नागालैंड - प्रत्येक पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी को एक महीने में एक बार प्रत्येक उप-केन्द्र का दौरा करने का निदेश दिया जाता है । एएनएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वहां रहेगी और उसका दौरा पहले से तय कर दिया जाता है । उसके पास ऐसे अस्पतालों की सूची होती है जिनमें विभिन्न विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं ताकि वह आपातक स्थिति में लोगों को सही जगह भेज सके । ग्रामीण स्वास्थ्य समिति में एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध रहती है जिसमें प्रत्येक पीएचसी/उप-केन्द्र के अधीन आने वाले सभी गांवों की सूची दी हुई होती है । यदि सेवा प्रदायक उधूटी से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके वेतन में कटौती की जाती है और उसका प्रयोग वहां स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है ।

आंध्र प्रदेश - योग्यता और निष्पादन अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से दिए गए ग्रेड पर आधारित कार्मिकों की तैनाती की एक पारदर्शी नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सेवारत चिकित्सीय और अर्द्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं। मच्छर पैदा करने वाली स्थितियों से युक्त क्षेत्रों का पता लगाने और मच्छरों के पैदा होने पर काबू पाने के निमित्त हस्तक्षेपणीय उपाय शुरू करने के लिए एक दूरस्थ संवेदी तकनीक का प्रयोग किया गया है। जिला जनसंख्या सुदृढीकरण सोसायटियों का गठन किया जाता है और प्राधिकार तथा निधियां स्थानीय स्तरों पर प्रत्यायोजित की गईं। बन्धीकरण के लिए सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें घुस्त बनाया गया तथा सर्जनों को बेहतर तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया। परिणाम-आधारित निष्पादन संकेतकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और रिपोर्ट भेजने की आयुक्ति तय कर दी गई है। निष्पादन को व्यक्ति की कैरियर उन्नति के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। ऐसा सूचित किया गया है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रसव-पूर्व देखभाल और प्रतिरक्षण सेवा में बेहतरी आई है और संस्थानगत प्रसव में सुधार आया है और जन्मदर कम हुई है।

उत्तर प्रदेश - ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक डाक्टरों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है, जैसेकि उनके परिवारों के लिए शहरों में घर प्रदान करना, विशेषज्ञों के संवर्ग का निर्माण आदि। एमबीबीएस डाक्टरों की शहर में तैनाती के लिए पात्र होने से पूर्व एक निर्धारित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा।

बिस्तीय सुधार

23. 1990 के दशक के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि लोगों की बढ़ती हुई जागरूकता और अपेक्षाओं तथा स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती हुई लागतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की नीति जारी रखना सम्भव नहीं है। नीची योजना में ऐसा सोचा गया था कि अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन जीवन रक्षक सेवाओं, रोग नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अधीन सेवाओं जैसी प्रमुख लोक स्वास्थ्य प्राथमिकताएं सभी को निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएंगी। नीची योजना में इस बात की हिमायत की गई थी कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्य सेवाओं और अस्पताल में उपचार के लिए निर्धनता की रेखा से ऊपर का जीवन जीने वाले लोगों पर प्रयोक्ता प्रभार लगाने और निधियों के संग्रह तथा प्रयोग के संबंध में तंत्र तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार करने चाहिए। संप्रति, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, संस्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किए गए खर्च से संबंधित सूचना के बारे में कोई एक स्रोत उपलब्ध नहीं है। अतः, यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखांकन की एक प्रणाली स्थापित की जाए, जिसमें स्वास्थ्य पर हुआ कुल व्यय दर्शाया जाए। ऐसा करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा निवेश और साथ ही जन स्वास्थ्य मांगों की पूर्ति के लिए भावी निवेशों का भी इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के निमित्त रूपात्मकता के बारे में नियतकालीन समीक्षा और उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिए जा सकेंगे।

24. भारत के आकार और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य एक राज्य विषय है, खर्च के तरीकों में राज्यों के बीच भिन्नताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। जहां केन्द्रीय

सरकार, केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीमों के अधीन एकसमान मानदंडों पर राज्यों को निधियां प्रदान करती है, राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्च रोगों की व्याप्ति और आबंटित निधियों के प्रयोग के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो केन्द्रीय सरकार के खर्च को लेकर राज्यों के बीच बड़ी भिन्नताएं नहीं हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य मौजूदा स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करे और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगाए जहां उपयुक्त हस्तक्षेपणीय उपायों के बल पर निर्धनता की रेखा (बीपीएल) से नीचे का जीवन बिताने वाले लोग सहायता-प्राप्त सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे और साथ ही, जनसंख्या के अन्य वर्गों को वहनीय लागत पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सकेगी। योजना आयोग ने केरल सरकार को एक जिला अस्पताल में एक प्रायोगिक माडल के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की; इस जिला अस्पताल में निर्धनता की रेखा से ऊपर (एपीएल) का जीवन बिताने वाले लोगों के विभिन्न वर्ग स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करते हैं और अस्पताल परस्पर सब्सिडी की एक प्रणाली के माध्यम से बीपीएल (न्यूनतम 20 प्रतिशत) जनसंख्या की देखभाल की लागत वहन करता है।

25. बढ़ती हुई जागरूकता के कारण लोग स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करने के लिए तत्पर हैं। तथापि, फिलहाल ऐसे कोई तंत्र मौजूद नहीं हैं जिससे कि वे अपने पूरे कामकाजी जीवन में अपनी आय का एक हिस्सा अदा कर सकें ताकि स्वास्थ्य देखभाल अथवा अस्पताल में उपचार की लागत का खर्च किसी भी गंभीर वित्तीय संकट के बिना पूरा किया जा सके। सरकारी और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमे के अधीन जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा आता है जिनमें से अधिकांश उच्च आय वर्ग, सरकारी अथवा औद्योगिक कर्मचारी होते हैं। ऐसे तंत्रों की खोज किए जाने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से अस्पताल में उपचार के खर्च और चिरकालिक रोगों की सतत देखभाल की पूर्ति के लिए लगभग शत-प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जा सके।

वित्तीय सेवाओं का लक्ष्य निम्न बातों की ओर ध्यान देना है:

- स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता को लेकर आवश्यकताओं पर आधारित समानता;
- एक ऐसा लक्षित तंत्र तैयार करना जिसके द्वारा निर्धनता की रेखा से नीचे के लोगों को अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता-प्राप्त स्वास्थ्य सेवाएं सहज सुलभ हों; जबकि निर्धनता की रेखा से ऊपर के लोगों को सरकारी तथा निजी देखभाल सुविधाओं - दोनों में भुगतान करना पड़े।

26. विभिन्न आय वर्गों के स्वास्थ्य वित्तपोषण के लिए एक उपयुक्त स्कीम के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन की तात्कालिक आवश्यकता है। स्वास्थ्य वित्तपोषण विकल्पों में व्यक्तियों, संस्थानों, उद्योगों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा बीपीएल परिवारों के लिए सामाजिक बीमा शामिल हो सकता है। अस्पताल में उपचार और चिरकालिक रोगों, जिनके लिए महंगी और सतत देखभाल आवश्यक होती है, प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों में कमी लाने के एक तंत्र के रूप में स्वास्थ्य बीमे का सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य बीमा/स्वास्थ्य अनुरक्षण संगठनों से जुड़े वैश्विक और भारतीय अनुभवों की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त माडलों को दोहराया जाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैलियों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक 'कोई दावा न किए जाने का बोनस' /बीमा

योजना द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में अस्पताल में उपचार संबंधी जिस खर्च की प्रतिपूर्ति की गई हो, उसके आधार पर बीमा किस्त का समायोजन किया जाए ।

भारत में बीमा स्कीमों में चार स्थूल श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं : अनिवार्य, स्वैच्छिक, नियोक्ता-आधारित और एनजीओ-आधारित । भारतीय जनसंख्या में से 10 प्रतिशत लोग किसी न किसी स्वास्थ्य स्कीम के अधीन आते हैं । अनौपचारिक क्षेत्र और स्व-रोजगार वाले कामगारों के विशाल वर्गों की मांगों की ओर ध्यान देने के लिए कुछेक नवाचारी स्कीमों में तैयार की गई हैं, जिनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है ।

अम्बिकापुर स्वास्थ्य संघ, उड़ीसा - इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक आधार पर लगभग 75000 व्यक्तियों को निःशुल्क बहिरंग रोगी देखभाल और सीमित उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है । इस स्कीम में प्रवेश के समय जांच जैसी नवाचारी विशेषताएं मौजूद हैं जिससे कि सहभागियों के गलत चयन से बचा जा सके । तो भी, बीमा किस्त से, कार्यक्रम की आउटरीच लागतों के मात्र 1-2 प्रतिशत की पूर्ति हो पाती है ।

मल्लुर मिल्क को-आपरेटिव, कर्नाटक - इस स्कीम में तीन गांवों में फैले हुए लगभग 7000 लोग शामिल हैं; यह स्कीम समुदाय के सभी पात्र सदस्यों को निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल (बहिरंग रोगी और अंतरंग रोगी - दोनों) उपलब्ध कराती है । स्कीम में सहभागिता अनिवार्य है । स्थायी निधि की आय में से सभी खर्च वहन किए जाते हैं ।

सेवाग्राम महाराष्ट्र - 12 गांवों में फैले 14000 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल रेफरल और चिरकालिक रोगों के लिए अस्पताल के उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है (सहभागी गांव के भीतर 75 प्रतिशत अनिवार्य सदस्यता) । बीमा किस्तें अवरोही क्रम में रखी जाती हैं ताकि समानता को बढ़ावा दिया जा सके ।

मेलोज मिल्क को-आपरेटिव, गुजरात - आगा खां फाउंडेशन द्वारा बहिरंग रोगी परामर्श, रियायती दरों पर औषधियां और निदानात्मक सेवा प्रदान की जाती है । सभी सहकारी सदस्यों के लिए स्कीम का सदस्य होना आवश्यक है ।

सेवा, गुजरात - यह स्कीम अनौपचारिक क्षेत्र के लिए है और इसमें दो विकल्प सुलभ हैं - 85 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की बीमा वार्षिक किस्त अथवा 1000 रुपए से लेकर 4800 रुपए तक सावधि जमा । स्कीम से प्राप्त होने वाले लाभों में 2000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक अस्पताल में उपचार का खर्च, 5000 रुपए से लेकर 20000 रुपए तक की गृह परिसंपत्तियां और 40000 रुपए तक की दुर्घटना मृत्यु क्षतिपूर्ति शामिल है ।

27. कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले लोगों के लिए अस्पताल में उपचार के अनिवार्य खर्च की पूर्ति के निमित्त सामाजिक बीमा योजना तैयार करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं । जिन कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहल की है, वे निम्नानुसार हैं;

केरल - राज्य ने बीपीएल परिवारों में अस्पतालों में उपचार के खर्च की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम प्रस्तावित की है ।

आरोग्य निधि, दिल्ली - सरकार द्वारा वित्तपोषी एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम तृतीयक देखभाल के लिए दिल्ली में कार्यान्वित की जा रही है । निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थानों में द्वितीयक देखभाल के निमित्त राज्य का एक स्वास्थ्य बीमा की मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने का विचार है ।

आंध्र प्रदेश - एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसमें बन्धीकरण स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति को, जिसके दो बच्चे हैं, पांच वर्ष तक की अवधि के लिए अस्पताल में उपचार का 20,000 रुपए तक का खर्च प्रदान किया जाता है, किन्तु शर्त यह है कि प्रति वर्ष अधिकतम राशि 4000 रुपए होगी ।

मध्य प्रदेश - एक सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने में प्रवृत्त था ।

हिमाचल प्रदेश - शत-प्रतिशत परिवारों को बीमा कवर प्रदान करने की सोच रहा है ।

28. इन सभी प्रयासों का अनुभवण किया जाना है और जो व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी हैं, उनका अनुकरण किया जाना है ।

संचारी रोगों की रोकथाम और प्रबंध

29. उपलब्ध सीमित आंकड़ों से यह पता चलता है कि हालांकि संचारी रोगों से संबंधित मृत्यु दर में एक सीमा तक कमी आई है, फिर भी रुग्णता का स्तर उच्च बना हुआ है । ह्रासशील शहरी और ग्रामीण सफाई, असंतोषजनक तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंध और भीड़भाड़ के कारण संचारी रोगों की व्याप्ति में वृद्धि हुई है । संक्रमण नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अधिकाधिक ध्यान दिए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है । नीची योजना में शुरू किए गए सभी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है । मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों से संबंधित सेवाओं की बेहतर आपूर्ति की विधियाँ तैयार की जा रही हैं। पीआरआई के सहयोग के माध्यम से स्थानीय

संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में सुधार के लिए नीची योजना की कार्यनीतियाँ

- रोग नियंत्रण कार्यक्रम के डिजाइन और आपूर्ति में अभिज्ञात दोषों का उपचार ।
- आधारिक तंत्र और जनशक्ति में महत्वपूर्ण कमियों की पूर्ति ।
- सेवा आपूर्ति को प्रयोक्ताओं की मांगों के प्रति सुग्राही बनाना ।
- यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों में रेफरल सुविधाओं और आपूर्तियों सहित अपेक्षित कौशल और सहयोग मौजूद हों।
- सामुदायिक जागरूकता, सहभागिता और उपलब्ध सेवाओं के बेहतर प्रयोग में सुधार लाना।
- सामुदायिक सहभागिता में सुधार लाने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुभवण करने में पीआरआई का प्रयोग ।

जवाबदेही और अंतःक्षेत्रीय समन्वय में सुधार लाया जाएगा। कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के उपचार और प्रभाविता में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन और प्रचालनात्मक अनुसंधान की तरफ समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय रोग वाहन आधारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम


मलेरिया

30. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि पहला केन्द्रीय-प्रायोजित कार्यक्रम है, 1953 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मलेरिया-विरोधी कार्यक्रम संप्रति इन रोगों से संबंधित है: मलेरिया, फिलेरिया, काला अजार, जापानी मस्तिष्कशोथ और डेंगू। मलेरिया (विशेष रूप से फेलिसपरम मलेरिया) से संबंधित उच्च रुग्णता और मृत्यु दर से निपटने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को एनएएमपी के अधीन 1994 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। पी. फेलिसपरम मलेरिया, स्थानिक रोग की बहुलता वाले तथा जनजातीय समुदायों की बहुलता वाले 100 जिलों को शामिल करने के लिए संवर्धित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (ईएमसीपी) के संबंध में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। दूसरे क्षेत्रों में एनएएमपी को केन्द्र और राज्यों के बीच खर्च के 50:50 के अनुपात में एक केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मलेरिया के लिए नीची योजना की कार्यनीति	रोग वाहन नियंत्रण के लिए कार्यनीतियां	2002 के लिए लक्ष्य
<ul style="list-style-type: none"> ■ शीघ्र निदान और तत्काल उपचार ■ चुनिंदा रोग वाहन नियंत्रण और व्यक्तिगत सुरक्षा; ■ रोग के प्रकोप की भविष्यवाणी, शीघ्र अभिज्ञान और प्रभावी कार्रवाई; तथा ■ आईईसी 	<ul style="list-style-type: none"> ■ जिन क्षेत्रों में एपीआई 2 से उच्चतर है, उनमें उपयुक्त कीटनाशक का आंतरिक छिड़काव ■ शहरी क्षेत्रों में डिम्बक-रोधी उपाय ■ स्वास्थ्यकर मच्छरदानियों का प्रयोग ■ डिम्बकीय मच्छलियों और जैव-डिम्बकीय नाशकों का प्रयोग 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 प्रतिशत से अधिक की एबीईआर (वार्षिक रुधिर परीक्षण दर) ■ 0.5 प्रतिशत से न्यून एपीआई (वार्षिक परजीवी व्याप्ति) ■ मलेरिया के कारण रुग्णता और मृत्यु दर में 25 प्रतिशत की गिरावट

31. एनएएमपी के संबंध में नीची योजना की कार्यनीतियां और लक्ष्य बक्से में दिए गए हैं। कार्यक्रम के अधीन निष्पादन और निधियों का प्रयोग पहले तीन वर्षों के दौरान दृष्टतम से न्यून स्तर (तालिका 5.6.3) का रहा और उसके बाद उसमें सुधार हुआ।

तालिका 5.6.3 एनएएमपी परिव्यय और व्यय (लाख रुपए)		
वर्ष	परिव्यय	व्यय/संशोधित अनुमान
9 वीं योजना	103000 00	
1997-98	20000.00	14276.00
1998-99	29700.00	16371.00
1999-00	25000.00	17601.00
2000-01	25500.00	18832.00
2001-02	22500.00	23400.00*
2002-03	23500.00	
स्रोत: स्वास्थ्य विभाग		
* प्रत्याशित		



तथापि, एपीआई और रूग्णता में कमी लाने के नौवीं योजना के लक्ष्यों की पूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है।

काला अजार

32. 1989-91 की अवधि के दौरान काला अजार के मामले और उसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में सूचित की गई वृद्धि के बाद काला अजार की रोकथाम के लिए 1992 में एक गहन

संक्रमण के नियंत्रण के लिए कार्यनीति	काला जार के लिए लक्ष्य
<ul style="list-style-type: none"> डीडीटी सहित कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए संचालन में रुकावट, तथा काला जार के मामले में शीघ्र निपटान और उपचार केन्द्रीय सरकार कीटनाशकों और काला जार विरोधी औषधियां प्रदान करती हैं। मामलों के निदान और उपचार तथा कीटनाशकों के छिड़काव की प्रक्रिया पर होने वाले खर्च की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। 	<ul style="list-style-type: none"> काला जार के कारण होने वाली मौतों की संख्या में प्रति वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत की गिरावट लाकर 2004 तक इस कारण होने वाली मौतों की रोकथाम करना। 2001 को आधार वर्ष मानकर प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत की दर से कमी लाकर सन 2007 तक काला जार की व्याप्ति दर शून्य पर लाना। 2010 तक (एनएचपी 2002) काला जार का उन्मूलन

कार्यक्रम शुरू किया गया। नौवीं योजना अवधि के दौरान कीटनाशकों के छिड़काव के कार्य में अक्सर देरी हुई और वह अपर्याप्त रहा तथा निदानात्मक और उपचारात्मक सेवाओं का विस्तार असंतोषपूर्ण रहा। फलतः, नौवीं योजना के दौरान काला अजार के सूचित मामलों और मौतों की संख्या में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई (तालिका 5.6.4)। काला अजार नियंत्रण के लिए नौवीं योजना कार्यनीति और लक्ष्य बक्से में दिए गए हैं।

डेंगू/जापानी मस्तिष्कशोध (जेई)

33. भारत के कई भागों में कभी-कभी डेंगू का प्रकोप देखने में आता है। इस कारण होने वाली मौतों की दर प्रायः कम होती है लेकिन डेंगू आघात संलक्षण और डेंगू रक्तस्राव बुखार (डीएचएफ) के मामलों में मृत्यु दर उच्च होती है। नौवीं

योजना के दौरान डेंगू/जापानी मस्तिष्कशोध के कुल सूचित मामलों और मौतों की संख्या (तालिका- 5.6.5) में दर्शाई गई है। मामलों की पहचान करने में कठिनाई के कारण शायद सूचित की गई मौतों की संख्या कम रही है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)


34. क्षय रोग की अनुमानित व्याप्ति 1.4 प्रतिशत है और स्पूटम पाजिटिव टीबी की व्याप्ति अनुमानतः 4/1000 से 5/1000 के बीच में है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीम के रूप में 1962 में शुरू किया गया था। लघु उपचार कीमोथेरेपी जिसके कारण उपचार की अवधि घट कर 9 महीने हो गई है, चुनिंदा जिलों में 1983 में शुरू किया गया था। प्रभावी कीमोथेरेपी के उपलब्ध होने के बावजूद टीबी के कारण होने वाली रुग्णता अथवा मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई है जिसका कारण टीबी के मामलों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उपचार की न्यून दरें हैं। 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई और एक संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

तालिका - 5.6.4 काला अजार के मामले और उसके कारण होने वाली मौतें						
वर्ष	बिहार		पश्चिम बंगाल		देश	
	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1997	15948	251	1450	3	17429	255
1998	12229	215	1113	6	13577	226
1999	11627	277	1091	6	12869	297
2000 (P)	12909	130	1244	11	14753	150

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग, 2001, पी-अनंतिम।

तालिका 5.6.5 जापानी मस्तिष्कशोध और डेंगू/डीएचएफ के मामले और उनके कारण होने वाली मौतें				
वर्ष	मामले	मौतें	मामलें	मौतें
1997	2516	632	1117	36
998	2120	507	707	18
1999	3428	680	944	17
2000 (पी)	2313	535	605	7

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग, 2001



सारणी-5.6.6 आरएनटीसीपी के लिए परिव्यय/व्यय (रुपये लाख में)		
वर्ष	परिव्यय	व्यय/संशो. अनु.
9 वी योजना	45000 00	
1997-98	9000.00	3131.00
1998-99	12500.00	6888.00
1999-00	10500.00	8754.00
2000-01	12500.00	10875 00
2001-02	13600 00	13200.00*
2002-03	11500 00	

स्रोत - स्वास्थ्य विभाग
* प्रत्याशित व्यय

(आरएनटीसीपी) तैयार किया गया। आरएनटीसीपी की पूरे पैमाने पर शुरुआत 1998 के उत्तरार्द्ध में की गई।


35. नौवीं योजना के दौरान निष्पादन चित्र 5.6.5 में दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अधीन जनसंख्या का कवरेज, जो कि 1998-99 में 89 मिलियन था, यह बढ़कर 2000-01 में लगभग 365 मिलियन हो गया। कवरेज को बढ़ाने के लिए एनजीओ तथा निजी चिकित्सकों की और अधिक सहभागिता प्राप्त की जा रही है।

36. अब यह मान लिया गया है कि किसी भी धिरकालिक रोग के लिए दीर्घकालिक उपचार का अनुपालन सुनिश्चित करने में अंतर्निहित समस्याएं रहती हैं। दीर्घकालीन औषधि उपचार के अनुपालन में सुधार लाने के लिए आरएनटीसीपी ने अल्पकालीन किमोथेरेपी सहित प्रत्यक्षतः पर्यवेक्षित उपचार (डीओटीएस) के प्रयोग की बात सोची। यह आवश्यक है कि डीओटीएस कार्यनीति की उपयोगिता, स्वीकार्यता और संधारणीयता का मूल्यांकन किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो उसमें मध्यावधिक संशोधन किए जाएं। परिचय और निधियों की उपयोगिता तालिका 5.6.6 में दर्शाई गई है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी)


37. शत-प्रतिशत केन्द्रीय-प्रायोजित स्वकीय धरे रूप में धिस्तपोषित एनएलईपी 1983 में इस लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था कि रोग के संघरण पर काबू पाया जाए और सन 2000 तक रोग की व्याप्ति की दर घटाकर प्रति 10,000 पर एक तक ला दी जाए। बहु-औषधिक उपचार (एमडीटी) की उपलब्धता से 6 महीने से 24 महीने तक की अपेक्षतया लघु अवधि में कुष्ठ रोग के मामलों का उपचार करना संभव हो गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुष्ठ रोग की व्याप्ति में भारी कमी आई है और जहां 1981 में उसकी व्याप्ति 57/10,000 थी, वह वर्ष 2000 में घटकर 5/10,000 रह गई (चित्र 5.6.6)।

चित्र : 5.6.6 कुष्ठ रोग मामलों की व्याप्ति (1988-2000)



स्रोत: एनएलईपी, स्वास्थ्य विभाग 2001

38. नौवीं योजना के दौरान एनएलईपी का निष्पादन चित्र 5.6.7 में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उर्ध्वोपर कार्यक्रम को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में घरणबद्ध रूप से शामिल करने की दिशा में उपाय शुरू किए हैं और इस प्रयोजन के लिए विभाग ये कार्य कर रहा है: कुष्ठ रोग के मामलों की पहचान और देखभाल के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में एमडीटी उपलब्ध कराना, विकलांगता और अल्सर देखभाल में सुधार तथा



स्रोत: एनएलईपी, स्वास्थ्य विभाग 2001

तालिका 6.5.7 एनएलईपी के लिए परिव्यय और निधियों का प्रयोग

वर्ष	परिव्यय	व्यय/ संशोधित अनुमान
9वीं योजना	301.00	
1997-98	75.00	79.56
1998-99	79.00	78.03
1999-00	85.00	82.05
2000-01	74.00	73.86
2001-02	75.00	75.00*
2002-03	75.00	

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग, 2001

* प्रत्याशित

अनुश्रवण और पर्यवेक्षण का सुदृढीकरण। नवीन योजना के दौरान परिव्यय और निधियों का प्रयोग तालिका 5.6.7 में दर्शाया गया है।

39. 2001 की स्थिति के अनुसार, कुष्ठ रोग की अनुमानित व्याप्ति दर प्रति 10,000 में 4.3 है। नागालैंड, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर तथा असम में उन्मूलन स्तर (व्याप्ति दर 1/10,000) प्राप्त कर ली गई है। जो राज्य उन्मूलन (1-2/10,000) के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट हैं,


उनमें गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप शामिल हैं। संप्रति, कुष्ठ रोग मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में स्थानिक रोग बना हुआ है। अनभिज्ञता मामलों की पहचान के प्रति लक्षित परिशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान (एमएलईसी) सर्वप्रथम 1997 में तमिलनाडु में शुरू किया गया था और बाद में 1997-98 के दौरान इसका विस्तार महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर के जम्मू प्रभाग तथा दमन और दीव में कर दिया गया। बाद में 1998-99 के दौरान इसका विस्तार सभी जिलों में कर दिया गया।

40. यद्यपि कुष्ठ रोग बेसिलस के कारण संक्रमण एमडीटी से ठीक हो जाता है, फिर भी रोगी स्नायु तंत्रिय अनुगम और विकृतियों के शिकार रहते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान ऐसे व्यक्तियों की सहायता की ओर लगाया जाए। विकलांगता/अल्सर देखभाल प्रबंध प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए अभी तक 210 जिले कुष्ठ रोग सोसायटियों को निधियां प्रदान की जा चुकी हैं। गुजरात ने विभिन्न जिला अस्पतालों में पुनर्रचनात्मक सर्जरी करने के लिए सारे देश से अनुभवी सर्जनों को इकट्ठा किया जिससे कि रोगियों को उनके आवास के निकट उपचार मिल सके। इस प्रकार की पहलों के प्रभाव और लागत प्रभाविता का जायजा लिए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

41. समुदाय में एचआईवी संक्रमण का भार जनसंख्या के तीन समूहों में संक्रमण की व्याप्ति पर निर्भर करता है और ये तीन समूह इस प्रकार हैं : उच्च जोखिम समूह, अंतःचरण समूह और न्यून जोखिम समूह। उच्च जोखिम समूह (एचआरजी) अपेक्षतया एक छोटा समूह। समुदाय के संक्रमण के तत्काल बाद इस समूह में संक्रमण की व्याप्ति में तेजी से वृद्धि होती है क्योंकि उन्हें संक्रमण का जोखिम बारम्बार होता है। अंतःचरण समूह में मुख्यतः ऐसे पुरुष और महिलाएं होती हैं जिनके बहु-यौन संबंध होते हैं। ये ऐसी कड़ी का काम करते हैं जिनके माध्यम से संक्रमण सामान्य लोगों के विशाल न्यून जोखिम समूह में संचरित हो जाता है। सामान्य लोगों (न्यून जोखिम समूह) एचआईवी संक्रमण अपने ऐसे जीवन साथी से प्राप्त होता है जिसके कुछेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध होते हैं। किसी भी देश अथवा समुदाय में एचआईवी संक्रमण की मात्रा का निर्धारण इन तीन समूहों के आकार और इनके बीच अंतःचरण समूह की मात्रा पर निर्भर करता है। एचआईवी संक्रमण से संबंधित वैश्विक स्थानिक रोग वैज्ञानिक आंकड़ों से यह पता चलता है कि समुदाय में संक्रमण शुरू हो जाने के तत्काल बाद सिरোपालिटिविटी दर न्यून हो जाती है। अगले चरण में यह संक्रमण दुर्बल समूहों में अति संवेदनशील समूहों में फैल जाता है जिसके फलस्वरूप सिरোपालिटिविटी दरों में भारी वृद्धि हो जाती है। अंततः, तीसरे चरण में सिरোपालिटिविटी दरें स्थित हो जाती हैं जबकि संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या उतनी ही हो जाती है जितनी की एचआईवी संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों की होती है। इस आशय के ढाल की गहराई और जितनी तेजी के साथ अधित्यका की स्थिति में पहुंचा जाता है, वह समुदाय में अति संवेदनशील जोखिमपूर्ण व्यक्तियों और जोखिम समूहों द्वारा प्रोफिलेक्टिक उपायों की प्रभाविता के बीच अनुपात पर निर्भर करता है।

42. एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, जो कि 1991 में एक से दो मिलियन के बीच थी, 1998 में बढ़कर 3.5 मिलियन और 2000 में बढ़कर 3.9 मिलियन हो गई। 50 प्रतिशत से अधिक संक्रमित व्यक्ति महिलाएं तथा बच्चे हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 30,000 प्रसव सिरोपालिटिव महिलाओं में होते हैं और 6,000 से 8,000 शिशु प्रसव-पूर्व एच.आई.वी. से संक्रमित थे। सम्प्रति, देश में एड्स के रोगियों की संख्या कम है। तथापि, अगले दशक में जो व्यक्ति 1980 और 1990 के दशकों में संक्रमित हुए हैं, उनमें एड्स उत्पन्न हो जाएगा जिसके फलस्वरूप एड्स के रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी।



43. भारत की यह विशेषता है कि जब एड्स के मामलों के सूचित किए जाने से बहुत पहले एच.आई.वी. स्थानिक रोग के शान्त चरण में एच.आई.वी. संक्रमण के परिमाण और मात्रा परिभाषित करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय सिरॉ निगरानी की शुरुआत कर दी थी। आजकल सभी राज्यों में शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में सामान्य जनता में एच.आई.वी. संक्रमण पाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) द्वारा प्रस्तुत कुछेक अनुमानों से यह पता चलता है कि भारत में एच.आई.वी. संक्रमण सन 2000 तक अधित्यका के स्तर तक पहुंच जाएगा।

44. विश्व बैंक की सहायता से एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.पी.) चरण-I 1992 में शुरू किया गया था, जो 1999 में पूरा कर लिया गया है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी (यू.एस.ए.आई.डी.) के वित्तपोषण से कार्यक्रम के चरण-II को आजकल कार्यान्वित किया जा रहा है। एड्स चरण-II कार्यक्रम निम्न पर केन्द्रित है:

- लक्षित हस्तक्षेपणीय उपायों द्वारा गरीबों और सीमान्त उच्च जोखिम समूह वाली जनसंख्या के बीच एच.आई.वी. संक्रमण में कमी लाना;
- रुधिर-आधारित संचरण घटाकर सामान्य लोगों के बीच एच.आई.वी. के प्रसार में कमी लाना;
- आई.ई.सी., स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श को बढ़ावा देना;
- एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए समुदाय-आधारित कम लागत की देखभाल के निमित्त क्षमता विकसित करना;
- उपयुक्त व्यवस्थाओं और विश्वसनीय सूचना की सामयिक सुलभता में सुधार लाकर राष्ट्रीय, राज्य और पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता का सुदृढीकरण करना;
- सरकार, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच अन्तः क्षेत्रीय तालमेल स्थापित करना।

क्षमता निर्माण

- परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनता के सभी वर्गों के बीच जागरूकता सृजन
- किशोरों, देह व्यवसाय में लगे लोगों, नशीली दवाओं का सेवन करने वाले, प्रवासी श्रमिकों आदि की तरफ केन्द्रित ध्यान और उन्हें परामर्श देना
- कंडोमों के सामाजिक विपणन सहित उनकी गुणवत्ता और सुलभता में सुधार लाना
- स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों में संक्रमण के आकस्मिक प्रसार को कम करने के लिए अस्पताल संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्ध
- माता से बच्चे को संक्रमण रोकने के लिए किमोथेरेपी के सम्बन्ध में निदानात्मक परीक्षण
- व्यवहार्यपरक निगरानी की स्थापना


एन.ए.सी.ओ. द्वारा स्थापित आधारिक तंत्र

निम्न का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण

- 815 रुधिर बैंक
- जिला अस्पतालों में 504 एस.टी.डी. क्लिनिक निम्न की स्थापना
- 40 रुधिर घटक पृथक्करण सुविधाएं
- 142 स्वैच्छिक रुधिर प्रशिक्षण केन्द्र
- एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्ति की सामयिक प्रवृत्तियों के अनुश्रवण के लिए 320 प्रहरी स्थल
- उच्च जोखिम समूहों में एच.आई.वी. संक्रमण को रोकने और उसकी देखभाल के लिए लक्षित हस्तक्षेपणीय उपायों के निमित्त 570 स्थल
- एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए कम लागत की समुदाय-आधारित देखभाल

इन सभी प्रयासों का अनुश्रवण किया जा रहा है।

45. हाल ही में सम्पन्न हुए व्यवहारपरक सर्वेक्षणों से और एन.एफ.एच.एस. से यह पता चलता है कि दो-तिहाई से अधिक लोग एच.आई.वी. संक्रमण के बारे में जानते हैं। इस सम्बन्ध में काफी मात्रा में शहरी-ग्रामीण तथा अन्तः राज्य भिन्नताएं हैं। एच.आई.वी. संक्रमण की तुलना में एस.टी.डी. के सम्बन्ध में जागरूकता बहुत कम थी (चित्र 5.6.9)। नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के परिचय और व्यय तालिका 5.6.8 में दर्शाए गए हैं।



46. पहले से चले आ रहे हस्तक्षेपणीय उपायों की प्रक्रियाओं और प्रभावी मूल्यांकन के अनुश्रवण तथा एच.आई.वी. स्थानिक रोग की सामयिक प्रवृत्तियों का अनुश्रवण करने के लिए प्रहरी निगरानी (सिरोलाजिकल, एस.टी.डी./व्यवहारपरक) की ओर समुचित ध्यान दिया जाएगा। इन प्रयासों के अलावा, प्रसवकालीन रिट्रोवायरल विरोधी उपचार के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रारम्भिक मार्गदर्शी अध्ययनों के उद्देश्यपूर्ण परिणामों के फलस्वरूप माता से बच्चे को होने वाले संचरण में कमी लाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए एक नोडल बिन्दु रहा है; इन हस्तक्षेपणीय उपायों में केवल स्वास्थ्य

तालिका 5.6.8 एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (लाख रुपए)		
वर्ष	परिचय	व्यय
नौवीं योजना	76000.00	
1997-98	10000.00	12100.00
1998-99	11100.00	9936.00
1999-00	14000.00	13525.00
2000-01	14500.00	17330.00
2001-02	21000.00	23500.00*
2002-03	22500.00	

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग
* प्रत्याशित व्यय

क्षेत्र के निवारण, अभिज्ञान, परामर्श और प्रबन्ध जैसे परम्परागत क्रियाकलाप ही नहीं बल्कि कानून, संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास जैसे क्षेत्र भी शामिल रहते हैं।

47. दसवीं योजना अवधि के दौरान ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक विभाग अपने-अपने क्षेत्र में एच.आई.वी. संक्रमण से सम्बन्धित मुद्दों की ओर ध्यान देगा। उदाहरण के लिए श्रम मंत्रालय को कार्यस्थल पर भेदभाव के निवारण की ओर ध्यान देना चाहिए। एड्स के रोगियों के लिए, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, धर्मशालाओं की व्यवस्था करने के लिए स्वीडिस्क संगठन सर्वाधिक उपयुक्त होंगे और जिन बच्चों के माता-पिता एड्स के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी देखभाल का दायित्व अनाथालयों पर आ जाएगा। यदि प्रत्येक क्षेत्र अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, तो हमारा देश अन्य कार्यक्रमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवारों की देखभाल करने की स्थिति में हो सकता है।

गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और प्रबन्ध

48. नौवीं योजना में गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम शामिल थे : राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीम) तथा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम)। 1990 के दशक के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रीय मार्गदर्शी परियोजनाओं के रूप में अनेक मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, हृदयह्रिकार रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बधिरपन और श्रवण बाधिता निवारण, मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम और चिकित्सीय पुनर्वास। मार्गदर्शी योजना की समाप्ति के बाद इन कार्यक्रमों को इन समस्याओं से सम्बन्धित केन्द्रीय संस्थानों में विलयित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.सी.पी.)

49. ऐसा अनुमान है कि भारत में कैंसर के दो से लेकर 2.5 मिलियन मामले हैं और प्रति वर्ष 700,000 नए मामले जुड़ जाते हैं। लगभग दो-तिहाई मामले ऐसे होते हैं जब उनका पता चलता है तो वे अत्यधिक गम्भीर अवस्था में होते हैं और प्रति वर्ष 300,000 से 350,000 कैंसर रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय पुरुषों में सर्वाधिक आम कैंसर मुंह/ओरोफेरिक्स, मुखग्रसनी, ग्रास नली, उदर और निचले श्वास मार्ग में होता है। महिलाओं में कैंसर आमतौर पर गर्भाशय ग्रीवा, वक्ष, मुंह/ओरोफेरिक्स, ग्रासनली में होता है। भारत में कैंसर रोग के समग्र भार में से 50 प्रतिशत से अधिक तम्बाकू से जुड़े (विशेष रूप से मुखी कैंसर, फेफड़े और ग्रीवा का कैंसर) कैंसर के मामले होते हैं।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- सरकार और एन.जी.ओ. के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा कैंसर की प्राथमिक रोकथाम;
- विशेष रूप से ग्रीवा, वक्ष तथा मुखग्रसनी कैंसरों की शीघ्र पहचान और निदान;
- कैंसर उपचार की मौजूदा सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण;
- कैंसर की अन्तिम अवस्था में प्रशामक देखभाल की बेहतर सुलभता।

50. कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में 1975-76 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 1985 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.सी.पी.) का नया नाम दे दिया गया। यह कार्यक्रम कैंसर रोगियों के अभिज्ञान, उपचार और अनुवर्ती देखभाल के लिए स्थापित 17 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आर.सी.सी.) को निधियां प्रदान करता है; ये केन्द्र कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु और रुग्णता का सर्वेक्षण करते हैं; कैंसर देखभाल में चिकित्सीय और अर्द्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसन्धान पर बल देते हुए निवारणात्मक उपाय करते हैं। एन.सी.सी.पी. ने चिकित्सा कॉलेजों/स्वैच्छिक संगठनों में उपकरणों (कोबाल्ट यूनिट, मेम्नोग्राफी यूनिट) की खरीद तथा अबुदसविद्या ओनकोलोजी स्कन्धों के विकास के लिए निधियां प्रदान कीं। स्वास्थ्य शिक्षा, कैंसर की शीघ्र पकड़ और पीड़ाहरण के प्रति लक्षित जिला पहचान और देखभाल की दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही है। नौवीं योजना आबंटन, प्रत्याशित व्यय और वर्ष 2002-03 का परिव्यय तालिका 5.6.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.6.9 राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (करोड़ रुपये)		
नौवीं योजना		परिव्यय
आबंटन	व्यय	2002-03
190.00	198.14	61.00

51. आज भी कैंसर के अधिकांश मामले तीसरी तथा चौथी अवस्था में पकड़ में आते हैं जबकि उपचार करना संभव नहीं होता। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि चिकित्सीय देखभाल शीघ्र प्राप्त करने की मांग के सम्बन्ध में लोगों की जागरूकता में सुधार लाया जाए। इसी प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों को सी.एम.ई. के माध्यम से सुग्राही बनाने और उनके कौशलों का उन्नयन करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि वे निम्न उत्तरदायित्व संभाल सकें:

- कैंसर निवारण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा;
- उपयुक्त संस्थानों में मानक उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार शीघ्र निदान और देखभाल; तथा
- जिन कैंसर रोगियों के मामलों में जटिलताएं हैं, उन्हें आगे भेजना।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.)

52. आई.सी.एम.आर. द्वारा 1970 के दशक में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला था कि अंधता की व्याप्ति 1.4 प्रतिशत है तथा अंधता के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों का कारण मोतियाबिन्द है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक देखभाल स्तर पर व्यापक देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1976 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम में प्रगति बहुत धीमी थी और 1986-89 में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला कि अंधता की व्याप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया था।

53. आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा जम्मू एवं कश्मीर में अंधता की व्याप्ति समग्र राष्ट्रीय व्याप्ति की तुलना में उच्चतर थी (तालिका 5.6.10)।


तालिका 5.6.10 अंधता की व्याप्ति		
श्रेणी	व्याप्ति (%)	राज्य
न्यून	< 1	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी राज्य
मध्यम	1 से 1.49	गुजरात, हरियाणा, केरल, बिहार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा असम
उच्च	1.5 से 1.99	महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
अति उच्च	≥ 2	मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू एवं कश्मीर

54. 1994 में इन आठ में से सात राज्यों में एन.पी.सी.बी. के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त की गई। जम्मू तथा कश्मीर में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए घरेलू बजटीय सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार थे:

- मोतियाबिन्द के आप्रेशन की गुणवत्ता में सुधार और सात वर्ष की अवधि तक 11 मिलियन आप्रेशन करके मोतियाबिन्द के बकाया आप्रेशनों को पूरा करना;
- नेत्र देखभाल कार्मिकों के ज्ञान और कौशलों का उन्नयन कर के बड़ी मात्रा में, उच्च स्तरीय, कम लागत की नेत्र देखभाल प्रदान करने की देश की क्षमता का सुदृढीकरण करना और सरकारी, स्वैच्छिक तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता के जरिये सेवा आपूर्ति की सुलभता में सुधार लाना; तथा
- महिलाओं, ऐसी मलिन बस्तियों के रहने वालों और आदिवासियों सहित जनसंख्या के सुविधावंचित वर्गों के बीच नेत्र देखभाल की व्याप्ति बढ़ाना।

55. विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना की 2000 में की गई समीक्षा से यह पता चला कि हालांकि आधारिक तंत्र और जनशक्ति तो उपलब्ध करा दी गई है, फिर भी स्थिर सुविधाओं और शिविरों - दोनों का निष्पादन मानदण्डों की तुलना में बहुत निम्न रहा है। अधिकांश जिला अस्पतालों ने 700 - मोतियाबिन्द आप्रेशनों/सर्जन/वर्ष का लक्ष्य पूरा नहीं किया था; अनेक सचल यूनितों ने प्रति वर्ष 1500 मोतियाबिन्द आप्रेशनों के लक्ष्य की पूर्ति नहीं की थी। फलतः मोतियाबिन्द के केवल 8.15 मिलियन (जबकि लक्ष्य 11 मिलियन का था) आप्रेशन किए जा सके और मोतियाबिन्द की व्याप्ति को घटा कर 0.3 प्रतिशत के स्तर तक नहीं लाया जा सका।

56. नौवीं योजना के दौरान निष्पादन चित्र 5.6.10 में दर्शाया गया है। एन.पी.सी.बी. के अधीन परिष्वय और व्यय तालिका 5.6.11 में दिखाए गए हैं। समूचे देश को शामिल करने के प्रयोजन से कार्यक्रम को संशोधित किया गया और यह सिफारिश की गई कि संसाधन मानचित्रण का प्रयोग करके, जो कि सूक्ष्म आयोजना का एक सबसे शक्तिशाली साधन है, जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।




स्रोत: स्वास्थ्य विभाग

तालिका 5.6.11 एनपीसीबी - परिष्वय तथा व्यय (लाख रुपए)

वर्ष	परिष्वय	व्यय
9वीं योजना	44800.00	
1997-98	7000.00	5808.00
1998-99	7500.00	7285.00
1999-00	8500.00	8373.00
2000-01	11000.00	10941.00
2001-02	14000.00	14000.00*
2002-03	8600.00	

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग
* प्रत्याशित व्यय

57. देश के 15 जिलों में हाल में किए गए सर्वेक्षण (1999-2001) से यह पता चला कि अंधता की व्याप्ति (दृष्टि तीक्ष्णता < 6/60) 1.4 प्रतिशत के पिछले अनुपात की तुलना में घटकर 1.08 हो गई है लेकिन वर्ष 2000 तक अंधता की व्याप्ति को घटाकर 0.3 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य की तुलना में यह काफी ऊंची है। 50+जनसंख्या में अंधता की व्याप्ति का अनुमान 8.3 प्रतिशत लगाया गया था। अंधता के उभरते कारणों में मधुमेह, दृष्टिपटल विकृति और ग्लूकोमा की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मधुमेह के 20 प्रतिशत रोगियों में (अनुमानतः भारत की 2 प्रतिशत जनसंख्या मधुमेह से पीड़ित है) मधुमेह दृष्टिपटल विकृति होती है। पिछले तीन दशकों के दौरान अंधता के कारणों में बदलाव आया है। 50+ के लोगों में अंधता के मुख्य कारण चित्र 5.6.11 में दर्शाए गए हैं। अतः, इस कार्यक्रम को नेत्र सम्बन्धी समस्याओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए नया रूप प्रदान किया गया है।



जिला स्तर पर सूक्ष्म आयोजना	
उपाय	अपेक्षित कार्य
दृष्टिहीन व्यक्तियों, विशेष रूप से जिनकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी सूची तैयार करना	<ul style="list-style-type: none"> 50 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की गणना की जाए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों, एन.जी.ओ., पंचायत सदस्य अथवा स्वयंसेवकों द्वारा जांच अंधता के पुष्ट मामलों को गणना के प्रयोजन के लिए ग्राम अंध रजिस्टर में दर्ज करना
नेत्र देखभाल आधारिक तंत्र का मानचित्रण	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी, स्वैच्छिक अथवा निजी क्षेत्र - सभी की स्थिर सुविधाएं अंकित करना
लक्ष्य निर्धारण	<ul style="list-style-type: none"> मोतियाबिन्द आप्रेशन : 3 वर्षों में 600/100,000 जनसंख्या प्रत्येक सुविधा के लिए मानदण्डों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं : <ul style="list-style-type: none"> -1 नेत्र सर्जन = प्रति वर्ष मोतियाबिन्द के 700 आप्रेशन -1 नेत्र बेड = प्रति वर्ष 50 आप्रेशन -कवर किए जाने वाले गांवों, दूरी के आधार पर सुविधाओं का लक्ष्य आबंटित किया जाए -सभी गांवों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ब्लाक-वार लक्ष्य -लैंगिक: >50 प्रतिशत स्त्रियों का समावेशन सुनिश्चित करना -सामाजिक श्रेणी : कम से कम 40% एस.सी./एस.टी. तथा अल्पसंख्यक समूह -आर्थिक मानदण्ड : शामिल 60 प्रतिशत व्यक्ति बी.पी.एल. हैं
आप्रेषन सेवाओं के लिए विकल्प	<ul style="list-style-type: none"> आप्रेषन अनिवार्यतः वातानुकूलित, धूल-मिट्टी से मुक्त और स्टराइल आप्रेषन थियेटर्स में किए जाने चाहिए तकनीकी विकल्प: <ul style="list-style-type: none"> -आई.ओ.एल. सर्जरी द्वारा किए गए आप्रेषन -प्रशिक्षित सर्जन की अनुपस्थिति में आप्रेषन परम्परागत ढंग से किए जाएं
संसाधनों का मूल्यांकन	<ul style="list-style-type: none"> सामग्री-औषधियां तथा उपभोज्य सामग्री, टांके, आई.ओ.एल., चश्में, आंख की मरहम, ओपथेटमिक ड्राप, इंजेक्शन, आप्रेषन का साज-सामान जनशक्ति-नेत्र सर्जन, नेत्र रोग सहायता, प्रशिक्षित नर्स, स्वयंसेवक, परामर्शदाता वित्तीय-मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निधियों की उपलब्धता
गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनुश्रवण	<ul style="list-style-type: none"> अलग-अलग प्रदायक यूनिट द्वारा प्रति ब्लाक में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए डी.बी.सी.एस. द्वारा नियतकालिक समीक्षाएं अनुवर्ती देखभाल, दिए गए चश्मों और रोगी संतुष्टि के बारे में सूचित किए गए आंकड़ों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों का सम-सामयिक अनुश्रवण

मानसिक स्वास्थ्य

58. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के तीन प्रमुख पहलू हैं, मानसिक रोगों के स्वास्थ्य की बहाली, शीघ्र पहचान तथा 'जोखिम वाले' व्यक्तियों का तत्काल उपचार और सामान्य व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं :

- समर्पित मानसिक अस्पताल
- सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के एक अंग के रूप में
- विस्तार सेवाओं सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

59. मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली का एक अंग बनाने और सामान्य अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किए जाने से मानसिक रोग के साथ जुड़े कलंक, दाखिले और उपचार सम्बन्धी कानूनी प्रतिबन्धों में कमी आई है और शारीरिक समस्याओं की शीघ्र पहचान सुकर

बनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित किया गया कि देखभाल में परिवार को सहयोजित किया जाए। इस प्रयास की सफलता से उत्साहित होकर कई राज्यों ने जिला मनश्चिकित्सक इकाइयों की स्थापना की दिशा में शुरूआत की। केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों के सभी जिलों में एक-एक जिला मनश्चिकित्सा इकाई मौजूद है। हालांकि इस दृष्टि से अन्य राज्य पिछड़े हुए हैं, फिर भी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किए जाने की अवधारणा सभी राज्यों द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित कर ली गई है।

60. सम्प्रति, 50 प्रतिशत मेडिकल कालेजों में मनश्चिकित्सा विभाग हैं। अनुमान है कि प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या के लिए एक मनश्चिकित्सा बेड मौजूद है। मानसिक अस्पतालों में 20,000 और सामान्य तथा शिक्षण अस्पतालों में 2,000 से 3,000 मनश्चिकित्सा बेड मौजूद हैं। तथापि, इन सब सुविधाओं के बावजूद अभी भी 10 प्रतिशत से कम मानसिक रोगियों को उपयुक्त देखभाल मिल पाती है, जबकि मानसिक रोग के निवारण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना अभी भी बहुत दूर के सपने की तरह है।

61. आठवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले में निम्न प्रयोजनों सहित एक जिला मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल तैयार और कार्यान्वित किया :

- समुदाय को संधारणीय बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और इन सेवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का अंग बनाना;
- मानसिक रोग की शीघ्र पहचान और तत्काल उपचार;
- आवासीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना;
- मानसिक रोग के साथ जुड़े कलंक को कम करने के लिए सामुदायिक शिक्षा; तथा
- मानसिक रोगियों का उपचार और पुनर्वास।

62. नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार 20 राज्यों के 22 जिलों में कर दिया गया। ऐसा सोचा गया था कि सभी स्वास्थ्य कार्मिकों को अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की मात्रा ऐसा अनुमान है कि:

- दस मिलियन व्यक्ति गम्भीर मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं।
- 20-30 मिलियन लोग विकृति तथा मनःकायिक विकृतियों से पीड़ित थे।
- सभी बच्चों में से 0.5 तथा 1 प्रतिशत बच्चे मानसिक मंदता के शिकार हैं।

जिला-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके मनश्चिकित्सात्मक देखभाल प्रदान करना संभव होगा। एक जिला मानसिक स्वास्थ्य दल को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए रेफरल सहयोग और पर्यवेक्षण प्रदान करना था। स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों द्वारा किए गए कार्य का सरल, शुद्ध रिकार्ड रखा गया। इन जिलों में हुई प्रगति का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। आशा है कि राज्य प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल स्तरों पर मानसिक देखभाल सेवाओं की सुलभता में प्रगामी रूप से सुधार लाएंगे और चरणबद्ध ढंग से सभी जिलों को शामिल करेंगे। मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा विभाग जिस जिले में वे स्थित हैं, उसमें कार्यक्रम के प्रचालन और अनुश्रवण में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे और पहले से चले आ रहे अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों के साथ अभिसरणात्मक तालमेल स्थापित करेंगे। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम का विस्तार और नए जिलों में किया जा रहा है।

दुर्घटना और अभिघात सेवाएं

63. कृषि और उद्योग में बढ़ते हुए यांत्रिकीकरण, विभिन्न प्रचालनों में अर्द्ध-कुशल और अकुशल कामगारों की भर्ती तथा वाहन यातायात में तेज वृद्धि के फलस्वरूप दुर्घटना और अभिघात के कारण रुग्णता, मृत्यु और विकलांगता में वृद्धि हुई है। पिछले दो दशकों में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति के कारण दुर्घटनाओं, अभिघात और विषपान के कारण होने वाली मृत्यु, रुग्णता और विकलांगता में काफी कमी आई है। आज की स्थिति में, केन्द्र अथवा राज्य में कोई भी संगठित व्यापक अभिघात देखभाल सेवा मौजूद नहीं है। नौवीं योजना के दौरान कई अस्पतालों में दुर्घटना और अभिघात देखभाल के प्रबन्ध की सुविधाओं का सुदृढीकरण किया गया है लेकिन उन्हें अभी तक किसी एक प्रभावी बहु-क्षेत्रीय अभिघात देखभाल प्रणाली के साथ नहीं जोड़ा गया है। दिल्ली के लिए इस तरह की एक प्रणाली का एक अवधारणात्मक मॉडल तैयार किया गया है।

नौवीं योजना की पहलें

रोग निगरानी

64. स्वास्थ्य विभाग ने 1997 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा समन्वित रोग निगरानी की एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की थी। आरम्भ में, इस परियोजना के अधीन 20 जिलों में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और एक रोग निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी थी और बाद में सन् 2002 तक 100 जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाना था। कई राज्य निधियों का प्रयोग अथवा कार्यक्रम को सोचे गये तरीके के अनुसार कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की अपनी ऊर्ध्वाधर निगरानी प्रणालियां बनी हुई हैं और इनमें से केवल पोलियो निगरानी का ही उत्तम रिकार्ड रहा है। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन चल रहे सभी निगरानी कार्यक्रमों को रोग निगरानी के एक अकेले कार्यक्रम में समाकलित करने की दिशा में अभी तक कोई सुगठित प्रयास नहीं किए गए हैं। सामान्य महामारी संभावित रोगों का स्थानीय अनुश्रवण तथा विश्लेषण और प्रतिक्रिया के लिए उन्हें जिला अधिकारियों को सूचित किए जाने का काम अभी भी नहीं किया जा रहा है।

65. सामान्य रोगों में 75 प्रतिशत से अधिक उपचारात्मक देखभाल निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, हालांकि निजी स्वास्थ्य प्रदायकों से प्राप्त आंकड़ों को अभी तक किसी रोग निगरानी प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है। 1980 के दशक में आई.सी.एम.आर. ने तमिलनाडु उत्तर अस्काट जिला (एन.ए.डी.एच.आई.) में एक अनुसन्धान परियोजना का वित्तपोषण किया था, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिकों ने भाग लिया था। केरल सरकार ने तीन जिलों में इस मॉडल की पुनरावृत्ति की है। राज्य सरकार का ऐसा विचार है कि दसवीं योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य जिलों में किया जाए। पहले से चले आ रहे ऊर्ध्वाधर रोग निगरानी कार्यक्रम को रोग निगरानी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन शामिल करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि निगरानी को जिला स्तर पर कार्रवाई के साथ जोड़ा जाए।

स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्धन

66. अस्पताल में प्राप्त संक्रमणों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों तथा अपशिष्ट का निपटान करने वालों में संयोगिक संक्रमण के मामलों को लेकर अधिकाधिक चिन्ता बनी हुई है। स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर उपयुक्त, वहनीय, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्ध में सुधार नौवीं योजना के दौरान की गई एक प्रमुख पहल थी। स्वास्थ्य विभाग ने नवम्बर 1998 में स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्ध समिति की स्थापना की है, जो कि इस क्षेत्र में नीति और कार्यक्रम पहलों का समन्वय और मार्गदर्शन करेगी। विभाग की सहायता से 11 संस्थानों में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई। साथ ही, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्ध को, विश्व बैंक सहायता प्राप्त सभी द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के एक घटक के रूप में शामिल किया जा रहा है। अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्ध के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए और उन्हें नवम्बर 2000 में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विचार जानने के लिए उन्हें भेजा गया। कुछ राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्ध के लिए पी.एम.जी.वाई. के अधीन निधियां प्रदान कर रहे हैं। अस्पताल संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्ध को आने वाले वर्षों में देखभाल के स्तरों पर सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अनिवार्य नेमी क्रियाकलाप के एक अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों का समस्तरीय एकीकरण

67. शुरू में जब मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए पर्याप्त आधारिक संरचना और मानवशक्ति उपलब्ध नहीं थी, तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एम.एम.ई.पी.), राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन (एन.एल.ई.पी.) जैसे कई ऊर्ध्वाधर कार्यक्रम शुरू किए गए थे। पिछले वर्षों के दौरान तीन स्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा आधारिक संरचना स्थापित की जा चुकी है। नौवीं योजना में कल्पना की गई थी कि जिला स्तर पर मौजूदा ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों को एकीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थान व्यापक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करें। नौवीं योजना के दौरान निम्न प्रयोजनों के लिए प्रयास किए गए :

• विभिन्न ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों के अधीन प्रशिक्षण और आई.ई.सी. सम्बन्धी क्रियाकलापों का समाकलन;

- आर.सी.एच. तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन एस.टी.डी./प्रजनन मार्ग संक्रमण (आर.टी.आई.) के निवारण और प्रबन्ध के निमित्त क्रियाकलापों का समन्वय;
- पहले से चले आ रहे एच.आई.वी. और क्षय रोग कार्यक्रमों के बीच समन्वय में सुधार लाना; तथा
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र के जरिये कुष्ठ रोग सेवाएं उपलब्ध कराना।

68. उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी की स्थापना की है। कुछ राज्यों ने मध्यम स्तर के ऐसे लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबन्धकों को, जो कि फिलहाल जिला स्तर पर ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे हैं, निर्धारित ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में एकीकृत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम का समन्वयन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अतिरिक्त काम सौंपा जा रहा है। आशा है कि उनके सहयोजन से जिला स्तर पर रोग निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र क्रियाशील हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एन.एच.पी. 2002) में ऐसी परिकल्पना की गई है कि लोक स्वास्थ्य क्रियाकलापों के समूचे तंत्र के वित्तपोषण, कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी अभिसरण प्रशासन के एक एकल क्षेत्र के अधीन किया जाए जिसकी शुरुआत जिला और जिले के निम्न स्तरों से हो।

स्वास्थ्य प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.)

69. एच.एम.आई.एस., स्वास्थ्य प्रणाली के प्रभावी कार्यकरण के निमित्त एक अनिवार्य प्रबन्ध साधन है। आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो और राज्य स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने एक एच.एम.आई.एस. प्रणाली तैयार की थी। इस प्रणाली के अधीन सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों द्वारा रुग्णता की बाबत सूचित की गई जिला स्तरीय सूचना नेशनल इन्फार्मेटिक्स जिला कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाती है। यद्यपि कुछ राज्यों ने आरम्भ में कार्रवाई की थी, लेकिन यह प्रणाली अभी भी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके माध्यम से विभिन्न जिलों/राज्यों में रुग्णता सम्बन्धी विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किए जा सकें और विकन्द्रीकृत जिला-आधारित आयोजना के निमित्त उनका विश्लेषण और प्रयोग किया जा सके। एक व्यापक एच.एम.आई.एस. निर्मित करने के लिए आजकल उपलब्ध आई.टी. साधनों का प्रयोग करने तथा स्वास्थ्य प्रणाली की प्रभाविता और कार्यात्मक स्तर में सुधार लाने के निमित्त इसका प्रयोग करने की दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि सारे देश के भीतर एक प्रभावी दो-तरफा प्रबन्ध सूचना प्रणाली तैयार की जाए; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, उनका मूल्यांकन किया जाए और सभी जिलों द्वारा उनकी सूचना दी जाए तथा स्वास्थ्य प्रणाली के कार्यात्मक स्तर और प्रभाविता में सुधार लाने के लिए उनका प्रयोग किया जाए। यह वास्तविक समय संचार सम्बन्ध मौजूदा आधारिक तंत्र, जनशक्ति और वित्तपोषण के भीतर सेवा श्रृंखलाओं के माध्यम से जन्म, मृत्यु, रोगों, औषधियों, निदान तथा उपकरण सम्बन्धी अनुरोधों पर पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों की स्थिति से सम्बन्धित आंकड़े मुहैया कराएगा।

सूचना, शिक्षा, संचार और अभिप्रेरण (आई.ई.सी. तथा एम.)

70. देश में स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगों की रोकथाम तथा उपयुक्त स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बनाने के प्रति लक्षित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली एक जागरूक और सुविज्ञ जनता एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ, जो कि इस लक्ष्य की पूर्ति का एक बड़ा साधन है, 1950 और 1960 के दशकों में काफी ध्यान दिया गया था। रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न केन्द्रीय-प्रायोजित ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों, परिवार कल्याण कार्यक्रम के विकास तथा राज्य-विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने के राज्य के प्रयासों के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी प्रयास अलग-थलग पड़ गए। सम्प्रति, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयास अधिकांशतः परिवार कल्याण सेवाओं और रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में मास मीडिया और स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली जानकारी तक सीमित हैं। इसके फलस्वरूप इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने वाली जनता की जागरूकता में सुधार हुआ है। तथापि, जीवनशैली बदलावों तथा निवारक और प्रोन्नयक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के बारे में जनता को अभिप्रेरित करने के प्रति लक्षित सुकर सहभागितापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका है। परिवार और समुदायों के स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कहां जाना चाहिए और किसके साथ सम्पर्क करना चाहिए - इससे सम्बन्धित तत्काल उपलब्ध सूचना की कमी उपयुक्त देखभाल प्राप्त करने में बाधक रही है। विभिन्न ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा को समाकलित किया जाना चाहिए जिससे कि देखभाल के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य कार्मिक जनता को व्यापक आई.ई.सी. सुलभ करा सकें। स्वास्थ्य प्रोन्नति/शिक्षा तथा आई.ई.सी. तथा एम. में पी.आर.आई. और एन.जी.ओ. को शामिल किया जाना चाहिए।

औषधियां - उत्पादन, गुणवत्ता और आपूर्ति

71. केन्द्र और राज्यों में स्वास्थ्य बजट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाता है। तथापि, इनमें से अनेक संस्थानों में उत्तम स्तर की औषधियों का उपयुक्त भण्डार उपलब्ध नहीं होता और उपचार से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ इष्टतम से न्यून स्तर के होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कुछेक कारण निम्नानुसार हैं :

- एकसमान अनिवार्य औषधि-सूची की कमी;
- असन्तोषपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण;
- औषधियों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति में समस्याएं; तथा
- सामान्य रोगों के लिए उपचार प्रोटोकॉलों की कमी, जिसके फलस्वरूप अनावश्यक और अविवेकपूर्ण दवाओं के नुस्खे देखने में आते हैं;
- जागरूकता और परामर्श की कमी के कारण निर्धारित पथ्यापथ्य नियमों का असन्तोषपूर्ण अनुपालन।

72. नौवीं योजना के दौरान अनेक राज्य सरकारों (जैसे कि तमिलनाडु, दिल्ली तथा उड़ीसा) ने निम्न घटकों सहित एक अनिवार्य औषधि कार्यक्रम शुरू किया है :

- एक औषधि नीति का निर्माण;
- अनिवार्य औषधियों की सूची तैयार करना;
- एक गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन प्रणाली स्थापित करना;
- समूहबद्ध अधिप्राप्ति प्रणाली और औषधि आपूर्ति के संभार तंत्र में सुधार;
- सुरक्षित और प्रभावी औषधियों की उपलब्धता में सुधार;
- मानक उपचार मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना और सूचना का प्रसार करना; तथा
- उपचार के सम्बन्ध में रोगियों को जानकारी देना ताकि अनुपालन में सुधार लाया जा सके।

चालू वर्ष में निम्न प्रयोजनों के लिए शुरुआत की जानी चाहिए :

- सभी राज्यों को विस्तारित और सुदृढ़ीकृत अनिवार्य औषधि कार्यक्रम में शामिल करना;
- औषधियों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति के लिए एक ऑन-लाइन कम्प्यूटर औषधि-सूची नियंत्रण कार्यक्रम बनाना;
- औषधियों की लागत, गुणवत्ता, उपलब्धता और प्रयोग के अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;
- औषधियों के प्रतिकूल प्रभाव सहित औषधि प्रयोग के सभी पक्षों का अनुश्रवण करना।

73. भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं – दोनों में तकनीकी दृष्टि से कुशल जनशक्ति और अनुसन्धान-आधारित तंत्र का एक विशाल भण्डार मौजूद है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के पास कम लागत पर अनेक प्रकार की औषधियों के लिए रासायनिक प्रक्रियाएं तैयार करने और उन्हें वाणिज्यिक रूप देने की क्षमता है। तथापि, वित्तीय समस्याओं और क्षमताओं के बंटे होने के कारण कतिपय बल्क औषधियों का उत्पादन अलाभकारी बन जाता है और इस प्रकार भारतीय उद्योग घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार - दोनों के संबंध में अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। लगभग 20,000 विनिर्माण इकाइयों की मौजूदगी और असंतोषपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रक के फलस्वरूप बाजार में नकली और घटिया दर्जे की दवाइयां पहुंच रही हैं। संशोधित राष्ट्रीय औषधि नीति 2001 में निदानात्मक उपाय सुझाए गए थे । फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई थी। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कई उत्पादों को अनारक्षित कर दिया गया। कुछेक बल्क औषधियों को छोड़कर, जिनका उत्पादन रिकाम्बिनेंट डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किया जाता है और जिन बल्क औषधियों के लिए सक्रिय सिद्धान्तों के रूप में न्यूक्लीय अम्लों का अन्तर्जीय प्रयोग आवश्यक होता है, सभी बल्क औषधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

स्वास्थ्य प्रणाली अनुसन्धान तथा जैव-धिकित्सीय अनुसन्धान

74. भारतवर्ष में जैव-धिकित्सीय स्वास्थ्य प्रणाली अनुसन्धान के लिए आई.सी.एम.आर. नोडल एजेंसी है। जैव-धिकित्सीय और स्वास्थ्य प्रणाली अनुसन्धान का वित्तपोषण सम्प्रति,

आई.सी.एम.आर. जैव-प्रौद्योगिकी विभागों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सी.एस.आई.आर.) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित अनेक एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। जैव-चिकित्सीय और स्वास्थ्य प्रणाली अनुसन्धान का काम अनुसन्धान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों द्वारा किया जा रहा है।

75. नौवीं योजना के दौरान प्रमुख बल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, कवरेज और प्रभाविता में सुधार के लिए मूल अनुप्रयुक्त कार्यचालनात्मक अनुसन्धान पर रहा। अनुसन्धान के ध्यातव्य क्षेत्रों में ये शामिल थे : संचारी रोग, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषणिक स्तर में सुधार तथा गर्भनिरोधकों की स्वीकृति और उन्हें जारी रखने की दरों में सुधार। संचारी रोगों के मामले में अनुसन्धान का बल इन बातों की ओर केन्द्रित रहा है : स्वदेशी रोग क्षम-निदान का विकास, सूक्ष्मजीवियों के बीच उभरते हुए औषधि प्रतिरोध से मुकाबला करने के लिए बेहतर औषधि पथ्यापथ्य नियम, बढ़ते हुए कीटनाशक प्रतिरोध से निपटने के लिए रोग वाहक नियंत्रण के निमित्त वैकल्पिक कार्यनीतियां तथा बेहतर सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से नवाचारी रोग नियंत्रण कार्यनीतियों का परीक्षण। गैर-संचारी रोगों से सम्बन्धित अनुसन्धान के प्रमुख क्षेत्रों में ये शामिल थे: महिलाओं में ग्रीवा कैंसर और पुरुष-महिलाओं - दोनों में मुखीय कैंसर का शीघ्र पता लगाना, तम्बाकू-विरोधी शिक्षा, उच्च रक्त चाप और हृदवाहिका रोग के कारण बढ़ती हुई रुग्णता को कम करने के लिए जीवन शैली सुधार, जीवन शैली सम्बन्धी बदलावों और दीर्घायु से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का प्रलेखन।

स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाएं

76. स्वास्थ्य क्षेत्र का वित्तपोषण केन्द्र, राज्यों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (केन्द्र और राज्य - दोनों में) द्वारा किया जाता है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

77. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं आरम्भ में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, अर्थात् भारतीय जनसंख्या परियोजना (आई.पी.पी.) (I से IV, VI तथा VII) पर केन्द्रित थी और बाद में उनमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (आई.पी.पी. V, VIII) भी शामिल कर ली गई। 1990 के दशक के दौरान द्वितीयक देखभाल संस्थानों के सुदृढीकरण के लिए सात राज्यों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं हाथ में ली गईं। संजय गांधी चिकित्सीय शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान (जापान से) जैसी कुछेक अलग-अलग संस्थाओं को छोड़कर, तृतीयक देखभाल संस्थानों को बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं से खास वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ है।

78. ऐसा सूचित किया गया है कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं अनुश्रवण के लिए एक ऐसी परियोजना रूपरेखा, प्रबन्ध संरचनाएं, व्यय के प्राचल, इकाई लागतें और संस्थानगत व्यवस्थाएं लागू करती हैं जो कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के अधीन पहले से ही मौजूद व्यवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती हैं। जिन सेवा प्रदायकों ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में

काम किया होता है, वे परियोजना के पूरा होने के बाद विप्रेरित हो जाते हैं क्योंकि इसी प्रकार के व्यय प्राचल संधारणीय नहीं रहते। ऐसा भी बताया गया है कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से सुविधाओं और उपकरण सम्बन्धी सुधारों के फलस्वरूप बेहतर निष्पादन देखने में नहीं आया है। उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में उप-केन्द्रों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किए जाने के बावजूद उनमें रहने वालों की संख्या कम थी और इन संस्थानों में होने वाले प्रसवों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। राज्य ई.ए.पी. के अधीन अधिप्राप्ति इन आधारिक तंत्रों और उपकरणों के रखरखाव के लिए समुचित निधियां नहीं उपलब्ध करा सके हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बाह्य सहायता के निमित्त क्षेत्रों/स्कीमों के बारे में निर्णय लेते समय इन पहलुओं और परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद संधारणीयता के मुद्दे की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जब ई.ए.पी. ऋणों के रूप में होती है, तब ऋणों की वापसी की व्यवस्था एक ऐसा अन्य पहलू है जिसके बारे में स्वास्थ्य क्षेत्रक में ई.ए.पी. के शुरू किए जाने से पहले विचार किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार

79. राज्य सरकारें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक देखभाल संस्थानों (मेडिकल कालेजों और उनके सम्बद्ध अस्पतालों सहित) के लिए निधियां उपलब्ध कराती हैं। राज्य सरकारों को केन्द्रीय-प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रम से भी निधियां प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, प्राथमिकता का एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए नौवीं योजना के दौरान पी.एम.जी.वाई. के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां प्रदान की गई थीं। इन निधियों का प्रयोग ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कार्य रूप देने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना था। पहले से चली आ रही और प्रस्तावित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराती हैं।

80. नौवीं योजना में राज्य-वार परिव्यय और व्यय तथा वर्ष 2002-03 के लिए परिव्यय संलग्नक 5.6.5 में दिखलाया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रक

केन्द्रीय क्षेत्रक से निधियों का प्रयोग निम्न को समर्थित करने के लिए किया जाता है :

- मेडिकल शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान;
- नर्सों के लिए प्रशिक्षण संस्थान;
- विशिष्ट रोगों के लिए टीका प्रबन्ध संस्थान और विशेषज्ञ;
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना;
- आपातकालीन राहत उपाय; तथा
- रोग नियंत्रण की व्यवहार्यता दर्शाने अथवा स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्यनीतियां तैयार करने के लिए मार्गदर्शी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं।

81. अनेक केन्द्रीय-प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए घरेलू बजटीय सहायता के साथ-साथ विदेशी निधियां भी प्राप्त की गई हैं। नौवीं योजना में परिव्यय और व्यय संलग्नक 5.6.6 में दर्शाया गया है।


शून्य-आधारित बजट निर्माण 2001

82. नवम्बर-दिसम्बर 2001 में योजना आयोग तथा स्वास्थ्य विभाग में नौवीं योजना की पहले से चली आ रही सभी स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा की और एक शून्य-आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की। नौवीं योजना में कुल मिलाकर, 91 स्कीमों थीं (22 केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीमों और 69 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों)। इनमें से 45 स्कीमों को कायम रखा जा रहा है, एक स्कीम को राज्य को अंतरित किया जा रहा है, 38 को 14 स्कीमों में विलयित किया जा रहा है और 7 स्कीम समाप्त की जा रही हैं। नौवीं योजना के 5,088.19 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित कुल 59 स्कीमों दसवीं योजना के दौरान जारी रखी जा रही हैं। शून्य-आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया का सार तालिका 5.6.12 में दिया गया है। नौवीं योजना अवधि के दौरान स्कीम-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 5.6.5 में दर्शाए गए हैं। वार्षिक योजना 2002-03 में स्वास्थ्य विभाग को 1550 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।


तालिका 5.6.12 शून्य आधारित बजट निर्माण (करोड़ रुपए) प्रक्रिया 2001
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों

स्कीमों, जिन्हें	केन्द्रीय क्षेत्रक			केन्द्रीय प्रायोजित		
	स्कीमों की संख्या	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	स्कीमों की संख्या	परिव्यय	प्रत्याशित संख्या
कायम रखा जाना है	39	995.24	968.39	6	1,984.00	2,055.94
विलयित किया जाना है	8/24	766.45	850.73	6/14	1,342.50	1,202.59
राज्यो को अंतरित किया जाना है	1	4.00	1.88	शून्य	शून्य	शून्य
समाप्त/रद्द किया जाना है	5	22.00	5.69	2	4.00	2.98
नौवीं योजना की कुल स्कीमों	69	1787.69	1826.69	22	3,330.50	3,261.51
दसवीं योजना में जारी रखा गया	47	1,761.69	1819.12	12.00	3,326.50	3,258.53

संगठनात्मक चार्ट -I
स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र का मौजूदा स्तर



संगठनात्मक चार्ट -II
प्रस्तावित पुनर्गठन और संयोजन



आधुनिक प्रणाली एवं आईएसएम और एच के अंतर्गत अस्पतालों और औषधालयों की राज्यवार/प्रणालीवार संख्या

राज्य/राज्य क्षेत्र	राजीव स्वास्थ्य						श्रीकांत						अरुण						राजीव		
	एच-केन्द्र			प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र			सांख्यिक स्वास्थ्य केन्द्र			आधुनिक चिकित्सा पद्धति			आधुनिक चिकित्सा पद्धति			अरुण			सुरक्षा	सुरक्षा	सुरक्षा
	अन्यित 1991	बीजुद	दस्तावेज योजना के दौरान लब्ध	अपेक्षित 1991	बीजुद	दस्तावेज योजना के दौरान लब्ध	अपेक्षित 1991	बीजुद	दस्तावेज योजना के दौरान लब्ध	अपेक्षित 1991	बीजुद	दस्तावेज योजना के दौरान लब्ध	अपेक्षित 1991	बीजुद	दस्तावेज योजना के दौरान लब्ध	अपेक्षित 1991	बीजुद	दस्तावेज योजना के दौरान लब्ध			
1 आन्ध्र प्रदेश	10242	10568	•	1707	1396	• 321	427	218	208	134	0	1930	3133	69778	22	1249	131	-	28	55	
2 अरुणाचल प्रदेश	226	273	•	37	65	•	9	20	•	11	0	46	-	-	1	15	6	-	-	1	
3 असम	4356	5109	•	728	610	116	181	100	81	325	42	409	288	12861	6	260	10	-	11	30	
4 बिहार	11547	10332	1215	1961	1642	319	490	87	403	427	96	831	328	29090	14	1395	42	-	37	54	
5 छत्तीसगढ़	4692	3818	874	704	545	159	176	150	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 गोवा	136	172	•	23	19	4	6	5	1	33	0	115	105	3848	6	245	-	-	4	-	
7 गुजरात	6168	7274	•	1028	1044	•	257	253	4	7255	9289	583	2528	63417	55	2476	113	28	33	56	
8 हरियाणा	2482	2298	163	414	402	12	103	64	39	130	126	454	80	7230	7	850	19	16	13	20	
9 हिमाचल प्रदेश	973	2069	•	162	302	•	40	65	•	173	169	1081	63	5463	18	355	89	-	11	22	
10 जम्मू तथा कश्मीर	1176	1700	•	198	337	•	49	53	•	610	0	445	67	8202	4	235	12	-	11	6	
11 झारखण्ड	4278	4462	•	676	561	115	169	47	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 कर्नाटक	8431	8143	•	1072	1676	•	288	249	19	797	1163	642	293	36479	178	8400	87	-	39	84	
13 केरल	4325	5094	•	721	944	•	180	105	75	53	164	3523	2107	97840	182	4031	-	-	22	60	
14 मध्य प्रदेश	7430	8835	•	1316	1193	123	329	229	100	256	2	2383	363	18141	47	1810	63	89	47	78	
15 महाराष्ट्र	10533	9725	808	1756	1788	•	439	351	88	8143	1622	486	3115	78820	188	18818	74	278	52	88	
16 मणिपुर	344	420	•	57	69	•	14	16	•	42	0	10	17	1628	3	75	2	-	3	1	
17 मेघालय	484	413	51	77	85	•	19	13	6	21	0	5	9	1828	0	0	1	-	3	1	
18 मिजोरम	122	346	•	20	56	•	5	9	•	13	130	2	12	1021	0	0	1	-	2	4	
19 नागालैंड	325	302	23	54	46	8	14	9	5	17	68	2	28	1156	8	9	-	-	1	1	
20 तमिलनाडु	6374	5927	447	1062	1352	•	265	157	108	1187	282	1104	273	11880	13	473	10	8	19	60	
21 पंजाब	2858	2852	6	476	484	•	119	105	14	1469	5503	629	228	14821	17	988	23	84	19	36	
22 राजस्थान	7484	8826	•	1247	1674	•	312	283	49	268	134	3898	219	21387	182	1831	81	88	26	109	

क्र.सं./व्यक्ति का नाम	राज्यीय स्तर पर						राज्यीय स्तर पर						राज्यीय स्तर पर						
	संयोजित		अन्य		कुल		संयोजित		अन्य		कुल		संयोजित		अन्य		कुल		
	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	संयोजित	अन्य	
23	सिक्किम	85	147	14	24	4	2	2	2	147	0	2	1	300	0	0	1	1	2
24	हरियाणा	7424	8882	1237	1436	309	72	237	237	512	278	306	408	48780	229	2187	65	100	32
25	गुजरात	578	539	40	96	58	38	24	11	612	0	98	29	1866	2	30	9	1	3
26	उत्तरांचल	1764	1808	155	257	8	30	36	36										
27	उत्तर प्रदेश	20573	18576	1997	3458	865	280	585	585	1750	5729	2236	735	47278	1843	11498	81	150	72
28	पश्चिम बंगाल	10056	8126	1726	1282	431	98	332	332	571	0	1153	388	53732	19	1007	111	10	27
29	अरुणाचल प्रदेश	45	100	7	18	2	4	4	4	136	0	7	10	901	0	0	0	0	1
30	झारखण्ड	13	13	0	2	1	1	0	0	33	0	9	1	500	3	185	3	10	2
31	झारखण्ड	40	36	4	7	6	1	1	1	3	6	2	3	115	2	0	0	0	0
32	उत्तरांचल	12	21	2	3	1	1	0	0	28	0	1	3	150	1	5	0	0	0
33	हिमाचल प्रदेश	190	42	148	32	8	8	8	8	490	0	236	77	19345	17	1322	68	28	9
34	राजस्थान	7	14	1	4	0	3	0	0	0	0	6	2	70	0	0	0	0	0
35	कर्नाटक	58	80	10	39	3	4	0	0	12	0	21	29	3136	0	0	0	0	3
36	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	79	0	0	1	25	0	0	0
37	केन्द्रीय अखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	39	930	0	0	0
38	केन्द्रीय अखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0
39	केन्द्रीय अखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0
40	केन्द्रीय अखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0
कुल		134106	139044	8181	22349	22028	1794	6587	3877	2562	24883	23828	14826	883163	2891	188261	1063	571	638

* भारत
नोट: शून्य सूचना
स्रोत: भारतीय स्वास्थ्य सूचना, आईएसएम तथा एच इन इंडिया तथा परिवार कल्याण विभाग, आंकड़े अंतिम हैं।

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में जनशक्ति की आवश्यकता

जनशक्ति की कोटि	1991 की जनगणना के अनुसार आवश्यकता	30.6.2000 को मौजूद	संस्कीकृत संख्या	रुमी	खाली
1	2	3	4	5	6
विशेषज्ञ	22348	3741	6579	18607	15769
(4/सीएचसी)					
पीएचसी में डॉक्टर	22349	25508	29702	3157*	7353*
(1/पीएचसी)					
ब्लॉक विस्तार शिक्षक/ स्वास्थ्य शिक्षक	22349	5508	6534	16841	15615
(1/पीएचसी)					
फार्मसिस्ट	27936	21077	22871	6859	5065
(1 सीएचसी + 1/पीएचसी)					
प्रयोगशाला तकनीशियन	27936	12709	15865	15227	12071
(1 सीएचसी + 1/पीएचसी)					
एक्स-रे तकनीशियन/रेडियोग्राफर	5587	1768	2137	3819	3450
(1 सीएचसी)					
नर्स दार्ई	61458	17673	22672	43785	38786
(7 सीएचसी + 1/पीएचसी)					
स्वास्थ्य सहायक (पु.)	22349	22265	26427	84	4078*
(1/पीएचसी)					
स्वास्थ्य सहायक (म.)	22349	19426	22479	2923	130*
(1/पीएचसी)					
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.)	134108	73327	87504	60781	46604
(1/एससी)					
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (म.)	156457	134086	144012	22371	12445
(1/एससी + 1/पीएचसी)					
जोड़	525226	337086	386782	191297	138444

* अधिशेष का परिचायक है

स्रोत: आरएचएस बुलेटिन, जून, 2000 (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय)

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए परियोजना

रुपए लाख

राज्य	तीर्थी योजना परियोजना स्वास्थ्य	1997-98		1998-99		1999-2000	2000-01	2001-02
		परियोजना स्वास्थ्य	वार्षिक खर्च स्वास्थ्य	परियोजना स्वास्थ्य	वार्षिक खर्च स्वास्थ्य	परियोजना स्वास्थ्य	वार्षिक खर्च स्वास्थ्य	परियोजना स्वास्थ्य
आन्ध्र प्रदेश	63062.00	13937.00	12366.00	20046.00	19665.00	28033.00	27749.96	33223.02
अरुणाचल प्रदेश	33502.00	3149.00	1782.00	3520.00	1814.00	2947.00	2068.83	2476.01
असम	38410.00	6561.00	6223.00	7191.00	6887.00	7741.00	7439.00	12580.00
बिहार	83200.00	7245.00	4950.00	12177.00	6902.00	12766.00	9991.00	10078.21
गोवा	8122.00	1062.00	1032.00	772.00	1089.00	1846.00	1423.00	1649.00
गुजरात	83225.00	22093.00	17180.00	23550.00	17179.00	25100.00	26000.00	21000.00
हरियाणा	35134.00	3882.00	4493.00	5946.00	4126.00	5327.00	5648.00	6595.00
हिमाचल प्रदेश	31765.00	5544.00	6535.00	8965.70	8164.00	10555.00	9685.09	12014.86
जम्मू तथा कश्मीर	110029.00	7450.00	6989.00	11385.51	8244.00	11974.00	10595.17	11626.32
कर्नाटक	110000.00	18359.00	21914.00	19544.30	22909.00	22774.00	22558.11	26679.60
केरल	30940.00	6096.00	5826.00	8200.00	7343.00	6400.00	6335.00	5553.00
मध्य प्रदेश	56787.00	9331.00	7031.00	17351.47	14524.00	13524.00	11217.62	13462.62
महाराष्ट्र	91823.00	17391.00	13811.00	22993.00	16224.00	27796.00	30485.85	39128.91
मणिपुर	3600.00	630.00	540.00	809.35	809.00	1080.00	1250.00	1486.00
मेघालय	14000.00	2430.00	1790.00	2430.00	2360.00	3079.00	3300.00	3200.00
मिजोरम	11201.00	1651.00	1651.00	1816.00	1785.00	2286.00	2562.00	2542.00
नागालैंड	10631.00	2506.00	2480.00	2128.00	2022.00	2128.00	1577.00	1283.00
उड़ीसा	41606.00	4104.00	5198.00	7526.21	7042.00	13208.00	8405.05	14915.16
पंजाब	51159.00	9938.00	3187.00	16352.00	8374.00	18319.00	19187.00	17485.57
राजस्थान	77060.00	13919.00	2339.00	15289.00	10991.00	17262.00	9914.94	12366.30
सिक्किम	8000.00	857.00	757.00	814.00	1914.00	1559.00	1200.00	1373.50
तमिलनाडु	78052.00	8909.00	11005.00	11850.93	12843.00	12426.00	12724.42	18084.16
त्रिपुरा	8559.00	1371.00	1091.00	1407.92	1448.00	1355.00	1442.46	1879.18
उत्तर प्रदेश	118500.00	17312.00	15609.00	40551.00	10862.00	42816.00	30200.00	37278.00
पश्चिम बंगाल	97864.00	20833.00	3322.00	19286.00	7811.00	23502.00	32176.00	42931.24
कुल राज्य	1296221.00	206380.00	169103.00	279702.39	203511.00	315607.00	295035.60	351072.66
संघ राज्य क्षेत्र *								
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7741.00	1559.00	1831.59	1895.00	2055.29	2000.00	1900.00	1900.00
चण्डीगढ़	17065.00	3617.00	3748.90	3548.30	3297.61	3483.00	3717.00	3947.25
दादर एवं नगर हवेली	514.00	219.00	148.87	252.70	169.82	280.00	217.80	234.80
दमन और दीव	887.00	133.00	165.96	173.00	166.91	136.00	150.10	165.00
दिल्ली	110140.00	15240.50	12684.15	19700.00	13994.62	27345.00	26642.00	34121.00
लक्षद्वीप	817.46	233.85	267.78	333.00	323.61	229.03	281.45	211.46
पंडिचेरी	10000.00	1630.00	1546.97	2370.00	1921.30	2720.00	2720.00	3160.54
कुल संघ राज्य क्षेत्र	147164.46	22632.35	20394.22	2827.00	21969.16	36193.03	35628.35	43740.05
सकल जोड़ (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	1443385.46	229012.35	189497.22	307974.39	225480.16	351800.03	330863.95	394812.71
छत्तीसगढ़								6024.66
झारखंड								
उत्तरांचल								5972.00
कुल जोड़ (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र) 3 राज्यों सहित								406809.37

स्वास्थ्य विभाग के लिए परिच्यय

करोड़ रुपये

क्र. सं.		स्कीमों/संस्थान के नाम	पीवी योजना आवंटन व्यय	पीवी योजना प्राथमिकित्व व्यय पीवी योजना	2002-03 परिच्यय
9वीं	10वीं				
		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
		संचारी रोग नियन्त्रण			
1-2	1	रोगाणु जनित रोग नियन्त्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मलेरिया, कालाजार, फैलेरिया, डेंगू और जे.ई.)	1000.00	954.95	235.00
3	2	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	301.00	388.48	75.00
4	3	राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	450.00	462.73	115.00
5	4	एबत सुरक्षा उपायों और राष्ट्रीय एसटीडी नियन्त्रण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय एबत नियन्त्रण कार्यक्रम	760.00	745.26	225.00
6		गिनी कृमि उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम	2.00	1.29	
7	5	रोग निगरानी कार्यक्रम	25.00	20.32	10.00
8	6	अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन	2.00	1.79	5.00
		औषधि और खाद्य प्रहासन को सुदृढ़ करना और क्षमता निर्माण नियंत्रण			
9	7	क्षमता निर्माण (औषधि गुणवत्ता) के लिए राज्यों को सहायता	20.00	29.00	20.00
10	8	औषधि और ड्रैफ्ट के लिए क्षमता निर्माण	20.00	1.00	1.30
11		राज्य औषधि विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना	5.00	5.10	
12		राज्य औषधि नियन्त्रण संगठनों को उनकी सूचना प्रणाली में सुधार सहित सुदृढ़ करना और प्रवर्तन और सहायक स्टाफ को मजबूत बनाना!	5.00		
13		राज्यों को उनकी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता		0.80	
14		प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित राज्यों/संघ राज्यों में जिला खाद्य निरीक्षण स्थापित करना	5.00	3.16	
		गैर-संचारी रोगों का नियन्त्रण/रोकथाम			
15	9	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	448.00	464.79	86.00
16-17	10	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	190.00	198.14	61.00
18-19	11	राष्ट्रीय आयोडीन अभाव विकास नियंत्रण कार्यक्रम	18.00	14.75	7.00
20	12	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	28.00	20.39	30.00
21	13	राज्यों को सहायता सहित नशा मुक्ति कार्यक्रम	20.00	26.51	7.00
		अन्य कार्यक्रम			
22	14	सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए यू एन डी पी पायलट पहल		2.50	4.80
					682.10
		केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम			
		संचारी रोग नियन्त्रण			
1	1	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली (गिनी कृमि और खाद्य उन्मूलन सहित चालू कार्यक्रमों का)	23.00	22.40	12.00
2		संस्थान को सुदृढ़ करना	3.70	3.69	

संलग्नक 5.6.6

करोड़ रुपये

क्र. सं.		स्कीमों/संस्थान के नाम	नीची योजना आवंटन व्यय	नीची योजना प्रत्याशित व्यय नीची योजना	2002-03 परिष्कृत
श्री योजना	10वीं योजना				
3	2	राष्ट्रीय अन्व रोग संस्थान बंगलौर	1.50	3.78	2.00
4	3	सकल रक्त रक्तस्य अन्व और सम्बन्ध रोग संस्थान, महरीली, दिल्ली	30.00	27.60	10.00
5	4	केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान बैंगलूर (तमिलनाडु) कुष्ठ निवन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण, अनुसंधान और उपचार का क्षेत्रीय संस्थान	5.00	3.57	1.00
6	5	(क) आर. एल. टी. आर. आई, असका (उड़ीसा)	2.00	0.56	0.40
7	6	(ख) आर. एल. टी. आर. आई, रायपुर (एन. पी)	2.50	0.71	0.20
8	7	(ग) आर. एल. टी. आर. आई, गैरीपुर (ए. बंगाल)	5.00	4.65	1.50
9	8	बीबीबी प्रयोगशाला, गिन्डी, चेन्नै	5.00	5.80	5.00
10	9	भारतीय पीरबुर संस्थान, झुनूर	6.00	13.10	7.00
11	10	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाली	20.00	21.83	5.00
					44.10
		अस्पताल और डिस्पेंसरीकां			
12	11	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	40.00	47.66	20.00
13	12	केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची	16.00	17.00	8.00
14-15	13	अखिल भारतीय डाकू और श्रवण संस्थान, मैसूर	8.00	15.21	7.00
16-17	14	अखिल भारतीय भौतिक औषधि एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई	15.00	6.71	2.70
18	15	स्वास्थ्य क्षेत्रक आपदा तैयारी और प्रबंधन	3.00	3.00	6.00
19	16	सकबरजन अस्पताल, नई दिल्ली	103.00	96.36	65.00
20	17	डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	45.00	70.07	25.00
21	18	मानव व्यवहार एवं सम्बन्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा, दिल्ली	10.00	3.00	1.00
					134.70
		चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
		(क) चिकित्सा शिक्षा			
22 से 25	19	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं इसके सम्बन्ध विभाग, नई दिल्ली	340.00	382.47	105.00
26	20	पी. जी. आई. एन. ई. आर. बंकीगढ़	175.00	162.00	25.00
27	21	जे. आई. पी. एन. ई. आर., पांडिचेरी	70.00	52.05	15.00
28	22	जे.के. हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कुपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	65.00	30.59	10.00
29	23	कन्याश्री चरण कला चिकित्सालय, नई दिल्ली	56.00	49.92	6.00
30	24	शिक्षण में पूर्णतः क्षेत्र डेबु इन्डिरा गांधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान	85.00	59.50	60.00
31	25	कन्याश्री स्वास्थ्य समिति, बर्ब	25.00	38.28	10.00
32	26	डी. पी. सेन्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	5.00	11.28	8.00
33-34	27	i) अखिल भारतीय सऊई एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	15.00	6.82	3.00
35	28	ii) भारत सरकार के जीवन विज्ञान एवं रासायनिक परीक्षण, कोलकाता	1.25	1.23	0.50
36	29	राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, नई दिल्ली	15.00	25.12	8.00
37	30	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षणी, नई दिल्ली	1.60	1.55	0.50

क्र. सं.		स्कीमों/अस्थान के नाम	नीची योजना आवंटन व्यय	नीची योजना प्राथमिकता व्यय नीची योजना	2002-03 खर्च
9वीं योजना	10वीं योजना				
38	31	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	0 50	0 77	0 20
39	32	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	3 90	2 78	1 00
40	33	स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा आयोग	2 00	0 00	5 00
41	34	एन आई एन एच ए एन एल बेगलूर	60 00	80 40	24 00
		(ख) उपचर्या शिक्षा			
42	35	भारतीय उपचर्या परिषद		0 50	0 40
43 जब 47	36	वर्तमान उपचर्या स्कूलों में सीटों का सुवृद्धीकरण/उन्हें बढ़ाना।	4 50	8 05	20 00
48	37	आर ए के उपचर्या, कॉलेज नई दिल्ली	3 50	1 53	3 00
49	38	लेडी रीडिंग स्वास्थ्य स्कूल।		0 25	0 30
		(ग) अनुसंधान			
50 जब 55	39	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	263 00	333 37	110 00
		अन्य कार्यक्रम			
56	40	राष्ट्रीय जैव संस्थान नोएडा (उ प्र)	70 00	63 54	20 00
57	41	स्वास्थ्य शिक्षा	6 00	3 97	2 20
58	42	स्वास्थ्य अभिसूचना एव स्वास्थ्य लेखा	1 25	1 44	1 90
59	43	पतन स्वास्थ्य प्राधिकरण (नए सुजित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्यालयों की स्थापना सहित)	2 00	2 12	1 60
60	44	डी जी एच एस का सुवृद्धीकरण	3 99	7 87	2 00
61	45	मंत्रालय के अंतर्गत विभाग का सुवृद्धीकरण			3 00
62	46	खाद्य मिलावट रोकथान	20 00	12 63	8 00
63-64	47	केन्द्रीय ड्रग स्टैंडर्ड एव नियंत्रण सगलन	40 00	23 68	15 00
					53 70
		वर्षा की योजना के बीच नई पहले			
	48	केन्द्र प्रायोजित स्कीम			20 00
	49	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम			0 50
					20 50
					1550 00
		स्कीमों जो या तो स्थानांतरित कर दी गईं अथवा बंद कर दी गईं			
65		राजीव स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, मजफरगढ़	4 00	1 78	
66		फ्रेजपुर मानसिक अस्पताल			
67		वैश्विक संगठनों को सहायता			
		(क) चिकित्सा सेवाओं में सुधार	10 00	1 08	
		(ख) राजीव क्षेत्रों हेतु विशेष स्वास्थ्य स्कीम			
68		मॉडल अभ्यासों हेतु सतत शिक्षा	1 00	0 93	
69		सी एच एस संघर्ष के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण	0 50	0 42	
		कुल	5118.19	5280 49	

5.7 परिवार कल्याण

भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है, जिसके पास विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत सतही क्षेत्र है, जिसमें विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या समाए हुए है। जनांकिकीय अन्तरण के प्रारम्भिक चरणों में जनसंख्या में अनिवार्य उच्च वृद्धि दर और अन्तरण की गति में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत विश्व का पहला देश बन गया है, जिसने 1952 में एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया, जिसका उद्देश्य यह था कि "जन्म दर को उस सीमा तक कम किया जाए जितना कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक हो"। पहली पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि "परिवार नियोजन की मुख्य अपील परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण विषयक बातों पर आधारित है। माता के बेहतर स्वास्थ्य और बच्चों की बेहतर देखभाल तथा पालन-पोषण के लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से परिवार को सीमित रखना और दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तर रखना आवश्यक और वांछनीय है। अतः इस उद्देश्य के प्रति लक्षित उपाय लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अंग होने चाहिए।" अतएव, एकदम भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का बल महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल और गर्भनिरोधक सेवाओं की व्यवस्था के प्रमुख घटकों पर रहा है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाएं इन सेवाओं की आपूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र और जनशक्ति के सुनियोजित विकास के निमित्त नीतिगत रूपरेखा और वित्तपोषण करती रही हैं। केन्द्रीय-प्रायोजित और शत-प्रतिशत रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रजनन विनियमन के लिए महसूस की गई सभी जरूरतों की पूर्ति करने और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए राज्यों को अपेक्षित आधारिक तंत्र, जनशक्ति और उपभोज्य सामग्री प्रदान करता है।

2. जनांकिकीय अन्तरण एक सार्वभौमिक स्थिति है। अन्तरण के प्रमुख चरणों में जनसंख्या वृद्धि अनिवार्य होती है। प्रौद्योगिकीय उन्नतियों और स्वास्थ्य देखभाल के बेहतर स्तर तथा कवरेज के फलस्वरूप अशोधित मृत्यु दर (सी.डी.आर.) जो कि 1951 में 25.1 थी, वह घटकर 1991 में 9.8 हो गई। इसके विपरीत, अशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.), जो कि 1951 में 40.8 थी, उसमें इतनी तेज गिरावट नहीं आई और वह 1991 में घटकर 29.5 रह गई। इस प्रकार, 1971-1991 के बीच की अवधि के दौरान वार्षिक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक की रही है। भारतवर्ष में जनांकिकीय अन्तरण अपेक्षतया धीमा, किन्तु स्थिर रहा है। 1991 की जनगणना ने यह दर्शाया कि तीन दशकों के बाद जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 2 प्रतिशत से कम हो गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल देने और उसमें नई जान डालने तथा शताब्दी के अन्तिम दशक में जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर में और तेज गिरावट लाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) ने जनसंख्या सम्बन्धी एक उप-समिति की स्थापना की और 1993 में उसकी सिफारिशों का अनुमोदन किया। नौवीं योजना अवधि के दौरान परिवार कल्याण विभाग ने एन.डी.सी. उप-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया।

3. सम्प्रति, चिन्ता के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ये शामिल हैं :


- प्रजनन और मृत्यु दर में राज्यों के बीच व्यापक भिन्नताएं; अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, जिनमें देश की लगभग आधी जनसंख्या रहती है, प्रजनन और मृत्यु दरें उच्चतर हैं;
- आधारीक जानकारी, जनशक्ति और उपकरणों में कमियां तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) में आधारीक तंत्र और जनशक्ति के बीच बेमेल की स्थिति, रेफरल सेवाओं की कमी;
- 1990 के दशक के दौरान मृत्यु दर में धीमी गिरावट; नौवीं योजना में मृत्यु दर और प्रजनन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो सकेगी;
- पिछले तीन दशकों के दौरान मातृ मृत्यों दरों में कोई गिरावट नहीं आई है, जबकि नवजात शिशु मृत्यु दरें 1990 के दशक के दौरान अधित्यका स्तर पर रही हैं;
- नेमी सेवा कवरेज में गिरावट आई है, जिसके कारण संभवतः कार्यक्रम के अलग-अलग घटकों के लिए अभियान पद्धति प्रचालन पर बल दिया जाना है;
- एक एकीकृत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) सेवाओं की आपूर्ति के लिए कौशलों के उन्नयन में प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के बावजूद सेवाकालीन प्रशिक्षण की गति बहुत धीमी रही है और देखभाल की अन्तर्वस्तु तथा गुणवत्ता में प्रत्याशित सुधार नहीं आ पाया है;
- मूल्यांकन अध्ययनों से यह पता चला है कि यहां तक कि सर्वाधिक निष्पादन वाले राज्यों में भी प्रतिरक्षण सार्वजनीन नहीं है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में कवरेज की दरें अत्यन्त न्यून हैं; पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं किया है;
- औषधि आपूर्ति के संभार तंत्र में कुछ राज्यों में सुधार आया है लेकिन अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उसकी स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है;
- स्थानीय रूप से सृजित सेवा डाटा का उपयोग करते हुए विकेन्द्रीकृत, जिला-आधारित आयोजना, मानीटरन और मध्यावधि सुधार तथा सिविल पंजीकरण को अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है।

इन समस्याओं की ओर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और दसवीं योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

जनगणना 2001

4. जनगणना 2001 के दौरान देश की जनसंख्या 1027 मिलियन – 15 मिलियन दर्ज की थी, जो कि जनसंख्या अनुमानों सम्बन्धी तकनीकी समूह द्वारा 2001 के लिए अनुमानित जनसंख्या से 15 मिलियन अधिक है। 1991-2001 के दौरान दशकीय वृद्धि 21.34 प्रतिशत थी (1981-91 के


दौरान दशकीय वृद्धि 23.86 प्रतिशत थी)। आन्ध्र प्रदेश ने 1990 के दशक के दौरान एक दशक की लघु अवधि में वृद्धि दर में 10 प्रतिशत बिन्दुओं से अधिक की शानदार गिरावट का परिचय दिया है। 1991-2001 के दौरान बिहार में वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है; राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की वृद्धि दरें केरल और तमिलनाडु में 40 वर्ष के पहले के स्तर पर हैं (चित्र 5.7 1)।



नौवीं योजना के दौरान प्राप्त प्रगति

5. नौवीं योजना अवधि के दौरान परिवार कल्याण विभाग ने एन.डी.सी. की जनसंख्या उप-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय रूप से परिभाषित पद्धतियों के विशिष्ट लक्ष्य समाप्त कर दिए गए हैं; बल, समुदाय की मांगों के निर्धारण और इन मांगों की पूर्ति के प्रति लक्षित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर आधारित जिला स्तरीय विकेन्द्रीकृत आयोजना पर दिया गया है। देश में से पोलियो के उन्मूलन के लिए एक विशाल पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। परिवार कल्याण विभाग ने राज्यों और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित आधारिक तंत्र के लिए मानदंडों की उपयुक्त पुनर्रचना और संसाधन सुझाने के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। अनुश्रवण और मूल्यांकन, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बन गए हैं और आंकड़ों का प्रयोग मध्यावधिक संशोधनों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया और 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया।

6. परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा से यह पता चलता है कि सरकारी नेटवर्क अधिकांश एम.सी.एच. और गर्भनिरोधक देखभाल (एन.एफ.एच.एस. 1998-99) प्रदान करता है। तथापि, जनसुविधाओं का प्रयोग उस स्थिति में कम होता है जबकि मामूली रोगों की व्यवस्था के लिए चल देखभाल होती है (चित्र 5.7.2)।



7. परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता में जनांकिकीय सूचकों में राज्यों के बीच और जिलों के बीच व्यापक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए परिवार कल्याण विभाग ने मांगों की पूर्ति करने के लिए नौवीं योजना के लिए विकेन्द्रीकृत जिला-आधारित क्षेत्र-विशिष्ट मांग निर्धारण और कार्यक्रमों की शुरुआत की। आर.सी.एच. कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत उत्तम स्तरीय मातृ, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधात्मक देखभाल करना था। ऐसी अपेक्षा की गई थी कि इन पहलों के फलस्वरूप सेवाओं के कवरेज और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। परिवार कल्याण विभाग को इस योग्य बनाने के लिए अतिरिक्त परिष्वय प्रदान किया गया कि वह राज्यों को उपयुक्त वित्तीय इन्पुट प्रदान कर सके ताकि वे सोचे अनुसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर सकें। नौवीं योजना के लक्ष्य इन्हीं धारणाओं के आधार पर पूर्वानुमानित थे।

8. राज्यों की स्वास्थ्य प्रणालियों को विकेन्द्रीकृत आयोजना और आर.सी.एच. कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुकूल बनाने के लिए में अधिक समय की आवश्यकता थी। आर.सी.एच. कार्यक्रम के विशिष्ट घटकों के अधीन कवरेज में सुधार लाने के प्रयास के एक अंग के रूप में कुछ राज्यों ने अभियान पद्धति प्रचालनों की शुरुआत की जिसका नेमी सेवाओं पर असर पड़ा। विशाल पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से सन् 2000 की सर्दियों तक पोलियो के उन्मूलन के प्रयास का भी नेमी प्रतिरक्षण आपूर्ति सेवाओं पर किंचित प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सब स्थितियों के फलस्वरूप ऐसी संभावना नहीं है कि सी.बी.आर. दम्पति संरक्षण दर, मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर के संबंध में नौवीं योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी (संलग्नक-5.7.1) तथापि, आशा है कि 2004 तक पोलियो के उन्मूलन के लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी।


9. स्वतंत्र सर्वेक्षणों से ऐसा पता चलता है कि कई राज्यों ने नौवीं योजना के दौरान आर.सी.एच. कार्यक्रम के कतिपय पक्षों के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली है, जो यह दर्शाता है कि मौजूदा आधारीक तंत्र, जनशक्ति और इन्पुटों के जरिए इन लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए:

- आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र ने जन्म दरों में पर्याप्त गिरावट का परिचय दिया है; बाद वाले तीन राज्यों के मामले में प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर प्रत्याशित समय से पूर्व प्राप्त कर लिए जाएंगे।
- पंजाब ने सभी अन्य राज्यों से बहुत पहले दम्पति सुरक्षा दर और दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तर रखने की पद्धतियों के प्रयोग के लक्ष्य की पूर्ति कर ली है
- तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में संस्थानगत प्रसवों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है
- केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में प्रतिरक्षण कवरेज में सुधार हुआ है।
- तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में कवरेज और प्रसव-पूर्व देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

10. सेवा रिपोर्टों और साथ ही सर्वेक्षणों (एन.एफ.एच.एस.- 1 तथा 2) से आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस तथ्य के बावजूद कि परिवार कल्याण सेवाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, फिर भी सरकारी तथा निजी सुविधाओं में इन सेवाओं की सुलभता को लेकर आय वर्गों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं (चित्र 5.7.3) सेवाओं के प्रयोग की

पद्धति के सम्बन्ध में शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच स्पष्ट भिन्नताएं थीं। लगभग सभी राज्यों में लैंगिक पूर्वग्रह का साक्ष्य देखने में आया है; इस आशय का साक्ष्य गर्भनिरोधक की स्वीकृति में अन्तरों से शुरू करके बालिका की देखभाल तथा जन्म के समय प्रतिकूल लैंगिक दर तक देखा जा सकता था। दसवीं योजना अर्थात् के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम सभी को ये सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराएगा, भले ही रहने का स्थान, सामाजिक सुधार तथा स्तर कुछ भी हो और चाहे वे पुरुष हों अथवा महिला।

चित्र 5.7.3 आरसीएच सेवाओं की सुलभता




स्रोत: आरएचएस 1999 ■ निर्धनतम 20% □ आगे 20% ■ मध्यम 20% □ आगे 20% ■ धनवान 20%

11. विशिष्ट सेवाओं की सुलभता की पद्धति एकसमान थी, भले ही आय वर्ग कोई भी हो। सभी आय वर्गों में प्रतिरक्षण पा रहे लगभग 90 प्रतिशत; गर्भनिरोधकों को स्वीकार करने वाले 80 प्रतिशत से अधिक और प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सरकारी सुविधाओं का प्रयोग किया था। इसके एकदम विपरीत, सभी आय वर्गों ने मामूली बीमारियों के लिए संचल देखभाल के निमित्त निजी व्यावसायिकों की सेवाएं प्राप्त की थीं। यह शायद सरकारी सुविधा में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता के बारे में जन बोध का परिचायक है।

12. आरसीएच के लिए लोक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोग की पद्धति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि (चित्र 5.7.4):

चित्र 5.7.4 आरसीएच सेवाओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग




स्रोत: एनएचएस 2 ■ एएनएम/एएलसी ■ पीएचसी □ सार्वजनिक अस्पताल □ अन्य लोग

- 40 प्रतिशत से अधिक प्रतिरक्षण एएनएम द्वारा प्रदान किया जाता है और लगभग 20 प्रतिशत पीएचसी में प्रदान किए जाते हैं
- एएनएम केवल 10 प्रतिशत मामलों में प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान करती हैं, अन्य 10 प्रतिशत प्रसव-पूर्व देखभाल पीएचसी द्वारा प्रदान की जाती है
- अधिकांश प्रसव-पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और गर्भनिरोध की समापन पद्धतियों में अधिकांश योगदान बड़े अस्पतालों का होता है।


संभवतः इसके माध्यम से सरकार में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता के प्रति जन बोध का पता चलता है। यह आवश्यक है कि सभी महिलाओं की उपयुक्त प्रसव-पूर्व जांच करने के लिए एएनएम को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अगले कुछ वर्षों में आरसीएच देखभाल के सभी घटकों की सुलभता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने होंगे कि परिवार कल्याण सेवाओं के लिए सभी अघूरी मांगें पूरी कर ली जाएं।

अबांछित गर्भ का निवारण

13. परिवार कल्याण विभाग की सेवा रिपोर्टों के आंकड़ों से यह पता चलता है कि नौवीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों में एक प्रारम्भिक गिरावट के बाद गर्भनिरोधकों की स्वीकृति में सुधार हुआ है। तथापि, समूची नौवीं योजना अवधि के दौरान नए ग्राहियों की



चित्र 5.7.6 पद्धति-वार गर्भनिरोधक का प्रयोग (15-49 आयु की विवाहित महिलाएं)



संख्या 1995-96 में सूचित की गई संख्या की तुलना में न्यून थी (चित्र 5.7.5)। इसका कारण अंशतः यह भी हो सकता है कि परिवार कल्याण विभाग ने 1996-97 से गर्भनिरोध के लिए पद्धति विनिर्देश लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे और इसलिए कार्मिकों ने लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रयास नहीं किए। इसका कारण अंशतः यह भी हो सकता है कि बड़ा-चढ़ा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति में कमी आई है। एनएफएचएस-1 तथा 2 के


आंकड़ों से यह स्पष्ट पता चलता है कि 1990 के दशक के बाद से आईयूडी को छोड़कर, गर्भनिरोधकों की स्वीकृति में गिरावट नहीं आई है (चित्र 5.7.6)। यह स्थिति एसआरएस में सूचित जन्म दर में कमी के साथ मेल खाती है।

14. अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक धनी और निर्धन पंचमक (क्विनटाइल) जनसंख्या के बीच गर्भनिरोधक व्याप्ति को लेकर बहुत मामूली अन्तर है। इसका कारण संभवतः यह है कि 80 प्रतिशत से अधिक लोग गर्भनिरोधक सेवाओं के लिए सरकारी संस्थानों से सम्पर्क करते हैं, जहां इस तरह की सेवाएं बिना किसी खर्च के तत्काल उपलब्ध रहती हैं। गर्भनिरोधकों की व्याप्ति को

लेकर राज्यों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं (चित्र 5.7.7)। केरल को छोड़कर, सभी राज्यों में सर्वाधिक क्विन्टाइल की तुलना में सर्वाधिक धनी क्विन्टाइल के बीच गर्भनिरोधकों की स्वीकृति उच्चतर थी। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में न्यूनतम तथा उच्चतम आय वर्गों के बीच गर्भनिरोधकों की व्याप्ति को लेकर कोई महत्वपूर्ण अन्तर


नहीं है। गर्भनिरोधकों की सभी अधूरी मांगों की पूर्ति करने और प्रजनन में भारी गिरावट लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में विशेष रूप से निर्धन वर्गों के बीच गर्भनिरोधक सेवाओं की बेहतर सुलभता और प्रयोग की तात्कालिक आवश्यकता है।

चित्र 5.7.7 - महिलाओं द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधकों के प्रयोग विषयक अंतरराज्यीय विभेदक (%)




स्रोत आरएचएस 1999

चित्र 5.7.8 महिलाओं द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधकों के प्रयोग में आय संबंधी विभेदक (%)



स्रोत एनएफएचएस 1


चित्र 5.7.9 टीएफआर में आय संबंधी विभेदक (15-19 वर्ष)



स्रोत एनएफएचएस 1


15. आरएचएस सर्वेक्षण (1998-99) के आंकड़ों से यह पता चलता है कि महिलाओं में आय में वृद्धि के साथ गर्भनिरोधकों की स्वीकृति उच्चतर और टीएफआर की स्वीकृति न्यून हो जाती है और उच्चतम क्विन्टाइल समूह में उच्चतम सीपीआर तथा न्यूनतम टीएफआर पाई जाती है (चित्र 5.7.8 तथा 5.7.9)। 15-19 आयु-वर्ग में आयु-विशिष्ट प्रजनन में आय समूहों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं। सबसे धनी क्विन्टाइल में प्रजनन न्यूनतम है जिसका कारण संभवतः विवाह की अपेक्षतया उच्चतर आयु होती है (चित्र 5.7.10)।

चित्र 5.7.10 आयु विशिष्ट प्रजनन दर में आय संबंधी विभेदक (15-19 वर्ष)



स्रोत एनएफएचएस 1

चित्र 5.7.11 आयु विशिष्ट प्रजनन दर में शहरी
ग्रामीण अंतर (15-19 वर्ष)




आयु विशिष्ट प्रजनन दर (15-19 वर्ष)

स्रोत: एनएफएचएस ।

□ न्यूनतम से अगले क्विन्टाईल-शहरी □ उच्चतम क्विन्टाईल-शहरी
■ न्यूनतम से अगले क्विन्टाईल-ग्रामीण ■ उच्चतम क्विन्टाईल-ग्रामीण

चित्र 5.7.12 महिलाओं द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधकों के प्रयोग में
शहरी ग्रामीण अंतर (%)



आधुनिक गर्भ निरोधक उपाय का प्रयोग (%)

स्रोत: एनएफएचएस ।


□ न्यूनतम से अगले क्विन्टाईल-शहरी □ उच्चतम क्विन्टाईल-शहरी
■ न्यूनतम से अगले क्विन्टाईल-ग्रामीण ■ उच्चतम क्विन्टाईल-ग्रामीण

16. 15-19 वर्ष के आयु-वर्ग में आयु-विशिष्ट प्रजनन दर सभी आयु वर्गों में ग्रामीण महिलाओं में उच्चतर थी। शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में आयु-वर्ग में आयु-विशिष्ट प्रजनन दर सर्वाधिक धनी क्विन्टाईल में न्यून थी। इन अन्तरों का कारण संभवतः देरी से विवाह करना है (चित्र 5.7.11)।

17. सीपीआर को लेकर शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच कोई बड़े अन्तर नहीं है। शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में उच्चतम क्विन्टाईल आयु-वर्ग का सीपीआर स्तर न्यूनतम क्विन्टाईल वर्ग की तुलना में लगभग दुगुना था। सभी राज्यों में शहरी तथा ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए, चाहे वे किसी भी आर्थिक वर्ग से सम्बद्ध हों, उत्तम स्तर की आधुनिक गर्भनिरोधात्मक देखभाल की सुलभता में सुधार लाने से देश गर्भनिरोध की सभी अधूरी मांगों को तेजी से पूरा कर सकेगा, सीपीआर में सुधार और जन्म दर में गिरावट ला सकेगा (चित्र 5.7.12)।

18. शहरी तथा ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक धनी क्विन्टाईल समूह प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर चुका है। दूसरे न्यूनतम क्विन्टाईल में टीएफआर सर्वाधिक क्विन्टाईल की तुलना में लगभग दुगुना है जबकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मामूली अन्तर है। ऐसा लगेगा कि इस तथ्य के बावजूद कि गर्भनिरोधक देखभाल बिलकुल निःशुल्क उपलब्ध रहती है, गरीबों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत इन सेवाओं तक नहीं पहुंचता (चित्र 5.7.13)।

चित्र 5.7.13 टीएफआर में शहरी ग्रामीण अंतर (15-49 वर्ष)





टी एफ आर (15-49)

स्रोत: एनएफएचएस ।

□ न्यूनतम से अगले क्विन्टाईल-शहरी □ उच्चतम क्विन्टाईल-शहरी
■ न्यूनतम से अगले क्विन्टाईल-ग्रामीण ■ उच्चतम क्विन्टाईल-ग्रामीण

19. एनएफएचएस 1 तथा 2 (चित्र 5.7.14) स्पष्टतः यह दर्शाते हैं कि सभी राज्यों में समापन पद्धतियों और दो बच्चों के बीच अन्तर रखने की पद्धतियों - दोनों में अभी भी काफी बड़े पैमाने पर मांग पूरी नहीं हुई है। गर्भनिरोध के लिए पूरी न हुई मांग की मात्रा को लेकर राज्यों के बीच भिन्नताएं हैं (चित्र 5.7.15)। यह आवश्यक है कि सभी अपूर्त मांगों दसवीं योजना अवधि के दौरान सर्वथा



पूरी कर दी जाए और अवांछित गर्भ में उल्लेखनीय गिरावट प्राप्त की जा सके। पद्धतियों के लाभों और हानियों की एक सतुलित प्रस्तुति करके, परामर्श, सेवाओं के स्तर और अनुवर्ती देखभाल में सुधार लाकर दम्पति को गर्भनिरोध के सम्बन्ध में उपयुक्त चुनाव करने, दम्पति संरक्षण दसों और सातत्य दसों में वृद्धि करना और देश को 2010 तक प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर के लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में लाया जा सकेगा।

जन्म क्रम का अनुभवण


20 प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर की उपलब्धि की दिशा में की गई प्रगति को देखने के लिए सूचित जन्म क्रम का अनुभवण एक आसान पद्धति है। सम्प्रति, कुल जन्मों में लगभग आधा हिस्सा, तीसरा अथवा चौथा जन्म क्रम होता है। विभिन्न जन्म क्रमों में योगदान को लेकर राज्यों और जिलों के बीच

तालिका 5.7.1 : अंतः जिला भिन्नताएं (कुल जन्मों में जन्म का तीसरे अथवा चौथे क्रम का प्रतिशत)

<20%	27
20-40%	165
>40%	313


स्रोत: आरएचएस 1998-99

व्यापक भिन्नताएं हैं (तालिका 5.7.1 तथा चित्र 5.7.16)। इस जानकारी के आधार पर गर्भनिरोधक व्याप्ति दरों में सुधार लाने, जन्मों के बीच के अन्तराल में वृद्धि करने और जन्मों के उच्चतर क्रम घटाने के निमित्त जिला-विशिष्ट विभेदपूर्ण कार्यनीतियां तैयार की जा सकती हैं।




लैंगिक पूर्वग्रह और गर्भनिरोध की स्वीकृति

21. एनएफएचएस के आंकड़ों से यह पता चला कि गर्भनिरोध की स्थायी और साथ ही अस्थायी पद्धतियों की स्वीकृति को पुत्र की चाहत ने प्रभावित किया है (चित्र 5.7.17 तथा 18)। यह आवश्यक है कि लैंगिक पूर्वग्रह, जिसके कारण बालिकाओं वाले दम्पतियों में गर्भनिरोधक की स्वीकृति घट जाती है, उसे न्यूनतम और समाप्त करने की दिशा में सभी सम्बन्धित क्षेत्रों द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाएं।



सुनियोजित पितृत्व में पुरुषों की सहभागिता

22. महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की स्थिति, विवाह की आयु, परिवार रचना पद्धति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की सुलभता और प्रयोग का निर्धारण करने में पुरुष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसटीआई/आरटीआई के निवारण और नियंत्रण में उनकी सक्रिय सहभागिता अनिवार्य होती है। कंडोम प्रयोक्ताओं के बीच सतत और सही इस्तेमाल एसटीआई और साथ ही गर्भ के निवारण के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। 1960 और 1970 के दशक में गर्भनिरोध की समापन विधि




के रूप में नसबन्दी का सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके बाद से इसके प्रयोग में भारी गिरावट आई (चित्र 5.7.19)। यह आवश्यक है कि नसबन्दी को पुनः लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयासों में गहनता लाई जाए। यह दर्शाने के लिए व्यापक आंकड़े मौजूद हैं कि नसबन्दी ट्यूबकटामी की तुलना में अधिक सुरक्षित है। नसबन्दी सेवाओं की सुलभता में सुधार लाकर इसे पुनः लोकप्रिय बनाने की दिशा में पूरे प्रयास किये जायेंगे। ये सेवाएं (परम्परागत अथवा बिना चीरे वाली) सभी प्रथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक देखभाल संस्थानों में हर सुविधापूर्ण समय पर एक बहिरंग रोगी प्रक्रिया के रूप में तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। मौजूदा समय बाध्यताओं और पुरुषों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए अनुवर्ती देखभाल सुलभ कराई जाएगी। आपातिक परिवहन के लिए प्रदत्त निधियों के प्रयोग में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं और बच्चे ऐसे उपयुक्त केन्द्रों में पहुंच सकें जहां आपातिक सेवाएं सुलभ हैं, पुरुषों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। प्रसव-पूर्व, बाल स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण देखभाल और साथ ही रेफरलों के अनुपालन में भी उनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान सुनियोजित पितृत्व क्रियाकलापों के प्रत्येक पक्ष में पुरुषों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

अवांछित गर्भ की देखभाल

23. अनुमान है कि 1998 में लगभग 9 प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपातों के कारण हुई थी। एमटीपी से सम्बन्धित उपलब्ध सेवा सम्बन्धी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में एक प्रारम्भिक वृद्धि के बाद 1990 के दशक में सूचित की गई एमटीपी की संख्या 0.5-0.7 मिलियन रही थी (चित्र 5.7.20)। देश में गैर-कानूनी प्रेरित गर्भपातों की अनुमानित संख्या 4 से लेकर 6 मिलियन के बीच है। गैर-कानूनी गर्भपातों की अनुमानित संख्या में, गैर-कानूनी गर्भपातों

के सूचित रुग्णता अथवा मातृ मृत्यु दर के कारण गैर-कानूनी गर्भपातों के हिस्से में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई है। एमटीपी अधिनियम के अधीन परिकल्पना के अनुसार शीघ्र और सुरक्षित एमटीपी सेवाओं के माध्यम से अवांछित गर्भ की देखभाल पहले से चले आ रहे आरसीएच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है।



24. नौवीं योजना में निम्न प्रयोजनों के लिए प्रयास किए गए:

- परिवार नियोजन सेवाओं की सुलभता में सुधार लाना और अवांछित गर्भों की संख्या में कमी लाना;
- एमटीपी के लिए मांग की पूर्ति करना;
- चिकित्सकों को एमटीपी में प्रशिक्षण प्रदान करके सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की सुलभता में सुधार लाना और इस तरह की सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना; तथा
- संस्थानों का पंजीकरण जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत करना।

25. इन प्रयासों के बावजूद कवरेज, सूचित किए गये एमटीपी की संख्या में वृद्धि तथा गैर-कानूनी प्रेरित गर्भपातों के प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों को भोगने वाली महिलाओं की संख्या में कोई गिरावट देखने में नहीं आई है। प्रेरित गर्भपात के कारण रुग्णता में कमी लाने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं:

- गर्भनिरोध के लिए महसूस की गई किन्तु पूरी न हो सकी मांगों को सर्वथा पूरी करके गर्भों की संख्या में कमी लाना;
- निम्न माध्यमों से सुरक्षित एमटीपी सेवाओं की सुलभता में सुधार लाना:
 - ऐसी सभी संस्थानों में, जहां कोई अर्हताप्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ और उपयुक्त आधारिक सेवाएं सुलभ हैं, एमटीपी सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना;
 - एमटीपी क्लिनिकों का पंजीकरण जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत करना;
 - एमटीपी की रिपोर्ट भेजने के लिए विनियम को सरल बनाना;
 - सरकारी, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में सुसज्जित संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों को एमटीपी में प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे भी सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध करा सकें;
 - ऐसे मान्यता प्राप्त एमटीपी केन्द्रों में, जहां प्रशिक्षित चिकित्सक तो हैं किन्तु कोई मैन्युअल वैक्यूम एस्पिरेशन (एमवीए) मशीन नहीं है, वहां एमवीए सिरिंजें उपलब्ध कराना;

- यदि किसी सीएचसी/पीएचसी में स्त्री रोग विशेषज्ञ किसी नियत दिन आता है, तो सीएचसी/पीएचसी में एमटीपी करने के लिए एमवीए का प्रयोग करना;
- मेडिकल कालेज अस्पतालों में एमटीपी की सर्जिकल पद्धतियां शुरू करने की व्यवहार्यता और सुरक्षा का पता लगाना ओर इस तरह की सेवा का चरणबद्ध रूप में जिला अस्पतालों में विस्तार करना; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि एमटीपी के समय महिलाएं उपयुक्त गर्भनिरोधक स्वीकार कर लें ताकि अवांछित गर्भ, जिसके कारण पुनः एमटीपी करना पड़े, टल सके।

मातृ स्वास्थ्य

26. मातृ रुग्णता और मृत्यु की मौजूदा उच्च दरें सदा से चिन्ता का कारण रही हैं और इनमें कमी लाने के प्रति लक्षित प्रसव-पूर्व और प्रसवकालीन देखभाल राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थापना के समय से ही इस कार्यक्रम के घटक रहे हैं। यद्यपि, राज्य/ जिला-विशिष्ट मातृ रुग्णता/मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी एसआरएस से उपलब्ध आंकड़े

तालिका 5.7.2 :मातृ मृत्यु दर			
	1992-93	1997	1998
आरजीआई (नमूना पंजीकरण स्कीम)	उ.न.	408	407
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण	424*	-	540*
* अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं			
स्रोत: आरजीआई तथा एनएफएचएस । तथा 2			

और मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण मृत्यु दरों और मृत्यु के कारणों के बारे में पर्याप्त जानघारी उपलब्ध कराते हैं ताकि महिलाओं में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए

युक्तियुक्त कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। 1990 के दशक में एसआरएस तथा एनएफएचएस 1 तथा 2 ने मातृ मृत्यु दर पर पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए स्वतंत्र आंकड़े उपलब्ध कराए थे। 1990 के दशक के दौरान एमएमआर में कोई गिरावट नहीं आई है और अभी भी प्रति वर्ष 100,000 से अधिक महिलाएं गर्भ सम्बन्धी कारणों से मृत्यु को प्राप्त होती हैं। (तालिका 5.7.2)

27. एसआरएस से प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण अभी भी निम्नलिखित बने हुए हैं: असुरक्षित गर्भपात, प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर रक्तस्राव, रक्ताल्पता, अवरुद्ध प्रसव, उच्च रक्त चाप विकृतियां तथा प्रसवोत्तर पूतिता। पिछले वर्षों के दौरान मातृ मृत्यु के कारणों में कोई बड़ा अन्तर नहीं आया (तालिका 5.7.3)। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की सुलभता बढ़ाकर गर्भपात के कारण होने वाली मृत्यु रोकी जा सकती है। रक्ताल्पता, आवर्ती प्रसव, उच्च रक्त चाप सम्बन्धी विकृतियों और पूतिता के कारण होने वाली मौतें अनिवार्य प्रसूति देखभाल की सुलभता बढ़ाकर, प्रसूति समस्याओं का पता लगाने के लिए

तालिका 5.7.3 मातृ मृत्यु के कारण (%)	
रक्तस्राव	30
रक्ताल्पता	19
पूतिता	16
अवरुद्ध प्रसव	10
गर्भपात	8
विषरक्तता	8
अन्य	8
स्रोत: मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण 1998	


सार्वजनीन जांच करके, गर्भावस्था की पेचीदगियों का सामयिक उपचार करके और उन्हें आगे रेफर करके, संस्थानगत प्रसव तथा प्रसवोत्तर देखभाल को बढ़ावा देकर रोका जा सकता है। आपातक प्रसूति सेवाएं गर्भावस्था के दौरान होने वाले रक्तस्राव अथवा प्रसव के दौरान पेचीदगियां पता होने पर महिलाओं का जीवन बचाने में सहायक होंगी। नौवीं योजना में सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वजनीन जांच, स्वास्थ्य समस्याओं से युक्त महिलाओं का गर्भावस्था के दौरान समस्याओं के अभिज्ञान और जिन केन्द्रों में उपयुक्त देखभाल सुलभ है, उनमें मामलों को भेजने सहित उपयुक्त प्रबन्ध की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस सबको कार्यरूप नहीं दिया जा सका है; दसवीं योजना के दौरान इसे कार्यरूप देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रसव-पूर्व देखभाल

28. आरसीएच कार्यक्रम के अधीन प्रसव-पूर्व देखभाल की कवरेज; अन्तर्वस्तु और गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए गए थे जिससे कि मातृ तथा प्रसवकालीन रुग्णता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट लाई जा सके। 1998-99 में आयोजित त्वरित पारिवारिक सर्वेक्षण (आरएचएस) के आंकड़ों से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 67.2 प्रतिशत महिलाओं की कम से कम एक जांच और केवल 10.6 प्रतिशत महिलाओं की तीन प्रसव-पूर्व जांच की गई।


प्रसव-पूर्व देखभाल

- गर्भ का शीघ्र पंजीकरण (12-16 सप्ताह)।
- प्रसव-पूर्व कम से कम तीन जांच।
- प्रमुख स्वास्थ्य, पोषणिक और प्रसूति समस्याओं के लिए सभी गर्भवती महिलाओं की जांच।
- स्वास्थ्य समस्याओं/जटिलताओं से युक्त महिलाओं की पहचान, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां रेफरल सेवाओं सहित तत्काल और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराना।
- सभी गर्भवती महिलाओं का टीटी प्रतिरक्षण के अधीन सार्वजनीन कवरेज।
- रक्ताल्पता के लिए जांच; रक्ताल्पता के निवारण के लिए आयरन फोलिक एसिड गोलियां उपलब्ध कराना; रक्ताल्पता के लिए उपयुक्त उपचार उपलब्ध कराना;
- भोजन, पोषण और आराम के बारे में सलाह देना।
- संस्थानगत प्रसव/प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा सुरक्षित प्रसवों को बढ़ावा देना; स्वास्थ्य /प्रसूति समस्याओं वाली महिलाओं को संस्थानगत प्रसव की सलाह देना।



असन्तोषपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों वाले और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों, जैसेकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रसव-पूर्व कवरेज अत्यन्त न्यून रहा है (चित्र 5.7.21)। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के प्रायः सभी जिलों में प्रसव-पूर्व कवरेज उत्तम रहा है। आश्चर्य यह है कि पंजाब के अधिकांश जिलों में अत्यन्त न्यून कवरेज की रिपोर्ट दी गई (चित्र 5.7.22)।


चित्र 5.7.22 तीन अथवा तीन से अधिक एएनसी जांच के अनुसार जिलों का वितरण



स्रोत आरएचएस 1998-99


29. आरएचएस आकड़ों से यह स्पष्टतः पता चलता है कि केवल 95 जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ गर्भावस्था के दौरान प्रसव-पूर्व तीन जांच करा पाईं। यद्यपि सारे जिलों, अर्थात् 265 जिलों में प्रसव-पूर्व तीन जांच कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 40 से कम था (चित्र 5.7.23)। उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रसव-पूर्व देखभाल की अन्तर्वस्तु और गुणवत्ता हरियाणा और तमिलनाडु की तुलना में निम्न थी। गर्भावस्था के दौरान समस्याओं और जोखिम के कारणों का पता लगाने के लिए और उपचार के लिए उपयुक्त सुविधा तक मामले भेजने के लिए समुचित प्रसव-पूर्व देखभाल का प्रयोग करते हुए गर्भवती महिलाओं की सार्वजनिक जांच अनिवार्य है (चित्र 5.7.24)।

चित्र 5.7.23 गर्भावस्था के दौरान तीन प्रसवपूर्व चेकअप



स्रोत आरएचएस 1998-99

चित्र 5.7.24 प्रसवपूर्व देखभाल की गुणवत्ता (घरेलू सर्वेक्षण 1998-99)




स्रोत आरएचएस 1998-99

30. असन्तोषपूर्ण जांच की समस्या इस कारण गम्भीर रूप धारण कर लेती है कि इन राज्यों में समस्याओं की देखभाल के लिए रेफरल तालमेल भी घटिया स्तर का है और इस कारण मातृ/प्रसवकालीन रुग्णता तथा मृत्यु दर उच्चतर बनी हुई है।

31. भारतवर्ष में मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण रक्ताल्पता है। नीची योजना में रक्ताल्पता के लिए, गर्भवती महिलाओं की सार्वजनीन जांच और उपयुक्त आयरन फोलेट उपचार की बात सोची गई थी। इनमें से किसी भी राज्य में रक्ताल्पता की सेवाएं प्रसव-पूर्व देखभाल के एक घटक के रूप में शामिल नहीं की गईं। आरएचएस आंकड़ों से यह पता चला कि

267 जिलों में 30 प्रतिशत से कम गर्भवती महिलाओं ने आयरन फोलिक एसिड गोलियां खाई थीं (चित्र 5.7.25)। दसवीं योजना के दौरान रक्ताल्पता के निवारण और देखभाल के लिए नीची योजना की कार्यनीति को पूरी तरह कार्यान्वित करने की दिशा में भरपूर प्रयास किए जाएंगे।

चित्र 5.7.25 आई.एफ.ए. की खपत




स्रोत: आरएचएस 1998-99

32. प्रसव-पूर्व जांच की मांग करने वाली महिलाओं की प्रतिशतता में राज्यों के बीच व्यापक अन्तर बने हुए हैं - एक ओर केरल है, जहां धनी और निर्धन - दोनों वर्गों की 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त करने का प्रयास करती हैं जबकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धनी महिलाओं में से 15 प्रतिशत से कम महिलाएं प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त करती हैं। यह स्पष्ट है कि जिन राज्यों में स्वास्थ्य आधारिक सुविधाएं और स्वास्थ्य संकेतक असन्तोषपूर्ण हैं (जैसाकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार), उनमें सबसे धनी वर्ग ने केरल, तमिलनाडु कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सर्वाधिक निर्धन वर्ग की किंवाटाल जनसंख्या की तुलना में न्यून प्रसव-पूर्व देखभाल दर रही है। ईएजी राज्यों में मौजूदा आधारिक तंत्र एवं जनशक्ति को पूरी तरह संचालित करके इन राज्यों में आरसीएच के एक अंग के रूप में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।


तालिका 5.7.26 तथा 27 प्रसव-पूर्व देखभाल में राज्यों के बीच विभेदक



33. उच्चतर विन्टाइल की 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को एक डॉक्टर के अधीन प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त हुई है जबकि एक डॉक्टर के अधीन निर्धन महिलाओं में से मात्र लगभग 20 प्रतिशत को प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त हो सकी है। एनएनएम/नर्सों के जरिए प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए सीएसएसएम और आरसीएच देखभाल के माध्यम से किए गये प्रयासों के बावजूद बहुत कम महिलाएं उनसे प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त करती हैं (चित्र 5.7.28)। इसका मुख्य कारण यह है कि एनएनएम/नर्सों के पास रक्त चाप, एचबी, गर्भाशय के आकार की जांच करने और अनुवर्ती देखभाल/रेफरल की सलाह देने के लिए उपकरण/कौशल नहीं होते। यह आवश्यक है कि प्रसव-पूर्व जांच और अभिज्ञान में एनएनएम/स्टाफ नर्सों का प्रशिक्षण जल्दी पूरा कर लिया जाए ताकि सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वजनिक जांच और देखभाल के लिए उपयुक्त सुविधाओं के पास भेजे जाने की प्रक्रिया को कार्यरूप दिया जा सकेगा।



34. प्रसव-पूर्व देखभाल की सुलभता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून है; शहरी तथा ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में सभी आय वर्गों में अधिकांशतः एनएनसी डॉक्टर द्वारा की जाती है। शहरी निर्धनों में से लगभग 80 प्रतिशत और ग्रामीण निर्धनों में से 80 प्रतिशत प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त नहीं करते हैं। जोखिम तत्वों की सर्वाधिक व्याप्ति वाला जनसंख्या का यह ऐसा वर्ग है जिसकी जांच किए जाने और उपयुक्त देखभाल की तात्कालिक आवश्यकता है (चित्र 5.7.29)।



35. दूरस्थ क्षेत्रों में पीएचसी/सीएचसी स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, रहने वाले लोगों को आरसीएच सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से जिला अस्पतालों/सीएचसी के विशेषज्ञ निर्धारित दिनों पर पीएचसी/सीएचसी में आते हैं और महिलाओं तथा बच्चों के लिए आवश्यक देखभाल प्रदान करते हैं। आरम्भ में, 17 राज्यों में, अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश,

नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा के 102 जिले चुने गए थे। पिछले वर्ष 76 और जिले शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञतापूर्ण देखभाल की सुलभता बढ़ाने में इस प्रयास के प्रभाव का जायजा लिया जाएगा। सीएचसी/एफआरयू एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्थान होता है जो कि आपातक प्रसूति देखभाल प्रदान करता है और रेफरल प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सीएचसी/एफआरयू की संख्या में बताई गई कमियां यद्यपि मण्डलीय अस्पतालों, प्रसवोत्तर केन्द्रों और ब्लाक स्तरीय पीएचसी का उपयुक्त रूप से पुनर्गठन करके पूरी कर ली जाएंगी। आवश्यक संख्या में प्रमुख

विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी और यह काम विशेष रूप से प्रसवोत्तर केन्द्रों की जनशक्ति की उपयुक्त रूप से पुनर्तैनाती के माध्यम से किया जाएगा; इस प्रक्रिया के बावजूद भी, जहां कहीं उपयुक्त संख्या में विशेषज्ञ नहीं होंगे, वहां उन्हें संविदा आधार पर अथवा अंशकालिक आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है। प्रसव-पूर्व और प्रसवकालीन देखभाल में सीएचसी/एफआरयू की क्षमता का सुदृढीकरण करने के लिए राज्य, सीएचसी में किसी एक स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित करने की शुरुआत की जा सकती है जिससे कि देखभाल प्रदान करने के लिए प्रसूति में विशेषज्ञता प्राप्त कोई एक कार्मिक उपलब्ध रहे। अगले पांच वर्षों के दौरान सभी सीएचसी में चरणबद्ध रूप में आपातक प्रसूति देखभाल में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन सीएचसी में सुसज्जित आप्रेशन थियेटर उपलब्ध हों, रुधिर बैंक, योग्यता-प्राप्त प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थिसिस्ट सुलभ हों।


प्रसव सेवाएं

36. नीची योजना के दौरान यह सोचा गया था कि शहरी और ग्रामीण -दोनों क्षेत्रों में संस्थानगत प्रसवों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ-साथ जिन जिलों में अधिकांश प्रसव घरों में कराए जा रहे थे, वहां उनमें एक गहन दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से परम्परागत दाइयों (टीबीए) को प्रशिक्षित करने और प्रयोज्य प्रसव किटों में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। एनएफएचएस-1 तथा 2 तथा आरएचएस

1998 से उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि विशेष रूप से तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में संस्थानगत प्रसवों में किंचित सुधार हुआ है (चित्र 5.7.30) तथापि, अनेक राज्यों में ऐसे जिलों की संख्या बहुत बड़ी है जहां सुरक्षित प्रसवों को लेकर स्थिति अत्यन्त असंतोषपूर्ण है।


37. प्रसव देखभाल को लेकर राज्यों के बीच व्यापक अंतराल हैं। केरल में सभी महिलाएं, चाहे वे किसी भी आय वर्ग से संबधित हों, प्रसव के लिए परिचरों की मांग करती हैं और उनकी सेवाएं प्राप्त करती हैं। इस संबंध में तमिलनाडु का स्थान केरल के बाद आता है। तथापि, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों में सर्वाधिक धनी 20वें क्विंटाइल को प्रसव के समय केरल और तमिलनाडु के सर्वाधिक निर्धनों की तुलना में कुशल परिचरों की न्यून उपलब्धता सुलभ होती है (चित्र 5.7.31)।

चित्र 5.7.30 सुरक्षित प्रसव (%)



स्रोत: एनएफएचएस 1 एवं 2

चित्र 5.7.31 प्रसव के समय कुशल परिचरों को लेकर राज्य के बीच विभेदक (%)




स्रोत: आरएचएस 1999


■ निर्धनान 20% □ धनवान 20%

38. सर्वाधिक निर्धन वर्गों में 10 प्रतिशत से कम को प्रसव के लिए सरकारी सुविधा-प्राप्त होती है। जबकि सर्वाधिक धनी में से 25 प्रतिशत प्रसव के लिए सरकारी क्षेत्र में जाते हैं (चित्र 5.7.32)। जनता के निर्धन वर्ग निजी सुविधाओं के लिए शायद आर्थिक कारणों से नहीं जाते। तमिलनाडु ने सीएचसी/पीएचसी में प्रसव सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने का प्रयास किया है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसी स्कीमें शुरू की गई हैं जिनके अधीन बीपीएल परिवारों की महिलाओं को यदि वे प्रसव के लिए निजी सुविधाएं प्राप्त करने जाती हैं तो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और आन्ध्र प्रदेश में संस्थानगत प्रसवों में इतनी भारी वृद्धि के लिए कम से कम यह कारण भी एक आंशिक कारण रहा होगा।

चित्र 5.7.32 प्रसव के स्थान को लेकर आय विभेदक (%)



चित्र 5.7.33 प्रसव परिचर में आय विभेदक (%)




39. यह आश्चर्यजनक है कि सर्वाधिक धनी क्विंटाइल जनता के बीच भी, जिनमें सुरक्षित संस्थानगत प्रसव के लिए कोई आर्थिक बाधा मौजूद नहीं होती, लगभग एक-तिहाई प्रसव घर में होते हैं और 20 प्रतिशत प्रसव किसी डॉक्टर अथवा नर्स द्वारा नहीं कराये जाते (चित्र 5.7.33)। सर्वाधिक निर्धन क्विंटाइल में 10 प्रतिशत से कम प्रसव किसी डाक्टर अथवा नर्स द्वारा संस्थानों में आयोजित


किए जाते हैं। सार्वजनिक प्रसव-पूर्व जांच से उच्च जोखिम वाली महिलाओं (चाहे वे किसी भी आय वर्ग से सम्बन्धित हों), की पहचान की जा सकेगी और परिवार को असुविधा में डाले बिना तथा संस्थानों पर अत्यधिक भार डाले बिना कुशल व्यक्तियों के हाथों संस्थान में कराये जाने चाहिए। इस परिपाटी के फलस्वरूप मातृ तथा प्रसवकालीन रुग्णता और मृत्यु दर में काफी कमी आनी चाहिए।

40. प्रसव के लिए सरकारी सुविधा का प्रयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून है। शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से कम और ग्रामीण निर्धन आय वर्ग में 10 प्रतिशत से कम प्रसव सरकारी सुविधाओं में कराये जाते हैं। अधिकांश ग्रामीण और शहरी महिलाएं, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग से संबंधित

हों, घरों में प्रसव कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यहां तक कि सर्वाधिक धनी आय वर्ग में भी 40 प्रतिशत से अधिक प्रसव घरों में कराए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक धनी आय वर्ग में लगभग आधे प्रसव निजी संस्थानों में कराए जाते हैं (चित्र 5.7.34)।



41. शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक क्विंटाइल वर्ग में महिलाओं के उच्च प्रतिशत को प्रसव के लिए कुशल परिचर सुलभ होते हैं (चित्र 5.7.35)। तथापि, निम्नतम क्विंटाइल आयु वर्ग में केवल 25



प्रतिशत शहरी महिलाओं और 10 प्रतिशत से कम ग्रामीण महिलाओं को प्रसव के लिए कुशल व्यक्ति सुलभ हो पाते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक धनी क्विंटाइल में डाक्टरों की देखरेख में प्रसव कराए गए। शहरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में से, चाहे वे किसी भी आय वर्ग से हो, 20 प्रतिशत से कम प्रसव नर्सों द्वारा कराए गए।

42. सेवाओं की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान तथा सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सभी "सी" श्रेणी जिलों में 30 प्रतिशत उप-केन्द्रों में अतिरिक्त एएनएम प्रदान की जा रही है। दिल्ली में मलिन बस्तियों में प्रसवों के लिए कुशल परिवारों की व्यवस्था करने के निमित्त अतिरिक्त एएनएम नियुक्त की जा रही हैं। आशा है कि इन हस्तक्षेपणीय उपायों के फलस्वरूप प्रसवों के लिए कुशल देखभाल और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के संस्थानगत प्रसवों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी। परिवार कल्याण विभाग ने जहां अधिकांश प्रसव घरों में कराए जाते हैं, परम्परागत दाइयों (टीबीए) के लिए विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। वर्ष 2001-02 के दौरान 166 जिलों में 11000 से अधिक टीबीए/दाइयों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।


बाल स्वास्थ्य

43. शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दरें बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के बढ़िया संकेतक होती हैं। भारतवर्ष में बाल्यावस्था में रुग्णता संबंधी आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह के आंकड़ों के अभाव में बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिकतापूर्ण हस्तक्षेपणीय उपाय निर्धारित करने के उद्देश्य से मृत्यु दर संबंधी उपलब्ध आंकड़ों और मृत्यु के

बाल स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में निम्न शामिल हैं:

- अनिवार्य नवजात शिशु देखभाल
 - प्रतिरक्षण
 - पोषण
 - पहले छः महीने तक नितान्ततः स्तनपान कराना
 - पूरक आहार की समय पर शुरुआत
 - उन्नति में रूकावट का पता लगाना और उसकी देखभाल
 - वटामिन ए की पूरक की बढ़ी खुराक
 - यदि आवश्यक हो तो लौह पूरक
 - निम्न का शीघ्र पता लगाना और उपयुक्त देखभाल करना
 - गंभीर श्वसन संक्रमण
 - अतिसार
- अन्य संक्रमण

चित्र 5.7.36 बाल मृत्यु दर सूचक




कारणों के विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख हस्तक्षेपणीय उपाय पाठ्य बक्से में दिए गए हैं।


44. प्रतिरक्षण, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की बेहतर सुलभता के कारण 1950-1990 के दौरान आईएमआर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो भी यह एक चिंता का कारण है कि प्रसवकालीन और नवजात मृत्युदर

में आई गिरावट बहुत धीमी रही है (चित्र 5.7.36)। 1990 के दशक के दौरान आईएमआर में कोई बदलाव नहीं आया है। नवजात शिशु, शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की दरों को लेकर राज्यों के बीच व्यापक अंतर है (चित्र 5.7.37)।



चित्र 5.7.37 बाल मृत्यु में अन्तर्राज्यीय विभेद



45. आय समूहों के बीच आईएमआर तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दरों में व्यापक भिन्नताएं हैं (चित्र 5.7.38)। निम्नतम क्विन्टाइल जनसंख्या में शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, उच्चतम क्विन्टाइल समूहों की तुलना में लगभग दुगुनी है। इसका कारण शायद बाल्यावस्था में संक्रमण और रुग्णता के दौरान स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुलभता और उसके साथ-साथ बेहतर पोषणिक स्थिति है।



46. शहरी जनसंख्या में आईएमआर तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर - दोनों ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में कम है (चित्र 5.7.39)। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर निम्न आय क्विन्टाइल में आईएमआर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर उच्चतम क्विन्टाइल से दुगुनी थी। सर्वाधिक निर्धन शहरी क्विन्टाइल में आईएमआर ग्रामीण सर्वाधिक निर्धन क्विन्टाइल की तुलना में अधिक थी जो कि इस बात की परिचायक है कि शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों में असन्तोषपूर्ण पर्यावरणात्मक स्वच्छता, पेय जल की सुलभता की कमी और उसके साथ-साथ भीड़-भाड़के के कारण रुग्णता अधिक बनी रहती है।



47. लड़कों और लड़कियों के बीच आईएमआर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दरों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां सर्वाधिक आय वर्गों में उनके बीच मृत्यु दरों में कोई विशाल अन्तर नहीं है वहां पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में लड़कियों की मृत्यु दरें अपेक्षितया निर्धन वर्ग में उच्चतर है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में उच्चतर मृत्यु दरें बनी हुई है जो कि

बाल पोषण परिपाटियों में लैंगिक पूर्वग्रह की परिचायक हैं (चित्र 5.7.40)।

48. पिछले तीन दशकों के दौरान शैशव और बाल्यावस्था में मृत्यु के प्रमुख कारणों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। अतिसार, बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। ऐसी अधिकांश मृत्यु का कारण बार-बार दस्तों के कारण उत्पन्न निर्जलीकरण की स्थिति है जिसे तरलों के सामयिक और उपयुक्त प्रतिस्थापन द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 1986-87 में मुखीय पुनर्जलीकरण उपचार शुरू किया गया था। अतिसार की त्वरित पहचान और उपयुक्त रोकथाम के प्रति लक्षित स्वास्थ्य शिक्षा सीएसएसएम और आरसीएच कार्यक्रमों का एक प्रमुख घटक रही है।

तालिका 5.7.4 : अतिसार से पीड़ित बच्चे

(ओआरएस के माध्यम से उपचारित बच्चों का %)


प्रतिशत	जिला
>50	9
25-49	82
<25	413

स्रोत: आरएचएस 1998-99

49. घर पर उपलब्ध तरल पदार्थों और मुखीय पुनर्जलीकरण घोल (ओआरएस) के प्रयोग के फलस्वरूप अतिसार के कारण होने वाली मृत्यु दर में इन अर्थों में भारी गिरावट आई है कि जहां इस कारण 1985 से पहले प्रति वर्ष अनुमानतः 1.5 मिलियन बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते थे, 1996 में उनकी संख्या घटकर 600,000 से 700,000 रह गई। ओआरएस की सुलभता में और अधिक बेहतरी लाने के प्रयोजन से आरसीएस कार्यक्रम के अधीन प्रतिवर्ष सभी उपकेन्द्रों से प्रदान किए जाने वाले औषधि किट-ए के एक हिस्से के रूप में ओआरएस के 150 पैकेट प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में ओआरएस के सामाजिक विपणन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसकी आपूर्ति की जा रही है। तथापि, आरएचएस आंकड़ों से यह पता चलता है कि केवल नौ जिले ऐसे थे जिनमें अतिसार के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में ओआरएस का प्रयोग किया गया था (तालिका 5.7.4)। अतिसार की रोकथाम के लिए घरों में उपलब्ध तरल पदार्थों/ओआरएस की सुलभता और प्रयोग में सुधार लाने की ओर दसवीं योजना के दौरान एक सस्ते और प्रभावी साधन के रूप में प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आईएमआर/पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

50. सभी आय वर्ग के बच्चों में अतिसार रोग की व्याप्ति मूलतः एकसमान है (चित्र 5.7.41)। तथापि, उच्चतर आय क्विंटाइल में माता-पिता ने और अधिक बार अपने बच्चों की चिकित्सीय जांच कराई तथा ओआरटी का प्रयोग किया। इस तथ्य के बावजूद कि अतिसार

चित्र 5.7.41 अतिसार के उपचार में आय विभेदक




स्रोत एनएफएचएस 1

की रोकथाम और प्रबंधन राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन एक प्रमुख बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेपणीय उपाय है, किसी भी आय वर्ग के 20 प्रतिशत से कम माता-पिता ने अतिसार के उपचार के लिए सरकारी सुविधा का प्रयोग किया। इस स्थिति के संबंध में तत्काल उपचारी उपाय किए जाने चाहिए।


51. शहरी क्षेत्रों में उच्चतम आय वर्ग में अतिसार की सूचित व्याप्ति न्यून है, जिसका कारण शायद बेहतर सफाई और सुरक्षित पेय जल की सुलभता है। शहरी माता-पिता ने, चाहे वे किसी भी आय वर्ग से संबंधित हों, चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करने का प्रयास किया। ग्रामीण निर्धन वर्ग ने शहरी निर्धनों जितनी बार स्वास्थ्य कार्मिकों के साथ सम्पर्क नहीं किया (चित्र 5.7.42)। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी - दोनों क्षेत्रों में ओआरएस के प्रयोग की मात्रा काफी कम है। 60 प्रतिशत से अधिक माता-पिता ने अतिसार से पीड़ित बच्चों की चिकित्सीय व्यक्तियों से जांच कराई लेकिन 1/5 से कम ने ओआरएस का इस्तेमाल किया; अतिसार सम्बन्धी रोगों के युक्तियुक्त प्रबंधन में सुधार लाने और मृत्यु दर में पर्याप्त गिरावट लाने के प्रयोजन से अतिसार के प्रबंधन के लिए मानक प्रोटोकॉल को लेकर सभी चिकित्सकों को सीएमई तत्काल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 5.7.42 अतिसार के उपचार में शहरी ग्रामीण विन्ता (%)



52. सर्वाधिक निर्धन आय वर्ग में अतिसार के मामलों में चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत न्यून था; तथापि इस प्रकार की प्रवृत्ति सर्वाधिक धनी किंवटाइल जनसंख्या में देखने में नहीं आई (चित्र 5.7.43)। रोग की पहचान और चिकित्सीय मांग की सुलभता में लैंगिक अंतरालों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 5.7.43 अतिसार के उपचार में लैंगिक विवेक (%)




गम्भीर श्वसन संक्रमण


53. देश में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में से लगभग 30 प्रतिशत का कारण निमोनिया होता है। आरसीएच कार्यक्रम के अधीन देश में प्रत्येक उप-केन्द्र को औषधिक किट-ए के एक अंग के रूप में को-ट्रिमोक्साजोल गोलियां प्रदान की जाती हैं। माताओं और समुदायों के सदस्यों को एआरआई के ऐसे संलक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है जिनके संबंध में

पर्याप्त जैव उपचार अथवा रेफरल की जरूरत है। एआरआई के शीघ्र निपटान और रेफरल सहित उपयुक्त उपचार में स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों के प्रशिक्षण का काम, जिसकी आरसीएच के अधीन परिकल्पना की गई थी, अभी तक पूरा नहीं हो सका है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस तरफ तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

54. एआरआई की व्याप्ति न्यून आय वर्गों के बच्चों में अपेक्षतया अधिक थी जिसका कारण शायद अत्यधिक भीड़-भाड़ है। न्यूनतम क्विंटाइल समूहों के 60 प्रतिशत से अधिक माता-पिता ने और उच्चतम क्विंटाइल समूहों के 80 प्रतिशत माता-पिता ने चिकित्सीय देखभाल पाने के प्रयास किए। 20 प्रतिशत से कम व्यक्तियों ने, भले ही वे किसी भी आय वर्ग से संबंधित हों, सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया (चित्र 5.7.44)। अधिकांश ने उपचार के लिए निजी चिकित्सकों के साथ सम्पर्क किया।




55. ग्रामीण और शहरी - दोनों क्षेत्रों में एआरआई की व्याप्ति उच्च आय वर्गों में न्यून है (चित्र 5.7.45)। सर्वाधिक आय वर्गों में श्वास संक्रमणों की उच्चतर व्याप्ति के जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारण शायद हवा और रोशनी की कमी और अधिक भीड़-भाड़ है। 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण और शहरी निर्धन लोग और 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण और शहरी धनी लोग अपने बच्चों को स्वास्थ्य चिकित्सकों के पास लेकर गए।



यह जरूरी है कि सरकारी सेवारत कार्मिकों सहित निजी चिकित्सकों को एआरआई के प्रबंधन के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल तत्काल उपलब्ध रह सके जिससे कि एआरआई के कारण होने वाली मौतों में व्यापक कमी आ सके।

56. सर्वाधिक धनी और सर्वाधिक निर्धन आय वर्ग में एआरआई से पीड़ित लड़कियों में से चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत अपेक्षतया न्यून था (चित्र 5.7.46)। यह तथ्य कि एआरआई और अतिसार से पीड़ित लड़कियों में से चिकित्सीय सुविधा के लिए पहले ले जाई गई लड़कियों का प्रतिशत न्यून था, समुदाय में लैंगिक पूर्वग्रह का परिचायक हो सकता है और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लड़कियों, विशेष रूप से जनसंख्या के निर्धन वर्गों की लड़कियों की पाई गई उच्च मृत्यु दर में इसका योगदान है।


चित्र 5.7.46 एआरआई के उपचार में लैंगिक विभेदक (%)




स्रोत एनएफएचएस 1

प्रतिरक्षण

57. एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में 1986 में शुरू किया गया सार्वजनीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1992 में बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व (सीएसएसएम) कार्यक्रम का और 1997 में आरसीएच कार्यक्रम का एक अंग बन गया। इस कार्यक्रम के अधीन इन रोगों से बच्चों का प्रतिरक्षण किया जाता है : क्षय रोग,



स्रोत परिवार कल्याण विभाग




स्रोत परिवार कल्याण विभाग

डिफ्थीरिया, कुकर खासी, पोलियो, खसरा और टिटनेस। 1990 के दशक के दौरान सेवा चैनलों के माध्यम से सूचित कवरेज चित्र 5.7.47 में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में टीके से रोके जा सकने वाले इन छः रोगों के संबंध में सन् 2000 तक सार्वजनीन प्रतिरक्षण का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु इसकी पूर्ति नहीं हो सकी है। तथापि, टीके से रोके जा सकने वाले रोगों की सूचित संख्या में इसी अवधि के दौरान गिरावट आई है (चित्र 5.7.48)।


58. एनएफएचएस के आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1990 के दशक के दौरान प्रतिरक्षण कवरेज में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने 80 प्रतिशत से ऊपर के कवरेज के स्तर प्राप्त किए हों; बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कवरेज का स्तर अत्यन्त न्यून रहा है (चित्र 5.7.49)। मुख्य पोलियो टीके और डीपीटी की पहली, दूसरी और तीसरी खुराकें लेने से रह गए बच्चों की दरें अधिकांश राज्यों में अत्यन्त उच्च रही हैं। अन्य टीकों की तुलना में खसरे की कवरेज न्यून सूचित की गई है। शत-प्रतिशत नेमी प्रतिरक्षण प्राप्त न कर सकने का एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में अभियान पद्धति पर बल दिया जाना है।

चित्र 5.7.49 पूर्णतः प्रतिरक्षीकृत बच्चे (%)



स्रोत: एनएफएचएस 1 एवं 2

चित्र 5.7.50 प्रतिरक्षण कवरेज में आय विभेदक (%)




स्रोत: विश्व बैंक 2000

59. 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों को, चाहे वे किसी भी आय वर्ग से संबंधित हों, सरकारी संस्थानों से प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है। प्रतिरक्षण सुविधाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रतिरक्षण के बावजूद किसी भी टीके के अधीन कवरेज निर्धन आय वर्गों में न्यून थी (चित्र 5.7.50)। डीपीटी और ओपीवी की पहली, दूसरी और तीसरी

खुराकें लेने से रह गए बच्चों की दरें भी उच्च हैं। यदि उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई से इस स्थिति की रोकथाम कर ली जाती है, तो प्रतिरक्षण कवरेज में भारी सुधार होगा।

60. प्रतिरक्षण कवरेज को लेकर शहरी ग्रामीण के बीच कोई अन्तर नहीं है। सुनिर्मित ग्रामीण स्वास्थ्य

चित्र 5.7.51 प्रतिरक्षण कवरेज में शहरी ग्रामीण विभेदक (%)




स्रोत: एनएफएचएस 1

देखभाल प्रणाली ने सुलभता संबंधी समस्याओं के बावजूद प्रतिरक्षण सेवाओं की पूर्ति की। तथापि, शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में प्रतिरक्षण के अधीन कवरेज सर्वाधिक निर्धन किंवटाइल समूह (चित्र 5.7.51) में थी।

61. किसी भी टीके के सम्बन्ध में प्रतिरक्षण कवरेज लड़कियों के मामले में, विशेष रूप से निर्धन आय वर्गों की लड़कियों के मामले में किंचित न्यून था और न्यूनतम आय किंवटाइल में शहरी लड़कियों का अनुपात उच्चतर था, जिन्हें कोई भी प्रतिरक्षण, प्राप्त नहीं हुआ था (चित्र 5.7.52)। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए निवारणात्मक देखभाल में लैंगिक पूर्वग्रह को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 5.7.52 प्रतिरक्षण कवरेज में लैंगिक विभेदक



स्रोत: एनएफएसएस 1

62. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक वर्ष से पूर्ण प्रतिरक्षण अपेक्षतया न्यून रहा है, नेमी प्रतिरक्षण क्रियाकलापों के सुदृढीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे कि टीके से रोके जा सकने वाले छः रोगों के अधीन शिशुओं के कवरेज में सुधार लाया जाए। शीत श्रृंखला, इन्जेक्शन सुरक्षा और प्रशिक्षण के सुदृढीकरण के लिए भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। परिवार कल्याण विभाग ने 15 चुनिंदा शहरों के मलिन बस्ती क्षेत्रों में, जहां 6 वीपीडी के लिए प्रतिरक्षण कवरेज 80 प्रतिशत से अधिक है, बच्चों के हैपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षीकरण की एक प्रायोगिक योजना शुरू की है। चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में अनेक स्वैच्छिक एजेंसियां हैपेटाइटिस बी प्रतिरक्षण प्रदान कर रही हैं। इन प्रयासों में प्रगति का मानीटरन किया जाना है।

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण

63. 1995-96 में शुरू की गई पल्स पोलियो पहल के अधीन पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रति वर्ष दिसम्बर और जनवरी में मुखीय पोलियो टीके की दो खुराकें तब तक दी जानी हैं जब तक कि पोलियो का उन्मूलन नहीं हो जाता। ऐसा सूचित किया गया है कि इस कार्यक्रम के अधीन सभी राज्यों में कवरेज 90 प्रतिशत से ऊपर रही है और प्रति वर्ष 120 मिलियन से अधिक बच्चों ने टीके की खुराक प्राप्त की है। तथापि, यह चिंता का विषय है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नेमी प्रतिरक्षण के अधीन कवरेज में सुधार नहीं हुआ है। जनसंख्या के ऐसे वर्ग हैं तो नेमी प्रतिरक्षण और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण - दोनों से बचे रह जाते हैं। फलतः हालांकि पोलियो के मामलों की संख्या में काफी गिरावट आई है, फिर भी यह गिरावट इतनी नहीं है कि देश शून्य पोलियो मामलों की स्थिति प्राप्त हो सके।

64. पिछले चार वर्षों के दौरान सूचित किए गए पोलियो के अभिपुष्ट मामले तालिका 5.7.5 में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2002 में पोलियो के अभिपुष्ट मामलों की संख्या 2001 में सूचित किए गए मामलों की संख्या से पहले ही अधिक हो चुकी है। सूचित मामलों में अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त हुए हैं। जिन क्लस्टरों में पोलियो-अनुकूल मामले हैं और जिन क्षेत्रों में सतत पोलियो वायरस संचरण है, उन क्षेत्रों सहित वाइल्ड पोलियो वायरस के सामने आए मामलों के बाद परिसमापन प्रतिरक्षण किया जा रहा है। सभी राज्यों में संयुक्त मिश्रित चौकियों और घर-घर सम्पर्क के दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एसएनआईडी) तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एनआईडी) आयोजित किए जा रहे हैं। अल्प-सेवित समुदायों में उच्च नेमी और अभियान कवरेज करने और परिवारों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियानों के दौरान नेमी प्रतिरक्षण की आवश्यकता के बारे में याद दिलाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर नेमी प्रतिरक्षण कवरेज तथा पल्स पोलियो के अधीन उत्तम कवरेज के चलते आशा है कि 2004 तक पोलियो का उन्मूलन हो जाएगा।


वर्ष	अभिपुष्ट पोलियो के मामलों की संख्या
1998	1931
1999	1126
2000	265
2001	268

स्रोत: परिवार कल्याण विभाग

लैंगिक पूर्वग्रह

65. मौजूदा शताब्दी के दौरान लैंगिक अनुपात में सूचित गिरावट/चिंता का एक कारण रही है (चित्र 5.7.53)। इस निरन्तर गिरावट के लिए जिम्मेदार कारणों की अभी तक सुस्पष्ट पहचान नहीं की जा सकी है। तथापि, यह भली-भांति ज्ञात है कि प्रतिवृत्त लैंगिक अनुपात विषमताओं का परिचायक है। यह सुनिश्चित किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है कि सभी क्षेत्रक लैंगिक दृष्टि से

चित्र 5.7.53 भारत में लिंग अनुपात में काल प्रवृत्तियां




स्रोत आरजीआई

पृथक्कृत आंकड़ों का संग्रह किया जाए और उसे सूचित किया जाए। ऐसा करने से लैंगिक विषमता के साक्ष्य का मानीटरन करने में मदद मिलेगी। सभी सामाजिक क्षेत्रों से लिंग पृथक्कृत आंकड़ों के सतत संग्रह, मूल्यांकन, विश्लेषण और सूचित किए जाने से एक ऐसा तंत्र भी उपलब्ध होगा जिससे कि इस बात को मानीटर किया जा सकेगा कि क्या लड़कियों और महिलाओं को ये सेवाएं समान रूप से सुलभ होती हैं।

66. 0-6 आयु वर्ग में लैंगिक अनुपात के जनगणना आधारित आंकड़ों से विशाल अन्तर-राज्यीय भिन्नताएं प्रकट होती हैं (चित्र 5.7.54)। इसके अलावा, आंकड़ों से यह पता चलता है कि 0-6 लैंगिक अनुपात में पिछले तीन दशकों के दौरान गिरावट आई है (तालिका 5.7.6)। यह अटकल लगाई गई थी कि क्या बालिका शिशु हत्या, लिंग निर्धारण परीक्षण और चुनिंदा बालिका भ्रूण हत्या आदि कम से कम आंशिक रूप से इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

वर्ष	शहरी	ग्रामीण	जोड़
1981	931	963	962
1991	935	947	945
2001	903	934	927

स्रोत: आरजीआई



67. बालिका शिशु हत्या एक सज्जेय अपराध है। लिंग निर्धारण परीक्षणों का दुरुपयोग रोकने और लिंग चयनात्मक गर्भपातों को रोकने के लिए 1994 में अधिनियमित प्रसव-पूर्व निदानात्मक तकनीकी अधिनियम का प्रवर्तन 1996 से शुरू हो गया। तथापि, इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्टों के बावजूद इस तरह की परिपाटियां कुछ राज्यों में केवल शहरी ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं, अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों की संख्या अत्यल्प है। एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने और केन्द्र को पीएनडीटी अधिनियम के अधीन प्रावधानों की समीक्षा करने तथा मौजूदा ज्ञान और उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने के आदेश दिए हैं।

68. पीएनडीटी के अधीन राज्य, अल्ट्रासाउंड मशीनों से युक्त सभी संस्थानों का पंजीकरण कर रहे हैं और उनके प्रयोग का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मीडिया और एनजीओ से उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि लिंग निर्धारण के लिए अधिकांश गुप्त आप्रेशन अल्ट्रासाउंड परीक्षण पहली तिमाही के दौरान किए जाते हैं। अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनें केवल गर्भावस्था के चौथे महीने में भ्रूण का लिंग निर्धारण कर सकती हैं। जनता के बीच इस तरह की जागरूकता उत्पन्न करने कि अल्ट्रासाउंड मशीनें पहली तिमाही में भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं कर

सकती, इस छलपूर्ण परिपाटी में कमी लाने के लिए सहायक हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड दूसरी तिमाही में भ्रूण का लिंग निर्धारण कर सकती हैं लेकिन दूसरी तिमाही में एमटीपी कोई आसान अथवा सुरक्षित मार्ग नहीं रह जाता। यदि जनता को दूसरी तिमाही के गर्भपात के खतरों की बाबत स्पष्ट स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए, तो दूसरी तिमाही में कराए जाने वाले लिंग चयनात्मक गर्भपात कम हो सकते हैं।

69. कोरियान विल्लस बायोप्सी जैसी तकनीकों से पहली तिमाही में भ्रूण का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। वाई क्रोमोसोम सहित इनवाइट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा गर्भधारण से पूर्व लिंग निर्धारण संभव है। सम्प्रति, ये तकनीक महंगी हैं और व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। पीएनडीटी अधिनियम निवारक दण्डात्मक उपायों से लिंग चयनात्मक गर्भपातों के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग में कमी लाई जा सकती है।

70. अन्यत्र प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्टतः पता चलता है कि लैंगिक पूर्वग्रह अन्य रूप में भी व्यक्त होता है, जैसे कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लड़कियों की मृत्यु की उच्चतर दरें, अतिसार और श्वसन संक्रमण से पीड़ित लड़कियों के मामलों में माता-पिता द्वारा उपचार की दिशा में न्यून प्रयास किए गए और जो लड़कियों के माता-पिता के बीच गर्भ निरोधकों की स्वीकृति उन माता-पिता की तुलना में आधी थी, जिनके दो पुत्र थे। पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन में इन कठिनाइयों के बावजूद यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि पुत्र की वरीयता को कम करने के प्रति लक्षित सामाजिक बदलाव तैयार करने का एक समर्थनकारी साधन शैक्षिक स्वास्थ्य है। लैंगिक पूर्वग्रह की सभी अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक ऊर्जायुक्त आईईसीएम अभियान शुरू किया जाना है।

संभारतंत्रीय सहयोग

नीची योजना की कार्यनीति

अनिवार्य औषधियों, उपकरणों, टीकों और गर्भनिरोधकों की उपयुक्त संख्या में और उपयुक्त स्तर की निर्बाध आपूर्ति को सुधारा जाए।

71. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन औषधियों, उपकरण किटों, गर्भनिरोधकों और टीकों की अधिप्राप्ति और उनकी सप्लाई करने का काम केन्द्रीय सरकार करती है। जबकि औषधि किटों की आपूर्ति जिला स्तर पर की जाती है, टीकों और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है। राज्यों ने इस तरह की आपूर्तियों को प्राप्त करने, स्वीकार्य स्थितियों में उनका भण्डार रखने और उनके वितरण के लिए कोई विशेषज्ञतापूर्ण अथवा समर्पित प्रणाली अभी तक तैयार नहीं की है। फलतः इस काम में देरी होती है; औषधियों की गुणवत्ता में गिरावट आती है और उनका अपव्यय होता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन 500 करोड़ रुपये की आपूर्ति की जाती है और ऐसा अनुमान है कि गुणवत्तात्मक गिरावट और अदक्षताओं के कारण 20 से 30 प्रतिशत तक की हानि होती है।

72. परिवार कल्याण विभाग ने विभिन्न बाह्य वित्तपोषी एजेन्सियों के सहयोग से प्रत्येक प्रमुख राज्य के लिए संभारतंत्रिय परियोजनाएं तैयार की हैं। प्रत्येक राज्य में एक ऐसी विशेषज्ञतापूर्ण एजेन्सी स्थापित करने की बात सोची गई थी, जो कि पांच से आठ जिलों के प्रत्येक संकुल के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वेयरहाउसों की देखभाल करेगी। ये वेयरहाउस क्षेत्र में प्रत्येक अस्पताल से मांग पत्र प्राप्त करेंगे और संविदागत पारदर्शिता के माध्यम से 15 दिन के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। कारगरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की एजेन्सी को उसके द्वारा संभाले जाने वाली सप्लाई के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। संभारतंत्रिय परियोजना की दिशा में कुछ राज्यों में पहले ही शुरुआत की जा चुकी है। सम्प्रति, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, वे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए प्रदत्त औषधियों/टीकों/उपकरणों की देखभाल करेंगी। इस कार्यक्रम की प्रगति और पेश आने वाली समस्याओं का मानीटरन किया जाएगा और उपयुक्त मध्यावधि सुधार किए जाएंगे।

आरसीएच में निजी क्षेत्र की सहभागिता

73. आधुनिक चिकित्सा के 80 प्रतिशत से अधिक चिकित्सक आईएसएम तथा एच चिकित्सक में उससे भी उच्चतर अनुपात निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसा अनुमान है कि जहां सम्पूर्ण उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में तीन-चौथाई से अधिक सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं, फिर भी मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं में इसका योगदान एक तिहाई से भी कम है। निजी क्षेत्र की सहभागिता में प्रमुख प्रतिबंधों में निम्न शामिल हैं:

- अभी तक बल मुख्यतः उपचारात्मक सेवाओं पर रहा है;
- सेवाओं की गुणवत्ता अक्सर विभेदपूर्ण होती है; तथा
- जनसंख्या के गरीब वर्ग इन सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते।

74. आरसीएच कार्यक्रम के अधीन गरीब तबकों के लोग, विशेष रूप से अल्प-सेवित क्षेत्रों में परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने में सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग सुधारने की दिशा में अनेक पहलें की गईं। निजी चिकित्सीय चिकित्सक को दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण प्रदान करके और यह सुनिश्चित करके कि उन्हें गर्भ निरोधक, औषधियां तथा टीके तत्काल निःशुल्क रूप से सुलभ हो सकें, आरसीएच देखभाल में उनका सहयोजन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए। आरसीएच सेवाओं का कवरेज और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्रक में व्यापक क्षमता मौजूद है और चिंता केवल ऐसे तरीके ढूँढने की है कि इस क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा सके।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

75. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आरसीएच हस्तक्षेपणीय उपायों के सम्बन्ध में जागरूकता सृजन और उनके सम्बन्ध में पक्षपोषण और साथ ही, सामुदायिक सहभागिता में सुधार लाने में एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती हुई भूमिका की परिकल्पना की गई है। कुछ समय पहले

तक बहुत थोड़े से एनजीओ को परिवार कल्याण विभाग से पैसा मिल रहा था, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास उपयुक्त तकनीकी ज्ञान और अपेक्षित कौशल उपलब्ध नहीं थे। एनजीओ की सहभागिता बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में विभाग ने निम्न कार्य करने के लिए छोटे, क्षेत्रीय स्तर के गैर-सरकारी संगठनों का चयन करने, उन्हें प्रशिक्षण देने, उनकी सहायता करने और उनका मानीटरन करने में फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वाल्यूनटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे अनेक सुस्थापित गैर-सरकारी संगठनों को सहयोजित किया:

- मातृ बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेपणीय उपाय के लिए पक्षपोषण;
- लघु स्वस्थ परिवार को बढ़ावा;
- सामुदायिक सहभागिता में सुधार लाना;
- किशोरों के विवाह की आयु आगे बढ़ाने; युवा दम्पतियों को पहले गर्भ में देरी लगाने और दो बच्चों वाले दम्पतियों को उपयुक्त गर्भनिरोधक पद्धतियों का प्रयोग करके अपने परिवारों को सीमित रखने के लिए परामर्श देना और प्रेरित करना;
- समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना।

76. सम्प्रति, परिवार कल्याण विभाग 412 जिलों में फैले हुए 97 मातृ एनजीओ (लघु एनजीओ की देखभाल करने वाले विशाल एनजीओ) तथा 800 से अधिक एनजीओ का वित्तपोषण कर रहा है। ये एनजीओ 10 राज्यों में सभी जिलों को कवर करते हैं। तथापि, उच्च उर्वरता और मृत्यु दरों वाले राज्यों में अभी भी ऐसे जिलों की संख्या बहुत बड़ी है जिनमें एक भी एनजीओ नहीं है। राज्य सरकारें सेवाएं प्रदान करने अथवा उसे अपनाने में एनजीओ को सहयोजित करने के प्रयास भी कर रही हैं। इन प्रयासों के परिणाम मिश्रित रहे हैं; इन प्रयोगों का सावधानीपूर्वक मानीटरन किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

77. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार की गई थी और मंत्रिमंडल ने सन् 2000 में उसको मंजूरी दे दी। एनपीपी 2000 का तात्कालिक लक्ष्य यह था कि गर्भ निरोधक के लिए और महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूरी न हो सकी सभी मांगों की पूर्ति की जाए। मध्यावधिक लक्ष्य यह था कि कुल प्रजनन दर 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर (2.1 का टीएफआर) लाया जाए; नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य यह था कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की पूर्ति की जाए।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

78. एनपीपी में यथापरिकल्पित, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आयोग को निम्न अधिदेश प्राप्त हैं:

- जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयोजन से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा; मानीटरन और निर्देश देना;
- स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरणात्मक और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देना जिससे कि जनसंख्या स्थिरीकरण में तेजी लाई जा सके;
- केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों और एजेन्सियों के माध्यमों से कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में अंतः क्षेत्रकीय समन्वय को बढ़ावा देना;
- इस राष्ट्रीय प्रयास के सहयोग के लिए एक तीव्र जन कार्यक्रम विकसित करना।

79. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई 2000 को आयोजित की गई। इस बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयोगी सुझाव उभरकर आए। आयोग के लिए एक स्थायी सलाहकार समूह के रूप में संबंधित क्षेत्रीय मंत्रालयों के सचिवों को लेकर एक कार्यनीति सहयोग समूह का गठन किया गया है। एनपीपी 2000 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति लक्षित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विशिष्ट पक्षों का अध्ययन करने के लिए नौ कार्यकारी दलों का गठन किया गया और उनकी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

असंतोषपूर्ण जनांकिकीय सूचकों वाले राज्यों में निष्पादन सुधारने की दिशा में पहलें

80. जनांकिकीय प्रोफाइल के आधार पर देश को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है:

- क) ऐसे राज्य, जिन्होंने प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर, अर्थात् 2.1 का टीएफआर प्राप्त कर लिया है; इन राज्यों में प्रयास यह होना चाहिए कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।
- ख) ऐसे राज्य, जिन्होंने प्रयास किया है और जो 2010 तक 2.1 टीएफआर प्राप्त कर लेंगे, जहां मुख्य प्रयास इस बल को बनाए रखने की ओर केन्द्रित रहेगा।
- ग) उच्च प्रजनन और/अथवा मृत्यु दर वाले ईएजी राज्य; जनसंख्या नीति में निर्धारित सामाजिक-जनांकिकीय लक्ष्यों की पूर्ति करने के प्रति लक्षित कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

81. परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2001 में गठित अधिकारप्राप्त कार्य समूह (ईएजी) उपलब्ध आधारीक तंत्र की, स्वास्थ्य प्रणाली के निष्पादन की और स्वास्थ्य सूचकों की समीक्षा करता है और स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाता है जिससे कि प्रजनन और मृत्यु दर में तेज गिरावट आ सके। यदि प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट लाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति की जानी है, तो यह एक अनिवार्य उपाय है, क्योंकि देश की मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में इन राज्यों का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। इस समूह के कुछ राज्यों (उदाहरण के लिए - उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार) के आधारीक तंत्र का कार्यकरण असंतोषपूर्ण रहा है; बिहार में 70 प्रतिशत से अधिक उप-केन्द्रों में एएनएम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश ने कुछ पहल की है और हाल ही में 500 एएनएम की नियुक्ति की है। एएनएम की नियुक्ति प्रति 5000 की जनसंख्या के पीछे एक एएनएम के 1991

के मानदण्डों के अनुसार की जाती है; किन्तु कुछ उप-केन्द्र 12000 की जनसंख्या की देखभाल करते हैं। इन स्थानों पर उन्होंने एक अतिरिक्त एएनएम की नियुक्ति कर ली है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे तैनाती के स्थान पर मौजूद रहें और पूरी तरह क्रियाशील हों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित सामाजिक-जनांकिकीय लक्ष्यों की पूर्ति करने के प्रति लक्षित कार्यक्रम तैयार करने, राज्य सरकारों की अपनी राज्य जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में उनकी मदद करना, स्वैच्छिक संगठनों, पीआरआई को शामिल करने के तरीके तैयार करना और गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन के क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ईएजी राज्यों को प्रदान की गई निधियों से संबंधित जानकारी तालिका 5.7.7 में दी गई है।

तालिका 5.7.7 ईएजी राज्यों को प्रदत्त निधियां (करोड़ रुपए)

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
बिहार	182.02	208.63	156.16
झारखण्ड			74.39
मध्य प्रदेश	190.02	200.9	148.39
छत्तीसगढ़			59.74
उड़ीसा	98.43	95.06	115.85
राजस्थान	136.02	185.11	189.75
उत्तर प्रदेश	335.97	370.46	385.42
उत्तरांचल			42.05
जोड़ - ईएजी राज्य	942.46	1060.16	1171.75
कुल जोड़ - अखिल भारत	2458.07	2790.11	3216.63

82. अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करने में जनजातीय जनसंख्या (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) को बड़ी समस्याएं पेश आती हैं और उनके स्वास्थ्य सूचक असंतोषपूर्ण हैं। परिवार कल्याण विभाग ने पहले ही ऐसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जो कि जनजातीय जनसंख्या की स्वास्थ्य देखभाल मांगें पूरी करने के प्रति केन्द्रित हैं। क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य मांगों की ओर ध्यान देने तथा सभी क्रियाकलापों में एनजीओ और जनजातीय समुदाय का सहयोजन बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे।

83. ऐसा दर्शाया गया है कि शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के मातृ और बाल स्वास्थ्य सूचक असंतोषपूर्ण हैं। अनेक मलिन बस्तियों में प्रतिरक्षण कवरेज बहुत न्यून है और बच्चे अल्प-पोषित हैं। परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में निवेश कर रहे हैं कि उन्हें मौजूदा द्वितीयक और तृतीयक देखभालों के साथ जोड़ा जाए। भारतीय जनसंख्या परियोजना

(आईपीपी) V, VIII तथा शहरी आरसीएच प्रायोगिक परियोजनाओं ने अनेक शहरों में शहरी स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता का निर्माण किया है। शहरी स्वास्थ्य देखभाल को युक्तियुक्त बनाने और कारगरता में सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शहरी जनसंख्या की प्रजनन देखभाल मांगें उपलब्ध आधारित तंत्र के बल पर समग्रतः पूरी की जा सकें।

मानीटरन और मूल्यांकन

84. जनसंख्या सम्बन्धी एनडीसी उप-समिति ने कार्यक्रम के मानीटरन के लिए मुख्यतः, कवरेज तथा प्रभावी संकेतकों के संबंध में जिला स्तरीय डाटाबेसों के निर्माण की सिफारिश की थी, जिसे नौवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के मानीटरन और मूल्यांकन के लिए निम्न प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है:

- राज्य और कार्यान्वयन एजेन्सियों की रिपोर्टें;
- नमूना पंजीकरण प्रणाली और जनसंख्या जनगणना;
- त्वरित पारिवारिक सर्वेक्षण;
- बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण - एनएफएचएस, एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण तथा जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट सर्वेक्षण;
- राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा अन्य विशिष्ट सर्वेक्षण।

85. परिवार कल्याण विभाग ने ऐसे क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों का गठन किया है जो कि विभिन्न गर्भ निरोधक की स्वीकृति का नियमित सत्यापन और आंकड़ों का वैधीकरण करते हैं। विभिन्न परिवार नियोजन पद्धतियों से संबंधित जटिलता दरों, निरंतरता दरों और पेचीदगियों के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त करने के लिए इन मूल्यांकन दलों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम हस्तक्षेपणीय उपायों की दिशा में प्रगति और साथ ही उनके प्रभाव से संबंधित आरएचएस आंकड़ों का प्रयोग जिला-विशिष्ट समस्याएं अभिज्ञात करने और उनका समाधान करने के लिए किया जा रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों में सुविधाओं की उपलब्धता और प्रयोग का निर्धारण करने के लिए 1998-99 में 101 जिलों में सुविधा सर्वेक्षण किए गए और पाई गई कमियों को संबंधित राज्यों और जिलों की जानकारी में लाया गया। आरसीएच कार्यक्रम के अधीन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता संकेतकों के मानीटरन के लिए फोरमेट तैयार किया गया है और सभी राज्यों को भेज दिया गया है।

86. 1990 के दशक में मूल्यांकन में किए गए भारी निवेश के कारण समवर्ती मूल्यांकन की आवश्यकता की बाबत जानकारी बढ़ी है। जिला स्तर पर सीआरएस और जिला सर्वेक्षणों के रूप में मूल्यांकन की एक संधारणीय प्रणाली स्थापित करके इस लाभ का समेकन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपयुक्त अन्तःक्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से दोहराव को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक त्वरित पारिवारिक सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में स्कूल पूर्व

बच्चों में अल्पपोषण और रक्ताल्पता की दरों और किशारों में रक्ताल्पता की जिला विशिष्ट जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

परिवार कल्याण आधारिक तंत्र का पुनर्गठन

87. जब 1970 के दशक के पूर्वार्द्ध में परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू हुआ था तब मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने वाला आधारिक तंत्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर अपर्याप्त तथा द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर इष्टतम से निम्न स्तर का था। स्थिति में त्वरित सुधार लाने के लिए परिवार कल्याण विभाग ने प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों/स्वास्थ्य चौकी का निर्माण और वित्तपोषण किया तथा उस समय मौजूद पीएचसी (ब्लॉक स्तरीय पीएचसी) को अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराया। इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद निर्मित उप-केन्द्रों में एएनएम का वित्तपोषण भी नियमानुसार किया गया। परिवार कल्याण विभाग ने कार्यक्रम कार्यान्वित करने और कार्मिकों के सेवा-पूर्व/सेवाकालीन प्रशिक्षण के निमित्त प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय आधारिक तंत्रों की भी स्थापना की। इन सभी क्रियाकलापों का वित्तपोषण योजनागत निधियों के माध्यम से किया जा रहा है।

88. पिछले तीन दशकों के दौरान राज्य द्वारा स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र का व्यापक विस्तार और सुदृढीकरण किया गया है। आज की स्थिति में परिवार कल्याण सेवाएं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक देखभाल संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का अविभाज्य अंग हैं। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित स्टाफ राज्य आधारिक तंत्र में सेवारत राज्य स्वास्थ्य सेवा कार्मिक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए नौवीं योजना ने यह सिफारिश की कि वित्तपोषण का दायित्व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा ले लेना चाहिए। अप्रैल 2002 से प्रसवोत्तर केन्द्रों और परिवार कल्याण केन्द्रों को वित्तपोषित करने का दायित्व राज्यों को सौंप दिया गया है। आरएफडब्ल्यूसी के अधीन वित्तपोषित ऐसे 5000 डॉक्टर हैं जिन्हें पीएचसी डॉक्टरों के पदों की रिक्तियों पर पुनः तैनात किया जा सकता है ताकि पीएचसी की कार्यात्मक स्थिति में सुधार हो सके। इसी प्रकार प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अधीन इस समय कार्यरत 3000 से अधिक विशेषज्ञों को सीएचसी/एफआरयू में रिक्त पदों पर लगाया जा सकता है ताकि ये संस्थान पूरी तरह कार्यचालनात्मक बन सकें और एकीकृत आरसीएच सेवाएं प्रदान कर सकें।

89. क्योंकि कार्यक्रम के विस्तार के संवर्धन के लिए एएनएम महत्वपूर्ण होती है इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एएनएम के पद भरे जाएं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएं कि वे सुलभ रहें और जो काम उन्हें सौंपे जाएं, उन्हें पूरा करें। एएनएम को लेकर एक प्रमुख समस्या यह है कि जहां परिवार कल्याण विभाग ने 97,000 से अधिक एएनएम का वित्तपोषण किया वहां 40,000 का वित्तपोषण (योजनेत्तर से) राज्य द्वारा किया गया। नौवीं योजना ने यह सिफारिश की कि वित्तपोषण में यह द्विभाजन समाप्त किया जाना चाहिए और 1991 की जनसंख्या के मानदण्डों के अनुसार सभी एएनएम का वित्तपोषण परिवार कल्याण विभाग द्वारा

किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2002 से यही व्यवस्था चलाई जा रही है। आशा है कि इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य अपेक्षित संख्या में एएनएम की नियुक्तियां जरूर करे, उनके कार्यकरण को युक्तियुक्त बनाएं और मातृ तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल की व्याप्ति, अन्तर्वस्तु तथा गुणवत्ता में सुधार लाएं।

शून्य आधारित बजट निर्माण

90. पूर्व में, परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक एकल केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में समझा जाता रहा है जिसके फलस्वरूप वित्तपोषण के शीर्ष कार्यात्मक रखे गए जैसे कि कार्मिक, सेवाएं, आपूर्ति, परिवहन, क्षेत्र विकास आदि। मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षण सहित सभी पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों को इन्हीं कार्यात्मक शीर्षों से इन्पुट प्राप्त हुए। नौवीं योजना में आरसीएच, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण और नेमी प्रतिरक्षण का सुदृढीकरण जैसी बड़ी परियोजनाएं विशाल परिव्ययों सहित जुड़ गईं। योजना आयोग और परिवार कल्याण विभाग ने इन स्कीमों को युक्तियुक्त बनाने का प्रयास किया। एक संशोधित स्कीमवार सूची बनाई गई जिसके अधीन आधारिक तंत्र के सुदृढीकरण, क्षेत्र विकास परियोजना, प्रशिक्षण, अनुसंधान, गर्भनिरोध, प्रतिरक्षण, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और पोषण के लिए कार्यक्रम सबद्ध क्रियाकलापों को विशिष्ट स्कीमों के रूप में अभिज्ञात किया जाए। इसके पश्चात शून्य आधारित बजट निर्माण प्रयास किए गए और अभिसरण, छंटाई तथा राज्यों से अन्तरित किए जाने के लिए स्कीमों में अभिज्ञात की गई। शून्य आधारित बजट निर्माण का सार तालिका 5.7.8 में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान स्कीमवार परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय और 2002-03 के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय संलग्नक 2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.7.8 : शून्य आधारित बजट निर्माण 2001

श्रेणी	स्कीमों की संख्या	नौवीं योजना का परिव्यय (करोड़ रुपए)	नौवीं योजना में प्रत्याशित व्यय (करोड़ रुपए)
राज्यों को अन्तरित की जाने वाली स्कीमों	3	2,080.00	2,198.00
विलयित की जाने वाली तथा कायम रखी जाने वाली स्कीमों	11/40	7,640.20	7,398.39
छंटाई की जाने वाली स्कीमों	8	185.85	31.25
कायम रखी जाने वाली स्कीमों	43	5,213.95	4,961.33
योग	94	15,120.00	14,588.97
दसवीं योजना में जारी रखी जाने वाली स्कीमों की कुल संख्या	54	12,854.15	12,359.72

नीवी योजना का वर्षवार परिव्यय, सं.अ. और व्यय तालिका 5.7.9 में दिया गया है।

तालिका 5.7.9 नीवी योजना के दौरान परिव्यय, सं.अ. तथा व्यय

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
1997-98	1829.35	1829.35	1822.00
1998-99	2489.35	2253.00	2342.75
1999-2000	2920.00	3120.00	3099.76
2000-01	3520.00	3200.00	3090.11
2001-02	4210.00	3700.00	3596.63
योग	14968.70	14102.35	13951.25

परिवार कल्याण विभाग को वर्ष 2002-03 के लिए 4930 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

संलग्नक 5.7.1

संकेतक लक्ष्य वर्ष	मोजूदा स्थिति	लक्ष्य			
		एनएचपी 1983 2000	नीवी योजना 2002	दसवीं योजना 2007	एनपीपी 2000 2010
अशोधित जन्म दर	25.8 एसआरएस (2000)	21	24	21	21
कुल उर्वरता दर	2.85*	2.3	2.9	2.3	2.1
दमित संरक्षण दर (%)	46.2 परिवार कल्याण विभाग (2000)	60	51	65	सभी जरूरतें पूरी
प्रसव-संबंधित मृत्यु अनुपात	540*	200 से नीचे	300	200	100 से नीचे
प्रसव-संबंधित मृत्यु दर	-	30-35	-	-	-
नवजात मृत्यु दर	43.4*	-	35	26	-
शिशु मृत्यु दर	68 एसआरएस (2000)	60 से नीचे	56	45	30 से नीचे
पांच वर्ष से कम की मृत्यु दर	94.9*	-	-	-	-
6 वीपीडी के विरुद्ध प्रतिरक्षित का (%)	42*	85	65	100	100
→ खसरा	51				
→ डीपीटी	55				
→ पोलियो	63				
→ बीसीजी	72				
प्रसव-पूर्व देखभाल (एएनसी)					
→ कम से कम 3 एएनसी पर महिलाओं का %	43.8	100	90	90	100
→ 3 अथवा 4 महीने तक आईएफए प्राप्त करने वाली महिलाओं का %	47.5			100	100
→ टीटी की दो खुराक पाने वाली महिलाओं का %	66.8		95	100	100
प्रसव					
संस्थानगत प्रसव (%)	33.6*	-	35	80	80
प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्मिक तथा टीबीए द्वारा कराए गए प्रसव (%)	42.3*	100	45		100
जन्म के समय न्यून भार की व्याप्ति (%)	30 (अनुमानित)	10	-	-	-

* स्रोत: एनएफएचएस - 2

(करोड़ रुपए)

IX योजना	X योजना	स्कीम का नाम	नवी योजना			वार्षिक योजना 2002-03
			अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक परिव्यय की राशि	प्रत्याशित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
	ए	आधारिक तंत्र अनुरक्षण	6231.90	6654.85	7506.17	2303.00
1		ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1500 00	1600 00	1600 36	
2	1	उप केन्द्र	2200 00	2346 00	2344 60	1809 00
3	2	शहरी एफडब्ल्यू सेवाए	250 00	307 00	305 69	122 00
4	3	निदेश और प्रशासन	671 90	541 00	465 25	200 00
5		प्रसवोत्तर केन्द्र	530 00	560 00	557 94	
6		ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम	50 00	40 00	39 70	
7	4	सभारतत्रीय विकास	80 00	51 85	4 84	10 00
	5	सविदागत सेवाए/परामर्शी सेवाए				162 00
8		एएनएम (उप-केन्द्रों का अंग)				
9		अतिरिक्त एएनएम/पीएचएन/प्रयोगशाला तकनीशियन				
10		एसएम परामर्शदाता				
11		एनस्थीटिस्ट				
12		अन्य व्यय (राज्य/राष्ट्रीय स्तर के परामर्शदाता/आकस्मिकता)				
13		बकाया	950 00	1209 00	2187 79	
	बी	आधारिक तंत्र विकास	1050.00	1202.35	915.76	364.20
14	6	क्षेत्र परियोजनाए (आईपीपी परियोजनाए)	800 00	820 00	637 79	74 80
15	7	सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाए		82 35	6 42	10 00
16	8	यूएसएड सहाय्यित क्षेत्र परियोजना		300 00		59 40
17	9	अन्य बाध्य सहाय्यताप्राप्त आधारिक तंत्र विकास परियोजनाए	250 00		271 55	
18	10	ईसी सहाय्यित एसआईपी परियोजना				220 00
	सी	परिवहन	150.00	250.50	250.65	113.00
19	11	पहले से उपलब्ध वाहन का रखरखाव	150 00		250 65	98 00
20	12	एएनएम को मोपैड की आपूर्ति				15 00
	डी	प्रशिक्षण	257 35	301 28	289 29	99 60
21	13	एएनएम/एलएचवी के लिए बुनियादी प्रशिक्षण	150 00	181 40	182 07	67 00



22	14	एचएफडब्ल्यूटीसी का अनुरक्षण ओर सुदृढीकरण	40 00	48 06	46 94	14 00
23	15	एमपीडब्ल्यू कार्मिक (पुरुष) के लिए बुनियादी प्रशिक्षण	35 00	37 90	35 76	10 00
24	16	बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलो का सुदृढीकरण				2 00
25	17	एफडब्ल्यू प्रशिक्षण और आवासीय केन्द्र बम्बई	5 00	5 00	2 53	1 50
26	18	एनआईएचएफडब्ल्यू नई दिल्ली	21 00	21 35	14 52	3 15
27	19	आईपीपीएस मुम्बई	5 70	6 90	6 83	1 70
28	20	आईएमए को सहायता	0 65	0 67	0 64	0 25
		ई अनुसधान	96 00	107 00	96 58	30 30
29	21	जनसख्या अनुसधान केन्द्र	35 00	33 00	22 47	8 00
30	22	सीडीआरआई लखनऊ	8 00	8 00	8 00	2 30
31	23	आईसीएमआर तथा भाईआरआर		66 00		20 00
32	24	अन्य अनुसधान परियोजनाए	53 00		66 11	0 00
		एफ गर्भ निरोध	1541 50	1578 70	1458 35	483 50
33	25	गर्भ निरोधको का नि शुल्क वितरण रुढिगत गर्भनिरोधक	460 00	491 30	436 83	184 00
34		मुखीय गर्भनिरोधक	265 00	310 00	286 20	
35		आईयूडी		102 90		
36		नई पद्धतिया	115 00		84 97	
	26	गर्भ निरोधको का सामाजिक विपणन	400 00	428 70	407 40	115 00
37		परम्परागत गर्भनिरोधक		360 85	339 04	
38		मुखीय गर्भनिरोधक	400 00	67 85	68 36	
	27	बन्धीयकरण	680 20	653 80	610 26	180 50
39		बधीकरण बेड	8 60	8 60	8 79	
40		बधीकरण और आईयूडी निवेशन	600 00	575 00	534 22	
41		लैप्रारकोप्स की आपूर्ति/अधिप्राप्ति	70 00	68 00	66 75	
42		रिकैनेलाइजेशन	1 60	2 20	0 50	
43	28	परीक्षण सुविधाए	1 30	1 90	1 24	0 50
	29	नियोजित पितृत्व मे पुरुषो की भूमिका	आरसीएच	3 00	2 62	3 50
44		बिना चीरे के नसबदी	मे शामिल	3 00		
45		अन्य नवाचारी रकीमे (पुरुष सहभागिता)			2 62	
	जी	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य	5150 00	4423 30	3753 49	1174 20
	30	प्रतिरक्षण			226 00	
46		नेमी प्रतिरक्षण के लिए टीको की अधिप्राप्ति	आरसीएच	आरसीएच		
47		शीत श्रुखला	मे शामिल	मे शामिल		
		(क) शीत श्रुखला अनुरक्षण				

		(ख) शीत श्रृंखला उपकरण				
48		वीपीडी के सम्बन्ध में निगरानी				
49		अन्य टीके (हेपेटाइटिस बी)				
50	31	नेमी प्रतिरक्षण सुदृढीकरण	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	10.00
51	32	पल्स पोलियो				400.00
		(क) ओपीवी				240.00
		(ख) प्रचालन लागत				160.00
	33	बाल स्वास्थ्य				1.00
52		अनिवार्य नवजात देखभाल (गृह आधारित नवजात देखभाल)	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	
53		अतिसार रोग - निवारण/उपचार				
54		एआरआई - निवारण/उपचार				
	34	पोषण			आरसीएच में शामिल	
55		विटामिन ए कार्यक्रम				
56	35	किशोर स्वास्थ्य	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	3.00
	36	मातृ स्वास्थ्य				254.00
57		प्रसव-पूर्व देखभाल				
58		पोषणिक रक्ताल्पता (रक्ताल्पता नियंत्रण तथा वक्तमुक्ति)				
59		गृह प्रसव देखभाल				
		(क) समुदाय आधारित दाइयां				
		(ख) दाइयो का प्रशिक्षण				
60		दाइयों का किट (औषधियां, किटें और उपकरण)	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	
		(क) दवाइयो का किट/एफआरयू औषधियां/ पीएचसी औषधियां (आरटीआई औषधियां)				
		(ख) एमटीपी/आरटीआई/एसटीआई उपकरण/ किट/आईयूडी किट				
		(ग) रुधिर भण्डारण के लिए उपकरण तथा प्रयोगशाला उपकरण				
		(घ) सुइया और सिरिंजें				
		(ङ) नवजात उपकरण				
61		संस्थानगत प्रसवो को बढ़ावा				
		(क) चौबीसों घण्टे प्रसव				
		(ख) आपातकालीन प्रसूति तथा नवजात देखभाल के लिए एफआरयू का कार्यकाल				
62	37	एमटीपी सेवाएं (सुरक्षित गर्भपात के लिए मैनुअल वैक्यूम ऐस्पिरेटर)	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	1.20
63	38	आरटीआई/एसटीआई - निवारण और प्रबंधन	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	2.00

	39	अन्य आरसीएच हस्तक्षेपणीय उपाय और सेवाएं				122.00	
64		रेफरल परिवहन			आरसीएच में शामिल		
65		विस्तार सेवाएं					
66		आरसीएच शिविर					
67		सिविल निर्माण कार्य					
68		अनुसंधान (आरसीएच क्रियाकलापों में)					
69		एमआईएस					
70		मुख्यालय में व्यय					
71	40	एनजीओ तथा स्कोवा	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल	22.00	
	41	प्रशिक्षण				53.00	
72		आरसीएच प्रशिक्षण	आरसीएच में शामिल		आरसीएच में शामिल		
73		आईएसएम तथा एच का प्रशिक्षण					
74		एडव्यूडव्यू का प्रशिक्षण					
75	42	जनजातीय परियोजनाएं	आरसीएच में शामिल	आरसीएच में शामिल	आरसीएच में शामिल		
76	43	शहरी मलिन बस्ती परियोजनाएं					5.00
77	44	जिला परियोजनाएं					75.00
78	45	आरसीएच के अधीन अन्य परियोजनाएं	आरसीएच में शामिल	आरसीएच में शामिल	आरसीएच में शामिल		
	एच	अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रम	643.25	450.72	318.68	355.90	
79	46	मातृ लाभ स्कीम	ग्रामीण विकास विभाग से अन्तरित	80.00	80.00	90.00	
80	47	सूचना, शिक्षा और संचार	170.00	184.80	160.91	84.70	
		गैर-आरसीएच					
		आरसीएच					
81	48	विशेषज्ञों के दौरे/सम्मेलन/बैठकें आदि	16.10	15.35	2.15	1.50	
82	49	अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	6.30	6.99	6.33	1.70	
83	50	अधिकार प्राप्त कार्यसमूह	265.00	30.00	30.00	50.00	
84	51	सामुदायिक प्रोत्साहन स्कीम		30.00	5.00	60.00	
85	52	परिवार कल्याण सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना		0.01	0.01	50.00	
86	53	नीति सांगोष्ठियां		3.00	3.00	3.00	
87	54	अन्य पहलें		0.03	0.03	15.00	
88		राष्ट्रीय मानव विकास पहल के अधीन ग्रामीण परिवार स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों का सुददीकरण	उप-केन्द्रों (स्कीम-2) में शामिल	20.00	उप-केन्द्रों (स्कीम-2) में शामिल		
89		निर्देश और प्रशासन के अधीन अन्य कार्यालय	28.10	29.60	29.02		
90		आईएसएम संस्थान	7.00	5.02	1.39		

91	एमसीएच के क्षेत्रीय संस्थान	0.75	0.60	0.31	
92	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	1.90	1.72	0.13	
93	परिवार कल्याण सलाहकार स्कीम	1.00	1.00	0.00	
94	स्कूल स्वास्थ्य स्कीम	147.10	42.60	0.40	
55	दसवीं योजना में अतिरिक्त आरसीएच क्रियाकलाप			0.30	
56	अन्य नई पहलें				6.00
	कुल योग	15120.00	14968.70	14588.97	4930.00

संलग्नक 5.7.3



5.8 भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी

प्रस्तावना

1. भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा आदि जैसी पद्धतियां शामिल हैं। बीसवीं शताब्दी में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के भारत में आने से पहले भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की विधि से उपचार करने वाले चिकित्सक लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस समय देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के 680,000 से अधिक पंजीयित चिकित्सक हैं; उनमें से अधिकतर चिकित्सक गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी का एक प्रमुख मजबूत पक्ष यह है कि ये सरलता से सुलभ और स्वीकार्य हैं तथा कम खर्चीली हैं।

2. भारत में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी से स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाओं का एक व्यापक जाल विद्यमान है। देश में 60,000 से अधिक शैयाओं वाले 3,005 अस्पताल हैं तथा 23,000 से अधिक औषधालय (डिस्पेंसरी) हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के 405 कालेजों में इन पद्धतियों के 16,000 से अधिक चिकित्सक प्रतिवर्ष अर्हता प्राप्त करते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग चार अनुसंधान परिषदों को सहायता देता है और बहुत सी वैज्ञानिक संस्थाओं, और विश्वविद्यालयों को जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों तथा चिकित्सकीय पौधों के बारे में क्लिनिकल अनुसंधान, नृजातीय-वानस्पतिक सर्वेक्षण करने तथा भेषज-संहितानुरूप और भेषज-प्रकृतिविद संबंधी अध्ययन करने के लिए अनुसंधान-अनुदान प्रदान करता है। विभाग द्वारा जो भेषज-संहिता संबंधी समितियां गठित की गई हैं, वे एकल नमूना नुस्खों के लिए मानक तैयार कर रही हैं और वे शीघ्र ही भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के यौगिक आईएमएम (कम्पाउंड) फार्मूलेशन के लिए मानक तैयार करने का काम हाथ में लेंगी

3. इन सब कोशिशों के बावजूद, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी अपनी संपूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर पाई हैं, क्योंकि

- आईएसएमएंडएच की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या की मौजूदा संस्थाओं में आवश्यक स्टाफ, बुनियादी ढांचे, नैदानिक सुविधाओं और औषधियों का अभाव है।
- आईएसएमएंडएच की औषधियों और चिकित्सीय क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया।
- गुणवत्ता नियंत्रण और विनिर्माण की अच्छी पद्धतियों के अभाव के परिणामस्वरूप नकली और घटिया दवाओं का उपयोग किया जाता है।
- आईएसएमएंडएच चिकित्सकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता का स्तर नीचा है। आईएसएमएंडएच के बहुत से कालेजों में अत्यावश्यक सुविधाओं, योग्यताप्राप्त अध्यापकों तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अस्पतालों का अभाव है। ज्ञान और कौशल को नियतकालिक रूप से अद्यतन बनाने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा की प्रणाली की व्यवस्था नहीं है।

- आईएसएमएंडएच के चिकित्सकों को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता।
- औषधीय पौधों का अति दोहन किया गया है, और इसके परिणामस्वरूप आईएस एमएंडएच की औषधियों की कीमतों में वृद्धि हो गई है और बाजार में नकली उत्पाद आने शुरू हो गए हैं।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983) में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आई.एस. एम. एंड एच. के चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई थी। इन चिकित्सा पद्धतियों के विकास और इनके इष्टतम उपयोग की और केन्द्रित ध्यान देने के लिए 1955 में आई.एस. एम. एंड एच. (भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी) के एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के चिकित्सकों को मुख्य धारा में लाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के प्रयास कर रहा है, ताकि ये चिकित्सक आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के साथ, स्वास्थ्य परिचर्या की एक संपूरक प्रणाली निर्मित करें।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

5. नौवीं योजना में यह लक्ष्य रखा गया था कि आई.एस. एम. एंड एच. के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और केन्द्र और राज्यों के आई.एस. एम. एंड एच. विभाग प्रत्येक स्तर पर इन सेवाओं की गुणवत्ता और व्याप्ति में सुधार करने के लिए बहुत से कदम उठाएं।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या

6. आई.एस. एम. एंड एच. चिकित्सक समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों और दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक देखरेख प्रदान करते हैं। आईएसएम एंड एच अस्पतालों और औषधालयों की संख्या का विवरण (1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार) संलग्नक 5.8.1 में दिया गया है। पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में, कुछ दूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में केवल आई.एस. एम. एंड एच. चिकित्सक तैनात हैं। केरल में, आई.एस. एम. एंड एच. चिकित्सक, पीएचसी में देखभाल की पूरक पद्धति उपलब्ध कराते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आई.एस. एम. एंड एच. औषधालयों और अस्पतालों को पीएचसी/शहरी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के साथ जोड़ा जाए जिससे कि उन्हें इन संस्थानों में उपलब्ध नैदानिक व अन्य सुविधाएं सहज सुलभ हो सकें और मरीज भी अपने उपचार के लिए पद्धति का चयन कर सकें।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख

7. विद्यमान अधिकांश आई.एस. एम. एंड एच. द्वितीयक अस्पताल पृथक संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं और उनका न तो प्राथमिक आई.एस. एम. एंड एच. स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के साथ और न ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति में द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के साथ कोई

तालमेल है। प्रायः इन संस्थानों में पर्याप्त नैदानिक सुविधाओं, आधुनिक संरचना और जनशक्ति का अभाव रहता है। नौवीं योजना में, जिला अस्पतालों में आई.एस. एम. एंड एच. चिकित्सक तैनात करने की व्यवहार्यता और उपयोगिता की जांच करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की परिकल्पना की गई थी। कुछ राज्यों में जिला अस्पतालों में आई.एस. एम. एंड एच. क्लिनिक शुरू करने का प्रयास किया था किन्तु इस क्षेत्र में अनुभव बहुत सीमित है।

अवस्थापना	
विशाल अवस्थापना कायम की गई है	
— अस्पताल	3005
— शय्याएँ	60,681
— औषधालय	23028
समस्याएं	
— कोई व्यवस्थित रेफरल पद्धति नहीं	
— वे केवल उन्हीं की स्वास्थ्य देखभाल करते हैं जो उनके पास आते हैं	
— प्रत्येक केन्द्र अलग-थलग हैं। वे क्षेत्र के अन्य संस्थानों के साथ नहीं जुड़े हैं	
— कोई व्यवस्थित रेफरल प्रणाली नहीं है	
— विद्यमान आधुनिक चिकित्सा अस्पतालों के साथ कोई तालमेल नहीं है, इसलिए वे एक पूरक पद्धति के रूप में इष्टतम रूप से कार्य करने अथवा उपलब्ध नैदानिक सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं।	

तृतीयक स्वास्थ्य देख-रेख

8. सभी आई.एस.एम.एंड.एच. कालेजों के साथ, निजी और साथ ही सरकारी, तृतीयक देख-रेख अस्पताल जुड़े हैं। इसके अलावा, तृतीयक देख-रेख और/अथवा विशेषज्ञता केन्द्र, राष्ट्रीय संस्थानों के साथ जुड़े हैं। नौवीं योजना के दौरान, आई.एस. एम. एंड.एच. विभाग ने इनमें से अनेक संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए निधियां प्रदान कीं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में एक यूनानी विशेषज्ञता क्लिनिक और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक यूनिट कायम किया गया। विभाग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएनएस.), बंगलौर में विशेषज्ञता क्लिनिक स्थापित करने के लिए भी निधियां प्रदान की हैं। बताया गया है कि इन क्लिनिकों में काफी मरीज आते हैं। आईएसएमएंडएच विभाग ने, आईएसएमएंडएच अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ़ करने के लिए तथा द्वितीयक व तृतीयक देखरेख संस्थानों में - केन्द्रीय सरकार वित्तपोषित तथा राज्य सरकार वित्तपोषित दोनों प्रकार के अस्पतालों में - आईएसएमएंडएच क्लिनिक स्थापित करने के उद्देश्य वाली स्कीमों के संबंध में योजना आयोग का सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

आईएसएमएंडएच हेतु मानव संसाधन विकास

9. पिछले पांच दशकों के दौरान आईएसएमएंडएच शिक्षा संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पर समय आईएसएमएंडएच में 405 अवर-स्नातक और 77 स्नातकोत्तर कालेज हैं (तालिका 5.8.1)। किन्तु इन कालेजों में प्रशिक्षण की कोटि सतोषजनक है। 160 कालेजों के हाल ही के निरीक्षण से पता चला कि --

तालिका 5.8.1 आईएसएमएंडएच में मेडिकल शिक्षा		
पद्धति	कालेज	
	अवर-स्नातक	स्नातकोत्तर
आयुर्वेद	198	53
यूनानी	39	5
सिद्ध	2	2
होम्योपैथी	166	17
कुल	405	77
प्रवेश-क्षमता	16,845	821
स्रोत : आईएसएमएंडएच विभाग, 2001		

मेडिकल शिक्षा की वर्तमान समस्याएं

- ▶ छात्र,आईएसएमएंड परीक्षाओं में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेते हैं ; जिन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति में प्रवेश नहीं मिलता वे आईएसएमएंडएच कालेजों में प्रवेश लेते हैं।
- ▶ अध्यापकों की कोटि संतोषजनक नहीं है तथा शिक्षण साधनों की आपूर्ति कम रहती है।
- ▶ आईएसएमएंडएच अध्यापकों तथा छात्रों का मनोबल निम्न है।
- ▶ वर्तमान आईएसएमएंडएच पाठ्यविवरण और पाठ्यचर्या अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप,स्नातकों को आईएसएमएच चिकित्सा का अभ्यास करने का ज्ञान,दक्षताएं तथा विश्वास नहीं होता।

- उनमें से 44 प्रतिशत के पास अपेक्षित संख्या में विभागों का अभाव है ;
- 52 प्रतिशत में अपेक्षित अस्पताल शय्याओं का अभाव है ;
- 89 प्रतिशत में अपेक्षित संख्या में अध्यापक नहीं है ;
- 79 प्रतिशत में 60 प्रतिशत से कम शय्याएं उपयोग में आती हैं;
- 91 प्रतिशत के पास पर्याप्त नैदानिक उपस्कर नहीं है ;

- सभी कालेजों में से 52 प्रतिशत में छात्र/शय्या अनुपात, 1: 3 के निर्धारित अनुपात से अधिक है।

10. आईएसएमएंडएच नैदानिक और उपचारीय प्रक्रियाओं का उपयोग करने के वास्ते छात्रों को प्रशिक्षित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप इन छात्रों में आईएसएमएंडएच उपचारीय प्रक्रियाओं का उपयोग करने में विश्वास,ज्ञान और दक्षताओं का अभाव रहता है तथा उनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज करने की प्रवृत्ति होती है जिसमें वे प्रशिक्षित नहीं होते। इसलिए,मरीजों को आईएसएमएंडएच चिकित्सकों की सुलभता के बावजूद आईएसएमएंडएच उपचार का लाभ प्राप्त नहीं होता।

11. स्थिति को सुधारने के लिए सुझाए गए कुछेक उपाय हैं :

- छात्रों की क्षमता और रुचि का पता लगाने के लिए उपयुक्त पात्रता मानदंडों के साथ आईएसएमएंडएच अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रवेश परीक्षा प्रारंभ की जाए ;
- अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पद्धति में एकरूपता सुनिश्चित की जाए ;
- विशेषज्ञता क्लिनिकों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आईएसएमएंडएच सेवाओं तथा उद्योग में रोजगार हेतु सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना ;
- आईएसएमएंडएच विभाग के सहयोग से श्रेष्ठता के विद्यमान राष्ट्रीय केन्द्रों को सुदृढ़ करना .
- प्रत्येक बड़े राज्य में एक अवर-स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज के माडल के रूप में प्रत्येक पद्धति के लिए कम से कम एक कालेज को सुदृढ़ और मुख्य घारा के साथ जोड़ना ; और
- आईएसएमएंडएच परिषदों के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों के लिए एक उपयुक्त और पारदर्शी प्रत्यायन पद्धति कार्यान्वित करना।

आईएसएमएंडएच में शिक्षा में कोटि आश्वासन

12. भारतीय औषधियों की एक केन्द्रीय परिषद गठित करने, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तथा सम्बद्ध मामलों का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखने के वास्ते, भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का अधिनियमन किया गया था। केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद (सीसीआईएम) और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) का गठन क्रमशः 1970 और 1973 में किया गया था जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है :

- आईएसएमएंडएच पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के एकसमान स्तर निर्धारित और उनका अनुक्षण करना, चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार-संहिता के मानक निर्धारित करना ; और
- केन्द्रीय सरकार को आईएसएमएंडएच की उपयुक्त अर्हताओं की मान्यता से संबंधित मामलों के विषय में सलाह देना।

13. वे, आईएसएमएंडएच मेडिकल संस्थानों में स्तर बनाए रखने के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड/ परिषद के साथ भी समन्वयपूर्वक कार्य करेंगे। इसके अलावा, वे क्रमशः भारतीय औषधि पद्धति और होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर रखती हैं।

14. आईएसएमएंडएच विभाग द्वारा परिषदों के कामकाज की समीक्षा से पता चलता है कि मानीटरन प्रक्रियाएं तथा सारणियां पर्याप्त नहीं हैं। सीसीआईएम और सीसीएच की सिफारिशों को प्रायः कार्यान्वित नहीं किया जाता। कोई विधिक रूपरेखा नहीं है और परिणामतः योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित मानकों को निर्धारित व लागू करने के लिए कोई संस्थानगत पद्धति उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इन दो विधाओं में शिक्षा के स्तर सबसे अधिक असंतोषजनक हैं।

15. बड़ी संख्या में कालेजों की स्थापना, राज्य सरकारों की अनुमति प्राप्त करके और विश्वविद्यालयों से सम्बद्धन प्राप्त करके, प्रमुखतः निजी क्षेत्र में की जा रही है। 1995 और 2000 के बीच, सीसीआईएम ने 73 आयुर्वेद होम्योपैथी कालेज, होम्योपैथी कालेज और तीन सिद्ध कालेज स्थापित करने की अनुमति दी। कालेजों के इस अव्यवस्थित विस्तार से आईएसएमएंडएच शिक्षा की कोटि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समस्या पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद द्वारा 1997 में और आईएसएमएंडएच में राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में 1997 में चर्चा की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए कालेज निर्धारित मार्गनिर्देशों का पालन करें, केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद अधिनियम, 1970 और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973 में उपयुक्त संशोधन करने होंगे।

16. निम्नस्तरीय मेडिकल कालेजों के विस्तार को रोकने और शिक्षण में स्तरों के गिरावट पर नियंत्रण रखने के वास्ते आईएसएमएंडएच विभाग उपाय कर रहा है। इसके साथ ही, आईएसएमएंडएच विभाग यह सुनिश्चित करने के भी उपाय कर रहा है कि सांविधिक परिषदें उन्हें सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करें। सभी स्थापित आईएसएमएंडएच कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन्हीं कालेजों को

जारी रहने की अनुमति दी जाए जिनके पास आवश्यक अवस्थापना, जनशक्ति और सुविधाएं हों। निःसन्देह यह एक कठिन काम है किन्तु आईएसएमएंडएच शिक्षा के स्तरों में सुधार करने के लिए यह जरूरी है। आईएसएमएंडएच विभाग ने प्रस्ताव किया है कि चुनिन्दा अवर-स्नातक/स्नातकोत्तर कालेजों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि देखरेख और शिक्षण की कोटि में सुधार हो सके।

आईएसएमएंडएच में अर्ध-व्यावसायिक

17. इस समय, आईएसएमएंडएच फार्मैसी में कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही यह सामान्य भेषजज्ञ पाठ्यक्रम में शामिल है। इसी प्रकार, आईएसएमएंडएच में नर्सिंग में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग को इन दोनों मामलों को उठाना चाहिए ताकि आईएसएमएंडएच चिकित्सकों को आवश्यक सहायक स्टाफ उपलब्ध हो सके।

आईएसएम तथा एच में राष्ट्रीय संस्थान

18. आईएसएमएंडएच विभाग ने प्रत्येक मुख्य विषय में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं जिनका काम उच्च कोटि की रोगी देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने वाले श्रेष्ठता केन्द्र के रूप में कार्य करना है। यद्यपि इनमें से कुछेक संस्थान सुस्थापित हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, तथापि उनमें से बहुत से कामकाज के प्रारंभिक स्तरों पर हैं। आईएसएमएंडएच विभाग ने, इन संस्थानों को सुदृढ़ करने की एक बड़ी स्कीम

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय संस्थान	
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	
राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर *	
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	
राष्ट्रीय मोरारजी देसाई योग संस्थान, नई दिल्ली	
राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई *	
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	
* स्थापित किया जा रहा है।	

के संबंध में "सिद्धांततः" अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जिससे कि ये केन्द्र शिक्षण, प्रशिक्षण, रोगी देखभाल, और अनुसंधान तथा रोगी देखरेख स्तरों को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

आईएसएमएंडएच में सतत मेडिकल शिक्षा (सीएमई)

19. आईएसएमएंडएच के अधिकांश पंजीकृत चिकित्सक (तालिका 5.8.2) निजी क्षेत्र में हैं ; सतत मेडिकल शिक्षा के माध्यम से उनके ज्ञान और दक्षताओं को अद्यतन बनाने की जरूरत है। नौवीं योजना अवधि के दौरान, आईएसएमएंडएच विभाग ने पुनः अनुस्थापन और सेवाकालीन प्रशिक्षण की एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम के अन्तर्गत शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए एक मास के पाठ्यक्रम

तालिका 5.8.2 आईएसएमएंडएच में पंजीकृत चिकित्सक	
आयुर्वेद	4,27,504
यूनानी	42,445
सिद्ध	18,599
प्राकृतिक चिकित्सा	429
होम्योपैथी	1,94,147
जोड़	6,81,124
स्रोत : आईएसएमएंडएच विभाग, 2001	

और क्षरासूत्र पंचकर्म उपचार,दंत चिकित्सा और योग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में आईएसएमएंडएच चिकित्सकों के लिए दो मास के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। इस पाठ्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया असंतोषजनक है क्योंकि अधिकांश चिकित्सकों का मत है कि वे अपने व्यवसाय को अधिक समय तक नहीं छोड़ सकते।

20. वर्तमान वर्ष के दौरान,पंजीकृत आईएसएमएंडएच चिकित्सकों को,प्रारंभ में सरकार में नियुक्त आईएसएमएंडएच चिकित्सकों को,उनकी अपनी-अपनी पद्धतियों में हो रही प्रगतियों की अद्यतन जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण सामग्री,विशेषज्ञों की सहायता से,राष्ट्रीय संस्थानों और राज्य आईएसएमएंडएच कालेजों द्वारा तैयार की जाएगी। सीएमई की पहुंच में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगतियों का इष्टतम उपयोग किया जाएगा ताकि इससे उनके व्यवसाय में बाधा न पहुंचे। योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवा की उपयोगिताओं में सुधार करने तथा परामर्श प्रदान करने में आईएसएमएंडएच चिकित्सकों की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। आईएसएमएंडएच चिकित्सक निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे :

- स्वास्थ्य शिक्षा ;
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु औषधि वितरण ;
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों में परामर्श और अभिप्रेरण ;
- गर्भ-निरोधकों और मौखिक पुनर्जलीकरण उपचार (ओआरटी) पैकेजों जैसी चुनिन्दा मर्दों के लिए डिपो धारकों के रूप में काम करना ;
- प्रतिरक्षण के लिए अभिप्रेरण ; और
- सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार।

औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का परिरक्षण,प्रोन्नयन और खेती

21. पिछले दो दशकों के दौरान आईएसएमएंडएच में प्रयुक्त औषधियों के लिए मांग में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि,अच्छी कोटि के औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की मांग पूरी नहीं हुई है। अनेक पौधों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे वे अवहनीय हो गई हैं तथा वनों पर बढ़ते दबाव के कारण औषधकीय पौधों की कुछेक किस्मों के लुप्त होने के भय की रिपोर्टें मिली हैं।

22. योजना आयोग ने,औषधीय पौधों के संरक्षण,खेती,संधारणीय उपयोग और निधिक संरक्षण के संबंध में एक कार्य बल गठित किया था। कार्यबल ने सिफारिश की :

औषधीय पौधे

वर्तमान समस्याएं :

- औषधीय पौधों की मांग बढ़ रही है ; औषधीय पौधों में व्यापार गोपनीय और शोषणीय है ;
- लाभ के उद्देश्य की वजह से असंधारणीय प्रथाओं का उपयोग किया जा रहा है। फलस्वरूप,पौधों की किस्में लुप्त होने के कगार पर हैं ;
- तत्वों की कोटि घटिया है, जिसकी वजह से औषधियों की कोटि घटिया होती है ; और
- खेती को प्रोत्साहित नहीं किया गया है और अधिकांश पौधों को वन से उखाड़ लिया जाता है।

- सभी पारि-पद्धतियों, वन किस्मों और उप-किस्मों को कवर करते हुए औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए) की स्थापना ;
- कृषि, बागवानी अथा वन विभागों द्वारा प्रबंधित स्थापित उद्यानों में दुर्लभ, लुप्त आशंकित औषधीय पौधों का स्वतंत्र संरक्षण ;
- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित जीन बैंकों में सभी औषधीय पौधों के जीवाणुओं का भंडारण किया जाए;
- अवनत वन क्षेत्रों में "वनस्पति वनों की स्थापना"
- औषधीय पौधों में समृद्ध वन क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए, प्रबंधन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और संयुक्त वन प्रबंधन पद्धति के तहत संधारणीय कटाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ;
- जागरूकता सुधारने और पौधा भंडार की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा इस काम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से योग्य एनजीओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें औषधीय पौधों की खेती हेतु कृषि तकनीकों को प्रोत्साहन में शामिल किया जाना चाहिए।
- जड़ी-बूटी उत्पादों की संवीक्षा/परीक्षण/नैदानिक मूल्यांकन का काम शुरू किया तथा पूरा किया जाए ,
- आईएसएमएंडएच उत्पादों के लिए, योग्य स्टाफ के साथ, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं कायम की जानी चाहिए ;
- परम्परागत ज्ञान डिजिटल लायब्रेरी की स्थापना ताकि देश में औषधि पौधों और उनके उपयोग के संबंध में जानकारी सहज उपलब्ध हो सके ;
- औषधीय पौधों के एकीकृत विकास हेतु औषधीय पौधा बोर्ड की स्थापना।

23. कार्य बल की अनेक सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी है। औषधीय पौधों के विकास से संबंधित सभी बहु-क्षेत्रीय मुद्दों की देखभाल करने के लिए आईएसएमएंडएच विभाग में औषधीय पौधा बोर्ड की स्थापना की गई है। उम्मीद की जाती है कि बोर्ड, औषधीय पौधों के विपणन और व्यापार को औपचारिक रूप देगा और आयोजन करेगा, क्षेत्रक में सभी पणधारियों के प्रयासों को समन्वित करेगा, और जड़ी-बूटी उत्पादों की जागरूकता/उपलब्धता में सुधार करेगा। बारह राज्यों की सरकारों ने राज्य औषधीय पौधा बोर्डों की स्थापना की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पर्यावरण और वन, ग्राम विकास तथा कृषि मंत्रालय औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तेजी से खेती करने के वास्ते विनिर्धारित 28 पौधों के संबंध में कृषि तकनीकों को मानकीकृत किया जा रहा है। राज्यों से, औषधीय पौधों से संबंधित व्यापारियों और खेती करने वालों को पंजीकरण करने के लिए उपाय प्रारंभ करने तथा वन विकास निगम को उद्योग को औषधीय पौधों की आपूर्ति करने के वास्ते एक माध्यम बनाने का अनुरोध किया गया है। आरएंडडी को प्रोत्साहन करने, जीन बैंकों को समर्थन प्रदान करने और निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिए उद्योग को सहायता करने और बाजार खण्डीकरण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं।


24. आईएसएमएंडएच विभाग ने परम्परागत ज्ञान डिजिटल लायब्रेरी के संबंध में एक स्कीम शुरू की है। आयुर्वेद से संबंधित 14 प्राचीन पाठों में वर्णित 35,000 सूत्र अब इस लायब्रेरी में दर्ज हैं और उन्हें सभी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस उपाय से परम्परागत प्रथाओं की सहज

उपलब्धता में मदद मिलेगी और बाहरी व्यक्तियों द्वारा उनका पेटेंट कराने पर रोक लगेगी। विभाग ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के संबंध में भारत में और विदेश में फाइल किए जाने वाले पेटेंटों पर नजर रखने के लिए एक पेटेंट सैल स्थापित किया है। सैल पेटेंट फाइल करने के संबंध में राजकीय तथा प्राइवेट आईएसएमएंडएच विज्ञानियों को व्यावसायिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पेटेंटिंग मुद्दों के संबंध में विभाग को सलाह देने के वास्ते एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है।

आईएसएमएंडएच उद्योग

25. औषधियों की वैकल्पिक पद्धतियों में जड़ी बूटी उत्पादों में विश्व बाजार 62 बिलियन डालर होने का अनुमोदन है। इसे भारत का हिस्सा बहुत कम है। देश के अंदर भी आईएसएमएंडएच उत्पादों का हिस्सा केवल 4,200 करोड़ रुपए का मामूली है, उत्पादों में आयुर्वेदिक औषधियों और सूत्रों का हिस्सा 80% से अधिक है (चित्र 5.8.1)।

चित्र 5.8.1 - आईएसएमएंडएच की वित्तीय पद्धतियों की औषधियों का बाजार हिस्सा



स्रोत आईएसएमएंडएच विभाग, 2001

26. आईएसएमएंडएच विभाग द्वारा किए गए आईएसएमएंडएच उद्योग की वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण से

तालिका 5.8.3 भारत में आईएसएमएंडएच उद्योग

4,200 करोड़ रुपए का उद्योग (आयुर्वेद का हिस्सा 3,500 करोड़ रुपए है)

आयुर्वेद उत्पादों के 7000 विनिर्माता निम्न प्रकार हैं

➤ बड़े (50 करोड़ रुपए से अधिक)	10
➤ मझौले (5-10 करोड़ रुपए)	25
➤ छोटे (1-5 करोड़ रुपए)	965
➤ बहुत छोटे (एक करोड़ रुपए से कम)	6,000

स्रोत : आईएसएमएंडएच विभाग 2001

पता चला कि यह बड़े मझौले, लघु और अत्यन्त लघु क्षेत्रों में विभाजित है (चित्र 5.8.3)। लघु क्षेत्रों में अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का पालन नहीं कर रहा है। पेटेंट औचित्यपूर्ण औषधियां बड़े पैमाने पर लाइसेंसिंग के जरिए, उनकी क्षमता अथवा कोटि को चौक किए बिना प्रारंभ की जा रही हैं। ये औषधियां मंहगी हो गई हैं। अनेक उत्पाद, जिन्हें आयुर्वेदिक औषधियां कहा जाता है, बड़ी मात्रा में अनुपालन के रूप में कृत्रिम तत्वों का उपयोग करते हैं।

प्राच्य और शास्त्र निर्माणों को समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

27 विभाग ने अच्छी विनिर्माण प्रथाएं सुनिश्चित करने के लिए औषधि कोटि नियंत्रण के सतत सीएसएस के माध्यम से और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की कोटि

नियंत्रण सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं जिससे कि आईएसएमएंडएच औषधियों और सूत्रों में अधिकाधिक विश्वास हो जिसके फलस्वरूप देश और विदेश में उनके बाजार का विस्तार होगा।

औषधियों का कोटि नियंत्रण

28. देश में बड़ी संख्या में आईएसएमएंडएच फार्मसी हैं (तालिका 5.8.4) और उनमें से बहुत सी, विशेष रूप से छोटी फार्मसियां अच्छी निर्माण प्रथाओं का पालन नहीं करती। आईएसएमएंडएच विभाग ने पिछले दो वर्षों के दौरान आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी औषधियों के संबंध में अच्छी विनिर्माण प्रथाओं की अंतिम रूप दिया है और उन्हें अधिसूचित किया है।

तालिका 5.8.4	
भारत में लाइसेंसशुदा फार्मसी	
आयुर्वेद	8533
यूनानी	462
सिद्ध	385
होम्योपैथी	613
जोड़	9992
स्रोत :	आईएसएमएंडएच विभाग, 2001

29. भेषज विज्ञानीय मानक स्थापित करने और औषधि नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के काम को नौवीं योजना में एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र विनिर्धारित किया गया है। भारतीय औषधि पद्धति की भेषज विज्ञानीय प्रयोगशाला (पीएलआईएम) तथा होम्योपैथी भेषज विज्ञानीय प्रयोगशाला (एचपीएल) गाजियाबाद, प्रमुख आईएसएमएंडएच औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। तथापि, आईएसएमएंडएच परीक्षण

औषधि कोटि नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रयास

- भारतीय औषधि में भेषज प्रयोगशाला गाजियाबाद और होम्योपैथी भेषज प्रयोगशाला गाजियाबाद को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- औषधि परीक्षण और कोटि नियंत्रण हेतु अपीलीय प्रयोगशालाओं का विनिर्धारण किया जा रहा है।
- आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के संबंध में औषधि सूत्र और भेषज संग्रह तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है।
- आईएसएमएंडएच विभाग, आईएसएमएंडएच औषधि उद्योग कार्मिक तथा मानकीकरण और कोटि नियंत्रण में निरीक्षण स्टाफ का अनुमान और प्रशिक्षण का काम कर रहा है।

प्रयोगशालाओं के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने कारण, कोटि नियंत्रण सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से विभाग ने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और आईएसएमएंडएच फार्मसियों में अच्छी विनिर्माण प्रथाएं सुधारने के वास्ते एक केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तथापि, तत्वों की घटिया कोटि, अथवा मिलावट और आईएसएमएंडएच औषधियों के निर्माण के लिए प्रयुक्त घटकों के प्रतिस्थापन के बारे में शिकायतें मिली हैं तथा औषधियों की सुरक्षा, कार्यक्षमता और कोटि में विश्वास की कमी बनी हुई है, जटिल आईएसएमएंडएच औषधियों का परीक्षण कठिन है। राज्य स्तर पर औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं या तो अपर्याप्त हैं अथवा विद्यमान नहीं हैं। राज्य सरकारे लाइसेंसिंग पद्धति को, अथवा भेषज विज्ञानीय मानकों के प्रवर्तन की कोटि परीक्षण आवश्यकताओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर रही हैं।

30. आईएसएमएंडएच विभाग, निम्नलिखित के माध्यम से, आईएसएमएंडएच में प्रयुक्त औषधियों का कोटि नियंत्रण सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है :

- सभी भेषज विज्ञानीय कार्य को 2004 तक पूरा करना ;
- राज्य आईएसएमएंडएच फार्मेशियों का आधुनिकीकरण ;
- इन फार्मेशियों तथा आईएसएमएंडएच उद्योग को अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना,
- केन्द्रीय और राज्य कोटि नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना तथा आयुर्वेद तथा सिद्ध में केन्द्रीय अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) प्रयोगशालाओं और विश्व-विद्यालयों/ कालेज विभागों की रसायन शास्त्र व जैव-रसायन प्रयोगशालाओं का तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में विद्यमान प्रयोगशालाओं का आईएसएमएंडएच औषधियों के परीक्षण और कोटि नियंत्रण हेतु उपयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिए किया जाए ;
- कठोर औषधि कोटि नियंत्रण का कार्यान्वयन और औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम (1940) तथा जादू उपचार निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधानों का प्रवर्तन ;
- आईएसएमएंडएच के सांविधिक नमूनों और प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से संबंधित मानीटरन करना।

न्युट्रासियुटिकल्स तथा खाद्य पूरक उत्पाद

31. खाद्य पूरकों, प्रसाधन, श्रृंगार संबंधी तथा न्युट्रासियुटिकलों की भारतीय बाजारों में भरमार हो रही है। बताया गया है कि इनकी निर्यात क्षमता है। इन उत्पादों में न केवल पौधा आधारित विदेशी पादप तत्व होते हैं बल्कि कृत्रिम रसायन भी होते हैं। क्योंकि ये सभी उत्पाद आधुनिक पद्धति अथवा आईएसएमएंडएच औषधियों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वे औषधि और प्रसाधन अधिनियम अथवा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1986) द्वारा भी शासित नहीं होते हैं, अतः वे बाजार में बिना किसी नियंत्रण के प्रवेश करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन उत्पादों को औषधि और प्रशासन अधिनियमों अथवा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत इन अधिनियमों में उपयुक्त संशोधनों के जरिए लाया जाए और अधिनियम के अनुपालन का सावधानीपूर्वक मानीटरन किया जाए।

मेडिकल पर्यटन

32. भारत में और विदेशों में परम्परागत औषधि में रुचि पुनः जागृत हुई है जिसके फलस्वरूप आईएसएमएंडएच में उपलब्ध विशेषज्ञता की मांग में बढ़ोतरी हुई है। अनेक पर्यटक कायाकल्प हेतु पंचकर्म उपचार और पेशीतन्त्रिका और अस्थिरोग विकृतियों के उपचार के लिए केरल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने, अच्छे होटलों में पंचकर्म की सुविधा प्रदान करके स्वास्थ्य पर्यटन के संबंध में एक स्कीम प्रारंभ की है। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान इस क्षेत्र में अवसरों का पता लगाया जाएगा और उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उपयुक्त पारदर्शी कोटि तथा देखभाल की लागत के संबंध में मानदंड विकसित किए जाएंगे और ग्राहकों का शोषण रोकने हेतु मानीटरन किया जाएगा।

अनुसंधान और विकास

33. वर्तमान वर्ष के दौरान, केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों को सुदृढ़ करके तथा अन्य अनुसंधान एजेंसियों के साथ समन्वय करके, नए औषधीय सूत्रों और सम्भाव्य औषधियों के नैदानिक परीक्षणों पर आरएंडडी के संबंध में संकेन्द्रित ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आईएसएमएंडएच निविष्टियों में सुधार करने के उद्देश्य से अनुसंधान प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। बीमारियों में प्रयुक्त परम्परागत औषधियों और सुरक्षा तथा कार्यकुशलता हेतु जनजातीय सोसायटियों में प्रयुक्त औषधियों के संबंध में नैदानिक परीक्षण तथा नए औषधि सूत्र विकसित करने पर अनुसंधान आयोजित किया जा सकता है।

आईएसएमएंडएच में आरएंडडी में कुछ प्रमुख समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- आईएसएमएंडएच चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान क्रियाविधि में प्रशिक्षित करने की जरूरत है।
- भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों, वैकल्पिक तथा पूरक औषधि में बढ़ती रुचि के बावजूद अनुसंधान परिषदों, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया कोई भी अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुआ है।
- अनुसंधान में उन क्षेत्रों में संकेन्द्रित रूप से बल नहीं दिया गया है जहां आईएसएमएंडएच में अनूठे लाभ हैं जैसे कि जीवन-शैली सम्बद्ध रोगों का निवारण और प्रबंधन तथा ऐसे रोग जिनके लिए आधुनिक पद्धति में औषधियां उपलब्ध नहीं हैं।
- अनुसंधान कार्य आधुनिक अस्पतालों के सहयोग से नहीं किया जाता जहां प्रचुर नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

34. आईएसएमएंडएच में चार अनुसंधान परिषदें हैं : केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)। ये परिषदें, औषधि की विभिन्न पद्धतियों में अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय हैं और इनका पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये, औषधीय पौधों की खेती के संबंध में बुनियादी अनुप्रयुक्त अनुसंधान, चिकित्सीय वनस्पति सर्वेक्षण, अनुसंधान को और औषध विज्ञानीय अध्ययनों की शुरुआत, दिशानिर्देश विकास और समन्वय का कार्य करती हैं। ये परिषदें, औषधि मानकीकरण और नई आईएसएमएंडएच औषधियों के नैदानिक परीक्षणों के उद्देश्यों से भी अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

35. आरएंडडी में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- उन विशिष्ट क्षेत्रों में औषधि विकास से संबंधित जैव-मेडिकल अनुसंधान को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिनमें भारतीय औषधि पद्धति की क्षमता स्थापित हो चुकी है।
- आईएसएमएंडएच के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में अनुसंधान को महत्व प्रदान किया जाएगा।
- आईएसएम के निवारक और प्रोन्नयन पहलुओं में, विशेष रूप से जीवन-शैली सम्बद्ध विकृतियों में अनुसंधान पर बल दिया जाएगा।

- आईएसएमएंडएच की मेडिको-ऐतिहासिक जांच-पड़ताल जारी रखी जाएगी।
- ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सम्भाव्य और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रथाओं और परम्परागत चिकित्सकों की क्षमताओं का पता लगाया जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होना

36. आईएसएमएंडएच विभाग परिवार कल्याण विभाग के आरसीएच कार्यक्रम के साथ संबद्ध है। आरसीएच में आईएसएमएंडएच चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए तीस संस्थान निर्धारित किए गए हैं और उनके लिए धनराशियों की व्यवस्था की गई है। एएनएम की किट में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रक के अन्य कार्यक्रमों, जैसे मलेरिया, तपेदिक नियंत्रण, प्रवाहिका/पेचिश आदि रोगों के नियंत्रण में साथ लेने का कार्यक्रम चरणबद्ध रीति से हाथ में लिया जाएगा।

राष्ट्रीय आईएसएमएंडएच नीति

37. विश्व भर में, स्वास्थ्य देखभाल की पूरक पद्धति में, विशेष रूप से चिरकालिक जीवनशैली सम्बद्ध गैर-संचारी बीमारियों और उन रोगों के संबंध में पुनः रुचि पैदा हुई है जिनके लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई प्रभावी औषधि उपलब्ध नहीं है। भारत आजकल जनांकिकीय और जीवनशैली परिवर्तन से गुजर रहा है जिसके फलस्वरूप गैर-संचारी बीमारियों और जीवन शैली सम्बद्ध विकृतियों की विद्यमानता में वृद्धि होगी। आईएसएमएंडएच, विशेष रूप से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन विकृतियों के निवारण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आईएसएमएंडएच चिकित्सक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रम में औषधियों के सतत उपयोग और कवरेज में सुधार करने और परामर्श देने का कार्य कर सकते हैं।

38. मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर, 2002 में अनुमोदित राष्ट्रीय आईएसएमएंडएच नीति में परिकल्पना की गई है कि निम्नलिखित उपायों से आईएसएमएंडएच पद्धति स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में समर्थ होगी :

- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की कोटि में सुधार ;
- आईएसएमएंडएच संस्थानों और चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति की मुख्य धारा के साथ जोड़ना ताकि लोगों को देखभाल की एक पूरक पद्धति उपलब्ध हो सके ;
- आईएसएमएंडएच शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करना जिससे कि छात्र पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, जिससे उन्हें अपनी पद्धति से चिकित्सा करने में विश्वास प्राप्त हो और वे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें ;
- सतत मोडिकल शिक्षा में निवेश ;
- आईएसएमएंडएच औषधियों की बढ़ती देशज मांग और निर्यात क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का संरक्षण, परिरक्षण, प्रोन्नयन, खेती, संग्रहण और संसाधन सुनिश्चित करना ;

- आईएसएमएंडएच की सभी पद्धतियों का भेषज विज्ञानीय कोश पूरा करना और अनिवार्य औषधियों की एक सूची तैयार करना तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना ;
- अच्छी कोटि की औषधियां सुनिश्चित करना तथा वहनीय लागत पर उनकी उपलब्धता में सुधार करना ;
- नैदानिक परीक्षण आयोजित करके तथा उन्हें पेटेंट कराकर नई औषधियों और सूत्रों के विकास हेतु अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निवेश करना ; और
- केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करके तथा उनके अनुसंधान को भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), दिल्ली जैसी अन्य अनुसंधान एजेंसियों के साथ समन्वित करके सम्भाव्य औषधियों के नैदानिक परीक्षण आयोजित करना।

शून्य आधारित बजट पद्धति

39. योजना आयोग ने, शून्य-आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को चालू स्कीमों की समीक्षा करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया था कि किन चालू स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रखने की जरूरत है। आईएसएमएंडएच विभाग ने भी यह कार्यवाही की।

40. क्योंकि विभाग ने अपना कामकाज केवल 1995 में प्रारंभ किया इसलिए अधिकांश स्कीमें नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई थी। उनमें से अधिकांश, मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, औषधि कोटि और अनुसंधान में अनिवार्य केन्द्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने से संबंधित हैं। इसलिए ये सभी स्कीमें अनिवार्य हैं। यह देखा गया कि बड़ी संख्या में छोटी-छोटी स्कीमें थी जिनका बड़े कार्यक्रमों में विलयन कर दिया गया। कुछेक केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों को केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के रूप में गलत रूप से वर्गीकृत कर दिया गया और अब इस त्रुटि को सुधार दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान इनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय का सारांश संलग्नक 5.8.5 में दिया गया है।

तालिका 5.8.5 शून्य आधारित बजट पद्धति कार्रवाही का सारांश - 2001
केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

स्कीम	स्कीमों की संख्या	नौवीं योजना परिव्यय (लाख रुपए)	नौवीं योजना-वार्षिक परिव्यय का योग (लाख रुपए)
बनाए रखी जाने वाली स्कीमें	1	51	51
विलय की जाने वाली स्कीमें	3/8	5,992	8,047
समाप्त की जाने वाली स्कीमें	1	0	410
जोड़	4/10	6,043	8,508
केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें			
बनाए रखी जाने वाली स्कीमें	1	480	680
विलय की जाने वाली स्कीमें	8/34	20,112	27,465
जोड़	9/35	20,592	28,145

परिचय और व्यय

42. आईएसएमएंडएच विभाग के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 हेतु 15,000.00 लाख रुपए के परिचय की व्यवस्था की गई है। नौवीं योजना तथा वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए परिचय और व्यय नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8.6 - परिचय और व्यय

(करोड़ रुपए)				
नौवीं योजना (बजट अनुमान)	नौवीं योजना (वास्तविक)	2001-2002 (बजट अनुमान)	2001-2002 (प्रत्याशित व्यय)	2002-2003 (बजट अनुमान)
266.35	292.26	120.00	80.69	150.00

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और हेमोफेथी के अधीन कार्यरत अस्पतालों और औषधालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/राज्य स्थिति क्षेत्र का नाम	आयुर्वेद			यूनानी			हेमोफेथी			अन्य		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		औषधालय	अस्पताल	वेड	औषधालय	अस्पताल	वेड	औषधालय	अस्पताल	वेड	औषधालय	अस्पताल	वेड
1	आन्ध्र प्रदेश	1437	8	444	207	7	390	286	6	280	0	1	135
2	अरुणाचल प्रदेश	4	1	15	1	-	-	41	-	-	0	0	0
3	असम #	329	2	130	1	-	-	75	3	105	4	1	25
4	बिहार #	522	9	871	128	4	414	181	1	100	0	0	0
5	दिल्ली #	122	9	771	19	4	311	95	3	180	0	1*	50
6	गोवा	59	6	245	-	-	-	56	-	-	0	0	0
7	गुजरात	539	45	1745	-	-	-	34	9	730	10	1	1
8	हरियाणा	414	6	840	20	1	10	20	-	-	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1064	18	330	3	-	-	14	-	-	0	2	25
10	जम्मू तथा कश्मीर #	247	1	25	171	2	200	2	-	-	25	1	10
11	कर्नाटक	561	124	6132	45	11	202	25	25	1480	11	18	506
12	केरल	759#	109	2561 #	1#	-	-	2754	72	1440	9#	1 #	30
13	मध्य प्रदेश	2105	34	1160	56	1	60	202	12	580	0	0	0
14	महाराष्ट्र #	463	73	11713	23	10	1400	-	77	5505	0	0	0
15	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	9	1	10	1	2	65
16	मेघालय	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0	0	0
17	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	1	-	-	0	0	0
18	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	0	0
19	उड़ीसा	527	8	323	9	-	-	503	5	190	65	0	0
20	पंजाब #	489	11	771	35	-	-	105	6	185	0	0	0

जारी.....

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आयुर्वेद					यूनानी					होम्योपैथी					अन्य		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		अधिाधालय	अस्पताल	वेड	अधिाधालय	अस्पताल	वेड	अधिाधालय	अस्पताल	वेड	अधिाधालय	अस्पताल	वेड	अधिाधालय	अस्पताल	वेड	अधिाधालय	अस्पताल	वेड
21	राजस्थान	3486	90	1179	79	5	270	121	5	160	3	2	22						
22	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	0						
23	तमिलनाडु	10	4	267	6	1	54	41	3	150	339	221	1716						
24	त्रिपुरा	30	1	10	-	-	-	66	1	20	0	0	0						
25	उत्तर प्रदेश #	7135	1671	9911	1485	136	1186	1378	36	399 #	0	0	0						
26	पश्चिम बंगाल #	254	3	215	-	2	110	899	14	682	0	0	0						
27	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	7	-	-	0	0	0						
28	चंडीगढ़ #	5	1	150	-	-	-	4	1	25	0	1	10						
29	दादरा तथा नगर हवेली	1	1	@	-	-	-	1	1	@	0	0	0						
30	दमन तथा दिवु	1	1	5	-	-	-	-	-	-	0	0	0						
31	लखाद्वीप	4	-	-	-	-	-	2	-	-	0	0	0						
32	पांडिचेरी	12	-	-	-	-	-	1	-	-	8	0	0						
33	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	31	1	25	9	-	-	34	-	-	5	0	0						
34	केंद्रीय अनुसंधान परिषदें	32	20	475	8	12	265	41	5	105	4	2	85						
35	रेल मंत्रालय	38	-	-	-	-	-	124	-	-	0	0	0						
36	ग्राम मंत्रालय	129	-	-	1	-	-	25	-	-	2	0	0						
37	कोयला मंत्रालय	28	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0						
	योग	14416	2258	40313	970	196	4872	7155	297	12836	487	254	2660						

स्रोत : आईएसएम एवं एच विभाग, 1999

टिप्पणी : 1.4.1999 को कार्यरत संस्थान

- शून्य सूचना

चालू वर्ष से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं हुई अतः पिछले वर्ष के आंकड़े दोहरा दिए गए हैं।

* दिल्ली में योग अस्पतालों से संबंधित सूचना के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

\$ आंकड़े 1.4.98 की स्थिति के अनुसार हैं।

@ विस्तारों की संख्या शून्य सूचित की गई है जिसके संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

आंकड़े अनंतिम हैं।

दसवीं योजना परिव्यय-आईएसएमएंडएच विभाग

(लाख रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	नीवी योजना			2002-2003 परिव्यय
		नीवी योजना परिव्यय	वर्ष-वार परिव्यय का योग	प्रत्याशित व्यय	
1	2	3	4	5	6
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम				
क	संस्थानों का विकास	2920.00	4020.00	4279.48	1950.00
ख	अस्पताल और औषधालय	490.00	402.00	73.72	750.00
ग	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)	51.00	51.00	0.00	300.00
घ	औषधि कोटि नियंत्रण	2582.00	3700.00	3146.55	875.00
	केन्द्रीय क्षेत्रक				
क	आईएसएमएंडएच विभाग को सुदृढ़ करना	1650.00	2129.00	1964.61	515.00
ख	शैक्षिक संस्थान	5282.00	6693.00	4990.65	2615.00
ग	सांविधिक संस्थान	176.00	169.00	147.00	15.00
घ	अनुसंधान परिषद (आंतर और बाह्य म्यूर अनुसंधान)	8391.00	10777.00	10661.94	2520.00
ड.	अस्पताल और औषधालय	71.00	292.00	314.80	276.00
च	औषधीय पौधे	1765.00	3420.00	2215.56	2516.00
छ	भेषजीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना	1082.00	1150.00	365.50	567.00
ज	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)	480.00	680.00	839.28	300.00
झ	अन्य कार्यक्रम और स्कीम	1595.00	2960.00	226.52	1801.00
	दसवीं योजना के दौरान नई पहले				-
	कुल जोड़	26635.00	36443.00	29225.61	15000.00

5.9 आवास, जल आपूर्ति और नागरिक सुविधाएं

5.9.1 जल आपूर्ति और सफाई

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश में प्रत्येक बस्ती में स्थायी आधार पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और स्थानीय सहभागिता के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं के त्वरित विस्तार और सुधार के निमित्त सभी उपाय किए जाने की परिकल्पना की गई है।
2. सुरक्षित पेयजल और सफाई की व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है और इनकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और विशेष रूप से स्थानीय निकायों की है, तो भी केन्द्रीय सरकार 1976-77 से वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक के तौर पर कार्य कर रही है और इस प्रयोजन के लिए वह ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में एक बड़े पैमाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" (एआरडब्ल्यूएसपी) कार्यान्वित कर रही है जिसे "राजीव गांधी पेयजल राष्ट्रीय मिशन" के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा राज्यों सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला है कि कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 1422664 विनिर्धारित बस्तियों में से 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 19544 बस्तियां शामिल नहीं की गई (एनसी) और 165722 बस्तियां 'आंशिक रूप' से शामिल की गई (पीसी)। इसके अलावा, 1.50 लाख बस्तियों के बारे में ऐसी सूचना दी गई है कि उनके यहां पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, जैसाकि फ्लोराइड, सांखिया, लवणता, लौह आदि की अधिकता, जिनसे निबटे जाने की आवश्यकता है। अतः भविष्य का काम इन अर्थों में काफी बड़ा है 'पानी के स्रोतों से वंचित' गांव/बस्तियों की संख्या, पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी समस्याओं की जिस सीमा तक निबटा जाना है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की संधारणीयता। जहां तक ग्रामीण सफाई का संबंध है, स्थानीय व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोजन से एक पुनर्निर्मित केन्द्र-प्रायोजित योजना अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है।
3. जहां तक शहरी जल आपूर्ति का संबंध है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा 20,000 की जनसंख्या से कम (1991 की जनगणना के अनुसार) जनसंख्या वाले छोटे शहरों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक साधारण केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए शहरी कम लागत की सफाई की एक केन्द्र प्रायोजित योजना भी 1990 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवीय मल को हाथ से ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त किया जाए और इस प्रयोजन के लिए सभी मौजूदा शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों के रूप में बदल दिया जाए। इस योजना के अधीन "समग्र नगर" का दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए जहां शौचालयों की कोई सुविधा नहीं है वहां नए स्वच्छ पारिवारिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, शहरी जल आपूर्ति और सफाई योजना के लिए राज्य सरकारें भी पर्याप्त योजना आबंटन जुटा रही हैं तथा पर्याप्त संस्थागत वित्त का लाभ उठाया गया है। तथापि, प्रगामी जल आपूर्ति और आधुनिक भूमिगत मल व्यवस्था प्रति

इकाई लागत बहुत अधिक हैं और अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों की मौजूदा वित्तीय स्थिति से बाहर है। अतः इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता के संवर्धन के लिए और अधिक संख्या में नवाचारी 'उपभोक्ता प्रभार' तथा मूल्य निर्धारण सिद्धांत अपनाए जाने तथा संस्थागत वित्त, बाजार ऋण, निजी निवेश आदि के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

4. जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2001-2002 में 8355.03 करोड़ रुपए परिव्यय (जिसमें 5972.23 करोड़ रुपए राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में और 2382.80 करोड़ रुपए केन्द्रीय योजना में) की व्यवस्था की गई थी। इस परिव्यय के संदर्भ में वर्ष के दौरान संभावित व्यय 7948.74 करोड़ रुपए होगा जिसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र योजनाओं में 5691.94 करोड़ रुपए और केन्द्रीय योजना में 2256.80 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्ययगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के अधीन 33.50 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है।

5. राजीव गांधी पेयजल मिशन को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों के अनुसार 2001-2002 के दौरान 43771 गांवों/बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएं प्रदान की गई जबकि समग्र लक्ष्य 45526 गांवों/बस्तियों को शामिल करने का था।

6. केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अधीन 2001-2002 तक 829.34 करोड़ रुपए की लागत की 680 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं, जिनमें 2001-2002 के दौरान 122.81 करोड़ रुपए लागत की 85 परियोजनाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने अभी तक 2001-2002 के दौरान प्रदान की गई 95.00 करोड़ रुपए की राशि सहित कुल 360.57 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है और राज्यों ने कुल 244.09 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। बताया गया है कि इन योजनाओं के अधीन अभी तक 391.38 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है।

7. "सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन हुडको ने 1989-90 के बाद 31 मार्च, 2002 तक 1476 नगरों के लिए 1467.41 करोड़ रुपए की लागत की कुल 858 परियोजनाएं मंजूर की, जिनका उद्देश्य 18.14 लाख अलग-अलग शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने और विभिन्न राज्यों में 18.58 लाख नए अलग-अलग स्वच्छ शौचालयों और 3966 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराना था। 1467.41 करोड़ रुपए की संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में 514.99 करोड़ रुपए की राशि हुडको के ऋण घटक के रूप में और लाभग्रहियों के अंशदान के रूप में शेष 440.73 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इस राशि के संदर्भ में 31 मार्च, 2002 तक आर्थिक सहायता के रूप में 262.89 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 314.79 करोड़ रुपए की संघयी निधियां प्रदान की जा चुकी हैं। इस राशि में 2001-2002 के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में 9.85 करोड़ रुपए की राशि तथा ऋण के रूप में 32.08 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। जहां तक

वास्तविक प्रगति का संबंध है, 14.58 लाख पारिवारिक स्वच्छ शौचालय और 2982 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 1.06 लाख शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने और 2.13 लाख पारिवारिक और 185 सामुदायिक शौचालयों के नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर 37430 सफाई कर्मचारियों को मुक्त किया जा चुका है और 387 नगरों को सफाई कर्मचारियों से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

वार्षिक योजना 2002-2003

8. दसवीं योजना के लक्ष्य के अनुरूप वार्षिक योजना 2002-2003 में संलग्नक 5.9.1 में दर्शाए अनुसार केन्द्रीय योजना के अधीन 2599.10 करोड़ रुपए सहित विशाल योजना परिव्यय शामिल है।

9. केन्द्रीय योजना के अधीन संस्वीकृत परिव्ययों के स्कीमवार ब्यौरे तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्नक 5.9.2 तथा संलग्नक 5.9.3 में दिए गए हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखितों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा :

- यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी कि शेष "कवर न हुई बस्तियों" को पेयजल की स्थायी और निर्धारित आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।
- यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि 10 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम के आपूर्ति स्तर वाली "अंशतः कवर हुई" बस्तियों और जल गुणवत्ता समस्या से गंभीर रूप से पीड़ित बस्तियों को भी संघारणीय आधार पर सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के तहत लाया जाए।
- इसके बाद, "अंशतः कवर हुई" और "गुणवत्ता प्रभावित" बस्तियों को कवर किया जाएगा।
- विद्यमान डाटा के अनुसार 2004 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रदान करने के बाद दसवीं योजना की शेष अवधि का उपयोग समेकन हेतु किया जाएगा अर्थात् नव निर्मित बस्तियों और उन बस्तियों को कवर करना जो अनेक कारणवश "अंशतः कवर हुई" अथवा "कवर न हुई बस्तियों" में बदल गई हैं।
- इसके साथ-साथ उन बस्तियों का पता लगाने और समाधान करने की जरूरत है जहां गुणवत्ता समस्याएं नहीं उभरी हैं।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी तथा अन्य कमजोर/गरीब वर्ग पूर्ण रूप से प्राथमिकता के आधार पर कवर हो जाएं। इस प्रयोजनार्थ ऐसी सभी विनिर्धारित बस्तियों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

11. आपूर्ति का निर्धारित मानदंड 1.6 कि.मी. की दूरी के अंदर अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मी. उत्थान दूरी के अंदर 40 एलपीसीडी सुरक्षित पेयजल होगा,जिसमें शुष्क, अर्ध-शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू क्षेत्रीय स्थितियों के अनुसार ढील दी जा सकती है। प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक हैंडपम्प/स्थलस्रोत की व्यवस्था करनी होगी। पशुओं के लिए डीडीपी क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करनी होगी,जिसका आधार पशुओं की संख्या होगी। यह आवश्यक नहीं है कि पशुओं की जरूरत पाइप द्वारा जल आपूर्ति से की जाए और इसकी पूर्ति आरडब्ल्यूएच संरचनाओं/ स्थल स्रोतों से की जा सकती है।

12. उन राज्यों में जहां सभी बस्तियों में 40 एलपीसीडी प्राप्ति हो गई है,अगला कदम इस स्तर को बढ़ाकर 55 एलपीसीडी करने का होगा। उन राज्यों के संबंध में जहां विद्यमान मानदंडों के अनुसार पूर्ण कवरेज प्राप्त हो गई है, लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा लागत विभाजन की शर्त पर,दसवीं योजना के दौरान कवरेज हेतु आबादी/दूरी/ऊंचाई मानदंडों को भी उदार बनाया जा सकता है।

13. वार्षिक योजना 2002-2003 में 8417 "कवर न हुए" तथा 60957 "अंशतः कवर हुए" गांवों/बस्तियों के कवर करने की परिकल्पना है। राज्य-वार विवरण संलग्नक 5.9.4 में दिया गया है।

14. वर्षा का पानी इकट्ठा करने को विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपसमूहों तथा पानी के दबाव वाले क्षेत्रों में पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे भौम जलभरों को पुनःआवेशित करने,गिरते भौम जलस्तर को रोकने और साथ ही बाढ़ों की उग्रता को कम करने के साथ-साथ पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं जैसे फ्लूराइड, संखिया,लवणता आदि से निबटने में सहायता प्राप्त होगी। अतः वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के ढांचों का निर्माण करने तथा पानी की मांग की पूर्ति के लिए भूमि के ऊपर/नीचे वर्षा के जल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में ग्रामीण जल आपूर्ति का कार्यचालन और अनुरक्षण संतोषजनक नहीं है और समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं के सहयोजन के माध्यम से उसकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है

15. ग्रामीण सफाई कार्यक्रम कई राज्यों में तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रकार के बारे में अनुभूत आवश्यकता और ग्राम पंचायतों, लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की पूर्ण सहभागिता और सहयोजन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के काम पर बल देते हुए कम लागत के पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का कार्यक्रम जारी रहेगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए 'ग्रामीण सफाई मार्ट' नामक एक वाणिज्यिक उद्यम के माध्यम से सामाजिक लक्ष्य सहित वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली भी सुनिश्चित करनी होगी जो कि एक बिक्री आउटलेट के साथ-साथ एक परामर्श केन्द्र तथा सेवा केन्द्र का भी काम करेगी।

शहरी जल आपूर्ति और सफाई

16. त्वरित शहरीकरण तथा शहरों और कस्बों की सतत रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उपयुक्त पेयजल आपूर्ति तथा तरल और ठोस अपशिष्टों के स्वच्छ निपटान की उनकी मांग वर्ष

दर वर्ष महत्वपूर्ण होती जा रही है। अधिकांश शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति के सेवास्तर वांछित मानदंडों से अत्यंत न्यून हैं, कुछ मामलों में विशेष रूप से छोटे कस्बों में इस आशय के स्तर यहां तक की ग्रामीण मानदंडों की तुलना में भी न्यून हैं और इस कारण जल आपूर्ति प्रणालियों का संवर्धन आवश्यक है। जबकि सुरक्षित जल आपूर्ति शहरी जनसंख्या में से लगभग 89 प्रतिशत को सुलभ है किन्तु फिर भी इससे सेवा के घटिया स्तरों तथा निर्धनों, विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वालों को पानी के जिस अभाव को भोगना होता है, उसका सही परिचय नहीं मिलता है। इसी प्रकार शहरी सफाई के संदर्भ में जहां ऐसा बताया जाता है कि लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ मलव्ययन सुविधाएं सुलभ हैं, केवल 30 प्रतिशत को ही अधिकांशतः बड़े नगरों में मल व्यवस्था प्रणाली सुलभ है और शेष 30 प्रतिशत जनसंख्या को केवल कम लागत वाले स्वच्छ शौचालय ही सुलभ हो पाते हैं। जहां कहीं मल व्यवस्था प्रणाली मौजूद है, यहां भी वह आंशिक है तथा अधिकांश मामलों में उपयुक्त अभिक्रिया सुविधाओं से विहीन है। मलिन बस्तियां सर्वाधिक प्रभावित हैं और अधिकांशतः बुनियादी पर्यावरणात्मक सुविधाओं से वंचित हैं।

17. बजटीय संसाधनों पर दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दसवीं योजना में की गई परिकल्पना के अनुरूप यह जरूरी होगा कि शहरी जल आपूर्ति और सफाई योजनाएं अधिकाधिक रूप से संस्थागत वित्त पर निर्भर होनी चाहिए और राज्य बजट सहायता केवल संस्थागत वित्त के बराबरी के अंश की पूर्ति करने के निमित्त प्रदान की जानी चाहिए। जहां तक बजटीय प्रावधानों का संबंध है केन्द्रीय योजना में राज्य परिव्ययों के अलावा 20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन 143 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है। शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन तथा अनुरक्षण और प्रबंध की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है और अधिकांश मामलों में राजस्व सृजन, संचालन और अनुरक्षण की वास्तविक लागत की तुलना में कहीं कम है। इस दृष्टि से जल शुल्क दर और बिल निर्माण और संग्रह तंत्र में तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है।

18. शहरी आबादी के लिए सफाई सुविधाओं की सुलभता धीमी रही है। जबकि महानगरों और कुछेक महत्वपूर्ण पर्यटक/तीर्थस्थलों तथा औद्योगिक शहरों/कस्बों में उन्नत मल व्यवस्था और मल जल उपचार सुविधाएं जरूरी हो सकती हैं, अन्य सभी मामलों में वित्तीय संसाधनों पर दबाव तथा अन्य प्रतियोगी मांगों के कारण कम लागत की सफाई प्रणाली अपनायी होगी। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, उनमें गैर-घरेलू उपयोग के लिए अपशिष्ट जल पुनःचालन को, यदि यह तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ताजा पानी की बहुत बड़ी मात्रा में बचत हो सकेगी।

19. देश में मल को हाथ से ढोने की सार्वधिक धिनौनी परिपाटी का सीमित समय-सीमा में सर्वथा उन्मूलन करने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए शहरी कम लागत की सफाई की केन्द्र प्रायोजित स्कीम को दसवीं योजना में प्राथमिकता दी गई है। वार्षिक योजना 2002-2003 में केन्द्रीय योजना के अधीन इस स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए शामिल हैं। 'हस्तचालित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) विधेयक 1993' नामक केन्द्रीय कानून संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और इसके संबंध में राष्ट्रपति ने जून 1993 में अपनी सहमति दे दी थी। सभी राज्य सरकारों से केन्द्रीय कानून

अपनाने अथवा केन्द्रीय कानून के अनुरूप राज्य कानून बनाने का अनुरोध किया गया है। संघ शासित क्षेत्रों के अलावा सत्रह राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गुजरात ने यह कानून पहले ही अपना लिया है। लेकिन इन राज्यों में इस अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना बाकी है।

बाह्य सहायता-प्राप्त जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

20. विश्व बैंक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम में अनेक राज्यों की सहायता कर रहा है। संप्रति 4 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं 2002-2003 के लिए वितरण बजट अनुमान लगभग 148.561 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के अलावा कई अन्य परियोजनाएं एडीबी, जेबीआईसी, केएफडब्ल्यू, ईईसी, डीआईएफडी, डीएनआईडीए, नीदरलैंड आदि जैसी बाह्य सहायक एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित की जा रही हैं।

5.9.2 आवासन

21. आवासन एक बुनयादी आवश्यकता तथा एक आर्थिक कार्यकलाप इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह निर्माण उद्योग का एक हिस्सा है। विकास परिव्ययों में निर्माण कार्यकलाप का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। आवासन क्षेत्रक में निवेश का जीडीपी और रोजगार पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, हुडको द्वारा कराए गए भारतीय प्रबंध संस्थान, अमदाबाद के माध्यम से अध्ययन से पता चला कि इस क्षेत्रक का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभाव की दृष्टि से 14 प्रमुख क्षेत्रों में तीसरा स्थान है।

22. आवासन और बसापत नीति 1998 में इस बात को विशिष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार को आवासन का काम खुद अपने हाथ में लेने की बजाए आवासन कार्यकलाप के विकास के लिए एक सुविधा प्रदान करने वाला वातावरण पैदा करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आवासन मुख्य रूप से एक निजी क्षेत्र कार्यकलाप है। इसका कहने का यह अर्थ नहीं कि शहरी गरीबों की आवासन जरूरतों को पूरा करने में सरकार और इसकी एजेंसियों की काफी मात्रा में भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। इस भागीदारी की प्रकृति-कुछ मामलों में यह स्वयं आवास निर्मित करने की भी हो सकती है - किसी स्थिति की जरूरतों को देखते हुए तय की जानी है।

23. अधिशासन की राष्ट्रीय कार्यसूची में भी इस बात पर बल दिया गया कि आवासन कार्यकलाप पर्याप्त रूप में रोजगार सृजित करने का एक स्रोत होगा और सभी कानूनी व प्रशासनिक बाधाओं को, जो सक्रिय आवासन कार्यकलाप के मार्ग में आएँ, तुरंत दूर किया जाना चाहिए। अविवादित बात यह है कि सरकारी पहलों का, और इसकी सुविधाप्रदानकर्ता भूमिका का, आवासन की व्यवस्था करने और क्षेत्रक के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पहलें और उपाय, भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और विकास संबंधी विधानों, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कानूनों;

किराया नियंत्रण विधान ; कर नीति,विशेष रूप से आवास ऋणों से संबंधित नीति ; संपत्ति और भू-कर कानूनों ; नगर नियोजन कानूनों और इनके वास्तविक कार्यान्वयन से संबंधित हैं,अर्थात विस्तृत विकास योजनाएं,क्षेत्र बनाने संबंधी विनियम,भू-उपयोग परिवर्तन ; और भवन उप-नियम। इसके अन्तर्गत,परास्टाटलों और शहरी विकास प्राधिकरणों के माध्यम से शहरी विकास कार्यकलाप; स्थल और सेवा स्कीमें,मलिन बस्ती नीति ; शहरी आधारीक तंत्र की व्यवस्था ; शहरी परिवहन नीति और सुविधाएं ; आवासन विकास और आवास वित्त से संबंधित सरकारी क्षेत्रक में संस्थान ; और सरकारी क्षेत्रक में आवास निर्माण भी शामिल है।

24. वास्तविक सम्पदा क्षेत्रक में एफडीआई के प्रत्याशित प्रवेश से, इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि शहरी निर्धनों और सीमांतिक वर्गों की जरूरतों की उपेक्षा न हो। आवासन को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले बड़ी संख्या में कार्यकलापों और शामिल एजेंसियों की बहुलता के देखते हुए,दसवीं योजना में आवासन क्षेत्रक में व्यवस्थित और गतिशील विकास की रूपरेखा तैयार करना नियोजकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

25. दसवीं योजना के लिए आवास संबंधी कार्य दल ने टिप्पणी की कि आवासन में लगभग 90 प्रतिशत कमी कमजोर वर्गों से संबंधित है। भूमि के आबंटन,वित्तपोषण सहायता के विस्तार और सहायक सेवाओं की व्यवस्था के एक उचित कार्यक्रम के माध्यम से,आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर आवासन की सुविधा में वृद्धि करने की जरूरत है। शहरी आश्रय विहीन और पटरीवासियों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि कल्याण अथवा गरीबोन्मुखी शासन में देना जरूरी है, जैसाकि रात्रि आश्रय स्थल स्कीम में प्रगति के अभाव से देखा जा सकता है। भवन गुणवत्ता और इसके आशवासन के विनियमन,विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां विपदाएं अधिक आती हैं, एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तात्कालिकता को,जनवरी, 2000 में गुजरात में आए भूकंप के बाद दोहराया गया था। भवन का डिजाइन भी लिंग के प्रति संवेदी होना चाहिए और उसमें शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए।

26. आवासन क्षेत्रक में पारिवारिक बचतों के अनुपात में वृद्धि करने तथा उन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के वास्ते जो अपने आप अपने मकान नहीं बना सकते,निजी क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक सहकारिता और व्यक्तियों द्वारा किराए पर आवासन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए विद्यमान किराया नियंत्रण कानूनों में विधायी परिवर्तन करने की जरूरत है,जो एक ऐसा विषय है जिस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।

27. अनेक कानूनों, जैसे कि भू-राजस्व अधिनियम,शहरी विकास अधिनियम,भू-सुधार अधिनियम, शहरी भूमि (सीमा विनियमन) अधिनियम (यूएलसीआरए),नगर आयोजना अधिनियमों के दिए गए कतिपय प्रावधानों के कारण भी भूमि की उपलब्धता बाधित है। इनमें से अनेक कारणों से,प्रायः इनके प्रावधानों और समान रूप से ही इनके कार्यान्वयन के ढंग से,आवासन के विस्तार के लिए तत्काल रूप से आवश्यक भूमि के वैध कारोबार में बाधाएं पहुंची है। उम्मीद है कि यूएलसीआरए को रद्द करने से स्थिति कुछ हद तक सुधर सकती है। इसके बाद अन्य परिवर्तन किए जाने की जरूरत है जिनके फलस्वरूप शहरीकरण के लिए भूमि की कानूनी रूप से वैध उपलब्धता में तेजी

आ सके और लोग आवासन हेतु प्लॉट प्राप्त करने के लिए अन्य उपाय अपनाने के लिए बाध्य न हों।

28. पर्याप्त आधारीक तंत्र के साथ व्यवस्थित विकास की मांग को ध्यान में रखते हुए, भूमि की उदार उपलब्धता को संतुलित करना कोई सरल कार्य नहीं है, और भूमि या (लैंड शार्क) हमेशा ही उन प्राधिकारियों से आगे रहते हैं जो इन्हें कार्यान्वित करते हैं। इसकी वजह से "अनधिकृत नक्शों" और "अनौपचारिक बस्तियों" का विस्तार हुआ है। नगर आयोजन और शहरी विकास कार्यक्रमों की प्रभाविकता, व्यवस्थित विकास के मार्गनिर्देशों की रूपरेखा के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में है। देश के विभिन्न भागों में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की पहलों ने यह दिखा दिया है कि कार्यान्वयन की इच्छा और प्रभाविकता को देखते हुए पहले से ही योजना तैयार करना और व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना संभव है। इन प्रयासों का और अधिक प्रचार व अनुकरण किया जाना चाहिए।

आवासन का संस्थात्मक वित्तपोषण

29. प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रक उधार संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक विनियम, राजकोषीय रियायतों और बजटीय प्रोत्साहनों सहित सुविधाजनक उपायों के माध्यमों से सरकार द्वारा आवासन पर दिए गए पर्याप्त बल के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। संस्थात्मक क्रेडिट संवितरण, 1997-98 में 5,767 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-2001 में 12,626 करोड़ रुपए हो गए। ये संवितरण, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले 28 आवास आवास वित्त संस्थानों के माध्यम से किए गए।

हुडको

30. हुडको, अपनी आवास पोर्टफोलियो निधियों का 55 प्रतिशत भाग, भिन्न-भिन्न ब्याज दरों, निम्न लागत वाली यूनितों के लिए उच्च ऋण घटक और लम्बी पुनःवापसी अदायगी के साथ, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्गों (एलआईजी) के लिए विनिश्चित करता है। यद्यपि इसके द्वारा जारी की गई राशि मंजूरीयों से कम है, फिर भी यह नोट करने योग्य है कि हुडको ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 12.46 मिलियन शहरी आवास यूनितों की (सितम्बर, 2001 तक) मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 1998-2001 के दौरान, अतिरिक्त 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत, 30 लाख आवास यूनितों के कुल लक्ष्य के प्रति हुडको ने 33.82 लाख यूनितों के लिए सहायता प्रदान की।

31. बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रमों के संबंध में हुडको के कामकाज में अन्य कारक राज्य सरकारों की गारंटियों पर निर्भरता है, जो जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, कुछ राज्यों को अयोग्य ठहराता है जिन्होंने चूक की है। ऐसे राज्यों को गारंटी के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपाय करने की जरूरत होगी। हुडको, आवासन के लिए खुदरा ऋण प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है और पिछले ढाई वर्ष में इसने 2,62,550 लाभार्थियों को कुल 2,331 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में मंजूर की है। विपदा-प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए

सरकार के प्रयासों में हुडको ने अग्रणी भूमिका निभाई है और भूंकप, चक्रवात तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए 4 मिलियन से अधिक मकानों के निर्माण के लिए 2360 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

32. निर्धनतम वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से राज्यों को ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए ऋण आधारित मकान निर्माण के पक्ष में वातावरण पैदा करना चाहिए और उधार देने तथा ऋण वसूली के लिए राज्य स्तरीय तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। मांग की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस आवासन का कार्य उपेक्षित रहा है और इस श्रेणी के लिए क्रेडिट समर्थन हेतु व्यवस्था किए बिना, राज्यों के लिए हुडको से ऋणों के संबंध में राज्यों के लिए गारंटियों को जारी रखना कठिन होगा। ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थी परिवार (पति और पत्नी के संयुक्त नाम में) के नाम स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का काम ऋण की पूरी वसूली हो जाने के बाद ही किया जाना चाहिए, तब तक मकान को किराए के आधार पर रखा जा सकता है। गरीबों के लिए आवास की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से, निजी पहलों और सरकारी निजी क्षेत्रक भागीदारियों का विस्तार करने की जरूरत है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/निजी उद्यमशीलता के माध्यम से नए एकीकृत नगरों के विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, ऐसे आवास की कुछ प्रतिशतता ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी परिवारों के लिए विनिश्चित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

सहकारी क्षेत्रक

33. राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, राज्यों में 26 शीर्ष सहकारी आवास संघों के माध्यम से कार्य करता है। लगभग 90,000 प्राथमिक सहकारी आवास सोसायटियां हैं जिनके 6.5 मिलियन व्यक्ति सदस्य हैं। 31 मार्च, 2001 तक, शीर्ष संघों ने, एलआईसी, एनएचबी, हुडको, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों आदि से 6,407 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है और आवास सहकारिताओं तथा अलग-अलग सदस्यों को 6,800 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए हैं। इसके फलस्वरूप लगभग 2.13 मिलियन रिहायशी यूनिटों का निर्माण हुआ (पूर्ण हो चुके अथवा निर्माणाधीन)। आवास सहकारिताओं के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक लाख मकान निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है और वे 1998-2001 अवधि के दौरान कुल 2.92 लाख यूनिटों का निर्माण करने में समर्थ हुए हैं।

दुर्बल क्षेत्रों में कुल आवास को सुदृढ़ करना

34. भारत का लगभग 54 प्रतिशत भूमि क्षेत्र भूंकप के लिए, 8.4 प्रतिशत चक्रवात पवन और तूफानी हवाओं के लिए और 4.9 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ क्षति के लिए दुर्बल है। आवास संबंधी कार्य दल ने 707 जिलों में, जहां उनके बहु-संकट प्रधान क्षेत्र होने के कारण क्षतिग्रस्त होने का बहुत बड़ा जोखिम है, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी में दुर्बल मकानों को मजबूत करने की एक स्कीम सुझाई है। एक अनुमान के अनुसार, इन मकानों को नए मकानों के निर्माण की औसतन 10 प्रतिशत लागत पर मजबूत और पुनः सज्जित किया जा सकता है। विशिष्ट आपदा-प्रधान क्षेत्र के लिए पुनःसज्जित करने की संगत प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

35. मलिन बस्तीवासियों को अच्छी बस्तियों में आवास प्रदान करने की समस्या पर अलग से विचार किया गया है। आवास क्षेत्र की विशेष रूप से शहरी निर्धनों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए, निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं और उन्हें दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना चाहिए :

- शहरी आवासन में पहली प्राथमिकता, विशेष रूप से शहरी एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वहनीय कीमतों पर भूमि की व्यवस्था करने की है। निर्धनों के लिए भू-बैंक और भू-असेम्बली पद्धतियों, खाली भूमि कर और हस्तांतरणीय विकास अधिकार और उप-विभाजन विनियमों के सरलीकरण द्वारा, शहरी क्षेत्रों में विकसित भूमि की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है।
- अनधिकृत बस्तियां शहरी परिदृश्य का एक भाग बन गई हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इन बस्तियों को नियमित करने तथा इनमें सेवाएं प्रदान करने की दुविधा है। बहुत से शहरों में उन्हें संपत्ति कर जाल के तहत नहीं लाया गया है। नागरिक सेवाओं की सुरक्षा और उनका विस्तार करने के लिए निर्दर्शनात्मक समाधानों की जरूरत है। ऐसी कालोनियों के फैलाव को रोकने के लिए, भू-उपयोग और उप-विभाजन नीतियों को कारगर बनाए जाने की जरूरत है और इनके कार्यान्वयन से आवास के लिए भूमि की जरूरत वालों को बिना किसी अनुचित शोर-शराबे के शीघ्र और सुचारु समाधान होना चाहिए।
- नगर आयोजना प्रावधानों को, उपयुक्त और वहनीय मानकों और मानदंडों, सामूहिक आवास और "वृद्धिकारी गृह" अवधारणाओं के अपनाने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाने की जरूरत है।
- इन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से इन भावनाओं को दूर किया जाना चाहिए कि शहरी आयोजना में शहरी गरीबों की जरूरतों की अनदेखी की जाती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को, जो नगरों के विकास के लिए भूमि के बड़े इलाकों को अधिप्राप्त और विकसित करते हैं, ऐसी भूमि का एक बड़ा भाग ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षित करना चाहिए। इस समय, ऐसे बहुत कम साक्ष्य हैं कि ये प्राधिकरण जो प्रायः सेवा भूमि को विकास हेतु एकमात्र संगठन हैं, शहरी निर्धनों को भूमि का समुचित हिस्सा प्रदान कर रहे हैं।
- आवासन और आर्थिक कार्यकलापों को, श्रमिकों को उनके कार्य स्थलों के निकट आवास की व्यवस्था करने के साथ-साथ, चलाया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों और आवास क्षेत्रों के विकास को समन्वित करने की जरूरत है। नक्शे, शहरी निर्धनों सेवाओं के प्रदाताओं के साथ प्रकृति से मिश्रित होने चाहिए जिससे कि वे शेष समाज के साथ रहने और घुलने मिलने में समर्थ हो सकें।
- सर्वाधिक सुविधाविहीन शहरी घटकों को तुरंत लाभ प्रदान करने के लिए दो मिलियन आवास और मलिन बस्ती आबादी (बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना अथवा वैम्बे) के लिए केन्द्रीय सहायता से आवासन की नई स्कीम जैसी स्कीमों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- जो राज्य इन ऋणों के लिए गारंटी देने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक हैं उनमें से बहुत से राज्यों को हुडको की सहायता उपलब्ध नहीं है। एक समाधान करना होगा जिससे कि इन राज्यों में शहरी निर्धन अपने आपको अन्य राज्यों की तुलना में हानि की स्थिति में न पाएं जहां हुडको ऋणों का उपयोग करने की अधिक इच्छा है।
- शहरी आवासन मुख्य रूप से बचतों और एचएफआई से क्रेडिट पर आधारित होना चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक व अन्य शहरी निर्धन, मलिन बस्तीवासी सहित, सामान्यतः इन संस्थाओं द्वारा सेवित नहीं होते। इसके साथ ही, सार्वजनिक संस्थाएं, जैसे कि आवास बोर्ड और आवास सहकारिताएं इन वर्गों की जरूरतें

पूरा करने में समर्थ नहीं रही हैं। इससे केवल असेवित आवास और मलिन बस्तियों के विकास में वृद्धि होगी। नगरों में ईडब्ल्यूएस को आवास ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। राज्य एजेंसियों और आवास सहकारिताओं द्वारा क्रेडिट कार्यक्रमों से शुरु किए जाने की जरूरत है। हुडको तथा एचएफआई को, स्वयं-सेवी समूहों अथवा ऐसे समूहों को वित्तपोषित करने की जरूरत है जिन्हें किसी एनजीओ का समर्थन प्राप्त हो तथा जो ऋण वसूली में मददगार हो सके।

36. शहरी क्षेत्रों में निर्माण के ऊंची भूमि लागत स्तरों के कारण, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की तुलना में शहरी आवासन की लागत ऊंची होने की संभावना है। यही कारण है कि "वैम्बे" जैसी स्कीम, जो नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में शुरु की गई थी, सब्सिडी और ऋण का एक मिश्रण रही है। पूर्ण रूप से सहायित आवास की आकांक्षाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लाभार्थी जिस सीमा तक वहन कर सकें उस सीमा तक क्रेडिट के साथ आवास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण पैदा करने की जरूरत है।

शहरी परिवहन

37. सक्षम बड़ी परिवहन पद्धति के साथ सड़कों का एक अच्छा जाल शहरी आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है जिसका शहरी गरीबों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। परिवहन नेटवर्क की पर्याप्तता से आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन के विविधीकरण, व्यापार का विस्तार करने आदि में विकास की योजना तैयार करने, प्रति व्यक्ति जीडीपी के अंशदान में मदद मिलती है। इस समय चल रहा एकमात्र बड़ा कार्यक्रम, जेबीआईसी से उदार ऋण सहायता के साथ, दिल्ली मास रेपिड ट्रान्जिट सिस्टम (एमआरटीएस) है। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन) को निधियां पास थ्रू सहायता के रूप में उपलब्ध होती हैं जो शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय के बजट संसाधनों में सम्मिलित है। परियोजना मार्च, 2005 तक पूरी की जानी है। वार्षिक योजना 2001-2002 के दौरान पास थ्रू सहायता के रूप में एक करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी जिसके संदर्भ में 783.35 रुपए के अनंतिम व्यय का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2001-2002 के लिए 165 करोड़ रुपए की इक्विटी की व्यवस्था है जिसकी व्यय होने की भी प्रत्याशा है। वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए जेबीआईसी से पास थ्रू सहायता की राशि एक करोड़ रुपए रखी गई है, तथापि डीएमआरसी के लिए इक्विटी के रूप में 172 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

जल आपूर्ति और सफाई-परिव्यय/व्यय का सार

(करोड़ रुपए)

स्कीम	2000-2001 वास्तविक व्यय	2001-2002 अनुमोदित परिव्यय	2001-2002 प्रत्याशित व्यय	2002-2003 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
राज्य और संघ शासित क्षेत्र योजनाएं				
(क) ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई	5237.94 #	5972.23\$	5691.94	उ.न.
(ख) शहरी जल आपूर्ति और सफाई				
उप-जोड़ (राज्य और संघ शासित क्षेत्र योजना)	5237.94#	5972.23\$	5691.94	उ.न.
केन्द्रीय योजना				
(क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय				
(1) केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	1896.55	2010.00	1975.00	2235.00
(2) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	130.85	150.00	135.00	165.00
(ख) शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय				
(1) 20,000 से कम की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	64.00	95.00	95.00	143.00
(2) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित शहरी कम लागत की सफाई स्कीम	29.62*	39.80*	19.80*	29.80*
(3) अन्य स्कीमें	81.51	88.00	32.00	26.30
उप-योग (केन्द्रीय योजना)	2202.53	2382.80	2256.80	2599.10
कुल योग	7440.47	8355.03	7948.74	उ.न.

- टिप्पणी : (i) उपर्युक्त आंकड़ों में उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के व्ययगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के अधीन प्रदान की गई निधियां शामिल नहीं हैं।
- (ii) * उपर्युक्त स्कीमों के अलावा जल आपूर्ति तथा सफाई के अधीन स्थापना विषयक खर्च की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 0.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है।
- (iii) # आंकड़े छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा हैं।
- (iv) \$ आंकड़ों में झारखंड शामिल नहीं है।

संलग्नक 5.9.2

जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं का सार

(लाख रुपये)

क्र. सं.	स्कीम	2000-2001 वास्तविक व्यय	2001-2002 अनुमोदित परिव्यय	2001-2002 प्रत्याशित व्यय	2002-2003 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय				
1	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम सहित केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	189655	201000	197500	223500
2	केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	13085	15000	13500	16500
	उप-योग (एमओआरएई)	202740	216000	211000	240000
	शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय				
1	जन स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम)	152	198	198	130
2	अनुश्रवण और प्रबंध सूचना प्रणाली)				
3	अनुसंधान और विकास)				
4	शहरी विकास और शहरी जल आपूर्ति वित्त निगम/हुडको (डब्ल्यूएस भाग) को इक्विटी	2000	2000	500	2000
5	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित शहरी कम लागत की सफाई स्कीम	2962*	3980*	1980*	2980*
6	देश में कुछ चुनिन्दा शहरों में हवाई अड्डों के निकट ठोस अपशिष्ट प्रबंध विषयक मार्गदर्शी परियोजना	0	500	500	500
7	20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	6400	9500	9500	14300
8	हुडको को विदेशी सहायता के लिए ओईसीएफ (जापान) से पूरक निधि	0	0	0	0
9	पानी की अत्यधिक कमी का सामना करने वाले प्रमुख शहरों (गंगा बैराज) की जल आपूर्ति स्कीम की सहायता	5999	6100	2000	0

संलग्नक 5.9.2

(लाख रुपए)

क्र. सं.	स्कीम	2000-2001 वास्तविक व्यय	2001-2002 अनुमोदित परिव्यय	2001-2002 प्रत्याशित व्यय	2002-2003 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6
10	जल आपूर्ति के लिए विशेष नई स्कीम	0	1	1	0
11	ठोस अपशिष्ट प्रबंध और सफाई के लिए विशेष नई स्कीम	0	1	1	0
	उप-योग (एमओयूएई)	17513	22280	14680	19910
	योग	220253	238280	225680	259910

- टिप्पणी :** (i) उपर्युक्त आंकड़ों में उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के व्ययगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के अधीन प्रदान की गई निधियां शामिल नहीं हैं।
- (ii) * उपर्युक्त स्कीमों के अलावा जल आपूर्ति तथा सफाई के अधीन स्थापना विषयक खर्च की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 0.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है।

जल आपूर्ति और सफाई परियोजना/व्यय-राज्य और संघ शासित क्षेत्र

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-2001 प्रत्याशित व्यय	2001-2002	
			अनुमोदित परियोजना व्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	8964	22363.70	18264
2	अरुणाचल प्रदेश	2674	2913.00	3005
3	असम	6463	6754.00	6754
4	बिहार	2479	6185.02	6185
5	छत्तीसगढ़	#	13504.30	13504
6	गोवा	8682	8648.00	8648
7	गुजरात	86813	62594.00	62594
8	हरियाणा	7725	6500.00	10017
9	हिमाचल प्रदेश	12137	12176.77	13027
10	जम्मू व कश्मीर	11003	13125.00	13125
11	झारखंड	#	#	#
12	कर्नाटक	56152	61017.32	75741
13	केरल	9000	13700.00	10000
14	मध्य प्रदेश	13601	18589.00	18590
15	महाराष्ट्र	60142	73455.39	73455
16	मणिपुर	2388	6125.00	4930
17	मेघालय	3258	3340.00	2917
18	मिजोरम	3004	2574.00	3151
19	नागालैंड	2279	3901.00	3866
20	उड़ीसा	8730	8737.88	9051
21	पंजाब	6399	9580.10	9580
22	राजस्थान	26762	30274.01	26323
23	सिक्किम	1522	1754.00	1818
24	तमिलनाडु	69937	72658.48	58550
25	त्रिपुरा	2704	2797.28	2797
26	उत्तर प्रदेश	27907	41836.00	23153
27	उत्तरांचल	18977	13425.00	13425

संलग्नक 5.9.3

(लाख रुपए)

क्र. सं. 1	राज्य/संघ शासित क्षेत्र 2	2000-2001 प्रत्याशित व्यय 3	2001-2002	
			अनुमोदित परिव्यय 4	प्रत्याशित व्यय 5
28	पश्चिम बंगाल	14467	20506.79	18420
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1700.71	2675.00	2675
30	दादर नगर हवेली	309.98	301.60	301.6
31	दमन और द्वीप	257.24	175.00	175
32	दिल्ली	44765	52415.00	52415
33	लक्षद्वीप	245.87	238.40	238.4
34	पांडिचेरी	1691.27	1573.34	1689
35	चंडीगढ़	675	810.00	810
	कुल-योग	523794.07	597223.38	569194.00

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति

(बस्तियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.2001 के अनुरूप स्थिति				2001-2002 के दौरान विस्तार					
		एनसी	पीसी	एफसी	योग	लक्ष्य			उपलब्धि		
						एनसी	पीसी	योग	एनस	पीसी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	0	18583	51149	69732	0	2560	2560	0	2560	2560
2	अरुणाचल प्रदेश	403	995	2900	4298	60	103	163	16	45	61
3	असम	801	22314	47554	70669	623	3500	4123	151	2595	2746
4	बिहार	2	2	105336	105340	2	2	4	2	2	4
5	चंडीगढ़	402	817	49160	50379	402	817	1219	402	2653	3055
6	गोवा	11	46	339	396	11	39	50	3	1	4
7	गुजरात	190	2235	27844	30269	100	400	500	94	458	552
8	हरियाणा #	0	193	6552	6745	0	193	193	0	592	592
9	हिमाचल प्रदेश	1593	11658	32116	45367	900	950	1850	519	1406	1925
10	जम्मू व कश्मीर	2074	3688	5422	11184	600	400	1000	0	0	0
11	झारखंड	497	119	99480	100096	421	100	521	0	0	0
12	कर्नाटक	10	21148	35524	56682	10	4990	5000	7	1626	1633
13	केरल	805	6956	2002	9763	30	300	330	9	238	247
14	मध्य प्रदेश	127	0	109362	109489	127	0	127	81	2284	2365
15	महाराष्ट्र	2256	26120	57554	85930	500	2500	3000	161	2650	2811
16	मणिपुर	30	302	2459	2791	28	364	392	0	20	20
17	मेघालय	549	920	7170	8639	240	200	440	85	25	110
18	मिजोरम	0	525	386	911	0	206	206	0	63	63
19	नागालैंड	393	596	536	1525	74	38	112	22	11	33
20	उड़ीसा	34	119	113946	114099	34	101	135	22	78	100
21	पंजाब	1792	3123	8534	13449	513	0	513	282	0	282
22	राजस्थान	6908	19545	67493	93946	3000	8000	11000	792	10111	10903
23	सिक्किम	0	472	1207	1679	0	130	130	0	104	104
24	तमिलनाडु	0	4934	61697	66631	0	4934	4934	0	6865	6865
25	त्रिपुरा	287	711	6414	7412	287	370	657	0	260	260
26	उत्तर प्रदेश #	32	126	243475	243633	2	31	33	32	124	156
27	उत्तरांचल	262	1186	29558	31008	164	288	452	87	119	206

संलग्नक 5.9.4 (जारी)

(बास्तियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.2001 के अनुरूप स्थिति				2001-2002 के दौरान विस्तार					
		एनसी	पीसी	एफसी	योग	लक्ष्य			उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	पश्चिम बंगाल	0	17809	61227	79036	0	5750	5750	9	6078	6078
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	141	363	504	0	50	50	0	9	9
30	दादर नगर हवेली	46	243	227	516	15	24	39	8	5	13
31	दमन और दीव	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	219	219	0	0	0	0	0	0
33	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0	10	10	0	9	9
34	पांडिचेरी #	40	84	143	267	0	33	33	0	5	5
35	चंडीगढ़	0	0	18	18	0	0	0			
	कुल-योग	19544	165722	1237398	1422664	8143	37383	45526	2775	40996	43771

टिप्पणी :

- # हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पांडिचेरी के लिए नियत किए गए पीसी लक्ष्य संवर्धन के लिए है।
 एनसी-गैर-सम्मिलित,
 पीसी-आंशिक रूप से सम्मिलित,
 एफसा-पूर्णतः सम्मिलित

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.2002 के अनुरूप स्थिति				2002-2003 के लिए लक्ष्य		
		एनसी	पीसी	एफस	योग	एनसी	पीसी	योग
1	2	13	14	15	16	17	18	19
1	आन्ध्र प्रदेश	0	16023	53709	69732	0	8012	8012
2	अरुणाचल प्रदेश	387	1043	2868	4298	327	446	773
3	असम	650	22314	47705	70669	600	5000	5600
4	बिहार	0	2	105338	105340	0	0	0
5	चंडीगढ़	0	1843	48536	50379	0	0	0
6	गोवा	8	46	342	396	0	4	4
7	गुजरात	96	2772	27401	30269	100	918	1018
8	हरियाणा	0	0	6745	6745	0	48	48
9	हिमाचल प्रदेश	1074	11658	32635	45367	693	5000	5693
10	जम्मू व कश्मीर	2074	3726	5384	11184	1074	1644	2718
11	झारखंड	497	119	99480	100096	200	100	300
12	कर्नाटक	3	22090	34589	56682	3	7400	7403
13	केरल	796	6954	2013	9763	400	2000	2400
14	मध्य प्रदेश	46	0	109443	109489	0	0	0
15	महाराष्ट्र	2095	26942	56893	85930	1000	11810	12810
16	मणिपुर	30	364	2397	2791	30	100	130
17	मेघालय	464	920	7255	8639	180	200	380
18	मिजोरम	0	553	358	911	0	180	180
19	नागालैंड	371	637	517	1525	195	50	245
20	उड़ीसा	12	119	113968	114099	12	49	61
21	पंजाब	1510	3123	8816	13449	1510	1097	2607
22	राजस्थान	6116	19545	68285	93946	1895	9105	11000
23	सिक्किम	0	472	1207	1679	0	130	130
24	तमिलनाडु	0	4934	61697	66631	0	0	0
25	त्रिपुरा	287	946	6179	7412	93	332	425
26	उत्तर प्रदेश	0	1131	242502	243633	0	0	0
27	उत्तरांचल	175	1175	29658	31008	34	500	534

संलग्नक 5.9.4 (समाप्त)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.2002 के अनुरूप स्थिति				2002-2003 के लिए लक्ष्य		
		एनसी	पीसी	एफस	योग	एनसी	पीसी	योग
1	2	13	14	15	16	17	18	19
28	पश्चिम बंगाल	0	17809	61227	79036	0	6650	6650
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	141	363	504	0	46	46
30	दादर नगर हवेली	38	243	235	516	31	110	141
31	दमन और दीव	0	1	31	32	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	219	219	0	0	0
33	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0	0	0
34	पांडिचेरी	40	84	143	267	40	26	66
35	चंडीगढ़	0	0	18	18	0	0	0
	कुल-योग	16769	167739	1238156	1422664	8417	60957	69374

टिप्पणी :

- # हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पांडिचेरी के लिए नियत किए गए पीसी लक्ष्य संवर्धन के लिए है।
 एनसी-गैर-सम्मिलित,
 पीसी-आंशिक रूप से सम्मिलित,
 एफसी-पूर्णतः सम्मिलित

5.10 महिलाओं की अधिकारिता और बाल विकास

प्रस्तावना

महिलाओं और बच्चों जिनकी संख्या 2001 में 673.80 मिलियन(अनुमानित) थी और जो देश की कुल आबादी का 65.6 प्रतिशत है मानव विकास के सभी प्रयासों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इस बाबत, दसवीं योजना का उद्देश्य, हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति (2001) के कार्यरूप देकर महिलाओं को सशक्त बनाना तथा एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों की "उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास" सुनिश्चित करना है। वर्ष 2002-2003 के लिए वार्षिक योजना, जो दसवीं योजना का पहला वर्ष है दसवीं योजना की इन नीतियों और कार्यक्रमों के ही अनुरूप है।

नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजना (2001-2002) की समीक्षा

2. केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत, वार्षिक योजना (2001-2002) में महिलाओं और बाल विकास के लिए 165 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिर्धारित किया गया था। इसमें खाद्य और पोषण बोर्ड के लिए 400 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो नोडल महिला और बाल विकास विभाग का भाग है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल व्यय 6249.60 करोड़ रुपए था जो 7810.42 करोड़ रुपए के परिव्यय से बहुत कम है। यद्यपि वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान महिला और बाल विकास के अन्तर्गत विनिर्धारित वर्षवार और कार्यक्रमवार परिव्यय तथा खर्च हुआ व्यय संलग्नक 5.10.1 में दिया गया है, तथापि, नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान परिव्यय और व्यय के साथ-साथ उसका सारांश नीचे तालिका 5.10.1 में दिया गया है।

तालिका 5.10.1

नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान
महिला और बाल विकास के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	नौवीं योजना (1997-2002)		वार्षिक योजना (2001-02)	
		परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक
1	2	3	4	5	6
I.	महिला और बाल विकास	7791.95	6240.97	1646.00	1640.41
(i)	केन्द्रीय क्षेत्र योजना	990.22	578.90	168.50	161.15
(ii)	केन्द्र प्रायोजित योजना	6801.73	5662.07	1477.50	1479.26
II.	खाद्य और पोषण बोर्ड	18.47	8.63	4.00	2.78
	योग	7810.42	6249.60	1650.00	1643.19

3. राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत, चूंकि महिला और बाल विकास, "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" का एक भाग होता है, इसलिए न तो परिव्यय के संबंध में अथवा व्यय के संबंध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उन्हें समाज कल्याण के एक भाग के रूप में परिव्ययों में सम्मिलित किया गया है जैसाकि रूसामाजिक कल्याण- अध्याय के अन्तर्गत संलग्नक 5.13.2 में दर्शाया गया है। वार्षिक योजना (2001-2002) और नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान इस क्षेत्रक के अन्तर्गत उपलब्धियों की एक विस्तारपूर्वक कार्यक्रम -वार समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है।

(क) महिलाओं की अधिकारिता

4. महिला एवं बाल विकास नोडल माध्यम है जो आय मंत्रालयों के प्रयासों को पूरक स्वरूप नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करता है इसके कुछेक नूतन स्कीमों को कार्यान्वित करता है, महिलाओं से संबंधित कानून अधिनियमित करता है ; और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के प्रयासों को समन्वित करता है। नौवीं योजना के दौरान विभाग के चल रहे कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सशक्तिकरण कार्यनीतियां

5. पूर्व में "इंदिरा महिला योजना (आईएमवाई)" की 2001 में पुनर्रचना की गई और उसका नाम "स्वयंसिद्धा" रखा गया है जिससे कि महिलाओं को जागरूकता पैदा करके और सूक्ष्म-स्तर आय सृजक कार्यकलापों के माध्यम से आर्थिक शक्ति प्राप्त करने में मदद देकर तथा विभिन्न बुनियादी सेवाओं का अन्य सामाजिक अधिकारिता कार्यक्रमों का अभिसरण कायम करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। 165.99 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय और 19.50 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना (2001-2002) परिव्यय में से क्रमशः केवल 8.95 करोड़ रुपए और 6.85 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके क्योंकि अनुमोदनों/मजूरियों में देरी हुई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों में 650 ब्लॉकों और 53,100 महिला स्वयंसेवी समूहों का कवरेज शामिल है जिससे 9,29,250 महिलाएं लाभान्वित हुईं।

6. अन्य सशक्तिकरण कार्यक्रम "स्वःशक्ति परियोजना" है जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (एडीए) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की सहायता से 5 वर्ष (1998-2003) के लिए 1998 में शुरू किया गया था। स्वःशक्ति परियोजना 9 राज्यों, नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, के 57 जिलों में चल रही है। स्वःशक्ति का उद्देश्य, महिला की स्थापना और स्व-सहायता समूह तथा ऋणदाता संस्थानों के साथ संयोजन विकसित करके महिलाओं की अधिकारिता हेतु एक समर्थनकारी वातावरण कायम करना है जिससे कि आय सृजक कार्यकलापों के लिए ऋण सुविधाओं तक महिलाओं की सतत सुलभता सुनिश्चित हो सके। वार्षिक योजना (2001-2002) के लिए परिव्यय 15 करोड़ रुपए तथा वर्ष के दौरान व्यय भी 15 करोड़ रुपए था। 102.94 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय में से लगभग 9,735 स्व-सहायता समूह स्थापित करने के लिए व्यय 36 करोड़

रुपए था, जिसमें से अक्टूबर, 2001 के अंत तक लगभग 118 गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से वर्ष 2001-2002 के दौरान 5451 की स्थापना हुई।

रोजगार और आय सृजन

7. महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के मूल उद्देश्य से, नौवीं योजना के दौरान अधिकाधिक रोजगार-सह-आय-सृजन अवसर पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। "प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एसटीईपी)" कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसके अधीन निर्धन और सम्पत्तिविहीन महिलाओं को परम्परागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण, विस्तार निविष्टियों, बाजार संयोजनों के माध्यम से दक्षता-उन्नयन को एक व्यापक पैकेज की व्यवस्था है, वर्ष 2001-2002 के दौरान 34,590 महिलाओं को और नौवीं योजना के दौरान 87,140 महिलाओं को लाभ पहुंचा। 18 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना (2001-2002) परिव्यय की तुलना में 18.57 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 88.32 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय में से व्यय 76.84 करोड़ रुपए था। 1987 में इसकी शुरुआत से, 19 राज्यों में (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल) लगभग 60 प्रतिशत परियाजनाएं डेयरी क्षेत्र में थीं। मुख्य रूप से राज्य सहकारी दुग्ध संघों की पहल के जरिए देश भर में 4 लाख सदस्यों के साथ लगभग 8,000 महिला डेयरी सहकारिताएं आयोजित की गई हैं।

दुग्ध संघ

8. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम (जिसे "नोराड" के नाम से जाना जाता है) के अन्तर्गत, वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान 18,00 करोड़ रुपए के परिव्यय के संदर्भ में 18.95 करोड़ रुपए की लागत पर और नौवीं योजना के दौरान 88.98 करोड़ रुपए के परिव्यय के संदर्भ में 76.50 करोड़ रुपए की लागत पर गैर-परम्परागत व्यवसायों (जैसे कि इलेक्ट्रानिकी, घड़ी असेम्बल करना, कम्प्यूटर कार्यक्रम, वस्त्र निर्माण, सचिवालयीय पद्धति, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, कशीदाकारी, बुनाई आदि) प्रशिक्षण का विस्तार करके वर्ष 2001-2002 के दौरान 53,050 साक्षर/अर्ध-साक्षर महिलाएं लाभान्वित हुईं। "समाजार्थिक कार्यक्रम (एसईपी) नामक रोजगार और प्रशिक्षण के एक अन्य बड़े कार्यक्रम से वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान लगभग 2900 महिलाओं को और नौवीं योजना के दौरान 3,100 महिलाओं को, नव स्थापित यूनिटों-58 वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान और 62 नौवीं योजना के दौरान- द्वारा शुरू किए गए अनेक आय-सृजक कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ पहुंचा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यद्यपि वार्षिक योजना (2001-2002) व्यय 1.25 करोड़ रुपए था, जबकि परिव्यय एक करोड़ रुपए का था, तथापि नौवीं योजना व्यय 26.42 करोड़ रुपए के परिव्यय के संदर्भ में केवल 4.92 करोड़ रुपए था। प्रौढ़ महिलाओं के लिए सघन शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की स्कीम (सीसीईएंडवीटी) से वर्ष 2001-2002 के दौरान 381 पाठ्यक्रमों में दर्ज 9,000 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचा जिसके लिए 2 करोड़ रुपए के पूर्ण परिव्यय का

उपयोग किया गया और नौवीं योजना के दौरान आयोजित 2805 पाठ्यक्रमों में दर्ज लगभग 70,000 महिलाओं को लाभ पहुंचा तथा 45.60 करोड़ रुपए के परिव्यय के संदर्भ में 19.54 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई, इसके लिए सतत शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए।

कल्याण और सहायता सेवाएं

9. महिलाओं के बच्चों के देख-भाल के बोझ और रोजगार सम्बद्ध समस्याओं को कम करके महिलाओं के सशक्त बनाने में सहायता सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1972-73 में शुरू किए गए "कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल (एचडब्ल्यूडब्ल्यू)" कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित और कम खर्चीले आवास की व्यवस्था के माध्यम से कार्यरत महिलाओं के लिए अधिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। 9 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना (2001-2002) परिव्यय में से, 1440 महिलाओं को लाभान्वित करने वाले 21 नए होस्टलों की स्थापना के लिए 4.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि नौवीं योजना के दौरान 51.25 करोड़ रुपए के परिव्यय में से, 8,000 महिलाओं को लाभान्वित करने वाले 102 नए होस्टलों की स्थापना के लिए 34.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत से ही, स्कीम के अन्तर्गत, 62,308 महिलाओं और संलग्न 316 दिवा देखभाल केन्द्रों में 8,226 की मंजूरशुदा क्षमता के साथ 881 होस्टलों की मंजूरी दी गई। कठिनाईग्रस्त महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आश्रय और पुनर्वास प्रदान करने के वास्ते, वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 1500 महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 60 नए अल्पावधि गृह (एसएसएच) खोले गए। शुरुआत से ही, 271 एसएसएच चल रहे हैं जिनसे 6,700 से अधिक महिलाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान 10 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 5.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई जबकि नौवीं योजना के दौरान 55.64 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 25.53 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

10. महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत अध्ययन केन्द्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों तथा स्वैच्छिक संगठनों को शैक्षिक कार्य के विभिन्न कार्यक्रमों आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान की स्कीम के तहत, जो एक बहुमुखी कार्यक्रम है, स्वैच्छिक संगठनों को, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों एवं अयोग्यों, विकलांगों आदि को कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता निर्माण अभियान आयोजित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इसके अंतर्गत क्षेत्र परामर्श और निरीक्षण, मूल्यांकन तथा सांख्यिकी/डाटा बैंक जैसे कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च तथा केन्द्रीय और राज्य बोर्डों का प्रशासनिक खर्च भी शामिल है। अनुसंधान, प्रकाशन और अनुश्रवण हेतु सहायता अनुदान की स्कीम के अन्तर्गत, नौवीं योजना के अंत तक 65 नए अनुसंधान अध्ययन शुरू किए गए जिनमें से 8 नए अध्ययन वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान शुरू किए गए। वार्षिक योजना (2001-2002) में, 1.51 करोड़ रुपए के परिव्यय के संदर्भ में 0.63 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई, जबकि नौवीं योजना के दौरान, 2.95 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2.43 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

जागरूकता निर्माण और लिंग संवेदीकरण

11. वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान, ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक बनाने तथा परिवार और समाज में अपनी स्थिति सुधारने, सरकार तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदी बनाने के लिए शिविर आयोजित करने के प्रयास जारी रहे। नौवीं योजना में इन प्रयासों को बहुत महत्व दिया गया, जिनके फलस्वरूप महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सामाजिक रूख में बदलाव प्रारंभ हुआ। सूचना और जन शिक्षा हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में बहु मीडिया कार्यनीति के माध्यम से जन चेतना जाग्रत करने के प्रयास जारी रहे। यद्यपि, वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान 3.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के संदर्भ में 3.36 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई जबकि नौवीं योजना के दौरान 9.75 करोड़ रुपये के परिव्यय के संदर्भ में 8.7 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट और फिल्म मीडिया के जरिए महिलाओं और बालिकाओं, दोनों की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के वास्ते एक एकीकृत मीडिया अभियान, सरकार की संचार कार्यनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। आयोजकों, नीति निर्माताओं और प्रवर्तन तंत्र को संवेदी बनाने के लिए 1991 से एक देशव्यापी लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य के गृह विभागों और गैर-सरकारी के सहयोग से देशभर में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए हैं।

अन्य समर्थनकारी उपाय

12. वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके), अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब और संपत्तिहीन महिलाओं की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करता है। आरएमके ने सूक्ष्म वित्तपोषण, श्रिफ्ट क्रेडिट, स्व-सेवा समूहों (एसएचजी) के निर्माण और स्थिरीकरण और गरीब महिलाओं के लिए उद्यम विकास हेतु भी अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन उपाय शुरू किए गए हैं। स्थापना से, आरएमके ने 109.73 करोड़ रुपये की क्रेडिट मंजूर की है जिससे 992 एनजीओ के माध्यम से 4.21 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा है तथा 90 प्रतिशत से अधिक की वसूली दर के साथ, फरवरी, 2002 तक 82.38 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।

13. राष्ट्रीय महिला आयोग (एमसीडब्ल्यू) ने, जो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत, 1992 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है, विधानों की समीक्षा करने और व्यक्तिगत शिकायतों/ अत्याचारों की जांच पड़ताल तथा उपचारात्मक कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करने के सौंपे गए कार्यों को करना जारी रखा। आयोग ने महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। रा.म.आ.के मुख्य उद्देश्य हैं : महिलाओं के लिए प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल और समीक्षा करना, महिला विशिष्ट और महिला सम्बद्ध, दोनों प्रकार के विधानों की समीक्षा करना और यथावश्यक संशोधन सुझाना और एक निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा शिकायतों के समाधान को सुकर बनाना। कुल 41 विधानों में से, जो महिलाओं को सीधे ही प्रभावित करते हैं, आयोग ने 32 अधिनियमों की समीक्षा की और उनके संबंध में उपचारात्मक विधायी उपाय सुझाए।

15 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना (2001-2002) परिव्यय में से 4.17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। नौवीं योजना में तदनुसूची व्यय और परिव्यय क्रमशः 16.17 करोड़ रुपए और 16.25 करोड़ रुपए है।

14. वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष के दौरान, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारिता से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में अनेक कार्यक्रम और कार्यक्रमलाप शुरू किए गए। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए "स्वाधार" स्कीम, कठिनाईग्रस्त महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नम्य और नूतन दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है। स्कीम का उद्देश्य, कठिन परिस्थितियों में रह रही सीमान्तिक महिलाओं/ लड़कियों को भावात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान करने और आचरणात्मक प्रशिक्षण आदि के जरिए शिक्षा, जागरूकता, दक्षता उन्नयन और व्यक्तित्व विकास द्वारा उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से पुनर्वास करके, उनकी आश्रय, खाद्य, कपड़ा और देखभाल की प्राथमिक जरूरत की पूर्ति करना है।

महिला घटक योजना

15. नौवीं योजना के दौरान, केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देकर कि सभी महिला संबद्ध क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत निधियां/लाभ विनिर्धारित किए जाएं, महिला घटक योजना (डब्ल्यूसीपी) की एक नई कार्यनीति, एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्यान्वित की गई। इसके साथ ही, सभी सम्बद्ध क्षेत्रों से महिलाओं के लिए पर्याप्त निधियों/ लाभों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समीक्षा की एक पद्धति भी शुरू की गई।

16. उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 मंत्रालयों/विभागों से महिलाओं के लिए धन दिया जा रहा है। इनमें से चार मंत्रालय/विभाग, नामतः परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी, अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 50 से लेकर 70 प्रतिशत तक का महिलाओं के लिए योगदान कर रहे हैं, श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय, नौवीं योजना की अपनी जीबीएस का 30 से 50 प्रतिशत तक व अन्य मंत्रालय/विभाग 30 प्रतिशत से कम का योगदान कर रहे हैं। तदनुसार, महिला विशिष्ट नोडल विभाग और महिला सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से नौवीं योजना के दौरान महिलाओं के लिए दिए जाने वाले संसाधनों की कुल राशि 51,942.53 करोड़ रुपए बैठती है जो इन मंत्रालयों/विभागों की जीबीएस का 42.9 प्रतिशत बैठता है। तथापि, यदि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की कुल जीबीएस को ध्यान में रखा जाए तो यह कम होकर 25.5 प्रतिशत हो जाएगी। ब्यौरा तालिका 5.10.2 में दिया गया है। इसके अलावा, इस पूरी प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि परिवार कल्याण जैसे विभागों का हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए इनके कुल बजट प्रवाह का 70 प्रतिशत तक ऊंचा है। इसके साथ ही, समीक्षा से एक विशेष बात सामने आई है कि डब्ल्यूसीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य विकास क्षेत्रों से निधियों/लाभों से महिलाएं अछूती न रहें, आयोजकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों के बीच पर्याप्त जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा हुई है।

तालिका 5.10.2
महिला घटक योजना : कुछ तथ्य और आंकड़े

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	नौवीं योजना परिषद	डब्ल्यूसीपी	% (कालम 4 से कालम 3 का)
1	2	3	4	5
क.	महिला विशिष्ट नोडल विभाग-डब्ल्यूसीपी	7810.42	7810.42	100.0
ख.	महिला सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग			
1	स्वास्थ्य	5118.19	2581.25	50.4
2	परिवार कल्याण	15120.20	10541.26	69.7
3	भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी	266.35	133.18	50.0
4	शिक्षा	20381.64	10212.44	50.1
5	श्रम	899.12	300.85	33.5
6	कृषि और सहकारिता	9153.82	349.96	3.8
7	ग्रामीण विकास	41833.87	17415.00	41.6
8	शहरी रोजगार और निर्धनता उन्मूलन	4931.22	403.60	8.2
9	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	6608.13	814.81	13.2
10	जनजातीय मामले	*	60.00	*
11	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1497.35	7.50	0.5
12	सूचना और प्रसारण	680.05	30.00	4.4
13	अ-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	2122.14	401.00	18.9
14	लघु और कृषि सम्बद्ध उद्योग	3786.85	868.93	23.0
15	युवा मामले और खेल	826.09	12.33	1.5
	उप-जोड़-ख	113225.02	44132.11	39.0
	कुल जोड़ - (क + ख)	121035.44	51942.53	42.9
<p>* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सम्मिलित नौवीं योजना के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों की कुल सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 203,982 करोड़ रुपए थी। नौवीं योजना के संबंध में भारत सरकार की कुल जीबीएस की प्रतिशतता के रूप में डब्ल्यूसीपी 25.5 प्रतिशत बैठता है।</p>				

17. नौवीं योजना के दौरान कुछेक महत्वपूर्ण पहलों/उपलब्धियों में शामिल हैं : यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य विकास क्षेत्रों के लाभों से महिलाएं अछूती न रह जाएं महिला घटक योजना (1997) अपनाया ; आत्मनिर्भर एसएचजी की स्थापना (1998) के माध्यम से महिलाओं की अधिकारिता हेतु समर्थनकारी वातावरण पैदा करने के लिए "स्वःशक्ति" की शुरुआत ; महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष पांच

विशिष्ट महिलाओं को सम्मिलित करने के वास्ते "स्त्रीशक्ति पुरस्कार" (1999) प्रारंभ करना ; महिला विशिष्ट और महिला सम्बद्ध विद्यमान विधानों की समीक्षा करने और नए विधान अथवा संशोधन सुझाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के.सी.पंत की अध्यक्षता में महिलाओं के संबंध में एक कार्य बल स्थापित किया गया है ; सरकारी व्यय की और अधिक प्रभावी लक्ष्यबद्ध प्राप्ति हेतु लिंग बजट पद्धति प्रारंभ करना (2000-2001) ; महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से सशक्त बनाने के अलावा, लिंग न्याय सुनिश्चित करने के वास्ते एक राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति अपनाना (2001) ; महिलाओं के बीच जागरूकता और चेतनता पैदा करने के लिए वर्ष 2001 को "महिला अधिकारिता वर्ष" के रूप में मनाना (2001) ; विभिन्न उद्यमशीलता उद्यम शुरू करने के लिए महिलाओं को एसएचजी आयोजित करने के अलावा सभी महिला संबद्ध कार्यक्रमों में उपलब्ध सेवाओं के अभिसरण की एक प्रमुख कार्यनीति के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के वास्ते "स्वयंसिद्धा" के रूप में इंदिरा गांधी महिला योजना की पुनर्चना (2001), "कठिन परिस्थितिग्रस्त महिलाओं" के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के वास्ते "स्वाधार" शुरू करना (2001), महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी रूपों में घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए "महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा (निवारण) बिल पेश करना (2002)" ।

ख) बाल विकास

18. देश की विकास कार्यसूची में बच्चों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि वे समाज के सर्वाधिक भेद्य अंग हैं और उनमें हमारा भावी विकास निहित है। तदनुसार नीतियों और कार्यक्रमों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष उपायों के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर मोड़ा गया है। इन प्रयासों को सहायता देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग जो नोडल विभाग है, विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

19. प्रारंभिक शिशु विकास के लिए सेवाओं को बालिका पर विशेष बल के साथ प्राथमिकता प्रदान किया जाना जारी रहा। इसके साथ-साथ, स्वास्थ्य पोषाहार और स्कूलपूर्व शिक्षा की बुनियादी सेवाओं के अभिसरण के चल रहे दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के प्रयास भी, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के कार्यक्रम के माध्यम से युवा बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में जारी रहे। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य चैक-अप, प्रतिरक्षण, रेफरल सेवाएं, पूरक पोषण, स्कूलपूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा जैसी 6 बुनियादी सेवाओं के पैकेज के साथ 6 वर्ष से कम के स्कूली बच्चों और गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 54.3 मिलियन बच्चों और 10.9 मिलियन गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को लाभांचित करने वाली देशभर में फैली सभी 5,652 आईसीडीएस परियोजनाओं को कवर करके, उम्मीद है कि सर्वसुलभीकरण की प्रक्रिया नौवीं योजना के अंत तक पूरी हो जाएगी। 1,198 करोड़ रुपए के परिव्यय के वार्षिक योजना (2001-2002) के संदर्भ में 1224.43 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। 4,980 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय के संदर्भ में खर्च हुई राशि 4,556.86 करोड़ रुपए है जिसे 4608 आईसीडीएस परियोजनाओं के माध्यम से 31.5 मिलियन बच्चे और 6 मिलियन गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ प्राप्त हुआ।

20. विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस (डब्ल्यूबी-आईसीडीएस) कार्यक्रम के अन्तर्गत, जोकि 1990-91 से चल रहा है, सामान्य आईसीडीएस पैकेज की व्यवस्था के अलावा कुछेक अतिरिक्त इन्पुटों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि आंगनवाडी इमारतों और बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय-सह-गोदामों का निर्माण, चयनात्मक आधार पर, प्रशिक्षण और संचार को सुदृढ़ करना, सुधरी स्वास्थ्य सेवाएं, आय सृजन कार्यक्रम आदि। डब्ल्यूबी-आईसीडीएस परियोजना-I (1991-97) के अन्तर्गत, आंध्र प्रदेश (110) और उड़ीसा (191) दोनों राज्यों में 301 आईसीडीएस परियोजनाएं कवर की गई तथा डब्ल्यूबी-आईसीडीएस परियोजना-II (1997-2000) के अन्तर्गत, झारखंड सहित बिहार (272) और छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश (377) में कवर की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या 649 होगी। उम्मीद है कि डब्ल्यूबी-आईसीडीएस परियोजना-III के अन्तर्गत (1998-2004), जो वर्ष 1998-99 में शुरू हुई थी, आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में 1003 परियोजनाएं कवर होंगी। आन्ध्र प्रदेश में कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम (एपीईआरपी) के समग्र कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वार्षिक योजना (2001-2002) के लिए 220 करोड़ रुपए के परिव्यय में से खर्च हुई राशि 219.94 करोड़ रुपए थी। 1,163.79 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय में से खर्च हुई राशि 883.62 करोड़ रुपए थी।

21. चालू आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक गतिशील, प्रतिक्रियाशील तथा व्यापक प्रशिक्षण-सह-मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के रूप में सुदृढ़ करने के लिए "उदीशा" एक विशेष प्रयास है। "उदीशा" के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक 600.55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली, बंगलौर, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 43 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों (एमएलटीसी) तथा 535 आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों (एडब्ल्यूडीसी) के अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ "उदीशा" का कार्यान्वयन करेगा। नौवीं योजना के दौरान, "उदीशा" के अन्तर्गत, 2304 बाल विकास परियोजना अधिकारियों/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ/एसीडीपीओ), 4,993 पर्यवेक्षकों और 2.8 लाख आंगनवाडी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया गया और वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान 424 सीडीपीओ, 1210 पर्यवेक्षकों और 86 एडब्ल्यूडब्ल्यू को प्रशिक्षित किया गया। 40 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना (2001-2002) परिव्यय के संदर्भ में खर्च हुई राशि 52.86 करोड़ रुपए थी। 329.29 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय में से खर्च हुई राशि 142.63 करोड़ रुपए थी।

22. किशोर लड़कियों को एक आश्वस्त व्यक्ति के रूप में अपनी भावी उत्पादक और प्रजनन भूमिकाओं के लिए तैयार होने में उन्हें सशक्त बनाने के वास्ते, किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) नामक किशोर लड़कियों हेतु चालू स्कीम, 2000 आईसीडीएस ब्लॉकों में चल रही थी।

23. बालिका समृद्धि योजना की स्कीम वर्ष 1997 में शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाली बालिका की माता हेतु 500 रुपए का प्रसूति अनुदान और कक्षा एक से बालिका के लिए 300 रुपए से कक्षा दस तक के लिए 1000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान

की जाती है। 390 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय में से 176.64 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई जिसके अन्तर्गत लगभग 3.5 मिलियन बालिकाएं कवर की गईं, जिसमें से 0.27 मिलियन वार्षिक योजना (2001-2002) के दौरान कवर की गईं। 25 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय में से खर्च हुई राशि 13.04 करोड़ रुपए थी।

24. कामकाजी/रुग्ण माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिया देखभाल केन्द्रों की स्कीम के अन्तर्गत, जो एक विस्तार न होने वाली स्कीम है, 12,470 शिशुगृहों का पूर्ववत स्तर बना रहा जिससे 3.11 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। तथापि, और अधिक शिशुगृहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा कड़ी के तहत प्राप्त 19.90 करोड़ रुपए की कोरपस निधि के साथ 1994 में एक राष्ट्रीय शिशु गृह निधि (एनसीएफ) कायम की गई। एनसीएफ के अन्तर्गत, विद्यमान आंगनवाडियों को आंगनवाड़ी-सह-शिशु गृहों में बदलने के अलावा, शिशुगृह खोलने के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एनसीएफ के अन्तर्गत नौवीं योजना के दौरान 3114 शिशु गृह कायम किए गए जिनसे लगभग 0.79 लाख और बच्चे लाभान्वित हुए 7.45 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना (2001-2002) परिव्यय के संदर्भ में खर्च हुई राशि 7.6 करोड़ रुपए थी। 36.05 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय में से खर्च हुई राशि 29.50 करोड़ रुपए थी।

25. संक्षेप में, नौवीं योजना के दौरान कुछेक महत्वपूर्ण पहलों/उपलब्धियों में शामिल हैं : गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं को एक विशेष पैकेज प्रदान करने के वास्ते बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत ; 11-18 वर्ष के आयुवर्ग में बालिकाओं की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति सुधारने और उन्हें लाभप्रद ढंग से कार्य करने के लिए व्यावसायिक दक्षताओं से सज्जित करने के वास्ते आईसीडीएस के एक अंग के रूप में कार्यान्वित की जा रही किशोर लड़कियों हेतु स्कीम के एक समृद्ध संस्करण के रूप में किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत (2000); आईसीडीएस के विशेष पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विद्यमान वित्तीय कमियों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 375 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करना (2001) ; 54.3 मिलियन बच्चों और 10.9 मिलियन गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की लाभान्वित करने वाले देशभर में फैले सभी 5,652 ब्लकों/बाडों को कवर करने के वास्ते नौवीं योजना के अंत तक आईसीडीएस के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को पूरा करना (2001-2002) ; आंगनवाड़ी कार्मिकों और आंगनवाड़ी सहायिकों/ग्रासरूट स्तर के इनसे कार्मिकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को मान्यता देते हुए आंगनवाड़ी कार्मिकों का मानदेय 500/-रुपए से बढ़ाकर 1000/-रुपए प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 260/-रुपए से बढ़ाकर 500/-रुपए प्रतिमाह करना संविधान में यथा उल्लिखित बच्चों के हित पर पुनः बल देने और बच्चों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के वास्ते समुदाय की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय नीति और चार्टर का मसौदा तैयार करना (2002) ; बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना करने हेतु बिल का मसौदा तैयार करना (2002) ।

नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभाव

26. महिलाओं को सशक्त बनाने तथा बच्चों के विकास के लिए पिछले कुछ समय के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों और विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव के फलस्वरूप महिलाओं और बच्चों की स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है, जैसा कि तालिका 5.10.3 में दिए गए निम्नलिखित 21 चयनित लैंगिक विकास संकेतकों में परिलक्षित है।

तालिका 5.10.3
21 चयनित लिंग विकास संकेतक, 1981 से 2001

क्र.सं.	संकेतक	महिलाएं	पुरुष	जोड़	महिलाएं	पुरुष	जोड़
1	2	3		4	5	6	7
जनांकिकी और महत्वपूर्ण सांख्यिकी							
1	जनसंख्या (1981 और 2001 में मिलियन में)	330.0	353.4	683.4	495.7	531.3	1027.0
2	दशकीय वृद्धि (1981 से 2001)*	24.93	24.41	24.66	21.79	20.93	21.34
3	लिंग अनुपात (1981 से 2001)**	934	-	-	933	-	-
4	जन्म के समय आयु संभाव्यता (1981-85 और 1996-01)	55.7	55.4	-	65.3	62.3	-
5	विवाह के समय औसत आयु (1981 और 1991)	18.3	23.3	-	19.5	23.9	-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण							
6	जन्म दर (1981 और 1999)	-	-	33.9	-	-	26.1
7	मृत्यु दर (1981 और 1999)	12.7	12.4	12.5	8.3	9.0	8.7
8	शिशु मृत्यु दर (1988 और 1999)	93.0	96.0	94.5	70.8	69.8	70.0
9	बाल मृत्यु दर (1985 और 1997)	40.4	36.6	-	24.5	21.8	-
10	मातृ मृत्यु दर (1980 और 1998)	468	-	-	407	-	-
साक्षरता और शिक्षा							
11	साक्षरता दरें (1981 और 2001)*	29.76	56.38	43.57	54.16	75.85	65.38
12	सकल नामांकन अनुपात (1980-81 और 1999-2000)						
	- कक्षा I-V	64.1	95.8	80.5	85.2	104.1	94.9
	- कक्षा VI-VIII	28.6	54.3	41.9	49.7	67.2	58.8
13	बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर (1980-81 और 1999-2000)*						
	- कक्षा I-V	62.5	56.2	58.7	42.3	38.7	40.3
	- कक्षा VI-VIII	79.4	68.0	72.7	58.0	52.0	54.6

कार्य और रोजगार							
14	कार्य भागीदारी दर (1981 और 2000)*	19.7	52.6	36.7	25.7	51.9	39.3
15	संगठित क्षेत्रक (1981 और 1999 में लाख संख्या)	27.93 (12.2%)	200.52	228.45	48.29 (17.2%)	232.84	281.13
16	सरकारी क्षेत्रक (1981 और 1999 में लाख संख्या)	14.99 (9.7%)	139.85	154.84	28.11 (14.5%)	166.04	194.15
17	राजकीय (1981 और 1999 में लाख संख्या)	11.9 (11%)	97.1	109.0	15.7 (14.6%)	91.7	107.4
निर्णय निर्माण							
18	प्रशासन (1987 और 2000 में आईएएस और आईपीएस की संख्या)	360 (5.4%)	6262	6622	645 (7.6%)	7815	8480
19	पीआरआई (1995 और 2001 में लाख संख्या)	318*** (33.5%)	630***	948***	725@ (26.6%)	1997	2722
20	संसद (1998 और 2001 में संख्या)	59 (7.2%)	707	770	70 (8.5%)	750	820
21	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद (1985 और 2001)	4 (10%)	36	40	8 (10.8%)	66	74
<p>* आंकड़े प्रतिशत में ** महिलाएं प्रति 1000 पुरुष *** कुछ राज्यों, नामतः गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और प० बंगाल के संबंध में 1995 के बारे में। @ 18.10.2001 की स्थिति के अनुसार</p> <p>टिप्पणी : (i) कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों कुल की तुलना में प्रतिशतता और संबंधित कालमों में डाटा का वर्ष दर्शाया गया है। यद्यपि एकसमान "आधार" और एकसमान "तुलनीय वर्ष" रखने के प्रयास किए गए थे, किन्ति डाटा की उपलब्धता में सीमाएं व अन्य व्यावहारिक समस्याओं के कारण उन्हें रखा नहीं जा सका ; (ii) कोष्ठक में दिए गए वर्ष क्रमशः कालम 3,4 और 5 तथा 6,7 और 8 में डाटा के वर्ष का उल्लेख करते हैं।</p> <p>स्रोत : 1. भारत की जनगणना 1991 ; भारत की जनगणना 2001 ; अनन्तिम जनसंख्या जोड़ ; और संबंधित वर्षों के संबंध में एसआरएस, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली ; 2. संबंधित वर्षों के संबंध में घयनित शैक्षिक सांख्यिकी, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ; 3. वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000, प्रारंभिक और साक्षरता तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, या.सं.वि.मंत्रालय, नई दिल्ली ; 4. रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, अम मंत्रालय, नई दिल्ली ; 5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ; 6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ; 7. भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली ; 8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र संसद भवन, नई दिल्ली।</p>							

वार्षिक योजना (2002-2003)

27. इसवीं योजना के लिए शून्य आधारित बजट पद्धति के भाग के रूप में महिला और बाल विकास विभाग की चालू स्कीमों के अभिसरण, विलय और छंटाई के जरिए, युक्तिसंगत करने के बारे में केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित दोनों ही प्रकार की योजनाओं के संबंध में एक गहन अध्ययन किया गया। नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 46 चालू स्कीमों में से केवल 25

स्कीमों को ही (20 सीएस तथा 5 सीएसएस) दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान बनाए रखा जाएगा। इन 25 स्कीमों में से 5 स्कीमें नई हैं (2 सीएस तथा 3 सीएसएस)।

28. वार्षिक योजना (2002-2003) में, केन्द्रीय क्षेत्रक के अन्तर्गत महिला और बाल विकास क्षेत्रक हेतु 2,200 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। जैसाकि पहले बताया गया है कि राज्य क्षेत्रक के अन्तर्गत महिला और बाल विकास हेतु योजना परिव्यय "सामाजिक कल्याण" के लिए परिव्यय के अन्तर्गत सम्मिलित है (समाज कल्याण संबंधी अध्याय का संलग्नक 5.13.2)। वार्षिक योजना (2002-2003) के दौरान महिला और बाल विकास के अन्तर्गत विनिश्चित कार्यक्रम-वार परिव्यय का ब्यौरा संलग्नक 5.10.1 में दिया गया है तथा उसका सारांश, दसवीं योजना के लिए विनिश्चित परिव्यय के साथ-साथ, तालिका 5.10.4 में दिया गया है।

तालिका 5.10.4
दसवीं योजना (2002-2007) और वार्षिक योजना (2002-2003) के दौरान
महिला और बाल विकास क्षेत्रक के अन्तर्गत परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय	वार्षिक योजना (2002-03) परिव्यय
1	2	3	4
I.	महिला और बाल विकास	13670.00	2198.00
(i)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम	1148.22	156.18
(ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	12521.78	2041.82
II.	खाद्य और पोषाहार बोर्ड	110.00	2.00
(i)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम	10.00	2.00
(ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	100.00	0.00
	जोड़	13780.00	2200.00

29. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दृष्टिकोण, कार्यनीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप, वार्षिक योजना (2002-2003) में, जो दसवीं योजना का प्रथम वर्ष है, महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यद्यपि विभिन्न महिला सम्बद्ध मंत्रालयों ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा तथापि महिला और बाल विकास का नोडल विभाग, अपेक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के साथ एक समर्थनकारी वातावरण कायम करने ; और पर्याप्त वित्तीय तथा जनशक्ति सहायता के साथ विभिन्न स्तरों पर एकमात्र संस्थात्मक तंत्र की स्थापना करके, उनके प्रयास को पूरक बनाएगा, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

(क) महिलाओं का सशक्तिकरण

30. एक निर्धारित राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दसवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण पिछली योजनाओं के दृष्टिकोण से भिन्न है क्योंकि अब यह निश्चित लक्ष्यों, उद्देश्यों और समयावधि के साथ कार्रवाई हेतु एक सुदृढ़ मंच उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, क्योंकि नौवीं योजना को दौरान शुरू की गई महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया, दसवीं योजना के दौरान और उसके बाद भी जारी रहने की उम्मीद है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति (2001) को, निम्नलिखित के माध्यम से कार्यरूप देने के अलावा दसवीं योजना के लिए कोई बेहतर दृष्टिकोण नहीं हो सकता :

- महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण निर्मित करना जिससे कि वे अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकें ;
- महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक - सभी क्षेत्रों में - मनुष्यों के बराबर सभी मानव अधिकारों और मूलभूत आजादी की सिद्धांतरूप में और वास्तविक रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देना ;
- राष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं के लिए भाग लेने और निर्णय लेने की भागीदारी समान रूप से सुलभ कराना ;
- स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर अच्छी शिक्षा, आजीविका और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, एकसमान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यालय आदि तक महिलाओं की एकसमान सुलभता सुनिश्चित करना ;
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के उद्देश्य से विधिक पद्धतियों को सुदृढ़ करना ;
- पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग द्वारा सामाजिक अभिवृत्तियों और सामुदायिक प्रथाओं को बदलना ;
- विकास प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्यों को मुख्य धारा से जोड़ना ;
- महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को समाप्त करना ; और
- सिविल सोसायटी, विशेष रूप से महिलाओं के संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ करना।

31. वार्षिक योजना (2002-2003) में, केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर, कार्रवाई योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित का विशेष रूप से उल्लेख होगा (i) संभवतः अन्य महिला संबद्ध राष्ट्रीय नीतियों के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के अनुरूप लक्षित समय के अंदर प्राप्त किए जा सकने वाले माप-योग्य लक्ष्य ; (ii) संसाधनों की वचनबद्धता ; (iii) डब्ल्यूसीपी के तहत लाभों का विनिर्धारण ; (iv) कार्रवाई मुद्दों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदारियां निर्धारित करना ; और (v) महिलाओं, किशोर युवतियों और बालिकाओं की स्थिति उनके प्रतिपक्षों के बराबर ऊंचा उठाने के लिए सभी संबद्ध नीतियों, कार्रवाई योजनाओं में कार्यक्रमों

की प्रभावी समीक्षा, मानीटरन और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए संरचना और तंत्र। इसके अलावा, वार्षिक योजना (2002-2003) में, लिंग भेद को समाप्त करने और लिंग न्याय का एक समर्थनकारी वातावरण पैदा करने का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सभी क्षेत्रकीय नीतियों और कार्यक्रमों तथा कार्रवाई योजनाओं में लिंग परिप्रेक्ष्यों को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रमुख कार्यनीति की पुनः पुष्टि की गई है जिससे महिलाओं और लड़कियों को एक उत्प्रेरक, भागीदार तथा प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, जहां कहीं खाभियां होंगी, उन्हें दूर करने के लिए महिला विशिष्ट उपाय किए जाएंगे।

32. उपरोक्त के अलावा, योजना के दौरान महिलाओं को स्वःसेवी समूहों (एसएचजी) में आयोजित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी जिसे नौवीं योजना के दौरान उनकी जरूरतों को करने और विकास में अपने परिप्रेक्ष्य का योगदान करने के लिए स्थायी सहायता प्रदान करने के वास्ते शुरू किया गया था। अनुभव से पता चला है कि महिलाओं को वित्तीय अथवा सेवाएं अथवा जानकारी की उपलब्धता सुलभ कराने में ये समूह आधारभूत स्तर पर बहुत प्रभावी रहे हैं।

33. सभी महिला संबद्ध क्षेत्रकों में, नामतः स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, संचार माध्यम, पर्यावरण, सुरक्षित पेयजल, प्रौढ़/कार्यात्मक साक्षरता, या तो मजदूरी के रूप में अथवा स्वःरोजगार के रूप में लाभप्रद रोजगार, सफाई, ज्ञान और बाल्यावस्था बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए उपलब्ध सेवाओं, संसाधनों, जनशक्ति, आधारभूत ढांचे आदि के प्रभावी अभिसरण ; सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं, पोषाहार, कल्याण सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्रकों, माइक्रो-क्रेडिट के बारे में परामर्श देने का कार्य इष्टतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

34. महिलाओं के सशक्तिकरण की चल रही प्रक्रिया पर पुनः बल देने के वास्ते वार्षिक योजना में, दसवीं योजना के अनुरूप, निम्नलिखित के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की एक क्षेत्रक-विशिष्ट-त्रि-आयामीय कार्यनीति का पालन किया जाएगा : (i) सामाजिक सशक्तिकरण ; (ii) आर्थिक सशक्तिकरण ; और (iii) लिंग न्याय, जिनके बारे में निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) सामाजिक सशक्तिकरण

35. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, उन्हें शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुकर बनाने के वास्ते, वार्षिक योजना (2002-2003) में विभिन्न सकारात्मक तथा अन्य विकास नीतियों व कार्यक्रम अपनाकर एक समर्थनकारी वातावरण कायम किया जाएगा जिससे कि वे अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकें।

36. दसवीं योजना की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे और सेवाओं में क्रांतिक कमियों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और पोषाहार सेवाओं को पूरक बनाने की वर्तमान कार्यनीति जारी रहेगी और इस प्रकार वार्षिक योजना के दौरान सभी बुनियादी जारी रहेगी, और इस प्रकार वार्षिक

योजना के दौरान सभी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं तक सहज और एकसमान सुलभता सुकर बन सकेगी। महिलाओं, माताओं और बालिकाओं की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को स्वीकारते हुए, योजना में स्वास्थ्य चौक-अप, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा और पोषाहार जागरूकता आदि जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ पोषण पूरक खाद्य कार्यक्रमों के माध्यम से वृहत और लघु पोषण कमियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता की गई है।

37. शिक्षा को एक "मूलभूत अधिकार" घोषित करने तथा एक राष्ट्रव्यापी नूतन कार्यक्रम, यथा "सर्वशिक्षा अभियान" (एसएसए) शुरू करने के प्रयासों से सरकार की यह सुनिश्चित करने की चिन्ता और प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर/शिक्षित हो। एसएसए के विशिष्ट रूप से लक्षित कार्यक्रम के माध्यम से, यह कार्यक्रम जिन बालिकाओं तक नहीं पहुंचा है, उन तक पहुंचने के और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि एसएसए अपनी प्रतिबद्धता समय पर पूरी करे। इसके अलावा, स्त्री शिक्षा के तहत हुई प्रगति को सुदृढ़ किया जाएगा तथा "महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा" के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) में कहा गया है, और आगे बढ़ाया जाएगा। सीएसडब्ल्यूबी द्वारा संचालित सीसीईएंडवीटी की स्कीम में वार्षिक योजना (2002-2003) के लिए दो करोड़ रुपए की राशि विनिर्धारित की गई है। महिलाओं के लिए "दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम" में वार्षिक योजना (2002-2003) के लिए 0.55 करोड़ रुपए विनिर्धारित किए गए हैं।

38. सभी स्तरों पर और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में और उभरते व रोजगारोन्मुखी व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की सहज और एकसमान सुलभता प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन, होस्टल और वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों परिवहन प्रभारों आदि की निःशुल्क आपूर्ति जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से सहायक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि भर्ती/शिक्षा में बनाए रखने की दरों में वृद्धि हो सके और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम हो सके। योजना के अन्तर्गत, सभी राज्यों के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यमान नेटवर्क और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के महिला स्कंधों को, सभी जिलों और उप-जिलों में रिहायशी सुविधाओं के साथ और विपणनयोग्य व्यवसायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके सुदृढ़ किया जाएगा।

39. एक सुनियोजित मीडिया कार्यनीति के माध्यम से योजना के अन्तर्गत मीडिया को महिलाओं और बालिकाओं को अपनाने ; लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव लाने और इस प्रकार महिलाओं और पुरुषों के संतुलित प्रक्षेपण को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना और जन संचार साधनों और सूचना प्रौद्योगिकी की स्कीमों के लिए वार्षिक योजना (2002-2003) हेतु क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 0.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कार्यरत महिलाओं के लिए रोजगार बाजार होस्टलों और कठिनाईग्रस्त महिलाओं के लिए अल्प आवास गृहों में महिलाओं की भागीदारी प्रोत्साहित करने के वास्ते वर्ष 2002-2003 के लिए प्रत्येक के वास्ते 15 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई है।

(ii) आर्थिक सशक्तिकरण

40. योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षण और दक्षताओं के उन्नयन और "अग्रगामी" तथा "पृष्ठ" दोनों प्रकार के संयोजनों के साथ रोजगार और आय सृजक कार्यकलापों के माध्यम से, सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्म-निर्भर बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ, क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। एसएचजी को जो सामाजिक परिवर्तन, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं, प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। स्व:शक्ति और स्वयंसिद्धा के चालू एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का वार्षिक योजना के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विस्तार किया जाएगा जिसका अंतिम उद्देश्य पहले से उपलब्ध एसएचजी के आधारभूत स्तर नेटवर्किंग के माध्यम से इनका सर्वसुलभीकरण करना है। इसके अलावा, विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके), प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप), महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र (नोराड) आदि के अन्तर्गत महिलाओं को अपनी क्षमताओं और अर्जक क्षमताओं में वृद्धि करने के वास्ते एसएचजी गठित करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाएगा। आरएमके, स्टेप और नोराड के तीन कार्यक्रमों के लिए योजना (2002-2003) हेतु क्रमशः 1 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए विनिश्चित किए गए हैं।

41. यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे कि औपचारिक क्षेत्रक में महिलाओं पर, जो कार्यबल के 90 प्रतिशत से भी अधिक है, विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि अपनी कामकाजी स्थितियों के संबंध में वे अभी भी दुर्बल हैं क्योंकि उन्हें अभी भी, अन्य विधायी व स्वास्थ्य सुरक्षोपायों की तो बाता ही अलग है, न्यूनतम अथवा एकसमान मजदूरी से भी वंचित रखा जाता है। चूंकि महिला कार्यबल का अधिकांश भाग, (89.58) कृषि क्षेत्रक में संकेन्द्रित है, इसलिए कृषि में महिलाएं दोहरे रूप में मार्जिनकृत हैं, पहले महिलाओं के रूप में और दूसरे भूमिहीन कृषकों के रूप में, क्योंकि विरासत अधिकारों और अन्य सामाजिक प्रथाओं की सीमा उन्हें भूमि व अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों की हकदारी से वंचित रखती है। इसलिए, योजना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए जाएंगे कि कृषि व इसके संबद्ध कार्यकलापों, जैसे कि बागवानी, लघु पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि में प्रशिक्षण और विस्तार के समुचित लाभ महिलाओं तक पहुंचे। सामाजिक वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन में पति और पत्नी के संबंध में पट्टा जारी करने का मामला एक विचारणीय विषय है।

42. इंदिरा महिला योजना इस विद्यमान पूर्वाग्रह को कि महिलाएं केवल परम्परागत/महिलाओं वाले काम के लिए ही उपयुक्त हैं, दूर करने के लिए तथा महिलाओं को अपने आपको आवश्यक व्यावसायिक/पेशेवर दक्षताओं से सज्जित करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु मनुष्यों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, योजना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि नियोक्ता, अपने महिला कर्मचारियों के प्रति, उन्हें महिला कामगार एसोसिएशन/यूनियन के गठन, कानूनी संरक्षण/सहायता आदि की अनुमति देकर, बाल देखभाल सुविधाएं, मातृत्व लाभ, विशेष छुट्टी, व्यावसायिक खतरों से संरक्षण प्रदान करके, अपना विधिक दायित्व पूरा करें।

43. आईएमवाई के पुनर्गठित कार्यक्रम का, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसे अब "स्वयंसिद्धा" के नाम से जाना जाता है, योजना के दौरान कवरेज की दृष्टि से और विस्तार किया जाएगा। आरएमके के लघु क्रेडिट कार्यक्रम को विभिन्न रोजगार-सह-आय सृजक कार्यकर्ताओं के वित्तपोषण हेतु "स्वयंसिद्धा" के अन्तर्गत गठित समूहों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए क्रेडिट की सुलभता या तो नया लघु क्रेडिट तंत्र स्थापित करके अथवा महिलाओं की सेवा करने वाले विद्यमान क्रेडिट संस्थानों को सुदृढ़ करके, आरएमके के सीमित कवरेज के विस्तार के साथ-साथ, बढ़ाई जाएगी। महिला उद्यमियों के लिए "अग्रगामी" तथा "पृष्ठ" दोनों प्रकार के क्रेडिट संयोजनों और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिला विकास निगमों से सज्जित करने के भी प्रयास किए जाएंगे, जो उत्प्रेरक का भी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना के अन्तर्गत, लघु और अतिलघु क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित करने के सरकार के पिछले प्रयासों का परीक्षण किया जाएगा और उनमें तेजी लाई जाएगी।

44. इन परम्परागत क्षेत्रों का विनिर्धारण करने के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे जो प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बाजार बदलाव और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के कारण संकुचित होते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के उन्नयन के फलस्वरूप परम्परागत क्षेत्रों से विस्थापित महिलाओं को पुनःप्रशिक्षित करने तथा पुनः तैनात करने के प्रयास किए जाएंगे। विस्थापित हुई महिलाओं को खपाने के वास्ते खादी और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशमपाल, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जैसे परम्परागत क्षेत्रों में मजूदरी/स्वरोजगार के लिए वैकल्पिक अवसर प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

45. उपरोक्त उपायों को, सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने तथा ऊपर की ओर तरक्की करने के लिए ठोस कार्रवाई के साथ पूरक बनाया जाएगा। सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, बहु-स्थलीय प्रवेश, ऊपरी आयुसीमा में वृद्धि आदि जैसी विशेष रियायतें और छूट दिए जाने की जरूरत है।

(iii) लिंग न्याय

46. वार्षिक योजना में, सभी प्रकार के लिंग भेदभाव को समाप्त करने और इस प्रकार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में, नामतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक, सांस्कृतिक आदि में पुरुषों के बराबर न केवल सिद्धांत रूप में बल्कि वास्तविक रूप में भी समान अधिकार और मूलभूत आजादी का सुख लेने की छूट देने की दिशा में भी शुरूआत की जाएगी। योजना के अन्तर्गत घटते स्त्री-पुरुष अनुपात की जांच करने और संतुलित स्त्री-पुरुष अनुपात प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। इसके अन्तर्गत महिलाओं और बालिकाओं को, प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसलिए योजना के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता, 1860 और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण), अधिनियम, 1994 दोनों के

प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से, कठोरतम दंडात्मक उपायों के साथ, बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या को पूर्ण रूप से समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

47. महिलाओं और बालिकाओं के संबंध में भेदभावपूर्ण खाद्य प्रथाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे जिसके फलस्वरूप महिलाओं, माताओं और बच्चों के बीच कुपोषण और इससे सम्बद्ध न्यूनताएं उत्पन्न होती हैं, जो उनकी विकास क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएंगे कि मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सभी 7.5 लाख आंगनवाड़ियों में पूरक खाद्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए इसके अलावा, "परिवार स्तर पर सभी के लिए खाद्य सुरक्षा" सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ताकि खाद्य बटवारे में विद्यमान भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बचा जा सके। विद्यमान विसंगतियों और भेदभावपूर्ण खाद्य प्रथाओं को दूर करने के लिए पीएमजीवाई के माध्यम से प्रदान की जा रही अतिरिक्त सहायता तथा "पोषण मिशन मोड" के अन्तर्गत परिकल्पित सेवाओं से बहुत योगदान प्राप्त होगा।

48. महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना के अन्तर्गत, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने और इस प्रकार एक ऐसा अनुकूल वातावरण पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने का प्रयत्न कर सके। इसके अतिरिक्त, विशेष उपायों, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और अधिक महिला अध्यापकों की नियुक्ति, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति, होस्टलों, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के माध्यम से भर्ती और प्रतिधारण दरों में वृद्धि तथा आजीवन अध्ययन को सुकर बनाने के लिए शिक्षा की कोटि में सुधार और व्यावसायिक/तकनीकी दक्षताओं में विकास के जरिए भी महिलाओं और लड़कियों के लिए उपलब्धता में वृद्धि करने के वास्ते भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी पाठ्यचर्या विकसित करने के भी प्रयास किए जाएंगे ताकि लिंग भेदभाव के एक कारक के रूप में लिंग रूढ़िबद्धता का समाधान किया जा सके। इसके साथ ही, व्यापक रूप से आरसीएच और आईसीडीएस सेवाओं के माध्यम से व्यापक, वहनीय तथा अच्छी कोटि की स्वास्थ्य और पोषण देखभाल की दिशा में सहज उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए भी उपाय किए जाएंगे जिससे कि वे अपनी प्रजनन इच्छा का इस्तेमाल करने में समर्थ हो सकें।

49. वार्षिक योजना के अन्तर्गत, श्रम मंत्रालय तथा रोजगार क्षमता वाले अन्य क्षेत्रों के घनिष्ठ सहयोग से एक कार्यनीति तैयार की जाएगी ताकि रोजगार में कार्य और उपलब्धता दोनों ही दृष्टि से असमानताओं को दूर करने के लिए, रोजगार के अवसरों का विस्तार सुनिश्चित हो सके, जिसके फलस्वरूप महिलाओं को अपने काम को और अधिक दृश्य बनाने में सुधार हो सके और उनके योगदान को राष्ट्रीय लेखाओं में रिकार्ड किया जा सके। लिंग न्याय सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे कि कामगारों अथवा उत्पादकों के रूप में अनौपचारिक क्षेत्रक में महिलाओं द्वारा जोड़ गए मूल्य को कार्य की पारम्परिक अवधारणा की पुनः परिभाषा/पुनःव्याख्या और सेटलाइट तथा राष्ट्रीय लेखाओं के निर्माण के माध्यम से, स्वीकारा जाए। इसके साथ ही महिलाओं की कामकाजी स्थितियां सुधारने के अलावा

अनीपचारिक क्षेत्रक में उनके शोषण को रोकने/समाप्त करने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए न्यूनतम और एकसमान मजदूरी संबंधी विधायी और कल्याण उपायों को लागू करने/उनका विस्तार करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। प्रशासनिक और प्रवर्तन दोनों प्रकार के तंत्र को लिंगसंवेदी बनाने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि महिलाओं के अधिकारों और हितों की देखभाल हो तथा उन्हें प्रक्रियाओं के आयोजन, कार्यान्वयन तथा मानीटरन में शामिल किया जाए। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजनाओं (एजीपीआरपीडब्ल्यू) हेतु 4.30 करोड़ रुपए का परिय्यय नियत किया गया है।

50. वार्षिक योजना में महिला घटक योजना (डब्ल्यूसीपी) की स्पष्ट रूप से परिभाषा की जाएगी तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अधीन उन स्कीमों का विनिर्धारण किया जाएगा जिन्हें डब्ल्यूसीपी के अन्तर्गत कवर किया जाना चाहिए तथा ऐसे महिला सम्बद्ध तंत्र अपनाया सुनिश्चित किया जाए जिनके माध्यम से इन क्षेत्रकों से महिलाओं के लिए निधियों/लाभों का प्रवाह हो सके। डब्ल्यूसीपी तथा लिंग बजट पद्धति की प्रभावी अवधारणाओं को जोड़ने के लिए और इस प्रकार महिलाओं को सभी सामान्य विकास क्षेत्रकों से अपना समुचित हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए निवारक तथा कार्यांतर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने में न तो मात्रा का और न ही कुल परिय्यय में हिस्से का महत्व है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विकास क्षेत्रकों से प्रवाहित होने वाली निधियों का किस प्रकार प्रभावी अभिसरण किया जाए, कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तथा बेहतर मानीटरन किया जाए।

51. लिंग न्याय सुनिश्चित करने के लिए पहले से उपलब्ध सिफारिशों और की गई समीक्षा के आधार पर विद्यमान कानूनों को, यदि आवश्यक हो संशोधित करने और नए महिला विशिष्ट विधान अधिनियमित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, सभी लिंग संबंधी भेदभावपूर्ण संदर्भों को समाप्त करने के लिए सभी अधीनस्थ विधानों की समीक्षा की जाएगी।

52. सकारात्मक भेदभाव के जरिए, यदि आवश्यक हो, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय-निर्माण में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इस संदर्भ में, संसद में और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई स्थान सुरक्षित करने के वास्ते विधान अधिनियमित करने के लिए और इस प्रकार महिलाओं के लिए उनकी संख्या के अनुपात में निर्णय-निर्माण निकायों तक पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके।

53. महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, घर में और कार्य स्थल, दोनों ही स्थानों पर, धीरे-धीरे बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम डाटा (1999) के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की कुल संख्या जो 1997 में 1.21 लाख थी, 1999 में बढ़कर 1.36 लाख हो गई। 1999 में महिलाओं के विरुद्ध कुल 1.36 लाख अपराधों में उत्पीड़न की संख्या सर्वाधिक अर्थात् 32.3 प्रतिशत थी, उसके बाद छेड़छाड़ (23.8 प्रतिशत); अपहरण और भगाना (11.7 प्रतिशत); बलात्कार (11.4 प्रतिशत); लैंगिक उत्पीड़न (6.5 प्रतिशत);

और दहेज मृत्यु (4.9 प्रतिशत) ; अनैतिक व्यापार (6.9 प्रतिशत) ; व अन्य (2.5 प्रतिशत) अपराध थे। इसलिए, महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध, किशोर युवतियों सहित, बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए, सभी संबंधितों विशेष रूप से प्रवर्तन अधिकारियों के साथ परामर्श करके एक सुनियोजित कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। कठिनाईग्रस्त महिलाओं के लिए "स्वधार" नामक स्कीम के लिए, जिसे विगत वर्ष शुरू किया गया था, कठिन परिस्थितियों में रह रही सीमान्तिक महिलाओं को आश्रय, खाद्य, कपड़े और देखभाल उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है। महिलाओं के अधिकार और हितों की रक्षा करने के लिए प्रभारी, राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए 6 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

54. राज्य/जिला स्तर पर पर्याप्त लैंगिक पृथक्कृत डाटा की समस्या को समझते हुए लिंग विकास सूचक का मानकीकरण तेज करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएंगे। उसके बाद, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर लिंग पृथक्कृत डाटा एकत्र किया जाएगा ; पुरुषों के बराबर समानता प्राप्त करने के अंतिम उद्देश्य से, नियमित अंतरालों पर महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के वास्ते उनका संकलन/तालमेल और विश्लेषण किया जाएगा। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत एक लैंगिक न्यायोचित समाज का निर्माण करने की दिशा में सामाजिक पुनः अनुस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ/ तेज की जाएगी। इसके साथ ही, सभी महिला संबद्ध क्षेत्रों से लिंग पृथक्कृत डाटा एकत्र करने की जिम्मेदारी के साथ एक राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ 0.01 करोड़ रुपए के एक नाममात्र प्रावधान की व्यवस्था की गई है।

(ख) बच्चों का विकास

55. योजना में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है कि जैसाकि राष्ट्रीय बाल नीति और चार्टर (2002) द्वारा प्रस्तावित है तथा बच्चों/बालिकाओं के लिए दो विद्यमान राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं (1992) में दिया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है :

- घटते लिंग अनुपात को रोककर बच्चों की विशेष रूप से बालिकाओं की उत्तरजीविता और मादा भ्रूण हत्या और महिला बालिका हत्या से संबद्ध समस्याओं पर काबू पाना ;
- सभी बच्चों का, विशेष रूप से विशेष जरूरतमंद व समस्याग्रस्त बच्चों का और कठिनाईग्रस्त बच्चों का, विद्यमान बाल संबद्ध विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से "संरक्षण" ; और
- आरसीएच, आईसीडीएस, एसएसए के तीन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, पोषाहार और शिक्षा के क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से "विकास" ।

56. देश भर में युवा बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं और माताओं के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आईसीडीएस एक मुख्य आधार बना रहेगा। योजना में इस बात को स्वीकारा गया है कि यद्यपि 6 वर्ष की प्रारंभिक शैशव अवस्था बच्चों के विकास के लिए नहत्यपूर्ण है तथापि प्रसव पूर्व से लेकर प्रथम तीन वर्ष पूर्ण मानव विकास क्षमता व संघयी

आजीवन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और भेद्य अवधि है। युवा बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि आईसीडीएस में विहित है स्वास्थ्य, पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा की बुनियादी सेवाओं के अभिसरण के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण के कार्यक्षेत्र को सामुदायिक भागीदारी/सामुदायिक कार्यवाई के साथ और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि यह कार्यक्रम उन लोगों तक पहुंच सके जिन तक अभी यह नहीं पहुंचा है, यथा 3 वर्ष से कम के बच्चे/बालिकाओं और किशोर बालिकाओं पर विशेष बल के साथ, महिलाओं की अधिकारिता से संबद्ध आवश्यक उपायों के साथ, बच्चों के विकास के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने/व्यापक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा और उनकी जागरूकता के विद्यमान पैकेज में, जिसकी व्यवस्था किशोरी शक्ति योजना द्वारा की जा रही है, परामर्श सुविधाओं को शामिल किया जाएगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण व उद्यमशीलता दक्षताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

57. सार्वजनीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनीन कवरेज को जल्द प्राप्त करने के लिए तथा उच्च कोटि की एकीकृत प्रजनन व बाल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते क्षेत्र-विशिष्ट लघु-आयोजना प्रारंभ करने के वास्ते, प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, विशेष पोषाहार कार्यक्रम के वर्तमान प्रत्यक्ष भोजन कार्यक्रम के जरिए, 6 वर्ष से कम के बच्चों की पोषाहार स्थिति सुधारने के उद्देश्य से, विशेष रूप से 24 मास से कम बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, संकेन्द्रित प्रयास किए जाएंगे। योजना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों की व्यापक रूप से जांच पड़ताल करने के लिए वृहत और लघु पोषण न्यूनताओं का पता लगाने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा क्योंकि 6 वर्ष से कम के बच्चों 'जोखिम समूह' के अन्तर्गत आते हैं और भोजन प्रथाओं में बदलाव तथा आंतर-परिवार खाद्य वितरण के माध्यम से खुराक क्षमता को सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

58. बाल विकास के क्षेत्र में चुनौती सामुदायिक भागीदारी और सामुदायिक योगदान प्राप्त करने की है। अभिसरण कार्यवाई के अग्रणी कार्यकर्ताओं की जुटावकर्ताओं के रूप में, जानकारी, दक्षताओं और क्षमताओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार, नूतन यथार्थ-आधारित दृष्टिकोणों के साथ विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यनीतियां विकसित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। आईसीडीएस के संबंध में सामुदायिक भागीदारी/योगदान के साथ, बाल विकास कार्यक्रमों की स्थिरता हेतु नकद अथवा वस्तु रूप में सहायता जुटाने के नए दृष्टिकोण का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही, आईसीडीएस परियोजनाओं को अपनाने और इस प्रकार अपना सामाजिक दायित्व पूरा करने के लिए निगमित क्षेत्रक को शामिल करने के भी प्रयास किए जाएंगे। ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों तथा पीआरआई/सहरी स्थानीय निकायों की परिकल्पित भूमिका के न केवल आयोजन में बल्कि बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए निधियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में भी प्रमुख प्रभाव होंगे।

59. वार्षिक योजना में किशोरों/बालिकाओं की बेहतरी के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की गई है। योजना के अंतर्गत, कठोर विधिक उपायों, दंडात्मक उपायों सहित, द्वारा किशोरों/बालिकाओं के अधिकारों के उल्लंघन और सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के प्रयासों पर बल दिया जाएगा। इनमें, मादा भ्रूण हत्या/मादा बालिका हत्या, बाल विवाह, बाल दुरुपयोग, बाल

श्रम, बाल देखभाल आदि के रूप में हानिग्रह प्रथाओं के पालन का कठोरतापूर्वक प्रवर्तन शामिल है। इसके साथ ही, बालिका को एक परिसंपत्ति के रूप में समझने के लिए लोगों की मनोवृत्ति को दिशा-अनुकूलित करने के लिए सभी प्रकार के जनसंचार माध्यमों का उपयोग करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

60. कार्यक्रमबद्ध परिदृश्य में 25 वर्ष के भरपूर अनुभव के बाद, दसवीं योजना में आईसीडीएस के लिए भावी कार्य न केवल युवा बच्चों को खाद्य उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रदान करना है बल्कि परिवार/समुदाय में और एडव्यूसी में युवा बच्चों के लिए भौतिक और सामाजिक परिवेश की व्यवस्था करने के लिए देखभाल प्रदानकर्ताओं और समुदाय की क्षमता को मजबूत करने के वास्ते एक उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। आईसीडीएस एक ऐसे स्तर पर आ पहुंची है जहां न केवल इसके विस्तार को व्यापक बनाना जरूरी है बल्कि इसकी विषयवस्तु को भी समृद्ध बनाना जरूरी है। महिलाओं और समुदायों के सशक्तिकरण और क्षेत्रकीय सेवाओं के अभिसरण से जुड़े उपायों के साथ आईसीडीएस सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है। आईसीडीएस की इस उभरती रूपरेखा से उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के लिए शिशु बाल्यावस्था को प्रोत्साहित करने को पुनः बल प्राप्त होगा। तदनुसार, आईसीडीएस के अन्तर्गत प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र होंगे : शहरी निर्धनों की जरूरतों का समान ; बच्चों और महिलाओं के बीच विद्यमान अल्पपोषण और कुपोषण का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय ; आंगनवाड़ी केन्द्रों को आंगनवाड़ी -सह-शिशुगृह में परिवर्तित करना ; निर्माण स्थलों पर कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए बाल देखरेख सुविधाएं प्रारंभ करना ; आईसीडीएस के तहत समुदाय की भागीदारी ; आईसीडीएस स्कीम के एक घटक के रूप में केएसवाई (किशोर शक्ति योजना) का सर्वव्यापीकरण ; आईसीडीएस के अन्तर्गत क्षेत्र/स्थानीय विशिष्ट बाधाओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए आईसीडीएस के अन्तर्गत नूतनता को बढ़ावा देना; भागीदारी के साथ, विशेष रूप से बालिकाओं की भागीदारी के साथ युवा बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास प्रोत्साहित करने के लिए "उदीशा" से जुड़ी एक प्रमुख समर्थन, संचार और सामाजिक गतिशीलता पहल ; सेवा उपलब्धता और प्रबंधन की कोटि में सुधार; बुनियादी आधारभूत सुविधा का सुदृढीकरण। आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की स्कीम के लिए वार्षिक योजना (2002-2003) हेतु 72 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

61. राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे जिसके लिए एक करोड़ रुपए का नाममात्र का प्रावधान किया गया है। महिला और बाल विकास के नोडल विभाग से संबद्ध खाद्य और पोषण बोर्ड से उसकी राष्ट्रीय पोषाहार नीति और पोषण शिक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय एजेंसियों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए पोषाहार जागरूकता पैदा होने की उम्मीद है, जिसके लिए दो करोड़ रुपए का परिव्यय विनिर्धारित किया गया है और केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विद्यमान समन्वयन तंत्र के जरिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के अन्यथा अलग-अलग प्रयासों में भी तेजी आएगी।

62. प्रत्येक बच्चे को दाखिल करने और जो बच्चे दाखिल न हुए हैं अथवा जिन्होंने प्रारंभिक स्कूल शिक्षा के आठ वर्ष पूरे करने से पहले पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें अन्य प्रकार से शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। कामकाजी/रुग्ण माताओं के बच्चों के लिए, विशेष रूप से वर्तमान के

संदर्भ में जबकि अधिकाधिक महिलाएं, संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में, कार्यबल में शामिल हो रही हैं, शिशु गृह/दिवा देखभाल केन्द्र जैसी सहायक सेवाओं की अधिकाधिक जरूरत है। वर्ष 2002-2003 के दौरान शिशु गृह/दिवा देखभाल सेवाओं की सहायक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। कामकाजी/रुग्ण माताओं और बालिकाओं के बोझ को भी कम करने के लिए, जिनसे बच्चों की देखभाल का बोझ उठाने की उम्मीद की जाती है, मदद प्रदान करने हेतु, कामकाजी रुग्ण माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृहों/दिवा देखभाल केन्द्रों हेतु 12 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई है।

63. बच्चों और बालिकाओं संबंधी राष्ट्रीय कार्यवाई योजनाओं में "कठिन परिस्थितियों में बच्चों की स्पष्ट रूप से परिभाषा की गई है जिनमें सड़क पर रहने वाले बच्चे, कार्यरत बच्चे, बाल सेक्स कर्मीकर्ता, बाल नशा करने वाले ; कानून की दृष्टि से विवादास्पद बच्चे ; विकलांग बच्चे ; एचआईवी/एड्स से ग्रस्त बच्चे ; एचआईवी/एड्स रोगियों के बच्चे ; ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता हिरासत में हैं ; विभिन्न आपदाओं (प्राकृतिक अथवा मानव सृजित) द्वारा प्रभावित बच्चे ; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से प्रभावित बच्चे, जैसे कि राजनीतिक शरणार्थी, युद्ध पीड़ित, आंतरिक रूप से विस्थापित और वे बच्चे शामिल हैं, जिनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिनके परिवार टूट गए हैं। इन विशेष समूहों से संबंधित बच्चों तक पहुंच में, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की तत्काल जरूरत है, आज जो बड़ा अंतर मौजूद है, उसे देखते हुए, योजना के अन्तर्गत, समस्या के आकार और मात्रा का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक गहन अध्ययन कराने के लिए कार्यवाई शुरू की जाएगी और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में वर्तमान प्रयासों को तेज और उनका विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा ; और यदि आवश्यक हुआ तो अब तक कवर न हुए समूहों को कवर करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

64. आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के अलावा, राष्ट्रीय जनसहयोग और बाल बिकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन में लगे सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए अनुसंधान/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। इस प्रयोजनार्थ एनआईपीसीसीडी के लिए वार्षिक योजना (2002-2003) हेतु 6 करोड़ रुपए की राशि विनिर्धारित की गई है।

65. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, 1997 में शुरू की गई बालिका समृद्धि योजना (बीएसवाई) की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रसवोत्तर अनुदान, वार्षिक छात्रवृत्तियां, पाठ्यपुस्तकें, वर्दियों आदि के लिए प्रावधान हेतु उपभोज्य वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।

66. अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम, 1956; किशोर न्याय(देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000; बाल श्रमिक (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, भारतीय दंड संहिता, 1860 और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक(विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के कठोर पर्वतन के माध्यम से सभी प्रकार के शोषण से बच्चों को बचाने के वास्ते, एक राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करने के लिए कार्यवाई शुरू की गई है। वार्षिक योजना (2002-2003) में 0.20 करोड़ रुपए का नाममात्र का प्रावधान किया गया है।

विदेशी सहायता परियोजनाएं

67. महिला और बाल विकास के लिए प्रारंभ की गई अनेक परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त होती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों (नोराड) की स्थापना; विश्व बैंक आईसीडीएस कार्यक्रम (बहु-राज्यीय आईसीडीएस परियोजना), आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण-“उदीशा”, ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना और सीडाश्रमहायित परियोजना-हिमाचल प्रदेश के लिए। वार्षिक योजना (2002-2003) के लिए ईएपी के तहत 398.01 करोड़ रुपए के परिय्य की व्यवस्था की गई है जबकि 2001-2002 के दौरान 236.50 करोड़ रुपए की कुल सहायता प्राप्त हुई थी। नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान खर्च हुई वर्षवार विदेशी सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक 5.10.2 में दिया गया है। दसवीं योजना (2002-2007) और वार्षिक योजना (2002-2003) के लिए बजटीय विदेशी सहायता का सारांश तालिका 5.10.5 में दिया गया है।

तालिका 5.10.5

दसवीं योजना (2002-2007) और वार्षिक योजना (2002-2003) के दौरान
महिला और बाल विकास क्षेत्रक के अन्तर्गत परिय्य

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना (2002-07) परिय्य		वार्षिक योजना (2002-03) परिय्य	
		कुल	ईएपी	कुल	ईएपी
1	2	3		3	4
I.	महिला और बाल विकास	13670.00	1683.02	2198.00	398.01
(i)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम	1148.22	25.00	156.18	5.00
(ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	12521.78	1658.02	2041.82	393.01
II.	खाद्य और पोषाहार बोर्ड	110.00	-	2.00	-
(i)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम	10.00	-	1.0	-
(ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	100.00	-	1.0	-
	जोड़	13780.00	1683.02	2200.00	398.01

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

68. जागरूकता सृजन और लैंगिक संवेदीकरण, क्रेडिट के क्षेत्रों में वैकल्पिक माडलों के निर्माण, महिलाओं को एसएचजी में गठित करने, स्वः रोजगार-भागीदारीपूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन आदि के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास की दिशा में स्वैच्छिक संगठन पर्याप्त रूप से योगदान कर रहे हैं। स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष 2002-2003 के लिए सहायता-अनुदान हेतु 6.61 करोड़ रुपए की राशि विनिर्धारित की गई है।

महिला तथा बाल विकास क्षेत्र में योजना परिव्यय तथा खर्च

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			क्र. सं.	वार्षिक योजना (2002-03)	
		2000-01	2001-02			स्कीम का नाम	ब.सं.
		वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक			
1	2	3	4	5	6	7	8
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम बच्चों का कल्याण और विकास						
1	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रय/दिवा परिचर्या केंद्र	4.50	7.45	7.60	1	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रय/दिवा परिचर्या केंद्र	12.00
2	बाल परिचर्या स्कीमों के लिए राष्ट्रीय क्रय निधि	-	0.97				-
3	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	-			-
4	आईसीडीएस कार्मिकों का प्रशिक्षण	19.94	40.00	52.86		केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत हस्तारित	-
5	राष्ट्रीय जन सहकारिता तथा बाल विकास संस्था (एनआईपीसीसीडी)	1.85	2.50	2.20	2	राष्ट्रीय जन सहकारिता तथा बाल विकास संस्था (एनआईपीसीसीडी)	6.00
6	आरंभिक शिशु शिक्षा	0.27	0.01	-			
7	बालवाडी पोषण कार्यक्रम (बीएनपी)	0.07	0.01	-			
8	राष्ट्रीय बाल आयोग	-	1.00	-	3	राष्ट्रीय बाल आयोग	0.20
	कुल क	26.63	51.94	62.66			18.20
ख	महिलाओं का कल्याण तथा विकास						
9	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	7.42	9.00	4.96	4	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	15.00
10	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र (नोराड) स्थापित करना	13.89	18.00	18.95	5	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र (नोराड) स्थापित करना	25.00
11	प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता	14.36	18.00	18.57	6	प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता	25.00
12	राष्ट्रीय महिला आयोग	3.50	5.00	4.17	7	राष्ट्रीय महिला आयोग	8.00
13	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि	-	1.00	-	8	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि (आरएमके)	1.00

संलग्नक 5.10.1

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			क्र. सं.	वार्षिक योजना (2002-03)	
		2000-01	2001-02			स्कीम का नाम	ब.रध.
		वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	कामन वेल्थ मीटिंग महिला	0.60	-	-			
15	महिला विकास ब्यूरो का सुदृढीकरण	-	-	-			
16	महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त का कार्यालय बनाना	-	-	-			
17	महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	15.95	8.00	7.34		स्वयंसिद्धा में विलय	
18	सशक्तिकरण परियोजना	-	0.01	-			
19	सीएसडब्ल्यूबी के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा इसके क्षेत्रीय संगठनों का सुदृढीकरण	14.00	15.00	15.00	9	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (i) सामान्य सहायता अनुदान -16.00 (ii) संक्षिप्त पाठ्यक्रम 2.00 (iii) जागरूकता परि.-4.30 (iv) अल्प आवास गृह-15.00	37.30
20	महिलाओं के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण का संक्षिप्त पाठ्यक्रम	1.50	2.00	2.00			
21	ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजना	1.80	4.00	4.0			
22	महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए शिक्षा	0.20	0.28	-			
23	अल्पावधि गृह (एसएसएच)	8.00	10.00	5.32			
24	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	1.00	1.00	1.25			
25	दूरस्थ शिक्षा	1.41	0.50	0.50	10	दूरस्थ शिक्षा	0.55
26	राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र (एमआरसीडब्ल्यू)	-	2.00	-			
27	महिला अधिकारिता वर्ष 2001	0.91	11.00	11.60			
28	कठिनाईग्रस्त महिलाओं के लिए योजना (स्वधार)	-	6.00	0.08	11	कठिनाईग्रस्त महिलाओं के लिए शिक्षा योजना (स्वधार)	15.00
	कुल	84.54	110.79	93.74			124.85

संलग्नक 5.10.1

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			क्र. सं.	वार्षिक योजना (2002-03)	
		2000-01	2001-02			स्कीम का नाम	व.रज.
		वार्षिक	व.अ.	वार्षिक			
1	2	3	4	5	6	7	8
	सहायता अनुदान तथा अन्य स्कीमें						
29	अनुसंधान प्रकाशन तथा अनुवीक्षण के लिए सहायता अनुदान	0.56	1.51	0.63	12	अन्य सहायता अनुदान (i) अनुसंधान और अनुभव - 5.00 (ii) महिलाएं और बाल-1.50	6.50
30	महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में संगठनात्मक जानकारी	0.20	0.25	0.27			
31	कार्यक्रम अनुभवण और मूल्यांकन यूनिट	-	-	-			
32	स्वैच्छिक संगठन को संगणनात्मक सहायता	-	0.01	-			
33	सूचना तथा जन माध्यम	1.75	3.50	3.36	13	सूचना तथा जन माध्यम	6.00
34	नेमा	-	-	-			
35	सूचना प्रौद्योगिकी	0.46	0.50	0.49	14	सूचना प्रौद्योगिकी	0.50
	कुल ग	2.97	5.77	4.75			13.00
	योग (क + ख + ग)	114.14	168.50	161.15			156.05
घ	खाद्य तथा पोषण बोर्ड						
36	अनुसंधान तथा विकास	-	-	-			
37	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	0.07	0.50	0.08	15	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	2.00
38	विटामिन ए के साथ दूध का पीप्टीकरण	0.02	0.10	0.01			
39	पूजीगत व्यय	-	0.40	0.01			
40	पोषण शिक्षा	1.84	3.00	2.68			
41	पोषण खाद्य उत्पादन	-	-	-			
	योग ख	1.93	4.00	2.78			2.60
ड.	नई स्कीम						
	-	-	-	-	16	सीआरईएनई	0.01
	-	-	-	-	17	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र	0.01
	योग ड.						0.02
	योग 1 (क से ड.)	116.07	172.50	163.93			158.67

संलग्नक 5.10.1

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			क्र. सं.	वार्षिक योजना (2002-03)	
		2000-01	2001-02			स्कीम का नाम	ब.रअ.
		वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक			
1	2	3	4	5	6	7	8
II केन्द्र प्रायोजित स्कीम							
क बच्चों का कल्याण और विकास							
42	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)	1047.86	1198.00	1224.43	18	एकीकृत बाल विकास सेवा	1635.44
43	विश्व बैंक सहायित (आईसीडीएस) परियोजनाएं	140.01	220.00	219.94	19	विश्व बैंक सहायित (आईसीडीएस) परियोजनाएं	288.48
	-	-	-	-	20	आईसीडीएस का प्रशिक्षण	72.00
44	बालिका समृद्धि योजना	20.97	25.00	13.04	-	बालिका समृद्धि योजना (राज्यों को अंतरित की जानी है)	-
	योग क	1208.84	1443.00	1457.41			1995.92
ख- महिलाओं कल्याण और विकास							
45	एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा)	2.10	19.50	6.85	21	एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा)	20.00
46	ग्रामीण महिलाओं की अधिकारिता और विकास परियोजनाएं (स्व:शक्ति)	8.00	15.00	15.00	22	ग्रामीण महिलाओं की अधिकारिता और विकास परियोजनाएं (स्व:शक्ति)	25.00
	योग ख	10.10	34.50	21.85			45.00
	योग क + ख	1218.94	1477.50	1479.26			2040.92
नई स्कीम							
	-	-	-	-	23	राष्ट्रीय पोषण मिशन	1.00
	-	-	-	-	24	हिमाचल प्रदेश के लिए सिद्धा सहायित कार्यक्रम	0.01
					25	आईसीडीएस-IV	-
	योग ग						1.01
	योग II (क से ग)	1218.94	1477.50	1479.26			2041.93
	कुल योग I + II	1335.01	1650.00	1643.19			2200.00*

टिप्पणी - विभाग के कुल परिव्यय का 10% पूर्वोक्त राज्यों के लिए विनिश्चित है।

महिला और बाल विकास

बजट के माध्यम से दी गई विदेशी सहायता : नौवीं योजना (1999-2002) के दौरान

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	निधियन एजेंसा	वर्षिक योजना							
			2000-2001		2001-2002		2001-2002		2002-2003	
			वास्तविक		परिचय		संशोधित अनुमान		परिचय	
ईएपी	योग	ईएपी	योग	ईएपी	योग	ईएपी	योग	ईएपी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम										
बच्चों का कल्याण और विकास										
1	आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	यूनिसेफ और विश्व बैंक	14.16	19.94	28.00	40.00	49.00	70.00	50.40	72.00
2	राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान यूनिसेफ	यूनिसेफ	-	1.85	-	2.50	-	2.50	-	6.00
3	महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन, प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र (नोराड)	नोराड	5.00	13.89	5.00	18.00	10.00	23.00	5.00	25.00
4	ग्रामीण महिला विकास तथा अधिकारिता परियोजना	आईडीए तथा आईएफ एडी	7.00	8.00	13.50	15.00	13.50	15.00	25.00	25.00
5	महिला अधिकारिता परियोजना	यूएनआई एफपीए	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	छंटाई की गई	
केन्द्र प्रायोजित स्कीम										
6	विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस परियोजना	आईडीए एंड डब्ल्यूबी	98.01	140.01	154.00	220.00	154.00	220.00	201.88	288.37
खाद्य तथा पोषण बोर्ड										
7	पोषण शिक्षा	यूनिसेफ	0.50	1.84	0.50	3.00	0.50	3.00		
8	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	यूनिसेफ	-	0.07	-	0.50	-	0.50	विलय किया गया और 'राष्ट्रीय पोषण नीति और पोषण शिक्षा का कार्यान्वयन' का नाम दिया गया।	
योग			124.67	185.60	201.01	299.01	227.01	334.01	282.26	416.37

5.11 सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों का सशक्तिकरण

प्रस्तावना

सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प-संख्यकों का सशक्तिकरण, उच्च प्राथमिकता का विषय है। वास्तव में, उनके स्तर को समाज के शेष वर्ग के समतुल्य उठाने के लिए, यह संवैधानिक वचनबद्धता का भाग है। 2001 में देश की आबादी में उनका एक बहुत बड़ा प्रतिशत अर्थात् अनुसूचित जातियां 179.7 मिलियन, जो 17.5 प्रतिशत है, और अल्पसंख्यक 188.9 मिलियन, जो 18.4 प्रतिशत है (जनगणना के आंकड़ों के अभाव में, 10 वर्षीय वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित) और मंडल आयोग ने 1993 में अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था जिसमें अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के कुछ समुदायों की अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में दोहरी गणना होने की संभावना थी। अब तक लागू किए गए विभिन्न कल्याण और विकास प्रयासों के बावजूद ये लाभ वंचित समूह अपने सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण समाज के शेष भाग से पीछे बने हुए हैं।

नीवी योजना(1997-2002) और वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

2. वर्ष 2001-02, नीवी पंचवर्षीय योजना (1997-02) का अंतिम वर्ष होने के कारण सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों के सशक्तिकरण की नीवी योजना की प्रतिबद्धता को पूरा करने के विशेष प्रयास किए गए थे। नीवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में केन्द्र क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए कुल 4985.05 रुपये का परिव्यय चिन्हित किया गया था। इसमें से 992.00 करोड़ रुपये वार्षिक योजना 2001-02 के लिए रखे गये थे जिसमें 581.00 करोड़ रुपये केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, दोनों के लिए तथा 411 करोड़ रुपये विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में थे। इसमें से नीवी योजनावधि के दौरान 4016.75 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च हुआ था, जो 80.6 प्रतिशत उपयोग दर्शाता है।

3. राज्य क्षेत्र में नीवी योजना के लिए 9689.15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसके प्रति 9179.90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जो कुल आवंटन का 94.7 प्रतिशत प्रभावी उपयोग दर्शाता है। यद्यपि, नीवी योजना और वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान, पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्र स्तर पर स्कीमवार परिव्यय और खर्च संलग्नक-5.11.1 पर दिया गया है। तथापि, इसी अवधि के लिए राज्य क्षेत्र में परिव्यय और खर्च के ब्यौरे संलग्नक - 5.11.2 में दिए गए हैं।

सारणी 5.11.1

नीची योजना 1997-02 और वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए परिष्वय तथा खर्च

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	नीची योजना(1997-02)		वार्षिक योजना (2001-2002)	
		परिष्वय	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
1.	अ.जा. का कल्याण और विकास	4156.50	3569.84	872.28	807.82
i)	केन्द्र क्षेत्र	651.56	400.32	66.51	80.45
ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	1411.99	1160.88	394.77	274.86
iii)	विशेष घटक योजना के लिए				
	विशेष केन्द्रीय सहायता	2092.95	2008.64	411.00	452.51
2.	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	621.45	290.08	79.36	55.40
i)	केन्द्र क्षेत्र	430.75	199.60	21.85	4.59
ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	190.70	90.48	57.51	50.81
3.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	207.10	156.83	40.36	21.30
i)	केन्द्र क्षेत्र	207.10	156.83	40.36	21.30
ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	-	-	-	-
	कुल (1+2+3)	4985.05	4016.75	992.00	884.62

शैक्षिक विकास

अनुसूचित जातियां

4. लाभ वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा अत्यधिक प्रभावी तंत्र होने के कारण, नीची योजना में निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराकर इसे हासिल करने का प्रयास किया गया था। इसके लिए कार्यनीति यह रही है कि छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाओं, मुफ्त पुस्तकों और विशेष कोचिंग आदि का प्रावधान करके, विद्यार्थियों को समर्थन और प्रेरणा प्रदान की जाए।

5. अनुसूचित जातियों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे देश में मान्यताप्राप्त संस्थानों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसमें अनुसूचित जातियों के अपंग व्यक्तियों के कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि, नीची योजना से मैट्रिक स्तर के बाद और उससे ऊपर की शिक्षा के लिए अनुसूचित जातियों के 15 लाख

विद्यार्थियों को वार्षिक रूप से लाभ हुआ था, लेकिन मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के संबंध में किए गए मूल्यांकन अध्ययन से पता चला था कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति का भुगतान न होने के कारण कठिनाइयां हो रही हैं क्योंकि राज्य सरकारें इस स्कीम के अधीन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर सकी हैं।

6. अस्यच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम विशिष्ट रूप से सफाईवालों, झाड़ूवालों और चर्मकारों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए कार्यान्वित की गई थी ताकि उनका नामांकन किया जा सके और उनकी शिक्षा आगे बढ़ाई जा सके तथा उनमें स्कूल छोड़ने वालों की दर को नियंत्रित किया जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य, इन बच्चों को शारीरिक रूप से सफाई करने के परंपरागत अमानवीय व्यवसाय के पंजों से मुक्त करना था। इस योजनावधि के दौरान 36 करोड़ रुपये का हुआ वास्तविक खर्च, 30 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से अधिक था। नौवीं योजना की भौतिक उपलब्धि, 16.91 लाख के लक्ष्य से 2.88 लाख लाभार्थी अधिक हो गई थी। तदनुसार, अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधान के अनुरूप रहते हुए अपंग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था।

7. अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में विद्यालय छोड़ने की वर्तमान दर को कम करने और विद्यालय में बने रहने की दर को बढ़ाने के लिए मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के रूप में एक प्रमुख समर्थन सेवा प्रदान की जाती है। चूंकि राज्य सरकारें इन स्कीमों के अधीन अपेक्षित समतुल्य अंशदान प्रदान नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इस स्कीम के लिए केन्द्रीय सहायता में गिरावट आ रही है। नौवीं योजना के दौरान 118.1 करोड़ रुपये की लागत से लड़कियों के 354 छात्रावास और लड़कों के 388 छात्रावासों का निर्माण किया गया था जिनसे अनुसूचित जातियों की 25196 लड़कियों और 17244 लड़कों को लाभ हुआ था। अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों की स्कीम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन से पता चलता है कि इसके कार्यक्रम के लिए सतत और कड़ी मानीटरिंग अपेक्षित है ताकि राज्य सरकार से प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने, निर्माण की प्रगति के बारे में अपर्याप्त सूचना प्राप्त होने, राज्यों द्वारा पूरा समतुल्य अंशदान प्रदान न किए जाने, छात्रावासों का खराब रखरखाव और खराब सुविधाएं होने जैसी नोट की गई कमियों को रोका जा सके। ये स्कीम के कार्यान्वयन में ऐसी कुछ बाधाएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना अपेक्षित है। गैर-सरकारी संगठनों को प्रभावी रूप से शामिल किए जाने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों की स्कीम का इष्टतम कार्यान्वयन किया जा सके।

8. एक अन्य समर्थन सेवा 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक' की स्कीम है, जिसके अधीन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, पशु-चिकित्सा, कृषि, पॉलीटेकनिक, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैव विज्ञान (बायो साइंस) और विधि पाठ्यक्रमों आदि के लिए पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है। नौवीं योजना के दौरान, इससे 10.61 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति के लगभग 1,15,300 विद्यार्थियों को लाभ

हुआ था। अनुसूचित जाति के नेत्रहीन विद्यार्थियों में शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रेल पुस्तकों के लिए भी प्रावधान किया गया है। अन्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों में 'अत्यंत कम साक्षरता स्तर वाले जिलों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम' और 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता(मेरिट) का उन्नयन' कार्यक्रम शामिल हैं। 1996-97 में लागू की गई पहले वाली स्कीम जिलों की संबंधित जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसका लक्ष्य, अनुसूचित जाति की उन लड़कियों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित करना है, जो कम साक्षरता खंडों, जहां परंपराएं और वातावरण पढ़ाई के अनुरूप नहीं है, में प्रथम पीढ़ी की पढ़ने वाली लड़की हैं। इस स्कीम में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 48 जिलों को कवर किया गया है, जहां 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की लड़कियों की साक्षरता 2 प्रतिशत से कम थी। तथापि, नौवीं योजना के दौरान केवल 104 विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी जबकि लक्ष्य 140 विद्यालय का था। 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की मेरिट का उन्नयन' नामक स्कीम का लक्ष्य कक्षा 11 और 12 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक और विशेष कोचिंग प्रदान करना है। नौवीं योजनावधि के दौरान 4.72 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति के कुल 3,755 विद्यार्थियों को लाभ मिला था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से रुचि की कमी होने के कारण पूर्ण सहायता दिए जाने के बावजूद इस स्कीम को सीमित सफलता मिली थी।

9. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम, जिसका उद्देश्य परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उन्हें विशेष कोचिंग देकर उनके ज्ञान और योग्यता में सुधार करना है, को प्रति यूनिट लागत आधार पर वित्तपोषण करने के लिए नौवीं योजना के दौरान संशोधित किया गया था। विश्वविद्यालयों और प्राइवेट संस्थाओं को ठेका आधार पर शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त होती है जबकि राज्यों के परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को ठेकाबद्ध राशि के 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता मिलती है। यह स्कीम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के विद्यार्थियों के लिए साझा थी।

अन्य पिछड़े वर्ग

10. अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उपरांत तथा अन्य उच्चतर शिक्षा की छात्रवृत्तियां और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए नौवीं योजना के दौरान नई पहलें की गई थीं। इसके अलावा, अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए उपलब्ध मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई थी। अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए नौवीं योजना में परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र भी स्थापित किए गए थे।

11. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व और इसके उपरांत की छात्रवृत्ति के प्रावधान का उद्देश्य, मैट्रिक पूर्व और पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिक उपरांत की कक्षाओं में अध्ययनरत वित्तीय रूप से कमजोर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को समर्थन प्रदान करके अन्य पिछड़े वर्गों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक,

मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अब तक इन दोनों स्कीमों का लाभ उठाया है। तथापि, अब तक केवल हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्यों ने ही मैट्रिक उपरांत की छात्रवृत्ति की स्कीम का लाभ उठाया है। नौवीं योजना के दौरान, अन्य पिछड़े वर्गों के 5,74,566 छात्रों को मैट्रिक उपरांत की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी तथा 12,62,372 छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति दी गई थी।

12. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास का प्रावधान प्रमुख समर्थन सेवा है, जिसका लक्ष्य शैक्षिक वातावरण में विद्यार्थियों के लिए आवास का प्रावधान करके अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा सहित माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस स्कीम को कार्यान्वित किया है, जिससे 11,470 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है।

13. अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र खोले जाते हैं ताकि वे विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल हो सकें। नौवीं योजना के दौरान, इस स्कीम से 2480 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने का कार्यक्रम नौवीं योजना में शुरू किया गया था ताकि अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के प्रयासों में स्वैच्छिक क्षेत्र को शामिल किया जा सके। अब तक नौवीं योजना के दौरान, 305 स्वैच्छिक संगठनों को 7.07 करोड़ रुपये खर्च करके सहायता प्रदान की गई थी। इसके लिए वार्षिक योजना 2001-02 में 1.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

अल्पसंख्यक

14. चूंकि अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा भाग, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करना महत्वपूर्ण है। उनके विकास के लिए साक्षरता स्तर में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना और इसे उभरते हुए रोजगार अवसरों के संगत बनाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 1992-93 में स्थापित मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए सुधारात्मक कोचिंग, विद्यालयों/रिहायसी विद्यालयों/कॉलेजों/पॉलीटेकनिक/छात्रावासों के निर्माण और विस्तार के लिए तथा प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी/उपकरणों की खरीदारी करने के लिए तथा महिलाओं के लिए व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करता है। फाउंडेशन के लिए 'समग्र निधि' के रूप में 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के प्रति, नौवीं योजना के अंत तक 70 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस समग्र-निधि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है।

15. आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की स्कीम नौकरी के विभिन्न अवसरों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए लागू की जाती है। नौवीं योजना के लिए 12.00 करोड़ रुपये के प्रावधान के प्रति 30,310 विद्यार्थियों

को प्रशिक्षित करने के लिए 417 संस्थाओं के वित्तपोषण पर 11.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वार्षिक योजना 2001-02 में इस स्कीम के लिए 3.00 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।

आर्थिक विकास

अनुसूचित जातियां

16. अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम जैसे राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से स्थापित वित्तीय संस्थानों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों में रोजगार तथा आय सृजन गतिविधियां बढ़ाने के लिए वित्तपोषण करने, सुविधाएं जुटाने और निधियां जुटाने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना जारी रखा। जबकि वर्ष 2001-02 के दौरान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट था, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को 23 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया था। प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को दक्षता तथा उद्यमिता प्रशिक्षण भी दिए गए थे। लघु ऋणों के लिए स्वयंसेवी समूहों के वित्तपोषण हेतु 2000-01 से माइक्रो क्रेडिट स्कीम भी शुरू की गई है। पिछले वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के कार्यनिष्पादन में गति आई है। इस निगम ने अब तक 2759 स्कीमों में मंजूर की हैं जो पूरा होने पर आय सृजन संबंधी विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति के 3,43,517 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएंगी। फिलहाल, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम कार्य कर रहे हैं जिनसे नीची योजनावधि के दौरान, अनुसूचित जातियों के लगभग 14.88 लाख लोगों को लाभ हुआ है।

17. सफाई करने वालों के समुदायों में आर्थिक विकास/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 1997 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम तब से राज्य सरणिकरण एजेंसियों के माध्यम से निधियों के सरणिकरण(चैनलाइजिंग) के लिए शीर्ष संस्था के रूप कार्य कर रहा है। सफाई कार्य के विकल्प के रूप में व्यवहार्य आय सृजन गतिविधियों हेतु स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम के अधीन राज्य सरणिकरण एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लक्षित समूहों में से स्वयंसेवी समूह तैयार किए गए थे और प्रत्येक लाभार्थी को आय सृजन गतिविधियां चलाने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये का लघु ऋण प्रदान किया गया था। सैनिटरी बाजार उत्पादन-सह-व्यापार-सह-सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए और शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए 25 सफाईवालों के समूह की गठित सहकारी समितियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नीची योजना के दौरान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के लिए इक्विटी के रूप में 81.75 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन से 33,725 लाभार्थियों को कवर किया गया था। 2001-02 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा गया था।

अन्य पिछड़े वर्ग

18. अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के प्रति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धनतम व्यक्तियों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया था। यह अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा समूहों को राज्य सरणिकरण के माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करता है तथा उनके लिए तकनीकी, उद्यमी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। निगम ने नौवीं योजना के दौरान, 3,74,754 लाभार्थियों की सहायता करने के लिए 614.08 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया है। राज्य सरणिकरण एजेंसियों और गैर-सरकार संगठनों के माध्यम से विशेषरूप से महिला लाभार्थियों के लिए छोटे कारोबार हेतु लक्षित समूहों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु माइक्रो क्रेडिट स्कीम भी लागू की गई है। इसमें एक नई स्कीम अर्थात् 'स्वर्णिमा' भी शुरू की है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्वरोजगार गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु 1.00 लाख रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है। सौभाग्यवश, इस स्कीम में 1999-2000 में 86 प्रतिशत, 2000-01 में 87 प्रतिशत और 2001-02 में 89 प्रतिशत की उत्कृष्ट रिकवरी की गई है। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को 16.84 करोड़ रुपये का बजट समर्थन प्रदान किया गया था।

अल्पसंख्यक

19. गरीब अल्पसंख्यक समुदाय में आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1994-95 में स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने विशेषरूप से परंपरागत व्यवसाय और कारोबार में लगे दस्तकारों के लिए आसान ऋण प्रदान करना और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना जारी रखा। 1998-99 में लघु वित्तपोषण की स्कीम भी लागू की गई है और इसका कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से सीधे किया जा रहा है, जिससे नौवीं योजनावधि के दौरान 81,695 अल्पसंख्यकों को लाभ प्राप्त हुआ है। वार्षिक योजना 2001-02 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 15.26 करोड़ रुपये बजटीय प्रायधान प्राप्त हुआ था।

वित्तीय संस्थान - मूल्यांकन

20. इन सभी निगमों के कार्यकरण के महत्वपूर्ण मूल्यांकन से पता चला था कि ये सभी निगम सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हैं, इसलिए ये कार्यशील निगम के रूप में अर्हक नहीं हैं। सामान्यतः यह आशा की जाती है कि निगम, अपनी स्थापना के 2-3 वर्ष बाद आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसकी बजाय ये निगम, सरकार पर अधिकाधिक निर्भर हो रहे हैं और समय-समय पर अधिकृत अंशपूजी में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं जो खराब वित्तीय स्थिति और व्यवहार को दर्शाता है। इसके अलावा, इन निगमों की रिकवरी दर 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक है जो बहुत खराब है। इसके विपरीत, इसी प्रकार का राष्ट्रीय महिला कोष, जो अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब और सम्पत्तिहीन महिलाओं को ऋण देता है, जैसा संगठन 95 से 98 प्रतिशत तक की उच्च रिकवरी दर हासिल कर सका है और अपनी मूल 'समग्र-निधि' को 1993 के 31.00 करोड़ रुपये

से बढ़ाकर 5 वर्ष की अवधि में 48.06 करोड़ रुपये करके आत्मनिर्भर हो गया है। इसके कारण इन सभी 6 निगमों के कार्यकरण के गहन अध्ययन की तत्काल जरूरत है ताकि कारोबारी तथा प्रबंधन, दोनों के लिए आवश्यक सुधार लागू किए जा सकें जिससे कि वे अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूरा कर सकें।

सामाजिक न्याय

21. अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा उनके खिलाफ अपराध और अत्याचार की होने वाली अधिक घटनाओं को रोकने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन स्थापित 36 विशेष न्यायालयों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन स्थापित 113 विशेष न्यायालयों की सहायता से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन करके प्रयास किए गए थे। न्यायिक तंत्र के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने, प्रचार करने और प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए राज्यों को 50:50 के अनुपात (संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत) में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

22. शारीरिक रूप से सफाई करने के कार्य का पूर्णतया उन्मूलन करने की ओर कदम बढ़ाते हुए सफाई करने वालों और उन पर निर्भर रहने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम को 1998 में संशोधित किया गया था, ताकि संशोधित मानदंडों को इसमें समाहित किया जा सके और सफाई करने वालों की पहचान करने, मुक्ति दिलाने और पुनर्वास करने के लिए किए गए प्रयासों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सके। यद्यपि, लक्ष्य के अनुरूप नौवीं योजना के अंत (2002) तक, शारीरिक रूप से सफाई करने की प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका, लेकिन पहचान किए गए 6.53 लाख सफाई करने वालों में से लगभग 3.84 लाख का पुनर्वास किया गया, जबकि 1.47 लाख को वैकल्पिक व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किया गया। नौवीं योजना में इस स्कीम के अधीन 236.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। सफाई वालों के मुक्तिकरण और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम में हुई मंद प्रगति से चिंता के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आवंटित निधियों का उपयोग न किए जाने का पता चलता है। स्पष्टतः वर्ष 2001-02 के लिए इस स्कीम हेतु किए गए 75 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के प्रति, केवल 9.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ऐसा इस स्कीम में संशोधन-जैसे कि "सैनेटरी मार्क्स लागू करना और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करना" - करने के बावजूद हुआ है। इस बात से यह पता चलता है कि सभी संबंधितों को तीव्र गति से गहन और युद्धस्तर पर प्रयास करने चाहिए, विशेषरूप से सफाईवालों की पहचान करने तथा उनका पुनर्वास करने और शुष्क-शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में परिवर्तित करने के संबंध में प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि वर्ष 2007 तक, शारीरिक रूप से सफाई करने की पद्धति को पूर्णतया समाप्त करने की प्रतिबद्धता पूर्ण हो सके।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की विशेष कार्यनीतियों का कार्यान्वयन

23. अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना की विशेष कार्यनीति प्रचालन में है, ताकि अन्य सभी विकासात्मक क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में निधियां दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। अब तक केवल 14 केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों और 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के अधीन निधियां चिह्नित की हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों के संबंध में नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, विशेष घटक योजना के अधीन 1646.02 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए थे। पिछले दो वर्षों के लिए मंत्रालय से विशेष घटक योजना के किसी महत्वपूर्ण घटक के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 42308.97 करोड़ रुपये चिह्नित किए हैं, जो सम्पूर्ण राज्य बजट का 12.20 प्रतिशत है।

24. विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्र की स्कीम है, जिसके अधीन परिवार आधारित आय सृजन गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर को पाटने के लिए राज्यों के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु एक अतिरिक्त सहायता के रूप में राज्यों के लिए शत- प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। नौवीं योजनावधि के दौरान, इस कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जाति के लक्षित 130.52 लाख परिवारों में से 110.75 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई थी, जो 15 प्रतिशत कमी दर्शाता है। नौवीं योजनावधि के दौरान, विशेष घटक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय प्रतिबद्धता हेतु 2004.67 करोड़ रुपये वास्तव में रिलीज किए गए थे, जबकि परिव्यय 2092.95 करोड़ रुपये था जो 96 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाता है। लेकिन इस अवधि के दौरान, केवल 1456.91 करोड़ रुपये का वास्तविक उपयोग हुआ था जो परिव्यय का केवल लगभग 70 प्रतिशत है। यह बात यह दर्शाती है कि योजना लक्ष्य को हासिल करने के लिए केन्द्र स्तर पर विशेष घटक योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 2002-03

25. अधिकतम परिणाम हासिल करने और सरकारी खर्च में वृद्धि को नियंत्रित रखने तथा दुर्लभ संसाधनों को अधिक किफायती तरीके से नियोजित करने की दृष्टि से नौवीं योजना की चालू स्कीमों की संख्या 'शून्य' आधारित बजटीयकरण की विशेष प्रक्रिया के माध्यम से 31 से घटाकर दसवीं योजना और बाद की वार्षिक योजना में 13 कर दी गई है। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों का सशक्तिकरण करने के प्रति, वार्षिक योजना 2002-03 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 379.00 करोड़ रुपये सहित केन्द्र क्षेत्र की और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 1080.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। दसवीं योजना (2002-07) और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों के अधीन चिह्नित कार्यक्रमवार परिव्यय के ब्यौरे, संलग्नक-5.11.1 पर उपलब्ध हैं, इसका सारांश अगली सारणी 5.11.2 में दिया गया है।

सारणी-5.11.2
दसवीं योजना 2002-07 और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान पिछड़े वर्गों के
कल्याण और विकास के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	दसवीं योजना 2002-07 परिव्यय	वार्षिक योजना 2002-03 बजट अनुमान
1.	अ0जा0 का कल्याण और विकास	5786.00	964.10
i)	केन्द्र क्षेत्र	402.60	61.60
ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	3070.00	523.50
iii)	विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2313.40	379.00
2.	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	450.00	76.50
i)	केन्द्र क्षेत्र	116.35	17.50
ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	333.65	59.00
3.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	290.00	39.40
i)	केन्द्र क्षेत्र	188.10	39.40
ii)	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	101.90	-
	जोड़ (1+2+3)	6526.00	1080.00

26. चूंकि वार्षिक योजना (2002-03), दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, इसलिए यह दसवीं योजना के दृष्टिकोण की वास्तविक शुरुआत है। नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई लाभ वंचित समूहों के सशक्तिकरण का, यद्यपि प्रत्याशित सीमा तक नहीं, लेकिन विकास प्रक्रिया में इसके शामिल होने का प्रभाव पड़ा है। अतः वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, इन कमजोर वर्गों के गहन तरीके से सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए जोर दिया जाएगा और कार्यनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि इन सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों के स्तर को समाज के शेष वर्गों के समतुल्य लाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। उनकी सामाजिक - आर्थिक स्थितियों में किसी प्रकार का सुधार और विकास तभी संभव हो सकेगा, जब एक ओर तो मौजूदा असमानताओं को दूर करने की बहुआयामी कार्यनीतियां लागू की जाएं और दूसरी ओर वर्तमान विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए, शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान चालू कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाएगा/इनका विस्तार किया जाएगा, तथा इसके साथ-साथ नये उपायों की पहल की जाएगी, ताकि उनके चहुंओर से होने वाले विकास में तेजी लाई जा सके। ऐसा आय, धन के विषम वितरण और उनके चारों ओर सामाजिक असमानता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। नीति में सामाजिक न्याय के साथ-साथ आय के समान वितरण और संवृद्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। तदनुसार, तैयार की गई कार्यनीति त्रिकोणीय है।

सामाजिक सशक्तिकरण : मूल न्यूनतम सेवाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करने के अलावा, विद्यमान असमानताओं, विसंगतियों और अन्य समस्याओं, सभी को दूर करके सामाजिक सशक्तिकरण करना।

चूंकि सामाजिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसे उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, उद्देश्य यह होगा कि उनके कल्याण और विकास के लिए वातावरण तैयार किया जाए।

- **आर्थिक सशक्तिकरण** : रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।
- **सामाजिक न्याय** : विधायी समर्थन, सकारात्मक कार्रवाई, जागरूकता सृजन/विवेकशीलता और लोगों की सोच में अपेक्षित परिवर्तन की शक्ति से उनके प्रति सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करने के माध्यम से सामाजिक न्याय प्रदान करना।

सामाजिक सशक्तिकरण

अनुसूचित जातियां

27. अनुसूचित जातियों और आम जनता के बीच मौजूदा अंतर को कम करने के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति हेतु छात्रवृत्तियों, छात्रावास-सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक सहायता के प्रावधानों के जरिए, पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों की दरों को कम करने और नामांकन तथा पढ़ाई जारी रखने की दरों में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए पात्र विद्यार्थियों को ट्यूशन और अन्य खर्चों के भुगतान हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना वर्ष में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 273 करोड़ रुपए का परिचय निर्दिष्ट किया गया है, जो विगत वर्ष के योजनागत व्यय की तुलना में 71 प्रतिशत अधिक है। असम्माननीय पेशों/कार्यों में संलग्न बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम के तहत, विगत वर्ष कवर किए गए 4.5 लाख लाभान्वितों की संख्या को 14.50 करोड़ रुपये की लागत से बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पुस्तक बैंकों की योजना के जरिए पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की जा रही है, जिसके लिए वर्ष 2002-03 में 2 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। मिडिल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के मध्य पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की उच्च दरों को रोकने के लिए समर्थन सेवा के रूप में, होस्टल भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को बराबरी के आधार पर तथा संघ शासित क्षेत्रों को 100 केन्द्रीय सहायता दी जाती है। छात्राओं और छात्रों के होस्टलों के निर्माण के लिए योजना में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जो अन्य शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता(मेरिट) का उन्नयन और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसके लिए वर्ष 2002-03 में क्रमशः 42 करोड़ और 0.50 करोड़ रुपये के परिचयों का आबंटन किया गया है।

28. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लाभ के लिए कुछ और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इनमें सम्बद्ध सेवाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की नौकरियों में प्रवेश के लिए कोचिंग केन्द्र (10 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान), न्यून-साक्षरता वाले क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम शामिल हैं; और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सामान्य शिक्षा के साथ-

साथ, अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देने को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वे उन व्यवसायों में अपनी तकनीकी और उत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करने में सक्षम हों, जिनका सीधा संबंध उनकी स्थानीय जरूरतों और बाजार-मांगों से हो। यह योजना, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के अतिरिक्त, अम्बेडकर फाउंडेशन के अधीन राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सेमिनारों, कार्यशालाओं और परिसंवादों के जरिए, सामाजिक शैक्षिक कार्यक्रमों को भी समर्थन प्रदान करती है, जिसके लिए वर्ष 2002-03 में 1 करोड़ रुपये के परियोजना का प्रावधान किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग

29. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, नवीन योजना में प्रारंभ की गई नई योजनाएं, अन्य प्रकार से शैक्षिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों तक पहुंच को सुधारने के लिए, ज्यादा बड़े कवरेज के साथ जारी रखी जाएंगी। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के बीच शैक्षिक विकास के संवर्द्धन के उद्देश्य से, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए, वार्षिक योजना 2002-03 हेतु 42.5 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। अन्य शैक्षिक कार्यक्रम यथा, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए होस्टल सुविधाओं को भी 16.50 करोड़ रुपये के परियोजना के साथ समर्थन दिया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 'परीक्षा-पूर्व कोचिंग केन्द्र' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एकमात्र योजना के लिए 1.65 करोड़ रुपये का परियोजना निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु कल्याणकारी गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए 3.85 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता निश्चित की गई है।

अल्पसंख्यक

30. अल्पसंख्यक, जिनकी आबादी काफी अधिक है और जो देश के विकास की प्रक्रिया में योगदान करते हैं, उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी, जो उनके शैक्षिक विकास और आर्थिक उत्थान पर लक्षित होगा। उन पारंपरिक कारीगरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने योगदान के माध्यम से कला और संस्कृति की अपनी संपदा को अक्षुण्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चूंकि अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों के विकास में खासी कमी, मुख्यतया उनके शैक्षिक पिछड़ापन के कारण है, अतः उनके मौजूदा पारंपरिक शैक्षिक संस्थाओं यथा मदरसों का आधुनिकीकरण कर और उनको मुख्यधारा में लाकर, नियमित शैक्षिक प्रणाली में प्रचलित पाठ्यक्रम को अपनाकर, विशेषतया उनकी औरतों और बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके, उनके सामाजिक विकास को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। शैक्षिक विकास की दो मुख्य योजनाएं हैं, जिनका लक्ष्य, अल्पसंख्यकों का सामाजिक सशक्तिकरण और अन्ततः आर्थिक सशक्तिकरण है। इनमें से एक में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को मेरिट-आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु 15.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। दूसरी स्कीम, जो आर्थिक मानदंड के आधार पर चलाई जाती है, कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों को समर्थन देती है। विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों के बीच शैक्षिक विकास के संवर्द्धन के लिए कार्य कर रहे 'मीलाना

आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ' को और सशक्त बनाये जाने के लिए खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए, उसकी समग्र-निधि में 100 करोड़ रुपये जमा कराने हेतु योजना में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण

अनुसूचित जाति

31. अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए उपयुक्त क्रियाकलापों की पहचान की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जो धारणीय आय प्रदान कर सकते हों। कृषि उत्पादन में उनकी पारंपरिक क्षमता और कौशलों की पहचान कर, सामुदायिक सिंचाई सुविधाओं के साथ भू-स्वामित्व के प्रावधानों सहित कौशल और तकनीकी प्रोन्नयन के जरिए उनकी उत्पादकता संबंधी क्षमताओं में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे। गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों में फिर से प्राण फूँके जाएंगे और आर्थिक विकास के सभी प्रयासों में हाशिए पर रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थितियों पर अधिक सशक्त प्रभाव डालने के लिए, इनका विस्तार किया जाएगा। विशेषतया अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही वित्तीय संस्थाओं जैसेकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और अनुसूचित जाति विकास निगम (एन0एस0एफ0डी0सी0 तथा एस0सी0डी0सी0) को आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक एजेंटों के रूप में कार्य करने के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके लिए, इन शीर्षस्थ निगमों के कार्यकरण की समीक्षा की जाएगी और विपणन तथा व्यवसाय प्रबंधन में व्यावसायिक विशेषज्ञता से इनमें सुधार लाया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि ये निगम, अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के अन्य सदस्यों के लिए परियोजनाएं प्रारंभ करने और उन्हें पूरा करने तथा सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों पर बोझ डाले बगैर, उनके उत्थान के लिए प्रभावकारी रूप से योगदान करने में सक्षम हो सकें।

32. केन्द्रीय क्षेत्र की दो स्कीमें हैं। इनमें से हरेक क्रमशः 15.10 करोड़ रुपये और 20.00 करोड़ रुपए के प्रावधानों के साथ, शीर्ष स्तर के दो संगठनों - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एन0एस0एफ0डी0सी0) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को निधियां प्रदान करती हैं। इनके अलावा भी, अन्य दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, इस समय चलाई जा रही हैं। इनमें से एक 10.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम है, जिसमें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण-केन्द्रों और निजी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों के जरिए कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें, जिससे विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठनों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में सुधार आए। अन्य दूसरी स्कीम नामतः अनुसूचित जाति विकास निगम के अधीन, उद्यमशीलता के माध्यम से स्व-रोजगार तथा आय सर्जन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान की जाती है और सीमांत राशि के लिए ऋण समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक विकास की स्कीमों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस स्कीम के अधीन

वार्षिक योजना, 2002-03 में अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए 25.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग

33. अन्य पिछड़े वर्ग, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहने के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तृत पटल पर भी निर्भर करते हैं। उन सम्बद्ध क्रियाकलापों, जिनमें अन्य पिछड़े वर्ग के लोग संलग्न हैं, को कौशल के उन्नयन, क्षमता का सृजन, प्रशिक्षण, बाजार से सम्बद्धता, ऋण समर्थन आदि के माध्यम से प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे। यह भी कि चूंकि अन्य पिछड़े वर्गों के बहुसंख्यक लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और भू-आधारित नवाचारी क्रियाकलापों को अपनाने के लिए उनको समर्थन दिया जाएगा ताकि उत्पादकता में सुधार आए और इस समुदाय में व्याप्त गरीबी को गहरा झटका लगे।

34. कुछ अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय, विशेषकर वे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पारंपरिक पेशा/कारीगरी, बुनाई पर निर्भर करते हैं और ये व्यवसाय, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के सबसे बुरे दौर में पतनोन्मुख हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आधुनिक और नई उभरती हुई प्रौद्योगिकी में समुचित शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय तथा अन्य सहायता से अनुपूरित सुविधाएं प्रदान कर, उनकी पेशेगत गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि वे नए उद्यम शुरू कर सकें।

35. ऊपर उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, कृषि और उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों यथा डेयरी, मत्स्यपालन, पशुपालन, पारंपरिक तथा कारीगरी संबंधी अन्य व्यवसाय, लघु और कुटीर उद्योग, परिवहन सेवाएं, लघु व्यवसाय और छोटे स्तर की दुकानदारी आदि के क्षेत्र में मजदूरी और स्वरोजगार-उद्यमों, दोनों के माध्यम से आय-सृजन संबंधी क्रियाकलापों के विस्तृत क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए, 1992 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को 2002-03 के दौरान, और सुदृढ़ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के लिए वर्ष 2002-03 में 12.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अल्पसंख्यक वर्ग

36. विशेषतया हथकरघा के क्षेत्र में, जहां इसकी बहुत आवश्यकता है, तकनीकी के प्रोन्नयन को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, ऋण सुविधाओं आदि के रूप में समुचित समर्थन देकर मूल्य-संवर्द्धन में वृद्धि की जा सके। वास्तव में, विस्तृत हो रहे विदेशी बाजार को दृष्टि में रखते हुए निर्यातोन्मुखी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और वित्तीय तथा अन्य तकनीकी समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम (एन0एम0एफ0डी0सी0) को प्रोत्साहित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की

प्राधिकृत शेरर पूजी को पहले ही 300.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उनके पारंपरिक कौशल के संरक्षण के लिए भी, उन्हें स्वसहायता समूहों/सहकारी समितियों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए ऋण तथा विपणन सुविधाओं के साथ-साथ वित्तीय सहायता दी जाएगी। वार्षिक योजना 2002-03 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के लिए 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक न्याय

37. सभी चारों सांविधिक आयोगों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग (1992), राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (1993), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1992) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (1994) को सुदृढ़ करने और फिर से सशक्त बनाने और इन समूहों के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करने और इस प्रकार उन्हें सामाजिक-न्याय सुनिश्चित कराने की दृष्टि से ज्यादा प्रभावकारी बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मानव द्वारा शौचालयों की हाथ से सफाई/मल मूत्र को उठाने के कार्य को जड़ से समाप्त करने, लाभ से वंचित समूहों के प्रति अत्याचारों के उन्मूलन से संबंधित कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

38. चूंकि आदमी द्वारा, आदमी के मल-मूत्र को हाथ से उठाये जाने का अमानवीय कार्य, अभी भी राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। अतः सभी मौजूदा शुष्क शौचालयों को "मिशन मोड एप्रोच" पर जल शौचालयों में तब्दील करने के लिए वैकल्पिक रणनीति तैयार करने हेतु दसवीं योजना में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस प्रकार, मानव द्वारा मानव के मल-मूत्र को हाथ से उठाने के कार्य को समयबद्ध आधार पर, सन 2007 तक, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए, दसवीं योजना की रणनीति के अनुरूप, वार्षिक योजना में राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने पर जोर डाला जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य, शुष्क शौचालयों को जल शौचालयों में तब्दील करने; मल-मूत्र की सफाई करने वालों की पहचान करने; उन्हें इस पेशे से बाहर लाकर, प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार के सहारे पुनर्वासित करने; पुनर्वासित व्यक्तियों की देखभाल करने और राज्य के कल्याण विभागों तथा स्थानीय निकायों के बीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित करने के साथ समयबद्ध कार्यक्रमों को शुरू करना है। इन राष्ट्रीय प्रयासों में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, अग्रणी भूमिका अदा करेगा। इस उद्देश्य हेतु, मल मूत्र की सफाई करने वालों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के लिए, वार्षिक योजना, 2002-03 में 80.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

39. इस समय चल रहे विशेष प्रयासों के अंतर्गत दो विशेष विधायनों अर्थात् सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार का निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना जारी रहेगा और इस प्रकार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों और अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक भेदभाव, शोषण, अस्पृश्यता और हिंसा के साथ ही साथ, इन वर्गों की औरतों और बालिकाओं के यौन शोषण की बढ़ती समस्याओं को खत्म किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों के साथ, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों और सफाई कर्मचारियों के अधिकारों तथा हितों की निरन्तर सतर्कता और प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से रक्षा करने

के लिए, चार राष्ट्रीय आयोग हैं। शिकायतों के मौके पर ही शीघ्रता से निपटान करने के लिए, प्रत्येक जिले में अच्छी कार्य प्रणाली वाले विशेष/चल न्यायालयों की पर्याप्त संख्या में स्थापना करने के भी उपाय किए जाएंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए, 32.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की विशेष कार्यनीतियां

40. इन दोनों स्कीमों अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एस0सी0पी0) और विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस0सी0ए0) के कार्यान्वयन पर पुनः जोर देने के लिए, विशेष प्रयास किया जाएगा। ये स्कीमें, विशेषतया सामाजिक न्याय के समर्थन में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थीं, ताकि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विविध स्रोतों के जरिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती रहे। चूंकि इन स्कीमों के कार्यान्वयन का स्वरूप नैमित्तिक हो जाने पर ध्यान देते हुए, योजना आयोग में 1999 में गठित एक केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति, इन दोनों के ज्यादा प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए, अनुवीक्षण करना जारी रखेगी। इस संबंध में राज्य सरकारें, जिन्होंने अब तक राज्य त्रिपक्षीय समितियां गठित नहीं की हैं, इन समितियों के गठन के लिए कार्रवाई शुरू करेंगी और विशेष घटक योजना (एस0सी0पी0) के अधीन निधियां निर्धारित करने और एस0सी0पी0 के अधीन मिलने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस0सी0ए0) के उपयोग के भी संबंध में विस्तृत समीक्षाएं प्रारंभ करेंगी।

41. जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जोकि नोडल मंत्रालय है, इन विशेष निधियों पर करीबी नजर रखेगा। तथापि, केन्द्र में सी0एस0एस0टी0सी0 तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों के द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती रहेगी, जिसका उद्देश्य, आर्थिक रूप से अलाभकारी स्थिति वाले इन समूहों के सशक्तिकरण में नोडल मंत्रालय के प्रयासों को अनुपूरित/सम्पूरित करने में इन साधनों/यंत्रों की प्रभावकारिता का आकलन करना है।

योजना परिव्यय और खर्च का स्कीमवार ब्यौरा - पिछड़ा वर्ग क्षेत्र
(अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग)

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	बीबी योजना (1997-02)		वार्षिक योजना		
		परिव्यय	वास्तविक	(2001-2002)	(2002-03)	
(1)	(2)	(3)	(4)	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
(5)	(6)	(7)				
क.	अनुसूचित जनजाति विकास					
	I. केन्द्र क्षेत्र की स्कीम					
1	भम्बेडकर फाउंडेशन	200.00	54.00	1.00	1.00	1.00
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम*	241.23	156.23	10.00	25.00	15.10
3	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	81.75	81.75	25.00	25.00	20.00
4	अनुसूचित जाति के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	2.85	1.61	0.50	0.30	0.50
5	अनुसूचित जाति के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	118.03	105.12	30.00	29.00	25.00
6	कम साक्षरता क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम	7.70	1.61	0.01	0.15	0.00
7	विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2092.95	2008.64	411.00	452.51	379.00
	कुल-क: * अनुसूचित जाति विकास (केन्द्र क्षेत्र की योजना)	2744.51	2408.96	477.51	532.96	440.60
	II. केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
8	अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	614.16	475.31	159.77	159.28	273.00
9	अस्वच्छ व्यवसाय में कार्य करने वालों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्ण छात्रवृत्ति	30.00	36.25	12.00	10.04	14.50
10	बालिका छात्रावास	45.00	53.13	20.00	19.35	22.00
11	लड़कों के छात्रावास	52.05	64.97	20.00	19.94	23.00
12	अ.जा. के लिए बुक बैंक स्कीम*	12.00	10.61	2.50	2.99	2.00
13	अ.ज.जा. विकास निगम*	180.00	173.63	23.00	21.00	25.00
14	सफाई करने वाले और उन पर आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम	335.00	236.02	75.00	9.20	80.00
15	अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए कोषिंग और सम्बद्ध स्कीम	16.71	11.09	10.00	2.00	10.00
16	अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों का मेरिट उन्नयन*	5.26	4.72	42.50	1.00	42.00
17	पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम का कार्यान्वयन*	121.81	113.17	30.00	30.06	32.00
	कुल - क : II अ.जा. विकास	1411.99	1160.88	394.77	274.86	523.50
	कुल - क: अ.जा. विकास (केन्द्र क्षेत्र की स्कीम+केन्द्र प्रायोजित स्कीम)	4156.50	3569.84	872.28	807.82	964.10

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन वार्षिक योजना 1999-2000 तक, इन स्कीमों के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परिव्यय तथा खर्च साझा था।

संलग्नक 5.11.1

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	तीसरी योजना (1997-02)		वार्षिक योजना		
		परिच्यय	वास्तविक	(2001-2002)		(2002-03)
(1)	(2)	(3)	(4)	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ख.	अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण					
	I. केन्द्र क्षेत्र की स्कीम					
1	अ.पि.व. के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	10.00	1.03	1.50	0.79	1.65
2	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	400.00	191.50	16.84	0.00	12.00
3	राज्य पिछड़ा वर्ग निगमों में इक्विटी प्रतिभागिता	10.00	0.00	0.01	0.00	0.00
4	पिछड़ा वर्ग ब्यूरो का सुदृढीकरण	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गैर सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान	10.00	7.07	3.50	3.80	3.85
6	अ.पि.व. के विद्यार्थियों के लिए मेरिट छात्रवृत्ति	-	-	-	-	0.01
	कुल - ख : I अ.पि.व. (केन्द्रीय क्षेत्र)	430.75	199.60	21.85	6.85	17.51
	II. केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
7	मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	49.90	40.57	42.50	39.36	42.49
8	अ.पि.व. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	49.90	29.15			
9	अ.पि.व. के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास	49.90	20.76	15.00	11.45	16.50
10	अ.पि.व. के लड़कों/लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय	40.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	खानाबदोश और अर्धखानाबदोश जनजातियों के लिए सचल विद्यालय, मकान आदि	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल- ख : II अ.पि.व. (केन्द्र क्षेत्र की योजना)	190.70	90.48	57.51	50.81	58.99
	कुल- ख : अ.पि.व. (केन्द्र क्षेत्र-केन्द्र क्षेत्र की स्कीम)	621.45	290.08	79.36	55.40	76.50
ग	अल्पसंख्यकों का कल्याण केन्द्र क्षेत्र की स्कीम					
1	आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	12.00	11.29	3.00	3.04	4.00
2	मीताना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के लिए सहायता अनुदान	70.00	52.75	22.00	3.00	*
3	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम	111.00	92.26	15.26	15.26	20.00
4	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना तैयार करना	14.10	0.53	0.10	0.00	0.00
5	अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति	-	-	-	-	15.40
	कुल - ग: अल्पसंख्यक (केन्द्र क्षेत्र)	207.10	156.83	40.36	21.30	39.40
	सकल जोड़ : (ख + ख + ग)	4985.05	4016.75	992.00	884.52	1080.00

* फाउंडेशन को 100.00 करोड़ रुपये की कुल समग्र निधि में से बची हुई राशि अदा कर दी जाएगी और वर्ष 2002-03 में स्कीम समाप्त कर दी जाएगी।

संलग्नक-5.11.2

योजना परिय्य और खर्च - पिछड़ा वर्ग कल्याण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य का नाम	नीर्बी योजना (1997-02) का सहमत परिय्य	नीर्बी योजना (1997-02) का संभावित खर्च	वास्तविक खर्च 1997-98	वास्तविक खर्च 1998-99	वास्तविक खर्च 1999-00	वास्तविक खर्च 2000-01	परिय्य 2001-02	संशोधित परिय्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	124059.0	95983.0	12271.0	27546.0	14049.0	12965.0	29151.9	29152.0
2	असम	17917.0	12689.0	2031.0	3767.0	2649.0	1713.0	2529.0	2529.0
3	बिहार	46800.0	9526.0	3294.0	2804.0	1161.0	690.0	1577.0	1577.0
4	छत्तीसगढ़							3226.1	3226.0
5	गोवा	450.0	268.0	38.0	29.0	63.0	75.0	63.0	63.0
6	गुजरात	108080.0	111775.0	14446.0	14446.0	28864.0	26921.0	30300.0	27098.0
7	हरियाणा	8026.0	3855.0	699.0	536.0	552.0	668.0	700.0	1400.0
8	हिमाचल प्रदेश	3134.0	2850.0	608.0	671.0	612.0	624.0	323.0	335.0
9	जम्मू और कश्मीर	2998.0	3225.0	688.0	1047.0	480.0	485.0	525.0	525.0
10	झारखंड ।								
11	कर्नाटक	80000.0	120617.0	19768.0	21997.0	26029.0	20818.0	23898.0	32005.0
12	केरल	64090.0	50977.0	11404.0	12695.0	5878.0	9000.0	11900.0	12000.0
13	मध्य प्रदेश	63556.0	54395.0	13668.0	15769.0	12245.0	5829.0	6313.0	6884.0
14	महाराष्ट्र	110127.0	106479.0	16170.0	21447.0	25564.0	22233.0	21064.9	21065.0
15	मणिपुर	4315.0	3396.0	314.0	852.0	1081.0	728.0	421.0	421.0
16	मेघालय	50.0	47.0	8.0	7.0	12.0	10.0	10.0	10.0
17	उड़ीसा	44475.0	48294.0	9143.0	12463.0	12837.0	10990.0	2956.9	2861.0
18	पजाब	47736.0	23045.0	7980.0	2328.0	1622.0	6445.0	4669.6	4670.0
19	राजस्थान	29205.0	20592.0	4431.0	5925.0	5835.0	4229.0	160.0	172.0
20	सिक्किम	1500.0	1146.0	132.0	307.0	89.0	173.0	470.0	445.0
21	तमिलनाडु	100000.0	85464.0	15960.0	17568.0	15845.0	17447.0	27098.0	18644.0
22	त्रिपुरा	9480.0	10651.0	2182.0	2513.0	1969.0	2220.0	1767.0	1767.0
23	उत्तर प्रदेश	75550.0	109565.0	23828.0	22016.0	22621.0	22920.0	24360.0	18180.0
24	उत्तरांचल						2927.0	987.0	987.0
25	पश्चिम बंगाल	17232.0	27928.0	3805.0	4641.0	5774.0	7580.0	7546.0	6128.0
क.	जोड़ (राज्य)	958780.0	902767.0	162868.0	191374.0	185831.0	177690.0	202016.4	192144.0
1	अं.नि द्वीपसमूह	210.0	281.5	24.9	37.1	73.5	76.0	70.0	70.0

क्र. सं.	राज्य का नाम	नीर्वा योजना (1997-02) का सहमत परियोजना	नीर्वा योजना (1997-02) का संभावित खर्च	वास्तविक खर्च 1997-98	वास्तविक खर्च 1998-99	वास्तविक खर्च 1999-00	वास्तविक खर्च 2000-01	परियोजना 2001-02	संशोधित परियोजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	घंडीगढ़	490.8	377.3	101.6	63.7	62.4	73.7	76.0	76.0
3	दा. और ना. हवेली	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	दमन और दीव	104.5	94.7	24.8	15.7	18.0	18.2	18.0	18.0
5	दिल्ली	6825.0	4237.6	446.2	213.8	511.4	666.2	2400.0	2400.0
6	पांडिचेरी	2500.0	3390.9	371.0	583.5	761.5	871.2	1000.7	803.7
ख.	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	10135.3	8383.1	969.6	913.8	1426.8	1705.2	3564.7	3367.7
	सकल जोड़(क+ख)	968915.3	917990.1	163537.6	192287.8	187257.8	179395.2	205581.1	195511.7

* अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

5.12 जनजातीय विकास

प्रस्तावना

अनुसूचित जनजाति के लोग, जो अलग-थलग रहते हैं, अपने सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, समाज के शेष भाग से पीछे हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 67.76 मिलियन है जो देश की कुल आबादी का 8.8 प्रतिशत है। इनमें से 1.32 मिलियन (1.95 प्रतिशत) आदिम जनजाति समूहों के हैं, जिनकी स्थिति शेष जनजातीय लोगों की स्थिति से भी खराब है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अभाव में 2001 तक, अनुसूचित जनजातियों की आबादी 88.8 मिलियन होने का अनुमान है (अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित), जो देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है।

नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजना (2001-02) की समीक्षा

2. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अंतिम वर्ष की वार्षिक योजना (2001-02) में सामाजिक न्याय के साथ अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जारी रही। तदनुसार, जनजातियों के बेहतर जीवन के अनुरूप वातावरण सृजित करने के लिए सभी प्रयास किए गए। इस हेतु नौवीं योजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में जनजातियों के विकास के लिए, 3174.13 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय (देखें सारणी-1) चिन्हित किया गया था। इसमें से 1040 करोड़ रुपये वार्षिक योजना (2001-02) के लिए रखे गये थे जिसमें केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 240 करोड़ रुपये, जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपये और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह राशि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में सुधार करने और वहां रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए थी। नौवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए 3091.32 करोड़ रुपये का योजना व्यय होने की संभावना है, जो 97.4 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है।

सारणी-5.12.1

नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजना (2001-02) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए परिव्यय तथा खर्च

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं०	स्कीम का नाम	नौवीं योजना (1997-02)		वार्षिक योजना (2001-2002)	
		परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	केन्द्र क्षेत्र की स्कीम	270.07	232.91	117.50	47.77
II.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	144.06	181.95	122.50	47.98
III.	जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2010.00	2009.61	500.00	500.00
IV.	अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान	750.00	666.85	300.00	225.56
	जोड़	3174.13	3091.32	1040.00	821.31

3. राज्य के क्षेत्र में, जैसाकि 'सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों का सशक्तिकरण' संबंधी अध्याय में पहले ही दर्शाया गया है, नौवीं योजना के लिए 9689.15 करोड़ रुपये का साझा परिव्यय, सामाजिक रूप से लाभ वंचित सभी चारों समूहों अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु आवंटित किया गया था। नौवीं योजना और वार्षिक योजनाओं के दौरान, केन्द्र में जनजातियों के लिए स्कीमवार परिव्यय तथा खर्च, 'सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों का सशक्तिकरण' संबंधी अध्याय के संलग्नक-1 में दिया गया है तथा राज्य क्षेत्र के परिव्यय तथा खर्च का ब्यौरा, संलग्नक-2 में दिया गया है।

जनजातीय उप-योजना और उसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का कार्यान्वयन

4. जनजाति उप-योजना, जनजातीय विकास को सीधे शामिल करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें यह प्रावधान है कि केन्द्र और राज्यों की निधियों की मात्रा, बजटीय तंत्र के आधार पर आबादी-अनुपात के अनुरूप रखी जानी चाहिए ताकि जवाबदेही, गैर-विपथन के साथ अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए इसका उपयोग होना सुनिश्चित किया जा सके। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जरूरतें पूरी करने के लिए, परिवार आधारित आय सृजन परियोजनाओं के अधीन महत्वपूर्ण अंतर को पाट कर राज्यों के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता से जनजातीय उप योजना का विस्तार किया जा रहा है। नौवीं योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता राशि बढ़ाकर 2010.00 करोड़ रुपये कर दी गई थी, जबकि आठवीं योजना में यह सहायता राशि 1250 करोड़ रुपये थी, जो 60.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इससे 67.50 लाख अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ हुआ था। वास्तविक उपलब्धियों के अनुसार नौवीं योजना के दौरान, 55.62 लाख परिवारों के लक्ष्य के प्रति 91.43 लाख परिवारों की सहायता की गई थी, जो 92.5 प्रतिशत सफलता को दर्शाता है।

5. केन्द्र स्तर पर जनजातीय उप योजना में वित्त प्रवाह 5.85 प्रतिशत रहा, इसमें 25 मंत्रालयों/विभागों ने अंशदान किया था। राज्य स्तर पर यह प्रवाह 7.52 प्रतिशत था, जबकि इसमें केवल 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अंशदान किया था। इससे केवल यह पता चलता है कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जनजातीय-उप-योजना के अधीन चिन्हित निधियां, दुर्भाग्यवश, प्रत्याशित स्तर की नहीं रही हैं।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान

6. प्रत्येक राज्य को एकमुश्त राशि रिलीज करने की पूर्व की प्रक्रिया के विपरीत वर्ष 2001-02 से राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए विशिष्ट विकास कार्यों/परियोजनाओं के प्रति, रिलीज दिए जा रहे हैं। नौवीं योजना के लिए चिन्हित 750 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति, वास्तविक खर्च 666.85 करोड़ रुपये था जो 88.9 प्रतिशत उपयोग दर्शाता है। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए, 300 करोड़ रुपये का परिव्यय था जो कुल नौवीं योजना के परिव्यय का 44 प्रतिशत है। राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित निधियों का समय से उपयोग करने में विफल रहने के कारण 225 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च 25 प्रतिशत गिर गया।

7. यद्यपि, जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999 में तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में से अलग किया गया), एक नोडल मंत्रालय के रूप में अनुसूचित जनजाति विशिष्ट नए कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। तथापि, अनुसूचित जनजाति कार्यक्षेत्र से संबंधित मंत्रालय/विभाग, जनजातीय उप-योजना के माध्यम से सामान्य विकास नीतियां और कार्यक्रम क्रियान्वित करते हैं, जिनके ब्यौरे निम्न पैराग्राफों में दिए गए हैं।

शिक्षा और साक्षरता

8. शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति(1986) की अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करने की विशेष प्रतिबद्धता, दूर-दराज और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में जनजातियों की पहुंच में सुधार करने के लिए शुरू किए गए निर्णयों और प्रोत्साहनों के पीछे प्रमुख शक्ति बनी रही। बहु-समर्थन सेवाओं की सहायता से प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के प्रयास जारी रहे। ऐसा एक शैक्षिक कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' है। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम है, जिसमें विद्यालय की गतिविधियों में विद्यार्थियों के माता-पिता/संरक्षक भाग लेते हैं। माता-पिता के इसमें शामिल होने से इस कार्यक्रम की प्रभावकारिता बढ़ती है, क्योंकि इससे लक्षित समूह तक लाभ पहुंचते हैं। समर्थन सेवा के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक समर्थन कार्यक्रम, मध्यांतर भोजन प्रदान करता है, ताकि विद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हो। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में स्थानों के आरक्षण, न्यूनतम अर्हक प्रतिशतता में ढील, सुधारात्मक कोचिंग और छात्रवृत्ति जैसे विशेष प्रावधान, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उभर रहे/आधुनिक व्यवसायों, जिनमें अधिक रोजगार उपलब्ध हैं, में अनुसूचित जनजातियों की दक्षता में सुधार करने के लिए, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार की रियायतें दी जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

9. जनजातीय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983) में विशिष्ट रूप से जनजातियों को लगने वाली विशेष क्षेत्रीय तथा अन्य बीमारियों का शीघ्र पता लगाने तथा उपचार करने के लिए तात्कालिक आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय लोग दूर-दराज क्षेत्रों, वनों, पहाड़ों और दुर्गम ग्रामों में बसे हुए हैं, उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने और बहु प्रयोजन कर्मचारी नियुक्त करने के संबंध में आबादी कवर करने के मानदंडों में ढील दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे ग्रामीण आबादी की अनिवार्य वार्षिक चिकित्सा-जांच करने की स्कीमें लागू करें। इन स्कीमों के अधीन वार्षिक रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार गांव के लिए संचल स्वास्थ्य जांच-दल तैनात किए जाते हैं और यदि आगे जांच और उपचार की आवश्यकता होती है तो जनजातीय रोगी, सरकारी और रैफरल अस्पतालों में मुफ्त सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होते हैं। अनुसूचित जनजातियों, विशेषरूप से अत्यंत पिछड़े दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाने हेतु केन्द्रीय योजना समिति द्वारा 13 राज्यों में 52 जिलों (आंध्र प्रदेश-6, बिहार-6, गुजरात-3, केरल-5, मध्य प्रदेश-4,

महाराष्ट्र-6, मणिपुर-4, उड़ीसा-8, राजस्थान-2, तमिलनाडु-2, त्रिपुरा-4, उत्तर प्रदेश-1 और पश्चिम बंगाल-1) की पहचान की गई थी। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया था कि वे जनजातीय क्षेत्रों में ढील दिए गए मानदंडों के अनुसार, पर्याप्त संख्या में उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करके गर्मी/वर्षा के मौसमों के दौरान केन्द्रीय योजना समिति द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में कुपोषण, महामारी आदि के कारण बच्चों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए विशेष उपाय करें। कर्मचारी तैनात करने की प्रक्रिया के अनुसार, चिकित्सकीय और अर्धचिकित्सकीय कार्मिकों की नियुक्ति करने; आवश्यकतानुसार आवश्यक दवाइयों/औषधियों का स्टॉक रखने के अलावा, चिकित्सीय और अर्धचिकित्सीय कार्मिकों द्वारा नियमित रूप से फील्ड के दौरे करने, जहां व्यवहार्य हो वहां संचल स्वास्थ्य यूनिटों का प्रावधान करने, डीडीटी का छिड़काव करने और कुओं में क्लोरीन डालने आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्य कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत की केन्द्र सहायता से आदिवासी क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव करने, मलेरिया रोधी औषधियों की आपूर्ति करने आदि के साथ-साथ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और फिलेरिया, जापानी एन्सैफलिटिस तथा काला-जार को नियंत्रित करने के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे। जनजातियों में अत्यधिक कुष्ठ रोग होने की समस्या को हल करने के लिए, 'राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम' क्रियान्वित किया गया था जिसमें जनजातीय आबादी के कुष्ठ रोग की जांच और उपचार के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाती थी। इसी की तर्ज पर राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया गया था जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में तपेदिक रोधी औषधियों, उपस्करों आदि की आपूर्ति करने के लिए, शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

10. आदिम आदिवासी समूहों (पी0टी0जी0) और खानाबदोश समूहों के लिए 5 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से नौवीं योजना के दौरान, 'दूरवर्ती तथा अलग-थलग क्षेत्रों में रहने वालों और खानाबदोश समुदाय के लोगों की चिकित्सीय देखभाल' नामक एक नई स्कीम भी शुरू की गई थी। इस स्कीम के अधीन - i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के आदिम आदिवासी समूहों के बीच हैपेटाइटिस-बी संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण; ii) उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के आदिवासियों में वंशागत अधिक रक्तस्राव की आम गड़बड़ी की रोकथाम; iii) उड़ीसा के कुछ आदिम आदिवासी समूहों में हैजा और परजीविता, विटामिन-ए की कमी की रूग्णता का रोकथाम कार्यक्रम; iv) भारत की आदिम आदिवासी आबादी में पौषणिक अल्परक्तता और रूधिरवर्णिका (हीमोग्लीबिन) की कमी के रोकथाम-कार्यक्रम के प्रति, परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

11. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो माता तथा शिशु के स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करता है, में भी दूर-दराज के क्षेत्रों, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मौजूद सेवाओं का कम उपयोग होता है, में रहने वालों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। वर्ष 2000-01 के दौरान, विशेष कैंप आयोजित करने की स्कीम शुरू की गई है। यह स्कीम स्वास्थ्य के हिसाब से कमजोर 8 राज्यों तथा उत्तर-पूर्व के 7 राज्यों के 102 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, और आने वाले वर्षों में इनमें कुछ और जिलों को शामिल किया जाएगा।

रोजगार और श्रम

12. अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित और काम की तलाश करने वालों की सहायता करने के लिए, सम्पूर्ण देश में फैले 22 कोचिंग-सह-निर्देशन केन्द्रों के माध्यम से 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग-सह-निर्देशन केन्द्र' की स्कीम क्रियान्वित की गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित रिक्तियों के प्रति अनुसूचित जनजातियों की भर्ती करने के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 'विशेष कोचिंग स्कीम' नामक एक अन्य स्कीम क्रियान्वित की गई थी, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं में भाग ले सकें।

ग्रामीण विकास

13. रोजगार सृजन कार्यक्रम में 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के एकीकृत कार्यक्रम' के लाभों का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया था और नौवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त रोजगारियों की कुल संख्या के 13.2 प्रतिशत अर्थात् 7.49 लाख स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के थे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो मजदूरी रोजगार प्रदान करती है, के अधीन योजना आवंटन का 22.5 प्रतिशत भाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया था। नौवीं योजना के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2,201.41 लाख श्रमदिन मुहैया कराए गए थे, जो इस स्कीम के अधीन सृजित कुल रोजगार का 15.9 प्रतिशत है। रोजगार आश्वासन स्कीम, जो अनुसूचित जनजातियों सहित सभी ग्रामीण गरीबों के लिए खुली है, के अधीन अनुसूचित जनजातियों को 3,082.94 लाख श्रमदिन प्रदान किए गए थे जो नौवीं योजना के दौरान इस स्कीम के अधीन सृजित कुल रोजगार का 20.8 प्रतिशत है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का विलय करके 1 अप्रैल, 2002 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बना दी गई थी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूरी- रोजगार सृजित करने, टिकाऊ ग्रामीण परिसम्पत्तियां और आधारिक संरचना(इन्फ्रास्ट्रक्चर) सृजित करने और ग्रामीण गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

14. अनुसूचित जनजातियों की मकान की जरूरत को पूरा करने के लिए 'इन्दिरा आवास योजना' के अधीन किए जाने वाले कुल आवंटन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों, दोनों के लिए चिन्हित किया गया था। नौवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.68 लाख घरों का निर्माण किया गया था जो इस स्कीम के अधीन बनाए गए कुल घरों का 20.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन 10 प्रतिशत निधियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए चिन्हित की गई थीं। नौवीं योजना के दौरान, इसमें अनुसूचित जनजातियों के लगभग 119 लाख (9 प्रतिशत) लोगों को लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण आबादी को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं और कुल निधियों का 20 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (और अनुसूचित जातियों) के परिवारों को राजसहायता प्रदान करने के लिए

धिन्हित किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों को 3.1 लाख (6.4 प्रतिशत) स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए थे।

15. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन नौवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के 23.7 लाख व्यक्ति कवर किए गए थे, जो कुल लाभार्थियों का 7.4 प्रतिशत है। नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अधीन अनुसूचित जनजाति के एक लाख परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ था जो 10.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अधीन अनुसूचित जनजाति की 4 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ था, जो नौवीं योजना के दौरान कुल लाभार्थियों का 7.4 प्रतिशत है।

शहरी विकास

16. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अधीन, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को विभिन्न लघु उद्यमिता के उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विस्तृत विवरण के लिए ' सामाजिक रूप से लाभ वंचित समूहों का सशक्तिकरण ' नामक अध्याय का अवलोकन करें।

महिला और बाल विकास

17. महिलाओं और बालकों (इन समूहों से संबंधितों के सहित) की देखभाल करने के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, ढील दिए गए मानदंडों के साथ अनुसूचित जनजाति विशिष्ट एकीकृत बाल विकास सेवा की परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय बालकों, नवयुवतियों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लाभ के लिए अत्यावश्यक पौषणिक और स्वास्थ्य आदान/सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए था। नौवीं योजना के अंत तक देश में प्रचालित की जाने वाली कुल 5652 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से 758 (13.4 प्रतिशत) जनजातीय परियोजनाएं हैं, जिनमें 6 सेवाओं का पैकेज अर्थात् स्वास्थ्य जांच; असंक्रमणीकरण; अनुपूरक पोषण; रैफरल सेवाएं; अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा, 4.77 मिलियन बच्चों तथा 0.96 मिलियन माताओं के लिए प्रदान किया जा रहा है। नौवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में लागू की गई लघु आंगनबाड़ियों की अवधारणा भी एक ऐसा अन्य उपाय है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं जनजातीय महिलाओं और बच्चों तक पहुंच रही हैं।

जनजातीय मामले

18. नोडल जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नौवीं योजना में बहु-समर्थन स्कीम क्रियान्वित करके अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास पर अधिक जोर दिया था। अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति' की स्कीम, छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के प्रावधान वाली प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनी रहीं। तथापि, इस स्कीम की प्रगति बहुत धीमी हो गई है। मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति के अधीन, नौवीं योजना के दौरान लगभग 5.31 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ था। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए

छात्रावास की स्कीम के लिए इन स्कीमों के अधीन राज्यों द्वारा अपना हिस्सा प्रदान करने में असमर्थ रहने के कारण, केन्द्रीय सहायता में गिरावट आ रही है। मंत्रालय द्वारा किए गए इस स्कीम के मूल्यांकन से यह पता चला था कि छात्रावासों की सेवाओं को बनाए रखने तथा प्रबंधन करने में राज्यों का कार्यनिष्पादन अपर्याप्त है। नौवीं योजना के दौरान, 10,649 लड़कियों को लाभ प्रदान करने वाले 289 अनुसूचित जनजाति-विद्यार्थी छात्रावास और 13,958 लड़कों के रहने के लिए 317 छात्रावास तथा 14,310 विद्यार्थियों के रहने के लिए 294 आश्रम विद्यालयों का निर्माण किया गया था। आश्रम विद्यालयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने से यह पता चला था कि कुछ विद्यालयों का रख-रखाव बहुत खराब है और वहां मूल सुविधाओं का भी अभाव है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य से कम साक्षरता वाले खंडों में शैक्षिक-परिसर की स्कीम शुरू की गई थी। इसके अलावा, परीक्षा पूर्व कोचिंग-केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नियोजन में वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नौवीं योजना के दौरान 235 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे।

19. आर्थिक विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, गरीबी रेखा से दोगुनी आय से कम आय वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण करने, सुविधाएं प्रदान करने और विभिन्न स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा। यह कार्य 47 राज्य सरणिकरण एजेंसियों के माध्यम से करता रहा, जिनमें से 19 केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए थीं। अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम का विभाजन किया गया था ताकि 500.00 करोड़ रुपये की अधिकृत अंशपूजी के साथ अप्रैल, 2001 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट रूप से एक अलग निगम की स्थापना की जा सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के सम्मिलित निगम के माध्यम से सरणिकरण एजेंसियों के रूप में कार्यरत राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निगम के साथ मिलकर 934 आय सृजन परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जो अनुसूचित जनजाति के 38,436 लोगों के लाभ के लिए थीं।

20. एक और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठन अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने जनजातियों द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पाद और उगाये गए अधिशेष(सरप्लस) कृषि पदार्थों के लिए आकर्षक मूल्य देना जारी रखा, ताकि बिचौलियों द्वारा शोषण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, राज्य जनजातीय विकास निगम के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया गया था ताकि वह अंशपूजी आधार को मजबूत कर सके जिससे लाभकारी मूल्यों पर जनजातियों से लघु वन उत्पाद की खरीदारी करने की मात्रा बढ़ाने, भांडागारों/गोदामों का निर्माण करने, प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और 16 निगमों की अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

21. आदिम समूहों के विकास की स्कीम नौवीं योजना (1998-99) में शुरू की गई थी, जो 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 13.6 लाख आबादी के 75 आदिम आदिवासी समूहों के विकास के लिए थी। इस स्कीम का लक्ष्य उन आदिम आदिवासी समूहों की कठिनाइयों को हल करना था

जो अभी भी अत्यंत खराब जीवन जी रहे हैं और जो भुखमरी, बीमारी और खराब स्वास्थ्य के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। स्थानीय जरूरतों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पेय जल, खाद्य और पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य कवरेज, शैक्षिक सुविधाओं आदि वाली एकीकृत कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। नौवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों की भुखमरी से मौतों के प्रति सुख्खा कवच प्रदान करने और बच्चों में पोषणिक मानकों में सुधार करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण करने हेतु आदिवासी ग्रामों में 1,234 अनाज बैंकों की स्थापना की गई थी। जनजातीय क्षेत्रों, विशेषरूप से दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू की गई 893 सामाजिक - आर्थिक विकास परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया गया था।

वार्षिक योजना 2002-03

योजना परियोजना

22. 2002-03 के लिए कुल बजटीय परियोजना, 1090.00 करोड़ रुपये है जिसमें जनजातीय उप-योजना (टी0एस0पी0) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 500.00 करोड़ रुपये (45.8 प्रतिशत), संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान के रूप में 300.00 करोड़ रुपये (27.5 प्रतिशत), केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 261.00 करोड़ रुपये (23.9 प्रतिशत) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए एकमुश्त प्रावधान के लिए 29.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, चालू स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'शून्य' आधारित बजटीयकरण संबंधी केन्द्र समिति ने फिलहाल चल रही स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया चलाई है। तदनुसार, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीमों की संख्या घटकर 14 रह गई है जबकि पहले ये संख्या 25 थी। योजना परियोजना का स्कीमवार वितरण (केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित) परिशिष्ट में दिया गया है, इसका सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

सारणी-5.12.2

दसवीं योजना(2002-2007) और वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए परियोजना

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	दसवीं योजना (2002-07) परियोजना	वार्षिक योजना (2002-03) परियोजना
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	केन्द्र क्षेत्र की स्कीम	924.64	158.90।
II.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	829.36	131.10।
III.	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2500.00	500.00
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान	1500.00	300.00
	जोड़	5754.00	1090.00

इसमें 29.00 करोड़ रुपये का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का प्रावधान भी शामिल है।

दृष्टिकोण

23. विभिन्न विकासात्मक दशकों के माध्यम से किए गए प्रयासों से जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। तथापि, यह प्रगति अभी भी जनजातियों को शेष समाज की मुख्य धारा में लाने के मामले में कम है, क्योंकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर बना हुआ है। चूंकि जनजातियों के लोग इन गंभीर परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, इसलिए नौकरशाही के थोड़े से कार्यक्रम, जनजातीय समुदायों के समक्ष मौजूद कंगाली, शोषण और बिखराव को रोकने में शायद ही कुछ कर सकें। इसके परिणामस्वरूप जनजातीय लोग, हल न किए गए अनेक मुद्दों और मौजूद समस्याओं को झेल और सहन कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित पैराग्राफों में कुछ हल न किए गए मुद्दों और मौजूद समस्याओं की गंभीरता को स्पष्ट किया गया है।

24. चूंकि हल न किए गए मुद्दों और मौजूद समस्याएं, जनजातीय विकास के लिए गंभीर चुनौती हैं, इसलिए दसवीं योजना और दसवीं योजना का पहला वर्ष होने के कारण, वार्षिक योजना (2002-03) का मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित के माध्यम से 'हल न किए गए मुद्दों को हल करना' और 'मौजूद समस्या को हल करना' होगा:-

- जनजातीय लोगों को भूमि छीने जाने और ऋणग्रस्तता से संबंधित समस्याओं तथा शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। संविधान की पांचवीं तथा छठी अनुसूची के अधीन किए गए प्रावधानों सहित मौजूदा कानूनी उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा, सभी संबंधित राज्य सरकारों को यह समझाने के प्रयास किए जाएंगे कि जनजातियों की भूमि के संबंध में अपने मौजूदा नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि - i) जनजातियों की भूमि गैर-जनजातियों को अंतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध; ii) जनजातियों को भूमि देने के बाद इसे गैर-जनजातीय व्यक्ति के कब्जे में पाए जाने पर कड़े दंड का प्रावधान; iii) गैर-अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए भूमि पृथक्करण कानून; iv) मुकदमों को शीघ्र निपटाने और भूमि का कब्जा बहाल करने के लिए प्रभावी तंत्र; v) पर्याप्त कानूनी जागरूकता और कानूनी सहायता के प्रावधान के साथ परंपरागत जनजातीय पंचायतों और परिषदों का सुदृढीकरण; vi) जहां कहीं भूमि अधिग्रहण करना अपरिहार्य हो, वहां उस परियोजना की समीक्षा करने के लिए जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ समितियों का गठन और इस प्रकार प्रभावित जनजातियों का समुचित रूप से पुनर्वास; और vii) भू-पृथक्करण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु जागरूकता सृजन तथा कानूनी सहायता।
- जनजातियों को कर्ज और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। सभी उपलब्ध कानूनी उपायों को लागू करने के अलावा, रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से जनजातियों के आर्थिक स्तर में सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे। जनजातियों की झूम खेती की आदत छुड़ाने के लिए लघु वन उत्पादों और अन्य उत्पादों के अधिकारिक एकत्रण और लाभकारी निपटान आश्वस्त करके उचित मूल्य प्रदान करने के अलावा, क्षेत्र आधारित रोजगार सृजन कार्यक्रमों के रूप में आर्थिक विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि जनजातियों की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है इसलिए जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल नीति प्रभावी रूप से लागू करके तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में सुधार करके जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

- विस्थापित जनजातियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करके 'राष्ट्रीय विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास नीति' की अंतिम घोषणा शीघ्र करना, जिसमें उचित क्षतिपूर्ति की जाए और उनके जीवन की स्थितियों में और गिरावट न लाई जाए।
- वन केन्द्रित गतिविधियों में जनजातीय प्रतिभागिता को बढ़ावा देना और जनजातीय लोगों को वन से निकाले बिना उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इस योजना में मूल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके वनग्रामों की विकास की पहल की जाएगी ताकि ये ग्राम विकासात्मक गतिविधियों का लाभ प्राप्त कर सकें।
- स्वैच्छिक संगठनों को प्रभावी रूप से शामिल करके चालू स्कीमों का और विस्तार करना। जिन जनजातीय समूहों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना, झूम खेती करना, कला और हस्तकला, मजदूरी श्रम और कृषि है, उनकी स्थिति बहुत खराब है और भारत सरकार से उदारता से निधियां मिलने के बावजूद वे लोप होने के कगार पर हैं। उनकी इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी बेहतरी हेतु योजना कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक ध्यान और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। खाद्य पोषण, सुरक्षित पेय जल, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूल जरूरतें पूरी करने के अलावा, प्रत्येक जनजाति और उसके पर्यावरण की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, स्कीमें तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 के लिए आदिम आदिवासी समूहों के विकास के लिए 20.00 करोड़ रुपये का परियोजना रखा गया है जबकि पिछले योजना वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 5.14 करोड़ रुपये था।
- मूल स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को सुदृढ़ करना।

25. चूंकि आज जनजातियों के भौतिक विलगीकरण और सामाजिक तथा आर्थिक कमजोरी के कारण, उनकी पहुंच जीवन की मूल जरूरतों अर्थात् भोजन और पोषण, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उत्पादक परिसम्पत्तियों तक नहीं हैं, इसलिए वंचित होने तथा परिणामस्वरूप पिछड़ेपन के खतरे के कष्ट जनजातीय महिलाओं और बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। तदनुसार, अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय आबादी पर विशेष ध्यान केन्द्रित चालू कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रभावी रूप से शामिल किया जाएगा, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- दसवीं योजना की कार्यनीति के अनुरूप वार्षिक योजना में विद्यालय में नामांकन में सुधार करने और विद्यालय छोड़ने की दर को रोकने के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रचालनात्मक कार्यक्रमों में मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, छात्रावास, रिहायशी विद्यालय और कोचिंग स्कीमों के प्रावधान शामिल हैं। उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ट्यूशन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए पात्र विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए 68.00 करोड़ रुपये का परियोजना चिन्हित किया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यपुस्तकें, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु पुस्तक बैंकों की स्कीम के माध्यम से दी जाती हैं। वार्षिक योजना (2002-03) में इस प्रयोजनार्थ 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की उच्च दर को रोकने के लिए तैयार की गई समर्थन सेवा के रूप में छात्रावासों का निर्माण करने के लिए राज्यों को समतुल्य आधार (50:50) पर तथा संघ राज्य

क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों का निर्माण करने के लिए वार्षिक योजना में क्रमशः 13.00 करोड़ रुपये और 11.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा, जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना करने के लिए योजना में 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम के अधीन अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निजी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें और अंततः विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठनों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाया जा सके। इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, कुछ और शैक्षिक कार्यक्रम प्रचालन में हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की योग्यता(मेरिट) के उन्नयन, अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण का प्रावधान है, ये दोनों केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में हैं और योजनावधि के लिए इनका परिव्यय क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 8 करोड़ रुपये है। केन्द्र क्षेत्र की स्कीमों में कम साक्षर खंडों में शैक्षिक परिसर स्थापित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और संगठित सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। इन उपर्युक्त तीन स्कीमों के लिए योजना में क्रमशः 8 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

- चूंकि स्वास्थ्य और जीवन, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसलिए जनजातीय क्षेत्रों, अर्थात् वनग्रामों और जनजातियों के क्षेत्रों में, विशेषरूप से उन आदिम आदिवासी समूहों के लिए जो अत्यधिक खतरे में हैं, विशेषरूप से केन्द्रित करके रोकथाम-सह-उपचारात्मक उपायों की विशेष कार्यनीतियां बनाई जाएंगी, ऐसा महामारी-रोगों के उपचार के लिए संगठित सेवाओं का विस्तार करने के अलावा किया जाएगा।
- जनजातियों, विशेष रूप से आदिम आदिवासी समूहों के जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भूख, भुखमरी और कुपोषण के कारण लोप होने के कगार पर हैं। इसलिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्यांतर भोजन और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों और विशेषरूप से आदिम आदिवासी समूहों के लिए परिवार खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विशेष पोषण कार्यक्रमों की पहुंच बनाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अन्य आय सृजन गतिविधियों को जोड़कर तथा ग्राम अनाज बैंक स्थापित करके अत्यंत कमजोर आदिम आदिवासी समूहों तथा ग्रामदनों में रहने वाली जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना वर्ष के लिए ग्राम अनाज बैंकों हेतु 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जो 2001-02 के लिए परिव्यय तथा खर्च के रूप में 10 गुणी वृद्धि दर्शाता है। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य, दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्र में खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के प्रति सुरक्षा प्रदान करना और प्राकृतिक आपदाओं - सूखा, चक्रवात आदि के दौरान खाद्यान्नों की उपलब्धता का प्रावधान करना है।
- दो शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय संगठन अर्थात् i) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त विकास निगम; और ii) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखेंगे। इन निगमों से, राज्य वित्त और विकास निगमों के सहयोग से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए माइक्रो-स्तर की एजेंसियों हेतु ऋण तथा बाजार सुविधाओं के 'अग्र और पश्च' दोनों सम्पर्क प्रदान करने के अलावा, उत्प्रेरक एजेंटों के

रूप में कार्य करने की आशा है। वर्ष 1987 में स्थापित 'ट्राइफेड' का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों और अधिशेष (सरप्लस) कृषि उत्पादों के लिए विपणन सहायता और लाभकारी मूल्य प्रदान करना तथा उन्हें शोषण करने वाले निजी व्यापारियों तथा बिचौलियों से बचाना है। केन्द्र सरकार, ट्राइफेड की अंशपूजी के लिए अंशदान के रूप में तथा मूल्य समर्थन प्रचालनों के लिए निधियां प्रदान करती है। ट्राइफेड की अधिकृत अंशपूजी 100 करोड़ रुपये हैं और प्रदत्त पूंजी 99.98 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए ट्राइफेड में निवेश हेतु तथा मूल्य समर्थन हेतु 6.01 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम हेतु सहायता अनुदान के रूप में 14 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। जब कभी काम के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, तब स्वरोजगार उपक्रमों और उपभोग ऋणों, दोनों के लिए माइक्रो ऋण को सम्बद्ध करके मजदूरी अथवा स्वरोजगार के माध्यम से विशेषरूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के लिए रोजगार और आय सृजन अवसर प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से विशेष प्रयास किए जाएंगे।

- जनजातियों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी औषधियों और औषध-पादपों के स्वदेशी ज्ञान की सुरक्षा करने के लिए योजना में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे संसाधनों और ज्ञान के लिए जनजातियों के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी और उन्हें उनके स्वामित्व अधिकार के लिए कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- इन लाभवंचित समूहों के प्रति सामाजिक भेदभाव और अत्याचार की मौजूद समस्या को रोकने/दूर करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दो महत्वपूर्ण कानूनी तंत्र हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में स्थल पर तीव्र द्रायल करने और तत्परता से मुकदमों का निपटान करने के लिए विशेष न्यायालय/सचल न्यायालय हेतु प्रावधान है। इन अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक मशीनरी, न्यायपालिका को सुदृढ़ करने और प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने हेतु प्रचार करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। वार्षिक योजना (2002-03) में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए 32 करोड़ रुपये प्रावधान किए गए हैं।

जनजातीय उप-योजना तथा उसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी विशेष कार्यनीतियों का कार्यान्वयन

26. अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की विशेष नीतियों के कार्यान्वयन पर उनके प्रारंभ से ही विशेष ध्यान दिया जाता रहा है, क्योंकि ये अन्य सामान्य विकास क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुपातिक निधियां सुनिश्चित करने के प्रभावी तंत्र हैं। जनजातीय उप-योजना की विशेष कार्यनीतियां, केन्द्र स्तर पर केवल 25 मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 मंत्रालय/विभाग और 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 2000-01 में 1440.40 करोड़ रुपये (कुल विभाजनीय परिव्यय का 4.2 प्रतिशत) और 2001-02 में जनजातीय उप-योजना के अधीन 4158.30 करोड़ रुपये (7.5 प्रतिशत) का प्रावधान करने की सूचना प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के प्रति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को और अनुसमर्थन देने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का विस्तार, उनकी जनजातीय उप-योजना के महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने के लिए किया जाता है, ऐसा विशेषरूप से विभिन्न आय सृजन और स्वरोजगार परियोजनाओं को चलाने के लिए अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्त पोषण/समर्थन देने के माध्यम से किया जाता है। वार्षिक योजना (2002-03) में कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, सहकारी समितियों, मत्स्य, ग्राम और लघु उद्योग आदि क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में किए गए प्रयासों को अनुसमर्थन देने के लिए, जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 500.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। यह परिव्यय, लगातार 2 वर्षों के लिए अपरिवर्तित रहा है।

27. जनजातीय उप-योजना के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर सुधार करने के प्रति और जनजातियों के कल्याण और विकास के प्रयोजनार्थ विशेष परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए राज्यों को संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अधीन विशिष्ट सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में परिस्थितियों में सुधार करने के प्रयासों में तेजी लाने और जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए विशेष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद-275(1) के अधीन सहायता अनुदान की राशि पिछले वर्ष 2001-02 की तरह ही वार्षिक योजना (2002-03) के लिए 300 करोड़ रुपये रखी गई है। यह उल्लेखनीय है कि इस विशेष केन्द्रीय सहायता से जनजातीय उप-योजना के लिए और संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अधीन सहायता अनुदान का चिन्हित संयुक्त परिव्यय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के कुल परिव्यय का 73.4 प्रतिशत है।

28. योजना में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग कार्मिक नीति की जरूरत की मान्यता प्रदान की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण/विकास कार्यों को देखने वाले सभी संबंधित अधिकारी, इस विषय पर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए अनिवार्य 'सक्रियकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लें और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करें।

29. जनजातीय समाज में महिलाओं के महत्व को देखते हुए, महिलाओं के संरक्षण और उनके सम्पत्ति अधिकार, जिम्मेदार निर्णय लेने की स्थितियों में सकारात्मक कार्रवाई, आर्थिक उत्थान और महिला संबंधी पहलों से होने वाले लाभ पर आबादी अनुपात के निदेशन के संबंध में, कानूनी प्रावधानों के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

स्वैच्छिक कार्रवाई

30. नौकरशाही के प्रयासों की स्पष्ट सीमा को देखते हुए आने वाले वर्षों में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में स्वैच्छिक संगठनों की प्रतिभागिता में वृद्धि दिखाई पड़ेगी, जो उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे और सामाजिक भेदभाव को रोकेंगे। स्वैच्छिक संगठन, जो आधार-भूत स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहे हैं, उन्हें न केवल इन सामाजिक रूप से

लाभ वंचित समूहों के लिए विभिन्न कल्याण और विकास सेवाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को अनुसमर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि इन समूहों के होने वाले सामाजिक और आर्थिक शोषण के प्रति लड़ने के लिए सरकार और लक्षित समूहों दोनों की सहायता करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपने स्थानीय आधार और अनौपचारिक दृष्टिकोण के साथ, ये संगठन माइक्रो स्तर पर कार्य करने और योजना कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी तथा दक्ष रूप से क्रियान्वित करके हल न किए गए मुद्दों को हल करने की बेहतर स्थिति में हैं। तदनुसार, वार्षिक योजना (2002-03) में अनुसूचित जनजातियों, विशेषरूप से आदिम आदिवासी समूहों के लिए विभिन्न कल्याण और विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए, सहायता अनुदान के रूप में गैर-सरकारी संगठनों हेतु 30 करोड़ रुपये की राशि प्रावधान की गई है। यह परिष्वय, पिछले वर्ष जितना ही है, लेकिन यह बात, इन पर अपर्याप्त जोर होने का संकेत नहीं है क्योंकि अनुमोदित परिष्वय, सम्पूर्ण नौवीं योजना के परिष्वय (92 करोड़ रुपये) का लगभग एक तिहाई है। प्रायोजित गतिविधियों में व्यापक सेवाएं अर्थात् आवासीय और आश्रम विद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा यूनिटें, कंप्यूटर प्रशिक्षण यूनिटें, आशुलिपि और टंकण प्रशिक्षण यूनिटें, बालवाड़ियां/क्रेच, पुस्तकालय और श्रव्य-दृश्य यूनिटें आदि शामिल की जाएंगी। यह अनुदान, सामान्यतः परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित रखा जाता है और शेष 10 प्रतिशत अनुदान ग्राही संगठन द्वारा वहन किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय
वार्षिक योजना(2002-03) का स्कीमवार खौरा - जनजातीय कार्य मंत्रालय का परिचय/खर्च

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			क्र. सं.	वार्षिक योजना(2002-03)	
		2000-01	2001-02			(शून्य आधारित बजट के अंतिम निष्कर्ष)	परिचय
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. केन्द्र क्षेत्र की स्कीम							
1	अ.ज.जा. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	21.88	30.00	23.80	1	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ०ज०जा० विद्यार्थियों की कोचिंग हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	32.00
2	अनुकरणीय कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन	0.00	0.00	0.00			
3	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2.54	12.00	2.33	2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	12.00
4	कम साक्षरता वाले खंडों में शैक्षणिक परिसर	1.47	7.50	2.50	3	कम साक्षरता वाले खंडों में शैक्षणिक परिसर	8.00
5	ट्राईफेड में निवेश	0.00	1.00	0.00			
6	ट्राईफेड के लिए मूल्य समर्थन	4.00	4.00	0.00	4	ट्राईफेड में निवेश और मूल्य समर्थन	
7	एम०एफ०पी० के लिए एस०टी०डी०सी० को सहायता अनुदान	8.42	14.00	11.71			
8	ग्रामीण अनाज बैंक	3.15	2.00	2.00	6	ग्रामीण अनाज बैंक	20.00
9	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	10.71	16.00	5.14	7	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	20.00
10	राष्ट्रीय अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगम	0.00	30.00	0.19	8	राष्ट्रीय अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगम	32.00
13	सूचना और जन शिक्षा	0.00					
14	जनजातीय उत्सवों का आयोजन	0.00	1.00	0.10		-	-
15	जनजातियों द्वारा दीरों का आदान-प्रदान	0.00					
16	संरक्षित क्षेत्रों के जनजातीय ग्रामों का पुनर्वास	0.00	0.00	0.00		-	-
	जोड़-1	52.17	117.50	47.77			144.01
II. केन्द्र प्रायोजित स्कीम							
17	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	63.10	71.60	27.70	9	मेट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति की स्कीम, बुक बैंक और अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की मेरिट का उन्नयन	68.49
18	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक की स्कीम	0.00	0.90	0.37			

संलग्नक-5.12.1 (जारी)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			क्र. सं.	वार्षिक योजना(2002-03)	
		2000-01		2001-02		(शून्य आधारित बजट के अंतिम निष्कर्ष)	परिष्कार
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की मेरिट का उन्नयन	0.00	0.40	0.25			
20	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम	0.00	1.40	0.22			
21	अ.ज.जा. की बालिकाओं के लिए छात्रावास	2.34	13.00	6.70	10	अ.ज.जा. की बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना	24.00
22	अ.ज.जा. के लड़कों के लिए छात्रावास	2.51	10.80	7.45			
23	जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	0.00	14.00	4.40	11	जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	
24	अ.ज.जा. के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	1.25	7.80	0.70	12	अ.ज.जा. के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा अन्य	10.50
25	राज्य अ.ज.जा. और वित्त विकास निगम के लिए सहायता अनुदान	2.41	2.60	0.19	--	--	-
	--	--	--	--		उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के लिए एकमुश्त प्रावधान	29.00
	जोड़ - II	71.61	122.50	47.98			145.99
	जोड़ - III	123.78	240.00	95.53			290.00
III.	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	400.00	500.00	500.00		जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	500.00
IV.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान	191.29	300.00	225.56		संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान	300.00
	सकल जोड़ (I+II+III+IV)	715.07	1040.00	821.31			1090.00

संलग्नक 5.12.2

योजना परिव्यय और खर्च - पिछड़े वर्गों का कल्याण (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यक)-
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

लाख रुपये में

क्र. सं.	राज्य का नाम	नीबी योजना (1997-02) का सहायत परिव्यय	नीबी योजना (1997-02) का संभावित खर्च	वास्तविक खर्च 1997-98	वास्तविक खर्च 1998-99	वास्तविक खर्च 1999-00	वास्तविक खर्च 2000-01	परिव्यय 2001-02	संशोधित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	124059.0	95983.0	12271.0	27546.0	14049.0	12965.0	29151.9	29152.0
2	असम	17917.0	12689.0	2031.0	3767.0	2649.0	1713.0	2529.0	2529.0
3	बिहार	46800.0	9526.0	3294.0	2804.0	1161.0	690.0	1577.0	1577.0
4	छत्तीसगढ़							3226.1	3226.0
5	गोवा	450.0	268.0	38.0	29.0	63.0	75.0	63.0	63.0
6	गुजरात	108080.0	111775.0	14446.0	14446.0	28864.0	26921.0	30300.0	27098.0
7	हरियाणा	8026.0	3855.0	699.0	536.0	552.0	668.0	700.0	1400.0
8	हिमाचल प्रदेश	3134.0	2850.0	608.0	671.0	612.0	624.0	323.0	335.0
9	जम्मू और कश्मीर	2998.0	3225.0	688.0	1047.0	480.0	485.0	525.0	525.0
10	झारखंड *								
11	कर्नाटक	80000.0	120617.0	19768.0	21997.0	26029.0	20818.0	23898.0	32005.0
12	केरल	64090.0	50977.0	11404.0	12695.0	5878.0	9000.0	11900.0	12000.0
13	मध्य प्रदेश	63556.0	54395.0	13668.0	15769.0	12245.0	5829.0	6313.0	6884.0
14	महाराष्ट्र	110127.0	106479.0	16170.0	21447.0	25564.0	22233.0	21064.9	21065.0
15	मणिपुर	4315.0	3396.0	314.0	852.0	1081.0	728.0	421.0	421.0
16	मेघालय	50.0	47.0	8.0	7.0	12.0	10.0	10.0	10.0
17	उड़ीसा	44475.0	48294.0	9143.0	12463.0	12837.0	10990.0	2956.9	2861.0
18	पंजाब	47736.0	23045.0	7980.0	2328.0	1622.0	6445.0	4669.6	4670.0
19	राजस्थान	29205.0	20592.0	4431.0	5925.0	5835.0	4229.0	160.0	172.0
20	सिक्किम	1500.0	1146.0	132.0	307.0	89.0	173.0	470.0	445.0
21	तमिलनाडु	100000.0	85464.0	15960.0	17568.0	15845.0	17447.0	27098.0	18644.0
22	त्रिपुरा	9480.0	10651.0	2182.0	2513.0	1969.0	2220.0	1767.0	1767.0
23	उत्तर प्रदेश	75550.0	109565.0	23828.0	22016.0	22621.0	22920.0	24360.0	18180.0
24	उत्तरांचल						2927.0	987.0	987.0
25	प० बंगाल	17232.0	27928.0	3805.0	4641.0	5774.0	7580.0	7546.0	6128.0
क.	जोड़ (राज्य)	958780.0	902767.0	162868.0	191374.0	185831.0	177690.0	202016.4	192144.0
1	अ० नि० द्वीपसमूह	210.0	281.5	24.9	37.1	73.5	76.0	70.0	70.0
2	छत्तीसगढ़	490.8	377.3	101.6	63.7	62.4	73.7	76.0	76.0
3	दा० और ना० हवेली	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

संलग्नक 5.12.2 (जारी)

लाख रुपये में

क्र. सं.	राज्य का नाम	तीर्थ योजना (1997-02) का सहमत परिचय	तीर्थ योजना (1997-02) का संभावित खर्च	वास्तविक खर्च 1997-98	वास्तविक खर्च 1998-99	वास्तविक खर्च 1999-00	वास्तविक खर्च 2000-01	परिचय 2001-02	संगठित परिचय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	दमन और दीव	104.5	94.7	24.8	15.7	18.0	18.2	18.0	18.0
5	दिल्ली	6825.0	4237.6	446.2	213.8	511.4	666.2	2400.0	2400.0
6	पांडिचेरी	2500.0	3390.9	371.0	583.5	761.5	871.2	1000.7	803.7
ख.	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	10135.3	8383.1	969.6	913.8	1426.8	1795.2	3664.7	3367.7
	सकल जोड़ (क + ख)		917990.1	163537.6	192287.8	187257.8	179395.2	205581.1	195511.7

*अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

5.13 समाज कल्याण

प्रस्तावना

यह पूर्ण मान्यताप्राप्त तथ्य है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ-साथ पिछले कुछ दशकों में देश में हुए तीव्र गति से आर्थिक और औद्योगिक विकास से समाज के अधिक सीमान्त, कमजोर और लाभवंचित वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण लेकिन अहितकर प्रभाव पड़ा है। इससे गरीबी, अभावग्रस्तता, स्लम और पटरी पर रहने जैसी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं जिनसे नागरिक सुविधाओं पर बोझ पड़ रहा है। मजबूत सामाजिक और पारिवारिक संबंधों, जिनसे अब तक इन समूहों को बुनियादी समर्थन मिलता था, में बिखराव आ जाने से भी ये वर्ग असहाय हो गए हैं और इन पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सभी घटकों के कारण, ये समूह या तो सामाजिक रूप से असामान्य, कुव्यवस्थित होने अथवा अभावग्रस्त रहने, भीख मांगने आदि के लिए बाध्य हो गए हैं। किसी अन्य समर्थन तंत्र के अभाव में, सरकार को इन समूहों के कल्याण, देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी।

2. समाज कल्याण समूह में अपंग व्यक्ति अर्थात् पंगु, दृष्टिहीन, बहरे, गूंगे और मानसिक अपंग; कानून तोड़ने वाले सामाजिक रूप से पथभ्रष्ट व्यक्ति अर्थात् पथभ्रष्ट/आवारा किशोर, ड्रग के आदी, शराबी, वेश्याएं, भिखारी आदि; और अन्य लाभवंचित समूह अर्थात् वृद्ध व्यक्ति, आवारा, अनाथ/परित्यक्त और असहाय बच्चे आदि शामिल हैं। अपंगों और वृद्धों, जो जनगणना के दौरान हिसाब में आ जाते हैं, को छोड़कर, आकस्मिक और माइक्रो अध्ययन के सिवाए, अन्य समूहों की गणना के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं। 2001 की जनगणना के अभाव में, अपंगों(मानसिक अपंगों को छोड़कर) की संख्या 20.54 मिलियन अथवा देश की कुल आबादी का लगभग 2.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। वृद्ध व्यक्ति साठ वर्ष से ऊपर (60+) की आयु के 70.6 मिलियन (2001 की जनगणना) अथवा देश की आबादी का 6.9 प्रतिशत हैं।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा

3. केन्द्र क्षेत्र के अधीन वार्षिक योजना (2001-2002) में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 343.80 करोड़ रुपये का परिव्यय (नोडल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में) प्रदान किया गया था, जिसमें अपंगों के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 263.80 करोड़ रुपये और सामाजिक रक्षा तथा अन्य लाभ वंचितों के लिए 80.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, इन समूहों के कल्याण और विकास के लिए राज्य क्षेत्र में 1297.47 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

4 नौवीं योजना की प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट त्रिस्तरीय कार्यनीति अर्थात् i) अपंग व्यक्तियों का सशक्तिकरण, ii) सामाजिक रूप से पथभ्रष्ट व्यक्तियों का सुधार और iii) अन्य लाभ वंचितों की देखभाल से संबंधित प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ नोडल सामाजिक

न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बहु-सहयोगी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वयकारी प्रयासों के माध्यम से वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान जारी रखी गई थी। इसमें, इन समूहों के लिए नए अधिनियमित/अपनाए गए महत्वपूर्ण विधानों और नीतियों, मुख्यतः अपंग व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 (पी डब्ल्यू डी एक्ट, 1995), किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999 द्वारा उनका कुशलता पूर्वक मार्गदर्शन किया गया था और उन्हें समर्थन प्रदान किया गया था। यद्यपि सामान्य विकास क्षेत्र ने स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, गरीबी उपशमन, रोजगार आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर इन समूहों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। तथापि, नोडल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इन सभी तीनों लक्षित समूहों के लिए अपने विशिष्ट नए कार्यक्रमों से इन क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरण और अनुसमर्थन जारी रखा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वार्षिक योजना 2001-02 में हासिल की गई प्रगति का सारांश निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

अपंग व्यक्तियों का कल्याण और विकास

5. पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 से प्राप्त समर्थन और शक्ति के साथ अधिकाधिक अपंग व्यक्तियों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और समाज के उत्पादक सदस्य बनाने का नौवीं योजना का मुख्य जोर वार्षिक योजना 2001-02 में भी जारी रहा। इस अधिनियम में अपंग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर, सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों सहित रोगहर, पुनर्वास और विकास उपायों के लिए अपंगता की रोकथाम तथा अग्रिम अवस्था में इसका पता लगाने के लिए अपंगों की बहुआयामी समस्याओं और जरूरतों को प्रभावी रूप से हल करने तक के लिए व्यापक प्रावधान मौजूद हैं। मौजूद प्रावधानों को सुदृढ़ करने और सकारात्मक कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा, निर्बाध वातावरण बनाने तथा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जिम्मेदारी सौंपकर और इस सबसे बढ़कर बहु-सहयोगी दृष्टिकोण की वकालत करने जैसी कुछ अनूठी विशेषताएं लागू करने के लिए इस अधिनियम में और संशोधन किए जा रहे हैं।

6. अपंगों के लिए सेवाओं का एक समग्र-पैकेज प्रदान करने हेतु विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के दो शीर्ष स्तरीय संस्थानों के साथ, शीर्ष स्तर के 7 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (देहरादून), राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (कोलकाता); राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (मुम्बई), राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (सिकन्दराबाद); और राष्ट्रीय बहु-विकलांगता संस्थान (चैन्नई में शीघ्र स्थापित हो रहा है) ने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में कार्य करना जारी रखा। उन्होंने व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने, अनुसंधान और सामुदायिक जागरूकता-गतिविधियां चलाने, फिटमेंट और पुनर्वास कैम्प आयोजित करने के लिए विशेषज्ञता पाठ्यक्रम चलाए। अपनी सेवाओं के माध्यम से, इन संस्थानों ने अपंगता की रोकथाम करने और इसका शीघ्र पता लगाने के लिए भी बाह्य कार्यक्रम चलाए। इन संस्थानों ने वर्ष 2001-02 के दौरान संचयी रूप से 319 हजार यूनिट पुनर्वास सेवाएं प्रदान की हैं। नौवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय संस्थानों के लिए 103.83 करोड़

रूपये का परिव्यय प्रदान किया गया था, जिसमें से 59.08 करोड़ रूपये खर्च किए गए। वार्षिक योजना 2001-02 में 17.70 करोड़ रूपये के परिव्यय के प्रति, 15.44 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे। राष्ट्रीय संस्थानों के प्रयासों को प्रभावी रूप से अनुसमर्थन प्रदान करने और क्षेत्रीय स्तर पर उनकी भुजा के रूप में काम करने के लिए 2000-01 में पांच संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (श्रीनगर, लखनऊ, सुंदरनगर, भोपाल और गुवाहाटी में) कार्यशील किए गए थे। इसके अलावा, मेरूदण्डीय अपकृति के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (जबलपुर, मोहाली, बरेली और कटक में) ने भी उनके भवनों का निर्माण लम्बित होने के कारण अस्थायी भवनों में तकनीकी समर्थन और रेफरल सेवाएं देना शुरू कर दिया है। अब तक संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की सेवाओं का 22,000 व्यक्तियों ने लाभ उठाया है, जबकि क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों से 5000 से अधिक व्यक्तियों ने लाभ उठाया है/को कवर किया गया है। भारतीय मेरूदण्डीय अपकृति केन्द्र, नई दिल्ली ने मेरूरज्जु की अपकृति वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान की, जिनमें सर्जिकल परामर्श, शारीरिक मनो-सामाजिक(साइको-सोशल) और व्यावसायिक पुनर्वास शामिल है। भारतीय मेरूदण्डीय अपकृति केन्द्र में 2001-02 में 18607 मरीज (दिसम्बर, 2001 तक) भर्ती रहे। इस केन्द्र ने 2001-02 के दौरान लगभग 1967 व्यक्तियों का वाह्य रोगी के रूप में मुफ्त उपचार भी किया। नौवीं योजना के दौरान, 23.28 करोड़ रूपये का परिव्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि 15.06 करोड़ रूपये खर्च हुए थे। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान 2.25 करोड़ रूपये के परिव्यय के प्रति, 2.07 करोड़ रूपये खर्च हुए थे।

7. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली, अपंगता के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण, नीतियां और कार्यक्रमों को नियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह सभी व्यावसायिकों/कार्मिकों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर भी रखती है तथा पुनर्वास और विशेषज्ञता शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। मार्च, 2002 के अंत तक, परिषद ने 16 श्रेणी के पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए जनशक्ति कार्यक्रम पूरे करने हेतु 80 अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए थे और विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम चलाने के लिए 144 संस्थाओं को मान्यता प्रदान की थी। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा चलाए गए अन्य कार्यक्रमों में अपंगता प्रबंधन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का राष्ट्रीय अभिविन्यास(ओरिएंटेशन) कार्यक्रम शामिल है। इसने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विशेष शिक्षा बी.एड. पाठ्यक्रम भी चलाया था। इस स्कीम के लिए नौवीं योजना के दौरान 26.41 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रदान किया गया था जबकि 12.01 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे। वार्षिक 2001-02 में 2.40 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे, जबकि परिव्यय 3.00 करोड़ रूपये था।

8. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम ने नौवीं योजना में 21 लाख से अधिक सहायक साधन और उपयंत्र तैयार किए, जिसमें से लगभग 9 लाख का विनिर्माण वर्ष 2001-02 के दौरान किया गया था। इसने इस वर्ष लगभग 50000 लाभार्थियों को सहायक साधन और उपयंत्र वितरित किए। निगम ने 2001-02 के दौरान बहुत अच्छा कार्य निष्पादन किया। इसने अपना उत्पादन और क्षमता उपयोग 1997-98 के 41% से बढ़ाकर 2001-02 में 130% पहुंचा दिया। इसने 1999-2000 के 23.55 करोड़ रूपये के कारोबार की तुलना में 2001-02 के दौरान 35 करोड़ रूपये (अनुमानित)

का कारोबार किया। वार्षिक योजना 2001-02 में विशेष उपलब्धियों में : पंगुओं के लिए व्हील चेयर और ट्राइव्हीलर का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर, जबलपुर, राजपुरा (पंजाब) और बंगलौर में आनुषांगिक उत्पादन केन्द्र खोलना, जिन्होंने जुलाई, 2001 से कार्य करना शुरू कर दिया; एक आधुनिक कृत्रिम अंग तथा ओरटोटिक केन्द्र तथा आधुनिक धातु असेम्बली दुकान की स्थापना करना; पोलीप्रोपलिन आधारित शरीर के निचले हिस्से के कृत्रिम अंग, इलैक्ट्रिक हैण्ड वार्किंग स्टिक और हस्त चालित ट्राइसाइकिल/व्हीलचेयर का विकास करना शामिल है। नौवीं योजना में निगम द्वारा 17.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि इसे 28.20 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया था। वार्षिक योजना में 6.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति 5.40 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 'सहायक साधन और उपयंत्रों की खरीदारी/फिटिंग के लिए अपंग व्यक्तियों हेतु सहायता' की स्कीम के अधीन एजेंसियों (यथा गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थाएं, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम आदि) को टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक साधन तथा उपकरण खरीदने के लिए अपंग व्यक्तियों की सहायता करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। नौवीं योजना में इस स्कीम के लिए 109.78 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे जबकि 133.80 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वर्ष 2001-02 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 43.33 करोड़ रुपये के खर्च से 140 कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता की गई थी जबकि 47.28 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया था।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम ने शहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले अपंगों के लिए आय सृजन गतिविधियों हेतु रियायती ऋण प्रदान किए थे। निगम ने अपनी माइक्रो वित्त पोषण स्कीम के अधीन व्यक्तिगत लाभार्थियों और स्वयं-सेवी संगठनों की सहायता की थी। वर्ष 2001-02 के दौरान, निगम ने 9.15 करोड़ रुपये रिलीज किए, जिसमें 2047 लाभार्थियों को कवर किया गया। इसमें 8.11 करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए हैं जिससे 1793 अपंग व्यक्तियों को लाभ हुआ है। आज की तारीख तक नौवीं योजना के दौरान 9,755 अपंग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम ने इन समूहों के लिए आय सृजन गतिविधियां स्थापित करने हेतु मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता की एसोसिएशनों को भी ऋण दिया था। नौवीं योजना में इस निगम के लिए 226.40 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया था जबकि 51.30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान 13.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया। तथापि, इस परिव्यय में से कोई खर्च नहीं किया गया था क्योंकि निगम ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग किया था।

10. जिन तक पहुंचा नहीं जा सका अर्थात् ग्रामीण अपंगों तक पहुंचने के उद्देश्य से अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ने मार्च, 2002 के अंत तक पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक अत्यावश्यक पुनर्वास ढांचे का निर्माण करने के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण के प्रति 82 जिलों को वित्तीय सहायता दी थी। यह कार्यक्रम अब राज्य क्षेत्र में अंतरित कर दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान इस स्कीम पर 104.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि 94.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया था। वार्षिक योजना 2001-02 में 43.61 करोड़ रुपये प्रदान/खर्च किए गए थे।

11. अपंगों को लाभकारी रोजगार हासिल करने में सहायता करने हेतु विशेष रोजगार कार्यालय अथवा नियमित रोजगार कार्यालयों में विशेष सैल की केन्द्र प्रायोजित स्कीम ने अपंगों को नौकरी दिलाने के अपने प्रयास जारी रखे। फिलहाल देश में 41 विशेष सैल और 40 विशेष रोजगार कार्यालय हैं। वर्ष 2001-02 में नौकरी तलाश करने वाले अपंगों, जिनके नाम देश के सभी रोजगार कार्यालयों और सैलों में चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत थे, की संख्या 98,200 थी और 1800 को नौकरी (जनवरी से जून, 2000) दिलाई गई थी। इस स्कीम में नौवीं योजना में 3.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि परिव्यय 5.00 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2001-02 में 1.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि परिव्यय 1.60 करोड़ रुपये था। अब इस योजना को राज्य क्षेत्र को अंतरित करने का फैसला किया गया है।

12. स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने तथा सेवाओं का क्षेत्र और सुपुर्दगी का विस्तार करने की दृष्टि से अपंग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की 4 चालू स्कीमों; कुष्ठ रोग निवारित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों; और अपंग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाने की योजना को विलय करके 1998 में एक सुरक्षा स्कीम 'अपंग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा दें' बना दी गई थी; जिसमें कानूनी सहायता, मनोरंजन, अनुसंधान आदि प्रदान करने जैसे नए आदान(इनपुट) रखे गए थे। नौवीं योजना में इस स्कीम के लिए 201.80 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे जबकि 232.99 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वर्ष 2001-02 के दौरान 52681 व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए लगभग 549 संगठनों को 60.86 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। इस स्कीम के अधीन 350 से अधिक विशेष विद्यालय तथा 140 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

13. मानसिक अपंगता के अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने के लिए दिसम्बर, 1999 में स्थापित आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक विकार और बहुअपंगताओं के व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास, दिल्ली 'आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक विकार और बहुअपंगताओं के व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहुंच और राहत स्कीम' नामक एक समग्र स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जो दीर्घकालिक और स्थायी राज्य संस्थान, दिवसकालिक देखभाल केन्द्र, घर में किए जाने वाले दौरों की संख्या बढ़ाने आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। अब तक अपंग व्यक्तियों की जरूरतों और अधिकारों की वकालत करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की 165 समितियां गठित की गई हैं। इसके अलावा, मानसिक विकलांगों के क्षेत्र में काम करने के लिए 11 माता-पिता एसोसिएशनों सहित 228 संगठनों ने पंजीकरण करवाया है। न्यास द्वारा गतिविधियां चलाने की सुविधा प्रदान करने हेतु 100 करोड़ रुपये की समग्र-निधि स्थापित की गई थी।

14. उपर्युक्त के अलावा, 'मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी' के तत्वाधान में अपंगों के लिए उचित और नई प्रौद्योगिकियों के उपयंत्रों में अनुसंधान और विकास करने के संबंध में भी कई अन्य उपाय किए गए थे। प्लास्टिक के अगोलीय लैंस, मायोइलेक्ट्रिक हैण्ड कंट्रोल सिस्टम और मोटरयुक्त जॉयस्टिक चालित व्हीलचेयर जैसे 30 से अधिक सहायक साधनों और उपयंत्रों का विकास किया गया था।

15. मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए थे कि पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 1995 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरिंग की गई थी। इन उपायों में i) सांविधिक समितियों अर्थात् केन्द्रीय समन्वय समिति तथा केन्द्रीय कार्यकारी समिति द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा किया जाना; ii) 51 केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवों के समूह द्वारा न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की प्रगति की मानीटरिंग किया जाना; iii) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर अपंगों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने की जून, 2001 में अधिसूचना जारी किया जाना; iv) अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के बारे में मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालना की सतत समीक्षा के लिए अतिरिक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करने हेतु मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की स्थायी समिति का गठन किया जाना शामिल है।

सामाजिक रूप से पथभ्रष्टों का सुधार

किशोर कुसमंजन

16. किशोर कुसमंजन (माल एडजस्टमेंट) की बढ़ती हुई समस्या को हल करने और इसे कानून तोड़ने वाले बच्चों के लिए सुविहित कल्याण-सह-पुनर्वास सेवाओं के साथ अधिक बाल अनुकूल बनाने के लिए किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 का निरसन कर दिया गया था। यह अधिनियम, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन करें। इस अधिनियम के प्रावधानों का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने जून, 2001 में इस अधिनियम के अधीन मॉडल नियम अधिसूचित किए थे और राज्यों को परामर्श दिया था कि वे इन नियमों को अपनाएं अथवा अपने नियम तैयार करें। मंत्रालय, किशोर सामाजिक कुसमंजन की रकीम, जिसे अब "किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम" कहते हैं, भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें राज्य सरकारों को उपेक्षित और पथभ्रष्ट किशोरों के लिए अधिदेशात्मक गृह स्थापित करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए होने वाले खर्च का 50% तक सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है। मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, किशोरों की देखभाल और पुनर्वास हेतु 290 किशोर गृह, 287 निगरानी गृह, 35 विशेष गृह और 50 अनुरक्षण गृह (आफ्टर केयर होम) स्थापित किए थे। इसके अलावा सम्पूर्ण देश में 202 किशोर न्यायालय तथा 260 किशोर कल्याण न्यायालय स्थापित किए गए थे। नौवीं योजना के दौरान, इस कार्यक्रम पर 52.58 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि परिव्यय 41.24 करोड़ रुपये था। वर्ष 2001-02 में 12.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति 15.37 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

17. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान तथा चाइल्डलाइन फाऊंडेशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पहल के विशेष अभियान में बाल संरक्षण और पुनर्वास के लिए पुलिस, स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने वालों, न्यायालय, शिक्षा आदि जैसी संबद्ध प्रणालियों के साथ संपर्क सुविधा प्रदान करना जारी रखा गया है।

ड्रग/एल्कोहल दुरुपयोग का निवारण

18. ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय जागरूकता सृजन सेवाओं, नशेड़ियों की पहचान करने, रैफरल सेवा और उपचार तथा पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के विस्तृत पैकेज के माध्यम से मद्यपान (एल्कोहलिज्म) और नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के दुरुपयोग के निवारण की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2001-02 के दौरान, 359 गैर सरकारी संगठनों को 442 केन्द्र (जिनमें से 88 ड्रग परामर्श और सहायता केन्द्र तथा 354 उपचार-सह-पुनर्वास केन्द्र हैं) चलाने के लिए सहायता प्रदान की गई थी। इन संगठनों में एल्कोहल और ड्रग के आदी 3 लाख व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे जिनमें से 1.60 लाख को नशे से मुक्ति दिला दी गई थी। वर्ष 1998 में स्थापित राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग निवारण केन्द्र ने विभिन्न श्रेणी के सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और आयोजित किए थे। प्रशिक्षण की जरूरतों का विकेंद्रीकरण करने और क्षेत्रीय जरूरतें पूरी करने के लिए चेन्नई, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में (2) स्थापित 5 क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपने क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जिसमें ड्रग दुरुपयोग और एचआईवी और एड्स आदि की रोकथाम और प्रबंधन सहित इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण मैन्युअल विकसित करने के अलावा, ड्रग की मांग में कमी करने के क्षेत्र में विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, सूचना उन्नयन और डाटा बेस तथा नेटवर्किंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम (यू0एन0डी0सी0पी0) की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ विशेष सहयोग से परियोजनाएं भी चलाई गई थीं जिनमें "भारत में समुदायगत व्यापक मांग में कमी" शामिल थी जिसमें देश के विभिन्न भागों में 1000 से अधिक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया गया था। इसमें उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ड्रग दुरुपयोग की अत्यधिक घटनाओं, विशेष रूप से इंजेक्शन द्वारा ड्रग के उपयोग की घटनाओं को रोकने की दृष्टि से "उत्तर-पूर्व में समुदायगत व्यापक मांग में कमी" कार्यक्रम भी शामिल था। देश में ड्रग दुरुपयोग की मात्रा, प्रकृति और पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से मंत्रालय द्वारा ड्रग दुरुपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस समस्या की व्यापकता और अत्यंत प्रभावित लक्षित समूहों के संबंध में प्राथमिक आंकड़े समेकित कर लिए गए हैं और इनकी जांच की जा रही है। नौवीं योजना के 80 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के प्रति योजना के दौरान समुदाय आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई, एल्कोहल और ड्रग की मांग में कमी के लिए प्रशिक्षण और अन्य पुनर्वास सुविधाओं हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए 88.84 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी जबकि वार्षिक योजना 2001-02 में 22.50 करोड़ रुपये का परिव्यय/खर्च था।

अन्य लाभ वंचित

19. वार्षिक योजना 2001-02 में नौवीं योजना की वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, मकान आदि का समर्थन देकर उनकी कुशलता सुनिश्चित करने की नीति का अनुसरण किया गया। आवादा बच्चों की बढ़ती हुई समस्या को हल करने की नीति में एकीकृत बाल विकास सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण कार्यक्रम आदि जैसी कल्याण और विकासात्मक समर्थन सेवाओं के साथ निवारणात्मक उपाय शामिल थे।

वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल

20. 1999 में अपनाई गई "वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति" में पेंशन सहित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, मकान, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना का प्रसार, परिवार द्वारा प्रदान की गई अनुपूरक देखभाल तथा संरक्षण और वित्तीय सहायता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू करके वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और देखभाल के लिए आधार तैयार किया गया था। कार्ययोजना के प्रारूप के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें नीति के अधीन अधिदेशित (मेन्डेड) साझीदार मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई थीं। परिषद को सचिवालय सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र में "आधार" और जिला स्तर पर "जिला आधार" नामक एजेंसी स्थापित की गई थी। दिसम्बर, 1999 में इसके गठन के समय से लगभग 530 जिलों में "जिला आधार" एजेंसी के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। ये सदस्य, वृद्धों को उनकी समस्याएं हल करने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं।

21. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, दिवसकालिक देखभाल केन्द्र, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और गैर-संस्थागत सेवाएं स्थापित करने और इन्हें चलाने के लिए "वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम" के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 2001-02 के दौरान, 350 संगठनों के माध्यम से ऐसी लगभग 525 परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया गया था। नौवीं योजना में 51.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी जबकि 56.42 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया था। वार्षिक योजना 2001-02 में 15.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था, जबकि 14.61 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वृद्धावस्था के लिए सामाजिक और आय सुरक्षा की, विशेषरूप से असंगठित क्षेत्र में, बढ़ती हुई चिन्ता को ध्यान में रखकर "वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा" के बारे में रिपोर्ट शुरू की गई थी। अब इस रिपोर्ट पर उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जा रहा है।

आवारा बच्चे

22. आवारा बच्चों का अभाव और आवारागर्दी दूर करने तथा उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से मंत्रालय, "आवारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें चौबीसों घंटे खुले रहने वाले विश्रामालय, रात्रि विश्रामालय, पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल, सैनिटेशन, साफ-सफाई, सुरक्षित पेय जल, शिक्षा, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं और दुरुपयोग तथा शोषण के खिलाफ संरक्षण जैसी पहलों की व्यापक रेंज है। फिलहाल, 22 राज्यों में 190 संगठन कार्य कर रहे हैं जिनसे 1.58 लाख आवारा बच्चों को लाभ मिल रहा है। नौवीं योजना के दौरान इस स्कीम पर 31.78 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जबकि परिव्यय 32.98 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान 12.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति इस स्कीम पर 8.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। "चाइल्ड लाइन सेवा" की विशेष पहल पर व्यथाग्रस्त बच्चों को उनकी आपातकाल की जरूरत में जवाब देने तथा रेफरल सेवा प्रदान करने के लिए एक निःशुल्क टेलीफोन सेवा "1098" उपलब्ध है। यह सुविधा, अब 34 शहरों में कार्य कर रही है और इसमें मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, बच्चों/संबंधित वयस्कों से 10.00 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

बच्चों का दत्तक ग्रहण

23. अनाथ, परित्यक्त और अकिंचन बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण के माध्यम से स्थाई पुनर्वास की पेशकश करने हेतु देश और विदेश, दोनों में यथासंभव अधिक संख्या में बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु प्रयास किए गए थे। वर्ष 2001 के दौरान, लगभग 3197 बच्चे दत्तक दिए गए थे जिनमें से 1297 दूसरे देशों में और 1900 देश के अंदर दिए गए थे। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत एजेंसी (कारा), जो विदेशों में भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण को नियमित और मॉनीटर करती है, देश और विदेश, दोनों प्रकार के दत्तक ग्रहण के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है। इसने अनाथ बच्चों के कल्याण और पुनर्वास की जिम्मेदारी लेने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच कौशल निर्माण का कार्य भी शुरू किया है। नौवीं योजना के दौरान देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए 'कारा' के लिए 3.26 करोड़ रुपये और शिशु गृह के लिए 9.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया था जबकि क्रमशः 2.28 करोड़ रुपये और 7.47 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान, 'कारा' द्वारा 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति, 1.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि शिशु गृह की स्कीम के अधीन वर्ष 2001-02 के दौरान, 5 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति, 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

24. नवगठित स्वायत्त 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान' ने अपनी दस्तावेजीकरण, अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की चालू गतिविधियों के अलावा, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने; सामाजिक सुरक्षा समस्याओं का पूर्वानुमान और निदान करने; स्वेच्छिक कार्रवाई विकसित करने और बढ़ावा देने; एन0आई0सी0पी0 और चाइल्ड लाइन के सहयोग से बाल संरक्षण की गतिविधियां चलाने; वृद्धों के क्षेत्र में देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम बनाने आदि जैसे नए कार्य शुरू करके अपनी गतिविधियों के कार्यक्षेत्र का और विस्तार किया है। अल्कोहल और ड्रग्स के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में राष्ट्रीय ड्रग्स दुरुपयोग निवारण केन्द्र (एन0सी0-डी0ए0पी0) की विशेष सैल ने सेवा प्रदाताओं के लिए गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना और क्षमता निर्माण का काम जारी रखा। नौवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के लिए प्रदान की गई 5.60 करोड़ रुपये की राशि के प्रति, 6.68 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई थी। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान, 3.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 2.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

वार्षिक योजना (2002-03)

25. दसवीं योजना, त्रिकोणीय नीति अर्थात् i) अपंगों का सशक्तिकरण; ii) सामाजिक पथ-भ्रष्टों का सुधार; और iii) अन्य लाभवंचितों की देखभाल को जारी रखेगी, जिसमें कल्याण और विकास क्षेत्रों से संबंधित सभी मौजूदा सेवाओं के एकीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, ताकि सभी लक्षित समूहों के लिए निवारणात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वास कल्याण और विकास के क्षेत्रों में अधिकतम लाभार्थी कवरेज हासिल की जा सके। इस संदर्भ में नोडल

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इन लक्षित समूहों के लिए सेवाएं और सुविधाएं पहुंचाने हेतु अन्य सामान्य विकास क्षेत्रों से पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाएगा। चूंकि योजना वर्ष 2002-03, दसवीं योजना का प्रथम वर्ष है, इसमें इस दृष्टिकोण और नीतिगत जोर के साथ, अगले पांच वर्षों की अवधि में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की पहल की जाएगी।

वित्तीय परिव्यय

26. वार्षिक योजना 2002-03 के लिए कुल परिव्यय 330 करोड़ रुपये है जिसमें 232.50 करोड़ रुपये अपंगों के कल्याण (मानसिक विकलांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास हेतु दिए गए अतिरिक्त 20 करोड़ रुपये के अलावा) के लिए और शेष 97.50 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य लाभ वंचितों के लिए हैं। उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने तथा कार्यकरण में सहक्रिया तथा एकीकरण हासिल करने के लिए सामाजिक कल्याण क्षेत्र में चालू स्कीमों की संख्या नौवीं योजना के दौरान की 39 से कम करके दसवीं योजना के दौरान 16 कर दी गई हैं। ऐसा स्कीमों के विलय, छंटाई और राज्य क्षेत्र को स्कीमों अंतरित करके, गैर-योजना में रखकर आदि के माध्यम से "शून्य" आधारित बजटीयकरण की विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान, सामाजिक कल्याण क्षेत्र के लिए केन्द्र पर स्कीमवार खर्च, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष, 2001-02 के लिए परिव्यय और खर्च तथा वार्षिक योजना 2002-03 - दसवीं योजना के प्रथम वर्ष (शून्य आधारित बजटीयकरण प्रक्रिया के अंतिम निष्कर्षों के अनुसार) के लिए परिव्यय संलग्नक-5.13.1 में दिए गए हैं। राज्य क्षेत्र में परिव्यय और खर्च के ब्यौरे संलग्नक-5.13.2 में दिए गए हैं। सारणी 5.13.1 में नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजना (2001-02) में परिव्यय और खर्च तथा दसवीं योजना (2002-07) और वार्षिक योजना (2002-03) के लिए अनुमोदित परिव्यय का सारांश दिया गया है।

सारणी-5.13.1

सामाजिक कल्याण - योजना परिव्यय और खर्च

(करोड़ रुपये में)

	नौवीं योजना (1997-2002)		वार्षिक योजना (2001-02)		दसवीं योजना (2002-07)	वार्षिक योजना 2002-03 ब.अ.
	परिव्यय	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	परिव्यय	परिव्यय
I. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1208.95	1020.39	343.80	309.37	2004.00	330.00
II. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3344.42	3674.88	1297.47	1217.97	7250.49	1312.20
जोड़ I+II	4553.37	4695.27	1641.27	1527.34	9254.49	1642.20*

* वर्ष 2002-03 के दौरान मानसिक विकलांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास को अदा की जाने वाली अतिरिक्त समग्र निधि के रूप में 20 करोड़ रुपये को छोड़कर।

27. वार्षिक योजना 2002-03 में नोडल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं।

I) अपंग व्यक्तियों का सशक्तिकरण

28. दसवीं योजना की प्रतिबद्धता के अनुरूप वार्षिक योजना 2002-03 में यथासंभव संख्या में पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 के प्रावधानों की शक्ति और समर्थन से अपंगों का सशक्तिकरण किया जाएगा ताकि वे सक्रिय, आत्मनिर्भर और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान देने वाले बन सकें। इस संदर्भ में बहु-क्षेत्रीय सहयोगी प्रयास के सिद्धांत और अधिनियम में विहित जिम्मेदारियों को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु साझीदार मंत्रालयों/विभागों द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश तथा नियम तैयार करके अतिरिक्त बल दिया जाएगा। इसके अलावा, पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए इन मंत्रालयों/विभागों के बजट में अपंगों के लिए घटक योजना लागू करने की शुरुआत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 के अधीन रखी गई निधियां/लाभ अपंगों को मिलें।

29. "शून्य आधारित बजटीयकरण प्रक्रियाओं" के अनुरूप कई स्कीमों को "पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 का कार्यान्वयन" की अम्ब्रैला स्कीम के अधीन उपयुक्त रूप से विलय कर दिया गया था। इन स्कीमों में क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन मोड आदि शामिल हैं। विलय की गई इन स्कीमों के लिए 2002-03 में 33.50 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है (2002-03 के दौरान अपंगों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय के लिए 1.00 करोड़ रुपये की छिटपुट आवश्यकता सहित)।

30. जरूरतमंद क्षेत्रों और समूहों, विशेषरूप से पहुंचे न गए ग्रामीणों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थागत नेटवर्क तंत्र अर्थात् 7 राष्ट्रीय संस्थाओं, 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों और आई0एस0आई0सी0 सहित 5 संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की उपचार, पुनर्वास, प्रशिक्षण आदि के संयुक्त पैकेज को प्रदान करने वाली सेवाओं को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ 7 राष्ट्रीय संस्थाओं को वार्षिक योजना 2002-03 में 28.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है, जबकि आई0एस0आई0सी0 को 4.00 करोड़ रुपये दिए गए हैं (क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र "पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 का कार्यान्वयन" की सामूहिक स्कीम के अधीन स्कीमों का हिस्सा हैं)।

31. अपंगों के लिए प्रयोजनमूलक गतिशीलता और पहुंच बढ़ाने के लिए उपयुक्त सहायक साधनों और उपयंत्रों के उत्पादन और वितरण को बढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, वर्ष 2002-03 के दौरान, 40,500 लाभार्थियों को लाभ देने हेतु सहायक साधनों और उपयंत्रों का उत्पादन करेगा, जिसके लिए 4.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। सहायक साधन और उपयंत्रों का व्यापक वितरण सुनिश्चित करने के लिए ए0डी0आई0पी0 स्कीम को 55.00 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे 2.15 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

32. चूंकि अपंगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जनशक्ति की आवश्यकता, प्राथमिक चिन्ता का विषय है, इसलिए पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए एकसमान मानक लागू करके और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करके इन क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। वर्ष 2002-03 में इस प्रयोजनार्थ भारतीय पुनर्वास परिषद को 4.00 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। अपंगों के लिए पुनर्वास के लिए विशेषरूप से उच्चतर स्तर पर कौशल और व्यावसायिक जनशक्ति के उन्नयन हेतु स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण सहित, एक पुनर्वास विज्ञान कॉलेज स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए वार्षिक योजना 2002-03 में 6.03 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

33. अपंगों के लिए नौकरी, रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर होने के कारण, विशेष रोजगार कार्यालयों/सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष सैलों के माध्यम से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों के 3 प्रतिशत तक आरक्षित पदों की प्रभावी पहचान करके और उन्हें भरकर, उनके लिए अधिक नौकरी सृजित करने के प्रयास किए जाएंगे। यह स्कीम, 3.60 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित, राज्य क्षेत्र को अंतरित की जानी है और फिलहाल, इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

34. अपंगों के लिए आय सृजन और स्वरोजगार अवसरों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) की विभिन्न रियायती और लघु वित्तपोषण स्कीमों द्वारा विशेषरूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में स्वयंसेवी समूहों के गठन को विशेषरूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे व्यवहार्य आय सृजन गतिविधियां चला सकें। वार्षिक योजना 2002-03 में निगम के लिए 15.00 करोड़ रुपये चिन्हित किए गए हैं।

35. अपंगों के लिए समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करने में स्वैच्छिक क्षेत्र ने परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 'अपंग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन' की सामूहिक स्कीम को पहुंचे न गए क्षेत्रों में अपने प्रचालनों का प्रसार करने तथा उनकी सेवाओं में नवीनता लाने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ इस स्कीम के लिए 72.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। आशा है कि इस प्रयोजनार्थ 500 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाएगी।

36. मानसिक रूप से विकलांगों को पेश आ रही विशेष समस्याओं और उनके कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए गतिविधियों का विस्तार करने की जरूरत को मान्यता प्रदान करते हुए आत्म-विमोहों, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक विकार और बहु-अपंगता से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास की समग्र निधि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया जाएगा। तदनुसार, 2002-03 में न्यास के लिए अतिरिक्त समग्र निधि के रूप में 20 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

II) सामाजिक पथभ्रष्टों का सुधार

37. इस बात को मानते हुए कि सामाजिक रूप से पथभ्रष्ट जैसेकि अपराधी किशोर, अल्कोहल और ड्रग्स के आदी लोग, संगठित अपराध में संलिप्त आदतन अपराधी होने के बजाय परिस्थितियों

और स्थितियों की बाध्यताओं के शिकार हैं। वार्षिक योजना 2002-03 में आज के इन सामाजिक पथभ्रष्टों को परिवर्तित करके, कल के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दृष्टि से दंडात्मक वातावरण की बजाय, इनके लिए मानवीय सुधार और पुनर्वास की वकालत की गई है।

किशोर सामाजिक कुसमंजन

38. किशोर न्याय(बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को इसके संस्थागत और गैर-संस्थागत सुविधाओं के नेटवर्क का उपयोग करके बाल अनुकूल सकारात्मक वातावरण में किशोरों के पुनर्वास के उद्देश्य के साथ, प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर मुख्य जोर दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ अधिनियम के अधीन स्थापित अधिदेशात्मक संस्थाओं में जीवन की न्यूनतम मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े पग उठाए जाएंगे। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का भी उपयुक्त रूप से विस्तार किया जाएगा ताकि इन बालकों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ाया जा सके। "किशोर न्याय कार्यक्रम" की स्कीम, जिसके अधीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किशोरों के लिए अधिदेशात्मक गृह के रखरखाव के लिए राज्यों के साथ लागत में हिस्सेदारी करता है, के लिए अधिदेशात्मक गृहों में रहने वाले 30,000 किशोरों की सहायता हेतु 16.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।

मद्यपान और ड्रग्स दुरुपयोग में कमी

39. देश में मद्यपान और ड्रग्स दुरुपयोग की बढ़ती हुई समस्याओं को रोकने के लिए समन्वित और व्यापक समुदाय आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जाएगा तथा इसका विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा आवारा बच्चों, वेश्याओं, ट्रक चालकों आदि जैसे अधिक खतरे के समूहों जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों में पहुंचने के लिए किया जाएगा। इसमें गहन जागरूकता सृजन और निवारण शिक्षा, परामर्श, उपचार, नशा मुक्ति और नशे के आदियों का पुनर्वास शामिल होगा। राष्ट्रीय ड्रग्स दुरुपयोग निवारण केन्द्र और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण को बढ़ाया जाएगा। मदिरा (एल्कोहल) और ड्रग्स दुरुपयोग निवारण पर उपयोग किए जाने हेतु 28.50 करोड़ रुपये का परिव्यय चिन्हित किया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान, इस कार्यक्रम से लगभग 3.2 लाख नशे के आदियों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

III) अन्य लाभ वंचितों की देखभाल

40. अन्य लाभ वंचितों में वृद्ध और अनाथ, परित्यक्त, अकिंचन तथा आवारा बच्चे, उपेक्षित बच्चे शामिल हैं जो वित्तीय समर्थन प्रणाली में गिरावट होने और अन्य सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण असहाय छोड़ दिए जाते हैं तथा इन्हें राज्य का समर्थन और संरक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल

41. स्वास्थ्य, मकान, कार्य उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, जीवन का संरक्षण आदि प्रदान करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति की प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए वृद्ध

व्यक्तियों के लिए समन्वित कार्यक्रम की स्कीम के अधीन क्रियान्वित किए जा रहे वृद्धाश्रम, दिवसकालिक देखभाल केन्द्र, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और मेडिकेयर केन्द्रों के चालू कार्यक्रमों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, लगभग 260 स्वैच्छिक संगठनों को समर्थन प्रदान करने और 70,000 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए इस स्कीम हेतु 20.30 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। वृद्धों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में सहायता प्रदान करने के लिए "जिला आधार" और "हेल्प लाइन" की सेवाओं का विस्तार देश के सभी जिलों में किया जाएगा।

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों का कल्याण

42. कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों (आवारा, अनाथ, परित्यक्त, अकिंचन बच्चे आदि), जो दुरुपयोग और शोषण के अधिक शिकार हैं, की बढ़ती हुई समस्या को हल करने के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में इन बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषाहार, मकान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा आदि हेतु आवश्यक प्रावधानों के साथ-साथ निवारणात्मक और पुनर्वासात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आवारा बच्चों के लिए समन्वित कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और इसे सुदृढ़ किया गया है। दत्तक परिवारों में अनाथ और अकिंचन बच्चों के लिए पूर्ण पुनर्वास प्रदान करने हेतु देश के अंदर अधिकाधिक संख्या में इन बच्चों को दत्तक देने के लिए शिशु गृह स्कीम के अधीन प्रयास किए जाएंगे। "कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के कल्याण की स्कीम", जिसमें आवारा बच्चों के लिए और शिशु गृह की स्कीम में शामिल हैं, के लिए योजना के दौरान, 19.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

43. "देखभाल और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बच्चों के कल्याण" के लिए, वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, एक विशेष स्कीम भी शुरू की जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य, बाल श्रम और संभाव्य बाल श्रम (यथा आवारा बच्चे, पटरी पर रहने वालों, पलायनकर्ताओं, वेश्याओं के बच्चे, अकिंचन बच्चे आदि) की जरूरतें पूरी करना और अनौपचारिक शिक्षा, सेतु-शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने का अवसर प्रदान करना है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान इस स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

44. "राष्ट्रीय बाल संरक्षण पहल" का कार्यक्रम, पुलिस, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, शिक्षा जैसी एजेंसियों में बाल अनुकूल प्रणाली सृजित करने के लिए कार्य करना जारी रखेगा ताकि आवारा बच्चे स्वास्थ्य, परिवहन, श्रम आदि जैसी मूल सुविधाओं तक पहुंच बना सके। "चाइल्ड लाइन" सेवाओं, जो मजबूर बच्चों से सहायता के लिए कॉल प्राप्त करती हैं, को उचित अंतर-सम्पर्क के साथ उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

बच्चों का दत्तक ग्रहण

45. अनाथ बच्चों के लिए स्थाई घर प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत एजेसी (कारा), अपनी अनुसंधान और दस्तावेजीकरण की सुविधाओं को उन्नत करेगी ताकि दत्तक ग्रहण के लिए

उपलब्ध बच्चों के बारे में सूचना की सुगमता से पुष्टि की जा सके। दत्तक ग्रहण अवधि के उपरांत, अनुवर्ती कार्य के रूप में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत्र एजेंसी और विदेश में भारतीय दूतावासों के मानीटरिंग और मूल्यांकन तंत्र को रिकार्ड अद्यतन करने, घरों में दौरे आयोजित करने, दस्तावेज की सुविधाओं का कंप्यूटरीकरण करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। यह स्कीम, वार्षिक योजना 2002-03 में 2 करोड़ रुपये की छिटपुट आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 2003-04 से गैर-योजना में अंतरित की जानी है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

46. वार्षिक योजना में नये स्वायत्त "राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान" को व्यावसायिक, तकनीकी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में और अन्य लाभ वंचित समूहों के लिए अपनी गतिविधियों को व्यापक बना सके। यह संस्थान, अपनी पूर्व की सामाजिक सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास की गतिविधियों, विशेषरूप से किशोर न्याय, जेल कल्याण, जेल प्रशासन, बाल दत्तक ग्रहण, देखभाल और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बच्चे, ड्रग्स दुरुपयोग-रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और अन्य उभरती हुई सामाजिक समस्याओं के लिए समुदाय आधारित सेवाओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को पुनरुज्जीवित करेगा। इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना 2002-03 में संस्थान के लिए 4.00 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

47. इस बात को महसूस करके कि अधिकांश सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित किए जाते हैं, क्योंकि वे इन समूहों के निकट सम्पर्क में होते हैं, वार्षिक योजना 2002-03 में अच्छे कार्यनिष्पादन के रिकार्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उन्हें जरूरतमंद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक योजना (2002-03) के परिव्यय/खर्च का स्कीमवार
 ध्यौरा (अपंग, सामाजिक रक्षा और अन्य लाभवंचित समूह)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			क्र. सं.	वार्षिक योजना(2002-03)	
		2000-01 वास्तविक	2001-02			(शून्य आधारित बजट के अंतिम निष्कर्ष)	परिव्यय
			बजट अनुमान	वास्तविक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	केन्द्र क्षेत्र की स्कीम						
क	अपंगों का कल्याण						
1	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	2.60	2.50	2.84	1.	राष्ट्रीय संस्थाओं के वित्तपोषण की स्कीम	32 00
2	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता	1.12	2.50	1.55			
3	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुम्बई	2.63	2.90	2.61			
4	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	3.32	3.30	3.49			
5	राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक	3.60	4.00	3.60			
6	विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली	1.35	1.50	1.35			
7	राष्ट्रीय बहु-विकलांगता संस्थान, चेन्नई	0.00	1.00	0.00			
8.	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली	2.02	3.00	2.12			
9.	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर	0 00	6.00	5.40			
10.	साधनो तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए अपंग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	29.01	47.28	43.44	3.	साधनो और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए अपंग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	55 00
11	अपंगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	62.12	65.00	60.86	4.	अपंग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की स्कीम	72 00
12.	कुष्ठ रोग निवारित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता						
13.	प्रमरितशक्ति पक्षाघात तथा मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता						
14.	विशेष विद्यालय स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता						
15.	भारतीय मेरूदण्ड क्षति केन्द्र	2.30	2.25	2.07	5.	भारतीय मेरूदण्ड क्षति केन्द्र	4 00
16	भारतीय पुनर्वास परिषद	3.75	3.00	2.40	6	भारतीय पुनर्वास परिषद	4 00
17	मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास	44 00	42 00	51.00		मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए न्यास	1 00 *

* नौवी योजना के समग्र निधि के 100 करोड़ रुपये से छिटपुट कार्य के लिए बचे एक करोड़ रुपये. इसमें राष्ट्रीय न्यास के लिए अतिरिक्त समग्र निधि के रूप में अदा किए जाने वाले 20 करोड़ रुपये शामिल नहीं है और वर्ष 2002-03 में स्कीम की छंटाई कर दी जाएगी।

संलग्नक- 5.13.1

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			क्र. सं.	वार्षिक योजना(2002-03)	
		2000-01 वास्तविक	2001-02			(शून्य आधारित बजट के अंतिम निष्कर्ष)	परिव्यय
			बजट अनुमान	वास्तविक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एव विकास निगम	0 00	13 00	0 00	7	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एव विकास निगम	15 00
19	राष्ट्रीय अपंग पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वयन	55 52	43 61	43 61		-	-
20	अपंग व्यक्ति अधिनियम 1995	4 01	13 75	8 70	8	अपंग व्यक्ति अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन	32 50
21	छ. क्षेत्रीय रायुक्त ससाधन केन्द्र	0 00	0 00	0 00			
22	मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	0 30	3 00	1 04			
23	अपंग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय	0 27	1 00	0 73			
24	अपंग बच्चों को समर्थन(यू एन डी पी वित्तपोषित स्कीम)	0 18	1 61	0 93	9	अपंग बच्चों को समर्थन(यू एन डी पी वित्तपोषित स्कीम)	2 37
	जोड़(क)	218 10	262 20	237 74			222 87
ख	नई स्कीम				10	पुनर्वास विज्ञान कॉलेज	6 03
	जोड़ (क + ख)	218 10	262 20	237 74			228 90
ग	सामाजिक रक्षा और अन्य लाभवधित समूह						
25	निषेध और द्रुग दुरुपयोग के लिए शैक्षक कार्य	20 64	22 50	22 50	11	एल्कोहल और ड्रग दुरुपयोग के निवारण सहित सामाजिक रक्षा प्रदान करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	28 50
26	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	2 76	4 00	2 48			
27	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण ससाधन एजेसी (कारा)	0 47	2 00	1 10		केन्द्रीय दत्तक ग्रहण ससाधन एजेसी (केवल 2002-03 के लिए छिटपुट)	2 00
28	भा.रा.रा. बच्चों के लिए समर्थन कार्यक्रम	7 24	12 00	8 06	12	कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान	19 00
29	देश के अन्दर शिशुओं और युवाओं के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए गृहों को सहायता	1 88	5 00	2 00			
30	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	12 36	15 00	14 61	13	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	20 30

संलग्नक- 5.13.1

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			क्र. सं.	वार्षिक योजना(2002-03)			
		2000-01 वास्तविक	2001-02			(शून्य आधारित बजट के अंतिम निष्कर्ष)	परिचय		
			बजट अनुमान	वास्तविक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
31.	अनुसंधान अध्यय और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान	0.27	0.50	0.47	14.	अनुसंधान, सूचना और अन्य विविध कार्यों के लिए सहायता अनुदान	6.70		
32.	सूचना और जनशिक्षा सैल	3.95	5.00	3.50					
33.	विविध स्कीम	0.00	1.50	0.00					
34.	भिक्षा निवारण स्कीम	0.00	0.00	0.00					
35.	समाज कल्याण क्षेत्र में अखिल भारतीय स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	0.00	0.00	0.00					
36.	सामाजिक कार्य के विद्यालय के लिए सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00					
	जोड़ (ग)	49.57	67.50	54.72			76.50		
घ.	नई स्कीम	-	-	-	15.	कार्यरत बच्चों और देखभाल तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम	5.00		
	जोड़ (ग+घ)	49.57	67.50	54.72					81.50
	जोड़ - I (क से घ)	267.67	329.70	292.46					310.40
II.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम								
ए.	अपंगों का कल्याण								
37.	विकलांगों को रोजगार	0.97	1.60	1.54	-	विकलांगों को रोजगार (राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा)	3.60		
38.	क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र	0.00	0.00	0.00					
	जोड़ (क)	0.97	1.60	1.54					3.60
ख.	सामाजिक रक्षा और अन्य लाभ वंचित समूह								
39.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण और नियंत्रण के लिए स्कीम	10.50	12.50	15.37	16.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण और नियंत्रण के लिए स्कीम	16.00		
	जोड़ (ख)	10.50	12.50	15.37					16.00
	जोड़ - II (क + ख)	11.47	14.10	16.91					19.60
	सकल जोड़ - I + II	279.14	343.80	309.37			330.00		

टिप्पणी - मंत्रालय के कुल परिचय का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए चिह्नित है।

योजना परिव्यय और खर्चभ्रसमाज कल्याण (महिला एवं बाल विकास, अपंगों का कल्याण तथा सामाजिक रक्षा) - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वार्षिक योजना			
		(2000-01) वास्तविक	(2001-02)		(2002-03) बजट अनुमान
			बजट अनुमान	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	37.45	42.27	42.27	68.32
2	अरुणाचल प्रदेश	1.52	1.56	1.76	6.00
3	असम	3.25	3.10	3.10	0.00
4	बिहार	1.72	1.33	0.30	10.76
5	छत्तीसगढ़		5.00	5.00	19.25
6	गोवा	3.22	4.61	4.61	34.50
7	गुजरात	0.00	53.50	47.85	54.26
8	हरियाणा	298.39	324.52	320.27	326.47
9	हिमाचल प्रदेश	24.76	23.16	23.16	29.97
10	जम्मू और कश्मीर	15.69	16.98	16.98	22.66
11	झारखंड		224.73	224.73	37.95
12	कर्नाटक	61.80	70.98	51.27	55.44
13	केरल	4.00	6.55	3.50	22.00
14	मध्य प्रदेश	12.97	14.04	14.09	15.62
15	महाराष्ट्र	10.62	14.59	14.59	12.08
16	मणिपुर	0.53	3.82	2.95	7.33
17	मेघालय	1.67	2.00	2.36	5.50
18	मिजोरम	3.54	3.20	3.40	4.84
19	नागालैण्ड	0.34	0.59	0.59	5.26
20	उड़ीसा	18.88	15.48	8.12	46.44
21	पंजाब	33.36	153.60	153.60	165.77
22	राजस्थान	7.64	19.43	19.73	20.66
23	सिक्किम	2.31	2.30	2.61	3.70
24	तमिलनाडु	47.63	64.38	44.40	45.02

संलग्नक 5.13.2

(करोड़ रुपये)

क्र. सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वार्षिक योजना			
		(2000-01) वास्तविक	(2001-02)		(2002-03) बजट अनुमान
			बजट अनुमान	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
25	त्रिपुरा	6.38	3.86	8.48	13.14
26	उत्तर प्रदेश	80.63	81.86	70.13	118.38
27	उत्तरांचल	3.00	12.70	12.70	10.45
28	पं० बंगाल	49.49	72.11	58.56	76.17
	जोड़ (राज्य)	730.79	1242.25	1161.11	1237.94
	संघ राज्य क्षेत्र				
1	अ० और नि० द्वीपसमूह	0.94	1.25	1.25	1.90
2	चंडीगढ़	0.65	0.73	0.42	2.16
3	दादर और नगर हवेली	0.07	0.09	0.09	0.24
4	दमन और दीव	0.05	0.07	0.07	0.12
5	दिल्ली	28.68	38.50	38.50	51.60
6	लक्षद्वीप	0.24	0.24	0.17	0.44
7	पांडिचेरी	14.45	14.34	16.31	17.80
	जोड़(संघ राज्य क्षेत्र)	45.08	55.22	56.86	74.26
	सकल जोड़	775.87	1297.47	1217.97	1312.20

* अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

5.14 रोजगार, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा(कौशल विकास सहित)

योजना प्रक्रिया में श्रम उत्पादकता में सुधार करने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करने तथा श्रम बाजार के प्रचालनों को अनुपूरित करने और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाते हैं। योजना कार्यक्रम के माध्यम से संसाधनों का उपयोग, कौशल निर्माण तथा विकास, काम के अवसरों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान, कार्य की स्थितियों के अनुवीक्षण(मानीटरिंग), स्वस्थ औद्योगिक संबंधों के लिए आधारभूत संरचना के माध्यम से औद्योगिक सामंजस्य के सृजन तथा कामगारों और उनके परिवारों की बीमारी तथा बेरोजगारी के प्रति बीमा के लिए किया जाता है। श्रम तथा श्रमिक कल्याण के क्षेत्रों में इन अभीष्ट उद्देश्यों की उपलब्धियों का निर्धारण, मुख्य रूप से श्रम बाजार की मौजूदा हालत से किया जाता है।

2. फिलहाल, कामगारों की एक बड़ी आबादी, अपना भरण-पोषण के लायक मजदूरी भी नहीं कमा रही है। जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी होने तथा शिक्षा के क्षेत्र में कम आयु वर्ग के लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी से श्रम शक्ति की वृद्धि में कमी आने की संभावना है, और इससे रोजगार सृजन की आवश्यकता पर दबाव में उस सीमा तक कमी होती है। तथापि, मौजूदा स्थितियों पर विचार करते हुए, दसवीं योजना का एक उद्देश्य, रोजगार की संरचना और पद्धति में, अच्छी गुणवत्ता के कार्य-अवसरों में संवृद्धि की दृष्टि से गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

3. फालतू श्रम की स्थिति के साथ-साथ, ज्यादातर कामगारों के अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में लगे होने के कारण, अस्वस्थ सामाजिक प्रथाओं, यथा बंधुआ मजदूरी, बाल-श्रम और प्रवासी श्रमिकों के सामने पेश आ रही प्रतिकूल कार्य-स्थितियों का प्रादुर्भाव हुआ है। नवीं योजनावधि के दौरान, इन अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करने और कामगारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों के कल्याण की देखभाल करने और विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष तथा महिला कामगारों के रोजगार से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए, आवश्यक समर्थन देने के उपाय करने जैसे पहलुओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया गया था और यही प्रयास दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेंगे।

रोजगार

4. प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम की गई इस उद्घोषणा के अनुसरण में कि "सरकार, दस वर्षों की अवधि में दस करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है", योजना आयोग को इस स्वप्न को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके लिए योजना आयोग ने जनवरी, 1999 में, योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य, डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में रोजगार अवसरों पर एक कार्य-दल गठित किया। इस कार्य-दल ने जुलाई, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथापि, खण्ड और क्षेत्रीय स्तरों पर उपयुक्त नीतिगत अंतःक्षेपों(इन्टरवेंशन) के जरिए अल्प-रोजगार के मामलों के समाधान के उद्देश्य से, योजना आयोग ने उसके सदस्य डॉ० एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में दस मिलियन रोजगार-अवसरों के लक्ष्यीकरण पर विशेष-समूह गठित किया। इस विशेष-समूह ने मई, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

5. इस विशेष-समूह ने देश में रोजगार और बेरोजगारी की पूर्व और वर्तमान स्थिति और बेरोजगारी की समस्या के क्षेत्रीय आयामों की जांच-पड़ताल की। इसने वर्तमान दैनिक स्थिति (सी0डी0एस0) का प्रयोग कर, दसवीं योजना के लिए श्रमिक बल और काम के अवसरों को भी दर्शाया है। नीतियों में मामूली परिवर्तन कर, रोजगार सृजन में वृद्धि करने का वैकल्पिक परिदृश्य भी दिया है। समूह ने यह पाया है कि यदि रोजगार के मामले में पूर्व में देखा गया लचीलापन जारी रहता है तो 8% वार्षिक की वृद्धि दर भी, बढ़ते श्रमिक बल को अच्छी गुणवत्ता वाला लाभकारी रोजगार प्रदान करने के दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अतः समूह ने श्रम-बहुलता वाले ज्यादा क्षेत्रों के पक्ष में क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा को पुनर्संरचित करने का सुझाव दिया है।

6. इस विशेष-समूह ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, लघु और मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, निर्माण और स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा आदि सहित सेवा-क्षेत्र जैसे श्रम-बहुल क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है।

7. यदि सी0डी0एस0 और यू0पी0एस0एस0 आधारों की तुलना की जाती है, तो बेरोजगारी के परिमाण में एक बड़ा अंतर होना विचारणीय है। सी0डी0एस0 की अवधारणा के अनुसार, वर्ष 1999-2000 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण श्रृंखला का 55वां दौर) में एक औसत कार्य दिवस में लगभग 26.58 मिलियन व्यक्ति वर्ष के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया है। सी0डी0एस0 आधार पर 1993-94 (50वां दौर) में बेरोजगारी का भार (इन्सिडन्स) 6% होने का अनुमान लगाया गया था। 1999-2000 में "सामान्य मूल और गौण स्थिति" (यू0पी0एस0एस0) आधार पर 2.2% बेरोजगारी दर की तुलना में सी0डी0एस0 आधार पर बेरोजगारी का भार 7.3% था।

8. सामान्य मूल स्थिति (यूजुअल प्रिंसीपल स्टेटस) की अवधारणा का उपयोग, 9वीं योजना में किया गया था। सामान्य मूल और गौण स्थिति (यूजुअल प्रिंसीपल एंड सबसीडियरी स्टेटस) की अवधारणा का उपयोग, 9वीं योजना में किया गया है। तथापि, यू0पी0एस0एस0 को सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा गया है क्योंकि इस अवधारणा में अल्प रोजगारशुदा लोगों की काफी बड़ी तादाद को रोजगार प्राप्त लोगों की परिभाषा में शामिल किया जाता है। वर्तमान दैनिक स्थिति (सी0डी0एस0) की अवधारणा में बेरोजगारों की संख्या में अल्प-रोजगार वाले लोग शामिल होते हैं। 10वीं योजना में, लाभकारी रोजगार को प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना गया है। सी0डी0एस0 की अवधारणा को बेहतर माना गया है क्योंकि इसमें न केवल बेरोजगार लोगों को शामिल किया जाता है, बल्कि कुछ हद तक अल्प-रोजगार शुदा लोग भी शामिल रहते हैं। सी0डी0एस0, देश में बेरोजगारी की मौजूदा वास्तविक स्थिति के ज्यादा करीब है। यह देश में गरीबी के स्तर के भी ज्यादा करीब है।

श्रम तथा श्रमिक कल्याण

9. श्रम क्षेत्र, श्रमिक कल्याण, उत्पादकता, श्रमिक बल के जीवन स्तरों और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले बहु-आयामी सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का समाधान करता है। कामगारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उपयुक्त प्रशिक्षण के जरिए उच्चतर उत्पादकता, कौशल

प्रोन्नयन हासिल करना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द्रुत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों को उपयुक्त कौशल और गुणवत्ता वाले पर्याप्त श्रमिक-बल उपलब्ध कराने हेतु जनशक्ति का विकास अति आवश्यक है। सभी उत्पादक क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना मूल उद्देश्यों में से एक है। इस संदर्भ में, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में स्व-रोजगार के लिए यातावरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम और रोजगार पर संचालन समिति (स्टीअरिंग कमेटी) ने दसवीं योजना के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं:-

रोजगार

- रोजगार की संरचना और पद्धति में अच्छी गुणवत्ता के कार्य-अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से गुणात्मक परिवर्तन लाना।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

- संगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण-सुविधाओं का सृजन और उपयोगी उद्योग की मांग के अनुसार, कौशल-आवश्यकता का विकास करना।
- अनीपचारिक क्षेत्र के मामले में प्रशिक्षण हेतु ज्यादा अवसरों तथा मौकों का सृजन।
- मांग आधारित कौशल के विकास हेतु, उद्योग संस्थानों की अंतःक्रिया में वृद्धि।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुधार और प्रभावकारिता के लिए, कौशल विकास निधि का सृजन जो मुख्य रूप से उद्योग द्वारा वित्त पोषित तथा प्रबंधित हो।
- प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा भूमंडलीकरण के आधुनिक युग में कामगारों को काम में स्थायित्व प्रदान करने के लिए बहु-स्तरीय कौशल प्रशिक्षण।

पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य

- उद्योग में पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य को लक्षित करने की दृष्टि से पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक सामान्य विधायन (अम्बेला) लाना।

सामाजिक सुरक्षा

- सरकार के बजट पर कोई अतिरिक्त दबाव डाले बगैर संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को स्वयंघारित और स्वयं-वित्त पोषण के आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- भूमिहीन कृषि कामगारों को सुरक्षा प्रदान करना और भूमिहीन कृषि कामगारों के आर्थिक उत्थान संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करना।

असुरक्षित समूह

- प्रवासी श्रमिकों के बीच पूर्ण सजगता पैदा करना और अन्तर राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के प्रावधानों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- भवन और अन्य निर्माण कार्य करने वाले कामगारों के बीच, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा उनके कल्याण हेतु विभिन्न श्रम कानूनों और स्कीमों में किए गए प्रावधानों के बारे में पूर्ण सजगता पैदा करना।

योजना परिचय और इसका उपयोग

10. श्रम मंत्रालय और राज्य स्तर पर श्रम तथा श्रमिक कल्याण विभागों ने विविध योजना स्कीमों के जरिए, श्रम और रोजगार संबंधी योजना लक्ष्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। 9वीं योजना के अंतिम वर्ष हेतु इस क्षेत्र के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय योजना के लिए वार्षिक योजना 2001-02 का परिचय, 145 करोड़ रुपये और राज्य योजना में 291.11 करोड़ रुपये था, जिसकी तुलना में केन्द्रीय क्षेत्र में अनुमानित व्यय 137.87 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र की योजनाओं पर 262.02 करोड़ रूप था।

11. श्रम मंत्रालय के योजना बजट का मुख्य भाग, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से बाल श्रम की समाप्ति, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0ई0एंड टी0) की स्कीमों, रोजगार सेवा संबंधी कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों और विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से संबंध रखता है। श्रम से संबंधित विषयों पर अनुसंधान और सांख्यिकी, खदानों और फ़ैक्ट्रियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए स्कीमों, सामाजिक सुरक्षा और कार्य स्थलों पर संरक्षा, अन्य महत्वपूर्ण योजना स्कीमों हैं (श्रम और श्रमिक कल्याण क्षेत्र हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के परिचय के लिए संलग्नक 5.14.1 और राज्य क्षेत्र के लिए संलग्नक 5.14.2 का अवलोकन करें)

श्रम मंत्रालय के अधीन योजना स्कीमों का युक्तीकरण

12. वित्त मंत्री के 2001-02 के बजट भाषण के अनुसरण में और राष्ट्रीय विकास परिषद की 1.9.2001 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई अंतिम बैठक में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग ने "शून्य" आधारित बजटीय प्रणाली शुरू की है। सरकार के व्यय में वृद्धि को रोकने तथा उचित तरीके से दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से श्रम मंत्रालय की स्कीमों के लिए "शून्य" आधारित बजट प्रणाली को लागू किया गया।

13. श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के संबंध में मंत्रालय के विचारों को ध्यान में रखने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस समय चल रही 9वीं योजना की 28 केन्द्रीय स्कीमों (अर्थात् 27 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों और 1 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) 10वीं योजना के दौरान भी जारी रहेंगी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

14. राष्ट्रीय रोजगार सेवा, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है और नियोजनालय (शिक्षितों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के कार्यक्षेत्र के भीतर कार्य

करती है। 1991 से 2001 की अवधि (जनवरी से अगस्त तक) के लिए वर्षवार पंजीयन, नौकरी दिलाने, अधिसूचित शिक्तियों, किये गये अनुरोध संबंधी आंकड़े और अद्यतन रजिस्टर, संलग्नक 5.14.3 पर देखें। रोजगार कार्यालयों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का कार्य, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। इसकी शुरुआत के बाद से, रोजगार सेवा का नेटवर्क, 18 रोजगार कार्यालयों से विस्तारित होकर 31.8.2001 की स्थिति के अनुसार 938 रोजगार कार्यालयों तक का हो गया है। चुने हुए 23 रोजगार कार्यालयों में, स्व-रोजगार के संवर्द्धन के लिए विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। काम तलाश रहे लोगों को व्यावसायिक मार्गनिर्देश देने के लिए, 360 व्यावसायिक मार्ग-निर्देश इकाइयाँ और 82 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना ब्यूरो का कार्य करना जारी है। संगठित क्षेत्र के श्रम बाजार से संबंधित सूचना रखने के लिए, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन, कुल 2.82 लाख स्थापनाओं (10 अथवा इससे ज्यादा कामगारों को रोजगार देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की गैर-कृषि स्थापनाएं) को कवर किया गया है।

15. रोजगार सेवा, द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना जारी है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में आत्म विश्वास पैदा करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, देश के विभिन्न भागों में 22 कोचिंग सह-मार्गनिर्देशन केन्द्रों ने काम करना जारी रखा। ये केन्द्र, समूह "ग" और समकक्ष पदों के लिए कर्मचारी घयन आयोग, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रोजगार परकता में सुधार लाने के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में भी संलग्न थे।

16. 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विकलांगों को सेवाओं का विस्तृत पैकेज प्रदान किया जाता है। इनमें से बडोदरा का व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, केवल विकलांग महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। ये केन्द्र, विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और उनको समायोजन का प्रशिक्षण देते हैं तथा उनके आर्थिक पुनर्वास के कार्य के जल्दी होने में सहायता करते हैं। अन्य उपयुक्त पुनर्वास सेवाओं यथा रोजगार के अवसर और स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने में, उनकी मदद करने के प्रयास भी किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विकलांगों को सघल कैंम्पों और 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के तहत चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना और मुंबई के 11 प्रखंडों में स्थापित किए गए ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों के जरिए, पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

श्रमिक कल्याण

17. श्रमिक कल्याण में सुधार और सामाजिक सुरक्षा के उचित स्तर के साथ उत्पादकता में वृद्धि, सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों से संसंबंधित प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। योजना कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधनों का उपयोग, कौशल निर्माण तथा विकास, कार्य की स्थितियों के अनुवीक्षण, स्वस्थ औद्योगिक संबंधों के लिए आधारभूत संरचना के जरिए औद्योगिक सामंजस्य के सृजन तथा कामगारों और उनके परिवारों की बीमारी तथा बेरोजगारी के प्रति बीमा के लिए

किया जाता है। औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के बढ़ते हुए काम का प्रबंधन करने हेतु प्रवर्तन और अधिनिर्णयन-तंत्र का सुदृढीकरण किया गया है। औद्योगिक विवादों जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार उपयुक्त सरकार है, के निपटारे के लिए 17 केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक ट्रिब्यूनल-सह-श्रम न्यायालय हैं, औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णय के लिए, राज्य और संघ शासित सरकारों ने भी औद्योगिक ट्रिब्यूनल और श्रम न्यायालयों की स्थापना की है।

18. बीड़ी, सिने, अबरख खदानों, चूना पत्थर और डोलोमाइट खदानों तथा लोहा, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क जैसे असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए, पांच कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं और ये श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। बीड़ी उद्योग, सिने-उद्योग और कुछ गैर-कोयला खदानों में नियोजित कामगारों को गृह-निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शैक्षिक सुविधाओं के लिए, इन कल्याण निधियों से सहायता दी जानी जारी है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ज्यादा वर्गों तथा उप वर्गों, यथा तेंदू पत्ता तोड़ने वालों, मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के कामगारों और नमक उद्योग के कामगारों को कवर करने के लिए, पर्याप्त रूप से कल्याण निधियां प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

19. राज्यों और केन्द्रों के श्रम कानून प्रवर्तन-तंत्र, उन कानूनों को संशोधित करने का कार्य कर रहे हैं, जिनमें परिवर्तनों, संशोधित नियमों, विनियमन आदेशों और अधिसूचनाओं की आवश्यकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को संशोधित किया गया है और इसे 2002 में मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास

20. एक समवर्ती विषय होने के कारण, व्यावसायिक प्रशिक्षण की जिम्मेदारियां, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों की है। राष्ट्रीय स्तर पर, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, नीतियां तैयार करने, मानदंड लागू करने, ट्रेड-टेस्ट आयोजित करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नोडल विभाग है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कई प्रशिक्षण संस्थाएं भी चलाई जाती हैं। राज्य स्तर पर, राज्य सरकार के विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, जोकि एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें नियोक्ताओं, कामगारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देती है। राज्य स्तर पर भी, राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए इसी प्रकार की परिषदों का गठन करते हैं, जिन्हें राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के रूप में जाना जाता है।

21. श्रम मंत्रालय(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली, देश में सर्वाधिक विस्तृत प्रशिक्षण प्रणालियों में एक है। इस प्रणाली के अधीन, दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम दो महत्वपूर्ण स्कीम हैं। वर्तमान में 17800 स्थापनाएं, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दे रही हैं। दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम में पर्याप्त रूप से सामंजस्य स्थापित किया गया है और दोनों का उद्देश्य युवाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाने का है। कई अन्य विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों यथा, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग आयोग

(के०वी०आई०सी०), हथकरघा, पर्यटन (होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग), इलेक्ट्रानिक्स, चिकित्सा तकनीशियन, कृषि और ग्रामीण विकास, में प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप प्रारंभ किए हैं। यद्यपि ये प्रशिक्षण स्कीमें छोटी हैं परन्तु व्यावसायिक प्रशिक्षण के समूचे परिदृश्य में अत्यंत उपयोगी और अनिवार्य भूमिका का निर्वाह करती हैं। कठिनाइयों और खामियों के बावजूद, विशेषकर उद्योग के लिए जनशक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में, इन व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों का प्रगति करना जारी है।

22. दस्तकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन, 2001-02 के दौरान, 191 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुले हैं। 1953 में केवल 54 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से शुरु होकर, फिलहाल कार्य कर रहे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 4465 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1753 सरकारी क्षेत्र में और शेष 2732 निजी क्षेत्र में हैं (विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता सहित आई०टी०आई०/आई०टी०सी०ए० की संख्या संलग्नक 5.14.4 में देखी जा सकती है।) इन संस्थानों की कुल सीट क्षमता 6.52 लाख है, जिसमें से 54.8% सीटें सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हैं। शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करने और उद्योग के क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए, उन्हें उपयुक्त कौशल से लैस करने के लिए, 43 इंजीनियरी और 24 गैर-इंजीनियरी ट्रेडों में दस्तकार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

23. महिलाओं को रोजगारपरक कौशलों में प्रशिक्षण सुविधाएं देने और स्व-रोजगार, आय सृजन संबंधी क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के जरिए केवल महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं, उपलब्ध कराया जाना जारी है। राज्य क्षेत्र में, 46,070 की सीट क्षमता के साथ केवल महिलाओं हेतु 244 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 520 सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए विशेष स्कंध के नेटवर्क के जरिए महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना जारी है (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला के लिए सीटों और विशेष स्कंधों का राज्यवार ब्यौरा, संलग्नक 5.14.5 में देखा जा सकता है।)

24. जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण पर नेतृत्व टेक्नीकल ट्रेनिंग फाउंडेशन, बंगलौर द्वारा जनवरी, 2001 में एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में अलोकप्रिय व्यवसायों (ट्रेडों) को बंद करके स्थानीय प्रासंगिकता वाले, आवश्यकता आधारित नए रोजगारपरक-प्रशिक्षण-कार्यक्रम प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, श्रम मंत्रालय ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की है, जिसे योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इससे जम्मू व कश्मीर राज्य में युवाओं के बीच व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

25. उत्तर-पूर्वी राज्यों में, मौजूदा 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, और उसे उच्च गुणवत्ता वाली एवं टिकाऊ बनाने और 22 नए संस्थानों की स्थापना

करने के लिए भी, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना में उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में मौजूदा सीट क्षमता को दोगुनी करने और पहचाने गए कौशल-क्षेत्र में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, मांग-पद्धति के अनुरूप आधारभूत संरचना सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

औद्योगिक संबंध

26. केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सी0आई0आर0एम0), श्रम मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। सी0आई0आर0एम0 के कार्यों में मोटे रूप से औद्योगिक विवादों का निपटान, केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना शामिल है। वर्ष 2001-02 के दौरान, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी ने हड़तालों की घमकी के 630 मामलों में मध्यस्थता की और इनमें से 622 हड़तालों के मामले में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों में सफलता मिली, जोकि 98.7% की सफलता दर को दर्शाता है।

27. केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, स्थपनाओं में श्रम कानूनों का प्रवर्तन है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार एक उपयुक्त सरकार है। केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसी स्थापनाओं की संख्या लगभग 1.5 लाख है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के निरीक्षण अधिकारी, विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन इन स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं। वर्ष 2001-02, के दौरान, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के अधिकारियों ने 344682 निरीक्षण किए, 360712 अनियमितताओं को ठीक किया और 16040 अभियोजन शुरू किए।

भारतीय श्रम सम्मेलन

28. भारतीय श्रम सम्मेलन का 37वां सत्र, 18-19 मई, 2001 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में निम्नलिखित कार्यसूची-मदों पर चर्चा हुई:-

- भारतीय उद्योग, श्रम और रोजगार पर भूमंडलीकरण का प्रभाव।
- कामगारों की सामाजिक सुरक्षा
- केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक भागीदारों के साथ श्रम नीति पर विचार-विमर्श।

29. सम्मेलन के दौरान, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में अपनी आशंकाओं के प्रति काफी मुखर थीं। उन्होंने श्रम सुधारों के बारे में संघीय बजट में की गई घोषणा की भी आलोचना की। प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को उल्टा नहीं जाएगा। तथापि, कामगारों के वास्तविक हितों की रक्षा की जाएगी।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

30. दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग, जिसकी स्थापना 15.10.1999 को की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2002 में प्रस्तुत कर दी है। आयोग के विचारार्थ विषय थे - i) संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव देना; और ii) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा (अम्ब्रेला) कानून का सुझाव देना। आयोग ने उभर रहे आर्थिक वातावरण पर भी विचार किया है जिसमें द्रुत प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, अर्धव्यवस्था का भूमंडलीकरण, व्यापार और उद्योग का उदारीकरण, श्रम सुरक्षा के न्यूनतम स्तर और कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए आधारिक संस्थागत ढांचा, सामाजिक सुरक्षा के संबंध में उपायों की प्रभावकारिता में सुधार लाना, पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी आदि मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट का श्रम मंत्रालय में अध्ययन किया जा रहा है।

श्रम आंकड़े

31. नीतिगत निर्णय लेने के लिए श्रम संबंधी क्रियाकलापों के विविध पहलुओं से संबंधित यथार्थ, समयगत और विस्तृत आंकड़ों और अनुसंधान के महत्व पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। श्रम ब्यूरो (श्रम मंत्रालय), श्रम के विभिन्न पहलुओं पर अखिल भारतीय स्तर पर श्रम आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए प्रधान एजेंसी है। श्रम ब्यूरो के चंडीगढ़, शिमला में दो स्कंध, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर में चार क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय है।

32. श्रम ब्यूरो, मासिक आधार पर निम्नलिखित तीन मूल्य सूचकांकों का संकलन और संरक्षण करता है:-

(क) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार 1982-83=100)

(ख) ग्रामीण श्रमिकों तथा इसके छोटे समूहों, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार 1986-87=100)

(ग) शहरी क्षेत्रों में चुनी हुई 31 अनिवार्य जितों का खुदरा मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100)

33. श्रम ब्यूरो, विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों से प्राप्त वार्षिक सांविधिक रिटर्नों पर आधारित श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम आंकड़ों का तथा प्रत्येक माह राज्य और केन्द्रीय श्रम विभागों द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए औद्योगिक विवादों, कामबंदी, स्थगन और छंटनी से संबंधित आंकड़ों का भी संग्रहण, संकलन और प्रसार करता है।

34. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसका इस्तेमाल कामगारों, सरकारी कर्मचारियों आदि का मंहगाई भत्ता तय करने के लिए किया जाता है, को फिलहाल दो

दशक पुराने 1982 के आधार पर संकलित किया जा रहा है। आधार वर्ष को अद्यतन करने के लिए, सभी चुने हुए 78 केंद्रों से आय तथा व्यय के आंकड़ों के संग्रहण के लिए मुख्य सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और आंकड़ों का सारणीयन किया जा रहा है। नई श्रृंखला के 2003 के मध्य तक उपलब्ध होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 के दौरान, श्रम ब्यूरो ने श्रम आंकड़ों, श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन तथा पेशागत मजदूरी सर्वेक्षण आदि पर 28 प्रकाशन जारी किए हैं।

बाल श्रम का निराकरण

35. 1991 की जनगणना के अनुसार, हमारे देश में कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 1981 की जनगणना में 13.4 मिलियन की तुलना में 11.28 मिलियन थी। एन0एस0एस0ओ0 सर्वेक्षण के 55वें दौर के अनुसार कामकाजी बच्चों की संख्या 10.5 मिलियन है। यद्यपि, सरकार के हस्तक्षेपों से बाल श्रम की समस्या का, खासकर संगठित क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से समाधान करना संभव हुआ है, तथापि, असंगठित क्षेत्रों में इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। देश में बाल श्रमिकों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आन्ध्र प्रदेश है, जहां 1991 की जनगणना के अनुसार, 1.66 मिलियन कामकाजी बच्चे थे। अन्य राज्य, जहां बाल श्रमिकों की आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। बाल श्रमिकों का 90 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों में संलग्न है।

36. खतरनाक पेशे में काम कर रहे बच्चों तथा मजदूरी के लिए काम कर रहे बच्चों सहित जिले में कामकाजी बच्चों की संख्या और बालश्रम की समस्या पर विकासात्मक प्रयास के प्रभाव का आकलन करने के लिए दसवीं योजना में एक समवर्ती सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

37. जोखिम वाले उद्योग में बालश्रमिक का अस्तित्व एक बड़ी समस्या है। बाल श्रम पर वास्तविक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी की अनुपलब्धता, इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए नियोजित हस्तक्षेप के मार्ग में मुख्य बाधा रही है। बाल श्रम के शोषण को रोकने के लिए प्रभावकारी हस्तक्षेप करने हेतु तैयार की गई मौजूदा योजनागत स्कीमों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं हैं जो काम से हटा लिए गए बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में शुरू की गई थीं। फिलहाल, 100 बाल श्रम-परियोजनाएं कार्य कर रही हैं जिनमें स्थानिक बाल श्रम वाले 13 राज्यों में सीसा, पीतल के बर्तन, ताला, दरी, स्लेट, खपरैल, दियासलाई और पटाखा, रत्न, एग्रो-रसायन, बीड़ी उद्योगों आदि में संलग्न 2.11 लाख बच्चों को कवर किया गया है (राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अधीन राज्यवार कवरेज संलग्नक 5.14.6 में दिया गया है)। परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक, काम से हटा लिए गए बच्चों की मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुपूरक पोषण जैसे विशेष विद्यालयों की स्थापना करना है। एक राष्ट्रीय बाल श्रम निराकरण प्राधिकरण, जो पहले स्थापित किया गया था, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों, जो बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं, के अधीन सेवाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के लिए कार्य कर रहा है।

38. उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, भारत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निराकरण कार्यक्रम(आई.पी.ई.सी.) में भागीदारी करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निराकरण कार्यक्रम, दिसम्बर, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया वैश्विक कार्यक्रम है। भारत, 1992 में इससे जुड़ने वाला पहला देश है जब इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इस देश में कार्यक्रमों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निराकरण कार्यक्रम' के अधीन 1992-2002 तक के लिए निर्धारित बजट 5.1 मिलियन यू0एस0डालर है। वर्ष 1992-2001 के दौरान, कुल मिलाकर 165 कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निराकरण कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वयन हेतु शुरू किए गए थे। जबकि यह कार्यक्रम, शुरुआत में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक भागीदारों के जरिए लघु उपायों पर लक्षित था, अब इस कार्यक्रम में देश के छः जिलों में सरकार के राष्ट्रीय श्रम निराकरण कार्यक्रमों के जरिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास चल रहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निराकरण कार्यक्रम के अधीन कुल 11 परियोजनाएं(क्षेत्र आधारित 6 परियोजनाओं सहित) चलाई जा रही हैं।

महिला श्रम

39. महिला श्रम कार्यक्रमों में, कार्योंमुखी परियोजनाएं और अध्ययन, बच्चों की देखभाल के लिए केन्द्रों के संगठन तथा निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए कल्याण परियोजनाएं, आदि शामिल हैं। कामगारों की शिक्षा के लिए स्कीमों में महत्वपूर्ण स्कीम, ग्रामीण कामगारों को उनके सामाजिक आर्थिक वातावरण, उनके स्वयं के संगठन के विकास की आवश्यकता और विभिन्न कल्याण और ऋण स्कीम के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में सजगता पैदा करने के लिए शिक्षित करने के कार्यक्रम हैं।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

40. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु मई, 1978 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत मुक्त कराए गए प्रति बंधुआ मजदूर 20000 रुपये की पुनर्वास सहायता दी जाती है, और इसमें केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा 50 : 50 के अनुपात में होता है। सात उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, यदि ये राज्य अपना हिस्सा प्रदान करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। संशोधित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को बंधुआ मजदूरों के राज्यवार सर्वेक्षण, जागरूकता-सृजन क्रियाकलाप, मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिए 100% राजसहायता दी जाती है। इन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मई, 1978 से शुरू होने से लेकर 30.12.2001 तक, 2,82,204 बंधुआ मजदूरों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 2,60,783 को पुनर्वासित कर दिया गया है और उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 6293 लाख रुपये की राशि दी गई है। पहचाने गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों के ब्यौरे, संलग्नक 5.14.7 पर देखे जा सकते हैं।

पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य

41. कामगारों की पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए भारत के संविधान में विशिष्ट प्रावधान हैं। खान सुरक्षा महानिदेशक तथा फैक्ट्री परामर्श सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक, खानों, फैक्ट्रियों और पत्तनों पर पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए प्रयास करते हैं। पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित स्कीमों में काम के वातावरण में सुधार, मशीनरी खतरों से मनुष्य का बचाव, रासायनिक खतरों की रोकथाम, सुरक्षात्मक साज-सामान तथा उपकरण के विकास, सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सूचना सेवा के विकास पर जोर दिया जाता है।

फैक्ट्री परामर्श सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय

42. यह संगठन, फैक्ट्रियों तथा पत्तनों/गोदियों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी क्षेत्र के रूप में काम करता है। वर्ष 2001-02 के दौरान, 660 संगठनों के 1579 भागीदारों के लिए 78 सेमीनार/कार्यशालाएं और लम्बी अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। मुंबई, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई के श्रम संस्थानों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर 3630 लाभार्थियों के लिए 201 मूल्यांकन कार्यक्रमों का आयोजन किया। 16 फैक्ट्रियों में संचल सुरक्षा प्रदर्शनियां लगाई गईं जिनसे 15000 फैक्ट्री-कामगारों को लाभ हुआ। फैक्ट्री परामर्श, सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय ने आपदा-निर्धारण, पर्यावरण अनुमान, सुरक्षा लेखा, पेशागत स्वास्थ्य स्थिति के आकलन के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर 38 परामर्श अध्ययन पूरे किए।

खान सुरक्षा महानिदेशालय

43. खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय है, जिसका मुख्यालय धनबाद(झारखंड) में है और इसके प्रमुख महानिदेशक हैं, जिनको माइनिंग, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेशागत स्वास्थ्य, कानून, सर्वेक्षण, सांख्यिकी, प्रशासन और लेखा क्षेत्र के विशेषज्ञ कर्मचारी-अधिकारी सहयोग करते हैं। मुख्यालय में संगठन को सहायता और समर्थन देने के लिए, एक तकनीकी पुस्तकालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी(एस0 एंड टी0) प्रयोगशाला भी है।

44. खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 7 जनवरी, 2002 को अपने पहले 100 वर्ष पूरे किए। 1902 में खान निरीक्षण ब्यूरो के रूप में शुरू होकर, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने धीरे-धीरे अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार किया। इसका कार्य, निरीक्षणों और जांचों से शुरू होकर सुरक्षा मानदंडों के विकास, पेशागत स्वास्थ्य की जांच, उपकरण की अनुमति और मंजूरी और खान उद्योग में सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति तक पहुंच गया। खान सुरक्षा पर तकनीकी जानकारी संबंधी एक ठोस निकाय की स्थापना, आंतरिक एस0 एंड टी0 - प्रयासों, निरीक्षणों और जांचों के दौरान अवलोकनों और सी0एम0आर0आई0 तथा अन्य संस्थानों के साथ तालमेल के जरिए की गई थी। प्रवर्तन, विधायी परिवर्तन, आपातकालीन अनुक्रियाओं तथा सुरक्षा के प्रति सजगता के प्रोन्नयन

के बहुमुखी दृष्टिकोण के जरिए खान सुरक्षा के सुदृढीकरण के लिए सतत् रूप से जोर दिया जाता रहा है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप पूर्व शताब्दी में, विशेषकर 1950 के दशक से खनन उद्योग के बहुआयामी विकास के साथ-साथ मृत्यु दरों में निरंतर कमी आई है। तथापि, अभी बहुत कुछ करना शेष है। खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने वाली समितियों ने अतिरिक्त जनशक्ति की स्वीकृति के द्वारा इसके सुदृढीकरण की सिफारिश की है। पेशागत स्वास्थ्य निगरानी को अभी भी एक लम्बी दूरी तय करनी है। "शून्य" दुर्घटनाओं के लक्ष्य को भी अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

45. वर्ष के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय में निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू किए गए:-

- (i) जून, 1997 से आस्ट्रेलिया की सरकार के सहयोग से 'खान सुरक्षा के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशालय के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण' के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई जिसके दौरान इस परियोजना का भारत में उद्योग उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनायी गई। इस परियोजना के अधीन आस्ट्रेलिया के खनन तथा खान सुरक्षा प्रक्रियाओं से परिचित कराने तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रशिक्षण- पदाधिकारियों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए भारतीय परियोजना प्रबंधन दल ने अक्टूबर, 2000 में आस्ट्रेलिया का दौरा किया।
- (ii) खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रत्येक अंचल (जोन), नामतः उत्तरी अंचल के अजमेर, दक्षिणी-पूर्वी अंचल के भुवनेश्वर, पूर्वी अंचल के सीतारामपुर, दक्षिणी अंचल के चेन्नई, पश्चिमी अंचल के नागपुर और केन्द्रीय अंचल के धनबाद में "सुरक्षा" पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
- (iii) खान सुरक्षा पर एक "संक्षिप्त-सार" प्रकाशित किया गया।
- (iv) खान सुरक्षा महानिदेशालय पर कई तकनीकी मैनुअल तैयार किए गए और 7.1.2002 को जारी किए गए।

सामाजिक सुरक्षा

46. भारत में, सामाजिक सुरक्षा के उपायों को राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से बल मिलता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य को यह आदेश करते हैं कि वे, जितना अधिक से अधिक प्रभायकारी रूप से कर सकें, एक न्यायसंगत आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित तथा संरक्षित कर लोगों के कल्याण के प्रोन्नयन के लिए प्रयास करें।

47. कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के उपाय प्रदान करने के लिए, सरकार ने कानून और स्कीमे (केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा) बनाई हैं, जो कुछ विशिष्ट वर्गों के कामकाजी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके कल्याण के लिए है। केन्द्र द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:-

- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1953

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन कामगारों को ज्यादा बड़े लाभ देने के उपाय

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन कामगारों को ज्यादा बड़े लाभ देने के लिए हाल में अनेक उपाय शुरू किए गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

- कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन पहली बार देशभर के 26000 डाकघरों के जरिए पेंशन के संवितरण की व्यवस्थाएं की गई हैं।
- एक विशेष अभियान शुरू किया गया और 54,983 स्थापनाओं को अनुपालन परिधि में लाया गया और 54,51,436 लाभ से वंचित कामगारों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए गए।
- इसके अतिरिक्त, 23,639 नई स्थापनाओं को अधिनियम के प्रावधानों की परिधि के तहत लाया गया और 44.39 लाख कामगारों को भविष्य निधि सदस्यता के लिए पंजीकृत किया गया।
- कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदानकर्ताओं की संख्या बढ़कर 2.59 करोड़ हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निकट भविष्य में, इस स्कीम के अधीन अंशदानकर्ताओं की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने का लक्ष्य है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लाभभोगियों के लिए एक वेबसाइट की भी शुरुआत की है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

- 9 राज्यों के 125 नए भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है जिससे लगभग 2.40 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ मिला है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 40 रुपये तक प्रति दिन कमाने वाले बीमित व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 2001 से कर्मचारी अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान कर दी है। इससे छः लाख से अधिक कामगार लाभान्वित होंगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन निर्भरता और अपंगता लाभों में वृद्धि कर दी गई है जिसकी सीमा 14% से 23.59% के बीच है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रत्येक राज्य में एक अस्पताल को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैश कर मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नत (अपग्रेड) करने का निर्णय किया है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमित व्यक्तियों के मामले में अप्रैल, 2001 से परिवार के फोटो पहचान-पत्रों की शुरुआत की है।

48. वर्तमान में, कुछ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बजट पर बोझ डाले बगैर, सरकार द्वारा विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की गई है। केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय के जरिए बीड़ी कामगारों, घूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान कामगारों, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क तथा मैग्नीज अयस्क खान-कामगारों, अन्नक खान-कामगारों, सिने-कामगारों के लिए, इस समय पांच कल्याण निधियां भी चलाती है। ये कल्याण निधियां, तैयार उत्पादों की बिक्री कर रहे व्यक्तियों से उपकर संग्रहित करके बनायी गयी हैं। मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के कामगारों, नमक उद्योग के कामगारों आदि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इस तरह की कल्याण निधि, बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

49. जयपुर में रिक्शा चालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक प्रयोग किया गया है और यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो देशभर में यह समूह इसका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए भविष्य निधि की राज्य से सहायता प्राप्त स्कीम (एस0ए0एस0पी0एफ0यू0 डब्ल्यू0) शुरू की है। यह स्कीम, असंगठित क्षेत्र के 18 से 55 वर्ष की आयु के सभी कामगारों, मजदूरी पर नियुक्त तथा स्वरोजगार वाले कामगारों, जिनकी औसत पारिवारिक आय, 6500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, को कवर करती है। प्रत्येक सदस्य-कामगार, 20 रुपये प्रति माह की दर से अंशदान देता है और उतनी ही राशि, राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार, पंजाब सरकार, काम करते समय मृत्यु अथवा घोट लगने की स्थिति में, किसानों तथा मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम क्रियान्वित करती रही है। शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों, आटो रिक्शा चालकों, धोबी, सिलाई करने वाले कामगारों, दस्तकारी करने वाले कामगारों, आदि को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने "सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण स्कीम-2001", नामक एक नई योजना प्रारंभ की है। सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त, कई सार्वजनिक संस्थाएं तथा एजेंसियां भी कामगारों के चुने हुए समूहों को विविध प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर रही हैं।

कृषि श्रमिकों का कल्याण

50. कृषि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम अर्थात् 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001', जो श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग के साथ परामर्श कर तैयार की गई थी, 1.7.2001 को प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अधीन, 18-50 वर्षों के कृषि श्रमिक पात्र होंगे। श्रमिक 365/- रुपये प्रति वर्ष (एक रुपये प्रति दिन) का अंशदान करेंगे और भारत सरकार प्रति श्रमिक 730/- रुपये प्रति वर्ष का अंशदान देगी। इसमें, देश के 50 जिलों में कुल 10 लाख कृषि श्रमिकों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस स्कीम को अभी तक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी, स्कीम को फिलहाल भारत के सामाजिक सुरक्षा निधि से वित्त पोषित किया जा रहा है।

श्रमिक शिक्षा

51. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, यूनिट और ग्राम स्तरों पर श्रमिक शिक्षा योजना, क्रियान्वित करने के लिए, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर की स्थापना, 1958 में की गई थी। श्रमिक शिक्षा योजना का प्राथमिक उद्देश्य, न केवल श्रमिकों को ज्यादा जानकार बनाना है, बल्कि औद्योगिक संबंध से जुड़े मामलों को सुलझाना और उसके अनुरूप श्रमिकों की सोच-समझ को ढालना/बदलना भी है।

52. श्रमिकों की शिक्षा की अवधारणा, संवर्द्धित तथा पुनर्परिभाषित करने के लिए, तरीके और साधन सुझाने, भूमंडलीकरण के कारण देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, इसके कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करने की संभावना के उद्देश्य से, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के उन्नयन (अपग्रेडेशन)/पुनर्गठन का अध्ययन करने हेतु मई, 2001 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा बहुत शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

53. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, सस्ती लागत को अपनाकर तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देकर, व्यर्थ के खर्चों से बचने में मदद करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए श्रमिकों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है।

वे निम्नलिखित कार्यक्रम, आयोजित करते रहे हैं -

- ग्रामीण सजगता कार्यक्रम
- प्रयोजनमूलक वयस्क साक्षरता कक्षाएं
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों, आचारों तथा स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए अल्प कालिक कार्यक्रम
- भागीदारी प्रबंधन
- ग्रामीण शिक्षकों के लिए ओरियन्टेशन कार्यक्रम
- ग्रामीण श्रमिकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

54. वी0वी0 गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जोकि श्रम मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है, कार्यान्मुखी अनुसंधान गतिविधियों आयोजित करता है और ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण श्रमिकों और औद्योगिक संबंध, वैयक्तिक, प्रबंधन, श्रम कल्याण आदि से संबंधित कार्य को देखने वाले अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

55. वी0वी0 गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रम बाजार, नियोजन तथा विनियमों, कृषिक संबंधों तथा ग्रामीण श्रम, एकीकृत श्रम-इतिहास, बाल श्रम और कार्य स्थल पर एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम के क्षेत्रों में 32 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं। कुल 33 परियोजनाएं, प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। संस्थान ने 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें 1107

भागीदारों को कवर किया गया है। 4 नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त, संस्थान ने 8 अनुसंधान अध्ययनों सहित, अनियत प्रकार के लेख (पेपर) भी प्रकाशित किए हैं। संस्थान का 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष, औसतन 25 अनुसंधान परियोजनाएं और 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.)

56. प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) की स्थापना, 1962 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान का मुख्य कार्य, एक ऐसा सांस्थानिक ढांचा तैयार करना है जो व्यवस्थित मानव-शक्ति नियोजन प्रक्रिया को बनाए रखने और इसका संचालन करने में सक्षम हो। योजना आयोग का श्रम, रोजगार तथा जन-शक्ति प्रभाग, संस्थान से संबंधित कार्यकलापों के लिए एक नोडल प्रभाग है। प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान के निदेशक, इसके दैनिक कार्यों संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और संस्थान के दैनिक कार्यकलाप, विविध क्षेत्रों-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिक्षा आदि पर अनुसंधान संबंधी कार्यों को देखने वाली विविध तकनीकी इकाइयों के जरिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्यकलापों के क्षेत्र

57. अनुसंधान, तकनीकी जन-शक्ति नियोजन के अतिरिक्त, प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान, मानव संसाधन, नियोजन और विकास में 9 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्षीय मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम भी चलाता है। इन पाठ्यक्रमों को गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (मान्यता) प्राप्त है। संस्थान ने अनुसंधान, परामर्श, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों सहित, मानव संसाधन नियोजन और विकास के क्षेत्र में कई शैक्षिक कार्यकलापों की परिकल्पना की है और उनकी अवधारणा को विकसित किया है।

58. प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान कार्यकलाप, मुख्यतया ग्रामीण तथा शहरी रोजगार तथा बेरोजगारी, कंप्यूटरीकृत श्रम बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना, ज्ञान और कौशल के घटक को अपग्रेड करने के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा(सेवा में और शिक्षा जारी रखने में) की प्रासंगिकता, महिलाओं में कौशल विकास, स्व-रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास, विकेन्द्रीकृत प्रशासन तथा विकास के मामलों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास में जन-शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभाव के आकलन पर जोर डालते हैं। ये कार्यकलाप, विभिन्न इकाइयों/प्रकोष्ठों द्वारा चलाए जाते हैं, ताकि अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् रोजगार और बेरोजगारी; विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग; मानव संसाधन विकास; सामाजिक धिताओं; और मानव शक्ति सूचना प्रणाली पर सही दिशा में प्रयास जारी रखे जा सकें।

प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान के लिए योजना परियोजना और व्यय

(लाख रुपये में)

परियोजना	वर्ष (2000-01)			वर्ष (2001-02)
	बजट अनुमान	संशोधित	व्यय	अनुमान
योजना पूंजीगत	1500	500	432.09	750
योजना राजस्व	50	2	शून्य	50

नरेला में नए परिसर का विकास

59. संस्थान के लिए, नरेला (केन्द्रीय दिल्ली से 35 किलोमीटर) में 15.12 एकड़ के भू-खंड पर एक नया परिसर बन रहा है। इस निर्माण परियोजना की लागत 16 करोड़ रुपये के लगभग है। नरेला परिसर में कंप्यूटर प्रबंधन ब्लॉक का उद्घाटन, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा 5 अक्टूबर, 2001 को किया गया था। परिसर के इस वर्ष पूरी तरह चालू हो जाने की संभावना है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी कार्यक्रम

60. जन-शक्ति रूपरेखा इंडियन इयर बुक विभिन्न क्षेत्र से संबंधित जन-शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का वार्षिक संकलन जारी किया जाता है। वर्ष पुस्तक 2001, इस वर्ष के दौरान जारी की गई थी।

61. राष्ट्रीय तकनीकी जन-शक्ति सूचना प्रणाली ने तकनीकी जन-शक्ति पर सूचना का संकलन करना जारी रखा और ऐसा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से किया गया।

अधिपत्र (स्पिल ओवर) अध्ययन

62. प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान को मार्च, 2001 में योजना(पूंजीगत लेखा) के तहत 50 लाख रूपए का सहायता अनुदान दिया गया था। यह सहायता अनुदान, "आर्थिक सुधारों का प्रभाव तथा रोजगार" के मुख्य क्षेत्र में विशेष अध्ययन करने के लिए इस उद्देश्य से दिया गया था कि (1) आई0ए0एम0आर0 के परिसर में एक सैट अध्ययन कार्य शुरू करके और योजना आयोग के एल0ई0एम0 प्रभाग के परामर्श से पेपर चालू करके तथा (2) "आर्थिक सुधारों का प्रभाव तथा रोजगार" के मुख्य जोर के क्षेत्र में आई0ए0एम0आर0 अनुसंधान कार्मिकों के विकास द्वारा अनुसंधान सक्षमता को बढ़ाया जाए।

63. इस स्कीम का उत्पाद, अनुसंधान रिपोर्टों का एक सैट होगा जो योजना आयोग, राज्य सरकार तथा श्रम मंत्रालय और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यक्रम और नियोजन के प्रभारी मंत्रालयों के लिए उपयोगी होगा।

संलग्नक 5.14.1 (जारी)

श्रम मंत्रालय (वार्षिक योजना 2002-2003)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	प्रकार/स्कीम	श्रीमती योजना का अनुमोदित परिचय (1997-02)*	वास्तविक खर्च (1997-2000)	अनुमोदित परिचय (2000-01)	वास्तविक खर्च (2000-01)	अनुमोदित परिचय (2001-02)	प्रत्याशित खर्च (2001-02)	अनुमोदित परिचय (2002-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सेवागार विदेशालय	3700.00 (सी०डब्ल्यू० 2200)	1551.18 (सी०डब्ल्यू० 1340)	1600.00 (सी०डब्ल्यू० 900)	1011.73 (सी०डब्ल्यू० 900)	351.00 (सी०डब्ल्यू००१)	195.77	1273.00 (सी०डब्ल्यू० 1200.00)
2	प्रशिक्षण विदेशालय							3281.00 (सी०डब्ल्यू० 541.00)
	(क) विश्व बैंक की परियोजना	18700.00 (एफ०ए० 9000)	9914.79 (सी०डब्ल्यू० 170)	1532.00 (सी०डब्ल्यू० 500)	486.93 (सी०डब्ल्यू० 500)	715.00	1475.01	
	(ख) महिला प्रशिक्षण स्कीमें	1820.00 (सी०डब्ल्यू०)	1666.76 (सी०डब्ल्यू० 260)	480.00 (सी०डब्ल्यू० 280)	801.68 (सी०डब्ल्यू० 260)	959.00 (544)	762.86	
	(ग) अन्य प्रशिक्षण स्कीमें	9820.00 (एफ०ए० 1746)	2865.22 (एफ०ए० 122.66)	1510.00 (एफ०ए००75) 260)	861.79 (सी०डब्ल्यू० (एफ०ए० 65)	2312.00 (एफ०ए० 47)(सी० डब्ल्यू०189)	935.03	
3	बाल श्रम	24960.00	7858.53	3600.00	3798.69	6700.00	6760.00	7010.00
4	महिला श्रम	100.00	35.98	20.00	14.09	20.00	20.00	46.00
5	औद्योगिक संबंध	3856.00	1010.57 (सी०डब्ल्यू० 150)	550.00 (सी०डब्ल्यू० 160)	710.98 (सी०डब्ल्यू० 160)	600.00 (सी०डब्ल्यू० 202)	594.81	241.00
6	श्रमिक शिक्षा (को०श०शि०बो०)	1500.00	670.00	468.00	422.00	425.00	425.00	700.00
7	श्रम जातिवर्गी (श्रम ब्यूरो)	3000.00	1765.54	800.00	668.42	750.00	860.82	
8	ज्ञान सुझा (सा०सु०महाभियंते)	4000.00	618.60	497.00 (सी०डब्ल्यू० 300)	137.33	200.00	322.00	300.00
9	औद्योगिक सुझा (फै०ए०सेवा एवं श०सु०महाभियंते)	2500.00	551.87	298.00 (सी०डब्ल्यू० 100)	139.47	270.00 (सी०डब्ल्यू० 100)	262.5	450.00 (सी०डब्ल्यू० 200.00)
10	श्रम अनुसंधान (श०श०सं०)	1075.00	550.00	265.00	241.00	250.00	250.00	265.00
11	अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	100.00	33.03	30.00	17.83	20.00	20.00	20.00
12	केंद्रों का नवतुरों का पुनर्वास	3581.00	961.00	575.00	920.64	603.00	603.00	200.00
13	हमदर्शी के लिए नवान योजना	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	सूचना प्रौद्योगिकी(मही)	250.00	66.11	75.00	48.00	100.00	100.00	100.00

संलग्नक 5.14.1 (जारी)

(लक्ष करोड़)

क्र. सं.	प्रभाग/स्कीम	नौवीं योजना का अनुमोदित परिष्य (1997-02)*	वास्तविक खर्च (1997-2000)	अनुमोदित परिष्य (2000-01)	वास्तविक खर्च (2000-01)	अनुमोदित परिष्य (2001-02)	प्रत्याशित खर्च (2001-02)	अनुमोदित परिष्य (2002-03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	मंत्रालय के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	10.00
16	अनुभागों का आधुनिकीकरण	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
17	श्रम कल्याण और विकास के संबंध में जागरूकता सृजन	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	150.00
18	कृषि मजदूरों के लिए कल्याण स्कीमें	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	300.00
19	समूचा निदेशन एवं प्रशासन							418.00 (सी0डब्ल्यू0 200.00)
20	10वीं योजना में नई शुरूआतें - केन्द्र क्षेत्र की स्कीम							285.00
21	10वीं योजना में नई शुरूआतें - केन्द्र प्रायोजित स्कीम							100.00
22	गैर-योजना के अधीन अतस्ति की जाने वाली स्कीमें							1803.00
	जोड़	79212.00 (एफ0ए0 10746)	30136.98 (एफ0ए0 122.66) (सी0डब्ल्यू0 1920)	12300.00 (सी0डब्ल्यू0 2500) (एफ0ए0 75)	10280.58	14500.00 (सी0डब्ल्यू0 1036) (एफ0ए0 47)	13786.80	17000.00 (सी0डब्ल्यू0 2141.00)

* कुछ स्कीमों में अधिक निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने नौवीं योजना के अपने आरंभिक परिष्य का पुनः आबंटन किया है।

एफ0ए0 :- विदेशी सहायता घटक

सी0डब्ल्यू0 :- नागरिक निर्माण कार्य घटक

भ्रम एवं भ्रम कल्याण परिव्यय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2001- 02	
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	888.00	888.00
2	अरुणाचल प्रदेश	126.00	136.00
3	असम	2869.00	2869.00
4	बिहार	248.00	248.00
5	छत्तीसगढ़	1045.00	1045.00
6	गोवा	469.00	469.00
7	गुजरात	5500.00	4919.00
8	हरियाणा	2043.00	2092.00
9	हिमाचल प्रदेश	154.00	154.00
10	जम्मू व कश्मीर	1045.00	1045.00
11	झारखंड	-	-
12	कर्नाटक	1880.00	1815.00
13	केरल	720.00	500.00
14	मध्य प्रदेश	1015.00	874.00
15	महाराष्ट्र	4503.00	3924.00
16	मणिपुर	91.00	91.00
17	मेघालय	120.00	88.00
18	मिजोरम	75.00	74.00
19	नागालैण्ड	168.00	128.00
20	उड़ीसा	208.00	240.00
21	पंजाब	573.00	573.00
22	राजस्थान	1013.00	886.00
23	सिक्किम	30.00	24.00
24	तमिलनाडु	314.00	270.00
25	त्रिपुरा	40.00	40.00
26	उत्तर प्रदेश	1253.00	331.00
27	उत्तरांचल	299.00	299.00

संलग्नक 5.14.2

(लाख रुपये में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2001- 02	
		अनुमोदित परियोजना	संशोधित परियोजना
1	2	3	4
28	पश्चिम बंगाल	1080.00	877.00
	जोड़(राज्य)	27769.00	24899.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67.00	67.00
30	चंडीगढ़	32.00	32.00
31	दादर व नगर हवेली	26.00	26.00
32	दमन व दीव	27.00	27.00
33	दिल्ली	821.00	821.00
34	लक्ष द्वीप	29.16	29.16
35	पांडिचेरी	340.00	301.00
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1342.16	1303.16
	समस्त भारत	29111.16	26202.16

स्रोत: राज्य योजना प्रभाग से आंकड़े प्राप्त किए गए।

संलग्नक 5.14.3

वर्ष 1991 से 2001 (जनवरी से अगस्त) तक की अवधि के लिए वर्षवार पंजीकरण, नियुक्ति, अधिसूचित रिक्तियां, दिए गए आवेदन और चालू रजिस्टर

(हजार में)

वर्ष	रोजगार कार्यालय*	पंजीकरण	नियुक्ति दिलाई	अधिसूचित रिक्तियां	दिए गए आवेदन	चालू रजिस्टर
1	2	3	4	5	6	7
1991	854	6235.9	253.0	458.6	4531.2	36299.7
1992	860	5300.6	238.7	419.6	3652.1	36758.4
1993	887	5532.2	231.4	384.7	3317.8	36275.5
1994	891	5927.3	204.9	396.4	3723.4	36691.5
1995	895	5858.1	214.9	385.7	3569.9	36742.3
1996	914	5872.4	233.0	423.9	3605.9	37429.6
1997	934	6321.9	275.0	393.0	3767.8	39139.9
1998	945	5851.8	233.3	358.8	3076.6	40089.6
1999	955	5966.0	221.3	328.9	2653.2	40371.4
2000	958	6041.9	177.7	284.5	2322.8	41343.6
2001 (जनवरी- अगस्त)	938	3961.7	110.2	218.1	1288.6	42272.1

* वर्ष के अंत में

31.11.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों की संख्या और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीटों का (सरकारी)	नि.औ.प्र.के. संख्या	सीटों की औ.प्र.के.	औ.प्र.सं./ की संख्या	कुल सीटों
1		3	4	5	6	7	8
	उत्तर क्षेत्र						
1	हरियाणा	78	13173	24	1428	102	14601
2	हिमाचल प्रदेश	44	4593	4	276	48	4869
3	जम्मू व कश्मीर	37	4076	0	0	37	4076
4	पंजाब	106	13999	32	1852	138	15851
5	राजस्थान	83	8512	16	1180	99	9692
6	उत्तर प्रदेश	179	38148	100	8724	279	46872
7	चण्डीगढ़	2	936	0	0	2	936
8	दिल्ली	14	8948	36	1572	50	10520
9	उत्तरांचल	34	5080	14	1480	48	6560
	उप जोड़	577	97465	226	16512	803	113977
	दक्षिण क्षेत्र						
1	आन्ध्र प्रदेश	84	22811	474	85082	558	107893
2	कर्नाटक	102	17348	355	25024	457	42372
3	केरल	68	13848	461	43305	529	57153
4	तमिलनाडु	53	17200	604	60048	657	77248
5	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6	पांडिचेरी	7	1256	7	424	14	1680
	उप जोड़	315	72559	1901	213883	2216	286442
	पूर्वी क्षेत्र						
1	अरुणाचल प्रदेश	2	368	0	0	2	368
2	असम	24	4536	3	84	27	4620
3	बिहार	28	10256	12	2504	40	12760
4	झारखंड	14	2564	11	1616	25	4180
5	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6	मेघालय	5	622	2	304	7	926
7	मिजोरम	1	294	0	0	1	294

संलग्नक 5.14.4

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीटों का (सरकारी)	नि.औ.प्र.के. संख्या	सीटों की औ.प्र.के.	औ.प्र.सं./की संख्या	कुल सीटों
1		3	4	5	6	7	8
8	नागालैण्ड	3	404	0	0	3	404
9	उड़ीसा	24	5744	122	11092	146	16836
10	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
11	त्रिपुरा	4	400	0	0	4	400
12	पश्चिम बंगाल	48	11584	13	740	61	12304
13	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	204	0	0	1	204
	उप जोड़	162	37636	163	16340	325	53976
	पश्चिम क्षेत्र						
1	गोवा	11	2492	4	420	15	2912
2	गुजरात	129	54416	98	12114	227	66530
3	मध्य प्रदेश	130	19186	20	1884	150	21070
4	छत्तीसगढ़	59	7920	54	5976	113	13896
5	महाराष्ट्र	347	63476	266	28908	613	92384
6	दादर व नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
7	दमन व दीव	2	388	0	0	2	388
	उप जोड़	679	148106	442	49302	1121	197408
	सकल जोड़	1733	355766	2732	296037	4465	651803

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला स्कंध/निजी
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(नवम्बर 2001 के आंकड़ों के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	म.औ.प्र.सं.	म.स्कं./ नि.म.औ.प्र.सं.	म.औ.प्र.सं./ स्कं. का जोड़	कुल सीट
1	2	3	4	5	6
	उत्तर क्षेत्र				
1	हरियाणा(अ)	7	34	41	2452
2	हिमाचल प्रदेश	16	0	16	784
3	जम्मू व कश्मीर	1	30	31	672
4	पंजाब	43	33	76	6018
5	राजस्थान	8	8	16	736
6	उत्तर प्रदेश(अ)	11	66	77	4188
7	चण्डीगढ़	1	0	1	320
8	दिल्ली(अ)	3	36	39	2712
9	उत्तरांचल(अ)	3	5	8	608
10	बिहार	11	0	11	976
11	मध्य प्रदेश	15	5	20	2480
	उप जोड़	119	217	336	21946
	दक्षिण क्षेत्र				
1	आन्ध्र प्रदेश(अ)	23	15	38	3880
2	कर्नाटक	17	6	23	1932
3	केरल	8	3	11	1552
4	तमिलनाडु	10	13	23	2182
5	पांडिचेरी	2	1	3	280
	उप जोड़	60	38	98	9826
	पूर्वी क्षेत्र				
1	असम(अ)	5	3	8	336
2	मणिपुर	1	0	1	48
3	मेघालय	1	0	1	32
4	नागालैण्ड	1	2	3	96
5	उड़ीसा	10	20	30	1872

संलग्नक 5.14.5

(नवम्बर 2001 के आंकड़ों के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	म.औ.प्र.सं.	म.स्कं./ नि.म.औ.प्र.सं.	म.औ.प्र.सं./ स्कं. का जोड़	कुल सीट
1	2	3	4	5	6
6	त्रिपुरा	1	0	1	84
7	पश्चिम बंगाल	4	6	10	496
	उप जोड़	23	31	54	2964
	पश्चिम क्षेत्र				
1	गुजरात	27	8	35	2262
2	महाराष्ट्र	15	226	241	9072
	उप जोड़	42	234	276	11334
	सकल जोड़	244	520	764	46070

(अ) अनंतिम आंकड़े

2001 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अधीन कवरेज

क. सं.	राज्यों के नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	स्वीकृत कवरेज		वास्तविक कवरेज	
			विद्यालयों की संख्या	बच्चों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	22	1008	51650	965	50921
2	बिहार	3	85	6500	85	6316
3	छत्तीसगढ़	5	139	9900	98	5128
4	झारखंड	5	114	5700	114	5700
5	कर्नाटक	5	190	9500	105	5222
6	मध्य प्रदेश	3	88	4600	44	2334
7	महाराष्ट्र	2	74	3700	69	3570
8	उड़ीसा	18	696	39550	628	35002
9	राजस्थान	6	180	9000	154	7700
10	तमिलनाडु	9	425	21900	417	22029
11	उत्तर प्रदेश	11	514	26500	365	21574
12	पश्चिम बंगाल	8	347	17350	298	14950
13	पंजाब	3	107	5350	27	1350
	जोड़	100	3967	211200	3369	181796

30.12.2001 तक पहचान किए गए बंधुआ मजदूरों और उनके पुनर्वास को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	बंधुआ मजदूरों की संख्या		
		पहचान किए गए और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित किए गए	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	36289	29552	680.10
2	बिहार और झारखंड	13092	12368	314.48
3	कर्नाटक	62763	55269	1386.38
4	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	12822	11897	146.35
5	उड़ीसा	49971	46843	898.13
6	राजस्थान	7478	6321	71.42
7	महाराष्ट्र	1393	1309	8.70
8	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	27797	27797	533.22
9	केरल	823	710	15.56
10	हरियाणा	544	21	0.42
11	गुजरात	64	64	1.01
12	अरुणाचल प्रदेश	3526	2992	568.48
13	तमिलनाडु	65573	65573	1661.94
14	अन्य	69	67	6.81
	जोड़	282204	260783	6293.00

अध्याय 6

क्षेत्रकीय विकास

6.1 कृषि

परिदृश्य

2002-03 के दौरान असामान्य मानसून से खरीफ की फसलों के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। फसलों की सम्भावनाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य जलवायु संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- खरीफ 2001 के मौसम के दौरान लगभग 8 प्रतिशत कमी की तुलना में 30 सितम्बर तक चालू मानसून मौसम (2002) के दौरान कुल वर्षा लगभग 19 प्रतिशत कम हुई।
- तथापि अधिक गम्भीर तथ्य यह था कि जून में सामान्य मानसून आने के बावजूद भी जुलाई, 2002 में मानसून पूरी तरह से विफल रहा। वास्तव में जुलाई, 2002 पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक सूखे वाला महीना रहा।
- पश्चिमोत्तर क्षेत्र के राज्य, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान अत्यधिक प्रभावित हुए। दक्षिणी क्षेत्र के राज्य जैसे, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु भी अत्यधिक प्रभावित हुए।
- तथापि, अगस्त के मध्य में वर्षा हुई और 15 अगस्त तथा 19 सितम्बर, 2002 के बीच अच्छी वर्षा हुई।
- 90.85 मिलियन टन का खरीफ खाद्यान्नों का अनंतिम मूल्यांकन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत कम है और सामान्य से 12.6 प्रतिशत कम है।
- खरीफ के मोटे अनाजों का उत्पादन 26.61 मिलियन टन हुआ जो सामान्य से 16 प्रतिशत कम रहा है।
- खरीफ की दालों का 4.2 मिलियन टन उत्पादन सामान्य से 12 प्रतिशत कम होने की सम्भावना है।
- 11.7 मिलियन टन का खरीफ का तिलहन उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत कम है और सामान्य से लगभग 12 प्रतिशत कम है।
- 8.9 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन सामान्य से लगभग 20 प्रतिशत कम होने की सम्भावना है।
- गन्ना, पटसन और मेस्टा पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ा है तथा इन फसलों का उत्पादन सामान्य से क्रमशः 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कम होने की सम्भावना है।

2. देर से हुई मानसून वर्षा और कुछ क्षेत्रों में जलाशयों में पर्याप्त मात्रा से कम पानी उपलब्ध होने के कारण उपलब्ध अवशिष्ट नमी को सावधानी से ध्यान में रखते हुए अवसादी खरीफ मौसम के पश्चात रबी मौसम शुरू हो रहा है। नीर्वी योजना में कृषि के क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर की परिकल्पना की गई थी किन्तु 2.11 प्रतिशत की विकास दर ही प्राप्त की

जा सकती। 2001-2002 में 218 मिलियन टन लक्ष्य के मुकाबले खाद्यान्नों का उत्पादन स्तर 211.32 मिलियन टन रहा। दलहनों का उत्पादन 15 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 13.52 मिलियन टन हुआ। तिलहनों का उत्पादन 27 मिलियन टन लक्ष्य के मुकाबले 21.06 मिलियन टन हुआ जो बहुत कम था। 2001-02 के दौरान गन्ना, कपास और पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः 320 मिलियन टन, 15 मिलियन गांठों और 10 मिलियन गांठों के मुकाबले 295 मिलियन टन, 11.96 मिलियन गांठों और 10.7 मिलियन गांठों का हुआ। (खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य संलग्नक-1 में दिए गए हैं)

3. दसवीं योजना में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से अधिक विकास दर की परिकल्पना की गई थी। दसवीं योजना में कृषि और सहकारिता विभाग के लिए 13200 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1735 करोड़ का आबंटन किया गया है, पण्य बोर्डों के कार्यक्रमों के लिए 1212 करोड़ रुपए और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी.ए.आर.ई.) के लिए 5368 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

4. शून्य पर आधारित बजट प्रणाली (जेड.बी.बी.) के माध्यम से नौवीं योजना में विभिन्न सरकारी विभागों में चालू स्कीमों की संख्या में विलयन/समेकन, राज्यों/गैर योजना को हस्तांतरित प्रक्रिया के द्वारा और कुछ अन्य स्कीमों को समाप्त करके, जो कृषि क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों में कम महत्वपूर्ण हो गई हैं, पर्याप्त कमी कर दी गई है। नौवीं योजना में कृषि और सहकारिता विभाग की स्कीमों की संख्या को 147 से घटाकर 30 कर दिया गया है, पशु पालन विभाग और डेयरी विकास विभाग की स्कीमों को 41 से घटाकर 20 कर दिया गया है। नौवीं योजना में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की 235 स्कीमों को दसवीं योजना के प्रारंभ में घटाकर 72 कर दिया गया है। इस कदम से वित्तीय संसाधनों और जनशक्ति संसाधनों की दक्षता में सुधार होने की संभावना है।

5. 2002-03/दसवीं योजना के दौरान ध्यान देने वाले क्षेत्र होंगे, बंजर भूमि का उपयोग करना जिनका उपयोग नहीं किया गया है अथवा कम उपयोग किया गया है, समस्याग्रस्त मृदा का पुनरुद्धार/विकास करना, जल संभरण (वाटरशेड) विकास के माध्यम से वर्षा के पानी को एकत्रित करना; सिंचाई विशेष रूप से लघु सिंचाई का विकास करना; जैविक संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना, उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाना; फसल प्रणाली की गहनता में वृद्धि करना, निवेशों की सामयिक और पर्याप्त उपलब्धता, विपणन/प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करना; विस्तार प्रणालियों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना और विस्तार सेवाएं हाथ में लेने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना; अनुसंधान और किसानों के उपज के बीच की खाई को पाटना, कृषि प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा देना; कृषि क्षेत्र के लिए सार्थक नीतियां शुरू करने तथा जोतों के और विखंडन को रोकने के लिए जैविक कृषि और सुधारों को बढ़ावा देना। 2001-02 के दौरान क्षेत्रवार निष्पादन और 2002-03 के लिए योजना/प्रक्षेपण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत में दिए गए हैं।

कृषि निवेश और सेवाएं

बीज

6. उच्चतर उत्पादकता स्तरों को प्राप्त करने के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और आधारभूत निवेश है। तथापि, बीज प्रतिस्थापन दरों के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए 2001-02 में प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की 109.76 प्रति किंवटल की दर पर उपलब्धता अपर्याप्त रही है। राष्ट्रीय बीज ग्रिड का सृजन करने का सुझाव दिया गया है ताकि सूखा, बाढ़, चक्रवातों आदि के कारण उत्पन्न स्थिति से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीज उत्पादकों/बीजों का उत्पादन करने वाली एजेंसियों से विभिन्न फसलों/किस्मों के बीजों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। वित्तीय संस्थानों और जनशक्ति की दक्षता को इष्टतम बनाने के लिए यह सिफारिश की गई है कि भारत राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.) और स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया का पुनर्निर्माण किया जाए। प्रजनक के उत्पादन के लिए पण्यवार विशिष्ट लक्ष्य, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज राष्ट्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों, अर्थात् एन.एस.सी., एस.एफ.सी.आई. तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) को सौंपे जाने चाहिए।

7. राष्ट्रीय बीज नीति बना ली गई है। बीज अधिनियम, 1996 के स्थान पर एक नया बीज अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि गुणवत्ता नियंत्रण को लागू किया जा सके और राष्ट्रीय हित में कीट-प्लाविका के देश में प्रवेश से विनियंत्रित किया जा सके।

उर्वरक

8. नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेश (एन.पी. एण्ड के.) पोषकों के संदर्भ में उर्वरकों की खपत 2000-01 में 167.0 लाख टन और 1999-2000 में 180.69 लाख टन की तुलना में 2001-02 के दौरान 193.06 लाख टन हुई थी। उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि 1996-97 के 75.46 कि.ग्रा./हे. के मुकाबले 2001-02 के दौरान 101 कि.ग्रा./हे. के स्तर तक पहुंच गई। तथापि एन पी एण्ड को पोषक उपयोग के संदर्भ में विशेष रूप से अधिक निवेश वाले क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग असंतुलित (6.7 : 2.6 : 1.0) पाया गया है, पोषक उपयोग के अलावा अनुप्रयुक्त उर्वरकों की दक्षता भी कम है। अनुप्रयुक्त उर्वरकों की उच्च पोषक दक्षता उपयोग प्राप्त करने तथा उर्वरकों के कम खर्चीले और दक्ष उपयोग के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव किया गया है कि कम्पोस्ट, फार्म यार्ड खाद, फार्म ऑर्गेनिक बेकार/फसल अवशिष्टों के रूप में ऑर्गेनिक के वर्धित इस्तेमाल और जैव उर्वरकों के साथ-साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मृदा-परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उर्वरक का उपयोग बढ़ाने के प्रयास, विशेष रूप से उन राज्यों में जिनमें खपत कम है, पर्याप्त विपणन अवसंरचना उपलब्ध कराकर किए जाएंगे। ऑर्गेनिक उत्पाद के प्रमाणन के लिए निवेश सूचना सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर तथा आवश्यक अवसंरचना विकसित करके ऑर्गेनिक कृषि को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

पीछा संरक्षण

9. समेकित कीटनाशक प्रबंधन (आई.पी.एम.) दृष्टिकोण के संवर्धन से कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने में सहायता मिली है। तथापि कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के अवशिष्ट का मिलाया जाना एक बड़ी चिंता की बात है। इसलिए कृषि पण्यों में कीटनाशक अवशिष्ट की जांच सुविधाओं के स्थापित किए जाने पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कीटनाशक गुणवत्ता जांच के लिए अवसंरचना/सुविधाएं विकसित और सुदृढ़ की जाएंगी ताकि कीटनाशकों के विनिर्माण और विपणन के लिए गुणवत्ता अवधारणा को प्रवृत्त किया जा सके।

10. कीटनाशकों, जीवनाशकों और रोगों के प्रकोप पर निगरानी रखने और भविष्यवाणी करने के लिए विद्यमान आई.पी.एम. को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र, भा.कृ.अ. परिषद और एस.ए.यू. को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वे मांग करने पर किसानों को आई.पी.एम. सहायता सेवाएं/जैव-नियंत्रण एजेंट उपलब्ध करा सकें और उन्हें आई.पी.एम. दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिल सके।

कृषि यंत्र और मशीनरी

11. देश में ऊर्जा और समय की बचत करने वाली दक्ष मशीनों और यंत्रों तथा औजारों की उपलब्धता एक चिंता का विषय रहा है। ऐसे यंत्रों/मशीनों को किसानों को उपलब्ध कराने के लिए उनका बड़े पैमाने पर संवर्धन/उत्पादन के द्वारा प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा विकसित देशों में इस्तेमाल की जाने वाली कृषि मशीनों और उपकरणों को लाने के लिए सुविधाओं का विकास किया जाएगा और देश में उपयुक्त संशोधन करके उन्हें अनुकूल बनाया जाएगा। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की विद्यमान स्कीमों का संशोधन/पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि दक्ष कृषि-मशीनों, यंत्रों और औजारों के विकास और बड़े पैमाने पर संवर्धन/उत्पादन करने पर बल दिया जा सके।

कृषि विस्तार

12. देश में विस्तार के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास विद्यमान राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से पहले ही किया जा चुका है। तथापि, देश में विस्तार प्रणाली कम प्रभावी और पुरानी हो गई दिखाई देती है। राज्यों में विस्तार प्रणाली को मांग के अनुरूप बनाने के लिए सुधार करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.एस.) को जिला/राज्य विस्तार प्रणाली से जोड़ने को विकसित/मजबूत किया जाएगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों को किसानों को निवेश/सूचना सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाएगा। आई.सी.ए.आर. के सभी संस्थानों, एस.ए.यू. और कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उनके कमान क्षेत्र के रूप में गांवों की एक निश्चित संख्या सौंपी जानी चाहिए; और खेतों और गांवों का दौरा करने को अध्ययन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और सेवा का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पण्यवार और विषयवार प्रतिरूपकों को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए उनके माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए समाचार पत्रों तथा

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का व्यापक और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कृषि क्लिनिक/कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित करने के लिए बनाई गई स्कीमों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है और बेरोजगार कृषि स्नातकों ने बहुत ही उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर दिया है। 31 अगस्त, 2002 तक विभिन्न क्रियाकलापों में उद्यमिता-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुल 13478 आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे कार्यक्रमों को और सुदृढ़ किया जाएगा जो किसानों को उपयोगकर्ता प्रभार आधार पर विस्तार और निवेश सहायता सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

13. कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रक (नोडल) अभिकरण है। इसने अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संयोजन से एक नेटवर्क विकसित किया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सिज़ (एन.बी.ए.जी.आर., करनाल), नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सिज़ (एन.बी.एफ.जी.आर. - लखनऊ), नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिज़ (एन.बी.पी.जी.आर.), नई दिल्ली और हॉर्टिकल्चर जीन बैंक लखनऊ का संग्रहण, अधिग्रहण, संगरोध, चरित्र-चित्रण, मूल्यांकन, अनुरक्षण, प्रलेखन और जागरूकता पैदा करने के संबंध में उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और सुदृढ़ किया गया है। नेशनल ब्यूरो आफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स की स्थापना का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है।

14. फसल-सुधार, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुधन सुधार, मत्स्य उद्योग के संबंध में अनेक अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और अनेक किस्में तथा सुसंगत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियां निर्मित/विकसित की गई हैं।

15. दसवीं योजना के उद्देश्यों पर विचार करते हुए, 2002-03 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल होंगे:

- ट्रांसजेनिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, धारणीय प्राकृतिक संसाधनों जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास और इसके साथ-साथ समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण और दोहन;
- विविधीकृत कृषि, मूल्य जोड़ने, कृषि व्यापार पहलू के संदर्भ में अनुसंधान का पुनराभिव्यक्ति;
- प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय विकास के लिए प्रौद्योगिकियां और लागत कम करने तथा गुणवत्ता सुधार संबंधी प्रौद्योगिकियां;
- कृषि संबंधी आदानों विशेष रूप से पानी और उर्वरकों के दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियां;
- छोटे फार्मा, पहाड़ी खेती, ऊर्जा प्रबंधन और कृषि में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के इस्तेमाल का मशीनीकरण करने संबंधी अनुसंधान;
- दलहनों और तिलहनों के क्षेत्र में उद्भव के लिए अनुसंधान, नारियल म्लानि रोग; बीज, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों आदि का प्रबंधन।

16. अब तक सरकारी क्षेत्र में कृषि में अनुसंधान किया गया है। निजी क्षेत्र का अनुसंधान सामान्यतः कृषि-रसायनों और बीजों तक ही सीमित रहा है। आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ सहभागिता अनुसंधान और सहकारिता अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

17. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान पैदावार और किसानों की पैदावार के बीच के उपज अन्तर को पाटने के लिए अपने कृषि विज्ञान केन्द्रों और संस्थानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आरम्भ करेगी। जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए निधियों का प्रावधान किया गया है।

18. उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की शक्ति में गिरावट आई प्रतीत होती है जिसके लिए भा.कृ.अ.पू - एस.ए.यू. अनुसंधान प्रणाली द्वारा पुनरभिव्यन्धास किए जाने की आवश्यकता है और व्यवस्था, तंत्र संगठन ढांचे की समीक्षा किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा विज्ञान, उद्योग के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल तथा अन्य पणधारियां जिनमें किसान भी शामिल हैं, द्वारा की जानी चाहिए ताकि धारणीय विकास, जल संरक्षण, निवेश प्रबंधन, मृदा संरक्षण प्रसंस्करण, जैविक खेती, आई.जी.एम., पोषक प्रबंधन, अवशिष्ट प्रबंधन संबंधी अनुसंधान पर बल को पुनरभिव्यन्धासित किया जा सके।

19. नौवीं योजना के 2673 करोड़ रुपए की वसूली और 3376.95 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में कृषि अनुसंधान के लिए दसवीं योजना में आबंटन बढ़ाकर 5368 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2002-03 के लिए 775 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

कृषि ऋण और सहकारिता

20. कृषि उत्पादों और निवेश क्रियाकलापों को सहायता पहुंचाने में ऋण की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने और वाणिज्यीकरण करने के संदर्भ में यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र की ऋण सहायता को बढ़ाया जाए। यद्यपि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि कर दी गई है तथापि यह अपर्याप्त रही है। बैंक के कुल ऋण में 1999-2000 में कृषि क्षेत्र का हिस्सा केवल 9.5 प्रतिशत और 2000-01 में लगभग 14 प्रतिशत रहा था। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में बैंक से कृषि के लिए बकाया क्रेडिट 18 प्रतिशत के लक्ष्य स्तर के मुकाबले मार्च, 2000 में 15.8 प्रतिशत तथा मार्च 2001 में 15.7 प्रतिशत था। नवम्बर, 2000 के अन्त तक ट्रेन्च I से VII के अन्तर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की समग्र निधि में 33,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 30 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार आर.आई.डी.एफ. की विभिन्न ट्रेन्चों के अन्तर्गत संस्वीकृतियों और संवितरण की राशि क्रमशः 20,344 करोड़ रुपए और 10,409 करोड़ रुपए थी। वास्तविक क्रेडिट और सम्बद्ध क्रियाकलापों में सहकारी बैंकों का हिस्सा 2000-2001 में 41 प्रतिशत था। 2000-01 में वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि क्रेडिट में अपने हिस्से को बढ़ाकर 52 प्रतिशत तक कर दिया था। सहकारी ऋण संस्थाएं बदतर वसूली स्थिति और घिरकालीन पुरानी

बकाया राशि के बने रहने से हानि उठा रही हैं। 2000-01 में आर.आर.बी. का हिस्सा 7 प्रतिशत था। 197 आर.आर.बी. में से 187 आर.आर.बी. पुनर्निर्माण के 6 चरणों के अन्तर्गत पुनःपूँजीकरण करने का काम प्रारम्भ कर दिया है जिसमें से 158 का पुनःपूँजीकरण किया गया था।

21. गम्भीर वित्तीय कमजोरियों के साथ सहकारी बैंकों का कार्यकरण उनको मजबूत, व्यवहार्य और स्वयं धारणीय संस्थाओं के रूप में उन्हें बदलने के उद्देश्य के असंगत है जो बड़े हुए क्रेडिट प्रवाह को सरणिबद्ध करने में समर्थ हों जैसी कि दसवीं योजना के लिए परिकल्पना की गई थी। सहकारी क्रेडिट संस्थाओं का पुनःपूँजीकरण और नवीकरण करने के लिए गठित दसवीं योजना के लिए क्रेडिट सहकारिता और फसल बीमा संबंधी कार्य दल द्वारा विचार किया जा रहा है। कार्य दल ने तुलन पत्र के शोधन के लिए 8000 करोड़ रुपए की पुनःपूँजीकरण आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

22. नाबार्ड ने औपचारिक संस्थाओं द्वारा निर्धन लोगों का वित्तपोषण करने के लिए स्वतः सहायता समूह की अवधारणा को बढ़ावा दिया है और यह गैर-औपचारिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करता है। मार्च, 2001 तक लगभग 114775 स्वतः सहायता समूह औपचारिक बैंकों से जोड़ दिए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन समूहों को बैंक वित्तपोषण की रीति को अंतिम रूप दे दिया है और फरवरी, 2000 में इसकी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में गिनती की थी।

23. वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और आर.आर.बी. किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) स्कीम को लागू कर रही हैं। 30 जून, 2002 तक कुल 249.07 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। स्कीम की प्रगति राज्यों में समान नहीं है। और यह पूर्वोत्तर राज्यों में निराशाजनक है। इसका कारण क्षेत्र में जारी किए गए ऋणों का कम स्तर, सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. की खराब वित्तीय स्थिति और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी रहा है। 30 जून, 2002 तक सहकारी बैंकों ने 158.99 (63.84 प्रतिशत) लाख, आर.आर.बी. ने 17.34 (6.96 प्रतिशत) लाख और वाणिज्यिक बैंकों ने 72.72 (29.20 प्रतिशत) लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

24. किसानों (ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों) के संदर्भ में फसलों और जोखिम कारकों को व्यापक स्तर पर शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) 1985 से देश में शुरू की गई है। 'राष्ट्रीय कृषि बीमा' योजना पूर्व की सी.सी.आई.एस. को प्रतिस्थापित करके 1999-2000 के रबी मौसम से प्रारम्भ की गई थी। यह योजना सभी किसानों - ऋण लेने वालों और ऋण न लेने वालों को उनकी जोत के आकार पर विचार किए बिना उपलब्ध है। इसमें सभी खाद्य फसलों, तिलहनों और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी सम्बन्धी फसलों को, जिनके पिछले अनेक वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं, शामिल करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में यह योजना 19 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू की जा रही है जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रबी 2001-02 मौसम तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत 328 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 216.49 लाख किसानों को 17666.24 करोड़

रुपए सुनिश्चित करते हुए शामिल किया गया है। 528 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय के मुकाबले लगभग 1450 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। छोटे और सीमान्त किसान 50 प्रतिशत राज सहायता के हकदार होंगे जिसके प्रभारों की भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच बराबर की भागीदारी होगी। तथापि प्रीमियम राज सहायता सनसेट आधार पर पांच वर्ष से अधिक की अवधि में समाप्त कर दी जाएगी।

बागवानी

25. भारत में व्यापक क्षेत्रों में सम्पन्न जैव विविधता के साथ विविध कृषि-जलवायु वाली स्थितियां हैं। ये स्थितियां विभिन्न बागवानी फसलों, नारियल, कोका, काजू, औषधीय तथा सुगंधित पौधों, मसालों और रोपण फसलों के उपयुक्त हैं। आम जनता के पोषण संबंधी स्तर में सुधार करने के अतिरिक्त बागवानी क्षेत्र गामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार अवसरों को बढ़ाने का महत्व रखता है। बागवानी क्षेत्र कृषि सम्बन्धी उद्योगों के लिए एक ठोस आधार उपलब्ध कराता है। बागवानी क्षेत्र खेती किए गए केवल लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र से कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24.5 प्रतिशत का योगदान देता है।

26. तथापि प्रौद्योगिकियों और अवसंरचना की अपर्याप्त, भूमि जोतों का छोटा और सीमान्त आकार, पुराने और जीर्ण फल बागानों की प्रचुरता, अच्छी गुणवत्ता वाले रोग मुक्त बीजों और उत्कृष्ट रोपण सामग्री की कमी, रोगों और जीवनाशकों की मौजूदगी और हैंडलिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण सुविधाओं फसलोत्तर खराब प्रबंधन पद्धतियों जैसी कुछ अड़चनें हैं। विपणन व्यवस्था और प्रसंस्करण प्रक्रिया नेटवर्क भी संतोषजनक नहीं है। ये अड़चनें बागवानी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने में होने वाले विलम्ब के लिए जिम्मेदार हैं।

27. फलों और सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य नौवीं योजना में 179 मिलियन टन रखा गया था। फलों का अनुमानित उत्पादन 45.37 मिलियन टन और सब्जियों का उत्पादन 93.92 मिलियन टन था। इस प्रकार 2000-01 के लिए कुल 139.29 मिलियन टन था। चूंकि नौवीं योजना का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी था इसलिए उसका पूरी तरह से प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

28. देश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखकर दसवीं योजना ने इसके समग्र विकास के लिए प्राथमिकता दी है। दसवीं योजना में पता लगाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना, अच्छी गुणवत्ता वाले रोग मुक्त, अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रोपण सामग्रियों की आपूर्ति करके उत्पादन की लागत कम करना, किसान के स्तर पर मूल्य बढ़ाना और प्रसंस्करण उद्योग पर लगे प्रतिबन्धों को दूर करना, इनमें अल्कोहल पर आधारित खाद्यान्न, फल, सब्जियां और गन्ना शामिल हैं, नवीनतम प्रौद्योगिकियों और उन्नत कृषि पद्धतियों को लागू करके गुणवत्ता में सुधार करना, विपणन और निर्यातों को बढ़ाया देना, संगठनात्मक सहायता को सुदृढ़ करना, मानव संसाधन विकास, उच्च क्षमता वाले क्षेत्र सिविकिकम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में मिशन मोड दृष्टिकोण को अपनाना और संगत नीतिगत मुद्दों को सुलझाना शामिल हैं। बागवानी क्षेत्र में उभरते क्षेत्र हैं - औषधीय और सुगंधित पौधे, पुष्प कृषि, मशरूम आदि। मधुमक्खी पालन फसल की उत्पादकता में वृद्धि करता है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि

नौवीं योजना के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए और उच्च प्रौद्योगिकी और सुस्पष्ट कृषि के साथ स्कीमें शुरू करके धारणीय विकास के लिए प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेपण, मानव संसाधन विकास आदि के द्वारा बागवानी के इन सभी उपक्षेत्रों पर और अधिक बल दिया जाए। फसलोत्तर प्रबंधन और शीत भंडारण प्रणाली पर निवेश का अंतिम भाग (बैंक एन्डेड) क्रेडिट सम्बद्ध राज सहायता के स्वरूप पर अधिक बल देने का विचार किया गया है। क्रियाकलापों के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और बैंक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

पौध फसलें

29. देश में चाय, कॉफी और रबड़ परम्परागत पौध फसले हैं। इनको अधिकांशतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाता है। देशीय खपत मांग को पूरा करने के अलावा पण्यों के ये समूह देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये फसले श्रम प्रधान और आम लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक अच्छा स्रोत होती हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों के जैव-क्षेत्र और पारिस्थितिकी का संरक्षण पण्यों के इन समूहों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

30. विस्तृत रूप से पौध फसलों के चहुंमुखी विकास में आने वाली बड़ी अड़चनों में निम्नलिखित शामिल हैं : पुराने पौधे, पुनः रोपण की धीमी गति, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ, ऊंची जमीन, श्रम अनुपात, पौधों की छोटी-छोटी भूमि जोतों की प्रबलता, अच्छी गुणवत्ता, रोगमुक्त रोपण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता और वैज्ञानिक ढंग से पौध रोपण विकास की कमी।

31. यह प्रस्ताव किया गया है कि दसवीं योजना के दौरान इन बाधाओं का हल निकाला जाए। चूंकि पौध फसलों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धीमी मांग और नीचे मूल्यों के कारण पिछले कुछ वर्षों से भारी हानि उठाई है इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्पादकता में वृद्धि और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित किया जाए। चूंकि जैविक चाय और कॉफी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त मांग है इसलिए ऐसे उत्पादों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अतः फसल पद्धतियों और रबड़, रबड़-लकड़ी आदि जैसे उत्पादों के अंतिम उपयोग के विविधीकरण द्वारा रोपकों की आय के स्रोतों की भरपाई करने के लिए प्रयास करने का प्रस्ताव किया गया है।

32. पौध क्षेत्र के लिए नौवीं योजना में परिव्यय 740.20 करोड़ रुपए था। इसमें मसाला/तम्बाकू बोर्ड और काजू निर्यात संवर्धन परिषद भी शामिल थी। नौवीं योजना के दौरान 757.49 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था जो कि परिव्यय की तुलना में थोड़ा सा अधिक था।

33. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पण्य बोर्डों के कार्यक्रमों के लिए 1212 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

6.2 पशुपालन और डेयरी उद्योग

34. चालू मूल्यों पर 2000-01 में कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन और डेयरी उद्योग का योगदान 5.9 प्रतिशत था। यह अनुमान (1993-94) लगाया जाता है कि लगभग 18 मिलियन लोग पशुधन क्षेत्र में मुख्य (9.8 मिलियन) अथवा आनुषंगिक (8.6 मिलियन) स्थिति में नियोजित हैं। पशुधन चरागाह के श्रम बल में 70 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। इस तथ्य के बावजूद कि पशुधन क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया था, इस क्षेत्र में कुल विकास दर (लगभग 4.5 प्रतिशत) स्थिर है।

35. 1950 से 1970 तक भारत में दुग्ध का उत्पादन कमोवेश स्थिर रहा था। तत्पश्चात इसमें तेजी से वृद्धि हुई और 2001-02 (प्रत्याशित) में 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। भारतीय मुर्गीपालन उद्योग ने एक लम्बा रास्ता तय किया है - एक पिछड़ी हुई अवस्था से एक संगठित, वैज्ञानिक और उभरते उद्योग के रूप में। यह अनुमान लगाया जाता है कि नौवीं योजना के 35 बिलियन संख्या के लक्ष्य के मुकाबले देश में अंडों का उत्पादन लगभग 33.6 बिलियन संख्या (2001-02) हुआ है। मांस के उत्पादन का अनुमान 4.6 मिलियन टन लगाया गया था (1998)। दुग्ध उत्पादन के लिए दसवीं योजना का लक्ष्य 108.4 मिलियन टन रखा गया है। अंडे और ऊन के उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 43.4 बिलियन नग और 63.7 मिलियन कि.ग्रा. रखा गया है।

36. नौवीं योजना के दौरान संसाधन प्रतिबन्ध को देखते हुए पशुपालन विभाग और डेयरी उद्योग (मत्स्य पालन सहित) में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी स्कीमों को शून्य पर आधारित बजटीय प्रणाली के अधीन रखा गया था। 41 स्कीमों में से 23 स्कीमों की छंटाई कर दी गई, एक स्कीम को हस्तांतरित कर दिया गया और 6 स्कीमों को विलय कर दिया गया।

37. 2002-03/दसवीं योजना के दौरान की जाने वाली नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं :

- प्रमाणित वीर्य और उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का इस्तेमाल करके और कृत्रिम वीर्य सेचन तथा प्राकृतिक सेवा नेटवर्क का विस्तार करके किसान के स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देशीय/स्थानीय पशुओं और भैंसों के जैविक ग्रेड को बढ़ाए जाने पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। मिलिटरी डेयरी फार्मों, सरकार/संस्थागत फार्मों और गोशालाओं के सहयोग से वंश का परीक्षण किए गए सांडों का उत्पादन शुरू किया जाएगा।
- नस्लों की विविधता को बनाए रखने के लिए पशुधन का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए जिनकी संख्या घट रही है अथवा विनाश के कगार पर हैं।
- पशु फ्लेग रोग का सफलतापूर्वक उन्मूलन करने के पश्चात विद्यमान पशु रोगों पर नियंत्रण करने के लिए अब राष्ट्रीय प्रतिस्कीकरण कार्यक्रम को अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। रोग मुक्त मंडलों का सृजन करने का प्रयास किया जाएगा।
- चारे की फसलों और चारे वाले वृक्षों की खेती के माध्यम से चारे का विकास, चारागाहों का पुनः विकास करना और सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का उचित प्रबंधन धारणीय पशु उत्पादन के लिए आवश्यक है।

- देशीय घासों जैसे राजस्थान की सावन घास, जिसमें अपेक्षाकृत प्रोटीन का अधिक प्रतिशत होता है, के प्रयोग/प्रचार पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता है।
- छोटे-छोटे जुगाली करने वाले पशुओं (भेड़ और बकरी) और पैक पशुओं (घोड़े और ऊँट) के सुधार का काम संबंधित क्षेत्रों में, जहाँ ऐसे पशुओं का बाहुल्य है, किया जाना चाहिए।
- पंचायतों, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों को उनके संबंधित क्षेत्रों में किसानों को उनके द्वारा पर सेवा उपलब्ध कराने वालों का एक समर्पित समूह गठित करने में प्रमुख भूमिका अदा करनी चाहिए।
- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना और डेयरी उद्योग क्षेत्र में मूल्य अधिक देना प्राथमिकता होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में देशीय चिड़ियों की दशा में सुधार करने और पिछड़े हुए मुर्गीपालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
- पशु उत्पादन और स्वास्थ्य पर आधारित सूचना तंत्र का सृजन किया जाएगा जिसमें संस्थाओं, सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी होगी।
- भारतीय पशु परिषद के प्रतिमानकों के अनुसार पशु महाविद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। पशु पालन विभाग और डेयरी उद्योग विभाग को, यदि उसे नियामक और अनुवीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है, सुदृढ़ किया जाना भी महत्वपूर्ण है।
- इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पशु पालन विभाग और डेयरी उद्योग विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप शुरू किया जाएगा।

पशु और भैंस विकास

38. साठ के दशक के मध्य से देश के लिए संस्तुत पशु भैंस प्रजनन के विस्तृत ढांचे में देशीय नस्लों के उनके प्रजनन इलाके में चुनिंदा प्रजनन और गैर वर्णित पशुओं का ग्रेड बढ़ाए जाने के लिए ऐसी उन्नत नस्लों के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई थी। जबकि राज्यों ने ढांचे को स्वीकार कर लिया था, फील्ड स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से उनका उपयुक्त क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। संस्करण, जिसे सीमित ढंग से और पशुओं का कम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से शुरू किया जाना था, अब अंधाधुंध ढंग से देश भर में फैल गया है। इसमें स्थापित क्षेत्रीय पशुओं की नस्ल के कुछ प्रजनन इलाके भी शामिल हैं। विजातीय नस्लों के साथ देशीय नस्लों के इलाकों में भी संकरण पर निरंतर जोर देने से कुछ जानी-मानी नस्लें जैसे रैड सिंधी, साहीवाल, थरपारकर, पंगनूर और वेचुर लगभग समाप्त हो गई हैं। जमे हुए वीर्य की खुराकों की वर्तमान उत्पादन क्षमता वार्षिक 65 मिलियन खुराकों की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले लगभग 30 मिलियन है। पशु और भैंस के प्रजनन की एक विस्तृत राष्ट्रीय परियोजना देश में अक्टूबर, 2000 से प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना में विभिन्न पशुओं और भैंसों के प्रजनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए 100 प्रतिशत सहायता अनुदान और आपरेशनों की धारणता तथा प्रजनन निवेशों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।

डेयरी विकास

39. दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश (एम.एम.पी.ओ.) के अधीन नई दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित करने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अप्रैल, 1996 में दुग्ध क्रांति कार्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् डेयरी विकास के दो मुख्य कार्यक्रम हैं (क) गैर दुग्ध क्रांति, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम और (ख) सहकारिताओं को सहायता। 31 मार्च, 2001 तक आई.डी.डी.पी. स्कीम से लगभग 6600 (अंतिम) गांव स्तर की डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 5 लाख कृषक परिवारों को लाभ पहुंचा है। सहकारिताओं को सहायता स्कीम घाटे में चल रहे जिला दुग्ध सहकारी संघों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2000 में अनुमोदित की गई थी। मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार 168 दुग्ध संघों में से 58 दुग्ध संघ (34.5 प्रतिशत) घाटे में चल रहे थे। दिल्ली दुग्ध योजना को केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में जारी रखे जाने पर समय-समय विचार किया जाता रहा है। मंत्रिमंडल ने 24 जून, 1997 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली दुग्ध योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था परन्तु इसे अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है। जेड.बी.बी. के निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीने बाद योजना की छंटाई की जाती है।

मुर्गीपालन विकास

40. भारतीय मुर्गीपालन उद्योग ने एक पिछड़े उद्योग से एक संगठित, वैज्ञानिक और प्रबल उभरते उद्योग के रूप में एक लम्बा रास्ता तय किया है। मुर्गीपालन के विकास में महत्वपूर्ण कदम देश में याणिज्यिक रूप से विशुद्ध प्रजनन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप उठाया गया है। विभिन्न सहायता तंत्रों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप से अब ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम 'राज्य मुर्गीपालन/बतख फार्म को सहायता' को चूजों के बहुविधीकरण और प्रसार के लिए प्रत्येक राज्य में एक अथवा दो विद्यमान मुर्गीपालन फार्म की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1999-2000 के दौरान स्वीकृति दी गई थी।

बकरी, भेड़ और सूअर विकास

41. पिछले दो दशकों के दौरान भारत की सभी प्रमुख पशुधन प्रजातियों में बकरियों की संख्या अत्यधिक तेज दर से बढ़ी है लेकिन पिछले चार दशकों के दौरान भेड़ों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। देश में बढ़िया किस्म की ऊन का उत्पादन लगभग 35 से 40 मिलियन किलोग्राम की तुलना में लगभग 4 मिलियन किलोग्राम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, सूअर पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस क्षेत्र में सूअरों की पर्याप्त जनसंख्या है जो कि देश की सूअर जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। तथापि अधिकांश जनसंख्या देशीय प्रकार की है जिसकी वृद्धि और उत्पादकता बहुत ही कम है। सूअरों के विकास में मुख्य कठिनाई प्रजननकारी नरों की भारी कमी है। 'एकीकृत सूअर बाड़ा विकास के लिए राज्यों का सहायता' स्कीम के

अधीन किसानों को सूअरों की उन्नत किस्मों के वितरण के माध्यम से सहायता मुख्य रूप से देशीय नस्लों के आनुवांशिक ग्रेड बढ़ाए जाने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

मांस उत्पादन और पशु शव का उपयोग

42. भारत में मांस का उत्पादन अधिकांशतः पशुधन उत्पादन का एक उप-उत्पाद है जिसके लिए पशुओं का उनकी प्रजनन क्षमता के अंत में बचे पशुओं का उपयोग करके किया जाता है। मांस के उत्पादन का अनुमान 4.6 मिलियन टन (1998) लगाया गया था। बूढ़खानों और पशु शव उपयोग केन्द्रों का सुधार/आधुनिकीकरण करने के लिए सातवीं और आठवीं योजना के दौरान मंजूर की गई परियोजनाएं अभी पूरी की जानी हैं। स्वाभाविक रूप से मरने वाले पशुओं के शवों का उपयोग करने के लिए एक बैंक एन्डेड राज सहायता स्कीम के बनाए जाने की आवश्यकता है।

पशु स्वास्थ्य

43. दूसरी योजना के बाद से रोगों जैसे, पशु प्लेग, पैर और मुंह के रोग, हेमरहोमिक सेप्टीसीमिया, ब्लैक क्वार्टर और एन्थ्रैक्स पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए गए थे। यद्यपि देश से पशु प्लेग का उन्मूलन किया गया तथापि पशु उत्पादन कार्यक्रम में एक प्रमुख समस्या के रूप में अन्य रोग अभी भी जारी हैं। कुछ उभरते हुए रोग जैसे, पेस्ट डेस पेटिस र्यूमिनेन्ट्स (पी.पी.आर.), ब्ल्यू टंग, भेड़-चेचक और बकरी चेचक, क्लासीकल स्वाइम फीवर, संक्रामक गो जातीय फफड़ी, न्यू कैसल डिस्सीज़ (रानीखेत डिस्सीज़) पर्याप्त मात्रा में आर्थिक घाटा कर रही हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनवरी, 1999 में पशु प्लेग के उन्मूलन के लिए कुल 48.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्तमान पशु प्लेग उन्मूलन की राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.आर.ई.) संस्वीकृत की गई थी। योजना के अधीन सीमा वाले राज्यों के लिए रोगों पर निगरानी रखने और पूर्व में चेतावनी देने की प्रणाली के लिए एक योजना लागू की जा रही है परंतु निष्पादन संतोषजनक नहीं है। पशु स्वास्थ्य निदेशालय, केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम के अन्तर्गत पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं, राष्ट्रीय पशु जैव उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण और रोग नैदानिक रेफरर प्रयोगशालाएं जैसे महत्वपूर्ण घटक हैं।

मत्स्य उद्योग

44. देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में मत्स्य उद्योग क्षेत्र प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यह सस्ते और पोषक भोजन का स्रोत है और निर्यातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान देने के अलावा अनेक अनुबंधी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह गृहस्थियों की पारिवारिक आय बढ़ाने में भी योगदान देता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने में सहायता करता है। 6 मिलियन से अधिक मछुआरे और मत्स्य-किसान अपनी आजीविका के लिए मत्स्य उद्योग और एक्वाकल्चर पर निर्भर करते हैं।

45. बजट. अनुमान 2001-02 के अन्तर्गत केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अधीन मत्स्य उद्योग के लिए 103.86 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी और संशोधित अनुमान 2001-02 के अन्तर्गत 87.76 करोड़ रुपये जिसमें से 2001-02 के दौरान 83.95 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी। 9 वीं योजना के अंत तक मछलियों का अनुमानित उत्पादन 2000-01 में 5.86 मिलियन टन के मुकाबले 6.12 मिलियन टन होगा।

46. योजना आयोग द्वारा की गई शून्य पर आधारित बजटीय प्रणाली के अनुसार मत्स्य उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित स्कीमों में श्रेणीबद्ध किया गया है अर्थात् (I) एक्वाकल्चर और अन्तर्देशीय पकड़ वाले मत्स्य उद्योगों सहित अन्तर्देशीय एक्वाकल्चर और मत्स्य उद्योग का विकास; (II) निकर्षण उपकरणों के रख-रखाव सहित समुद्री मत्स्य उद्योग, अवसंरचना और फसलोत्तर का विकास, और (III) कल्याण कार्यक्रम/मानव संसाधन विकास और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें, इनमें शामिल हैं (i) मत्स्य उद्योग संस्थानों को सहायता और (ii) आधार सामग्री और सूचना तंत्र को मजबूत करना। 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 750 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और वार्षिक योजना 2002-03 के अन्तर्गत 102 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

47. नौवीं योजना के दौरान 429 मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों (एफ.एफ.डी.ए.), 39 खारा पानी मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों (सी.एफ.डी.ए.) के नेटवर्क के माध्यम से एक्वाकल्चर उत्पादकता का चहुँमुखी विकास एक प्रमुख उत्पादनोन्मुख कार्यक्रम था। लगभग 32500 हेक्टे. जल क्षेत्र ताजा जल मत्स्य कृषि के अन्तर्गत लाया गया था और वर्ष 2001-02 के दौरान इन एफ.एफ.डी. एजेन्सियों के माध्यम से लगभग 48300 मत्स्य कृषकों को मत्स्य कृषि की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 19000 छोटे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों को, जिनको एच.एस.डी. ऑयल की आपूर्ति की जाती है, राज सहायता-लाभ उपलब्ध कराने के अलावा समुद्री क्षेत्र में लगभग 3000 परम्परागत जलयान संस्वीकृत किये गये थे। इसके अलावा 50 में 17 लघु मत्स्य बंदरगाहों और 171 में से 41 मछली उतराई केन्द्रों, जो 9 वीं योजना तक संस्वीकृत किये गये थे, का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

48. 10 वीं योजना के दौरान मत्स्य उद्योग के विकास के लिए बल देने वाले क्षेत्र हैं, कैप्चर फिशरीज से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना विशेष रूप से गहरे समुद्र, नदियों जैसे क्षेत्रों से, उपयुक्त निदामक तंत्रों द्वारा तटीय मत्स्य उद्योग का प्रबंधन, तालाबों, पोखरों, जलाशयों और झीलों से एक्वाकल्चर का चहुँमुखी विकास करना, अवसंरचना विकास, फसलोत्तर उन्नत प्रबंधन इसमें विपणन और आवास शामिल हैं। इसके अलावा मत्स्य उद्योग में मछुआरों के कल्याण, आधारभूत सामग्री और सूचना नेटवर्क को मजबूत करने के लिए स्कीमों का दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन किये जाने का भी प्रस्ताव है। कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग ने भारतीय ई.ई.जेड. में मत्स्य उद्योग प्रचालनों के लिए हाल ही में दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रचालन में धारणीयता को सुनिश्चित करते हैं जो अन्य पनधारियों के हितों से विपरीत होते हैं। संसाधन विशेष रूप से अपतटीय और गहरे समुद्री क्षेत्रों से, का न्यायोचित दोहन करने के लिए समुद्री मत्स्य उद्योग के

संबंध में एक विस्तृत नीति बनायी जा रही है। फरवरी, 1997 में एक एक्वाकल्चर अथारिटी स्थापित की गई थी, यद्यपि श्रिम्प एक्वाकल्चर फार्म मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में श्रिम्प कृषि को विनियमित करने से सम्यन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन दिनांक 6-2-1997 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। एक्वाकल्चर अथारिटी ने देश में तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण उपयुक्त उन्नत श्रिम्प-कृषि को बढ़ावा देने के लिए अब तक अनेक अभ्युपाय किए हैं, इसमें चेन्नई में अगस्त, 2002 में आयोजित विशेषज्ञ परामर्श भी शामिल है, जिसने देश में श्रिम्प-कृषि के विकास के लिए सभी सम्बद्ध यक्षों द्वारा संगीन मुद्दों के उठाये जाने की सिफारिश की थी। संसद में एक्वाकल्चर अथारिटी विधेयक पारित किया जाना विचाराधीन है।

49. 2002-03 के दौरान समुद्री क्षेत्र में शुरु की जाने वाली कुछ प्रस्तावित स्कीमें हैं- समुद्री मत्स्य उद्योग और अवसंरचना का विकास/ अन्तर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में तालाबों और पोखरो जैसे जल निकायों से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्कीमों को 2002-03 के दौरान जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अंतिम भाग राजसहायता स्कीम के साथ-साथ क्रेडिट के लिए आसान पहुँच को बढ़ावा देने के लिए ताजा जल एक्वाकल्चर की मानवीकृत विश्वसनीय परियोजनाओं के तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना है। 2002-03 के दौरान मछुआरो के प्रशिक्षण और विस्तार तथा कल्याण स्कीमों के अतिरिक्त मत्स्य उद्योग से जुड़े संस्थानों को सहायता दिया जाना भी जारी रहेगा।

दसवीं योजना उत्पादन लक्ष्य और खाद्यान्नों की उपलब्धियां

(मिलियन टन)

फसल	2001-02		2002-03
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4
चावल	92.00	91.61	93.00
गेहूँ	78.00	71.47	78.00
मोटे अनाज	33.00	34.72	33.00
दलहन	15.00	13.52	16.00
कुल खाद्यान्न	218.00	211.32	220.00
तिलहन	27.00	21.06	27.00
गन्ना	320.00	295.00	320.00
कपास (170 कि.ग्रा. की गांठें)	15.00	11.96	15.00
पटसन और मेस्टा (180 कि.ग्रा. की गांठें)	10.00	10.70	12.00
दुग्ध, अंडे और ऊन उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां			
	नौवीं योजना		
दुग्ध (मिलियन टन)	96.49		84.60
अंडे (बिलियन)	35.00		33.60
ऊन (मिलियन कि.ग्रा.)	54.00		उ.न.
मछली (मिलियन टन)	7.04	6.12	

* अनुमानित

कृषि और सहायक क्षेत्रक के परिव्यय और व्यय

रुपये लाख में

क्र. सं.	विभाग	दसवीं योजना परिव्यय	2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6
I	कृषि और सहकारिता विभाग		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	कृषि विस्तार और प्रशिक्षण	55000	4600	4465	8627
2	कृषीय जनगणना	4000	1200	694	1194
3	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय	25000	5000	4821	4821
4	बीज	27500	3200	4696	2696
5	उर्वरक	11000	600	383	605
6	पौध संरक्षण	20000	2300	1978	1978
7	कृषि उपस्कर और मशीनरी	7500	400	390	390
8	फसल	85000	12000	4237	14237
9	टी.एम.ओ.पी.	95000	15000	16300	16500
10	वर्षा पोषित फसल पद्धति	1200	150	140	200
11	बागवानी	200000	17500	17815	28315
12	सचिवालय आर्थिक सेवा	4000	250	250	597
13	व्यापार (एस.एफ.ए.सी.)	19000	500	600	1500
14	प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	500	800	407	407
15	कृषि विपणन	60000	1000	2997	7997
16	सूचना प्रौद्योगिकी	10000	1500	1419	1292
17	नीति और प्रबंधन	2000	500	125	1125
18	भूमि जल संरक्षण	4000	2500	2350	475
19	ऋण	200000	36000	41917	41913
20	सहकारिता	50000	8500	8155	8145
21	बृहत प्रबंधन	439300	85000	67561	73686
	योग:	1320000	198500	181700	216700
II	पशुपालन विभाग	175000	19394	14952	19350
III	मत्स्य उद्योग	75000.00	10386	8776	10200
IV	कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग	536800	68400	68400	77500
V	पौध क्षेत्र: पण्य बोर्ड	121200	7420	75749	

6.3 खनिज और औद्योगिक विकास

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) द्वारा मापा गया औद्योगिक उत्पादन 2000-01 में 5.0 प्रतिशत विकास दर की तुलना में 2001-02 में 2.7 प्रतिशत विकास दर सार्थक रूप से कम दर्ज की गई 2000-01 की तुलना में 2001-02 में विकास दरें कम हो गईं - विनिर्माण क्षेत्र में 5.3 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत, विद्युत क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत और खनन क्षेत्रों में 3.7 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत।
2. अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान 2001 की तदनुसूची अवधि की तुलना में खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों में संघयी विकास क्रमशः 6.5 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत रहा है। इस अवधि में सामान्य सूचकांक में समग्र विकास 5.2 प्रतिशत रहा है।
3. उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार 2001-02 के दौरान 2000-01 के मुकाबले निम्नतर विकास दरें दर्ज कीं। उपभोक्ता पायेदारों और उपभोक्त गैर पायेदारों ने जिनकी विकास दरें 11.5 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत थी, पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः 14.5 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत के मुकाबले चालू वर्ष (2001-02) में सार्थक रूप से निम्नतर विकास दरें दर्ज कीं। उपभोक्ता माल में समग्र विकास दर पिछले वर्ष की 8.0 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 6.0 प्रतिशत हो गई। चालू वर्ष (2001-02) में आधारभूत माल और मध्यवर्ती माल का निष्पादन पिछले वर्ष के 3.9 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत, काफी कम था। चालू वर्ष (2001-02) में पूंजीगत माल में निष्पादन की गति तेजी से मंद रही और पिछले वर्ष दर्ज की गई 1.8 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले 3.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की।

तालिका 6.3.1

उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक विकास दरें
(आधार: 1993-94 = 100) (प्रतिशत)

अवधि	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
भार	(10.4)	(79.4)	(10.2)	(100.0)
2000-01	3.7	5.3	4.0	5.0
2001-02	1.8	2.9	3.1	2.7
2002-03 (अप्रैल-सितम्बर) 2001 तदनुसूची अवधि की तुलना में	6.5	5.3	3.4	5.2

स्रोत: के.सां.सं.

4. पांच (सत्रह में से) 2-अंक उद्योग समूहन लकड़ी और लकड़ी उत्पाद; धातु उत्पाद; पटसन और कपड़ा (कपास को छोड़कर) उत्पाद; सूती कपड़ा और खाद्य उत्पादों ने वर्ष 2001-02 में नकारात्मक विकास दरें दर्ज कीं। सकारात्मक विकास दर दर्शाने वाले दस उद्योग समूहों में से सात उद्योग समूहों ने 5 प्रतिशत से कम की विकास दर दर्ज की। केवल दो उद्योग समूहों में, मादक पेय, तम्बाकू और सम्बद्ध उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों ने 10 प्रतिशत से अधिक की विकास दर दर्ज की।

पिछड़े क्षेत्रों - विकास केन्द्रों का औद्योगिकीकरण

5. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और देश के पहाड़ी, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राज सहायता स्कीम और विकास केन्द्र स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के रूप में क्रमशः जुलाई, 1971 और जून, 1988 में प्रारम्भ की गई थी। विकास केन्द्रों के निधि पोषण के पैटर्न में यह परिकल्पना की गई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए का इक्विटी योगदान, और सम्बन्धित राज्य द्वारा 5 करोड़ रुपए, इसमें वित्तीय संस्थाओं से इक्विटी के रूप में 2 करोड़ रुपए शामिल हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ बाजार से उधार के रूप में प्रति विकास केन्द्र, जो मिलाकर 30 करोड़ रुपए बैठते हैं, को उपलब्ध कराए जाएं।

6. 71 विकास केन्द्रों की पहचान की गई है। इनमें से 68 को अनुमोदित कर दिया गया है और इनमें से 56 विकास केन्द्रों को भूखण्ड आबंटन का काम शुरू हो गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए दो विकास केन्द्र संस्वीकृत कर दिए गए हैं और नए बनाए गए तीन राज्यों उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रत्येक के लिए तीन/शेष 16 विकास केन्द्रों में अभी कार्य आगे बढ़ाया जाना है और ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को शीघ्र प्रगति करने की सलाह दी गई है।

7. स्कीम का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत असंतोषजनक रहा है। बहुत से विकास केन्द्र एक ही समय शुरू किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक विकास केन्द्रों में अत्यधिक अपर्याप्त संसाधनों से बहुत ही कम विस्तार हुआ है। इसके अलावा बाजार से उधार जुटाना भी सम्भव नहीं हो पाया है जैसा कि मूल स्कीम में परिकल्पना की गई थी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य वित्तीय और प्रबन्धकीय संसाधन जुटाने और अच्छी प्रगति करने में सफल रहे हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों/अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रगति नहीं हो पाई है।

8. स्कीम के क्रियान्वयन में पेश आ रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि परिवर्तन करके और अवस्थिति में विभाजन की अनुमति देकर जो पहाड़ी राज्यों के लिए अधिकतम 3 और शेष राज्यों के लिए 2 होगी, विकास केन्द्र स्कीम को संशोधित किया जाए। यह प्रस्ताव भी है कि स्कीम को निधियों के साथ राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

9. पिछले दो वर्षों के दौरान क्रियात्मक विकास केन्द्रों की संख्या 26 से बढ़कर 38 हो गई है और केन्द्रीय राशि 291 करोड़ रुपए से बढ़कर 371 करोड़ रुपए हो गई है। इसी अवधि में राज्य

सरकारों और उनकी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का योगदान 405 करोड़ रुपए से बढ़कर 689 करोड़ रुपए हो गया है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी 656 से बढ़कर 833 हो गई है और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 8531 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश आकर्षित किया है और 28233 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया है।

परिवहन राज सहायता

10. पहाड़ी, दूर-दराज और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों 8 पहाड़ी जिलों के अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राज सहायता स्कीम जुलाई, 1971 में शुरू की गई थी। स्कीम के अन्तर्गत निर्दिष्ट रेल पर्यन्तों/पत्तनों तक कच्चे माल/तैयार माल के संचलन पर व्यय की गई परिवहन लागत पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत दर के बीच राज सहायता बागानों, शोधक कारखानों और विद्युत उत्पादक एककों को छोड़कर सभी औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराई जाती हैं। स्कीम प्रतिपूर्ति आधार पर काम करती है अर्थात् राज सहायता पात्र एककों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संवितरित की जाती है और बाद में प्रतिपूर्ति का दावा केन्द्रीय सरकार से किया जाता है। योजना को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया है।

11. स्कीम के अंतर्गत 1.4.1976 से 31.3.2002 तक कुल 706.77 करोड़ रुपए का संवितरण हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा असम सहित जिसे 403.36 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, मुख्य लाभार्थी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश (209 करोड़ रुपए), असम (200.34 करोड़ रुपए 31.3.2001 तक), जम्मू और कश्मीर (29.34 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले (15.83 करोड़ रुपए)।

12. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन.पी.सी.) ने औद्योगिकीकरण के स्वरूप और पैटर्न, इकाई के आकार, रोजगार पैदा करने और अनुषंगीकरण के संदर्भ में लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण प्रक्रिया पर स्कीम के पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए परिव्यय राज सहायता स्कीम की समीक्षा की थी। 1989-90 से 1997-98 तक की अवधि के लिए किए गए अध्ययन में असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, और नागालैंड को शामिल किया गया था। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि औद्योगिक विकास हुआ है हालांकि असमान हुआ है जैसा कि कारखानों सृजित रोजगार की संख्या में हुई वृद्धि से देखा गया है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय निष्पादन दिखाया है क्योंकि अनेक कारखाने 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़े जबकि असम में कारखानों की संख्या में (1.59 प्रतिशत, उत्पादन में 2.21 प्रतिशत) और रोजगार (3.05 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई है।

13. लाभार्थी एककों ने इन दूर-दराज, पहाड़ी और अगम्य क्षेत्रों में 25600 नौकरियों का सृजन किया है। एककों में विस्तार और विविधीकरण हुआ है हालांकि अनुषंगी एककों ने महत्वपूर्ण विकास नहीं किया है। अन्य उद्ग्रहणों के माध्यम से राज्य सरकारों को अवसंरचनात्मक विकास

और आय के साधनों के बढ़ने जैसे अप्रत्यक्ष लाभ भी हुए हैं। अध्ययन ने ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी संकेत किया है जिन्हें क्रियान्वयन में सुधार करने और विलम्ब कम करने के लिए सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए स्कीम को राज्यों को स्थानांतरित करने का भी सुझाव दिया गया है।

निर्यात संवर्धन

14. निर्यात अवसंरचना को बढ़ाने/मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहनबद्ध सहायता उपलब्ध कराकर एक स्कीम - निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) तैयार की गई है जिसका परिणाम होगा अवसंरचना में सहवर्ती विकास जो कि राज्य स्तर पर निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। पूर्ववर्ती स्कीम अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र एन.ई.आर. और सिक्किम के लिए क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेंस (सी.आई.सी.), निर्यात संवर्धन ज़ोन (ई.पी.जैड), निर्यात विकास निधि (ई.डी.एफ.) और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) का विलय कर दिया गया है। ए.एस.आई.डी.ई. में निधियों का 20 प्रतिशत केन्द्र के पास रहेगा जबकि निर्यात निष्पादन मानदंडों के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यों को आवंटित किया जाएगा।

15. व्यापार सुधारों विशेष रूप से 1997-2002 की अवधि के लिए घोषित निर्यात-आयात नीति और अनुवर्ती संशोधनों से गुणवत्ता पर ध्यान देने, प्रौद्योगिकीय ग्रेड बढ़ाए जाने और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के अलावा निर्यात उत्पादन आधार, को मजबूत करने, प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करने, आदानों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिली है। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा से भारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है और तदनुसार उन्हें चरणबद्ध किया जा रहा है।

16. बाजार पहुंच पहल (एम.ए.आई.) स्कीम एक उपकरण के रूप में बनाई गई थी जो न केवल विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल है बल्कि यह निर्यातकों को धारित आधार पर हमारे निर्यातों को दो अंक विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी देशों में अपने प्रतिस्थानियों की तुलना में पेश आ रही विभिन्न बाधाओं के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करेगी। एम.ए.आई. नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 14.50 करोड़ रुपए की लागत पर एस.एफ.सी. द्वारा अनुमोदित की गई थी जिसका कार्य विपणन संबंध अध्ययन करना, शोरूम/भंडारण सुविधाएं स्थापित करना, प्रचार अभियान और ब्रांड संवर्धन में निर्यात संवर्धन परिषदों की सहायता करना था। जबकि गत वर्ष अनुमोदित क्रियाकलापों को जारी रखा जाएगा, यह प्रस्ताव किया गया है कि भेषजों, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि रसायन इंजीनियरी उत्पादों के लिए पंजीकरण प्रभारों, कुटीर और हस्तशिल्प एककों को दी जाने वाली सहायता, वास्तविक प्रदर्शन के लिए वेब साइट विकसित करने के लिए निधियां निर्धारित करने और विशिष्ट अवधियों के दौरान चुनिंदा बाजारों को निर्यात करने के लिए परियोजना विशेष सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्यात सरलीकरण सहायता को इसमें शामिल किया जाए।

17. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) जिसे पुष्प कृषि, ताजे फल और सब्जियों, संसाधित खाद्य और पशुधन उत्पादों सहित कृषि उत्पादों निर्यात संवर्धन और विकास की अनिवार्य जिम्मेदारी सौंपी गई है, अवसंरचनात्मक विकास, डाटा बेस और सर्वेक्षण। अध्ययन, निर्यात, संवर्धन, बाजार विकास, पैकेजिंग, ग्रेड बढ़ाने आदि का प्रस्ताव है। स्कीम को संशोधित कर दिया गया है और दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके आबंटन में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है।

18. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) एक संवैधानिक निकाय का जो समुद्री उत्पादों के विकास, निर्यातों के विशेष संदर्भ में उत्तरदायी हैं, निर्यात उत्पादन - कैप्चर मत्स्य उद्योग, निर्यात उत्पादन-कल्चर मत्स्य उद्योग, नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना, संसाधन सुविधाओं और बाजार संवर्धन आदि का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। इसने दसवीं योजना के दौरान उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा है।

19. निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.), जो कि अधिकारिक निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन निकाय है के लिए अधिसूचित पण्यों का पोत लदान से पहले निरीक्षण और प्रमाणन करना अनिवार्य है कि अपनी पद्धतियों और प्रयोगशालाओं, मानव संसाधन विकास का आधुनिकीकरण करने/ग्रेड बढ़ाने और आयातकर्ता देशों की नियामक अपेक्षाओं के संबंध में सूचना के माध्यम से सेवा अवसंरचना सेवाएं उद्योग को उपलब्ध कराने का काम हाथ में लेने की योजना है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.)

20. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के उदारीकरण से संबंधित प्रमुख नीतिगत पहलों में से एक रहा है ३ रक्षा उद्योग क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक की भागीदारी निजी क्षेत्र के लिए खोलना और लाइसेंसिंग के अध्याधीन 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना। 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अब एकीकृत टाउनशिप के विकास के लिए भी अनुमत्य है। इसमें आवास, याणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट, शहरी और क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी शामिल हैं। चाय बागान सहित चाय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (100 प्रतिशत तक) में छूट दे दी गई है।

21. वर्ष 2001 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान 1982 विदेशी सहयोग प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे। इनमें 26874.67 करोड़ रुपए (5.97 बिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। वर्ष 2001 के दौरान 19265.10 करोड़ रुपए (4.28 बिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्त हुई थी। वर्ष 2001 के दौरान ए.डी.आर./जी.डी.आर. का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वहन और शेरों का पहले से लम्बित निर्गम 16071.05 करोड़ रुपए (3.57 बिलियन अमरीकी डॉलर) था जो कि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त रुपए/डॉलरों की तुलना में क्रमशः 53.92 प्रतिशत और 47.08 प्रतिशत अधिक है। जबकि 2001 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले विश्वव्यापी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 40 प्रतिशत से अधिक की कुल गिरावट आई। भारत में अन्तर्वहनों ने सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है।

एन्टी डम्पिंग और सम्बन्धित शुल्क और संवेदनशील मर्चों का आयात

22. 2001-02 में भारत ने 30 मामले प्रारम्भ किए थे जो कि एक वर्ष में अब तक लगभग किए गए मामलों की सर्वाधिक संख्या है। नए मामलों के अलावा, तीन मामलों में मध्यावधि समीक्षा, तीन मामलों में सनसेट समीक्षा और एक मामले में न्यू शिपर्स समीक्षा भी इस वर्ष में की गई थी। वर्ष के दौरान कुल 26 अंतिम निष्कर्ष पिछले वर्ष में प्रारम्भ की गई जांच-पड़ताल से उत्पन्न होने पर जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रारम्भिक निष्कर्षों में से 28 में से 22 चालू वर्ष अर्थात् 2001-02 से सम्बन्धित हैं। जबकि 6 सम्बन्धित मामले पिछले वर्ष के अंत में प्रारम्भ किए गए थे। जनवरी से जून 2001 की विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भ किए गए 16 मामलों के साथ अमरीका (39 मामले) और कनाडा (23 मामले) के बाद भारत का तीसरा स्थान है। भारत के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संदर्भ में 8 मामलों के साथ चीन (22 मामले), दक्षिण कोरिया (10 मामले) और ताईवान (9 मामले) के बाद हमारा चौथा स्थान है। इस प्रकार आज भारत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख खिलाड़ियों में से, जो कि एन्टी डम्पिंग उपायों का इस्तेमाल तथा सामना कर रहे हैं, एक है।

23. पिछले वर्ष गुणात्मक प्रतिबन्धों (क्यू.आर.) के हटाए जाने के बाद 300 मर्चों को संवेदनशील मर्चों के रूप में चिह्नित किया गया था। इन मर्चों के आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। अनंतिम अनुमान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान इन मर्चों का आयात पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 5854 करोड़ रुपए के मुकाबले 6487 करोड़ का हुआ है जिससे यह 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के लिए सामान्यतः आयातों में वृद्धि 12 प्रतिशत है।

डी.जी.एफ.टी. और डी.जी.सी.आई.एस. का आधुनिकीकरण प्रगति पर है।

24. पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण सरकार ने विश्वव्यापीकरण और ज्ञान पर आधारित विकास पर्यावरण में बौद्धिक सम्पत्ति के बढ़ते हुए महत्व द्वारा उत्पन्न उभरती हुई चुनौतियों के युद्धनीतिक प्रत्युत्तर के रूप में भारत में बौद्धिक सम्पत्ति के आधुनिकीकरण को अपने हाथ में ले लिया। सरकार द्वारा ली गई पहलों में पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन और भौगोलिक संकेतों को शामिल करते हुए संगत आई.पी. कानूनों में उपयुक्त विधायी परिवर्तन करना शामिल है।

25. इन्हें पेटेंट कार्यालयों, डिजाइन कार्यालय और ट्रेड मार्क रजिस्ट्री तथा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की स्थापना की अवसंरचना की साथ-साथ ग्रेड बढ़ाने और आधुनिकीकरण करके पूरा किया जा रहा है।

26. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार नवीनतम लोक उद्यम सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 6 बीमा कम्पनियों और 2 वित्तीय संस्थानों को छोड़कर 250 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम थे।

27. प्रचालनरत 234 सी.पी.एस.ई. में से 111 घाटे में चल रहे थे और 66 औद्योगिक पी.एस.ई. जिनका नेटवर्क नकारात्मक हो गया था और रुग्ण हो गए थे उन्हें बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत कर दिया गया था। इनमें से 34 एकक ऐसे थे जिन्हें कर्मकारों के हितों की सुस्का करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र से अपने हाथ में ले लिया था। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संबंध में निर्णय लेने में लम्बा समय लग रहा है और संसाधन की उपलब्धता की समस्या के अलावा पुनर्जीवन पैकेज व्यवहार्यता के संबंध में कतिपय अनिश्चितताओं के कारण हानि हो रही है।

सांविधिक नियंत्रणों की स्थिति

28. जबकि औद्योगिक उत्पादन की विभिन्न मदों पर अधिकांश मूल्य और अन्य नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया है, उनके अवशिष्ट नियंत्रण की स्थिति निम्नानुसार है:

- आवश्यक औषध मूल्य नियंत्रण
- उर्वरक मूल्य नियंत्रण
- चीनी और शीरा नियंत्रण
- लघु उद्योगों के लिए आरक्षण

उर्वरक मूल्य नियंत्रण

29. प्रतिधारण मूल्य व राज सहायता स्कीम (आर.पी.एस.) के शुरू किए जाने से देश ने नौवीं योजना के अंत तक यूरिया में 100 प्रतिशत और डी.ए.पी. के मामले में 85 प्रतिशत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तथापि इस मूल्य व्यवस्था ने यूरिया विनिर्माताओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर मूल्यों को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक मूल्यों का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। VII और VIII वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए यूरिया मूल्य निर्धारण मानदंडों की सिफारिश योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रियों के दल (जी.ओ.एम.) द्वारा की गई है। अधिकांश एककों के लिए तदनुसूची प्रतिधारण मूल्य अधिसूचित कर दिए गए हैं। व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की उर्वरक राज सहायता को समूह पर आधारित यूरिया मूल्य निर्धारण को शुरू करके युक्तिसंगत बनाने के लिए नई यूरिया मूल्य निर्धारण नीति के अन्य विकल्पों के साथ छानबीन की जा रही है। फीड स्टॉक के आयात के समान मूल्य निर्धारण के प्रत्युत्तर में हाइड्रोकार्बनों के लिए एक नया मूल्य निर्धारण तंत्र लागू किया गया था और इसके बाद तेल कम्पनियों ने 9 जुलाई, 2001 से इसे शुरू कर दिया। 1996-97 के दौरान एन.पी. के अनुपात जो विकृत होकर 10.0:2.9:1 हो गया था। 1999-2000 में उसमें सुधार होकर अब 6.9:2.9:1 हो गया है। इस बात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जैव-उर्वरक, सूक्ष्म पोषक और जैव कम्पोस्ट संतुलित उर्वरक एप्लीकेशन और एकीकृत पोषक प्रबन्धन का एक अभिन्न भाग रहना चाहिए। इन पूरकों के इस्तेमाल को अनुसंधान, बेहतर विपणन और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण के द्वारा बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

चीनी नीति

30. सरकार ने चीनी क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। योजना के शुरु में चीनी उद्योग अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली के अध्यक्षीन था और सितम्बर, 1998 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

- 1 अप्रैल, 2000 से देशीय चीनी उत्पादकों का उद्ग्रहण दायित्व घटाकर 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करना, 1 फरवरी, 2001 से 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत और 1 मार्च, 2002 से 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।
- संभाव्य व्यवहार्य रुग्ण चीनी मिलों के पुनर्वास के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए चीनी विकास नियम, 1982 को फिर से बनाना।
- सरकार ने खोई पर आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं का ऋणों के देने के और उप-उत्पाद उपयोग और चीनी के निर्यात पोत लदान पर आन्तरिक मालभाड़ा प्रभारों के व्यय के संबंध में भुगतान के लिए चीनी विकास निधि (एस.डी.सी.एफ.) अधिनियम, 1982 को संशोधित करने के लिए विधान लाने के एक प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। यह चीनी कारखानों की व्यवहार्यता में सुधार करने और देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा था।
- गैर उद्ग्रहण वाली खुली बिक्री की चीनी की बिक्री पर लगे नियंत्रणों में छूट देना और मासिक नियामक रिलीज़ के स्थान पर तिमाही नियामक रिलीज़ शुरु करना और चीनी कारखानों को अतिरिक्त कोटे के रूप में तिमाही कोटे के 10 प्रतिशत तक की बिक्री करने की अनुमति देना। यह जनवरी, 2002 से प्रभावी हो गया है।
- चीनी के थोक व्यापारियों पर लगी स्टॉक रखने की सीमाओं को 7 जुलाई, 2000 से वापस ले लिया गया है।
- थोक व्यापारियों पर कुल कारोबार की सीमाओं को 20 अगस्त, 2001 से समाप्त कर दिया गया है।
- अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 के अधीन चीनी में भावी/अग्रिम व्यापार की अनुमति देते हुए एक अधिसूचना 14 मई, 2001 को जारी की गई थी।

भेषज मूल्य निर्धारण नीति

31. भेषज नीति, 2002 का उद्देश्य युक्तिसंगत मूल्यों पर बढ़िया गुणवत्ता वाले आवश्यक भेषजों की प्रचुर मात्रा को सुनिश्चित करना, लागत प्रभावी गुणवत्ता उत्पादन की देशीय समर्थता को मजबूत बनाना, व्यापार प्रतिबन्धों को कम करना और अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई आवश्यक औषधों की सूची में दिखाई गई मर्दों तथा अन्य मर्दों को, जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपात-देखभाल में उनके इस्तेमाल के कारण महत्वपूर्ण समझा गया है, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डी.पी.सी.ओ.) के अधीन रखा गया है और कुल बास्केट का भाग होंगी जिनमें से प्रपुंज औषधों का चयन मूल्य नियंत्रण के लिए किया जाएगा। तथापि सेरा, और वेक्सीन तथा रक्त उत्पादों को डी.पी.सी.ओ. से अलग रखा गया है। नए मापदंडों के अनुसार मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाले अणु डी.पी.सी.ओ. के अधीन नहीं आएंगे लेकिन कोई

औषध जिसका कारोबार 10-25 करोड़ रुपए के बीच है और एक अकेले फार्म्युलेटर जिसका बाजार शेयर 90 प्रतिशत से अधिक है, मूल्य नियंत्रण के अधीन होंगे। देश में अनुसंधान से आने वाले नए औषध पेटेंट की अवधि के लिए मूल्य नियंत्रण से मुक्त होंगे। यह निर्णय लिया गया है कि स्वतः मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दे दी जाए ताकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। भारत विश्व व्यापार संगठन के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 2005 में एक उत्पाद पेटेंट प्रणाली के आरम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक प्रमुख परिवर्तन होगा जिसका प्रभाव भारतीय भेषज उद्योग पर पड़ेगा। बदले हुए परिवेश से निपटने के लिए नई घोषित भेषज नीति 2002 की समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है।

32. लघु उद्योग एककों के लिए आरक्षण: मई, 2002 के अनुसार लघु क्षेत्र में 749 मदों के अनन्य विनिर्माण को आरक्षित कर दिया गया है। जिन मदों का हाल ही में आरक्षण समाप्त किया गया है वे हैं - सिले-सिलाए वस्त्र और चमड़ा तथा खिलौना क्षेत्र की मदें।

सेक्टर संबंधी रूपरेखा

इंजीनियरी उद्योग

33. इंजीनियरी उद्योग में इंजीनियरी सामान जैसे धातु उत्पाद, कार्यालय मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पूंजीगत सामानों का विनिर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। पूंजीगत सामान उद्योग में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 9.3 प्रतिशत के भार के साथ 53 उद्योग सेक्टर आते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में मांग के कम होने से पूंजीगत सामान का विकास 2000-01 में घटकर मात्र 1.8 प्रतिशत रह गया। 2001-02 में पूंजीगत सामान ने (-)3.9 प्रतिशत की नकारात्मक विकास दर दर्ज की। तथापि, पूंजीगत सामान उद्योग की घटती हुई प्रवृत्ति चालू वर्ष में उल्टी हो गई है।

तालिका 6.3.2

उपयोग-आधारित वर्गीकरण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की विकास दरें

(आधार : 1993-94=100)

सेक्टर	(भार)	(प्रतिशत)			
		1999-2000	2000-01	2001-02	सितम्बर 2001 की तुलना में सितम्बर 2002
आधारभूत सामान	35.5	5.5	3.9	2.8	1.6
पूंजीगत सामान	9.3	6.9	1.8	-3.9	15.5
मध्यवर्ती सामान	26.5	8.8	4.7	1.6	1.7
उपभोक्ता सामान	28.7	5.7	8.0	6.0	13.2
उनमें से (उपभोक्ता पायेदार)	(5.4)	(14.1)	(14.5)	11.5	(-)12.3
आई.आई.पी. (औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक)	100.0	6.7	5.0	2.8	6.1

नोट : सूचकांक संशोधित मदवार भार पर आधारित हैं।

34. 2001-02 के दौरान भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 49 उपक्रमों में से 15 ने लाभ (659.90 करोड़ रुपए) कमाया और शेष 34 घाटे (1433.97 करोड़ रुपए) में चले। ये उपक्रम पूंजीगत/इंजीनियरी सामान के विनिर्माण, परामर्शी और संविदा क्रियाकलापों उत्पादों की व्यापक श्रंखला-मशीन औजारों, बॉयलर, विद्युत पैदा करने वाले उपकरण, ट्रैक्टर, रेल-उपकरणों आदि के उत्पादन में लगे हुए हैं। मार्च, 2001 तक विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 49 उपक्रमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) लगभग 8052 करोड़ रुपए का हुआ था। 2001-02 के उत्पादन में 39 कम्पनियों का कारोबार 11,642.94 करोड़ रुपए हुआ था।

35. पी.एस.यू. का विनिवेश प्रगति पर है। 17 पी.एस.यू. को संयुक्त उद्यम बनाने/विनिवेश के लिए विनिवेश मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। कुछ पी.एस.यू. जैसे नेपा, आई.एल. पालघाट आदि विनिवेश होने की प्रावस्था में हैं। अन्य 13 पी.एस.यू. जिनके लिए विनिवेश/संयुक्त उद्यम बनाने का काम विभाग स्वयं अपने हाथ में ले रहा है क्योंकि ऐसी कम्पनियों के शेयर धारक कम्पनी के पास हैं। श्रम मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद 7 पीएसयू को पहले ही बंद कर दिया गया है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लाभ उनके कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। 4 और पी.एस.यू. बंद होने वाले हैं।

36. बी.आई.एफ.आर. के पास भेजे गए 26 रुग्ण पी.एस.यू. में से बी.आई.एफ.आर. ने 12 पी.एस.यू. के मामले में पुनर्जीवन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें 654 करोड़ रुपए तक नए सिरे से निधियां दिया जाना और 2106 करोड़ रुपए का वित्तीय पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है। इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से 7 पी.एस.यू. के पुनर्निर्माण का काम अपने हाथ में ले लिया है जिसमें 1443 करोड़ रुपए का वित्तीय पुनर्निर्माण और 531 करोड़ रुपए की नए सिरे से निधियां दिया जाना शामिल है।

37. पूंजीगत सामानों का विनिर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक गम्भीर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में रहे हैं। 2001-02 में भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के नौ एककों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें विभाग के साथ इरादों, दायित्वों और परस्पर उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया था।

38. सरकारी क्षेत्र के एककों को बजटीय सहायता देने पर विचार केवल 'परियोजना' आधार पर वार्षिक योजना में किया जाएगा तथापि परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) के लिए प्रावधान कर दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन एक नई योजना स्कीम 'आटो सेक्टर में परीक्षण सुविधाएं' शुरू की जा रही हैं और इसके लिए वार्षिक योजना 2002-03 के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग

39. देश में अट्ठाईस पोत यार्डों में से उन्नीस निजी क्षेत्र में हैं। चार सरकारी क्षेत्र में हैं ३ दो नौवहन मंत्रालय के अधीन और दो रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं जो कि पोतों और जलयानों की

व्यापक श्रृंखला का निर्माण करने में समर्थ हैं। पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 2000 करोड़ रुपए है। उद्योग में 31,000 व्यक्ति नियोजित हैं।

40. नौवहन मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के दो पोत प्रांगण अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच.एस.एल.) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी.एस.एल.) उद्योग के कुल कारोबार का लगभग 25 प्रतिशत होते हैं अर्थात् लगभग 450 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार/ सी.एस.एल., एच.एस.एल. और हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एच.डी.पी.ई.) में कर्मचारियों की संख्या लगभग 7800 है। रक्षा क्षेत्र के तीन उपक्रम अर्थात् मझगांव डॉक लिमिटेड (एम.डी.एल.), गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी.आर.एस.ई.) और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.) विभिन्न किस्मों के पोतों और जलयानों का निर्माण मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षकों के लिए करते हैं।

41. सरकारी क्षेत्र के चार बड़े उपक्रमों की निर्धारित उत्पादन क्षमता, जो कि उद्योग के कुल कारोबार का लगभग 95 प्रतिशत बनता है, लगभग 0.15 मिलियन कम्पेसेटिड ग्रॉस टनेज (सी.जी.टी.) है। भारत में वर्तमान पोत निर्माण क्षमता विश्वव्यापी 20 मिलियन सी.जी.टी. की तुलना में 0.15 सी.जी.टी. है। इस प्रकार भारतीय पोत निर्माण क्षमता विश्वव्यापी क्षमता की तुलना में एक प्रतिशत कम है।

42. सी.एस.एल. और एच.एस.एल. का विनिवेश का निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

लोहा और इस्पात

43. लोहा और इस्पात उद्योग पुनर्लाभ के संकेत दिखाने की शुरुआत कर रहा है। यह प्रवृत्ति वर्ष के दौरान जारी रहने की संभावना है। इसने लोहा और इस्पात बनाने में निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता की है। भारत विश्व में इस्पात का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक होने के रूप में उभर कर आया है। तथापि, यह चीन और जापान से काफी पीछे है।

44. 2001-02 में तैयार इस्पात का अनुमानित उत्पादन 30.61 मिलियन टन हुआ था, कच्चे लोहे का उत्पादन 3.95 मिलियन टन हुआ था और स्पॉज लोहे का उत्पादन 5.70 मिलियन टन हुआ था। 2001-02 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 51 प्रतिशत था, शेष 49 प्रतिशत निजी क्षेत्र का था। इस प्रकार निजी क्षेत्र के पक्ष में उत्पादन में बदलाव आया है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों और गौण इस्पात उत्पादकों का सापेक्ष हिस्सा क्रमशः 42 प्रतिशत और 58 प्रतिशत था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि एकीकृत इस्पात संयंत्रों को गौण इस्पात उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और इससे एकीकृत इस्पात संयंत्रों का मूल्यों पर वर्चस्व घट रहा है। 2002-03 के दौरान देश में तैयार इस्पात का उत्पादन 32.5 मिलियन टन होने की आशा है जिसमें 14.5 मिलियन टन मुख्य उत्पादकों से और 18 मिलियन टन गौण इस्पात उत्पादकों से होगा।

45. भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने और अतिरिक्त क्षमता का निजी क्षेत्रों में सृजन के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप 19 परियोजनाएं, जिनमें 30835 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा और जिनकी प्रति वर्ष 13 मिलियन टन की क्षमता होगी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले मंजूर की जा चुकी हैं और उनका क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में हो रहा है। लगभग 5.45 मिलियन टन कुल क्षमता वाले 8 एकक पहले ही चालू किए जा चुके हैं। 2002-03 के लिए प्रक्षेपण नीचे दिया गया है:

मात्रा '000 टन में

मर्दे	घरेलू मांग	उपलब्धता	अन्तर
कच्चा लोहा	3900	4060	160
स्पंज लोहा	6000	6000	00
तैयार (कार्बन स्टील)	3110	3250	(-1400)

46. इस्पात मंत्रालय की नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 85.50 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 16232.50 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले प्रत्याशित व्यय 6490.70 करोड़ रुपए था, इसमें 66 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल थी। नौवीं योजना में व्यय में तेजी से गिरावट विश्व भर में इस्पात उद्योग में मंदी आने, कड़ी स्पर्धा के कारण थी जिसके परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादों के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आ गई जिससे लाभकारिता प्रभावित हुई और कुछ सी.आई.एस. देशों और चीन ने देश में इस्पात पाट दिया।

47. इस्पात मंत्रालय का दसवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 65 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 11049.60 करोड़ रुपए है। वर्ष 2002-03 के लिए 15 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित वार्षिक योजना परिव्यय 1412.45 करोड़ रुपए है।

औषध एवं भेषज

48. भारत का भेषज उद्योग, विकासशील देशों में आज सबसे बड़ा और सर्वाधिक उन्नत है। उद्योग कई प्रमुख नैदानिक समूहों से सम्बन्धित प्रपुंज औषधियों का विनिर्माण करता है जिनके लिए विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और गोलियों, कैप्सूलों, द्रवों, मुंह से लेने वाली और टीका लगाने योग्य आदि सभी खुराकों के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट सेवाएं विकसित की हैं। हाल के वर्षों में उत्पादों की व्यापक श्रृंखला और प्रौद्योगिकियों, जिनकी आवश्यकता उन्हें यथासंभव बुनियादी चरण से उत्पादन करने के लिए होती है, को प्राप्त करने के लिए नीतिगत निवेशों को उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भेषज उद्योग आम सूत्रयोगों की पूरी श्रृंखला का उत्पादन करता है। आज भारत प्रपुंज औषधियों की 70 प्रतिशत आवश्यकता और प्रायः सूत्रयोगों की सभी मांगों को पूरा करने की स्थिति में है। 2000-01 के दौरान 8729.9 करोड़ रुपए की औषधियों, भेषजों और बढ़िया रसायनों का निर्यात किया गया था और 1701.5 करोड़ रुपए का आयात किया गया था।

49. सरकारी क्षेत्र के भेषज एककों ने युक्तिसंगत लागत पर प्रपुंज औषधियों का विनिर्माण करने के लिए आधुनिक संयंत्र लगाकर उद्योग के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। तथापि, सभी एकक रुग्ण हो गए हैं। आंशिक रूप से सरकार की छोटे फार्म्यूलेटर्स को उत्पादन का बड़ा भाग लेने की अनुमति देने से और मूल्यों का देर से संशोधन करने की सरकार की नीति और आंशिक रूप से अवसंरचनात्मक और प्रबंधनीय समस्याओं के कारण ऐसा हुआ है। पूर्व में कुछ एकक निजी क्षेत्र में थे और उनके रुग्ण होने के पश्चात् सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण कर लिया गया। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के मामले में पुनर्जीवन पैकेज दो बार विफल हो गया है और इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसे पैकेज सही अनुमानों पर आधारित नहीं होते हैं। औषधीय क्षेत्र पर्याप्त स्पर्धा के कारण एक युद्धनीतिक क्षेत्र नहीं समझा जाता है। अभी भी किसी प्रत्यक्ष नियंत्रण के न होने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मूल्य स्थिरीकरण के एक अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में, जबकि मूल्यों पर से पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया गया है, सेवा कर सकते हैं।

50. पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान - नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च मोहाली, पंजाब में स्थापित किया जा रहा है। इससे भेषजों के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

रसायन, कीटनाशी और सम्बद्ध उद्योग

51. रसायन उद्योग औद्योगिक क्षेत्रों में, जिसके अन्तर्गत 70,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद आते हैं, शायद सर्वाधिक विविधीकृत है। भारतीय रसायन उद्योग का रसायनों के विश्व उत्पादन में मात्रा के हिसाब से 12वां स्थान है। 2000 में रसायनों का निर्यात 2.8 बिलियन डॉलर था जो कि विनिर्माणी क्षेत्र से किए गए निर्यातों का प्रायः 14 प्रतिशत और देश से किए गए कुल निर्यातों का लगभग 10 प्रतिशत बैठता है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के द्वारा राष्ट्रीय राजस्व में इसका योगदान 20 प्रतिशत है। क्षेत्र के उत्पादन का 60 प्रतिशत से अधिक एस.एम.ई. से आता है।

52. कीटनाशी उद्योग ने तेज गति से विकास को जारी रखा है। यह उत्पादों की व्यापक किस्म का विनिर्माण करता है। इसमें मीथल पेराथिअन, मेलाथिअन, क्विनलफास, जिक फोस्फाइड, मीथल ब्रोमाइड आदि शामिल हैं। भारतीय कम्पनियों ने न केवल देश में ही उत्पादों का विकास किया है अपितु वे प्रमुख निर्यातकों के रूप में उभर कर आई हैं। भारत विश्व में कीटनाशकों और रोगाणुनाशकों का 13वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत बढ़िया और विशेषता वाले अनेक रसायनों का उत्पादन करता है जो रबड़ उद्योग आदि में खाद्य एडीटिव्स, पिगमेंट्स, पॉलीमर्स, एडीटिव्स एन्टी-ओक्सीडेन्ट्स के रूप में व्यापक स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं।

53. आज भारत रंगों और यौगिकों का उन्हीं देशों को निर्यात करता है जिनसे वह उनका आयात हाल तक करता रहा है। पिछले दशक के दौरान उद्योग ने 50 प्रतिशत से अधिक का विकास किया है और एशियाई रीजन में रंगों और यौगिकों का दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर कर आया है।

54. नीम का बीज वैकल्पिक और अहानिकारक कीटनाशक के स्रोत के रूप में हाल ही में आया है। रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.एन.आई.डी.ओ.) की वित्तीय सहायता से नीम पर आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1999 में "पर्यावरण मित्र कीटनाशकों के रूप में नीम उत्पादों का विकास और उत्पादन" नामक एक देशी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ताकि बंजर भूमि के विकास को सहायता मिल सके। ग्रामीण रोजगार पैदा किया जा सके और किसानों पारिस्थितिकी-मित्र/जैव अपक्षणी कीटनाशक उपलब्ध कराए जा सके।

पेट्रो-रसायन उद्योग

55. भारतीय पेट्रो-रसायन उद्योग में उत्पादन और खपत दोनों के संदर्भ में अपनी प्रगति को तेजी से जारी रखा है। यद्यपि 2000-01 और 2001-02 के दौरान पोलिमेर अथवा सिंथेटिक तन्तु उद्योग की क्षमता में कोई प्रमुख वृद्धि नहीं हुई है तथापि वर्ष 2000-01 में इन पेट्रो-रसायनों के उत्पाद में 1999-2000 में हुए उनके उत्पादन की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2000-01 के मुकाबले वर्ष 2001-02 के अन्त तक लगभग 12.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। इन पेट्रो-रसायनों की मांग, जो वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2001-02 में 3.6 प्रतिशत बढ़ी, वर्ष 2000-01 की उनकी मांग की तुलना में वर्ष 2001-02 के अन्त तक 10 प्रतिशत तक बढ़ने की सम्भावना है। पेट्रो-रसायन उत्पादों के उत्पादन में प्रभावी वृद्धि ने आत्मनिर्भरता बढ़ाई है और इस सेक्टर में आयात निर्भरता को धीरे-धीरे कम कर रही है।

56. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 9 पी.एस.यू. में से केवल एक कम्पनी, आई.पी.सी.एल. के शेयरों का विनिवेश कर दिया गया है। इस कार्यवाही से पेट्रो-रसायनों में सरकार का दावा अब प्रायः विद्यमान नहीं है।

57. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (डी.सी.पी.सी.) ने रिलायंस असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड (आर.ए.पी.एल.) और ओ.एन.जी.सी. के बीच गैस आपूर्ति करार पर शीघ्र हस्ताक्षर करने और आर.ए.पी.एल. को आवश्यक मात्रा में गैस आपूर्ति करने के लिए मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया है। 28 अगस्त, 2001 को आर.ए.पी.एल. और ओ.एन.जी.सी. के बीच बातचीत हुई थी जिसमें गैस आपूर्ति करार के संबंध में विशिष्ट मतभेदों का पता लगा लिया है। आर.ए.पी.एल., ओ.एन.जी.सी. द्वारा गैस आपूर्ति में की गई कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बातचीत कर रहा है।

उर्वरक

58. उर्वरकों की कुल खपत, जो 2000-01 के दौरान 16.70 मिलियन टन थी, 2001-02 के दौरान बढ़ कर 19.30 मिलियन टन (अनुमानित) हो गई। फास्फेटिक उर्वरकों की खपत जो 2000-01 में 4.22 मिलियन टन थी, वह 2001-02 में बढ़कर 5.2 मिलियन टन (अनुमानित) हो गई जो 23.22 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करती है। उर्वरकों के कुल उत्पादन में 2000-01 के मुकाबले 0.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2000-01 के दौरान यूरिया का कोई आयात नहीं किया गया था।

59. मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड सिक्का (गुजरात) का 3.96 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. का वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर, 2002 से चालू हो गया है। 3.8 लाख मी.टन की मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की नाम रूप रिवेम्प परियोजना के मई, 2003 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

60. फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन के लिए गैस और कच्चे माल की उपलब्धता में आने वाली बाधाओं के कारण रॉक फास्फेट और गैस से सम्पन्न देशों में भारतीय कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

61. एक संयुक्त उद्यम (जे.वी.) के जिस पर ओमान सरकार और भारतीय सहकारी उद्यम, कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) और इंडिया फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव (इफको) के बीच 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे, मार्च, 2005 तक चालू हो जाने की संभावना है। गैस पर आधारित एक संयंत्र, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में 4.00 लाख मी.ट. यूरिया का उत्पादन करने के लिए एस.पी.आई.सी. द्वारा लगाया जा रहा है।

62. सरकारी उर्वरक क्षेत्र के दो पी.एस.यू., आर.सी.एफ. और एन.एफ.एल. लाभ कमा रहे हैं और उनके प्रक्षेपित आन्तरिक संसाधन पैदा करने की सम्भावना है। सभी अन्य पी.एस.यू. घाटे में चल रहे हैं। एच.एफ.सी. के मामले में सरकार ने अपने नामरूप एककों का एक नई कम्पनी अर्थात् ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन में विलय न करने का अनुमोदन कर दिया है। अन्य दो पी.एस.यू. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.) क्रमशः नेप्था फीड और रिवेम्प प्रोजेक्ट पर आधारित अपने दो नए अमोनिया संयंत्र के कारण पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रहे हैं।

सीमेन्ट उद्योग

63. सीमेन्ट उद्योग में 127.20 मिलियन टन की अधिष्ठापित क्षमता के साथ 120 बड़े सीमेन्ट संयंत्र और प्रतिवर्ष 9 मिलियन टन अनुमानित क्षमता के साथ 300 लघु उद्योग संयंत्र हैं। सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के जो कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, 10 एकक हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर अधिष्ठापित क्षमता 136.20 मिलियन टन है। 2001-02 में सीमेन्ट का वास्तविक उत्पादन 99.61 मिलियन टन हुआ था।

64. सीमेन्ट उद्योग ने प्रौद्योगिकीय दर्जा बढ़ाने और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्तमान में उद्योग में कुल क्षमता का 91 प्रतिशत आधुनिक और पर्यावरण मित्र ड्राई प्रक्रिया प्रौद्योगिकी पर आधारित है। सरकार ने सीमेन्ट उद्योग को अंतिम इस्तेमाल करने वालों में से एक के रूप में अधिसूचित किया है और वह अपनी कैप्टिव कोयला खान को प्रचालित करने का हकदार है। अनेक सीमेन्ट संयंत्रों ने कोल ब्लाक्स पट्टे पर लेने और कोयला खाने चलाने में रुचि प्रकट की है।

चमड़ा उद्योग

65. भारतीय चमड़ा उद्योग संगठित और असंगठित क्षेत्र में फैला हुआ है। असंगठित क्षेत्र अर्थात् लघु, कुटीर और कारीगर क्षेत्र कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करते हैं। यद्यपि चमड़ा क्षेत्र में 11 मदों का आरक्षण समाप्त किए जाने के बाद, जिनमें आधा तैयार किए गए पशुचर्म और खालें, लैदर शूज, लैदर वाशर्स और लेसेज़, जूतों के लिए मोल्डेड रबड़ सोल और हील, लचीले पोलमीथेन शू सोल, शू-टेकस और आईलेट्स और लैदर पिकर्स और कपड़ा उद्योग के लिए चमड़े के अन्य अनुषंगी शामिल हैं, चमड़ा उद्योग की अधिकांश मदों के विनिर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि चमड़ा उद्योग की कुछ मदों जैसे लैदर शू अपर्स (बंद), चमड़े के सैंडल और चप्पलें, चमड़े के कपड़े, औद्योगिक थैले, चमड़े की फैंसी और अन्य मदें, घड़ियों के फीते और सभी प्रकार के चमड़े के फीतों का विनिर्माण करना पूरी तरह से लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। गैर लघु एकक इन मदों का विनिर्माण औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कर सकते हैं जो कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन का 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व पूरा करने की शर्त पर दिया जाता है।

66. चमड़ा उद्योग को निर्यातों के लिए एक बल देने वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। जूता-क्षेत्र को अत्यधिक ध्यान देने के एक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। भारत के कुल निर्यात में चमड़ा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत है।

कागज़ और कागज़ बोर्ड

67. सरकार ने 17 जुलाई, 1997 से कागज़ उद्योग पर से लाइसेंस पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। कागज़ उद्योग को, विशेष रूप से उन मिलों को जो गैर-परम्परागत कच्चे माल पर आधारित हैं अनेक प्रोत्साहन भी दिए हैं।

68. वर्तमान में भारत में लगभग 515 एकक कागज़, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज़ के विनिर्माण में लगे हुए हैं। देश कागज़ और पेपर बोर्डों की अधिकांश किस्मों के विनिर्माण में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। तथापि निर्यात केवल कतिपय विशेष प्रकार के कागज़ों तक ही सीमित है। अपने कच्चे माल की आवश्यकता के एक भाग को पूरा करने के लिए उद्योग को आयतित लकड़ी की लुग्दी और रद्दी कागज़ पर निर्भर करना पड़ता है। कागज़ और कागज़ बोर्ड का उत्पादन वर्ष 2001-2002 के दौरान 31.62 लाख टन रहा है।

69. गैर लकड़ी कच्चे माल पर आधारित कागज़ का अनुपात पिछले वर्षों में बढ़ा है। वर्तमान में कुल उत्पादन का लगभग 60.8 प्रतिशत गैर-लकड़ी वाले कच्चे माल पर और 39.2 प्रतिशत लकड़ी वाले कच्चे माल पर आधारित है।

70. उद्योग के निष्पादन में, उत्पादन की ऊँची लागत जो कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता और ऊँची लागत, विद्युत की लागत और मिलों के एक क्षेत्र विशेष में स्थित होने के परिणामस्वरूप है, अड़चने आती रही हैं। कच्चे माल की उपलब्धता और अवसंरचना के विकास में

आये गतिरोधों को दूर करने के लिए हाल के वर्षों में अनेक नीतिगत अभ्युपाय किए गए हैं। कच्चे माल की कम आपूर्ति के कारण अन्तर को कम करने के लिए लुग्दी, रद्दी कागज़ और लकड़ी के लट्ठों/चिप्स पर शुल्क घटा दिया गया है। उद्योग का क्षमता उपयोग 60 प्रतिशत पर कम है क्योंकि लगभग 194 कागज़ मिलें, विशेष रूप से छोटी मिलें रूग्ण हैं और/अथवा बंद पड़ी हुई हैं।

अखबारी कागज़ उद्योग

71. वर्तमान में 63 मिलें हैं जिनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता कागज़ 11.84 लाख टन है। वर्ष 2001-02 के दौरान अखबारी कागज़ का उत्पादन 4.64 लाख टन हुआ है। वर्ष 2001-02 में अखबारी कागज़ का आयात 1.56 लाख टन हुआ है। देश में अखबारी कागज़ की माँग को आंशिक रूप से देशीय उत्पादन से ओर आंशिक रूप से आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मुक्त आयात और कम सीमा शुल्क ने अखबारी कागज़ के बाजार को प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। मूल्य अथवा मात्रा संबंधी कोई नियंत्रण नहीं हैं। उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। अखबारी कागज़ पर से उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है।

चीनी

72. थाईलैंड में 10307 टी.सी.डी., आस्ट्रेलिया में 9216 टी.सी.डी., ब्राजील में 9168 टी.सी.डी. और दक्षिण अफ्रीका में 6877 टी.सी.डी. की तुलना में देश में चीनी कारखानों की औसत वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 2355 टी.सी.डी. है। स्तर की अर्थव्यवस्था और उत्पादन लागत को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए क्षमता का समेकन और क्षमता का वर्टीकल विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

73. सरकार ने चीनी उद्योग को क्रमबद्ध ढंग से पूरी तरह से विनियंत्रित करने का निर्णय लिया था। तदनुसार चीनी कारखानों के अनिवार्य उद्ग्रहण दायित्व को 1-1-2000 से 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत और 1-2-2001 से 15 प्रतिशत कर दिया गया है। अनिवार्य उद्ग्रहण दायित्व 1-3-2002 से और घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। चीनी में भावी बाजार परिचालित हो जाने के बाद वर्ष 2002-03 तक चीनी पूर्णतः विनियंत्रित कर दी जायेगी।

74. सरकार ने खोई पर आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण के लिए उप उत्पाद उपयोग और आन्तरिक परिवहन और चीनी के निर्यात पोतलदान पर माल भाड़ा प्रभारों के व्यय को कम करने के लिए चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है। ऐसा चीनी कारखानों की व्यवहार्यता में सुधार करने और देश में विद्युत-उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

कपड़ा

75. उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग क्षेत्र सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और राष्ट्रीय

औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14 प्रतिशत और कुल राष्ट्रीय निर्यात आय में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान देता है और देश के विभिन्न भागों में लाखों लोगों के लिए रोजगार और आय सृजित करने का स्रोत है। कृषि के बाद यह सबसे बड़ा नियोक्ता है, उद्योग के प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार अन्य 58 मिलियन लोगों को दिया गया था। यह समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में कपड़ा उद्योग कपास पर आधारित बना हुआ है। प्राकृतिक तन्तुओं के अलावा उद्योग कृत्रिम और मानव निर्मित तन्तुओं जैसे पोलियेस्टर, विस्कोज़, नाइलोन, एक्रेलिक और फिलामेंट धागों की व्यापक श्रृंखला का इस्तेमाल करता है। उद्योग में संगठित मिल क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत दोनों क्षेत्र आते हैं। प्रायः उद्योग के सभी क्षेत्रों ने उल्लेखनीय उपलब्धि दिखाई है। सभी क्षेत्रों द्वारा कपड़े का कुल उत्पादन अर्थात् मिल, विद्युत चालित करघा, हथकरघा, खादी, ऊन और रेशम का प्रत्याशित उत्पादन 2001-2002 के दौरान 41696 मिलियन वर्ग मीटर किया गया था जो पिछले 5 वर्षों में वार्षिक विकास का 3.66 प्रतिशत बैठता है। तकुआ क्षमता जो 1997-98 में 35.39 मिलियन थी। 2001-2002 में बढ़कर 38.15 मिलियन हो गई। 1990 के दशक में भारी संख्या में ओपन एण्ड रोटर्स अधिष्ठापित किए गए थे और 100 प्रतिशत निर्यातानुमुखी कताई एककों की स्थापना करने का कार्य चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्पिन धागे के उत्पादन के 3132 मिलियन किलोग्राम के आंकड़े को छूने की संभावना है जो पिछले 5 वर्षों में 2.31 प्रतिशत की विकास दर दर्शाता है। मिश्रित धागे और 100 प्रतिशत गैर सूती धागे के उत्पादन में हाल के वर्षों की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति जारी रही है। 2001-02 के दौरान मिश्रित धागे का उत्पादन पिछले पांच वर्षों के दौरान 5.71 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्ज करते हुए 639 मिलियन किलोग्राम के आंकड़े को छू सकता है। 2001-02 के दौरान 100 प्रतिशत गैर सूती धागे का उत्पादन पिछले पांच वर्षों के दौरान 11.80 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 283 मिलियन किलोग्राम के आंकड़े तक पहुंचने की सम्भावना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विकेन्द्रीकृत हौज़री क्षेत्र ने भी 5 प्रतिशत की महत्वपूर्ण उच्चतर वार्षिक विकास दर दर्शाई है। जनसंख्या में वृद्धि और निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद कपड़ा उद्योग में उपर्युक्त वृद्धि ने देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति घरेलू उपलब्धता में भी वृद्धि दर्ज की है। 1997-98 में लगभग 30.92 वर्ग मीटर कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2001-02 में बढ़कर 31.97 वर्ग मीटर हो जाने की आशा है।

76. टैकनालॉजी अपग्रेडेशन फन्ड स्कीम (यू.टी.एफ.एस.) कपड़ा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई थी जो कि अन्य कपड़ा उत्पादक देशों जैसे चीन, ताईवान, दक्षिण कोरिया, जापान आदि से विश्वव्यापी स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। कपड़ा क्षेत्र के सभी उप क्षेत्रों जैसे कताई, बुनाई, प्रसंकरण, वस्त्र बनाने, कपास की ओटाई और दबाने और पटसन क्षेत्र को योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। लघु क्षेत्र के एककों को टी.यू.एफ.एस. का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए एक विकल्प या तो 12 प्रतिशत क्रेडिट से जुड़ी राज सहायता या 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी लघु क्षेत्र एककों को हाल ही में उपलब्ध कराया गया है। कपड़ा आयुक्तों के रीजनल कार्यालय सुविधा शिविरों का आयोजन करते रहे हैं ताकि विद्युत चालित करघों सहित और अधिक औद्योगिक एकक योजना का लाभ उठा सकें। निधि-पोषण पर कोई रोक नहीं है क्योंकि यह एक ओपन एण्डड स्कीम है और यह उद्योग की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह बैंको में और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य प्रस्तावों को समाहित

करें। स्कीम चुनिदा अभिकरणों अर्थात् आई.डी.बी.आई. (लघु क्षेत्र के केवल कपड़ा उद्योग के लिए), एस.आई.डी.बी.आई. (लघु क्षेत्र कपड़ा क्षेत्र के लिए) और आई.एफ.सी.आई. (पटसन उद्योग के लिए) के माध्यम से लागू की जा रही है। सदस्य, योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए गठबंधन करने के लिए तौर तरीके तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। 1.8.2002 की स्थिति के अनुसार 14696.96 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 8506.26 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ कुल 1778 आवेदन प्राप्त हुए थे और 1541 आवेदन पर 5505.59 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया गया था और 1247 आवेदनों पर 3851.06 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया गया था। अप्रैल, 2002 तक खंडों जैसे कताई, फाइबर धागे का सम्मिश्रित ग्रेड बढ़ाने और प्रसंस्करण सिले सिलाए कपड़ों ने अन्य खंडों की तुलना में बेहतर निष्पादन दर्ज किया था। तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों ने अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर निष्पादन दर्ज किया।

77. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कपास की फसल के महत्व पर विचार करते हुए भारत सरकार ने कम उत्पादकता और मिलावट के मुद्दे को सुलझाने के लिए फरवरी, 2000 में कपास के सम्बन्ध में एक प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) प्रारम्भ किया है। मिशन के चार लघु-मिशन हैं जो कृषि मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। लघु मिशन I और II क्रमशः कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं जबकि कपड़ा मंत्रालय लघु मिशन III और IV के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रक अभिकरण हैं। नौवीं योजना के दौरान विकास के लिए संस्वीकृत 51 बाजार प्रांगणों में से 32 बाजार प्रांगण पूरे कर लिए गए हैं और शेष प्रांगण कपास के चालू मौसम के शुरू होने तक विकसित कर दिए जाएंगे। नौवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण के लिए संस्वीकृत 150 ओटाई और दबाने वाले कारखानों में से 98 कारखानों का आधुनिकीकरण कर दिया गया था और शेष कारखानों का कपास के चालू मौसम के अंत तक अर्थात् अक्टूबर, 2002 तक आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा।

78. उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार (अर्थात् सितम्बर, 2002 तक) एम.एम.-III के अन्तर्गत 95 परियोजना प्रस्ताव (17 नए बाजार प्रांगणों की स्थापना, 62 बाजार प्रांगणों में सुधार करना और 15 बाजार प्रांगणों को क्रियाशील बनाना) संस्वीकृत किए गए हैं जिनकी कुल अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 82 करोड़ रुपए है। एम.एम.-IV के अन्तर्गत 196 ओटाई और दबाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए संस्वीकृति प्रदान की है।

79. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुसार कोटा प्रणाली 2004 के अन्त तक समाप्त कर दी जाएगी और कपड़ा व्यापार पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा। एम.एफ.ए. के बाद के युग की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने और एक मजबूत और प्रबल उद्योग विकसित करने के लिए उद्योग को तैयार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा नीति की घोषणा की है जो (क) लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकार्य मूल्यों पर बढ़िया गुणवत्ता वाले कपड़े का उत्पादन कर सके (ख) राष्ट्र के धारणीय रोजगार और आर्थिक विकास के प्रावधान

में तेजी से योगदान कर सके और (ग) विश्वव्यापी बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाते हुए विश्वासपूर्वक स्पर्धा कर सके। दसवीं योजना के लिए गठित कार्य दल ने 2006-07 तक 32 बिलियन अमरीकी डालर और 2010 तक 50 बिलियन डालर का निर्यात प्रक्षेपित किया है।

80. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें अर्थात् एपेरल पार्कज़ फॉर एक्सपोर्ट्स एण्ड टेक्सटाइल सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीमें अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के कपड़ा निर्यातों को बढ़ावा देने और कपड़ा निर्यात करने वाले एककों को विकास और लाभदायक निवेश वातावरण के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार द्वारा शुरू की गई है। इन्टीग्रेटेड एपेरल पार्क स्कीम के अन्तर्गत आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई, आधुनिक प्रसंस्करण एककों और बहिःस्त्राय शोधन संयंत्रों की स्थापना करने और अनुमोदित पाकों अथवा कपड़ा विकास केन्द्रों पर उच्च स्तर के कौशल का ग्रेड बढ़ाने/प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय में प्रत्येक उपर्युक्त स्कीम के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

81. कपड़ा मंत्रालय के लिए बजट आबंटन में 2000-01 में 457 करोड़ रुपए के मुकाबले 2001-02 के लिए पर्याप्त वृद्धि करके 650 करोड़ रुपए और 2002-03 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय के रूप में 736 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

82. टी.यू.एफ.एस. के लिए 2001-02 में किया गया 200 करोड़ रुपए का प्रावधान 2002-03 के लिए बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन स्कीम के अन्तर्गत अधिष्ठापित मशीनरी की मूल्य ह्रास दर को बढ़ाकर प्रति वर्ष 50 प्रतिशत कर दिया गया है। कम से कम 50,000 शटल रहित नए करघों और 2.5 लाख सादे करघों का स्वतःचालित करघों के रूप में 2004 तक आधुनिकीकरण किए जाने की सम्भावना है और यह टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फन्ड स्कीम (टी.यू.एफ.एस.) के वित्त निधि पोषण के माध्यम से किया जाएगा।

83. क्षेत्र में विकास और निवेश को प्रभावित करने वाली बाधाओं की छानबीन और परिशोधन करने के लिए विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के एक सनसनीदार खंड के रूप में फिर से उभरने को सेक्टर की क्षमता के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री ने श्री एन.के. सिंह, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में कपड़ा क्षेत्र में निवेश और विकास के संबंध में एक संचालन ग्रुप गठित किए जाने को अनुमोदित कर दिया है। संचालन समिति ने निर्यात स्पर्धा को बढ़ाने और उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के मुद्दों पर निवेश आकर्षित करने और एक वित्तीय और टैरिफ रोड मैप तैयार करने के लिए किए गए उपायों पर विशेष ध्यान दिया है। कपड़ा उद्योग के लिए की गई समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं-

- निवेश और प्रौद्योगिकी का ग्रेड बढ़ाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए सतत सी.ई.एन.वी.ए.टी. श्रृंखला आवश्यक है और यह प्रणाली में विकृतियों को कम करेगी और उत्पादन के सभी चरणों में सी.ई.एन.वी.ए.टी. क्रेडिट उपलब्ध कराएगी तथा इससे दक्ष और उच्च गुणवत्ता वाले एककों में निवेश और प्रौद्योगिकी का ग्रेड बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

- आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का ग्रेड बढ़ाने में निवेश आकर्षित करने में मशीनों की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। कपड़ा पैकेज की सफलता विशेष रूप से 2,50,000 विद्युत चालित करघों का आधुनिकीकरण और 50,000 हटलरहित करघों का संस्थापित करना, मशीनों की लागत में कमी किए जाने पर निर्भर करेगा। इसलिए एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत तक कम करके और उसे सी.ई.एन.वी.ए.टी. से छूट देकर कपड़ा मशीनों की लागत को घटा दिया जाए। विशेषतः अर्ध स्वचालित हटल करघों को सी.ई.एन.वी.ए.टी. से छूट प्रदान की जाए, प्रसंस्करण, रेशम और पटसन क्षेत्र की विनिर्दिष्ट मशीनरी मर्दों को सी.ई.एन.वी.ए.टी. और सी.वी.डी.आदि से 1.3.2005 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट दी जाए।
- कपड़ा क्षेत्र में नए-नए निवेशों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के निर्यात और वस्त्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि कपड़ा क्षेत्र में लघु उद्योगों को उत्पाद शुल्क में दी गई विद्यमान छूट को वापस ले लेना चाहिए और सी.ई.एन.वी.ए.टी. क्रेडिट के साथ बुने हुए कपड़ों पर सी.ई.एन.वी.ए.टी. शुरू करना चाहिए।
- कपड़ा क्षेत्र के लिए आमतौर पर (कुछ अपवादों को छोड़कर) एक सबसेट खंड के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.3.2005 तक 8 प्रतिशत की सी.ई.एन.वी.टी. मूल्य पर उद्योग की स्पर्धा को बढ़ाने के लिए शुरू की जाए। पी.एफ.वाई., पी.ओ.वाई. और पी.टी.वाई. के मामले में उत्पादन शुल्क में 32 प्रतिशत (16 प्रतिशत सी.ई.एन.वी.ए.टी. + 16 प्रतिशत एस.ई.डी.) से 8 प्रतिशत तक कम करना अन्तर्ग्रस्त राजस्व प्रयोजन की दृष्टि से सम्भव नहीं होगा, सभी कृत्रिम/मानव निर्मित तन्तुओं के लिए 16 प्रतिशत की सी.ई.एन.वी.ए.टी. दर (सी.ई.एन.वी.ए.टी. 8 प्रतिशत + एस.ई.डी. 8 प्रतिशत) जारी रखी जा सकती है। दल ने यह सिफारिश भी की है कि कपड़ा श्रृंखला में किसी भी स्तर पर कोई भी सकारात्मक क्रेडिट नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए जहां आवश्यक हो, सी.ई.एन.वी.ए.टी. क्रेडिट की कैपिंग करने की सिफारिश की गई है।
- वैकल्पिक सी.ई.एन.वी.ए.टी. स्कीम शुरू करके उन संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच बराबर का हिस्सा दिया जाएगा जो सी.ई.एन.वी.ए.टी. क्रेडिट से दस्तावेज और ऊनी/रधी ऊन के धागे और ऊन टॉप्स पर एस.एस.आई उत्पाद शुल्क की छूट को वापस लेने के आधार पर मर्सरीकरण/डबलिंग केबलिंग आदि के कार्य में लग हुए हैं।
- कपड़ा क्षेत्र के लिए युक्तिसंगत मूल्यों पर कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और देश के भीतर अधिकाधिक मूल्य को प्रोत्साहित करने के लिए एपेरल ग्रेड ऊन और सन के तन्तु पर उत्पादन शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए और कृत्रिम तन्तुओं और धागों के यौगिकों (डी.एम.टी./पी.टी.ए./एम.ई.जी./कंप्रोलेक्टम) पर सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

84. तकनीकी टेक्सटाइल भी नई क्षेत्रों में से एक है जिसे सड़क अवसंरचना, मृदा संरक्षण प्रयासों आदि में सुधार करके अग्नि अवरोधक टेक्सटाइल के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने हेतु सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों, तकनीकी टेक्सटाइल, उत्पाद विकास पारिस्थितिकी मित्र प्रौद्योगिकियों, लागत घटाने वाली प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा।

85. सरकारी क्षेत्र में कपड़ा मिलें विशेष रूप से नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एन.टी.सी.) और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अधीन सूती कपड़ा मिलें, रुग्ण हो गई हैं। एन.टी.सी. ने 53 व्यवहार्य और 66 अव्यवहार्य मिलों का पता लगाया है। सरकार ने व्यवहार्य मिलों का आधुनिकीकरण करने और अव्यवहार्य मिलों को बंद करने/निजीकरण करने का प्रस्ताव किया है। बी.आई.सी. की दो ऊनी मिलें और दो सूती सहायक कम्पनियां हैं और इनमें 3799 कर्मचारी काम करते हैं। अधिक जनशक्ति, कार्यकारी पूंजी की कमी और पुरानी अप्रचलित मशीनों के कारण यह निरन्तर घाटे में चल रही हैं और मामला बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया गया है और पुनर्जीवन पैकेज विचाराधीन है।

पटसन

86. देश में पटसन क्षेत्र सबसे पुराना और परम्परागत क्षेत्र है। यह क्षेत्र सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

87. भारत विश्व में कच्चे पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक और पटसन माल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। लगभग 4 मिलियन परिवार पटसन ओर मेरटा की खेती में लगे हुए हैं और पटसन उद्योग में लगभग दो लाख कर्मकार नियोजित हैं। 2001-02 (अप्रैल/सितम्बर) के दौरान उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.80 लाख टन की अपेक्षा मामूली वृद्धि हुई और यह 7.81 लाख टन पहुंच गया। इस वर्ष के उत्पादन की ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोरी की उत्पादन लागत पर टाट के उत्पादन में 15 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है। टाट के उत्पादन में हुई वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से परम्परागत अंतिम उपयोगकर्ताओं की घरेलू मांग के पुनर्जीवित होने और खाद्यान्नों की पैकिंग में सरकार की मांग पर पटसन के थैलों की आवश्यकता में हुई वृद्धि को जाता है। वर्तमान रुख से यह संकेत मिलता है कि 2001-02 के दौरान उत्पादन 16.25 लाख टन होने की सम्भावना है।

88. पटसन भारत के लिए परम्परागत निर्यात अर्जित करने वाला रहा है। इसे एक समय अनेक उत्पादों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पैकिंग सामग्री समझा जाता था। गिरावट तब शुरू हुई जब सिंथेटिक एक वैकल्पिक और सस्ती पैकिंग सामग्री के रूप में विश्व बाजार में आया। पटसन ने राष्ट्रीय बाजारों में अपना स्थान विधायी समर्थन और अन्य अन्तः क्षेत्रों के समर्थन से जारी रखा। जबकि ये संरक्षण पटसन उद्योग को धारित और विकास करने में समर्थ बनाते हैं, वहीं यह उद्योग का पर्याप्त आधुनिकीकरण और विविधीकरण न हो पाने का एक कारण हो गया था। देश में अनिवार्य पैकेजिंग प्रतिमानकों को हल्का करने के लिए एक रोड मैप को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके द्वारा उपभोक्ताओं के लिए खुला घयन करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तथापि पटसन उद्योग जूट पैकेजिंग मैटीरियल अधिनियम के अधीन प्रचालन करने के लिए दी गई सुविधा और निष्क्रियता के कारण आधुनिकीकरण और विविधीकरण के इस मार्ग का अनुसरण करने लिए बहुत इच्छुक नहीं है। जबकि सिंथेटिक प्रतिस्थानी पहले प्रयोक्ता के लिए सस्ता विकल्प है, दूसरी ओर फिर से इस्तेमाल करने की संभावनाओं और पर्यावरणीय कारकों ने सिंथेटिक पैकिंग सामग्री के सतत उपयोग के बारे में गम्भीर प्रश्न उठाए हैं। गैर-जैव अपक्षीणता और समूचे विश्व के शहरी अधिकरणों द्वारा थैलों के निपटान में पेश आ रही समस्याओं ने

प्लास्टिक पैकिंग को जारी रखने की वांछनीयता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। यह चिंता पटसन को पर्यावरणीय और उपभोक्ता मित्र पैकिंग विकल्प प्रस्तुत करके अपनी पुरानी शान में वापस आने के लिए एक नया अयसर खोलती है। तथापि, यदि उद्योग परम्परागत बोरी सामग्री के उत्पादन को जारी रखता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तन्तु के लिए विभिन्न अन्य उपयोगों का भी पता लगा लिया गया है और इससे हलके, चमकीली गुणवत्ता वाली पैकेजिंग सामग्री इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मार्ग के रूप में प्रतीत होती है। राष्ट्रीय कपड़ा नीति में पटसन क्षेत्र के विकास के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के समान एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के समीक्षात्मक क्षेत्र में क्रियाकलापों को हाथ में लेना है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिकरण और सुधार करने, कच्चे पटसन की गुणवत्ता, कच्चे पटसन के लिए प्रभावी मार्केट लिंकेज का विकास करने, उत्पादन इंजीनयरी को सुनिश्चित करने, जिनमें मशीनों को अद्यतन करना, बेहतर प्रबंधन और रख-रखाव पद्धतियां शामिल हैं, उच्चतर श्रम उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर गुणवत्ता वाले पटसन उत्पादों को बनाकर और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

89. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने 31.3.1999 को समाप्त हुए राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम की सहायता की थी। सक्सैसर कन्ट्री को आपरेशन फ्रेमवर्क-1 (सी.सी.एफ-1) प्रोग्राम के रूप में जाने गए यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम के द्वितीय चरण में यू.एन.डी.पी. द्वारा 7 बिलियन अमरीकी डालर का कुल योगदान करने और भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए का योगदान करने की परिकल्पना की गई है और यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किए जाने वाले क्रियाकलापों में पटसन के बढ़िया रेशे की खेती को बढ़ावा देना, विविधीकृत जूट उत्पादों के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहायता करना, पटसन के लिए युद्धनीतिक बाजार योजना को लागू करना मानव संसाधन विकास, चरण-1 के अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों का वाणिज्यिकरण, मशीन विनिर्माण का स्वेदशीकरण, पटसन सामानों के लिए गुणवत्ता का आश्वासन बेहतर गुणवत्ता के पटसन रेशे आदि के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी का समावेश करना शामिल हैं।

90. नेशनल सेन्टर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन (एन.सी.जे.डी.) पटसन और कपड़े में विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान और विकास सम्बन्धी परिणामों को समेकित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और इन्हें वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उद्यमियों को स्थानांतरित करता है। यह विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है और तकनीकी, वित्तीय तथा विपणन समर्थन की व्यवस्था करने में उद्यमियों की सहायता करता है और पटसन के विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन और विपणन को शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है।

91. पटसन विनिर्माता विकास परिषद (जे.एम.डी.सी.) को पटसन क्षेत्र में निर्यात संवर्धन से संबंधित सभी कार्य और पटसन क्षेत्र के घरेलू बाजार में अन्य कार्यों को निष्पादित करने के कार्य सौंप दिए गए हैं। भारत सरकार विभिन्न पटसन विनिर्माताओं से एकत्रित किए गए उपकरण में से जे.एम.डी.सी. के क्रियाकलापों का पूर्णतः वित्तपोषण करती है। जे.एम.डी.सी. कम लागत वाले पटसन के थैलों का विकास करने और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से प्लास्टिक के थैलों

के एक विकल्प के रूप में पटसन के थैलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पटसन औद्योगिक अनुसंधान संघ (आई.जे.आई.आर.ए.) के निकट सहयोग से कार्य कर रही है।

92. पटसन उद्यमी सहायता स्कीम (जे.ई.ए.एस.) विशेष पटसन विकास निधि से उद्यमियों की विभिन्न श्रेणियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती हैं जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक होती है। अप्रैल-नवम्बर, 2001 की अवधि के दौरान 712 नए एककों को सहायता दी गई है। स्कीम के प्रारम्भ होने से अब तक पटसन के धागे के उत्पादन 60,000 एम.टी. क्षमता का सृजन किया जा चुका है। स्कीम ने इसके प्रारम्भ होने से अब तक 5200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया है।

परमाणु ऊर्जा

93. उद्योग और खनिज क्षेत्र के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के क्रियाकलापों में मुख्य रूप से न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों को बनाने और उनके प्रचालित करने तथा ईंधन साइकल के बैक एण्ड का प्रबंधन करने के लिए न्यूक्लियर और ढांचागत सामानों का विनिर्माण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना शामिल है। कार्यक्रम रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि प्रचालनरत न्यूक्लियर वित्त संयंत्रों और उन संयंत्रों, जिनका निर्माण किया जा रहा है, के प्रचालन के लिए न्यूक्लियर ईंधन और अन्य सामानों की धारित और समय पर आपूर्ति की गई है। यह क्षेत्र विकिरण, आइसोटोप उत्पादों और सेवाओं के लिए उपस्करों के उत्पादन में लगा हुआ है जो हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य आदि को जा रहे हैं।

94. डी.ए.ई. के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं - यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया (यू.सी.आई.एल.), इंडियन रेअर अर्थस (आर.आई.ई.) और इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.), जो क्रमशः यूरेनियम कन्सेन्ट्रेट्स, ज़िरकोनियम स्पंज और यंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते और नियंत्रित करते हैं।

95. देश में वर्तमान न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन क्षमता 2,720 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) है। डी.ए.ई. 2009-10 तक क्षमता 7,180 मे.वा. तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।

96. नौवीं योजना में क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों ने डी.ए.ई. द्वारा रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। शामिल की गई गतिविधियों में : यूरेनियम, दुर्लभ धातु, और दुर्लभ भूमि और समुद्र तट सैंड खनिज संसाधनों की खोज, यूरेनियम अयस्कों खनिज सैंड का खनन और प्रसंस्करण, न्यूक्लियर ईंधन का निर्माण और न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टरों के लिए भारी जल का उत्पादन; खर्च किए ईंधन और रद्दी प्रबंधन का पुनः प्रसंस्करण करना और न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के लिए नियंत्रित और यंत्रीकरण उपस्करों का उत्पाद करना; शामिल है। खर्च किए गए ईंधन और प्रदीप्त थोरियम तथा वेस्ट मैनेजमेंट का पुनः प्रसंस्करण न्यूक्लियर विद्युत कार्यक्रम का मुख्य अंतिम भाग है। अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव और सी.आई.आर.यू.एस. ट्राम्बे में उत्पादित रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो फार्मस्युटिकल, रेडियो-लेबल्ड कम्पाउन्ड्स और विकिरण स्रोतों में बनाने के बाद विभिन्न

उपयोगकर्ताओं को उद्योग, कृषि अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में व्यवहार करने के लिए सफाई किए जाते हैं।

97. वर्तमान भारी जल क्षमता दसवीं योजना के दौरान देश की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता ग्यारहवीं योजना में होगी। दसवीं योजना के दौरान व्यय मुख्य रूप से ऊर्जा की बचत करने और संयंत्र क्षमताओं का नवीकरण और प्रतिस्थापन तथा वृद्धि करने पर किया जाएगा।

98. दसवीं योजना के दौरान बढ़ी हुई ईंधन आवश्यकता में नए परिवर्धन की होगी। योजना के भारी जल से संचालित रिएक्टरों को (प्रचालन रत अथवा अधिष्ठापित किए जाने वाले) ज़िरकोनियम फ्यूल ट्यूब्स की क्षमता में तीनों संबंधित परियोजना को अर्थात् न्यू ज़िरकोनियम ओक्साइड प्लांट, ज़िरकोनियम प्लांट तथा ज़िरकोनियम फ्यूल ट्यूब प्लांट के माध्यम से क्षमता में परिवर्धन करने की आवश्यकता होगी।

99. देश में प्राकृतिक यूरेनियम भंडारों की सीमित उपलब्धता की समस्या पर काबू पाने के लिए यू-233 पर एम.ओ.एक्स. ईंधन और उन्नत भारी जल रिएक्टरों से फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी का विकास ईमानदारी से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन (एन.एफ.सी.) के विद्यमान स्थल पर तथा गतिविधियों की दो अलग-अलग लाइन के अन्तर्गत स्थलों पर ईंधन निर्माण करने की नई सुविधाओं की आवश्यकता होगी। दसवीं योजना में कलपक्कम स्थित एम.ओ.एक्स. फ्यूल पिन फैब्रिकेशन प्लांट, फास्ट ब्रीडर रिप्रोसेसिंग प्लांट और फेब्रिकेशन ऑफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) कोर असेम्बलीज में बड़े परिवर्धन करने की आवश्यकता होगी।

100. इसके अलावा परमाणु उर्जा विभाग स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य संरक्षण और औद्योगिक क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी को लागू करने पर आधारित कार्यक्रमों का अनुपालन करता है और बोर्ड ऑफ रेडिएशन एण्ड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी (बी.आर.आई.टी.) और सेन्टर ऑफ एडवान्सड टेक्नोलॉजी (सी.ए.टी.) के अधीन सुविधायें स्थापित की हैं। जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त इन एककों के अन्तर्गत कुछ नई परियोजनायें जोड़ दी गयी हैं।

खनन और धातुकर्मी उद्योग

101. दसवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य अपतटीय क्षेत्रों जैसे भारतीय प्रायद्वीपीय और भारतीय संघ के द्वीप समूहों के साथ-साथ क्षेत्रीय जल के भीतर महाद्वीपीय अपतट और समुद्रीय जोन में खनिजों की खोज करना होगा। इसमें निरूपण क्षेत्र शामिल होगा जिसे एक मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक तक बढ़ाये जाने की संभावना है। सरकार अपतटीय खोज करने के लिए उपयुक्त विधान अधिनियमित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिससे अन्ततः समुद्र तल से खनिजों का कर्षण किया जा सकेगा।

102. उन खनिजों के भंडार आधार पर बल देना पड़ेगा जिनमें यह वर्तमान में कम हैं जैसे कि आधार धातुएं, निकल, टिन, ग्रेफाइट, नोबल, धातुएं, बहुमूल्य पत्थर, रॉक फास्फेट आदि और उन खनिजों पर जिनका संसाधन-आधार नगण्य है और भारत पूरी तरह से आयातों पर निर्भर करता है जैसे एन्टीमनी, मोलीब्डेनम, प्लेटीनम धातु ग्रुप, टिन, टंग्स्टन, पोटैश, नेटिव सल्फर आदि। सम्भावना है कि निजी क्षेत्र उपरोक्त खनिज गवेषण में निवेश नहीं करेंगे। निजी क्षेत्र का वॉछित निवेश होना अभी शेष है। इसका मुख्य कारण अंतरग्रत जोखिम माना जा सकता है। राज्य (केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों) को इसलिए इन खनिजों की खोज के लिए संवर्धनकारी भूमिका को निभाते रहना होगा।

103. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सुदृढ़ करना होगा तथा इसका आधुनिकीकरण करना होगा। इनमें भूमि और हवाई भू-भौतिकी सर्वेक्षण दोनों के लिए यंत्रिकरण करना, यथार्थ क्षमताओं आदि के साथ कुशल प्रयोगशाला का यंत्रिकरण करना शामिल है। समुद्री कानून सम्बन्धी तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (III यू.एन.सी.एल.ओ.एस.) के अधीन 350 नौटिकल मील तक बढ़ाई गई प्रायद्वीपीय उपतट ज़ोन में दावा करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों में गहराई मापन सम्बन्धी और चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए एक नया अनुसंधान जहाज भी प्राप्त करना होगा।

104. निम्न ग्रेड के खनिजों का ग्रेड बढ़ाने के लिए अयस्क का अपचयन करने सम्बन्धी परियोजनाओं को शुरू करना होगा। इसके लिए स्वयं धारक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के संगठनों को साथ-साथ काम करना होगा और सरकार इस नेटवर्क का सृजन करेगी।

105. यह आवश्यक होगा कि यू.एन. ढांचा वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी.) को यथाशीघ्र अपना लिया जाए और इस वर्गीकरण के अनुसार राष्ट्रीय खनिज सूची तैयार की जाए तो भंडारों/संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय समान पद्धति पर प्रस्तुत करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ खनन क्षेत्र में और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करेगी।

वार्षिक योजना (2001-02) की समीक्षा

106. आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण को ध्यान में रखते हुए खनिज क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति (एन.एम.पी-1993) के समग्र ढाँचे के अधीन भारत सरकार ने अनेक पहलें की हैं। खान और खनिज (विकास और विनयमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर.ऐक्ट) और उसके अधीन बनाए नियमों में अन्तर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों के समान संविधिक उपलब्ध करने के लिए 2000-01 में संशोधन कर दिए गए थे।

107. वर्ष 2001-02 के दौरान एम.सी.आर., 1960 और एम.सी.डी.आर., 1988 में और संशोधन इस प्रकार किए गए थे: (i) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई खनन योजना के सम्बन्ध में निर्णय से अवगत कराने के लिए भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकारों के लिए नब्बे दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है (ii) खनिज रियायतों के लिए आवेदनों पर निर्णय बताने के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं जैसे प्रारम्भिक सर्वेक्षण परमिटों के लिए छः महीने, अन्वेषण लाइसेंसों के लिए नौ महीने और खनन पट्टों के लिए बारह महीने (iii) व्यवस्थित और वैज्ञानिक

खनन को सुनिश्चित करने के लिए भी एम.सी.डी.आर., 1988 के अधीन दंड के प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है (iv) एम.सी.आर., 1960 और एम.सी.डी.आर., 1988 के अधीन विभिन्न आवेदनों के लिए शुल्क ढांचे को भी संशोधित कर दिया गया है ताकि इन्हें आवेदनों की प्रक्रिया की लागत को संगत बनाया जा सके।

108. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) के माध्यम से लगभग 29 करोड़ रुपए के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तीन प्रस्ताव वर्ष 2001-02 में अनुमोदित किए गए थे जिससे एफ.आई.पी.बी. अनुमोदनों की कुल संख्या 70 हो गई है और इससे 3,963 करोड़ रुपए के सम्भावित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अन्तर्वहन होगा।

109. नीतिगत परिवर्तनों ने आधार धातुओं, नोबल धातुओं और अत्यन्त दुर्लभ खनिजों की खोज में गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित किया है। 1.1.2001 से 31.1.2002 तक 67 मामलों में प्रारंभिक सर्वेक्षण परमिट, जिनमें 83,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल है, अब तक अनुमोदित कर दिए गए हैं, उनमें से 29 प्रारंभिक सर्वेक्षण परमिट, जिनमें 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त हैं, 2001-02 में अनुमोदित किए गए थे।

110. राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने क्रमशः सत्ताईस, तेईस, चौदह, दो और एक प्रारंभिक सर्वेक्षण परमिटों को अनुमोदित कर दिया है।

111. समुद्र तट बालू (परमाणु खनिज), जो अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र को परमाणु खनिज अधिनियम की दिशानिर्देशों की शर्तों के अधीन खोज और वाणिज्यिक दोहन के लिए खोल दिया गया है।

112. शून्य पर आधारित बजटीय अभ्यास के दौरान उन स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर समाप्त करने, अभिसरण और विलय आदि करने के प्रयोजन से गहराई से विचार किया गया था।

113. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्कीमों/परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है और कम्पनी का विनिवेश होने वाला है।

114. नाल्को महत्वपूर्ण चालू स्कीमों जैसे प्रचालक और केप्टिव संयंत्र के विस्तार को जारी रखेगा।

115. एच.जेड.एल. में अधिकतम लाभ कमाने वाली स्कीमें जारी रहेंगी जिसका विनिवेश युद्धनीतिक भागीदार को कर दिया गया है।

116. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कुछ ओपन एन्डेड स्कीमों को शुरू कर रहा है। कुछ स्कीमों का विकास करने और कुछ को समाप्त करने के लिए इन स्कीमों का परियोजनाकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

117. आई.बी.एम. निश्चित रूप से स्थापना संबंधी कार्य कर रहा है और इसलिए इसकी नवीनी योजना स्कीमों का एक स्कीम में विलय कर दिया गया है।

118. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस. व टी.) कार्यक्रम अनुमोदित क्षेत्र, लागत और पूरा करने की अवधि के साथ एक परियोजना में शुरू किए जा रहे हैं।

119. परमाणु ऊर्जा विभाग उन स्कीमों को शुरू कर रहा है जो युद्धनीतियां स्वरूप की हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों/स्कीमों को जारी रखा जाए।

120. महासागर विभाग के कार्यक्रम बहुधातुयि पिंडों का खनन करने के लिए सम्बद्ध प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं और धातुओं जैसे तांबा, निकल, मैंगनीज़, आदि को इन पिंडों से पुनः प्राप्त करता है। ये कार्यक्रम अनुमोदित विस्तार लागत और पूरा करने की अवधि के साथ परियोजनाकृत प्रकार के हैं।

121. हिन्दुस्तान ज़िक लिमिटेड (एच.जैड.एल.) में जिसमें भारत सरकार की 75.92 प्रतिशत इक्विटी है, अपनी कुल इक्विटी का मैसर्स स्टर्लाइट को 26 प्रतिशत का विनिवेश करने का निर्णय ले लिया है।

122. नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) में जिसमें भारत सरकार की 87.15 प्रतिशत इक्विटी है, बाजार के माध्यम से अपनी 30 प्रतिशत इक्विटी का और विनिवेश करने का निर्णय ले लिया है।

123. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) में विनिवेश वित्तीय वर्ष 2002-03 में शुरू किया जाएगा।

124. भारत सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) में अपनी कुल शेयरधारिता (98.95 प्रतिशत) को अभिरुचि रखने वाले किसी खरीददार को विनिवेश करने का निर्णय ले लिया है। अभिरुचि रखने वालों को आमंत्रित किया गया है और एच.सी.एल. का विनिवेश करने के लिए सचिव, विनिवेश विभाग की अध्यक्षता में एक अंतः मंत्रालयी दल गठित किया गया है।

125. रुग्ण भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) को समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा पहले ले लिया गया है।

126. योजना अवधि के दौरान अलौह धातुओं के लन्दन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.) मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहा। तांबे का मामला विशेष रूप से सबसे खराब रहा है, इसके मूल्य अवनत रहे हैं और प्रति टन 1450-1500 अमरीकी डॉलर तक बढ़ते-घटते रहे हैं जिनका हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) के निष्पादन पर जो मुख्य रूप से देशीय तांबा अयस्क पर कार्य करता है, विपरीत प्रभाव पड़ा है।

उप-सेक्टर रूपरेखा

लौह अयस्क

127. वर्ष 2001-02 के दौरान 100 मिलियन टन के प्रत्याशित उत्पादन के मुकाबले लौह अयस्क का उत्पादन 80.99 मिलियन टन (संलग्नक 6.3.1) हुआ था। वर्ष 2001-02 के लिए 32 मिलियन टन का रखा गया निर्देशित निर्यात लक्ष्य लगभग 2.43 मिलियन टन द्वारा बढ़ गया। यह मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया आदि से की गई मांग के कारण हुआ था।

128. भारत सरकार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) की बेलाडिला की 10/11 ए लौह अयस्क परियोजनाओं को 430.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1995 में अनुमोदित कर दिया था जो अगस्त, 1999 तक पूरी की जानी थीं। कुछ तकनीकी कारणों से योजना का क्रियान्वयन विलम्बित हो गया। निर्माण के लिए आवश्यक उपसकर पहले ही पहुंच गए हैं और प्रतिवर्ष 5.00 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता के खान विकास के लिए उन्हें लगा दिया गया है। एन.एम.डी.सी. कर्नाटक में खस्ता हालत की डोमिमलाई लौह अयस्क खान के प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन क्षमता से कुमार स्वामी खान का विकास करने की योजना भी बना रहा है।

129. कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) के लिए खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था जो 24 जुलाई, 1999 को समाप्त हो गया। 25 जुलाई, 1999 से 24 जुलाई, 2000 तक पहली बार में दिए गए वर्क परमिट को एक वर्ष की अवधि 24 जुलाई, 2001 तक और बढ़ा दिया गया था। अवधि बढ़ाए जाने को अनुमोदित करते हुए भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह कुद्रेमुख नेशनल पार्क के संबंध में 30.9.2000 को अथवा उससे पहले अधिसूचना को अंतिम रूप दे दे। कर्नाटक सरकार ने वनभूमि के 3203.55 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र और लाक्या बांध जलप्लावन के 500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नेशनल पार्क के कार्य क्षेत्र से अलग करने का निर्णय लिया था और तदनुसार कुद्रेमुख नेशनल पार्क क्षेत्र से कुद्रेमुख खान क्षेत्र और लाक्या बांध को हटाने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना को चुनौती दी गई है और एक जनहित याचिका (पी.आई.एल.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

अलोह धातुएं

अल्युमिनियम

130. अल्युमिनियम के गलाने में विद्युत बहुत खर्च होती है और विद्युत आपूर्ति और इसकी उच्च लागत के कारण इस क्षेत्र ने हानि उठाई है। तथापि, नाल्को और हिंडाल्को जैसे प्रमुख उद्योग धातु के विश्व व्यापार में स्पर्धा करने के लिए अब युक्तिसंगत कम लागत पर अपने केप्टिव विद्युत सयंत्र से उत्पादन करने में समर्थ है।

131. वर्ष 2001-02 के दौरान प्रारंभिक अल्युमिनियम उत्पादन (संलग्नक-6.3.1) के निर्देशक लक्ष्य के मुकाबले 6,38,000 टन हुआ था।

132. आई.एन.डी.ए.एल. के बेलगांव प्रगालक के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी जो उसके हीराकुंड प्रगालक का सीमान्त विस्तार किए जाने के बावजूद फिर से सक्रिय नहीं हो सका और जैसी कि प्रत्याशा की गई थी यह मूर्तरूप भी नहीं ले सका।

133. योजना अवधि के दौरान अल्युमिनियम क्षेत्र के निजी व सरकारी क्षेत्र में, किसी बड़े निवेश की प्रत्याशा नहीं की गई थी।

134. नाल्को की अपनी अल्युमिनियम शोधक की डिबोटलनेकिंग परियोजना और बोक्साइट खानों की विस्तार परियोजनाएं 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष और अल्युमिनियम शोधक 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.575 टन प्रतिवर्ष पूरी कर ली गई है। अल्युमिनियम प्रगालक क्षमता का 2,30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,45,000 टन प्रति वर्ष विस्तार क्रियान्वयनाधीन है।

135. नाल्को ने अपने अल्युमिनियम शोधक के विस्तार का प्रथम चरण जून, 2000 में चालू कर दिया था जिसने शोध की प्रतिवर्ष 8,00,000 टन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रति वर्ष 10,50,000 टन कर दिया है। विस्तार के अंतिम चरण का 15,75,000 टन प्रतिवर्ष का स्तर दिसम्बर, 2001 में पूरा कर लिया गया है।

136. विस्तार के बाद नाल्को अपने अन्गुल स्थित विस्तारित प्रगालक की आंतरिक मांग को पूरा करने के बाद प्रतिवर्ष निर्यात योग्य फालतू एक मिलियन टन का निर्यात करके एशिया में अल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जायेगा।

137. जहाँ तक केप्टिव विद्युत संयंत्रों (सी.पी.पी.) का संबंध है, 120 मेगावाट क्षमता के सभी छः एकक पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। 120 मेगावाट क्षमता के सातवें और आठवें केप्टिव विद्युत संयंत्र का परिवर्धन दसवीं योजना की अवधि के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। सरकार ने 480 करोड़ रुपए की लागत से केप्टिव विद्युत संयंत्र की क्षमता 840 मेगावाट से बढ़ाकर 960 मेगावाट करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

138. नाल्को विशेष ग्रेड अल्युमिनियम और ज़िओलाइट आदि जैसी मूल्यवर्धक मर्दों के विनिर्माण के लिए अनेक अनुप्रवाहगामी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

ताँबा

139. वर्ष 2001-02 के दौरान ताँबे का उत्पादन 3,12,000 टन के निर्देशक लक्ष्य के मुकाबले 3,06,000 टन हुआ था। (संलग्नक-6.3.1)

140. वर्ष 2001-02 के दौरान देशी प्राथमिक तांबा प्रगालक क्षमता नयी योजना के प्रतिवर्ष 5,00,000 टन के प्रत्याशित लक्ष्य की तुलना में 3,47,500 टन प्रतिवर्ष थी। इसका कारण देशी तांबा प्रगालक क्षमता में 1,52,500 टन प्रतिवर्ष के परिवर्धनों का किया जाना था जिसमें एच सी एल के खेतड़ी प्रगालक (52,500 टन प्रतिवर्ष) के विस्तार से और मेटडिस्ट लिमिटेड के एक नये प्रगालक (1,00,000 टन प्रतिवर्ष) से आने की प्रत्याशा थी किन्तु वाणिज्यिक आधार पर यह मूर्तरूप नहीं ले सका।

141. धातु का अधिक उत्पादन आयातित तांबा सांघण (ओ टी ओ के यू एम पी यू) तथा (एम आई एम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके) पर आधारित निजी क्षेत्रों जैसे क्रमशः बिड़ला कॉपर और मैसर्स स्टैलाइट स्मेल्टर्स के कारण हुआ था।

142. प्राथमिक तांबा उत्पादकों में देशी खनन क्रिया कलाप के बल हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) तक ही सीमित है। निजी क्षेत्र के अन्य प्राथमिक तांबा उत्पादक (बिड़ला कॉपर और स्टैलाइट इन्डस्ट्रीज) तांबा सांघण की आवश्यक मात्रा का आयात करते हैं।

143. एच.सी.एल. देशी उत्पादन में गिरावट को पूरा करने के लिए अपने प्रगालक संयंत्रों के लिए तांबा सांघण की कुछ मात्रा का आयात करता है। 2001-02 के दौरान तांबे का प्राथमिक स्तर पर उत्पादन करने वाली देशी तांबा अयस्क खानें केवल एच.सी.एल. की मलन्जखंड, खेतड़ी, कोलिहन और सुरदा खानें थीं।

जस्ता और सीसा

144. 2001-02 के दौरान जस्ता का उत्पादन 1,78,000 टन के निर्देशक लक्ष्य के मुकाबले 2,05,209 टन हुआ था। धातु का अतिरिक्त उत्पादन स्रोत और दक्षता लाभ से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त क्षमता के कारण हुआ था।

145. जस्ता का उत्पादन 45,000 टन के निर्देशक लक्ष्य के मुकाबले अनुमानित 38,217 टन हुआ था (संलग्नक 6.3.1)।

146. खाली बैटरियों अथवा बैटरी प्लेट छीजन, सीसा अवशिष्टों (उपसन्धि) अथवा सीसा छीनन के रूप में सीसा, छीजन का आयात करने पर बेसल अन्वेशन के अधीन लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण जस्ता के उत्पादन में गिरावट नोट की गई जिसके कारण निजी क्षेत्र की एक कम्पनी इंडिया लैड लिमिटेड - इसकी जस्ता की क्षमता में वाणिज्यिक आधार पर परिवर्धन न किए जाने और थाणे तथा कोलकाता स्थित आई.एल.एल. (इंडिया लैड लिमिटेड) के दोनों संयंत्रों को बंद किए जाने के फलस्वरूप गौण उत्पादन इसकी वार्षिक क्षमता (उपसन्धि) से लगभग 50 प्रतिशत कम हुआ।

147. गौण जस्ता उत्पादक प्रचालनरत नहीं थे क्योंकि वे जस्ता राख, छीलन और स्किमिंग्स आदि जैसे कच्चे माल का बेसल कन्वेशन के अधीन सरकार द्वारा लगाए प्रतिबन्ध के कारण आयात करने की स्थिति में नहीं थे।

148. 'वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस- के अधीन कच्चे माल का आयात करने के बाद गौण जस्ता का उत्पादन फिर से शुरू किया गया।

149. एच.जेड.एल. ने डेबरी और विशाखापट्टनम स्थित विद्यमान प्रगालकों का विस्तार कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया है और इनकी क्षमता क्रमशः 10,000 टन और 7000 टन प्रतिवर्ष है। कम्पनी की जस्ता उत्पादन क्षमता अब 1,52,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,69,000 टन प्रतिवर्ष कर दी गई है।

150. 2001-02 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिजों की खोज के सम्बन्ध में कुल 148 कार्यक्रम शुरू किए। इसने 1:50,000 के मान पर व्यवस्थित भूवैज्ञानिक नक्शे के द्वारा देश के कुल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के 98.23 प्रतिशत क्षेत्र पर जांच कार्य पूरा कर लिया है। 1:25,000 मान पर विषयवस्तोन्मुखी द्वारा आच्छादित किए जाने के लिए उच्च संकल्प और विलय अवधारण को लागू करके व्यवस्थित भूवैज्ञानिक नक्शे के दौरान तैयार करके डाटाबेस को अद्यतन करने और शोधन करने के लिए 2,63,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पता लगाया गया है।

151. देशी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अधीन निम्न ग्रेड वाले अयस्कों के निष्कर्षण के लिए हाइड्रोमेटलर्जीकल और बायो-लीचिंग प्रक्रियाओं में अनुसंधान और विकास प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने "उड़ीसा में धातुओं के प्लेटीनम धातु ग्रुप की विस्तृत खोज करने के लिए तकनीकी सहायता परियोजना" पूरी कर ली है।

152. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समुद्री विंग ने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर और हिन्द महासागर में ई.ई.जेड. के परे की अनन्य आर्थिक जोन (ई.ई.जेड) में अपने अपतटीय भूवैज्ञानिकी सर्वेक्षण को जारी रखा है।

153. वर्ष 2001-02 (दिसम्बर, 2001 तक) के दौरान राजस्थान में सोप स्टोन की पट्टेदारी भूमि और गुजरात में बौक्साइट पट्टेदारी भूमि के खनिज सम्बन्धी नक्शों को तैयार किए जाने/अद्यतन बनाए जाने के साथ-साथ तदनुरूपी वन आच्छादन का काम प्रगति पर था। मेघालय राज्य में सिलीमेनाइट पट्टाधारी भूमि और लाइमस्टोन पट्टाधारी भूमि के नक्शे बनाने का काम पूरा कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त 39 सूचकांक नक्शों, बहु खनिज नक्शों, रीजनल भूवैज्ञानिक नक्शों आदि का भी अंकीकरण कर लिया गया था।

154. आई.बी.एम. ने 16 मिलियन फ्रांसीसी फ्रेंक और 23.4 मिलियन फ्रांसीसी फ्रेंक की अनुमानित लागत पर बी.आर.जी.एम., फ्रांस द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता से दो परियोजनाओं अर्थात् एनवाइरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ माइंस और वेस्ट रिकवरी और टेकनीकल मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम को पूरा कर लिया है।

155. 2001-02 (दिसम्बर, 2001 तक) के दौरान आई.बी.एम. ने खानों के संरक्षण के विनियमन के लिए खनन कानूनों के अधीन नीचे उल्लिखित कार्यवाही की है:

● अनुमोदित खनन योजनाएं	:	481 संख्या
● निरीक्षण की गई खानें	:	1653 संख्या
● इंगित किए गए उल्लंघन	:	1644 संख्या
● पूरी तरह से परिशोधित उल्लंघन	:	613 संख्या
● अद्यतन किए गए राष्ट्रीय खनिज 1.4.2000 को प्राप्त की गई सूची	:	27 खनिज
● खनिज-नक्शों में शामिल किया गया क्षेत्र	:	21000 हेक्टेयर

156. भारतीय वन सर्वेक्षण की सहायता से वन आच्छादन के साथ खनिज-नक्शों को तैयार करने का काम विभिन्न राज्यों के खनिज सम्पन्न क्षेत्रों के लिए शुरू कर दिया गया है। ये वन आच्छादनों वाले नक्शे खनिज पट्टों के दिए जाने और नवीकरण करने के लिए वन की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के खान और भूविज्ञान विभाग को सप्लाई किए जाएंगे।

157. एम.ई.सी.एल. के खोज कार्यक्रमों ने पश्चिम बंगाल में 322 मिलियन टन के गैर कोकिंग कोयला भंडार, तमिलनाडु में 1092 मिलियन टन के लिग्नाइट भंडार, सिंधाना विस्तार ब्लॉक (चरण-1) जिला झुंझुनू, राजस्थान में 0.89 कॉपर प्रतिशत के साथ 3.48 मिलियन टन के तांबा अयस्क भंडार, का पता लगाया है। 1.34 मिलियन टन का हीरकोत्पादक संपिंडित हातुपुर, पन्ना डाइमंड फील्ड, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है जबकि 3.93 ग्राम/टन सोना के साथ 1.90 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क डोना ईस्ट (चरण-1), जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश में और 0.08 प्रतिशत मोलीब्डेनम के साथ 0.10 मिलियन टन मोलीब्डेनम अयस्क वेल्डम पट्टी साउथ ब्लॉक, तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं।

158. सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन (एस.एम.सी.) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग को 21-12-2001 से स्थानांतरित कर दिया गया है।

159. छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने आधुनिक खोज तकनीक अपनाकर नए खनिज भंडारों की खोज में तेजी लाने के लिए हाल ही में अपनी खनिज नीति/खनन नीति बनाई है। नीति में संसोधन किया है। यह खनिज क्षेत्र में निजी निवेश घरेलू और विदेशी दोनों को आकर्षित करने के लिए लाभदायक व्यापार पर्यावरण का सृजन करेगा। नीति का उद्देश्य मशीनीकृत और वैज्ञानिक खनन को अपना कर और उसको बढ़ावा देकर खनिज भंडारों का दोहन करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना और निर्णय लेने में पूरी पारदर्शिता लाना है। इसके लिए इष्टतम दोहन, खान सुरक्षा और पारिस्थिति की व्यवस्था पर खनिज विकास के विपरीत प्रभावों को न्यूनतम करने को उचित महत्व दिया जाएगा। यह खनिज उद्योग को सुचारू और निर्बाध विकास करने और एक डाटा-बेस का सृजन करने के लिए आवश्यक लिंकेज उपलब्ध कराएगी। प्रसंस्करण एककों और खनिजों पर आधारित उद्योगों को संवर्धन के माध्यम से मूल्य-जोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा। नीति उन खनिजों के निर्यात को प्रोत्साहित करेगी जिनके पास निर्यात-योग्य क्षमता है और खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी और खनन तथा खनिजों पर आधारित

उद्योगों को भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देगी। इसके अलावा खनिजों के गैर कानूनी खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम करके खनिज संसाधनों का बृहत और वैज्ञानिक उपयोग करके खनन कार्यों में लगे लोगों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2002-03 में प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम

160. नाल्को में अपनी अलोचनात्मक चालू स्कीमों जैसे प्रगालक और केप्टिव विद्युत संयंत्र का VIII एकक योजना आदि की क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ और स्कीमों को, जिनसे अधिकाधिक लाभ लिए जा सकते हैं, आलोचनात्मक चालू स्कीमों को पूरा करने का विचार है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खनन और अन्य उपकरणों का प्रतिस्थापन तथा नवीकरण करेगा। एम.ई.सी.एल. निम्न ग्रेड वाले खनिज/अयस्क का ग्रेड बढ़ाए जाने के लिए लाभकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त संवर्धक और पूंजीगत स्कीमों को जारी रखेगा। इसके लिए स्वयं पोषण संस्थानों और निजी क्षेत्र के संगठनों को साथ-साथ काम करना पड़ेगा और सरकार इस नेटवर्क का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी।

161. दसवीं योजना में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सुदृढ़ करना होगा और इसका आधुनिकीकरण करना होगा। इनमें भूमि और हवाई भू-भौतिक सर्वेक्षण दोनों के लिए यंत्रीकरण करना, यथार्थ क्षमताओं आदि के साथ कुशल प्रयोगशाला का यंत्रीकरण करना शामिल है। समुद्री कानून सम्बन्धी तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ("III-यू.एन.सी.एल.ओ.एस.") के अधीन 350 नौटिकल मील तक बढ़ाई गई प्रायद्वीपीय उपतट जोन में दावा करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों में गहराई मापन सम्बन्धी और चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए एक नया अनुसंधान पोत भी प्राप्त करना होगा।

162. आई.बी.एम. ने संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी.) करने और विभिन्न राज्यों के खनिज सम्पन्न क्षेत्रों के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की सहायता से वन आच्छादित खनिज नक्शे तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

163. खनिज क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, निजी कम्पनियों द्वारा विगत में की गई प्रगति के अलावा नीतिगत निहतार्थ वाले चिंता के कुछ क्षेत्र हैं जिन पर और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इन पर निम्नलिखित में प्रकाश डाला गया है।

चिंता के क्षेत्र

164. विभिन्न स्वीकृतियाँ देने के लिए वर्तमान प्रक्रिया, जैसे प्रारम्भिक सर्वेक्षण परमिट, प्रत्याशित लाइसेंस, खनन पट्टा, भूतल अधिकारों का हस्तांतरण को अनुचित रूप से लम्बा समय लगना महसूस किया गया है।

165. खनन उद्योग का यह विचार है कि उपर्युक्त अनापत्तियों को समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। यदि अनुमोदन निर्धारित अवधि के भीतर नहीं दिये जाते हैं तो यह मान लिया जाना चाहिए कि ये मंजूर हो गये हैं।

166. एम.एम.आर.डी. अधिनियम में एक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है कि यदि प्रारम्भिक सर्वेक्षण परमिट निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं की जाती है तो इसे रद्द कर देना चाहिए।

167. वर्तमान में कोई भी उस भंडार का खनन नहीं कर सकता जो घोषित वन क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे वन क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट खनिज भंडार उपलब्ध हैं। अपेक्षित वन आच्छादन का अनुरक्षण करते हुए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने तथा अर्थव्यवस्था के लाभार्थ ऐसे भंडारों का वाणिज्यिक दोहन करने के लिए कोई तरीका ढूँढा जा सकता है। इस तरीके का पता लगाने की जरूरत है।

168. विभिन्न राज्य सरकारों ने निःशुल्क अतिरिक्त रॉयल्टी आदि जैसी असंगत शर्तें लगा रखी हैं। खनन कम्पनियों को अपने राज्य में प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में कहने के साथ-साथ ऐसी शर्तें वर्तमान नीतिगत विधान के विपरीत हैं और खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल हैं, का तेजी से विकास करने के लिए उनके समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

169. सरकारी क्षेत्र द्वारा दोहन किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बड़े खनन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने की परिपाटी को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह वर्तमान नीतिगत विधान के भी विपरीत है।

170. निर्यातों सहित खनिज क्षेत्र के विकास में अवसंरचना की अपर्याप्तता और ऊंची लागत एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इस बाधा को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है।

171. देशी सीसा सांद्रण और देशी घीजन की कम उपलब्धता के कारण, देश में सीसे के नए संसाधनों का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता है।

172. बैटरी स्कैपों को केन्द्रीकृत आधार पर एकत्रित किए जाने की भी आवश्यकता है और इसका प्रसंस्करण संगठित गौण क्षेत्र में उन एककों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास अपेक्षित पर्यावरणीय नियंत्रण उपाय हैं। इससे बैकयार्ड जस्ता प्रगालकों की वृद्धि पर रोक लगेगी जिन्हें पर्यावरण मित्र नहीं समझा जाता है।

खनिज क्षेत्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

173. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 70.00 करोड़ की बी.आर.जी.एम. की वित्तीय सहायता से प्रयोगशाला सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और अपने जमीनी, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव किया है।

174. उसी प्रकार से चार आई.बी.एम-बी.आर.जी.एम. परियोजना प्रस्तावों जैसे भारत में खनन से ठोस रदी का प्रबंधन, आई.बी.एम. को प्रयोगशाला उपस्करों की आपूर्ति, खनिज विकास और पर्यावरण प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमता का निर्माण, अनुदान सहायता के अधीन भारत में खनिज संसाधन प्रबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण का कार्यान्वयन, बी.आर.जी.एम. फ्रांस और भारत सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, यह दसवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। इन परियोजनाओं में बी.आर.जी.एम. फ्रांस की 3.33 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है।

योजना परिव्यय

175. वार्षिक योजना (2001-02) के लिए 1445.95 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय (सं.अ.) का अनुमान लगाया गया था जिसमें आई.बी.ई.आर. के 1203.50 करोड़ रुपए और 242.45 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल थी। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए 1253.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से 1018.50 करोड़ रुपए आई.ई.बी.आर. और 234.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था जी.बी.एस. के माध्यम से की जानी है। इसमें बजट के माध्यम से प्राप्त 73.33 करोड़ की विदेशी सहायता शामिल है।

वर्ष 2000-01, 2001-02 के दौरान वास्तविक निष्पादन
और वर्ष 2002-03 के लिए लक्ष्य

क्र. सं.	वस्तु	यूनिट	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 लक्ष्य
				योजना लक्ष्य	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6	7
1	लोह अयस्क	मिलियन टन	77.00	100.00	80.99	100.00
2	अल्युमिनियम (प्राथमिक)	हजार टन	642.84	648.00	638.00	721.00
3	तांबा (कैथोड प्राथमिक)	हजार टन	237.72# (42.30)\$	312.00# (43.00)\$	306.00 (35.80)\$	348.00
4	जस्ता (प्राथमिक)	हजार टन	178.00	178.00##	205.00	199.00
5	सीसा	हजार टन	40.51	45.00	38.00	58.50

निजी क्षेत्र की कम्पनियों के उत्पादन सहित अर्थात् स्टर्लाइट इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, इन्डो गल्फ कॉपर लिमिटेड (बिड़ला कॉपर) और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड - सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम।

\$ एच.सी.एल. के लिए निर्देशक योजना लक्ष्य।

निर्देशक नौवीं योजना लक्ष्य के मुकाबले शक्ति और क्षमता लाभ के माध्यम से अधिक उत्पादन।

6.4 ग्रामीण और लघु उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1. ग्रामीण और लघु उद्योग (वी.एस.आई.) क्षेत्र में लघु उद्योग (एस.एस.आई.), हथकरघा, हस्त शिल्प, विद्युत चालित करघा, रेशम उत्पादन, खादी, ऊन, कॉयर (नारीयल रेशा) आदि जैसे उद्योग शामिल हैं। यह क्षेत्र गत वर्षों में अर्थव्यवस्था के एक गतिशील और सनसनीदार क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। इसने उत्पादन, रोजगार और निर्यातों में लगातार वृद्धि दर्ज किया है। लघु उद्योग क्षेत्र (एस.एस.आई.) उपभोक्ता सामानों के उत्पादक और बड़े तथा मझोले क्षेत्र की तुलना में कम निवेश पर श्रमिकों को रोजगार मुहैया करने वाले क्षेत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी को कम करने की समस्याओं को सुलझाता है। देश में लगभग 34 लाख लघु उद्योग एकक हैं जो विनिर्माणी क्षेत्र में उत्पादन के सकल मूल्य का 40 प्रतिशत बैठते हैं और देश के कुल निर्यातों में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान करते हैं। यह लगभग 192 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है जो केवल कृषि के बाद दूसरा है।

2. सरकार नीतियों, जैसे अवसंरचनात्मक सहायता, क्रेडिट के लिए तरजीही पहुँच, लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादों के अनन्य विनिर्माण के लिए आरक्षण तरजीही खरीद आदि, के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए सहायता देती रही है।

3. योजना आयोग ने दसवीं योजना के लिए शून्य आधारित बजटीय (जेड बी बी) व्यवस्था किया है और 9 वीं योजना के अधीन क्रियान्वित की जा रही 189 स्कीमों को स्कीमों का विलय करके/पुनः समूहनकरण/समाप्त करके घटाकर 74 कर दिया है। इस व्यवस्था से महत्वपूर्ण स्कीमों पर ध्यान केन्द्रित करने का अवसर मिला है और स्कीमों की बड़ी संख्या पर संसाधनों का अल्प मात्रा में फौलाव करना आवश्यक नहीं रह गया है।

4. लघु उद्योग क्षेत्र का विकास समूचे उद्योग क्षेत्र की तुलना में सामान्यतः दो से तीन अंक प्रतिशत अधिक रहा है। तथापि, हाल के पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को खुलाने और आयातों से प्रतिस्पर्धा के प्रभावों का अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए शीर्ष बैंक है जो भारी मात्रा में निधियों का संवितरण करता है और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आगे ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनः वित्तपोषण करता है। पायलट आधार पर एक क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अधीन 25 लाख रुपए तक के ऋण क्रेडिट निधि द्वारा बिना किसी समपार्श्विक गारंटी के दिए जाएंगे और लघु उद्योग एकक के असफल होने के मामले में ऋण 75 प्रतिशत तक की रिपेमेंट बैंक को की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत इसकी परिसम्पत्तियों का परिसमापन करने के बाद वसूल किया जाएगा।

5. अधिक कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बैंको की सहायता करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र एककों के कारोबार की सीमा 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है; लघु क्षेत्रों को आगे ऋण देने के प्रयोजनों के लिए बैंकों द्वारा एन.बी.एफ.सी. अथवा वित्तीय मध्यवर्तियों को बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल कर लिया

गया है। 31 मार्च, 2002 के अनुसार 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3247 लघु उद्योग एककों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एस.आई) जो कि 27 जुलाई, 2000 से क्रेडिट गारंटी स्कीम का प्रचालन कर रहा है, के द्वारा 3557.68 लाख रुपये की गारंटी अनुमोदित की गई है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार करने के लिए विशिष्ट बैंक शाखाओं की स्थापना अनन्य रूप से लघु उद्योगों के लिए की जा रही हैं। बैंकों द्वारा अब तक 391 विशिष्ट बैंक शाखाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

6. सभी लघु क्षेत्र के एककों को शामिल करने के लिए एस.आई.डी.बी.आई. की प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निधि का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। पूर्व में इस स्कीम के अन्तर्गत निर्यातों की एककों को ही क्रेडिट उपलब्ध कराई जाती थी। सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी का ग्रेड बढ़ाने के लिए एक क्रेडिट सम्बद्ध पूंजीगत राज सहायता मंजूर कर दी है।

7. उत्पादन, रोजगार और निर्यातों के संबंध में निर्देयाक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 6.4.2 में दी गई हैं। उत्तरवर्ती पैराओं में ब्योरों की क्षेत्रवार चर्चा की गई है। 2000-01, 2001-02 (ब.अ. संशो. अनुमान) और 2002-03 (ब.अ.) के लिए योजना परिव्यय और व्यय संलग्नक 6.4.1 में दिए गए हैं।

लघु उद्योग

8. लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन (एस.आई.डी.ओ.) लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस.आई.एस.आई.), क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों (आर.टी.सी.), फील्ड टोस्टिंग स्टेशनों (एफ.टी.एस.), प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्रों (पी.पी.डी.सी.) आदि जैसे संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग एककों को सेवा में उपलब्ध कराता है। एस.आई.डी.ओ. प्रौद्योगिकी आदि का ग्रेड बढ़ाने के लिए तकनीकी आदान, गुणवत्ता जांच सुविधा में प्रशिक्षण, विस्तार, बाजार विकास सहायता, डाटा बेस सहायता, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, क्रेडिट गारंटी, पूंजी सम्बद्ध राज सहायता उपलब्ध कराता है।

9. लघु उद्योग विकास संगठन (एस.आई.डी.ओ.) ने लघु उद्योग क्षेत्र की सहायता करने और गुणवत्ता वाले औजारों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकीय उन्नयन, तकनीकी परामर्श और सामान्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए अनेक टूल रूम स्थापित किए हैं। मिनी टूल रूम स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है जिसके लिए एस.आई.डी.ओ. स्थानीय आधार पर प्रशिक्षण और उत्पादन सुविधाओं का सृजन करने के लिए मशीनों के लिए एक समय में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

10. लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस.आई.एस.आई./क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों (आर.टी.सी.)/फील्ड टोस्टिंग स्टेशनों (एफ.टी.एस.) की कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने का काम एक चरणबद्ध तरीके में शुरू किया जा रहा है ताकि उन्हें आधुनिक मशीनों और कुशल जनशक्ति से युक्त किया जा सके। लघु उद्योग समूहों की आधुनिकीकरण और

प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन कार्यक्रम की एक योजना (यू.पी.टी.ई.सी.एच.) 1998 में शुरू की गई थी। छः लघु उद्योग समूहों की पहचान कर ली गई है और इन समूहों के लिए नैदानिक अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है।

11. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र (आई.आई.डी.सी.) स्कीम शुरू की गई थी। कतिपय प्रतिबन्धात्मक उपबंधों को दूर करके और सिविक सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को उदार वित्तपोषण करके इस स्कीम का नवीकरण किया गया है। अब तक 83 आई.आई.डी.सी. क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और नवम्बर, 2002 तक 53.81 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान जारी किया जा चुका है।

12. चिह्नित क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए लघु क्षेत्र एककों को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिकीकरण के लिए लघु क्षेत्र एककों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर 12 प्रतिशत पूंजीगत सहायता देने के लिए क्रेडिट सम्बद्ध पूंजीगत राज सहायता स्कीम (सी.एल.सी.एस.) शुरू की गई है। अब तक इसमें 29 इकाइयों को शामिल किया जा चुका है।

13. क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अधीन एक लघु उद्योग को 25 लाख रुपए तक की सीमा तक का समपार्श्विक शुल्क ऋण दिया जाता है। वर्ष 2001-02 के दौरान 100.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

14. विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने लघु उद्योगों की तीसरी लघु उद्योग जनगणना करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने की स्कीम प्रारम्भ कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि निष्पादन परिणाम 31.12.2002 तक उपलब्ध हो जाएंगे और मार्च, 2003 तक जनगणना की पूरी सूचना तैयार हो जाएगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)

15. आर्थिक रूप से व्यवहार्य सभी क्रियाकलापों के लिए स्वनियोजित उद्यम लगाने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्रियान्वयनाधीन है। स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें अनेक संशोधन किए गए हैं जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक आयु सीमा को बढ़ाकर 35 से 45 करना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को घटाना, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए वार्षिक परिवार आय सीमा और परियोजनाओं के आकार को बढ़ाना, एक-एक व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए विवाहित महिला आवेदनों के लिए आवास मापदंड और समपार्श्विक मुक्त ऋण में छूट देना, पूर्वोत्तर राज्यों आदि के लाभार्थियों के लिए क्रेडिट/ऋण अंश में वृद्धि करना। 2001-02 के दौरान 2.31 लाख लोगों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 2.20 लाख के योजना लक्ष्य के मुकाबले 1.36 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को संवितरित किए

गए। कुछ राज्यों में ऋण की पुरानी बाकाया राशि की वसूली धिता का कारण है। योजना के अन्तर्गत ऋण की पुरानी बाकाया राशि की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.)

16. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.) लिमिटेड की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। निगम देश में लघु उद्योगों के विकास और सहायता को बढ़ावा देने के लिए अवक्रय पर मशीनें, पट्टे पर उपस्कर, कच्चे माल की सहायता, घरेलू और निर्यातों के लिए विपणन निवेश, एक ही स्थान पर पंजीकरण आदि उपलब्ध करा रहा है। एन.आई.सी. देश भर में व्यवहार्य लघु उद्योगों के संवर्धन में भी सहायता कर रहा है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जिनमें निर्यातों के लिए उत्पादन की चुनिंदा लाइन का पता लगाया गया है।

17. एन.एस.आई.सी. "मार्केटिंग सहायता" कार्यक्रम चला रहा है जिसमें शामिल हैं (i) कच्चा माल सहायता कार्यक्रम (ii) सरकार को विपणन और निविदा विपणन इसमें सहायता संघ का बनाया जाना भी शामिल है। कच्चा माल सहायता कार्यक्रम के अधीन, लघु उद्योग एककों के लिए और उनके ओर से कच्चा माल, संघटक और उप-संयोजनों की अधिप्राप्ति की जाती है और उन्हें उनकी आवश्यकता और भुगतान करने की क्षमता के अनुसार छोटे-छोटे लॉटों में वितरण के लिए सप्लाई किया जाता है। एकीकृत विपणन सहायता कार्यक्रम के अधीन निगम लघु क्षेत्र के एककों को उनके सामानों की बिक्री के लिए किए जाने वाले अस्थगित भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली उनके वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है। तब एन.एस.आई.सी. खरीदारों से बिलों को एकत्रित करता है।

18. "एकल" खिड़की सहायता स्कीम निर्यातक लघु उद्योग एककों की सहायता करती है और निगम निर्यात करने के लिए लघु उद्योग एककों को समर्थन बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है। लघु क्षेत्र एककों द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में भवन निर्माताओं में हार्डवेयर, पीतल संघटक, मशीन औजार, हाथ के औजार, हाथ के दस्ताने, डीजल इंजन, सेनेटरी और गुसलखानों की फिटिंग, खेल-सामान, घमड़े के सामान, बगीचे के औजार आदि शामिल हैं। एन.एस.आई.सी. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भी लघु क्षेत्र उद्योगों की सहायता कर रहा है। 2002-03 (नवम्बर, 2002 तक) एन.एस.आई.सी. के माध्यम से किए गए निर्यात (सॉफ्टवेयर निर्यातों को छोड़कर) पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 2.31 करोड़ रुपए के मुकाबले 4.28 करोड़ रुपए के लिए गए थे। एन.एस.आई.सी. ने मार्च, 2002 तक सरकार भंडार क्रय कार्यक्रम के अधीन 32,496 लघु उद्योग एककों को पंजीकृत किया था। 2002-03 के पहले आठ महीनों के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन 473 नए एकक पंजीकृत किए गए थे।

19. निगम ने लघु क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों को दिखाने के लिए टेकमार्ट इंडिया, 2002 का आयोजन किया था। एन.एस.आई.सी. ओखला में स्थापित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र के माध्यम

से विदेशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहा है। एक इंटरनेट पर आधारित पोर्टल (प्रौद्योगिकी शोकेस) अन्तर्राष्ट्रीय भागीदार संस्थाओं से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए लघु क्षेत्र एककों की सहायता कर रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग

20. दसवीं योजनावधि के दौरान रोजगार सृजन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को नए रोजगार उपलब्ध कराने और नए रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों को बहिर्गमन कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। दसवीं योजना के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 20 लाख नई नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2002-03 में दसवीं योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनेक नई पहल शुरू की हैं ताकि 4 लाख नौकरियों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। के.वी.आई.सी. द्वारा ध्यान दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों में होंगे - खादी के कपड़ों में नई डिजाइनों और फैशन का शुरू किया जाना, सीमांत धन स्कीम (जिसे ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है) का बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीण उद्योग एककों में समुपयुक्त प्रौद्योगिकी शुरू किया जाना, वी.एस.आई. उत्पादों के लिए उच्चतर और समान गुणवत्ता स्तर को अपनाना, ग्रामोद्योग समूहों का विकास आदि।

21. वर्षों से खादी कपड़े का उत्पादन और रोजगार गिर रहा है। तथापि ग्रामोद्योगों ने उत्पादन और रोजगार में वृद्धि दर्शाई है और ग्रामोद्योग में नई नौकरियों के सृजन का समाचार है। खादी और ग्रामोद्योग का निष्पादन संलग्नक 6.4.2 में देखा जा सकता है। 2002-03 में खादी कपड़े के उत्पादन और रोजगार का लक्ष्य क्रमशः 59.50 मिलियन वर्ग मीटर और 8.56 लाख व्यक्ति हैं जिसे पूरी तरह से प्राप्त किए जाने की संभावना है। ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन और रोजगार के संबंध में प्रत्याशित उपलब्धि उत्पादन और रोजगार में क्रमशः 7680 करोड़ रुपए और 60.00 लाख के मुकाबले क्रमशः 7622.50 करोड़ रुपए और 57.82 लाख लोगों की होगी। के.वी.आई.सी. ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी.) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) की सहायता से खादी कपड़े के लिए नई डिजाइनें और फैशन निवेश शुरू किए हैं। इन क्रियाकलापों से उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खादी की मांग में सुधार होने की संभावना है। भविष्य में "कोई लाभ नहीं" अवधारणा के बजाय "कोई हानि नहीं" आधार पर बल दिया जाएगा। खादी कपड़े पर छूट दिए जाने की नीति अब दसवीं योजनावधि के दौरान जारी रहेगी जैसा कि के.सी.पन्त समिति द्वारा सिफारिश की गई है। 2002-03 के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री के अधीन उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने आठवीं योजना के दौरान खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में दो मिलियन नौकरी के सृजन की परिकल्पना की थी। ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2002 तक 14.42 लाख नई नौकरियों का सृजन किया गया था और 1.40 लाख परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

22. 1995-96 से के.वी.आई.सी. ने नए ग्राम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई सीमानत धन स्कीम (एम.एम.एस.) शुरू की थी। 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं

के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक निधियां सीमान्त धन के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। 10-25 लाख रुपए के बीच परियोजनाओं की शेष लागत का 10 प्रतिशत सीमान्त धन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय आदि के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक धन उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम 27 राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य खादी ग्रामोद्योगों के सक्रिय सहयोग से लागू किया जा रहा है। बैंकों के साथ समूहों से निधियों का उपयोग किया जाना अपेक्षाकृत कम है और इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। 2001-02 के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को 149.80 करोड़ रुपए के सीमान्त धन अग्रिम और राज्य के के.पी.आई. बोर्डों को 40.43 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं जो कुल मिलाकर 190.23 करोड़ रुपए बैठता है। इन सीमान्त धन अग्रिमों के मुकाबले बैंक ऋण की अनुमानित राशि लगभग 457.30 करोड़ रुपए थी।

कॉयल उद्योग

23. कॉयल उद्योग बेकार उद्योग जैसे नारियल के बागानों की कॉयलहस्क (रेशा) का उपयोग करता है। यह एक अधिक श्रम वाला और निर्यातमुखी उद्योग है। कॉयल उद्योग बड़ी मात्रा में नारियल के पेड़ों का रोपण करने पर भी ध्यान दे रहा है। कॉयल उद्योग का निष्पादन संलग्नक 6.4.2 में दिखाया गया है। कॉयल बोर्ड कयल उद्योग के संवर्धन वृद्धि और विकास और निर्यातों को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार को विपणन सहायता उपलब्ध कराकर देखभाल कर रहा है। कॉयल बोर्ड कयल क्षेत्र के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वित करता है, इनमें प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता, कॉयल उद्योग पुरुस्कार, महिला कॉयल योजना, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना, मॉडल कॉयल गाँव, कारीगरों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम, आधुनिकीकरण, कड़ी मजदूरी को कम करना और अन्य कल्याण उपाय शामिल हैं।

24. कताई क्षेत्र के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में एकीकृत कॉयल विकास परियोजनायें (आई सी डी पी) शुरू की गई हैं। 2001-02 के दौरान आई सी डी पी के अधीन केरल में 171 संस्थीकृत एककों में से 34 तंतु अलग करने वाले एकक और 81 कताई एकक चालू कर दिए गए हैं। यह योजना कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में भी क्रियान्वित की जा रही है।

25. कॉयल और कॉयल उत्पादों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य घरणबद्ध कर दिया गया है। जिससे कॉयल उत्पादों के निर्यातों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर निर्यात योग्य बना दिया है। न्यूनतम निर्यात मूल्यों को हटाने के बाद कयल निर्यातों ने स्थिर रूप में वृद्धि दिखाई है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 30 सितम्बर, 2002 तक 450 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य के मुकाबले 152.00 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और वर्ष के दौरान पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

26. कॉयर बोर्ड यू एन डी पी की निधियों की सहायता से "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आधुनिकीकरण और भारतीय कॉयर क्षेत्र में क्षमता का निर्माण" की एक योजना लागू कर रहा है। परियोजना के लिए कुल परिष्यय 8,46,000 अमरीकी डालर (3.80 करोड़ रुपए) है। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में छः कॉयर समूहों को चिह्नित कर लिया गया है और स्कीम में प्रगति हो रही है।

27. विद्युत चालित करघों पर कॉयर-चटाई के उत्पादन का प्रदर्शन करने और ऐसे एकक शुरू करने के लिए अन्य उद्यमियों को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से 1988 में कयर बोर्ड द्वारा एक मॉडल विद्युत चालित फ़ैक्टरी हिन्दुस्तान कयर स्थापित की गई थी। फ़ैक्टरी ने 2001-02 के दौरान 3.05 लाख वर्ग मीटर पावरलूम चटाई का उत्पादन किया। 2002-03 में 30 सितम्बर, 2002 तक फ़ैक्टरी के 1.68 वर्ग मीटर पावरलूम का उत्पादन करने की सम्भावना है।

हथकरघा

28. हथकरघे भारत की न केवल विरासत, सम्पन्नता और हमारे देश की विविधता और कारीगरी को दर्शित करते हैं अपितु लगभग 124 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़ा आर्थिक क्रिया कलाप है। यह क्षेत्र हथकरघा उत्पादों के निर्यात के माध्यम से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप और विकास संबंधी तथा कल्याण स्कीमों को लागू करने के कारण यह सेक्टर पावरलूम और मिल सेक्टर से बढ़ती हुई स्पर्धा को सहन करने में सफल रहा है। यह सेक्टर देश में उत्पादित कुल कपड़े में 19 प्रतिशत का योगदान देता है। उप-क्षेत्र का निष्पादन संलग्न 6.4.2 में दर्शाया गया है।

29. हथकरघा क्षेत्र अनेक समस्याओं जैसे पुरानी प्रौद्योगिकी और परम्परागत उत्पादन तकनीक, लच्छी धागों (हैंक) का उँचा मूल्य, आदानों जैसे छोटे-छोटे पैकों में मानकीकृत रंग और रसायनों की अपर्याप्त उपलब्धता, नई डिजाइनों की कमी, कुशलता का अपर्याप्त ग्रेड बढ़ाने और अपर्याप्त विपणन आसूचना और पुनर्निवेश की आवश्यकता का सामना करता रहा है। इसके अलावा इसकी कतिपय अन्तर्निहित कमियाँ जैसे असंगठित ढाँचा, बुनकरों का कमजोर बिक्रीय आधार और सहकारिता का नौकरशाही/राजनीतिकरण किया जाना हैं।

30. हथकरघा क्षेत्र अपने मुख्य कच्चे माल अर्थात् लच्छा धागों की सप्लाई के लिए संगठित मिल क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर करता रहा है। केन्द्रीय सरकार युक्तिसंगत मूल्यों पर लच्छे/धागे की नियमित सप्लाई प्राप्त करने में हथकरघा बुनकरों की (क) लच्छा धागा दायित्व स्कीम और (ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन एच डी सी) के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिल से निकलते समय के मूल्य पर धागे की सप्लाई के माध्यम से हथकरघा बुनकरों की सहायता करती रही है। एन एच डी सी ने 2001-02 के दौरान हथकरघा एजेंसियों को 187.38 करोड़ रुपए के मूल्य का 205.07 लाख कि.ग्रा. धागा सप्लाई किया था। अक्टूबर, 2002 तक एन एच डी सी ने 170.87 करोड़ रुपए मूल्य का 222.00 लाख कि.ग्रा. लच्छा धागा सप्लाई किया है।

2002-03 के बजट में लच्छा /धागा पर उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। फरवरी, 2002 के अंत तक लच्छा धागा को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई थी। तथापि उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त लागत के कारण हथकरघा बुनकरों की परेशानियों को दूर करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा)के कार्यालय ने उन संगठनों को उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक स्कीम बनाई है जो हथकरघा बुनकरों को सी ई एन वी ए टी (सैनवैट)के नेट मूल्यों पर धागा सप्लाई करेगा।

31. हथकरघा एजेंसियों और व्यक्तिगत बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय मास्टर बुनकरों को राष्ट्रीय पुरुस्कार देने और देश के विभिन्न भागों में आयोजित शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशेष एक्सपो,जिला स्तर पर विशेष मेला (इवेन्ट) आयोजित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। 2001-02 में 9 राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, 9 विशेष एक्सपो और 92 जिला स्तर की प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई थीं। 2002-03 के दौरान देश के विभिन्न भागों में उदयपुर, हैदराबाद, फरीदाबाद और आगरा में 4 शिल्प मेलों सहित लगभग 15 राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशेष एक्सपो और 150 जिला स्तरीय प्रदर्शनियाँ आयोजित करने का प्रस्ताव है।

32. हथकरघा बुनकरों की कल्याण संबंधी उपाय सामूहिक बीमा योजना,स्वास्थ्य पैकेज स्कीम,शिफ्ट फंड स्कीम,परियोजना पैकेज स्कीम और कार्य-शेड-व-आवास स्कीम आदि के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बुनकरों और कारीगरों के लिए 15 अगस्त, 2002 को विशेष अंशदायी बीमा योजना को लागू करने की घोषणा की थी। तदनुसार हथकरघाबुनकरों के लिए "बुनकर कल्याण स्कीम" नामक एक व्यापक स्कीम स्वास्थ्य पैकेज,शिफ्ट फंड,बंकर बीमा योजना और पैकेज इश्योरेंस के संघटकों के रूप में तैयार कर ली गई है।

33. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी डी एच पी वाई) अप्रैल, 2000 में शुरू की गई थी और हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए इसे मार्च, 2007 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया गया था। पूर्व की कुछ स्कीमों जैसे परियोजना पैकेज स्कीम,प्रीलांस डिजाइनर स्कीम आदि को डी डी एच पी वाई योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। डी डी एच पी वाई के अधीन संघटकों जैसे (1) आधारभूत निवेश (2) अवसंरचना सहायता (3) डिजाइन आदान (4) प्रचार (5) विपणन प्रोत्साहन (6) परिवहन राज सहायता (7) हथकरघा संगठनों को मजबूत करने के लिए हथकरघा संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। अनुदान 50:50 के अनुपात में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के मामले में भागीदारी 90:10 होगी। लागू करने वाली एजेंसियों के लिए जिनमें 100 प्रतिशत अनु.जाति/अनु जनजाति/महिलायें/अल्पसंख्यक होते हैं,अनुदान की भागीदारी 75:25 के अनुपात में होगी। सभी शेष राज्यों के संबंध में विपणन सहायता के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहायता का अनुपात 50:50 होगा। प्रधानमंत्री ने हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याण संबंधी उपाय और बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 अगस्त, 2002 को एक पैकेज की घोषणा की है। हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जम्मू-कश्मीर पैकेज में अनेक नई पहलें शामिल की गई हैं।

विद्युत चालित करघा

34. विकेन्द्रीकृत विद्युत चालित करघा क्षेत्र देश की कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दोनों विना प्रोसेस किये (ग्रे) और जटिल डिजाइनों वाले संसाधित कपड़ों की व्यापक किस्म का उत्पादन करता है। 3.75 लाख से अधिक एकक देश के कपड़े के कुल उत्पादन में 59 प्रतिशत तक का योगदान कर रहे हैं इसमें गैर लघु उद्योग, बुनने वाली होजरी/निर्टिंग एककों द्वारा उत्पादित कपड़ा शामिल नहीं है। यह क्षेत्र लगभग 42 लाख लोगों को नियोजित करता है और निर्यात आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

35. 31 अगस्त, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में अनुमानित विद्युत चालित करघों का संख्या 1986 के 6.39 लाख से बढ़कर 16.71 लाख हो गई है। हथकरघों को मुख्य समस्याओं जैसे अप्रचालित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, खंडित और छोटे आकार के एकक, विद्युत की उँची दरें, बिजली की बढ़ती कटौती, निम्न कुशलता, अपर्याप्त क्रेडिट उपलब्धता और खराब विपणन तकनीकों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वव्यापीकरण होने से आयातों से स्पर्धा बढ़ रही है। यह आवश्यक है कि विद्युत-करघों का आधुनिकीकरण किया जाये, उच्चतर डिजाइन उपलब्ध कराये जायें, उत्पादन और उत्पादकता भी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, उच्चतर डिजाइन आदान उपलब्ध कराये जायें और विद्युत चालित करघा कर्मकारों की सामाजिक कल्याण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए।

36. कपड़ा आयुक्त के अधीन 13 विद्युत चालित करघा सेवा केन्द्र (पी एस सी) और 29 पी एस सी विभिन्न कपड़ा अनुसंधान संघों (टी आर ए) के अधीन अर्थात् ए टी आई, आर ए, सी टी आर ए, एम ए एन टी आर ए, एन आई टी आर ए, एस ए एस एम आई आर ए, आई जे आई आर ए, एल आई टी आर ए. कार्य कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने सन 2000 में क्रमशः हैदराबाद और जबलपुर में पी एस सी स्थापित किए हैं। ये पी एस सी विद्युत-करघों को तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी सूचना आदि उपलब्ध करा रहे हैं।

37. पॉवरलूम सेवा केन्द्रों (पी.एस.सी.) में विद्युत करघे बहुत ही पुराने और अप्रभावित प्रौद्योगिकी के हैं। विद्यमान पॉवरलूम सेवा केन्द्रों का शटल रहित करघे लगाकर, कॉप चेंजिंग/शटल चेंजिंग करघे, ड्रॉप बॉक्स करघे, डॉबी, जेकर्ड टेरी फेब्रिक बुनाई करघे, प्रिन वाइंडिंग मशीनों, सेक्शनल रैपिंग मशीनों, धागा और फ़ैब्रिक टैस्टिंग उपकरण, रसायन जांच उपकरण डी.जी. सेटों आदि का आधुनिकीकरण करने और मजबूत करने की आवश्यकता है। नौवीं योजना के दौरान 21 पी.एस.सी. का आधुनिकीकरण कर दिया गया और शेष का आधुनिकीकरण दसवीं योजना में किया जाएगा।

38. देश में अब तक सत्रह कम्प्यूटर एडेड डिजाइन (सी.ए.डी.) केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डिजाइन केन्द्र के साथ सी.ए.डी. केन्द्रों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग में प्रगति हो रही है। सामूहिक बीमा योजना जीवन बीमा निगम के सहयोग से लागू की जा रही है और उसको संशोधित कर दिया गया है और संशोधित स्कीम के अनुसार 18-60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी बुनकर, जिसने एक वर्ष के दौरान 700 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम

मजदूरी अर्जित की है, इस स्कीम में शामिल होने का पात्र है। वार्षिक प्रीमियम में विद्युत करघा कर्मकार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की बराबर भागीदारी होती है। वर्कशेडों के लिए एक स्कीम बना ली गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत शेड की 25 प्रतिशत लागत राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। इस स्कीम से विद्युत करघा एककों की कार्य करने वाली शर्तों में सुधार होगा।

ऊन क्षेत्र

39. भारत में ऊनी उद्योग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में केन्द्रित है। घरेलू बाजार के विभिन्न वर्गों और निर्यातों की मांग को पूरा करने के लिए ऊनी उद्योग का संगठित क्षेत्र, विकेन्द्रित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र एक दूसरे के पूरक के रूप में चलता है। उद्योग में संगठित क्षेत्र में आधुनिक आधुनिकतम पूर्णतः संघटित मिले और गांव स्तर पर हथकरघा और हाथ से बुने हुए गलीचा विनिर्माण एकक समाविष्ट होते हैं। उद्योग 12 लाख लोगों को भारी संख्या को नियोजित करता है जिनमें से अधिकांश भेड़ पालने वाले और कच्ची ऊन का उत्पादन करने वाले गड़रिये होते हैं। भारतीय ऊन पालकों की उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रीय औसत की तुलना में घटते चरागाहों के कारण काफी कम है।

40. ऊन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विविधीकृत हितों में सामंजस्य स्थापित करने और उद्योग का एकीकृत विकास प्राप्त करने की दृष्टि से केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (सी.डब्ल्यू.डी.बी.) जोधपुर 1989 से कार्य कर रहा है। सी.डब्ल्यू.डी.बी. ने ऊनी उत्पादों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए भेड़ पालकों की आय में वृद्धि करने और ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने, विपणन आसूचना, ऊन और ऊनी के कपड़ों का विपणन करने, ऊन और ऊनी उत्पादों का मानकीकरण करने, गुणवत्ता नियंत्रण, सूचना का प्रसार करने, उत्पाद विविधीकरण, नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देने, समन्वय स्थापित करने आदि के लिए विभिन्न क्रियाकलाप प्रारम्भ किए हैं।

41. अंगोरा ऊन के विकास के लिए 8.43 करोड़ रुपए की लागत से यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक परियोजना क्रियान्वयनाधीन है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम आदि पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण बेरोजगार युवकों और किसानों को अंगोरा ऊन का उत्पादन और प्रसंस्करण शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। देश में अंगोरा ऊन का उत्पादन लगभग 40 एम.टी. है। राशि को संशोधित करके 3.57 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें लद्दाख क्षेत्र की पशमीना परियोजना के 2.88 करोड़ रुपए शामिल हैं। एकीकृत भेड़ और ऊन विकास परियोजना के अधीन नस्ल सुधार, स्वास्थ्य कवरेज, उत्पाद विकास, विपणन सहायता, भेड़ों में भेड़ प्रजनन को प्रशिक्षण, भेड़ पालन और उत्पादकता आदि से संबंधित कार्य सी.डब्ल्यू.डी.बी. द्वारा हाथ में लिए गए हैं। नौवीं योजना के दौरान बोर्ड ने 37.25 लाख भेड़ों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया है।

42. सी.डब्ल्यू.डी.बी. ने ऊन उत्पादकों, व्यापारियों और उद्योग के जांच-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में बीकानेर और ब्यावर में ऊन जांच केन्द्र स्थापित किए हैं। बोर्ड ने लघु ऊन

धुलाई संयंत्र, बुनाई और डिजाइन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक सेवा केन्द्र, ऊन जांच सुविधाएं आदि भी स्थापित किए हैं। बढ़िया गुणवत्ता वाली भेड़ की ऊन पैदावार में सुधार करने के लिए कतराई मशीनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए एक मशीन कतराई व प्रशिक्षण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

43. बोर्ड ने ऊन और धागे की विद्यमान बाजार दरों, और साप्ताहिक आधार पर ऊन और ऊनी उत्पादों की ताजा प्रवृत्तियों और लेन-देन के संबंध में बाजार आसूचना एकत्रित करने और उसका ऊन उत्पादकों, ऊन व्यापारियों और ऊन के उपभोक्ताओं में प्रसार करने के लिए मुख्य ऊन बाजारों में 10 केन्द्र स्थापित किए हैं। सी.डब्ल्यू.डी.बी. ने ऊन हथकरघा बुनकरों को नवीनतम बुनाई प्रौद्योगिकी और नए डिजाइनों में प्रशिक्षण देने के लिए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एक बुनाई और डिजाइनिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है ताकि उत्पादन आय को बढ़ाया जा सके और वे अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार में जा सकें। भेड़ पालकों और ऊन बुनकरों आदि की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए एक नया प्रौद्योगिकी मिशन बनाया जा रहा है। राज्यों को अधिकाधिक ग्रेडेड फालतू भूमि का इस्तेमाल करने और हरे चरागाहों को विकसित करने के लिए समर्थ बनाकर और अधिक चरागाह उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रेशम पालन उद्योग

44. भारत विश्व में चीन के बाद न केवल रेशम का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है अपितु यह रेशम की सभी चारों किस्मों अर्थात् मलबेरी, ऐरी, टसर और मूगा का भी उत्पादन कर रहा है। रेशम पालन कृषि पर आधारित एक अत्यधिक श्रमसाध्य उद्योग है जिसका 2002-03 के दौरान लगभग 56.50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रों, बीज रखरखाव और रेशम पालन तथा रेशम उद्योग के विकास के संबंध में कार्य कर रहा है और देश में रेशम पालन उद्योग का विस्तार और अनुसंधान तथा विकास आदान भी उपलब्ध करा रहा है।

45. नौवीं योजना अवधि के दौरान 20666 टन के मुकाबले 17351 कच्चे सिल्क का उत्पादन हुआ था। दसवीं योजना के दौरान सी.एस.बी. ने सभी किस्मों की रेशम की अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने, उपयुक्त प्रौद्योगिकी को मजबूत करने और अनुसंधान और विकास का हस्तांतरण करने, बाई-वोल्टाइज्ड मलबेरी सिल्क पर विशेष बल देने, कृषि और कपड़ा उद्योग के बीच संयोजन को मजबूत करने आदि पर ध्यान केन्द्रित किया है। 2002-03 के दसवीं योजना का पहला वर्ष होने पर एक शुरुआत की गई है। शून्य पर आधारित बजटीय अभ्यास के अन्तर्गत विकासात्मक स्कीमों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है।

46. मलबेरी रेशम उद्योग के संबंध में कार्यवाही करने के लिए मैसूर (कर्नाटक), बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) और पम्पोर (जम्मू और कश्मीर) में अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं, रांची (झारखंड) स्थित संस्थान टसर के संबंध में कार्यवाही करता है जबकि जोरहाट (असम) स्थित संस्थान मूगा और ऐरी रेशम उद्योग की देखभाल कर रहा है। केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सी.एस.टी.आर.आई.) बंगलौर को काकेशीय अनुसंधान और विकास सहायता उपलब्ध

कराने में लगा हुआ है। सी.एस.बी. ने रेशम के कीड़े की प्रजातियों से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए बंगलौर (कर्नाटक) में सिल्क वोर्म सीड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी (एस.एस.टी.एल.), होसुर (तमिलनाडु) में सेन्द्रल सेरीकल्चर जर्मप्लास्म रिसोर्स सेन्टर (सी.एस.जी.आर.सी.) और बंगलौर में सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी (एस.बी.आर.एल.) की स्थापना की है। सी.एस.बी. विभिन्न राज्य सरकारों के रेशम उद्योग विभागों और उनकी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी, परामर्श और विस्तार सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

47. सी.एस.बी. राष्ट्रीय रेशम कीट बीज परियोजना (एन.एस.एस.पी.) के माध्यम से गुणवत्ता के रेशम कीट बीज उपलब्ध करा रहा है। एन.एस.एस.पी. के अंतर्गत 2002-03 के दौरान सी.एस.बी. ने 276.04 लाख डी.एफ.एल. वितरित करने का लक्ष्य रखा है। मलबेरी और ऐरी सिल्कवोर्म सीड प्रोडक्शन सेन्टरों (एस.एस.पी.सी.) ने अगस्त, 2002 और जून, 2002 तक क्रमशः 70.82 लाख और 0.02 लाख बीजों का उत्पादन किया है। इसी प्रकार से टसर (ओक) और टसर (ट्रोपीकल) बीजों का उत्पादन जून, 2002 और सितम्बर, 2002 तक क्रमशः 0.41 लाख और 7.40 लाख किया है। जून, 2002 तक मूगा बीज का उत्पादन 0.32 लाख हुआ है। दसवीं योजना के दौरान रेशम कीट बीजों की आवश्यकता सी.एस.बी. सिल्क वोर्म प्रोडक्शन सेन्टरों और राज्य सरकार के केन्द्रों की वर्तमान क्षमता से बहुत अधिक होगी। इसलिए निजी उद्यमियों को डी.एफ.एल. और बीज कोकून का उत्पाद शुरू करने के काम में लगाया जाएगा। राज्य सरकार बीज उत्पादन केन्द्रों को उपयुक्त रूप से मजबूत भी किया जाएगा।

48. सी.एस.बी. ने उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने और विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अभिप्रेरित करने के लिए दसवीं योजना में क्रियान्वयन के लिए कई उत्प्रेरणात्मक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) बनाए हैं। शून्य पर आधारित बजटीय अभ्यास के अधीन सी.एस.बी. ने बाई-वोल्टाइड रेशम उद्योग पर और अधिक बल देने और गैर-मलबेरी क्षेत्र को और अधिक वानारोन्मुख बनाने के लिए सी.डी.पी. का नवीकरण किया है। नवीकृत सी.डी.पी. के अन्तर्गत होस्ट बागानों के विकास और विस्तार, कृषि अवसंरचना, रेशम के लिए आधुनिक चरखी और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाएगा।

49. यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त फाइबर्स एण्ड हैण्डिक्राफ्ट्स प्रोग्राम ऑफ कन्ट्री कोआपरेशन फ्रेमवर्क-1 के अधीन रेशा और हस्तशिल्प कार्यक्रम (एफ.एच.ए.पी.) के अधीन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय और नागालैंड राज्यों में गैर-शहतूत रेशम के विकास के उप-कार्यक्रम का भारत सरकार के सहयोग से 2002-03 में पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम की कुल लगात 12.38 करोड़ रुपए थी जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 4.28 करोड़ रुपए था। इस कार्यक्रम के अधीन गुणवत्ता वाले अंडों के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि करने, प्रशिक्षण और कुशलता का ग्रेड बढ़ाने कोकून से पहले, और कोकून के बाद की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने और चरखी, कताई, आदि सहित पर अधिक बल दिया जाना था।

50. भारत-स्विटजरलैंड तकनीकी सहयोग के एक भाग के रूप में स्विस् एजेंसी फॉर डेवलेपमेंट एण्ड कोआपरेशन (एस.डी.सी.) की वित्तीय सहायता से एस.ई.आर.आई. 2001 परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जापान इन्टरलेशनल कोआपरेटिव एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से सहायता

पाप्त बाई वोल्टाइन परियोजना के अधीन, जो 1997 में प्रारम्भ की गई थी, तैयार की गई बाई वोल्टाइन प्रजातियों का फील्ड सत्यापन और प्रदर्शन पूरे कर लिए गए हैं और इन बाई वोल्टाइन प्रजातियों का निरूपान संतोषजनक रहा है। 60 कि.ग्रा./100 डी.एफ.एल. से उपर औसत पैदावार, 6 से 7 कि.ग्रा. का एक रेन्डिटा और 2ए-4ए ग्रेड कच्चा रेशम (एक उच्च गुणवत्ता वाला) स्थिर रूप से प्राप्त किया गया है। दसवीं योजना के दौरान बाई वोल्टाइन रेशम पालन को बड़े पैमाने पर हाथ में लेने के लिए रेशम के कीड़ों की इन प्रजातियों का प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है। परम्परागत राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, आदि को इन प्रमाणित किस्मों के लिए बाई वोल्टाइन शहतूत रेशम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल का मौसम बाई वोल्टाइन रेशम पालन के बिल्कुल उपयुक्त है।

51. छत्तीसगढ़ राज्य जापानीज़ बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोपरेशन के सहयोग से 748.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक रेशम पालन परियोजना लागू कर रहा है। परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत (अनुमानित लागत - 117.10 करोड़ रुपए) 830 हेक्टेयर में शहतूत का पौधा रोपण पूरा कर लिया गया है। जे.बी.आई.सी. द्वारा प्रथम चरण के कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् दूसरे चरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

52. मणिपुर सरकार जे.बी.आई.सी. की वित्तीय सहायता से 490.61 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक रेशम पालन परियोजना क्रियान्वित कर रही है। पायलट स्कीम के अधीन एक आदर्श पालन-पोषण आधार का निर्माण किया गया है और संकर रेशम कीड़े अंडा बहुविधीकरण स्कीम के अन्तर्गत पी2 रेशम के कीड़ों के 4,800 डी.एफ.एल. पाले गए हैं। निश्चित समग्र विकास योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

53. 6700 एम.टी. शहतूत बाई वोल्टाइन रेशम उपलब्ध कराने के दसवीं योजना के लक्ष्य में सी.एस.बी. द्वारा विकसित नई प्रौद्योगिकी और नई मजबूत बाई वोल्टाइन प्रजातियों का बड़े पैमाने पर प्रसार करने के लिए विशेष कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। वार्षिक योजना 2002-03 दसवीं योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण सी.एस.बी. उद्योग के उप-क्षेत्र के बीच सीधा अनुबंधन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र में एकीकृत जमीन से रेशम उत्पादन एककों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है, बेहतर गुणवत्ता स्तरों को अपनाने, केन्द्रीय और राज्य सरकारों में रेशम पालन से सम्बद्ध संस्थाओं का पुनर्गठन करने और उत्पादन, रोजगार और निर्यातों के लिए दसवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के बेहतर लाभदायक वातावरण का सृजन करने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेगा।

हस्तशिल्प

54. हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यातों तथा विरासत और परम्परा को बनाए रखने के माध्यम से रोजगार पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र का निष्पादन 2001-02 और 2002-03 के दौरान उत्साहवर्धक रहा है जैसा कि संलग्नक 8.4.2 में देखा जा सकता है।

55. हस्तशिल्प क्षेत्र में राज्य के क्रियाकलापों की कमी को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा विभिन्न विकासात्मक स्कीमों में क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना स्कीमों में प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, प्रौद्योगिकी ग्रेड बढ़ाना, बाजार-संवर्धन, प्रदर्शनी और प्रचार, निर्यात आदि जैसे क्षेत्र आते हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.) के अधीन कारीगरों को अधिकारिता, विपणन आदान उपलब्ध कराने, स्व सहायता दल (एस.एच.जी.)/सहकारिता बनाने में कारीगरों को प्रोत्साहन देने और समूह (क्लस्टर) का विकास करने पर जोर दिया जाता है। 2001-02 के दौरान 100 समूहों के लक्ष्य के मुकाबले 231 शिल्प समूहों को 5.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ।

56. आर्थिक विकास के लिए रोजगार और शिल्पों के उत्पादन आधार का विस्तार करने की दृष्टि से विद्यमान शिल्पकारों और अकुशल शिल्पकारों की कुशलता का ग्रेड बढ़ाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। निष्क्रिय शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन आदानों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 136 विभागीय बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो कालीन बुनाई के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। बुनाई के बाद के कार्यों जैसे कालीनों की धुलाई और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सात केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। कालीनों के अतिरिक्त हाथ से छपे हुए कपड़ों, चित्रकारी-धातु सामान, बेंत और बांस, लकड़ी के सामानों आदि के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 2001-02 के दौरान 2640 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया था।

57. पांच क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र (आर.डी.टी.डी.सी.) नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता और गुवाहाटी में कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर किए जाने वाले क्रियाकलापों में, समकालीन बाजार में शिल्पों को एक सफल बनाना और मजबूत डिजाइन आदानों के आधार पर शिल्पों के परम्परागत सौंदर्य का संरक्षण करना शामिल है। विभिन्न संस्थान जैसे इन्स्टीट्यूट फॉर हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स जयपुर, डेवलपमेंट सेंटर फॉर म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स मद्रास, केन एण्ड बम्बू डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट अगरतला, इन्स्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोई (उत्तर प्रदेश) और मेटल हैन्डीक्राफ्ट्स सेंटर मुरादाबाद अनुसंधान और डिजाइन के माध्यम से हस्तशिल्प एककों की सहायता कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, औजारों और उपकरणों में सुधार कर रहे हैं, नई डिजाइनों, प्रोटोटाइप आदि का विकास कर रहे हैं।

58. विपणन और बाजार विकास स्कीम के अन्तर्गत कारीगरों, गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) राज्य सरकारों, निर्यातकों और व्यापारियों के साथ बेहतर और सार्थक बातचीत करने के लिए प्रयास किए गए हैं। 2000-01 के दौरान 114 के लक्ष्य के मुकाबले 135 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों से लगभग 25.45 करोड़ रुपए की बिक्री करने में सहायता मिली है जिससे 13385 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

59. दिल्ली हाट के समान शहरी हाट स्थापित करने की स्कीम के अन्तर्गत बाजार की रुचि वाले प्रमुख स्थानों पर अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। अब तक आगरा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, करनाल, जम्मू, तिरुपति और कोलकाता में 8 शहरी हाटों का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदर्शनियों की योजना के अन्तर्गत तिरुपति में शहरी हाट पूरा कर लिया गया है और

प्रचार वित्तीय सहायता राज्य/केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास निगम को उपलब्ध कराई जाती है। सहकारिता और गैर सरकारी संगठन भी प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। 2001-02 के दौरान 184 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप 10.76 करोड़ रुपए की बिक्री हुई और 3112 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

60. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के निर्यात संवर्धन प्रयासों से विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना और विभिन्न देशों को बिक्री/तकनीकी व अध्ययन दल प्रायोजित करना शामिल है। हस्तशिल्प क्षेत्र से किये जाने वाले निर्यातों में जरी की शिल्प मर्दें और जरी के सामान, आर्ट मेटल वेअर, वुड वेअर, हाथ से छपे कपड़े और स्कार्फ और कशीदाकारी किए गए तथा क्रोशए के सामान शामिल हैं। 2001-02 के दौरान 9205.63 करोड़ रुपए के हस्तशिल्पों का निर्यात किया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

61. इस क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के भीतर नीतियां और योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने की देखभाल कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अनाज प्रसंस्करण, फल और सब्जी उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, मांस और डेयरी उत्पाद, मछली और मछली प्रसंस्करण, मादक पेय, हवा मिश्रित पेय आदि जैसे उप-क्षेत्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक सूर्योदय उद्योग के रूप में चिह्नित किया गया था जो कृषि सम्बन्धी और बागवानी उत्पादों में मूल्य जोड़ने, कृषि का विविधीकरण और वाणिज्यिकरण करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाकर कृषि/बागवानी की बर्बादी को कम करने, रोजगार पैदा करने और निर्यातों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

62. चावल मिलिंग, दालों का बनाना और गेहूं के आटे और गेहूं के अन्य उत्पादों का उत्पादन ऐसे मुख्य क्रियाकलाप हैं जो अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। 1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार आधुनिक चावल मिलों की संख्या 35088 थी। चावल अथवा गेहूं के लिए विनिर्माण/प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 12.50 मिलियन टन गेहूं प्रति वर्ष विभिन्न गेहूं उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है और 1 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार 19.50 मिलियन टन अधिष्ठापित क्षमता के साथ 820 रोलर आटा मिल कार्य कर रहे थे। चावल मिलिंग उद्योग और उप-उत्पादों का उपयोग करने, आधुनिकीकरण करने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं के साथ तेरह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) खडगपुर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर ने घर स्तर पर माइजर मिलैट के खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीक और प्रसंस्करण के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे। बेकरी उत्पादों का उत्पादन 30 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। संगठित क्षेत्र डबल रोटी और बिस्कुटों का लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है जो कुल बेकरी उत्पादों का 82 प्रतिशत बैठता है। इनके अलावा हल्के पेय, बीअर और मादक पेय भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक भाग हैं।

63. अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए के बागवानी उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत फसल के बाद प्रसंस्करण सुविधाओं, शीत भंडारों और शीत श्रंखलाओं के उपलब्ध न होने के कारण बर्बाद हो रहा है। एक मजबूत और प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि कार्यों के विविधीकरण, मूल्य वृद्धि में सुधार और कृषि उत्पादों का निर्यात करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस क्षेत्र के पास उत्पादन, निर्यात और रोजगार बढ़ाने की व्यापक क्षमता है। दसवीं योजना में वर्तमान 2 प्रतिशत के स्तर से 10 प्रतिशत तक खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता 2000 की 21.00 लाख टन से 2001 में बढ़कर 21.10 लाख टन हो गई है। यह वृद्धि नगण्य है और नए सिरे से निवेश किए जाने की आवश्यकता है। तैयार खाद्य उत्पादों पर करों के घटाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उन्हें आकर्षक बनाया जा सके और आम जनता की पहुंच के भीतर लाया जा सके। तैयार/डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को निजी निवेश प्राप्त करने के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकेगा। भारत विश्व में दूध के उत्पादन में पहले और फलों के उत्पादन में दूसरे नम्बर का देश है। भारत का दूध का उत्पादन 1999-2000 के 78 मिलियन टन के मुकाबले 2000-01 में 81 मिलियन टन होने की सम्भावना है। जबकि ब्राजील जैसे देश में फलों और सब्जियों के लगभग 80 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जाता है, भारत में बागवानी उत्पाद के लगभग केवल 2 प्रतिशत का ही प्रसंस्करण किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों में अद्यतन विकास, प्रौद्योगिकी का ग्रेड बढ़ाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एककों का आधुनिकीकरण, पिछड़े और उन्नत एककों का एकीकरण और अन्य प्रमुख क्रियाकलाप, गुणवत्ता आश्वासन, सहित स्तर और अनुसंधान तथा विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन मानव संसाधन और संस्थाओं का मजबूत किया जाना जैसी स्कीमों शामिल हैं। शून्य पर आधारित बजटीय व्यवस्था के बाद इन स्कीमों का अनुमोदन कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत नौवीं योजना की 24 स्कीमों को घटाकर 6 कर दिया गया है और इन्हें दसवीं योजना में शुरू किया जाएगा।

65. खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों को सहायता देने पर विशेष बल दिया जा रहा है और परम्परागत खाद्यों, नए उत्पादों/प्रक्रियाओं/पैकेजिंग सामग्री, उप-उत्पादों आदि का उपयोग करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। 2001-02 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में, जिनके लिए विश्वविद्यालयों/प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान दिया गया था, उत्पादकता को और अधिक समर्थ बनाने के लिए परम्परागत खाद्य प्रौद्योगिकियों का ग्रेड बढ़ाना, ऊर्जा की बचत, पैकेजिंग सामग्री और खाद्य एडीसिबल्स के लिए आयात का प्रतिस्थापन लागत प्रभावी और दस खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, प्रशीतित खाद्यों आदि का श्रेष्ठ स्वजीवन विकास सहित माध्यामिक उत्पादों और सूखे उत्पादों का विकास करना शामिल हैं। पैकेजिंग विकास के क्षेत्रों में जिन पर और अधिक ध्यान दिया जाना है, वे हैं - प्लास्टिक कंटेनरों में खाद्य उत्पादों की गर्म भराई, खाने के तैयार खाद्य, परम्परागत भारतीय खोया पर आधारित मिठाइयां, मांस और मांस उत्पाद, माइक्रोओवन उपयुक्त पैकेज, खाद्य मर्दों के लिए फिर से चालू करने वाले पुष्टों और जैव अपक्षीणन पैकेजिंग सामग्री।

66. विद्यमान अवसंरचना सुविधाएं अपर्याप्त हैं और उनका ग्रेड बढ़ाए जाने तथा आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता जांच और प्रमाणन सफाई सुविधाएं स्तर की नहीं हैं जिनकी आवश्यकता घरेलू तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात बाजारों के लिए होती है। राज्य/संवर्धनकारी संगठनों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया था। अब तक 32 खाद्य पार्क मंजूर किए जा चुके हैं और वे पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक में कुछ खाद्य पार्क पूरे किए जा चुके हैं और इन खाद्य पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा रहे हैं।

67. ग्राहकों को स्वास्थ्यकर और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए खाद्य उत्पाद आदेश (एफ.पी.ओ.) 1955 विद्यमान है। केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति, जिसमें सरकार, सी.एफ.टी.आर.आई., बी.आई.एस., फल और सब्जी प्रसंस्करणकर्ताओं और प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधि हैं, के कहने पर एफ.पी.ओ. में संशोधन किए जा रहे हैं। 2001 और 2002 में संशोधन किए गए थे। 61 उत्पादों के संबंध में प्रारूप विशिष्टियों पर केन्द्रित फल उत्पादन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया है और संशोधन करने की सिफारिश की है। यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू किए गए हैं कि फल और सब्जी के सभी प्रसंस्करण कर्ताओं के पास एफ.पी.ओ. के अधीन लाइसेंस है।

68. संहिता पोषण आहार आयोग एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका गठन, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सरकारी निकायों उपभोक्ताओं और उद्योग के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर खाद्य विनिर्माण और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकासशील स्तरों में सहायता करने के लिए, खाद्य और वृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बातचीत और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए खाद्य की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए संहिता स्तरों का विश्व भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। संहिता के मानकों के संबंध में सूचना के विस्तार के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में स्थापित किया गया है। भारत में संहिता सम्पर्क सूत्र स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संहिता एलीमेंटरीज से निकट से सहयोजित है और पांच छाया समितियां मंत्रालय के अधीन हैं। संकट विश्लेषण और आलोचनात्मक नियंत्रण बिन्दु (एच.ए.सी.सी.पी. गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली और आई.एस.ओ:9000 गुणवत्ता प्रबंधन अत्यधिक वांछनीय है। मंत्रालय एच.ए.सी.सी.पी. कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टी.क्यू.एम.) और आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन आदि प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित की लागत के रूप में 50 प्रतिशत तक अनुदान और अधिकतम 10 लाख रुपए उपलब्ध करा रहा है। 2001-02 के दौरान 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

69. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार की है जिसमें फार्म स्तर पर समर्थकारी पर्यावरण, अवसंरचना विकास और पिछड़े लिकेज का सृजन किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों, उद्योग और विशेषज्ञों के विचारों का प्रारूप नीति में शामिल किया गया है। प्रारूप खाद्य प्रसंस्करण विधेयक पर एक रूपरेखा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है और विभिन्न मंत्रालयों के विचाराधीन है। प्रस्तावित विधेयक में प्रसंस्कृत खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्ताव किया गया है कि

विद्यमान खाद्य कानूनों को एक खिड़की सेवा के अधीन सामंजस्यपूर्ण और युक्तिसंगत बनाया जाए, मानकों को समेकित और परिभाषित किया जाए, एक विकास निधि स्थापित की जाए, समानीकरण निधि आदि की स्थापना के लिए उपबन्ध किया जाए, ताकि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी उपबन्धों को एक ही प्राधिकरण के अधीन लाया जा सके। समानीकरण निधि उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव डाले बिना जैव प्रौद्योगिकी (आनुवंशिक संशोधित खाद्य) का लाभ उठाने के लिए स्व उत्पादक ढंग में मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए राहत प्रदान करेगी। प्रस्ताव सरकार के विद्याराधीन है। प्रस्तावित सामंजस्यपूर्ण खाद्य कानून को तैयार करने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है।

उप क्षेत्रवार/स्कीमवार परिव्यय/व्यय वार्षिक योजना 2002-03

क्र. सं.	उद्योग/उपक्षेत्र	2000-01 वास्तविक	2001-02 (ब.अ.)			2001-02 (सं.अ)/व्यय			2002-03		
			परिव्यय	बी.एस.	आई.ई. बीआर.	व्यय	बी.एस.	आई.ई. बीआर.	परिव्यय	बी.एस.	आई.ई. बीआर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एस.एस.आई. और ए.आर.आई. मंत्रालय											
1	एस.आई.डी.ओ.	380.54	392.88	392.88	-	173.14	173.14	-	313.00	313.00	-
2	एन.एस.आई.सी	95.89	146.91	26.91	120.00	101.30	25.42	75.88	117.00	32.00	85.00
-	अन्य स्कीमें	0.69	5.92	5.92	-	0.48	2.35	-	5.00	5.00	-
	के.वी.आई.सी.	261.48	354.00	354.00	-	182.18	182.18	-	392.00	392.00	-
5	कॉयर	13.84	18.00	18.00	-	11.60	11.60	-	18.00	18.00	-
6	पी.एन.आर.वाई.	200.98	193.50	193.50	-	193.47	193.47	-	169.00	169.00	-
7	एन.पी.आर.आई.	-	0.04	0.04	-	-	-	-	1.00	1.00	-
	योग एसएसआई और एआरआई मंत्रालय	953.22	1111.25	991.25	120.00	662.17	588.16	75.88	1015.00	930.00	85.00
कपड़ा मंत्रालय											
1	हथकरघा	101.45	137.00	137.00	-	113.01	113.01	-	140.00	140.00	-
2	विद्युत करघा	6.87	6.00	6.00	-	76.00	76.00	-	12.00	12.00	-
3	हस्तशिल्प	65.85	79.00	79.00	-	76.00	76.00	-	88.00	88.00	-
4	रेशम उद्योग	78.19	87.00	87.00	-	88.41	88.41	-	87.50	87.50	-
5	ऊन	3.76	8.00	5.00	3.00	5.62	3.47	2.15	8.00	5.26	2.74
	योग कपड़ा मंत्रालय (बी.एस.आई.)	256.12	317.00	314.00	3.00	359.04	356.89	2.15	335.50	335.80	2.74
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय											
1	अनाज उत्पादन	0.35	0.40	0.40	-	0.22	0.22	-	-	-	-
2	फल और सब्जी	7.22	5.45	5.45	-	11.93	11.93	-	-	-	-
3	दुग्ध उद्योग	8.75	6.80	6.80	-	6.80	6.80	-	-	-	-
4	मांस और मुर्गीपालन	0.64	2.70	2.70	-	0.70	0.70	-	-	-	-
5	मछली प्रसंस्करण	19.89	24.00	24.00	-	24.25	24.25	-	-	-	-
6	खा.प्र.उ. निधि	-	5.00	5.00	-	1.70	1.70	-	-	-	-
7	सचिवालय सेवाएं	3.69	4.60	4.60	-	3.55	3.55	-	-	-	-
8	पूर्वात्तर एकमुस्त प्रावधान	9.46	5.85	5.85	-	5.85	5.85	-	-	-	-
	योग खा.प्र.उ. मंत्रालय	50.00	55.00	55.00	-	55.00	55.00	-	-	-	-
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमें											
1	अवसंरचना विकास	-	-	-	-	-	-	-	29.00	29.00	-

संलग्नक -6.4.1

क्र. सं.	उद्योग/उपक्षेत्र	2000-01 वार्षिक	2001-02 (ब.अ.)			2001-02 (सं.अ)/व्यय			2002-03		
			परिव्यय	बी.एस.	आई.ई.	व्यय	बी.एस.	आई.ई.	परिव्यय	बी.एस.	आई.ई.
					बीआर.			बीआर.			बीआर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	प्रौद्योगिकी ग्रेड बढ़ाना, उद्य.प्र.उ. का स्थापना और आधुनिकीकरण	-	-	-	-	-	-	-	9.00	9.00	-
3	पिछड़े और उन्मत्त का एकीकरण और अन्य संबंधनकारी क्रियाकलाप	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-
4	गुणवत्ता आश्वासन, 46.50 कोडेक्स स्टेन 9.50 डीएआरडीएस और आर 7.50 एंड डी	-	-	-	-	-	-	-	10.50	10.50	-
5	मानव संसाधन विकास	-	-	-	-	-	-	-	4.50	10.50	-
6	संस्थाओं का मजबूत किया जाना	-	-	-	-	-	-	-	9.50	9.50	-
7	पूर्वतर सिद्धिकम सहित एकमुस्त प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	7.50	7.50	-
	योग कुल प्रस्तकरण उद्योग मंत्रालय	-	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	-

वास्तविक निष्पादन (उप-क्षेत्र) वार्षिक योजना 2002-03

क्र. सं.	उद्योग/उपक्षेत्र	इकाई	2000-01 वास्तविक	2001-02 (अनंतिम)	2002-03 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
ए	उत्पादन				
1	लघु उद्योग	रुपए करोड़	639024	690316	824363
2	खादी कपड़ा	रुपए करोड़	432	411	416
3	ग्रामोद्योग	रुपए करोड़	5914	6607	7680
4	कॉयर रेशा	टन्स	364	375	390
5	हथकरघा कपड़ा	मिलियन वर्ग मीटर	7506	7585	7725
6	विद्युत करघा कपड़ा	मिलियन वर्ग मीटर	23803	25192	24360
7	कच्चा रेशम	एमटी	15857	17351	18700
8	हस्तशिल्प	रुपए करोड़	16340	16200	19000
9	कच्चा ऊन	मिलियन कि.ग्रा.	47.00	47.50	47.50
ख	रोजगार	लाख व्यक्ति			
1	लघु उद्योग		186	192	201
2	खादी और ग्रामोद्योग		60.08	62.64	68.75
3	कॉयर उद्योग		5.30	5.43	5.60
4	हथकरघा		124	124.00	124.00
5	विद्युत करघा		42	42	42.50
6	रेशम पालन		54	55	56.50
7	हस्तशिल्प		57	58.41	60.10
8	ऊन विकास (असंगठित क्षेत्र)		12	12	12
ग	निर्यात	रुपए करोड़			
1	लघु उद्योग		69797	71244	73673
2	कॉयर उद्योग		314	321	450
3	हथकरघा		2127	2065	2950
4	विद्युत करघा		10200	11000	N.A.
5	रेशम		2422	2235	2260
6	हस्तशिल्प		9271	9206	10470

6.5 शहरी विकास

शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति

1. संविधान (74वां) संशोधन, अधिनियम का उद्देश्य सुपरिमाणित शक्तियों के पर्याप्त हस्तांतरण और पर्याप्त संसाधनों और निर्वाचित निकाय कार्य साधक स्वायत्तता के साथ शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना करना है जिनकी शहरी निवासियों के प्रति जवाबदेही होगी। इस स्कीम के अधीन नगरीय निकाय व्यापक कार्य स्थल को मात्र नागरिक सुख-सुविधाओं के मुहैया करने वालों के रूप में आगे बढ़ जाते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक योजना से परिदेष्टित रहते हैं। दसवीं योजना वधि के दौरान जिस चुनौती का सामना करना है वह है विश्व मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले जीवन के लिए शहरी निवासियों की मांगों को हर तरह से पूरा करने के लिए इन निर्वाचित निकायों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाए।

2. भारत में शहरीकरण परिदृश्य : 2001 की जनगणना के अनंतिम जनगणना आंकड़े पिछले दशक के शहरीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। 1.02 मिलियन जनसंख्या का 285 मिलियन और 27.8 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जिसमें 5,161 शहर हैं और 1991 की जनगणना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

3. बड़े राज्यों में तमिलनाडु सर्वाधिक शहरीकृत है। इसकी शहरी जनसंख्या 43.9 प्रतिशत है, इसके बाद महाराष्ट्र की 42.4 प्रतिशत और गुजरात की 37.4 प्रतिशत है। बड़े राज्यों में बिहार की शहरी जनसंख्या का सबसे कम अनुपात (10.5 प्रतिशत), असम (12.7 प्रतिशत) और उड़ीसा (14.9 प्रतिशत) से कम है।

4. 35 शहरी समूह (यू.एज़.)/शहर हैं जिनकी जनसंख्या एक मिलियन से अधिक है। कुल शहरी जनसंख्या की लगभग 37 प्रतिशत जनसंख्या मिलियन प्लस यू.एज़./शहरों में रहती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में शहरी जनसंख्या की आधे से अधिक जनसंख्या मिलियन प्लस यू.एज़./शहरों में रहती है। जनगणना अवधि 1991-2001 में शहरीकरण की दर कुल मिलाकर संयत रही है।

दसवीं योजना के लिए शहरीकरण में मुख्य मुद्दे

5. यह दिखाने के लिए साक्ष्य है कि आर्थिक उदारीकरण द्वारा प्रोत्साहित होकर शहरीकरण 1980 और 1990 के दशकों में आर्थिक विकास का एक मुख्य निर्धारक रहा है। तथापि, शहरी शासन के समान अपने निवासियों की क्वालिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तम व्यवस्था करने से पहल अनेक अधूरे काम हैं जिन्हें पूरा किया जाना अपेक्षित है।

शहरी शासन

6. अच्छे शासन की मांग है - पर्याप्त नीति और कानूनी ढांचा, निदानक और योजना प्राधिकारियों की मौजूदगी, एक ठोस राजस्व आधार, आधुनिक लेखांकन मानक और लोगों के प्रति

जवाबदेही। शहरी अवसंरचना का ग्रेड बढ़ाने के लिए पहले ही पर्याप्त काम किया जा चुका है और अनेक पैरास्टाटलों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों ने योजना और परियोजनाओं के निष्पादन में अपेक्षित निपुणता हासिल कर ली है। कार्यक्रमों जैसे पांच चुनिंदा शहरों के लिए बृहत नगर परियोजनाएं, छोटे और मझौले कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) ने कुछ शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलता की भिन्न-भिन्न मात्रा दिखाई है। विशेष रूप से पैरास्टाटल एजेंसियों और निकायों को जैसे विकास प्राधिकरणों को, ऐसे कार्यों को अपने अधिकार में लेने की अपेक्षा जो उचित रूप से यू.एल.बी. के हैं, निर्वाचित निकायों के प्रति एक सहायक भूमिका अदा करने की जरूरत है।

शहरी वित्त के स्रोत

7. एक ओर राज्य सरकारों और यू.एल.बी. के बीच दूसरी ओर विभिन्न नगरीय निकायों के बीच संसाधनों की सुचारु भागीदारी की प्रणाली जो कि एस.एल.सी. की संस्था का एक उद्देश्य है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नगर पालिकाओं को निधियों का हस्तांतरण पर्याप्त और स्थिर दोनों हैं। एस.एफ.सी. का दूसरा चक्र अधिकांश राज्यों में चल रहा है और आशा की जाती है कि जैसी कि प्रणाली तैयार की गई है, बिना अनुचित लेन-देन की लागत के स्थानीय निकायों को संसाधनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया और अधिक सरल तथा पारदर्शी होगी।

8. यू.एल.बी. की सहायता करने के लिए उनके अपने संसाधनों में वृद्धि करने हेतु, सम्पत्ति कर प्रणाली में सुधार करने का कार्य दसवीं योजनावधि के दौरान पूरा किया जाना चाहिए। सम्पत्ति कर का दायरा पर्याप्त से बहुत कम है और इस पर गम्भीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 'वार्षिक कर योग्य मूल्य' वित्तीय संदर्भ में फ्रोज़न और क्रियान्वयन में अविश्वसनीयता के विकल्प क्षेत्र-आधारित मूल्यांकन और पूंजी मूल्य-आधारित मूल्यांकन उपलब्ध हैं। मूल्यांकन की पारदर्शी और लचीली प्रणालियों का विकास करने के लिए, इसमें किसी शहर की कुल सम्पत्तियों को शामिल किया जाएगा, इन पहलों को परिष्कृत किया जाना चाहिए जिसके लिए सम्पत्ति स्वामी द्वारा स्वमूल्यांकन एक लाभदायक उपाय हो सकता है। उपभोक्ता प्रभारों का लगाना, गैर-कर राजस्व में वृद्धि करना, लगातार पर नियंत्रण करना और विशेष रूप से स्थापना लागतों को और नगरीय परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग करना ऐसे आवश्यक उपाय हैं जो यू.एल.बी. को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे। नगरीय लेखांकन प्रणाली की पूरी जांच की जानी चाहिए और इसे प्रौढभूत आधारित बनाकर ऋणदाता एजेंसियों और वित्तीय बाजारों के लिए स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए। यह उन यू.एल.बी. के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो उधार धनराशि लेना चाहते हैं।

शहरी क्षेत्र में व्यापक सुधार

9. भूमि और आवास नीति और उपयोगिताओं का मूल्य लगाने में सुधारों का उद्देश्य यू.एल.बी. के संसाधनों में बढ़ोतरी करना होना चाहिए, नगरीय सेवाओं का पर्याप्त अनुरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए।

10. हर एक स्थान पर शहरों को देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं में पर्याप्त योगदान देने वाला समझा जाता है। जबकि वे नगर निवासियों को सुख-सुविधाओं का उच्च स्तर प्रदान करते हैं, वे ग्रामीण पश्च प्रदेश को अनेक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ग्रामीण उत्पादन के लिए मांग का सृजन करते हैं और निवेश उपलब्ध कराते हैं। कस्बे और शहर विपणन स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्य केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं और अपने स्थायी निवासियों के अलावा लोगों की सेवा करते हैं और व्यापक विश्व को एक खिड़की उपलब्ध कराते हैं।

11. यह आवश्यक है कि शहरी विकास को एक कर्तव्यपरायण क्षेत्र के रूप में गति दी जाए जिससे बेहतर संसाधन जुटाए जा सकें तत्पश्चात इनका इस्तेमाल अवसंरचना में सुधार करने के लिए किया जाता है जिससे शहरों का आगे विकास होगा और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि और विकास में वृद्धि होगी। शहरी निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यू.एल.बी. के पास उनके अधिकार में वृद्धि करने और अधिक संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। शहरी विकास में आने वाली बाधाओं और नीतिगत सुधारों का विस्तार से पता लगा लिया गया है। शहरी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुधार उपायों के एक पैकेज का जिम्मा लेने के लिए राज्यों को प्रोत्साहनों के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई स्कीम शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के नाम से लागू की गई है। सुधार उपाय शहरी भूमि अधिकतम सीमा विधान के निरसन, किराया नियंत्रण का सुधार उपभोक्ता प्रभारों के लगाने, सम्पत्ति कर का उन्नत क्रियान्वयन, म्यूनिसिपल लेखांकन स्तर का ग्रेड बढ़ाना, स्टाम्प ड्यूटी की अनुचित ऊंची दरों को कम करना और सम्पत्ति लेने-द देने का तेजी से पंजीकरण करना कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों से सम्बन्धित हैं जिनका भूमि-नीति, म्यूनिसिपल विधान, भवन सम्बन्धी विनियमों और नागरिक सेवाओं के प्रावधान में जनता की निजी भागीदारी शुरू करने के लिए अनुपालन किया जाएगा।

अवसंरचना के लिए योजना सहायता

12. शहरी अवसंरचना का ग्रेड बढ़ाने के लिए लागू किए जाने वाले संसाधनों में केन्द्र से दी जाने वाली सहायता महत्वपूर्ण है। दसवीं योजना के दौरान अवसंरचना और सेवाओं के ग्रेड बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली विदेशी सहायता सहित केन्द्रीय सहायता तथा आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) जैसी एजेंसियों से मिलने वाली संस्थागत वित्तीय सहायता राशि में पर्याप्त वृद्धि करने वाली अवसंरचना की आवश्यकता होगी। यह भी आवश्यक है कि सहायता के ये रूप स्थानीय स्तर पर शासन की वैध संस्थाओं के रूप में निर्वाचित यू.एल.बी. को मजबूत बनाते हैं। क्षेत्र सुधारों के संबंध में सहायता की शर्त होनी चाहिए विशेष रूप से सेवा और उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण में बेहतर मानकों को बनाए रखना।

13. आई.डी.एस.एम.टी. और बृहत शहर स्कीमों के माध्यम से दी जाने वाली अवसंरचना सहायता का उद्देश्य शहरी आवश्यकताओं की उपेक्षा के सबसे खराब पहलुओं पर काबू पाना, जल आपूर्ति, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन की अधूरी आवश्यकताओं की देखभाल करना और

आवासीय कालोनियों और उपग्रह कस्बों जैसे नए विस्तारों की मीढ़-भाड़ कम करने के लिए विकास होना चाहिए। शहरों के बीच और शहरों में अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता में भारी असमानता है। बड़े शहरों में बेहतर संस्थागत प्रबंध और सेवा की क्वालिटी होती है। शहरों की श्रेणीबद्धता के राजधानी शहरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसके बाद अधिक आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों पर ध्यान दिया जाता है। जबकि बहुत ही छोटे कस्बों में, जिनके पास अत्यन्त सीमित संसाधन होते हैं, मुश्किल से ही कोई सुधार होता है। बड़े शहरों के पास प्रायः बाजार और घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से संसाधन जुटाने की क्षमता होती है। शहरी केन्द्रों के सीमित संसाधनों और नागरिक सुख-सुविधाओं की प्रत्यक्ष कमी की असमानताओं को कम करने के लिए योजना और वित्तीय सहायता दोनों की आवश्यकता होगी।

14. दसवीं योजना के दौरान यह आवश्यक है कि अवसंरचनात्मक ग्रेड बढ़ाए जाने की आवश्यकता में यदि कुल शहरों को शामिल नहीं किया जाता है तो पर्याप्त रूप से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। तथापि उन शहरों की श्रेणियों को, जिन्हें विगत में कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है, आई.डी.एस.एम.टी. और मेगा सिटी स्कीम दोनों के क्षेत्र का उपयुक्त रूप से विस्तार करके इन स्कीमों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसलिए शहरी क्षेत्र के केन्द्रीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह सहायता कतिपय सुधारों की उपलब्धि और संसाधन जुटाने में यू.एल.बी. की अपनी दक्षता में समग्र सुधार, करों और उपभोक्ता प्रभारों दोनों के माध्यम से तथा सेवा की सुपुर्दगी पर आकस्मिक होनी चाहिए। नगरीय निकायों को व्यय को घटाने और कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

15. शहरी संरचना को केवल बजटीय सहायता से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है। जबकि अधिकांश मामलों में शहरी अवसंरचना के लिए बाजार ऋण वित्तपोषण के अभी तक व्यवहार्य स्रोत नहीं हैं, यू.एल.बी. में उधार सुपात्रता बनाने के लिए एक शुरुआत करनी होगी। यदि यह समूचे यू.एल.बी. के लिए नहीं किया जा सकता तो इसकी कोशिश कम से कम एक अलग क्षेत्र के लिए जैसे जल आपूर्ति और जहां कहीं भी उपभोक्ता प्रभार और सामान्य संसाधन स्थिति ऋण निधियों का अनुदान को पूरा करने अथवा स्वयं के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए व्यवहार्य बनाती हैं, की जानी चाहिए। सुधार उपायों को लागू करने की लागत को घटाने के लिए सहायता बजटीय स्रोतों और विदेशी वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे उपयोगिताओं को अपने निष्पादन और वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी। केन्द्रीय बजट 2002-03 में एक सिटी चेलेंज फंड की घोषणा की गई थी और यह मूर्तरूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार से छोटे कस्बों की वित्तीय आवश्यकताओं की क्रेडिट में वृद्धि करने और सामूहिक निधि को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्कीम सामूहिक निधि वित्त विकास सुविधा के अन्तर्गत शुरू की जाएगी।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा और वार्षिक योजना 2002-03 के लिए प्रावधान

16. वार्षिक योजना 2001-02 में शहरी विकास के लिए 5100 करोड़ रुपए का परिव्यय जिसमें 825 करोड़ रुपए जल आपूर्ति और सफाई सहित केन्द्रीय क्षेत्र में हैं और 4275 करोड़ रुपए राज्य

क्षेत्र में शहरी विकास स्कीमों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में अनंतिम व्यय 1576.54 करोड़ रुपए रखा गया है। राज्य क्षेत्र में संशोधित अनुमान 3975.39 करोड़ रुपए का है।

17. चालू वर्ष (2002-03) में, जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का पहला परिचालन वर्ष भी है, केन्द्रीय क्षेत्र शहरी विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का परिव्यय उद्दिष्ट किया गया है। योजना प्रस्तावों की निष्पादन प्रगति, मुख्य मुद्दे और नीतिगत निर्णय, चिह्नित बल देने वाले क्षेत्र और युद्धनीतियों, जिनकी परिकल्पना चालू पंचवर्षीय योजना के लिए की गई है, की पृष्ठभूमि में समीक्षा की गई है। इनके अनुसार अनेक स्कीमों में अन्तर्ग्रस्ता, वास्तविक क्षेत्र, संस्थागत प्रबन्ध वित्तीय तंत्र, प्रचालन, निगरानी पहलुओं के संदर्भ में परिवर्तन संशोधन, सुधार आदि हुए हैं।

18. यह आवश्यक है कि आई.डी.एस.एम.टी. जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाने वाली अवसंरचना सहायता का उद्देश्य जल आपूर्ति, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन शहरी परिवहन आदि के प्रचालन के संदर्भ में पिछले बकाया कार्य का निपटान करना होना चाहिए। इस सहायता का लक्ष्य वे कस्बे होने चाहिए जिनके पास अपने बहुत ही कम स्रोत हैं जबकि उन्हें वृद्धि की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में योजना और वित्तीय सहायता का लक्ष्य संसाधनों और नागरिक सुख-सुविधाओं की स्थिति वाले शहरी केन्द्रों के बीच असमानताओं को घटाने का होना चाहिए। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए आई.डी.एस.एम.टी. आबंटन 70 करोड़ रुपए का था और 77 करोड़ रुपए का अनंतिम व्यय निर्दिष्ट किया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

19. यह एक तथ्य है कि अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में शहरी परिवृश्य में विभिन्न आकार वाले वर्गों के शहरों के बीच और शहरों के अन्दर निर्धन लोगों के मुकाबले सम्पन्न लोगों वाले इलाकों के बीच पूरे देश में भारी असमानता है। बड़े शहर संस्थागत प्रबन्धों को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते हैं जो आवश्यकताओं के अधिक निकट होते हैं और जिनके पास जनशक्ति की अधिक क्षमता होती है और संसाधनों के लिए अधिक पहुँच होती है। शहरों की श्रेणीबद्धता में राजधानी शहर ऊँचा रहने में अभिमुख होते हैं और उन पर और अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अधिक आर्थिक गतिविधि वाले अन्य शहर आते हैं जबकि बहुत छोटे कस्बों में, जिनके पास अत्यधिक सीमित संसाधन होते हैं, कभी-कभार ही कोई सुधार होता है। बड़े शहरों के पास बाजार से और घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निधियाँ प्रदान करने वाली एजेंसियों से संसाधन जुटाने की क्षमता प्रायः होती है। मेगा सिटी स्कीम की सी.सी.एस. के अधीन, जो 1993-94 में प्रारम्भ की गई थी, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर शहर तक ही सीमित हैं। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 95.50 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था और 115.34 करोड़ रुपए का अनंतिम व्यय इंगित किया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

20. शहरी आवश्यकताओं, सेवाओं के स्तर आदि के बारे में विस्तृत आकड़ों की उपलब्धता शहरी सिटी मैनेजरों के लिए बुनियादी औजार माना जाता है। चालू शहरी मैपिंग सेवाओं के नक्शे के साथ जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्तरदायित्व वाले मंडलों और चिह्नित समस्याग्रस्त क्षेत्रों में बराबर प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति की सूची बनाने के संबंध में भूमिस्तर कार्य

के लिए उच्च संकल्प उपग्रह कल्पना द्वारा पूरा किया जाता है और इससे विशेष रूप से पैसे-शहरी क्षेत्रों आदि में प्राधिकारियों का महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होने की सम्भावना है जैसे राज्य वित्त आयोग जिन्हें सेवाओं आदि में वृद्धि करने, रखरखाव आदि के लिए संसाधनों के आबंटन के संबंध में सिफारिशें करनी होती हैं। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए शहरी मैपिंग के अधीन (शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान सहित) 4.93 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था और 4 करोड़ रुपये का अनंतिम व्यय निर्दिष्ट किया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

21. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) अपने दो उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आया था। दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) का तीन राज्यों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अन्तर्ग्रस्त करके सामंजस्यपूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। एन.सी.आर.पी.बी. विभिन्न परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है विशेष रूप से शहरी अवसंरचना विकास के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था जिसके वास्तविक व्यय होने की भी संभावना है, वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना (2002-03)-शहरी विकास (शहरी जल आपूर्ति और सफाई को छोड़कर) के परियोजना के स्कीम वार आकड़े संलग्नक 6.5.1 में दिए गये हैं; वार्षिक योजना (2002-03)-शहरी निर्धनता को कम करना- के स्कीमवार परियोजना संलग्नक 6.5.2 में दिये गये हैं और वार्षिक योजना (2002-03)-आवास और शहरी विकास-राज्य क्षेत्र के ब्योरे संलग्नक 6.5.3 में दिये गए हैं।

वार्षिक योजना (2002-03) के परिचयों के स्कीमवार आंकड़े - शहरी विकास
(शहरी जल आपूर्ति और सफाई को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना (2000-01) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2001-02)		वार्षिक योजना (2002-03) परिचय
			परिचय	अनंतिम व्यय	
1	2	3	4	5	6
	क शहरी विकास				
1.	आई.डी.एस.एम.टी.	57.17	70.00	76.71	105.00
2.	मेगा सिटी	85.91	95.50	115.34	125.00
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	45.00	50.00	50.00	55.00
4.	शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान (शहरी मैपिंग सहित)	3.94	4.93	4.00	8.00
5.	शहरी परिवहन				
	डी.एम.आर.सी.	160.00	165.00	165.00	
	अन्य	0.89	6.64	1.07	172.00
	जे.बी.आई.सी. की सहायता के माध्यम से पास मूमि अधिग्रहण	1.00	1.00	783.35	8.00
6.	शहरी अवसंरचना के लिए हडको को इक्विटी	5.00	5.00	5.00	5.00
7.	कम्प्यूटरीकरण	0.66	1.00	1.17	3.00
8.	शहरी शासन के लिए क्षमता निर्माण (बू.एन.डी.पी. परियोजना)		1.07	1.07	1.20
	ख लोक निर्माण कार्य				
10.	के.लो.नि.वि. प्रशिक्षण संस्थान (अनु. और विकास. प्रकोष्ठ सहित)	1.88	3.00	8.47	3.00
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	3.00	4.00	0.00	4.00
12.	सामान्य पुल कार्यालय आवास	17.71	20.00	17.45	25.00
13.	एन.बी.सी.सी. (इक्विटी)		8.35	8.35	0.00
14.	सी.पी.डब्ल्यू.डी./कम्प्यूटरीकरण का आधुनिकीकरण	1.42	2.00	0.00	3.00
ग	सामान्य पुल आवासीय आवास	72.91	80.00	68.34	90.00
	घ नई स्कीमें				
15.	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली				0.50
16.	सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों का कायाकल्प करना		1.00	0.00	1.00
	न्यू टाउनशिप स्कीम		0.01		
17.	पी.एफ.डी.एफ.				0.50
18.	सी.सी.एफ.				0.50
19.	पूर्वोत्तर एकमुह्त प्रावधान		82.50	82.49	90.00
	योग	481.49	602.00	1388.81	700.70

* शहरी जल आपूर्ति और सफाई के लिए परिचय "जल आपूर्ति और सफाई" के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

वार्षिक योजना (2002-03) के लिए स्कीमों पर परिचय - शहरी निर्धनता कम करना

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना (2000-01) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2001-02)		वार्षिक योजना (2002-03) परिचय
			परिचय	अंतिम व्यय	
1	वी.ए.एम.बी.ए.वाई.			69.00	256.85
2	एस.जे.एस.आर.वाई.	85.91	168.00	45.54	105.00
3	बी.एम.टी.पी.सी.	6.50	4.00	5.07	4.00
4	पैन बसेरा स्कीम	3.40	4.56	4.44	5.00
5	शहरी निर्देशक कार्यक्रम का विकास	0.28	0.32	0.10	0.10
6	भवन केन्द्र	3.00	3.00	2.00	3.00
7	हुडको आवास के लिए इक्विटी	155.00	155.00	155.00	180.00
8	एन.सी.एच.एफ.	0.20	0.20	0.50	0.20
9	पश्चिम बंगाल में शहरी बस्तियों में विस्थापितों के लिए अवसंरचना सुविधाएं	6.50	6.30	6.30	8.00
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (सिक्किम सहित) एकमुश्त प्रावधान		38.00	33.00	62.50
11	एन.बी.ओ. के माध्यम से आवास जनगणना, आवधिक सर्वेक्षण और एम.आई.एस.	0.23	0.30	0.01	
12	एच.पी.एल. के लिए वी.आर.एस.	6.50		2.50	
13	आई.वाई.एस.एच. गतिविधियां/सम्मेलन	0.20	0.32	0.23	
	योग	267.72	380.00	323.00	625.00

नोट: u

1. शहरी निर्देशकों के विकास के लिए प्रस्तावित आबंटन यू.ई.पी.ए. और यू.डी. विभागों की संबंधित स्कीमों को मिलाने के संबंध में योजना आयोग के निर्णयाधीन रखे गए हैं।
2. 3 करोड़ रुपए की दर से केन्द्रों का निर्माण करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आबंटन वी.ए.एम.बी.ए.वाई. में जोड़ दिए गए हैं। क्योंकि जेड.बी.बी. पर अस्थासित योजना आयोग के निर्णय के अनुसार इस स्कीम को बंद करना था।

वार्षिक योजना (2002-03) आवास और शहरी विकास - राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु०)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना (2001-02)				वार्षिक योजना (2002-03) परिव्यय	
		आवास		शहरी		आवास	शहरी
		परिव्यय	संशोधित परिव्यय	परिव्यय	संशोधित परिव्यय		विकास
1	आन्ध्र प्रदेश	157.51	137.51	177.01	177.01	193.55	230.7
2	अरुणाचल प्रदेश	19	19.16	20.01	20.83	19.28	21.83
3	असम	3.36	3.36	11.19	11.19	3.76	18.43
4	बिहार	30.55	30.55	48.57	48.57	12.56	57.33
5	छत्तीसगढ़	18.05	18.05	57.17	57.17	12.56	57.33
6	गोवा	7.86	7.86	13.58	13.58	7.93	32.91
7	गुजरात	475.3	426.09	497.7	445.12	548.94	504.01
8	हरियाणा	18	30	24.51	26.52	52.80	38.25
9	हिमाचल प्रदेश	56.82	58.83	28.55	29.8	53.65	23.88
10	जम्मू और कश्मीर	2.7	2.7	53.4	53.4	3.41	43.22
11	झारखंड					46.00	190.00
12	कर्नाटक	498.31	593.08	379.6	279.19	587.83	303.50
13	केरल	41.5	30	28.96	20	70.00	42.83
14	मध्य प्रदेश	140.75	113.84	85.25	98.43	172.28	172.50
15	महाराष्ट्र	218.28	216.28	272.53	272.53	179.07	492.85
16	मणिपुर	15.95	7.04	13.19	12.66	15.36	16.74
17	मेघालय	11.7	10.55	19.35	8.92	11.75	32.40
18	मिजोरम	47.2	41.82	19.25	29.42	44.18	18.41
19	नागालैंड	27.66	27.66	4.83	11.06	33.28	8.94
20	उड़ीसा	52.58	59.46	34.84	30.62	58.25	23.07
21	पंजाब	22.18	22.18	87.49	87.49	17.00	60.01
22	राजस्थान	104.71	103.8	580.18	511.78	141.09	554.23
23	सिक्किम	24.03	24.03	7.43	5.5	25.00	6.50
24	तमिलनाडु	165.9	217.27	480.47	557.2	237.45	492.78
25	त्रिपुरा	114.53	114.53	5.49	5.49	73.97	11.37
26	उत्तर प्रदेश	90.19	4.79	126.82	98.78	60.37	223.47
27	उत्तरांचल	13.61	13.61	28.59	28.59	2.00	24.50
28	पश्चिम बंगाल	38.3	31.1	631.53	456.25	22.66	887.24
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	16	11.27	11.27	14.65	13.65
30	चंडीगढ़	7.06	7.06	48.54	48.54	6.15	43.66
31	दादरा और नगर हवेली	1.14	1.14	1.07	1.07	0.67	1.15
32	दमन और दीव	0.6	0.6	1.08	1.08	0.54	1.08
33	दिल्ली	30.32	30.32	478.9	478.9	32.00	536.65
34	लक्षद्वीप	3	3	2.4	2.4	3.12	2.00
35	पंडिचेरी	10.41	7.64	14.58	16.81	10.07	19.50
	योग	2481.1	2436.9	4275	3975.39	2773.38	5187.42

अध्याय 7

आधारभूत विकास

7.1 ऊर्जा

(i) विद्युत

1. टिकाऊ आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लिए विश्वसनीय विद्युत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विद्युत क्षेत्र के विकास में पर्याप्त प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के समय, स्थापित उत्पादन क्षमता जो कि केवल 1300 मेगावाट थी, आज यह बढ़कर 1,00,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। स्थापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ, पारेषण एवं वितरण क्षमता में भी अपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इन उपलब्धियों के बावजूद, देश को लगातार ऊर्जा एवं व्यस्त समय की कमियों का सामना करना पड़ता है।

2. पहले राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बीज.) का विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद उनकी वित्तीय स्थिति एक चिंता का विषय बनी रहती थी। मुख्यतया यह कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सहायता प्राप्त टैरिफ तथा उच्च प्रणाली में टी. एण्ड डी. हानियों के कारण है जिसके चलते प्रायः प्रचुर मात्रा में चोरी, न्यून बिलिंग तथा कम धनराशि का एकत्रीकरण छिपा रहता है।

3. नौवीं योजना के दौरान कई नीतिगत कदम उठाए गए जैसे केंद्र तथा राज्य स्तर पर विनियामक आयोग का गठन, उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए विद्युत बोर्डों का अलग-अलग कम्पनियों के रूप में अन्वण्डलिंग/निगमीकरण, बिजली से संबंधित वर्तमान नियमों को बदलने के लिए नए बिजली विधेयक का मसौदा बनाना तथा सीपीएसयूज़ की बकाया देयताओं का एकमुश्त निपटान आदि। तथापि, निजी निवेशकों ने एस.ई.बीज. की बैंक योग्यता के बारे में अपनी आशंका बनाए रखी। वास्तव में नौवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि में कमी का यह एक मुख्य कारण रहा है। नौवीं योजना के दौरान क्षमता में 40245 मेगावाट की वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में केवल 19015 मेगावाट (लक्ष्य के 47.2%) क्षमता की वृद्धि प्राप्त की जा सकी। देश में व्यस्त समय तथा ऊर्जा कमियों को पूरा करने का काम पी.एल.एफ के 1996-97 के 84.4% के स्तर से बढ़कर 2001-02 में 89.9% हो जाने से सुकर हुआ है।

4. दसवीं योजना में क्षमता में 41110 मेगावाट की वृद्धि का कार्यक्रम है। दसवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार अनेक नई नीतिगत पहलें करने का विचार रखती है तथा इस बारे में विद्युत क्षेत्र के सुधारों (पी.एस.आर.) को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि एस.ई.बी. की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके तथा इस क्षेत्र को प्रतियोगात्मक एवं व्यवहार्य बनाया जा सके। कुछ मूल सुधार लक्ष्य हैं : (क) बिजली टैरिफ को युक्तियुक्त बनाना तथा

टैरिफ बनाने वाली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, (ख) बिजली से संबंधित प्रत्येक घटक में प्रतियोगिता एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना तथा एपीडीपी का एपीडीआरपी (त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम) के रूप में पुनर्निर्देशन के माध्यम से वितरण क्षेत्र में कुछ मापदंडों एवं बेन्च मार्क की उपलब्धि आदि के साथ जुड़ी उपलब्ध निधियों के लिए प्रावधान के साथ आगे बढ़ाना है।

वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना की समीक्षा

बिजली का उत्पादन (उपयोगिताएं)

5. वर्ष के दौरान, 539.5 बिलियन यूनिट (बीयू), की तुलना में वास्तविक उत्पादन 515.271 बीयू था जो 0.5% की मामूली कमी को दर्शाता है। पन बिजली तथा थर्मल विद्युत उत्पादन के मामले में उपलब्धि क्रमशः 88.9% तथा 96.3% थी। तथापि, न्यूक्लियर बिजली उत्पादन लक्ष्य से 7.7% बढ़ गया। 2001-02 के दौरान कुल उत्पादन वर्ष 2000-01 में हुए उत्पादन से 3.1% अधिक था।

6. उपर्युक्त के अलावा, भूटान से चुरा हाईडल परियोजना से भी लगभग 1.4 बी.के.डब्ल्यू.एच. बिजली उपलब्ध हुई।

7. वर्ष 2001-2002 के लिए उपयोगिताओं के संबंध में स्रोतवार उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियां एवं 2000-2001 के लिए वास्तविक तथा 2002-2003 के लिए अनुमान संबंधी आंकड़े तालिका 7.1.1 में दिए गए हैं।

- तालिका 7.1.1

स्रोतवार बिजली उत्पादन

(मिलियन यूनिट)

स्रोत	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 लक्ष्य	2001-2000 वास्तविक	2002-2003 लक्ष्य
हाइड्रो	74481	83241	73992	82814
थर्मल	408139	438356	422001	445558
न्यूक्लियर	16928	17903	19278	17180
योग	499548	539500*	515271	545552

* संशोधित लक्ष्य

8. वर्ष 2001-2002 में वास्तविक उत्पादन का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्नक 7.1.1 में दिया गया है।

9. वर्ष 2001-2002 के दौरान, धर्मल स्टेशनों के लिए अखिल भारत प्लांट लोड फ़ैक्टर (पी.एल.एफ.) का लक्ष्य 69.9% था जबकि वास्तविक एवं मूल्यांकन पर आधारित उपलब्धि 69.9% थी। तालिका 7.1.2 में वर्ष 2000-2001 (वास्तविक) 2001-2002 (लक्ष्य) तथा (वास्तविक) तथा 2002-2003 (लक्ष्य) के लिए पी.एल.एफ. के सेक्टरवार ब्यारे दिए गए हैं। सभी राज्य बिजली बोर्डों, केंद्रीय विद्युत संगठनों तथा निजी सेक्टर के लिए पी.एल.एफ. के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धि संलग्नक 7.1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.1.2

सेक्टर-वार प्लांट लोड फ़ैक्टर (%)

सेक्टर	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 लक्ष्य	2001-2002 उपलब्धि	2002-03 लक्ष्य
केंद्रीय सेक्टर	74.3	72.8	74.3	74.8
राज्य सेक्टर	65.6	67.9	67.0	68.2
निजी सेक्टर	73.1	73.3	74.7	74.0
अखिल भारतीय	69.0	69.9	69.9	70.8

क्षमता में वृद्धि

10. वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य 4764.70 मेगावाट था जिसकी तुलना में उपलब्धि 3115.20 मेगावाट (65.4%) थी जिसे तालिका 7.1.3 में दर्शाया गया है। इसमें कार्यक्रम से हटकर 656.1 मेगावाट क्षमता (सूरतगढ टी.पी.पी., चरण-II की 250 मेगावाट की 2 इकाइयां तथा हजीरा सी.सी.पी.पी. से 156.1 मेगावाट) को चालू किया गया।

तालिका 7.1.3

क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)

सेक्टर	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 लक्ष्य	2001-2002 उपलब्धि	2002-03 लक्ष्य
हाईडल	1285.00	1536.20	1106.20	607.00
धर्मल	2173.97	3228.50	2009.00	3502.10
न्यूक्लियर	440.00	0.00	0.00	0.00
योग	3898.97	4764.70	3115.20	4109.10

11. उपलब्धियों के परियोजना-वार ब्यौरे संलग्नक 7.1.3 में दिए गए हैं। 26 उत्पादन इकाइयों ने कुल 2340.8 मेगावाट का उत्पादन किया जो वर्ष 2001-2002 की उत्पादन क्षमता वृद्धि कार्यक्रम से कम है। इसमें हाइड्रो के 445 मेगावाट (10 उत्पादन इकाइयाँ) तथा थर्मल के 1895.8 मेगावाट (15 उत्पादन इकाइयाँ) सम्मिलित हैं। पूरी सूची संलग्नक 7.1.4 पर है।

पारेषण एवं वितरण

12. 800 के.वी./400 के.वी./220 के.वी. पारेषण लाइनों के निर्माण/ऊर्जाकरण के संबंध में कार्यक्रम तथा उपलब्धि तालिका 7.1.4 में दी गई है:

तालिका 7.1.4

पारेषण लाइनों में वृद्धि

(सी.के.टी. किलोमीटर)

पारेषण लाइनों में परिवर्धन	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 लक्ष्य	2001-2002 उपलब्धि	2002-2003 लक्ष्य
+/-500 के.वी. एच.वी.डी.सी.		680	800	636
800 के.वी.	375	224	51	173
400 के.वी.	2091	1780	1780	3198
220 के.वी.	3674	4240	3543	3024

जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम)

13. वर्तमान उत्पादन क्षमता से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्ष 1984 से जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण को अत्यधिक लागू प्रभावी विकल्प के रूप में जाना जाता है। देश में, 34 चयनित पावर केंद्रों पर, 13,570 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 163 थर्मल इकाइयों को कवर करने के लिए सातवीं योजना के दौरान सितम्बर, 1984 में आर एवं एम कार्यक्रम के चरण-1 का आरम्भ किया गया था। वर्ष 1991-92 में कुल 1088 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कार्यक्रम के पूरा होने के बाद 7,000 मिलियन यूनिट/प्रतिवर्ष के लक्षित लाभों की तुलना में 10,000 एम.यू./वर्ष का औसत अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया गया था।

14. आर एण्ड एम कार्यक्रम के चरण-1 के परिणामों से प्रोत्साहित होकर वर्ष 1990-91 में 20,870 मेगावाट की कुल क्षमता की 198 इकाइयों के 44 थर्मल पावर स्टेशनों के लिए चरण-11 आरम्भ किया गया। कार्यक्रम 2383 करोड़ रुपए के लिए अनुमानित था तथा इसे आठवीं योजना में पूरा किया जाना था। कार्यक्रम को पूरा करने के बाद 7864 एम.यू./वर्ष का अतिरिक्त उत्पादन प्रत्याशित किया गया। तथापि, कई उपयोगिताएं, निधियों के उपलब्ध न होने के कारण अपनी आर एण्ड एम स्कीमों को क्रियान्वित नहीं कर पाईं।

15. इसके परिणामस्वरूप आठवीं योजना के अंत तक लगभग 50% कार्य पूरे हो सके जिससे केवल 5000 एम.यू./वर्ष का अतिरिक्त उत्पादन हो सका। चरण-11 के अंतर्गत आर एण्ड एम की शेष सतिविधियों को नौवीं योजना के दौरान लिया गया। 153 थर्मल इकाइयों के कार्य पूरे होने के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा इनके दसवीं योजना अवधि के दौरान पूरे होने की आशा है।

16. नौवीं योजना के अंत में, 28 इकाइयों पर आयु विस्तारण कार्य (1981 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ) को हाथ में लिया गया। इसमें से, 19 इकाइयां पूर्ण हो गई हैं तथा शेष 9 इकाइयों की मार्च, 2003 तक पूरे होने की आशा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई इकाइयों की आयु 12-15 वर्षों तक विस्तारित होने की सम्भावना है।

17. आर एण्ड एम तथा आयु विस्तारण कार्यक्रमों सम्बन्धी बाधाएं

- अधिकतर एस.ई.बी.ज./उपयोगिताओं की खराब वित्तीय स्थिति के कारण समय पर तथा पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना।
- ऋण औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पी.एफ.सी. से ऋण प्राप्त करने में देरी।
- एस.ई.बी.ज./उपयोगिताओं द्वारा स्कीमों के बनाने तथा आदेशों को अन्तिम रूप देने में प्रक्रियात्मक देरी।
- राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्यों को करने में अनिच्छा प्रकट करना क्योंकि इससे चालू प्रणाली में अस्थायी तौर पर इकाइयां बंद की जानी होती हैं जिससे उत्पादन कम हो जाता है।

18. नौवीं योजना में, 917.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, 36 पन बिजली स्कीमों (23 चरण-1 के अंतर्गत तथा 13 चरण-11 के अंतर्गत) को कुल 9,001 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं अद्यतनीकरण (आर.एम. तथा यू.) के लिए चिह्नित किया गया। इस कार्य (आर.एम. तथा यू.) से क्षमता में 1,609 मेगावाट तथा उत्पादन में 4,987 एम.यू. बढ़ाने का अनुमान था।

19. इन 36 स्कीमों में से 4,860 मेगावाट की कुल क्षमता सहित 18 पन बिजली स्कीमों पर 554 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आर.एम. तथा यू. कार्य अब तक पूरा हो चुका है तथा इससे 1,123 मेगावाट/3,350 एम.यू. तक के लाभों के प्राप्त होने की सम्भावना है। शेष 18 आर.एम. तथा यू. स्कीमों में से पांच, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 369 मेगावाट है, को "बंद" घोषित कर दिया गया है तथा 380 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की शेष चार स्कीमों पर अभी कार्य आरम्भ होना है। 3,392 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली शेष नौ स्कीमों कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्य बिजली बोर्डों का वित्तीय कार्य निष्पादन

20. राज्य बिजली बोर्ड लगातार बाणिज्यिक हानियां उठाते रहे जो कि एक चिंता का विषय हैं। बिना राज-सहायता के राज्य बिजली बोर्डों की बाणिज्यिक हानियां 1996-97 में 11305 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 2000-01 में 25394.89 करोड़ रुपए हो गईं। 2001-02 (सं.अनु.) तथा

2002-03 (वा.यो.) के लिए इन हानियों का क्रमशः 27560.68 करोड़ रुपए तथा 24164.94 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। राज्य बिजली बोर्डों का आंतरिक संसाधन ऋणात्मक बने रहे। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए संसाधन चर्चा के आधार पर राज्य बिजली बोर्डों के निवल आंतरिक संसाधन जो 1996-97 में (-) 2090.7 करोड़ रुपए थे, 2000-01 (सं.अनु.) में (-) 15620.60 करोड़ रुपए हो गए। वर्ष 2001-2002 में, ये (-) 19103.90 करोड़ रुपए होने की आशा है।

21. यदि राज्य बिजली बोर्डों को हानि लाभ समस्थिति प्राप्त करनी है, अर्थात् 2001-2002 में जीरो प्रतिशत आर.ओ.आर. प्राप्त करना है तो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान औसत टैरिफ से 110 पैसे/यूनिट औसत टैरिफ बढ़ाना होगा। इससे उन्हें 33177 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। 3% आर.ओ.आर. प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर औसत टैरिफ 117 पैसे/यूनिट बढ़ाना होगा तथा इससे 35433 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यदि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कृषि टैरिफ 50 पैसे/यूनिट की न्यूनतम दर पर लगाया जाता है तो वे वर्ष 2001-2002 में 1984 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं।

विद्युत सेक्टर सुधार

22. लाभ के केंद्र के रूप में प्रत्येक गतिविधि के लिए दक्षता स्तरों को मॉनिटर कर सकने के लिए तथा प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन सृजित करने के लिए भी राज्य बिजली बोर्डों के निर्बंधन द्वारा तथा उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग-अलग करके अलग निगम बनाकर बिजली सेक्टर के सुधार संबंधी कदम उठाए जाते रहे। सुधारों की स्थिति का सारांश निम्नलिखित है:

23. बिजली विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग को पूरी तरह से कार्यकारी बना दिया गया है। आयोग ने उपलब्धता आधारित टैरिफ पर आदेश जारी किए हैं तथा टैरिफ निर्धारण के लिए शर्तें एवं नियम बनाए हैं। उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, केरल एवं उत्तरांचल जैसे 19 राज्यों ने या तो एस.ई.आर.सी. का गठन कर लिया है या इसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एस.ई.आर.सी. ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

24. उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली ने राज्य बिजली सुधार अधिनियम बना दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बिजली बोर्डों के निर्बंधन/निगमीकरण तथा एस.ई.आर.सी. आदि के गठन के लिए व्यवस्था है। उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली के राज्य बिजली बोर्डों को निर्बंधीकृत/निगमीकृत कर दिया गया है। उड़ीसा तथा दिल्ली राज्यों में वितरण कम्पनियों को अलग-अलग करने के बाद उनका निजीकरण कर दिया गया है।

25. गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब में 11 के.वि. फीडरों का शत प्रतिशत मीटरिंग का कार्य या तो पूरा कर लिया गया है या पूरा होने के अंतिम चरणों में है। विद्युत मंत्रालय ने सुधारों को समयबद्ध तरीके से अपनाने के लिए 20 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों की समयबद्ध मीटरिंग को दो चरणों में अर्थात् (i) 11 के.वि. फीडरों की मीटरिंग तथा (ii) सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रावधान शामिल हैं। सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के मॉनिटरिंग की जा रही है।

बिजली विधेयक 2001

26. बिजली विधेयक 2001 का मसौदा संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। नया बिजली विधेयक बिजली से संबंधित वर्तमान तीन नियमों को बदल देगा, अर्थात्:

- समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय बिजली अधिनियम, 1910।
- समय-समय पर यथा संशोधित बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948।
- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998।

त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए.जी. तथा एस.पी.) स्कीम

27. नौवीं योजना के वित्तीय वर्ष 1997-98 में ए.जी. तथा एस.पी. स्कीम आरम्भ की गई थी और इसे नौवीं योजना के अंत तक बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम राज्य बिजली बोर्डों/राज्यों एवं केंद्रीय विद्युत उपयोगिताओं को ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। इससे विशेष रूप से राज्य सेक्टर में विद्युत गतिविधियों को चलाने में सहायता प्राप्त हुई है। राज्य सेक्टर में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धि लक्ष्य का 88 प्रतिशत थी जिसमें से ए.जी. तथा एस.पी. का अंशदान 55% था। इस स्कीम ने नौवीं योजना अवधि के दौरान जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर. तथा एम.) कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। ए.जी. तथा एस.पी. के माध्यम से दिए गए प्रोत्साहनों के कारण अतिरिक्त उत्पादन लगभग 10,000 मि.यू./वार्षिक है। ए.जी. तथा एस.पी. स्कीम को दसवीं योजना अवधि में कुछ परिशोधनों के साथ विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.)

28. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) पर एक स्कीम वित्तीय वर्ष (2000-01) में आरम्भ की गई थी। विद्युत क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से, इस बारे में चिन्तित की गई मुख्य कार्यनीतियों में से एक यह है कि सभी वितरण सर्किलों के लिए वितरण योजनाओं/परियोजनाओं को उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए जिन्हें राज्यों द्वारा वितरण सुधारों के बाद वाले चरणों में दोहराया जा सके। आरम्भ में ए.पी.डी.पी. वित्तपोषण के अन्तर्गत ऐसे 63 सर्किलों को लिया गया, जिनमें 11 के.वी. फीडरों की मीटरिंग, उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुधार/सुदृढीकरण, 100% मीटरिंग, बिलिंग में सुधार, धन राशि एकत्र करने आदि में एम.आई.एस. प्रणाली लागू करने का सोचा गया है। सुधारों के लिए वित्त पोषण का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, ए.पी.डी.पी. स्कीम में कुछ परिशोधनों द्वारा एक त्वरित

विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) तैयार किया गया है। वितरण सुधारों के लिए निवेश प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। ए.पी.डी.आर.पी. के अन्तर्गत निवेश प्रवाह पर 50 प्रतिशत तथा प्रोत्साहन प्रवाह पर 50 प्रतिशत वित्त पोषण प्रस्तावित है। बल यह सुनिश्चित करने पर है कि निवेश के फलस्वरूप चयनित सर्किलों में निर्धारणीय भौतिक और वित्तीय लाभ प्राप्त हों।

29. संक्रमण सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों को नीचे दी गई न्यूनतम पात्रता उपलब्ध करनी होगी:

- राज्य में एक राज्य बिजली विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) गठित होना चाहिए।
- राज्य बिजली बोर्ड/उपयोगिता द्वारा एस.ई.आर. के सामने अपनी पहली टैरिफ याचिका दायर की होनी चाहिए।
- राज्य बिजली बोर्ड/उपयोगिता को पिछले वर्ष की तुलना में नकद हानियों में निर्धारित प्रतिशत कमी का न्यूनतम प्राप्त किया होना चाहिए।

30. वर्ष 2000-01 तथा वर्ष 2001-02 के दौरान क्रमशः 1000 करोड़ रुपए तथा 1500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी तुलना में वर्ष 2000-01 तथा वर्ष 2001-02 के दौरान क्रमशः 854.30 करोड़ रुपए तथा 477.60 करोड़ रुपए की राशि उपयोग में लाई गई। वर्ष 2002-03 की वार्षिक योजना अर्थात् दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए ए.पी.डी.पी. स्कीम के अन्तर्गत 3500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के ध्यातव्य क्षेत्र तथा लक्ष्य

31. दसवीं पंचवर्षीय योजना के सामने निम्नलिखित मूल सुधारों का लक्ष्य है:

- विद्युत टैरिफों का युक्तियुक्तकरण तथा टैरिफ बनाने वाली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना;
- टैरिफों में सेवा की लागत दर्शाना तथा सभी राज्य सहायताओं को स्पष्टतः राज्य बजटों में स्थानांतरित करना;
- सभी तीनों घटकों अर्थात् उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में ऊर्जाधर समेकित ढांचे के अंदर पूरी जवाबदेही के अलग-अलग लाभ केंद्रों का सृजन करके या राज्य बिजली बोर्डों का उत्पादन, पारेषण तथा वितरण तत्वों को अलग-अलग करके या राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करते हुए अन्य मॉडल सुधारों के माध्यम से दक्षता में सुधार लाना है;
- बिजली मूल्य कड़ी के प्रत्येक घटक में प्रतियोगिता एवं निजी भागीदारी को बढ़ावा देना;
- विषय वस्तु (विद्युत एवं ऊर्जा) से प्रबन्ध (पारेषण एवं वितरण नेटवर्क) को अलग-अलग करके सीधी पहुंच बनाने के बाद उपभोक्ताओं को सबसे दक्ष स्रोत से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना;
- हानियों को कम करने, मीटरिंग में सुधार, ऊर्जा लेखा परीक्षाएं बनाना तथा बिलिंग धनराशि एकत्र करने में सुधार करके पारेषण तथा वितरण प्रणाली को मजबूत करना।
- ए.पी.डी.पी. को ए.पी.डी.आर.पी. (त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के रूप में इस आशय के प्रावधान सहित पुनः तैयार करना कि निधियों की निर्मुक्ति कुछ मापदंडों एवं बैचमाकों की पूर्ति से जुड़ी रहेगी;

- कैप्टिव उत्पादन (विशेष रूप से सह-उत्पादन) को विद्युत प्रणाली में समेकित करना।
- निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जाने पर भी सेक्टर के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- निजी प्रोमोटर्स तथा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से परियोजनाएं लेने के लिए एन.टी.पी.सी. को प्रोत्साहित करना।

दसवीं योजना के लक्ष्य

32. दसवीं योजना (2002-07) में क्षमता में 41,110 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र में 22,832 मेगावाट (55.6%), राज्य क्षेत्र में 11,157 मेगावाट (27.1%) तथा तालिका 7.1.5 में दिए गए अनुसार 7,121 मेगावाट (17.3%) निजी क्षेत्र से जोड़े जाने की सम्भावना है।

तालिका 7.1.5

दसवीं योजना के दौरान सेक्टरवार/पद्धतिवार क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)

स्रोत	केंद्रीय	राज्य	निजी	योग
हाइड्रो	8742	4481	1170	14393
थर्मल	12790	6676	5951	25417
न्यूक्लियर	1300	-	-	1300
योग	22832	11157	7121	41110

वार्षिक योजना 2002-03

बिजली का उत्पादन (उपयोगिताएं)

33. वर्ष 2002-03 में उपयोगिताओं में कुल बिजली उत्पादन 545.552 बी.यू. (तालिका 7.1.1) होने का अनुमान है। क्षेत्रवार विवरण संलग्नक 7.1.1 में दिए गए हैं।

34. वर्ष 2002-03 के लिए परिकल्पित कुल उत्पादन पिछले वर्ष के लक्ष्य से 1.12% अधिक है। परिकल्पित समग्र प्लांट लोड फैक्टर 70.8% है। भूटान में चूखा हाईडल परियोजना से लगभग 1.4 बी.यू. की अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होने की आशा है।

क्षमता में वृद्धि

35. वर्ष 2002-03 के दौरान, स्थापित क्षमता में वृद्धि लक्ष्य 4109.10 मेगावाट (तालिका 7.1.3) है। इसमें से 2001-02 से बची हुई सकल 893.6 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं।

36. वर्ष 2002-03 के लिए लक्षित कुल अतिरिक्त क्षमता में से केंद्रीय सेक्टर में 1170 मेगावाट, राज्य सेक्टर में 1147.10 मेगावाट तथा निजी सेक्टर में 1792 मेगावाट चालू किए जाने की सम्भावना है। स्थापित क्षमता में 2002-03 के दौरान वृद्धियों के स्कीमवार विवरण संलग्न 7.1.5 में दर्शाए गए हैं।

योजना परिव्यय

37. विद्युत क्षेत्र (ग्रामीण विद्युतीकरण सहित) में, वर्ष 2001-02 के दौरान 27993 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कुल व्यय लगभग 26309 करोड़ रुपए होने की अनुमान है, जैसा कि तालिका 7.1.6 में दिखाया गया है।

तालिका 7.1.6

वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

वार्षिक योजना परिव्यय	2000-01 संशोधित अनुमान	2001-2002 अनुमोदित परिव्यय	2001-2002 संशोधित अनुमान	2002-2003 अनुमोदित परिव्यय
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र @	14134.88	15146.30*	13431.62*	अभी अन्तिम रूप दिया जाना है
केन्द्रीय सेक्टर @	7931.51 (वास्तविक)	12846.37	12877.23	15491.72
योग (अखिल भारत)	22066.39	27992.67	26308.85	

@ ब्यारे संलग्नक 7.1.6 में दिए गए हैं।

* झारखंड राज्य को छोड़कर।

38. ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) घटक को छोड़कर विद्युत सेक्टर में विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध अन्य प्रावधानों का उपयोग तालिका 7.1.7 में दिया गया है।

तालिका 7.1.7

अन्य प्रावधानों का उपयोग

(करोड़ रुपए)

अन्य प्रावधानों का उपयोग	2000-01 वास्तविक व्यय	2001-2002 अनुमोदित परिव्यय	2001-2002 प्रत्याशित व्यय	2002-2003 अनुमोदित परिव्यय
पूर्वोत्तर परिषद के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का विद्युत घटक (एन.ई.सी.)	328.62	154.31	228.89	57.50

कैप्टिव विद्युत

39. वर्ष 1999-2000 के दौरान गैर-उपयोगिताओं के संबंध में स्थापित क्षमता में वृद्धि लगभग 569 मेगावाट थी। इस वृद्धि से ऐसे संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता (रेलवे सहित) मार्च, 2000 के अंत तक (1 मेगावाट क्षमता एवं ऊपर के कैप्टिव प्लांटों को शामिल करते हुए) 14660 मेगावाट तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 1999-2000 में गैर-उपयोगिताओं से उत्पादन लगभग 51.525 बी.यू. निर्धारित किया गया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

40. नौवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रबंध व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशी सहायता का वर्षवार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग तालिका 7.1.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.1 .8

वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक के दौरान वर्षवार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन	उपयोगिता	(%) उपयोगिता
1997-98			
केंद्रीय सेक्टर	2704.00	2309.14	85.40
राज्य सेक्टर	1363.58	1559.07	114.34
योग	4067.58	3868.21	95.10
1998-99			
केंद्रीय सेक्टर	2538.00	2179.64	85.88
राज्य सेक्टर	1859.06	1832.45	98.57
योग	4397.06	4012.09	91.24
1999-00			
केंद्रीय सेक्टर	1724.69	1491.92	86.50
राज्य सेक्टर	1948.82	1751.05	89.85
योग	3673.51	3242.94	88.28
2000-01			
केंद्रीय सेक्टर	1284.64	1694.42	131.90
राज्य सेक्टर	2220.36	1855.84	83.58
योग	3505.00	3550.26	101.29
2001-02			
केंद्रीय सेक्टर	1675.43	2336.09	139.43
राज्य सेक्टर	2392.14	1651.67	69.05
योग	4067.57	3987.76	98.04

विद्युत परियोजनाओं के मामले में विदेशी सहायता के गैर-उपयोग के कारकों में से कुछ परियोजना प्रबंधन में कमी तथा निर्माण कार्य में विलम्ब होना है।

शून्य आधारित बजट निर्माण (जैड.बी.बी.)

41. योजनाओं आयोग द्वारा मंत्रालय के साथ सलाह करके वार्षिक योजना (2002-03) के लिए, विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) के लिए जैड.बी.बी. का प्रयोग आच्छादन, प्रतिधारण, परिशोधनों के साथ प्रतिधारण, राज्यों को हस्तांतरण तथा केंद्रीय सेक्टर स्कीम एवं एम.ओ.पी. के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.) को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसका सारांश तालिका 7.1.9 में दिया गया है। स्कीमवार ब्यौरे संलग्नक 7.1.7 में दिए गए हैं।

तालिका 7.1.9

विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) के जैड.बी.बी. प्रक्रिया का सारांश

क्रम.सं.	श्रेणी	स्कीमों की संख्या	
		सी.एस.एस.	केंद्रीय
1	प्रतिधारित की जाने वाली स्कीमों की संख्या	5	शून्य
2	विलय की जाने वाली स्कीमों	3/8	शून्य
3	समाप्त की जाने वाली स्कीमों	10	1
4	नौवीं योजना की कुल स्कीमों	23	1
5	दसवीं योजना में जारी रहने वाली स्कीमों	8	शून्य

विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी

42. क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के लिए संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से विद्युत क्षेत्र में निजी सेक्टर की भागीदारी संबंधी नीति की घोषणा अक्टूबर, 1991 में की गई थी। बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र में उद्यमों के लिए नया विधिक तथा वित्तीय परिवेश उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। पारेषण को अलग गतिविधि के रूप में मानने तथा पारेषण सेक्टर में निजी सेक्टर के निवेश को सुकर बनाने के लिए बिजली कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 भी बनाया गया है।

43. विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी की नीति के प्रति आंतरिक एवं विदेशी निवेशकों की आरम्भिक प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक थी। तथापि, कई परियोजनाओं में विद्युत खरीद अनुबन्ध गारंटी तथा प्रति-गारंटी, पर्यावरणीय अनुमोदन, मेडिंग पारेषण नेटवर्क तथा ईंधन आपूर्तियों के लिए कानूनी प्रवर्तनीय संविदाओं को अंतिम रूप देने में अप्रत्याशित देरियों से रूकावटें आई हैं। निजी भागीदारी में अत्यंत महत्वपूर्ण अड्डचनों में से एक, राज्य बिजली बोर्डों, जो कि इसके एकाधिकार खरीदार हैं, का दिवालियापन है। इससे वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए जटिल भुगतान सुरक्षा

तंत्र आवश्यक हो गया है। इसके अलावा कुछ चालू स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं (आई.पी.पी.एस.) से विद्युत के उच्च टैरिफ ने जो कि तरल ईंधनों की उच्च लागत, व्याप्त जोखिम घटक तथा मांग की भावी बढ़ोतरी के लिए अयथार्थपूर्ण पूर्वानुमान जैसे घटकों के कारण है, उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण प्रयोग को बाधित किया है। पहले चालू किए जा चुके विद्युत क्षेत्र के सुधारों से समय आने पर यह समस्याएं सुलझ जाने की सम्भावना है।

- विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश लगाने की 1991 में आरम्भ की गई नीति से नीवी योजना में 17,588 मेगावाट विद्युत क्षमता में वृद्धि होने की आशा थी। वास्तविक उपलब्धि 5,061 मेगावाट थी जो कि लक्ष्य का मात्र 29% थी। केंद्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के लिए तुलनात्मक उपलब्धि अनुपात क्रमशः 38% तथा 88% उच्च था। मुख्य अड़चनें इस प्रकार थीं :
 - (i) राज्य बिजली बोर्डों की चिरकालीन वित्तीय कमजोरी।
 - (ii) तरल ईंधन की उच्च लागत, व्याप्त जोखिम घटकों तथा भविष्य में मांग की धीमी वृद्धि बिजली के प्रत्याशित स्तरों से नीचे होना आदि जैसे घटकों के कारण आई.पी.पी.एस. के अव्यवहार्य टैरिफ।
 - (iii) एक समर्थनकारी विनियामक विधायी तथा बाजार पर्यावरण की कमी।
 - (iv) विद्युत क्षेत्र तथा कोयला, परिवहन जैसे संबंधित क्षेत्रों में सुधार की धीमी गति।
 - (v) विश्वसनीय संविदात्मक ढांचे उपलब्ध कराने में अयोग्यता।

44. 1 फरवरी, 2002 को निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थिति तालिका 7.1.10 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.1.10

1 फरवरी, 2002 के अनुसार निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

विवरण	संख्या	क्षमता (मेगावाट)
सी.ई.ए. द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से अनुमोदित परियोजनाएं	58	29,614.50
पूर्णतया चालू निजी विद्युत परियोजनाएं	15	4,427
निर्माणाधीन निजी विद्युत परियोजनाएं	7	3,432

45. इसके अतिरिक्त 18 निजी परियोजनाएं जिनके लिए तकनीकी-आर्थिक अनापत्ति जरूरी नहीं है, जिसकी कुल क्षमता लगभग 2,340 मेगावाट है, चालू हो गई हैं तथा 36 मेगावाट कुल क्षमता वाली दो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

ऊर्जा संरक्षण

48. सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 बनाया है, जो निम्नलिखित के लिए है:

- (i) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ई.एम.सी.) के विलय द्वारा एनर्जी एफिशियेंसी ब्यूरो की स्थापना।
- (ii) ऊर्जा के प्रयोक्ताओं अथवा प्रयोक्ता श्रेणी को निर्दिष्ट उपभोक्ता घोषित करना।
- (iii) न्यूनतम ऊर्जा उपभोग मानक बनाना तथा चिह्नित उपकरणों/उपस्करों के लिए लेबल लगाना तथा ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए मानदण्ड बनाना।
- (iv) ऊर्जा उपभोग कोडों का निर्धारण।
- (v) केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना।
- (vi) जुमाने तथा न्यायनिर्णय। पहले पांच वर्षों के दौरान कोई जुमाना नहीं होगा क्योंकि आरम्भ की पांच वर्ष की अवधि प्रोन्नयन के लिए तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के लिए ढांचा सृजित करने के लिए होगी।
- (vii) बी.ई.ई. एक स्वतः नियामक प्रणाली तथा ऐसे संगठनों के विकास को सुकर बनाएगी जो अपने आपको स्वयं नियंत्रित करेंगे, क्योंकि ऊर्जा बचाने से भी अच्छी वाणिज्यिक अनुभव होता है।

48. एनर्जी एफिशियेंसी ब्यूरो (बी.ई.ई.) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है तथा इसने ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग एवं इसके संरक्षण पर कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इस कार्य योजना में सीमेंट, पल्प तथा पेपर, कपड़ा, उर्वरक, क्लोर-अल्कली तथा अलुमीनियम उद्योग सेक्टरों में कार्यबलों का गठन सम्मिलित है। सीमेंट, पल्प तथा पेपर एवं कपड़ा उद्योग सेक्टरों को “नामित उपभोक्ता” के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। प्रत्यायित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों के अतिरिक्त कार्य योजना में कुछ मध्यम तथा दीर्घावधि गतिविधियां भी होंगी। कार्रवाई योजना में डिमांड साइड मैनेजमेंट (डी.एस.एम.) स्टैंडर्ड एण्ड लेबलिंग प्रोग्राम, भवनों तथा स्थापनाओं में ऊर्जा कुशलता, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, व्यवसायिक प्रमाणीकरण एवं प्रत्यायन, नियम पुस्तकें तथा संहिताएं, ऊर्जा कुशलता नीति अनुसंधान कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा, ऊर्जा कुशलता सेवाओं आदि के लिए आपूर्ति तंत्र आदि जैसे अन्य लक्षित क्षेत्रों से संबंधित मामलों को भी देखा जाएगा।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा एवं 2002-03 के लिए कार्यक्रम

48. 2001-02 के दौरान, ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 9.60 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया तथा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ई.एम.सी.) को 28.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया। प्रणाली में टी. एण्ड डी. हानियों को कम करने के माध्यम से भार प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए कई मार्गदर्शी परियोजनाएं/निदर्शन परियोजनाओं को लिया

गया। ऊर्जा संरक्षण पर विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2002-03 के लिए एनर्जी एफिशियेंसी ब्यूरो के लिए 50.00 करोड़ रुपए की राशि का बजट अनुमान दिया गया है।

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम

49. सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 5.87 लाख गांव हैं। मार्च 2002 के अंत तक 5.09 लाख गांवों में बिजली पहुंच गई है, जिसमें 86.7 प्रतिशत का राष्ट्रीय औसत प्राप्त कर लिया गया है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जिन राज्यों में भू-जल की संभाव्यता है, उनमें पम्प सेटों को क्रियाशील बनाया गया है, जिससे लघु सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 195.94 लाख की कुल अनुमानित संभाव्यता की तुलना में देश के कुल 130.84 लाख पम्प सेटों को क्रियाशील बनाया गया है जो दोहन की गई संभाव्यता का 66.8 प्रतिशत है। शेष लगभग जिन 80,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है, यह आकलन किया गया है कि लगभग 62,000 गांवों का, परम्परागत ग्रिड का विस्तार करके, विद्युतीकरण किया जा सकता है जबकि शेष लगभग 18,000 गांवों का विद्युतीकरण जो दूर-दराज और कठिन क्षेत्रों, जैसे कि पहाड़ी इलाको, रेगिस्तानी और द्वीपों में स्थित है, सौर, लघु हाइड्रो तथा बायोमास जैसे विकेंद्रीकृत गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा किया जाना पड़ सकता है। भारत सरकार ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी है ताकि दसवीं (2002-2007) योजना के अंत तक देश में सभी गांवों का ग्रिड द्वारा विद्युतीकरण हो सके। शेष बचे हुए कठिन क्षेत्र वाले गांवों, जिनका ग्रिड से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है उनको विकेंद्रीकृत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, लघु हाइड्रो तथा बायोमास के द्वारा क्रियाशील किया जाएगा तथा यह कार्य 11वीं योजना अर्थात् 2007-2012 के अंत तक पूरा किया जाएगा।

50. इस उद्देश्य से कि राज्य, भारत सरकार से अनुदानों तथा ऋणों के उपयुक्त अनुपात में निधियों को लेकर इन गांवों का विद्युतीकरण कर सकें, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2001-02 के बाद से प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। यद्यपि, गांवों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां जो सीधे संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होंगी तथापि पहले से जिन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, वहां लोड बढ़ाने और प्रणाली सुधार के लिए निधियां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002-03 से ग्रामीण विद्युतीकरण के घटक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) को पर्याप्त महत्व दिया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि विशेष वर्ग के राज्यों के मामले में पात्र राज्यों को 90:10 तथा गैर-विशेष वर्ग के राज्यों को 30:70 के अनुपात में अनुदान निधियां वितरित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रदत्त निधि के 175 करोड़ रुपए के पूर्व स्तर को वर्तमान वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम घटकों के अंतर्गत निधियों को अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए उपयोग में लाया जाएगा जबकि अन्य ग्रा.वि. कार्यों जैसा कि प्रणाली सुधार, भार सघनीकरण, घरेलू विद्युतीकरण आदि को राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) तथा आर.ई.सी.

द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा। आर.आई.डी.एफ के लिए राज सहायता पर ब्याज उपलब्ध कराने के विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को सिद्धांततः मान लिया गया है तथा राज सहायता ब्याज की दर अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

ऊर्जा के नए तथा नवीकरणीय स्रोत

51. ऊर्जा के नए तथा नवीकरणीय स्रोतों का कार्यक्रम गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन, नई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन के साथ-साथ वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनका भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (आई.आर.ई.डी.ए.) के माध्यम से, जो एम.एन.ई.एस. के प्रशासनिक नियंत्रण में अकेला सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है, बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों से ग्रामीण लोगों की खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था तथा तापन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उनकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन के कार्यक्रमों में वायु, ऊर्जा, लघु हाइड्रो, बायोमास विद्युत तथा सह उत्पादन, सौर ताप और फोटोवोल्टायक विद्युत तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा शामिल है। 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन का अंश 3400 मेगावाट तक पहुंच गया है, जो कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का 3.5 प्रतिशत है। इसमें से अकेली वायु विद्युत का मुख्य भाग 1507 मेगावाट है जबकि बायोमास विद्युत तथा सह-उत्पादन के लिए 400 मेगावाट तथा लघु हाइड्रो का 1423 मेगावाट है।

वार्षिक योजना 2001-2002 की समीक्षा

52. बायोगैस विकास से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.बी.डी.) के अंतर्गत, 59.56 करोड़ के बजट अनुमान के साथ 2001-2002 के लिए परिवार आकार के 1.80 लाख बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर 2001 तक, 75,000 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2001-2002 के दौरान, 10,000 गांवों में, 17.55 लाख उन्नत चूल्हों के लक्ष्य की तुलना में, दिसम्बर, 2001 के अंत तक 7 लाख चूल्हे स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष लक्ष्य वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान 7 मेगावाट (बराबर) के लक्ष्य की तुलना में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में 2.635 मेगावाट (बराबर) गैसीफायर प्रणालियों की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। सौर फोटोवोल्टाइक प्रकाश कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के लिए 8500 सौर लालटेनें, 35,000 सौर प्रकाश प्रणालियां, 3,000 स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियां तथा 220 के.डब्ल्यू.पी. के बराबर क्षमता के सौर विद्युत संयंत्रों के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इन लक्ष्यों की तुलना में, 31 दिसम्बर, 2001 तक 31,998 सौर लालटेनें, 24782 गृह प्रकाश प्रणालियां, 547 स्ट्रीट लाइटें तथा 40 के.डब्ल्यू.पी. कुल क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। पूरे लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। वर्ष के दौरान, विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत, 167 मेगावाट की वायु विद्युत तथा 66 मेगावाट की बायोमास विद्युत (सह-उत्पादन) स्थापित की गई। वर्ष 2001-02 के दौरान, लघु

हाइड्रो विद्युत के मामले में, एम.एन.ई.एस. ने लघु हाइड्रो परियोजनाओं को समर्थन दिया तथा दिसम्बर, 2001 तक कुल 60.15 मेगावाट चालू कर दिया गया है। एम.एन.ई.एस. के अन्य कार्यक्रमों की उपलब्धियां संतोषजनक नहीं हैं। कार्यक्रमों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की वार्षिक योजना में नियमित रूप से समीक्षा की गई तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी के साथ योजना आयोग में समीक्षा त्रैमासिक बैठकों में की गई।

53. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) के लिए शून्य आधारित बजट (जैड.बी.बी.) प्रयोग वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान किया गया था। एम.एन.ई.एस. के अंतर्गत अभिकरण, प्रतिधारण संशोधनों के साथ प्रतिधारण, राज्यों को हस्तांतरण केंद्रीय सेक्टर/केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) से छटनी के लिए एक प्रयोग एम.एन.ई.एस. की सलाह से विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाग द्वारा किया गया था। तदनुसार वर्तमान में एम.एन.ई.एस. द्वारा कई स्कीमों क्रियान्वित की जा रही हैं। (लगभग 35 मुख्य स्कीमों को 12 प्रमुख स्कीमों में अभिसरण किया गया है।) इसके अतिरिक्त, एम.एन.ई.एस. के अंतर्गत दो सी.एस.एस. को राज्यों में हस्तांतरित करने के लिए चिह्नित किया गया है। एक स्कीम अर्थात् पशु ऊर्जा को अब इस कारण से बंद कर दिया गया कि यह स्कीम एम.एन.ई.एस. के द्वारा क्रियान्वयन के अंतर्गत महत्वपूर्ण तरीके से कोई रास्ता नहीं बना पा रही है। इसका सारांश तालिका 7.1.11 में दिया गया है। स्कीमवार विवरण संलग्नक 7.1.8 में दिया गया है।

तालिका 7.1.11

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) के जैड.बी.बी. प्रयोग का सारांश

जारी रखने वाली केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों	केंद्रीय प्रायोजिक स्कीमों जिन्हें राज्यों का स्थानांतरित किया जाना है	केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जिसकी छंटनी करनी है
<ol style="list-style-type: none"> 1. बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.बी.डी.) 2. वायु पावर 3. लघु हाइड्रो पावर 4. बायोमास पावर 5. सौर पावर 6. ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम 7. अनुसंधान डिजाइन एवं विकास (आर.डी.डी.) 8. जागरूकता एवं विस्तार (आई.आर.ई.पी. सहित) 9. ढांचा विकास एवं क्षमता बनाना 10. संस्थान समर्थित योजना 11. भारतीय नदीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंन्सी (इरेडा) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआईसी) 2. समुदाय/ संस्थान बायोगैस संयंत्र 	<ol style="list-style-type: none"> 1. पशु ऊर्जा कार्यक्रम

वार्षिक योजना 2002-03

54. वर्ष 2002-2003 के लिए एम.एन.ई.एस. का कुल परिव्यय 1101.48 करोड़ रुपए की राशि के लिए अनुमोदित है (सकल बजटीय सहायता के रूप में 625.00 करोड़ रुपए तथा आई.ई.बी.आर. के 476.48 करोड़ रुपए)। ऊपर उल्लिखित वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत ग्रामीण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा तथा आई.आर.ई.डी.ए. की इक्विटी सहायता सम्मिलित होगी। 625.00 करोड़ रुपए की जी.बी.एस. में 10 प्रतिशत राशि शामिल है जो एम.एन.ई.एस. के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में प्रयुक्त किए जाने के लिए नियत की गई है। प्रस्ताव है कि 1.70 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 18,000 गांवों के लिए 20 लाख उन्नत चूल्हे, 80,000 सौर लालटेनें, 45,000 गृह प्रकाश प्रणालियां, 1000 सौर जनरेटर, 0.45 मेगावाट के बराबर सौर विद्युत संयंत्र, 1200 एस.पी.वी. पम्प, वायु विद्युत के 300 मेगावाट, बायोगैस विद्युत के 150 मेगावाट, 7 मेगावाट के बराबर बायोमास गैसीफायर प्रणालियां, 80 मेगावाट के लघु हाइड्रो विद्युत तथा शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से 20 मेगावाट के बराबर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाए। नवीकरणीय ऊर्जा की लगभग संभाव्यता की तुलना में उपलब्धियां तालिका 7.1.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.1.12

नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता तथा उपलब्धियां

स्रोत/प्रणाली	लगभग संभाव्यता	संचयी उपलब्धियां (31.12.2001 तक)
बायोगैस संयंत्र (संख्या)	120 लाख	32.75 लाख
उन्नत चूल्हे (संख्या)	1200 लाख	338.00 लाख
बायोमास	19,500 मे.वा.	400.80 मे.वा.
सौर फोटोवोल्टाइक	20 मे.वा./वर्ग कि.मी.	82 मे.वा.पा.
सौर थर्मल प्रणाली	1400 लाख/ वर्ग.कि.मी.	6.0 लाख/वर्ग.कि.मी.
सौर जल तापन व्यवस्था	संग्राही क्षेत्र	संग्राही क्षेत्र
वायु विद्युत	45,000 मे.वा.	1507 मे.वा.
लघु हाइड्रो पावर	15,000 मे.वा.	1423 मे.वा.
शहरी तथा नगरीय अपशिष्ट	1700 मे.वा.वि.	17.10मे.वा.वि.

(ii) कोयला तथा लिग्नाइट

समीक्षा

55. वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना नौवीं योजना (1997-2002) के लिए समापन वर्ष था। नौवीं योजना के कार्य-निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है। वार्षिक योजना 2001-02 के कार्य निष्पादन के संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के साथ चर्चा की गई है।

56. नौवीं योजना में विद्युत क्षेत्र की समुन्नत उत्पादकता क्षमता उपयोग, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, सरलीकृत परियोजना निकासी क्रियाविधियां, बेहतर परियोजना, कार्यान्वयन, गवेषणा, संरक्षण आदि के माध्यम से तेजी से बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लम्बी अवधि के साथ घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई थी। योजना के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का संबंध कोयला सेक्टर के पुनर्निर्माण और कानूनों में आवश्यक संशोधनों के तरीकों से वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने के साथ है। योजना में कोयला उद्योग में साफ कोयला प्रौद्योगिकी (सी.सी.टी.), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (एस. एण्ड टी.), कोयला बेड मीथेन संसाधनों का विकास, बेहतर कोयला संचलन के लिए बंदरगाह तथा रेल ढांचे के सुदृढीकरण तथा लिग्नाइट संसाधनों के विकास पर बल दिया गया।

57. आशा से कम आर्थिक उन्नति तथा नए कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पूरा न कर सकने के कारण कोयले का उठान तथा उत्पादन प्रभावित हुआ। नौवीं योजना में कोयले की मांग में एम.टी.ए. की वृद्धि के संशोधित लक्ष्य 4.6% की तुलना में प्रत्याशित वृद्धि 3.32% है। इसी प्रकार, एम.टी.ए. के संशोधित वृद्धि लक्ष्य 2.86% की तुलना में कोयला उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि 2.4% है। केप्टिव इलाकों से भी कोयला उत्पादन में परिकल्पित लक्ष्यों से गिरावट दर्ज की गई है।

58. नायवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) से लिग्नाइट का उत्पादन नौवीं योजना के लक्ष्य से मुख्य चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण नीचे रहा तथा लिग्नाइट उत्पादन में अभिकल्पित 4.90% की तुलना में 0.17% की वृद्धि दर्ज की।

59. वर्तमान में कोयला खनन में निजी क्षेत्र को केप्टिव उपभोग तक की अनुमति है। इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए, नौवीं योजना में वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति देने का प्रस्ताव था। तथापि, वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने वाला विधेयक पारित नहीं हुआ है। साथ ही सी.आई.एल. के धारक कम्पनी ढांचे की समाप्ति सहित उसकी प्रस्तावित पुनर्गठना तथा प्रतियोगिता लाने के लिए अलग-अलग सहायक कोयला कम्पनियों को स्वायत्तता दिए जाने का काम नहीं हो सका है। कोयले के मूल्यों का पूरी तरह से नियंत्रण हटाया गया। घाटे वाली कोयला कम्पनियों में मानव शक्ति के युक्तिकरण के लिए वी.आर.एस. लागू किया गया है। तथापि, घाटा उठाने वाली कम्पनियों का पुनरुद्धार नहीं हो सका है।

60. नौवीं योजना के प्रत्याशित संचयी व्यय योजना परिव्यय का लगभग 74% है। व्यय में कमी के मुख्य कारणों में आई.आर. उत्पादन में कमी है तथा सुस्त मांग के चलते परिकल्पित नई परियोजनाओं को हाथ में न लेना तथा सिंगरैनी कोलरीज़ के मामले में आवश्यक पूंजी में ओ.बी. हटाने के ऑफ लोडिंग के कारण कटौती तथा एच.ई.एम.एम. की विभागीय रूप से अधिप्राप्ति एवं एन.एल.सी. में मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी है।

वार्षिक योजना 2002-03

61. वार्षिक योजना 2002-03 दसवीं पंचवर्षीय योजना का 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि का पहला वर्ष है। तदनुसार, दसवीं योजना के ध्यातव्य क्षेत्रों तथा कार्यक्रमों से निम्नलिखित उभरता है:

कोयले की मांग

62. नौवीं योजना के समापन वर्ष 2001-02 में कच्चे कोयले (वाशरी मिडलिंग्स के 4.93 मि.टन को छोड़कर) के 348.43 मि.टन के प्रत्याशित कोयला उठान/उपभोग की तुलना में दसवीं योजना के समापन वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित कोयला मांग 460.50 मि.टन (5.24 मि.टन मिडलिंग्स को छोड़कर) है। इसका अर्थ यह हुआ कि नौवीं योजना के दौरान 3.32% की प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में दसवीं योजना में कोयले की मांग में 5.74% की योगिक वार्षिक वृद्धि दर रही है। इस अनुमानित मांग में से 2006-07 में इस्पात क्षेत्र के लिए 25.59 मि.टन के गर्म धातु उत्पादन कार्यक्रम के लिए 37.21 मि.टन (8%) कोकिंग कोयले की है तथा 423.29 मि.टन (92%) गैर-कोकिंग कोयले की है। कुल अनुमानित मांग का लगभग 69 प्रतिशत कोयला बिजली सेक्टर की उपयोगिताओं के लिए है तथा इसमें कोयला आधारित उत्पादन क्षमता में 18308 मेगावाट की बिजली वृद्धि तथा 2006-07 में 452 बिलियन के डब्ल्यू.एच. का समग्र कोयला आधारित उत्पादन कार्यक्रम शामिल हैं। लगभग 5 प्रतिशत सीमेंट सेक्टर से संबंधित 153.50 मि.टन के सीमेंट उत्पादन कार्यक्रम के लिए है। लगभग 6% कोटिव विद्युत तथा शेष लगभग 12% अन्य सेक्टरों के लिए है।

63. वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 363.30 मि.टन कोयले की मांग (वाशरी मिडलिंग्स के 4.93 मि.टन को छोड़कर) मूल्यांकित की गई है। इसमें कोयले पर आधारित धर्मल उत्पादन कार्यक्रम के 353.52 बी.यू. के लिए विद्युत सेक्टर (वाशरी मिडलिंग्स के 3.3 मि.टन को छोड़कर) के निमित्त 249.50 सम्मिलित हैं तथा वर्ष 2002-03 में 960 मेगावाट की कोयला आधारित वर्द्धमान उत्पादन क्षमता सम्मिलित है। इस्पात सेक्टर की मांग के लिए 34.40 मि.टन के कच्चे कोयले के समरूप वर्ष 2002-03 में गर्म धातु उत्पादन के 24.31 मि.टन का मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 2002-03 में 121 मि.टन के लक्षित सीमेंट उत्पादन के लिए सीमेंट सेक्टर के लिए कायले की मांग 17.10 मि.टन पर निर्धारित की गई है। कोयले की मांग/उठान के विवरण तालिका 7.1.13 में दिए गए हैं।

कोयला उत्पादन

64. 2001-02 में 325.65 मि.टन प्रत्याशित कोयला उत्पादन की तुलना में दसवीं योजना के अंतिम वर्ष 2006-07 में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 405 मि.टन रखा गया है जो नौवीं योजना में प्रत्याशित 2.4% की तुलना में दसवीं योजना में 4.46% की वार्षिक योगिक वृद्धि दर्शाता है। इसमें सी.आई.एल. की कोयला खदानों में से 350 मि.टन एस.सी.सी.एल. से 36.13 मि.टन,

तालिका 7.1.13

क्षेत्रीय कोयला मांग/उत्पन्न

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	सेक्टर	नौवीं योजना				दसवीं योजना		
		2000-01	2001-02		% एसी जीआर	2002-03	2006-07	% एसी जीआर
		वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित		लक्ष्य	प्रक्षेपित	
	कॉकिंग कोल							
1.	स्टील	28.76	32.21	29.75		32.90	35.32	
2.	कोक भट्टियां	0.50	1.91	0.66		1.50	1.89	
	उप जोड़ कुकिंग	29.26	34.12	30.14	-2.77	34.40	37.21	4.12
	नॉन कुकिंग							
3.	विद्युत उप.	237.03	241.54	241.19	3.92	249.50	317.14	5.63
		(2.49)	(2.78)	(3.27)		(3.27)	(3.74)	
4.	सीमेन्ट	14.68	17.00	15.00	5.75	17.10	24.56	10.36
5.	स्टील डी.आर.	3.72	3.48	5.16	21.36	4.00	7.00	6.29
6.	रेलवे	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	उर्वरक	3.18	3.50	3.10	-6.68	3.50	4.18	6.16
8.	एलटीसी/सोफ्ट कोकरिज़/कोक	-	-	*	-	-	0.20	
9.	भट्टियां (एन.एल.डब्ल्यू.)	1.40	1.40	*	-	-	1.50	
10.	निर्यात	0.04	0.07	0.02	-	0.05	0.10	
11.	कैप्टिव पावर	16.03	21.11	18.39	3.75	21.15	28.28	8.97
		(1.28)	(1.35)	(1.45)		(1.55)	(1.40)	
12.	बी.आर.के. तथा अन्य	33.00	29.56	33.00	5.55	31.10	37.85	2.78
		(0.77)	(0.70)	(0.22)		(0.11)	(0.10)	
13.	कोलि. उपभोग	2.19	2.50	2.17	-8.54	2.50	2.50	2.87
	उप योग नॉन कुकिंग	311.28	320.17	318.03	4.04	328.90	423.29	8.88
		(4.53)	(4.83)	(4.83)		(4.83)	(5.24)	
	कुल योग	349.54	354.29	348.44	3.32	363.30	460.60	5.74
		(4.53)	(4.83)	(4.83)		(4.83)	(5.24)	

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें वास्तविक हैं तथा इन्हें योग में सम्मिलित नहीं किया गया है।

2. * बी.आर.के. एवं अन्यो में सम्मिलित

टिस्को से 5.24 मि.टन, इस्को, डी.वी.सी., बी.एस.एम.डी.सी.एल. आदि जैसी अन्य स.क्षे.उ. से 2.4 मि.टन, केटिव ब्लाक धारकों से 6.73 मि.टन तथा मेघालय राज्य के निजी क्षेत्र से 4.5 मि.टन शामिल हैं। नौवीं योजना में 39.56 मि.टन की तुलना में दसवीं योजना में संवर्द्धित कोयला उत्पादन 79.35 मि.टन है। इसमें सी.आई.एल. से 71 मि.टन, एस.सी.सी.एल. से 5.13 मि.टन तथा अन्य से 3.22 मि.टन शामिल है। सी.आई.एल. से 71 मि.टन के संवर्द्धित उत्पादन में एस.ई.सी.एल. से मुख्य संवर्द्धित अंशदान 21.55 मि.टन, एम.सी.एल. - 21.5 मि.टन, एन.सी.एल. 8.5 मि.टन तथा सी.सी.एल. - 10.3 मि.टन शामिल है।

65. 2001-02 के 325.65 मि.टन प्रत्याशित कोयला उत्पादन की तुलना में वर्ष 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 335.70 मि.टन रखा गया है। कम्पनी-वार कोयला उत्पादन के बारे तालिका 7.1.14 में दिए गए हैं।

तालिका - 7.1.14

कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कम्पनी	नौवीं योजना				दसवीं योजना		
	2000-01	2001-02		% एसी जीआर	2002-03 लक्ष्य	2006-07 प्रक्षेपित लक्ष्य	% एसी जीआर
	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित				
ई.सी.एल.	28.03	28.50	28.50	-0.79	29.00	31.00	1.70
बी.सी.सी.एल.	25.97	30.00	27.50	0.27	28.00	33.00	3.71
सी.सी.एल.	31.75	36.00	33.00	0.50	34.25	43.30	5.58
एन.सी.एल.	41.40	41.50	43.50	3.28	44.00	52.00	3.63
डब्ल्यू.सी.एल.	35.20	35.00	36.50	3.17	37.00	37.50	0.54
एस.ई.सी.एल.	60.33	63.00	63.00	2.64	65.25	84.55	6.06
एम.सी.एल.	44.80	44.50	46.50	4.47	48.00	68.00	7.90
एन.ई.सी.	0.66	0.50	0.50	-7.79	0.50	0.65	5.39
सी.आई.एल.	268.14	279.00	279.00	2.17	286.00	350.00	4.64
एस.सी.सी.एल.	30.27	32.38	31.00	1.53	32.50	36.13	3.11
टिस्को/इस्को/ डी.वी.सी.	7.33	7.60	7.55	2.33	7.60	7.64	0.24
केटिव	3.83	3.75	4.00		5.50	6.73	10.97
अन्य	4.07	उ.न.	4.10	5.02	4.10	4.50	1.88
योग	313.64	322.73	325.65	2.40	335.70	405.00	4.46

66. नौवीं योजना के दौरान परिकल्पित कोयला क्षमता वृद्धि का केवल 36% पूरा हुआ। सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. की नई परियोजनाओं से कोयला उत्पादन की 60 मि.टन के

कल्पित अंशदान की तुलना में नौवीं योजना के दौरान केवल 21.62 मि.टन की उत्पादन क्षमता वाली परियोजनाओं को (सी.आई.एल. ने 37 परियोजनाओं से 17.16 मि.टन क्षमता तथा एस.सी.सी.एल. ने 10 परियोजनाओं से 4.46 मि.टन क्षमता) संस्वीकृति दी गई है। क्षमता वृद्धि की धीमी दर से दसवीं योजना और उसके बाद भी कोयले की उपलब्धता के प्रभावित होने की सम्भावना है।

67. दसवीं योजना में सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. से परिकल्पित कोयले के कुल 386.13 मि.टन उत्पादन में से 83.12 मि.टन (सी.आई.एल. 79.11 मि.टन, एस.सी.सी.एल. 4.01 मि.टन) या लगभग 22% 115 नई परियोजनाओं से आना है। सी.आई.एल. - 98 परियोजनाओं के लिए कुल क्षमता 197.40 मि.टन तथा 23159.24 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी निवेश; एस.सी.सी.एल. - 4.13 मि.टन की क्षमता के लिए 17 परियोजनाएं तथा 2116.96 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश), जिन्हें दसवीं योजना के दौरान लिया जाना है। 2002-03 में नई परियोजनाओं में अंशदान सी.आई.एल. से 7.01 मि.टन तथा एस.सी.सी.एल. से 0.10 मि.टन है। जब तक ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती, घरेलू संसाधनों से आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन होगा तथा कोयला उत्पादन के इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोयला कम्पनियों की तत्परता पता लगाई जानी होगी। 2006-07 में 405 मि.टन के कुल लक्षित उत्पादन में केप्टिव ब्लाकों का अंशदान केवल 2% है। इसमें घरेलू संसाधनों से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट है। वर्गवार कोयला उत्पादन तालिका 7.1.15 में दिया गया है।

तालिका 7.1.15

वर्गवार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ग	सी.आई. एल.	एस.सी. सी.एल.	टिस्को/इस्को/ डी.वी.सी.	केप्टिव ब्लाक	मेघालय	योग
वर्तमान	25.50	3.87	7.55	4.00	4.10	45.02
पूरी हो गई	200.81	19.03	-	-	-	219.84
चालू	44.59	9.22	-	-	-	53.81
नई	79.11	4.01	0.09	2.73	0.40	86.34
योग	350.00	36.13	7.64	6.73	4.50	405.00

68. 2001-02 में सी.आई.एल. से 5.19 मि.टन प्रत्याशित धुले कोकिंग कोयला उत्पादन की तुलना में, 2006-07 में धुले कोकिंग कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 5.96 मि.टन तथा वार्षिक योजना 2002-03 का 5.38 मि.टन निर्धारित किया गया है। सभी कोकिंग कोयला वाशरियों के आधुनीकीकरण द्वारा घरेलू संसाधनों से धुले कोकिंग कोयले के गिरते उत्पादन को सुधारने तथा उन्हें बहु-उत्पाद वाशरियों में बदलने की अति आवश्यकता है जिससे कि वे बेहतर वित्तीय व्यवहार्यता के लिए इस्पात सेक्टर की कच्चे कोयला फीड और विशिष्टताओं के अनुरूप बन सकें।

69. इसी प्रकार, एम.ओ.ई.एफ. के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कई गैर-कोकिंग कोयले वाशरियों को दसवीं योजना में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

मांग आपूर्ति

70. 2006-07 में 460.50 मि.टन की कच्चे कोयले की अनुमानित मांग को 405.00 मि.टन घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा करना प्रस्तावित है जिसमें 55.50 मि.टन की कमी रह जाएगी। 24.18 मि.टन (कुल मांग का 5.4%) का आयात करने का प्रस्ताव है, जिसमें इस्पात सेक्टर के लिए 17.18 मि.टन कोकिंग कोयला, विद्युत सेक्टर के लिए 3.7 मि.टन गैर-कोकिंग कोयला तथा सीमेन्ट सेक्टर के लिए 3.3 मि.टन गैर-कोकिंग कोयला शामिल हैं जबकि 2001-02 में कुल सम्भावित आयात 19.6 मि.टन (मांग का 5.6%), (कोकिंग कोयला - 10.8 मि.टन, गैर-कोकिंग कोयला - 8.8 मि.टन) है। इतने पर भी 31.32 मि.टन की कमी रहेगी, जो निजी भागीदारी के साथ घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता पर बल देता है।

71. इसी प्रकार, 2002-03 के लिए कच्चे कोयले की 363.30 मि.टन की अनुमानित मांग को 335.70 मि.टन के घरेलू कोयला उत्पादन के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 27.60 मि.टन की कमी रह जाएगी। इस्पात के लिए 16.78 मि.टन कोकिंग कोयला तथा 6.33 मि.टन गैर-कोकिंग कोयला (विद्युत - 3.13 मि.टन; सीमेन्ट - 3.20 मि.टन) कुल 23.11 मि.टन आयात किए जाने का प्रस्ताव है किंतु अभी भी 4.49 मि.टन की कमी रहेगी। सी.आई.एल. से 0.40 मि.टन के स्टॉक परिसमापन को ध्यान में रखते हुए कमी लगभग 4 मि.टन की होगी।

उत्पादकता

72. व्यक्तियों तथा मशीनरी की समग्र उत्पादकता को सुधारने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) के क्रियान्वयन के माध्यम से मानवशक्ति का युक्तिकरण, अव्यवहार्य खानों को बंद करना, निवेश कार्यक्रमों के प्राथमिकता निर्धारण, पूंजी-प्रधान एच.ई.एम.एम. के उपयोग में सुधार आदि जैसे कई कदम नौवीं योजना के दौरान उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. में समग्र उत्पादकता, जो कि नौवीं योजना के आरम्भ में 1.86 टन (यू.जी. - 0.57 टन; ओ.सी. - 5.12 टन) तथा 1.34 टन (यू.जी. - 0.72 टन; ओ.सी. - 6.25 टन) पर स्थिर थी वह बढ़कर क्रमशः 2.44 टन (यू.जी. - 0.66 टन; ओ.सी. - 6.41 टन) तथा 1.55 टन (यू.जी. - 0.81 टन; ओ.सी. - 7.00 टन) हो गई है। प्रति व्यक्ति शिफ्ट (ओ.एम.एस.) उत्पादन में सुधार मूलतः ओ.सी. खानों में सुधारों का परिणाम है। यू.जी. उत्पादकता को आगे और सुधारे जाने की आवश्यकता है। एच.ई.एम.एम. के मामले में सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा पहले से निर्धारित मानकों की कोयला विभाग की एक समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

73. 2001-02 में सी.आई.एल. में प्रत्याशित समग्र ओ.एम.एस. के 2.44 टन (यू.जी. - 0.66 टन; ओ.सी. - 6.41 टन) की तुलना में 2006-07 में प्रक्षेपित ओ.एम.एस. 3.55 टन (यू.जी.

0.88 टन; ओ.सी. - 9.25 टन) है। 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए ओ.एम.एस. का लक्ष्य 2.58 टन (यू.जी. - 0.69 टन; ओ.सी. - 6.86 टन) है।

74. एस.सी.सी.एल. के मामले में प्रत्याशित समग्र ओ.एम.एस. के 1.55 टन (यू.जी. - 0.81 टन; ओ.सी. - 7.0 टन) की तुलना में 2006-07 का प्रक्षेपित ओ.एम.एस. 1.77 टन (यू.जी. - 0.94 टन; ओ.सी. - 7.31 टन) है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए ओ.एम.एस. का लक्ष्य 1.66 टन (यू.जी. - 0.84 टन; ओ.सी. - 7.98 टन) है।

75. कोयला कम्पनियों में उत्पादकता प्रचालनों के लिए क्षमता प्रयोग, निवेश आदि संचालनों के मानदण्डों का निर्धारण किया जाना महत्वपूर्ण है। प्रचालनों की स्वतंत्र लेखा परीक्षा, निवेश और संसाधनों की प्रमाणिकता से कोयला कम्पनियों को प्रतियोगात्मक बनाने के लिए संसाधनों के उत्पादनशील निवेश को समझने के लिए एक अपेक्षा माना गया था।

लिग्नाइट

76. एन.एल.सी. के लिए 2001-02 में 22 मि.टन के आरम्भिक कल्पित लिग्नाइट उत्पादन लक्ष्य की तुलना में डाउन स्ट्रीम यूनिटों की आवश्यकता को देखते हुए वार्षिक योजना 2001-02 का लक्ष्य 17.50 मि.टन रखा गया था। 2001-02 में एन.एल.सी. में प्रत्याशित लिग्नाइट उत्पादन 17.50 मि.टन है। एन.एल.सी. में 4.9% परिकल्पित वृद्धि की तुलना में नौवीं योजना में लिग्नाइट उत्पादन में वृद्धि केवल 0.17% थी। मुख्य रूप से यह चालू टी.पी.एस.-। विस्तार परियोजना, खान-। विस्तार परियोजना तथा खान-। क परियोजना के चालू होने में देरी के कारण था।

77. 2006-07 में देश में लिग्नाइट के लिए प्रक्षेपित मांग 57 79 मि.टन है जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए मांग 49.34 मि.टन (85.4%) तथा अन्य सेक्टरों के लिए 8.45 मि.टन (14.6%) है। इससे, एन.एल.सी. के लिए 2006-07 में उत्पादन लक्ष्य 27 मि.टन निर्धारित किया गया है।

78. 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए एन.एल.सी. से लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य 19.95 मि.टन है।

परियोजना कार्यान्वयन

79. भूमि अधिग्रहण, वानिकी संबंधी अनुमोदन, पुनर्वास, उपस्करों की आपूर्तियां, निधियों की उपलब्धता, अपर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन, अनुपयुक्त परियोजना निर्माण आदि कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन, कुछ परियोजनाओं की क्षमता को कर मुक्ति करने तथा कुछ को समय से पूर्व बंद करने में देरी का कारण बने हुए हैं। कोयला मंत्रालय के इस आशय के निर्णय ने भी कि केवल उन परियोजनाओं को लिया जाए जो 16% का अधिक आई.आर.आर. दे रहीं हो, कई तकनीकी व्यवहार्य कोयला परियोजनाओं को प्रभावित किया है। तथापि, कोयला विभाग ने नौवीं योजना के अंत में इस निर्णय की समीक्षा की है तथा बाधक आई.आर.आर. को 12% तक नीचे कर दिया है।

80. ऐसी परियोजनाओं के उदाहरण बार-बार देखने को मिलते हैं जो कि प्रारम्भिक न्यून विशिष्ट निवेशों के बल पर केवल इसलिए तैयार की जाती हैं कि बाद में उन्हें निर्धारित लागत और समय में होने वाली अतिशय वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया जाए। जबकि यह अपने आप में ही चिंता का कारण है, इससे भी अधिक चिंतनीय ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति है जिनमें तीसरे स्तर के संशोधन किए जाते हैं। जिनके फलस्वरूप बहुविध तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कारणों से उत्पादन के अनुपात अनिवार्यतः न्यून हो जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप यहां तक कि विशिष्ट निवेश लागतें भी उच्चतर हो जाती है। यह प्रवृत्ति ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के मामले में बराबर चरितार्थ होती है तथा उचित मूल्यांकन एवं सीमित संसाधनों के उपयोग में बाधा डालते हैं। यह कोयला कम्पनियों की परियोजना निर्माण परिपाटियों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता बताते हैं। कोयला कम्पनियों द्वारा कोयला परियोजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें भूमि के परिवर्तन एवं स्थानांतरण की समस्या की ओर उचित परिप्रेक्ष्य में ध्यान दें। इसी प्रकार राज्य सरकारों द्वारा पट्टे की मंजूरी/नवीकरण के पक्ष भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं जिससे कि नई परियोजनाओं में समय की देरी कम की जा सके। पर्यावरणीय तथा वानिकी अनुमोदनों के बारे में पहले यह मत था कि एक एकल खिड़की प्रणाली के साथ विशिष्ट समय सीमा होना आवश्यक है। तथापि, इस बारे में कोई सुधार नहीं है तथा नई परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अनावश्यक समय लेना जारी है। आगे, राज्य सरकारों द्वारा वन भूमि के लिए रूप्रत्याशित मूल्य= लेना परियोजना कार्यान्वयन में रूकावट बन रहा है तथा कोयला कम्पनियों को इस बारे में बड़ी राशियां देनी पड़ती है जिससे परियोजनाओं की लागत बढ़ने के साथ वनीकरण की लागत ऊपर से और जुड़ जाती है।

कोयले तथा लिग्नाइट के भण्डार

81. नौवीं योजना के आरम्भ में, कोयला भण्डार मालसूची के 204.65 बि.टन (प्रमाणित - 72.73 बि.टन; संकेतित - 89.84 बि.टन; अनुमानित - 42.08 बि.टन) की तुलना में 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार कोयले के भण्डार 220.98 बि.टन प्रमाणित - 84.4 बि.टन (1.38%); संकेतित - 98.5 बि.टन (45%); अनुमानित - 38.00 बि.टन (17%) ट थे। 84.4 बि.टन के प्रमाणित कोयला भण्डारों में से अनुमानित निकासी योग्य भण्डार केवल 17.96 बि.टन (21%) है। इसी प्रकार, देश में 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार लिग्नाइट के भण्डार योजना के आरम्भ के दौरान 27.45 बि.टन की तुलना में 34.61 बि.टन अनुमानित है। कोयले के उपलब्ध भण्डारों को स्तरोन्नत करके प्रमाणित तथा निकासी योग्य भण्डार बनाए जाने की आवश्यकता है।

शून्य आधारित बजट निर्माण

82. कोयला विभाग के अंतर्गत सभी केंद्रीय स्कीमों की शून्य आधारित बजट तरीके के साथ यह जानने के लिए समीक्षा की गई कि क्या उन्हें दसवीं योजना में जारी रखने की आवश्यकता है, यदि है तो, क्या उनमें कोई परिशोधन तथा परिवर्तन किए जाने हैं, यह कार्य कोयला विभाग की सलाह से योजना आयोग में किया गया। तदनुसार, आर. एण्ड डी./एस. एण्ड टी., कोयला नियंत्रक संगठन, प्रोन्नायक गवेषणा, गैर सी.आई.एल. ब्लाकों में व्यापक गवेषणा, वी.आर.एस.

जैसी स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रखने की सहमति हुई। तथापि, पर्यावरणीय तरीके एवं धसान नियंत्रण (ई.एम.एम.सी.) तथा पुनर्वास, झरिया एवं रानीगंज कोयला खदानों में आग नियंत्रण तथा धसान स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रहने वाली ई.एम.एम.सी. नामक एक स्कीम के अंतर्गत विलय कर दिया है तथा सू.प्रौ. की स्कीम को योजना स्कीमों में से निकाल लिया है।

संवर्धनात्मक गवेषणा

83. कोयला तथा लिग्नाइट में क्षेत्रीय गवेषणा तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद कोयले की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भण्डारों के परियोजनाकरण की गति में तेजी लाने के लिए तथा इसके योजना आयोग द्वारा 1989-90 में कोयला विभाग के बजट के अंतर्गत रूक्षेत्रीय/संवर्धनात्मक गवेषणा- नामक एक योजना स्कीम के अधीन एक निधि की स्थापना की गई।

84. नौवीं योजना में संवर्धनात्मक गवेषणा के लिए ड्रिलिंग के 7.75 लाख मीटर के लक्ष्य की तुलना में प्रत्याशित संचयी उपलब्धि 6.59 लाख मीटर थी एवं 24 बि.टन कोयला भण्डारों तथा 25.44 बि.टन लिग्नाइट भण्डारों की स्थापना की गई। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए संवर्धनात्मक गवेषणा के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,55,000 मीटर था। इसकी तुलना में प्रत्याशित उपलब्धि 1,20,300 मीटर है।

85. दसवीं योजना के दौरान संवर्धनात्मक गवेषणा के लिए, कोयले के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 3.3 लाख मीटर तथा लिग्नाइट के लिए 2.7 लाख मीटर ३ दोनों के लिए 6.0 लाख मीटर रखा गया है। दसवीं योजना के दौरान, कोयले के लिए लगभग 994 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर किया जाएगा तथा कोयले का 6.68 बि.टन का भण्डार स्थापित किए जाने की योजना है। यह कार्य जी.एस.आई., सी.एम.पी.डी.आई. तथा एम.ई.सी.एल. द्वारा कोयला विभाग के वित्तपोषण से किया जाएगा। ड्रिलिंग कार्य के अतिरिक्त, संवर्धनात्मक गवेषणा के अंतर्गत भावी निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न गवेषणा एजेंसियों द्वारा निर्मित किए गए डाटा को समेकित करने के लिए कोयले तथा लिग्नाइट का डाटाबेस सृजित करने की एक स्कीम प्रस्तावित है। इसी प्रकार, कोयला बैड मीथेन (सी.बी.एम.) के अध्ययनों के लिए संवर्धनात्मक गवेषणा कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिल किए गए बोरहोल्स से सी.बी.एम. पर विशोषण डाटा के एकत्रीकरण के लिए भी प्रस्ताव है।

86. वार्षिक योजना 2002-03 के लिए संवर्धनात्मक गवेषणा के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,20,300 मीटर रखा गया है।

गैर-सी.आई.एल. ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

87. यह स्कीम नौवीं योजना में बजटीय सहायता के माध्यम से निजी उद्यमियों को खनन ब्लॉकों के आबंटन तथा कोयला खनन संचालनों के बीच समय अंतराल को कम करने के लिए ली गई

थी ताकि कोयले की मांग तथा उपलब्धता के बीच अंतर कम किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान, ड्रिलिंग के लिए 3.63 लाख मीटरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में, प्रत्याशित उपलब्धि 2.76 लाख मीटर है तथा 1.99 बि.टन के कोयला भण्डारों को स्थापित किए जाने की सम्भावना है। इस स्कीम के अंतर्गत वार्षिक योजना 2001-02 के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 1.49 लाख मीटर था, जिसे प्राप्त किए जाने की सम्भावना है।

88. दसवीं योजना के लिए, गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए 2.13 लाख मीटरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके फलस्वरूप 3.58 बि.टन कोयले के भण्डार प्राप्त होंगे। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 0.42 लाख मीटर निर्धारित किया गया है।

बिज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (अनु. एवं वि.)

89. कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम ने महत्व ग्रहण किया है। यह कार्यक्रम 1975 में आरम्भ किया गया था। कोयला विभाग के अंतर्गत सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्थायी समिति (एस.एस.आर.सी.) स्थापित की गई थी तथा इसके सदस्य अन्य सरकारी विभागों तथा उद्योगों से लिए गए थे। एस.एस.आर.सी. की सहायता के लिए चार उप-समितियां हैं जिनके नाम हैं १ उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा, कोयला परिष्करण, कोयला उपयोगिता, तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी।

90. यद्यपि, अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) नौवीं योजना में एक लक्षित क्षेत्र रहा है, कोयला सेक्टर के एस. एण्ड डी. में अधिक प्रगति नहीं हुई है। परिणामस्वरूप उपलब्ध कराए गए परिय्य एक बड़ी सीमा तक बिना प्रयोग में लाए ही रह गए तथा संचयी उपयोग केवल 26% है। यद्यपि, अन्य के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं नामतः यू.एन.डी.पी. एण्ड जी.ई.एफ. के सहयोग के अंतर्गत कोल बैड मीथेन उत्खनन तथा लो वोलेटाइल मीडियम कोकिंग कोयला की वाशिंग को कोयला क्षेत्र एस. एण्ड डी. अनुदानों के अंतर्गत निदर्शन के लिए लिया गया है।

91. नौवीं योजना में तीनमुखी दृष्टिकोण अपनाया गया अर्थात (i) एस.एस.आर.सी. के अंतर्गत कोयला एस. एण्ड डी. कार्यक्रम जारी रखना (ii) कोयला कम्पनियों के साथ गृह आर. एण्ड डी. कार्यक्रम तथा (iii) अन्तर क्षेत्रीय अनुसंधान - प्रौद्योगिकी परामर्श समिति (आई.एस-एस.टी.ए.सी.), दसवीं योजना में भी जारी रहेगी। कोयला एस. एण्ड डी. कार्यक्रम के लिए लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य चिह्नित मामले हैं - कोयला गैसीकरण, कोयला वाशिंग, लो वोलेटाइल कोकिंग कोयले का परिष्करण (एल.वी.एम.सी.), कोयला द्रवीकरण, फ्लूडाइज्ड बैड कम्बसचन, ग्रीन हाउस गैस के नियंत्रण में सी.ओ₂ का सिक्वैस्ट्रेशन तथा सी.बी.एम. का अवशोषण आदि। कोयला विभाग को एस. एण्ड डी. के अंतर्गत लक्षित क्षेत्र से मेल खाती नई स्कीमों को चिह्नित करना तथा बनाना पड़ेगा।

पर्यावरणीय उपाय एवं धसान नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.)

92. यह स्कीम आठवीं योजना में रानीगंज तथा भरिया कोयला खदानों में धंसाव तथा आग से उठने वाली समस्याओं के समाधान तथा उत्खनन किए क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों के सुधार के लिए लागू की गई थी। तथापि, उपलब्ध कराए गए परिव्ययों का प्रयोग केवल 43 प्रतिशत है। कोयला विभाग को ई.एम.एस.सी. के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान उठाई जाने वाली नई स्कीमों को चिह्नित करना होगा।

झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पुनर्वास, आग तथा धंसाव की रोकथाम

93. उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, कोयला विभाग ने नौवीं योजना में इस स्कीम को मास्टर प्लान के एक अंग के रूप में ई.सी.एल. (रानीगंज कोयला क्षेत्र) तथा बी.सी.सी.एल. (झरिया कोयला क्षेत्रों) में असुरक्षित क्षेत्रों से लोगों के हटाए जाने की तात्कालिता पर विचार करते हुए तैयार किया है। उपलब्ध कराए गए परिव्ययों का प्रयोग लगभग केवल 17% है। इस स्कीम को 2002-03 से आगे ई.एम.एस.सी. के साथ विलय कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

94. यह स्कीम कोयला विभाग में 1999-2000 में सूचना प्रौद्योगिकी के शीर्ष के अंतर्गत लागू की गई थी जो सूचना प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं उत्तरदायित्वों को वहन कर सकने की दृष्टि से विभाग की प्रणाली सूचना संबंधी आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए है। इस सूचना प्रौद्योगिकी योजना में, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और अनुरक्षण विभाग के अन्दर तथा कोयला विभाग की संघटक इकाइयों के बीच संयोज्यता परिकल्पित है। इस स्कीम की अनुमानित लागत 1.94 करोड़ रुपए है। इस स्कीम को पांच वर्षों में चरणबद्ध किया गया है। शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया के बाद इसे 2002-03 से योजना स्कीमों से बाहर कर दिया गया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.)

95. यह स्कीम नौवीं योजना में शुरू से एन.आर.एफ. के माध्यम से बाद में बजटीय सहायता के समर्थन से निधियां उपलब्ध कराके जनशक्ति के युक्तियुक्तकरण द्वारा घाटे में चलने वाली कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। आरम्भ में यह ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. में शुरू की गई थी जिसे बाद में सी.सी.एल. में विस्तारित किया गया। कुल मिलाकर 44,400 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई (ई.सी.एल. - 19200; बी.सी.सी.एल. - 19200; सी.सी.एल. - 6000)। नौवीं योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 37,380 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (85%) की आशा है।

96. 2001-02 में 11,500 व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के लक्ष्य की तुलना में (ई.सी.एल. - 4500, बी.सी.सी.एल. - 4500; सी.सी.एल. - 2500), प्रत्याशित उपलब्धि 10850 (ई.सी.एल. - 4350;

बी.सी.सी.एल. - 3600; सी.सी.एल. - 2900) है। दसवीं योजना का लक्ष्य 15,500 व्यक्तियों (ई.सी.एल. - 4000; बी.सी.सी.एल. - 9000; सी.सी.एल. - 2500) को सेवानिवृत्त करना है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 7,485 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (ई.सी.एल. - 3125; बी.सी.सी.एल. - 3635; सी.सी.एल. - 725) निर्धारित है।

मॉनिटरिंग प्रक्रिया

97. कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं एवं मॉनिटरिंग केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों की सामयिक एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मंत्रालय में आयोजित की जाने वाली त्रैमासिक कार्य निष्पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर.) बैठकों के अतिरिक्त योजना आयोग में त्रैमासिक कार्य निष्पादन समीक्षा बैठकें शुरू की गई हैं।

नीतिगत उपाय

98. नौवीं योजना के दौरान, सरकार ने रूएकीकृत कोयला नीति पर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया। कोयले के मूल्यों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है तथा निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक कोयला उत्पादन की अनुमति के लिए विधेयक संसद के सामने प्रस्तुत है। तथापि, स्वतंत्र संस्था की स्थापना, गवेषणा एवं उत्खनन के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन, विनियामक प्राधिकरण की स्थापना आदि से संबंधित अन्य सिफारिशों का कार्यान्वयन विधेयक के अनुमोदन पर आश्रित है।

99. नौवीं योजना ने कोयला सेक्टर को कोयला उत्पादक स.क्षे.उ. के पुनर्संरचना के द्वारा प्रतियोगितात्मक बनाने पर बल दिया। कोयल उत्पादक स.क्षे.उ. को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने तथा धारक कम्पनी ढांचे को समाप्त करने का प्रस्ताव था। नौवीं योजना के आरम्भ में तथा पुनः नौवीं योजना के दौरान सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. दोनों की पूंजीगत पुनर्संरचना की गई। कुछ कोयला स.क्षे. के उपक्रमों ने लाभ कमाना तथा सरकार को कर एवं लाभांश देना आरम्भ कर दिया है। यद्यपि, कुछ पैतृक जन्मजात रूग्ण कोयला कम्पनियां जैसे ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. का पुनरुद्धार नहीं हो सका तथा वर्तमान में बी.आई.एफ.आर. के सामने है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन कोयला कम्पनियों में मानवशक्ति के युक्तिकरण को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) लागू करके शुरू कर दिया गया है। कुछ समय से, सी.सी.एल. ने भी हानियां दिखानी आरम्भ कर दी तथा सी.सी.एल. में भी वी.आर.एस. को लागू कर दिया गया है। धारक कम्पनी ढांचे को समाप्त करने के प्रस्ताव को अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है। यद्यपि, कोयले के सभी ग्रेडों के मूल्यों को अनियंत्रित कर दिया गया है फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला अभी भी अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम के अंतर्गत आता है तथा कोयले का निजी पार्टियों द्वारा विक्रय की अनुमति नहीं है। लिग्नाइट पर रॉयल्टी दर संशोधित कर दिया गया है।

100. कोयले तथा विद्युत की बिक्री की देयताओं की विशाल बकाया राशियां कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है तथा देयताओं की परिकल्पित सुरक्षाकरण अभी

आरम्भ नहीं हुआ है। घरेलू कोयला, उच्च रेल भाड़े के कारण आयातित कोयले की तुलना में, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में अधिक महंगा पड़ रहा है। यह रेलवे द्वारा पारस्परिक सब्सिडी दिए जाने के कारण है। कोयले के लिए युक्तिसंगत रेल भाड़े की आवश्यकता है।

101. पहले से आरम्भ किए गए सुधारों को जारी रखते हुए उन्हें दसवीं योजना में गहन करने की आवश्यकता है। कोयला सेक्टर के उचित विकास के लिए ये काम महत्वपूर्ण हैं - गैर-कोस्टिव कोयल उत्खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए लम्बित कोयला विधेयक को तेजी से पारित करना सी.आई.एल. धारक कम्पनी को हटा कर कोयला स.क्षे. उपक्रमों की पुनर्रचना, तथा प्रतियोगिता प्रोत्साहन और कार्य निष्पादन सुधारने के लिए सी.आई.एल. की सहायक कोयला कम्पनियों को स्वतंत्र करना, विनिवेश, गवेषणा तथा दोहन दोनों के लिए कोयला ब्लकों के आबंटन के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाना, विनियामक प्राधिकरण/तंत्र बनाना, श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण सहित सभी अपेक्षित कानूनी संशोधन करना।

कोयला बैड मीथेन (सी.बी.एम.)

102. देश में कोयला बैड मीथेन वाणिज्यिक ऊर्जा के एक नए स्रोत के रूप में उभरकर आ रही है। देश में लगभग 850 बिलियन क्यूबिक मीटर सी.बी.एम. की सम्भाव्यता होने का अनुमान है। नौवीं योजना सी.बी.एम. की गवेषणा तथा दोहन पर बल दिया गया। सरकार ने सी.बी.एम. की गवेषणा तथा दोहन के लिए नीति का अनुमोदन जुलाई 1997 में किया था। इसके अनुसरण में, नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे तथा सी.बी.एम. सम्भाव्यता के दोहन के लिए ब्लाक प्रस्तुत किए गए थे। दसवीं योजना में स्वच्छ वाणिज्यिक ऊर्जा के एक घरेलू स्रोत की व्यापक सम्भावनाओं के चलते देश में सी.बी.एम. के विकास पर बल दिया जाता रहेगा। इसके अलावा सी.ओ₂ पृथक्करण को कोयला क्षेत्र में विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

सुरक्षा एवं कल्याण

103. नौवीं योजना के दौरान कोयला खानों में सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिह्नित किया गया तथा उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2001 के लिए सी.आई.एल. में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के पीछे 0.27 मृत्यु दर सूचित की गई है। इसमें बी.सी.सी.एल. में दुर्भाग्यपूर्ण बागडीगी सम्मिलित नहीं है जिसमें खान में पानी भर जाने के कारण 29 व्यक्ति मारे गए थे। इसी प्रकार, एस.सी.सी.एल. का वर्ष 2001 में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के पीछे 0.99 मृत्यु दर सूचित की गई है। दसवीं योजना के लिए कोयला खानों में कुछ मुख्य लक्षित क्षेत्र सुरक्षा के लिए चिह्नित किए गए हैं, वे हैं : (i) खानों में पर्यावरणीय टेली-मानिटियरिंग सिस्टम (ई.टी.एम.एस.) लगाना; (ii) निकटवर्ती खानों से पानी के खतरे की पहचान के लिए उत्खनन योजनाओं का क्षेत्र स्तर पर डिजिटिकरण, सहसम्बद्ध सर्वेक्षण की जांच तथा बैरीयर्स की मोटाई का अनुमान लगाना; (iii) लकड़ी के आधार को स्टील आधार में बदलना; (iv) बेहतर आत्मरक्षक; आदि।

104. सी.आई.एल. में गृह से संतुष्टि 75% तक के स्तर तक पहुंच गई है तथा एस.सी.सी.एल. में यह लगभग 50% है। 2001-02 तक सी.आई.एल. में जल आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत 23.24 लाख तथा एस.सी.सी.एल. में 6.5 लाख की कुल जनसंख्या को ले लिया गया है। सी.सी.एल. में 5965 बेडों के साथ 87 अस्पताल तथा एस.सी.सी.एल. में 1070 बेडों के 7 अस्पताल कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सी.आई.एल. में 436 औषधालय तथा एस.सी.सी.एल. में 43 औषधालय भी कार्य कर रही हैं। दसवीं योजना के दौरान, कोयला क्षेत्र में गृह संतुष्टि तथा जल आपूर्ति सुविधा से अतिरिक्त जनसंख्या को कवर करना परिकल्पित है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)

105. नौवीं योजना के दौरान ई.ए.पी. घटक प्राप्त करने वाली मुख्य परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं तथा कुछ अधिशेष राशि दसवीं योजना में जा रही है। 2001-02 में 66.52 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान प्रावधान की तुलना में वार्षिक योजना 2002-03 में सी.आई.एल. के कोयला क्षेत्र पर्यावरण एवं सामाजिक प्रशमन परियोजना को 15.48 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2002-03 में सी.आई.एल. के कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण का रु. 26.67 करोड़ रुपए की शेष घटक प्रदान किया गया है जबकि 2001-02 में भी 183.40 करोड़ का आर.ई. प्रावधान किया गया था।

योजना परिव्यय

106. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए, एन.एल.सी. (विद्युत) के लिए 538.84 करोड़ रुपए सहित 3977.15 करोड़ रुपए का परिव्यय कोयला विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इसकी तुलना में, 2001-02 में संशोधित अनुमानों के लिए एन.एल.सी. (विद्युत) के लिए 494.96 करोड़ रुपए सहित 3127.69 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके साथ, नौवीं योजना के दौरान संचयी व्यय 14387.72 करोड़ रुपए बनता है तथा यह कोयला विभाग के लिए नौवीं योजना में 19441.59 करोड़ रुपए के परिव्यय का लगभग 74% बनता है। मोटे तौर पर योजना व्यय में कमी इन कारणों से रही: परिकल्पित नई कोयला परियोजनाओं को शुरू न करना, एस.सी.सी.एल. द्वारा एच.ई.एम.एम. की विभागीय रूप से अधिप्रगति कर बजाय ओवरलोडिंग रिमूवल की ऑफलोडिंग के कारण पूंजीगत अपेक्षाओं में कमी; परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी आदि है।

107. 2001-02 के लिए 3127.69 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान प्रावधान की तुलना में कोयला विभाग की वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 3491.47 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस में एन.एल.सी. (विद्युत) का 292.72 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। 2002-03 के लिए परिव्यय को 3164.47 करोड़ रुपए के आई.ई.बी.आर., 15.48 करोड़ रुपए के ई.ए.पी. तथा 311.52 करोड़ रुपए के डी.बी.एस. के माध्यम से वित्तपोषित किए जाने की योजना है। बजटीय प्रावधान मुख्यतः कोयला विभाग के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) सहित केंद्रीय सेक्टर स्कीमों के लिए है। स.क्षे.उ. के लिए कोई डी.बी.एस. प्रावधान नहीं है। कम्पनीवार/स्कीमवार ब्यौरे तालिका 7.1.16 में दिए गए हैं।

तालिका 7.1.16

कम्पनीवार/स्कीमवार वित्तीय परिचय

(करोड़ रुपए)

कम्पनी/स्कीम	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 बजट अनुमान
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
कोल इंडिया लिमिटेड	1059.32	2309.90	1540.00	2190.00
सिंगरेनी कोलियरी कं.लि..	194.10	355.00	290.00	405.00
नेयवेली लिग्नाइट कोर्पोरेशन	591.53	449.97	401.81	292.23
विज्ञान व प्रौद्योगिकी	0.16	11.92	1.71	7.76
रीजनल/प्रोम. अन्वेषण	30.37	32.26	35.21	49.19
ई.एम.एस.सी.	10.00	12.17	5.41	34.65
गैर सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग	10.00	37.27	50.00	13.92
पुनर्वास परियोजना	0.50	7.24	8.04	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	0.33	0.39	0.55	0.00
वी.आर.एस.	140.03	156.99	300.00	206.00
कुल: कोल और लिग्नाइट	2036.34	3373.11	2632.73	3198.75
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (विद्युत)	469.49	538.84	494.96	292.72
एन.ई.सी.	57.14	65.20	*	*
योग: कोयला विभाग	2562.97	3977.15	3127.69	3491.47

नोट:- * एन.ई.सी. के लिए 2001-02 के संशोधित अनुमान में प्रावधान है और बजट अनुमान 2002-03 को वैयक्तिगत स्कीमों के प्रावधान में रखा गया है।

उभरती हुए समस्याएं/ध्यातव्य क्षेत्र

108. दसवीं योजना और उससे आगे की अवधि में कोयला क्षेत्र के उचित विकास के लिए वार्षिक योजना 2002-03/दसवीं योजना के दौरान निम्नलिखित समस्याओं/लक्षित क्षेत्रों को सुधारे जाने की आवश्यकता है।

- कोयला दोहन, उत्पादन, उसके उपयोग और संबद्ध प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करने के दृष्टिकोण से वाणिज्यिक कोयला खनन कार्य में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को सुकर बनाकर उसमें सुधार प्रक्रिया को जारी रखना।
- गैर कैप्टिव खनन कार्य में निजी क्षेत्र को अनुमति देने हेतु लम्बित कोयला खान (राष्ट्रीयकृत) संशोधन विधेयक को शीघ्रता से पारित कराना।

- प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने, हानि उठाने वाली कोयला कम्पनियों का जीर्णोद्धार करने, चयनित कोयला उत्पादक कम्पनियों को अधिक स्वायत्तता उपलब्ध कराने और बृहद धारक, कम्पनी सी.आई.एल. को समाप्त करके कोयला क्षेत्र की पुनः संरचना करना, इत्यादि।
- कोयला उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रारम्भ करने संबंधी पर्यवेक्षण करने, विवादों का निपटारा करने और खोज एवं दोहन हेतु दोनों कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
- कोयला खनन में कुछ क्रियाकलापों के निष्पादन को सरल बनाने के लिए संविदा श्रम (विनियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन।
- राज्य सरकारों के कोयला नियंत्रण संबंधी आदेशों सहित कोयला नियंत्रण आदेश 2000 को वापस लेने तथा उसके मुफ्त विक्रय की अनुमति देने के लिए कोयले को आवश्यकता सामग्री सूची से बाहर करना।
- कोयला ढोने संबंधी रेल भाड़ा दरों को युक्तियुक्त बनाना।
- क्षेत्र की प्रतियोगितात्मकता में सुधार लाने के लिए कोयले पर आयात शुल्क को युक्तियुक्त बनाना।
- कोयला क्षेत्र पी.एस.यू. की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए एस.ई.बी.जे. से विस्तृत कोयला देयताओं की द्रुत निकासी के लिए व्यवस्थित तंत्र बनाना।
- बिजली क्षेत्र की अनुमानित मांग को विशिष्टतः तथा अन्य उपयोग क्षेत्रों की मांगों को सामान्यतः पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।
- देश के ऊर्जा सुरक्षा तंत्र के संदर्भ में उसे प्रमाणित तथा पुनः प्राप्य श्रेणी में रखने के प्रयोजनार्थ कोयला भंडारों की खोज व उन्नयन का सघनीकरण।
- बिजली उत्पादन, कोयला आच्छादन मिथेन के विकास, सीओ₂ के दोहन, कोयला गैसीकरण, बिजली उत्पादन के आई.जी.सी.सी. व एफ.बी.सी. मार्ग और स्ल्लरी परिवहन आदि के विकास के लिए गैर कोकिंग कोयले के लाभार्थ - स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के संवर्धन तथा पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार लाना।
- आयात पर निर्भरता को कम करने के दृष्टिकोण से इस्पात क्षेत्र में घरेलू उत्पाद प्रतियोगिता उत्पन्न करने और बेहतर प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण सहित परिमार्जित कोकिंग कोयले का संवर्धन करना।
- कोयला संचलन के लिए बंदरगाह व रेल संरचना का विकास तथा सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला परिवहन के अन्य साधनों को संवर्धित करना।
- बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रयोजनों दोनों के लिए लिग्नाइट संसाधनों का द्रुत विकास और उनका उपयोग।
- अन्तर्गृह अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- उत्पादकता और क्षमता उपयोग में सुधार लाने की आवश्यकता।
- ग्रास कैलोरोफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) पर कोयले का मूल्य व श्रेणीकरण।

(III) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र

109. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय देश की कुछ प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लगभग 44.9% (36.0% तेल से

और 8.9% प्राकृतिक गैस से) की पूर्ति तेल और प्राकृतिक गैस से होती है। पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होने तथा वांछनीय भंडार उपलब्ध होने की दृष्टि से प्राकृतिक गैस एक ऐसे ईंधन के रूप में उभर रही है जिसे भविष्य में सर्वाधिक तरजीह दी जाएगी। विश्व में प्राकृतिक गैस का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है, तथापि भारत में प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई भागीदारी का कार्यक्षेत्र तब तक बहुत सीमित है, जब तक कि यहां गैस के विशाल भंडार न मिल जाएं अथवा प्राकृतिक गैस/ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का बड़े पैमाने पर आयात न किया जाए।

110. पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि और कच्चे तेल के उत्पादन में स्थिरता के कारण गत वर्षों से आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अतः तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है।

111. कच्चे तेल के बढ़ते हुए आयात, दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित एल.एन.जी. आयात, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मूल्य अस्थिरता तथा युद्ध आदि के कारण आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न होने से तेल की सुरक्षा संबंधी समस्या सामने आती है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के रणनीतिक भंडारण, तेल आयात का विविधिकरण तथा विदेशों में कच्चे तेल में निवेश के माध्यम से तेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।

112. नवीं योजना के दौरान मुख्यतः अर्थव्यवस्था में हासमान होने, सड़कों (पुलों व बाई-पासों के निर्माण सहित) में सुधार कार्य, ईंधन पर निर्भर वाहनों को चलाने, सेवा क्षेत्र विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) तथा जी.डी.पी. में ई-कॉमर्स की बढ़ती भागीदारी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों में लक्ष्यों की अपेक्षा कमी आई है।

नीतिगत पहल और किए गए प्रयास

113. नौवीं योजना में शुरू किए गए पेट्रोलियम क्षेत्र के उन सुधारों को जारी रखा गया जिनसे 1.4.2002 से प्रभावी ए.पी.एम. को नष्ट करने तथा परिवहन ईंधन के विपणन में नए खिलाड़ियों को उतारने का मार्ग सरल हुआ।

114. अर्थव्यवस्था में तेल क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, एम.एन.सी. से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपेक्षित शक्ति प्राप्त करने हेतु तेल क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को पुनः संरचना किए जाने की आवश्यकता है। पुनः संरचना किए जाने के बाद, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि लाने और शेयर धारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए योजना अवधि के दौरान चयनित तेल और गैस पी.एस.यू. में विनिवेश प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

115. वाहन संबंधी प्रदूषण को कम करने के लिए नौवीं योजना के दौरान सीसारहित व निम्न बेनजीन पेट्रोल तथा निम्न सल्फर डीजल ऑयल जैसे कई कदम उठाए गए हैं। भारत स्टेज II और III मानकों के उत्सर्जन मानकों से निपटने के लिए उत्पाद गुणवत्ता उन्नयन को आगे जारी रखा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, दसवीं योजना के दौरान, सल्फर ऑयल में सल्फर अंश को घटाने तथा पेट्रोल में ऐथनॉल मिश्रित संबंधी और कदम उठाए जाएंगे।

116. खोज संबंधी प्रयासों को और आगे बढ़ाने तथा हाइड्रोकार्बन भंडारों में और वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें नवीन खोज अनुज्ञा नीति (एन.ई.एल.पी.) सहित भारत सरकार द्वारा घोषित नीलामी के विभिन्न चरणों द्वारा खोज कार्यक्रम में निजी व संयुक्त उद्यम कम्पनियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट प्रौद्योगिकी को शामिल करना, संवर्धित/ बेहतर तेल वसूली का क्रियान्वयन, वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास, नए क्षेत्रों की खोज और विकास शामिल हैं। एन.ई.एल.पी. ने उन निजी पक्षों को आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत खोज ब्लाकों के लिए बोली लगाते हैं।

117. एन.ई.एल.पी. (जनवरी, 1999) के पहले चक्र के अंतर्गत, 18 ब्लाकों को प्रस्तुत किया गया। इनमें से 25 ब्लाक दे दिए गए। भारत सरकार ने तभी से राष्ट्रीय और निजी तेल कम्पनियों के साथ 25 ब्लाकों में से 24 के लिए उत्पादन भागीदारिता संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। एन.ई.एल.पी. के दूसरे चक्र की घोषणा दिसम्बर 2000 में की गई, जबकि 25 ब्लाक प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 23 ब्लाक विभिन्न निजी और सार्वजनिक तेल कम्पनियों को दिए गए। एन.ई.एल.पी. के तीसरे चक्र की घोषणा मार्च, 2002 में की गई जिनमें 27 अर्थात् गहरे जल में 9, उथले जल में 7 और भूक्षेत्रों में 11 ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के लिए प्रस्तुत किए गए।

दसवीं योजना के लक्ष्य

118. दसवीं योजना के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य हैं:

- उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए ताकि यह वैश्विक आधार का भागीदार बने।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तेल कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा का सृजन।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र/कम्पनियों का बेंचमार्किंग।
- गहन समुद्रीय तट क्षेत्र सहित गैर उत्पादक व अग्रमुखी बेसिनों में व्यापक खोज कार्य करना।
- विदेशी खोज प्रति एकड़ औसत खोजे गए तेल/गैस क्षेत्रों का अभिग्रहण करना।
- विनियामक ढांचे की स्थापना करना।

ध्यातव्य क्षेत्र

119. उपरोक्त लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, दसवीं योजना के लिए निम्नांकित ध्यातव्य क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं:

- तेल सुरक्षा
- संरचनागत विकास
- कौशल सुधार
- पर्यावरण एवं गुणवत्ता सुधार
- पुनः संरचना/विनिवेश

वार्षिक योजना 2002-03

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उपभोग

120. वर्ष 2001-2002 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग वर्ष 2000-01 के किए गए 100.08 मिलियन टन के उपभोग के मुकाबले 100.43 मिलियन टन था। वर्ष 2002-2003 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 101.72 मिलियन टन आकलित की गई है जिससे उपभोग में पूर्व वर्ष की अपेक्षा लगभग 1.27% की प्रत्याशित वृद्धि होने का पता चलता है।

खोज एवं विकास ड्रिलिंग

121. 2000-01 के दौरान वास्तविक उपलब्धि, 2001-2002 के लक्ष्यों और प्रत्याशित लक्ष्यों, खोज और विकास ड्रिलिंग के संबंध में 2002-03 के लक्ष्यों को संलग्नक 7.1.9 में दर्शाया गया है। 2001-02 के लिए खोज ड्रिलिंग में उपलब्धि 451.95 हजार मीटर प्रत्याशित है जो कि गत वर्ष की उपलब्धि के बराबर है। वर्ष 2001-02 में विकास ड्रिलिंग के लिए उपलब्धि 384.97 हजार मीटर प्रत्याशित है। 2002-03 के लिए खोज और विकास ड्रिलिंग के लक्ष्य क्रमशः 476.81 हजार मीटर और 466.46 हजार मीटर रखे गए हैं।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

122. वर्ष 2001-02 के लिए सुयंक्त उद्यमों/निजी क्षेत्र की कम्पनियों के उत्पादन सहित कच्चे तेल का उत्पादन 32.50 एम.एम.टी. के लक्ष्य के मुकाबले 32.03 एम.एम.टी. था। 2002-03 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 33.08 एम.एम.टी. है जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 3.3% वृद्धि को प्रकट करता है। कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा संलग्नक 7.1.10 में है।

123. 2001-02 के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पादन 29.76 बी.सी.एम. के मुकाबले 29.69 बी.सी.एम. था। 2002-03 के लिए 31.37 बी.सी.एम. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो 2001-02 की अपेक्षा 5.7% की वृद्धि को इंगित करता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन का ब्यौरा संलग्नक 7.1.11 पर है।

शोधन क्षमता

124. चूंकि शोधन क्षेत्र को गैर लाइसेंसीकृत कर दिया गया है, इसलिए, परिशोधन क्षमता संयोजनों संबंधी भावी योजनाओं का सही-सही आकलन करना सम्भव नहीं है। दसवीं योजना के दौरान कुल परिशोधन क्षमता का कार्यान्वयन घरेलू मांग, शुल्क संरचना सहित उन दिभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा जिनसे आयात निर्यात सम्भावनाओं व परिशोधन पर प्रभाव पड़ेगा।

125. 1.4.2002 को परिशोधन क्षमता 1.4.2001 को 112.54 एम.एम.टी.पी.ए. के मुकाबले 116.07 मिलियन टन प्रति वर्ष थी जिससे 2.13 एम.एम.टी.पी.ए. की वृद्धि जाहिर होती है (संलग्नक 7.1.12)। परिशोधन क्षमता के 114.67 एम.एम.टी.पी.ए. (1.4.2002 के अनुसार) से

बढ़कर 1.4.2003 को 117.87 एम.एम.टी.पी.ए. हो जाने की संभावना है जो 3.13 मिलियन टन इजाफे को जाहिर करती है। यह इजाफा हल्दिया और बरौनी तेल शोधक कारखाने में परिशोधन क्षमता में विस्तारण के कारण हुआ है।

विनियामक तंत्र

126. पेट्रोलियम क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विधिक विनियामक की स्थापना की जाएगी।

पर्यावरण संबंधी विंताएं

127. इस समय भारत में उत्पाद गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाएं एशिया पैसेफिक और मध्य-पूर्व क्षेत्रों के अधिकांश देशों से मांगे हैं। भारत सरकार ने प्रमुख नगरों व अन्य संबंधित समस्याओं सहित देश के लिए वाहन ईंधन नीति (ऑटो फ्यूल पॉलिसी) की संस्तुति करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति ने 1.1.2002 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सरकार ने समिति की अंतरिम रिपोर्ट में निहित संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है।

128. सम्पूर्ण देश में भारत चरण-॥ वाहन प्रदूषण मानकों तथा अप्रैल 2005 से सात मेगा नगरों में यूरो-III समतुल्य प्रदूषण मानदंडों के अंगीकरण को सुग्राही बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता में और सुधार लाए जाने की आवश्यकता होगी। इस प्रयोजनार्थ, सल्फर अंश को और कम करने जैसे कदमों को समयबद्ध ढंग से उठाए जाने की आवश्यकता है।

129. तीन मार्गदर्शी परियोजनाओं जिनमें से दो महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश में है से प्राप्त सकारात्मक फीड बैक के आधार पर वर्ष 2002 के अंत तक पहले चरण में 8 चीनी उत्पादक राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ऐथनाल सम्मिश्रित पेट्रोल (5% गैसोहोल) को अध्यादेशात्मक रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शेष देश में यह कार्य दूसरे चरण में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीजल सम्मिश्रित ऐथनाल को बदलने और पेट्रोल सहित ऐथनाल के 10% सम्मिश्रण के प्रयोग की शुरूआत के लिए एक कार्यनीति तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय की एक कार्यबल तैयार किया गया है।

परिव्यय

130. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए वर्ष 2002-03 हेतु 17183.16 करोड़ (बी.ई.) रुपए का परिव्यय, तेल और गैस की खोज व उत्पादन के लिए 11366.26 करोड़ रुपए और परिशोधन व विपणन के लिए 5817.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 2000-01 (वास्तविक), 2001-02 (बी.ई. और आर.ई.) तथा 2002-03 (बी.ई.) के लिए कम्पनीवार परिव्यय संलग्नक 7.1.13 में दर्शाए गए हैं। क्षेत्र के योजना परिव्यय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक व बाह्य बजटीय संसाधनों से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना में, योजना निधियों के निम्न उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए नियमित अनुवीक्षण के माध्यम से परियोजना के लिए अनुमोदित लागत व समय-सूची पर पाबंद रहने के प्रयास किए जाएंगे ताकि परिव्ययों का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (उपयोगिता) में ऊर्जा उत्पादन

वर्ष	प्रकार	क्षेत्र					अखिल भारत	
		उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	उ. पूर्वी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-2001								
	हाइड्रो		29126	7072	30283	5809	2191	74481
	थर्मल	वास्तविक	108515	149408	93819	53436	2961	408139
	न्यूक्लियर		6616	5913	4399	-	-	16928
	योग		144257	162393	128501	59245	5152	499548
	हाइड्रो		31598	9326	32990	6703	2624	83241
	थर्मल	लक्ष्य	112775	165848	102144	54022	3567	438356
	न्यूक्लियर		8316	4842	4925	-	-	17903
	योग		152689	180016	140059	60725	6191	539500
2001-2002								
	हाइड्रो		29221	7777	27000	7840	2154	73992
	थर्मल	वास्तविक	113801	151024	98340	55739	3097	422001
	न्यूक्लियर		8001	6050	5227	-	-	19278
	योग		151023	164851	130567	63579	5251	515271
2002-2003								
	हाइड्रो		31248	9382	31329	7197	3658	82814
	थर्मल	लक्ष्य	118127	155073	110584	58330	3444	445558
	न्यूक्लियर		7280	5800	4100	-	-	17180
	योग		156655	170255	146013	65527	7102	545552

2001-02 वर्ष के दौरान थर्मल पावर संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर

क्रम. सं.	एस.ई.बी./संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
	राज्य क्षेत्र		
1	2	3	4
1	डी.वी.बी.	51.90	45.20
2	एच.पी.जी.सी	58.00	60.50
3	आर.आर.वी.यू.एन.एल	82.20	84.80
4	पी.एस.ई.बी.	73.80	79.20
5	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल	60.90	59.70
6	जी.ई.बी.	68.90	66.30
7	जी.एस.ई.सी.एल.	80.20	85.20
8	एम.एस.ई.बी.	73.40	74.50
9	एम.पी.ई.बी.	74.10	63.00
10	सी.एस.ई.बी.	67.30	71.30
11	ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.	83.00	86.30
12	टी.एन.ई.बी.	82.70	78.00
13	के.पी.सी.एल	86.10	81.10
14	बी.एस.ई.बी.	13.60	14.50
15	झारखंड	1.50	21.00
16	तेनुघाट वी	39.40	31.50
17	ओ.पी.जी.सी.	76.10	70.70
18	डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.		38.30
19	डब्ल्यू.बी.पी. डेव कॉ	52.40	51.70
20	डी. पी. एल.	41.60	31.40
21	ए.एस.ई.बी	23.40	16.80
औसत: एस.ई.बी. का		67.90	67.00
* बंदाल एवं सांतादही 1-7-2001 से डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी. को स्थानांतरण हो गए।			
केन्द्रीय क्षेत्र			
1	एस.टी.पी.एस.	77.70	80.10
1	बदरपुर	82.60	85.50
3	नायवेली	77.00	79.50
4	डी.वी.सी.	37.80	33.60
औसत : केन्द्रीय क्षेत्र		72.80	74.30

संलग्नक-7.1.2

क्रम. सं.	एस.ई.बी./संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
	राज्य क्षेत्र		
1	2	3	4
निजी सेक्टर (उपयोगिताएं)			
1	ए.ई. कं./साबरमती	82.30	82.30
2	द्राम्बे (टाटा)	66.30	72.00
3	सी.ई.एस.सी/टीटागढ़	72.60	69.00
4	बी.एस.ई.एस. कं.	84.00	86.50
औसत: निजी (उपयोगिताएं)		73.30	74.70
औसत: अखिल भारत		69.90	69.90

संलग्नक 7.1.3

वर्ष 2001-2002 के दौरान चालू/रोल की गई उत्पादन इकाइयां

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							कमता (मै.बा.)	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
1	प्रगति सी.सी.जी टी	जीटी-1	धर्मल	राज्य	दिल्ली	डी.वी.बी.	104.60	15.03.2002
2	अपर सिन्ध विस्तार	2	हाइड्रो	राज्य	जे.एण्ड के.	जेकेपीडीसी	35.00	29.03.2002
3	अपर सिन्ध -II	2	हाइड्रो	राज्य	जे.एण्ड के.	जेकेपीडीसी	35.00	11.09.2001
4	सेवा -III	1	हाइड्रो	राज्य	जे.एण्ड के.	जेकेपीडीसी	3.00	18.03.2002
5	सेवा -III	2	हाइड्रो	राज्य	जे.एण्ड के.	जेकेपीडीसी	3.00	18.03.2002
6	सेवा -III	3	हाइड्रो	राज्य	जे.एण्ड के.	जेकेपीडीसी	3.00	19.03.2002
7	सूरतगढ़ टीपीपीघरण-II	3	धर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	250.00	29.10.2001
8	सूरतगढ़ टीपीपीघरण-II	4	धर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	250.00	23.03.2002
9	मालना	1	हाइड्रो	निजी	एच.पी.	एम.पी.सी.ओ.	43.00	05.07.2001
10	मालना	2	हाइड्रो	निजी	एच.पी.	एम.पी.सी.ओ.	43.00	09.07.2001
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	79.00	86.00	165.00			
	धर्मल	0.00	604.60	0.00	604.60			
	न्युक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (उ. क्षेत्र)	0.00	683.60	86.00	769.60			
पश्चिमी क्षेत्र								
1	हाजीरा सी.सी.जी टी	1-3	धर्मल	राज्य	गुजरात	जीएसईएस लि.	156.10	1.11.01-31.03.02
2	बांसागर टानस घरण-3	2	हाइड्रो	राज्य	एम.पी.	एम.पी.ई.बी	20.00	25.08.2001
3	बांसागर टानस घरण-2	1	हाइड्रो	राज्य	एम.पी.	एम.पी.ई.बी	15.00	18.02.2002
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	35.00	0.00	35.00			
	धर्मल	0.00	156.10	0.00	156.10			
	न्युक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (प. क्षेत्र)	0.00	191.10	0.00	191.10			

वर्ष 2001-2002 के दौरान चालू/रोल की गई उत्पादन इकाइयां

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							अनला (बै. वा.)	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिणी क्षेत्र								
1.	सिमादरी टीपीएस	1	धर्मल	केन्द्रीय	आं.प्र.	एन.पी.सी	500.00	22.02.2002
2.	सिरीसेलम एलबीसी	2	हाइड्रो	राज्य	आं.प्र.	एपीजीईएनसीको	150.00	29.10.2001
3.	सिरीसेलम एलबीसी	3	हाइड्रो	राज्य	आं.प्र.	एपीजीईएनसीको	150.00	29.03.2002
4.	शेरावथी टेलरेस	2	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	के.पी.सी.एल	80.00	15.05.2001
5.	शेरावथी टेलरेस	3	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	के.पी.सी.एल	80.00	25.10.2001
6.	शेरावथी टेलरेस	4	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	के.पी.सी.एल	80.00	30.03.2002
7.	कोलपोंग	2	हाइड्रो	राज्य	अ.एवं नि	एनएचपीसी	2.60	24.07.2001
8.	कोलपोंग	3	हाइड्रो	राज्य	अ.एवं नि	एनएचपीसी	2.60	15.08.2001
9.	एलवीएस डीजीपीपी	डीजी 1-2	धर्मल	निजी	ए.पी.	एलवीएस पावर	36.80	18.10.2001
10.	पद्मपुरम सीसी जी टी	जी टी	धर्मल	निजी	ए.पी.	बीएसईएसएपीपी	142.00	26.01.2002
11.	तनीर बवी सीसीजीटी/ एस.टी	1 से 4	धर्मल	निजी	कर्नाटक	टीबीपीसीओ	220.00	08.05.2001
12.	पिल्लेपेरुमनाल्लूर							21.11.2002
	पीपीएन सीसीजीटी	एस.टी	धर्मल	निजी	टी.एन.	पीपीएन पावर	105.50	05.04.2001
13.	समयानुल्लूर डीजीपीपी	1 से 7	धर्मल	निजी	टी.एन.	बी पावर	106.00	22.10.2001
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
1.	हाइड्रो	0.00	485.20	0.00	485.20			
2.	धर्मल	500.00	0.00	610.30	1110.30			
3.	न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (द. क्षेत्र)	500.00	485.20	610.30	1595.50			
पूर्वी क्षेत्र								
1	जोजोबेरा टीपीएस	2	धर्मल	निजी	झारखंड	जेम. पावर	120.00	27.08.2001
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
1	हाइड्रो	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	धर्मल	0.00	0.00	120.00	120.00			
3	न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (पू. क्षेत्र)	0.00	0.00	120.00	120.00			

वर्ष 2001-2002 के दौरान चालु/रोल की गई उत्पादन इकाइयां

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	चालु/रोल की गई इकाइयां	
							क्षमता (मै.वा.)	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
1	रंगनादी	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	आं.प्र.	नीपको	135.00	14.01.2002
2	रंगनादी	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	आं.प्र.	नीपको	135.00	14.01.2002
3	रंगनादी	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	आं.प्र.	नीपको	135.00	21.03.2002
4	सिकिम-रो	2	हाइड्रो	राज्य	नागालैंड	विद्युत वि.	8.00	12.09.2001
5	सिकिम-रो	3	हाइड्रो	राज्य	नागालैंड	विद्युत वि.	8.00	12.09.2001
6	सियामिकहांग डीजी	1 से 3	धर्मल	राज्य	मणिपुर	विद्युत वि.	18.00	23,25, 27/03.02
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
1	हाइड्रो	405.00	18.00	0.00	421.00			
2	धर्मल	0.00	18.00	0.00	18.00			
3	न्युक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (पू. क्षेत्र)	405.00	34.00	0.00	439.00			
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	405.00	615.20	86.00	1106.20			
	धर्मल	500.00	778.70	730.30	2009.00			
	न्युक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (अखिल भारत)	905.00	1393.90	816.30	3115.20			

2001-2002 के कार्यक्रम से छूट गई उत्पादन इकाइयां

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नायवेली एफएसटी विस्तार	1	थर्मल	केन्द्रीय	तमिलनाडु	एनएलसी	210.00
2	टिहरी चरण-1	4	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00
3	प्रगति सीसीजीटी	2	थर्मल	राज्य	दिल्ली	डी वी बी	104.60
4	लीमाखोंग डी जी	4 से 6	थर्मल	राज्य	मणिपुर	विद्युत वि.	18.00
5	रोखिया जीटी एक्स चरण-II	7	थर्मल	राज्य	त्रिपुरा	विद्युत वि.	21.00
6	बनसागर टून्स चरण-III	3	हाइड्रो	राज्य	मध्य प्रदेश	एमपीईबी	20.00
7	श्रीशैलम एलबीपीएच	4	हाइड्रो	राज्य	आन्ध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	150.00
8	चनदील एलबीसी	1 से 2	हाइड्रो	राज्य	झारखंड	जेएसईबी	8.00
9	पोटरू चरण-I	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	3.00
10	पोटरू चरण-II	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	3.00
11	लिकिम-रो	1	हाइड्रो	राज्य	नागालैंड	विद्युत वि.	8.00
12	पहलगाम	1 से 2	हाइड्रो	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीडीसी	3.00
13	बम्बूफ्लैट डीजी	1 से 4	थर्मल	निजी	अ. एवं नि.	सूर्या पावर	20.00
14	पद्मपुरम सीसीजीटी	एसटी ब्लाक	थर्मल	निजी	आन्ध्र प्रदेश	बीएसईएस एपीपी	78.00
15	दाभोल सीसीजीटी चरण-II	I एवं II	थर्मल	निजी	महाराष्ट्र	दाभोल पावर	1444.00
	योग	25 इकाई					2340.60

वर्ष 2002-03 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन कर्ता एजेन्सी	इकाई क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
1	टिहरी चरण-I	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00	मार्च, 2003
2	प्रगति सीसीजीटी	जीटी-2	थर्मल	राज्य	दिल्ली	डी वी बी	104.60	मई, 2002
3	प्रगति सीसीजीटी	एसटी	थर्मल	राज्य	दिल्ली	डी वी बी	121.20	नवम्बर, 2002
4	रामगढ़ सी सी जी टी चरण-2	जीटी-2	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवी यूएनएल	37.50	जून, 2002
5	रामगढ़ सी सी जीटी चरण-II	एस टी	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवी यूएनएल	37.80	दिसम्बर, 2002
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	250.00	0.00	0.00	250.00		
		थर्मल	0.00	301.10	0.00	301.10		
		न्युक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (उ.क्षे.)	250.00	301.10	0.00	551.10		
पश्चिमी क्षेत्र								
1	बांसागर टांस पी चरण-III	2	हाइड्रो	राज्य	मध्य प्रदेश	एमपीईबी	20.00	अगस्त, 2002
2	बांसागर टांस पी चरण-III	3	हाइड्रो	राज्य	मध्य प्रदेश	एमपीईबी	15.00	अगस्त, 2002
3	दाभोल सी सी जीटी चरण-II	ब्लाक I-II	थर्मल	निजी	महाराष्ट्र	दाभोल 1पी सी 0	1444.00	अनिश्चित
4	अकरीमोत लिग्नाइट	1	थर्मल	राज्य	गुजरात	मैसर्ज जी एमडीसीएल	125.00	जनवरी, 2003
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0.00	35.00	0.00	35.00		
		थर्मल	0.00	125.00	1444.00	1569.00		
		न्युक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (प.क्षे.)	0.00	160.00	1444.00	1604.00		

वर्ष 2002-03 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी	इकाई क्षमता (मे.वा.)	शालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिणी क्षेत्र								
1	सिमाद्री टीपीएस	2	थर्मल	केन्द्रीय	ए.पी.	एनटीपीसी	500.00	दिसम्बर 2002
2	नायवेली एफ एस टी विस्तार	1	थर्मल	केन्द्रीय	टी.एन	एनएलसी	210.00	जून, 2002
3	नायवेली एफ एस टी विस्तार	2	थर्मल	केन्द्रीय	टी.एन	एनएलसी	210.00	दिसम्बर, 2002
4	सिरीसेलम एलबी पी एच	4	हाइड्रो	राज्य	ए.पी.	ए.पी.जी.ई. एन.सी.ओं	150.00	अक्तूबर, 2002
5	सिरीसेलम एलबी पी एच	5	हाइड्रो	राज्य	ए.पी.	ए.पी.जी.ई. एन.सी.ओं	150.00	फरवरी, 2003
6	रायचूर टी पी पी	7	थर्मल	राज्य	कर्ता	केपीसीएल	210.00	फरवरी, 2003
7	वलूथूर सीसीजी टी		थर्मल	राज्य	टी.एन	टी.एन.ई.बी	60.00	मई, 2002
8	वलूथूर सीसीजी टी	एस.टी.	थर्मल	राज्य	टी.एन	टी.एन.ई.बी	34.00	सितम्बर, 2002
9	पदापुरम सीसीजी टी	एस.टी.	थर्मल	निजी	ए.पी.	ए.एस. एल	78.00	जून, 2002
10	नायवेली जीरो इकाई		थर्मल	निजी	टी.एन	सीएमएस इलेको	250.00	सितम्बर, 2002
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0.00	300.00	0.00	300.00		
		थर्मल	920.00	304.00	328.00	1552.00		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (प.क्षे.)	920.00	604.00	328.00	1852.00		

वर्ष 2002-03 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी	इकाई क्षमता (मे.वा.)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र								
1	बंडील एलबीसी	1 2	हाइड्रो	राज्य	झारखंड	जेएसईबी	8.00	दिसम्बर, 2002
2	पोट्टरु घरण-रु	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	3.00	सितम्बर, 2002
3	पोट्टरु घरण-रु	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	3.00	सितम्बर 2002
4	बबूप्लेट डीजी	1 2	थर्मल	निजी	एनआईलेड	सूर्यपावर	10.00	मई, 2002
5	बबूप्लेट डीजी	3 4	थर्मल	निजी	एनआईलेड	सूर्यपावर	10 00	अक्टूबर, 2002
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0 00	14.00	0 00	14.00		
		थर्मल	0 00	0 00	20 00	20 00		
		न्यूक्लियर	0.00	0 00	0 00	0 00		
		योग (प.क्षे.)	0.00	14.00	20.00	34.00		
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
1	लिकिम-रो	3	हाइड्रो	राज्य	नागालैंड	विद्युत वि	8.00	जून, 2002
2	लीमाखोग डीजी	4 से 6	थर्मल	राज्य	मणिपुर	ईडी/बीएचईएल	18 00	अप्रैल, 2002
3	रोसिया जीटी घरण-रु	7	थर्मल	राज्य	त्रिपुरा	विद्युत वि	21 00	जून, 2002
4	बारामूरा जी टी विस्तार		थर्मल	राज्य	त्रिपुरा	ईडी/बीएचईएल	21 00	सितम्बर, 2002
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0 00	8 00	0 00	8 00		
		थर्मल	0 00	60 00	0 00	60 00		
		न्यूक्लियर	0 00	0 00	0 00	0 00		
		योग (प.क्षे.)	0.00	68.00	0.00	68.00		
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	250 00	357 00	0 00	607 00		
		थर्मल	920 00	790 10	1792 00	3502 10		
		न्यूक्लियर	0 00	0 00	0 00	0 00		
		योग अखिल भारत	1170.00	1147.10	1792.00	4109.10		

परिव्यय/व्यय - विद्युत क्षेत्र

क्रम सं. क.	राज्य / संघ राज्य	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 स. अनु.	2001-02 अनुमोदित	2001-02 स. अनु.	2002-03 अनुमोदित
1	आंध्र प्रदेश	858.25	797.06	986.63	2657.50	2330.32	2321.48	
2	अरुणाचल प्रदेश	84.04	71.43	78.41	85.28	86.39	89.96	
3	असम	113.12	83.81	64.38	92.84	126.63	126.63	
4	बिहार	49.10	122.96	129.00	39.95	60.58	60.58	
5	चंडीगढ़					8.57	8.57	
6	गोवा	18.16	24.01	34.07	30.00	33.00	33.00	
7	गुजरात	660.39	660.39	798.49	750.00	785.40	702.42	
8	हरियाणा	287.40	430.00	435.42	374.00	432.00	35.85	
9	हिमाचल प्रदेश	233.60	255.99	191.67	260.92	213.43	198.32	
10	जम्मू और कश्मीर	251.59	220.20	301.60	307.57	340.42	340.42	
11	झारखंड					150.00	150.00	
12	कर्नाटक	557.43	1080.52	1046.24	924.84	936.05	768.05	
13	केरल	523.20	645.00	558.46	504.64	499.00	410.00	
14	मध्य प्रदेश	738.99	700.85	751.39	262.71	344.52	326.91	अभी
15	महाराष्ट्र	1909.16	1738.19	1684.13	1767.35	1478.83	1478.83	अन्तिम
16	मणिपुर	50.18	36.00	53.13	34.50	41.61	18.11	रूप
17	मेघालय	7.10	20.64	12.50	30.43	60.31	65.76	दिया
18	मिजोरम	28.41	25.65	47.50	48.52	41.32	41.43	जाना
19	नागालैंड	15.54	15.00	14.48	15.57	39.47	44.00	है
20	उड़ीसा	153.20	424.35	255.73	538.86	855.58	448.80	
21	पंजाब	1132.13	1038.18	626.84	592.37	699.00	699.00	
22	राजस्थान	1494.43	792.23	763.63	1085.60	1277.56	1206.50	
23	सिक्किम	34.76	32.55	37.00	31.76	38.26	36.26	
24	तमिलनाडु	795.49	816.74	1033.61	1117.85	765.54	948.37	
25	त्रिपुरा	25.99	24.48	18.20	17.23	21.54	21.54	
26	उत्तर प्रदेश	1114.55	1095.15	1049.02	775.38	1054.34	728.83	
27	उत्तरांचल					88.60	88.60	
28	प. बंगाल	1026.99	1310.55	992.39	879.33	1541.70	1232.23	
	उपयोग राज्य	12160.20	12459.93	11964.32	13225.10	14349.97	12630.46	
ख.	संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान व निकोबार	23.98	26.41	29.24	36.00	30.50	30.50	
2.	चंडीगढ़	10.32	11.00	13.26	11.03	12.55	12.55	
3.	दादरा व नागर हवेली	7.19	9.17	11.00	13.15	14.94	14.94	
4.	दमन व दीव	4.76	8.29	13.55	13.90	14.25	14.25	
5.	दिल्ली	297.97	438.25	483.58	812.55	698.50	698.50	
6.	लक्षद्वीप	2.92	2.22	2.21	2.27	2.73	2.73	
7.	पांडिचेरी	44.95	46.66	21.22	20.88	22.86	27.69	
	उप योग (संघ राज्य क्षेत्र)	392.09	542.00	574.06	909.78	796.33	801.16	
	योग (राज्य व संघ राज्य क्षेत्र)	12552.29	13001.93	12538.38	14134.88	15146.30	13431.62	

संलग्नक 7.1.6 (जारी)

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 स. अनु.	2001-02 अनुमोदित	2001-02 स. अनु.	2002-03 अनुमोदित
अनुमोदित								
ग.	विद्युत मंत्रालय							
1.	एनटीपीसी	1685.69	2111.15	1844.41	1921.10	3006.00	2903.94	3506.00
2.	एनएचपीसी	506.47	506.45	1006.03	1176.86	1909.79	1846.12	2925.89
3.	पावरग्रिड	1583.50	1301.09	1500.52	1576.47	2869.00	2451.00	3312.00
4.	डी वी सी	166.97	99.73	97.59	64.12	284.00	110.48	840.66
5.	टीएचडीसी	321.91	203.73	337.68	476.92	1228.17	498.00	1139.80
6.	एनजेपीसी	770.60	878.45	753.76	681.15	894.00	1100.13	653.00
7.	एनईईपीसीओं	167.18	191.57	231.23	80.13	211.72	183.05	375.76
8.	पीएफसी	716.77	1322.36	1333.00	0.47	0.00	0.00	0.00
9.	आरईसी	30.00	75.00	184.83	91.83	37.00	37.00	0.00
10.	पीटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00
11.	विद्युत मंत्रालय (विविध)	110.63	488.09	410.29	484.86	575.85	795.73	728.89
	उपयोग(वि.मं.)	6059.72	7177.62	7699.34	6553.91	11065.53	9925.45	13483.00
	डीएई (पावर)	747.27	854.66	958.54	908.11	1242.00	1422.00	1716.00
	एनएलसी(पावर)	37.00	124.80	131.16	469.49	538.84	292.85	292.72
	केन्द्रीय योग क्षेत्र	6843.99	8157.08	8789.04 (वास्तविक)	7931.51 (वास्तविक)	12846.37	11640.30	15491.72
	अखिल भारत	19396.28	21159.01	21327.42	22066.39	27992.67	25071.92	उपलब्ध नहीं
	एनसीई.		163.00	209.50	328.62	154.31	228.89	57.50

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों (सीएसएस) के संबंध में जिन आधारित बजट प्रयोगट

क्रम सं.	स्कीम का नाम	9वीं योजना		विदेशी	मंत्रालय/विभाग द्वारा		योजना आयोग के निर्णय
		परिचय (रु. करोड)	प्रत्या. व्यय (रु. करोड)		सहायता (हां या नहीं)	सिफारिश	
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों							
1	सैन्दूर पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सी.पी.आर.ई)	100.00	68.52	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	बातू रखी जाए
2	ऊर्जा संरक्षण / ईएमसी	52.00	21.66	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	बातू रखी जाए
3	कुटीर ज्योति प्रोग्राम	200.00	262.68	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	बातू रखी जाए
4	नेशनल पावर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (एनपीटीआई)	38.00	17.09	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 18 तथा 19 पर स्कीमों के साथ सम्मेलन कर दिया जाए
5	पावर ग्रिड अनुदान	2.00	40.00	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	जारी रखा जाए
6	संयुक्त बिजली नियामक आयोग	2.84	0.50	नहीं	परिशोधन के साथ रखा जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
7	बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीटीपीपी	100.00	54.13	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
8	फलैक्सीबल एसी ट्रांसमिशन	0.00	0.00	नहीं	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
9	टीपीएस के बेहतर कार्य निष्पादन/टीएण्ड डी हानियों में कमी पर प्रोत्साहन	22.00	29.95	नहीं	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
10	पावर फाइनेंस कारपोरेशन राज सहायता	1233.00	1284.21	नहीं	परिशोधनों के साथ जारी रखा जाए	अभी कोई निर्णय नहीं	छटाई कर दी जाए
11	सरदार सरोवर प्रोजेक्ट	120.00	144.87	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	अभी कोई निर्णय नहीं	छटाई कर दी जाए
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण							
12	साफ्टवेयर पैकजों की खरीद	2.93	2.01	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	(क्रम सं. 12 तथा 13 पर दी गई स्कीमों का विलय कर दिया जाए)
13	के.वि.प्र. एवं प्रोद्योगिकी सुधार	6.24	2.52	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 12 के साथ विलय कर दी जाए	
14	क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को मजबूत बनाना	14.18	5.74	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	

संलग्नक 7.1.7 (जारी)

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों (सीएसएस) के संबंध में जिनसे आधारित बजट प्रयोगट

क्रम सं.	स्कीम का नाम	9वीं योजना		विदेशी	मंत्रालय/विभाग द्वारा		योजना आयोग के निर्णय
		बनियम (क. करोड)	प्रस्ता. व्यय (क. करोड)		सहायता (हां या नहीं)	सिफारिशें	
15	एक्सलरेटिंग पावर जनरेशन पेजर स्कीम	0.72	0.51	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 15 से 17 को विलय कर दिया जाए।
16	प्रोजेक्ट मेन्टीनेंस मॉनिटरिंग ऑफ धमल पावर स्टेशन	0.61	0.16	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 15 के साथ विलय किया जाए	
17	धमल पावर स्टेशनो का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	8.89	8.95	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 15 के साथ विलय किया जाए	
18	पावर सिस्टम ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्टेज 3 बी 24 ई-11	5.22	5.11	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 4 पर विद्युत मंत्रालय की एन.टी.टी. आई. के साथ विलय किया जाए	क्रम सं. 18 तथा 19 पर स्कीमों को क्रम सं. 4 की स्कीम के साथ विलय किया जाए।
19	हॉट लाइन ट्रेनिंग सेंटर स्टेज-11	5.66	4.12	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 4 पर विद्युत मंत्रालय की एन.टी.टी. आई. के साथ विलय किया जाए	
20	एनर्जी आडिट एण्ड स्टडीज फॉर रिडक्शन ऑफ सेक्टरी फ्यूल आवल कनसम्पशन ऐट सलेक्टिड टी पी.एस	0.28	0.11	नहीं	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
21	लोड डिस्पैच स्टेशन टू कनस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स ई.आर. एल.डी.सी., कोलकता	0.55	0.82	हां	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
22	ट्रांसफर ऑफ टेकनोलोजी इन हाइड्रो डेवलपमेंट	16.10	22.43	हां	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
23	अपडेटिंग ऑफ प्लानिंग मॉडलस	12.83	8.98	हां	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए
केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों							
1	इन्टर-स्टेट ट्रांसमिशन लाइनें	6.00	11.82	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं	छटाई कर दी जाए	छटाई कर दी जाए

जीरो आधारित बजट प्रयोग का संचालनीकरण केन्द्रीय /
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का अभिसरण, छंटाई (सी.एस.)/(सी.एस.एस.)

गैर-परम्पारिक ऊर्जा स्रोतामंत्रालय एम.एन.ई.एस. का वार्षिक योजना 2002-03 का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	स्कीमों का वर्ग	स्कीमों की संख्या	9वीं योजना का परिव्यय	9वीं योजना का सं. अनु.	ए.पी. 2002-03 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1.	स्कीमों जो ऐसे ही जारी रहती है	8	1108.00	715.74	238.50
	ब्यौरा		71.00	34.20	15.00
	वायु विद्युत		187.00	116.00	28.00
	लघु हाइड्रो विद्युत		251.00	73.00	25.00
	बायोमास विद्युत		63.00	38.80	18.00
	गांव विद्युतीकरण		-	20.00	8.00
	एस.वी.पी. प्रकाश		-	-	53.50
	बायोगैस पर राष्ट्रीय परियोजना		286.00	257.24	56.00
	इरेडा		250.00	176.50	35.00
2.	पुनर्संरचना/विलय के बाद जारी रहती है। विशिष्ट परियोजनाएं/सुविधाएं दर्शाते हुए ब्यौरा	4	544.00	367.87	237.50
	अनुसंधान, डिजाइन विकास एवं प्रदर्शन ढांचागत विकास एवं क्षमता निर्माण				132.50
	जागरूकता एवं विस्तार कार्यक्रम				62.50
	(आई.आर.ई.पी. सहित)				22.75
	एम.एन.ई.एस. संस्थाएं				19.75
3.	छंटनी की जाने वाली स्कीमों	1	2.14	0.13	Nil
4.	वर्तमान स्कीमों की संख्या	12	1654.14	1098.81	476.00
5.	दसवीं योजना में शेष स्कीमों की संख्या	11	1652.00	1097.68	476.00

पेट्रोल व प्राकृतिक गैस
अन्वेषणत्मक तथा विकास ड्रिलिंग (₹000 एम)

कार्यक्रम	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 लक्ष्य
		लक्ष्य	प्रत्याशित. उपलब्धियां	
1	2	3	4	5
1. अन्वेषणत्मक				
क) ओ एन जी सी				
i) तटीय	291.84	364.56	325.60	307.51
ii) अपतटीय	67.76	137.90	85.02	111.30
ख) ओ आई एल				
i) तटीय	39.16	60.20	41.33	58.00
ii) अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (अन्वेषण)	398.76	562.66	451.95	476.81
2. विकास ड्रिलिंग				
क) ओ एन जी सी				
i) तटीय	266.09	243.10	247.98	266.26
ii) अपतटीय	47.87	52.65	78.32	140.00
ख) ओ आई एल				
i) तटीय	49.56	62.30	58.67	60.20
ii) अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (विकास)	363.52	358.05	384.97	466.46

पेट्रोल व प्राकृतिक गैस
कच्चे तेल का उत्पादन (एम एम टी)

क्षेत्र	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि #	
1	2	3	4	5
क) ओ एन जी सी				
i) तटीय	8.43	8.70	8.64	8.66
ii) अपतटीय	16.63	16.50	16.07	17.24
उपयोग (क)	25.06	25.20	24.71	25.90
ख) ओआई	एल			
i) तटीय	3.29	3.45	3.18	3.50
ii) अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ख)	3.29	3.45	3.18	3.50
योग (ओएनजीसीओआईएल)	28.35	28.65	27.89	29.40
संयुक्त उद्यम/निजी	4.08	3.85	4.14	3.68
योग	32.43	32.50	32.03	33.08

अनन्तिम

पेट्रोल व प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)

क्षेत्र 1	2000-01 वास्तविक 2	2001-02		2002-03 लक्ष्य 5
		लक्ष्य 3	उपलब्धि # 4	
क) ओएन	जी सी			
i) तटीय	5.56	5.381	5.61	5.68
ii) अपतटीय	18.47	18.62	18.43	18.01
योग (क)	24.03	24.00	24.04	23.69
ख) ओ	आर एल			
i) तटीय	1.86	1.74	1.62	2.19
ii) अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ख)	1.86	1.74	1.62	2.19
योग (ओएनजीसीओआईएल)	25.89	25.74	25.66	25.88
संयुक्त उद्यम/निजी	3.59	4.02	4.03	5.49
योग	29.48	29.76	29.69	31.37

अनन्तिम

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पहली अप्रैल के अनुसार शोधन क्षमता

	रिफाइनरी का नाम	2001	2002	2003
	1	2	3	4
1.	आई ओ सी, गुवाहाटी	1.00	1.00	1.00
2.	आई ओ सी, बरौनी	4.20	4.20	6.00
3.	आई ओ सी, गुजरात	12.50	13.70	13.70
4.	आई ओ सी, हल्दिया	3.75	6.00	6.00
5.	आई ओ सी, मथुरा	8.00	8.00	8.00
6.	आई ओ सी, दिग्बोई	0.65	0.65	0.65
7.	आई ओ सी, पानीपत	6.00	6.00	6.00
8.	एचपीसीएल मुम्बई	5.50	5.50	5.50
9.	एचपीसीएल विशाख	7.50	7.50	7.50
10.	बीपीसीएल मुम्बई	6.90	6.90	6.90
11.	एमआरएल मद्रास	6.50	6.50	6.50
12.	एमआरएल नरीमनम	0.50	0.50	0.50
13.	सीआरएल कोचीन	7.50	7.50	7.50
14.	बीआरपीएल बोगाईगाव	2.35	2.35	2.35
15.	एमआरपीएल मैंगलोर	9.69	9.69	9.69
16.	एनआरएल, असम	3.00	3.00	3.00
17.	रिलायंस	27.00	27.00	27.00
18.	तातीपाका	0.00	0.08	0.08
	योग	112.54	116.07	117.87

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र परिव्यय/व्यय (रूपये करोड़ में)

	कम्पनियों के नाम	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 ब.अनु.
			ब.अनु.	स.अनु.	
	1	2	3	4	5
क.	अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग				
1.	ओएनजीसी	3607.21	6073.75	8159.08	8973.31
2.	ओआईएल	556.23	800.01	650.00	900.00
3.	जीएआईएल	1066.93	1139.85	724.81	1492.95
	उप योग (क)	5230.37	8013.61	9533.89	11366.26
ख.	तेलशोधन एवं विपणन				
1.	आईओसी	2791.95	5844.92	2615.77	3000.00
2.	एचपीसीएल	311.89	1300.00	617.00	900.00
3.	बीपीसीएल	1082.52	398.70	299.90	650.00
4.	सीपीसीएल	85.32	599.70	399.24	1000.00
5.	केआरएल	59.97	525.00	68.00	75.00
6.	बीआरपीएल	31.15	47.75	35.10	10.00
7.	ईआईएल	10.84	6.93	6.93	0.00
8.	आईबीपी	124.20	195.83	140.00	144.00
9.	एनआरएल	139.00	3.25	42.00	38.00
	उपयोग (ख)	4636.84	8922.08	4223.94	5817.00
	पेट्रोलियम योग	9867.21	16935.69	13757.83	17183.26

7.2 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं कमान क्षेत्र विकास

1. दसवीं योजना में पूरी अर्थव्यवस्था के लिए 8% की वार्षिक औसत वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। इसे प्राप्त करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि को 4% बढ़ना होगा। सिंचाई, कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक निवेश है तथा कृषि के लिए प्रक्षेपित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सिंचाई को भी उसी गति के समान बढ़ना होगा। सिंचाई के लिए दसवीं योजना की कार्यनीति में ए.आई.बी.पी. जैसे केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों को लक्षित करते हुए घालू परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करना प्रस्तावित है इसे प्राप्त करने के लिए, ये दो काम करने होंगे: जल प्रयोग दक्षता की बढ़ोत्तरी, प्रणाली पुनर्वास लागू करने तथा कृषकों की सहभागिता के लिए सी.ए.डी. कार्यक्रम की पुनर्चना, सिंचाई सांख्यिकी के आंकड़ों का मिलान एवं पुष्टि करना, जल-दरों को बढ़ाना तथा सं. एवं पद्धति घटक में प्रशासनिक लागतों के लिए उचित मापदण्ड निकालना, सतही तथा भूमि जल प्रदूषण एवं बाढ़ प्रबन्धन करना।

बृहत एवं मध्यम सिंचाई

2. बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से अन्तिम सिंचाई सम्भाव्यता 58.46 मि. है। नौवीं योजना के अन्त तक प्राप्त सम्भाव्यता 37.08 मि. है। नौवीं योजना के अन्त तक राज्य-वार सम्भाव्यता संलग्नक 7.2.6 में दी गई है। दसवीं योजना के लिए कार्यकारी दल ने बृहत एवं मध्यम क्षेत्र के लिए 11.14 मि. है. अतिरिक्त सम्भाव्यता सृजित करने के लिए दसवीं योजना के लिए 1,07,327 करोड़ रुपए के निवेश की सिफारिश की है। नौवीं योजना में बृहत एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र पर व्यय तालिका 7.2.1 में दिया गया है।

तालिका 7.2.1

बृहत एवं मध्यम सिंचाई
(नौवीं योजना में बृहत एवं मध्यम सिंचाई पर व्यय)

(रुपए करोड़ में)

अवधि	केन्द्रीय सेक्टर		राज्य सेक्टर	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक राशि/व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक राशि/व्यय
नौवीं योजना	225.70	211.53	42644.11	48259.08
1997-98	39.69	35.95	8362.92	7523.16
1998-99	47.56	47.72	10024.03	8144.31
1999-2000	52.51	48.24	12228.81	11234.79
2000-2001	50.60	39.71	12922.40	10370.56
2001-2002	56.14	49.65	12533.79	10986.27
दसवीं योजना	337.13	-	70861.78	-
2002-2003	60.80	-	13646.07	-

वर्ष 2002-2003 के लिए कार्यक्रम

1 दसवी योजना के लिए बृहत एवं मध्यम सिंचाई के लिए कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि 159 बृहत, 242 मध्यम तथा 89 विस्तार, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण परियोजनाएं दसवी योजना में आ गई हैं। इन में से कई परियोजनाएं पांचवी योजना अवधि से पूर्व आरम्भ की गई थीं चालू परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या में पूरा करने की दृष्टि से दसवी योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को लक्षित किया जाएगा ताकि उन्नत अवस्था में पहुंची परियोजनाएं पूरी की जा सकें। कार्यक्रमों में निम्नलिखित परिशोधनों को हाल में अनुमोदित किया गया है।

- (i) 100% ऋण सहायता के साथ दो कार्यकारी ऋतुओं में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रेक घटक।
- (ii) पाच वर्ष की समय सीमा में जल प्रभारों से पूरी गठन तथा पद्धति लागतों की वसूली की ओर निर्देशित जल क्षेत्र में सुधार लाने को सहमत राज्यों के लिए एक उदासीकृत ऋण सहायता 2:1 के सामान्य अनुपात के बजाय 4:1 (केन्द्र: राज्य) के अनुपात में दी जाएगी। विशेष वर्ग के राज्यों के लिए अनुपात सामान्य 3:1 की बजाए अनुपात 1:0 है।

2 मार्च 2002 तक फास्ट ट्रेक के अन्तर्गत 13 परियोजनाओं के लिए 472.80 करोड़ रुपए सहित कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 बृहत/मध्यम परियोजनाओं तथा 2450 सतही एम.आई. स्कीमों के लिए 8,480 करोड़ की राशि दी गई है। राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 परियोजनाएं पूरी करने तथा 109 मि. है. अतिरिक्त सम्भव्यता सृजित करने की रिपोर्ट दी है। ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत, वर्ष 2002-2003 के लिए 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के साथ जल क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक वचनबद्धता हस्ताक्षरित की है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी सुधार लाने की पेशकश की है जो जांच के अन्तर्गत है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3 तालिका 7.2.2 में दर्शाई गई 15 सिंचाई परियोजनाएं विदेशी सहायता प्राप्त कर रही हैं।

तालिका - 7.2.2

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (परियोजना का नाम, सहायता राशि एवं मार्च 2002 तक संवितरण)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुबन्ध की तिथि / पूर्ण होने की तिथि	मिलियन अमरीकी डालरों में सहायता राशि	मार्च 2002 तक संवितरण
1	आन्ध्र प्रदेश III सिंचाई परियोजना	3.6 1997 31 1.2003	325.00	131.50
2	ए पी इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना	30 1 1999 31 3.2004	142.00	63.00
3	उड़ीसा इन्फ्र. आर.सी.पी.	5.1.1996 30.9 2002	290.90	179.62

क्रम सं.	परियोजना का नाम विश्व बैंक सहायता	अनुबन्ध की तिथि / पूर्ण होने की तिथि	मिलियन अमरीकी डालरों में सहायता राशि	वर्ष 2002 तक संवितरण
4.	राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना	15.3.2002 31.3.2008	143.00	5.00
5.	यू.पी. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना	8.3.2002 31.10.2007	149.20	5.00
6.	तमिल नाडू डब्ल्यू.आर.सी.पी.	22.9.1995 31.3.2003	289.90	150.06
7.	कर्नाटक टैंक मेनेजमेन्ट परियोजना	6.6.2002 31.3.2009	98.90	-
8.	हाइड्रोलोजी परियोजना	22.9.1995 31.3.2003 ई.ई.सी	142.00	67.67
9.	उड़ीसा माईनर इरिगेशन परियोजना	3.7.1995 31.12.2004	10.70 (मिलियन ई.सी.यू. में)	1.10
10.	पांडीचेरी टैंक रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना	21.2.1997 21.2.2003	6.65	0.82
11.	महाराष्ट्र सेलाइन लैंड रिक्लेमेशन परियोजना फेज-2 द्विस्तरी	11.7.1995 31.12.2005	15.50	1.23
12.	अ.प्र. में कारनूल कुडापालि कैनल का आधुनिकीकरण (जे.बी.आई.सी.)	25.1.1996 26.3.2003	16049.00 मिलियन यून	5177.40
13.	महा राष्ट्र माईनर इरिगेशन परियोजना (जर्मनी)	21.12.1998 31.12.2006	डी.एम. 45.00 मिलियन	2.34
14.	रेनगाली इरिगेशन उड़ीसा (जे.बी.आई.सी.)	12.12.1997 11.12.2002	7760.00 मिलियन यून	3620.00
15.	राजघाट कैनल (एम.पी.) (जे.बी.आई.सी.)	25.2.1997 31.5.2006	13222.00 मिलियन यून	4683.60

लघु सिंचाई

1. प्रत्येक 2000 है. तक कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सभी भूमि जल तथा सतही जल स्कीमों को लघु सिंचाई स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भण्डारण टैंको, विचलन और सर्फस लिफ्ट से युक्त लघु सर्फस प्रवाह सिंचाई परियोजनाएं, सिंचित कृषि स्कीम में विशेष रूप से देश के प्रायद्वीपीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लघु सिंचाई स्कीमों की परिपक्वता अवधि छोटी होती है, श्रम प्रधान होती है तथा ये गरीबी उपशमन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होती है।

2. लघु सिंचाई परियोजनाओं से अन्तिम सिंचाई सम्भाव्यता 81.43 मि.है. अनुमानित है जिसमें से 17.38 मि.है. सतही जल लघु सिंचाई से तथा 64.05 मि. है. भूमि जल से है। दसवीं योजना के लिए कार्यकारी दल ने 8 मि.है. अतिरिक्त सम्भव्यता सृजित करने के लिए दसवीं योजना में 36,200 करोड़ रुपए के निवेश की सिफारिश की है। नौवीं योजना के अन्त तक 60.40 मि.है. की सम्भव्यता सृजित की जा चुकी थी। राज्य-वार स्थिति संलग्नक 7.2.6 पर है।

3. लघु सिंचाई स्कीमों को योजना निधियों, संस्थानगत वित्त तथा किसानों द्वारा निजी निवेश से वित्तपोषित किया जाता है। सामान्यता इसे लोगों का कार्यक्रम कहा जाता है। नौवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई के लिए केन्द्रीय सेक्टर तथा राज्य सेक्टर में परिव्यय एवं व्यय तालिका 7.2.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.2.3

लघु सिंचाई

नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर एवं राज्य क्षेत्र में लघु सिंचाई के लिए परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय सेक्टर		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ राशि व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ राशि व्यय
नौवीं योजना	393.49	347.50	8984.84	8615.07
1997-1998	70.56	42.85	1799.20	1456.59
1998-1999	67.40	48.09	2057.20	1566.25
1999-2000	55.81	56.47	2117.79	1840.21
2000-2001	85.27	67.38	1907.93	1853.28
2001-2002	96.58	134.18	2121.42	1898.74
दसवीं योजना	533.80	-	13872.86	-
2002-2003	109.16	-	2057.02	-

भूमि जल संदोहन का विनियम

1. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अप्रैल 1998 तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 5711 ब्लॉकों/मण्डलों/तालुकों/जलसंभरों में से 310 को अधिक दोहित तथा 160 को गुप्त (डार्क) वर्गीकृत किया गया है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण यह देखने के लिए अपने विनियामक कार्य जारी रखे है कि अति संदोहन को काबू में रखा जाए। राज्य सरकारों को भूमि जल कानून बनाने के लिए लगातार कहा जाता रहेगा जिसके लिए एक मॉडल विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

कमान क्षेत्र का विकास

2. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) 1974-75 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में सृजित और प्रयुक्त सम्भाव्यता के बीच के अंतर को पूरा करने की तथा चयनित बृहत एवं

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सेवित कमान क्षेत्रों भूमि एवं जल प्रयोग को बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से इष्टतम कृषि उत्पादन करने की दृष्टि से आरम्भ किया गया था। अब कार्यक्रम में 22.72 मि.है. सी.सी.ए. सहित 236 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। खेत चैनलों, खेत नालियों, बाढ़बन्दी तथा भूमि समतलीकरण जैसे प्रमुख घटकों के निर्माण पर सी.ए.डी.पी. के केन्द्रीय सेक्टर पर किए गए व्यय का लगभग 70 प्रतिशत भाग लग जाता है। नौवीं योजना के अन्त तक इन चार घटकों की वास्तविक उपलब्धियां तालिका 7.2.4 में दी गई हैं।

तालिका 7.2.4

कमान क्षेत्र विकास (सी.सी.डी.) - वास्तविक

(मि.है.)

कोर घटक	8वीं योजना तक उपलब्धि	9वीं योजना में प्रगति	9वीं योजना के अन्त तक उपलब्धि
खेत चैनल	13.94	1 78	15.72
बाढ़ बन्दी	8.99	1 58	10.57
खेत नालियां	0.35	0 33	0 68
भूमि सतहीकरण	2.10	0.09	2.19

11. दसवीं योजना के लिए कार्यकारी ग्रुप ने कमान क्षेत्र के विकास (दसवीं योजना में सी ए डी कार्यक्रम) के लिए 4,962.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। सी.ए.डी.पी. के लिए केन्द्रीय सेक्टर तथा राज्य सेक्टर में परिव्ययों एवं व्यय तालिका 7.2.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.2.5

कमान क्षेत्र का विकास (सीएडी) केन्द्रीय सेक्टर तथा राज्य सेक्टर में वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय सेक्टर		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ राशि व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ राशि व्यय
नौवीं योजना	797.52	720.45	2027.19	1519.17
1997-1998	140.70	129.96	371.35	303.43
1998-1999	188.00	175.32	348.48	311 37
1999-2000	178.00	163.92	315.39	310.50
2000-2001	160.88	144.95	298.07	353.48
2001-2002	187.19	115.53	245.16	232 39
दसवीं योजना	1401.80	-	2846.63	-
2002-2003	202.00	-	271.44	-

पुनर्रचित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.पी.)

12. सी.ए.डी.पी. को दसवीं योजना में पुनर्रचित किया जा रहा है जिसमें प्रणाली पुनर्वास, सहभागितापूर्ण प्रबंध तथा लागत मानकों में संशोधन शामिल है, तथापि, 2002-03 में कार्यक्रम वर्तमान रूप में जारी रहेगा।

बाढ़ नियंत्रण

13. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में लगभग 40 मि.है. बाढ़ सम्भावित क्षेत्र का अनुमान लगाया है जिसमें से 32 मि.है. को उचित मात्रा का बचाव दिया जा सकता है। अब तक लगभग 19 मि.है. को पारबन्धी जल निकास चैनलों, नगर बचाव कार्यों तथा गावों को बाढ़ स्तर से ऊंचा उठाने के माध्यम से बचाया जा चुका है। दसवीं योजना के लिए कार्यकारी दल ने 2.78 मि.है. के लाभ के लिए दसवीं योजना में 10,631.84 करोड़ रुपए के परिय्य की सिफारिश की है। नौवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में योजना परिय्य तथा व्यय तालिका 7.2.6 में दिए गए हैं।

तालिका 7.2.6

बाढ़ नियंत्रण

नौवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में योजना परिय्य तथा व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय सेक्टर		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिय्य	वास्तविक/ राशि व्यय	अनुमोदित परिय्य	वास्तविक/ राशि व्यय
नौवीं योजना	623.04	409.12	2216.36	2629.23
1997-1998	72.15	48.47	365.86	351.87
1998-1999	71.65	55.87	639.94	476.77
1999-2000	61.79	68.69	662.36	486.72
2000-2001	154.87	106.01	654.25	620.10
2001-2002	148.85	140.96	801.62	693.77
दसवीं योजना	1168.10	-	4562.25	-
2002-2003	151.02	-	592.06	-

14. दसवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबन्धन पर कार्यकारी दल ने एक समेकित बाढ़ प्रबन्धन आयोग के गठन का सुझाव दिया है जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेगा। ऐसा आयोग गांव को उठाना, फसल पैटन में परिवर्तनों जैसी बाढ़ समस्या के अन्य लम्बी अवधि के स्थायी हलों का भी अध्ययन कर सकेगा। कार्यकारी दल ने वर्तमान बाढ़ पुर्यानुमान व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण तथा मजबूत करने की सिफारिश की है ताकि चेतावनी और पहले दी जा सके।

शून्य आधारित बजट निर्माण

15. योजना आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के लिए वर्ष 2002-03 के लिए शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था। नौवीं योजना के अन्त तक संचालित 71 स्कीमों में से 6 की छटनी की सिफारिश की गई है। शेष 65 स्कीमों में से, 47 को जारी करने तथा 18 को 6 स्कीमों में विलय के लिए सिफारिश की गई है जिससे 2002-03 में संचालन के लिए वस्तुतः 53 स्कीमों रह जाएंगी। जल संसाधन मंत्रालय ने मोटे तौर पर इस प्रक्रिया के साथ, सिवाय इसके कि 2002-03 में पिछले वर्ष से अंतरित देयताएं/चालू स्कीमों के कारण 59 स्कीमों हो जाएंगी, सहमत हैं। वास्तव में, 2003-04 से आगे योजना आयोग द्वारा अनुशंसित 53 के मुकाबले केवल 49 स्कीमों संचालन में होंगी।

राष्ट्रीय जल नीति

16. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1/4/2002 को संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को अपना लिया है। राज्य सरकारों से इसी प्रकार की राज्य जल नीतियां तैयार करने तथा रा.ज.वी. (एन.डब्ल्यू.पी.) को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

नौवीं योजना के अन्त तक की उपलब्धियां

17. राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यकारी दल की बैठकों में निम्नलिखित बृहत, मध्यम परियोजनाओं को नौवीं योजना के अन्त तक अर्थात् मार्च 2002 तक पूरा करने के संकेत दिए हैं।

- (क) केरल - कलाडा
- (ख) मध्य प्रदेश - भंडेर, केनाल, बरना, कौलार
- (ग) छत्तीसगढ़ - जौंक मोड़
- (घ) राजस्थान - जक्हौम, सोम कमला, अम्बा, पचना
- (ड.) उत्तर प्रदेश - बीवार फीडर, शारदा सहायक, मीघा डैम, घम्बल लिफ्ट, ज्ञानपुर पम्प कैनल, सोन पम्प कैनल, संशोधित टंस पम्प कैनल, धित्तीङ्गढ़ जलाशय, घघर कैनल का आधुनिकीकरण, गुंटा नाला डैम, पथराई डैम.

ग्रामीण आधारिक विकास निधि

18. भारतीय वाणिज्यिक बैंकों पर यह दायित्व है कि वे अपने समग्र मूल्यों में से कम से कम 40% ऋण प्राथमिकता क्षेत्रों से और प्राथमिकता क्षेत्रों के 40% के समग्र लक्ष्य में से कृषि उपक्षेत्र के लिए 18% मूल्यों का लक्ष्य रखें। वर्ष 1995-96 के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा के साथ ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) अस्तित्व में आई।

ग्रामीण आधारीक विकास निधि का वित्तपोषण

19 यह निधि अप्रैल 1995 से नबार्ड में स्थापित की गई है। निधि का आरम्भिक संग्रह वर्ष 1995-96 के लिए 2,000 करोड़ रुपए (आर.आई.डी.एफ.-I) था जिसे भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाना था जो कि 1.5% की निवल बैंक ऋण की सीमा के अघ्यधीन अग्रता क्षेत्र के लक्ष्य (40%) के भीतर कृषि उपक्षेत्र से दिए गए (18%) न्यून ऋण का परिचायक है। तब से यह स्कीम आगामी केंद्रीय बजटों में संवर्धित प्रतिबद्धताओं सहित घोषणाओं के साथ जारी रखी जा रही है, जोकि निम्न प्रकार से है :-

कार्यक्रम	वर्ष	(करोड़ रुपए में)
आर.आई.डी.एफ.-i	1995-96	2000
आर.आई.डी.एफ.-ii	1996-97	2500
आर.आई.डी.एफ.-iii	1997-98	2500
आर.आई.डी.एफ.-iv	1998-99	3000
आर.आई.डी.एफ.-v	1999-2000	3500
आर.आई.डी.एफ.-vi	2000-01	4500
आर.आई.डी.एफ.-vii	2001-02	5000
आर.आई.डी.एफ.-viii	2002-03	5500

20 आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत बृहत, माध्यम तथा लघु सिंचाई के साथ-साथ इन क्षेत्रों में अधूरी अथवा पहले से घली आ रही परियोजनाओं के लिए बाढ़ नियंत्रण, जलसंभरक प्रबंधन, भू संरक्षण, ग्रामीण सड़कें तथा पुलों, ग्रामीण बाजारों, प्राथमिक स्कूल भवन, ग्रामीण पीने के पानी के कार्यों, जल निकासी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, वन विकास आदि ऋण सहायता प्रदान की जाती है। आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत परियोजना लागत अथवा अधिशेष लागत, जो भी कम हो, के 90% तक ऋण संस्वीकृत किए जाते हैं।

21. वर्ष 1999-2000 का केंद्रीय सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि आर.आई.डी.एफ. V के अन्तर्गत वापिसी की अवधि 5 से 7 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में यह भी उल्लेख है कि राज्य सरकारों को ऋण 12% वार्षिक की दर से (आर.आई.डी.एफ. I के अन्तर्गत 13% वार्षिक) उपलब्ध कराए गए थे तथा वर्ष 2000-2001 के केंद्रीय सरकार के बजट में आर.आई.डी.एफ. VI से ऋण पर प्रभारित ब्याज को आधा प्रतिशत कम अर्थात् ब्याज की दर 11.5% वार्षिक तक कम कर दी गई है।

22. सिंचाई सेक्टर के लिए आर.आई.डी.एफ. के संवितरण एवं संस्वीकृत को संलग्नक 7.2.5 में दिखाया गया है। यह देखा गया कि वर्तमान सड़कों को मजबूत बनाने से संबंधित परियोजनाओं के लिए आर.आई.डी.एफ. सहायता पाने के लिए बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। इसलिए पी.एस.सी. तथा बैंक के बोर्ड की दिनांक 15 अक्टूबर, 1999 को आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि

आगे से केवल सिंचाई, गाव की सड़कों/पुलों के निर्माण के माध्यम से नए गांवों तथा बाजार केन्द्रों को जोड़ने जैसे उद्देश्यों के लिए अधिक अग्रता दी जाएगी। तदनुसार, राज्य सरकारों को आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत भविष्य में सहायता के लिए इन सेक्टरों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है। तथापि, निधि की वर्तमान प्रकृति नबार्ड को बृहत तथा मध्यम सिंचाई की संस्वीकृति प्रदान करने को बाधित करती है क्योंकि इन परियोजनाओं की अवधि लम्बी होती है।

वर्ष 1998-99 के लिए बृहत एवं मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, सी.ए.डी.एवं
बाढ़ नियंत्रण के बारे में वास्तविक व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	709.98	175.54	8.99	36.98	931.49
2	अरुणाचल प्रदेश	0.33	13.37	0.82	4.33	18.85
3	असम	38.77	67.59	3.19	14.72	124.27
4	बिहार	327.59	40.42	11.94	48.06	428.01
5	गोवा	20.22	5.56	1.53	1.16	28.47
6	गुजरात	1212.95	148.16	11.32	4	1376.43
7	हरियाणा	231.27	39.46	8.99	27.36	307.08
8	हिमाचल प्रदेश	12.03	42.81	0.23	5.54	60.61
9	जम्मू एवं कश्मीर	27.54	28.17	3.39	16.27	75.37
10	कर्नाटक	1431.1	92.53	20.45	14.17	1558.25
11	केरल	171.09	72.23	12	25.48	280.80
12	मध्य प्रदेश	462.85	153.44	3.91	12	632.20
13	महाराष्ट्र	1593.68	292.25	62.92	3.23	1952.08
14	मणिपुर	29.02	7.43	2.05	5.1	43.60
15	मेघालय	2.49	6.5	0.22	3	12.21
16	मिजोरम	0.03	4.88	0.03	0	4.94
17	नागालैंड	0	2.04	0.1	0.09	2.23
18	उड़ीसा	526.71	83.98	6.18	16.03	632.90
19	पंजाब	69.72	37.43	35.76	111.14	254.05
20	राजस्थान	444.65	48.3	66.3	5.73	564.98
21	सिक्किम	0	0.85	0.02	2.84	3.71
22	तमिलनाडु	221.27	35.13	21.88	0	278.28
23	त्रिपुरा	7.58	8.94	0.02	3.75	20.29
24	उत्तर प्रदेश	448.4	108.59	25.15	26.45	608.59
25	पश्चिमी बंगाल	153.65	41.44	3.77	68.39	267.25
	योग राज्य	8142.92	1557.04	311.16	455.82	10466.94

संलग्नक-7.2.1

(रुपए करोड में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाड नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्य क्षेत्र					
26	अंडमान निकोबार द्वीप	0	2.40	0	0	2.40
27	चंडीगढ़	0	0.44	0	0	0.44
28	दादर एवं नागर हवेली	1.05	1.24	0.21	0	2.50
29	दमन व द्वीव	0.34	0.03	0	0.34	0.71
30	दिल्ली	0	0.66	0	14.88	15.54
31	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	2.55	2.55
32	पांडीचेरी	0	4.44	0	3.18	7.62
	योग संघ राज्य क्षेत्र	1.39	9.21	0.21	20.95	31.76
	योग राज्य व स.रा.क्षे.	8144.31	1566.25	311.37	476.77	10498.70
	केन्द्रीय सेक्टर	47.72	48.09	175.32	55.87	327.00
	सकल योग	8192.03	1614.34	486.69	535.64	10825.70

संलग्नक-7.2.2

वर्ष 1999-2000 के लिए बृहत एवं मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, सी.ए.डी. एवं
बाढ़ नियंत्रण के बारे में वास्तविक व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	894.48	219	5.56	34.08	1153.12
2	अरुणाचल प्रदेश	0.34	16.33	0.9	4.25	21.82
3	असम	53.35	69.02	3.19	19.84	14
4	बिहार	530.68	51.04	11.87	78.34	671.93
5	गोवा	17.18	8.39	2.42	1.77	29.76
6	गुजरात	1607.97	270.6	18.62	5.83	1903.06
7	हरियाणा	245	27.71	45.13	11.96	329.8
8	हिमाचल प्रदेश	16.25	52.89	0.35	7.36	76.85
9	जम्मू एवं कश्मीर	18.79	24.54	3.57	12.5	59.4
10	कर्नाटक	1766.2	113.3	27.71	15.35	1922.57
11	केरल	140.8	44.61	8.81	30.43	224.65
12	मध्य प्रदेश	415.51	147.8	3.25	0.88	567.45
13	महाराष्ट्र	3460	379.6	50	1.92	3891.56
14	मणिपुर	42.49	9.39	1.85	9.41	63.14
15	मेघालय	2	5.57	0.21	2.98	10.76
16	मिजोरम	0.05	9.97	0.05	0	10.07
17	नागालैंड	0	6.32	0.1	0.02	6.44
18	उड़ीसा	468.86	97.67	5.12	11.81	583.46
19	पंजाब	34.24	38.75	32.17	35.32	140.48
20	राजस्थान	363.72	40.78	50.6	3.66	458.76
21	सिक्किम	0	5.9	0.02	1.64	7.56
22	तमिलुनाडु	373.78	43.74	0	0	417.52
23	त्रिपुरा	7.96	16.35	0	7.38	31.69
24	उत्तर प्रदेश	634.16	33.71	42.5	45.63	756
25	पश्चिमी बंगाल	139.94	96.27	4.23	116.2	356.63
	योग राज्य	11233.8	1829	318.2	458.6	13839.88

संलग्नक-7.2.2

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्य क्षेत्र					
26	अंडमान निकोबार द्वीप	0	2.26	0	0	2.26
27	चंडीगढ़	0	0.25	0	0	0.25
28	दादर एवं नागरहवेली	1	1.18	0.12	0	2.3
29	दमन व द्वीव	0.04	0.05	0.1	0.18	0.37
30	दिल्ली	0	0.82	0	17.61	18.43
31	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	3.57	3.57
32	पांडीचेरी	0	6.29	0	6.8	13.09
	योग संघ राज्य क्षेत्र	1.04	10.86	0.23	28.17	40.31
	योग राज्य व स.रा.क्षे.	11234.8	1840	318.5	486.72	13880.19
	केन्द्रीय सेक्टर	48.24	56.47	163.9	68.69	337.30
	सकल योग	11283.03	1896.68	482.4	555.41	14217.49

वर्ष 2000-2001 के लिए बृहत एवं मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, सी.ए.डी.एवं
बाढ़ नियंत्रण के बारे में वास्तविक व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	938.12	241.3	12.1	88.32	1280
2	अरुणाचल प्रदेश	0.34	24.88	0.9	4.05	30.17
3	असम	50.48	77.57	19.16	3.41	150.6
4	बिहार	337.68	39.81	21.6	77.5	476.6
5	गोवा	101.94	5.36	2.32	1.16	110.8
6	गुजरात	277.36	250.2	14.78	0	542.3
7	हरियाणा	207.4	29.73	66.77	8.61	312.5
8	हिमाचल प्रदेश	14.89	45.62	1.36	7.9	69.77
9	जम्मू एवं कश्मीर	28.18	28.85	5.17	14.34	76.54
10	कर्नाटक	1898.71	100.1	11.83	5.99	2017
11	केरल	125	39	9.4	16.85	190.3
12	मध्य प्रदेश	419.31	153.7	2.68	0.71	576.4
13	महाराष्ट्र	4092.14	276.8	31.18	1.15	4401
14	मणिपुर	24.37	4.73	0.91	8.79	38.8
15	मेघालय	2.49	7.2	0.09	2.59	12.37
16	मिजोरम	0.01	3.35	0.05	0	3.41
17	नागालैंड	0	8.1	0.08	0.03	8.21
18	उड़ीसा	420.84	79.56	6.2	3.97	510.6
19	पंजाब	37.87	33.75	50.58	90.96	213.2
20	राजस्थान	264	46.27	42.82	2.79	355.9
21	सिक्किम	0	7.3	0.02	1.21	8.53
22	तमिलनाडु	221.06	134	16.61	0	371.7
23	त्रिपुरा	5.67	19.06	0	7.54	32.27
24	उत्तर प्रदेश	742.08	59.3	28.77	31.11	861.3
25	उत्तरांचल	13.19	5.59	0	3.52	22.3
26	पश्चिमी बंगाल	146.78	121.9	8.05	212.11	488.9
	योग राज्य	10369.9	1843	353.4	594.61	13161

संलग्नक-7.2.3

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिघाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्य क्षेत्र					
27	अंडमान निकोबारद्वीप	0	2.33	0	0	2.33
28	चंडीगढ़	0	0.2	0	0	
29	दादर एवं नागरहवेली	0.52	0.57	0.05	0	1.14
30	दमन व द्वीव	0.12	0.04	0	0.18	0.34
31	दिल्ली	0	1.08	0	16.67	17.75
32	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	3.2	3.2
33	पांडीचेरी	0	6.15	0	5.44	11.59
	योग संघ राज्य क्षेत्र	0.64	10.37	0.05	25.49	36.55
	योग राज्य व सं.रा.क्षे.	10370.60	1853	353.5	620.1	13197
	केन्द्रीय सेक्टर	39.71	67.38	145	106.01	358.10
	सकल योग	10410.31	1930.71	498.5	726.11	13555.10

वर्ष 2000-2001 के लिए बृहत एवं मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई,
सी.ए.डी.एवं बाढ़ नियंत्रण के बारे में वास्तविक व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	1004.88	215.03	14.24		1277.98
2	अरुणाचल प्रदेश	0.36	46.79	1.95	3.68	52.78
3	असम	55.83	83.44	2.41	18.96	160.64
4	बिहार	473.00	139.64	21	63.48	697.12
5	गोवा	82.62	10.73	3.05	1.65	98.05
6	घड़ीगढ़	240.97	2.69	1.02	0.17	244.85
7	गुजरात	1143.25	169.34	5.37	2.68	1320.64
8	हरियाणा	211.51	74	10	20	315.51
9	हिमाचल प्रदेश	11.8	50.03	1.35	6.6	69.78
10	जम्मू एवं कश्मीर	71.64	48.41	5.59	28.55	154.19
11	झारखंड					
12	कर्नाटक	2296.21	83.05	13.8	5.99	2399.05
13	केरल	95	25	10	12.5	142.50
14	मध्य प्रदेश	551.39	187.55	7.04	2.3	748.28
15	महाराष्ट्र	2335.21	262.05	22.91	0.73	2620.9
16	मणिपुर	46.95	5.3	2.98	2.7	57.93
17	मेघालय	2	9	0.1	2	13.10
18	मिजोरम	0.01	6.14	0.3	0	6.45
19	नागालैंड	0	8.4	0.05	0.1	8.55
20	उड़ीसा	473.84	84.1	6.5	0.6	565.04
21	पंजाब	323.13	42.26	14.07	95.36	474.82
22	राजस्थान	275.81	83.01	35.15	4.78	398.75
23	सिक्किम	0	3.9	3.5	0.05	7.45
24	तमिलनाडु	388.1	32.93	13.4	0	434.43
25	त्रिपुरा	6.09	45	0.02	10.17	61.28
26	उत्तर प्रदेश	730	45	28.48	23.47	826.95
27	उत्तरांचल	28	15.04	0.12	1.5	44.66

संलग्नक-7.2.4

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम	लघु सिंचाई	सी.ए.डी.	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
28	पश्चिमी बंगाल	138.07	107.75	7.81	308.63	562.26
	योग राज्य	10985.67	1885.58	232.21	660.48	13763.94
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान निकोबारद्वीप	0	2.8	0	0	2.8
30	चंडीगढ़	0	0.2	0	0	0.2
31	दादर एवं नागरहवेली	0.5	0.57	0.18	0	1.25
32	दमन व द्वीव	0.1	0.05	0	0.22	0.37
33	दिल्ली	0	0.68	0	24	24.68
34	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	5	5
35	पांडीचेरी	0	8.86	0	4.07	12.93
	योग संघ राज्य क्षेत्र	0.60	13.16	0.18	33.29	47.23
	योग राज्य व सं.रा.क्षे.	10986.27	1898.74	232.39	693.77	13811.17
	केन्द्रीय सेक्टर	49.65	134.18	115.53	140.96	440.30
	सकल योग	11035.92	2032.92	347.92	834.73	14251.49

आर आई डी एफ से सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत

(करोड़ रुपए)

आर.आई.डी.एफ. सं. एवं वर्ष	संस्वीकृत राशि	वितरित राशि	सभी क्षेत्रों के संदर्भ में सिंचाई का प्रतिशत	
			संस्वीकृत	वितरित
I (1995-96)	803.45	1658.9	90.17	82.94
II (1996-97)	1254.56	1110.54	50.18	44.2
III (1997-98)	1049.72	829.12	41.98	33.16
IV (1998-99)	900.37	418.79	30.01	13.95
V (1999-2000)	1103.18	487.07	31.51	13.91
VI (2000-2001)	1312.29	625.95	29.16	13.91
VII (2001-2002)	1353.5	300.58	27	6.01

सम्भाव्य सृजन की राज्यवार स्थिति

(हजार हेक्टर)

क्रम सं.	राज्यों एवं सं.रा.क्षेत्र के नाम	बृहत एवं मध्यम के लिए अंतिम सिंचाई सम्भाव्यता	9वीं योजना के अंत तक सृजित संभाव्यता	9वीं योजना के अंत तक उपयोग की गई संभाव्यता	लघु सिंचाई के लिए अंतिम सिंचाई संभाव्यता	9वीं योजना के अंत तक सृजित संभाव्यता	9वीं योजना के अंत तक उपयोग की गई संभाव्यता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	5000.00	3303.22	3051.59	6260.00	3019.46	2781.22
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	168.00	98.52	77.40
3	असम	970.00	243.92	174.37	1900.00	603.62	494.11
4	बिहार	5223.50	2680.00	1714.83	5663.50	4716.44	3759.46
5	झारखंड	1276.50	354.47	230.45	1183.50	588.87	471.09
6	गोवा	62.00	21.17	15.33	54.00	19.14	20.00
7	गुजरात	3000.00	1430.37	1300.83	3103.00	1998.92	1876.14
8	हरियाणा	3000.00	2099.49	1849.97	1512.00	1630.95	1578.12
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	13.35	7.51	303.00	161.00	138.30
10	जम्मू व कश्मीर	250.00	179.69	168.75	1108.00	382.45	366.77
11	कर्नाटक	2500.00	2121.12	1844.82	3474.00	1585.40	1541.74
12	केरल	1000.00	609.49	558.87	1679.00	640.02	603.76
13	मध्यप्रदेश	4853.07	1386.90	875.63	11361.00	2256.13	2149.48
14	छत्तीशगढ़	1146.93	922.50	760.74	571.00	487.70	322.86
15	महाराष्ट्र	4100.00	3239.00	2147.24	4852.00	2942.60	2557.72
16	मणिपुर	135.00	156.00	111.00	469.00	75.49	62.34
17	मेघालय	20.00	--	--	148.00	50.97	47.31
18	मिजोरम	0.00	--	--	70.00	16.69	14.08
19	नागालैंड	10.00	0.00	0.00	75.00	76.56	65.63
20	उड़ीसा	3600.00	1826.56	1794.17	5230.00	1474.12	1337.55
21	पंजाब	3000.00	2542.48	2485.99	2967.00	3427.56	3367.82
22	राजस्थान	2750.00	2482.15	2313.87	2378.00	2447.10	2361.80
23	सिक्किम	20.00	--	--	50.00	29.67	23.61
24	तमिलनाडु	1500.00	1549.31	1549.29	4032.00	2123.38	2119.52
25	त्रिपुरा	100.00	4.90	4.50	181.00	109.65	96.09
26	उत्तर प्रदेश	12154.00	7910.09	6334.00	17481.00	21599.40	17279.62
27	उत्तरांचल	346.00	280.30	185.41	518.00	500.98	400.80
28	पश्चिमी बंगाल	2300.00	1683.29	1527.12	4618.00	3792.52	3098.12
	संघ राज्य क्षेत्र	98.00	6.51	3.94	46.00	43.71	35.41
	योग	58465.00	37076.28	31027.09	81428.00	56902.70	49047.01

7.3 परिवहन

7.3.1 रेलवे

भूमिका

भारतीय रेलवे विश्व में सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक है जिसका लगभग 63,000 किलोमीटर मार्ग का नेटवर्क है और यह भारी मात्रा में माल लाने-ले-जाने, लम्बी-दूरी के यात्री यातायात और उप-नगरीय क्षेत्रों में लोगों के द्रुत आवा-जाही के लिए परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और व्यापार तथा पर्यटन के संवर्द्धन में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसने राष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा उपभोग केंद्रों के बीच अनिवार्य सम्पर्क प्रदान किया है। अब रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह है कि यह परिवहन बाजार में अपनी प्रमुख भूमिका बनाए रखने के लिए स्वयं को तेजी से बदलते हुए बाजार-वातावरण के अनुकूल बनाए।

नौवीं योजना की समीक्षा

2. नौवीं योजना के लिए रेलवे का कुल परिव्यय 45,413 करोड़ रुपए परिकल्पित किया गया था। इसका वित्तपोषण 11,791 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस) से किया जाना था और 33,622 करोड़ रुपए की शेष राशि बाजार-ऋण तथा आंतरिक संसाधनों से पूरी की जानी थी। नौवीं योजना के दौरान यह आशा की गई थी कि जी.बी.एस कुल प्रस्तावित परिव्यय का केवल 26% ही होगी जबकि कुल परिव्यय का 74% भाग आंतरिक संसाधनों तथा बाजार ऋण से ही पूरा किया जाना था। नौवीं योजना के दौरान रेलवे योजना के वित्त-पोषण की समीक्षा से यह बात सामने आई है कि जी.बी.एस. का हिस्सा पहले परिकल्पित 26% से बढ़कर 35% हो गया है। पिछले दो लगातार वर्षों अर्थात् 2000-01 तथा 2001-02 के लिए रेलवे द्वारा सामान्य राजकोष को देय लाभांश आस्थगित कर दिया गया। इसलिए, रेलवे का वित्तपोषण अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। 9 वीं योजना (1997-2002) तथा 10 वीं योजना के प्रथम वर्ष (2002-03) के दौरान वित्तपोषण पैटर्न संलग्नक 7.3.1 में सूची- बद्ध किया गया है।

3. 9वीं योजना (1997-2002) में तो भारतीय रेलवे ने यात्री यातायात के लिए अपने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की है किंतु नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (तालिका 7.3.1) में माल लाने-ले-जाने के संबंध में 36 मिलियन टन तक की कमी दर्ज की गई है। माल के लाने-ले-जाने में गिरावट अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्तियों के कारण आई है। 9वीं योजना के वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्नक 7.3.2 में दिए गए हैं। इनसे देखा जा सकता है कि नई लाइनों, गेज परिवर्तन तथा ट्रैक-नवीकरण के मामले में, सीमित संसाधनों के कारण प्रगति के रास्ते में बाधाएं आई हैं। गाड़ियों की संख्या दुगुनी करने तथा प्राप्ति के निम्नतर स्तर के कारण यही हैं कि माल के यातायात के स्तरों की प्राप्ति कम हुई है।

क्षेत्रकीय प्रवृत्तियां

4. 2001-02 के दौरान रेलवे ने 489 मिलियन टन राजस्व अर्जक मूलक भाड़ा यातायात (संशो. अनु.) का वहन किया, जोकि 2000-01 के दौरान 473.5 मिलियन टन वहन किए गए वास्तविक भाड़े से लगभग 3.3% की वृद्धि दर्शाता है। टन कि.मी. भाड़ा 2000-01 में 312.4 बिलियन टन कि.मी. से बढ़कर 2001-02 (संशो.अनु.) में 323 बिलियन टन कि.मी हो गया, जोकि 4% वृद्धि दर्शाता है। उत्पन्न यात्री यातायात के मामले में, 2001-02(संशो.अनु) में 5000.3 मिलियन की उपलब्धि, 2000-01 के दौरान प्राप्त की गई 4839.8 मिलियन की उपलब्धि से अधिक थी जोकि पिछले वर्ष से 3.3% की वृद्धि दर्शाती है। यात्री कि.मी. भी 2000-01 में 457.7 बिलियन कि.मी. से बढ़कर 2001-02 (संशो.अनु.) में 473.4 बिलियन कि.मी. हो गए जोकि 3.4% की वृद्धि दर्शाते हैं।

तालिका 7.3.1

नौवीं योजना के दौरान माल और यात्री यातायात में वृद्धि

यातायात श्रेणी	इकाई	नौवीं योजना लक्ष्य	उपलब्धि
उत्पन्न माल	मिलियन टन	525	489
माल निवल टन कि.मी.	बिलियन	353	323
उत्पन्न यात्री	मिलियन	4782	5000
यात्री कि.मी	बिलियन	399	473

2002-03 के लिए लक्ष्य

5. 10वीं पंच वर्षीय योजना (बाक्स) के उद्देश्यों तथा प्रहार(थ्रस्ट) क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 2002-03 के दौरान रेलवे के लिए 12330 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें 5840 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता तथा आई.ई.बी.आर के 6490 करोड़ रुपए शामिल हैं। जहाँ तक वास्तविक लक्ष्यों का संबंध है, 2001-02 (संशो.अनु.) के लिए 489 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में राजस्व अर्जक माल यातायात का 510 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यात्री यातायात के संबंध में भी 2001-02 (संशो.अनु.) के लिए 5000.3 मिलियन यात्रियों की तुलना में 2002-03 के लिए 5187.8 मिलियन यात्रियों का उच्चतर लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। पिछले कई वर्षों में रेलवे, वहन किए गए माल तथा यात्री यातायात की प्रगति क्रमशः संलग्नक 7.3.3 तथा 7.3.4 में दी गई है। 2002-03 के लिए गेज परिवर्तन, ट्रैक नवीकरण, विद्युतीकरण और नई लाइनों को बिछाने जैसे महत्वपूर्ण रेल कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्यय क्रमशः 807 करोड़ रुपए, 2703 करोड़ रुपए, 238 करोड़ रुपए तथा 911 करोड़ रुपए हैं (संलग्नक 7.3.5) हैं, जिनका उपयोग 542 कि.मी. गेज परिवर्तन, 4000 कि.मी. ट्रैक नवीकरण, 375 कि.मी. के विद्युतीकरण तथा 214 कि.मी. नई लाइने बिछाने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 17,000 वैगन (चौपहिए), 90 डीजल इंजन, 69 विद्युत इंजन तथा 1450 यात्री डिब्बे प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है।

10वीं योजना में प्रहार क्षेत्र - रेलवे सेक्टर

रेलवे द्वारा माल यातायात बढ़ाने के लिए उपाय आरंभ करना,

टैरिफ संरचना को तर्कसंगत बनाना।

क्षमता में वृद्धि करना तथा सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना

प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसाकि ट्रैकों में सुधार, माल डिब्बों की रफ्तार बढ़ाना, सिगनल तथा संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ाना।

इन परियोजनाओं की जीवन-क्षमता तथा सिस्टम में अभिवृद्धि करने में इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए रेल परियोजनाओं का प्राथमिकता-निर्धारण।

रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक निवेश आकर्षित करने के लिए उपाय आरंभ करना।

रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण स्थापित करके और सारहीन तथा परिधीय क्रियाकलापों को समाप्त करके संगठन को नया रूप देना।

रेलवे सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

6. विभिन्न रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक भागीदारी उत्साहजनक नहीं रही है। रेलवे ने आपके अपने वैगन स्कीम (ओ.वाई.डब्ल्यू.एस) तथा अपना निर्माण पट्टा और हस्तांतरण(बोल्ट) स्कीम आरंभ की थी ताकि निजी क्षेत्रक निधियां जुटाई जा सकें। परन्तु अधिकांश मामलों में (ओ.वाई.डब्ल्यू.एस) निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं रही है और कुछ मामलों (बोल्ट) में यह नकारात्मक रही है। रेल विभाग रेल परियोजनाओं में विभिन्न माडलों के जरिए निजी/सार्वजनिक भागीदारी के लिए कई विकल्प खोज रहा है। सुरेंद्रनगर - राजुला शहर - पीपवव गेज परिवर्तन परियोजना शुरू करने के लिए एक एस.पी.वी. का गठन किया गया है, जिसमें एक ओर रेल मंत्रालय तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों और दूसरी ओर गुजरात पिपवव पोर्ट लि. (जी.पी.पी.एल) तथा अन्यो की 50: 50 के आधार पर ईक्विटी भागीदारी होगी। पुरानी बोल्ट स्कीम के स्थान पर नई बोट स्कीम लाई गई है जिसमें निर्माण संविदाकारों तथा वित्तपोषकों के एक संघ द्वारा निजी भागीदारी का प्रस्ताव है।

शून्य आधारित बजट व्यवस्था

7. यह कयायद की गई है और रेलवे बजट के सभी 22 योजनागत शीर्ष बरकरार रखे गए हैं। मुख्य मुद्दा बहुत सी रेल परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना है और यह कार्य रेलवे द्वारा किया जाना चाहिए।

मानीटरिंग तंत्र

8. योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने एक मानीटरिंग तंत्र तैयार किया है। इन्हें त्रैमासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर) कहा

जाता है, जिनमें योजना आयोग का संबंधित सदस्य पंच वर्षीय योजना में कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना तथा निवारक उपाय करना है ताकि योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

संलग्नक 7.3.1

योजना का वित्त पोषण

(करोड़ रु.)

	9 वीं योजना	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (सं.अ.)	1997-02	10वीं योजना	2002-03
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
जी.बी.एस	11791	1992	2185	2588	3597	5641	16003	27600	5840
बाजार ऋण		2795	3217	2919	2897	2753	14581		3000
	33622							33000	
आंतरिक संसाधन		3452	3455	3550	2901	2463	15821		3490
जोड़	45413	8239	8857	9057	9395	10857	46405	60600	12330

9वीं योजना के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

मदें	लक्ष्य	9वीं योजना के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि
नई लाइनें	819 कि.मी.	702 कि.मी.
गेज परिवर्तन	3710 कि.मी.	1800 कि.मी.
दोहरी लाइन	2500 कि.मी.	1142 कि.मी.
ट्रैक नवीकरण	13922 कि.मी.	12194 कि.मी.
विद्युतिकरण परियोजनाएं	2334 कि.मी.	2231 कि.मी.
इलेक्ट्रिक इंजन	851 अदद	705 अदद
डीजल इंजन	785 अदद	646 अदद
कोच	10909 अदद.	10201 अदद
वैगन	136000 एफ.डब्ल्यू.यू.	110315 एफ.डब्ल्यू.यू.

भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया गया माल यातायात

वर्ष	उत्पन्न यातायात (मि. टन में)			निवल टन कि.मी. (बिलियन में)		
	राजस्व अर्जक	गैर-राजस्व अर्जक	कुल	राजस्व अर्जक	गैर-राजस्व अर्जक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1991-92	338	22	360	250.2	6.7	256.9
1991-92	338	22	360	250.2	6.7	256.9
1992-93	350	20.8	370.8	252.4	5.7	258.1
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257.1
1994-95	365	16.6	381.6	249.6	3.4	253
1995-96	390.6	14.3	405	271.1	2.6	273.7
1996-97	409	14.4	423.4	277.6	2.4	280
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	286.8
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284.3
1999-2000	456.4	21.8	478.2	305.2	2.8	308.0
2000-01	473.5	30.7	504.2	312.4	3.1	315.5
2001-02 (ब.अनु.)	500	@	@	326.8	@	@
2001-02 (सं.अनु.)	489.0	@	@	323	@	@
2002-03 (ब.अनु.)	510.0	@	@	334.2	@	@

@ उपलब्ध नहीं

भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया गया यात्री यातायात

वर्ष	यात्री संख्या (मिलियन में)			यात्री कि.मी. (बिलियन में)		
	उप नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल	उप नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1991-92	2411.0	1637.1	4048.1	63.4	251.2	314.6
1992-93	2282.0	1467.0	3749.0	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302.0	1406.0	3708.0	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430.0	1485.0	3915.0	68.0	251.0	319.0
1995-96	2481.0	1557.0	4038.0	72.6	261.4	334.0
1996-97	2578.0	1575.0	4153.0	76.5	280.5	357.0
1997-98	2657.0	1691.0	4348.0	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1743.7	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	2836.4	1814.3	4650.7	85.8	345.6	431.5
2000-2001	2867.9	1971.9	4839.8	89.5	368.2	457.7
2001-02 (ब.अनु.)	2963.4	1963.6	4927	90	390.6	480.6
2001-02(सं.अनु.)	2935.7	2064.6	5000.3	85.9	387.5	473.4
2002-03(ब.अनु.)	3012.8	2175	5187.8	88.1	410.3	498.4

भारतीय रेलवे का योजनागत शीर्ष-वार परिव्यय तथा व्यय

क्र. सं.	योजना शीर्ष	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-02		2002-03
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रेल गाडियां	4002	3614	4305	4265	3905	3488	3900	3639	3850	3473	3772
2	वर्कशाप व शेड	120	130	175	144	250	167	220	165	220	222	215
3	मशीने तथा सयंत्र	65	49	80	63	110	90	100	91	100	88	116
4	ट्रक नवीकरण	1250	1367	1425	1392	1500	1589	2000	1702	2050	1857	2703
5	पुल निर्माण कार्य	85	73	100	66	125	88	75	69	75	110	204
6	गेज परिवर्तन	910	1130	650	673	645	543	600	454	665	684	807
7	दोहरी लाइन	195	291	510	447	625	554	655	524	672	620	608
8	अन्य यातायात सुविधाएं	125	128	2210	147	220	171	225	149	225	202	225
9	सिग्नल व संघार	230	251	350	310	375	369	425	350	425	415	725
10	सड़क सुरक्षा आर ओ बी / आर यू बी लेवल क्रॉसिंग		-	-	-	-	-	300	79	300	203	450
11	कम्प्यूटरीकरण	45	31	60	28	70	40	70	55	70	86	139
12	विद्युतीकरण	350	319	340	328	350	319	325	302	225	325	238
13	अन्य इलेक्ट. कार्य	70	66	150	94	130	104	430	93	120	121	130
14	नई लाइनें	400	400	500	388	600	521	825	711	1015	882	911
15	स्टाफ क्वार्टर	60	45	60	52	55	57	60	53	65	69	67
16	स्टाफ कल्याण	55	56	55	47	55	54	60	52	65	63	65
17	प्रयोक्ता सुविधाएं	80	89	100	91	130	115	200	136	200	168	200
18	अन्य निर्दिष्ट कार्य	65	40	65	39	55	39	45	39	45	58	79
19	माल सुधियां	10	-83	75	91	170	497	337	424	300	891	390
20	एम. टी. पी.	170	146	250	184	300	245	400	263	378	295	266
21	रेलवे अनुसंधान	3	5	10	8	10	7	10	9	10	10	20
22	पी एस यू में निवेश	10	92	20	-	20	-	38	36	15	15	-
	जोड़	8300	8239	9500	8857	9700	9057	11000	9395	11090	10857	12330

7.3.2 सड़कें

पृष्ठभूमि

1. एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा सड़क-नेटवर्क बुनियादी संरचनात्मक निवेश होता है। पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों को व्यापार तथा निवेश के लिए खोलने तथा राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में यह प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, सड़कों की, अंतर-रूपात्मक परिवहन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा पत्तनों जैसे केंद्रों से सम्पर्क प्रदान करती हैं और द्वार-से-द्वार को मिलाते हुए इन केंद्रों को पृष्ठ प्रदेश से भी जोड़ती हैं।

2. भारत में वर्तमान सड़क नीति के दो बुनियादी सिद्धांत हैं अर्थात् पहुँच और गतिशीलता। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करके पहुँच के विकल्प को प्राप्त किया गया है। दसवीं योजना के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क संयोजन प्रदान करने के प्रयोजन से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) आरंभ की गई है। गतिशीलता को, उच्च-घनत्व वाले मार्गों को सुदृढ़ बना कर सहज बनाया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना मुख्य पहल है और इसका उद्देश्य स्वर्ण-चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिणी, पूर्व-पश्चिमी मार्गों को 4/6 लेन वाला बनाना है। इसी के साथ-साथ वर्तमान नेटवर्क के रख-रखाव पर भी बल दिया जा रहा है ताकि पहले से स्थापित की गई सड़क परिसम्पत्तियां घिस कर नष्ट न हो जाएं।

नौवीं योजना की समीक्षा

3. नौवीं योजना(1997-2002) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के काम पर हुई वास्तविक प्रगति संलग्नक 7.3.6 में दी गई है। इसमें स्कीम-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां शामिल हैं। इसमें देखा जा सकता है कि स्कीम-वार उपलब्धियां आम तौर पर अच्छी रही हैं। दो लेनो तक चौड़ा करने तथा कमजोर दो-लेनो को मजबूत बनाने के मामले में, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां अधिक रही हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र को अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई हैं। कमियां, उप-मार्गों तथा पुलों के निर्माण में रही हैं। नौवीं योजना में स्कीम-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 7.3.7 में दिया गया है।

वार्षिक योजना 2002-03

4. वर्ष 2002-03 दसवीं योजना का प्रथम वर्ष है। इस वर्ष के दौरान ग्रामीण संयोजकता पर जोर देकर और स्वर्ण चतुर्भुज कार्य को पूरा करने में तेजी लाकर सड़क प्रणाली का विस्तार करने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घटिया राइडिंग क्वालिटी जैसी त्रुटियों को दूर करके और राज्य राजमार्ग नेटवर्क को समेकित करके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना भी एक प्राथमिकता का क्षेत्र है। सड़क नेटवर्क के संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि मौजूदा सड़क परिसम्पत्तियां समय के साथ खराब न होने पाएं।

5. वार्षिक योजना 2002-03 के लिए स्कीमवार वास्तविक लक्ष्य (गैर-एन.एच.डी.पी खण्ड) संलग्नक 7.3.6 पर दिए गए हैं। देखा जा सकता है कि चार लेनों तक चौड़ा करने का लक्ष्य 443 कि.मी., दो लेनों तक चौड़ा करने का 633 कि.मी. तथा कमजोर दो लेनों को मजबूत बनाने का लक्ष्य 755 कि.मी. है। संलग्नक-1 में दसवीं योजना (2002-07) अवधि के लिए तदनुरूपी वास्तविक लक्ष्य भी शामिल हैं। वार्षिक योजना 2002-03 तथा दसवीं योजना (2002-07) के लिए स्कीम-वार परिव्यय संलग्नक 7.3.7 में दिया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 में केंद्रीय सेक्टर में सड़कों के विकास के लिए 5870 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

दसवीं योजना में बल दिए जाने वाले क्षेत्र- सड़क क्षेत्रक

दसवीं योजना में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा :

मौजूदा सड़क नेटवर्क की राइडिंग क्वालिटी तथा क्षमता में सुधार करना-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी) ज्यादा पूरी कर ली जाएगी।

अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की सवारी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। परन्तु विभिन्न कमियों में सुधार करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है- इसलिए परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है।

सड़क अनुरक्षण नवीकरण पर बल। वर्तमान प्रणाली में जबाबदेही कम है और मानीटरिंग घटिया है। अनुरक्षण-कार्य ठेके पर निजी क्षेत्र को देने की आवश्यकता है। सिविल निर्माण संविदाओं में 5-वर्ष की अनुरक्षण अपेक्षाएं शामिल की जा सकती हैं।

घुनिदा उच्च घनत्व वाले मार्गों के लिए एकस्प्रैस-मार्गों के निर्माण के वास्ते प्रारंभिक कार्य आरंभ करना। सरकार की भूमिका केवल सुसाधक की भूमिका तक सीमित रखनी होगी।

सड़क परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। बी.ओ.टी. स्कीमों को और अधिक आकर्षक बनाना।

वार्षिक योजना 2002-03 प्रहार क्षेत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग

6. 58,000 कि.मी से अधिक लम्बाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख परिवहन नेटवर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। वार्षिक योजना 2002-03 में कमियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना जारी रहेगा, जैसाकि अनजुड़े स्थानों के बीच सड़कों का, निम्न ग्रेड खण्डों का सुधार, कमजोर पुलों की पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माण, एक लेन वाले खण्डों को 4 लेनों या दो लेनों में बदलना। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की सवारी गुणवत्ता में सुधार करने पर भी बल दिया जाएगा। इस वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे -जैसे पिछड़े तथा दूर-दराज के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना जारी रहेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

7. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज (जी.क्यू) तथा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग (एन-एस, ई.-डब्ल्यू) परियोजनाए शामिल हैं। ये परियोजनाए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) द्वारा निष्पादित की जा रही हैं और इनमें मौजूदा नेटवर्क को चार/छः लेनों में बदलना शामिल है। जी.क्यू. की कुल लम्बाई 5,846 कि.मी. है और यह दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता को आपस में जोड़ेगी और इसे 2003 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एन-एस, ई.-डब्ल्यू मार्गों की लम्बाई 7,300 कि.मी. होगी- और ये कश्मीर को कन्याकुमारी से और सिल्वर को पोरबंदर के साथ जोड़ेंगे। एन.एस, ई.-डब्ल्यू मार्ग परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2007 है।

8. जी.क्यू को पूरा करने में कुछ फिसलनों का सामना करना पड़ा है। 31 जुलाई 2002 तक पूरी की गई कुल लम्बाई 1159 कि.मी. थी और 4551 कि.मी. मार्ग कार्यान्वयनाधीन था। 136 कि.मी. लम्बाई के लिए अभी संविदाएं दी जानी हैं। जहाँ तक एन-एस, ई.-डब्ल्यू मार्ग परियोजनाओं का संबंध है, पूर्ण हो चुके खण्ड की सम्बाई 773 कि.मी. है (जिसमें जी.क्यू के साथ 210 कि.मी. लम्बा एक साझा खण्ड भी शामिल है)। 715 कि.मी. का एक अन्य खण्ड कार्यान्वयनाधीन है।

राज्य सड़कें

9. राज्य सड़क क्षेत्रक में, मौजूदा सड़क नेटवर्क के विस्तार की बजाय इसके दृढीकरण पर बल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि घटिया अनुरक्षण के कारण मौजूदा राज्य राजमार्ग नेटवर्क खराब हालत में हैं। इस संबंध में निधियां एक बड़ी बाधा रही है और इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें सड़कों के रख-रखाव और अनुरक्षण में निजी क्षेत्रों को साथ लेने की संभावनाओं का पता लगाएं। राज्य सड़क नेटवर्क के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की भी आवश्यकता है। नेटवर्क में विभिन्न खामियों को दूर करने और उनकी प्राथमिकता संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

ग्रामीण सड़कें

10. ग्रामीण संयोजकता भारत में ग्रामीण विकास का मुख्य घटक है। ग्रामीण संयोजकता के संवर्धन के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी. एम.जी.एस.वाई) नामक एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम शुरू किया गया है। पी.एम.जी.एस.वाई. का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी-बस्तियों को सभी मौसमों में अनुकूल सड़कों द्वारा संयोजकता प्रदान करना है ताकि 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को तीन वर्षों (2000-03) में और 500 तथा इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को दसवीं योजना (2007) के अंत तक यह सुविधा प्रदान कर दी जा सका। पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल) और रेगिस्तानी क्षेत्रों में उद्देश्य 250 तथा इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़कों द्वारा जोड़ना है। एक संबंधित उद्देश्य के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों/जिलों में ग्रामीण

सड़क नेटवर्क का न्यायसंगत विकास प्राप्त करना भी है ताकि ग्रामीण विकास के लिए अप्रकट संभावना का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। पी.एम.जी.एस.वाई एक केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

11. 1.4.2000 को, 1.60 लाख बस्तियों को पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना था। जिन राज्यों की 2002 तक 1000+ वाली बस्तियों के लिए 100 प्रतिशत संयोजकता प्राप्त करने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा, मेघालय और मणिपुर।

सड़क अनुरक्षण

12. सड़कों का अनुरक्षण, विशेषकर घटिया रख-रखाव के कारण नेटवर्क की हालत खराब होने की वजह से, एक उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि किसी मौजूदा नेटवर्क को बनाए रखने की तुलना में एक नया नेटवर्क विकसित करना कहीं अधिक खर्चीला होता है। वर्तमान अनुरक्षण प्रणाली में कम जवाबदेही तथा घटिया मानीटरिंग व्यवस्था है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुरक्षण कार्य ठेके पर निजी क्षेत्र को सौंपने की आवश्यकता है। सड़कों के रख-रखाव में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी संसाधनों की समस्या का भी एक समाधान होगी क्योंकि यह समस्या सड़कों के रख-रखाव के रास्ते में एक बड़ी बाधा रही है।

13. इसके अलावा, अनुरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए, सड़क क्षेत्रक संविदाओं का एक बहुत बड़ा भाग रखने वाली सिविल निर्माण संविदाओं में 5 वर्षीय अनुरक्षण की अपेक्षा शामिल की जा सकती है और इसके लिए शुरुआत राष्ट्रीय राजमार्ग संविदाओं के साथ की सकती है। पी.एम.जी.एस.वाई में सड़कों के दीर्घकालिक अनुरक्षण के लिए एक रूप-रेखा भी शामिल करनी होगी ताकि सृजित की गई ग्रामीण परिसम्पत्तियां समय के साथ घिस कर नष्ट न हो जाएं।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

14. सड़क क्षेत्रक में निजी निवेश बढ़ाने की दृष्टि से, एक्सप्रेस मार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा प्रचालन में निजी क्षेत्रक भागीदारी की संकल्पना 1995 में अनुमोदित की गई थी। तब से लेकर सड़क निर्माण क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुसाध्य बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। परन्तु भागीदारी को सुसाध्य बनाने के लिए किए गए उपायों के बावजूद निजी निवेशकों की प्रतिक्रिया अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं रही है और निजी क्षेत्र की भागीदारी मुख्यतया उप-मार्गों तथा पुलों के निर्माण तक ही सीमित रही है। इसलिए बिल्ड-ऑप्रेटिव-ट्रांसफर (बी ओ टी) स्कीमों को अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में एक उपयोगी सुझाव यह है कि निवेशकों में अधिक विश्वास पैदा करने के लिए डाउन-साइड यातायात जोखिम को आपस में बांट लिया जाए। यह तथ्य कि बी.ओ.टी (वार्षिकी), जिसमें संविदागत वार्षिकी भुगतान शामिल होता है, सफल रही है और बी.ओ.टी. के प्रति कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं रही है, इस तथ्य की ओर संकेत देता है।

15. निजी क्षेत्रक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों ने भी कई पहलकदमियां की हैं। इसमें उल्लेखनीय राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात रहे हैं। कई अन्य राज्यों ने भी निजी क्षेत्रक भागीदारी नीति बनाई है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

16. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दाता-एजेंसियों द्वारा निधीयत विदेशी सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (गैर एन.एच.डी.पी.खण्ड) के ब्योरे अनुबंध 7.3.8 में दर्शाए गए हैं। कुल मिलाकर ऐसी ग्यारह परियोजनाएं हैं। इनमें से दस पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के ब्योरे व्यय सहित संलग्नक 7.3.8 में दिए गए हैं।

मानीटरिंग तंत्र

17. योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने एक मानीटरिंग तंत्र तैयार किया है। इन्हें त्रैमासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर) कहा जाता है, जिसमें योजना आयोग का संबंधित सदस्य पंच वार्षिक योजनाओं में कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठकें करता है। इसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना और निवारक उपाय करना होता है ताकि योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। यह सभी कार्य एन.एच.डी.पी. की प्रगति को नियमित रूप से मानीटर करने के अतिरिक्त हैं।

18. एक अन्य महत्वपूर्ण पहल शून्य-आधारित बजट बनाने की कवायद है। इसका उद्देश्य योजनागत स्कीमों की समीक्षा करना है ताकि इन्हें योजनागत लक्ष्यों के अधिक अनुरूप बनाया जा सके। कई सड़क क्षेत्रक स्कीमों को आमेलित कर दी गई हैं और कई छोड़ दी गई हैं ताकि इन्हें बजट के अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां- सड़कें तथा पुल

क्र. सं.	स्कीम	यूनिट	नौवीं योजना लक्ष्य (1997-2002)	नौवीं योजना उपलब्धियां (1997-2002)	10वीं योजना लक्ष्य (2002-07)	वार्षिक योजना लक्ष्य (2002-03)
1	2	3	4	5	6	7
1.	चार लेनों तक चौड़ा करना	कि.मी.	944	797	800	443
2.	दे लेनों तक चौड़ा करना	कि.मी	1791	1955	4000	633
3.	2 कमजोर लेनों का दृढ़ीकरण	कि.मी.	3042	3511	2000 (10,000) आई.आर. क्यू.पी.	755
4.	उप-मार्ग	अदद	59	30	25	17
5.	बड़े पुल	अदद	633	442	100	202
6.	आर.ओ.बी. सहित बड़े पुल					

केंद्रीय आर.ओ.ए.एल सेक्टर परियोजनाएँ/व्यय

क्र. सं.	स्कीम	नवी योजना परियोजना	1997-2002 व्यय	वर्तमान योजना परियोजना (2002-07)	वर्षिक योजना (2002-03)
1	2	3	4	5	6
1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3607.16	4178.22	13990.50	2158.00
2	अन्य स्कीमों एन. एच. (ओ.)	3983.43	4786.12	8664.00	1440.00
3	बी.आर.डी.बी. के तहत निर्माण कार्य	468.00	524.80	950.00	145.00
4	अन्य व्यय (देशीय)		0.59		1.00
5	अन्य प्रकार		0.20	20.00	1.00
6	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास		4.15	20.00	4.00
7	सी.आर.एफ. से राज्यों के लिए ई एण्ड आई	109.00	71.38	500.00	95.00
8	सी.आर.एफ. से संघ रा.क्षे. के लिए ई एण्ड आई				5.00
9	योजना विकास	0.30		*	*
10	सड़क विंग के अधीन सामरिक सड़कें	17.49	13.53	50.00	1.00
11	बी.आर.डी.बी.के अधीन सामरिक महत्व की सड़कें	28.60	30.98		8.50
12	एस.बी.ए. सड़कें	0.64	0.64		*
13	विशेष मरम्मत कार्यक्रम		501.49	*	*
14	अनुसंधान व विकास योजना अध्ययन	28.64	14.41	20.00	3.00
15	प्रशिक्षण	5.35	0.89	10.50	1.50
16	मशीनें तथा उपस्कर	25.00	25.37	15.00	2.00
17	एन.एच.ए.आई (निवेश)	551.00	5483.00	10500.00	2000.00
18	प्रभारित व्यय	37.41	34.45	50.00	5.00
	जोड़	8862.02	15670.22		34790.00
					5870.00

* छोड़ दिए गए

विदेशी सहायता प्राप्त सड़कों/पुल परियोजनाओं का वित्त-पोषण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्थिति	पूरी होने की संभावित लागत	पूरी होने की संभावित तारीख	31.3.2002 तक कुल व्यय	12.4.2002 को शेष राशि	बजट नियतन 2002-03
1	हरियाणा में करनाल तथा अंबाला के बीच 4 लेनों बनाना 132.67-212.16 कि.मी. एन.एच.1	371.99	पूर्ण	369.99	2.0	2.00
2	पंजाब में सरहंद तथा पंजाब/हरियाणा के बीच 4-लेनों बनाना 212.16-252.55 कि.मी. एन.एच.1	241.74 275.13	-वही- -वही-	241.74 268.13	0.0 7.0	2.00 7.00
3	कटक-भुवनेश्वर खण्ड में 4 लेनों बनाना (0.0से 27.8 कि.मी.)					
4	एन.एच-3(573 से 590.6 कि.मी.) के इंदौर-देवास खण्ड को 4 लेनों में बदलना जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर उप-मार्ग (32.6 कि.मी.) का निर्माण भी शामिल है।	264.85	-वही-	243.70	21.15	10.00
5	महाराष्ट्र में बेसीन क्रीक तथा मनोर के बीच 439 से 497 कि.मी. एन.एच.-2) को 4 लेनों में बदलना	307.00	-वही-	300.06	6.94	5.00
6	पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा के बीच एन.एच-2 के 438 से 474.0 कि.मी. मार्ग को 4 लेनों में बदलना	141.09	-वही-	140.00	1.09	2.50
7	उत्तर प्रदेश में एन.एच-2 के मथुरा-आगरा खण्ड को 4 लेनों में बदलना	154.30	-वही-	142.94	11.36	10.00
8	कर्नाटक में एन.एच-47 के 8 से 33.0 कि.मी. मार्ग को 4 लेनों में बदलना	71.15	-वही-	68.43	2.72	0.10
9	केरल में आल्फ्रेड-शोरथ- लाई के बीच एन.एच-8 को 4-लेनों में बदलना	145.04	-वही-	141.20	3.84	0.10
10	राजस्थान में अचरोल-कोटपुतली के बीच एन.एच-8 को 4-लेनों में बदलना	106.23	-वही-	104.52	1.71	0.10
11	पश्चिम बंगाल मार्ग विकास परियोजना	1085.70	जून, 2006	-	1085.70	122.82

सड़क परिवहन

1. देश में आने जाने वाले माल तथा यात्री यातायात के लिए सड़क परिवहन एक प्रधान परिवहन साधन है। पिछले पच्चास वर्षों के दौरान इस क्षेत्रक में महत्वपूर्ण विकास हुआ है और इस अवधि के दौरान इसमें वाहनों की संख्या में 12.61 प्रतिशत की मिश्रित वृद्धि दर दर्ज की गई है। रेल लाइनों से न जुड़े पहाड़ी, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए तल परिवहन का एक मात्र यंत्रीकृत साधन होने के कारण, रेलवे की तुलना में यात्री तथा माल यातायात में इसके हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

9वीं पंच वर्षीय योजना (1997-02) की समीक्षा

2. 9वीं पंच वर्षीय योजना के लिए केंद्रीय सेक्टर के अधीन 60 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय की तुलना में 43.34 करोड़ रु० व्यय होने की संभावना है (72.2%)। उपलब्धि में कमी का कारण पर्याप्त प्रस्ताव न मिलना बताया जाता है। राज्य सेक्टर के अधीन 9वीं पंच वर्षीय योजना के लिए 7355.26 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इसकी तुलना में 5894.30 करोड़ रु० (80%) खर्च होने की संभावना है जैसाकि संलग्नक 7.3.9 में दर्शाया गया है।

3. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का वास्तविक कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है। बेड़े के उपयोग, वाहन उत्पादिता, कर्मचारी उत्पादिता, ईंधन किफायत आदि में संतोषजनक सुधार हुआ है। परन्तु, वास्तविक कार्य-निष्पादन में सुधार होने के बावजूद राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की वित्तीय हानियां जारी रहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवल हानि 8731 करोड़ रु० थी। इन हानियों के मुख्य कारण इस प्रकार थे- निवेश लागत में वृद्धि, सेवाओं को गैर-किफायती मार्गों पर चलाना, निःशुल्क और रियायती यात्रा, उच्च मोटर वाहन कर तथा गैर-किफायती किराया ढांचा।

दसवीं योजना के प्रहार क्षेत्र - सड़क परिवहन सेक्टर :

10वीं योजना में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा :

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास। विनियंत्रण तथा प्रतिबंधक पद्धतियों को हटा कर निजी क्षेत्रक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की भूमिका परिवहन सेवाओं को विनियमित करने तक सीमित होगी, जिसका उद्देश्य जनता को कुशल तथा सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना होगा।

सड़कों पर दुर्घटनाएं तथा मौतें कम करने के उपाय

उच्चतर क्षमता तथा बेहतर प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने के उपाय, ताकि सड़क परिवहन में होने वाले परिवर्तन सड़क क्षेत्रक में आई क्रांति के साथ कदम मिला कर चल सकें।

10वीं पंच वर्षीय योजना के लिए प्रक्षेप (2002-07)

4. 10वीं पंच वर्षीय योजना में (2002-07) सड़क क्षेत्रक के लिए 210 करोड़ रु0 नियत किए गए हैं। शुरू की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम, सड़क सुरक्षा पर प्रचार उपाय, मोटर वाहनों से प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। राज्य सेंक्टर के अंतर्गत राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के प्रचालन में सुधार करना एक बड़ी स्कीम होगी।

वार्षिक योजना 2002-03

5. वार्षिक योजना 2002-03 में राज्य सड़क परिवहन क्षेत्रक के लिए चार स्कीमों के वास्ते 30.00 करोड़ रूपए का परिष्यय नियत किया गया है और ये स्कीमें हैं- (i) राष्ट्रीय डाटा नेटवर्क और कम्प्यूटर प्रणाली, (ii) सड़क सुरक्षा, (iii) प्रदूषण नियंत्रण, तथा (iv) ड्राइविंग तथा अनुसंधान पर माडल प्रशिक्षण संस्थान।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

6. यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने से राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों पर बोझ कम हुआ है। निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दे कर अलाभकारी मार्गों पर सेवाएं चलाने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। दीर्घकालिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि सभी यात्री सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र बढ़-चढ़ कर भूमिका निभाए। परन्तु अंधा-धुंध ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, अनिर्धारित कार्यों तथा कर अपवंचन को रोकने की आवश्यकता है।

शून्य आधारित बजट बनाना

7. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग द्वारा किए गए शून्य आधारित बजट बनाने की क्रवायंद के दौरान सड़क परिवहन क्षेत्रक की दो स्कीमें छोड़ दी गई है और 14 अन्य स्कीमों को मिला कर तीन स्कीमें कर दी गई हैं। ड्राइविंग और अनुसंधान की एक स्कीम केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में बदल दी गई है।

मानीटरिंग तंत्र

8. परियोजनाओं/स्कीमों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा और मानीटरिंग के लिए त्रैमासिक प्रगति समीक्षा (क्यू.पी.आर.) बैठकों की एक प्रणाली शुरू की गई है।

परिव्यय और व्यय - सड़क परिवहन

स्कीम	9वीं योजना परिव्यय	1997-98 परिव्यय	व्यय	1998-99 परिव्यय	व्यय	1999-2000 परिव्यय	व्यय	2000-01 परिव्यय	व्यय	2001-02 परिव्यय	व्यय	व्यय 9वीं योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. एच.आर.टी.सी. को पूंजीगत योगदान	8.63	5.63	5.63	3.00	1.52	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2. सड़क तुला कार्यक्रम	37.42	2.57	1.89	8.40	4.40	5.66	4.95	9.45	7.95	10.12	11.52	30.71
सड़क तुला कवा	0.75	0.12	0.10	0.20	0.09	0.15	0.15	0.20	0.17	0.22	0.19	0.70
प्रचार उपाय	8.67	1.00	0.79	2.50	1.68	1.00	1.00	3.00	2.70	3.00	3.12	9.29
सफाया अनुदान	3.00	0.20	0.20	1.00	0.08	0.50	0.40	0.50	0.49	0.50	0.49	1.66
प्रबुध जॉब उपस्कर	6.00	0.50	0.30	1.50	0.64	1.00	0.50	0.75	1.00	1.25	0.20	2.64
सड़क तुला उपस्कर	4.00	0.25	0.02	0.70	0.00	0.01	0.15	4.00	0.65	0.15	1.14	1.96
राष्ट्रीय सज्जाम / गस्त स्कीम	15.00	0.50	0.50	2.50	1.91	3.00	2.75	1.00	2.93	5.00	6.37	14.46
3. प्रशिक्षण और कम्प्यूटर	4.45	0.26	0.50	2.10	0.26	0.68	0.64	0.75	0.97	0.57	0.34	2.71
राष्ट्रीय सड़क तुला संस्थान	2.00	0.00	0.40	1.50	0.00	0.33	0.30	0.40	0.40	0	0.04	1.14
अर्ध-पति क्षेत्र में सुविधा को प्रशिक्षण	0.75	0.15	0	0.25	0.08	0.15	0.15	0.30	0.32	0.3	0.22	0.77
प्रशिक्षण कार्यक्रम (एच आर टी)	0.50	0.01	0	0.15	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.19
कम्प्यूटर प्रणाली	1.20	0.10	0.10	0.20	0.13	0.15	0.15	0.20	0.20	0.22	0.03	0.61
4. अनुसंधान और विकास	1.15	0.20	0.10	0.20	0.00	0.15	0.00	0.10	0	0	0	0.10
5. सी.आई. आर.टी. पुणे का सुदृढीकरण	4.65	0.20	0	1.00	0.40	1.00	1.00	0.20	0	0	0	1.40

7.3.3 पत्तन

भारत की समुद्री तट-रेखा पर स्थित बारह प्रमुख पत्तन देश के लगभग 75% पत्तन यातायात को संभालते हैं और शेष 25% यातायात लघु/राज्य पत्तनों द्वारा संभाला जाता है।

नौवीं योजना की समीक्षा

2 9428 करोड़ रु0 के परिव्यय की तुलना में 4838.92 करोड़ रुपए खर्च हुए। कमी के लिए मुख्य कारणों में शामिल थे - स्कीमें मंजूर करने में विलम्ब, ठेकेदारों द्वारा काम की धीमी प्रगति, संविदागत विवाद/मुकदमेबाजी, संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब और कुछ स्कीमों को निकाल देना।

3. प्रमुख पत्तनो द्वारा संभाला गया यातायात 429 मिलियन टन(एम टी) के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 1997 को 227.26 एम टी से बढ़कर 31 मार्च, 2002 को 291.10 एम टी हो गया जिसमें लघु पत्तनो द्वारा भेजा गया यातायात भी शामिल था। लघु पत्तनो द्वारा संभाला गया यातायात आठवीं योजना के अंत में 37.83 एम टी से बढ़कर नौवीं योजना के अंत तक 71.10 एम टी हो गया। प्रमुख पत्तनों तथा लघु पत्तनो पर यातायात में संवृद्धि क्रमशः 4.9% तथा 27.9% थी। इस प्रकार, नौवीं योजना के दौरान कुल यातायात में लघु पत्तनो के हिस्से में वृद्धि हुई। नौवीं योजना के अंत तक प्रमुख पत्तनों की क्षमता 343.95 एम टी थी जो योजना अवधि के दौरान 124.85 एम टी की वृद्धि दर्शाती है।

4. प्रति पोत लंगरगाह दिवस आउटपुट, लंगरगाह-पूर्व प्रतीक्षा-समय तथा औसत टर्न-राउंड समय की दृष्टि से पत्तन उत्पादिता में नौवीं योजना के दौरान सुधार दर्ज किया गया है। औसत लंगरगाह-पूर्व प्रतीक्षा समय 1996-97 में 1.7 दिन से घट कर 2000-01 में 0.05 दिन हो गया। 1996-97 में 7.5 दिवस के औसत टर्न-राउंड समय में सुधार होकर 2000-01 में यह 4.7 रह गया। प्रति पोत लंगरगाह दिवस आउटपुट 1996-97 में 4497 टन से बढ़कर 2000-01 में 6469 टन हो गई। प्रति गैंग शिफ्ट आउटपुट की दृष्टि से भ्रम उत्पादिता 1997-98 में 307 टन से बढ़कर 2000-01 में 413 टन हो गई।

वार्षिक योजना 2002-03

5. वार्षिक योजना 2002-03, दसवीं पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण, दसवीं पंच वर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा प्रहार (थ्रस्ट) क्षेत्रों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना के प्रहार क्षेत्र

- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- संगठनात्मक परिवर्तन करना - प्रबंधन कुशलता का निगमीकरण, संस्थानात्मक निष्पीडन तथा आकर्षक निजी निवेश।

- बड़े गेटवे पत्तन स्थापित करना और कुशल रेल तथा सड़क सेवाओं के जरिए अंतर-मोडल सम्पर्क उपलब्ध करना।
- तैनाती मानदण्डों को तर्कसंगत बनाना।
- प्रमुख टैरिफ प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी) को एक अपीलीय निकाय बनाना तथा इसकी अधिकारिता सभी पत्तनो पर विस्तारित करना।

वित्तीय निष्पत्ति

6. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, पत्तन सेक्टर के लिए 1162.00 रुपए परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें 256.89 करोड़ रु0 बजटीय सहायता के रूप में तथा 905.11 करोड़ रु. आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई.ई.बी.आर) के रूप में शामिल हैं।

वैशेषिक लक्ष्य

जहाजी, बंदर, यातायात लक्ष्य

7. प्रमुख पत्तनो पर यातायात 31 मार्च 2002 को 291.10 एम टी से बढ़कर 31 मार्च 2003 को 295.84 एम टी हो जाने का अनुमान है। दसवीं योजना के लिए लक्ष्य 415 एम टी है। प्रमुख पत्तनो में 2002-03 के लिए पण्य-वार यातायात लक्ष्यों के अलग-अलग व्योरे इस प्रकार हैं:

10वीं योजना लक्ष्य, वार्षिक योजना 2002-03 के लिए यातायात लक्ष्यों के पण्य-वार अलग-अलग व्योरे

(मिलियन टन में)

पत्तन	10वीं योजना	वार्षिक योजना 2002-03
पी ओ एल	154.30	104.280
लोड अयस्क	52.50	46.00
उर्वरक	13.45	3.675
एफ.आर.एस. शुष्क		6.885
धर्मल कोयला	71.30	31.100
कोकिंग कोयला		15.190
कन्टेनर-बंद माल	61.10	40.710
अन्य जहाजी माल	62.35	48.39
कुल	415.00	295.84

क्षमता वृद्धि

8. 31 मार्च, 2002 को प्रमुख पत्तनों की क्षमता 343.95 एम.टी.पी.ए. थी प्रमुख पत्तनों में क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, 2002-03 को दौरान क्षमता में 18.60 एम टी की वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार 31 मार्च, 2003 को प्रमुख पत्तनों की क्षमता 31 मार्च, 2007 को 470.15 एम टी के लक्ष्य की तुलना में लगभग 362.55 एम टी हो जाने की संभावना है। पत्तनवार व्योरे संलग्नक 7.3.10 में दिए गए हैं। बहुत सी परियोजनाएं 2002-03 में पूरी हो जाने की उम्मीद है। ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्नक 7.3.11 में दी गई है।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

9. नौवीं योजना में निजी क्षेत्र/आबद्ध प्रयोक्ताओं से 8,000 करोड़ रु0 निवेश की परिकल्पना की गई थी जिसमें 76 एम टी तक की क्षमता अभिवृद्धि शामिल थी। 60.05 एम टी क्षमता तथा 3,480.20 करोड़ रु0 के निवेश वाली निजी क्षेत्र/आबद्ध पत्तन की सतरह परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं और ये निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं।

10. 32.86 एम टी जभा नौ लाख बीस समकक्ष यूनिटों (टी.ई.यू) तथा 3,608.20 करोड़ रुपए निवेश वाली नौ और निजी क्षेत्रक/आबद्ध (कैप्टिव) प्रयोक्ता परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

11. दसवीं योजना के दौरान, निजी क्षेत्रक भागीदारी के लिए एक महत्वाकांक्षी निवेश योजना आरंभ की जाएगी। प्रमुख पत्तनों के लिए योजनागत आबंटनों के अतिरिक्त, 11,256.00 करोड़ रु0 तक का निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

शून्य-आधारित बजट बनाने की शुरुआत

12. एक अन्य महत्वपूर्ण पहल शून्य आधारित बजट बनाने का प्रयोग है। इसका उद्देश्य योजनागत स्कीमों की समीक्षा करना है ताकि इन्हें योजना लक्ष्यों के अधिक अनुरूप बनाया जा सके। बहुत सी पत्तन क्षेत्रक स्कीमें आमेलित कर दी तथा छोड़ दी गई हैं ताकि इन्हें लक्ष्य के अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

मान्नीटरिंग तंत्र

13. योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने एक मान्नीटरिंग तंत्र तैयार किया है। इन्हें त्रैमासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर) कहा जाता है, जिनमें योजना आयोग का संबंधित सदस्य पंच वर्षीय योजना में कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना तथा निवारक उपाय करना है ताकि योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान
प्रमुख पत्तनो द्वारा क्षमता अभिवृद्धि के प्रक्षेप

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	पत्तन का नाम	31.3.02 को क्षमता	31.3.03 को अनुमानित क्षमता	31.3.03 को अनु. क्षमता
1	2	3	4	5
1	कोलकाता पत्तन	9.80	09.80	-
2	हल्दिया पत्तन	32.40	32.40	2.00
3	पारादीप पत्तन	32.10	38.10	0.60
4	विजाग पत्तन	41.15	41.15	10.50
5	चेन्नई	38.75	40.95	4.20
6	इन्नोर	12.00	12.00	13.00
7	तूतीकोरिन पत्तन	13.95	14.95	3.35
8	कोचीन पत्तन	15.50	15.50	13.50
9	न्यू मैंगलोर पत्तन	21.30	29.50	12.00
10	मोरमुगांव पत्तन	20.50	20.50	7.00
11	मुम्बई पत्तन	38.50	38.50	11.50
12	जे एन. पत्तन	28.00	29.20	14.00
13	कांडला पत्तन	40.00	40.00	19.55
	कुल जोड़	343.95	362.55	111.20
				## 15.00
				* 126.20

विभिन्न पत्तनो पर उत्पादिता में सुधार से

* 31.3.2007 को कुल क्षमता 470.15 एम.टी होगी (343.95 + 126. 20)

31.3.2003 तक पूरी होने वाली क्षमता
प्रदायक संभावित परियोजनाओं के ध्योरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एम.पी.टी.ए.में)
1	पारादीप में तेल लंगरगाह का निर्माण	6.00
2	चैन्नई पत्तन पर कन्टेनर टर्मिनल का और आगे विस्तार	0.50
3	चैन्नई पत्तन पर वेस्ट क्वे लंगरगाह का आधुनिकीकरण	1.00
4	चैन्नई पत्तन पर साउथ क्वे 3 तथा ईस्ट क्वे लंगरगाहों का आधुनिकीकरण	0.70
5	तूतीकोरिन पत्तन पर लंगरगाह सं. 8 के सामने तलकर्षण (ड्रेजिंग)	1.00
6	न्यू मैंगलोर पत्तन पर एम.आर.पी.एल विस्तार के लिए पत्तन सुविधाएं (क्षमता संतुलन)	5.20
7	न्यू मैंगलोर पत्तन पर बहु-प्रयोक्ता तेल बंदरगाह का निर्माण	3.00
8	जे.एन.पोर्ट पर उथला जल लंगरगाह का निर्माण	1.20
	जोड़	18.60

7.3.4 पोत परिवहन

भारत में 5560 कि.मी. लम्बी समुद्री तट-रेखा पर 12 प्रमुख पत्तन तथा 184 लघु/मध्यवर्ती पत्तन स्थापित हैं और इसी कारण से पोत परिवहन क्षेत्रक का विशेष महत्व हो जाता है। प्रमात्रा की दृष्टि से भारत का समुद्र-पार का व्यापार 90% से अधिक तथा मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, देश के समुद्र-पार व्यापार में भारतीय ध्वज वाले जहाजों का हिस्सा 30% के आस-पास रहा है।

नौवीं योजना की समीक्षा

(क) 5005.45 करोड़ रु० परिव्यय की तुलना में व्यय केवल 2475.02 करोड़ रुपए था। यह अनुमोदित परिव्यय का लगभग 48.40% बैठता है। (ख) नौवीं योजना के लिए 9 मिलियन सकल टन भार (जी.टी) लक्ष्य की तुलना में, 31 मार्च, 2002 तक उपलब्धि केवल 6.91 मिलियन जी.टी थी, जोकि आठवीं योजना के स्तर पर थी। टन भार प्राप्ति में धीमी प्रगति के मुख्य कारण इस प्रकार थे- 1) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बने रहने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन न दिया जाना, (2) बाहरी वाणिज्यिक ऋण जुटाने में कठिनाई, (3) इस समय बाजार में मंदी की स्थिति है और चार्टर/भाड़ा दरों में काफी गिरावट आई है, विशेषकर ड्राई-बल्क तथा लाइनर क्षेत्र में, (4) ट्रेड पैटर्न में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने एस.सी.आई को अपनी कई परियोजनाएं त्यागने के लिए बाध्य कर दिया है।

वार्षिक योजना 2002-03

2. वार्षिक योजना 2002-03 दसवीं पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण, दसवीं पंच वर्षीय योजना के उद्देश्यों और प्रहार क्षेत्रों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना के प्रहार क्षेत्र

- भारतीय पोत परिवहन के लिए व्यावहारिक व्यापार स्तर सुनिश्चित करने के लिए टन भार कर व्यवस्था अपनाना।
- जहाजी माल-सहायता तथा इसके एल.एन.जी तक विस्तार की वर्तमान नीति को जारी रखना।
- तटवर्ती पोतों के लिए निर्माण, सर्वेक्षण, लोडलाइनो तथा सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं कम कड़ी निर्धारित करना।
- तटवर्ती पोतों के लिए तैनाती मानदण्डों को संशोधित करना।

वित्तीय नियतन

3 वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, पोत परिवहन क्षेत्रक के लिए 1342.26 करोड़ रु० का परिव्यय प्रदान किया गया है। इसमें से 10.01 करोड़ रु० बजटीय सहायता से महा निदेशक

(पोत परिवहन) को दिए जाएंगे और 1332.25 करोड़ रु0 भारतीय पोत परिवहन निगम (एस.सी.आई) द्वारा आई.ई.बी.आर. के माध्यम से जुटाए जाने की उम्मीद की जाती है।

वास्तविक लक्ष्य

4. दसवीं योजना में जहाजी बेड़े प्राप्त करने का लक्ष्य 7.71 एम.टी है। 2002-03 में एस.सी.आई निम्नलिखित जहाज प्राप्त करना चाहती है :

- 2 कैपसाइज बल्क कैरियर
- 1 ऐफ्रैमैक्स टैंकर
- 2 वी.एल.सी.सी
- 2 ऐफ्रैमैक्स टैंकर (पुराने)
- 2 एल आर-1 प्रोडक्ट कैरियर

महा निदेशक (पोत परिवहन)

5. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान नियत की गई 10.01 करोड़ रु0 की राशि नाविकों के हित में प्रशिक्षण और कल्याण स्कीम, व्यापारिक तथा समुद्रीय विभागों, पोत परिवहन कार्यालयों आदि सहित डी.जी (पोत परिवहन) मुख्यालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के लिए ई-गवर्नेंस परियोजना और सी.पी. डब्ल्यू.डी. तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भवनों के निर्माण पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

महा निदेशक (लाइट हाउसिंग एण्ड लाइट शिपस्)

6. लाइट हाउसिंग और लाइट शिपस् विभाग एक राजस्व अर्जक विभाग है और यह अपनी आय भारतीय पत्तनों में प्रवेश करने तथा इन पत्तनों से प्रस्थान करने वाले पोतों से प्रकाश की देय राशियों तथा प्रकाश प्रभारों के रूप में प्राप्त करता है। नौवीं योजना के दौरान, प्रत्याशित राजस्व अर्जन 408 करोड़ रु0 था। नौवीं योजना के 123 करोड़ रु0 के परिव्यय की तुलना में, इस क्षेत्र में व्यय लगभग 62 करोड़ रु0 हुआ था।

7. दसवीं योजना तथा वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, क्रमशः 185.00 करोड़ रु0 तथा 20.00 करोड़ रु0 का परिव्यय बजटीय सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। बल मौजूदा लाइट हाउसों के स्वचालन, दृश्य सुविधाओं में सुधार, मौजूदा लाइट हाउसों के प्रतिस्थापन, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार तथा तटवर्ती पोत यातायात सेवा (सी.बी.टी.एस) की स्थापना पर दिया जाएगा।

शून्य आधारित बजट बनाने की शुरुआत

8. एक अन्य महत्वपूर्ण पहल शून्य आधारित बजट बनाने का प्रयोग है। इसका उद्देश्य योजनागत स्कीमों की समीक्षा करना है ताकि इन्हें योजना लक्ष्यों के अधिक अनुरूप बनाया जा सके। पोत

परिवहन क्षेत्रक की स्कीमों को लक्ष्य के अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई स्कीमों को आमेलित कर दी गई हैं तथा कई छोड़ दी गई हैं।

मानीटरिंग तंत्र

9. योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने एक मानीटरिंग तंत्र तैयार किया है। इन्हें त्रैमासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर) कहा जाता है, जिनमें योजना आयोग का संबंधित सदस्य पंच वर्षीय योजना में कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना तथा निवारक उपाय करना है ताकि योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

7.3.5 अंतर्देशीय जल परिवहन (आई.डब्ल्यू.टी)

ऊर्जा प्रभावी, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ तथा परिवहन का किफायती साधन होने के कारण, आई.डब्ल्यू.टी अंतर-रूपात्मक संयोजकता स्थापित करते हुए यात्रियों तथा समुद्री माल को लाने-ले-जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत अनेकों जलमार्गों से सम्पन्न है, जिनमें नदी सिस्टम और नहरें शामिल हैं। अनुमान लगाया गया है कि कुल 14,544 कि.मी. जलमार्गों का प्रयोग यात्रियों तथा माल लाने-ले जाने के लिए किया जा सकता है। परन्तु इस सेक्टर की क्षमता का अत्याधिक नौगम्य जलमार्गों में उथले जल तथा शुष्क मौसम के दौरान घौड़ाई कम हो जाने, गाद या नदी तल तथा किनारों के कटाव, लदान तथा लंगर डालने के लिए टर्मिनल तथा तल सड़क सम्पर्कों जैसी पर्याप्त आधारिक सुविधाओं के अभाव जैसे कई जोखिम हैं।

नौवीं योजना की समीक्षा

2. 408 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में, तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर फेयरवे टर्मिनलों तथा नौसंचालन सुविधाओं की व्यवस्था/अनुरक्षण, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अधीन राज्यों को सहायता, अंतर्देशीय पोत प्राप्त करने के लिए ऋण ब्याज सब्सिडी, पूंजीगत ड्रेजिंग पोत प्राप्त करने तथा हैंडलिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने पर 201.56 करोड़ रु० खर्च किए जा सके।

वार्षिक योजना 2002-03

3. वार्षिक योजना 2002-03 दसवीं पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण, दसवीं पंच वर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा प्रहार (थ्रस्ट) क्षेत्रों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना के प्रहार क्षेत्र

- आधारिक सुविधाओं के विकास पर बल दिया जाएगा।

- आई.डब्ल्यू.टी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आई.डब्ल्यू.टी के विकास के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वित्तीय आबंटन

4. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, आई.डब्ल्यू.टी के लिए 80 करोड़ रु० का परिच्यय प्रदान किया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के लिए 20 करोड़ रु० की राशि भी शामिल है। व्यय मुख्यतया फेयरवे की व्यवस्था/ अनुरक्षण, तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टर्मिनल तथा नौसंचालन सुविधाओं, कई अन्य जलमार्ग सिस्टमों पर टर्मिनल तथा नौसंचालन सुविधाओं, कई अन्य जलमार्ग सिस्टमों पर तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययनों, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को सहायता देने और अंतर्देशीय पोत प्राप्त करने के लिए ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम की पिछली देयताओं को पूरा करने पर खर्च किया जाएगा।

भौतिक लक्ष्य

5. वर्ष 2002-03 के दौरान यातायात संचलन के लिए आई.डब्ल्यू.टी द्वारा नियत किए गए वास्तविक लक्ष्य 2,03,100 एम टी हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

6. अंतर्देशीय जल परिवहन नीति में, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दसवीं योजना तथा वार्षिक योजना 2002-03 में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। निजी क्षेत्र को संयुक्त उद्यमों, बी.ओ.टी. परियोजनाओं के माध्यम से अंतर्देशीय जल क्रियाकलापों की पूरी रेंज में शामिल किया जाएगा।

शून्य आधारित बजट बनाने की शुरुआत

7. एक अन्य महत्वपूर्ण पहल शून्य आधारित बजट बनाने का प्रयोग है। इसका उद्देश्य योजनागत स्कीमों की समीक्षा करना है ताकि इन्हें योजना लक्ष्यों के अधिक अनुरूप बनाया जा सके। पोत परिवहन क्षेत्रक की स्कीमों को लक्ष्य के अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई स्कीमों को आनेलित कर दी गई हैं तथा छोड़ दी गई हैं।

मानिटरिंग तंत्र

8. योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने एक मानिटरिंग तंत्र तैयार किया है। इन्हें त्रैमासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर) कहा जाता है, जिनमें योजना आयोग का संबंधित सदस्य पंच वर्षीय योजना में कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ

आवधिक बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना तथा निवारक उपाय करना है ताकि योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

7.3.6 नागर विमानन

भूमिका और विहंगम दृष्टि

नागर विमानन, यात्रियों या माल को लाने ले जाने के लिए यातायात का सबसे तेज परियहन साधन है। इस समय 94 सिविल हवाई अड्डे हैं, जिनमें 11 अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा रक्षा हवाई क्षेत्रों पर 28 सिविल एक्लेव शामिल है। यह क्षेत्र मोटे तौर पर तीन विशिष्ट कार्यात्मक इकाइयों में विभाजित है, नामतः विनियामक एवं विकासात्मक, प्रचालनात्मक तथा आधारभूत संरचनात्मक। विनियामक कार्यो को नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए) तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस) द्वारा अंजाम दिया है। प्रचालनात्मक कार्य सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य निजी एअरलाइन आप्रेटरो के अधीन एअर इंडिया लि०, इंडियन एअरलाइनज लि०, एलायंस एअर लि०, पवन हंस हेलीकोप्टर लि० द्वारा किए जाते हैं। आधारिक संरचना संबंधी सुविधाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

नौवीं योजना की समीक्षा

2. 9वीं योजना के दौरान केंद्रीय सेक्टर के अधीन 11112.37 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में संभावित व्यय 6599.51 करोड़ रुपए था। सकल बजटीय सहायता का उपयोग 37.1% (183.77 करोड़ रुपए) था। व्योरे (59.4 %) संलग्नक 7.3.12 में दिए गए हैं। परिव्यय का कम उपयोग इसलिए हुआ था क्योंकि सरकार ने इंडियन एअरलाइन्स, एअर इंडिया में ईक्विटी का विनिवेश करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए महानगरीय हवाई अड्डों को नया रूप देना का फैसला किया था और बी.सी.ए.एस. ने भी परिव्यय का कम उपयोग किया था। संगठन-वार भौतिक कार्यनिष्पादन पर इसके बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3. भारत में नागर विमानन क्षेत्रक में 9वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकास/परिवर्तन हुए हैं जैसेकि - क) सरकार ने एअरलाइनों के व्यापारिक कार्यों से स्वयं को काफी हद तक अलग कर लिया है; ख) नागर विमानन क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन दिए ताकि संसाधनों की खाई को पाटा जा सके और प्रबंधन में कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके, ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एअरलाइन्स की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई; घ) दिल्ली, मुंबई, चैन्नई तथा कोलकाता में मौजूदा हवाई अड्डों को पुनर्संरचना देने का निर्णय।

10वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उद्देश्य और प्रहार क्षेत्र

4. 10वीं पंच वर्षीय योजना में नागर विमानन क्षेत्र के विकास का मुख्य उद्देश्य देशीय व्यापार और पर्यटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं तथा

कुशल, सुरक्षित तथा विश्वसनीय विमान सेवाएं प्रदान करना है। योजना के उद्देश्यों का 2002-03 की वार्षिक योजना सहित बाद की वार्षिक योजनाओं में भी अनुसरण किया जाएगा। 10वीं योजना के दौरान प्रक्षेपों के ब्योरे संलग्नक 7.3.13 और 7.3.14 में दिए गए हैं।

दसवीं योजना के प्रहार क्षेत्र : नागर विमानन

नागर विमानन क्षेत्र के विकास के मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं तथा कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय विमान सेवाएं प्रदान करना है।

इंडियन एअरलाइन्स तथा एअर इंडिया में सरकारी ईक्विटी का विनिवेश करना।

निजी क्षेत्रक भागीदारी के जरिए महानागरीय हवाई अड्डों को पुनर्संरचना।

विमान सेवाओं के लिए एक उपयुक्त विनियामक ढांचा प्रदान करना।

खतरे की परिवर्द्धित संभावनाओं को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।

नई प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन विशेषज्ञता को आकर्षित करने की दृष्टि से देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय विमानों, दोनों में विदेशी ईक्विटी बढ़ाने पर विचार करना।

देशीय विमान परिवहन के लिए गठित की गई कम्पनियों में विदेशी एअरलाइनो द्वारा ईक्विटी भागीदारी पर रोक लगाने पर पुनर्विचार करना।

दूर दराज के तथा अलग-थलग क्षेत्रों में विमान सेवाओं की व्यवस्था में सुधार करने के लिए मार्गों को बिखराने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना।

वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान भौतिक लक्ष्य/वित्तीय नियतन

5. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 2521.19 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें 69 करोड़ रु० की बजटीय सहायता शामिल हैं। संगठन-वार ब्योरे संलग्नक 7.3.15 में दिए गए हैं।

एअर इंडिया तथा इंडियन एअरलाइन्स का विनिवेश

एअर इंडिया

6. एअर इंडिया (ए.आई.) अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रदान करती है। भारत सरकार एअर इंडिया में अपने हिस्से का विनिवेश करने जा रही है। इसकी ईक्विटी का 40% हिस्सा इसके अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार को दिए जाने प्रस्ताव है जिसमें से 26% विदेशी निवेशक एअरलाइन द्वारा धारित किया जाएगा। आशा की जाती है कि यह भागीदार प्रबंधन विशेषज्ञों की तथा वित्तीय व्यवस्था करेगा और विमान प्राप्ति प्रक्रिया में सहायता करेगा। परन्तु, 11 सितंबर, 2001 की घटना के कारण विनिवेश प्रक्रिया में विलम्ब होने की संभावना है।

इंडियन एअरलाइन्स लि०

7. इंडियन एअरलाइन (आई.ए) पूर्णतया अपने स्वामित्वाधीन सहायक मित्र एअर इंडिया लि० के साथ मिल कर मुख्यतया देश में देशीय विमान सेवाएं प्रदान करती हैं। परन्तु इंडियन एअरलाइन कुछ पड़ोसी देशों को अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करती है।

8. ए.आई.की तरह, सरकार ने 'देशीय विमान परिवहन नीति- के पैरामीटरों के भीतर आई.ए. की 51% ईक्विटी का विनिवेश करने का फैसला किया है, जिसमें से 26% ईक्विटी किसी समूह या व्यक्ति को दी जा सकती है जिसे संयुक्त उद्यम/महत्वपूर्ण भागीदार कहा जा सकता है। शेष 25% कर्मचारियों, वित्तीय संस्थानों तथा जनता को पेश की जाएगी। विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

9. ए.आई. तथा आई.ए. का भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन संलग्नक 7.3.16 ,7.3.17 तथा 7.3.18 में दिया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

10. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई) 94 सिविल हवाई अड्डों के प्रबंधन तथा विकास के लिए उत्तरदायी है, जिनमें 11 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा रक्षा विमान पत्तनो पर 28 सिविल एन्कलेव भी हैं। यह भारत में उड़ान भरने वाले विमान को मार्गनिर्देशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है। ए.ए.आई की लाभकारिता संलग्नक 7.3.18 में दर्शाई गई है।

11. 2002-03 के दौरान अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 996.05 करोड़ रुपए है, जिसमें बजटीय सहायता के लिए 53.12 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्रभाग (आई.ए.डी) के लिए नियत किया गया प्रावधान 286.45 करोड़ रुपए है और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्रभाग (एन.ए.डी) के लिए यह प्रावधान 709.60 करोड़ रुपए है। एन.ए.डी के लिए 709.60 करोड़ रुपए के अलग-अलग व्योरे इस प्रकार है -

2002-03 के दौरान स्कीम-वार अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्र.सं.	स्कीमें	अनुमोदित व्यय
1.	हवाई अड्डा निर्माण-कार्य	352.98
2.	वैमानिक संचार सेवाएं	248.60
3.	भू-सुरक्षा सेवाएं	101.75
4.	विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण (एम.ए.टी.एस-बी.डी)	3.00
5.	सी.ए.टी.सी, इलाहाबाद का आधुनिकीकरण	3.27
	जोड़	709.60
		(53.12)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े भारत सरकार से बजटीय सहायता दर्शाते हैं।

12. दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, हवाई अड्डों पर उन्नयन, विमान पत्तन आधारिक संरचना के विस्तार तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाएगा। इन उद्देश्यों का वार्षिक योजना 2002-03 सहित बाद की वार्षिक योजनाओं में पास किया जाएगा।

अन्य

13. पवन हंस हेलीकोप्टर लि० (पी.एच.एच.एल) को ओ.एन.जी.सी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को हेलीकोप्टर सेवाएं प्रदान करने तथा दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकोप्टर सेवाएं चलाने के लिए 15 अक्टूबर, 1985 को निगमित किया गया था। 2002-03 के दौरान मुख्यतः नया बेड़ा प्राप्त करने के लिए 133.80 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

14. हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस) उत्तरदायी है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, 7.69 करोड़ रु० की राशि अनुमोदित की गई है। इसमें से 5 करोड़ रु० नागर विमानन सुरक्षा अकादमी स्थापित करने के लिए नियत किए गए हैं।

15. नागर विमानन महा निदेशालय (डी.जी.सी.ए) देश में विमान प्रचालन में गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। 2002-03 के दौरान 3.10 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। निदेशालय की क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कार्य बल के प्रशिक्षण के लिए मशीनें तथा उपकरण खरीदने पर जोर दिया जाएगा ताकि यह अपने विनियामक कार्य निष्पादित कर सके।

16. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी देश का प्रमुख उड़ान संस्थान है जो वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस तथा वाणिज्यिक हेलीकोप्टर चालक लाइसेंस प्रदान करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, 2.09 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

17. होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एअर इंडिया का एक सहायक विभाग है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, 8.76 करोड़ रु० की राशि अनुमोदित की गई है। एअर इंडिया के निदेशक बोर्ड ने सिद्धांततः विनिवेश प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। विनिवेश प्रक्रिया विनिवेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है। संतूर, दिल्ली के मामले में, विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से तरीके और साधन तलाश कर पुनः बोली कराने के निर्देश दिए हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

18. भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध सेवाएं तथा सुविधाएं मानक नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार ने ए.ए.आई. के चार महानगरीय हवाई अड्डों को पुनर्संरचना देने का निर्णय किया है। यह पुनर्संरचना प्रक्रिया महानगरीय हवाई अड्डों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुसाध्य बनाएगी।

19. बंगलौर के समीप बंगलौर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट की सहायता कर्नाटक सरकार द्वारा की जाती है। 74 प्रतिशत तक ईक्विटी अंशदाता बनने वाला चयनित बोलीदाता एक संघ है, जिसका नेतृत्व सीमेनस, जर्मनी द्वारा किया जाता है जिसमें उसके अन्य भागीदार युनीक जूरिक, स्विटजरलैंड तथा लार्सन एण्ड टर्बो लि0, इंडिया हैं। इस परियोजना में कर्नाटक सरकार और ए.ए.आई एक साथ मिलकर 26% ईक्विटी धारित करेंगे जिसमें ए.ए.आई. की ईक्विटी 50 करोड़ रु0 तक प्रतिबद्ध होगी। प्राजेक्ट कम्पनी के शेयरधारी करार (बी.आई.ए.एल.) पर 23 जनवरी, 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1150 करोड़ रु0 है।

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति:

20. औरंगाबाद हवाई अड्डे का विकास जे.बी.आई.सी, जापान की वित्तीय सहायता से चरणों में शुरू किया गया है। जे.बी.आई.सी, जापान के साथ हुए करार के अनुसार, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए 82 % व्यय की प्रतिपूर्ति जे.बी.आई.सी. द्वारा भारतीय विमान प्राधिकरण को की जाएगी। चरण-1 में किए गए काम पर किया जाने वाला कुल व्यय 15.13 करोड़ रु0 है। परियोजना के चरण-1 के निर्माण कार्य, जिनमें अन्य कार्यों के साथ धावन पट्टी का 7500 फुट तक विस्तार भी शामिल है, पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। चरण-2 में शामिल कुछ कार्यों जैसे कि धावन पट्टियों (4.82 करोड़ रु0 का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है) को सुदृढ़ बनाना, नए देशीय टर्मिनल भवनों का निर्माण (18.00 करोड़ रु0) न्यू एप्रान तथा अन्य सुविधाएं (09.34 करोड़ रु0) को भी चरण-1 में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

शून्य आधारित बजट बनाना

21. शून्य आधारित बजट बनाने का प्रयोग: नागर विमानन सेक्टर से संबंधित केंद्रीय सेक्टर की स्कीमों को आमेलित करने और छोड़ने का काम दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह निर्णय किया गया कि 13 स्कीमों में से 3 स्कीमें छोड़ दी जाएं, दो स्कीमें मिलाकर एक कर दी जाएं, दो और स्कीमें संशोधनों के साथ आमेलित कर दी जाएं और 6 स्कीमों को यथावत रूप में रखा जाए। व्योरे संलग्नक 7.3.19 में दिए गए हैं।

मानीटरिंग तंत्र

22. त्रैमासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा के माध्यम से नागर विमानन सहित केंद्रीय सेक्टर की स्कीमों को मानीटर करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है।

संलग्नक 7.3.12

परिव्यय और व्यय - नीवी योजना - नागर विमानन

(करोड़ रु०)

क्र. सं.	संगठन	नीवी योजना अनुमो. परिव्यय	1997-98 वास्त.	1998-99 वास्त.	1999-2000 वास्त.	2000-01 वास्त.	2001-02 प्रत्याख्यव	नीवी योजना व्यय राशि	प्रत्य. % प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ए.आई जिसमें से बी.एस	3664.00	517.75	550.01	383.09	641.60	345.46	2437.91	66.5
2	आई.ए जिसमें से बी.एस	3640.75	441.90	522.03	492.27	421.26	431.80	2309.25	63.4
3	ए.ए.आई								
	i) एन.ए.डी	1899.35	220.53	210.37	201.02	237.15	191.60	1080.67	55.8
	ii) आई.ए.डी	1522.52	118.05	109.50	159.61	111.53	93.17	591.86	38.9
	जोड़	3421.87	338.58	319.87	360.63	348.68	284.77	1652.53	48.3
	जिसमें से बी.एस	283.37	10.00	25.00	25.00	25.00	40.25	125.45	44.3
4	पी.एच.एच. एल	209.20	26.85	5.55	1.21	2.31	32.90	68.82	32.9
5	एच.सी.आई	89.55	8.52	10.19	13.37	17.34	23.25	72.67	81.2
6	बी.सी.ए.एस	25.00	0.01	2.35	1.37	2.57	1.25	7.55	30.2
	जिसमें से बी.एस	25.00	0.01	2.35	1.37	2.57	1.25	7.55	30.2
7	डी.जी.सी.ए	27.00	1.07	3.38	3.47	4.36	4.60	16.88	62.5
	जिसमें से बी.एस	27.00	1.07	3.38	3.47	4.36	4.60	16.88	62.5
8	आई.आर.जी. यू.ए	35.00	10.00	11.00	6.00	5.89	1.00	33.89	96.8
	जिसमें से बी.एस	35.00	10.00	11.00	6.00	5.89	1.00	33.89	96.8
	जोड़	11112.37	1344.68	1424.38	1261.41	1444.01	1125.03	6599.51	59.4
	जिसमें से बी.एस	495.37	21.08	41.73	35.84	38.02	47.10	183.77	37.1

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण
नौवीं योजना के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री टर्मिनलों के लिए क्षमता, मांग और
परिवर्द्धन तथा दसवीं योजना के लिए प्रक्षेप (2002-07)

(वार्षिक मिलियन में)

हवाई अड्डे	नौवीं योजना लक्ष्य (1997-02)		नौवीं योजना उपलब्धियां		दसवीं योजना	
	क्षमता (2001-02)	मांग (2001-02)	क्षमता	मांग (2000-01)	2006-07में नियोजित क्षमता	2006-07में अनुमानित मांग
1	2	3	4	5	6	7
मुम्बई						
अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल	7.50	6.22	7.50	5.18	8.50	6.55
देशीय टर्मिनल	6.45	10.39	6.45	7.00	7.60	9.93
दिल्ली						
अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल	3.40	5.18	3.40	3.95	9.90	5.60
देशीय टर्मिनल	7.20	7.04	7.20	4.98	7.20	7.03
चेन्नई						
अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल	1.80	2.20	1.55	1.83	2.12	2.91
देशीय टर्मिनल	2.67	3.01	3.30	2.23	3.30	3.17
कोलकाता						
अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल	1.65	0.86	0.82	0.63	1.08	0.85
देशीय टर्मिनल	3.70	3.23	3.70	2.06	3.70	2.60
त्रिबेणम						
अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल	0.42	1.22	0.42	0.76	0.42	0.91
देशीय टर्मिनल	0.80	0.42	0.80	0.25	0.80	0.32
जोड	35.59	39.77	35.14	28.87	44.62	39.87

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण
 नौवीं योजना के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय माल टर्मिनलों के लिए क्षमता, मांग और
 परिवर्द्धन तथा दसवीं योजना के लिए प्रक्षेप

(वार्षिक * 000 मी. टनो में)

हवाई अड्डे	नौवीं योजना लक्ष्य (1997-02)		नौवीं योजना उपलब्धियां		दसवीं योजना	
	क्षमता (2001-02)	मांग (2001-02)	क्षमता	मांग (2000-01)	2006-07में नियोजित क्षमता	2006-07में अनुमानित मांग
1	2	3	4	5	6	7
मुम्बई	219.80	352.82	296.03	211.01	296.03	313.13
दिल्ली	219.50	272.90	219.50	173.60	268.50	260.53
चेन्नई	93.44	101.16	59.53	82.03	93.44	130.17
कोलकाता	28.00	34.98	28.00	25.07	41.09	39.78
जोड़	560.74	761.86	603.06	491.71	699.06	743.61

वार्षिक योजना (2002-03) में अनुमोदित परिव्यय के
संगठन-वार व्योरे - नागर विमानन मंत्रालय

(करोड़ रु0)

क्र.सं.	संगठन	अनुमोदित परिव्यय	बजटीय सहायता	आर्.ई.बी.आर
1	2	3	4	5
1.	एअर इंडिया	858.70	1.00 *	857.70
2	इंडियन एअरलाइन्स	510.00	1.00 *	509.00
3.	ए.ए.आई	996.05	53.12 @	942.93
4.	पी.एच.एच.एल	133.80	-	133.80
5.	होटल कार्पो.आफ इंडिया	8.76	-	8.76
6.	इंदिरा गांधी उडान अकादमी	2.09	2.09	-
7.(क)	नागर विमानन महानिदेशालय	3.10	3.10	-
7.(ख)	एयरो क्लब ऑफ इंडिया	1.00	1.00	-
8.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	7.69	7.69 #	-
	जोड़	2521.19	69.00	2452.19

• ईकियटी अंशदान के लिए टोकन प्रावधान विमान प्राप्त से जुड़ा है जिसके लिए उपयुक्त अनुमोदन लिया जाएगा।

@ नीचे दिए विवरण अनुसार :-

i) उ.पू. क्षेत्र तथा सिक्किम में निवेश के लिए	15.64 करोड़ रु0
ii) जम्मू-कश्मीर, लेह और लक्ष्यद्विप जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए	15.98 करोड़ रु0
iii) अमृतसर, हवाई अड्डे का विकास	21.50 करोड़ रु0
जोड़	53.12 करोड़ रु0

नई स्कीमों के लिए 1.00 करोड़ रु. का टोकन प्रावधान शामिल है जिनके लिए उपयुक्त अनुमोदन लिए जाएंगे।

**इंडियन एअरलाइन्स
भौतिक निष्पादन**

क्र. सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 (सं.अनु.)	2002-03 (ब. अनु.)
	1	2	3	4	5	6	7 8
1	उपलब्ध मी.टन कि.मी. (मिलियन)	1094.1	1122.92	1120.9	1153.68	1148.0	1186.0
2	राजस्व मी.टन कि.मी. (मिलियन)	700.9	709.1	740.3	777.34	754.0	783.0
3	उपलब्ध यात्री कि.मी. (मिलियन)	10408	10803	10911	11185	11278	11724
4	राजस्व कि.मी. (मिलियन)	7015.5	6846.8	6982.5	7307.0	7218.0	7562.0
5	कुल भार कारक (%)	64.1	63.1	66.0	66.4	65.7	66.0
6	सीट कारक (%)	67.4	63.4	64.0	65.3	64.0	64.5
7	कुल घंटों पर प्रतिविमान प्रतिवर्ष विमान उपयोग						
(क)	ए-320	2727	2528	2274	2400	2468	2500
(ख)	ए-320	2770	2834	2954	3048	3062	3100
8	विमान बेड़ा						
(क)	ए-300	10	11	11	9	8	5
(ख)	ए-320	30	30	30	30	36	36
(ग)	ए-737 *	12	12	12	11	11	11
	जोड़	52	53	53	50	55	52

सभी बी-737 विमान मेसर्स एअरलाइन्स एलाइड सर्विसिज लि0 को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

एअर इंडिया
भौतिक निष्पादन

विवरण	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-00 (वास्तविक)	2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (सं. अनु.)	2002-03 (ब.अनु.)
1	2	3	4	5	6	7
उपलब्ध मी.टन कि.मी. (मिलियन)	2293.7	2394.3	2238.3	2226.9	2436.8	2350.8
राजस्य मी.टन. कि.मी. (मिलियन)	1453.8	1473.6	1456.5	1501.4	1617.8	1529.3
कुल भार कारक (%)	63.4	61.5	65.1	67.4	66.4	65.1
उपलब्ध सीट कि.मी. (मिलियन)	16933.3	17496.6	16485.8	16478.0	17825.1	17202.1
राजस्य यात्री कि.मी. (मिलियन)	11422.4	11709.0	11587.0	12047.7	13012.3	12418.1
यात्री भार कारक (%)	67.5	66.9	70.3	73.1	73.0	72.2
प्रतिवर्ष विमान उपयोग (घंटे/प्रतिवर्ष)	2717.0	3092.0	2913	3270	3168	3164

इंडियन एअरलाइन्स, एअर इंडिया तथा ए.ए.आई का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(करोड़ रु०)

क्र. सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (सं.अनु.)	2002-03 (बं.अनु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
इंडियन एअर लाइन्स लि०							
1	संचालन राजस्व	3243	3424	3549	3793	3849	4528
2	संचालन खर्च	2985	3129	3349	3879	4074	4515
3	संचालन लाभ/हानि	259	294	200	-85	-225	13
4	कुल राजस्व	3268	3446	3566	3854	3952	4534
5	कुल व्यय	3221	3431	3514	4013	4202	4633
6	लाभ/(हानि) कर-पूर्व	47.27	14.17	51.42	-159.17	-250.65	-98.9
7	कर के लिए प्रावधान(कर-पू.)		1.05	6.15			
8	कर-पश्चात निवल लाभ/ हानि	47.27	13.12	45.27	-159.17	-250.65	-98.9
एअर इंडिया लि०							
1	संचालन राजस्व	3837	4135	4448	4873	4751	4833
2	संचालन व्यय	4030	4140	4372	4870	4806	4960
3	लाभ/(हानि)	-192.63	-4.58	76.05	3.1	-54.53	-127
4	कुल राजस्व	4174	4237	4717	5224	5033	5146
5	कुल व्यय	4355	4411	4755	5269	5016	5122
6	लाभ/(हानि) कर-पूर्व	-181	-174	-38	-44	17	25
7	कर के लिए प्रावधान					1.28	
8	कर-पश्चात निवल लाभ/(हानि)	-181.01	-174.48	-37.63	-44.4	15.44	24.5
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण							
1	राजस्व	1280	1591	1691	1873	2245	2303
2	खर्च	963	1255	1347	1514	1768	1891
3	निवल लाभ/ (हानि)कर-पूर्व	316.19	335.78	344.73	359.08	476.98	412.5
4	कर के लिए प्रावधान	120.05	127.37	133.35	145	210	147.26
5	कर-पश्चात निवल लाभ/(हानि)	196.14	208.41	211.38	214.08	266.98	265.24

नागर विमानन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्कीमों के परिणामों
का सारांश - शून्य आधारित बजट बनाना

क्र.सं.	स्कीम का नाम	योजना आयोग का निर्णय
1	2	3
1.	डी.जी.सी.ए. में योजनागत पदों पर स्थापना व्यय	निकाल दी गई
2.	अनुसंधान और विकास निदेशालय का स्थापना व्यय	निकाल दी गई
3.	वैमानिक निरीक्षण नियंत्रक के कार्यालय में योजनागत पदों के वेतन पर व्यय	निकाल दी गई
4.	यूरोपीय यूनियन इंडिया ट्रेनिंग प्राजेक्ट	बरकरार रखी गई
5.	आई.जी.आर.यू.ए. को सहायता अनुदान	बरकरार रखी गई
6.	ए.ए.आई के लिए पूंजीगत ईक्विटी	आशोधनो के साथ अंमेलित *
7.	ए.ए.आई के लिए ऋण	
8.	अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को अंशदान	बरकरार रखी गई
9.	अनु० और विकास (डी.जी.सी.ए.) के लिए पूंजीगत व्यय	एक में अंमेलित
10.	प्रशिक्षण और शिक्षा (डी.जी.सी.ए.) में मशीनो तथा उपस्कर पर पूंजीगत व्यय	
11.	बी.सी.ए.एस. का पूंजीगत व्यय	यथावत रखी गई
12.	एअर इंडिया में निवेश	बरकरार रखी गई **
13.	इंडिया एअरलाइन्स में निवेश	

* बजटीय सहायता केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की परियोजना तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी जिनके लिए निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है।

** स्कीमों को टोकन प्रावधान के साथ दसवीं योजना में बनाए रखा जा सकता है। वार्षिक योजना 2003-04 को अंतिम रूप देते समय स्थिति पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

7.4 संचार और सूचना

7.4 (i) डाक क्षेत्रक

1. डाक घरों/वितरण केंद्रों (जिनकी संख्या 31.3.2001 को 154919 थी) की संख्या की दृष्टि से भारतीय डाक प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी डाक प्रणालियों में से एक है। इनमें से, 26037 स्थायी डाक घर हैं। शेष 128882 डाक घर अर्थात् देश में कुल डाक घरों का 83%, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन्हें अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय (ई.डी.बी.ओ) कहा जाता है। विभाग के अधीन डाक सेवाओं को चलाने में लगी मानव-शक्ति 6 लाख है जोकि स्थायी कर्मचारियों (294301) तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों (309649) में समान रूप से विभाजित है। विभाग का कुल राजस्व व्यय 5210.83 करोड़ रु० (2001-02) है जिसमें 1458.37 करोड़ रु० का राजस्व घाटा है। योजनागत व्यय का कुल व्यय में हिस्सा बहुत कम है और यह 2001-02 के लिए 135 करोड़ रुपए अर्थात् राजस्व व्यय का केवल 2.59% था। डाक क्षेत्रक के पूरे योजनागत परिव्यय के लिए निधियां बजटीय सहायता के जरिए प्रदान की जाती हैं।

2. प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क द्वारा विधिवत समर्थित डाक सेवाएं आधुनिक तथा कुशल सूचना एवं संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति से, क्षेत्र की कवरेज और सेवाओं की गुणवत्ता, दोनों दृष्टियों से डाक क्षेत्रक के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। यह प्रचालनात्मक लागतों को कम करके और राजस्व अर्जन में वृद्धि करके घाटे को कम से कम करने में भी बहुत बड़ा योगदान कर सकती है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना

मुख्य उद्देश्य

3. दसवीं योजना का उद्देश्य इस योजना के अंत तक डाक सेवाओं को स्वतः वित्त-पोषित बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आवश्यक नीतिगत उपाय आरंभ करने होंगे। प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा डाक कार्यों का आधुनिकीकरण, एक प्रहार क्षेत्र के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव है। दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सामर्थ्य योग्य कीमतों पर सार्वभौमिक डाक सेवाएं प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- बेहतर प्रशासनिक कुशलता और वित्तीय प्रबंधन प्राप्त करने की दृष्टि से आधुनिकीकरण तथा पुनः इंजिनरी।
- प्रचलन लागत को निश्चित रूप से कम से कम करने तथा ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने के लिए मौजूदा आधारिक संरचना का उन्नयन।
- दसवीं योजना के अंत तक विभाग के डाक कार्यों को स्वतः वित्त पोषित बनाना।

प्रहार क्षेत्र/नीतिगत पहलकदमियां

4. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, दसवीं योजना के दौरान एक व्यापक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा। संयोजकता, नेटवर्किंग तथा कम्प्यूटरीकरण इस योजना का मुख्य प्रहार क्षेत्र होगा। डाकघरों को बहु-उत्पाद तथा बहु-सेवा वितरण केंद्रों में बदल कर इन्हें एक नया रूप देने का प्रस्ताव है। कल्पना की जाती है कि सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं की कुशलता एवं गुणवत्ता में सुधार का संपूर्ण स्पेक्ट्रम शुरू करके इस क्षेत्रक को परिवर्तित करने तथा आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। योजना के लिए प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत पहलकदमियां इस प्रकार हैं:

- सार्वभौमिक डाक सेवा दायित्व को पहचानना तथा अपनाना और इस सेवा को सामर्थ्य-योग्य कीमतों पर प्रदान करना।
- गैर-यू.पी.एस.ओ. मदों का मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक आधार पर किया जाएगा।
- स्वतंत्र विनियामक निकाय स्थापित करना जो अन्य बातों के अतिरिक्त टैरिफ निर्धारण का काम भी देखेगा।
- नये डाक घर केवल कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके खोले जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जाएंगे।
- सभी मौजूदा डाक घरों की समयबद्ध तरीके से व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- डाक घर बहु-उत्पाद/बहु-सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे और सेवाओं को एक स्थान पर मिलाना अधिशासी मानदण्ड होगा।
- कम्प्यूटरीकरण, संयोजकता और डाक नेटवर्क स्थापित करना योजना क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य होगा।
- प्रतियोगिता, अभिसरण तथा अन्य नई घटनाओं का ध्यान रखने के लिए भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 के स्थान पर एक अग्रदर्शी अधिनियम लाया जाएगा।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा

5 वार्षिक योजना(2001-02) के दौरान शुरू की गई दो नई पहलकदमियां ई-पोस्ट तथा ई-बिल पोस्ट की नई सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ करना था। विभाग ने आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के पांच राज्यों में 200 से अधिक डाक घरों में ई-पोस्ट पर सफलतापूर्वक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की हैं। परियोजना का उद्देश्य इंटरनेट पर प्राप्त ई-मेल संदेशों की नामित डाक घरों के जरिए हार्ड कॉपी की सुपुरुदगी प्रदान करने तथा डाक घर के ग्राहकों को ई-पोस्ट, ई-मेल भेजने में समर्थ बनाना है। इस सेवा में देश में अंकीय विभाजन को दूर करने की संभावना है।

6 दूसरी पहलकदमी के अंतर्गत, 2001-02 के दौरान बेंगलूर और कोलकाता में ई-बिल पोस्ट पर एक प्रायोगिक परियोजना चालू की गई थी। इस सेवा में डाक घरों के जरिए विभिन्न सेवा प्रदायकों के संबंध में बिलों का भुगतान शामिल है। इसमें विद्युत प्राधिकरणों, टेलीफोन कम्पनियों,

नगरपालिका निकायों आदि जैसी उपयोगी सेवाएं/संगठन शामिल हो सकते हैं। प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत, एक सार्वजनिक क्षेत्रक टेलीकाम सेवा प्रदाता-अर्थात भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल) को बंगलौर में तथा एक अन्य निजी क्षेत्रक टेलीकाम कम्पनी अर्थात स्पाइस टेलीकाम को कोलकाता में शामिल किया गया था। इस परियोजना के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और इस सेवा का अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

7. आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के मूल कार्यक्रम के संबंध में कार्य-निष्पादन अत्यंत उत्साहवर्द्धक रहा है। सभी- बड़े लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त किए गए हैं। डाक नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम के तहत, लक्ष्य प्राप्त करने में निष्पादन मिला-जुला रहा है। जबकि 50 के लक्ष्य की तुलना में 51 डी.एस.ओ. खोले गए हैं, किन्तु ग्रामीण डाक घरों के संबंध में निष्पादन कम उत्साहजनक रहा है। ई.डी.बी.ओ. तथा पी.एस.एस.के. की स्कीमों के तहत 2500 वितरण केंद्र/ डाक घर खोलने के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 2447 रही है। भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के व्योरे संलग्नक-7.4.1 में देखे जा सकते हैं।

8. वार्षिक योजना (2001-02) के लिए 135 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। अनुमान है कि वास्तविक व्यय 99.05 करोड़ रु० तक बहुत कम हुआ है अर्थात अनुमोदित व्यय का 73.37% प्रयोग। कम प्रयोग का मूल कारण यह है कि संशो. अनु. अवस्था पर नियतन कम कर दिये गए। वार्षिक योजना (2001-02) के दौरान अनुमोदित परिव्यय तथा इसके उपयोग के संबंध में स्कीम-वार उपयोग के व्योरे अनुबंध-7.4.2 में देखे जा सकते हैं।

वार्षिक योजना 2002-03

प्रहार क्षेत्र/प्रमुख कार्यक्रम

9. दसवीं योजना के लिए एक व्यापक सुधार कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, आशा की जाती है कि विभाग सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न निविष्टियां तैयार कर लेगा। दसवीं योजना के लिए नीति तथा उद्देश्यों के अनुरूप नेटवर्किंग और कम्प्यूटरीकरण सहित डाक कार्यों के आधुनिकीकरण को वार्षिक योजना (2002-03) के कार्यक्रमों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। 2002-03 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए, 150 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 101.36 करोड़ रु० अर्थात कुल परिव्यय का 68% आधुनिकीकरण के मूल क्षेत्र में खर्च होगा। स्कीमों के व्योरे संलग्नक-II में देखे जा सकते हैं। वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान डाक विभाग के कुछ प्रहार क्षेत्र/कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

नेटवर्किंग और संयोजकता

10. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न स्कीमों मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और नई मूल्य वर्द्धित तथा वित्तीय सेवाएं शुरू करने के उद्देश्य से बुनियादी आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए हैं। विभिन्न डाक घरों, अभिलेख कार्यालयों, पश्च कार्यालयों, ग्राहक

सेवा केंद्रों के नेटवर्क स्थापित करना, समूचे कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। आई.टी. आधारित सेवाएं, योजना के दौरान प्रदान किए जाने वाले परिकल्पित मिश्र उत्पादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस प्रौद्योगिकीय समर्थन के बगैर, नई प्रस्तावित सेवाएं शुरू करना संभव नहीं हो सकेगा। नई सेवाएं वित्तीय आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से इन संकार्यों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए शुरू की जानी हैं।

डाक प्रासेसिंग

11. कार्य यातावरण की श्रमक्षता सहित कार्यों का आधुनिकीकरण बेहतर उत्पादिता की कुंजी है। डाक कार्यों के पूरे ढांचे में डाक प्रासेसिंग (प्रक्रम) एक केंद्रीय क्रियाकलाप है और इसका आधुनिकीकरण कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा डाक सेवाएं तेजी से प्रदान करने, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्कीम के अंतर्गत डाक मोटर सेवाओं तथा आर.एम.एस. वैनों का आधुनिकीकरण और यंत्रीकृत वितरण महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं। 200 डाक घरों में श्रमक्षता में सुधार करने, 1818 ग्रामीण डाक घरों में आधारभूत उपस्कर प्रदान करने तथा 100 स्पीड पोस्ट केंद्रों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दो स्वचालित एकीकृत डाक प्रासेसिंग सिस्टम स्थापित करने का जो काम नौवीं योजना के दौरान पूरा नहीं किया जा सका, वह दसवीं योजना के दौरान योजनागत स्कीम के रूप में जारी रहेगा।

मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण

12. इस क्षेत्रक में चल रही आधुनिकीकरण की पूरी प्रक्रिया में मानव शक्ति विकास संभवतया निर्णायक निविष्टि है। प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने तथा इसका प्रयोग करने के लिए मानसिकता में परिवर्तन लाना और सभी स्तरों पर उपयुक्त कौशल प्रदान करना, दसवीं योजना के दौरान मानव संसाधन विकास की कार्यनीति के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा-कालीन प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को पुनः अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कम्प्यूटरों आदि में एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे कार्यान्वित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए जा रहे निवेश पर यथासंभव अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त किए जा सकें। चालू वर्ष से दूरस्थ अध्ययन शुरू किया गया है ताकि इच्छुक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन का अधिकतम प्रसार किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, लगभग 69,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अवधि के दौरान दूरस्थ अध्ययन अकेला सबसे बड़ा प्रशिक्षक होगा (53,000)। आवश्यक शुरूआत 2002-03 के दौरान की जाएगी।

नई स्कीमें

13. दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कई नई स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है। अभिज्ञात स्कीमों में शामिल हैं:

- सर्कल स्टाम्प डिपुओं का आधुनिकीकरण

- अंतरराष्ट्रीय डाक प्रासेसिंग का कम्प्यूटरीकरण
- राष्ट्रीय डाटा केंद्र
- एक्सप्रेस पार्सल डाक केंद्रों की स्थापना
- अनुसंधान और विकास/अध्ययन/सर्वेक्षण
- ई-पोस्ट
- ई-बिल पोस्ट
- नए उत्पाद और सेवाएं जिनमें वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं का विकास शामिल है।

14. 2001-02 के दौरान प्रायोगिक आधार पर शुरु की गई ई-पोस्ट स्कीम का 2002-03 के दौरान देश में सभी जिला मुख्यालयों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। 'नए उत्पाद और सेवाएं' के अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादों/ सेवाओं में सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण; पारस्परिक निधियों और प्रतिभूतियों का वितरण; इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग; ई-कामर्स लेनदेन आदि शामिल हैं। यह विभाग निजी क्षेत्र के सहयोग से संयुक्त उद्यमों के जरिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

मानीटर करने योग्य लक्ष्य (2002-03)

15. दसवीं योजना के लिए उद्देश्यों, लक्ष्यों नीतिगत पहलकदमियों के अनुरूप, वार्षिक योजना (2002-03) के लिए परिकल्पित किए गए प्रमुख लक्ष्य नीचे दिए गए हैं। वार्षिक योजना के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों के व्योरे संलग्नक-7.4.2 में दिए गए हैं।

- 25 विभागीय उप-कार्यालय (डी.एस.ओ) तथा 250 अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय खोलना।
- 1500 पंचायत संचार सेवा केंद्र (पी.एस.एस.के) खोलना।
- 10 मुख्य अभिलेख कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त देश में 150 प्रमुख डाक घरों का कम्प्यूटरीकरण।
- 62 ग्राहक सेवा केंद्रों का उन्वयन।
- 15 पारगमन डाक कार्यालयों की नेटवर्किंग।
- प्रदेश-वार संयोजकता के लिए राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करना।
- मेल कार्यालयों सहित 200 डाक घरों की श्रम दक्षता में सुधार करना।
- 1818 ग्रामीण डाक घरों को आधारभूत उपस्कर प्रदान करना।

प्रमुख नीतिगत मुद्दे

16. डाक घाटा, केंद्रीय बजट से एक निष्प्रयोजन-सब्सिडी है। यह घाटा पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। यह एक विस्फोटक स्थिति है जिसे लम्बे समय तक नहीं चलाया जा सकता

और यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए राष्ट्र को आधारभूत और सामाजिक विकास जैसे अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों को कम निधियां मिलने के कारण अवरुद्ध विकास के रूप में भारी कीमत चुकानी होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना का उद्देश्य अनेक सुधारों तथा नीतिगत पहलकदमियों द्वारा इस विभाग को वित्तीय दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाना है। इस लक्ष्य की समयबद्ध तरीके से प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। एक उपयुक्त मानीटरिंग तंत्र यथाशीघ्र कायम करना होगा।

7.4 (II) दूरसंचार

1. दूरसंचार, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रवर्तकों में से एक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्रतम गति से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, लगभग एक लाख लाइनों (मार्च, 1948) से शुरुआत करके, भारतीय टेलीकाम नेटवर्क बढ़कर लगभग 450.26 लाख लाइनों तक पहुँच गया है, जिसमें मार्च, 2000 के अंत तक दिए गए सेलुलर कनेक्शन भी शामिल हैं। पिछले दशक में नेटवर्क के द्रुत विस्तार के बावजूद अभी भी टेलीकाम सेवाओं की बहुत बड़ी मांग पूरी की जानी है। भारत के विशाल आकार और जनसंख्या को देखते हुए, प्रति सैकड़ 4.01 व्यक्तियों का वर्तमान घनत्व विश्व के 32.78 के औसत और विकासशील देशों नामतः मलेशिया में 49.86, ब्राजील में 38.52 तथा चीन में 24.98 के औसत के संदर्भ में बहुत कम है। (दिसंबर, 2001 तक)

2. भारत में टेलीकाम क्षेत्रक में 1991 से लेकर लगातार सुधार प्रक्रिया चल रही है। प्रौद्योगिकियों के अभिसरण, उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था के खुलने जैसे द्रुत प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, नई टेलीकाम नीति (ए.टी.पी) 1999 की घोषणा इस क्षेत्र में एक बड़ा मील-का-पत्थर थी जिसने 1994 की नीति का स्थान लिया। तब से लेकर सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहलकदमियों द्वारा इस सुधार प्रक्रिया और आगे बढ़ाया गया है। इनमें से प्रमुख पहलकदमियों में शामिल हैं:

- मौजूदा लाइसेंसों के विनिश्चित लाइसेंस प्रणाली से आय-साझेदारी में जाने से उत्पन्न समस्याओं का निवारण।
- आई पी.एस. को इंटरनेट के लिए अंतरराष्ट्रीय गेटवे हेतु जल के भीतर (सब-मैरीन) केबल लैंडिंग स्थापित करने की अनुमति देना।
- अगस्त 2000 में, प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय दूरगामी सेवा को खोलना।
- 1.10.2000 से दूरसंचार विभाग का भारत संचार निगम लि0 नामक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमीकरण।
- 1.4.2002 से अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवा को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना।

3. नौवीं योजना के दौरान टेलीफोन सेवाओं में रिकार्ड वृद्धि होने के परिणामस्वरूप देश में टेलीफोन नेटवर्क बढ़ कर 450.26 लाख लाइनों तक पहुँच गया है। 31.03.2002 को नेटवर्क की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

- टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या - 35023
- ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या - 26953
- कुल स्थिर टेलीफोन कनेक्शन - 385.95 लाख
- सेलुलर मोबाइल टेलीफोनों की संख्या - 64.31 लाख
- ट्रंक आटो एक्सचेंज लाइनें (टी ए एक्स) - 34.27 लाख
- टेली घनत्व - अखिल भारतीय - 4.4
- गांवों में पब्लिक टेलीफोनों की संख्या - 4.68 लाख
- इंटरनेट कनेक्शन - 38 लाख (31 जनवरी, 2002 को)

दसवीं पंच वर्षीय योजना

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य

4. दसवीं योजना की नीतियां और कार्यक्रम, विश्व-स्तरीय टेलीकाम आधारभूत संरचना स्थापित करने के बुनियादी लक्ष्य द्वारा दिशा-निर्देशित हैं ताकि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेक्टर की आवश्यकताओं तथा कम से कम लागत के आधार पर अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उपभोक्ताओं को उनके पैसे के बदले मूल्य तथा प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं तक आसानी से और उनके सामर्थ्य के अनुसार पहुंच प्रदान करना, दसवीं योजना में कार्यान्वित की जाने वाली नीतियों का अन्य लक्ष्य होगा। दसवीं योजना के लिए परिकल्पित मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सभी नागरिकों को उनके सामर्थ्य अनुसार और प्रभावी संचार सुविधाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करना।
- टेलीकाम, आई टी तथा मीडिया के अभिसरण की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए आधुनिक और कुशल दूरसंचार संरचना स्थापित करना।
- सभी खिलाड़ियों को समान अवसर और खेल-स्तरीय क्षेत्र प्रदान करते हुए दूर संचार क्षेत्रक को अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगितापूर्ण वातावरण प्रदान करना।
- देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुदृढ़ बनाना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में कुशलता और पारदर्शिता प्राप्त करना।
- देश के रक्षा और सुरक्षा हितों का बचाव करना।
- भारतीय टेलीकाम कम्पनियों को वास्तव में विश्व-स्तरीय खिलाड़ी बनाने में समर्थ बनाना।

5. इस क्षेत्रक के पूरी तरह से खुल जाने पर, उद्देश्य प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाए जाने की उम्मीद की जाती है। अर्ध-शहरी, ग्रामीण और

अन्य बचे हुए क्षेत्रों से प्राथमिक टेलीफोन सेवाओं अर्थात् स्थिर और सेलुलर मोबाइल टेलीफोनों के लिए निकट भविष्य में भारी मात्रा में मांग आने की उम्मीद की जाती है। इन क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को एक नई उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि इन क्षेत्रों को कम लाभदायक माना जाता है। टेलीकाम क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना में परिकल्पित मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- 2002-03 के अंत तक, मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रयास करना और उसके बाद इस व्यवस्था को बनाए रखना।
- 31 मार्च, 2007 तक 9.91 की समग्र टेलीडेंसिटी प्राप्त करना।
- दिसंबर, 2002 तक देश के सभी गांवों की टेलीकाम कवरेज प्राप्त करना और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय मीडिया प्रदान करना।
- मार्च, 2003 तक सभी एक्सचेंजों को विश्व-स्तरीय मीडिया प्रदान करना।
- आई एस डी एन सहित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए मार्च, 2003 के अंत तक दो लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरों को हाई-स्पीड डाटा तथा मल्टी मीडिया क्षमता प्रदान करना।

कार्यिक योजना 2001-02 की समीक्षा

6. देश में आर.एफ स्पेक्ट्रम के प्रयोग में भारी वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए, फ्रिक्वेंसी समनुदेशन, वायरलेस लाइसेंस आदि सहित रेडियो फ्रिक्वेंसी (आर.एफ) स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रक्रिया का स्वचालन और रेडियो मानीटरिंग सुविधाओं का उन्नयन करना नितांत आवश्यक हो गया है। आर.एफ स्पेक्ट्रम एक अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होने के कारण, भारी पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण द्वारा इसका प्रभावी और कुशल प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा आर.एफ स्पेक्ट्रम पर निर्भर करती हैं। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए "दूरसंचार सेक्टर सुधार तकनीकी सहायता परियोजना" नामक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है। इस परियोजना का कुल परिव्यय 65.11 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें विश्व बैंक का हिस्सा 55.73 मिलियन डालर तथा भारत सरकार का हिस्सा 9.38 मिलियन अमेरिकी डालर है। यह परियोजना वायरलेस प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू.पी.सी.), वायरलेस मानीटरिंग आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एम.ओ.), टेलीकाम इंजीनियरी सेंटर (टी.ई.सी.), भारतीय टेलीकाम विनयामक प्राधिकरण (ट्राई), टेलीकाम विवाद निपटान और अपील अधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) तथा डी.ओ.टी (मुख्यालय) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और 2004 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

7. भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा लगभग 55.46 लाख नए कनेक्शन (77%), 9.97 लाख टैक्स लाइनें, 99020 ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूट कि.मी. और 70750 वी.पी.टी. (49.13%) उपलब्ध किए जा सके। परन्तु, माइक्रोवेव प्रणालियों की व्यवस्था का लक्ष्य 97% अधिक प्राप्त किया गया। व्योरे संलग्नक-7.4.4 में देखे जा सकते हैं।

8. टेलीकाम क्षेत्रक के लिए निधियों के उपयोग का लक्ष्य कुल मिलाकर लगभग 6.75% कम रह जाने की संभावना है। इस स्थिति का पता इस बात से चलता है कि 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित किए गए 20298.84 रु0 परिव्यय की तुलना में व्यय का संशोधित अनुमान 18932.40 करोड़ रु0 है। इसका मूल कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों अर्थात् बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल तथा बी.एस.एन.एल द्वारा पैदा किए जाने वाले आंतरिक संसाधनों में 27% तक खासी कमी हो गई। बजट बाह्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ा; 8290 करोड़ रु0 का परिव्यय जुटाया गया। संशोधित अनुमान में थोड़ी सी कमी के लिए एच.टी.एल. लि0 के निजीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूरसंचार विभाग के वायरलैस योजना कक्ष, डब्ल्यू.एम.ओ. आदि में निधियों का कम उपयोग होने की संभावना है क्योंकि हमारी कुछ बड़ी परियोजनाएं परिकल्पना के अनुसार शुरू ही नहीं की जा सकीं। वित्तीय निष्पादन के ध्योरे संलग्नक-7.4.3 में देखे जा सकते हैं।

वार्षिक योजना 2002-03

प्रमुख प्रहार क्षेत्र

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.)

9. टेलीकाम क्षेत्रक के लिए कसों तथा विनियमन की आम नीति स्वरूप में संवर्द्धनात्मक होनी चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में अनुकूलतम संवृद्धि प्राप्त की जा सकें। राजस्व अर्जन इस क्षेत्रक को अधिशासित करने वाली वृहद नीति का प्रमुख निर्धारक होना चाहिए। इस सिद्धांत द्वारा दिशा-निर्देश मिलने तथा विश्व में अधिकांश प्रगतिशील प्रशासनों द्वारा अपनाई गई नीति के अनुरूप, लाइसेंस फीस को सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ) के विनियमन तथा प्रशासन की लागत के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एसओ) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करनी होंगी। यदि आवश्यक हुआ तो यू.एस.ओ. की उदग्रहण दरों को उपयुक्त रूप से बढ़ाना पड़ सकता है।

गांव में पब्लिक टेलीफोन(पी.पी.टी)

10. नई टेलीकाम नीति (ए.टी.पी), 1999 से 2002 तक सभी गांवों को ग्राम पब्लिक टेलीफोन (बी.पी.टी) की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। मार्च, 2002 तक लगभग 4.6 लाख गांवों को बी.पी.टी प्रदान किए जा चुके हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

स्पेक्ट्रम नीति

11. स्पेक्ट्रम नियतन तथा लाइसेंस प्रदान करने को नियंत्रित करने वाली नीति इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि इस अपर्याप्त संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग हो और यह विकास के मार्ग में

बाधा न बनने पाए। स्पेक्ट्रम का मूल्य-निर्धारण गतिशील तरीके से सापेक्ष मांग और पूर्ति पर आधारित होना चाहिए और इससे स्पेक्ट्रम-कुशल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलना चाहिए। उपलब्ध स्पेक्ट्रम का खासा हिस्सा खासा, पुलिस तथा अर्ध-सैनिक बलों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इन बलों द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि आबंटित स्पेक्ट्रम का कुशल और अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके और फालतू स्पेक्ट्रम सिविल प्रयोजनों के लिए जारी किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध करनी होंगी।

कमीटर करने योग्य लक्ष्य

12. उपर्युक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के वास्ते वार्षिक योजना 2002-03 में परिकल्पित प्रमुख भौतिक लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- 69.83 लाख नये कनेक्शन देना जिसमें 13.43 लाख डब्ल्यू.एल.एल लाइनें तथा 31.37 लाख जी.एस.एम. लाइनें भी शामिल हैं,
- 5.34 लाख नये कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाएंगे,
- 11.47 लाख टी.ए.एक्स लाइनों की अभिवृद्धि,
- 2.18 बी.पी.टी की व्यवस्था,
- 77,060 रूट कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबलें बिछाना, तथा
- 5000 रूट कि.मी. माइक्रोवेव सिस्टम संस्थापित करना।

13. इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 185 करोड़ रु० की बजटीय सहायता सहित 19,462.79 करोड़ रु० का परिष्यय प्रदान किया गया है। बी.एस.एन.एल तथा एम.टी.एन.एल के लिए परिष्यय की राशि 18070 करोड़ रु० अर्थात् कुल परिष्यय की लगभग 93% है। नियत की गई बजटीय सहायता मुख्यतया विनियामक निकायों तथा अनुसंधान संस्थाओं के लिए है। बी.एस.एन.एल की निजीकरण में एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल का हिस्सा बढ़ाना होगा जिससे चालू वर्ष के कुल परिष्यय/व्यय में वृद्धि हो जाएगी। संगठन-वार परिष्यय संलग्नक-7.4.3 में देखा जा सकता है।

विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम और अन्य संगठन

भारत संचार निगम लि० (बी.एस.एन.एल)

14. पहले के दूरसंचार विभाग का प्रधालनात्मक नेटवर्क भारत संचार निगम लि० (बी.एस.एन.एल) नामक पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम में परिवर्तित कर दिया गया है। यह कम्पनी 1.10.2000 से कार्य करने लगी है। आम तौर पर 2002 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन देने और तत्पश्चात इस व्यवस्था को बनाए रखने के दसवीं योजना के उद्देश्य के अनुरूप, निगम की बुनियादी सेवाओं के द्रुत विस्तार की स्थापित नीति को जारी रखने की

योजना है। 2002-03 के दौरान कम्पनी का 64.34 लाख नये कनेक्शन देने का प्रस्ताव है जोकि पिछले वर्ष के लक्ष्य का लगभग 89% है। लम्बी दूरी की संयोजकता को और आगे बढ़ाने के लिए, वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 10.05 लाख अतिरिक्त टी.ए.एक्स लाइनें संस्थितापित करने का परिवर्द्धित लक्ष्य रखने की परिकल्पना की गई है। इन्हें तथा अन्य लक्ष्यों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, 6383 करोड़ रु० के अतिरिक्त बजटीय संसाधन के साथ बी.एस.एन.एल के लिए 14,076 करोड़ रु० का परिष्यय अनुमोदित किया गया है। कम्पनी के लिए 1 करोड़ रुपए की टोकन बजटीय सहायता अनुमोदित की गई है। भौतिक लक्ष्यों के व्योरे संलग्नक-7.4.4 में देखे जा सकते हैं।

महानगर टेलीफोन निगम (एम टी एन एल)

15. एम.टी.एन.एल, दिल्ली तथा मुम्बई के दो महानगरों में टेलीकाम सेवाएं प्रदान कर रहा है। दोनों शहरों में टेलीफोन वस्तुतः मांग पर उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों में प्रवृत्ति तथा बाजार की संतृप्ति को ध्यान में रखते हुए मांग में वृद्धि को धीमा रखते हुए 5.49 लाख नये कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। लम्बी दूरी के प्रसारण की परिवर्द्धित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2002-03 के दौरान नेटवर्क में 1.42 अतिरिक्त टी.ए.एक्स लाइनें डालने का अनुमान है। उपस्नकर का आधुनिकीकरण और मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य वाली स्कीमों का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान कम्पनी का एक नया केंद्रित क्षेत्र बनने की आशा की जाती है। मुख्य उपायों में समूचे नेटवर्क का अंकीयकरण, बी.पी.एन. जैसी नई सेवाएं शुरू करने, घंट सेवा, इंटरनेट पर शापिंग मेल, विल उपस्करों की व्यवस्था आदि शामिल हैं। निगम के विभिन्न कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए, वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 3994 करोड़ रुपए का परिष्यय अनुमोदित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परिष्यय में से 1250 करोड़ रुपए बजटेतर संसाधनों से वित्तपोषित किए जाएंगे।

आई.टी.आई. लिमिटेड

16. आई.टी.आई लि० देश में टेलीकाम उपस्कर का विनिर्माण करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। हाल ही के अतीत में कम्पनी भारी उपलब्धियां प्राप्त करने में सफल हुई है। कम्पनी द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार, चालू प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीमों को पूरा करना एक प्राथमिकता का क्षेत्र होगा। वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली नई प्रस्तावित योजनाओं में सी एस एन-एम एम परियोजनाएं, वायरलैस इन लोकल लूप (विल) आदि शामिल हैं। कम्पनी की विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 73.00 करोड़ रुपए का परिष्यय अनुमोदित किया गया है। इसका वित्तपोषण 150 करोड़ रुपए के पूर्णतया बजटेतर संसाधनों के जरिए किया जाएगा।

विनियामक निकाय

17. 65.11 मिलियन अमेरिकी डालर परिष्यय के साथ विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई "दूरसंचार क्षेत्रक सुधार तकनीकी सहायता परियोजना" वार्षिक योजना 2002-03 में जारी रहेगी

जिसमें विश्व बैंक का हिस्सा 55.73 मिलियन अमेरिकी डालर तथा भारत सरकार का हिस्सा 9.38 मिलियन अमेरिकी डालर है। 2002-03 के दौरान योजना को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णतया बजटीय सहायता से वित्तपोषित 109 करोड़ रु० का परिष्यय वायरलेस योजना और समन्वय विंग (डब्ल्यू.पी.सी), वायरलेस मानीटरिंग संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ), टेलीकाम इंजीनियर सेंटर (टी.ई.सी.), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), टेलीकाम विवाद निपटान और अपील अधिकरण (टी.डी-एस.ए.टी) तथा डी.ओ.टी (मुख्यालय) को प्रदान किया गया है।

सी-डॉट

18. सी-डॉट मुख्य सार्वजनिक क्षेत्रक एजेंसी है जो टेलीकॉम क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास कार्य कर रही है। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कार्य कर रही कुल लाइनों की 40S से अधिक लाइनों में इसकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सी-डॉट स्थिच ऐसे अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे हैं जिनकी परिस्थितियां भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों के समान हैं। इसकी योजना के दौरान सी-डॉट की अनुसंधान योजना में बल ऐसी लाभ प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर दिया जाएगा जो विश्व की अन्य कम्पनियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और विशेषताओं के बराबर की सेवाएं प्रदान करें। ब्रॉड बैंड स्थिर तथा चलते-फिरते अंशदाता पहुँच प्रणाली तथा आधार-स्तम्भ प्रणालियों के साथ हाई बैंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों का विकास योजना के लिए कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वार्षिक योजना (2002-03) में शुरु किए जाने वाले कुछ प्रहार क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- कुशल नेटवर्क सेवाएं
- जी.एस.एम वैयक्तिक संचार सेवाएं
- तीसरी पीढ़ी मोबाइल संचार प्रणाली
- का-बैंड सैटेलाइट संचार
- वायस और डाटा अभिसरण के लिए सैल और पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकियां
- अल्ट्रा हाई बिट रेट नेटवर्क बैकबोन
- मौजूदा वायर-लाइन नेटवर्क की विस्तार योजना

19. सितंबर, 2000 में बी.एस.एन.एल को एक अलग निगमित निकाय बना दिए जाने के साथ सी-डॉट के लिए योजनागत परिष्यय का वित्तपोषण बजटीय सहायता द्वारा करना होता है। वार्षिक योजना 2002-03 में इस संगठन के लिए पूर्णतया बजटीय सहायता से निधीयत 75 करोड़ रुपए का परिष्यय निश्चत किया गया है।

नीतिगत मुद्दे

20. वार्षिक योजना 2002-03 में सामर्थ्य योग्य दरों पर विश्वस्तरीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार, आई.टी. तथा मीडिया के अभिसरण की आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी बचे हुए

क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक आधुनिक और कुशल दूरसंचार ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, योजना के लिए परिकल्पित मुख्य नीतिगत मुद्दे और एक्शन प्वाइंट इस प्रकार हैं:

क) नई टेलीकाम नीति, 1999 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप टेलीडेंसिटी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टेलीकाम क्षेत्रक को लगभग अगले दस वर्षों तक आधुनिक संरचना क्षेत्र को समझने की जरूरत है। कल्पना की जाती है कि इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्राड-बैंड की काफी उच्चतर दर प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। एन टी पी, 1999 के उद्देश्यों के अनुरूप इन क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी बढ़ाने की दृष्टि से ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने वाली नीति का स्वरूप भी संवर्द्धनात्मक रखने की आवश्यकता है।

ख) आने वाले वर्षों में अनुकूलतम संवृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से दूरसंचार क्षेत्रक के लिए सरकार की करें तथा विनियमन संबंधी नीति का स्वरूप भी संवर्द्धनात्मक रखना होगा। राजस्व अर्जन इस क्षेत्रक को नियंत्रित करने वाली वृहद नीति के लिए बड़ा निर्धारक नहीं होना चाहिए। इन सिद्धांत से दिशा-निर्देशित हो कर और विश्व में अधिकांश प्रगतिशील प्रशासनों द्वारा अपनाई गई नीति के अनुरूप, लाइसेंस शुल्क को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के विनियमन और नियंत्रण लागत के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

ग) मल्टी ऑपरेटर परिदृश्य में, उचित और समय पर इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना उच्च संवृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमुख निविष्टियों में से एक है। इस संबंध में परिवर्द्धित आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से पदधारी ऑपरेटर की क्षमता सृजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निधि स्थापित करने के रूप में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है।

7.4 (iii) सूचना और प्रसारण

विहंगम दृष्टि

1. पिछले दशक के दौरान प्रसारण, संचार और सूचना क्षेत्रों में हुई भारी उन्नति का सूचना और प्रसारण क्षेत्रक पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। जनता के बहुत बड़े भाग तक पहुंचने के लिए अतीत में अपनाए गए कई संप्रेषण-साधन या तो पुराने पड़ गए हैं अथवा उनमें क्रांतिकारी प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हो गए हैं किन्तु फिर भी लोगों को न्यूनतम लागत पर विकास संबंधी सूचना और हितकारी मनोरंजन प्रदान करने, क्षेत्रक के भीतर स्वस्थ विकास और प्रतिस्पर्धा सुसाध्य बनाने के लक्ष्य उतने ही प्रामाणिक बने हुए हैं जितना कि ये पहले थे। इसलिए इस क्षेत्रक के समक्ष आ रही चुनौतियों की समीक्षा करना और दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करना जरूरी हो गया है।

2. सूचना और प्रसारण (आई एण्ड बी) क्षेत्रक के क्रियाकलापों के अंतर्गत तीन क्षेत्र आते हैं अर्थात् प्रसारण (दूरदर्शन और आकाशवाणी), सूचना तथा फिल्में, जिनके कार्य एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकृत मीडिया यूनिट रेडियो, टेलीवीजन, फिल्मों, प्रकाशन, विज्ञापन तथा नृत्य और नाटक जैसे पारंपरिक माध्यमों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनमें से प्रसारण अर्थात् आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन, जिसके लिए इस क्षेत्रक के योजनागत परिव्यय का 90 प्रतिशत हिस्सा होता है, पर उन्नत प्रौद्योगिकियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। केवल नेटवर्कों के जरिए देश में अब उपलब्ध 80 से अधिक प्राइवेट चैनलों के आ जाने के साथ एकाधिकार-प्राप्त प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन की स्थिति खराब हो गई है। इसके परिणामस्वरूप दर्शकों के रुझान में भी कुछ बदलाव आया क्योंकि दर्शक को कई प्रकार के कार्यक्रमों को देखने का विकल्प प्राप्त हुआ जैसेकि फिल्म आधारित कार्यक्रम, सोप सीरियल तथा हार्ड कोर समाचार प्रस्तुति आदि।

3. परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि दूरदर्शन तथा ए आई आर, दोनों ने भूगोलिक तथा लोगों की कवरेज की दृष्टि से ख़ासी प्रगति की है। दूरदर्शन के मामले में 1200 से अधिक स्थलीय ट्रांसमीटरों से निकलने वाले सिगनल लगभग 89 प्रतिशत जनता तक पहुँचते हैं। यह विश्व के एक सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें लगभग 400 मिलियन दर्शक तथा 3-टायर प्राथमिक कार्यक्रम सेवा शामिल हैं - राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। दूरदर्शन ने कई नए सैटेलाइट टी वी चैनल भी जोड़े हैं, जिनमें डी डी स्पोर्ट्स, डी डी भारती (डी डी न्यूज के स्थान पर), ज्ञान दर्शन (शैक्षिक चैनल) और जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में दो क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। इसके अलावा 10 मौजूदा क्षेत्रीय भाषा सैटेलाइट चैनलों पर प्रसारण अवधि प्रति दिन 24 घंटे तक बढ़ा दी गई है। ए आई आर एक सबसे बड़े रेडिया संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें 208 प्रसारण केंद्र हैं जोकि लगभग 90 प्रतिशत भूगोलिक क्षेत्र में फैली आबादी के लगभग 99 प्रतिशत भाग को कवर करते हैं। यह 24 भाषाओं तथा 146 बोलियों में समाचार, संगीत, स्पोकन वर्ड और अन्य कार्यक्रम प्रदान करता है। निजी क्षेत्र में भी मुम्बई और कोलकाता जैसे शहरों में एफ एम रेडियो चैनल स्थापित किए गए हैं और वर्ष के दौरान दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी और चैनल स्थापित किए जाने की संभावना है।

4. सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में ए आई आर और दूरदर्शन की भूमिका उनके वित्तीय तथा मानव संसाधनों से अतिरिक्त मांगें करती है, किन्तु निजी चैनलों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। उदाहरणतया, पहाड़ी प्रदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण सेवाओं के विस्तार और सुधार में, सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में प्रसार भारती को सेवाएं चलानी पड़ती हैं क्योंकि वित्तीय कारणों से निजी प्रसारणकर्ताओं की ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं चलाने की संभावना नहीं होती। इसके अतिरिक्त, इससे पहले प्रसारण क्षेत्रक पर योजनागत व्यय की मुख्य विशेषता कैरिज आधारित संरचना स्थापित करना था जिसमें टेलीवीजन प्रसारण के अंतर्विषय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निधियों का बहुत कम या कोई प्रावधान नहीं किया जाता था। मात्र स्वरूप के कारण ही प्रसार भारती के कार्यक्रमों का उद्देश्य सूचना और शिक्षा प्रदान करना है। ये कार्यक्रम मनोरंजन प्रदान करने वाले होते हुए भी, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और ये केवल राजस्व पैदा करने वाले नहीं हो सकते। इसलिए दसवीं योजना के प्रथम वर्ष की वार्षिक

योजना 2002-03 के लिए उपयुक्त कार्य-नीति अपनाना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना जरूरी हो गया है।

सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलकदमियां इस प्रकार हैं:

- ऐसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए बढ़ाया देना जो आम आदमी के लिए सार्वजनिक और निजी प्रसारणकर्ताओं तक उन्नत और परिवर्द्धित पहुँच प्राप्त करने में समर्थ बनाएं।
- संबंधित समुदायों के शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संस्थाओं आदि जैसे स्थानीय समुदायों तथा लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को एक एम मोड में कम पावर वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देना,
- प्रसारण क्षेत्रक में उभरते हुए परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त समय पर डी टी एच नीति की समीक्षा करना।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा

5. वार्षिक 2001-02 में सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के लिए 811.40 करोड़ ₹ का परिष्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से 340 करोड़ ₹ की सीधी बजटीय सहायता और 471.40 करोड़ ₹ का आई ई बी आर घटक शामिल था। 2001-02 के संशोधित अनुमान 741.08 करोड़ ₹ का परिष्यय दर्शाते हैं जिसमें से 309.64 करोड़ ₹ की बजटीय सहायता तथा 431.42 करोड़ ₹ आई ई बी आर का हिस्सा है। पिछले वर्ष से बजटीय सहायता में वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि जम्मू-कश्मीर में ए आई आर तथा दूरदर्शन सेवाओं में सुधार करने के लिए एक विशेष पैकेज कार्यान्वित किया गया था और नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में चार स्कीमों को पूरा करने के लिए विशेष बल दिया गया था। पहले के वर्षों की तरह इस वर्ष भी वार्षिक योजना के आई ई बी आर घटक में कमी रह जाने की संभावना है। नौवीं योजना के लिए सेक्टर-वार परिष्यय तथा व्यय संलग्नक 7.4.5 में देखे जा सकते हैं। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान प्रसार भारती के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 7.4.7 में दर्शाई गई हैं। कमी के मुख्य कारण यह थे कि भवनों तथा टावरों के निर्माण में विलम्ब हुआ था, उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हुआ और न्यायालयों में मुकदमों तथा कानून व्यवस्था आदि की समस्याएं थीं।

वार्षिक योजना 2002-03

6. वार्षिक योजना 2002-03 में इस क्षेत्रक के लिए अनुमोदित व्यय 878 करोड़ ₹ है जिसमें 415.00 करोड़ ₹ की बजटीय सहायता और 463 करोड़ रुपए आई ई बी आर के शामिल हैं। बजटीय सहायता में पैकेज के अधीन बिखरी हुई इस वित्तीय वर्ष के भीतर पूरी की जाने वाली स्कीमों में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज शामिल है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा सुविधाओं को और प्रभावी बनाने के लिए इन्हें समेकित करने में उत्तर-पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) और द्वीपीय क्षेत्रों में टी वी तथा रेडियो सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। वार्षिक योजना

2002-03 के लिए प्रसारण क्षेत्रक के लिए क्षेत्र-वार व्यय तथा भौतिक लक्ष्य क्रमशः संलग्नक 7.4.6 तथा 7.4.7 में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए प्रसार क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्रक

दूरदर्शन

7. इस क्षेत्र में हो रहे व्यापक प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ देश के शेष भागों की टी वी कवरेज सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण अंतर्विषय तैयार करने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन में वृद्धि करने और निर्माण सुविधाओं के अंकीयकरण तथा प्रसार भारती के सभी प्रमुख केंद्रों के स्वचालन के जरिए पर्याप्त निवेश करने की जरूरत महसूस की गई है ताकि सार्वजनिक सेवा के प्रसारणकर्ताओं को प्राईवेट चैनलों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

ऑल इंडिया रेडियो

8. मीडियम वेव प्रसारण लगभग 99% जनसंख्या तक पहुँच चुका है। परन्तु अपनी उच्च गुणवत्तापूर्ण स्टीरियोफोनिक आवाज के कारण, समूचे विश्व में एफ.एम प्रसारण बेहतर समझी गई पद्धति है। इसलिए महानगरों तथा छोटे शहरों में ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की बेहतर गुणवत्ता के लिए एफ.एम रेडियो सेवाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। रेडियो की पहुँच को सुदृढ़ बनाने तथा इसका विस्तार उत्तर-पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) तक बढ़ाने पर भी बल दिया गया है।

9. 2002-03 के लिए प्रसारण क्षेत्रक के लिए परिव्यय 823.00 करोड़ रु० है, जिसमें 360 करोड़ रु० बजटीय सहायता तथा 463.00 करोड़ रु० आई.ई.बी.आर के रूप में हैं। इसमें जम्मू-कश्मीर और उत्तरपूर्वी राज्यों के लिए विशेष पैकेजों के वास्ते 160.20 करोड़ रु० बजटीय सहायता के रूप में शामिल हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 626.00 करोड़ रु० (डी.बी.एस.3आई.ई.बी.आर) तथा 197.00 करोड़ रु० (डी.बी.एस.3 आई.ई.बी.आर) हैं। सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के कुल परिव्यय में 90% से अधिक हिस्सा प्रसारण क्षेत्रक का है।

फिल्म क्षेत्रक

10. वार्षिक योजना 2002-03 में फिल्म क्षेत्रक के लिए अनुमोदित व्यय 26.00 करोड़ रु० है। वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/स्कीमों में डाकुमेंट्री फिल्मों का निर्माण, भवनों का निर्माण तथा नवीकरण, फिल्म उपस्कर का आधुनिकीकरण, फिल्म अभिलेखीय क्रियाकलापों

का संवर्द्धन, प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास, मेलों के जरिए भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण और भारत में बच्चों के फिल्म समाज के लिए सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।

सूचना क्षेत्रक

11. 2002-03 में सूचना क्षेत्रक के लिए अनुमोदित व्यय 29.00 करोड़ रु० है। वार्षिक योजना में जिन क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा उनमें शामिल हैं - नव-सृजित राज्यों में पी.आई.बी. कार्यालयों को सुविधाएं प्रदान करना, सूचना भवन तथा नैशनल प्रेस सेंटर का निर्माण, भारत के लिए समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का आधुनिकीकरण, उपस्कर की खरीद, क्षेत्र प्रचार निदेशालय के लिए फिल्में/कैसेट, मीडिया कौशल विकसित करने के लिए मानव शक्ति का प्रशिक्षण आदि।

शून्य आधारित बजट बनाना

12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शून्य आधारित बजट (जेड.बी.बी) कार्यप्रणाली पर आधारित सभी योजनागत स्कीमों की व्यापक समीक्षा की है। इस समीक्षा का उद्देश्य दोहरे कार्य से बचने तथा पुरानी और असंगत स्कीमों को छोड़ने के लिए कार्यक्रमों का औचित्य स्थापन और एक समान स्कीमों को मिलाना है। इसके परिणामस्वरूप वार्षिक योजना 2002-03 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 94 स्कीमों में घटा कर 42 कर दी गई हैं जिन्हें जारी रखा जाएगा।

मुद्दे और कार्यनीतियां

13. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान प्रसारण क्षेत्रक के संबंध में निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई गई है:

- जम्मू-कश्मीर का विशेष पैकेज पूरा करना।
- रेजियो तथा टी.वी. की पहुँच सुदृढ़ बनाना तथा इसे उत्तर-पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) तथा द्वीपीय क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
- एप.एम रेडियो की बेहतर आवाज तथा स्थानीय नेटवर्क के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
- टी.वी. तथा रेडियो सेवाओं के उन्नत निष्पादन के लिए कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का अंकीयकरण तथा प्रमुख केंद्रों का स्वचालन तथा
- टी.वी जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण अंतर्विषय के साथ अधिमानतः बहु-चैनल टेलीविजन सेवाओं के साथ कवर किया जाएगा।

14. यद्यपि सूचना क्षेत्रक में कई मीडिया यूनिट, योजना प्रक्रिया की प्रारंभिक अवधि में शुरू किए गए थे तथा विकास संबंधी नीतियों संबंधी सूचना प्रसारित करने में, विशेषकर ग्रामीण लोगों

के लिए उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कभी पहले थी। प्रिंट मीडिया के लिए नीतिगत कार्यनीति की वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान समीक्षा की गई है और विशेषकर समाचार पत्र और सामयिक विषयों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन में तथा विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक जर्नलों आदि का प्रकाशन सुसाध्य बनाने के लिए विदेशी ईक्विटी की भी अनुमति दी गई है।

15. इसी प्रकार, फिल्म क्षेत्रक में भी विभिन्न मीडिया युनिटों की भूमिका और संरचना पर नए सिरे से नजर डालने की आवश्यकता है। परन्तु इस क्षेत्रक पर मुख्यतः निजी व्यवसायियों का अधिपत्य है और फिल्मों ने भारतीय लोगों के जीवन में एक विशेष स्थान बना लिया है। इन क्षेत्रों में असाधारण संवृद्धि हुई है और इस क्षेत्रक ने नवीं योजना में उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है। यह सबसे बड़े नियोक्ताओं में से भी एक है जोकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों के दौरान फिल्मों के निर्यात में खासी वृद्धि हुई है। इसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कार्य-नीतियां अपनाई गई हैं:

- फिल्म निर्माण के लिए औपचारिक वित्त स्रोतों का उपयोग करना और अपराध जगत के स्रोतों से आने वाले गैर-कानूनी धन को निरुत्साहित करना।
- मेलों और विपणन कार्यनीतियों के जरिए विदेशी बाजारों में भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ाया देना।
- सरकारी और प्राईवेट संस्थानों, दोनों में एच.आर.डी प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकसित करना।
- राजस्व बढ़ाने के लिए फिल्मों की चोरी पर रोक लगाना।
- बेहतर मानीटरिंग और फिल्म विनियमन के लिए सी.बी.एफ.सी पर आधारित सुविधाएं बढ़ाना।
- लक्षित दर्शकों तक व्यापक पहुँच के लिए चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी (सी.एफ.एस आई) को उच्च गुणवत्तापूर्ण फिल्मों का निर्माण बढ़ाना चाहिए।

वार्षिक योजना (2002-03)
डाक क्षेत्रक में भौतिक निष्पादन

स्कीम	2000-01 उपलब्धि	2001-02		2002-03 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5
नेटवर्क का विस्तार				
(i) पी.एस.एस.के	9555	2000	2402	1500
(ii) ई.डी.बी.ओ	363	500	45	250
(iii) डी.एस.ओ.	52	50	51	25
कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण				
पी.ओ.एस				150
पी.ए.ओ				3
सर्कल कार्यालय				7
एच.आर.ओ. नेटवर्किंग				
एच.आर.ओ.				10
टी.एम.ओ				15
सी.आर.सी.				20
वी.सैट. प्रणाली				
ग्राहक सेवा केंद्र				62
श्रमदक्षता बढ़ाना				
आधुनिकीकरण	161	125	125	100
एस.पी.सी.सी				100
डाक कार्यालय				100
ई.डी.बी.ओ के लिए आधारभूत संरचना	2005	2000	2000	1818
ए.एम.पी.सी	2	2	2	1
डाक लाने-ले-जाने के वाहन				
प्रीमियम उत्पाद				
स्पीड पोस्ट बुकिंग				100
डाक टिकट संग्रहण व अध्ययन				
प्रदर्शन				25
औजार और उपस्कर				40

संलग्नक 7.4.1

स्कीम	2000-01 उपलब्धि	2001-02		2002-03
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5
प्रशिक्षण				
ग्रुप ए	156	140	140	100
सेवाकालीन	2424	2500	2500	6000
दूरस्थ अध्ययन				35000
कम्प्यूटर प्रशिक्षण				28000
सर्कल स्टाम्प डिपो				2
अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रोसेसिंग				8
राष्ट्रीय डाटा केंद्र				1
एक्सप्रेस पार्सल केंद्र				6

वार्षिक योजना (2002-03)

डाक क्षेत्रक का वित्तपोषण

(करोड़ रु०)

स्कीम	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 ब.अनु.
		ब.अनु.	सं.अनु.	
1	2	3	4	5
विस्तार	8.47	15.00	16.44	3.41
कम्प्यूटरीकरण व संयोजकता	26.63	21.01	32.11	38.86
एच.आर.ओ नेटवर्किंग				13.32
वी.सैट. सिस्टम				0.75
ग्राहक सेवा केंद्र	0.82	4.35	3.74	11.57
श्रमदक्षता बढ़ाना				5.54
ए.एम.पी.सी				24.00
डाक संचलन	3.97	61.77	14.82	0.30
प्रीमियम उत्पाद	4.98	4.00	3.49	2.74
डाक टिकट संग्रहण व अध्ययन	1.71	1.20	1.20	0.84
प्रशिक्षण	3.26	3.67	3.67	6.65
भवन	25.78	24.00	23.58	28.00
सर्कल स्टाम्प डिपो				0.26
अंतरराष्ट्रीय डाक प्रासेसिंग				1.26
राष्ट्रीय डाट केंद्र				5.00
अनु. तथा विकास और सर्वेक्षण				1.00
एक्सप्रेस पार्सल				0.50
ई-पोस्ट			0.50	
ई-बिल पोस्ट				0.50
नये उत्पाद आदि				5.00
कुल	75.62	135.00	99.05	150.00

वार्षिक योजना
टेलीकॉम क्षेत्रक का वित्त-पोषण

(करोड़ रु०)

स्कीम	2000-01 वास्तविक	2001-02		2002-03 ब.अनु.
		ब.अनु.	सं.अनु.	
1	2	3	4	5
बी.एस.एन.एल	12203.96	16574.00	16573.00	14076.00
आई.आर	11643.96	11341.00	8283.00	7692.00
बांडस्	560.00	5233.00	3083.00	3502.00
अन्य		5207.00	2881.00	
जी.बी.एस				1.00
एम.टी.एन.एल	967.36	1600.00	1150.00	3994.06
आई.आर	967.36	1600.00	1150.00	2744.06
बांडस्				1250.00
वी.एस.एन.एल	347.18	1814.66	945.97	
आई.आर	347.18	1814.66	945.97	
आई.टी.आई	24.00	125.00	125.00	73.00
आई.आर	24.00	125.00	103.00	-77.00
बांडस्			22.00	150.00
एच.टी.एल	16.33	20.18		
आई.आर	14.39	12.92		
अन्य	1.94	7.26		
डब्ल्यू.एम.ओ	5.27	10.00	1.35	2.25
डब्ल्यू.पी.सी	0.83	95.00	27.33	101.05
ट्राई	2.00	4.00	4.00	1.50
टी.डी.एस.ए.टी.				0.20
टी.ई.सी.	1.36	4.00	4.75	4.00
सी-डॉट	110.66	52.00	101.00	75.00
जोड़	13678.95	20298.84	18932.40	18327.06
आई.आर	12996.89	14893.58	10481.97	10359.06
बांडस्	560.00	5233.00	3105.00	4902.00
अन्य	1.94	7.26	5207.00	2881.00
बी एस.	120.12	165.00	138.43	185.00

वार्षिक योजना (2002-03)
टेलीकॉम क्षेत्रक में भौतिक प्रदर्शन

स्कीम	यूनिट	2000-01 उपलब्धि	2001-02		2002-03 लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6
नये कनेक्शन	लाख लाइनें	59.25	72.3	55.46	69.83
स्थिर	लाख लाइने				25.03
डब्ल्यु.एल.एल	लाख लाइनें				13.43
जी.एस.एम	लाख लाइने				31.37
बी.एस.एन.एल	लाख लाइनें	56.29	68.3	53.21	64.34
स्थिर	लाख लाइने				22.9
डब्ल्यु.एल.एल	लाख लाइने				11.94
जी.एस.एम	लाख लाइनें				29.50
एम.टी.एन.एल	लाख लाइनें	2.96	4	2.25	5.49
स्थिर	लाख लाइनें				2.13
डब्ल्यु.एल.एल	लाख लाइनें				1.49
जी.एस.एम	लाख लाइने				1.87
टी.ए.एक्स	लाख लाइनें	5.12	10.1	9.97	11.47
बी.एस.एन.एल	लाख लाइने				10.05
एम.टी.एन.एल	लाख लाइने				1.42
माइक्रोवेव	000कि.मी	21.03	7.5	14.45	5.00
आप्टीफाइबर	000कि.मी.	55.35	126	99.02	77.06
वी.पी.टी	000अदद	34.22	144	70.75	218.00

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नवीं योजना तथा वार्षिक योजनाओं का व्यय

क्र. सं.	शीर्षक युनिट	9वीं योजना परिव्यय (97-2002)	अनुसूचित परिव्यय 1997- 98	अनु. परिव्यय 98-99	अनु. परिव्यय 99-2000	अनु. परिव्यय 2000-01	अनु. परिव्यय 2001-02	9वीं योजना के लिए कुल परिव्यय वास्तविक (का. 4-8)	वास्तविक 1997-98	वास्तविक 1998-99	वास्तविक 99-2000	वास्तविक 2000-01	प्रत्या. व्यय 2001-02	9वीं योजना के दौरान प्रत्या. कुल व्यय (का. 1-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	सूचना क्षेत्रक													
	डी.बी.एस	93.30	19.00	18.52	17.50	17.21	14.46	87.69	12.51	14.20	16.45	12.76	12.71	68.6
	आई.बी. ई.आर	0	0.00	1.03	1.76	1.51	2.62	6.92	0.00	0.94	1.50	1.90	2.59	6.9
	जोड़ I	93.00	19.00	19.55	19.26	19.72	17.08	94.61	12.51	15.14	17.95	14.66	15.30	75.5
II	फिल्म क्षेत्रक													
	डी.बी.एस	137.20	33.80	34.28	30.50	38.49	32.77	169.84	28.99	21.97	26.95	30.68	21.93	130.5
	आई.बी. ई.आर	45.50	8.20	8.70	6.10	10.70	8.62	42.32	8.23	4.71	3.48	3.50	6.50	26.4
	जोड़ II	182.7	42.00	42.98	36.60	49.19	41.39	212.16	37.22	26.68	30.43	34.18	28.43	156.9
III	प्रसारण क्षेत्रक													
	डी.बी.एस	449.55	74.80	74.80	97.00	213.30	292.77	752.67	42.64	42.60	97.00	207.13	275.00	664.3
	आई.बी. ई.आर	2117.50	484.00	524.60	416.52	427.14	460.16	2312.42	391.99	346.14	381.89	328.62	422.33	1870.9
	जोड़ III	2567.05	558.80	599.40	513.52	640.44	752.93	3065.09	434.63	388.74	478.89	535.75	697.33	2535.3
IV	कुल जोड़													
	डी.बी.एस	680.05	127.60	127.60	145.00	270.00	340.00	1010.20	84.14	78.77	140.40	250.57	309.64	863.5
	आई.बी. ई.आर	2163.00	492.20	534.33	424.38	439.35	471.40	2361.66	400.22	351.79	386.87	334.02	431.42	1904.3
	जोड़ I+II+III	2843.05	619.80	661.93	569.38	709.35	811.40	3371.86	484.35	430.56	527.27	584.59	741.06	2767.8

डी.बी.एस : सीधी बजटीय सहायता
आई.बी.ई.आर : आंतरिक और बजटवार ससाधन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2002-03 परिष्यय

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मीडिया यूनिट	अनुमोदित परिष्यय
1	2	3
I	सूचना क्षेत्रक	
1	पी.आई.बी	1150.00
2	प्रकाशन विभाग	60.00
3	डी.ए.वी.पी	300.00
4	आई.आई.एम.सी	390.00
5	फोटो डिवीजन	50.00
6	डी.एफ.पी	220.00
7	गीत एवं नाटक प्रभाग	200.00
8	आर.आर एण्ड टी.डी	10.00
9	आर.एन.आई	60.00
10	पी.सी.आई	20.00
	मुख्य सचिवालय स्कीमें	
11	सूचना भवन	400.00
12	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	40.00
	2कुल (I)	2900.00
II	फिल्म क्षेत्रक	
1	फिल्म प्रभाग	565.00
2	एन.एफ.ए.आई	272.00
3	एफ.टी.आई.आई., पुणे	242.00
4	एस.आर.एफ.टी.आई, कोलकाता	22.00
5	डी.एफ.एफ	469.00
6	सी.एफ.एस.आई	600.00
7	सी.बी.एफ.सी	310.00
	मुख्य संचि. (फिल्म विंग) स्कीमें	
8	एफ.एफ.एस. आई को सहायता अनुदान	4.00
9	चोरी-रोधी कार्य/मेलों में कार्यरत एन.जी.ओ.को सहायता अनुदान	16.00
10	भारत तथा विदेश में फिल्म बाजार में भागीदारी	100.00
	कुल (II)	2600.00

संलग्नक 7.4.6

(लाख रु० में)

क्र.सं.	वीडिया यूनिट	अनुमोदित परिच्यय
1	2	3
III	प्रसारण क्षेत्रक (प्रसार भारती)	
1	ऑल इंडिया रेडियो	19700.00
	डी.बी.एस	8500.00
	आई.ई.बी.आर	11200.00
2	दूरदर्शन	62600.00
	डी.बी.एस	27500.00
	आई.ई.बी.आर	35100.00
	कुल(III)	82300.00
	डी.बी.एस	36000.00
	आई.ई.बी.आर	46300.00
	कुल जोड़ (I+II+III)	87800.00
	डी.बी.एस	41500.00
	आई.ई.बी.आर	46300.00

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए मीडिया-सार्वभौमिक
लक्ष्य और 2002-03 के लिए लक्ष्य

क्र. सं.	मीडिया यूनिट	स्कीम	2001-02 लक्ष्य	2002-03 उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	दूरदर्शन				
		स्टूडियो	3	2	4
		एच पी टी-डी डी-1	18	5	14
		एच.पी.टी-डी.डी. -2	8	2	11
		एल.पी.टी/ वी.एल.पी.टी.	65	31	50
	दूरदर्शन (जे एण्ड के पैकेज)				
		स्टूडियो	--	१	1
		एच.पी.टा (डी.डी1३ डी.डी.2)	9	2	6
		एल.पी.टी/ वी.एल.पी.टी)	58	37	22
	दूरदर्शन	कुल	161	79	108
2	ऑल इंडिया रेडियो				
		प्रसारण स्टेशन	--	--	1
		मी.वेव. ट्रांसमीटर	133	131	2
		शार्टवेव ट्रांसमीटर	--	--	1
		स्टूडियो	--	--	1
	ए आई आर (जे एण्ड के पैकेज)				
		प्रसारण स्टेशन	--	--	2
		मी.वेव ट्रांसमीटर	10	8	2
		एफ.एम. ट्रांसमीटर	--	--	1
3	ए.आई.आर.	जोड़	43	39	10
4	प्रसार भारती	जोड़	204	118	118

* सतत स्कीम - 10 + आधुनिकीकरण स्कीम - 22 + नई स्कीम - 1

7.5 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) भारतीय उद्योग के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले क्षेत्र में से एक है जोकि 1997-98 में 32,070 करोड़ रु0 से बढ़कर 2001-02 में 80,884 करोड़ रु0 हो गया। उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से उद्योग का 92 प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र में है और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों का हिस्सा लगभग 8 प्रतिशत तक सीमित है। उद्योग का साठ प्रतिशत (48,134 करोड़ रु0) हिस्सा साफ्टवेयर क्षेत्र के नाम है और शेष 40 प्रतिशत (32,750 करोड़ रु0) आई टी हार्डवेयर का योगदान है। चूंकि साफ्टवेयर में भारी मात्रा में माल निर्यात होता है, इसलिए इस क्षेत्र ने निर्यात क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है क्योंकि यह निर्यात 1997-98 में 9,500 करोड़ रु0 से बढ़कर 2001-02 में 42,371 करोड़ रु0 हो गया। नौवीं योजना अवधि के दौरान उद्योग का कार्य-निष्पादन और लक्ष्य तालिका 7.5.1 में दिए गए हैं।

तालिका 7.5.1

आई.टी उद्योग का उत्पादन

(करोड़ रु0)

मद	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 लक्ष्य
आई.टी हार्डवेयर	22,100	25,250	28,100	30,700	32,750	39,500
साफ्टवेयर निर्यात	6,500	10,940	17,150	28,350	36,500	54,000
देशीय साफ्टवेयर	3,470	4,950	7,200	9,400	11,634	17,000
कुल	32,070	41,140	52,450	68,450	80,884	1,10,500

2. यह क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों की उत्पादिकता बढ़ाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता चला आया है। इस क्षेत्र की कुछ बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं- भारतीय साफ्टवेयर उद्योग का विकास और जबरदस्त सफलता, सुपर कम्प्यूटर प्रौद्योगिकियों का विकास, बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण, ई-गवर्नेंस, संचार सेवाओं का आधुनिकीकरण, इंटरनेट का बढ़ता प्रयोग, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आई.टी आधारित स्वचालन।

दसवीं पंच वर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य

3. दसवीं पंच वर्षीय योजना में आई.टी. क्षेत्रक के लिए परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- साफ्टवेयर क्षेत्रक की निरंतर संवृद्धि सुनिश्चित करने और विश्व के आई.टी बाजार में भारत का हिस्सा वर्तमान में 2% से बढ़ाकर 6% के स्तर पर लाना।
 - हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए बुनियादी नीतिगत ढांचा स्थापित करना।
 - अपेक्षाकृत अधिक कुशल, पारदर्शी तथा अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना।
 - भारतीय भाषाओं में साफ्टवेयर के विकास तथा प्रयोग को बढ़ावा देना।

- आई.टी को सामर्थ्य-योग्य, प्रयोग करने में सरल तथा दिन-प्रति-दिन के जीवन में उपयोगी बना कर इसे आम लोगों तक ले जाना।
- मानव शक्ति, कौशलों तथा अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपेक्षित नीतिगत ढांचा स्थापित करना।

मुख्य पहलकदमियां तथा प्रहार क्षेत्र:

4. दसवीं योजना में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख पहलकदमियों में शामिल हैं- राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति तैयार करना, साफ्टवेयर विकास में गुणवत्ता तथा उत्पादिता में सुधार करना, अमेरिका को प्राथमिकता देने के लिए अतिरिक्त, यूरोप, यू.के, एशिया पैसिफिक, जापान आदि के उभरते हुए बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने सहित साफ्टवेयर निर्यात के लिए आक्रमक बाजार-नीति अपनाना। आई.टी को आम आदमी तक पहुँचाने तथा देशीय बाजार में वृद्धि करने के उद्देश्य से साफ्टवेयर का भारतीय भाषाओं में विकास तथा संवर्द्धन, मानव शक्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंजीनियर कॉलेजों में सुविधाओं का उन्नयन, देश में व्यापक तरीके से ई-गवर्नेंस कार्यान्वित करना, विद्या वाहिनी तथा ज्ञान वाहिनी कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इंटरनेट संयोजकता तथा ई-अध्ययन साधन प्रदान करना तथा मीडिया लैब एशिया कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान/अभिनवीकरणों का बढ़ावा देना।

5. ग्राहक परस्पर सेवाओं जैसी आई टी समर्थित सेवाएं, व्यापार प्रक्रिया में बाहरी स्रोत प्राप्त करना (बी.पी.ओ), बीमा दावा प्रासेसिंग, अंकीय अंतर्विषय विकास, आन-लाइन शिक्षा, वेब सेवाओं की धन और रोजगार के अवसर पैदा करने के स्रोतों के रूप में पहचान की गई है। अनुमान लगाया गया है कि ये सेवाएं अगले आठ वर्षों में लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी और 81,000 करोड़ रु० का राजस्व पैदा करेगी। 2001-02 में इन सेवाओं का बाजार बढ़ कर 7,100 करोड़ रु० तक पहुँच गया जिसने 1,07,000 नये रोजगार प्रदान किए। केवल कॉल सेंटर्स ने राजस्व का लगभग 80% हिस्सा पैदा किया। आई.टी समर्थित सेवाओं के विकास के लिए देश प्रतिभा की उपलब्धता, अधिकतम संख्या में आई.एस.ओ तथा सी.एम.एम IV और V द्वारा प्रमाणित आई.टी कम्पनियां, पर्याप्त संचार आधारभूत संरचना, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की सदभावना जैसे कई अनुकूल कारक प्रस्तुत करता है। परन्तु इनकी पूरी क्षमता का उपयोग इन सेवाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना स्थापित करके और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के उदार समर्थन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

6. इस समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की लगभग 300 इकाइयां हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान पिलानी, अनुसंधान और विकास केंद्रों, उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केंद्र, पुणे, सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, आई.आई.टी/आई.ई.साइंस, ऑप्टेल, नेशनल फिजीकल लैबारटरी, इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० आदि जैसे कुछ अच्छे संस्थानों ने इलेक्ट्रानिक्स तथा आई.टी में महत्वपूर्ण योगदान किया है और नाम कमाया है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई.टी.ए.आई- डब्ल्यू.टी.ओ) के अनुसार आई.टी क्षेत्रक को 2005 तक शून्य शुल्क व्यवस्था पर लाया जाएगा। इसलिए भारतीय आई.टी उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय लागत और गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकियां, उत्पाद तथा सेवाएं विकसित करना और कम से कम साफ्टवेयर और आई.टी सेवाओं, जैव-सूचना-शास्त्र, माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स, साइबर सिक्योरिटी, वायरलैस प्रौद्योगिकियों, हार्ड-एंड कम्प्यूटिंग आदि जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय नेता बनना जरूरी हो गया है। दसवीं योजना में अनुसंधान और विकास करने के लिए तैयार किया गया आर एण्ड डी मॉडल दीर्घकालिक, मध्यम तथा अल्पकालिक आर एण्ड डी के रूप में उनके सामरिक महत्व और वर्गीकरण पर आधारित है। इस वर्गीकरण के अधीन दीर्घकालिक, मध्यम और अल्पकालिक आर एण्ड डी परियोजनाएं क्रमशः 10 वर्ष, 3-6 वर्ष और 1-3 वर्ष हैं। जबकि दीर्घ-कालिक अनुसंधान और विकास में ध्यान सूक्ष्म-अति-सूक्ष्म प्रौद्योगिकियों, जैव-सूचना विज्ञान आदि पर केंद्रित किया जाएगा जिसमें यथासंभव अधिकतम स्तर पर केंद्रीय निधियां लगाई जाएंगी, किन्तु मध्यम और दीर्घकालिक आर एण्ड डी में यह परिकल्पना की गई है कि इसमें ज्यादातर निधियां स्वयं उद्योग प्रदान करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना, लागतें कम करना तथा अभिनव कीर्तिमान स्थापित करना होगा। आई.टी संबंधी दसवीं योजना के कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि दसवीं योजना के दौरान आई.टी में अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रति वर्ष 3,400 करोड़ रु० की निधियों की आवश्यकता होगी, जिसका सरकार तथा उद्योग द्वारा 80:20 के अनुपात में वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है।

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा

8. वर्ष 2001-02 विश्व की अर्थव्यवस्था में अशांति, त्रासदी, आतंकवाद तथा मंदी का वर्ष रहा है। इसने भारतीय साफ्टवेयर निर्यात उद्योग को भी प्रभावित किया है, जिसने पिछले वर्ष में 65 प्रतिशत की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है परन्तु आई.टी समर्थित सेवा क्षेत्रक में चमत्कारिक वृद्धि और साफ्टवेयर के निर्यात के लिए बढ़ते हुए बाजारों को देखते हुए, यह उद्योग भविष्य में देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ने की आशा रखता है। साफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग का 2001-02 के दौरान भारत की जी.डी.पी. में 1.7 प्रतिशत योगदान था। भारतीय आई.टी साफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात का राष्ट्रीय निर्यात में 2001-02 के दौरान 16 प्रतिशत से अधिक योगदान रहा है।

9. अविष्कार, परिष्करणों को सुसाध्य बनाने तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी) के लाभ आम लोगों तक पहुँचाने की दृष्टि से, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2001-02 के दौरान मीडिया लैब एशिया परियोजना शुरू की। वर्ष की अन्य उपलब्धियां थीं- कैंसर के उपचार के लिए 15 मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट लाइनिअर का विकास, प्रसारण क्षेत्र में दस महत्वपूर्ण आर.एण्ड डी परियोजनाओं को पूरा करना, भाषा इंजीनियरी, रेल भाड़ा सूचना प्रणाली, औद्योगिक स्वचालन, दूरस्थ अध्ययन, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौद्योगिकियां आदि। डी.आई.टी के मानकीकरण परीक्षण नियंत्रण (एस.टी.क्यू.सी) निदेशालय ने विभिन्न प्रमाणन स्कीमों के अंतर्गत 110 उद्योगों को प्रमाणित किया।

10. भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अधीन वर्ष के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम सी.एम.सी. लिमिटेड में विनिवेश किया गया।

वार्षिक योजना 2002-03 में प्रमुख कार्यक्रम

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी), केंद्रीय तथा राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों की विभिन्न पहलकदमियों को सुसाध्य तथा समन्वित करते हुए इस क्षेत्रों के संवर्द्धन के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए डी.आई.टी की विभिन्न स्कीमों के लिए 470 करोड़ रु० की बजटीय सहायता से 593.58 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। वार्षिक योजना 2000-01 तथा 2001-02 में विभाग के वास्तविक व्यय क्रमशः 305.12 करोड़ रु० तथा 490 करोड़ रु० (निवल बी.एस) रहे हैं। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए अनुमोदित परिव्यय दर्शाते हुए डी.आई.टी की योजनागत स्कीमों की एक सूची संलग्नक में दी गई है। डी.आई.टी के कुछ प्रमुख कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

सामुदायिक सूचना केंद्र (सी.आई.सी)

12. इस परियोजना के अधीन, इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सात उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लॉकों में सामुदायिक सूचना केंद्र (सी.आई.सी) स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक सी.आई.सी एक सर्वर, 5 कम्प्यूटरों, तीन प्रिंटरों, यू.पू.एस, डी.जी सेट आदि से लैस हैं। इंटरनेट संयोजकता बी.एस.ए.टी के जरिए उपलब्ध की जा रही है। यह परियोजना 15 अगस्त, 2002 को चालू की गई है। कल्पना की जाती है कि अंकीय एकीकरण स्थापित करने के अलावा, ये केंद्र जनता के साथ इंटरफेस इंटरनेट तक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आम समुदाय के हितलाभ के लिए आई.टी समर्थित सेवाओं का संवर्द्धन करेंगे।

ई-गवर्नेंस

13. प्रत्येक स्तर पर बहुत ज्यादा मनमर्जी, पारदर्शिता न होने और पेचीदा अभिलेख प्रबंधन के कारण सरकारी सेवाओं का वितरण प्रयोक्ताओं के अनुकूल नहीं रहा। ई-गवर्नेंस से अभिप्राय आई.टी को सरकारी प्रक्रियाओं पर लागू करना है ताकि सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी (स्मार्ट) गवर्नेंस लाई जा सके।

14. यद्यपि केंद्र तथा कई राज्य सरकारों ने नौवीं योजना के दौरान ई-गवर्नेंस में कुछ पहलकदमियों की हैं, किन्तु ये प्रयास संस्थानात्मक बलों की बजाय व्यक्तिगत पहलों द्वारा किए गए हैं और ई-गवर्नेंस को अभी व्यवस्थित राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्वरूप धारित करना है। विकास के विभिन्न स्तरों, कम्प्यूटरीकरण और राजनीतिक इच्छा के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ मानकीकृत और एक समान पैटर्न अपनाए जाएं ताकि विभिन्न कारणों की वजह से प्रगतिशील राज्यों तथा कम विकसित राज्यों के बीच अंकीय विभाजन उभर कर सामने न आ जाए।

15. अभी तक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम ज्यादातर नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी) तथा कुछ संगठनों तक ही सीमित रहा है। संयोजकता प्रदान करने, नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सूचना और सेवाओं के लिए चयनित वितरण प्रणालियों तथा साफ्टवेयर समाधानों का एक पैकेज प्रदान

करने पर ही बल दिया जाता रहा है। अब उन कार्यविधियों तथा नियमों की पुनः इंजीनियरी पर गंभीरतापूर्वक विचार करना जरूरी हो गया है जो ई-गवर्नेंस के किसी भी प्रभावी कार्यक्रम का सार-भाग होते हैं। देश में ई-गवर्नेंस क्रियान्वित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एक व्यापक स्कीम तैयार की जा रही है।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास

16. इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटरों तथा आई.टी प्रणालियों का प्रयोग सहज बनाने के लिए आई.टी साधन तथा अंतर्विषय विकसित करना है। इस क्षेत्र में डी.आई.टी ने अग्रणी आर. एण्ड डी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों के 13 संसाधन केंद्रों पर विकास कार्य आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अधीन प्रमुख उपलब्धियां हैं - बहु-भाषी अंकीय पुस्तकालयों/शब्दकोशों का विकास, अनुवाद सहायता प्रणाली, आप्टिकल स्वरूप पहचान प्रणाली, पाठ से भाषण प्रणालियां और मानकीकरण (यूनिकोड, एक्स.एम.एल, लेक्सवेयर फार्मैट, फोंटस)। भाषा इंजीनियरी के क्षेत्र में शुरू की गई कुछ नई आर एण्ड डी परियोजनाओं में लाइनक्स आप्रेटिंग प्रणाली का स्थानीकरण, भारतीय भाषा अंतर्विषय सृजन, हिन्दी में आई.टी शब्दावली का विकास, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद सहायता प्रणाली।

भारत में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस.टी.पी.आई)

17. एस.टी.पी.आई. देश भर में सेवारत साफ्टवेयर निर्यात उद्योग है, जिसके 30 साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क हैं जोकि हार्ड स्पीड डाटा संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं से लैस हैं। एस.टी.पी.आई की सदस्य इकाइयां पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार संवृद्धि दर्शा रही हैं। इन इकाइयों ने 2001-02 के दौरान 36,500 करोड़ रु० के कुल राष्ट्रीय साफ्टवेयर निर्यात की तुलना में 28,000 करोड़ रुपए मूल्य का साफ्टवेयर निर्यात किया। एस.टी.पी.आई स्कीम के अधीन 6,900 से अधिक इकाइयां अनुमोदित की गई हैं जिनमें से लगभग 3,000 इकाइयां साफ्टवेयर का निर्यात कर रही हैं।

मीडिया लैब एशिया

18. मीडिया लैब एशिया परियोजना डी.आई.टी द्वारा मैसेच्यूसेट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य सर्वोत्तम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां विकसित करके अंकीय विभाजन के बीच के अंतर दूर करना और इन प्रौद्योगिकियों को नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के हितलाभ के लिए प्रयोग करना और व्यापार के अवसर पैदा करके उन्हें सबल बनाना है। इस परियोजना में हाथ में लिए जाने वाले प्रहार (थ्रस्ट) क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा/अध्ययन, रोजगार तथा सूक्ष्म उद्यमवृत्ति हैं। 2002-03 के दौरान, एम.एल.ए की अन्वेषी अवस्था में 3 आई.आई.टी में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में शुरू की गई लगभग 32 परियोजनाएं ब्रिटिस फार ऑल, वर्ल्ड कम्प्यूटर, कल के लिए उपकरण तथा अंकीय गांव के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित हैं।

विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम

19. ये दो कार्यक्रम दसवीं योजना के दौरान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को संयोजकता प्रदान करने (विद्या वाहिनी) तथा उच्चतर अध्ययन संस्थानों में आई.टी आधारभूत संरचना के उन्नयन (ज्ञान वाहिनी) के लिए प्रयोगिक आधार पर शुरू किए जाएंगे।

वार्षिक योजना 2002-03 में मानीटर करने योग्य लक्ष्य/प्रत्याशित उपलब्धियां

20. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों को मोटे तौर पर अनुसंधान और विकास, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास और नीति निर्माण में वर्गीकृत किया गया है। सतत स्वरूप के विभिन्न कार्यक्रमों में से इस वर्ष में पूरे कर लिए जाने वाले संभावित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

- उत्तर-पूर्वी राज्यों में सी.आई.सी परियोजना चालू करना।
- प्रयोगिक आधार पर विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम कार्यान्वित करना,
- अंकीय हस्ताक्षर जारी करना,
- मंगोलिया में सूचना और संचार में उत्कर्ष के लिए अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र स्थापित करना,
- लेजर वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास,
- मीडिया लैब एशिया परियोजना का अन्वेषी चरण पूरा करना,
- देश में ई-गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

21. नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी) की मौजूदा आधारिक संरचना, सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्कस्, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (एरनेट), मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी कंट्रोल (एस.टी.क्यू.सी) आदि में उपयुक्त रूप से परिवर्द्धन किया जाएगा।

22. सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स, मोहाली ने वार्षिक योजना 2002-03 में 2001-02 की 72.69 करोड़ रुपए की प्रत्याशित बिक्री की तुलना में 78.34 करोड़ रुपए की कुल बिक्री की परिकल्पना की है। कम्पनी की वर्ष 2002-03 में बहुत बड़े पैमाने पर वैफरों के 8000 यूनितों का उत्पादन करने की संभावना है जबकि इसकी तुलना में 2001-02 में 1000 यूनितों का उत्पादन हुआ था।

शून्य आधारित बजट बनाना

23. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने शून्य आधारित बजट (जेड.बी.बी) कार्यप्रणाली पर आधारित सभी योजनागत स्कीमों की व्यापक समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य निश्चित रूप से कार्यक्रमों को तर्कसंगत बनाना, दोहरापन को समाप्त करने के लिए एक जैसी स्कीमों को आपस में मिलाना और पुरानी तथा असंगत स्कीमों को छांट कर अलग करना है। जेड.बी.बी. कवायद के परिणामस्वरूप डी.आई.टी की नौवीं योजना की 55 स्कीम घट कर वार्षिक योजना 2002-03 में 40 रह गई हैं।

मुद्दे

24. नौवीं योजना में इस क्षेत्रक को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कई योजनाएं तथा नीतिगत उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। परन्तु इस क्षेत्रक के और आगे विकास के लिए नीचे दिए कुछ मुद्दों की ओर अभी ध्यान दिया जाना बाकी है:

- एक राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति तैयार करना और विश्व की प्रमुख हार्डवेयर कम्पनियों को भारत में विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आई.टी.ए.आई - डब्ल्यू.टी.ओ करार के अनुसार, जोकि 2005 के बाद लागू होगा, तैयार उत्पादों पर शून्य-शुल्क शासन के अनुरूप चलने के लिए टैरिफ ढांचे को व्यापक स्तर पर तर्कसंगत बनाना।
- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की निजी क्षेत्र में स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- सॉफ्टवेयर उद्योग को उच्च मूल्य के उत्पाद विकसित करके मूल्य श्रृंखला में उच्च स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है और भारतीय उद्योग का ध्यान सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने से हट कर पैक किए गए उत्पादों के विनिर्माता बनने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- ब्रांड इक्विटी का निर्माण करने में भारी निवेश करना और भारतीय ब्रांड को विदेशों में स्थान दिलाना। नासकॉम, एम.ए.आई.टी, ई.एस.सी आदि जैसी उद्योग की सहायक संस्थाओं को प्रभावी नेटवर्किंग तथा संभावित ग्राहकों के साथ बैठकों के जरिए एस.एम.ई को उनकी निर्यात प्रयासों में आवश्यक सहायता करनी चाहिए।
- देशीय बाजार में आई.टी की पैठ बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना।
- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न संस्थानों में कम्प्यूटर इंजिनियरी, इलेक्ट्रानिक्स और आई टी की पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाना। आई टी विषयों को शामिल करने के लिए इंजीनियरी की अन्य शाखाओं में भी विस्तार किया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा पर बल अवश्य दिया जाना चाहिए।
- तात्पर्यित विश्वविद्यालयों के अधीन इंजीनियरी कॉलेजों तथा मौजूदा आर.ई.सी. में सेवाओं का आई.आई.टी स्तर तक उन्नयन ताकि दसवीं योजना के अंत तक कम से कम ऐसे 100 संस्थान मौजूद हों।
- डी.ओ.ई.ए.सी.सी के रूसी-स्तरीय पाठ्यक्रम को कम्प्यूटर इंजीनियरी में सभी प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः एम.टेक के समक्ष मान्यता दी जानी चाहिए।
- राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आई.टी समर्थित सेवा उद्योगों की सहायता करनी चाहिए।
- ई-गवर्नेंस की दसवीं योजना में एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है और इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग-मानचित्र अनिवार्यतः अविलम्ब तैयार किया जाना चाहिए।

- आर एण्ड डी को जैव-सूचना विज्ञान तथा सूक्ष्म-अति-सूक्ष्म प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते हुए क्षेत्रों तक ले जाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- नागरिकों को अंकीय हस्ताक्षर जारी करने के काम में पहले ही विलम्ब हो चुका है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की अपेक्षानुसार इसे अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- साइबर अपराधों से निपटने के लिए आई.टी अधिनियम का प्रवर्तन और ऐसे अपराधों को हैंडल करने के लिए विधि प्रवर्तक एजेंसियों को प्रशिक्षण।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग- वार्षिक योजना 2002-03 के लिए परिचय

क्र. सं.	स्कीम संख्या/नाम	वार्षिक योजना (2002-2003)			
		अनुमोदित व्यय			
		परिचय	आं. स्रोत	बजटतर संसा०	सकल ब. सहा.
1	2	3	4	5	6
	I आर एण्ड डी कार्यक्रम				
1	सामीर	22.00	2.50	7.50	12.00
2	रोबोटिक्स सहित औद्योगिकीय इलेक्ट्रनिक्स संवर्द्धन कार्यक्रम	8.24		4.74	3.50
3	माइक्रोइलेक्ट्रो सूक्ष्म प्रौ. वि. कार्यक्रम-एन.एम.सी	3.00			3.00
4	प्रौद्योगिकी विकास परिषद	5.00			5.00
5	सामरिक इलेक्ट्रनिक उपस्कर का विकास	3.00			3.00
6	इलेक्ट्रा. घटक व सामग्री विकास कार्यक्रम	7.05	0.45	1.50	5.10
7	सी-डी ए एस	10.00			10.00
8	फोटोनिक्स/ आप्टोइलेक्ट्रनिक्स	3.00			3.00
9	ई आर डी सी	50.41	12.95	29.46	8.00
10	स्वास्थ्य तथा जैव सूचना शास्त्र में इलेक्ट्रानिक्स	5.00			5.00
11	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौ. विकास	6.00			6.00
12	सी जी उद्योग का विकास	2.00		1.00	1.00
13	परिवहन और पावर इलेक्ट्रानिक्स	19.75		15.15	4.60
14	द्रव क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र	1.70			1.70
15	आई पी.आर संवर्द्धन कार्यक्रम	0.40			0.40
16	संवर्द्धन/आई टी में आर एण्ड डी/ विशेष आई.टी परियोजनाएं	21.00			21.00
17	जन समूह के लिए आई.टी(नागरिक पोर्टलो सहित)	20.00			20.00
18	एशिया में मीडिया लेब	1.00			1.00
	आर एण्ड डी उप-जोड़	188.55	15.90	59.35	113.30
	II आधारिक संरचना विकास				
19	ई आर नेट	0.10			0.10
20	विद्या वाहिनी तथा ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम	30.00			30.00
21	एस.टी.क्यू.सी	27.31			27.31
22	एस.टी.पी.आई तथा ई.एच.पी.टी	8.00			8.00
23	आई टी उद्यम पूंजी	10.00			10.00
24	इलेक्ट्रो गवर्नेस	66.17		25.00	41.17
25	आई.टी बिल/ प्रमाणन तथा नेटवर्क सुरक्षा	5.00			5.00

संलग्नक 7.5.1

क्र. सं.	स्कीम संख्या/नाम	वार्षिक योजना (2002-2003)			
		अनुमोदित खर्च			
		परिच्छेद	आं. स्रोत	बजट/तर संसाध	सकल व. साध.
1	2	3	4	5	6
26	सेमीकंडक्टर रूप रेखा डिजाइन अधिनियम-2000	0.50			0.50
27	सामुदायिक सूचना केंद्र (सी.आई.सी)	20.00			20.00
	आधारिक संरचना उप-जोड़	167.08		25.00	142.08
	III. मानव संसाधन विकास				
28	सी.ई.डी.टी	11.58	7.58		4.00
29	एन.सी.एस.टी	3.00			3.00
30	साफ्टवेयर मानव शक्ति विकास/रोजगार सृजन	6.00			6.00
31	ए.एस.आई.सी डिजाइन के लिए विशेष मानव शक्ति	2.00			2.00
	एच.आर.डी उप-जोड़	22.58	7.58		15.00
	IV. विविध				
32	मुख्यालय(सचिवालय और भवन)	10.24			10.24
33	ग्रामीण/ सामाजिक/कृषि जल क्षेत्रक के लिए ई. आई	14.00		10.00	4.00
34	तकनीकी सूचना और पूर्वानुमान	0.50			0.50
35	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सूचना कार्यक्रम	0.25			0.25
36	ई-कामर्स तथा सूचना सुरक्षा (स्मार्ट कार्ड सहित)	5.00			5.00
37	नीति निर्माण तथा आर्थिक विश्लेषण	0.60			0.60
	विविध जोड़	30.59		10.00	20.59
	उप जोड़ (I से V)	408.80	23.48	94.35	290.97
	V. पी.एस.यू				
38	सेमीकंडक्टर कामप्लेक्स लि०	3.51	3.50		0.01
39	VI. एन.आई.सी	175.02			175.02
40	VII. ई.एस.सी तथा निर्यात बाजार विकास कार्यक्रम	6.25	2.25		4.00
	कुल जोड़	593.58	29.23	94.35	470.00

अध्याय 8

पर्यटन एवं विरासत

8.1 पर्यटन

पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है और विदेशी मुद्रा भण्डार के लिए और अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसर सृजन करने की दृष्टि से तथा विशेष रूप से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में इसका अंशदान महत्वपूर्ण है। पर्यटन विभिन्न धर्मों और देशों के लोगों के बीच गहन सामाजिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करता है।

2. वर्ष 2000 के दौरान पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा लगभग 14,408 करोड़ रुपये आकलित की गई और इसमें लगभग 15 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार आकलित किया गया जो कि देश के कुल श्रमिक बल का लगभग 2.4 प्रतिशत है। देश में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का यातायात, वर्ष 1998-99 में 2.4 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2000 के अंत तक 2.64 मिलियन आकलित किया गया। विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) के अनुसार विश्व पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा केवल 0.38 प्रतिशत है जो विश्व पर्यटक प्राप्तियों का केवल 0.62 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि हमारी पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करके यहां संभाव्यता का विशाल हिस्सा काम में लाया जाना शेष है।

3. वर्ष 2001-02 में पर्यटन के लिए बजट केवल 150 करोड़ रुपये था। इस वर्ष भी मंत्रालय के योजनागत परिव्यय (58.00 करोड़ रुपये) का बड़ा हिस्सा विदेशों और देश में पर्यटक सूचना और प्रचार के लिए रखा गया। शेष भाग पर्यटक अवसंरचना (41.84 करोड़ रुपये) कम्प्यूटरीकरण, सूचना तकनीकी और अनुपूर्ति/प्रोत्साहन (25 करोड़ रुपये), मानव संसाधन विकास (10.35 करोड़ रुपये) के लिए रखा गया। पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिये 14.8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।

4. नौवीं पंच वर्षीय योजना में विकास का फोकस देश में चुने हुए क्षेत्रों जैसे ग्रामीण तथा पंरपरागत पर्यटन के विकास सहित पर्यटक केंद्रों क्षेत्रों का विकास, आवास, रास्तों में जन सुविधाओं तथा प्राचीन स्मारकों/विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार पर ही रहा। चूंकि अधिकांश ढांचागत संघटक और आपूर्ति प्रणालियां राज्य सरकारों या निजी क्षेत्र में ही थी, अतः सरकारी गतिविधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को वित्तीय सहायता एवं निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तक ही सीमित रहीं। किन्तु हमारे पर्यटक गंतव्यों के संपूर्ण विकास पर इसका बहुत कम प्रभाव होने के कारण ये सभी योजनाएं वास्तव में आरंभ ही नहीं हो पाईं। अतः वर्ष 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए नीति एवं दृष्टिकोण में विस्तृत परिवर्तन प्रस्तावित किया गया।

5. वर्ष 2001-02 की सभी योजनाएं शून्य बजट प्रक्रिया पर आधारित थी। अतः इनमें से काफी योजनाएं बंद हो गईं तथा शेष योजनाओं का विलय कर विभाग के परामर्श से पुनर्गठन किया गया। किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें चालू वर्ष में निरंतर सहायता प्राप्त होती रहे, इसलिए चालू योजनाओं के लिये 88.5 करोड़ रुपये सुरक्षित रख दिए गए जबकि प्रमुख जोर नई पुनर्गठित योजनाओं पर दिया गया विशेष रूप से देश के अंदर पर्यटन के लिए चुने हुए गंतव्य स्थलों और सर्किटों पर दिया गया। इसी कारण वर्ष 2002-03 में पर्यटन के लिए केंद्रीय क्षेत्रक परिव्यय बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये कर दिया गया।

6. वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान समेकित पर्यटन सर्किट्स के अंतर्गत पुनर्गठित योजनाओं के लिए 41.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में छः चुने हुए सर्किट्स का विकास करना है जो कि हर जोन में से एक होगा और इन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जायेगा। इन सर्किट्स की पहचान तथा चुनाव कार्य राज्य सरकारों के परामर्श से प्रगति पर है।

7. एक अन्य प्रमुख योजना जिसे वर्तमान वर्ष में आरंभ करने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है, पर्यटन मूभूत ढांचे और गंतव्य स्थलों का विकास करने से संबंधित है। 18 करोड़ रुपये के परिव्यय से चालू केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा नये पर्यटन उत्पादों का विकास करना है जिससे वर्तमान ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। फोकस मूभूत ढांचे तथा समेकित गंतव्य विकास की विस्तृत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने पर ही रहेगा। ग्रामीण पर्यटन की संपूर्ण संभावनाओं और क्षमताओं को जीतने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे। विस्तृत राजस्व उत्पादक परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुदान के रूप में 8 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से केंद्र द्वारा प्रायोजित एक अन्य योजना भी इस वर्ष आरंभ की जाएगी। किन्तु यह सहायता राज्य पर्यटन विकास निगम तथा राज्य वित्तीय निगम के माध्यम से ही प्रभावी हो पायेगी।

8. एक सेवा उद्योग होने के नाते देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में मानव संसाधन विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। होटल प्रबंधन तथा फूड क्राफ्ट संस्थानों के वर्तमान नेटवर्क का विस्तार कर पर्यटन आवश्यकताओं की सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए तीन नये राज्योत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस प्रकार के नये संस्थान खोले जाएंगे। सेवाएं प्रदान करने वाले असंगठित क्षेत्रों जैसे छोटे होटल, रेस्तरा, ढाबे, पर्यटन गाइड, टैक्सी ड्राइवर आदि के लिए एक नयी योजना क्षमता निर्माण (कैपिसिटी बिल्डिंग) (1.5 करोड़ रुपये) भी आरंभ की जाएगी।

9. इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमारे देश में पर्यटन के लिये एक बड़े बाजार की आवश्यकता है, देश में और देश के बाहर पर्यटन विकास के लिये कुछ महत्वकांक्षी परियोजनाएं आरंभ किए जाने का विचार है जो कि दो योजनाओं घरेलू विकास एवं प्रचार और विदेशों में विकास के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी। जहाँ पहली योजना मले, त्यौहार, क्राफ्ट बाजार आदि के माध्यम से देश में पर्यटन विकास में सहायक होगी वहीं दूसरी योजना विदेशों में भारत

सरकार के पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से वहाँ भारतीय पर्यटन के विकास में सहायक होगी। प्रमुख जोर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानकारी के प्रचार प्रसार पर, भागीदारी/प्रायोजकों के माध्यम से संयुक्त अभियान चलाने, बाजार बुद्धिमत्ता (मार्केट इंटेलिजेंस) इकट्ठा करने तथा भारत का पर्यटन में एक विशिष्ट नाम अंकित करने पर रहेगा। घरेलू पर्यटन विकास एवं प्रचार के लिये 6 करोड़ रुपये तथा विदेशों में पर्यटन विकास के लिए 34 करोड़ रुपये का परिव्यय आकलित किया गया है जिसमें बाजार विकास सहायता भी सम्मिलित है।

10. आवासीय मूलभूत ढांचे को प्रोत्साहन देने वाली योजना, वार्षिक योजना (2002-03) में जारी रहेगी किन्तु आने वाले वर्षों में इसे और अधिक युक्तिसंगत बनाया जाएगा। एक अध्ययन द्वारा इस योजना का मूल्यांकन भी किया जाएगा कि देश में पर्यटकों के लिये आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह योजना कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई।

11. विश्व मानचित्र पर भारत का स्थान विशिष्ट रूप से अंकित करने के लिए इस वर्ष सूचना तकनीकी पर विशेष बल दिया जाएगा तथा पर्यटन के विकास में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाएगा।

12. पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम में पर्यटन योजनाओं के लिए 22.5 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002

13. वर्ष 2002 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति जारी की गई जिसके मुख्य बिन्दु, लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य नीतियां इस प्रकार हैं-

लक्ष्य, उद्देश्य तथा नीतियां:

- राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को शारीरिक रूप से अनुप्राणित कर मानसिक पुनर्युत्थानित कर, सांस्कृतिक संवर्धन तथा आध्यात्मिक विकास के माध्यम से एक बेहतर जीवन प्रदान करना है।

पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य

- पर्यटन के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान करना, पर्यटन के क्षेत्र में भारत को सक्षम पर्यटक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करना, भारत के वर्तमान पर्यटन स्थलों में सुधार लाना, तथा नई बाजार आवश्यकताओं का सामना करने के लिए इनका विस्तार करना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप मूलभूत ढांचे का विकास करना, प्रभावशाली एवं संपोषित बाजार योजनाओं एवं कार्यक्रम का विकास करना ही पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य हैं।

पर्यटन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठित करना

- पर्यटन को भारत के संविधान में दी गई समवर्ती सूची में सम्मिलित कर, विभागों और मंत्रालयों के बीच प्रभावशाली सहयोग द्वारा, पर्यटन परामर्श परिषद का गठन कर, पर्यटन सैटेलाइट एकार्डट प्रणाली को अपनाकर तथा व्यवसायिक रूप से प्रबंधित राष्ट्रीय पर्यटन जानकारी अभियान चला कर इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा।

प्रतिस्पर्धा

- अधिक तीव्रता से वीजा और अनुमति आदि जारी कर, वीजा जारी करने की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर भारतीय नागरिक उड़डयन की क्षमता में वृद्धि कर, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान पत्तनों पर सुविधाओं में सुधार कर और एक विशिष्ट पर्यटन नीति बना कर, प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में और अधिक बढ़ाया जाएगा।

उत्पाद विकास

- उत्पाद विकास के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा और समेकित विकास के माध्यम से सुरक्षित स्मारकों के आस-पास के क्षेत्र में इसका विस्तार किया जायेगा, समुद्र तटों तथा समुद्र तटों के आस-पास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करना, कोचीन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में अंतरराष्ट्रीय पोत विहार का विकास करना, परम्परागत भारतीय खान पान का प्रबंध करना, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य प्राणी अभ्यारणों और राष्ट्रीय पार्कों को पर्यटन के एक भाग के रूप में विकसित करना, हिमालय में साहसपूर्ण पर्यटन को बढ़ावा देना, मुम्बई में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कन्वेंशनल सेंटर का निर्माण करना, भारतीय चिंतन एवं संस्कृति के अनुसार पवित्रता से स्वास्थ्य लाभ और पुनर्युवनीकरण को बढ़ावा देना। भारत को क्रेताओं का स्वर्ग बनाने के लिए मेले और त्यौहारों आदि का आयोजन करना होगा।

मूलभूत ढांचा

- राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क में सुधार कर, पर्यटन के लिये विशेष रूप से रेल गाड़ियां चला कर, रेलवे होटलों और विरासत भवनों का विकास कर एवं पर्वतीय रेलवे एवं प्राचीन विरासत वाले क्षेत्रों में रेलवे का विकास कर मूलभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके साथ-साथ पोत विहार (समुद्री पर्यटन) को बढ़ावा देने के लिए जलमार्गों का विकास भी किया जाएगा।
- भारतीय उत्पाद को अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रभावी नीतियों का विकास किया जाएगा और बाजार अनुसंधान द्वारा भारतीय उत्पाद को बहुत ही आकर्षक और अभिज्ञेय बनाया जायेगा।

- भारत को पर्यटन के क्षेत्र में एक विशेष स्थान अर्जित करने के लिए उन सब चीजों पर फोकस करना होगा जो भारत को पर्यटन का अतुलनीय स्थल बनाती हैं।
- अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत की वर्तमान छवि को बनाए रखने के लिए बाजार अनुसंधान किये जाएंगे। पर्यटकों के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे मूल्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्ता आदि का भी अध्ययन किया जाएगा।
- पर्यटन संगठन अपनी परियोजनाओं का विकास करने में समर्थ हो सके, इसके लिए बाजार के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जायेगा तथा इंटरनेट एवं विकसित किए जा रहे अन्य प्रचलित मल्टीमीडिया उपकरणों का भी प्रयोग किया जाएगा।

पर्यटन विभाग
परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम	बजट अनु. 2000-01	वास्तविक व्यय 2000-01	बजट अनु. 2001-02
1	2	3	4	5
(क)	पर्यटक आधार संरचना	29.10	44.38	41.85
1.	पर्यटक केंद्रों/गांव एवं विरासत पर्यटन क्षेत्रों का विकास	17.00	14.48	9.00
2.	स्मारकों/ऐतिहासिक भवनो का संरक्षण	2.00	3.63	3.00
3.	ईक्विटी योजनाएं	0.25	1.25	4.00
4.	बजट आवास	2.50	15.00	11.24
5.	मार्गीय सुविधाएं	4.00	6.97	6.50
6.	तीर्थस्थलों का विकास	0.10	0.10	0.25
7.	बौद्ध केंद्रों/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.25	0.10	2.76
8.	एस.ई.एल.शो (फ्लड लाइटिंग)	0.50	1.75	2.00
9.	साहसिक एवं खेल पर्यटन	1.50	1.10	3.00
10.	पर्यटन भवन	1.00	0.00	0.10
(ख)	मानव संसाधन विकास	16.65	11.28	10.35
11.	होटल प्रबंधन खान-पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान	9.00	9.64	8.00
12.	फूड क्राफ्ट संस्थान	0.10	0.10	0.10
13.	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधक संस्थान	2.00	1.50	2.00
14.	पर्यटन शिक्षा ग्रिड	5.00	0.04	0.10
15.	राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान	0.50		0.10
16.	गाइडों, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.05		0.05
(ग)	पर्यटन सूचना एवं प्रसार	56.75	56.09	58.00
17.	विदेशों में प्रचार अभियान	49.75	50.75	51.00
18.	साहित्य और प्रचार सामग्री का प्रकाशन	3.00	2.96	3.00
19.	आतिथ्य कार्यक्रम	1.00	0.39	1.00
20.	मेलों व उत्सवों सहित देश में अभियान	3.00	1.99	3.00
(घ)	अन्य	19.00	12.73	25.00
21.	कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	5.00	4.23	5.00

संलग्नक 8.1.1

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम	बजट अनु. 2000-01	वास्तविक व्यय 2000-01	बजट अनु. 2001-02
1	2	3	4	5
22.	20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना सहित बाजार अनुसंधान	7.00	-	5.00
23.	आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन	5.00	8.50	9.00
24.	राष्ट्रीय पर्यटन विकास कोष	1.00	0.00	5.00
25.	विपणन विकास सहायता	1.00	0.00	1.00
(अ)	पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त 10%	13.50	0.00	14.80
	कुल जोड़	135.00	124.48	148.00

पर्यटन विभाग - वार्षिक योजना (2002-03)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब. अनु. 2002-03
1	2	3
I	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सी.एस)	
1.0	नीवी योजना में चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो दसवीं योजना में चालू रहेंगी।	
1.1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	7.50
1.2	आई.एच.एम और सी.टी	8.50
1.3	फूड क्राफ्ट संस्थान	0.40
1.4	भारतीय पर्यटन संस्थान एवं यात्रा प्रबंधन	1.00
1.5	पर्यटन सूचना ग्रिड	0.03
1.6	राष्ट्रीय जल खेल संस्थान	0.04
1.7	भारत पर्यटन भवन	0.03
1.8	विदेशों में अभियान	20.00
1.9	आदर सत्कार कार्यक्रम	1.00
1.10	बाजार विकास सहायता	1.00
1.11	आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन	9.00
1.12	कुल-नीवी योजना में चालू योजनाएं (1.1-11)	48.50
2.0	दसवीं योजना में चालू की जाने वाली नई परियोजनाएं	
2.1	पर्यटक सर्किट विकास की समेकित योजना	38.50
2.2	आई.एच.एम आदि को सहायता	5.00
2.3	सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए क्षमता निर्माण	1.50
2.4	विदेशों में प्रोत्साहन और प्रचार एवं बाजार विकास सहायता	34.00
2.5	घरेलू प्रोत्साहन और प्रचार एवं आतिथ्य	6.00
2.6	आवासीय अभिसंरचना क लिए प्रोत्साहन	2.00
2.7	कुल-दसवीं योजना (2.1-2.6) के लिए नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं	87.00
2.8	कुल- केंद्रीय क्षेत्र स्कीमे (1.12 + 2.7)	135.50
II	केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें सी.एस.एस	
3.0	नीवी योजना की चालू योजनाओं को दसवीं योजना में भी जारी रखा जाएगा	
3.1	साहसिक और खेल पर्यटन	2.00
3.2	एस.ई.एल.शो (फ्लड लाइटिंग)	2.00

संलग्नक 8.1.2

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब. अनु. 2002-03
1	2	3
3.3	पर्यटक केंद्र/ग्रामीण एवं विरासत पर्यटन क्षेत्र	8.00
3.4	स्मारक स्थलों/विरासत भवनों का पुर्नरुद्धार	1.00
3.5	मार्गीय सुविधाएं	5.50
3.6	बजटीय आवास (एकोमोडेशन)	6.50
3.7	इक्विटी योजना	1.00
3.8	साहित्य और प्रचार सामग्री तैयार करना	3.50
3.9	मेलों और उत्सवों सहित घरेलू अभियान	4.00
3.10	कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी	6.00
3.11	बाजार अनुसंधान एवं बीस वर्षीय प्रस्ताविक योजनाएं	3.50
3.12	कुल-चालू योजनाओं को दसवीं योजना (3.1-3.11) में भी जारी रखा जाएगा।	43.00
4.0	दसवीं योजना के लिए नई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	
4.1	उत्पाद/अभिसंरचना और लक्ष्य निर्धारण	18.00
4.2	अधिक राजस्व देने वाली परियोजनाओं हेतु सहायता	6.00
4.3	कुल- दसवीं योजना (4.1-4.2) में नई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	24.00
4.4	कुल-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (3.12 + 4.3)	67.00
4.5	कुल-(2.8 + 4.4)	202.50
4.6	पूर्वात्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिये 10 % की एकमुश्त व्यवस्था	17.50
	पूँजी राजस्व	5.00
4.7	कुल-पूर्वात्तर और सिक्किम	22.50
4.8	कुल योग (4.5 + 4.7)	225.00

8.2 कला एवं संस्कृति

1. भारतीय संस्कृति की जड़ें प्राचीन इतिहास की बहुतत्ववादी प्रकृति में गहरी बैठी हुई हैं जो कि समाज को रचनात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यों का संपोषण तथा विश्वास के प्रतिमान प्रदान करती हैं। विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र में भी भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में हमने अपने अस्तित्व को एक अर्थ प्रदान करने में संस्कृति की भूमिका को उभरते देखा है। संस्कृति की भूमिका व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह कला एवं कलाकारों की सहायक भी है तथा रचनात्मकता को एक सामाजिक बल के रूप में विकसित करने के अतिरिक्त सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के कुछ विरूपित प्रभावों को भी ठीक करती है। संस्कृति विभाग सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास से संबंधित भारत सरकार की योजनाएं संचालित करता है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विभाग का नेटवर्क अधीनस्थ एवं संबंधित कार्यालयों के साथ-साथ अन्य बहुत से स्वायत्त संस्थान/संगठन जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स, संग्रहालय, ग्रंथालय आदि।

नौवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा (1997-2002) तथा वार्षिक योजना (2001-02)

2. नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 920.41 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जिसमें से 679.02 (अनुमानित) करोड़ रु० नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान व्यय किए गए। 225.00 करोड़ रुपये योजना आयोग द्वारा वर्ष 2001-02 में विभाग की विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए आबंटित किए गए। इस राशि में से 171.81 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। योजनागत बजट का 10% हिस्सा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए रखा गया है। कम खर्च का कारण विभाग द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी के माध्यम से पूंजीगत कार्यों के संघटकों को क्रियान्वित करते हुए प्रक्रियात्मक कठिनाइयां रही हैं, जिसेक परिणामस्वरूप विलम्ब, मूल्यों की नवीनतम सारणी का अभाव आदि का सामना करना पड़ा।

दसवीं योजना के उद्देश्य तथा बल दिए जाने वाले क्षेत्र

3. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 1720.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 255.00 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी जो कि वार्षिक योजना 2001-02 में 225.00 करोड़ रुपये थी। दसवीं योजना में मुख्य रूप से एक विस्तृत योजना बना कर पुरातत्व विरासत की सुरक्षा तथा स्मारकों और संग्रहालयों के विकास पर बल देना है। इसके अलावा पुरातत्व विरासत की सुरक्षा तथा क्लासिकल, लोक एवं आदिवासी कलाओं, क्राफ्ट तथा ऐसी परम्पराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया जोकि लुप्त हो रही हैं।

4. सांस्कृतिक विभाग विस्तृत योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देता रहेगा। देश की सांस्कृतिक विरासत के विकास, सुरक्षा और संयर्द्धन से संबंधित विभाग की सभी योजनाएं और कार्यक्रम 34 संलग्न/अधीनस्थ तथा स्वायत्त कार्यालयों/संगठनों तथा सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से तथा अन्य योजनाओं के माध्यम लागू किए जाएंगे। इसकी सभी गतिविधियां और कार्यक्रम 11 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत आयोजित किए जाते रहे हैं। ये हैं- विकास और प्रचार, पुरातत्व, संग्रहालय, अभिलोखागार, मानव विज्ञान, प्रदर्शन कलाएं, ग्रंथालय, बौद्ध एवं तिब्बतीय संस्थान, आई.जी.एन.सी.ए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए गतिविधियां तथा अन्य व्यय।

5. क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं का पनरीक्षण किया गया है और छोटे संग्रहालयों को सहायता प्रदान करना भी इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत ले लिया गया है। संग्रहालयों को निर्देश दिया जाएगा कि वे डिजीटल प्रणाली को अपनाने पर बल दें और कला संबंधी कार्यों के प्रलेखन को अपनी योजना गतिविधियों का एक हिस्सा बना लें।

6. ए.एस.आई के परिप्रेक्ष्य में विश्व विरासत तालिका में सम्मिलित 16 स्मारकों के अतिरिक्त केंद्र द्वारा सुरक्षित 3,606 स्मारक हैं। इन स्मारकों की देखभाल के अतिरिक्त ढांचे को सुरक्षित रखना, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण विकास आदि से संबंधित कार्य भी निरंतर किए जाएंगे। दसवीं योजना में हर सर्किल में विद्यमान स्मारकों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएंगी जिससे कि उनका समेकित विकास किया जा सके।

7. दसवीं योजना में ए.एस.आई उत्खनन से संबंधित गतिविधियां जारी रखेगा। नौवीं योजना के दौरान ए.एस.आई को 182.49 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे जिसमें से 143.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसकी तुलना में दसवीं योजना में 284.83 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। वर्तमान में ए.एस.आई द्वारा चलाए जा रही मुख्य उत्खनन परियोजनाएं इस प्रकार हैं-

- (क) धौलावीरी- गुजरात के कच्छ इलाके में हड़प्पा काल का नगर
- (ख) धालेवा - पंजाब में प्रोटो- हड़प्पा काल का रिहायशी क्षेत्र
- (ग) श्रावास्ती- उत्तर प्रदेश में आरंभिक ऐतिहासिक नगर
- (घ) कनागनाहाल्ली-सन्नती- कर्नाटक में बौद्ध स्तूप

8. एक अन्य प्रमुख उत्खनन कार्य पांडिचेरी में अरिकामेडू नामक स्थान जो इंडो-रोमन नाम से प्रसिद्ध स्थल पर किया जायेगा जहाँ पानी के भीतर पुरातत्वीय खोजबीन के लिए जल-भीतर पुरातत्वीय शाखा (आरकोलोजिकल ब्रांच) स्थापित की गई है।

9. संग्रहालय संबंधी गतिविधियों में ए.एस.आई गैलरियों का आधुनिकीकरण, प्राचीन वस्तुओं का डिजीटल प्रलेखन, सूचियों, संग्रहालय गाइडों, तस्वीरों वाले पोस्ट कार्ड तथा जानकारी प्रदान करने वाली अन्य सामग्रियों को छपवाना आदि से संबंधित कार्य करती हैं। इसी तरह नौवीं योजना के

अंतिम दिनों में आरंभ किए गए 8 नये संग्रहालयों का काम भी पूरा किया जाएगा। इनमें पश्चिम बंगाल में कूच बिहार पैलेस तथा तामलुक संग्रहालय, थानेश्वर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में शंख चिल्ली का संग्रहालय तथा हम्पी में तीन नये संग्रहालय सम्मिलित हैं। बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए प्रशासकीय और तकनीकी दोनों तरह की मूलभूत ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। ए.एस.आई के सर्किट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

10. दसवीं योजना में मरम्मत कार्य तथा दस्तावेजों के रख रखाव के कार्य की गति को बढ़ाने के लिए परिरक्षण सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर मुख्य बल दिया जाएगा। दस्तावेज की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य में तीव्रता लाने के लिए सुविधाओं का पूर्णतम दोहन किया जाएगा ताकि एन.ए.आई में रखे गए दस्तावेजों तक आसानी से पहुँचा जा सके। इसके अतिरिक्त एन.ए.आई द्वारा चलाई जा रही वित्तीय योजनाओं के माध्यम से प्रलेखी विरासत के परिरक्षण को सहायता दी जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त कंसर्वेशन रिसर्च लैबोरेट्री, लखनऊ को आधुनिक पेपर टेस्टिंग उपकरणों सहित विकास करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

11. राष्ट्रीय संग्रहालय का विचार दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.ए.आई) की सहायता से कम्प्यूटरीकरण का कार्य करना है। इसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र या नेटवर्क तथा विशाल क्षेत्र एरीआ नेटवर्क, इसके संग्रह की रीप्रोग्राफी /माइक्रोफिल्मिंग, हस्तलिपियों की माइक्रोफिल्मिंग तथा श्रव्य दौरो आदि के लिए उपकरण आदि सम्मिलित हैं।

12. दसवीं योजना के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल हाल में आठ नई गैलरियां स्थापित की जाएंगी। संरक्षण और पुनरुद्धार से संबंधित काफी कार्य अभी करना है। ए.एस.आई के साथ संयुक्त रूप से दो प्रदर्शनियां - एक मुगल हस्तलिपियां और दूसरी टीपू सुल्तान पर, विक्टोरिया मेमोरियल हाल के साथ साथ श्रीरंगपट्टनम् में भी आयोजित की जानी हैं। हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में 17 नई गैलरियां बनाई जानी हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट, नई दिल्ली में दूसरे और तीसरे हिस्से के निर्माण का काम भी शुरू किया जाएगा।

13. संसाधनों की कमी को देखते हुए समय और लागत में होने वाली वृद्धि को गंभीरता से लिया जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले संस्थानों/संग्रहालयों/आर्ट गैलरियों आदि के निर्माण कार्यों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी एवं निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है।

14. ग्रंथालयों के संदर्भ में विभाग का विचार दसवीं योजना के दौरान केंद्रीय और सार्वजनिक ग्रंथालयों के आधुनिकीकरण पर बल देने का है। नेटवर्किंग एवं संसाधनों में सहभागिता को प्रोत्साहन देने, तथा रीडर सेवाओं में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिक आरूप में राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची डाटाबेस विकसित किया जाएगा। नेशनल लाइब्रेरी, केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में वर्तमान दस्तावेजों का विद्युत आरूप इलेक्ट्रानिक फारमेट रीडो-कनवर्शन किया जाएगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा भी इसी प्रकार के प्रयास सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किए जाएंगे। नेशनल लाइब्रेरी तथा ओरिएंटल लाइब्रेरियां जैसे कलकत्ता

और पटना में रामपुर राजा लाइब्रेरी तथा खुदाबक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में कंसर्वेशन लैबोरेट्री को और अधिक विकसित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

15. नेशनल लाइब्रेरी के भाषा भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक धन दिए जाने का भी विचार है। पुस्तकालयों में अधिक जगह बनाने की दृष्टि से खुदाबक्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, दी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुम्बई, तंजावूर महाराजा सिराफजी सरस्वती महल लाइब्रेरी और चेन्नई में कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए नए भवनों का निर्माण तथा बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार कार्य आरंभ करने का विचार भी है। इसके अतिरिक्त विभाग का विचार नेशनल लाइब्रेरी में रीडर्स होस्टल का निर्माण करना भी है।

16. दुर्लभ हस्तलिपियों का परिरक्षण/डिजीटाइजेशन करने तथा ऐतिहासिक प्रलेखों/ कलाकृतियों को समय के साथ-साथ सुरक्षित रखने के लिए समयबद्ध कार्यकरने का आवश्यकता है। दसवीं योजना द्वारा वर्तमान ग्रंथालयों तथा निजी संग्रहों के आधुनिकीकरण और उन्नयन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

17. दसवीं योजना के दौरान एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, अभ्यास और स्थिति निर्धारण प्रकाशन कार्यक्रम तथा शारीरिक मानव विज्ञान में अनुसंधानों के सुदृढीकरण के साथ-साथ प्राचीन कंकालों अवशेषों, किशोरों में शारीरिक विकास, पर्यटन के सांस्कृतिक आयाम, आदिवासियों में शयन कक्ष प्रणाली इत्यादि का उचित मूल्यांकन करने के लिए डी.एन.ए अध्ययन भी आरंभ किया जाएगा।

18. देश में सातों जोनल सांस्कृतिक केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सभी राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों की अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर आदिवासी एवं लोक कलाओं के संरक्षण, विकास और सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहेंगे। लुप्त होती कलाओं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से प्रलेखन केंद्रों की स्थापना करना तथा कारीगरों को बढ़ावा देने और बाजार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिल्पग्रामों की स्थापना करना इन केंद्रों के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से हैं।

19. केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडी से सारनाथ तथा केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बोद्धिस्ट स्टडीज, लेह जो कि बौद्ध एवं तिब्बती शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, को वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी। जहाँ तक स्मारक एवं पर्यटन प्रबंधन का प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के माध्यम से निजी क्षेत्र जैसे ट्रेवल एजेंसियों को योजना आयोग द्वारा सहायता दी जाती रहेगी।

20. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और यह बहुत से कार्यक्रमों के माध्यम से देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगा रहता है। सांस्कृतिक विभाग का विचार इसके अंतर्गत आने वाले वर्तमान संग्रहालयों के मूलभूत ढांचे में सुधार करने के

साथ-साथ केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय संग्रहालयों के बीच नेटवर्किंग का विकास करने का भी है। जालंधर की विज्ञान शहर परियोजना तथा मारीशस सरकार के सहयोग से विकसित किए जा रहे विज्ञान केंद्रों को भी सहायता जारी रहेगी। इसका विचार विज्ञान शहर कोलकाता को कार्यकरण का मूल्यांकन कर विज्ञान शहरों की संकल्पना की समीक्षा करना भी है।

21. योजना आयोग ने वर्तमान ग्रंथालयों का आधुनिकीकरण करने तथा सार्वजनिक ग्रंथालयों के नेटवर्क का पंचायतों के नियंत्रण में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के सांस्कृतिक विभाग के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

वार्षिक योजना 2002-03

22. दसवीं पंच वर्षीय योजना में सांस्कृतिक विभाग के लिए 1720.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस विभाग के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 250.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 20 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यकलापों के लिए हैं।

अध्याय 9

पर्यावरण एवं वन

पर्यावरण

पर्यावरण की स्थिति

1. विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के हानिकारक प्रभावों को कम करने की दृष्टि से बढ़िया पर्यावरणीय स्थिति को बनाए रखना तथा निरंतर इसकी निगरानी करना अनिवार्य है। यद्यपि कानून एवं क्रियान्वयन के अन्य उपायों में दोषों को उजागर करके प्रदूषण को कम करने का प्रयत्न किया जाता रहा है किन्तु फिर भी देश में वायु और भूमिगत जल की गुणवत्ता में वांछित सुधार नहीं आया है। दिल्ली में डीजल से चलने वाली बसों तथा पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को सी.एन.जी (कम्परैसड नैचुरल गैस) में परिवर्तित करने से ससपेंडिड पार्टिकुलेट मैटर (छ) में काफी कमी आई है। किन्तु इन उपायों को देश के अन्य शहरों में भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.सी.आर.पी) के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं लागू करने पर भी नदियों में प्रदूषण को बहुत अधिक कम नहीं किया जा पा रहा है। अभी भी लघु उद्योग क्षेत्र में आने वाली बहुत सी इकाइयां विशेष रूप से रसायन क्षेत्र नदियों को लगातार प्रदूषित कर रहा है। इनमें से बहुत सी इकाइयों ने कामन एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांटों की भी स्थापना नहीं की है। किन्तु इनमें से बहुत से संयंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह के मामलों पर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए।

स्कीमें

चालू स्कीमें

2. वार्षिक योजना 2002-03 की बहुत सी योजनाएं नौवीं योजना से ही चली आ रही हैं। इनमें से बहुत सी दीर्घकालीन योजनाएं हैं किन्तु इनमें से बहुत सी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं उनकी धीमी प्रगति के कारण ही अभी तक चली आ रही हैं। प्रमुख चालू योजनाओं का विवरण इस प्रकार है-

प्रदूषण में कमी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी)

3. सी.पी.सी.बी की स्थापना जल अधिनियम (1974) वायु अधिनियम (1981) जल उपकरण अधिनियम (1977), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986), जोखिम भरे अपशिष्ट नियम, 2000,

जोखिम भरे रसयन नियम, (1989), जैव चिकित्सा अपशिष्ट (1998), नागर ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 आदि में दिए गए नियामक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए की गई है। इस प्रमुख कार्य को करने के अतिरिक्त बोर्ड के कार्यों में सर्वेक्षण और निगरानी करने, अनुसंधान एवं विकास, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के संबंध में मानकों एवं दिशा-निर्देशों तथा अध्ययन का विकास करना आदि भी सम्मिलित हैं। यह संगठन पूरे देश में स्थापित इसके व जूनल कार्यालयों के माध्यम से अपने कार्य करता है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 22.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आरक्षित किया गया है।

सामूहिक अपशिष्ट उत्सर्जन संयंत्र (सी.ई.टी.पी)

4. इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों की बहुत सी इकाइयों के समूह के लिए सामूहिक अपशिष्ट उत्सर्जन संयंत्रों की स्थापना की जाती है जिससे वे अपशिष्ट द्रव्यों के बहुस्राव से संबंधित मानकों का पालन वहनीय लागत पर कर सकें। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ही कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान करती हैं। लघु उद्योगों को लागत का केवल 20 प्रतिशत ही वहन करना होता है। शेष 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लिया जाता है। दसवीं योजना में सी.ई.टी.पी के आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 2.47 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

ताज संरक्षण तथा अन्य विरासत स्थलों में पर्यावरणीय प्रबंधन

5. उच्चतम न्यायालय के आदेश 1996 के अनुसार ताज सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की निगरीनी एवं क्रियान्वयन हेतु ताज ट्रेपेजियम ज़ोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिस पर 600 करोड़ रुपये के लगभग खर्च का अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य और केंद्र के बीच 50 : 50 की साझेदारी के आधार पर किया गया है। इस योजना के अंग स्वरूप 10 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा 6 अन्य विचाराधीन हैं। वार्षिक योजना के इस संबंध में 25.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण, आयोग तथा ट्रिब्यूनलों की स्थापना

6. पर्यावरण संबंधी विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से तीन प्राधिकरणों की स्थापना की गई है- राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलिय प्राधिकरण नेशनल एनवार्यमेंट ऐपेलेट अथोरिटी, तमिल नाडू के लिए लास आफ इकोलोजी अथारिटी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल की बेंचें गठित करने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार की ट्रिब्यूनल बेंच सबसे पहले नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। वार्षिक योजना 2002-03 में 2.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियां

7. संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय कार्यों से होने वाले प्रभावों से बचाव के लिए आवश्यक संपोषणीय विकास के लिए ऊर्जा एवं औद्योगिक उत्पादन तथा परिवहन आदि में स्वच्छ तकनीक का प्रयोग करना अति अनिवार्य होता जा रहा है। इस संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं जैसे जीवन काल मूल्यांकन (लाइफ साइकल असैसमेंट) (एल.सी.ए) क्षमता आधारित क्षेत्रीय विकास योजना, प्राकृतिक संसाधन लेखा जोखा आदि तथा स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना आदि। एल.सी.ए. द्वारा स्टील संयंत्र, लिगनाइट/ कोल आधारित थर्मल पावर संयंत्रों का अध्ययन पूरा किया जा चुका है। अन्य क्षेत्रों के संबंध में अध्ययन आगामी वर्षों में किया जाएगा। वार्षिक योजना 2002-03 में इस संबंध में 4.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

संरक्षण और सर्वेक्षण

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया)

8. इस संस्थान की स्थापना 1890 में देश में वनस्पति संसाधनों के सर्वेक्षण और उन्हें सूचीबद्ध करने के उद्देश्य की गई थी। नौवीं पंच वर्षीय योजना में इसके अंतर्गत 3 प्रतिशत अतिरिक्त भूगोलिक क्षेत्र (जिसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ) लिया गया। दसवीं योजना में संस्थान द्वारा नौएडा में बोटैनिकल गार्डन बनाया जाएगा। वार्षिक योजना 2002-03 में इस संदर्भ में 10.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

भारतीय जीव-विज्ञान सर्वेक्षण (जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया)

9. यह संस्थान पूरे देश में फैले 16 क्षेत्रीय और फील्ड स्टेशनो के माध्यम से देश में जंतु समूह का सर्वेक्षण करता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नौवीं योजना में संस्थान द्वारा 258 सर्वेक्षण किए गए। दसवीं योजना में भी संस्थान इसी प्रकार के क्रियाकलापों में लगा रहेगा जिसमें लुप्त होती जातियों की स्थिति के संबंध में सर्वेक्षण, वर्गीकरण संबंधी अध्ययन, लाल डाटा किताब तथा भारत के जंतु समूह की कड़ियों का प्रकाशन एवं नेशनल जूलोजिकल संग्रह सहित जंतु समूह विभिन्नताओं से संबंधित आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण करना आदि सम्मिलित है। वार्षिक योजना 2002-03 में इसके लिए 8.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण तथा विकास संस्थान

10. यह हिमालय क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य करता है तथा जैव विविधता की संरक्षण योजना को महत्वपूर्ण प्रतिबल प्रदान करता है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 6.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

जैव मंडल रिजर्व (बी.आर)

11. यह केंद्र द्वारा प्रयोजित योजना है जिसके अंतर्गत प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्रों, तथा मानव एवं जीवमंडल की यूनेस्को द्वारा मान्य रूप रेखा के अनुरूप स्थलचरों और जलचरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। नौवीं योजना में 4 नये जीवमंडल रिजर्व तैयार किए गए जिससे इनकी कुल संख्या 12 हो गई। दसवीं योजना में अलग अलग जोनों में 14 नए स्थानों पर जैव मंडल रिजर्व तैयार किए जाएंगे। वार्षिक योजना 2002-03 में इसके लिए 6.00 करोड़ रुपये के परियोजना का प्रावधान किया गया।

गरान (मैग्रोवस) प्रवाल भित्ति तथा आर्द्र भूमि (वेटलैंड) संरक्षण एवं प्रबंधन

12. समुद्र तटीय क्षेत्रों में व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग की उत्पादकता के लिए और तट रेखा की सुरक्षा के लिए प्रवाल भित्ति तथा गरान (मैग्रोवस) की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है। प्राकृतिक आपदाओं, मानव जन्य क्रियाकलापों तथा विभिन्न जैविक घटकों के कारण प्रवाल भित्ति तथा गरान के लुप्त होने का भीषण खतरा पैदा हो गया है। 1986 में गरान तथा प्रवाल भित्ति के संबंध में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। समिति के परामर्श से देश में 30 गरान तथा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों की गहन संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहचान की गयी है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर संचालन समितियों का गठन किया गया है। नौवीं योजना के दौरान गरान योजना के अंतर्गत 618 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और जोड़ा गया। दसवीं योजना के दौरान 30 गरान क्षेत्रों तथा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों, जिनकी पहचान की जा चुकी है, के गहन संरक्षण और प्रबंधन का कार्य आरंभ किया जाएगा। आर्द्र भूमि (वेटलैंड) संरक्षण भी चल रही है और दसवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगी। इस संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 9.00 करोड़ रुपये के परियोजना का प्रावधान किया गया है।

जैव विविधता संस्थान

13. देश में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जैव-विविधता के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए पारम्परिक पर्यावरणीय व्यवहारों के प्रलेखन के लिए अरुणाचल प्रदेश के इटा नगर में एक नये संस्थान की स्थापना की गई है। वार्षिक योजना 2002-03 में 1.00 करोड़ रुपये के परियोजना का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

14. यह संग्रहालय अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा के लिए नई दिल्ली में 1978 में स्थापित किया गया था। इसके तीन क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर, भीपाल और भुवनेश्वर में स्थापित किए गए हैं। चूंकि नई दिल्ली में स्थित इसका वर्तमान भवन किराए पर लिया गया है, तथा और विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः धन की आवश्यकता एक तो भवन के लिए भूमि अधिग्रहण करने तथा भवन निर्माण के लिए है। इसके अतिरिक्त धन की आवश्यकता भुवनेश्वर संग्रहालय के

तीसरे चरण के लिए तथा भोपाल एवं भुवनेश्वर संग्रहालयों में स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण के लिए है। वार्षिक योजना 2002-03 में 6.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (ई.एन.वी.आई.एस)

15. यह 1982 से चली आ रही केंद्रीय योजना है जो पर्यावरणीय सूचना के एकत्रीकरण, मिलान, संग्रहण पुनः प्राप्त करने तथा इसके प्रयोक्ताओं तक इसका प्रचार-प्रसार करने के राष्ट्रीय प्रयासों को समेकित करने के लिए डाटा बेस नेटवर्क की संकल्पना पर आधारिक है। इस योजना के तहत 25 केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है तथा एक वेबसाइट (एच.टी.टी.पी:// एनफोर. एन.आई.सी.इन) का भी निर्माण किया गया है। ई.एन.वी.आई.एस राष्ट्रीय केंद्र बिन्दु के रूप में भा कार्य करता है तथा यू.एन.ई.पी के विश्व सूचना नेटवर्क के आई.एन.एफ.ओ.टी.ई.आर.आर.ए. के दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय देशों के लिए क्षेत्रीय केंद्र का कार्य भी करता है। सिद्धांत रूप में विश्व बैंक ने पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना जो जनवरी 2002 से चल रही है, के माध्यम से पर्यावरणीय सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है। वार्षिक योजना 2002-03 में इस संदर्भ में 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

उत्कृष्टता केंद्र

16. यह योजना 1983 से चल रही है और इसके अंगत पर्यावरणीय विज्ञान एवं प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। 8 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है (अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलौर, आई.आई.टी बंगलौर, धनबाद, कोयम्बटूर, दिल्ली और थिरुअनंतपुरम)। मंत्रालय द्वारा इन केंद्रों को एक मुश्त अनुदान के साथ-साथ वार्षिक आवर्ती सहायता भी प्रदान की जाती है। वार्षिक योजना 2002-03 में इसके लिए 8.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नीति एवं विधि

औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) (ई.ए.पी)

17. यह परियोजना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने, हरित प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, संसाधनों की पुनः प्राप्ति तथा लागत प्रभावी प्रदूषण निवारण उपायों को अपनाने के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता (नौवीं परियोजना के दौरान आबंटित 100 करोड़ रुपये का आई.डी.ए. अनुदान) से 1994 से चल रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय प्रयोग शालाओं के उन्नयन के लिए 18 करोड़ रुपये, विश्लेषण एवं निगरानी संबंधी उपकरणों के लिए 22 करोड़ रुपये, पर्यावरणीय गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए 12 करोड़ रुपये तथा पर्यावरणीय जानकारी संबंधी गतिविधियों के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह परियोजना मार्च, 2002 में समाप्त हो जानी थी किंतु अनुदान की राशि बची होने के कारण परियोजना की अवधि दो वर्ष बढ़ाई जा रही है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए परिव्यय 10.00 करोड़ रुपये है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत में पर्यावरण क्षमता निर्माण परियोजना (ई.ए.पी.)

18. यह परियोजना अगस्त, 1997 में आई.डी.ए से मिले \$ 50 मिलियन डालर की उधार राशि की सहायता से आरंभ की गई थी। इस परियोजना का फोकस पर्यावरणीय प्रबंधन के ढांचागत, विधि और प्रशासन संबंधी सभी पहलुओं के बीच के अंतर दबोचने पर रहता है। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, परियोजना के लिए आबंटित परिव्यय घट कर \$ 29.62 मिलियन डालर रह गया। जून 2003 तक इस परियोजना के पूरा होने का अनुमान है। इस परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि औद्योगिक स्थान निर्धारण अर्थात् जोनिंग एटलस कार्यक्रम रहेगा जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए स्थानों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर मानचित्र तैयार किए जाएंगे। परियोजना के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में 38.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा (आई.सी.ई.एफ) (ई.ए.पी)

19. आई.सी.ई.एफ की स्थापना वन संरक्षण, पारस्थितिकी-पुनर्स्थापना, वाटरशेड प्रबंधन, जल संग्रहण, पर्यावरणीय शिक्षा, मूल व्यवस्था और स्वच्छता, ऊर्जा स्रोतों का नवीकरण तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को सहायता देने के लिए भारत सरकार तथा कनाडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की संयुक्त पंजीकृत संस्था के रूप में की गई थी। इसके अंतर्गत 21 चालू परियोजनाएं हैं जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं तथा शेष प्रगति पर हैं। दसवीं योजना के दौरान कनाडा से ई.ए.पी. के लिए 11 मिलियन धन प्राप्त होने की संभावना है। वार्षिक योजना 2002-03 में 0.01 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

भारत सरकार - यू.एन.डी.पी - सी.सी.एफ. कार्यक्रम (ई.ए.पी)

20. यू.एन.डी.पी की सहायता प्राप्त यह कार्यक्रम देश सहायता रूपरेखा- I के (केंद्री कोआपरेशन फ्रेमवर्क) के अंतर्गत 1997 से आरंभ किया गया है जिसमें फोकस इक्विटी, गरीबी उपशमन तथा मानव संसाधन विकास पर दिया गया है। विदेशी सहायता प्राप्त इस परियोजना का कुल परिव्यय US \$ 8.1 मिलियन डालर है। धन बजट द्वारा प्रदान किया जाता है तथा यू.एन.डी.पी यह धन अनुदान के रूप में होता है। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 2002-03 में दिया गया है।

विश्व पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ) (ई.ए.पी)

21. यह योजना जैव-विविधता, जलवायु में परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय जल एवं ओजोन सतह कम करने तथा भूमि के अयकर्षण आदि के लिए विश्व पर्यावरणीय लाभों को उठाने के लिए वित्तीय साधन है। यह राष्ट्रीय सरकारों, विश्व बैंक, यू.एन.ई.पी, एफ.ए.ओ, ए डी.बी. आदि के बीच सहकारी संस्था के रूप में 1994 से कार्य कर रही है। इस संबंध में भारत को US \$ 167

मिलियन डालर धन दिया जा रहा है। वार्षिक योजना 2002-03 में 0.01 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

कनाडा सहायता प्राप्त पर्यावरणीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नीति में उत्कृष्टता के केंद्र

22. यह एक नई योजना है जो भारत को सार्वभौमिक, सीमा पार तथा राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मामलों के विज्ञान, नीति एवं प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण के लिए है। इस परियोजना के लिए कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से आरंभ में यू.एस. \$ 2 लाख डालर मिलने की संभावना है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 0.10 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना (ई.ए.पी)

23. यह जी.टी.जेड की 6 करोड़ रुपये की सहायता से पर्यावरणीय प्रबंधन में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए बनी एक नई योजना है। यह 2001-04 तक के लिए है। वार्षिक योजना 2002-03 में इसके लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी)

24. भारत सरकार ने अपनी नीति के रूप में योजनागत बजट का 2-3 प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नियत किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण के क्षेत्र में ई.एन.पी.आई.एस के अतिरिक्त ई-गवर्नेंस सहित आई.टी.से संबंधित अन्य बहुत सी गतिविधियों को आरंभ किया है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 3 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी)(ई ए पी)

25. यह मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसके अंतर्गत 153 शहरों में 27 नदियों को साफ करने की योजना है। इस योजना का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से मल (अपशिष्ट) उत्सर्जन संयंत्रों का निर्माण, खुली नालियों को उत्सर्जन संयंत्रों से उचित रूप से विपथन, नदियों के किनारों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण आदि है जिससे असंसाधित जल अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में जाने से रोका जा सके। 1985 में गंगा सफाई कार्य योजना आरंभ हो गई थी। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न कार्यों को पूरा कर लिया गया है। गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण (1996 से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में विलय कर दिया गया है) प्रगति पर है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अन्य नदियों के लिए भी योजनाएं सम्मिलित हैं, जैसे गंगा की सहायक नदियां - गौमती, दामोदर, यमुना तथा अन्य नदियां जैसे - गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, ताप्ती, सतलुज आदि के लिए यह योजना मुख्य

रूप से नौवीं योजना में आरंभ की गई थी। नदी सफाई कार्यक्रम धीमी गति से चल रहा है जिसका कारण स्थान निर्धारण में देरी तथा अन्य प्रशासकीय कारण हैं। नदी सफाई कार्यक्रम में तीव्रता लाने के लिए दसवीं योजना में महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है - "2007 तक प्रमुख प्रदूषित नदियों को साफ करना तथा अन्य चिन्हित स्थलों को 2012 तक साफ करना"। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 259.00 करोड़ रुपये का परिव्यय तथा इसमें 75 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी)

26. नदियों की सफाई के साथ-साथ देश की प्रमुख झीलों की सफाई तथा रख-रखाव के लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है। आरंभ में इस योजना के अंतर्गत 10 झीलों का चुनाव किया गया था किन्तु धन की उपलब्धता तथा अभी तक पहचानी नहीं गई झीलों की सफाई को प्राथमिकता देने के आधार पर कई और झीलों को सूची में डाल दिया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 में 3.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है:

	झील	परियोजना लागत (करोड़)	स्थिति
1.	पोवाई	6.62	परियोजना स्वीकृत एवं कार्य आरंभ
2.	ऊटी	1.95	परियोजना स्वीकृत एवं कार्य आरंभ
3.	बेलांदुर झील, बंगलौर	5.54	स्वीकृति प्राप्ति हेतु अग्रेषित
4.	बंगलौर की अन्य झीलें	12.32	परियोजना स्वीकृत एवं कार्य आरंभ
5.	कोडईकनाल	6.33	परियोजना स्वीकृत एवं कार्य आरंभ
6.	रवीन्द्र सरोवर, कोलकाता	6.96	स्वीकृति हेतु अग्रेषित
7.	मानसागर झील जयपुर	22.89	स्वीकृति हेतु अग्रेषित
8.	नौनीताल की झीलें	100.00	परियोजना विचाराधीन है।

नई स्कीमें:

27. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का मुख्य कार्य नियामक, निगरानी एवं क्षमता निर्माण का है जिसके लिए बहुत अधिक परिव्यय की आवश्यकता नहीं है। दसवीं योजना के लिए मंत्रालय द्वारा बहुत सी नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं जैसे पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परियोजनाओं की स्थिति, योजना समन्वयता को सुदृढ़ करना आदि। 902 किन्तु इन सभी योजनाओं के लिए कुछ परिव्यय की आवश्यकता है तथा वर्तमान जीरो बेसड बजटिंग के अनुरूप ये योजनाएं जहाँ भी संभव होगा, घालू योजनाओं में विलय कर दी जाएगी।

योजनाओं का वित्त पोषण

28. अधिकांश योजनाओं को बजटीय सहायता की आवश्यकता है। केवल कुछ योजनाएं ही बची हुई विदेशी सहायता से चल रही हैं जो कि वार्षिक योजना के दौरान चलती रहेंगी। एन.आर.सी.पी के अंतर्गत योजनाओं को अतिरिक्त विदेशी सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। वार्षिक योजना 2002-03 में विदेशी सहायता का संक्षेपण इस प्रकार है-

करोड़ रुपये

	विदेशी सहायता घटक	एन.बी.एस	जी.बी.एस
औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना	10.00	0	10.00
भारतीय पर्यावरण क्षमता निर्माण परियोजना	38.00	0	38.00
भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा	0.01	0	0.01
भारत सरकार -यू.एन.डी.पी. पर्यावरण प्रबंधन परियोजना	3.00	0	3.00
विश्व पर्यावरण सुविधा	0.01	0	0.01
भारत-जर्मनी प्रौद्योगिक. सहयोग परियोजना	0.50	0	0.50
पर्यावरण योजनाओं की स्थिति	1.25	0	1.25
एन.आर.सी.पी	75.00	184.00	259.00
योग	127.77	184.00	311.77

वानिकी तथा वन्य जीवन

वानिकी

29. वन पर्यावरण एवं आर्थिक संपोषणीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं तथा धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य जीवन सहायक प्रणाली का रख-रखाव करते हैं। किन्तु आर्थिक और सामाजिक संदर्भों में वनों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता। उदाहरणतया 1996-97 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का हिस्सा केवल 1 प्रतिशत था। (1980-81 की स्थिर कीमतों पर मापा गया) वानिकी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान 2.37 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

30. हमारे देश के वन संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव है। गहन स्थानांतरित खेती, इमारती लकड़ी की अंधाधुंध कटाई, ईंधन हेतु लकड़ी, चारा तथा अन्य वन उत्पाद, जंगल की आग तथा अवैध भूमि अधिग्रहण आदि के कारण वनों का अवकर्षण एवं नाश हो रहा है। वन देश की 40 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं तथा 30 प्रतिशत चारा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 270 मिलियन टन ईंधन लकड़ी, 280 मिलियन टन चारा, 12

मिलियन एम3 से अधिक इमारती लकड़ी तथा अनगणित अन्य लकड़ी रहित वन उत्पाद हर वर्ष वनों से लिए जा रहे हैं। अतः भविष्य में प्रबंध नीति बनाते समय समाज की इन आवश्यकताओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में योजना, विकास, सहयोग तथा वानिकी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य योजनाओं में वानिकी और वन्य जीवन के अंतर्गत 1 प्रतिशत परिव्यय है। इसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं।

32. जीरो बेसड बजटिंग के आधार पर नौवीं योजना में वानिकी के अंतर्गत चालू 12 योजनाओं का विलय कर दिया गया है या कुछ निकाल दी गई हैं और केवल 9 योजनाएं रह गई हैं। दसवीं योजना में वानिकी के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है। वानिकी की कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं-

वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई), देहरादून

33. आई.सी.एफ.आर.ई. देश का प्रमुख वन विद्या अनुसंधान संगठन है जिसको वन विद्या अनुसंधान को सूत्रबद्ध करने, संगठित करने, निर्देशन तथा प्रबंध करने, राज्यों तथा अन्य उपभोक्ता एजेंसियों को प्रौद्योगिकी स्थानान्तरित करने तथा वन विद्या प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। परिषद के पास देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आठ अनुसंधान संस्थान तथा तीन उत्तम केंद्र हैं। राज्य वन अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय में एक व्यापक राष्ट्रीय वन विद्या अनुसंधान योजना तैयार की गई है तथा अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान कर ली गई है।

34. आई.सी.एफ.आर.ई नेटवर्क के बाहर भी विभिन्न एजेंसियों जैसे केरल वानिकी अनुसंधान संस्थान (पीची), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (बंगलौर) तथा राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के वानिकी संभाग के तहत बहुत सी अनुसंधान सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों के वन विभागों में उनकी समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान विभाग भी हैं। बहुत सारी निजी कम्पनियां तथा गैर सरकारी संगठन भी वृक्षों की किस्मों, औषधीय वृक्षों तथा एन.डब्ल्यू.एफ.पी आदि के संदर्भ में अनुसंधानों को वित्त पोषित कर रहे हैं। वार्षिक योजना 2001-02 में आई.सी.एफ.आर.ई के लिए 46.00 करोड़ रुपये का परिव्यय था किन्तु वार्षिक योजना 2002-03 में यह परिव्यय 35.00 करोड़ रुपये है।

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (आई.पी.आई.आर.टी.आई), बंगलौर

35. आई.पी.आई.आर.टी.आई पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्वशासी संस्था, यांत्रिक लकड़ी उद्योग प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में व्यस्त एक प्रमुख संस्थान है। इस

संस्थान ने वनो में लकड़ी आधारित पैनल सामग्रियों में अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं का निर्माण किया है तथा इसमें यांत्रिक लकड़ी उद्योगों के आंकाक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है।

36. आई.पी.आई.आर.टी.आई ने सफलता पूर्वक बंबू मेट बोर्ड तथा बंबू मेट वनीर कम्पोजिट के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जो न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि लोक अनुकूल (क्योंकि चटाई बुनने में ग्रामीण/आदिवासी महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं) भी है। इस संस्थान ने बांस चटाई कौरेगेटिड शीट के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है। यह परियोजना भारतीय बिल्डिंग मेटिरियल टेक्नोलोजी प्रमोशन काउन्सिल द्वारा प्रायोजित की गई है तथा इसमें वैकल्पिक छत बनाने की सामग्री के लिए विशाल क्षमता उपलब्ध है। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए आई.पी.आई.आर.टी.आई का बजट अनुमान 0.90 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए परिव्यय 2.0 करोड़ रुपए है।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल (आई.आई.एफ.एम)

37. आई.आई.एफ.एम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वशासी संस्थान है जिसने न केवल भारतीय उप महाद्वीप में बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण के प्रबंधन में, वन विद्या तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में अपने को एक अग्रणी संस्थान के रूप में संस्थापित किया है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण प्रबंधन और ग्रामीण विकास जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण संस्थान है।

38. यह संस्थान दो शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करतै है - वानिकी प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्पोस्टमास्टर- पाठ्यक्रम। यह सरकारी विभागों में सेवारत, प्रबंधकों, उद्योगों, शैक्षिक संस्थानों, वित्तीय संस्थानों तथा प्राकृतिक संसाधन विकास से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। यह संस्थान, राष्ट्रीय संस्थानों, संगठनों, तथा समुद्रपार सरकारों तथा संस्थानों के साथ सहयोगी अनुसंधान चलाता है। इस संस्थान की बहुविधाई प्रकृति, पर्यावरण, वन विद्या, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संगठनों की परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करती है। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए आई.आई.एफ.एम का बजट अनुमान 2.80 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए परिव्यय 3.0 करोड़ रुपए है।

वानिकी प्रशिक्षण

39. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी संस्थान है। अकादमी आई.आफ.एस. अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती है।

40. भारत सरकार सेवारत आई.एफ.एस.अधिकारियों को आधुनिक मशीनों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए तथा विभिन्न विषयों में उनकी क्षमता निर्माण के लिए देश के अग्रणी संस्थानों में उनके लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करती है। वानिकी शिक्षा निदेशालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अधिनिस्थ कार्यालय है तथा राज्य वन सेवा अधिकारियों तथा इन अधिकारियों के संवर्ग में रेंज वन अधिकारियों से सहायक संरक्षक की पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों के लिए वानिकी संबंधी आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। यह राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में सेवारत राज्य वन सेवा अधिकारियों तथा रेंज वन अधिकारियों के लिए वानिकी एवं उससे संबंधित अन्य विषयों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए बजटीय अनुमान 7.38 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 10.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई)

41. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून को देश में वन संसाधन के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। एफ.एस.आई रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वर्ष में दो बार वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन करता है। एफ.एस.आई की प्रथम रिपोर्ट 1:1 मिलियन स्केल पर चाक्षुष व्याख्या तकनीक के माध्यम से अमरीकी उपग्रह के लैंडसेट डाटा का प्रयोग करके 1987 में प्रकाशित हुई। वन दशा रिपोर्ट 1999 की नवीनतम रिपोर्ट इस श्रृंखला की सातवीं रिपोर्ट है। वर्तमान मूल्यांकन में 13 राज्यों के लिए व्याख्या के डिजिटल तरीकों का प्रयोग किया गया है। अपर्याप्त अवसंरचना के कारण सम्पूर्ण देश के लिए इस तरीके का उपयोग नहीं किया जा सका। रिपोर्ट तैयार करने तथा उपग्रह आंकड़े प्राप्त करने के बीच समय अंतराल कम करने में उन्नत डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम को अपनाने में सहायता प्रदान की है। वार्षिक योजना 2001-02 में बजटीय अनुमान 5.00 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2002-03 में 7.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

वन संरक्षण

42. "आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण तरीके" नामक योजना जिसे बाद में वन अग्नि नियंत्रण तथा प्रबंधन नाम से पुनर्गठित किया गया, आठवीं योजना के कार्यकाल में आरंभ की गई थी। एक अन्य योजना वन सुरक्षा नौवीं योजना में चालू की गई थी। दसवीं योजना में इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया है तथा नई योजना का नाम "समेकित वन सुरक्षा" है। इस योजना में वन अग्नि नियंत्रण तथा प्रबंधन, सर्वेक्षण तथा चिन्हित करना और संरचनागत विकास आदि विभिन्न घटक सम्मिलित हैं। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए 65.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

वन्य जीवन

43. शून्य बजट आधारित प्रक्रिया के आधार पर नौवीं योजना में चालू वन्य जीवन से संबंधित 11 योजनाओं का विलय कर 7 योजनाएं बना दी गई हैं। दसवीं योजना में एक नई योजना

“संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवन की सुरक्षा” चालू की गई है। वन्य जीवन क्षेत्र से संबंधित मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं:-

राष्ट्रीय उद्यानों तथा जन्तु विहारों के आस-पास पारिस्थितिकीय विकास (ई.ए.पी)

44. अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई.डी.ए) तथा विश्व पर्यावरण फंड (जी.ई.एफ) की सहायता से सात संरक्षित क्षेत्रों में भारत पारिस्थितिकीय विकास परियोजना को लागू किया जा रहा है। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 64.75 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान था। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 45.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

चीता परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)

45. चीता परियोजना एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। अनावर्ती मदों के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायत तथा अनुमोदित अनावर्ती मदों के लिए यह सहायता 50 प्रतिशत प्राप्त होती है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के एक विशेष टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर इस स्कीम को 1973 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में 14 राज्यों में फैले तथा लगभग 3.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 27 चीता रिजर्व हैं। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए बजट अनुमान 19.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए परिव्यय 26.00 करोड़ रुपए है।

हाथी परियोजना

46. हाथी परियोजना एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए है जहां जंगली हाथियों की अनियंत्रित संख्या है। यह सहायता उनके प्राकृतिक आवास में पहचाने गए जीवन क्षम जनसंख्या की दीर्घकालीन उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए है। यह स्कीम 1991 से लागू की गई और अभी तक 9 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए बजट अनुमान 9.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2002-03) के लिए परिव्यय भी 9.00 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय उद्यानों तथा जन्तु विहारों का विकास

47. राष्ट्रीय उद्यानों तथा जन्तु विहारों के बेहतर प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। देश में 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 490 जन्तु विहार हैं जो 1.56 लाख वर्ग कि.मीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। अनावर्ती मदों के लिए 100 प्रतिशत तथा आवर्ती मदों के लिए 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन को पारिस्थितिकीय विकास की सहायता ने स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाने में सहायता की है तथा उन्हें संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया है। वार्षिक योजना 2001-02 के बजट अनुमान 21.70 करोड़ रुपये था वार्षिक योजना 2002-03 में परिव्यय 31.00 करोड़ रुपये है।

भारतीय वन्य जीवन संस्थान (इन्स्यू.आई.आई), देहरादून

48. भारतीय वन्य जीवन संस्थान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वशासी संस्थान है जो वन्य जीवन संरक्षण के पारिस्थितिकीय, जीव विज्ञानी, सामाजिक-आर्थिक तथा प्रबंधकीय पहलुओं पर अनुसंधान संचालित करता है। अनुसंधान परियोजनाएं मूल्यांकन वैज्ञानिक आंकड़े प्रदान करती हैं तथा भारतीय भूमि स्थितियों के लिए संगत अध्ययन तकनीकों का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं तथा प्रशिक्षित क्षेत्र जैव वैज्ञानिकों, सामाजिक अर्थशास्त्रियों और वन्य जीवन प्रबंधकों के समूह की रचना भी करती हैं। यह संस्थान सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा वन्य जीवन के संरक्षण तथा प्रबंधन के मामलों पर सुझाव देता है। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए बजटीय अनुमान 5 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 7.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

केंद्रीय वन्य प्राणी प्राधिकरण

49. केंद्रीय वन्य प्राणी प्राधिकरण की स्थापना 1992 में गलत तरीके से बनाए जा रहे चिड़ियाघरों पर नियंत्रण लगाने, वर्तमान चिड़ियाघरों की निगरानी तथा मूल्यांकन करने तथा चिड़ियाघरों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। प्राधिकरण को वन्य प्राणी उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है जिससे वे चिड़ियाघर के मान्यता नियमों के आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा कर सकें तथा ऐसे चिड़ियाघरों को अमान्य घोषित किया जा सके जो अर्थक्षम न हों। नौवीं योजना के दौरान चालू राष्ट्रीय वन्य प्राणी सहायता अनुदान योजना को केंद्रीय वन्य प्राणी प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है। वार्षिक योजना 2001-02 में 13.95 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान था। वार्षिक योजना 2002-03 में परिव्यय 11.00 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी)

50. राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड को वनरोपण, वृक्षारोपण, विकृत वनों तथा वन क्षेत्रों के आस-पास की भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों एवं जन्तु विहारों तथा अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकृत किया गया है। शून्य बजट प्रयोग के आधार पर नौवीं योजना में चालू राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड को 12 योजनाओं को विलय/ छंट कर 3 योजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। हरित भारत तथा डिसेटीफिकेशन नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नामक दो नई योजनाएं भी दसवीं योजना में सम्मिलित की गई हैं। एन.ए.ई.बी की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम

51. राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम बहुत सी पहले से चल रही योजनाओं का विलय करके बनाया गया है। ये योजनाएं हैं - समेकित वनरोपण एवं पारिस्थितिकीय परियोजनाएं योजना (आई.ए.ई.पी.एस), क्षेत्रीय मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना (ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस),

औषाधीय वृक्षों के साथ-साथ इमारती लकड़ी रहित वन उत्पादों का संरक्षण एवं विकास (एन.टी.एफ.पी.एस) तथा विकृत वनों के पुनरुद्धार के लिए अनुसूचित जन जाति तथा ग्रामीण गरीब लोगों संगठन (ए.एस.टी.आर.पी)। यह दो स्तरीय कार्यक्रम वन विकास एजेंसियों (एफ.डी.ए.) तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। दसवीं योजना के अंत तक देश के 775 भागों में क्षेत्रीय/वन्य प्राणी उद्यानों में वन विकास एजेंसियां स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2000-01 और 2001-02 में नई योजना के प्रथम चरण में यह मुख्य योजना के रूप में कुछ राज्यों में कार्यान्वित की गयी। अनुभव तथा परियोजना की प्रशंसा के आधार पर यह तय किया गया कि नई योजना दसवीं योजना के दौरान पूरे देश में कार्यान्वित की जाएगी। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 175.25 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

पारिस्थितिकीय विकास के लिए सेना बल

52. इनमें सेना के भूतपूर्व सैनिक तथा सेवारत जे.सी.ओ.एस एवं कमीशनर अधिकारी होते हैं। राज्य सरकारों के वन भाग जहाँ ये रहते हैं, इन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं- वनरोपण, चरागाहों का विकास, मृदा एवं जल संरक्षण तथा पुनरुद्धार संबंधी अन्य कार्य। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए बजटीय प्रावधान 9.75 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 10.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

पशु कल्याण

53. नौवीं योजना में शुरू की गई पशु कल्याण योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से वापस लेकर वर्ष 2002-03 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सौंप दी गई है। वार्षिक योजना 2002-03 में 20.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है। वार्षिक योजना 2002-03 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं का परिव्यय संलग्नक में दिया गया है।

संलग्नक 9.1.1

क्षेत्रक	10वीं योजना परिव्यय	2000-01 व्यय	2001-02 परिव्यय	2001-02 प्रत्याशित व्यय	2002-03 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
पर्यावरण	1200.00	106.13	212.82	130.84	229.00
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी) एवं अन्य	1670.00 #	86.70	190.95	255.95	295.00
वन	800.00	61.26	118.43	45.45	129.00
वन्य जीव	800.00	54.18	141.15	68.56	136.00
राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकीय विकस बोर्ड (एन.ए.ई.बी) एवं अन्य	1300.00	101.47	136.65	149.80	201.00
योग	5770.00	470.94 *	800.00	651.50 **	990.00

* इसमें 1.2 करोड़ रुपये वृक्ष एवं चारा बीज विकास योजना (टी.पी.एस.डी.एस) तथा 60 करोड़ रुपये पूर्वो उत्तर राज्यों के लिए हैं।

** इसमें 0.9 करोड़ रुपये टी.पी.एस.डी.एस के लिए है।

70 करोड़ रुपये एन.एल.सी.पी के अंतर्गत नैनीताल झीलों के संरक्षण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य वार पर्यावरण तथा एन.आर.सी.डी योजनाओं के लिए
स्कीम वार परिव्यय तथा व्यय का विवरण

क्षेत्रक	10वीं योजना	2000-01 वास्तविक	2001-02 परिव्यय	2001-02 अनुमानित व्यय	2002-03 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
प्रदूषण स्कीमें					
प्रदूषण में कमी	334.67	47.99	30.90	49.90	55.57
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	38.00	2.83	11.10	8.60	6.00
संरक्षण और सर्वेक्षण	307.00	26.47	34.29	33.76	45.00
अनुसंधान एवं पारिस्थितिक उत्पादन	24.00	3.58	19.10	3.33	4.00
पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण	231.00	18.33	19.55	23.13	37.00
नीति और विधि	80.00	2.40	40.55	4.05	19.00
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	95.03	1.25	39.13	1.15	42.52
सूचना प्रौद्योगिकी	25.00	1.99	5.00	5.00	3.00
सिविल इंजीनियरी	12.00	1.30	0.00	1.92	2.00
नई स्कीमें	53.00	0.00	0.00	0.00	14.91
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए पूंजी प्रावधान	0.00	0.00	13.20	10.84	0.00
कुल (पर्यावरण स्कीमें)	1200.00	106.13	212.82	255.95	229.00
एन.आर.सी.डी स्कीम	1670.00	86.70	190.95	255.95	295.00
अन्य (पेड़ तथा चारा बीज विकास स्कीम)	0.00	1.20	0.00	0.90	0.00
कुल योग (पर्यावरण + एन.आर.सी.डी + अन्य)	2870.00	194.03	403.77	387.69	524.00

संलग्नक 9.1.3

वानिकी, वन्य जीवन तथा एन.ए.ई.बी क्षेत्रों के लिए
परिव्यय एवं व्यय का योजना-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	10वीं योजना परिव्यय	2000-01 वास्तविक व्यय	2000-01 परिव्यय	2001-02 अनुमानित व्यय	2002-03 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
वानिकी अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण	286.00	51.71	57.08	33.35	50.00
भारतीय वन सर्वेक्षण	35.00	4.00	5.00	6.00	7.00
वन नीति		0.15	7.35	0.20	-
वन संरक्षण	445.00	-	17.25	-	65.00
वन प्रभाग का सुदृढीकरण	34.00	5.40	6.00	5.90	7.00
वानिकी संरचना	-	-	25.75	-	-
वानिकी (योग)	800.00	61.26	118.43	45.45	129.00

अध्याय-10

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. यह सर्वमान्य बात है कि निरंतर बढ़ रही ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासात्मक प्रयास जारी रखने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिक अन्वेषणों का महत्व सर्वाधिक है। भारत में अनेक क्षेत्रों में-आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर, पर्याप्त खाद्य सुरक्षा, काफी अधिक औसत आयु, बढ़ रही साक्षरता दर, उच्च शिक्षा में सफलता आदि में काफी अच्छी प्रगति की है। पिछले वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भी खूब प्रगति हुई है और भारत अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों, प्रशिक्षित जनशक्ति और अच्छे अन्वेषण-ज्ञान आधार पर गर्व कर सकता है। वार्षिक योजना 2002-03, दसवीं पंच वर्षीय योजना का पहला वर्ष है अतः विभिन्न केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों की योजनाओं और कार्यक्रमों को दसवीं पंच वर्षीय योजना के दृष्टिकोण और उसकी नीति के अनुरूप बनाया गया है और आधारभूत अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन एवं प्रसार सहित अभिसंरचना सुविधाओं के सुदृढिकरण एवं निर्माण, कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास और समाज के हित के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु अन्तरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, महासागर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान उपलब्धियों की मुख्य बातों और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में लिए जाने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर निम्नलिखित पैरों में प्रकाश डाला गया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास क्षेत्र)

वर्ष 2001-02 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

2. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) के अनुसंधान और विकास एकक के प्रयासों का उद्देश्य विद्युत पैदा करने के लिए देशी आणविक ईंधन संसाधनों का दोहन और विभिन्न गैर-विद्युत प्रयोगों के लिए आणविक प्रौद्योगिकी का विकास करना है। पी.एच.डब्ल्यू.आर. आधारित नाभकीय रियेक्टरों के डिजाइन, निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण मरम्मत प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध आगे और पीछे अंत तक (फ्रंट एण्ड बैक) की प्रौद्योगिकियों में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली गई है। हमारे देश में थोरियम के विशाल भंडार के प्रयोग से प्रजनन और दोहन की क्षमता सहित नई रियेक्टर प्रणालियों के विकास का कार्य खूब जोर से चलाया जा रहा है। ए.एच.डब्ल्यू.आर. संबंधी इंजीनियरिंग डिजाइन तथा विकास गतिविधियों में, जिनका उद्देश्य देश में थोरियम के विशाल भंडारों का उपयोग करना है, वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई है। ए.एच.डब्ल्यू.आर. ईंधनों को पुनः साफ करने के लिए फ्लो शीट तैयार करने की प्रक्रिया हेतु अध्ययन किए जा रहे हैं। ए.एच.डब्ल्यू.आर. और 500 एम.डब्ल्यू.ई.पी.एच.डब्ल्यू.आर. के रियेक्टर भौतिकी प्रयोग हेतु क्रान्तिक सुविधा तैयार करने का कार्य ठीक चलने लगा है और इसका

सिविल निर्माण कार्य शुरु हो गया है। भारी ताप रियेक्टर पर भी कार्य जारी है। 500 एम.डब्ल्यू.ई प्रोटोटाईप तीव्र गति जनित्र रियेक्टर (पी.एफ.बी.आर) के मध्यवर्ती (इन्टरमीडियेट) सोडियम हीट एक्सचेंजर के लिए इनकोर शील्डिंग का डिजाइन तैयार करने के लिए 'अप्सरा' सुविधाओं का व्यापक उपयोग करके जटिल प्रयोग किए गए ताकि प्रयुक्त यूरेनियम (डीप्लीटेड यूरेनियम) से बनाई गई कन्वर्टर एसेम्बली द्वारा आई.जी.सी.ए.आर से उपलब्ध कम्प्यूटेशनल कोड का अधिकाधिक अध्ययन और मान्यकरण हो सके।

3. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने 'कैगा' के लिए ईंधन प्रबंधन नियंत्रण प्रशिक्षण सिमुलेटर तैयार किया है और 220 एम.डब्ल्यू.ई. पी.एच.डब्ल्यू.आर के लिए दो ईंधन मशीन हैड और प्रेशर ट्यूब के दृश्य निरीक्षण हेतु एक लघु (मिनिएचर) सी.सी.टी.वी कैमरा भारतीय अण्विक उर्जा निगम लि. (एन.पी.सी.आई.एल) को सौंप दिए हैं। इसके अतिरिक्त 'एडजेस्टर राड', 'कंट्रोल राड' और 'शट ऑफ राड' के लिए केबल विंच ड्राइव मैकेनिज्म को तारापुर परमाणु उर्जा केंद्र (टी.एपी.पी. 3 और 4) के लिए बी.ए.आर.सी ने उनमें कई नई विशेषताएं डालकर तैयार किया है। एफ.आई.एस.बी.ई को भी शुरु किया गया है जिसका प्रयोग पी.एच.डब्ल्यू.आर में संभावित दुर्घटनाओं और प्रचालन की दिक्कतों के समय किया जाता है। समेकित गार्टर स्प्रिंग रिपोजीशनिंग प्रणाली रूपांतर 2 (इन्ग्रेस) के लिए धातु की ट्यूबों के बीच इसेंद्रीसिटी नापने के नए सेंसर तैयार करने के लिए डिजाइन की परिकल्पना तैयार हो गई है और इन्ग्रेस के लिए युनिवर्सल वाटर प्रूफ (जलरोधी) अम्बिलिकल केबल का काम पूरा करके सफल परीक्षण हो चुका है। इसके अतिरिक्त एक विशेष मशीन (गाइड स्लीव कटिंग मशीन) जो 50 मीटर दूर से चलाई जा सकती है, बना ली गई है ताकि आपात स्थिति में पावर रियेक्टर ईंधन मशीन के गाइड स्लीव को काटा जा सके। ट्राम्बे में एक फ्लोशीट के जरिए उत्पाद में से प्लूटोनियम और यूरेनियम को अलग-अलग करने के लिए दूरस्थ प्रेसिपिटेशन सैट-अप का प्रयोग करके को-डिकन्टेमीनेशन एक्सट्रेक्शन साइकल का प्रदर्शन किया गया और कम्पेक्ट सिरैमिक मेल्टर को उच्च स्तरीय द्रव अपशिष्ट के विट्रीफिकेशन हेतु इनऐक्टिव परीक्षणों सहित चालू किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास के काम में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है अत्याधिक तीव्र गति हीलियम टर्बो विस्तारकों का इन-हाऊस विकसित किया जाना। इस से बी.ए.आर.सी हीलियम क्रायों प्रौद्योगिकी स्थापित कर सकेगा जो अभी तक देश में उपलब्ध नहीं थी।

4. इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पक्कम (आई.जी.सी.ए.आर) में यूरेनियम कार्बाईड-प्लूटोनियम ईंधन, जिसे बी.ए.आर.सी में तैयार किया गया था, के प्रयोग से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियेक्टर (एफ.बी.टी.आर) मार्क-1 कोर बना लिया गया है और मार्क-11 कोर का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 500 एम.डब्ल्यू.ई सोडियम कूल्ड पूल टाइप नमूने के फास्ट ब्रीडर रियेक्टर (पी.एफ.बी.आर) का डिजाइन भी पूरा होने वाला है। लघु और अत्यंत संवेदनशील उपकरणों का संक्षिप्त विश्लेषणात्मक निर्माण कार्य (प्रीसाइज एनालिटिकल वर्क्स) के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और विभिन्न उप प्रणालियों के एनीमेशन हेतु विभिन्न पी.एफ.बी.आर घटकों के 3 डी माडल का काम पूरा हो गया है। पी.एफ.बी.आर.के कुल स्कोप रेपलिका परिचालक-प्रशिक्षण सिमुलेटर के लिए कल्पक्कम में एक सिमुलेशन प्लेटफार्म को चालू किया गया है। इसके अलावा रियेक्टर के पुर्जों के निरीक्षण हेतु, दूर से

प्रयोग किए जाने वाले अनेक उपकरण तैयार किए गए हैं और एक छः ध्रुवीय बहु प्रयोजनीय रोबोट (सेम्प्रो) का डिजाइन और उसका विकास विभिन्न औद्योगिक जरूरतों के लिए भारतीय उद्योग की सहायता से किया गया है।

5. वेरीएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (वी.ई.सी.सी) कोलकाता में सुपरकण्डक्टिंग साइक्लोट्रॉन का निर्माण कार्य अन्तिम चरणों में है। 100 टन के मुख्य चुम्बक फ्रेम बनाने का काम पूरा हो गया है। साइक्लोट्रॉन के लिए नए आयन बीम को तैयार करने के लिए ई.सी.आर हैवी आयन स्रोत को प्रयुक्त किया गया। पृष्ठीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रिम श्रेणी के कई प्रयोग किए गए हैं। इस स्रोत और साइक्लोट्रॉन के बीच नई इंजेक्शन लाइन के सभी पुर्जों का निर्माण किया गया है। एक 40 कि.वा. के 35 एम.एच.जेड रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर को चालू करके पूर्ण उर्जा परीक्षण कर लिए गए हैं। इसके लिए सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (समीर) मुम्बई में कम शक्ति वाले फेज़ कन्ट्रोल सर्किट का विकास करके सफल परीक्षण किया गया।

6. 450 एम.ई.वी सिनक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स (इन्डस-1) उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (कैट), इन्दौर में अच्छी प्रकार कार्य कर रहा है। इन्डस-1 की छः बीमलाइन्स में से 3 ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अनेक पुर्जों और दो बीमलाइनों के डिजाइन के साथ 2.5 जी.इ.वी इलेक्ट्रॉन स्टोरेज रिंग वाले इन्डस-2 का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। मुम्बई में पैलीट्रॉन एक्सीलरेटर के सुपरकण्डक्टिंग एल.आई.एन.ए.सी बूस्टर के निर्माण में प्रगति हो रही है। 250 सुपर कण्डक्टिंग कोरेक्टर मेग्नेट्स, प्रीसीजन मेग्नेटस्, पोलीशनिंग जैक्स, 60 क्वेंच प्रोजेक्शन हीटर पावर सप्लाइस, 8 क्वेंच प्रोटेक्शन सिस्टम सर्किट ब्रेकर्स को सी.ई.आर.एन. और भारत के बीच लार्ज हेडरोन्स कोलाइडर सहयोग के अंतर्गत सी.ई.आर.एन को सौंपा गया। 2 डब्ल्यू.डाओड पम्पड सोलिड स्टेट लेजर का विकास, माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली के साथ टेबल टाप टेरावाट लेजर का सज्जीकरण और परमाणुओं को एकत्र करने और लेजर कूलिंग के लिए लेजर की स्थापना कुछ अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

7. चिकित्सा, उद्योग, कृषि और अनुसंधान में काम आने के लिए रियेक्टर उत्पादिता विभिन्न रेडियोआइसोटोप्स को परिशोधित करके उनकी आपूर्ति की गई। गठिया के उपचार हेतु दो नये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए स्वीकृति दी गई है और मेटास्टेसिस के कारण हड्डियों के दर्द के लिए पैलिएटिव उपचार प्रक्रिया में प्रयोग के लिए एक बढ़िया रेडियो-न्यूक्लिक शुद्धता (प्योरिटी) सहित उच्च विशिष्ट गतिविधि वाले रेडियो आइसोटोप का विकास किया गया। हाइड्रो जैल पट्टियों के क्लिनिक परीक्षण के बारे में प्रयोक्ता अस्पताल से मिली रिपोर्ट के अनुसार जख्मों की पट्टी हाइड्रो जैल से करने पर संतोषजनक परिणाम मिले हैं। मंगलौर तेल-शोधन शाला और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के 9.5 मीटर व्यास के एक कॉलम में गड़बड़ी को दूर करने के लिए गामा स्कैनिंग का प्रयोग करने से कारखाना बंद रहने की अवधि कम करके उत्पादन की भारी हानि से बचा जा सका है। घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए समुद्री खाद्य (ताजा, सुखाया हुआ और प्रशीतित रूप में) व दालों की रेडिएशन प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमति मिल गई है। इलेक्ट्रॉन बीम(ई.बी) केन्द्र, खारगर, नवीं मुम्बई का निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ गया है और एक्सीलरेटरों के विकास का काम भी प्रगति कर रहा है।

वर्ष 2002-03 के लिए मुख्य कार्यक्रम

8. वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान बी.ए.आर.सी की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है- उन्नत रियेक्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ए.एच.डब्ल्यू.आर. की विभिन्न प्रणालियों और पुर्जों को तैयार करने का काम पूरा करना, ए.एच.डब्ल्यू.आर और 500 एम.डब्ल्यू.ई पी.एच.डब्ल्यू.आर. में जटिल सुविधाओं हेतु, खरीदारी, संरचना और उनका निर्माण, सी.आई.आर.यू.एस में कमी को पूरा करके पुनः चालू करना, भाप बनाने की परीक्षण सुविधा (एस.जी.टी.एफ) का पूर्ण निर्माण, पी.एफ.बी.आर के डिजाइन के वैधीकरण से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों को पूरा करना, सुरक्षा अनुमति मिलने पर युरेनियम-233 को अलग करने की सुविधा शुरू करना, उपलब्ध सुविधाओं में सर्वांगीण सुधार और उन्हें बेहतर बनाने के लिए ट्राम्बे, कल्पककम और तारापुर में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को समुन्नत करना, पुनः संसाधन संयंत्र से प्राप्त आर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के लिए ट्राम्बे में आर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थ उपचार सुविधा (ओ.डब्ल्यू.टी.एफ) को चालू करना; इत्यादि।

9. सी.ए.टी में इण्डस-2 से सभी पुर्जों और उप प्रणालियों को विकसित/क्रय किया जाएगा और इसके स्टोरेज रिंग के सभी उपकरणों को जोड़ने का कार्य पूरा होने वाला है। सभी वेक्यूम चेम्बर, 2002 के मध्यकाल में तैयार हो जाएंगे और उनका रसायनिक उपचार तथा वेक्यूम द्वारा गैस रहित (डीगैसिंग) करने का कार्य दिसंबर, 2002 के अंत तक पूरा हो जाएगा। पूरी आर.एफ प्रणाली का परीक्षण किए जाने की आशा है। सी.ए.टी. का प्रस्ताव है कि एकसीलियरेटर द्वारा चालित सब क्रिटिकल प्रणाली (ए.डी.डी.एस) है, के लिए उच्चधारा प्रोटोन सिनक्रोटोन विकसित करने का एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जाए। लीनियर एकसीलियरेटर तथा इण्डस-2 के लिए दो अतिरिक्त बीम लाइनों का डिजाइन वर्तमान अवधि में पूरा होने की आशा है।

10. वी.ई.सी.सी में रेडियोधर्मी आयन बीम सुविधा फेस-1 तथा दो डिटेक्टर एरै नामतः चार्जड पार्टिकल मल्टीपलीसिटी फिल्टर और बी.ए.एफ2 एरै का काम पूरा किया जाएगा और वी.ई.सी की हैवी-आन बीम से इनका परीक्षण होगा। सुपरकंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन के लिए इमारत बनाने का सम्पूर्ण काम दिसंबर, 2002 तक पूरा हो जाएगा। क्रायोजैनिक डिलीवरी प्रणाली तैयार हो जाएगी और हीलियम संयंत्र को वर्तमान अस्थायी स्थान से हटा कर नई इमारत में ले जाया जाएगा। फोटोन मल्टीपलाइंग डिटेक्टर (पी.एम.डी) को तैयार करके उसे एस.टी.ए.आर के परीक्षणों हेतु 2002-03 के दौरान ब्रुकहेवन राष्ट्रीय प्रयोगशाला में लगाया जाएगा। इसके अलावा मीटरियल कैरेक्टराइजेशन और स्वयंमेव निरीक्षण, कार्य निष्पादन और कृत्रिम दृश्य (विजुअल) प्रणाली के परीक्षण और व्यावहारिक परीक्षण, के लिए विज्ञान सिस्टम सुविधा, स्वयंमेव निरीक्षण और मशीन विज्ञान प्रणाली का काम पूरा किया जाएगा।

11. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में ये शामिल है- सीसा सैल उपकरणों की खरीद, इररेडियेशन परघात (पी.आई.ई) परीक्षण हेतु उपकरणों के डिजाइन और विकास का काम, अति शुद्ध नियोबियम घातु तैयार करने के लिए अति उच्च वेक्यूम सुविधा की स्थापना, आण्विक तथा सामरिक महत्त्व के अन्य पदार्थों के ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस मात्रा में विश्लेषण के लिए प्रक्रिया का मानकीकरण तथा

गुणवत्ता का आश्वासन तथा एंटीमोनी और इंडियम के आर्गेनो मेटलिक प्रीकर्सर के लिए सिंथेटिक प्रक्रिया का विकास, धातुओं के रासायनिक वाष्प डिपोजीशन के लिए प्रीकर्सर योगिकों की ग्राम मात्रा में संश्लेषण, डीकन्टेमीनेशन संयंत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल उपकरण का विकास, टर्बो विस्तारक, 1 कि.वा. के प्रशीतक संयंत्र और क्रायो हीट एक्सचेंजर्स, ठण्डे बक्कों आदि के लिए हीलियम कम्प्रेसर, न्यूक्लीयर डीसेलीनेशन डिमॉन्स्ट्रेशन संयंत्र, कल्पक्कम का निर्माण और उसे चालू करना, हाइड्रोलोजी आइसोटोप प्रयोगशाला को समुन्नत करना, उन्नत औद्योगिक गैर-विनाशकारी परीक्षण के लिए कम्प्यूटर समर्थित टोमोग्राफी (एन.डी.टी), डिटेक्टर एरै प्रणाली की तैयारी और पूर्ति, उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की रेडिएशन प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रान बीम केंद्र का सिविल निर्माण और सामग्री प्रबंधन प्रणाली के साथ 750 के.वी. डी.सी एक्सीलेटर का चालू किया जाना जिसका प्रयोग विभिन्न सामग्रियों के इररेडियेशन अध्ययन के लिए किया जाएगा। 12 एम.ई.वी. माइक्रोट्रोन पर आधारित रेडियोथैरेपी मशीन को इस अवधि के दौरान चालू किया जाएगा और 10 के.डब्ल्यू, 10 एम.ई.वी. एल.आई.एन.ए.सी का भी काम अंतिम चरण में होगा।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2001-02 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

12. वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान नेशनल सेन्टर फार प्लांट जीनोम रिसर्च (एन.सी.पी.जी.आर), राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एन.बी.आर.सी) और राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड (एन.बी.डी.बी) को पूरी तरह चालू कर दिया गया है। राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड (एन.बी.डी.बी) ने संसाधन आधारित एवं क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया है ताकि धिकित्सकीय पौधों को छोड़ कर आर्थिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण पौधों की डिजिटल सूची बनाई जा सके। माइक्रोबायल, संरचनात्मक, कार्यकारी और कम्प्यूटेशनल जीनोमिक्स समेत जीनोमिक्स के बारे में प्रमुख कार्यक्रम और विभिन्न आनुवंशीकीय अस्तित्व को समझने के लिए डी.एन.ए माइक्रो एरै औजार, रेशम कीट जीनोम, चावल क्रोमोसोम के क्रम और रोगाणुओं के क्रमण कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिला। पारजीनीय पौधों संबंधी अनुसंधान और विकास के बारे में मार्ग दर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई और वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए मानवीय जीनोम, आनुवंशीय अनुसंधान और सेवाएं संबंधी एक नैतिक नीतिगत दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। पारजीनीय, पादप सामग्री की कन्टेनमेंट एवं क्वॉरन्टीन के लिए राष्ट्रीय सुविधा, पेटेंट सुविधा सेल, माइक्रो आर्गेनिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप प्राधिकरण, उत्तक संवर्धन से तैयार पौधों में वायरस जांच की राष्ट्रीय सुविधा को आरंभ कर दिया गया है। एच.आई.वी., हेपेटाइटिस-सी, डेंगू, जापानी एनसेफलाइटिस, अल्फाफेटो-प्रोटीन, हेपेटाइटिस-ए, प्रजनन हारमोन और बनाना बंचीटाप वायरस रोगों का पता लगाने की किटों संबंधी प्रौद्योगिकी उद्योगों को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके अलावा जैव उर्वरकों, पौध उत्तक प्रोटोकोल्स और जैव रीमेडियेशन प्रौद्योगिकी भी व्यवसायीकरण हेतु उद्योगों को दी गई है। मनुष्यों के लिए रिकॉम्बिनेंट कैंडीडेट एंथाक्स वेक्सिन का एक औद्योगिक इकाई द्वारा विकास किया जा रहा है। सामाजिक लाभ के लिए जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं, अनु.जा./जन-जाति तथा दुर्बल वर्गों की मदद हो सके। चेन्नई में महिला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और मोचा, गुजरात में एक जैव -गांव के काम में काफी प्रगति हुई है।

13. कृषि जैव प्रौद्योगिकी में, कपास में कीट रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए दो मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल्स का विकास किया गया है। विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्तमान फसल प्रणाली में कृषि उपज बढ़ाने के लिए समेकित कीट प्रबंधन और समेकित पोषण प्रबंधन के नेटवर्क कार्यक्रम के जरिए कम लागत के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रभावी मोड्यूलर/पैकेज तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विस्तार गतिविधियों के द्वारा लगभग 50,000 किसानों को लाभ हुआ है और लगभग 1600 पोस्टर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में निकाले गए। बड़े पैमाने पर खेती प्रभाविता के लिए अनेक जैव कीटनाशी प्रौद्योगिकियां बना ली गई हैं। जैव-नियंत्रण एजेंटों और उनके उत्पादन फार्मूलों संबंधी व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट फाइल किए गए हैं। वनो, बागवानी/पादप फसलों के 20 उत्तक प्रोटोकॉल्स का मानकीकरण किया गया और बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा व्यावसायीकरण के लिए उनमें 10 का उन्नयन किया गया है और 8500 हैक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 10 मिलियन पौधे लगाये गये हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वनस्पति मानचित्र-करण और भूमि की जैव विविधता का पता लगाने का काम शुरू किया गया है। दबाव सह सकने वाली 24 जीन्स को अलग किया गया और शीत को सहन कर लेने वाली नई जीन का भी पता लगाया गया है। दोनों के लिए अमरीका में पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया है।

14. चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टी.बी के उपचार हेतु, तीन पी.सी.आर आधारित नैदानिकों का मान्यकरण किया गया और वे व्यावसायीकरण के लिए तैयार है। मलेरिया-रोधी औषधि को ढोने हेतु एक बढ़िया तरीके का पता चलने से एक ऐसे मोलिक्यूल का पता लगा है जो सम्भावित नई औषधि लक्ष्य के रूप में काम आयेगा। पहली बार शिगेल्ला डायसेंट्री के समूचे जीनोम का शारीरिक और अनुवंशीय संयुक्त चित्र तैयार किया गया है। इक्कीस रोग नैदानिक प्रौद्योगिकियां तैयार हुई हैं जिनमें से बारह को उन्नयन और व्यावसायीकरण के लिए उद्योगों को सौंप दिया गया। दो एच.आई.वी. रोग नैदानिक परीक्षण प्रणालियां और एक हेपेटाइटिस नैदानिक प्रणाली बाजार में आ गई है। रैबी, हैजा, मलेरिया, टी.बी., जापानी एनसेफलाइटिस और एच.आई.वी. रोगणुओं के लिए वैक्सीन तैयार करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के काम में प्रगति हो रही है। डी.एन.ए. और उत्तक संवर्धक रैबी वायरस से थोड़ी मात्रा में प्रोटीन के मिश्रण का कुत्तों और पशुओं पर प्रयोग पूरा हो गया है और कुत्तों में रैबीज पर नियंत्रण के लिए यह शीघ्र ही बाजार में मिलने लगेगा। भारत-अमरीका वैक्सीन कार्यवाही कार्यक्रम के अधीन 'रोटा वायरस कैंडीडेट' क्लिनिकल परीक्षणों के लिए तैयार है जिसके लिए भारत के औषधि महानियंत्रक से अनुमति मिल गई है। हीट किल्ड होल सेल विबरिओ वैक्सीन की एक और तकनीक उद्योग को स्थानांतरित की गई है। इससे शारिम्प मछली में जोरदार रोग प्रतिरोधी शक्ति पैदा हो गई। मत्स्य रोग के चार बैक्टीरियों का पता लगाने के लिए अमम्यूनो डायग्नोस्टिक किट तैयार की गई है। हुट्टी स्वर्ण खानों में स्वर्ण अयस्कों और सांद्रों के जैव उपचार हेतु एक प्रदर्शन जैव-रियेक्टर संयंत्र स्थापित किया गया है। इससे स्वर्ण तथा अन्य धातुओं जैसे चांदी, कोबाल्ट, तांबे और कांस्य के उत्पादन हेतु जैव-लीचिंग प्रक्रिया के व्यवसायीकरण का मार्ग खुल गया है।

15. स्वायत्तशासी निकाय जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी नई दिल्ली, नेशनल सेंटर फार सैल साइंस पुणे, सेंटर फार डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदाराबाद, नेशनल सेंटर फार प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुडगांव मूलभूत और

व्यावहारिक अनुसंधान में लगे हुए हैं जिनसे नई जानकारी, उत्पाद, पेटेंट और अति महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सकेंगे। वर्ष के दौरान जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध जैव संसाधनों के विकास और उपयोग के लिए इम्फाल, मणिपुर में एक इस्ट्रीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सिस एण्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेंट की स्थापना की गई है।

वर्ष 2002-03 के लिए गतिविधियां और कार्यक्रम

16. मानव संसाधन विकास के पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिक, पर्यावरणीय चिकित्सकीय और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के लिए नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे। नयी और आधुनिक जैव तकनीक सुविधाएं जैसे एन.एम.आर माइक्रो एरे, पारजीनी नियंत्रण सुविधाएं और जैवचिकित्सीय अनुसंधान, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पौध विज्ञान के अति उत्तम केंद्र स्थापित किये जायेंगे और अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप प्राधिकरण को पूर्णरूपेण प्रचालित किया जाएगा।

17. कृषि जैव प्रौद्योगिकी में चावल जीनोम सीक्वेंसिंग कार्यक्रम जारी रहेगा और चावल में एबीओटिक स्ट्रेस, सोरगम, चिकपी संबंधी नेटवर्क परियोजनाएं, भैंस जीनोम, फार्म पशुओं में पारजीनी, पशु रोग नैदानिकों संबंधी बहु केंद्री कार्यक्रम, ट्रांसजेनिक माइक्राबिअल बायोफरटीलाइजर इनोक्युलेंट्स, भण्डारण किये गए अनाज और खाद्य पदार्थों में जैविक विधि द्वारा पीड़क जन्तुओं एवं बीमारियों पर नियंत्रण, पौधों से प्राप्त कीटनाशकों का विकास, फेरोमेन्स के प्रयोग और बागवानी फसलों की शैल्फ लाइफ सुधारने के कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड पशुओं, पौधों और माइक्रोबियल संसाधनों की डिजिटल सूचियां बनाने की परियोजना जारी रखेगा। बायोप्रोस्पेक्टिंग और जड़ी-बूटियों पर आधारित उत्पाद विकास कार्यक्रमों से प्राप्त जानकारी से उत्पाद और प्रक्रिया के विकास के काम को गति प्रदान की जायेगी। पौध उत्तक बैंक बनाये जायेंगे जिनमें सभी वर्तमान सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त इनमें चिकित्सीय तथा सुगंध वाले पौधों, काफी, चाय, मसालों, सेब, खट्टे फल (नींबू) के पौधों को बड़े पैमाने पर लगाया जायेगा ताकि किसानों को खेती में काम आने वाली उच्च किस्म की पौध सामग्री आदि उपलब्ध कराई जायेगी।

18. चिकित्सीय जैव प्रौद्योगिकी में रैबी, हैजा, मलेरिया और एच आई वी/एड्स के टीके तैयार करने हेतु अनुसंधान और क्लिनिकल परीक्षणों पर जोर दिया जाता रहेगा ताकि नये वैक्सीन (टीके) तैयार किये जाते रहें। स्टेम सैल बायोलाजी में उन्नत अनुसंधान और उनके क्लिनिकल प्रयोग के नये कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। मोलिक्यूलर टूल्स का प्रयोग करते हुए रसायन मिश्रण और उच्च सिक्वेंसिंग के जरिये, श्वास संबंधी रोगों के निदान और संक्रमण प्रक्रिया संबंधी मूल अनुसंधान करके नई औषधियों के लिए परियोजनाएं शुरू की जायेंगी। मधुमेह, घातक हृदय रोग, पुनः पैदा होने वाले रोग और कैंसर जैसी बीमारियों को समझने के लिए मोलिक्यूलर दृष्टिकोण पर विशेष परियोजनाएं शुरू की जायेंगी। मानव जीनोम और अनुवांशिकी विश्लेषण कार्यक्रम जैसे फार्माकेजेनामिक्स, कैंसर से संबंधित मोलिक्यूलर अनुवांशिकीय अध्ययन, जीन एक्सप्रेशन के लिए माइक्रोएरे अध्ययन और जीन थेरेपी अनुसंधान भी शुरू किया जायेगा।

19. पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, पुनः प्रयोग न किये जा सकने वाले संसाधनों के प्रतिस्थापन और प्रदूषण निगरानी से संबंधित नई परियोजनाएं ली जाएंगी। माइक्रोबिल और खाद्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में माइक्रोबियल बायोडीग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, अनुवंशीय तरीके से बनाये गये भोजन का परीक्षण, डी.एन.ए. चिप आदि के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। साफ्टवेयर के विकास और अनुसंधान तथा विकास पर अधिक बल देते हुए जैव सूचना कार्यक्रम जारी रहेंगे।

20. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे अपनी अनुसंधान की गतिविधियों को जारी रखने के अलावा नये अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का काम भी करेंगे। सेंटर फार डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक, हैदाराबाद अपना विधि विज्ञान के मामलों से संबंधित डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग सेवा जारी रखते हुए, एक आपदा प्रबंधन सैल भी बनायेगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुडगांव और एन.सी.पी.जी.आर, नई दिल्ली के भवन निर्माण का कार्य चालू रहेगा और न्यूरोसाइंस प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का कार्य सुदृढ़ किया जायेगा।

महासागर विज्ञान

वर्ष 2001-02 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

21. वर्ष 2001-02 के दौरान एक प्रमुख घटना थी भारत का इंटर गवर्नमेंटल समुद्र विज्ञान आयोग का उपअध्यक्ष चुना जाना और अंटार्कटिका, पौलीमेटेलिक नोड्यूलस आदि से संबंधित अनेक अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेना। 21वां भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका से भेजा गया। इसका मुख्य उद्देश्य मौलिक और व्यावहारिक विज्ञानों का व्यापक अध्ययन था जिसमें वातावरणीय विज्ञान और मौसम विज्ञान से लेकर बायोलाजी, पर्यावरणीय, धिकित्सीय तथा भू-विज्ञान तक के सभी विषय शामिल थे। इसके अलावा पहले से चालू कुछ वैज्ञानिक तथा लोजिस्टिक परियोजनाएं जो कई वर्ष पहले शुरू हुई थीं, को जारी रखने के साथ-साथ 21वें अभियान में कुछ नये वैज्ञानिक प्रयोग भी शुरू हुए जिनमें ग्रीन हाउस गैसों की जानकारी, मैत्री में रेडियेशन और इंडिया की खाड़ी पर बर्फ-वायु-समुद्र इंटरफेस पर बाउंडरी परत, पृष्ठीय आइसोटोपिक भिन्नता और अंटार्कटिका में ताजा बर्फ के साथ मिश्रण, अंटार्कटिका जल में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण इत्यादि शामिल हैं। समुद्र से औषधियां कार्यक्रम के अंतर्गत तीन औषधियों का कृन्तक विषाक्तता परीक्षण पूरा कर लिया गया है।

22. पौलीमेटेलिक नोड्यूलस कार्यक्रम के अधीन आरंभिक क्षेत्र (पायनीर एरिया) का 20 प्रतिशत अतिरिक्त भाग अंतर्राष्ट्रीय सागर तल प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के भाग के रूप वापस में सौंप दिया गया। नोड्यूलस के दौहन से पूर्व अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन जारी रहा। खान प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अधीन जल के भीतर कार्यों और गहरे समुद्र में कार्यों के लिए पदार्थों के परीक्षण हेतु, मेनीप्युलेटर बनाने का काम किया गया। इसके अलावा समुन्नत दूर संचालित वाहन (आर.ओ.बी) का चैन्नई पत्तन के पास 200 मीटर गहरे पानी में परीक्षण किया गया जिसे केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सी.एम.ई.आर.आई) ने तैयार किया

था। मेटालर्जी कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुयनेश्वर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुम्बई द्वारा तैयार फ्लोशीट के मान्यकरण हेतु 500 कि.ग्रा. नोड्युल्स प्रतिदिन क्षमता वाले प्रदर्शन पायलट संयंत्र को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में लगाने का काम चल रहा है। धातुओं के लिए एक्सट्रेक्शन एफीशियेंसीज के बारे में अन्य अध्ययन जारी है। 34 स्थानों में प्रदूषण स्तर का अनुमान, इनमें 12 हाट स्पाट्स भी शामिल हैं, और मंगलौर, विशाखापत्तनम तथा पाराद्वीप के तटीय जल में प्रदूषण गतिशीलता निर्धारण करने का काम तटीय सागर निगरानी और भविष्य वाणी प्रणाली (कोस्टल ओशन मानिट्रिंग एण्ड प्रीडिक्शन सिस्टम) के अधीन किया गया। तटीय अनुसंधान वाहन (सी.आर.वी) सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी ने पूर्वी और पश्चिमी तट पर प्रदूषण निगरानी के लिए 40 चक्कर लगाये और नौवहन की सहायता के लिए तूतीकोरन बंदरगाह क्षेत्र में मल्टी बीम ईको साउंडर का प्रयोग करके विशेष सर्वेक्षण किया। एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आई.सी.एम.ए.एम) कार्यक्रम में ये शामिल हैं- तटीय क्षेत्र के निवासियों के लिए भूगोलीय सूचना प्रणाली (जी.आई.एस), तापती मुहाने में और एन्नोर तटीय जल में अपशिष्ट संग्रहण क्षमता का निर्धारण, अपशिष्ट निपटान और पर्यटन के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अनुमान (ई.आई.ए) मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना और चैन्नई के लिए आई.सी.एम.ए.एम योजना का प्रारूप तैयार करना। तटीय निवासियों के लिए भूगोलीय सूचना प्रणाली के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएं गए।

23. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने 1 में.वा. समुद्र तापीय ऊर्जा परिवर्तन (ओ.टी.ई.सी) संयंत्र पर अध्ययन किया और इस संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी के पायलट स्केल प्रदर्शन के बारे में अंतिम रिपोर्ट तैयार की। विज़िन्जम में जल का खारापन दूर करने का संयंत्र चालू किया गया। गहन समुद्र प्रौद्योगिकी और महासागर खनन गतिविधियों में ये शामिल हैं - 6000 मीटर पानी की गहराई में इण्डियन नोड्यूल खनन क्षेत्र में भूमि गुणवत्ता नापना, पानी के अंदर क्रालर वाहन के प्रयोग से खनन का विकास, पानी के अंदर थ्रसटर्स का विकास, स्मार्ट सोलिड हैंडलिंग जेट पम्प आदि। समुद्री उपकरण विकास कार्यक्रम के कारण दूसरी श्रेणी के बढ़िया एकाउस्टिक टाइड गैजों, उन्नत चौड़े बैंड के साथ प्रोटोटाइप एकाउस्टिक सब सिस्टम प्रोफाइलर ट्रांसड्यूसर, गहरा जल प्रोटोटाइप एकाउस्टिक पिंगर प्रणाली आदि के निर्माण संभव हो सका। इसके अतिरिक्त जल भीतर ट्रांसड्यूसर के लिए परीक्षण और कैलीब्रेशन की प्रक्रिया भी स्थापित की गई।

वर्ष 2002-03 के लिए गतिविधियां और कार्यक्रम

24. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान अन्टार्कटिका के लिए 22 वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजा जायेगा और अंटार्कटिका में दूसरा स्थायी भारतीय स्टेशन स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा पोलर रिमोट सेंसिंग दक्षिण महासागर समुद्र विज्ञान और पेलिओक्लाइमेटोलोजी के क्षेत्र में कोर क्षमता और अनुसंधान कार्यक्रम, गतिविधियां शुरू होंगी। एक बहु संस्थागत और बहु प्रयोजनीय 100 दिन का एक चक्कर दक्षिणी सागर में एक आइस क्लास वाहन को किराये पर लेकर लगाया जाएगा। इस वाहन में समुद्री अनुसंधान के आंकड़े अधिग्रहण करने और सेडीमेंट कोरस को पुनः प्राप्त करने की सुविधा होगी। समुद्र से औषधियां कार्यक्रम के अधीन मधुमेह और डायरिया रोधी दवाइयों के नियामक फार्माकोलोजी और टेक्सीकोलोजी परीक्षणों को किया जायेगा।

25. बहुधात (पोलीमेटालिक) नोड्यूल कार्यक्रम के अंतर्गत ये गतिविधियां शामिल हैं- नियंत्रित क्षेत्र में भू-सांख्यिकी संसाधन मूल्यांकन का अद्यतन करना, सेंट्रल इण्डियन ओशन बेसिन (सी.आई.ओ.बी.) में नियंत्रित क्षेत्र में नोड्यूल की बहुत भारी संख्या का पता लगाने और मान्यकरण के लिए चयनित स्थल के साथ-साथ बहु-फ्रीक्वेंसी खोज प्रणाली द्वारा सर्वेक्षण, परीक्षण और नियत क्षेत्र में नमूने एकत्रित ई.आई.ए. अध्ययन, मैंगनीज नोड्यूल एकत्र करने और कलेक्टर तथा क्रशर का विकास और उसकी व्याख्या करने के लिए जल के भीतर खनन प्रणाली लागू करना, भूमि परीक्षक यंत्र का विस्तृत डिजाइन, मैकेनिकल फ्रेम बनाना, हाइड्रोलिक पावर पैक को जोड़ना और एकीकरण आदि, जल के भीतर एकत्र करने की प्रणाली और 6000 मी. गहरे पानी में से एकीकृत गहरा समुद्र खनन प्रणाली द्वारा मैंगनीज नोड्यूल निकालने की प्रणाली के डिजाइन का विकास, पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था सहित क्रालर हाइड्रोलिक्स का रुपांतरण, उचित स्थान पर क्रालर के कार्य निष्पादन का प्राथमिक प्रदर्शन तथा पुर्जों का विकास/गहरा समुद्र प्रौद्योगिकी की प्रायोगिक जांच। दूर संचालित वाहन कार्यक्रम के अधीन आर.ओ.बी. उप प्रणाली के लिए विस्तृत डिजाइन तैयार करना, केज उप प्रणालियों, प्रबंधन, कन्सोल उप प्रणालियां और नियंत्रण वैन प्रणालियों और उन्हें स्वरूप देने संबंधी कार्य किये जायेंगे। राष्ट्रीय मेटालर्जीकल प्रयोगशाला, जमशेदपुर में मैंगनीज को लीच अपशिष्ट से निकालने के लिए प्रक्रिया पैकेज तैयार करने का काम जारी रहेगा। इसके अलावा धातु को अधिक मात्रा एवं स्वच्छ रूप में निकालने के लिए प्रक्रिया में सुधार संबंधी सहायता अध्ययन शुरू किये जायेंगे।

26. दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कुछ अन्य कार्यक्रम लिये जायेंगे जैसे (एक) सम्पूर्ण विशिष्ट आर्थिक जोन (ई.ई.जेड) की व्यापक स्वाथ बैथिमीट्री, (दो) गहरा सागर खनिज संसाधन अन्वेषण, (तीन) बंगाल की खाड़ी फैन (बी.ई.एन.एफ.ए.एन) कार्यक्रम ।

अंतरिक्ष विज्ञान

वर्ष 2001-02 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

27. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 18 अप्रैल, 2001 को श्री हरिकोटा से जी.एस.एल.वी की प्रथम सफल परीक्षण उड़ान को अति महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। उस उड़ान से निःसंदेह यह स्पष्ट हो गया कि भारत के पास जिओ सिन्क्रोनस ट्रांसफर आर्बिट में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता है। विश्व में भारत छठा ऐसा देश है जिसके पास यह क्षमता है। जी.एस.एल.वी का भेजना एक दशक लंबे समय से किये जा रहे जटिल विकास प्रयासों की सफलता है। इनमें क्रायोस्टेज भी शामिल है जो आई.एस.आर.ओ ने पहली बार सम्पन्न किया है।

28. इस वर्ष के दौरान एक अन्य मील का पत्थर तब स्थापित हुआ जब श्री हरिकोटा से 22 अक्टूबर, 2001 को पी.एस.एल.वी-सी3 ने सफल उड़ान भरी। पी.एस.एल.वी द्वारा तीन उपग्रहों (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह (टी.ई.एस) (दो) बेल्जियन पी.आर.ओ.बी.ए तथा (तीन) जर्मनी के बी.आई.आर.डी को इच्छित पोलर सन-सिन्क्रोसिस आर्बिट में स्थापित किया गया। इस उड़ान से पी.एस.एल.वी की विश्वसनीयता और बहुखण्डीय उपग्रहों को बहु कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता सिद्ध हो गई। टी.ई.एस उपग्रह में एक पेनक्रोमेटिक कैमरा लगा हुआ है जिसमें

1 मीटर तक आकाशीय रेजलूशन आ जाता है। इससे भारत में दूरस्थ जानकारी लेने की प्रौद्योगिकी को और बढ़ावा मिला है। इसके द्वारा सम्मुन्नत अंतरिक्ष यानों के परीक्षण और इससे भविष्य में उच्च इमेजिंग प्रणालियों के लिए संबद्ध पेलोड प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिलेगी।

29. इस वर्ष क्रायो इंजिन का 12 मिनट तक सफल परीक्षण हुआ। यह अवधि जी.एस.एल.वी की उड़ान अवधि के बराबर थी जिसे देशी क्रायोजीनिक अपर स्टेज परियोजना की एक अति महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इस परीक्षण के द्वारा उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परस्पर निकट सहयोग के आई.एस.आर.ओ द्वारा डिजाइन तैयार करने और बहुदेशीय विकास के प्रयासों की सफलता और इस सूक्ष्म संवेदनशील तथा जटिल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से आई.एस.आर.ओ की क्षमता सिद्ध हो गई। दूसरे प्रक्षेपण स्थल (लांच पैड) का कार्य अच्छी प्रगति पर है और मुख्य सिविल निर्माण कार्य जैसे जिसमें मुख्य संरचनाएं अम्बीलिकल टावर तड़ित वचाव चल प्रक्षेपण स्थल (मोबाइल लांच पेडेस्टल) खड़ा करने और मशीनी, प्रक्रिया तथा विद्युत नियंत्रण और उपकरणों तथा औजारों संबंधी कार्य पूरा होने वाला है।

30. वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास का काम है उच्च निष्पादन संयुक्त मोटर एच.पी.एम. का पी.एस.एल.वी के तीसरे चरण हेतु सफल परीक्षण। एम.ई.टी.एस.ए.टी को जी.टी.ओ में भेजने हेतु, यह एच.पी.एम, पी.एस.एल.वी की पे लोड उठाने की क्षमता में वृद्धि करेगा। वर्ष के दौरान अंतरिक्ष केपसूल पुनः प्राप्त करने के प्रयोग और जी.एस.एल.वी. एम के-तीन परियोजना का काम भी शुरू किया गया। अंतरिक्ष केपसूल पुनः प्राप्ति प्रयोग जिसे 2003-04 में पी.एस.एल.वी के द्वारा छोड़ा जायेगा, का उद्देश्य पुनः वापसी संबंधी जटिल प्रौद्योगिकी का विकास तथा माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करना है। जी.एस.एल.वी. एम. के तीन, जिसका उद्देश्य एक कम लागत के प्रक्षेपण (लांच) वाहन को बनाना है जिससे 4 टी. इनसेट किस्म के उपग्रह को भेजा जा सके, को व्यापक अध्ययन के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है।

31. इन्सेट कार्यक्रम के अधीन 24 जनवरी, 2002 को इन्सेट-3 सी उपग्रह का सफल प्रेषण इस वर्ष की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और इसे प्रचालन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इस उपग्रह ने इन्सेट की अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता में काफी वृद्धि की है और विभिन्न प्रयोक्ताओं को यह निश्चित तथा उपग्रह प्रसारण सेवा और चल उपग्रह सेवा प्रदान कर रहा है। एम.ई.टी.एस.ए.टी उपग्रहों के लिए, जिन्हें 2002 के शुरू में पी.एस.एल.वी द्वारा भेजे जाने की योजना है, पेलोड और अंतरिक्ष यान निर्माण के काम में वर्ष के दौरान काफी प्रगति की गई है। इस उपग्रह में बहुत उच्च रिजोल्यूशन रेडियोमीटर लगा है (वी.एच.एच.आर) और इसका प्रयोजन साइक्लोन का पता लगाने और चेतावनी देने और मौसम के पूर्वानुमान के लिए आंकड़े इकट्ठा करना है।

32. दूर सर्वेदन (रिमोट सेंसिंग) गतिविधियों का कई नये क्षेत्रों में प्रसार जारी है। इन आंकड़ों से बाढ़, भूकम्प से हुई क्षति का पता लगाने और राहत कार्यों में सहयोग देने में मदद मिलती है। आई.आर.एस. का एक अन्य व्यावहारिक प्रयोग है हिमालय में महत्वपूर्ण पर्यटन एवं तीर्थ यात्रा स्थलों के साथ रास्तों में भूस्खलन आपदा भरे क्षेत्रों का पता लगाना ताकि भूस्खलन आपदाओं का

नयूनीकरण किया जा सके। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग, उपग्रह के चित्रों की मदद से अपशिष्ट भूमि का मानचित्रिकरण करना था जिसके अंतर्गत व्यापक अपशिष्ट भूमि की एटलस तैयार की गई जिससे ऐसी भूमि के विकास हेतु, महत्वपूर्ण योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

33. विकासात्मक कार्यों के लिए 'ग्रामसेट- उपग्रह आधारित नेटवर्क का विस्तार करने में काफी प्रगति हुई है। झबुआ नेटवर्क का विस्तार पूरा हो गया है और मध्य प्रदेश के तीन जिलों में विकासात्मक संचार कार्यक्रम के लिए 1000 डी.आर.एस लगाये गये हैं। ग्रामसेट - उपग्रह आधारित नेटवर्क उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और गोवा में भी स्थापित किए गए हैं। गत वर्ष शुरु किये गये दूर-चिकित्सा मिशन को कर्नाटक और एन.ई.सी. में भी क्रियान्वित किया गया है।

वर्ष 2002-03 के लिए गतिविधियां और कार्यक्रम

34. 2002-03 के दौरान मुख्य रूप से इन्सेट प्रणाली क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्सेट -3 ए और इन्सेट 3 ई उपग्रहों को प्रेक्षित करने और उन्हें प्रचालित करने और चौथी पीढ़ी के इन्सेट-4 श्रृंखला पर काम शुरु करने पर बल दिया जायेगा। एम.ई.टी.एस.ए.टी-1 के प्रक्षेपण और प्रचालन के काम को 2002-03 में करने की योजना है ताकि मौसम संबंधी आंकड़े मिल सकें तथा इन्सेट -3 डी के लिए उन्नत मीट्रोलोजीकल पे लोड विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। आई.आर.एस. कार्यक्रम के अधीन वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रिसोर्ससैट आई.आर.एस-पी6 को प्राप्त करना है ताकि रिमोट सेंसिंग आंकड़े एकत्र करने के काम को जारी रखना। कारटोसैट-1 (आई.आर.एस-पी5) परियोजना के काम को काफी आगे बढ़ाने का लक्ष्य है यह आशा की जा रही है कि उपग्रह के पुर्जा को एकत्र करने, जोड़ने और परीक्षण का काम पूरा हो जायेगा ताकि 2003 के शुरु में अंतरिक्ष यान भेजा जा सके। राडार इमेजिंग उपग्रह (आर.आई.एस.ए.टी-1) पर भी वर्ष के दौरान काम शुरु किया जायेगा ताकि कृषि और आपदा प्रबंधन सहायता सहित जटिल प्रयोग के लिए हर मौसम में काम करने की क्षमता प्राप्त हो सके।

35. प्रक्षेपण वाहन के क्षेत्र में वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान दूसरे प्रक्षेपण स्थल को श्री हरिकोटा में तैयार करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसमें प्रक्षेपण स्थल का एकीकरण, परीक्षण और उसका चालू किया जाना शामिल है। दूसरे प्रक्षेपण स्थल के बनने से प्रचालित प्रक्षेपण सेवाएं शीघ्रता से प्रदान की जा सकेगी और साथ ही वर्तमान प्रक्षेपण स्थल के साथ एक अतिरिक्त प्रक्षेपण स्थल उपलब्ध हो जायेगा। देशी क्रायोजीनिक अपर स्टेज परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त इंजिनो की प्राप्ति, इंजिन परीक्षण कार्यक्रम पूरा करना और प्रोटोस्टेज की तैयारी के लिए प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2002-03 के दौरान जी.एस.ए.टी.-2 को ले जाने हेतु, जी.एस.एल.वी-डी2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान और एम.ई.टी.एस.ए.टी तथा रिसोर्स सैट-2 के प्रक्षेपण के लिए पी.एस.एल.वी. की प्रचालक उड़ान अन्य अति महत्वपूर्ण काम हैं। गत वर्ष जी.एस.एल.वी. एम.के-III और अंतरिक्ष कैपसूल पुनः प्राप्ति प्रयोग संबंधी शुरु किए कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जायेगा।

36. अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में ग्रामसेट नेटवर्क के अंतर्गत राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, उत्तरांचल, अण्डमान और निकोबार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को भी लाने

पर ध्यान दिया जायेगा। विभिन्न अनुप्रयोग उद्देश्यों जैसे राष्ट्रीय पेय जल मिशन, फसल उत्पादन और प्रति एकड़ अनुमान, जैव विविधता चित्रण और सूखा/बाढ़ निगरानी के प्रयास जारी रहेंगे। वर्ष के दौरान ए.एस.टी.आर.ओ.एस.ए.टी मिशन के अंतर्गत विस्तृत ऊर्जा बैंड में एक्स रे अवलोकन के लिए अंतरिक्ष विज्ञान पेलोड का विकास करने की दिशा में काफी तरक्की करने की योजना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वर्ष 2001-02 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

37. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नये और उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों को तेज करने के प्रयास जारी रखे हैं। विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद (एस.ई.आर.सी) ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों विशेषकर उनमें जो अंतर विषयक हैं और, बहु संस्थागत कार्यक्रमों वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बहु संस्थागत कार्यक्रमों वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को सहायता दी है और प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया है। पेटेंट सुविधा सैल (पी.एफ.सी) की सहायता से वर्ष के दौरान अब तक एस.ई.आर.सी निधि पोषित परियोजनाओं में से सात के लिए पेटेंट आवेदन किये हैं। नैनो-मेट्रियल्स के क्षेत्र में नई पहल की गई है जिनका प्रयोजन मूलभूत तथा नैनो मेट्रियल्स क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को और मजबूत करना है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अधीन 120 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और युवा वैज्ञानिकों के लिए एस.ई.आर.सी फास्ट ट्रैक स्कीम के अंतर्गत 115 नई परियोजनाओं को सहायता दी गई। स्थाई चुम्बक ब्रुशरहित मोटर के एनालॉग नियंत्रक का उद्योग के साथ मिल कर व्यावसायीकरण किया गया और इसे सी.एन.सी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। वायु से नाइट्रोजन, आक्सीजन और आर्गन अलग करने के लिए उच्च चयनित और क्षमता वाले उन्नत शोषक तैयार किये गये हैं। 'डी.आर.डी.ओ' से भी आंशिक निधि प्राप्त हुई। संवेदनशील तथा जटिल उपकरणों पर मोटी परत और पतली परत चढ़ाने के लिए इलैक्ट्रान बीम फिजीकल वेपर डीपोजिशन प्रौद्योगिकी संबंधी एक मुख्य परियोजना को सहायता दी गई। जिसमें निधि जिन अनेक अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना के लिए मदद दी गई उनमें ये शामिल है- ए.आर.सी. हैदराबाद में इलैक्ट्रान बीम पी.वी.डी. प्रणाली, आई.आई.टी मुंबई और चैन्नई में एन.एम.आर सुविधा और आई.आई.एस.सी बंगलौर में संरचनात्मक रसायन विज्ञान एकक फेस-II, के लिए एकल स्फटिक (क्रिस्टल) डिफ्रेक्शन सुविधा। कम तापीय-उच्च चुम्बकीय क्षेत्र सुविधा, नान लीनियर डायनेमिक्स, हैदराबाद विश्वविद्यालय में नेशनल सिंगल क्रिस्टल एक्स रे डिफ्रेक्टोमीटर सुविधा, बड़ी गामा किरण (रे) डिटेक्टर सुविधा आदि का काम भी शुरू किया गया।

38. हिमालय के विभिन्न भागों में चयनित स्थानों में संरचनात्मक जानकारी एकत्र करने हेतु 200 शक्तिशाली गति उपकरण लगाये गये हैं। इन उपकरणों से चमोली (मार्च.1999) और भुज (26 जनवरी,2001) में हाल ही में आये बड़े भूचालों और अन्य घटनाओं के बारे में बहुत मूल्यवान आंकड़े एकत्र किये गये हैं। भूकम्प के बारे में बिल्कुल ठीक-ठीक आंकड़े एकत्र करने हेतु वर्तमान भूकम्प मापी नेटवर्क को नेशनल सीसमोलोजी डाटा सेंटर, आई.एम.डी के साथ वी-एस.ए.टी के जरिये जोड़ने के लिए एक परियोजना के लिए नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज नई दिल्ली को मंजूरी दे दी है। स्थायी भूगोलीय स्थितिक प्रणाली (जी.पी.एस) स्टेशन हानले,

अल्मोड़ा, कोडिकनाल, लेह, धर्मशाला, देहरादून, ईटानगर, पुणे, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम में स्थापित कर लिये गये हैं और लखनऊ, जबलपुर, दिल्ली, शिलांग और धनबाद में काम चल रहा है। भुज में हाल ही में आये भूचाल के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जी.पी.एस के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को कच्छ के रन में शुरू किया है ताकि भुज भूचाल के केंद्र स्थल के निकट क्षेत्र में आई खराबी की निगरानी हो सके। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली में एक भूचाल जोखिम मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जा रहा है ताकि भूकम्प तथा भू-भौतिकीय संबंधी उपलब्ध सभी जानकारी और आंकड़ों का मिलान तथा समेकन किया जा सके और देश के लिए भूचाल जोखिम मानचित्र बनाये जा सकें।

39. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम शुरू किये जाने के कारण कई उपकरणों का निर्माण हुआ है जैसे रबड़ में फैलने वाले काले कार्बन को नापने हेतु, डिस्परग्राफ, सेरामिक हयुमिडिटी सेंसर, सफेद चीनी निर्माण प्रक्रिया में मिक्सड जूस के बहाव के स्टेबिलाइजेशन के लिए कम्प्यूटर नियंत्रित प्रणाली, पोर्टेबल एनालिटिकल एक्स रे इमेजिंग प्रणाली, शटल करधों के लिए रैपिंग मशीन की क्रील के लिए इलैक्ट्रॉनिक नियंत्रक, इम्यूनोथेरापी तथा डी.एन.ए ट्रांसफ्यूजन के लिए इलैक्ट्रोफ्यूजन उपकरण, एनेसथीसिया वेंटीलेटर, माइक्रोप्रोसेसर आधारित ई.सी.जी सिमुलेटर, भारतीय कपास में पाए जाने वाले अपद्रव्यों को अलग करने के उपकरण आदि।

40. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को दो डॉपलर राडार प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक को चैन्नई में लगाया गया है और दूसरे को कोलकाता में लगाने पर काम हो रहा है। ई.एस.आर.ओ. द्वारा देश में तैयार एक डॉपलर राडार का सिविल निर्माण कार्य भी श्रीहरिकोटा (आं.प्र.) में पूरा हो गया है। आंध्र प्रदेश के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना के अधीन 3 डॉपलर राडारों और 10 अति तीव्र रिकार्डरों (एच.डब्ल्यू.एस.आर) को प्राप्त करने का काम पूरा हो गया है। दस एच.डब्ल्यू.एस.आर तटीय स्टेशनो में लगाये गये हैं और स्कोपग्राफों के दो सेटों में से एक को दिल्ली और दूसरा कोलकाता हवाई अड्डों पर विमानों के स्वतः उतरने के लिए लगाया गया है। एम.ई.टी.एस.ए.टी और इन्सेट-3ए भू-केंद्रों (अर्थ स्टेशन) को उन्नत करने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा सीसमोलोजीकल टेलीमीटरी प्रणाली के अंतर्गत तीन भू-कम्प मापी यंत्र लगाये गये। मई, 2001 से एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ ने मौसम के पूर्वानुमान को सातों दिन और साप्ताहिक संचयी वर्षा के पूर्वानुमान बताने का कार्यक्रम शुरू किया है। प्रतिदिन विशिष्ट स्थल के बारे में 81 ए.ए.एस.एककों को भेजी जाने वाली मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के टेम्पोरल रेंज को वास्तविक समय आधार पर, अप्रैल, 2001 से 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया है। साप्ताहिक संचयी वर्षा संबंधी पूर्वानुमान के बारे में 81 ए.ए.एस. एककों को भी अप्रैल, 2001 से जानकारी जारी की जा रही है। इलाहाबाद कृषि संस्थान में एक और ए.ए.एस एकक खोलने से कुल संख्या 82 हो गई है। एन.सी.एम आर डब्ल्यू.एफ ने भारतीय सेना पर्वतारोहन के पांच मई से 28 मई, 2001 तक माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए बादलों, हिमपात, तेज आंधी और ताप के बारे में पूर्वानुमान की जानकारी दी। एक 24-प्रोसेसर के एस.वी-1 प्रणाली मई, 2001 में लगाई गई। नेटवर्क पर काम कर रहे वी.एस.ए.टी की संख्या बढ़कर 75 हो गई। इस समय कुल 81 कृषि मौसम विज्ञान पूर्वानुमान एकक (ए.एम.एफ.यू) काम कर रहे हैं। ए.एम.एफ.यू को पूर्वानुमान का संदेश देने के लिए इंटरनेट का सफल प्रयोग एक विकल्प के रूप में किया गया है।

वर्ष 2002-03 के लिए गतिविधियां और कार्यक्रम

41. वर्ष 2002-03 के दौरान शैक्षणिक क्षेत्रों विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसंधान परियोजनाओं को सहयोग देने पर बल दिया जायेगा। इसके अलावा अनेक सुविधाओं और केंद्रों की स्थापना की जायेगी जैसे राष्ट्रीय क्लिनिकल परीक्षण केंद्र, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्लो-सोयटोमीटरी और सैल पृथकीकरण के नये प्रयोग की सुविधा, कम ताप - उच्च चुम्बकीय क्षेत्र सुविधा, राष्ट्रीय भू-रसायन अनुसंधान सुविधा, हाई रिजोल्यूशन एन.एम.आर सुविधा, राष्ट्रीय विषाणुरोधी गतिविधि जांच सुविधा, फार्माकोकीनेटिक, मेटाबोलिक अध्ययन आदि। नानो- मेटिरियल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत नानो-मेटिरियल में मूलभूत अनुसंधान और प्रयोगोन्मुख कार्यक्रमों के लिए सहयोग दिया जायेगा। विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरचनाओं में सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों, नेटवर्किंग और कम्प्यूटर सुविधा तथा आधारभूत सुविधा और अनुरक्षण हेतु मदद दी जायेगी। प्राकृतिक संसाधन आंकड़े प्रबंधन प्रणाली (एन.आर.डी.एम.एस) के अंतर्गत नये एन.आर.डी.एम.एस आंकड़ा केंद्र बनाये जायेंगे, 'स्पेटियल- आंकड़ा प्रबंधन यन्त्रों का विकास और उनकी प्रसार और नई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की जायेंगी। बांस उत्पाद प्रौद्योगिकी और उपकरण तैयार करने के लिए मिशन मोड कार्यक्रम बनाये जायेंगे ताकि बांस का उपयोग करने की तकनीक विकसित हो सके और विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, पर्यावरण/प्रदूषण की निगरानी के लिए उपकरण और इमेजिंग आदि प्रौद्योगिकियां का विकास हो सकें। तपेदिक, कोढ़, मलेरिया, ल्यूकोडरमा, मधुमेह आदि बीमारियों के लिए सहयोगी शोध परियोजनाओं हेतु समर्थन दिया जायेगा। इसके अलावा पशुओं की दवाइयां और जडी-बूटियों से दवाइयां बनाने हेतु सहयोग दिया जायेगा। विज्ञान और अनुसंधान उद्यम विकास कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर्स के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा और पहले से चालू गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्यापन और अनुसंधान के संबंध में अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए विश्वविद्यालयों में पीठ स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा विज्ञान और अनुसंधान प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान और खगोल तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक सवायत्तशासी परिषद की स्थापना की जायेगी।

42. भारत मौसम विज्ञान विभाग की मुख्य गतिविधियां ये हैं- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षित और कुशल हवाई उड़ानों के लिए लेजर सीलोमीटर के दस सेट लगाना, तीन डापलर मौसम राडारों की खरीद, 100 तूफान चेतावनी आपदा प्रणालियां (सी.डब्ल्यू.डी.एस) और 10 अति तेज आंधी की गति रिकार्डर्स (एच.डब्ल्यू.एस.आर) की खरीद जिन्हें विश्व बैंक की मदद से आंध्र प्रदेश परियोजना के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी तटों पर लगाया जायेगा। इसके अलावा मौसम संबंधी आंकड़ों के प्रभावी ट्रांसमिशन के लिए तीन उच्च फ्रिक्वेंसी के ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे और वायु प्रदूषण प्रयोगशाला, पुणे का आधुनिकीकरण किया जायेगा। राष्ट्रीय उपग्रह आंकड़ा केंद्र आई.एम.डी मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थापित किया जायेगा। और इन्सेट 3डी उपग्रह से मिले मौसम के बारे में आंकड़ों की प्राप्ति और प्रक्रिया हेतु, ग्राउंड सेगमेंट स्थापित किया जायेगा। भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केंद्र आई.एम.डी मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थापित किया जायेगा। राष्ट्रीय मध्यम रेज मौसम पूर्वानुमान केंद्र उपग्रह आंकड़ों और व्याख्या तकनीकों के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा वैश्विक/क्षेत्रीय पूर्वानुमान माडलों, में निरंतर सुधार करके आकाशीय (स्पैटियल)

रिजोल्यूशन, रेंज और सटीकता में वृद्धि करेगा। कुछ कृषि मौसम विज्ञान पूर्वानुमान एककों (ए.एम.एफ.यू) के लिए उपयुक्त मेसो-स्केल माडल चालू किए विज्ञान जायेंगे जो विशिष्ट स्थल मौसम पूर्वानुमान के लिए लघु आकाशीय क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे। पहाड़ों के मौसम विज्ञान और मौसम रूपांतरण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त मेसो स्कोल और बादल स्केल माडल तैयार होंगे और उन्हें चालू किया जायेगा। नेशनल एटलस एण्ड थीमेटिक मैपिंग संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ) भारत की राष्ट्रीय एटलस, भारत की स्वास्थ्य और बीमारी एटलस, भारत की उपग्रह एटलस आदि के अलावा उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्य एटलसों की समीक्षा करेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग डिजिटल कार्टोग्राफी, डिजिटल फोटोग्रामीटरी और जियोडेसी में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करेगा और मुद्रण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेगा।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

वर्ष 2001-02 के दौरान गतिविधियों की समीक्षा

43. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर) का मुख्य कार्य देश में औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना, नई विकास प्रौद्योगिकियों का विकास और उद्ग्रहण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और विकास परामर्शदात्री क्षमता का विकास करना और सूचना प्रणालियों को सहयोग देना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा उसकी अनेकों राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करता है। वर्ष के दौरान इस विभाग द्वारा दी गई निधि से पूरी की गयी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं- संयंत्र में ही सामग्री सम्भालने के उपकरण का विकास, कम ऊर्जा खपत वाली सुखाने की प्रणाली, 5 एक्सिज वाली सी.एन.सी आंतरिक पिसाई मशीन, फरफूरिअल अल्कोहल निर्माण प्रक्रिया, निकल निकालने की प्रक्रिया आदि। 73 नये इन-हाउस अनुसंधान और विकास एककों और 22 नये एस.आई.आर.ओ. को वर्ष के दौरान मान्यता दी गई। अनुसंधान और विकास के लिए आयात पर सीमा शुल्क छूट और इसी काम के लिए घरेलू खरीद पर उत्पाद शुल्क छूट लेने के लिए 50 सरकारी निधि पोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों को विभाग में पंजीकृत हुई। तकनीक उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत एक ओर झुकने वाली नई बैलगाड़ी और बैलों से चलने वाले जेनरेटर तथा उसके कल-पुर्ज तैयार किये गये।

44. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी 39 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के विकास हेतु वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आदान देना जारी रखा। औद्योगिक क्षेत्र में इसने भारतीय उद्योग के साथ मिलकर इन उद्योगों में सहयोग किया- चर्म, इस्पात, पेट्रो रसायन, औषधि तथा दवाइयां आदि। इसने नागरिक विमानों के उद्योग में भी हंस विमान का डिजाइन और कल-पुर्जों को जोड़ने का काम पूराकर भारतीय उद्योग के साथ नए आयाम स्थापित किए हैं। हंस दो सीटों वाला पूरा विमान है, और दूसरा विमान 14 सीटों वाला हल्का यातायात विमान सारस है। हंस-3 प्रशिक्षक विमान के निर्माण की प्रौद्योगिकी का एक निजी कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है और 5 विमानों के आर्डर के साथ इस विमान का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। इस परिषद की प्रयोगशालाओं ने राष्ट्र के देशी संसाधनों से आय में वृद्धि करने और उसे टिकाऊ बनाने में सहायता की है। इस समय भारत पोल पदीने

(मिट) के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि सी.आई.एम.ए.पी ने पुदीने की अधिक उपज वाली किस्में तैयार की हैं। इसी प्रकार ताजे अदरक से तेल निकालने के तकनीक का विकास किए जाने से पूर्वोत्तर में प्रति दिन 10 टन तेल निकालने का संयंत्र लगाया गया है। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद की अनुसंधान और विकास क्षेत्र में और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं: पपीते की नर जाति का पता लगाने के लिए डी.एन.ए मार्कर बनाना, बहुमुखी यूनीवर्सल पोलीमर आधार का विकास न्यूकलियोटाइडिक सामग्री रहित है और सिथेसिस जो कि व ओलिगोडियोक्सीरिबो और ओलिगोबायो-न्यूकलिओटाइडस के असुरक्षिकरण की वर्तमान प्रक्रिया के अनुरूप नई वनस्पति आधारित मलेरिया रोधी औषधि ई-माल तैयार करना जो शीघ्र और कम समय में बुखार उतारती है तथा बार-बार होने वाले मलेरिया के ईलाज के लिए 'बुलक्विन' नई औषधि तैयार करना जिसका कोई विपरीत असर भी नहीं होता जैसा कि प्राइमाक्विन लेने से होता है, अस्थमा के लिए जड़ी-बूटियों से एक नई दवाई 'आसमोन' तैयार करना जिसकी विश्व भर में सराहना हुई है, 18 जड़ी बूटियों से नई हिपाटो-प्रोटेक्टिव औषधि बनाना जो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार है, फटी एडियों, कार्न एक्जिमा और प्रसाधन के लिए जड़ी-बूटियों से बनी तीन क्रीमें बनाना इत्यादि। निजी कम्प्यूटरों (पी.सी) को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला परमाणु घड़ी से दूर जोड़ने के लिए एक साफ्टवेयर बनाया गया है जिससे वास्तविक समय घड़ी स्वयं ठीक हो सकेगी। इसके अलावा फ्लाइ एश वाली मिट्टी को सुधारने का तरीका विकसित किया गया और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी और कृषि के लिए विभिन्न जलवायु में फ्लाइ एश को अलग-अलग अनुपात में मिट्टी में इस तकनीक का व्यापक प्रदर्शन किया गया ताकि दालों, जड़दार, फलीदार सब्जियों की फसलें उगाई जा सकें। हल्के लडाकू विमानों के उड़ान आंकड़ों को दिखाने के लिए एक हैड-अप प्रदर्शन का विकास कर इस तकनीक को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दे दिया गया है। बौद्धिक सम्पदा के मामले में इस परिषद (सी.एस.आई.आर) ने विश्व भर में पारम्परिक ज्ञान को मान्यता तथा विशेषाधिकार की स्थिति प्रदान करने की परिकल्पना पर बल दिया है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारम्परिक ज्ञान के बारे में उपयुक्त रूप से तैयार दस्तावेजों और वर्गीकृत बौद्धिक सम्पदा को आई पी आर प्रदान करने से पहले पूर्व खोज के लिए मान्यता दी गई है। पेटेंट के अभ्यावेदन के मामले में भी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अग्रणी है और उसने भारत में 410 और विदेशों में 583 पेटेंट के लिए आवेदन किया है। मानव संसाधन विकास के मामले में परिषद ने देश में अनुसंधान और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधिक कुशल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा प्रौद्योगिकीविदों को आकर्षित करने और उनकी सहायता करने के लिए सराहनीय काम जारी रखा है। स्नातकोत्तर स्तर पर सृजनात्मकता और अन्वेषणात्मक विचारधारा को मान्यता देने के लिए नई स्कीम श्याम प्रसाद मुखर्जी फ़ैलोशिप शुरू की है। परिषद ने दूसरे संसाधनों की लगभग 200 अनुसंधान स्कीम को पोषित किया और इसके अलावा लगभग 200 कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अनुसंधान फ़ेलोशिप तथा एसोसियेटशिप प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए एक जल शुद्धिकरण डिस्क का निर्माण किया है जिसे गांव का कुम्हार भी लाल मिट्टी, रेत, और बुरादे के मिश्रण से पानी साफ करने के लिए बना सकता है। इस डिस्क को मिट्टी के घड़े या बाल्टी में लगाया जा सकता है और यह पांच साल तक चल सकती है। इसके अलावा एक मानव चालित छिद्रों वाले (अल्ट्रापोर मेम्बरेन) जल शोधक को भी बनाया गया जो कीटाणुओं और रोगाणुओं को भी दूर कर सकता है।

वर्ष 2002-03 के लिए गतिविधियां और कार्यक्रम

45. प्रौद्योगिकी निर्माण के कार्य में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान विभाग उद्योगों में नई प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी व्यापार तथा संगत सेवाओं आदि को सहयोग देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विकास और उपयोगिता कार्यक्रमों को आगे बढ़ायेगा। सौर सैल और एस.पी.वी प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों आदि के उत्पादन हेतु और तकनीकी के आन्तरिक हस्तारण, निर्यात व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों नामतः केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स लि० और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को सहयोग दिया जायेगा।

46. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने दसवीं पंच वर्षीय योजना और वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान कार्यक्रम को परियोजना के रूप में चलाने की रणनीति बनाई है जिससे भारतीय उद्योग को विश्व में प्रतियोगी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास हो, जनता की अति जरूरी जरूरतों का ईमानदारी से और बढ़िया समाधान ढूँढा जाये और विज्ञान से लेकर प्रौद्योगिकी प्रबंधन व वित्त पोषण तक के सभी क्षेत्रों में नये अन्वेषण किये जा सकें। कार्यक्रमों को नेटवर्क के तरीके से चलाने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ध्यान देंगी। 55 कार्यक्रम/परियोजनाओं को शुरु करने का प्रस्ताव है जिनमें ये शामिल है- अस्थमा और अलर्जी की बीमारियों को कम करने का मिशन, छोटे नागरिक विमान के डिजाइन, विकास और निर्माण, नये कम्पाउंड और जैव परिवर्तन प्रक्रियाओं के लिए भारत की माइक्रोबायल सम्पदा की खोज व दोहन, औषधि लक्ष्यों के निर्धारण के लिए चयनित रोगजनकों की मोलिक्युलर जैव विज्ञान, हाइड्रोकार्बन खोज के लिए मेसोजोइक सेडीमेंट्स का अध्ययन, विश्व में मान्यता प्राप्त जडी-बूटियों से नये वैज्ञानिक उत्पाद, प्रदूषण निगरानी और उसे कम करने की प्रणालियां, बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए विशेष इलेक्ट्रान प्रौद्योगिकी, व्यापक पारम्परिक ज्ञान डिजीटल प्रलेखन और ग्रन्थालय, पर्यावरण अनुकूल चर्म प्रक्रिया प्रौद्योगिकियां। परिषद ने ऐसे कार्यक्रम लागू किये जाने का प्रस्ताव किया जिनके द्वारा विगत में किये गये निवेशों से लाभ उठाने के लिए प्रयोगशालाओं को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा जैसे विमान के लिए विशिष्ट सामग्री का उत्पादन, भारत की जनता में औद्योगिक रसायनों अनेक जहरीले प्रभावों का पता लगाने के लिए जैवमार्करों का विकास, समुन्नत मार्कर और अधिक गुणवत्ता वाले कम्पाउंड बनाने के लिए चिकित्सीय पौधों की किस्में तैयार करना, उत्प्रेरक प्रक्रियाएं और उत्प्रेरक संबंधी समेकित कार्यक्रम, आर्गेनिक रसायनों के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास, माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणालियों और सेंसरों का विकास, इन सिलिको जैविकी के प्रयोग से औषधि लक्ष्य तैयार करना, और अयस्कों व सकेंद्रों से धातु निकालने की जैव-खनिज प्रक्रिया। परिषद ने नये बाजारों के अवसरों को लक्ष्य करते हुए और भारतीय उद्योग के साथ मिलकर, विश्व में प्रतियोगी सक्षम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। उनमें कुछ ये हैं- वैश्विक प्रतियोगिता सक्षम रसायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों का विकास, फोटोनिक्स और ओपटो-इलेक्ट्रानिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास, आवश्यकता, अनुकूल विशिष्ट सामग्री का विकास, भूमि के भीतर कोयला क्षेत्रों में आपदा निवारण और प्रबंधन के लिए व्यापक प्रौद्योगिकी पैकेज, भौतिक-यांत्रिक, विद्युतीय

इलेक्ट्रॉनिक मानक तैयार करना, सागर अनुसंधान वाहन का अधिग्रहण, आनुवंशीय रूपांतरित भोजन के लिए परामर्शदायी केंद्रों की स्थापना, विश्वस्तरीय औषध अनुसंधान संस्थान की स्थापना आनुवंशीय रूपांतरित/इंजीनियरी वाली औषधियों की सुरक्षा परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय सुविधा बनाना इत्यादि।

47. परिषद की अधिकांश प्रयोगशालाएं लगभग 4 दशाब्धियां पुरानी हैं। वर्तमान संरचनाएं आधुनिक वैश्विक प्रतियोगिता सक्षम अनुसंधान और विकास विशेषकर गुणवत्ता जांचने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों जैसे जी.एल.पी, आई.एस.ओ., एन.ए.बी.एल की तरह मान्यता और सर्टीफिकेट देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अतः अभिसंरचनाओं के नवीकरण और उपकरण प्रदान करने की नई स्कीम वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान शुरू की जायेगी।

48 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को नई शताब्दि में भारतीय प्रौद्योगिकी के नेतृत्व हेतु पहल करने के लिए परिकल्पना और प्रबंध व्यवस्था करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसका उद्देश्य अन्वेषण केंद्रित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास को साधन बनाकर कुछ चयनित क्षेत्रों में देश को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में लाना है। परिषद ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परामर्श और विचारोद्बलन द्वारा टीम भावना से नौ 'स्टेट ऑफ आर्ट' परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें 55 अनुसंधान और विकास संस्थान और 20 औद्योगिक इकाईया शामिल हैं। अन्य आठ परियोजनाएं 2002-03 में शुरू कि जायेगीं।

49. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय/व्यय का व्यौरा संलग्नक 10.1 और 10.2 में दिया गया है।

केंद्रीय वैज्ञानिक विभाग योजना व्यय की प्रगति

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग/ एजेंसियां	नीवी योजना 1997-02 परिष्यय	वार्षिक योजना 2000-01		वार्षिक योजना 2001-02		नीवी योजना 1997-02 अनु. व्यय	वार्षिक योजना 2002-03 परिष्यय
			परिष्यय	वास्तविक	परिष्यय	संशोधित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	परमाणु ऊर्जा विभाग (अनु. एवं विकास)	1500.00	420.00	367.89	459.00	417.86	1523.75	535.00
2	महासागर विकास विभाग	510.62	135.00	79.89	142.00	120.00	452.93	175.00
3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग *	1497.35	362.00	340.22	410.00	398.00	1515.40	625.00
4	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	675.00	125.00	140.90	175.00	175.00	622.05	225.00
5	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	1327.48	355.00	314.84	360.00	340.42	1369.27	440.00
6	अंतरिक्ष विभाग	6511.72	1700.00	1593.98	1710.00	1600.00	6622.80	1950.00
	कुल योग	12022.17	3097.00	2837.72	3256.00	3051.28	12106.20	3950.00

राज्य योजना के अंतर्गत नौवीं योजना (1997-2002) के लिए वैज्ञानिक एवं
प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	9वीं योजना (1997-02) परिव्यय	2000-01 बजट अनुमान	2000-01 वास्तविक	2001-02 बजट अनुमान	2001-02 संशोधित अनुमान	9वीं योजना (1997-02) अनुमानित व्यय	वार्षिक योजना 2002-03 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	937.00	56.22	98.00 *	20.00	96.00	830.00	105.00
2	अरुणाचल प्रदेश	105.00	223.07	222.00	123.56 !	124.00	404.63	126.00
3	असम	1350.00	60.00	60.00	163.00	163.00	489.00	145.00
4	बिहार	2154.00 @	300.00	0.00	79.55	30.00	687.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	48.00
6	गोवा	308.00	65.00	56.00	25.00	25.00	187.00	35.00
7	गुजरात	3125.00	675.00 \$	272.00 \$	620.00 \$	6500.00 \$	8675.00	6524.00
8	हरियाणा	642.00	150.00	149.00	150.00	150.00	532.00	110.00
9	हिमाचल प्रदेश	600.00	146.00	146.00	नहीं	0.00	500.00	128.00
10	जम्मू कश्मीर	320.00	74.37	63.00	76.87	614.00	823.80	576.00
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00 *
12	कर्नाटक	2500.00	170.00	167.00	156.00	156.00	1079.49	182.00
13	केरल	7500.00 *	1885.00 *	1900.00 *	1750.00 *	1750.00 *	8343.00	2500.00 *
14	मध्य प्रदेश	935.00	162.00	134.00	170.00	170.00	663.00	172.00
15	महाराष्ट्र	885.00	181.30	347.00	200.00	145.00	1285.00	23.00
16	मणिपुर	720.00	75.00	44.00	नहीं	223.00	469.00	195.00
17	मेघालय	450.00	93.00	88.00	93.00	93.00	444.00	85.00
18	मिजोरम	291.00	90.00	90.00	110.00	110.00	386.00	110.0
19	नागालैंड	400.00	17.00	45.00	32.00	32.00	335.00	20.00
20	उड़ीसा	1655.00	215.68	1034.00	167.47	539.00	2946.48	320.00 **
21	पंजाब	3619.00	138.70	46.00	131.10	56.00	480.19	263.00
22	राजस्थान	1051.00	100.00	96.00	60.00	60.00	579.00	215.00
23	सिक्किम	800.00	70.00	80.00	नहीं	70.00	336.00	75.00

संलग्नक 10.2

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	9वीं योजना (1997-02) परिव्यय	2000-01 बजट अनुमान	2000-01 वास्तविक	2001-02 बजट अनुमान	2001-02 संशोधित अनुमान	9वीं योजना (1997-02) अनुमानित व्यय	वार्षिक योजना 2002-03 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	तमिलनाडु	2010.00	219.23	219.00	337.44	337.00	1268.93	204.00
25	त्रिपुरा	222.00	27.81	29.00	100.00	42.00	195.61	20.00
26	उत्तर प्रदेश	3080.00	462.00	400.00	462.00	462.00	2270.00	825.00
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	27.00	0.00	60.00	87.00	381.00
28	पश्चिम बंगाल	988.01	155.00 \$	723.00 \$	329.30 \$	3753.00 \$	4988.00	3507.00
	कुल राज्य	36647.01	5811.38	6535.00	5356.29	15807.00	23523.50	22874.00
	संघ राज्य क्षेत्र							
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	199.85	20.00	22.44	20.00	20.00	104.56	35.00
2	चंडीगढ़	37.00	18.00	16.50	32.00	32.00	85.97	15.00
3	दादर व ना. हवेली	30.00	6.00	7.50	6.00	6.00	32.19	6.00
4	दिल्ली	15.00	4.00	50.00	5.00	385.00	459.70	130.00
5	दमन और दीव	47.00	22.00	9.81	10.00	10.00	45.43	13.00
6	लक्षद्वीप	643.81	35.57	39.33	41.00	37.24	168.08	63.00
7	पांडिचेरी	60.00	35.00	25.53	35.00	35.00	120.65	35.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1032.66	140.57	171.11	149.00	525.24	491.34	297.00
	कुल योग	37679.67	5951.95	6706.11	5505.29	16332.24	29589.02	23171.00

- * पारिस्थिति एवं पर्यावरण सहित
- तकनीकी शिक्षा को छोड़कर
- । टी.एफ.सी. के लिए रखा गया परिव्यय सहित
- \$ सूचना प्रौद्योगिकी को छोड़कर
- ** प्रस्तावित परिव्यय सूचक नहीं -उपलब्ध नहीं।

अध्याय-11

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और पूर्वोत्तर भाग

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

कृतिपय क्षेत्रों की विशिष्ट भू-संरचना और उसके फलस्वरूप उनके सामाजिक आर्थिक विकास में आने वाली विशेष समस्याओं से निबटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

(1) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी)

2. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही चल रहा है और अभिहित पर्वतीय क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु, कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितकीय दृष्टि से इन क्षेत्रों के दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।

3. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति द्वारा 1965 में अभिहित पर्वतीय क्षेत्र निर्धारित किये गये थे। इनमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल थे। तथापि एक पृथक राज्य उत्तरांचल बनाये जाने के कारण पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्षेत्र शामिल हैं-

(क) असम-उत्तरी कछार और कर्बी एंगलोग के दो पर्वतीय जिले

(ख) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का बड़ा भाग

(ग) तमिलनाडु का नीलगिरी जिला

4. गत वर्ष कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान देने हेतु दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल ने अपने अंतिम प्रतिवेदन में कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने की सिफारिश की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितकीय अनुरक्षण और पारिस्थितकीय संतुलन को पुनः स्थापित करना ही है। तथापि यदि पारिस्थितकीय प्रणाली को बनाये रखना है तो लोगों की जरूरतों, विशेष रूप से आर्थिक जरूरतों को पूरा करना होगा। अतः इन क्षेत्रों का पारिस्थितकीय और आर्थिक विकास किया जाना है।

5. पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु प्रदान की गई विशेष केंद्रीय सहायता सामान्य राज्य योजना निधियों के अतिरिक्त है और राज्य सरकारों के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के प्रयासों की पूर्ति करती है। यह विशेष केंद्रीय सहायता राज्य की सामान्य योजना

गतिविधियों हेतु उपयोग करने के लिए नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और राज्य योजना स्कीमों के साथ समेकित किया जाना चाहिए। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं को इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कल्पित और अभिहित किया जाना चाहिए। इन्हें केवल पारंपरिक राज्य योजना की स्कीमों में बन कर नहीं रहना चाहिए।

6. पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु उपलब्ध विशेष केंद्रीय सहायता अब पर्वतीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अभिहित तालुकों के बीच 60:40 के अनुपात में बांटी गई है। विशेष केंद्रीय सहायता अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्र और आबादी के आधार पर दोनों मापदण्डों को समान महत्व देते हुए बांटी जाती है।

7. राज्य सरकारों को राज्य योजना और विशेष केंद्रीय सहायता से प्राप्त निधियों में से पर्वतीय क्षेत्रों को दी जाने वाली राशियों के लिए उन क्षेत्रों के बारे में एक उपयोजना बनानी चाहिए।

8. वर्ष 2000-2001 के दौरान 336 करोड़ रु० का आबंटन किया गया और इसे उन राज्यों को पूर्ण रूप से दिया गया जिन्होंने विशेष केंद्रीय सहायता का पूरा-पूरा उपयोग करने की जानकारी दी थी। कार्यक्रम की एक समीक्षा से पता चला कि दी गई राशि का एक बड़ा भाग असम के पर्वतीय जिलों में वेतन देने पर खर्च किया गया था (केंद्रीय विशेष सहायता का 50 से 60 प्रतिशत)। राज्य सरकार से ऐसी प्रणाली बनाने को कहा गया है जिसमें इस राशि से वेतन देने को धीरे-धीरे खतम किया जाये और पर्यावरण अनुरक्षण से संबंधित स्कीमों लागू की जायें। असम राज्य सरकार से कहा गया है कि वेतन घटक को 20-25 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य 2003-04 तक पूरा किया जाये और उसी अनुपात में पर्यावरण अनुरक्षण हेतु नई स्कीमों बनाई जायें।

9. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय विशेष सहायता की राशि 2001-02 के दौरान कम हो कर 95.54 करोड़ रु. रह गई क्योंकि उत्तरांचल को एक पृथक राज्य बन जाने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। यह 95.54 करोड़ रु० की पूरी राशि दे दी गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों को लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है।

10. वर्ष 2002-03 के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 95.54 करोड़ रु० की राशि का ही आबंटन किया गया है। वर्ष 2001-02 के और 2002-03 के दौरान राज्यों के अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि का व्यौरा तालिका 11.1 में नीचे दिया गया है।

11. वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रभाविता का तुलनात्मक मूल्यांकन अध्ययन किया गया। निष्कर्षों के बारे में बताने और सुधारात्मक उपायों के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई। प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/सुझावों पर काम शुरू करने हेतु इन राज्यों की सरकारों को कहा गया है।

तालिका 11.1

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2001-02 और 2002-03 के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का आबंटन
(करोड़ रुपये)

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में अभिहित क्षेत्र	2001-02	2002-03
असम	51.11	51.11
तमिलनाडु	22.10	22.10
पश्चिम बंगाल	22.33	22.33
कुल	95.54	95.54

12. वर्ष 2002-03 से आगे राज्य सरकारों को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित विशेष केंद्रीय सहायता के बारे में अनुमति दी गई है कि वे इसका 15 प्रतिशत भाग विगत में उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसी कि पहले भी पश्चिमी घाट का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमति दी गई है।

13. यह भी प्रस्ताव है कि समेकित पनढाल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये जो वर्ष 2002-03 के दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सीधे तौर पर कार्यान्वित करने के काम में लगे हुए हैं। अभी तक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के उन अधिकारियों के लिए चलाया जा रहा था जो पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम को लागू कर रहे थे।

(ii) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

14. पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला लगभग 1600 कि.मी. लम्बी है जो महाराष्ट्र के धुले जिले में ताप्ती नदी के सिरे से शुरु होकर महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे के समानांतर है और कन्याकुमारी में समाप्त होती है जो महाद्वीप भारत के सुदूर उत्तर के किनारे तमिलनाडु में है। इस क्षेत्र में 1.60 लाख वर्गमीटर का क्षेत्र आता है और यहां की आबादी 442 लाख (1991 की जनगणना के अनुसार) है।

15. पश्चिमी घाट क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं भूमि पर और वनस्पति पर जनसंख्या का दबाव। इन कारणों से इस क्षेत्र की पारिस्थितिक तथा पर्यावरण की समस्याएं पैदा हुई हैं। नदी-घाटी परियोजनाओं के कारण बड़े जमीनी हिस्से के जलमग्न होने, खुदाई के कारण क्षेत्र को हुई क्षति, वनों की कटाई, व्यावसायिक बागानों के लिए प्राकृतिक वनों की कटाई, अपरदन के कारण जलाशयों में मिट्टी जमा होने तथा फलस्वरूप उनका जीवन काल कम होना और बाढ़ तथा भूस्खलन के प्रतिकूल प्रभाव, जंगल की भूमि का अतिक्रमण तथा वन्य प्रणियों का चोरी से शिकार आदि ऐसे कारण हैं जिनसे पर्वतों का नाजुक पारिस्थितिक तंत्र भारी दबाव में आ गया है।

16. देश में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1974-75 में अलग से एक पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (पघाविका) (डब्ल्यू.जी.डी.पी) आरंभ किया गया था। इन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रों को लाने के लिए उत्सेध (एलिवेशन) (समुद्रतल से 600 मीटर की ऊंचाई) और तालुका (प्रादेशिक प्रशासनिक इकाई) से सामीप्य को आधार बनाया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन पश्चिमी घाट के 159 तालुकों में हो रहा है जिनमें पांच राज्य हैं अर्थात् महाराष्ट्र (62 तालुका), कर्नाट (40 तालुका), केरल (29 तालुका), तमिलनाडु (25 तालुका) और गोवा (3 तालुका) शामिल हैं।

17. छठी पंच वर्षीय योजना से लेकर 2000-01 तक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विधियन विशेष केंद्रीय सहायता पघाविका और पर्यक्षेविका के बीच क्रमशः 13.39 प्रतिशत और 86.61 प्रतिशत के अनुपात से बांटी जा रहा है। इस समय यह 60 और 40 प्रतिशत के अनुपात में दी जा रही है। राज्यों को यह सहायता 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। पघाविका के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता का वित्तपोषण 75 प्रतिशत राशि क्षेत्र को और 25 प्रतिशत राशि आबादी को ध्यान में रख कर किया जाता है (गोवा को छोड़कर जहां कुल विशेष केंद्रीय सहायता का 5 प्रतिशत तदर्थ आधार पर दिया जाता है क्योंकि इस मानदण्ड पर गोवा का क्षेत्रफल तथा आबादी सबसे कम थी)।

18. दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का उद्देश्य वही अर्थात् पारिस्थितिक अनुरक्षण और उसका संरक्षण ही है। अभी तक पघाविका के अंतर्गत राशि का एक बड़ा भाग पनढाल आधार पर खर्च किया जाता रहा है। तथापि इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए इन लोगों के कठिन जीवन यापन को देखते हुए ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है जो केवल पनढाल विकास तक ही सीमित न हो। अतः यह अनुभव किया गया है कि ऐसी आर्थिक गतिविधियों बर बल दिया जाये जो टिकाऊ हों, ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाये जिससे उनकी आर्थिक और घरेलू स्थितियों में सुधार हो, वहां के निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो और पारिस्थितिक हानि न के बराबर हो। अतः दसवीं योजना के दौरान पनढाल से आगे का दृष्टिकोण अपनाया जाये - ऐसा दृष्टिकोण जिसमें पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास दोनों पर बल दिया जाये। यद्यपि अधिकांश पघाविका क्षेत्रों में पनढाल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तथापि पारिस्थितिकी अनुरक्षण, जैव-विवधता तथा ऐसी स्कीमों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है जिनसे क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके।

19. बुनियादी तौर पर कार्यक्रम के अंतर्गत पनढाल आधारित विकास पर तो विशेष बल जारी रहना चाहिए क्योंकि पनढाल विकास से ही किसी क्षेत्र का विकास प्रभावी ढंग से होता है। लोगों की भागीदारी बढ़ाने को भी महत्व दिया जाये क्योंकि इससे प्रभाविकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी बढ़ती है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की नई स्कीमों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

20. पघाविका के अंतर्गत राज्यों को दी गई विशेष केंद्रीय सहायता में से उन्हें अधिकतम 15 प्रतिशत राशि का उपयोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत विगत में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु करने की अनुमति दी गई है।

21. इस कार्यक्रम की प्रभाविकता का अनुमान लगाने के लिए गोवा के पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य केंद्रीय भू-जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उटाकमण्ड को सौंपा गया है। इसी प्रकार केरल में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन कराने का भी प्रस्ताव है।

22. कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को समेकित पनढाल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये अधिकारी पघाविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। चालू वर्ष के लिए भी वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए ऐसे दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

23. तालिका 2 में 2000-01 के लिए अनुमोदित/संशोधित परिव्यय और खर्च दिखाया गया है और 2001-02 के लिए अनुमोदित/संशोधित परिव्यय और अनुमानित खर्च और 2002-03 के लिए अनुमोदित परिव्यय तालिका 11.2 में दिखाया गया है।

तालिका 11.2

पश्चिमी घाट का विकास कार्यक्रम आबंटन/व्यय

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	2000-01			2001-02			2002-03
	अनु. परिव्यय	संशो. परिव्यय	वास्त. परिव्यय	अनु. परिव्यय	संशो. परिव्यय	अनुमानित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
महाराष्ट्र	21.02	21.08	20.82	21.06	21.06	21.06	21.06
कर्नाटक	16.49	16.69	14.89	15.57	16.79	16.79	15.57
केरल	13.20	13.23	12.86	13.13	13.68	13.67	13.13
तमिलनाडु	10.94	10.94	10.94	10.99	10.99	10.99	10.99
गोवा	3.20	3.30	3.24	3.21	3.21	2.80	3.21
सर्वेक्षण और अध्ययन पघा	0.30	0.30	0.16	0.50	0.50	0.19	0.50
कुल	65.15	65.54	62.91	64.46	66.23	65.50	64.46

(iii) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी)

24. पाकिस्तान के साथ सीमा वाले राज्यों नामतः जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु 1986-87 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। आठवीं योजना के दौरान यह कार्यक्रम पुनर्गठित किया गया तथा इसका दायरा बंगलादेश के साथ पूर्वी सीमा वाले राज्यों तक बढ़ाया गया। नौवीं योजनावधि में राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय की मांग के प्रत्युत्तर में कार्यक्रम का विस्तार पूरी जमीनी सीमा तक किया गया। अतः 1997-98 में सीवक्षेविका में म्यांमार के साथ लगने वाले राज्यों को शामिल किया गया। वर्ष 1998-99 में

चीन के साथ सीमा वाले राज्यों को शामिल किया गया तथा 1999-2000 से इसे नेपाल तथा भूटान की सीमा से लगने वाले राज्यों के लिए बढ़ाया गया। सीवेक्षिका (बी.ए.डी.पी) का मुख्य उद्देश्य है सीमा के पास स्थित दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

25. यह शत प्रतिशत केंद्रित पोषित कार्यक्रम है और अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। कार्यक्रम के लिए ब्लाक एक आधारभूत इकाई है। कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाएं राज्यों में संबंधित विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा नोडल विभाग में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र स्तर पर इस कार्य के लिए प्राधिकृत समिति कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में संबंधित नीतिगत मामलों, राज्यों में क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण और राज्यों को निधियों के आबंटन आदि पर विचार करती है।

26. राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित योजनाएं सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें व पुल, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। सामाजिक और भौतिक अभिसंरचना के सुधार और मजबूती पर विशेष बल दिया जाता है। इसके लिए लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को विशेष मुद्दा माना गया है। कुछ राज्य सरकारों ने खेल मैदानों, सामुदायिक केंद्रों आदि का निर्माण कार्य शुरू किया है ताकि लोग विशेषकर युवा वर्ग अपने खाली समय का उपयोग ठोस तथा रचनात्मक कार्यों के लिए कर सकें।

27. 1994-95 में सीवेक्षिका (बी.ए.डी.पी) के अंतर्गत योजनाओं की व्यावहारिक व वित्तीय गतिविधियों की निगरानी पद्धति शुरू की गई है और राज्य सरकारें योजना आयोग को योजना-वार वित्तीय और व्यावहारिक उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

2000-01 और 2001-02 की वार्षिक योजना की समीक्षा

28. वर्ष 2000-01 के दौरान कार्यक्रम के लिए 210 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई और यह राशि राज्य सरकारों को दे दी गई थी। विशेष केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार सरकारों को जारी नहीं की गई क्योंकि इन राज्य सरकारों के पास 2000-01 के लिए दी गई राशि का बड़ा भाग बिना व्यय किये हुए पड़ा था। खर्च न की गई बकाया राशि को, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों नामतः जम्मू कश्मीर, मिजोरम पंजाब और हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाया गया जैसाकि तालिका 11.3 में दिखाया गया है।

29. 2001-02 के लिए कार्यक्रम हेतु 240 करोड़ रु. की राशि रखी गई जिसमें से 194.17 करोड़ रु० की राशि दे दी गई है। सीवेक्षिका (बी.ए.डी.पी) के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता लाभग्राही राज्यों को तीन प्रतिमानों के आधार पर वितरित की जाती है अर्थात् सीमा से लगने वाले ब्लाकों का क्षेत्रफल, और जनसंख्या तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लम्बाई। तथापि म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों को अस्थाई राशि आबंटित की गई है क्योंकि इनमें से कुछ राज्यों से 2001-02 में प्रतिमानों संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः

अनुपातिक वृद्धि के इस सूत्र का प्रयोग करने से कुछ राज्यों की वर्तमान स्तर पर विशेष केंद्रीय सहायता में कमी हो जायेगी।

30. 2000-01, 2001-02 के लिए लाभग्राही राज्यों को आबंटित जारी राशि और 2002-03 में उनके लिए आबंटन की राशि तालिका 11.3 में दिखाई गई है-

तालिका 11.3

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम - आबंटन और जारी करना

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	2000-01		2001-02		2002-03
	आबंटन	जारी करना	आबंटन	जारी करना	आबंटन
असम	7.48	3.74	7.48	7.48	7.48
गुजरात	10.26	10.26	10.26	0.00	10.26
जम्मू-कश्मीर	34.85	39.65	34.85	34.85	34.85
मेघालय	4.70	4.70	4.70	5.36 #	4.70
मिजोरम	8.32	12.32	8.32	16.08 *	8.32
पंजाब	10.08	14.08	10.08	10.08	10.08
राजस्थान	30.32	30.32	30.32	30.32	30.32
आई. जी. एन. पी	-	-	-	-	-
त्रिपुरा	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96
पश्चिम बंगाल	39.56	37.99	39.56	19.78	39.56
अरुणाचल प्रदेश	13.51	6.75	13.51	13.51	13.51
नागालैंड	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
मणिपुर	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
हिमाचल प्रदेश	4.16	8.16	4.16	19.31 \$	4.16
सिक्किम	5.72	4.63	5.72	5.72	5.72
उत्तर प्रदेश	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32
बिहार	7.28	3.64	7.28	0.00	7.28
उत्तरांचल	4.16	4.16	4.16	2.08	4.16
कुल	210.00	210.00	210.00 ~	194.17	210.00 **

~ 2001-02 के लिए कुल आबंटन 240 करोड़ रुपये है।

इसमें 0.66 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि शामिल है।

* इसमें 7.76 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि शामिल है।

\$ इसमें 15.15 करोड़ रु. की एक मुस्त राशि शामिल है।

** 2002-03 के लिए कुल आबंटन 260 करोड़ रु. है।

(iv) पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी)

31. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजनाएं बनाने और इस क्षेत्र के विकास के लिए अगस्त, 1972 में पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी) का गठन किया गया था। इसका सचिवालय शिलांग में है। एन.ई.सी अधिनियम के अधीन गठित परिषद का कार्य है एक सलाहकार समिति के रूप में सघ तथा पूर्वोत्तर राज्यों के संयुक्त हित वाले मुद्दों पर चर्चा करना। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार एन.ई.सी सदस्य राज्यों के संतुलित विकास के लिए क्षेत्र के एक से अधिक राज्यों के लिए सांझे महत्व के मामलों के बारे में क्षेत्रीय योजना बनाना, योजना में शामिल परियोजनाओं/स्कीमों में वरीयता निर्धारण और वे कहां कहां पर हैं, संबंधी कार्य करेगी। एन.ई.सी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं या तो राज्य एजेंसियों द्वारा या केंद्रीय सरकार के उपक्रमों/संगठनों द्वारा लागू की जाती हैं।

परिव्यय और व्यय

32. नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002)के लिए अनुमोदित परिव्यय 2450 करोड़ रु0 था जिसके मुकाबले में योजनावधि के पांच वर्षों के दौरान 2114 करोड़ रु0 की राशि बजट में रखी गई। इस राशि के 90 प्रतिशत भाग का 9वीं पंच वर्षीय योजनावधि में उपयोग किया गया जैसाकि तालिका 11.4 में दिखाया गया है।

तालिका 11.4

नौवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और व्यय का वर्षवार व्यौरा

वर्ष अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित	व्यय	बजट अनुमान पर उपयोग
1997-98	324.00	324.00	319.16	98.50
1998-99	440.00 @	370.00	368.55	83.76
1999-2000	450.00	425.00	413.53	91.89
2000-01	450.00 &	410.90	409.48	90.99
2001-02	450.00	450.00	414.82 #	92.18
कुल	2114.00	1979.90	1925.54	91.08

@ योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय 471 करोड़ रुपये था

& योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय 415 करोड़ रु था

2001-02 के लिए अनुमानित व्यय

33 परिषद मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में संरचना के विकास, विशेष रूप से अंतरराज्यीय गतिविधियों वाली परियोजनाओं के विकास पर बल देती है। इस क्षेत्र में पनबिजली के विकास

की भारी संभावनाओं को देखते हुए परिषद पन बिजली और गैस आधारित बिजली के दोहन हेतु विशेष प्रयास कर रही है। परिषद, क्षेत्र में परिवहन और संचार संरचनाओं का विस्तार करने तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद ने दोंयांग पन बिजली परियोजना (3 x 25 मे.वा.), नागालैंड और रंगानदी पन बिजली परियोजना (3 x 105 मे.वा.) को पूरा किया। परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों का सुधार/ स्तर उठाने और सड़कों के निर्माण के लिए अच्छा कार्य किया है। इसने क्षेत्रीय आर्युविज्ञान संस्थान (इम्फाल), के प्रथम चरण को नई सुविधाओं के साथ पूरा किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मस्तिष्क चिकित्सा संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है और पुनर्गठन का कार्य भी शुरू हो गया है। दूरस्थ गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए सैटेलाइट एप्लीकेशन सेन्टर फार नार्थ ईस्ट स्थापित किया गया है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना

34. निवेश का अधिक लाभ लेने हेतु परिषद ने दसवीं पंच वर्षीय अवधि में कुछ बड़ी परियोजनाओं की स्थापना की अपेक्षा बड़ी संख्या में छोटी परियोजनाओं को चालू करने, उनकी प्रभावी निगरानी को वरीयता दी है ताकि समय और लागत की अधिकता को रोका जा सके। पहले शुरू की जा चुकी परियोजनाओं को समेकन, स्थानीय परम्पराओं और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों की भागीदारी और उद्योग, क्षेत्र में पर्यटन और सूचना तकनीक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बाह्य निवेश को आर्षित करने के काम को भी प्राथमिकता दी है। योजना आयोग ने सिफारिश की है कि परिषद पिछली योजनावधि से अपूर्ण और चले आ रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने को सबसे अधिक प्राथमिकता दे और चयनित स्कीमें/परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के संयुक्त विकास और क्षेत्रीय महत्व को दर्शाने वाली होनी चाहिए।

35. योजना आयोग ने परिषद की दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 3500 करोड़ रु० के परिच्यय को अनुमोदित किया है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत 2450 करोड़ रु० के व्यय से 42 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए पूर्वोत्तर परिषद हेतु, 450 करोड़ रु० का परिच्यय बजट में रखा गया है।

(v) "काबोको" (के.बी.के जिले) जिलों के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

36 काबोको क्षेत्र मे उड़ीसा के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित मूल कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिले आते हैं। 1992-93 में इन तीन जिलों का आठ जिलों नामतः कालाहांडी, नौपदा, बोलंगीर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मत्कानगिरी और रायगड़ा के रूप में पुनर्गठन किया गया है। इनमे 80 ब्लाक, 1171 ग्राम पंचायतें और 12,104 गांव आते हैं। अत्यधिक गरीबी और फलस्वरूप क्षेत्रीय लोगो का अत्यधिक निम्नस्तर के जीवन यापन को देखते हुए इस क्षेत्र की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है।

37 राज्य सरकार ने एक संशोधित एल.टी.ए.पी (1998-99 से 2006-07) तैयार की है जिसका कुल परिच्यय 6061.83 करोड़ रु० है और इसमें केंद्रीय योजना तथा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं

जो विभिन्न क्षेत्रों नामतः कृषि, बागवानी, पनढाल विकास, वन्यकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेय जल, आपात खाद्य पूर्ति, अनु.जा./जन जातियों के कल्याण और ग्राम्य सम्पर्क से संबंधित हैं। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना आयोग ने काबोको जिलों को 1998-99 से 2001-02 तक 243.95 करोड़ रु0 की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आबंटन किया था। तथापि इस अतिरिक्त राशि के अलावा इन जिलों के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अधिकांश अन्य निधियां सामान्य रूप से दी गईं।

38. अतः यह निर्णय लिया गया कि यदि इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है तो बहुत अधिक संकेद्रित प्रयासों की जरूरत है। काबोको जिलों के विकास के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने और सूखे को समाप्त करने की मूल समस्या से निपटने और लाभरहित लोगों तथा समाज के दुर्बल वर्गों की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि इन क्षेत्रों के परियोजनाओं की योजना बनायें। राज्य सरकार ने 2002-03 के लिए वार्षिक कार्यवाही योजना तैयार की है जिसके लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 200 करोड़ रु0 और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में 164.69 करोड़ रु0 दिये जायेंगे और इन क्षेत्रों पर बल दिया जायेगा- (एक) सूखा समाप्ति (भू-जल संरक्षण, वन्यकरण, सिंचाई और पेय जल) (दो) जीवन-यापन सहायता (कृषि, बागवानी, पशु पालन, मत्स्य पालन, कृषि व्यापार, कृषि विपणन, हथकरघा और रेशम कीट पालन), (तीन) लाभ न मिलने वाले लोगों के लिए सहायता (विशेष पोषण कार्यक्रम, आपात खाद्य पूर्ति, आदिवासी विकास और महिला स्वयंसेवी ग्रुप) (चार) स्वास्थ्य (पांच) ग्राम्य सम्पर्क और (छ.) प्रशासनिक सहायता।

39. स्कीमों की व्यावहारिक और आर्थिक प्रगति को संतोषजनक पाने पर काबोको जिलों के लिए विशेष योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता दी जायेगी। मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रायोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाये, स्थानीय भागीदारी हो, प्रशासन पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण हो तथा समयबद्ध ढंग से परिणाम प्राप्त होते दिखाई दें और वास्तव में प्राप्त भी हों।